छत्तीसगढ़ विकास
अनुक्रमणिका

क्र.		विवरण	पृश्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना		i
2.	भूमिका		iii
3.	संक्षेपिका		vi
		खण्ड I – सामान्य	
4.	अध्याय – 1	छत्तीसगढ़ – एक परिचय	01
5.	अध्याय – 2	राज्य में वित्तीय संसाधनों का विकास	04
		खण्ड II – प्राकृतिक संसाधन एवं आजीविका	
6.	अध्याय – 3	कृशि एवं खाद्यान्न	
	–	कृशि	20
	–	उद्यानिकी	26
	–	प ुपालन	44
	–	मत्स्यपालन	50
	–	सहकारिता	54
	–	खाद्यान्न सुरक्षा	59
7.	अध्याय – 4	वन – वन एवं वन आधारित उद्योग	67
8.	अध्याय – 5	खनिज संसाधन विभाग	96
9.	अध्याय – 6	जल संसाधन विकास	104
10.	अध्याय – 7	ऊर्जा विकास	120
11.	अध्याय – 8	भू–अभिलेख	147

क्र.		विवरण	पृश्ठ संख्या
		खण्ड III – सामाजिक विकास	
12.	अध्याय – 9	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विकास	149
13.	अध्याय – 10	ि क्षा एवं मानव संसाधन विकास	
	–	स्कूल ि क्षा एवं साक्षरता	177
	–	उच्च ि क्षा	199
	–	तकनीकी ि क्षा	203
14.	अध्याय – 11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	233
15.	अध्याय – 12	समाज कल्याण	259
16.	अध्याय – 13	महिला एवं बाल विकास	268
17.	अध्याय – 14	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	287
18.	अध्याय – 15	रोजगार	302
19.	अध्याय – 16	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	312
20.	अध्याय – 17	खेल एवं संस्कृति	340

क्र.		विवरण	पृश्ठ संख्या
		खण्ड IV – उद्योग एवं अद्योसंरचना विकास	
21.	अध्याय – 18	उद्योग	349
22.	अध्याय – 19	परिवहन	414
23.	अध्याय – 20	नगरीय विकास	430
24.	अध्याय – 21	राजधानी विकास, नगरीय नियोजन एवं ग्राम विकास	446
25.	अध्याय – 22	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
	–	विज्ञान एवं तकनीकी विकास	457
	–	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास	461
26.	अध्याय – 23	पर्यटन	478
27.	अध्याय – 24	अन्य – जेल, विधिक सहायता	482
28.	परिि ाश्ट		485

प्रस्तावना

अविभाजित मध्यप्रदेश के एक हिस्से के रूप में छत्तीसगढ़ अंचल की सबसे बड़ी पहचान पिछड़ापन रही है । यहां अधोसंरचना की काफी कमजोर स्थिति, जीवन स्तर की कमजोर स्थिति, शिक्षा और विकास के लिये जरूरी साधनों का जबरदस्त अभाव आदि जानकारियां इस अंचल के पिछड़ेपन को तथ्य और आंकड़ों के साथ प्रमाणित करते रहे हैं । इस तरह छत्तीसगढ़ का प्रमाणित पिछड़ापन आजादी के बाद आधी शताब्दी से ज्यादा समय तक देश के भाग्यविधाताओं के लिए किसी तरह की चिंता या प्राथमिकता का विषय नहीं बन पाया था । केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो वास्तव में छत्तीसगढ़ और इसके जैसे देश के तीन अंचलों को पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्त करने के लिए तीन नए राज्यों का गठन किया गया, जो आकार में भले छोटे हो, लेकिन संभावनाओं और अपेक्षाओं के दृष्टि से काफी बड़े है । इस तरह पिछड़ेपन की पहचान समाप्त करने के लिये 1 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया ।

मुझे यह कहते हुए हर्ष और गर्व की अनुभूति होती है कि जिस व्यापक सोच और महान सपने के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, वह सोच और वह सपना अब साकार होता दिखाई पड़ता है । उस दौर में छोटे राज्य की जरूरत और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे । लेकिन जिस दृढ़ निश्चय के साथ राज्य गठन का निर्णय लिया गया था, उसी दृढ़ संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते बनाने में हमें सफलता मिली है ।

जब राज्य की आधी से ज्यादा आबादी गरीब हो, 80 फीसदी आबादी अजीविका के लिए कृषि या वनोपज पर निर्भर हो, जब बिजली, पानी, स्कूल, किताबें, अस्पताल, दवाएं सड़क, पक्की गलियां जैसी बुनियादी जरूरतों का इंतजाम नहीं हुआ हो, तब राज्य की बेहतरी की प्राथमिकता स्वयं तय हो जाती है । हमने साफतौर पर माना कि बुनियादी अधोसंरचना और बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करके ही हम छत्तीसगढ़ की दो करोड़ आठ लाख आबादी को विकास के रास्ते पर चलने में समर्थ बना सकते हैं । पिछले पौने पांच सालों के प्रयास इसकी मिसाल है । हमने बेहतरी के मर्म को पहचाना । लोककल्याण की भावनों को शासन और प्रशासन की नसों में उतारा । सीधे असर करने वाली नई योजनाएं बनाई तथा योजना बजट को कई गुना बढ़ाया । योजना के क्रियान्वयन हेतु सतत निरीक्षण एवं कसावट पर ध्यान दिया गया। ग्राम सुराज एवं विकास यात्रा के द्वारा विकास को गति देने का सार्थक पहल किया गया ।

अरबों की लागत से किया गया विकास अब जमीन पर दिख रहा है । मै यह नहीं कहता कि सब कुछ बदल गया है । मै यह भी नहीं कहता कि इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा । लेकिन यह बात मैं विश्वास–पूर्वक कह सकता हूं कि हमने जो किया, उसकी तुलना पिछले पचास बरस के साथ की जा सकती है ।

मुझे प्रसन्नता है कि राज्य योजना मंडल ने राज्य गठन से लेकर अब तक की विकास यात्रा के दस्तावेजीकरण का बीड़ा उठाया है । इस बड़े कार्य को "छत्तीसगढ़ विकास" नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाना सराहनीय प्रयास है । मैं डॉ. दीनानाथ तिवारी, उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल और उनकी टीम को यह जिम्मेदारी उठाने के लिये साधुवाद देता हूं । मै चाहता तो था कि राज्य के विकास का दस्तावेज बने, श्री तिवारी ने मेरी सोच को साकार कर दिया है ।

यह पुस्तिका जिज्ञासुओं और सर्वसंबंधितों के लिए उपयोगी होगी । प्रकाशन की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएं ।

(डॉ. रमन सिंह)

भूमिका

महात्मा गांधी ने कहा था कि "भारत गावों का देश है और कृषि भारत की आत्मा है"। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करते समय श्री अटल जी ने कहा था कि, "नैसर्गिक साधनों से सम्पन्न इस प्रदेश के विकास की अपार संभावनाएं हैं"। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार, "सभी व्यस्कों को उत्पादित एवं लाभकारी कार्य की सुविधा ही आर्थिक लोकतंत्र है। लोकमत का परिष्कार किया जाना चाहिए। प्रकृति एवं मानव के लिए हितकर समरस विकास को अपनाकर ही हम सुख, शान्ति एवं आर्थिक विकास की आशा कर सकते हैं। हमे नीतियों और नीयत में बदलाव लाना होगा। विकास हेतु संकल्प लेना जरूरी है"।

योजना बनाते समय हमारा मुख्य ध्यान गांव, गरीब, किसान वनवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्प–संख्यकों की ओर था। जल–जंगल–जमीन–जुवान (छत्तीसगढ़ी) और जीविका के संबंध में हमने उन्हें सभी प्रकार के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। शहरो की बसाहट सुधारने एवं सभी प्रकार की सुविधाएं देने हेतु विशेष योजनाएं चालू की गई। झोंपड़–पट्टियों में रह रहे लोगों के विकास पर समुचित ध्यान दिया गया। विकास का लाभ समाज के हर वर्ग और प्रदेश के हर अंचल को दिया गया। छत्तीसगढ़ को देश का उत्तम प्रदेश बनाने हेतु योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया।

कृषि को लाभकारी बनाने का प्रयास किया गया। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने और फसल नष्ट होने अथवा नुकसान होने पर समुचित राहत दी गई। सिंचाई की कारगर व्यवस्था, बेहतर बीज, खाद, तकनीक, कृषि ऋण 3 प्रतिशत की दर पर, पशुपालन एवं, डेयरी विकास, मछलीपालन तथा कृषि आधारित उद्योगों के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ।

गांव सड़कों से जुड़े तथा बिजली, पानी, टेलीफोन की सुविधा मिलने लगी। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार की सुविधा मिलने से लोगों के गांव से पलायन में बहुत कमी आई। गरीबों की बुनियादी जरूरतों को समझते हुए उन्हे 3 रूपये किलो की दर से 35 किलो चावल प्रतिमाह, प्रति परिवार दिया गया। आदिवासी अपनी कीमती वनोपज नमक से बदलते थे अतः उन्हें शोषण से बचाने हेतु 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से अमृत नमक (आयोडाईज्ड नमक) दिया गया। गरीब परिवारों को बिना राशनकार्ड के मिट्टी तेल, 9 लाख से अधिक गरीब परिवारों को एकल बत्ती द्वारा मुफ्त बिजली एवं 49 लाख राशनकार्ड धारकों को रियायती दरो पर खाने का तेल दिया जा रहा है ताकि उन्हें मंहगाई से राहत मिल सके।

वनवासियों को वनभूमि के अधिकार पत्र दिये जा रहे हैं। वनग्रामों का समन्वित विकास किया गया। वनोपज के संग्रहण एवं विपणन से उन्हें आर्थिक लाभ मिला। बायोडीजल एवं बांस अभियान से उन्हें बड़ा लाभ मिला। नये स्कूल, आश्रम शाला, मुफ्त गणवेश, बालिकाओं को साईकिलें, मध्यान्ह भोजन आदि से वनवासी बालक/बालिकाओं की साक्षरता में व्यापक सुधार हुआ।

शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है आज हर गांव शिक्षा से जुड़ा हैं। उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में भारी परिवर्तन आया हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य की नई राहें खुली हैं।

अभाव और संकट की हर स्थिति में महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं और जब अभाव दूर हो रहा हो तो इसका सीधा असर वे महसूस कर रही हैं। राज्य में महिला सशक्तिकरण की ऐसी अलख जगी है कि हर महिला अपनी शक्ति को पहचान कर घर और समाज के साथ प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पंचायतीराज में 50 प्रतिशत महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देकर उनकी स्थिति अधिक मजबूत की जा रही हैं।

सभी के स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रयास किया जा रहा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में नये आयाम जुड़े है। भारतीय चिकित्सा पद्धति की सुविधायें जन-जन को मिल रही है। स्वच्छता देवत्व-तुल्य हैं। हरियाली तथा पर्यावरण के प्रति सभी गांवों को 2012 तक हम निर्मल-गांव बनाने हेतु प्रयासरत है। जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। इस संबंध में जन-सहभागिता हेतु जल-महोत्सव अभियान चलाया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक की गई, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शानदार उपलब्धि रही, बिजली उत्पादन मे हम आगे हैं, औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है एवं रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पुल, सड़क, भवन एवं सिंचाई योजनाएं समय से पूर्व ही बनकर विकास के प्रति लोगों का विश्वास अर्जित कर रही हैं।

अरबों की लागत से किया गया विकास जमीन पर दिख रहा है परन्तु तुलसीदास जी के शब्दो में, "जाने बिनु ना होई परतीती"। अतः "छत्तीसगढ़ विकास" पुस्तक के द्वारा हम जन–जन तक विकास की जानकारी देकर उनका विश्वास अर्जित करना चाहते हैं। जन–जागरण से जन–कल्याण की प्रक्रिया अपनाकर ही गरीबी, निरक्षरता, बीमारी, विषमता, शोषण, भष्ट्राचार एवं नक्सलवाद से छुटकारा मिलेगा।

हम डॉ. रमन सिंह की समरसता, आत्मीयता, सौहार्द के साथ विश्वास हेतु आभारी हैं। उनके मार्गदर्शन में ही करिश्माई विकास संभव हो सका। हम सभी मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग हेतु कृतज्ञ हैं। जनता जर्नादन से हमारा सीधा सबंध रहा तथा मीडिया ने विकास को सदैव वरीयता दी जिसके लिए हम आभारी है। योजना आयोग, भारत सरकार का हमे पूरा समर्थन मिला जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं।

योजना मंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस पुस्तक के तैयार करने में सराहनीय कार्य किया एवं श्रीमती शोभा सुब्रमण्यम, सदस्य सचिव, श्री विनोद कुमार लाल, सुश्री डॉ0 सुलोचना हबलानी, एवं श्री जे.एस.विरदी, का विशेष योगदान रहा। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक द्वारा प्रदत्त जानकारी से जहां लोगों का ज्ञानवर्धन होगा वही भविष्य में जनसहयोग से विकास में तेजी आयेगी। आइये छत्तीसगढ़ राज्य को अव्वल प्रदेश बनाने का संकल्प ले।

डॉ0 दीनानाथ तिवारी
उपाध्यक्ष
राज्य योजना मंडल

छत्तीसगढ़ विकास – संक्षेपिका

परिचय

1 नवम्बर, सन् 2000 को भारत वर्श के 26 वें राज्य के रूप में "छत्तीसगढ़" का उदय हुआ। पूर्व में अंग्रेजों के भाासन में छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्राविन्स एण्ड बरार का हिस्सा था। 1956 में जब भाशायी आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ तब छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदे ा में भाामिल किया गया।

छत्तीसगढ़ प्राकृति संसाधनों से भरपूर आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जो कृषि में धान की अधिकता के कारण धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है । गत 8 वर्षों में राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए आम जनता के हित को ध्यान में रखकर विकास के नये आयामों को अर्जित किया है । परिणाम स्वरूप रोजगार के लिए पलायन में कमी, आजीविका में सुधार, लघु वनोपज के व्यापार से आर्थिक संपन्नता, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, साक्षरता में वृद्धि के साथ–साथ ऊर्जा उत्पादन में स्वाबलंबी बनकर शानदार सफलता अर्जित की है।

राज्य में वित्तीय एवं आर्थिक संसाधनों का विकास

परंपरागत ज्ञान में विकास की परिभाशा को केवल आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में ही माना जाता है। मानव विकास की अवधारणा के प्रार्दुभाव के साथ ही विकास की अवधारणा को सामाजिक एवं आर्थिक संकेतांकों के साथ संबद्ध किया गया ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है । प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद प्रचलित दरो पर वर्श 2006–07 में 17,56,055 लाख रू. द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2006–07 में 19,97,970 लाख रू. एवं तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2006–07 में 21,78,103 लाख रू. हो गया है। कुल सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 26,08,500 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 59,32,128 लाख रू. हो गया है एवं इसमें 127.42 प्रति ात वृद्धि दर्ज की गई ।

प्रचलित भावों के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय 12,601 रू. से बढ़कर 25,680 रू. हो गई है। इस प्रकार प्रचलित भावों के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय में 103.79 प्रति ात वृद्धि दर्ज की गई ।

वित्तीय संसाधनों का विकास

राज्य सरकार द्वारा मध्यम अवधि राजकोशीय सुधार कार्यक्रम बनाया गया है तथा केन्द्र सरकार से इस हेतु दिये गये प्रोत्साहन कोष का महत्वपूर्ण राजकोशीय चरों (Variables) में सुधार कर लाभ लिया गया है । बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य में 'छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम–2005' प्रभावशील है तथा राज्य द्वारा वर्श 2007–08 में ''आऊटकम बजट'' तथा वर्श 2008–09 में ''परफार्मेन्स बजट'' प्रस्तुत किया जा चुका है ।

राज्य के परिप्रेक्ष्य में राजस्व घाटे का स्तर शुरूआत के तीन वर्शों में 2% से भी कम रहा है तथा तदोपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है।

राज्य में राजकोशीय घाटे की स्थिति बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्दर रखने में सफलता प्राप्त की गयी है । राज्य के आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का शतप्रतिशत भार विगत तीन वर्शों से राज्य अपने स्वयं के राजस्व से वहन करने में सफल रहा है, जो इसकी बेहतर वित्तीय अनुशासन का द्य ोतक है ।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का लगभग 60 प्रति ात राजस्व स्वयं के संसाधनों से प्राप्त किया जाता है । इसके अलावा लगभग 25–26 प्रति ात केन्द्रीय करों के अं ा के रूप में तथा 14–15 प्रति ात केन्द्र से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होता है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय राज्य का कुल बजट प्रावधान रूपये 5704.51 करोड़ था जो वर्श 2008–09 में बढ़कर रू. 18,285.80 करोड़ हो गया, इसमें वार्शिक राज्य आयोजना लगभग रूपये 1312.27 करोड़ की थी, जो सात गुना से अधिक बढ़कर वर्श 2008–09 में रूपये 9600.00 करोड़ हो गई। राज्य के

आयोजना का कम से कम 38% अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र योजना के लिये तथा 12% अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना के लिये किया जा रहा है जो उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक है।

राज्य के वित्त का यह सुखद पहलू यह है कि उसके पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि हुई है तथा वर्श 2001–02 में जहां यह रू. 575.94 करोड़ था वहीं वर्श 2008–09 में बढ़कर रू. 3903.46 करोड़ हो गया है जो लगभग 7 गुना अधिक है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य का लोक ऋण अन्य गैर–वि ोश श्रेणी राज्यों की तुलना में काफी संतोशजनक है। वर्तमान में मार्च 2008 की स्थिति में राज्य की कुल देयता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 18 प्रति ात है । वहीं राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति के तुलना में ब्याज भुगतान कम होकर वर्श 2008–09 में 7.37 प्रति ात रह गया है तथा स्वयं के राजस्व प्राप्ति के तुलना में ब्याज भुगतान निरंतर कम होकर वर्श 2008–09 में 13.81 प्रति ात रह गया है। राज्य सरकार अपनी चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कभी भी ओव्हर ड्राफ्ट अथवा अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भर नहीं रही है । कुल मिलाकर सार्वजनिक ऋण के संबंध में राज्य सरकार की स्थिति काफी सुखद एवं धारक्षम है ।

राज्य में बैंकिंग का विकास

मार्च 2008 की स्थिति में बैंको की कुल संख्या 62 है, जिनकी 1416 भााखाएं पूरे राज्य में संचालित है । राज्य में प्रति भााखा सेवित औसत जनसंख्या 14,954 है, अतः अधिक बैंक भााखाओं के लिए अवसर हैं । प्रति व्यक्ति डिपॉजिट राज्य में लगभग रू. 14,226 है तथा प्रति व्यक्ति–साख रू. 8,514 है ।

एक राज्य सहकारी बैंक तथा 06 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक संचालित है, जिनकी कुल 198 भााखाएं हैं । इनमें से 142 ग्रामीण एवं 20 अर्धनगरीय क्षेत्र में कार्यरत है । राज्य में प्राथमिक सहकारी कृशि साख समितियों की कुल संख्या 1333 है । कृशकों की वित्तीय आव यकताओं की पूर्ति के लिए बैंको द्वारा 31 मार्च 2008 की स्थिति में 13,48,814 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमित किये गये, जिसकी ऋण सीमा रू. 3530.49 करोड़ थी । राज्य में कृशि के क्षेत्र में ऋण साख का प्रवाह विगत तीन वर्शों में वर्श 2003–04 की स्थिति की तुलना में दुगुना से अधिक हो गया है।

अप्रैल 2007 से कृशकों को 6 प्रति ात ब्याज दर पर कृशि ऋण दिया जा रहा था जिसे वर्श 2008 में कम करके 3 प्रति ात कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में जुलाई 2001 से संचालित है । अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (STCCS) के सुधार पैकेज हेतु राज्य भाासन, भारत सरकार एवं नाबार्ड के मध्य एम. ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये, जिससे सहकारी बैंको का सुदृढ़ीकरण होगा तथा किसानों के ऋण की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा। वैद्यनाथन कमेटी की अनु ंसा को लागू करने हेतु दिनांक 25.09.2007 को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

कृषि

छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है। जिसमे से 47.22 लाख हेक्टेयर एक फसली क्षेत्र और 57.32 लाख हेक्टेयर दो फसली क्षेत्र को मिलाकर फसलों का कुल क्षेत्रफल है। प्रदे ा की 78 प्रति ात आबादी कृशि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सुनिश्चित सिंचाई, फसल विविधता एवं सस्ते कृषि ऋण पर विशेष बल दिया गया ।

धान प्रदे ा की प्रमुख फसल है। धान के उन्नत बीजों के उपयोग तथा उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि से वर्ष 2007–08 में उत्पादन 2001–02 की तुलना में 50.04 लाख टन से बढ़कर 61.30 लाख टन हो गया है। इसी अवधि में दलहन का उत्पादन 2.7 लाख मी. टन से बढ़कर 9.89 मी. टन एवं तिलहन का उत्पादन 0.96 मी. टन से बढ़कर 5.20 लाख टन हो गया है। व्यावसायिक फसल जैसे गन्ना, सोयाबीन के क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है ।

गुणवत्ता बीजों का उत्पादन तथा वितरण वर्ष 2001–02 की तुलना में 2007–08 में 66 क्विंटल से बढ़कर 1.87 लाख क्विंटल हो गया। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 2000–01 में 32 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2007–08 में 71 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया है।

विभिन्न योजनाओं के तहत 2007–08 तक 39515 नलकूपों का खनन कर 98841 हेक्टेयर में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी । 17644 पंप सेट्स का भी वितरण किया गया है। भााकम्भरी योजना के अंतर्गत 2007–08 तक 3145 कूओं का खनन एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 2008 तक 222 तालाबों का निर्माण किया गया है। कृषि ऋण जो पहले 7 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा था उसे कम कर 6 प्रतिशत और अब 3 प्रतिशत की दर पर किसानों को दिया जाएगा ।

उद्यानिकी

फल सब्जी एवं मसाले वाली फसलों से कृशकों को सीमित भूमि से अधिक आमदनी प्राप्त होती है एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का अच्छा साधन है। राश्ट्रीय बागवानी मि ान के माध्यम से उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को आगामी पांच वर्शो में दो गुना करने के लक्ष्य के साथ पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट योजनाओं से कृशको को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदे ा में उद्यानिकी फसलों, फल, सब्जी, मसालों, पुश्प तथा औशधीय एवं सुगंधित फसलों के क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उद्यानिकी के विकास पर वर्श 2000–01 में रू. 3.85 करोड़ का व्यय किया गया था जो 2007–08 में बढ़कर रू. 65.23 करोड़ हो गया है तथा इस अवधि में उत्पादन 13.44 लाख मी. टन से बढ़कर 49.97 लाख मी. टन हो गया है। फलों में मुख्य रूप से आम, केला, पपीता, काजू, लीची का उत्पादन किया जाता है तथा सब्जियों में प्रमुख रूप से फूलगोभी, पत्तागोभी, बैगन, टमाटर, भिण्डी, आलू, कददू, लौकी, प्याज, म ारूम का उत्पादन होता है। मसालों के अंतर्गत प्रमुख रूप से अदरक, धनिया, मिर्च, लहसुन, हल्दी, फूलों में प्रमुख रूप से गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, चमेली, औशधीय एवं सुगंधित फसलों में प्रमुख रूप से लेमनग्रास, सफेद मुसली, बच, सर्पगंधा, अ वगंधा आदि का उत्पादन होता है।

पशुपालन

राज्य में संपन्न 17 वीं प ु गणना 2003 (संदर्भ तिथि 15 अक्टूबर 2003) के अनुसार प्रदे ा में कुल प ुधन 1,34,92,954 है, जिसमें गौवं ीय 88,81,729, भैसवं ीय 15,95,041 एवं भोश प ुधन 30,13,184 है। इसमें भेड़ बकरी, घोड़े खच्चर एवं अन्य प ु भाामिल है। राज्य में पक्षी धन (कुक्कुट, बतख, जापानी बटेर एवं अन्य) की संख्या 81,81,324 है।

यद्यपि राश्ट्रीय स्तर पर दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 245 ग्राम के विरूद्ध छत्तीसगढ़ में उपलब्धता 112 ग्राम है, अण्डों की उपलब्धता 45 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्श के विरूद्ध प्रदे ा में अण्डे की उपलब्धता 43 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्श है तथा मांस उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्श 1.62 कि.ग्रा. के विरूद्ध राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्श 0.57 कि.ग्रा. ही वर्तमान में उपलब्ध है तथापि राज्य ने इनके उत्पादन में विशेष वृद्धि दर्ज की है। 2000–01 में 777 हजार मी. टन दुध का उत्पादन था, जो 2007–08 में बढ़कर 866 हजार मी. टन हो गया है, अण्डे का उत्पादन 2000–01 के 7326 लाख से बढ़कर 2007–08 में 9182 लाख हो गया। इसी प्रकार प्रदे ा में मांस का उत्पादन 2000–01 में 70.60 लाख कि.ग्रा. से बढ़कर 2007–08 में 132.60 लाख कि.ग्रा. हो गया है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजातीय परिवारों को कृशि कार्य में आत्म निर्भर बनाने के लिये गाय एवं बैल जोड़ी का वितरण किया जा रहा है। वर्श 2007–08 तक 83,765 बैल जोड़ी एवं 15,994 गायों का वितरण किया गया है।

उन्नत प्रजनन सुविधा विहीन प्रदे ा के सभी ग्राम पंचायतों में राज्य द्वारा उन्नत नस्ल के सांड का वितरण किया जा रहा है। योजना के प्रारंभिक वर्श से 2007–08 तक कुल 2662 सांडों का वितरण किया गया है।

प्रदे ा के 76 प्रति ात किसान सीमान्त और छोटे कृशक हैं जिनके पास औसतन डेढ़ हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अतएव कृशि के साथ–साथ पूरक आय के स्रोत विकसित करने हेतु डेयरी, बकरी, सूकर, कुक्कुट व्यवसाय को बढ़ावा दिया गया।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सूकर पालकों को विनिमय के आधार पर सूकर त्रयी एवं नर सूकरों का वितरण किया जाता है। वर्श 2000–01 से लेकर 2007–08 तक कुल 8350 सूकर त्रयी तथा 6775 नर सूकरो का वितरण किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बकरी पालकों को विनिमय के आधार पर बकरी इकाइयों का वितरण किया जाता है। वर्श 2000–01 से 2007–08 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 15620 बकरी इकाइयों का वितरण किया गया।

राज्य में कुक्कुट पालन एक पारम्परिक व्यवसाय है। कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने तथा बी.पी.एल. परिवारों की आय में वृद्धि के लिये कुक्कुट इकाइयों का वितरण किया गया। राज्य निर्माण के बाद से 2007–08 तक कुल 61886 कुक्कुट इकाइयों का वितरण किया गया।

प ु परिरक्षण एवं कल्याण हेतु 3 मार्च 2003 को छत्तीसगढ़ गोसेवा आयोग का गठन किया गया। प ु कल्याण एवं गौवं ीय प ुओं की रक्षा हेतु कृशक प ु परिरक्षण अधिनियम 2004 लागू किया गया है। गौसेवा आयोग द्वारा गौ ालाओं में रखे अ क्त, बूढ़े तथा कत्ल खाने ले जाये जा रहे, प ुओं के कल्याण के लिये प्रदे । में 38 गौ ालाओं का पंजीयन कर उन्हें अनुदान उपलब्ध कराया गया। छत्तीसगढ़ गोसेवा आयोग द्वारा गठन के बाद से अब तक कुल रू. 268.97 करोड़ का अनुदान विभिन्न मदों में गौ ालाओं को प्रदान किया गया है।

मत्स्यपालन

राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु मछली पालन हेतु उपयुक्त होने के कारण, मत्स्य पालन व्यवसाय एक वि ि ष्ट स्थान रखता है। मछली पालन कम लागत और कम समय में अधिक आय देने वाले सहायक धन्धे के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है। मछली पौश्टिक खाद्य पदार्थ भी हैं जिससे कुपोशण को दूर किया जा सकता हैं । मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में वर्श 2007–08 में 83 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

राज्य में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिये मत्स्य बीज उत्पादन हेतु कुल 50 चायनीज हैचरीज, 32 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र और 258 संवर्धन पोखर है जिनके अंतर्गत 209.47 हेक्टेयर जलक्षेत्र है। वर्श 2000–01 में 46,817 तालाबों में 1.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिये उपलब्ध था। जबकि, वर्श 2007–08 में तालाबों की संख्या बढ़कर 58,861 होने से मत्स्य उत्पादन के लिये उपलब्ध जल क्षेत्र 1.58 लाख हेक्टेयर हो गया।

वर्श 2000–01 में 93,000 मी. टन मत्स्य का उत्पादन हुआ था, जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 1,37,753 मी. टन हो गया।

मत्स्य कृशक विकास अभिकरण योजना के अंतर्गत वर्श 2007–08 में मत्स्य कृशकों को रू. 366.55 लाख के ऋण प्रदान किये गये एवं स्वयं की भूमि पर 200 नये तालाबों के निर्माण तथा अन्य आगतों पर व्यय किये जाने हेतु रू. 98.92 लाख का अनुदान दिया गया।

मत्स्य पालकों को प्रि ाक्षण, मत्स्य कृशकों का अध्ययन, भ्रमण, मत्स्य कृशक विकास अभिकरण तथा विस्तार एवं प्रि ाक्षण योजनाओं के अंतर्गत प्रदे ा के मत्स्य कृशकों को प्रि ाक्षण दिया गया। इन योजनाओं के अंतर्गत जहां वर्श 2000–01 में 1814 मत्स्य कृशकों को प्रि ाक्षण दिया गया वही 2007–08 में प्रि ाक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या बढ़कर 6147 हो गयी है।

सहकारिता

छत्तीसगढ़ के कृशि विकास में सहकारिता आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार विभिन्न समितियों के माध्यम से इन समितियों से जुड़े किसानों को ऋण एवं अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है।

प्रदे ा में अल्पकालीन साख संरचना का त्रिस्तरीय ढाचां कार्यरत है। राज्य सहकारी बैंक (एपेक्स बैंक) तथा राज्य सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राज्य स्तर पर कार्य ील है। जिला स्तर पर 06 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 12 जिला सहकारी कृशि तथा ग्रामीण विकास बैंक कार्य कर रहे है। 1333 प्राथमिक कृशि सहकारी साख समितियां और 14 भाहरी ऋण समितियां जिला स्तरीय संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। प्राथमिक कृशि साख सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी बैंकों द्वारा कृशकों को नगद एवं वस्तु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटना ाक औशधि, कृशि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृशि उपज

विपणन एवं भाासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। प्रदे ा में कुल 1333 प्राथमिक कृशि साख सहकारी समितियां कार्यरत है, जिसमें 857 प्राथमिक कृशि सहकारी समितियां (पैक्स) एवं 476 वृहद आदिवासी बहुउद्दे ीय समितियां (लैम्पस) हैं। सहकारिता विभाग का वर्श 2000–01 में रू. 9.43 करोड़ का बजट प्रावधान था, जो वर्श 2008–09 में बढ़कर रू. 147.32 करोड़ का हो गया है।

प्रदे ा में 1 अप्रेल 2007 से कृशकों को 6 प्रति ात ब्याज दर पर कृशि ऋण दिया जा रहा था। अब 3 प्रति ात की दर पर कृशि ऋण दिये जाने की घोशणा की गयी है। कृशकों को ऋण की पात्रता अधिकतम 75 हजार से 1 लाख तक थी, जिसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात पूर्व में 60:40 था, उसे 2007–08 से सं ोधित कर 40:60 कर दिया गया है। वर्श 2000–01 में कुल रू. 8.44 करोड़ के अल्पकालीन ऋण दिये गये थे। वर्श 2007–08 में रू. 588.36 करोड़ के अल्पकालीन ऋण दिये गये।

वैद्यनाथन कमेटी की अनु ांसा को लागू करने दिनांक 25.09.2007 को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। जिसके अनुसार प्रदे ा के राज्य सहकारी बैंक, 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं 1333 प्राथमिक कृशि साख सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस समझौते के तहत लगभग रू. 263.75 करोड़ का आर्थिक पैकेज प्राप्त होगा। प्रदे ा गठन के बाद प्रथम बार सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन कराया गया।

प्रदे ा का प्रथम भाक्कर कारखाना, भोरमदेव, कवर्धा में कार्य ील है जिसे 2002–03 में स्थपित किया गया था। प्रदे ा में दो और भाक्कर कारखाने सहकारिता के क्षेत्र में बालोद, दुर्ग और केरता, अंबिकापुर में स्थापित किये जा रहे हैं। दोनो में दिसंबर 2008 तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

समाज के कमजोर वर्गो को खाद्यान सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना 1 अप्रेल 2007 से प्रारंभ की गयी। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 7 लाख अंत्योदय परिवारो तथा 12 लाख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारो को 3 रू. किलो चावल प्रदान किया जा रहा था। 1 जनवरी 2008 से सभी वर्गों के 34 लाख परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो चावल 3 रू. प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है।

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है। वर्श 2000–01 में सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रू. 510 प्रति क्विंटल तथा 'ए' श्रेणी के धान के लिये रू. 540 प्रति क्विंटल था जो 2007–08 में बढ़कर सामान्य श्रेणी के लिये रू. 580 प्रति क्विंटल तथा 'ए' श्रेणी के लिये 675 रू. प्रति क्विंटल हो गया है। वर्श 2007–08 में दोनो ही श्रेणी के धान उर्पाजन पर रू. 100 प्रति क्विंटल बोनस भी दिया गया।

वर्श 2000–01 में केवल 5.87 लाख टन धान का उपार्जन और उस पर रू. 363.78 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्श 2007–08 में धान का उपार्जन बढ़कर 31.59 लाख टन हो गया और इस पर रू. 3137.75 करोड़ व्यय किये गये। साथ ही धान उपार्जन में होने वाले व्यय की तुलना में हानि के प्रति ात में भी कमी आयी है। वर्श 2000–01 में 376 करोड़ की तुलना में 2006–07 में 191 करोड़ की हानि हुई है।

वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों के भोशण को रोकने तथा घेंघा रोग पर नियंत्रण लगाने के लिये प्रदे ा के समस्त विकासखण्डों में छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना लागू की गयी है। इसके अंतर्गत प्रदे ा के 23 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2 किग्रा आयोडाईज्ड नमक 25 पैसे प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

निर्धन और जरूरतमंद लोगों को न्यूनतम मूल्य पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रदे ा में जनवरी 2004 से अन्नपूर्णा दाल भात योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 300 ग्राम चावल और 90 ग्राम दाल 5 रू0 में उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में 178 अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र सामाजिक संस्थाओ, स्वसहायता समूहों तथा अन्य द्वारा चलाये जा रहे हैं। अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रो से प्रतिदिन 30000 से 35000 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदे ा में 6501 उचित मूल्य की दूकानें संचालित थी। इनके अतिरिक्त 3899 नयी दुकानें स्थापित की गयी है। राज्य में फरवरी 2008 की स्थिति में 10400 उचित मूल्य की दुकाने संचालित हैं, जिनमें से 4148 पंचायत, 658 लेम्प्स, 1672 सेवा सहकारी समिति, 1395 अन्य सहकारी समिति, 2295 महिला स्वसहायता समूह तथा 232 वन सुरक्षा समितियों द्वारा संचालित की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रा न सामग्री के वितरण में पारदर् िता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्दे य खाद्य विभाग द्वारा काल सेंटर, जनभागीदारी बेबसाइट एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदे ा, 2004 के प्रावधानों के अनुरूप, जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं प्रत्येक उचित मुल्य दुकान स्तर पर निगरानी समितियॉ गठित की गयी हैं।

प्रदे ा के समस्त जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित है जिनमें से 09 जिलों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया एवं कोरबा में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम तथा भोश 07 जिलों महासमुन्द, धमतरी, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, ज ापुर, कांकेर एवं दंतेवाड़ा में अं ाकालिक जिला फोरम कार्यरत हैं। नवीन जिलों नारायणपुर एवं बीजापुर में अं ाकालिक जिला फोरम गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोशण आयोग, रायपुर का गठन दिनांक 01.11.2002 को किया गया है।

वन, वन्यजीवन एवं वन आधारित उद्योग

प्रदे ा का 44.2 प्रति ात भौगोलिक क्षेत्रफल जो लगभग 59772 वर्ग कि.मी. है, वनों से आच्छादित है । यह दे ा के वन क्षेत्रफल का 7.77 प्रति ात है। छत्तीसगढ़ में साल वन सबसे अधिक पाये जाते हैं । वनों का लगभग 11 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है । राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक गांव वन से 5 कि.मी. की परिधि के अंदर अवस्थित हैं तथा आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण अधिकांश ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु वनों पर आश्रित हैं । इसे ध्यान में रखकर राज्य की वन नीति 2001 बनाई गई ।

राज्य के वनों से प्रति वर्ष औसतन 1.55 लाख घनमीटर ईमारती लकड़ी, लगभग 2 लाख लट्ठे, औसतन 21 हजार टन वाणिज्यिक बांस एवं 35 हजार टन औद्योगिक बांस का उत्पादन हो रहा है। ग्रामीण निस्तार हेतु रू. 7–8 करोड़ के लट्ठे एवं जलाऊ लकड़ी, औसतन 26 लाख नग बांस तथा बसोड़ों को औसतन 20 लाख नग बांस प्रतिवर्ष प्रदाय किया जा रहा है । वन क्षेत्रों में उपलब्ध विपुल हरबल संसाधन के टिकाऊ दोहन, प्रसंस्करण एवं विपणन को ग्रामीणों की आय का निश्चित स्त्रोत बनाने के उद्देश्य से राज्य को हरबल राज्य घोषित किया गया ।

छ0ग0 लघु वनोपज संघ द्वारा राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज क्रमशः तेंदूपत्ता, सालबीज, हर्रा, गोंद के अतिरिक्त अन्य अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे लाख, शहद, इमली, वनौषधि इत्यादि का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन का कार्य किया जा रहा है। राज्य में लाख के संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कुसुम लाख का उत्पादन 1708 टन से बढ़कर 4005 टन हो गया । वहीं पलाश लाख का संग्रहण 2562 टन से बढ़कर 4890 टन हो गया है। राज्य में शहद का उत्पादन लगभग 3500 क्विन्टल है । बस्तर, दंतेवाड़ा तथा कांकेर जिलों में इमली का संग्रहण एवं प्रसंस्करण किया जा रहा है। महुलई पत्ते से दोना–पत्तल बनाने के 8 केन्द्र हैं, इस प्रकार अराश्ट्रीयकृत लघुवनोपज में मूल्य संवर्धन द्वारा स्थानीय निवासियों के आय में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है ।

वन संरक्षण एवं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार, पौधा प्रदाय योजना, हरियाली प्रसार योजना, नदी तट वृक्षारोपण योजना एवं बायोडीजल हेतु रतनजोत वृक्षारोपण योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है ।

संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का आधार बनाया गया है । प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में वन क्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित है। राज्य के 33,190 वर्ग कि0मी0 वन क्षेत्र का प्रबंधन 7,887 वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिनमें 27.63 लाख ग्रामीण सदस्य हैं । वन प्रबंधन समिति को आबंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप बांस या काश्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद या 15 प्रतिशत मूल्य की सीमा तक राशि एवं वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जा रहा है ।

राज्य में 425 वन ग्राम हैं । इनमें एकीकृत वनग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अधोसंरचना विकास, पहुंच मार्ग निर्माण, विद्युत आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं । धमतरी जिले में ''धमतरी मॉडल'' के रूप में एक विशेष योजना लागू की गई है जिसमें वन से पांच कि.मी. की परिधि के अंदर आने वाले गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बनाते हुए कियान्वयन वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से किया गया । यह मॉडल शासन की जनकल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं को सुदूर क्षेत्रों तक ले जाने में अत्यधिक सफल रहा ।

राज्य में बांसों के संवर्धन एवं बांस आधारित उत्पादों के विकास के लिए कई विभागों के समन्वय से वर्ष 2007 में बांस मिशन लागू किया गया ।

वन विकास निगम के अधीन 1,90,496.054 हेक्टेयर वन क्षेत्र वन विभाग से लीज पर लिया गया है तथा राज्य के कम उत्पादक वाले वन क्षेत्रों में मूल्यवान सागौन एवं बांस वन तैयार कर, उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ।

जैव विविधता की दृश्टि से छ.ग. राज्य काफी सम्पन्न राज्य है तथा जैव विविधता संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है।

औशधीय पादपों के सरंक्षण, संवर्धन, विना ा विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वनौशधि बोर्ड की स्थापना की गई है, जो राज्य में उपयोगी वनौषधियों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रही है ।

वनौषधि के विपणन के लिए मार्केटिंग सेंटर स्थापित कर विपणन लिंकेज स्थापित किया जा रहा है ।

राज्य में वनौषधियों से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले 1000 परम्परागत चिकित्सकों एवं 127 वैद्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

राज्य में वन आधारित उद्योगों में निजी क्षेत्र में लगभग 1421 आरामिलें, 114 प्लाईवुड, फ्लश डोर तथा ब्लैक बोर्ड निर्माण ईकाईया, 2115 लघु फर्नीचर उद्योग स्थापित है । राज्य में लगभग 1.08 लाख जलाऊ चटटों का उपयोग चारकोल बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी औद्योगिक प्रयोजनों में काफी मांग है ।

वानिकी क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाऍं

- जीवन बीमा निगम के सहयोग से तेंदूपत्ता संग्राहको के लिए सामूहिक बीमा योजना संचालित है। जिसमें 18 से 60 वर्श तक के व्यक्तियों का बीमा किया जाता है । इसके अतिरिक्त तेंदूपत्ता संग्राहको एवं उनके परिवारो के लिए जनश्री सामूहिक बीमा योजना प्रारंभ की गई है। जनश्री सामूहिक बीमा योजना भारत के 09 वी से 12 वी या आई टी आई में पढ़ने वाले दो बच्चों को प्रति तिमाही रू. 300/– के मान से ि ाक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रतिवर्श एक जोड़ी जूता निः ाुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई जिससे 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक प्रतिवर्श लाभांवित हो रहे हैं ।
- राज्य में 427 वनग्राम अधिसूचित हैं। इन वन ग्रामों में अब तक रू. 90 करोड़ से अधिक के अधोसंरचना विकास, सिंचाई, पीने के पानी की व्यवस्था जैसे मूलभूत विकास के कार्य करवाये गये ।

वन्यजीवन संरक्षण

राज्य में वन प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 03 राश्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य एवं गेम सेन्चुरी है, जिनका कुल क्षेत्रफल 8210.425 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30 प्रति ात तथा वन क्षेत्रफल का 16.80 प्रति ात है ।

राज्य के तपकरा क्षेत्र में तपकरा सर्प केन्द्र, कोटमी–सोनार में मगरमच्छों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए केन्द्र, राज्य के उत्तरी क्षेत्र के वनों में स्थाई रूप से रहने के कारण हाथियों के लिए हाथी रहवास स्थलों के विकास किया जा रहा है।

खनिज संसाधन विकास–

राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों की अहम् भूमिका होती है। दे ा के कुल खनिज भंडारों का 37.69% टिन अयस्क, 28.26% हीरा, 18.67% लौह अयस्क, 16.36% कोयला एवं 11.24% डोलोमाइट राज्य में पाया जाता है। प्रमुख खनिज कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बाक्साइट, डोलोमाइट, टिन अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं ये राजस्व प्राप्ति के प्रमुख संसाधन है। खनिजों से प्राप्त राजस्व रू. 42,996 लाख से बढ़कर रू. 1,02,838 लाख हो गया है । यदि इन खनिजों का मूल्य **मूल्य**

आधारित पद्धति (एड–वालरम बेस) पर निर्धारित किया जाता हैं तो राजकोश मे इन संसाधनों से पर्याप्त आय वृद्धि हो सकती है।

जलसंसाधन विभाग

प्रदे ा में औसतन 1400 मि.मी. वर्शा होती है। प्रतिवर्श सतही जल की उपलब्धता लगभग 59900 मि. क्यूबिक मीटर (M cum) है। रिपेरियन अधिकार के अंतर्गत निम्नधारा वाले राज्यों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुये छत्तीसगढ़ 41719 मि. क्यूबिक मीटर सतही जल का उपयोग कर सकता है जबकि वर्तमान में मात्र 13200 मि. क्यूबिक मीटर (31.64 प्रति ात) सतही जल का उपयोग कर रहा है। प्रदे ा में भूगर्भीय जल के स्रोत अनुमानतः 13678 मि. क्युबिक मीटर है, जिसमे से 2742 मि. क्युबिक मीटर (20.40 प्रति ात) जल स्रोतो का उपयोग किया जा रहा है।

एक नबंवर 2007 को विभाग की निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी। मार्च 2007 की स्थिति में निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं से कुल 17.22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ है जो कुल बोये गये क्षेत्र का 30 प्रति ात है। प्रदे ा में वर्तमान में 4 वृहद, 32 मध्यम एवं 2219 लघु योजनायें निर्मित हैं तथा 5 वृहद, 10 मध्यम एवं 645 लघु योजनायें निर्माणाधीन है। कृशि उत्पादन बढाने के उद्दे य से प्रदे ा की विभिन्न नदियों में 595 एनीकट बनाये जाने हेतु स्थल चिन्हांकित किये गये हैं। इनमे 61 एनीकट का निर्माण हो चुका है तथा 153 एनीकट निर्माणाधीन हैं।

सिंचाई प्रबंधन मे कृशको की सक्रिय भागीदारी सुनि चत किये जाने हेतु सिंचाई प्रबंधन में कृशकों की भागीदारी अधिनियम 2006 पारित किया गया है पूर्व अधिनियम में सं ोधन कर जल उपभोक्ता संस्थाओ में आरक्षण द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजस्व वसूली के वित्तीय अधिकार देकर संस्थाओं को स्वावलम्बी बनाया गया है। वर्तमान में जल उपभोक्ता संस्थाओं की संख्या 1324 है जिनका 12.45 लाख हेक्टेयर विस्तार क्षेत्र है।

कृशकों के हितों को ध्यान में रखते हुये 31 मार्च 2008 तक सिंचाई कर जमा करने वाले कृशकों को सिंचाई कर के 50 प्रति ात रा ि को माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के कुल 10.71 लाख कृशक लाभान्वित होगें।

पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

प्रदे ा की ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से एवं नगरीय जनसंख्या को न्यूनतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

ग्रामीण जलप्रदाय

राज्य में कुल 19,744 ग्रामों में 72,775 बसाहटो में से 71,714 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। 2000 से अधिक जनसंख्या वाले कुल 1421 बड़े ग्रामों में से 1220 बड़े ग्रामों में टंकी युक्त नलजल योजनाऐं तथा जिन ग्रामों में ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर नीचे चला जाता है ऐसे 1,266 ग्रामों में स्पॉट सोर्स योजना के तहत् विद्युत पंप के माध्यम से छोटे टंकियों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में प्रति 88 व्यक्तियों पर एक हैण्डपंप स्थापित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

राज्य में पेयजल की समस्याओं में जल गुणवत्ता की समस्या प्रमुख है। राज्य की 5021 बसाहटें जल गुणवत्ता से प्रभावित थी । इनमें से 4932 लौह अयस्क आधिक्य से, फ्लोराइड से 17, खारापन से 61 तथा आर्सेनिक से 11 बसाहटें चिन्हांकित की गई ।

राज्य में गिरता हुआ भू–जल स्तर पेयजल की समस्या को दूर करने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित हुआ है । जिस हेतु 78 जलग्रहण कार्यक्रम में चलाये जा रहे हैं ।

स्कूलो में पेयजल व्यवस्था हेतु वि ोश प्रयास किये जा रहे हैं । वर्श 2007–08 तक 32796 स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति तथा ऋण वाहिनी क्षमता को देखते हुए नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य के अनुदान को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है । राज्य में प्रत्येक भाहर/नगर के 30 वर्ष बाद की अनुमानित जनसंख्या के लिये 70–150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से योजनाओं का रूपांकन किया गया है जिनमें से 43 पूर्ण, 31 प्रगतिरत् है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान

राज्य के 18 जिलों में 33.66 लाख सर्वेक्षित भौचालय विहीन परिवारों के लिए व्यक्तिगत जलवाहित भौचालय, सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में भौचालय व मूत्रालय, सामुदायिक भवनों में भौचालय निर्माण तथा स्वच्छता के प्रति जनजागरण व विभिन्न घटको में जागरूकता पैदा करने हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है । अब तक कुल 8,72,129 परिवारों में शौचालय निर्माण का कार्य एवं 24,337 शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

ऊर्जा विकास–

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य आत्म निर्भर है। राज्य में परंपरागत तथा अपरांपरागत ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, छत्तीसगढ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), छत्तीसगढ़ बायों–फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.) व मुख्य विद्युत निरीक्षकालय कार्यरत् हैं। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत भाासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की भी स्थापना की गई है।

राज्य गठन के समय राज्य विद्युत मण्डल की स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी जो बढ़कर आज 1,923.85 मेगावाट हो गई है। राज्य में जनवरी, 2008 से जीरो पावर–कट लागू कर दिया गया है जिससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में कोयला एवं पानी की उपलब्धता को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को दे ा की ऊर्जा धुरी बनाने हेतु आकर्षक ऊर्जा नीति बनाई है जिसके फलस्वरूप दे ा की प्रतिष्ठित 51 कम्पनियों के साथ राज्य शासन द्वारा लगभग 40,095 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र लगाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये हैं जिसमें 1 लाख 90 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित हैं।

विद्युत मण्डल दे ा का ऐसा पहला विद्युत मण्डल है जिसने सैप–ईआरपी योजना को लागू किया है एवं इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप विद्युत उपभोक्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से विद्युत देयकों को देखने एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, ए.टी.पी. (ऑल टाईम पेमेंट) म ीन एवं ए.टी.एम. म ीनों के माध्यम से विद्युत देयकों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

राज्य में **लो वोल्टेज की समस्या** के निदान एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने हेतु लगभग रू. 2,425 करोड़ से भी अधिक की धनराि ा का व्यय कर अधोसंरचना विकास के अंतर्गत् 3929 कि.मी. 33 के.व्ही. लाईन, 340 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र ,4080 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 7035 नग 11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र, 3315 कि.मी. निम्न दाब लाईन संबंधित कार्य किया गया।

राज्य में टी.एंड डी. लॉस 34.57 प्रति ात कम होकर 29.41 प्रति ात रहा गया है। ए.टी.एंड सी. लॉस 43.29 प्रति ात 31.49 प्रति ात रह गया, जो कि राष्ट्रीय औसत (35%) से कम है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत 96.20% ग्रामों एवं 55.40% मजरा–टोलों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। राज्य में कुल एकल बत्ती कनेक ानों की संख्या बढ़कर 9,85,841 हो चुकी हैं। कुल 1,99,543 सिंचाई पम्पों का विद्युतीकरण किया गया।

राज्य अपने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने में अग्रणी रहा है। यहां 800 से अधिक दूरस्थ गाँवों को सौर ऊर्जा से बिजली दी गई है एवं 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सौर प्रकाशवोल्टीय के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है।

अब तक क्रेडा ने 566.94 मेगावॉट की लघु पनबिजली परियोजनाओं, 324 मेगावॉट क्षमता वाले चावल की भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र, 24 गैसी फायर संयंत्र, लगभग 22,000 बायोगैस संयंत्रों, 5 लाख लीटर

प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापन प्रणालियों और जेट्रोफा के लगभग 3 करोड़ पौधों का रोपण किया है इस प्रकार राज्य दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है ।

राज्य में 3,000 मेगावॉट पनबिजली की संभावना है परंतु विशाल एवं लघु पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से अभी तक मात्र छोटे से अंश (320 मेगावॉट) को प्राप्त किया गया है। गंगरेल जलाशय में 10 मेगावॉट, सोंडूर में 04 मेगावॉट एवं कोरबा में 850 किलोवॉट क्षमता की परियोजनायें कार्यशील हैं।

कोयले के वाशरी अपशिष्टों से प्रदेश में लगभग 350 मेगावॉट विद्युत उत्पादन हो रहा है। यह नई तकनीक भारत में प्रथम बार राज्य में ही प्रयोग की गई है। इससे भविष्य में लगभग एक हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन की संभावना है। अब तक 07 शासकीय भवनों का निर्माण सेालर पेसिव आर्किटेक्चर पद्धति से किया गया है।

बायोफ्यूल विकास

राज्य में वर्ष 2012 तक राज्य में उपलब्ध 10 लाख हेक्टेयर पड़ती एवं निम्न कोटि की वन भूमि पर जेट्रोफा के पौधरोपण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम आरंभ किया है। इसमें किसानों से संबंधित वह भूमि भी शामिल है जो कि उपयुक्त भू–परिस्थिति के अभाव में अनुपयोगी पड़ी है। राज्य में बायो–ईंधन कार्यक्रम के संवर्द्धन हेतु 'छत्तीसगढ़ बायो–ईंधन विकास प्राधिकरण' की स्थापना की है। राज्य शासन द्वारा परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तेलीय बीजों तथा तेल हेतु समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

प्रदेश में विगत 03 वर्षों में लगभग 40 करोड़ रतनजोत पौध रोपण के सफल प्रयास व बीजों के संग्रहण की असीम संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश की कई नामी औद्योगिक इकाईंयों ने राज्य में बायोडीजल उत्पादन संयंत्र लगाने में रुचि दिखाई है। प्रदेश में बायोफ्यूल के क्षेत्र में समुचित विकास के लिए देश की प्रमुख तेल कम्पनियों इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ संयुक्त उपक्रम गठित किया गया है। इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के साथ गठित उपक्रम प्रथम चरण में रुपए 400 करोड़ का निवेश प्रदेश में करेगा। जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ गठित उपक्रम प्रथम चरण में रुपए 250 करोड़ का निवेश प्रदेश में करेगा। इन दोनों ही उपक्रमों में क्रेडा की भागीदारी 26 प्रतिशत है। एक अनुमान के अनुसार इस कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2011 तक प्रदेश में लगभग रुपए 04 हजार करोड़ की अतिरिक्त आय ग्रामीण क्षेत्रों की होगी।

रायपुर में 3 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के बायो–डीज़ल संयंत्र की स्थापना की गई। 1.5 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जेट्रोफा/करंज तेलों तथा बायो–डीज़ल पर गुणवत्ता नियंत्रण रखने हेतु आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। मुख्यमंत्री का अधिकारिक वाहन भी शुद्ध बायो–डीज़ल पर चल रहा है।

अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास

राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 66.16 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 31.76 प्रति ात है तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या 24.18 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 11.61 प्रति ात है । छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजाति समूह, 43 अनुसूचित जाति समूह तथा 87 अन्य पिछड़ी जातियां अधिसूचित हैं । राज्य में अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार एवं पंडो 6 जनजातियों को वि ोश पिछड़ी जनजाति माना गया है ।

छ.ग. के 9 जिले संपूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा 9 जिले आं ाक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में भाामिल हैं। राज्य के 146 विकासखंडो में से 85 विकासखंड आदिवासी उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसका क्षेत्रफल 88,000 वर्ग कि.मी. है। जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रति ात है । राज्य में 19 आईटीडीपी (एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना), 09 माडा पाकेट तथा 02 लघुअंचल संचालित है । अनुसूचित क्षेत्र में योजनाओं के कियान्वयन एवं निर्धारण के लिए आदिवासी मंत्रणा समिति का गठन किया गया है । जिसकी अनु ांसा के अनुरूप आदिवासी उपक्षेत्र योजना के लिए 38 प्रति ात तथा 12 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना के लिए रखी जा रही है ।

अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग का शैक्षणिक विकास

- राज्य में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आश्रम शालायें स्थापित की गई जो काफी कारगर साबित हुई । वर्ष 2007–08 तक 508 नवीन आश्रम शालाएं, 556 नये छात्रावास स्थापित किये गये है। 320 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल तथा 199 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया गया है।
- कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की बालिकाओं को **''सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना''** के अंतर्गत 75,000 साइकिल वितरित की गई।
- ''युवा कैरियर निर्माण योजना'' अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु वि ोष कोंचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित प्रि ाक्षण संस्थान का चयन कर उन संस्थाओं से रायपुर एवं बिलासपुर में प्रि ाक्षण दिलाया जा रहा है । छ.ग. राज्य सेवा परीक्षा में 8 युवाओं का चयन भी हो चुका है, इस योजना का पिछड़ा वर्गों के लिए भी विस्तार किया जा रहा है।
- युवतियों के लिए एयर होस्टेस प्रशिक्षण तथा युवाओं के लिए पायलट प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। यह प्रशिक्षण वर्ष 2007–08 से प्रारंभ किया गया है।
- अनुसूचित जनजाति के सांस्कृतिक धरोहरों एवं परम्पराओं की रक्षा करने के लिये विशेश प्रयास किये जा रहे हैं ।

वन ग्रामों में अधोसंरचना विकास, सिंचाई के साधनों का विकास तथा शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों के विकास लिये 3 विकास प्राधिकरणों क्रमशः बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकारण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इन प्राधिकरणों के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विकास तथा रोजगारोन्मुखी कार्यों की विशेष योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

राज्य में वि ोश पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें इनके भात–प्रति ात परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है। इनके विकास के लिए पंडो विकास अभिकरण एवं भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है ।

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान का गठन राज्य भाासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत किया गया है ।

अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु **अनुसूचित जाति आयोग** का गठन किया गया ।

राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के सांस्कृतिक विकास के लिए वि ोश प्रयास किये गये है। जहां अनुसूचित जनजातियों के देवगुड़ियों का विकास किया जा रहा है वहीं गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी जो सतनामी समाज के आस्था का केन्द्र बिन्दु है इनका विकास किया जा रहा है। गिरौदपुरी में कुतुबमीनार से ऊंचा जैतखंभ का निर्माण किया जा रहा है। दामाखेड़ा कबीरपंथियों का आस्था का केन्द्र है, इसका समन्वित विकास किया जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जातियों के निश्कासन करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया हैं । पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 04 पोस्ट–मैट्रिक कन्या छात्रावास एवं एक प्री–मैट्रिक बालक छात्रावास संचालित है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

राज्य अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभोश रूप से सचेश्ठ है। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है तथा वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण परिचर्चा, गोष्ठियां आदि के लिए उर्दू अकादमी का गठन किया गया।

शहरों एवं कस्बों में स्थित अल्प संख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से बचाने तथा मकबरों की सुरक्षा हेतु योजना प्रारंभ की गई ।

शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास

राज्य में औसत साक्षरता 64.70 प्रति ात है, जिसमें पुरूश साक्षरता 77.40 प्रति ात, पुरूश जनजाति 60 प्रति ात एवं महिला साक्षरता 51.90 प्रति ात, महिला जनजाति 39.30 प्रति ात है। ि ाक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए राज्य में निरंतर नामांकन दर भात–प्रति ात करने, ड्राप–आउट दर को 10 प्रति ात के अंदर तक सीमित करने, ि ाक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा कम्प्यूटर ि ाक्षा के प्रचार–प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है।

ि ाक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए राज्य में 37062 प्राथमिक भाालाऍं, 15038 पूर्व माध्यमिक भाालाऍं, 1987 हाईस्कूल भाालाऍं एवं 2100 हायर सेकेण्डरी भाालाऍं संचालित हैं । वर्ष 2001 की तुलना में प्राथमिक शालाओं की संख्या में 27 प्रतिशत, माध्यमिक शाला में 144 प्रतिशत, हाई स्कूल में 80 प्रतिशत तथा हायर सेकण्डरी स्कूल में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ि ाक्षकों की संख्या में 20 प्रति ात की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 47,282 शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई है ।

छात्रों में कम्प्यूटर के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं कम्प्यूटर ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्लास योजना, क्लैप योजना, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना संचालित की जा रही है।

छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिनव योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, निःशुल्क गणवेश योजना, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/बुक बैंक योजना तथा सरस्वती साइकिल प्रदाय योजना प्रमुख हैं तथा इनकी लोकप्रियता ने छात्राओं की शाला में उपस्थिति को बढ़ाया है । बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहेली ि ाक्षा योजना तथा कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना लागू की गई है।

पंजीकृत दीनी मदरसों की धार्मिक ि ाक्षा (दीनी तालीम) के साथ–साथ उनमें अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को आधुनिक ि ाक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनका कियान्वयन करने के लिए इसका गठन किया गया।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

32,081 प्राथमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के भौक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों के 6,016 विद्यालयों में अध्ययनरत् 35 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन का लाभ दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल ि ाक्षा पर वर्श 2000–01 में 394.38 करोड़ रू. का प्रावधान उपलब्ध कराया गया वही वर्श 2007–08 में 1301.80 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया।

उच्च ि ाक्षा

उच्च ि ाक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य में कुल 05 वि वविद्यालय क्रमशः पंडित रवि ांकर भाुक्ल वि वविद्यालय, रायपुर गुरू घासीदास वि वविद्यालय, बिलासपुर इंदिरा कला संगीत वि वविद्यालय, खैरागढ़ पंडित सुंदर लाल भार्मा (मुक्त) वि वविद्यालय, बिलासपुर कु ाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार वि वविद्यालय, रायपुर है ।

भारत सरकार द्वारा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को केन्द्रीय वि वविद्यालय बनाने की ि ाोशणा की है। सरगुजा एवं जगदलपुर में दो विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

वर्श 2002–03 में उच्च ि ाक्षा हेतु बजट प्रावधान रू. 102.09 करोड़ था । वर्श 2007–08 तक 76 प्रति ात की वृद्धि हुई तथा वर्श 2007–08 में उच्च ि ाक्षा के लिए रू. 180.07 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

तकनीकी एवं व्यावसायिक ि ाक्षा

छ.ग. राज्य एक नवगठित राज्य है जिसका सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। विकास की इस प्रक्रिया में दक्ष मानव संसाधनों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः राज्य में तकनीकी ि ाक्षा के विकास पर वि ोश जो दिया जा रहा है, इस हेतु तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास के लिये इस्पात नगरी भिलाई में स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में 03 भाासकीय इंजीनियरिंग महाविद्य ालय, 03 स्व ाासी तथा 32 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय है, जिसकी कुल क्षमता 11,580 सीटों की है ।

भाासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर का उन्नयन कर एन.आई.टी का दर्जा दिया गया है।

राज्य में 13 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (कुल सीट क्षमता 2385), 07 एम सी ए संस्थाएं (कुल सीट क्षमता 405), 08 एम बी ए संस्थाएं (कुल सीट क्षमता 780), 09 फार्मेसी कालेज है जिनकी डी फार्मा कोर्स में कुल क्षमता 450, बी फार्मा में 480 तथा एम फार्मा में 40 सीटो की है। इसके अतिरिक्त राज्य में 01 आर्किटेक्चर कालेज है जिसकी कुल क्षमता 40 सीटों की है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं

राज्य में वर्तमान में 23 निजी औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थाएं तथा 88 भाासकीय औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थाएं संचालित है, जो 42 ट्रेडों में लगभग 15000 प्रि ाक्षाणार्थियों को प्रि ाक्षित कर राज्य में कु ाल एवं दक्ष मानव संसाधन का निर्माण कर रही हैं । राज्य में 14 आई.टी.आई संस्थाओं का उन्नयन सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में किया गया है ।

वर्तमान में औद्योगिक प्रि ाक्षण संस्थाओं में 18 द्विवर्शीय पाठ्यक्रम एवं 9 एक वर्शीय पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 11 एक वर्शीय एवं 01 छमाही पाठ्यक्रम में नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रि ाक्षणार्थियों को प्रि ाक्षण दिया जा रहा है।

कृषि शिक्षा

इंदिरा गांधी कृशि वि ववि‌द्यालय के अंतर्गत कृशि महाविद्यालय रायपुर, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर एवं प ाु चिकित्सा महाविद्यालय अजोंरा कार्यरत है। कृशि ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिये 5 संघटक कृशि महाविद्यालय, एक संघटक और 2 निजी कृशि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 9 निजी कृशि महाविद्यालय तथा 4 निजी उद्यानिकी महाविद्यालयों की स्थापना की है। एक नया उद्यानिकी महाविद्यालय राजनांदगांव एवं मत्स्य महाविद्यालय कबीरधाम में खोला जा रहा है ।

अनुसंधान के क्षेत्र में इंदिरा गांधी कृशि वि ववि‌द्यालय राश्ट्रीय स्तर के अग्रणी वि ववि‌द्यालयों में से एक है। वि ववि‌द्यालय ने वर्शा आधारित धान उत्पादन में सुधार, फसल सघनता बढ़ाने, फसल विविधता को बढ़ावा देने के अनुसंधान किए हैं तथा राज्य की जलवायु के अनुकूल धान, सब्जियों, फलों आदि की कई नवीन प्रजातियां विकसित की है।

चिकित्सा ि ाक्षा

राज्य में 03 चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है जिनकी प्रवे ा क्षमता 250 है । एक भाासकीय एवं 04 निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय जिनकी प्रवे ा क्षमता 500 है । एक भाासकीय एवं 06 निजी फिजियोथेरेपी कालेज स्थापित है, जिनकी कुल प्रवे ा क्षमता 410 है । एक भाासकीय एवं 10 निजी नर्सिंग कालेज स्थापित है, जिनकी कुल प्रवे ा क्षमता 480 है । इस प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिवर्श 1640 दक्ष मानव संसाधन तैयार किये जा रहे हैं।

पैरा मेडिकल क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए 04 नर्सिंग प्रि ाक्षण केन्द्र है जिनकी क्षमता 206 सीट है, तथा 07 महिला एवं पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र है जिनकी क्षमता 370 सीट है।

होटल प्रबंधन

राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए होटल प्रबंधन क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन विकास के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रायपुर में स्थापित किया जा रहा है ।

विधि विश्वविद्यालय

रायपुर में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि वि वविद्यालय की स्थापना की गई। जिसमें स्नातक स्तर के 80 तथा स्नातकोत्तर स्तर में 30 सीटो की प्रवे ा क्षमता है ।

आव यकता को देखते हुए राज्य द्वारा भारत सरकार से आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इत्यादि की मांग की जाती रही है । इस वर्श राज्य में आईआईआईटी, आईआईएम, के खोलने की भारत सरकार द्वारा घोशणा की गई है तथा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान (AIMS) का निर्माण प्रगति पर है ,जिससे भविश्य में उच्च एवं उत्कृश्ट तकनीकी ि ाक्षा के लिए राज्य के युवाओं का पलायन रोकने में सफलता मिलेगी ।

राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं एवं उच्च तकनीकी ि ाक्षा के लिए युवाओं के राज्य में पलायन को देखते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया जाना स्वाभाविक लगता है कि राज्य में भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान (आई.टी.एम.आई) एवं भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (आई.आई.टी) भीघ्र खोले जाये।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक राश्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काफी पिछड़े हुए है स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं । मुख्य सूचकांक जैसे प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर (1981–01) 18.27, जन्मदर (2007) 27.2, मृत्युदर (2007) 8.1, शिशु मृत्युदर (2007) 61, सकल प्रजनन दर 2.62, एवं दंपत्ति संरक्षण दर 63.5 है ।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रमुख समस्या अधोसरंचना की है । राज्य में कुल उप स्वास्थ्य केन्द्र 4728 है जिनमें से 2986 केन्द्रो के पास स्वंय का भवन नहीं है । इसी तरह 707 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 362 केन्द्र भवनविहीन है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 129 है जिनमें से 73 केन्द्रो के पास मानक स्तर का भवन नहीं है । राज्य भाासन द्वारा अधोसंरचना उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है ।

स्वास्थ्य सेवा में मानव संसाधन की कमी है। इसे दूर करने के लिए तीन वर्शीय चिकित्सा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा धारियों को ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है तथा ग्रामीण चिकित्सा कोर की स्थापना कर ग्रामीण चिकित्सकों को अतिरिक्त मानदेय, भत्ता एवं अन्य सुविधाऍं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक ग्राम, मजरे–टोले में एक मितानिन के अनुसार लगभग 60,500 मितानिनों की नियुक्ति की गई जो स्वास्थ्य सहायक का काम कर रहीं हैं।

परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रम

- संस्थागत प्रसव पहले मात्र 18 प्रति ात था वह वर्श 2007–08 में बढ़कर 26.44 हो गया तथा वर्श 2009–10 तक इसे 50 प्रति ात तक करने का लक्ष्य है ।
- ि ा ु मृत्यु दर जो 2000 में 79 थी वह वर्श 2007–08 में घटकर 61 रह गई है।
- मातृ मृत्यु दर जो पूर्व में 407 थी वह वर्श 2002–03 में घटकर 379 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है।
- दम्पति संरक्षण दर जो पूर्व में 62.12 प्रति ात थी वह वर्श 2007–08 में 65.32 प्रति ात हो गई है।
- विगत साढ़े पांच वर्शो में पल्स पोलियो का एक भी धनात्मक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ ।
- सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर एवं ि ा ु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम

राश्ट्रीय कार्यक्रमों में याज उन्मूलन, कुश्ठ उन्मूलन, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, क्षय नियंत्रण, एड्स नियंत्रण एवं दृश्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाये जा रह है। भारत सरकार द्वारा 19 सितम्बर 2006 को छत्तीसगढ़ राज्य को याज मुक्त घोशित किया गया। कुश्ठ रोगियों के प्रभावित दरों में क्रम ाः कमी आई है । जहां वर्श 2001 में कुश्ठ रोगी प्रति 10000 जनसंख्या पर 7.72 प्रति ात था वही वर्श 2008 में 2.38 प्रति ात रह गई ।

मलेरिया और फाइलेरिया का प्रकोप अत्यधिक है । इनके उपचार एवं नियंत्रण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । मलेरिया से मृत्यु के वर्श 2000 में 63 प्रकरण सामने आये थे जबकि वर्श 2007 में मलेरिया से मृत्यु का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है।

महामारी नियंत्रण कार्यक्रम

महामारी रोगो में दस्त रोग, पीलिया, तथा मस्तिश्क ज्वर प्रमुख है । महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर काम्बेट टीम का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये है ।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों के गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु संजीवनी कोश की स्थापना की गई है । जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बीमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु सहायता राि ा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है ।

चिकित्सा ि ाक्षा

समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन की महती आव यकता है । राज्य में राश्ट्रीय मानक को देखते हुए भाहरी क्षेत्रों में डाक्टर मरीज का अनुपात लगभगत समतुल्य है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में डाक्टर मरीज का अनुपात आज भी राश्ट्रीय औसत के आधे से कम है।

राज्य में राश्ट्रीय मानक के अनुसार 600 चिकित्सक, 865 दंत चिकित्सक एवं 2000 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है । चिकित्सा के क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटो की वृद्धि तथा निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) द्वारा स्वास्थ्य उन्नयन, रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सा सेवाऐं प्रदाय की जा रही है। राज्य में 02 निजी आयुर्वेद महाविद्यालय, 02 निजी होम्योपैथी महाविद्यालय, 01 निजी युनानी महाविद्यालय एवं 01 निजी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। आवश्यक मानव संसाधन की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त 02 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं 01 शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा।

राज्य में 15 जिलों में एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष की शाखा स्थापित की गई है ताकि विभिन्न पद्धतियों की सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध हो सके । इस उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए 61 ऐलोपैथिक चिकित्सा केन्द्रों में आयुर्वेद की विशिष्ट विधा पंचकर्म तथा स्पेशिलिटी क्लीनिक स्वीकृत किये गये। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में आयुष पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है।

राज्य बनने के पूर्व 2469 होम्योपैथी तथा 48 यूनानी के चिकित्सक पंजीकृत थे। राज्य बनने के पश्चात 1332 आयुर्वेद, 12 यूनानी, 28 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा 438 होम्योपैथी उपाधिधारी चिकित्सक आयुर्वेद एवं होम्योपैथी बोर्ड में पंजीकृत हुए हैं । वनोपज बहुल राज्य होने से ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत ढंग से जड़ी–बूटी से विभिन्न रोगों का उपचार लगभग 1500 स्थानीय वैद्यों द्वारा किया जा रहा है।

राज्य गठन पश्चात लोकनिजी सहभागिता योजना के तहत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में केरल की विश्वविख्यात श्रीधरियम नेत्र चिकित्सा संस्थान एवं पंचकर्म केन्द्र सुचारू रूप से संचालित हो रहा है जिससे प्रदेश के साथ–साथ अन्य प्रदेशों के भी नेत्र रोगी लाभान्वित हो रहे है।

राज्य में आयुर्वेद चिकित्सालय, आयुष औषधालयों की अधोसंरचना पर विशेष ध्यान देते हुए 03 चिकित्सालय एवं 265 आयुष औषधलायों का निर्माण कराया गया जिससे आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी औशधालयों में 692 में से 490 केन्द्रों को भवन उपलब्ध हो सका ।

समाज कल्याण

निः ाक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभाव ील है।

राज्य में वृद्ध निर्धन एवं निराश्रित लोगो के सहायता के लिए भारत सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी दो योजनाएं यथा सुखद सहारा योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पें ान की योजना चलायी जा रही है ।

सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 1,70,522 परिवारों को इसका लाभ मिला तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 7,10,013 हितग्राहियों को इसका लाभ मिल रहा है ।

राज्य में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए दो योजनाएं यथा राश्ट्रीय वृद्धावस्था पें ान तथा राश्ट्रीय परिवार सहायता योजना चलायी जा रही है। राश्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत 4,37,218 हितग्राहियों को 300 रू. प्रतिमाह दिया जा रहा है । राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 80,102 परिवारों को लाभांवित किया गया ।

निः ाक्त कल्याण के क्षेत्र में जिले में निः ाक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला निः ाक्त पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं। अब तक 27,229 लोगों को कृत्रिम अंग तथा उपकरण प्रदान किये जा चुके है । राज्य में निः ाक्त प्रमाणीकरण का लाभ नि: ाक्तजनों को मिले इसके लिए समुचित प्रयास किये जा रहे है। राज्य निर्माण के प चात 1,48,562 नि: ाक्त लोगो का प्रमाणीकरण किया जा चुका है ।

निः ाक्तजनों के ि ाक्षण प्र ि ाक्षण तथा समग्र पुर्नवास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निः ाक्त छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है । निः ाक्तजनों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु निः ाक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 18 वर्श से 45 वर्श की महिलाओं तथा 21 वर्श से 45 वर्श के निः ाक्त पुरूश विवाह के लिए अप्रेल 2005 से प्रदे ा में लागू की गई है।

निः ाक्त व्यक्तियों की अधिकारिता विकसित करने तथा उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निः ाक्तजन आयुक्त की स्थापना, निः ाक्त व्यक्ति अधिनियम के तहत निः ाक्त व्यक्तियों को अनुसरण सेवाएं, संसाधन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान हेतु राज्य श्रोत (निः ाक्तजन) संस्थान की रायपुर में स्थापना की गई है।

महिला एवं बाल विकास

जनगणना वर्श 2001 के अनुसार भारत में प्रत्येक 1000 पुरूश पर स्त्री–पुरूश अनुपात 933 है जबकि छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 989 है । राज्य में महिला एवं बाल विकास केन्द्रित 163 आई.सी.डी.एस. परियोजना संस्थाएं, 86 आदिवासी परियोजना, 63ग्रामीण परियोजना, 14 भाहरी परियोजना, 34937 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ।

राज्य में महिलाओं की साक्षरता मात्र 51.90 प्रति ात है। यह साक्षरता अनुसूचित जनजाति महिलाओं में मात्र 39.30 प्रति ात है। अतः राज्य में महिला साक्षरता वि ोशकर अनुसूचित जाति/ जनजाति में महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए वि ोश प्रयास किये गये है। जिनमें दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सरस्वती साइकिल योजना, कस्तूरबा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रमुख हैं।

राज्य में ि ा ु मृत्युदर, मातृत्व मृत्युदर, पेरीनेटल मृत्युदर इत्यादि की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, परन्तु इसमें सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वि ोश प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए आयुष्मति योजना, जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए औषधि एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जा रही है इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । इन योजनाओं के कारण राज्य में मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है ।

राज्य में कुपोशण 61 प्रति ात से घटकर 52 प्रति ात रह गया है । एकीकृत महिला बाल विकास योजना, पूरक पोशण आहार व्यवस्था, मध्याहन भोजन योजना से कुपोशण कमी करने में सफलता मिली है। नवम्बर 2007 से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की गई है जिससे कुपोशण के विरूद्ध एक अभियान के रूप में कार्य करने में सहायता मिली।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को चावल आधारित पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है । पूरक पोशण आहार का कार्य ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों एवं महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है जिससे सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हुई ।

राज्य में कि ोरी भाक्ति योजना के अंतर्गत 11–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी में संलग्न कर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण, पूरक पोषण आहार, रक्ताल्पता होने पर आयरन फोलिक एसिड, टीकाकरण (टी.टी.), स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा आदि की यथासंभव व्यवस्था किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

सरगुजा जिले में लड़कियों में कुपोशण की स्थिति को देखते हुए वि ोश योजना ''मिनीमाता पोशण आहार योजना'' संचालित की जा रही है। प्रत्येक वर्श इस योजना के लिए रू. 4–8 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिले दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में कन्याओं में कुपोशण को कम करने के लिए पोषण निगरानी योजना लागू की गई है ।

महिलाओं के लिए प्रदेश में रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। विधवा महिलाओं को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण अथवा स्वयं के व्यवसाय के संचालन के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ''शक्तिस्वरूपा योजना'' प्रदेश के चार जिलों बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में लागू की गई ।

निर्धन विवाह योग्य कन्याओं के सामूहिक विवाह योजना द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया जा रहा है।

राज्य में महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (स्वयंसिद्धा) का संचालन, छत्तीसगढ़ महिला कोष का निर्माण, महिला स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है । महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने हेतु राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है ।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 07 जिलो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है ।

प्रदेश में स्वीकृत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रतिवर्ष बजट में प्रावधान किया जाता है। राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक रा ि रू. 101.04 करोड़ व्यय कर 3880 आंगनबाड़ी भवन निर्माण किया गया है ।

बाल विकास

प्रदेश में 5 बाल संरक्षण केन्द्र संचालित है। इसके अलावा 06 वर्ष आयु तक के बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए 02 शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र क्रमशः रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित है। मातृ–कुटीर योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों व निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में रखा जाकर संस्था में मॉ एवं बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधा मुहैया करायी गई।

श्रम एवं श्रमिक कल्याण–

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय श्रमिकों की कार्य द ााओं में सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिि चत करता है एवं राज्य बीमा सेवाओं के माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करता है। गम्भीर बीमारियों के मरीजों को राज्य के बाहर स्थित दे ा के प्रतिश्ठित चिकित्सालयों में उपचार कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत रू. 1,991.27 लाख व्यय कर 50,000 रोगियों को लाभान्वित किया गया है।

राज्य में हर वर्ग के श्रमिक के कल्याण के लिये योजनाएं हैं। बीड़ी श्रमिकों हेतु राजनांदगांव में 84 एवं बिलासपुर में 284 आवासों का निर्माण कर आबंटन किया गया है। बंधुवा श्रमिकों के पुर्नवास हेतु भी प्रयास जारी हैं। बाल श्रमिकों के भौक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रि ाक्षण हेतु 234 बाल श्रम भाालाएं संचालित हैं जिसमें 12,861 बाल श्रमिक ि ाक्षारत है। इंदिरा कृशि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना वर्ष 2007 से प्रभाव ील है जिसमें खेतीहर श्रमिकों की मृत्यु एवं अपंगता की स्थिति में मुआवजा प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की कठिनाईयों के निवारण तथा उनके कल्याण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया है।

रोजगार सुविधाओं का विकास–

राज्य के 16 जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गद न केन्द्र स्थापित हैं जिसमें रोजगार बाजार सूचना भााखा स्थापित है जो रोजगार के इच्छुक बेरोजगारों का पंजीयन कर उद्योगों, सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्तियों हेतु नाम प्रस्तावित करते हैं। इन रोजगार कार्यालयों द्वारा ि ाक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है जिसके आबंटन में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसके अलावा 38 व्यवसायों में नि : ुल्क अल्पकालीन प्रि ाक्षण देकर 6,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 के अधीन प्रदेश में 16 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत एवं 9,820 ग्राम पंचायत हैं। संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यो (संविधान की 11 वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन उक्त पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है।

पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाकर ग्राम सभा को अधिक स ाक्त बनाया गया। पंचायतों के कार्यदायित्व, अमला एवं वित्तीय व्यवस्था का मानचित्रण किया जाकर इन्हें सशक्त तथा अधिकार संपन्न बनाया गया।

पंचायतों के उपबंधों का (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत् प्रदेश में 7 जिले पूर्णतः एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इस क्षेत्र में 85 जनपद पंचायतों का कार्य क्षेत्र है। इन पंचायतों में उनकी परंपरा एवं संस्कृति को ध्यान में रखकर पंचायतराज अधिनियम में वि ोश प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के सभी विकासखण्डों में खण्ड स्तरीय सचिवालय एवं समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम आम चुनाव जनवरी, 2005 में निर्विघ्न संपन्न कराया गया । अधिनियम में सं ोधन कर जन प्रतिनिधियों को वापस करने का भी प्रावधान किया गया। पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रति ात आरक्षण किया गया है।

राज्य गठन के उपरान्त प्रदेश में 11वें एवं 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा प्रभावशील हुई तथा राज्य वित्त आयोग के अनुशंसाओं को आधार माना गया। प्रदेश में पंचायत अनुभाग के अर्न्तगत उपलब्ध आंबटन एवं अद्योसंरचना निर्माण में प्रगति हुई है, जो पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है।

राज्य के अभ्युदय के बाद से राज्य ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचनाओं, परिसंपत्तियों का निर्माण तथा रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। श्रम मूलक रोजगार, स्वरोजगार के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी आव यकताओं जैसे–आवास, सड़क, जलसंरक्षण संबंधी संरचना सहित अन्य उपयोगी अधोसंरचनाओं का निर्माण कराया गया। ग्रामीण परिवे ा की बुनियादी जरूरतों की आव यकता निर्धारित करते हुए गृहलक्ष्मी, निर्मलाघाट, मुक्तिधाम, ग्रामीण आंतरिक सड़क योजना, वृंदावन गौठान, कांजी हाऊस, इंद्रप्रस्थ, सेवाकेन्द्र, छ.ग. ग्राम गौरव योजना, हमारा छ.ग. योजना जैसे नयी योजनाऐं प्रारंभ की गयीं।

खेल एवं युवा कल्याण

छत्तीसगढ़ भारत के खेल मानचित्र में उभरता हुआ नवीन राज्य है जहां हॉकी, बास्केटबाल, बेसबाल, तीरंदाजी, तलवारबाजी (फैंसिंग) एवं व्हालीबाल के खेलों में विकास की असीम संभावनाएं है। राज्य में खेलों के विकास के लिये बहुस्तरीय प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य में खेलों के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रि ाक्षण ि ाविर आयोजित कर विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों को प्रि ाक्षित किया जा रहा है उसके अतिरिक्त प्रि ाक्षण के लिए बिलासपुर में राज्य स्तरीय प्रि ाक्षण केन्द्र तथा रायपुर में राज्य खेल अकादमी स्थापित किया जा रहा है। खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार, खेल सामग्री, आर्थिक सहायता इत्यादि दी जा रही है । खेलों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए जिला स्तरीय खेल परिसर, इन्डोर/आउटडोर स्टेडियम का निर्माण जिला मुख्यालयों तथा तहसील/ब्लाक मुख्यालयों में किया जा रहा है। छ.ग. को खेल मानचित्र में उभारने के लिए अन्तर्राश्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है तथा समय–समय पर राश्ट्रीय प्रतियोगिताऍ आयोजित की जा रही है।

कला एवं संस्कृति

प्रदेभा की संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व का संवर्धन एवं विकास करने हेतु पुरोगामी प्रयास चल रहे हैं । कला एवं संस्कृति के विकास के लिए राज्य के विभिन्न अंचलों में स्थानीय महोत्सवों के आयोजन को बढ़ावा तथा विभिन्न लोक कलाओं का विकास, प्रदर्भान एवं कलाकारों को प्रोत्साहन तथा सम्मान दिया जा रहा है।

राज्य में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर के अतिरिक्त जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर एवं राजनांदगॉव में एक – एक संग्रहालय स्थापित हैं । रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम–उपरवारा में पुरखैती मुक्तांगन संग्रहालय का निर्माण किया गया है ।

समस्त प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, विकास, प्रचार–प्रसार, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन हेतु रू. 20.52 करोड़ की लागत से बहुआयामी संस्कृति संस्थान का निर्माण किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ी भाशा के महत्व को स्थापित करने एवं भाशा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ी को राजभाशा घोषित किया गया एवं छत्तीसगढ़ी भाशा के विकास के लिए आयोग का गठन किया गया।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र सम्पूर्ण भारत का औद्यागिक तीर्थ है। इसमें लगभग 60,000 से ऊपर लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। राज्य में उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया गया है– ग्रामोद्योग एवं व्यवसायिक उद्योग।

ग्रामोद्योग के अंतर्गत खादी, हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 2001 में किया गया। खादी प्रोत्साहन के लिए परिवार मूलक योजनाएं संचालित हैं जिनसे लगभग 26,000 बेरोजगार लाभान्वित हो रहे हैं । उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत रू. 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे 60 हजार बेरोजगार लाभान्वित हुए । खादी में सूती, ऊनी, रे ामी तथा पोली बनाई जाती है । वर्श 2007–08 तक रू. 890.16 लाख का विक्रय किया गया।हाथकरघा के विकास हेतु वेलफेयर पैकेज, रिवाल्विंग फण्ड, एकीकृत हाथकरघा विकास, दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन, सर्वश्रेश्ठ बुनकर प्रोत्साहन, बुनकर सहकारी समितियों को ऋण माफी एवं हाथकरघा प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएं प्रारंभ की गयी हैं। रोजगार अवसरों में वृध्दि हेतु राज्य के चांपा–जांजगीर में दे ा के सांतवें भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में त्रिवर्शीय हाथकरघा डिप्लोमा कोर्स 2006 से प्रारंभ किया गया है। बुनकरों के द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने हेतु प्रदे ा के प्रायः सभी जिला मुख्यालयों में एवं प्रदे ा के बाहर विक्रय प्रद र्ानी का आयोजन किये जाने की योजना है।

राज्य में कार्य ाील हाथकरघों की संख्या 16,350 है जिसमें से 7,750 सहकारी क्षेत्र में एवं 8,600 सहकारी क्षेत्र के बाहर कार्य ाील हैं। वर्श 2007–08 में 49,050 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान कर लाभांवित किया गया जिसमें से 24,489 हितग्राही सहकारी क्षेत्र में एवं 24,561 हितग्राही सहकारी क्षेत्र के बाहर लाभांवित हुए। प्रतिवर्श बुनाई कार्य में 10,000 बुनकरों को एवं सिलाई कार्य में 12,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य की 140 बुनकर सहकारी समितियों का बैंक कालातीत ऋण रू. 6.41 करोड़ माफ किया गया जिससे 10,704 बुनकर सहकारी सदस्य लाभान्वित हुए।

रे ाम/कोसा उद्योग एक रोजगार प्रधान खेती/वन आधारित ग्रामीण उद्योग है। प्रदे ा में 7,718 पिट/फ्रेम/जकार्ड लूम कार्यरत हैं तथा 9,862 सिल्क बुनकर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में 4,000 रीलर्स, 380 मास्टर बुनकर, 59 ड्रायर्स कार्यरत हैं। प्रदे ा में कोसा वस्त्र से संबंधित 68 भाो रूम तथा 482 व्यवसायिक संस्थान कोसा वस्त्र के निर्यात/निर्यात सामग्री तैयार करने के कार्य से जुड़े हुए हैं। ाासकीय स्तर पर एक डिजाईन डेव्हलपमेंट सेन्टर (विवर सर्विस सेंटर (डब्ल्यू एस सी)) रायगढ़ में कार्यरत है। प्रदे ा में 2,500 मीटर सिल्क फर्नि ािंग मटेरियल, 8,000 मीटर ड्रेस मटेरियल, 550 नग साड़ी प्रतिदिन निजी व्यवसायिक संस्थानों एवं भासकीय समितियों के माध्यम से उत्पादित हो रहे हैं। कोसा सिल्क उत्पादन का 3% स्थानीय स्तर पर 32% राश्ट्र स्तर पर तथा 65% निर्यात के माध्यम से विक्रय हो रहा है।

छत्तीसगढ़ का हस्त ाल्प प्रदे ा की ि ाल्प एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है। दिसम्बर, 2004 में छ. ग. हस्त ाल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया एवं बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्त ाल्प विकास की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जैसे नारायणपुर एवं परचनपाल में सिजनिंग एवं ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना, कुम्भकारों को बेयरिंग एवं विद्युत चाक वितरण, भाबरी एम्पोरियम, सलवा जुडूम सेन्टरों में हस्त ाल्प से रोजगार, छत्तीसगढ़ हाट का निर्माण, ि ाल्पी परिचय पत्र प्रदान करना, रायपुर फ्यूजन स्कूल ऑफ आर्ट, अन्तर्राश्ट्रीय डिजाईनर द्वारा डिजाईन कार्य ााला का आयोजन, सी.एफ.सी. की स्थापना, छत्तीसगढ़ के ि ाल्प का पेटेंटिंग आदि। वि व प्रसिद्व बेलमेटल ि ाल्प, काश्ठ ि ाल्प, लौह ि ाल्प, मिट्टी ि ाल्प, पत्थर ि ाल्प, भी ाल ि ाल्प, कौड़ी ि ाल्प एवं अन्य विविध ि ाल्प हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की वि ोश पहचान है।

वाणिज्यिक औद्योगिक विकास

राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए “औद्योगिक नीति 2004–09” लागू की गई है। औद्य ोगिक अधोसंरचना का विकास/उन्नयन, विभाग के उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी. तथा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग एवं समन्वय तथा सुसाध्य करने का कार्य “राज्य निवे ा प्रोत्साहन बोर्ड” द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का राज्य में ही मूल्य आवर्धन करने एवं इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना व कोर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य उद्योगों की स्थापना को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए “वि ोश थ्रस्ट सेक्टर” की अवधारणा की गई हैं जिसमें – हर्बल तथा वनौशाधि प्रसंस्करण, आटोमोबाईल, आटो–कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग,_प्लांट/म ीनरी/इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण आदि सम्मिलित हैं ।

राज्य में 10 औद्योगिक केन्द्र क्रम ाः उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी, बिरकोनी, हरिनछपरा, नयनपुर–गिनवरगंज, सिलपहरी, राजनांदगांव, एवं 5–मेटल पार्क, अपरेल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल एवं मेडिसिनल पार्क, जेम्स ज्वेलरी हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों जोरातराई (राजनांदगांव) दगोरी (बिलासपुर) तिल्दा (रायपुर) लारा (रायगढ़) है एवं पार्क मेटल पार्क, अपेरल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क हैं।

राज्य शासन द्वारा निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु **ई–प्रोक्योरमेंट** की व्यवस्था लागू की जा रही है। वर्ष 2007–08 तक कुल 63 सामग्रियों के दर अनुबंध किये गये हैं जिनमें राज्य के 682 तथा राज्य के बाहर के 763 प्रदायकर्ता लाभान्वित हुए हैं।

वर्श 2002–03 में जहां रू. 425.21 करोड़ का निर्यात किया गया था वहीं वर्श 2005–06 तक निरंतर बढ़ कर ये रू. 1630.04 करोड़ हो गया।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा विभिन्न औद्योगिक समूहों के मध्य वर्श 2001 से जुलाई, 2008 तक हुये 73 एम.ओ.यू. के अंतर्गत 90,819.95 करोड़ रू. पूंजी निवे ा प्रस्तावित है। निवे ा प्रस्ताव के संबंध में दे ा में राज्य का स्थान पहले से पांचवें क्रम के बीच रहा है। इन उद्योगों में रेल एवं बीम मिल, केप्टिव पावर प्लांट, स्टील प्रोडक्स, कोलवा ारी, एल्यूमिनियम प्लांट, स्पांज आयरन पावर प्लांट, फुड पार्क, एम.एस.इनगाट, फेरोक्रम प्लांट, कोल माइस, बायोमांस पावर प्लांट, स्टील मेल्टींग प्लांट, पिंग आयरन, कोक ओवन यूनिट, भ्रागर प्लांट, फेरो अलायज, फ्लाई ए ा–बिल्डिंग मटेरियल, आक्सीजन प्लांट, थर्मस पावर प्लांट, ब्लेण्डेड सीमेंट, सीमेंट प्लांट प्रमुख हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रू. 3,87,999 लाख से बढ़कर रू.15,49,557 लाख एवं प्रति ात योगदान 14.87 प्रति ात से बढ़कर 26.12 प्रति ात होने का त्वरित अनुमान है।

लोक निर्माण विभाग

वर्ष 2000–01 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 35388.54 कि.मी. सड़कें थीं । मार्च 2008 की स्थिति में प्रदेश में सड़कों की कुल लम्बाई 36066 कि.मी. है, जिसमें 2227.60 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग, 3213कि.मी. राज्य मार्ग, 4814 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग एवं 2584 कि.मी. अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग है। वर्ष 2007–08 में पक्की सड़कों की लम्बाई का औसत घनत्व 20.69 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. तथा कच्ची सड़क का औसत घ ानत्व 5.98 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. है ।

राज्य निर्माण के बाद से लोक निर्माण विभाग के बजट प्रावधान में निरंतर वृद्धि हुई है । वर्ष 2001–02 में रू. 339 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007–08 में विभाग हेतु रू. 1976.85 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

राज्य निर्माण के बाद से मार्च 2008 तक 7923 कि.मी. का डल्यू.बी.एम., 10690 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण तथा 3.317 कि.मी. सड़कों का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण किया गया है । इससे 3325 कि.मी. सड़कों का डब्ल्यू.बी.एम, 4317 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण तथा 1056 कि.मी. सड़कों का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण आदिवासी क्षेत्रों में किया गया । इसी प्रकार अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 567 कि.मी. सड़कों का डब्ल्यू.बी.एम., 458 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण तथा 61 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया गया ।

राज्य निर्माण के पश्चात विभिन्न नदियों /नालों पर 476 वृहद पुलों तथा 74 मध्यम पुलों एवं 11090 छोटे पुलियों का निर्माण किया गया है । वर्तमान में 216 वृहद और 11 मध्यम पुलों का कार्य प्रगति पर हे । रेलवे लाइन के कारण बाधा को दूर करने के लिये अब तक 4 रेवले ओव्हर ब्रिजों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 का कार्य प्रगति पर है। राज्य निर्माण के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 1137 भवनों का कार्य पूर्ण किया गया है। इनमे से 641 भवन आदिवासी क्षेत्रों में बनाये गये हैं ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास

राज्य में वर्श 2001 की जनगणना के आधार पर नगरीय आबादी 41.75 लाख है। जो कुल जनसंख्या का 20.08 प्रति ात हैं। राज्य में भाहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की जनसंख्या 3.16 लाख परिवार है जो कि भाहरी जनसंख्या का 31 प्रति ात है। भाहरी क्षेत्रों की गंदी बस्ती जनसंख्या 1.92 लाख परिवार हैं जो कि भाहरी जनसंख्या का 23 प्रति ात है।

नगरीय प्र ाासन एवं विकास विभाग प्रदे ा के नगरीय निकायों यथा नगरपालिका निगमों, नगरपालिका परिशदों तथा नगर पंचायतों का प्र ाासकीय विभाग है। भाहरीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य भाहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं।

74वें संविधान सं ाोधन के अनुरूप निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्यरत है। 111 नगरीय निकायों में से 110 निकायों में निर्वाचित परिशदें कार्यरत हैं।

प्रदे ा में नगरीय निकायों के योजनाबद्व विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया है।

राज्य वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को मई 2007 को सौंप दिया है।

नगरीय निकायों के विकास हेतु अनेक केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित योजनाएं संचालित की जा रही है जिनके माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ निकायों में भाहरी क्षेत्रों में निकाय के आय के स्त्रोतों में वृद्धि हेतु व्यावसायिक परिसर का निर्माण, स्वरोजगार हेतु दुकान चबूतरा एवं गुमटियों का निर्माण, महिलाओं की समृद्धि हेतु बाजार विकसित किये जा रहे है।

नगरीयों निकायों को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु पावर रोड स्वीपिंग म ीन, सक ान म ीन जैसे आधुनिकतम तकनीकी से युक्त म ीनें उपलब्ध करायी जा रही हैं। यातायात में सुधार कर जन सामान्य को लाभान्वित करने के प्रयास किये जा रहे है।

नगरीय नियोजन एवं ग्राम विकास

नगरों के नियोजित एवं समन्वित विकास को राज्य के 57 नगरों में उपग्रह से प्राप्त मानचित्र के आधार पर डिजिटल खसरा बेसमैप तैयार कराये जा रहे हैं । ने नल अर्बन इनफारमें ान सिस्टम (NUIS) स्कीम (केन्द्र प्रवर्तित योजना) राज्य के पांच नगरों–रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग एवं कोरबा को चयनित किया गया है जिसके तहत चयनित नगरों के लिये डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।

''नया रायपुर'' विकास– राज्य के गठन के प चात् रायपुर भाहर को राज्य की राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। राजधानी के अनुरूप भाहर के विकास की आव यकताओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ भाासन में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नई राजधानी निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम, 1973 की धारा 64 के अधीन राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) का गठन किया जिसका नाम परिवर्तन कर "नया रायपुर डेव्हलेपमेंट अथारिटी" किया गया।

"नया रायपुर" में केपिटल काम्पलेक्स का क्षेत्रफल लगभग 78.50 हेक्टर है। केपिटल काम्पलेक्स के अंतर्गत मंत्रालय भवन, विभागाध्यक्षों के कार्यालय, विधान सभा के निर्माण एवं स्थल विकास, लेन्ड स्केप, पौधारोपण, पहुॅच मार्गों वाहन पार्किग के कार्य भाामिल हैं। सर्वप्रथम कुल निर्मित क्षेत्रफल 6,70,000 वर्ग फीट एवं 05 भवन ब्लाको वाले मंत्रालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

नया रायपुर की विकास योजना के अंतर्गत कुल 219.71 किलो मीटर लंबाई के मार्गो का निर्माण किया जाना है, जिसकी चौडाई 100 मीटर से लेकर 40 मीटर तक होगी जिसमें 8 लेन एक्सप्रेस–वे एवं 6–लेन मार्गों के दोनों ओर सर्विस लेन एवं डेडिकेटेड बसरूट का प्रावधान है।

नया रायपुर के लिए वर्श 2041 की आव यकता हेतु जल प्रदाय योजना का डी.पी.आर. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड, रायपुर द्वारा तैयार की गयी है। योजना की कुल लागत रू. 239.18 करोड़ अनुमानित है। योजना वर्श 2011 में 34 एम.एल.डी. 2026 में 93 एम.एल.डी. तथा 2041 में 122 एम.एल.डी. जल की आव यकता की पूर्ति हेतु तैयार की गई है।

नया रायपुर के लिये विद्युत व्यवस्था करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सर्वेक्षण कर विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

जवाहरलाल नेहरू भाहरी नवीनीकरण मि ान के अंर्तगत रायपुर भाहर को राजधानी के अनुरूप विकसित करने हेतु केन्द्र भाासन से मात्र रू. 2,000 करोड़ रा ि प्राप्त हुई है जो कि बहुत अपर्याप्त है। नया रायपुर को भी राजधानी विकास में भाामिल कर लिया गया है। इस हेतु कम से कम रू. 2,000 करोड़ रू. की अतिरिक्त आव यकता होगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के कुशल नेटवर्क हेतु राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिषद की स्थापना की गई है। सामान्य जन व विज्ञान विकास के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने तथा विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्रा/छात्राओं, अभिभावकों एवं गणमान्य नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से साईंस सिटी की स्थापना की जा रही है।

राज्य में फसल कटाई के पूर्व उपग्रहों चित्रों सुदूर संवेदन एवं जी.आई.एस. तकनीक से धान फसल के क्षेत्र का आंकलन प्रतिवर्श प्रायोगिक स्तर पर किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिशद् द्वारा रायपुर,

दुर्ग, धमतरी तथा महासमुन्द के जिलेवार पड़त भूमि मान चित्रण का अद्यतन एवं सम्पूर्ण प्रदे ा के पड़त भूमि का सांख्यिकी वि लेशण का कार्य संपन्न किया गया।

किसानों को अतिरिक्त लाभ सृजन हेतु मार्गद न एवं प्रि ाक्षित करने तथा रोजगारन्मुखी साधन उपलब्ध करने के लिये प्रदे ा के चिन्हाकित गांवों में प्रौद्योगिकी ग्राम की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में जिला कबीरधाम के रायपुर (ठाठापुर) एवं जिला धमतरी के सिर्री ग्राम का चयन किया गया है।

छत्तीसगढ़ इन्स्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से रत्न पहचान, कटाई तथा पॉलिशिंग में रोजगारोन्मुखी रत्न प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रदेश में रत्न उद्योग को बढ़ावा मिला है एवं कई युवा स्वउद्यम की ओर प्रेरित हुए हैं।

प्रदेश में लौह प्रदूषित पानी से उत्पन्न व्याधियों को ध्यान में रखते हुये परिषद द्वारा सांईस एण्ड टेक्नॉलॉजी इन्टरवेन्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ आयरन कन्टेमिनेशन इन ग्राउन्डवाटर (ड्रिंकिंग वाटर) इन छत्तीसगढ़ योजना विकसित की गई। फ्लोराईड प्रदूषण से उत्पन्न व्याधियों को ध्यान में रखते हुये परिषद द्वारा सांईस एण्ड टेक्नोलॉजी इन्टरवेन्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ फ्लोराईड कॉन्टेमिनेशन इन ग्राउंडवाटर (ड्रिंकिंग वाटर) इन छत्तीसगढ़ योजना विकसित की गई।

राजनांदगांव जिले के चौकी विकासखण्ड में भूजल में आर्सेनिक प्रभावित पाँच स्थानों में आगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणें द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी आधारित आर्सेनिक पृथक्करण संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

राज्य में अस्पताल के अपशेषों के प्रदूषण रहित निस्तार हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकीः प्लाज्मा पायरोलिसिस के उपयोग हेतु साईंस एण्ड टेक्नॉलॉजी इन्टरवेशन फॉर हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल यूजिंग प्लाज्मा पायरोलायसिस परियोजना विकसित की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विकास

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया गया हैं। राज्य की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति अप्रैल 2005 से जारी की गई। छत्तीसगढ़ दे ा का प्रथम राज्य है जो ई–शासन की सुविधाओं को राज्य में प्रदान करने के लिये रोडमैप तैयार कर चुका है। राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) के अंतर्गत राज्य में छत्तीसगढ़ स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) परियोजना प्रगति पर है ।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास हेतु विभाग के अंतर्गत पंजीकृत संस्था छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एण्ड बायोटेक प्रमो ान सोसायटी (चिप्स) कार्यरत है । सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं जैसे– छत्तीसगढ़ ऑन लाईन इन्फर्मेशन फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट (चॉईस) परियोजना के अंतर्गत नागरिकों को चॉइस सेंटर से जन्म/ मृत्यु, निवास, आय, अ.पि.व/ अ.जा./अ.ज.जा प्रमाण–पत्र, राशन ए.पी.एल एवं गुमास्ता आदि के प्रमाण पत्र जारी किए गए, बिजली बिलों का भुगतान प्राप्त किया गया। इस वर्श 05 नये जिलों दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर तथा सरगुजा में इसका कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिये ई–ग्राम सुराज परियोजना (ग्रामीण चॉईस परियोजना) तैयार की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सिम्प्यूटर में ग्रामों की आधारभूत जानकारी, भू–अभिलेख के ऑकडे एवं ग्राम पंचायत की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) के अंर्तगत भू–अभिलेख नक ाा, टोपोग्राफी, भूमि का उपयोग, भूमिगत जल निकासी, वन जंगल, जल संग्रह, खनिज, खदान एवं जनसंख्या संबंधी जानकारी को नक्शों में दर्शाया गया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत ग्राम की भूमि के नक ाों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

ज्ञान–विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत आई.आई.टी. कानपुर के सहयोग से इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी अध्ययन ाला एवं गुरू घासीदास वि वविद्यालय, बिलासपुर में ई–क्लास रूम संचालित किये गये। उच्च ि ाक्षा विभाग से प्राप्त रा ि ा द्वारा कुरूद, राजनांदगांव, संचालित किये जा रहे हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विकास –

जैव प्रौद्योगिकी के कार्यो का मूल लक्ष्य नागरिकों के हित मे राज्य के जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करना है। इसके अंतर्गत पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति भाासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में माह जुलाई, 2005 में चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी. का पाठयक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस दो वर्शीय पाठयक्रम को पं. रवि ंकर वि वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है एवं चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के जैव रसायन विभाग में अनुवां ाक बीमारियों के निदान हेतु मालिक्यूलर बायोलॉजी स्तर की जांच के लिये एक केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र सिकलसेल बीमारी के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

पर्यटन

पर्यटन की गतिविधियों को बढावा देने के लिये प्रदे ा के छोटे बड़े 105 पर्यटन स्थल चिन्हांकित किये गये हैं। वर्श 2002–03 में पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु जहां रू. 322.25 लाख व्यय किये गये थे वहीं वर्श 2007–08 में पर्यटन क्षेत्रों पर रू. 4430.00 लाख वयय किये गये।

छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने के लिये छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन किया गया है। आधारभूत संरचना के विकास तथा पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु पर्यटन नीति बनाई गई है।

राज्य के 16 जिलो में 22 हाइवे मोटल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। रवि ंकर जला ाय, गंगरेल में मोटल भवन तथा स्थल का सौंदर्यीकरण किया गया है। पर्यटक विश्राम गृह भोरमदेव का मोटल के रूप में संचालन किया जा रहा है। सिरपुर हैरिटेज साइट का अर्बन डिजाइन डेव्हलपमेंट प्लान वास्तुविद से तैयार कराया जा चुका है। 12 कॉटेज के रिसार्ट एवं सांस्कृतिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत पर्यटन विकास निगम नई दिल्ली के माध्यम से बस्तर क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करवाया जा चुका है। राज्य भाासन ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिये 22 कैला ा मानसरोवर यात्रियों को रू. 25000.00 केवल अनुदान रा ि ा दिये जाने के लिये छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को अधिकृत किया है।

जेल

प्रदे ा में पांच सेन्ट्रल जेल रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं दुर्ग में हैं, 10 जिला जेलें रायगढ़, ज ापुर, बैकुण्ठपुर, कोरबा, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, महासमुन्द, जांजगीर, धमतरी और कांकेर और 12 उप जेलें डोंगरगढ़, बेमेतरा, संजरी बालोद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, सुकमा, नारायणपुर, पेण्ड्रारोड, सूरजपुर, रामानुजगंज, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़ में हैं। जेलों की प्र ाासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये समस्त जेलों को 05 अंचलों (सर्किल) क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं दुर्ग में बांटा गया है। सभी जेलों की अधिकृत आवास क्षमता 3219 है।

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन यहॉ के वासियों विशेषकर अविकसित हिस्सों में निवास कर रही गरीब जनता के लिए अत्यंत लाभकारी रहा है। नये राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ–साथ आधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, सिंचाई, सहकारिता, उद्योग विकास आदि सभी क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति हुई है । अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास को प्राथमिकता दी गई । स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन मुहैय्या कराने के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ किया गया ।

भारत के मानचित्र पर मात्र आठ साल पहले जन्मा एक पिछड़ा राज्य विकास के मानकों पर लगातार हर क्षेत्र में खरा उतर रहा है । प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध इस राज्य को विकसित राज्य बनाने के प्रयासों ने एक स्वावलंबी एवं विकसित राज्य की नींव रख दी है। राज्य मे आर्थिक विकास के साथ सामाजिक भाईचारे का ताना बाना भी मजबूत है । इन बहुमूल्य सम्पत्तियों के साथ राज्य का उज्जवल भविष्य सपना नहीं यथार्थ है ।

परिशिष्ट क्र.–01

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति

सी. पी.एस.यू.का नाम	जिले का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रू.में)	प्रदायित लागत (करोड़ रू.में)	कार्यादेश जारी करने की तिथि	सी. पी.एस.यू.द्वारा प्राप्त राशि (करोड़ रू.में)	व्यय (करोड़ रू.	शामिल बी.पी.एल. ा ासों की	कार्य प्रगति 31.07.2208 तक
एन.एच.पी.सी.	कवर्धा	37.07 (02.12.05)	35.70 (23.03.07)	23.03.07 मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, पूना।	18.93	14.		पुणे, के साथ दिनांक 18.05.07 को नुबंध हुआ। 956 में से 944 ग्रामों के 0 ग्रामों में 7468 खंभे खडे किए, 140 न 254 ग्रामों में खींची गई तथा 7.19 न खींचने के कार्य सम्पन्न हुए। 7788 निः ुल्क दिये गये।
	दुर्ग	64.38 (12.09.06)	61.12 (23.03.07)	23.03.07 मेसर्स आर.पी.जी.ट्रासं, जबलपुर।	34.06	17.		ान जबलपुर, के साथ दिनांक 16.05. . . का अनुबंध हुआ। 1776 में से 1706 ार्य पूर्ण 991 ग्रामों में 15272 निम्न दाब लाईन के लिए खंभे खडे किए, . . . निम्नदाब लाईन 607 ग्रामों में खींची गई . . के.व्ही. लाईन खींचने के कार्य सम्पन्न . . . कनेक ान निः ुल्क दिये गये।
एन.टी.पी.सी.	जांजगीर –चांपा	47.48 (21.02.06)	56.61 (31.01.08)	23.03.07 मेसर्स बजाज इलेक्ट्रीकल्स, मुम्बई।	45.26	33.		लि., मुम्बई को कार्यादे ा हुआ। 889 सर्वेक्षण कार्य पूर्ण 750 ग्रामों में 14780 346.988 कि.मी. ए.बी.सी. एवं 0.823 निम्नदाब लाईन के लिए तथा 99.015 कि. के लिए तार खींचे गये। 281 वितरण ये। 19121 बी.पी.एल. कनेक ान नि वीकृत पांचों पॉवर उपकेन्द्रों की क्षमता री है।
कुल	**3**	**148.93**	**153.41**		**98.25**	**65.**		

परिशिष्ट क्र.–02
11वीं पचंवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत जिलेवार योजनाएँ

सी.पी.एस.यू. का नाम	जिले का नाम	स्वीकृती की स्थिति	स्वीकृत डी.पी.आर. की लागत (करोड़ रू.में)	अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	डी–इलेक्ट्रीफाइड ग्रामों की संख्या	विस्तुत विद्युतीकरण हेतु ग्रामों की	विद्युतीकरण हेतु मजरा/टोलों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण आवासों की संख्या (बी.पी.एल. सहित)	विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों की संख्या
एन.एच.पी.सी.	राजनांदगांव	स्वीकृत #	51.46	0				55869	20544
	महासमुन्द	स्वीकृत #	43.00	0				37089	11834
	कांकेर	स्वीकृत #	53.72	4				66288	35323
	रायपुर	स्वीकृत #	80.63	16				164728	72427
	धमतरी	स्वीकृत #	24.66	5				39311	11264
एन.टी.पी.सी.	कोरबा	स्वीकृत *	36.03	17				67462	26489
	बिलासपुर	स्वीकृत *	61.92	0				156867	122355
	रायगढ़	स्वीकृत *	69.29	32				139108	124900
कुल: -			**420.71**	**74**				**726722**	**425136**

उन वसाहटों को जिनकी संख्या 100 से कम थी (5 जिलें) को छोड़ कर डी.पी.आर. प्रस्ताव

* उन वसाहटों को जिनकी संख्या 300 से कम थी (3 जिलें) को छोड़ कर डी.पी.आर. प्रस्ताव

Note- Issue of awards are under process for the above projects.

परिशिष्ट क.–03

ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग के पास स्वीकृति हेतु लम्बित डी.पी.आर.की स्थिति

सी. पी.एस.यू. का नाम	जिले का नाम	स्वीकृती की स्थिति	प्रस्तावित लागत डी.पी. आर. (करोड़ रू.में)	डी.पी.आर और आर.ई. सी की जमा करने की तारीख	प्रस्तावित अविद्युतीयकृत ग्रामों की संख्या	प्रस्तावित पुनःविद्य	विस्तुत विद्य	प्रस्तावित विद्य करण हेतु स्तावित रा/टोलों संख्या	प्रस्तावित ग्रा.घरेलू विद्य तीकरण हेतु परि.की संख्या	प्रस्तावित ग्रा.घरेलू विद्युतीकरण हेतु बी.पी.एल. परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6			9	10	11
एन.टी.पी. सी.	जशपुर	प्रस्तावित	118.94	27.01.06	23			2170	112648	69510
			उन बसाहटो को शामिल कर जि ... लकर संशोधन के लिए लम्बित							
पी.जी.सी. आई.एल.	सरगुजा	प्रस्तावित	94.66	05.04.06	6			688	293525	134911
		# संशोधित	179.8	03.09.07	506			4451	116196	107301
	कोरिया	प्रस्तावित	55.79	13.06.06	61			673	24615	22415
		# संशोधित	96.37	03.09.07	190			1829	26357	26248
	दंतेवाड़ा	प्रस्तावित	121.83	18.09.05	366			1676	98904	68826
		# संशोधित	109.36	295.08	437			2335	57283	54909
	बस्तर	प्रस्तावित	168.69	29.01.07	5			4900	63991	63338
		# संशोधित	212.6	03.10.07	595			3043	129467	126215
कुल		**प्रस्तावित**	**560.91**		**461**			**10107**	**593683**	**359000**
		संशोधित	**777.93**		**1728**			**11658**	**329303**	**314673**

= उन बसाहटो को शामिल कर जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है के साथ संशो

परिि ाश्ट – 01

परिशिष्ट क्र.–04
छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियॉ

1. अगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिआ भूमिआ, भुईहर भूमियां, भूमिआ,भारिया, पालिहा, पांडो
6. भतरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया
8. भील, मैना
9. भुजिया
10. बिआर, बीआर
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डमोर, डामरिया
14. धनवार
15. गदाबा, गदबा
16. गोंड, अरख, अगरिया, असुर, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, विसोनहार्न मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया,दोरला,गायकी,गट्टा गट्टी, गैटा, गोड गोवारी, हिलामारिया, कंडरा,कलंगा, खटोला,कोईतर,कोया,खिरवार,खिरवारा,कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया,माना, मन्नेवार,गोगिया,मोघ्या,मुड़िया,मुरिया,नगारची,नागवं ाी,ओझा, राजगोंड,सोन्झारी,झरेका,थाटिया,बड़े माड़िया, बड़ेमामिडया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर,कंवर,कौर,चेरवा,राठिया,तंवर,छत्री
21. खैरवार,कोंदर
22. खरिया
23. कोंध,खोंड,कांध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू,बोचपी,मवासी,निहाल,नाहुल,बांधी,वोंडेया
27. कोरवा,कोड़ाकू
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुंडा
32. नगेसिया,नागसिया
33. उरांव,धानका,धनगड
34. पाव
35. पारधान,पथारी,सरोती
36. परजा
37. पारधी,बहेलिया,चिता पारधी,लंगोली पारधी,फांस पारधी,ि ाकारी,टाकनकर, टाकिया
38. सहारिया,सहरिया,सेहरियासोसिया,सोर
39. साओंता,सौंता
40. सौर
41. सावर, सवरा
42 सौंर

परिशिष्ट क्र.–05
छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियॉं

1. औधेलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बहना, बाहना
4. बलाही, बलाई
5. बांछडा
6. बरहर, बसोड
7. बरगुंडा
8. बसोर, बरूड़, बंसोर, बांसोडी, बासफोड, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी, धरकार
12. भानुमती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रेगड़, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवं ी, सूर्यरामनामी, अहिरवार, चमार, मंगन, रैदास
15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चित्तार
18. दहायत, इहायत, दहात
19. देवार
20. धानुक
21. ढेड़, ढेर
22. डोहोर
23. डोम, डुमार, डोमे, डोमर, डोरिस
24. गांडा, गांडी
25. घासी, घसिया
26. होलिया
27. कंजर
28. कतिया, पथरिया
29. खटीक
30. कोली, कोरी
31. खंगार, कनेरा, मिरधा
32. कुचबंधिया
33. महार, मेहरा, मेहर
34. मांग, मांग गरोडी, दंखनी मांग, मांग महा ी, मदारी, गारूडी, राधे मांग
35. मेघवाल
36. मोघिया
37. मुसखान
38. नट, कालवेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर
39. पासी
40. रूज्झर
41. सांसी, सांसिया
42. सिलावट
43. झमराल
44. तुरी

परिशिष्ट क्र.–06
अन्य पिछड़ा वर्ग

1. अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव), बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी) गोवरा, गवारी ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत
2. असारा, असाड़ा
3. बैरागी (वैश्णव)
4. बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा धरिया, लभाना, लबाना, लामने.
5. बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया).
6. बढ़ई सुतार, दवेज, कुन्देर (वि वकर्मा)
7. बारी
8. बसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा हरबोला, कापड़िया, कापड़ी गोंधरी, थारवार.
9. भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी या धूरी
10. भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया
11. छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव
12- ढीमर, भोई कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावड़ा/तुरहा, केवट, (क यप, निशाद, रायकवार, बाथम) कीर (भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वित्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिलें में) सोंधिया
13. पंवार, पोवार, भोयर, भोयार
14. भुर्तिया, भुतिया
15. भोपा, मानभाव
16. भटियारा
17. चुनकर,, चुनगर, कुलवंधया, राजगीर
18. चितारी
19. दर्जी, छीपी, छिपी, ि ापी, मावी (नामदेव)
20. धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक ◁234▷
21. मीना (रावत) दे ावाली, मेवाती, मीणा (विदि ा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)
22- किरार, किराड़, धाकड़ गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोशी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पार बघेले)
23. कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार
24. कोश्टा, कोश्टी (देवांगन) कोश्टा, माला, पदम ाली, साली, सुलसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, को काटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी धोली/डफली/डफानी/ढोली, दमानी, गुरव
25. गुसाई, गोस्वामी
26. गूजर (गुर्जर)
27- लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा, लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (वि वकर्मा)
28. गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास
29. घोशी
30. सेनार, सुनार झाणी, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया, औधिया, सोनी (स्वणकार)
31. (अ) काछी (कु ावाहा, भााक्य मौर्य) कोयरी या कोइरी (कु ावाहा) पनारा, मुराई, सोनकर (ब) माली (सैनी), मरार
32. जो ी (भड्डरी) डकोचा, डकोता
33. लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर
34. ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारि या
35. खातिया, खाटिया, खाती
36. कुम्हार (प्रजापति) कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रींवा, सीधी व भाहडोल जिलों को छोड़कर)
37. कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंभाी चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कंभी गवैल (गमैल) सिरवी

38- कमरिया
39. कौरव, कांवरी
40. कलार (जायसवाल) कलाल, डडसेना
41. कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा
42. लोनिया, लुनिया, औड़, ओड़े, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा
43. नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास) म्हाली, नाव्ही, उसरेटे
44. नायटा नायड़ा
45. पनका, पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रींवा, सीधी व भाहडोल जिलों को छोड़कर)
46. पटका, पटकी, पटवा
47. लोधी, लोधा, लोध
48. सिकलीगर
49. तेली (ठाठ, साहू, राठौर)
50. तुरहा, तिरवाही, बड्डर
51. तवायफ, किसडी, कसडी
52. वोवरिया
53. रोतिया, रौतिया
54. मानकर, नहाल
55. कोटवार, कोटवाल (भिण्ड, धार, देवास, गुना ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, भााजापुर, ि ावपुरी, उज्जैन एवं विदि ाा जिलों को छोड़कर)
56. खैरूवा
57. लोढ़ा (तंवर)
58. मेवार
59. रजवार
60. अघरिया
61. तिऊर, तूरी
62. भारूड़ ◁235▷
63. सुत साथी–सईस/सहीस
64. तेलंगा, तिलगा
65. राघवी
66. रजभर
67. खारोल
68. सरगरा
69. गेलान, गवलान, गौलान
70. रज्जड़ रजझड़
71. जादम
72. दांगी
73. गयार/परधनिया
74. कुड़मी
75. मेर
76. बाया महरा/कौ ाल, वया
77. पिंजारा (हिन्दू)
78. विलापित
79. अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म (नव बौद्ध) स्वीकार कर लिया है
80. आंजना
81. धोरिया
82. गेहलोत मेवाड़ा
83. रेवारी
84. रूआला/रूहेला

परिशिष्ट क्र.–07

मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह

85. रंगरेज, भि ती, छीपा, हेला, भटियारा, धोबी, मेवाती, पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर, कुंजड़ा, राईन, मनिहार, कसाई, कस्साव, सिरासी, मिरधा, बढ़ई (कारपेन्टर), हज्जाम (बारबर) हम्माल, मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं) लुहार, नागौरी, तड़वी, बंजारा, मोची, तेली, नायता, पिंडारी, (पिंडारा) कांकर, पेमदी, कलईगर, नालबन्द, भीशगर

परिशिष्ट क.–08
राज्य से किये गये निर्यात का तुलनात्मक विवरण
(वर्ष 2003–04, 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07)

स्टेट कोड	खंड	खंड का विवरण	मूल्य रु. लाख में			
			2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
71	01	जीवित पशु	-	-	7.75	7.75
71	04	डेरी उत्पाद, अंडे, प्राकृतिक शहद, खाद्य पदार्थ	-	47.56	-	-
71	07	सब्जियॉं, कुछ जड़े एवं गांठें	6.35	15	288.9	126.59
71	09	कॉफी, चाय, एवं मसाले	-	-	-	6.19
71	10	दालें,	374.52	12493.38	1813.5	1779.7
71	12	तिल्हन, तैलीय फल, अनाज, बीज एंव फल	-	386.69	748.55	2009.98
71	13	लाख, गोंद, राल, एवं अन्य शाकों के सत्व	-	-	-	3.45
71	14	शाक सब्जियॉं एवं इससे बनने वाले पदार्थ	-	0.89	2.59	-
71	15	वनस्पति एवं पशुओं से प्राप्त होने वाले तेल एवं अन्य पदार्थ	19.89	-	718.19	1695.07
71	17	शक्कर एवं शक्कर से बनने वाले अन्य पदार्थ	17.74	-	0.0009	-
71	18	कोको एवं कोको से बनने वाले पदार्थ	-	-	-	68.15
71	23	पशु आहार एवं खाद्य उद्योगों से प्राप्त होने वाले अवशिष्ट पदार्थ	1439.87	2754.44	5143.85	3391.9
71	24	तंबाखू एवं तंबाखू से बनने वाले अन्य पदार्थ	-	-	-	16.71
71	25	लवण स्फुर पत्थर एवं प्लास्टरिंग मटेरियल	548.48	852.86	216.87	205.62
71	26	खनिज स्लेग एवं राख	45174.44	80091.49	92058.64	43355.37
71	27	खनिज तेल, खनिज इधन एवं इससे संबंधित अन्य उत्पाद तारकोल	12.63	-	6.07	373.49
71	28	अकार्बनिक रसायन मूल्यवान धातुओं के मिश्रण तथा बहुमुल्य धातुऐं	882.7	26.65	1897.57	368.48
71	29	कार्बनिक रसायन	178.71	283.07	371.41	315.33
71	30	औषधीय उत्पाद	17.63	68.43	6.67	1.99
71	32	डाई एवं रंगरेजी का सामान	4.09	4.75	11.79	7.76
71	33	ऐलब्यूमिन पदार्थ परिष्कृत श्वेतसार चिपकाने वाले पदार्थ	-	0.27	1.47	10.45

71	38	विविध रसायनिक पदार्थ	2.69	78.89	54.97	7.7
71	39	प्लास्टिक एवं इससे बनने वाले अन्य उत्पाद	17.07	16.15	27.31	9.83
71	40	रबर एवं इससे बनने वाले अन्य उत्पाद	11.55	27.83	-	-
71	42	चमड़े से बनने वाली सामाग्रियां, तांत एवं अन्य उत्पाद	15.16	3.56	6.28	-
71	44	लकड़ी एवं लकड़ी से बनने वाले सामग्रियां लकड़ी का कोयला	8.63	394.95	190.35	280.69
71	48	पेपर, पेपर बोर्ड एवं पेपर की लुगदी से बनने वाले अन्य पदार्थ	2.14	0.22	28.47	20.29
71	49	छपी हुई पुस्तिकाऐं एवं छपाई उद्य ोग के अन्य उत्पाद	-	3.16	-	3.25
71	50	सिल्क	10.19	5.33	13.21	19.81
71	52	काटन	17.04	68.51	581.49	13.38
71	53	वनस्पतिक रेशों से बनने वाले कपड़े एवं पेपर यार्न एवं फेब्रिक	502.44	880.97	764.35	411.76
71	54	मानव निर्मित फिलामेंट	-	-	1620.62	-
71	55	मानव निर्मित स्टेपल फाईबर	0.51	20.22	-	12.69
71	56	वाडिंग फेल्ट एवं नॉन वोवन स्पेशल यार्न एवं ट्वाईन	-	2.63	-	9.3
71	57	कारपेट एवं कपड़े के बने हुयी इसी प्रकार की अन्य सामग्रियां	-	-	11.67	-
71	58	विशेष रुप से बुने हुये कपड़े, टफ्ड टेक्सटाइल फेब्रिक, लेस, टेपेस्ट्री आदि	-	-	21	-
71	61	बुने हुए कपड़े एंव परिधान सामग्रियॉ	22.53	2.63	115.89	-
71	62	कपड़े एवं परिधान सामग्रियॉ (बुना हुआ नहीं)	9.56	3.94	184.41	13.07
71	63	कपड़े की अन्य सामग्रियॉ परिधान कंबल इत्यादि	66.22	104.5	61.59	12.77
71	68	पत्थर से बने हुई सामग्रियॉ प्लास्टर सीमेंट, एजबेस्टस माइका	-	2.02	-	13.63
71	69	सिरामिक उत्पाद	7.22	20.88	21.66	68.88
71	71	मोती, बहुमुल्य एवं मूल्यवान पत्थर	12.71	35.12	0.008	79.86
71	72	लोह एवं इस्पात	54196.02	47460.13	44788.46	53602.5
71	73	लोह एवं इस्पात से बनने वाली सामग्रियॉ	242.36	699.97	2091.83	89.33
71	74	तांबा एवं इससे बनने वाली सामग्रियॉ	-	-	3.62	0.96
71	76	एल्यूमिनियम एवं इससे बनने वाली सामग्रियॉ	-	44.92	6896.08	22502.38
71	78	लेड एवं इससे बनने वाली	-	-	1.09	-

		सामग्रियॉ				
71	82	बेस मेटल से बनने वाले उपकरण एवं इसके पार्ट्स	4.56	14.19	9.29	30.02
71	83	बेस मेटल से बनने वाली विविध सामग्रियॉ	-	8.5	5.81	87.4
71	84	न्यूक्लियर रियेक्टर बॉयलर मशीन एवं मेकेनिकल उपकरण	396.8	661.32	1913.04	1854.53
71	85	विद्युत मशीनरी उपकरण एवं इसके पार्ट्स	12.15	-	9.36	113.7
71	86	रेल/ट्राम लोकोमोटिव ट्रक इत्यादि	607.39	344.26	185.96	166.72
71	87	गाड़ियॉ एवं इसके पार्टस	-	43.06	-	-
71	90	औपटिकल मापक एवं इसके अन्य भाग	-	6.27	6.35	13.13
71	92	वाद्ययंत्र एवं इसके पार्ट्स	-	2.58	-	-
71	94	फर्नीचर एवं इससे संबंधित अन्य उत्पाद	0.19	-	-	0.77
71	96	विविध निर्मित सामग्रियॉ	-	21.22	-	-
71	97	कलाकृतियॉ संग्रहणीय सामग्रियॉ एवं पुराकालीन सामग्रियॉ	1143.08	3.15	31.29	2.59
71	98	विशेष उपयोग मे आने वाली सामग्रियॉ	-	-	10.48	2.62
71	99	विविध सामग्रियॉ	0.33	8.41	53.94	411.74
		महायोग	**105985.59**	**148014.97**	**163003.70**	**133599.28**

अध्याय – 1
छत्तीसगढ़ – एक परिचय

एक नवम्बर सन् 2000 से भारत वर्श का 26 वां राज्य कहलाने वाले “छत्तीसगढ़” को एक नये राज्य के रूप में पहचाने जाने का इतिहास अभी सिर्फ 8 साल पुराना हो सकता है लेकिन इतिहास के गौरव ीाल पन्नों से लेकर जन मानस में अंकित छत्तीसगढ़ एक गौरव ााली, समृद्ध ााली ऐतिहासिक धरोहर का नाम है। अगर ाुरूआत प्राचीन भारतीय इतिहास से की जाये तो विंध्याचल के दक्षिण में कौ ाल नामक जनपद था जो उत्तर कौ ाल (अयोध्या स्वास्ती) से अलग अस्तित्व के कारण दक्षिण कौ ाल कहलाता था। रामायण, महाभारत तथा वैदिक ग्रंथों में दक्षिण कौ ाल के नाम से दर्ज भू–भाग ही छत्तीसगढ़ है।

छत्तीसगढ़ जनश्रुतियों और परंपराओं का ाब्द नहीं है बल्कि जीते–जागते उन ''छत्तीसगढ़ों'' का समुच्चय है जो बाकायदा सप्रमाण ज्ञात है। छठवें ाताब्दी से बारहवीं ाताब्दी के बीच छत्तीसगढ़ में ाुरभ पुरीय, पांडुवं ीय, कलचुरी, नागवं ा के ाासकों का राज था इनमें से कलचुरियों के अधीन ि ावनाथ नदी के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 गढ़ों का अस्तित्व था। इतिहासकार छत्तीसगढ़ के नाम के पीछे एक कारण इन गढ़ों को भी मानते हैं।

एक दूसरी प्रामाणिक अवधारणा भी है जो रायपुर गजेटियर में श्री ए.ई. नेलसन के जरिये उद्धृत है। इस अवधारणा के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदिसगढ़ का अपभ्रं ा है। इसका कारण छत्तीसगढ़ में चेदिस राजाओं का आधिपत्य माना जाता है।

अंग्रेजों के ाासन में छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्राविन्स एण्ड बरार का हिस्सा था। 1956 में जब भाशायी आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ तब छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदे ा में ाामिल किया गया। इस प्रकार हम पाते हैं, कि इस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया की निरंतरता में क्षेत्र का बार–बार एक राज्य से दूसरे में हस्तांतरण बाधा बना रहा। अब आ ाा की जा सकती है, कि नया छत्तीसगढ़ राज्य जो आकार में भले ही छोटा है परन्तु जहां विकास की असीम संभावनायें हैं, राज्य के लोगों की आंकाक्षाओं एवं आव यकताओं के अनुरूप विभिन्न दि ााओं में तीव्र प्रगति करेगा।

राज्य को अविभाजित मध्यप्रदे ा का प्र ाासकीय, वित्तीय, विधिक एवं संस्थागत ढॉचा विरासत में प्राप्त हुआ है, परन्तु अब इसमें राज्य की सामाजिक–आर्थिक आव यकताओं के अनुसार बदलाव करने का अवसर है।
राज्य के विकास की वर्तमान समीक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अत्यल्प समंको और वह भी राज्य के निर्माण के बाद के केवल सात या आठ वर्शो की अल्पावधि पर आधारित है।

1ण्1 छत्तीसगढ़ एक कम विकसित राज्य–

वर्तमान में राज्य, विकास की महती संभावनाओं के साथ–साथ, अर्धविकास एवं व्यापक गरीबी (45% ग्रामीण एवं 7.23% ाहरी) का दृ य उपस्थित करता है। राज्य की गिनती दे ा के कम विकसित राज्यों में की जाती है। भूमि, वन एवं खनिज साधनों की विपुल संपदा अर्धदोहित रही हैं। इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य में बार–बार हस्तांतरण तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार की नीतियों एवं संस्थागत संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न अनेक अन्य कारक राज्य के विकास को प्रभावित करते रहे हैं ।

1ण्2 राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण–

छत्तीसगढ़ राज्य चारों ओर छः राज्यों यथा मध्यप्रदे ा, उत्तरप्रदे ा, झारखण्ड़, उड़ीसा, महाराश्ट्र एवं आन्ध्रप्रदे ा से घिरा हुआ यह एक भूमि आबद्ध (Land-locked) राज्य है। राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है जिसका 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है तथा 47.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है।

प्रशासनिक स्थिति–

राज्य में प्रशासनिक कसावट के लिए जिलों की संख्या 18, कुल अनुविभागों की संख्या 64 एवं विकास खण्डों/तहसीलों की संख्या 146 (समस्त विकास खण्डो को तहसील का दर्जा दिया गया है), राजस्व निरीक्षक मण्डलों की संख्या 229, पट्वारी हल्कों की संख्या 4,906 की गई है। राज्य में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 19,774 है जिसमें से 19,291 आबाद ग्राम एवं 4,83 ग्राम वीरान ग्राम हैं। राज्य में कुल वन ग्रामों की संख्या 425 हैं। स्थानीय ाासन इकाईयों के रूप में 111 नगरीय निकाय जिसमें 10 नगर निगम, 28 नगर पालिका परिशद् एवं 73 नगर पंचायतें हैं एवं पंचायती राज्य संस्थाओं के रूप में 16 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें एवं 9,820 ग्राम पंचायतें हैं।

1ण्3 जनांकिकीय विशेषताएं–

छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जनगणना वर्श–2001 के आधार पर 1मार्च, 2001 को 2,08,33,803 आंकी गई है। जो दे ा की जनसंख्या का 2.02 प्रति ात है। दे ा में छत्तीसगढ़ राज्य जनसंख्या की दृश्टि से 17वें स्थान पर है।

जनसंख्या की दृश्टि से रायपुर सबसे बड़ा एवं कवर्धा सबसे छोटा जिला है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 154 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। सर्वाधिक जनघनत्व 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी वाला जिला जांजगीर–चांपा है एवं सबसे कम जनघनत्व वाला जिला दंतेवाड़ा 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

राज्य अपेक्षाकृत कम नगरीकृत राज्यों में से एक है तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी नगरीय जनसंख्या केवल 20.08% है, जो भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 1.46% भाग है । नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के मान से भारत के 35 राज्यों में इसका स्थान 27 वाँ है। केवल सात राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, मेंघालय, आसाम एवं उड़ीसा में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत छत्तीसगढ़ से कम है। वर्ष–2001 की जनगणना में राज्य से सम्बन्धित प्रमुख ऑकड़ों को तालिका क्र.–1.01 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–1.01

राज्य की जनांकिकीय विशेषताएं (जनगणना 2001)

क्रं.	विवरण	
1	राज्य की कुल जनसंख्या	2,08,33,803
2	जनसंख्या वृद्धि दर (1991–2001)	18.06%
3	पुरूश जनसंख्या	1,04,74,218
4	स्त्रियों की जनसंख्या	1,03,59,585
5	लिंगानुपात (स्त्री–पुरूश अनुपात)	989
6	जनसंख्या घनत्व	154 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
7	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	24,18,722 (11.61%)
8	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	66,16,596 (31.76%)
9	कुल जनसंख्या में मुख्य कार्य ाील जनसंख्या	46.46
10	कुल मुख्य कार्य ाील जनसंख्या में महिला कार्य ाील जनसंख्या	40.04
11	साक्षरता	64.7%
	पुरूश साक्षरता	77.4%
	महिला साक्षरता	51.9%
12	नगरीय साक्षरता	80.6%
	पुरूश साक्षरता	89.4%
	महिला साक्षरता	71.1%
13	ग्रामीण साक्षरता	60.5%
	पुरूश साक्षरता	74.1%
	महिला साक्षरता	47%

1.4 मानवीय संसाधन–श्रम शक्ति–

वर्श 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल श्रम भाक्ति की स्थिति को तालिका क्र.–1.2 द ार्या गया है–

तालिका क्र.– 1.02

श्रम शक्ति का वर्गीकरण

क्र.	विवरण	श्रमिकों की संख्या	कुल श्रमिकों का प्रतिशत
(i)	मुख्य श्रमिक	70,54,595	72.88
(ii)	सीमांत श्रमिक	26,25,276	27.12
1	**कुल श्रमिक**	**96,79,871**	**100.00**
(i)	कृषक	43,11,131	44.54
(ii)	कृषि मजदूर	30,91,358	31.94
(iii)	गृह उद्योग श्रमिक	1,98,691	2.05
(iv)	अन्य श्रमिक	20,78,691	21.47
	कुल श्रमिक	**96,79,871**	**100.00**
2	गैर कार्यशील	1,11,53,932	115.23

1.6 सामाजिक अधोसंरचना (मानव विकास सूचकांक)–

राज्य मानव विकास प्रतिवेदन वर्श 2005 में मानव विकास सूचकांक की गणना संयुक्त राश्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एवं योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले पारंपरिक सूत्रों से की गई थी। जिसमें राज्य के स्वास्थ्य, ि ाक्षा, आय एवं मानव विकास सूचकांको के मानों को तालिका क..–1.03 में द ार्या गया है–

तालिका क.– 1.03

राज्य का मानव विकास सूचकांक

क.	विवरण	सूचकांक
1	स्वास्थ्य सूचकांक	0.392
2	शिक्षा सचूकांक	0.711
3	आय सचूकांक	0.310
4	मानव विकास सूचकांक	0.471

राज्य का मानव विकास सूचकांक 0.471 है, जो यह सूचित करता है कि राज्य में मानवीय विकास अधोसंरचना जैसे–स्वास्थ्य, ि ाक्षा एवं रोजगार में हम अभी पीछे हैं एवं 1990 के द ाक की तीव्र वृद्धि के लाभ सभी क्षेत्रों एवं सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गो को समान रूप से नहीं मिल सके हैं। अतः सार्वजनिक व्यय एवं आयोजन प्रक्रिया में ि ाक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक एवं आय सूचकांक में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होगी ताकि त्वरित विकास के साथ–साथ संतुलित मानवीय विकास किया जा सके।

1०7 भौतिक अधोसंरचना–

मार्च 2008 की स्थिति में प्रदे ा में सड़कों की कुल लम्बाई 36,066 कि.मी. है जिसमें 2,227.60 कि.मी. राश्ट्रीय राजमार्ग, 3,213 कि.मी. राज्य मार्ग, 4,814 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग एवं 2,584 कि.मी. अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग हैं। वर्श 2007–08 में सड़कों की लम्बाई का औसत घनत्व पक्की सड़क 20.69 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. तथा कच्ची सड़क का औसत घनत्व 5.98 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. हैं।

छत्तीसगढ़ एक भूमि आबद्ध (Land-locked) राज्य है। इन सभी राज्यों का यातायात राज्य से होकर जाता है जिसका यहां के सड़क नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव रहता है। प्रदे ा के भीतरी विकास के लिये वायु एवं रेल यातायात महत्वपूर्ण हैं, परन्तु छत्तीसगढ़ में इन दोनों की कमी है। देश की बड़ी सड़क परियोजनाओं जैसे **स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व–पश्चिम गलियारा तथा उत्तर–दक्षिण गलियारा** में राज्य सम्मिलित नहीं है। दे ा के अधिकां ा राज्य इस परियोजना द्वारा जुड़े हुए हैं यदि इन योजनाओं के साथ राज्य को दुर्ग–नागपुर 4 लेन एवं रायपुर–वाराणसी से जोड़ दिया जाता है तो राज्य इससे लाभान्वित होगा। बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर से घरेलू उड़ाने भ्Èारू होनी चाहिए ताकि इन क्षेत्रों का त्वरित विकास हो सके।

राज्य में रेल लाईन की लम्बाई दे ा की कुल लम्बाई की 1.66 प्रति ात है। राज्य दे ा के रेल राजस्व का 1/6 भाग देता है। राज्य वि ोशकर बस्तर क्षेत्र खनिज एवं वन संसाधनों से सम्पन्न क्षेत्र है, इसके उचित दोहन हेतु यह अति आव यक है कि दल्ली–राजहरा–रावघाट–जगदलपुर रेल लाईन को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाये।

राज्य को ऊर्जा एवं उद्योग में अधिक विनियोग हेतु विदे ी एवं घरेलू पूंजी आकर्शित करने के लिये सड़क यातायात के विकास में अधिक प्रगति करनी होगी। निजी एवं विदे ी पूंजी की सहभागिता के साथ इस उप–क्षेत्र में की गयी नीतिगत पहलों के अच्छे परिणाम निकट भविश्य में प्राप्त होंगे ।

प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस ''हर्बल राज्य'' में वनों पर जीविकोपार्जन के लिए आश्रित आदिवासियों, कृषकों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए लाई गई विशेष योजनाओं के परिणाम रोजगार के लिए पलायन में कमी, जीविका में सुधार, लघु वनोपज के व्यापार से आर्थिक संपन्नता, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, साक्षरता में वृद्धि जैसे प्रमाणों के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा उत्पादन में स्वाबलंबी राज्य बनकर देश के सामने आया है । आर्थिक विकास के साथ सामाजिक भाईचारे का ताना बाना भी मजबूत दिखाई देता है। भौतिक अधोसंरचना के साथ सामाजिक अधोसंरचना भी राज्य की एक बड़ी ताकत है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ेपन के आवरण को उतार विकासशील से विकसित राज्य के पायदान की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है जिसकी ठोस नींव रखी जा चुकी है ।

अध्याय–2
राज्य में वित्तीय एवं आर्थिक संसाधनों का विकास

एक नवगठित राज्य होने के कारण, इसके विकास के मार्ग में अनेक बाधाएँ एवं चुनौतियां हैं। परंपरागत ज्ञान में विकास की परिभाशा को केवल आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में ही माना जाता है। मानव विकास की अवधारणा के प्रार्दुभाव के साथ ही विकास की अवधारणा को सामाजिक एवं आर्थिक संकेतांकों के साथ संबद्ध किया गया ।

2.1 राज्य घरेलू उत्पाद की प्रगति–

राज्य के घरेलू उत्पाद के रूप में एक वर्श में सभी सृजित आय अथवा अर्थव्यस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के द्वारा किये गये मूल्य संवर्द्धन का महायोग होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि विकास का मापक माना जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संरचना को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । **1. प्राथमिक क्षेत्र** जिसमें कृशि (प ुपालन सहित), वन उद्योग, मत्स्य उद्योग, खनन तथा उत्खनन को भाामिल किया जाता है। **2. द्वितीयक क्षेत्र** जिसमें विनिर्माण (पंजीकृत,गैरपंजीकृत), निर्माण कार्य, विद्युत,गैस एवं जलापूर्ति को भाामिल किया जाता है **3. तृतीयक क्षेत्र** जिसमें परिवहन एवं स्टोरेज, बैकिंग बीमा एवं स्थावर सम्पदा तथा सामुदायिक एवं निजी सेवाओं को भाामिल किया जाता है ।

राज्य उत्पाद गणना प्रचलित भावों के आधार पर एवं स्थिर भावों (किसी वर्श वि ोश को आधार मान कर) के आधार पर की जाती है। जिसकी प्रगति को निम्न तालिकाओं एवं ग्राफ में द ार्या गया है–

तालिका कं.– 2.01

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों के आधार पर) की प्रगति

(रा ि लाख रू. में)

◁ 4 ▷

क्र.	क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	प्राथमिक क्षेत्र	866626	1121764	1084176	1366600	1393320	1488672	1756055
2	द्वितीयक क्षेत्र	634492	624085	892208	1104356	1467275	1729768	1997970
3	तृतीयक क्षेत्र	1107382	1245170	1310440	1497671	1689138	1855686	2178103
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लाख रू. में)	**2608500**	**2991019**	**3286824**	**3968627**	**4549733**	**5074126**	**5932128**

(P) = प्राविधक अनुमान (Q) = त्वरित अनुमान

(स्त्रोत – आर्थिक सवेक्षण वर्श 2007–08, छत्तीसगढ़ भाासन)

तालिका कं–01 से स्पश्ट होता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है । प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 8,66,626 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 17,56,055 लाख रू. हो गया है एवं इसमें 102.63 प्रति ात की वृद्धि दर्ज की गई ।द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 6,34,492 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 19,97,970 लाख रू. हो गया है एवं इसमें **सर्वाधिक** 214.89 प्रति ात की वृद्धि दर्ज की गई । तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 11,07,382 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 21,78,103 लाख रू. हो गया है एवं इसमे 96.69 प्रति ात वृद्धि दर्ज की गई ।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों के आधार पर) की प्रगति को ग्राफ में निम्नानुसार द ार्या गया है –

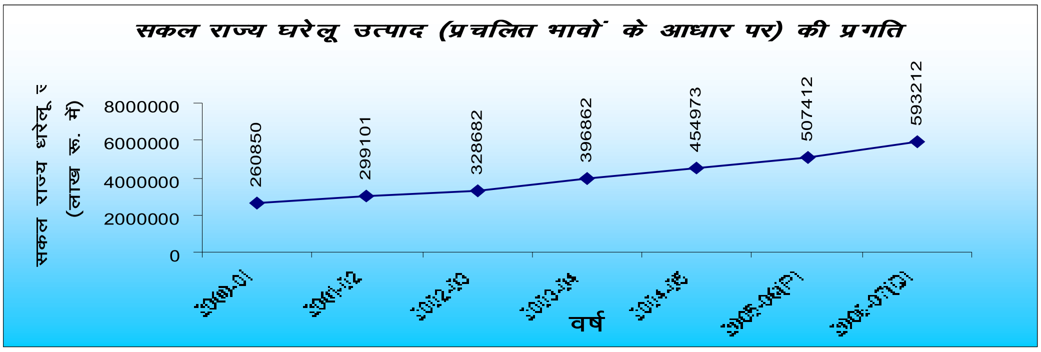

सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 26,08,500 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 59,32,128 लाख रू. हो गया है एवं इसमें 127.42 प्रति त वृद्धि दर्ज की गई ।

आर्थिक विकास के संदर्भ में राज्य घरेलू उत्पाद की सरंचना में परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है । जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के योगदान का बढ़ना विकास का द्योतक माना जाता है । राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुए संरचनात्मक परिवर्तन को तालिका कं.–02 एवं ग्राफ में द ार्या गया है–

तालिका कं.– 2.02

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों के आधार पर) क्षेत्रवार प्रतिशत प्रगति

क्र.	क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	प्राथमिक क्षेत्र	33.22	37.50	32.99	34.44	30.62	29.34	29.60
2	द्वितीयक क्षेत्र	24.32	20.87	27.14	27.83	32.25	34.09	33.68
3	तृतीयक क्षेत्र	42.45	41.63	39.87	37.74	37.13	36.57	36.72
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

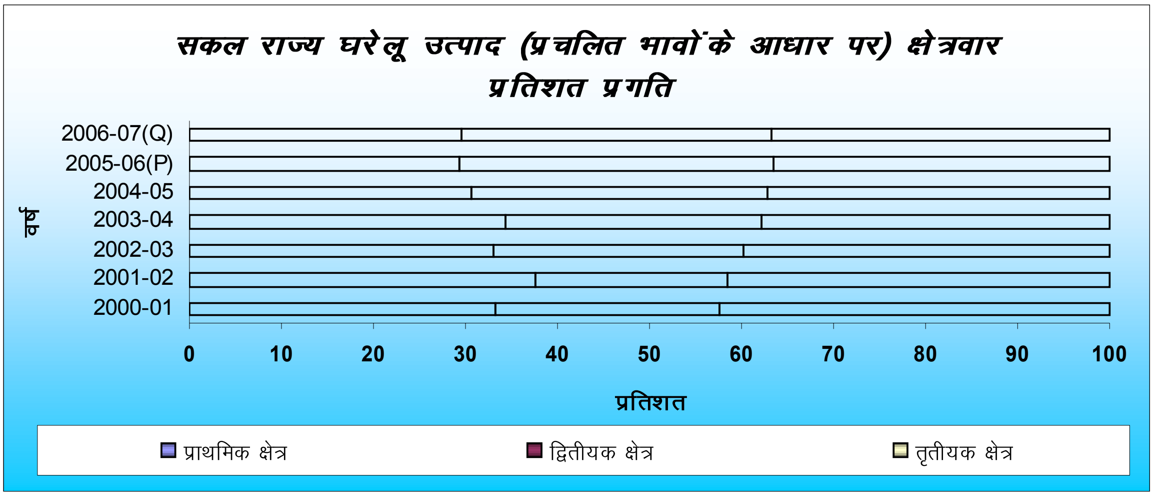

तालिका कं–02 एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि जहां प्राथमिक एवं तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति त योगदान में कमी परिलक्षित हो रही है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र जो औद्योगिक एवं ऊर्जा उत्पादन का द्योतक है में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

राज्य के स्थिर भावों (1999–2000) के आधार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रगति को तालिका कं.–03 एवं ग्राफ में द ार्या गया है–

तालिका कं.– 2.03

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1999–2000) के आधार पर की प्रगति

(रा ा लाख रू. में)

क्र.	क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	प्राथमिक क्षेत्र	894386	1135996	1000714	1286734	1250751	1389799	1477695
2	द्वितीयक क्षेत्र	619249	626471	737852	846353	1001992	1127084	1241556
3	तृतीयक क्षेत्र	1091096	1187636	1210946	1329098	1442392	1553830	1723652
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (लाख रू. में)	**2604731**	**2950103**	**2949512**	**3462185**	**3695135**	**4070713**	**4442903**

(स्त्रोत – आर्थिक सवेक्षण वर्श 2007–08, छत्तीसगढ़ भाासन)

तालिका कं–03 से स्पश्ट होता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है । प्राथमिक क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 8,94,386 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 14,77,695 लाख रू. हो गया है एवं इसमें 65.22 प्रति त की वृद्धि दर्ज की गई । द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू

राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 6,19,249 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 12,41,556 लाख रू. हो गया है एवं इसमें **सर्वाधिक** 100.49 प्रति ात की वृद्धि दर्ज की गई । तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 10,91,096 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 17,23,652 लाख रू. हो गया है एवं इसमे 57.97 प्रति ात वृद्धि दर्ज की गई ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1999–2000) के आधार पर की प्रगति को ग्राफ में निम्नानुसार द ािया गया है –

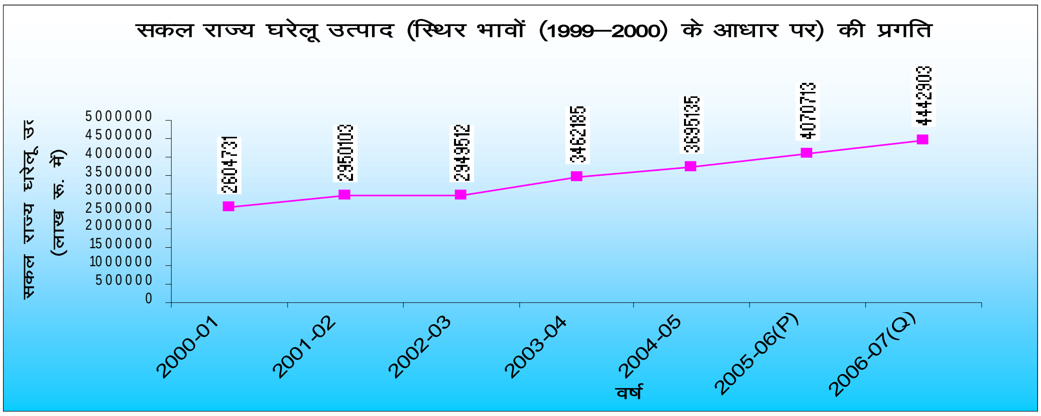

कुल सकल घरेलू राज्य उत्पाद वर्श 2000–01 के 26,04,731 लाख रू. से बढ़कर वर्श 2006–07 में 44,42,903 लाख रू. हो गया है एवं इसमें 70.57 प्रति ात वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य में स्थिर भावों (1999–2000) के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुए संरचनात्मक परिवर्तन को तालिका कं.–04 एवं ग्राफ में द ािया गया है–

तालिका कं.– 2.04

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (1999–2000)के आधार पर क्षेत्रवार प्रतिशत विवरण

क्र.	क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06(P)	2006-07(Q)
1	प्राथमिक क्षेत्र	34.34	38.51	33.93	37.17	33.85	34.14	33.26
2	द्वितीयक क्षेत्र	23.77	21.24	25.02	24.45	27.12	27.69	27.94
3	तृतीयक क्षेत्र	41.89	40.26	41.06	38.39	39.03	38.17	38.80
	सकल राज्य घ रेलू उत्पाद	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

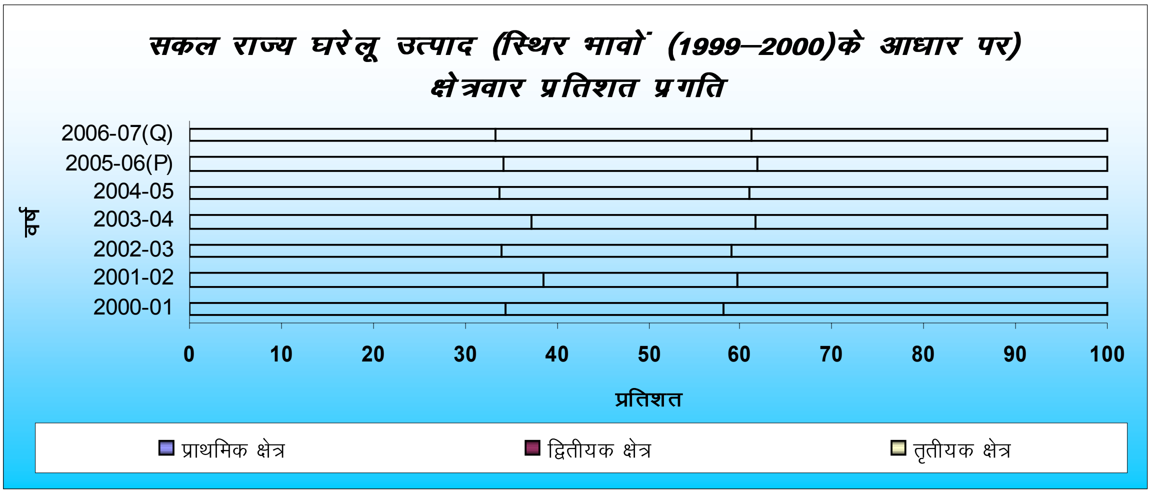

तालिका क्रं–04 एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि जहां प्राथमिक एवं तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति ात योगदान में कमी परिलक्षित हो रही है वहीं द्वितीयक क्षेत्र जो औद्योगिक एवं ऊर्जा उत्पादन का द्योतक है में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

2.2 प्रतिव्यक्ति आय

प्रतिव्यक्ति आय को राज्य के आर्थिक विकास का सापेक्षित मापक माना जाता है। राज्य में प्रतिव्यक्ति आय में हुए परिवर्तन को प्रचलित/स्थिर भावों (1999–2000) के आधार पर तालिका क्रं.–05 एवं ग्राफ में द ार्या गया है–

तालिका क्रं.– 2.05

प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित/स्थिर भावों के आधार पर) की प्रगति

(रा ि ा रू. में)

क्र.	वर्ष	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
		प्रचलित भावों पर	स्थिर भावों पर
1	2000-01	12601	12583
2	2001-02	14311	14115
3	2002-03	15359	13783
4	2003-04	18205	15882
5	2004-05	20402	16570
6	2005-06(P)	22353	17933
7	2006-07(Q)	25680	19233

(स्त्रोत – आर्थिक सवेक्षण वर्श 2007–08, छत्तीसगढ़ भ्ाासन)

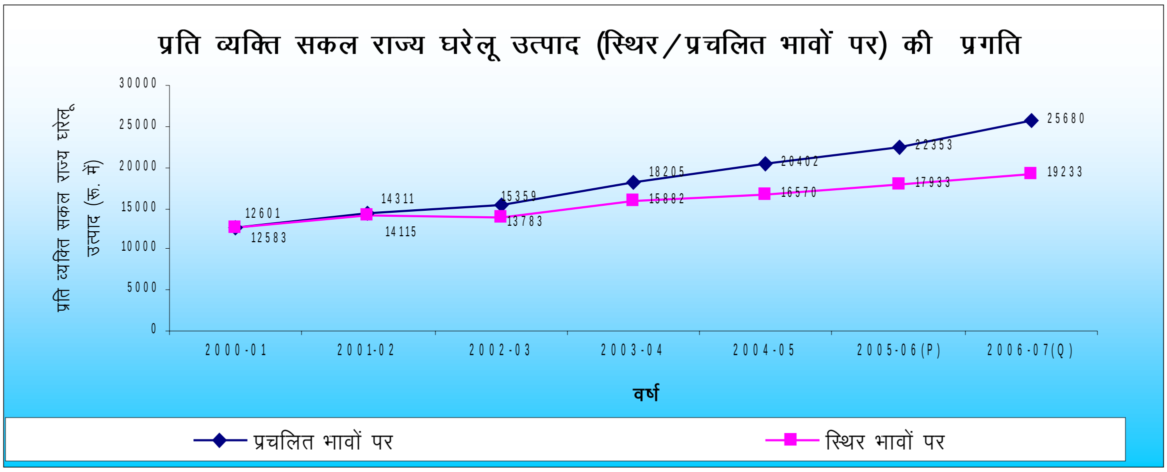

तालिका क्रं–05 एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि प्रचलित भावों के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय 12,601 रू. से बढ़कर 25,680 रू. हो गई है। इस प्रकार प्रचलित भावों के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय में 103.79 प्रति ात वृद्धि दर्ज की गई जबकि स्थिर भावों (1999–2000) के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय 12,583 रू. से बढ़कर 19,233 रू. हो गई है। इस प्रकार स्थिर भावों के आधार पर प्रतिव्यक्ति आय में 52.85 प्रति ात वृद्धि दर्ज की गई ।

2.3 राज्य में वित्तीय संसाधनों का विकास

मध्यप्रदेश के कुछ भू–भागों को पृथक कर नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है, अतः नये राज्य को विरासत के रूप में मध्यप्रदेश की कर संरचना एवं व्यय ढांचा प्राप्त हुआ है ।

राज्य सरकार द्वारा मध्यम अवधि राजकोशीय सुधार कार्यक्रम बनाया गया है तथा केन्द्र सरकार से इस हेतु दिये गये प्रोत्साहन कोष का महत्वपूर्ण राजकोशीयचरों में सुधार कर लाभ लिया गया है । बारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के वित्त की पुनर्रचना का सुझाव दिया गया है तथा वर्श 2009–10 तक उन्हें प्राप्त करने हेतु कतिपय राजकोशीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

- **बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप राज्य में 'छत्तीसगढ़ राजकोशीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम–2005' प्रभावशील है।**
- **राज्य द्वारा वर्श 2007–08 में ''आऊटकम बजट'' तथा वर्श 2008–09 में ''परफार्मेन्स बजट'' प्रस्तुत किया जा चुका है ।**

राज्य के राजकोशीय स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतक हैं – **राजस्व घाटा, राजकोशीय घाटा** एवं **प्राथमिक घाटा** । इन्हीं संकेतकों के आधार पर किसी राज्य के वित्तीय स्थिति का आंकलन किया जाता है।

2.3.1 राजस्व घाटा –

राजस्व घाटे के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति सुखद है राज्य में राजस्व घाटे का स्तर ऊंचा नहीं है शुरूआत के तीन वर्शों में यह 2% से भी कम रहा है तथा तदोपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है। जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र0 – 2.06

(करोड़ रू. में)

वर्ष	राजस्व घाटा/राजस्व आधिक्य
2001-02	-538.42
2002-03	-112.71
2003-04	-641.10
2004-05	145.82
2005-06	1381.35
2006-07	2650.80
2007-08	1801.35
2008-09	1777.54

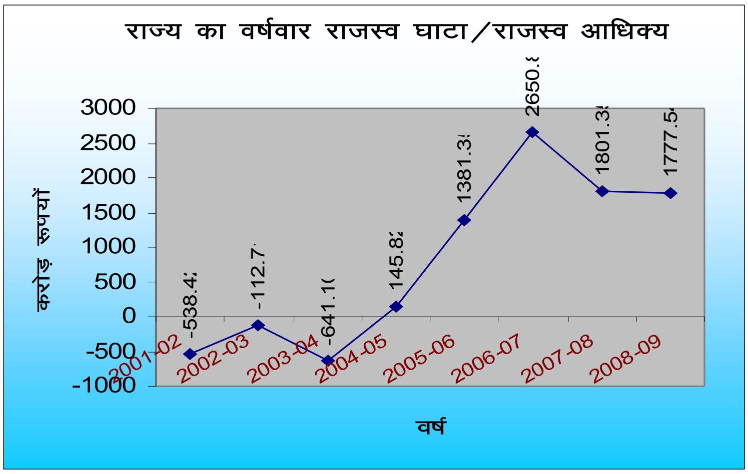

(स्त्रोतः राज्य के बजट पुस्तिका के समंक, वर्श 2007–08 एवं 2008–09 के लिए बजट अनुमान लिए गए है)

2.3.2 राजकोशीय घाटा –

किसी भी राज्य के लिये उच्च राजकोशीय घाटे का औचित्य तभी सिद्ध होता है जब उच्च राजकोशीय घाटे की सीमा तक उत्पादक अस्तियों (Productive Assets)के निर्माण पर विवेकपूर्ण निर्णय किया गया हो, जो अतिरिक्त आय एवं रोजगार का सृजन करे तथा राजकोशीय घाटे की सीमा तक का व्यय विकास के प्रेरक यंत्र के रूप में लाया जा रहा हो । बारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजकोशीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% की सीमा तक वर्श 2009–10 तक सीमित करने के सुझाव दिये गये हैं । राज्य में राजकोशीय घाटे की स्थिति बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर रखने में सफलता प्राप्त की गयी है ।

राज्य का राजकोशीय घाटा वर्शवार निम्नानुसार रहा है –

तालिका क्र0 – 2.07

(करोड़ रू. में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा
2001-02	-1086.46
2002-03	-972.61
2003-04	-2203.63
2004-05	-1231.55
2005-06	-435.11
2006-07	36.77
2007-08	-1566.85
2008-09	-1911.67

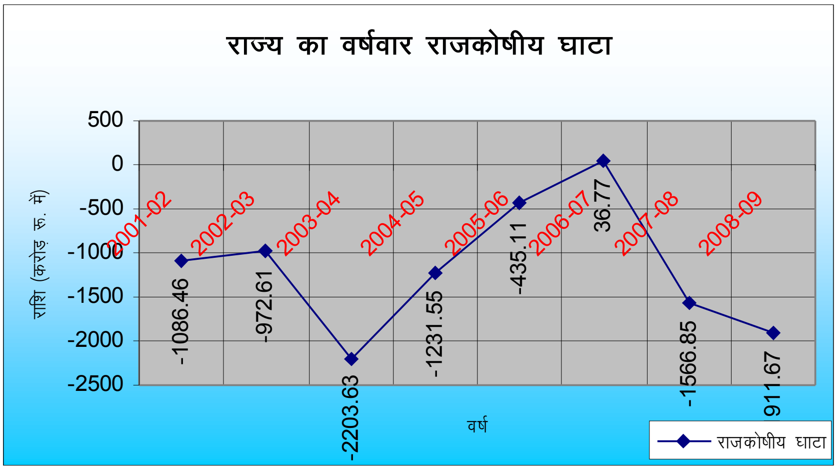

(स्त्रोतः राज्य के बजट पुस्तिका के समंक, वर्श 2007–08 एवं 2008–09 के लिए बजट अनुमान लिए गए है)

2.3.3 प्राथमिक घाटा –

राज्य का प्राथमिक घाटा वर्शवार निम्नानुसार रहा :–

तालिका क्र0 – 2.08

प्राथमिक घाटा

(करोड़ रू. में)

वर्ष	प्राथमिक घाटा
2001-02	-384.45
2002-03	-162.76
2003-04	-1149.83
2004-05	-79.65
2005-06	499.79
2006-07	1062.3
2007-08	-368.22
2008-09	-757.86

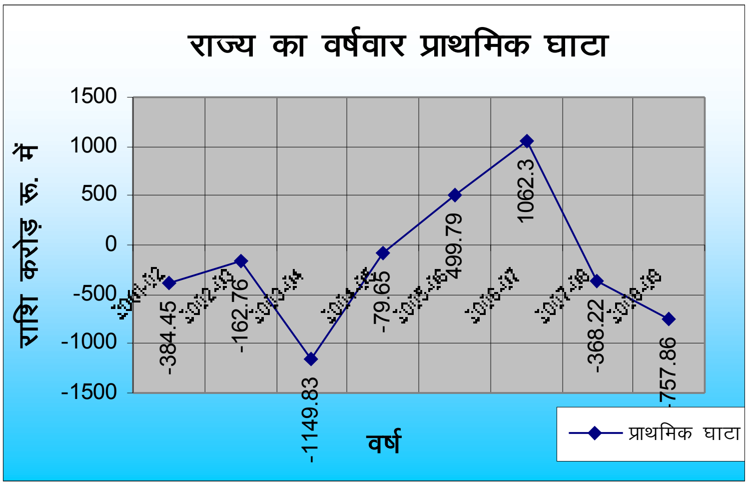

(स्त्रोतः राज्य के बजट पुस्तिका के समंक, वर्श 2007–08 एवं 2008–09 के लिए बजट अनुमान लिए गए है)

राजकोशीय स्वायत्तता के महत्वपूर्ण संकेतांकों में से एक राजकोशीय आत्मनिर्भरता है । राजकोशीय निर्भरता से आशय है कि छत्तीसगढ़ राज्य अपने राजस्व व्यय के वित्त पोशण के लिये स्वयं में संसाधन जुटाने में सक्षम है साथ ही यह राज्य द्वारा प्रदर्शित राजकोशीय अनुशासन के स्तर का द्योतक भी है । छत्तीसगढ़ राज्य उन राज्यों के संवर्ग में आता है जिन्होंने आत्मनिर्भता निर्देशांकों में तथा परिणामस्वरूप अपने राजकोशीय प्रबंधन एवं राजकोशीय अनुशासन में सुधार किया है।

2.3.4 राज्य की राजस्व संरचना –

प्रारम्भ में अस्त–व्यस्त संस्थागत ढांचे के कारण प्रारंम्भिक गतिरोध एवं शिथिलता से उबरने में अधिक समय नहीं गंवाते हुये स्वयं के राजस्व के प्राप्ति में उत्साहजनक वृद्धि की गई है । राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में स्वयं के स्त्रोतों का योगदान निम्नानुसार रहा है –

राज्य के स्वयं का राजस्व कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में (प्रति ात में)

तालिका क्र0 – 2.09

वर्ष	कर राजस्व प्राप्तियॉ	करेत्तर राजस्व	योग
2001-02	45.55	16.51	62.06
2002-03	42.96	17.66	60.62
2003-04	43.43	18.87	62.30
2004-05	44.53	17.16	61.69
2005-06	45.84	13.91	59.75
2006-07	44.05	12.67	56.72
2007-08	44.76	12.94	57.70
2008-09	41.75	11.62	53.37

(स्त्रोतः राज्य के बजट पुस्तिका के समंक, वर्श 2007–08 एवं 2008–09 के लिए बजट अनुमान लिए गए है)

उपरोक्त सारिणी से यह स्पश्ट है कि राज्य के राजस्व प्राप्तियों का लगभग 60 प्रति ात राजस्व राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त की जाती है तथा लगभग 25–26 प्रति ात केन्द्रीय करों के अं ा के रूप में तथा 14–15 प्रति ात केन्द्र से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होता है।

राज्य के स्वयं का कर राजस्व वर्श 2001–02 में रू. 1993.14 करोड़ तथा कर भिन्न राजस्व रू. 722.38 करोड़ कुल रू. 2715.52 करोड़ था जो वर्श 2008–09 में बढ़कर क्रम ाः रू. 6537.82 करोड़, रू. 1819.38 करोड़ तथा कुल रू. 8357.20 करोड़ अनुमानित किया गया है । राज्य निर्माण के प चात राज्य के स्वयं के राजस्व में दो गुने से अधिक वृद्धि हुई है जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र0 –2.10

राज्य के स्वंय की राजस्व प्राप्तियॉं

(राशि – करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियॉं
2001-02	2715.52
2002-03	3284.00
2003-04	3712.66
2004-05	4471.80
2005-06	5281.56
2006-07	6497.06
2007-08	7771.89
2008-09	8357.20

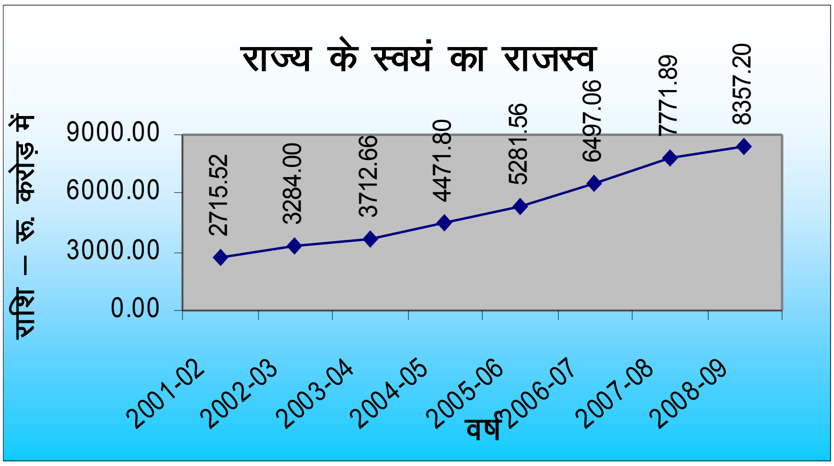

(स्त्रोतः राज्य के बजट पुस्तिका के समंक, वर्श 2007–08 एवं 2008–09 के लिए बजट अनुमान लिए गए है)

2.3.5 राज्य में बजट प्रावधान –

राज्य निर्माण के समय कुल बजट प्रावधान रूपये 5704.51 करोड़ था जिसमें आयोजनेत्तर मद में रू. 4172. 70 करोड़ तथा आयोजना मद में रू. 1531.81 करोड़ का प्रावधान था जो 74:26 के अनुपात में था । विगत आठ वर्शों में राज्य का बजट प्रावधान तीन गुना से अधिक हो गया है जिसमें आयोजनेत्तर मद में मात्र 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि आयोजना मद में 5.6 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्श 2008–09 के लिये कुल बजट प्रावधान रू. 18285.80 करोड़ है जिसमें आयोजनेत्तर रू. 8131.29 करोड़ तथा आयोजना मद में रू. 10154.51 करोड़ का प्रावधान है जो 45:55 के अनुपात में है। यह निर्विवाद रूप से विकासोन्मुख बजट का द्योतक है ।

वर्शवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है –

तालिका क्र0 – 2.11

(करोड़ रू. में)

वर्ष	आयोजनेत्तर	आयोजना	कुल बजट प्रावधान
2001-02	4172.70	1531.81	5704.51
2002-03	4482.05	2376.47	6858.52
2003-04	4922.55	*4346.95	9269.50
2004-05	5653.76	3714.67	9368.43
2005-06	5928.07	4289.87	10217.94
2006-07	6739.81	5569.99	12309.80
2007-08	7669.04	7840.62	15509.66
2008-09	8131.29	10154.51	18285.80

* वर्श 2003–04 के आयोजना में भारत सरकार द्वारा केन्द्र से राज्य की एजेंसियों को दिये जाने वाली रा ि ा बजट के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया था । जिसके कारण आयोजना प्रावधान में अप्रत्या ि ात वृद्धि परिलक्षित हो रही है ।

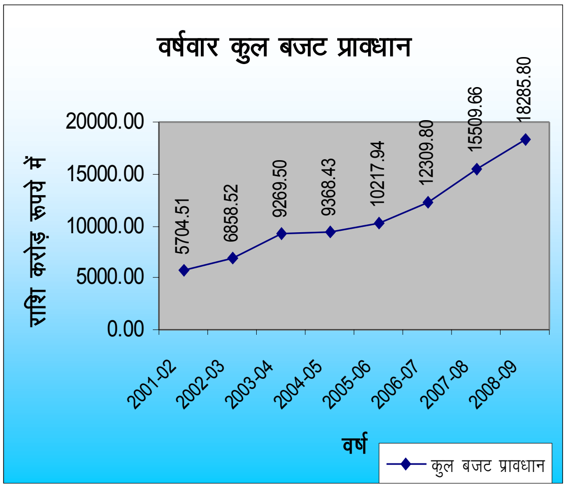

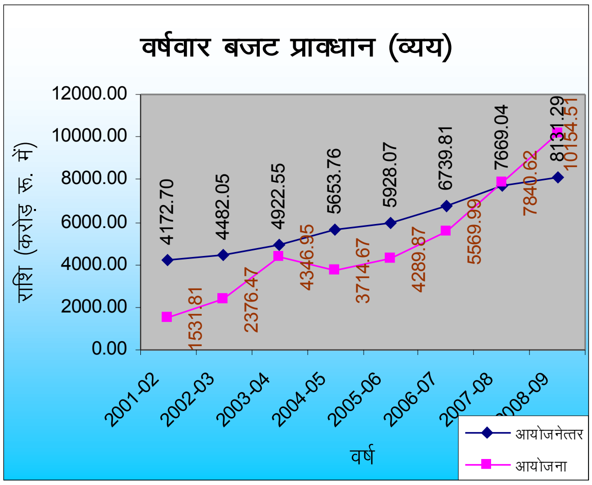

(स्त्रोतः राज्य के बजट अनुमान की पुस्तिका)

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003–04 के उपरांत भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से राज्य के विभाग अथवा विभागीय एजेंसियों को मिलने वाली ऑफ बजट की राि ा उपरोक्त सारिणी में सम्मिलित नहीं की गई है । ऑफ बजट की राि ा को आयोजना प्रावधान में भाामिल करने पर वर्श 2007–08 तथा वर्श 2008–09 में कुल आयोजना प्रावधान क्रम ाः रू. 11858.84 करोड़ तथा रू. 15415.85 करोड़ रहा ।

2.3.6 राज्य आयोजना –

राज्य निर्माण के उपरान्त राज्य की प्रथम प्रस्तावित वार्शिक राज्य आयोजना लगभग रूपये 1312.27 करोड़ की थी, जो सात गुना से अधिक बढ़कर वर्श 2008–09 में रूपये 9600.00 करोड़ (अनुमोदित) हो गई है इससे स्पश्ट है कि राज्य द्वारा अपने विकास के कार्यों पर अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयास किया गया है जो कि एक सुखद स्थिति है । राज्य का वर्श 2001–02 की प्रस्तावित वार्शिक राज्य आयोजना तथा वर्शवार अनुमोदित वार्शिक राज्य आयोजना निम्नानुसार है –

तालिका क्र0 – 2.12

(राि ा – लाख रू. में)

वर्ष	अनुमोदित राज्य आयोजना
2001-02	131227.00
2002-03	175700.00
2003-04	233600.00
2004-05	332246.00
2005-06	427500.00
2006-07	537806.00
2007-08	741372.00
2008-09	960000.00

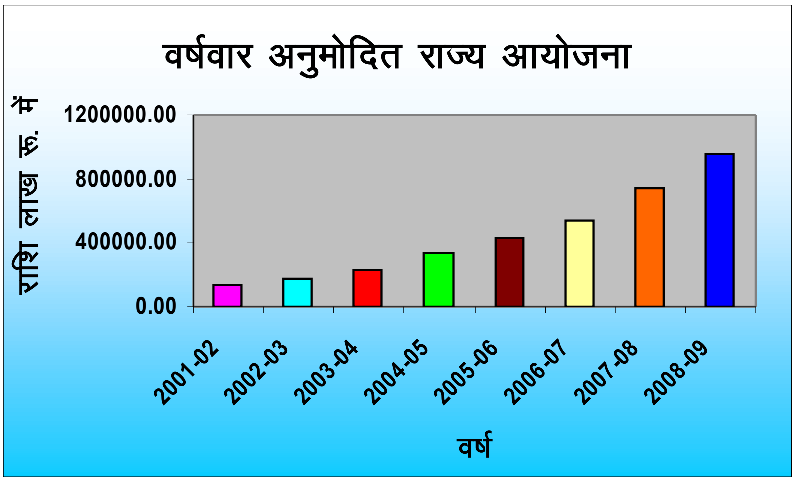

जनसंख्या के अनुपात से अधिक राशि अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र योजना एवं अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना में प्रावधानित की जाती रही है वर्तमान में आदिवासी मंत्रणा समिति की अनुशंसा के अनुरूप राज्य के आयोजना का कम से कम 38% अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र योजना के लिये तथा 12% अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना के लिये किया जा रहा है ।

2.3.7 राज्य में सार्वजनिक व्यय की सामान्य प्रवृत्तियां –

- कुल राजस्व व्यय के ⅓ व्यय सामान्य सेवाओं पर होता है ।
- सामाजिक सेवाओं पर होने वाला व्यय औसतन लगभग 40% रहा है ।
- कुल राजस्व व्यय का लगभग ¼ भाग आर्थिक सेवाओं पर किया जाता रहा है ।
- भारत के अधिकांश राज्यों में जहां राजस्व व्यय की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिये पूंजीगत व्यय में कमी की गई है तथा राजस्व घाटा एवं राजकोशीय घाटा में वृद्धि हुई है, वहीं

छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त का यह सुखद पहलू रहा है कि उसके पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि हुई है तथा वर्श 2001–02 में जहां यह रू. 575.94 करोड़ था वहीं वर्श 2008–09 में बढ़कर रू. 3903.46 करोड़ हो गया है जो लगभग 7 गुना है ।

2.3.8 सार्वजनिक ऋण –

सार्वजनिक ऋण वित्त का एक प्रमुख स्त्रोत है तथा सार्वजनिक ऋण नीति राजकोशीय नीति का एक प्रमुख उपकरण है ।

सार्वजनिक ऋण के दो प्रमुख संकेतक है

1. ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात
2. ब्याज भुगतान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में ।

2.3.8.1 ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात –

राज्य का सकल ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्शवार निम्नानुसार रहा है :–

वर्श	**छत्तीसगढ़**	**गैर–वि ोश श्रेणी राज्यों का औसत**
2000–01	22.01	28.96
2001–02	21.66	31.54
2002–03	25.46	34.21

(स्त्रोतः बाहरवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन से प्राप्त समंक)

उपरोक्त सारिणी से स्पश्ट है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य का लोक ऋण अन्य गैर–वि ोश श्रेणी राज्यों की तुलना में काफी संतोशजनक है । वर्तमान में मार्च 2008 की स्थिति में राज्य की कुल देयता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 18 प्रति ात है ।

2.3.8.2 ब्याज भुगतान राज्य की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में –

राज्य के **कुल राजस्व प्राप्तियों** की तुलना में राज्य का ब्याज भुगतान वर्शवार निम्नानुसार रहा है –

तालिका क्र0 – 2.13

राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति के तुलना में ब्याज भुगतान

वर्ष	प्रतिशत
2001-02	16.04
2002-03	14.95
2003-04	17.68
2004-05	15.89
2005-06	10.57
2006-07	8.95
2007-08	8.90
2008-09	7.37

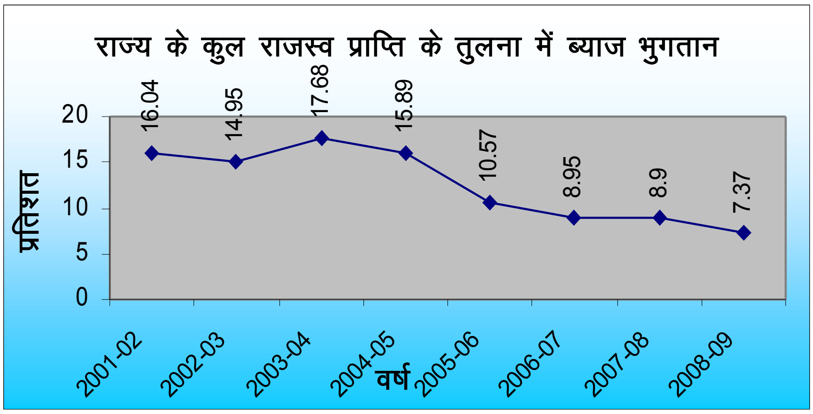

(स्त्रोतः राज्य के बजट पुस्तिका के समंक, वर्श 2007–08 एवं 2008–09 के लिए बजट अनुमान लिए गए है)

उपरोक्त सारिणी से यह स्पश्ट हो रहा है कि कुल राजस्व प्राप्ति के तुलना में ब्याज भुगतान अधिकतम 17.68 प्रति ात रहा है जो निरंतर कम होकर वर्श 2008–09 में 7.37 प्रति ात रह गया है।

राज्य के **स्वयं के राजस्व प्राप्तियों** की तुलना में ब्याज भुगतान वर्शवार निम्नानुसार रहा है –

तालिका क्र0 – 2.14

राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्ति के तुलना में ब्याज भुगतान

वर्ष	प्रतिशत
2001-02	25.85
2002-03	24.66
2003-04	28.38
2004-05	25.76
2005-06	17.70
2006-07	15.78
2007-08	15.42
2008-09	13.81

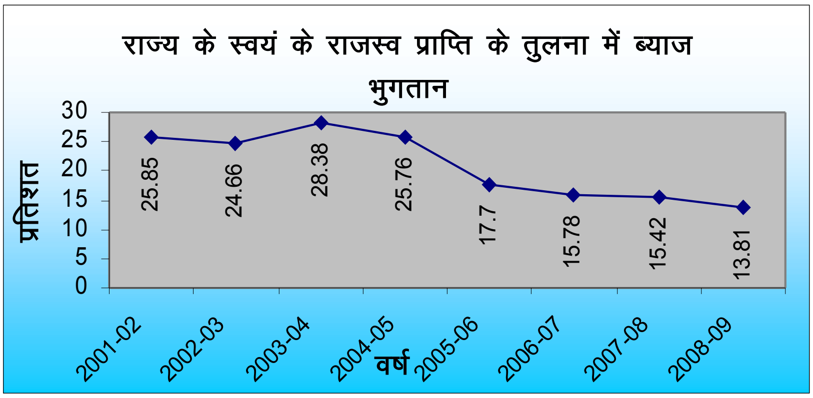

(स्त्रोतः राज्य के बजट पुस्तिका के समंक, वर्श 2007–08 एवं 2008–09 के लिए बजट अनुमान लिए गए है)

उपरोक्त सारिणी से यह स्पश्ट हो रहा है कि राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्ति के तुलना में ब्याज भुगतान अधिकतम 28.38 प्रति ात रहा है, जो निरंतर कम होकर वर्श 2008–09 में 13.81 प्रति ात रह गया है।

राज्य सरकार के ऋणों की यह एक संतोशजनक विशेशता है कि **राज्य सरकार अपनी चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कभी भी ओव्हर ड्राफ्ट अथवा अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भर नहीं रही है** । कुल मिलाकर सार्वजनिक ऋण के संबंध में राज्य सरकार की स्थिति काफी सुखद एवं धारक्षम है ।

2.3.9 राज्य में वित्त आयोगों की अनुशंसा –

संविधान में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप राज्य में स्थानीय निकायों को साधनों के हस्तांतरण के लिए राज्य वित्त आयोग एवं राज्य को केन्द्रीय साधनों के हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग की अनु ंसाएँ लागू है।

2.3.9.1 राज्य वित्त आयोग –

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों के अधिनियमन के उपरान्त राज्य से स्थानीय निकायों को साधनों के हस्तानान्तरण के लिये संवैधानिक व्यवस्था की गई है । जिसके तहत राज्य में श्री वीरेन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था, राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा राज्य शासन को सौंप दी गई है जिस पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाना शेश है ।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में मान्य राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य के स्वयं के सकल कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व प्राप्ति का 2.91 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को एवं 0.514 प्रतिशत नगरीय निकायों को हस्तान्तरित किया जा रहा है ।

2.3.9.2 बारहवां वित्त आयोग –

छत्तीसगढ़ राज्य के लिये बारहवें वित्त आयोग ने अधिनिर्णय अवधि (वर्श 2005–06 से वर्श 2009–10) के लिये केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी एवं विशिश्ट सहायता अनुदान के रूप में निम्नानुसार (तालिका क्र0 –) हस्तांतरण की अनुशंसा की है ।

राज्य को दो विशेश अनुदान मान्य किये गये हैं –

1. राज्य की राजधानी रायपुर के विकास के लिये 200.00 करोड़ रूपये।
2. राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण एवं पुलिस अधोसंरचना के लिये रूपये 100.00 करोड़ ।

तालिका क्र0 – 2.15

छत्तीसगढ़ राज्य के लिये सहायता अनुदान

(करोड़ रू. में)

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी	**16285.76**
गैर–योजना राजस्व घाटा	निरंक
सड़कों एवं पुलों का रख–रखाव	262.40
भवनों का रख–रखाव	183.09
वनों का रख–रखाव	85.00
पुरा सम्पदा संरक्षण	10.00
राज्य विशेश अनुदान	300.00
स्थानीय निकाय	**703.00**
आपदा सहायता	444.45
कुल सहायता अनुदान	1987.94
कुल हस्तांतरण	**18273.70**

(स्त्रोतः बाहरवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन पृश्ठ 197)

बारहवें वित्त आयोग की अनु ांसा के आधार पर अधिनियमित छत्तीसगढ़ राजकोशीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 में निहित लक्ष्यों के संबंध में राज्य की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :–

1. वर्श 2005–06 में राज्य का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रति ात था जिसे वर्श 2008–09 के बजट अनुमान में 3 प्रति ात तक सीमित किया गया है ।
2. राज्य में वर्श 2006–07 से राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्श 2008–09 के लिए राजस्व अधि ोश सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.54 प्रति ात अनुमानित किया गया है।
3. वर्श 2008–09 के प्रारंभ में कुल देयतायें सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18 प्रति ात अनुमानित किया गया है।
4. वर्श 2008–09 के प्रारंभ में राज्य सरकार के अन्य आकस्मिक दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का 1.76 प्रति ात अनुमानित किया गया है।

उपरोक्त विवरण राज्य के सुदृढ़ वित्तीय संरचना का द्योतक है तथा राज्य में राजस्व प्राप्ति, राजस्व एवं राजकोशीय घाटे की स्थिति तथा राज्य के सार्वजनिक ऋण की स्थिति सुखद एवं संतोशजनक है।

2.4 राज्य में बैंकिंग का विकास

कृशि उद्योग एवं व्यापारिक विकास के वित्तीय आव यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकिंग साख (ऋण) का महत्वपूर्ण स्थान है । साथ ही बैंकिंग का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गैर संस्थागत एजेन्सियों के भोशण से कृशकों की संरक्षा के लिए आव यक है ।

मार्च 2008 की स्थिति में बैंको की कुल संख्या 62 (44+18) है, जिनकी 1416 भााखाएं पूरे राज्य में संचालित है । राज्य में विभिन्न बैंको एवम् उनकी भााखाओं की स्थिति (31 मार्च 2008 की स्थिति में) निम्नानुसार है :–

तालिका कं.– 2.16

संस्थाएँ	बैंको की संख्या	भााखाओं की संख्या	ग्रामीण	अर्धनगरीय
वाणिज्यिक बैंक	35	704	297	160
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	421	351	57
राज्य सहकारी बैंक / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	1+6	198	142	20
एस.सी.ए.आर.डी.बी. / डी. सी.ए.आर.डी.बी.एस	1+12	83	–	71
नगरीय सहकारी बैंक	4	10	–	–
कुल	**44+18**	**1416**	**790**	**308**

(स्त्रोत – नाबार्ड)

- प्रति भााखा सेवित औसत जनसंख्या 14,954 है । राज्य में और अधिक बैंक भााखाओं के लिए अवसर है।
- प्रति व्यक्ति डिपॉजिट लगभग रू. 14,226 है ।
- प्रति व्यक्ति–साख रू. 8,514 है ।

2.4.1 केन्द्रीय सहकारी बैंक :–

एक राज्य सहकारी बैंक तथा 06 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक संचालित है, जिनकी कुल 198 भााखाएं कार्यरत है, इनमें से 142 ग्रामीण एवं 20 अर्धनगरीय क्षेत्र में कार्यरत है ।

2.4.2 प्राथमिक सहकारी कृशि साख समितियॉ (PACS/LAMPS) : प्राथमिक सहकारी कृशि साख समितियों की कुल संख्या 1333 है । वर्श 2006–07 की स्थिति में इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 20.99 लाख थी, जिसमें से 3.01 लाख अनुसूचित जाति के तथा 6.38 लाख अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे ।

2.4.3 राज्य के बैंकिंग कार्यो की प्रगति –

सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बैंकिंग कार्यो की प्रगति का आकलन निम्नानुसार संकेतकों के राश्ट्रीय मापदंडों के आधार पर किया जाता है ।

- साख–जमा अनुपात
- कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम का प्रति ात
- कुल साख में से कृशि क्षेत्र में अग्रिम का प्रति ात
- कुल उद्योगों को अग्रिम
- कुल साख में से कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम का प्रति ात
- कुल जमा के विरूद्ध कुल साख का धनवेश्ठन का अनुपात

बैंकिंग कार्यो के विभिन्न संकेतांको की स्थिति (31 मार्च 2008 की स्थिति में निम्नानुसार रही :–

तालिका कं.– 2.17

विवरण	राष्ट्रीय मापदण्ड	उपलब्धि (31.03.2008)
साख–जमा अनुपात	60 %	60.41 %
कुल साख में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम का प्रति ात	40 %	46.72 %
कुल साख में से कृशि क्षेत्र में अग्रिम का प्रति ात	18 %	20.23 %
कुल साख में से कमजोर वर्गो के लिए अग्रिम का प्रति ात	10 %	10.47 %
कुल साख में से महिलाओं के लिए अग्रिम का प्रति ात	5 %	5.18 %
कुल जमा के विरूद्ध कुल साख का धनवेश्ठन का अनुपात	**60 %**	**66.63%**

(स्त्रोत – नाबार्ड)

2.4.4 साख जमा अनुपात –

साख जमा अनुपात की स्थिति में निरंतर सुधार दृश्टिगोचर हुआ है। वर्शवार साख जमा अनुपात की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका कं.– 2.18

प्रतिशत में

वर्श	राष्ट्रीय मापदण्ड	छ.ग. साख जमा अनुपात
2001-02	60.00	51.85
2002-03	60.00	54.40
2003-04	60.00	58.89
2005-06	60.00	57.52
2006-07	60.00	59.33
2007-08	60.00	60.41

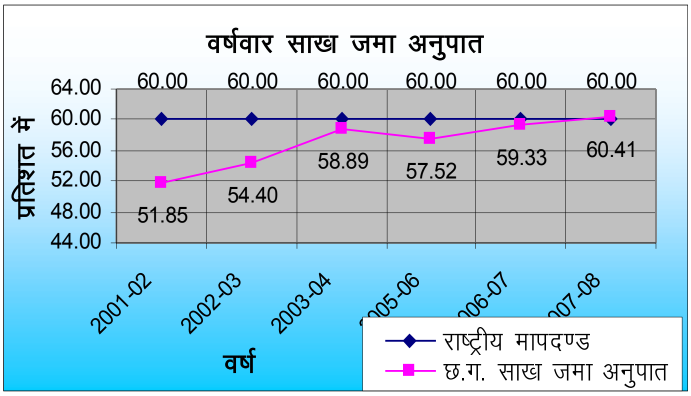

(स्त्रोत – नाबार्ड)

2.4.4.1 कुल साख में प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम –

कुल साख के विरूद्ध प्राथमिक क्षेत्रों में दिये गये अग्रिम में वर्श 2002–03 से निरंतर सुधार दृश्टिगोचर हुआ है तथा यह राष्ट्रीय मापदण्ड से अधिक है। वर्शवार कुल साख के विरूद्ध प्राथमिक क्षेत्रों में दिये गये अग्रिम के प्रति ात की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका कं.– 2.19

प्रतिशत में

वर्श	राष्ट्रीय मापदण्ड	छ.ग. में प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम
2001-02	40.00	55.59
2002-03	40.00	38.18
2003-04	40.00	32.69
2005-06	40.00	39.44
2006-07	40.00	45.95
2007-08	40.00	46.72

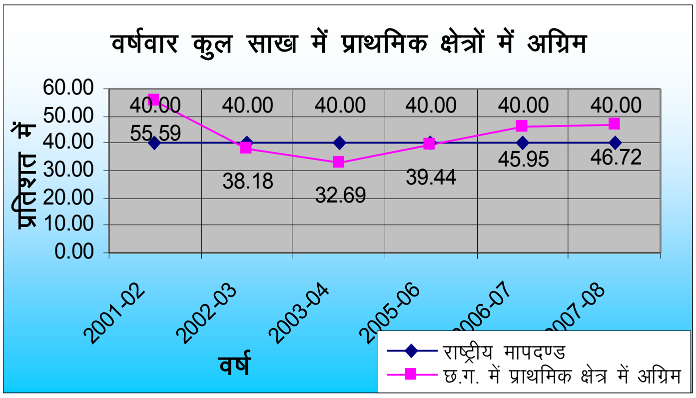

(स्त्रोत – नाबार्ड)

2.4.4.2 कुल साख में कृशि क्षेत्रों में अग्रिम –

कुल साख के विरूद्ध कृशि क्षेत्रों में दिये गये अग्रिम में वर्श 2003–04 से निरंतर सुधार दृश्टिगोचर हुआ है तथा यह राश्ट्रीय मापदण्ड से अधिक है। वर्शवार कुल साख के विरूद्ध कृशि क्षेत्रों में दिये गये अग्रिम के प्रति ात की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका कं.– 2.20

प्रतिशत में

वर्श	राश्ट्रीय मापदण्ड	छ.ग. में कृषि क्षेत्र में अग्रिम
2001-02	18.00	24.01
2002-03	18.00	17.10
2003-04	18.00	13.88
2005-06	18.00	15.57
2006-07	18.00	20.71
2007-08	18.00	20.23

(स्त्रोत – नाबार्ड)

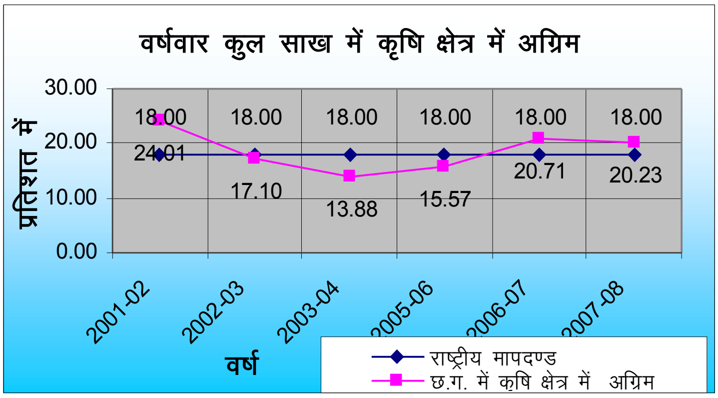

2.4.4.3 कुल साख में कमजोर वर्गों को अग्रिम –

कुल साख के विरूद्ध कमजोर वर्गों को दिये गये अग्रिम में वर्श 2001–02 की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है परंतु यह राश्ट्रीय मापदण्डों से अधिक है। साख के क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता लघु एवं सीमांत किसानों के साथ कमजोर वर्ग को दिया जाना चाहिए। वर्शवार कुल साख के विरूद्ध कमजोर वर्गों को दिये गये अग्रिम के प्रति ात की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका कं.– 2.21

प्रतिशत में

वर्श	राश्ट्रीय मापदण्ड	छ.ग. में कमजोर वर्गों को अग्रिम
2001-02	10.00	14.05
2002-03	10.00	10.15
2003-04	10.00	9.53
2005-06	10.00	10.68
2006-07	10.00	11.52
2007-08	10.00	10.47

(स्त्रोत – नाबार्ड)

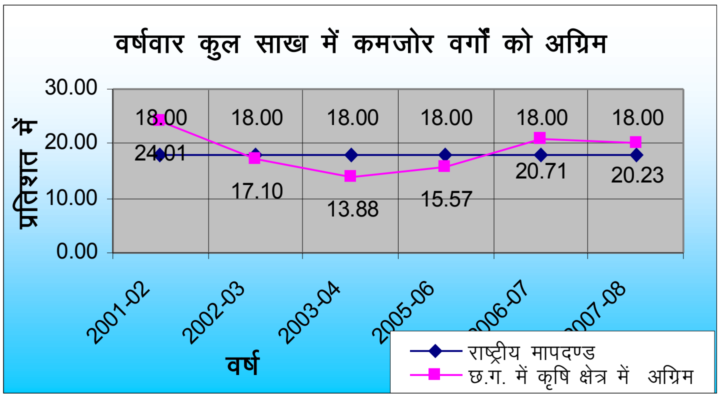

2.4.5 सूक्ष्म ऋण साख योजना (Micro credit)

स्व सहायता समूह ग्रामीण निर्धन परिवार की महिलाओं को सामूहिक तरीके से सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर उनकी समस्याओं की पहचान अग्राधिकार एवं समस्याओं के समाधान में बैंकों की सहायता से मदद कर रहे है । राज्य में 31 मार्च 2008 तक 80,416 स्वसहायता समूहों के खाते बैंकों में खुले है, जिनमें से 60,153 समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराये गये है । स्व सहायता समूहों के अंतर्गत रू. 133.21 करोड के बैंक के जोड़ने एवं ऋण उपलब्धता वर्शवार निम्नानुसार है :–

तालिका क्रं.– 2.22

राि ा – करोड़ में

वर्श	स्व सहायता समूह	ऋण
2001–02	3763	2.31
2002–03	6773	5.46
2003–04	9806	7.98
2004–05	18642	17.27
2005–06	31394	33.85
2006–07	41094	53.38
2007–08	60153	133.21

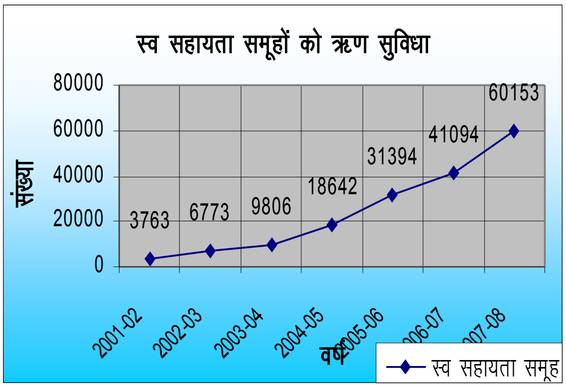

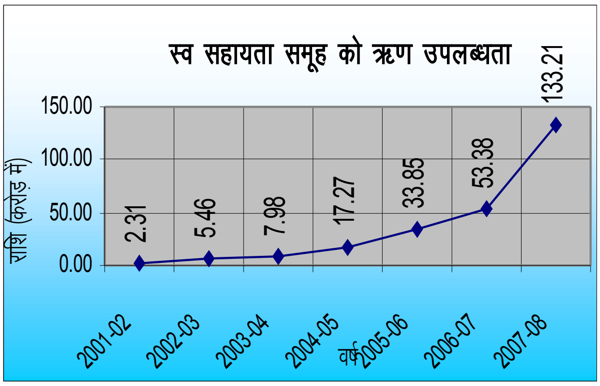

(स्त्रोत – नाबार्ड)

2.4.6 किसान क्रेडिट कार्ड

कृशकों की वित्तीय आव यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा वाणिज्यिक बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमित किये जाते है । राज्य में 31 मार्च 2008 की स्थिति में निम्नानुसार 13,48,814 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमित किये गये जिसकी ऋण सीमा रू. 3530.49 करोड़ थी।

तालिका क्रं.– 2.23

किसान क्रेडिट कार्ड

(राि ा करोड़ में)

एजेंसी	कार्डो की संख्या	ऋण सीमा
कमर्शियल बैंक	204008	580.74
सहकारी बैंक	956276	2615.51
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	188529	334.24

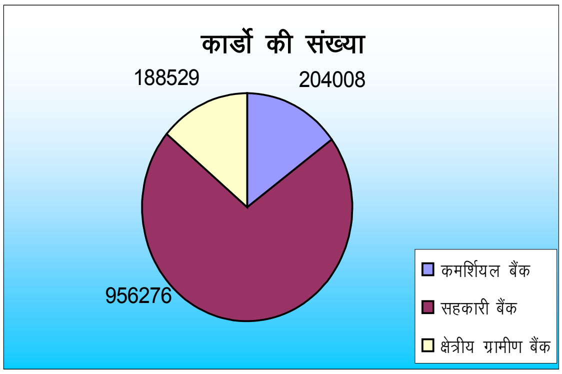

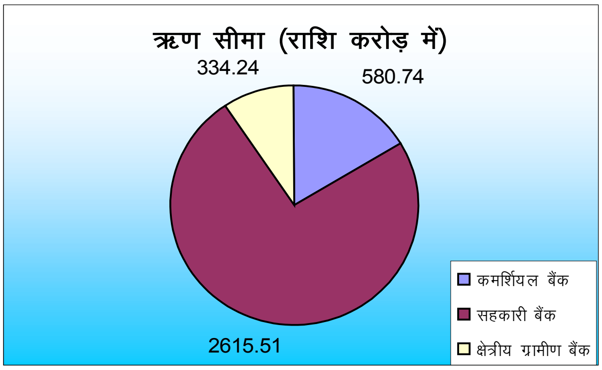

(स्त्रोत – नाबार्ड)

2.4.7 कृशि क्षेत्रों में ऋण साख प्रवाह (Credit Flow) – कृशि के क्षेत्र में ऋण साख का प्रवाह विगत तीन वर्शों में वर्श 2003–04 की स्थिति की तुलना में दुगुना से अधिक हो गया है। कृशि क्षेत्र में अग्रिमों की वर्शवार स्थिति निम्नानुसार रही है :–

तालिका कं.– 2.24

(राि ा करोड़ में)

संस्थाएँ	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
वाणिज्यिक बैंक	151.49	318.67	460.68	586.12	1135.53
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	73.64	132.85	196.92	215.79	247.04
राज्य सहकारी बैंक / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	235.20	359.00	363.58	454.66	595.50
एस.सी.ए.आर.डी.बी. / डी.सी.ए.आर. डी.बी.एस	34.79	38.94	39.16	7.11	17.70
कुल	**495.12**	**849.46**	**1060.34**	**1263.68**	**1994.77**

कृशि क्षेत्रों में ऋण साख प्रवाह

(राि ा करोड़ में)

वर्श	कुल ऋण साख प्रवाह
2003-04	495.12
2004-05	849.46
2005-06	1060.34
2006-07	1263.68
2007-08	1994.77

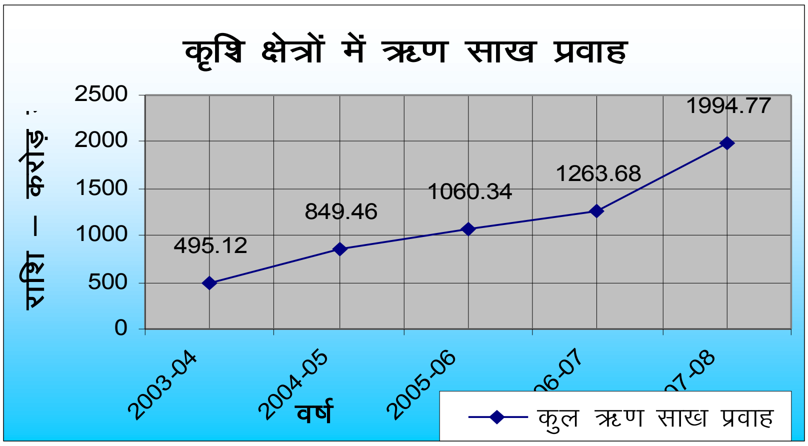

(स्त्रोत – नाबार्ड)

2.4.8 राश्ट्रीय कृशि एवं ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) एक ि ाखर बैंक है, जो कृशि और ग्रामीण विकास के लिए बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा कृशि क्षेत्र में सहकारी एवं ग्रामीण बैंको के माध्यम से साख की आपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है । छत्तीसगढ़ में नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में 16 जुलाई 2001 से संचालित है ।

- कृशि एवं सम्बद्ध सेवाओं के धनवेश्ठन की योजनाओं हेतु विभिन्न बैकों द्वारा दिये गये ऋण के विरूद्ध वर्श 2007–08 में रू. 89.43 करोड़ का पुनर्वितपोशण किया गया।

तालिका कं.– 2.25

संस्थाएँ	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
वाणिज्यिक बैंक	12.73	11.89	9.84	22.14	165.29	69.55	67.77
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12.87	5.47	4.96	16.89	11.02	-	6.74
राज्य सहकारी बैंक / जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	4.95	7.13	5.37	8.14	0.07	-	-
एस.सी.ए.आर.डी.बी. / डी.सी.ए.आर.डी.बी.एस	30.04	40.00	40.28	32.60	23.81	15.73	14.92
कुल	**60.59**	**64.49**	**60.45**	**79.77**	**200.19**	**85.28**	**89.43**

(स्त्रोत – नाबार्ड)

- नाबार्ड द्वारा वर्श 2007–08 में भारत सरकार की प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत रू. 5.38 करोड़ की सब्सीडी उपलब्ध करायी गयी जिससे 70 ग्रामीण गोदाम, 48 बाजार अद्योसंरचना तथा एक–एक कोल्ड स्टोरेज, डेयरी इकाई वर्मी कल्याण स्थापित किया गया।
- नाबार्ड द्वारा कृशकों को दिये जाने वाले ऋण के लिए सहकारी एवं ग्रामीण बैंको को रू. 186.22 करोड़ का पुनर्वितपोशण वितरित किया गया।

तालिका क्रं.— 2.26

वर्श	राज्य सहकारी बैंक/ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	स्वीकृत साख सीमा	उपयोग किया गया साख	स्वीकृत साख सीमा	उपयोग किया गया साख
2001—02	78.55	78.55	7.04	2.80
2002—03	43.47	29.22	3.78	3.41
2003—04	72.92	-	1.25	1.25
2004—05	90.00	30.00	18.31	3.32
2005—06	72.14	50.00	22.60	22.60
2006—07	104.00	79.76	14.23	14.23
2007—08	158.86	157.09	29.13	29.13

(स्त्रोत – नाबार्ड)

- वर्श 2006—07 से कृशक फसल ऋण पर 2 प्रति ात ब्याज की दर से राहत दी गयी, जिस पर रू. 7.68 करोड़ का भार आया।
- स्वसहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न बैंको एवं संस्थाओं को मार्च 2008 तक रू. 159.23 लाख का अनुदान दिया गया।
- विगत दो वर्शों में 82 उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 231 स्वसहायता समूहों के 2677 सदस्यों को प्रि ाक्षण दिया गया।
- कांकेर एवं बस्तर के 10 ग्रामों में ''अन्तबैंक'' स्थापित किये गये।
- विभिन्न बैंको के अंतर्गत 31 मार्च 2008 तक 460 कृशक क्लब स्थापित किये गये।
- नाबार्ड द्वारा विभिन्न बैंको की सहायता से विभिन्न कोशों की सहयोग से वाटर ोड विकास, आदिमजाति विकास, ग्रामीण विकास योजना, पिछड़े विकासखण्डों का एकीकृत विकास, क्षमता विकास इत्यादि चलाये जा रहे हैं।
- नाबार्ड की कन्सलटेन्सी सर्विसेज के अंतर्गत राज्य भाासन, जिला पंचायत, बैंक एवं उद्यमियों के लिए 32 कन्सलटेन्सी कार्य पूर्ण किये गये।
- अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (STCCS) के सुधार पैकेज हेतु राज्य भाासन, भारत सरकार एवं नाबार्ड के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये, जिससे सहकारी बैंको का सुदृढ़ीकरण होगा तथा किसानों के ऋण की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा।

ध्याय 3 – कृशि एवं खाद्यान्न

3.1 कृशि

छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर में से 47.64 लाख हेक्टेयर निरा फसल क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 35 प्रति त है । फसल क्षेत्र का 36 प्रति त अर्थात 17.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र द्विफसली है। द्विफसली क्षेत्र मिला लिये जाने पर कुल फसल क्षेत्र बढ़ कर 64.83 लाख हेक्टेयर हो जाता है ।

प्रदे I में कुल 32,55,062 कृशक परिवार है जिनमें से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या क्रम I: 10,57,493 और 4,05,668 है। कुल कृशक परिवारों में से 54 प्रति त सीमान्त कृशक, 22 प्रति त लघु कृशक और 24 प्रति त बड़े कृशक है ।

एक नवंबर 2000 को राज्य निर्माण के बाद से सभी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । अनाज के क्षेत्र में कमी परन्तु उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

3.1.1 फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन

3.1.1.1 अनाज

2000–01 में 42.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 26.26 लाख मी. टन अनाज उत्पादन की तुलना में 2007– 08 में 41.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 68.09 लाख मी. टन अनाज का उत्पादन हुआ है। अनाज क्षेत्र में कमी वस्तुतः दलहन, तिलहन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी के कारण परिलक्षित हो रही है।

तालिका क्र. – 3.01
अनाज के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क्र.	वर्श	अनाज क्षेत्र (लाख हेक्टे.)	अनाज उत्पादन (लाख मी. टन)
1	2000– 01	4253	2626
2	2001– 02	4254	5261
3	2002– 03	4207	3216
4	2003– 04	4245	6318
5	2004– 05	4312	5171
6	2005– 06	4281	5965
7	2006– 07	4183	5920
8	2007– 08	4178	6809

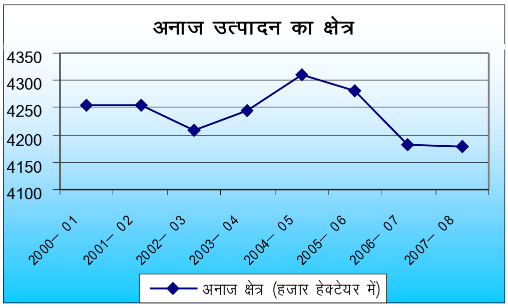

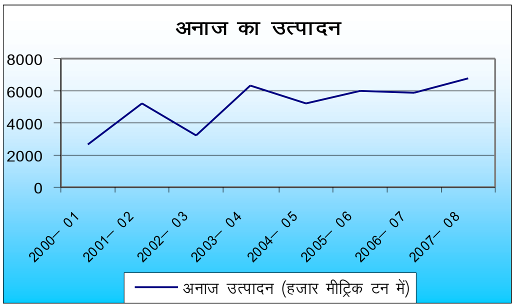

राज्य निर्माण के समय जहां 6.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में केवल 2.70 लाख मी. टन दालों का उत्पादन था, जो 2007–08 में बढ़कर 13.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 9.89 लाख मी. टन हो गया है ।

दलहन का क्षेत्र तथा उत्पादन

क्र.	वर्श	दलहन क्षेत्र (हजार हे. में)	दलहन उत्पादन (हजार मी. टन)
1	2000– 01	683	270
2	2001– 02	870	445
3	2002– 03	794	625
4	2003– 04	959	920
5	2004– 05	976	602
6	2005– 06	681	691
7	2006– 07	1295	663
8	2007– 08	1380	989

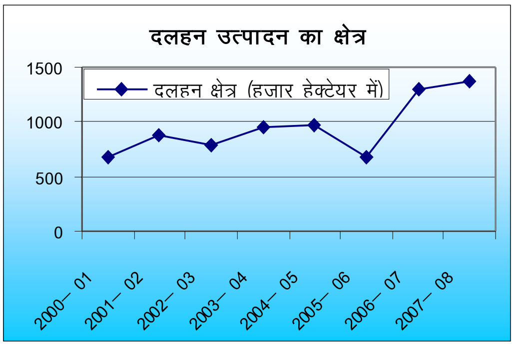

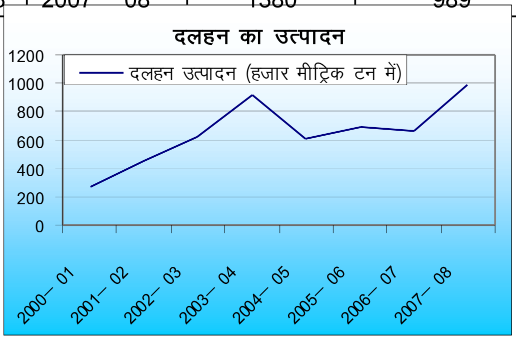

3.1.1.3 तिलहन

तिलहन का उत्पादन 2000–01 में 2.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 0.96 लाख मी. टन से बढ़कर 2007–08 में 6.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5.20 लाख मी. टन हो गया है।

तालिका क. – 3.03
तिलहन का क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्श	तिलहन क्षेत्र (हजार हे. में)	तिलहन उत्पादन (हजार मी. टन)
1	2000– 01	270	96
2	2001– 02	283	112
3	2002– 03	265	264
4	2003– 04	295	321
5	2004– 05	316	335
6	2005– 06	327	300
7	2006– 07	604	307
8	2007– 08	658	520

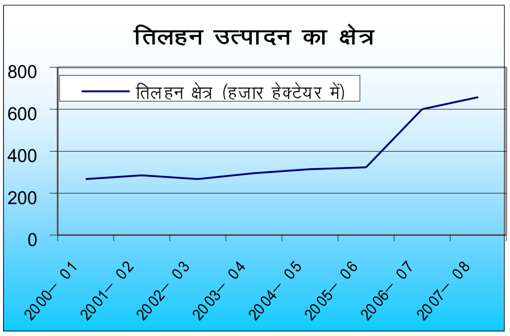

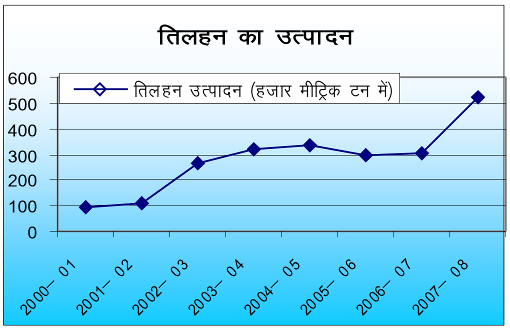

3.1.1.4 धान (चावल)

धान के उत्पादन में प्रदे ा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । धान का उत्पादन वर्श 2001–02 में 50.04 लाख टन से बढ़कर वर्श 2007–08 में 61.30 लाख टन हो गया है।

तालिका क. – 3.04
धान (चावल) के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्श	धान क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)	धान उत्पादन (हजार मी. टन)
1	2001– 02	3759	5004
2	2002– 03	3737	2886
3	2003– 04	3766	5751
4	2004– 05	3774	4584
5	2005– 06	3773	5425
6	2006– 07	3739	5512
7	2007– 08	3730	6130

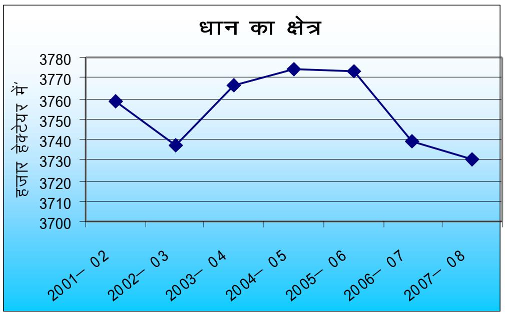

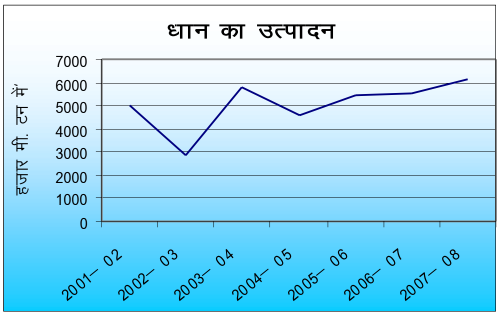

3.1.2 उच्च गुणवत्ता बीजों का उत्पादन तथा वितरण

उच्च गुणवत्ता बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न योजनाओं जैसे– सूरजधारा, अन्नपूर्णा, आइसोपॉम मैनेजमेंट वर्कप्लान आदि में गुणवत्ता, बीजों के उत्पादन तथा वितरण पर अनुदान दिया जाता है ।

तालिका क. – 3.05

गुणवत्ता बीजों का उत्पादन

क.	वर्श	बीज उत्पादन (क्विटंल में)		
		खरीफ	रबी	योग
1	2001– 02	27633	170	27803
2	2002– 03	24170	5587	29757
3	2003– 04	32503	11954	44457
4	2004– 05	69661	9524	79185
5	2005– 06	90489	8825	99314
6	2006– 07	115079	9120	124199
7	2007– 08	13100	35000	48100

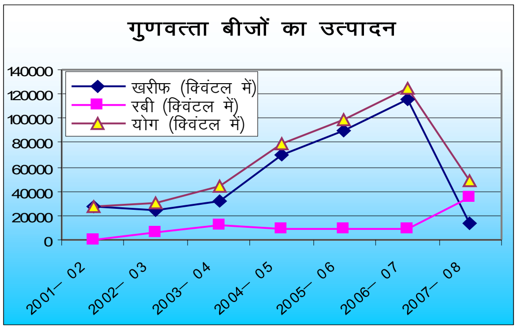

वर्श 2001–02 में 27633 में 27803 क्विंटल बीजों के उत्पादन के विरूद्ध 66124 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया था। वही 2007–08 में 48100 क्विंटल गुणवत्ता बीजों के विरूद्ध 187301 क्विंटल गुणवत्ता बीजों का वितरण किया गया।

तालिका क. – 3.06

गुणवत्ता बीजों का वितरण

क.	वर्श	बीज वितरण (क्विटंल में)		
		खरीफ	रबी	योग
1	2001– 02	53749	12375	66124
2	2002– 03	53809	9821	63630
3	2003– 04	57319	15636	72955
4	2004– 05	64240	15278	79518
5	2005– 06	86418	18647	105065
6	2006– 07	109896	18145	128041
7	2007– 08	148605	38696	187301

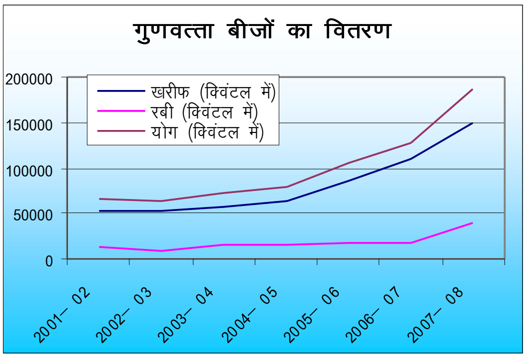

3.1.3 उर्वरकों का उपयोग

खाद्यान उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रदे ा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है । वर्श 2000–01 में खरीफ और रबी में क्रम ाः 47 और 18 कि0ग्रा0 प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद का उपयोग होता था, जो 2007–08 में बढ़कर खरीफ और रबी में क्रम ाः 73 और 68 कि.ग्रा0 प्रति हेक्टेयर हो गया है ।

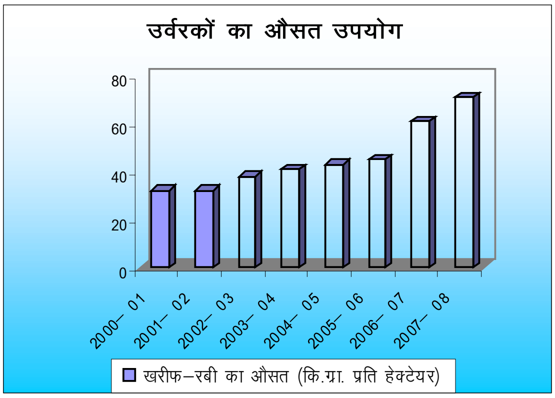

तालिका क. – 3.07

प्रदे ा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

(किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)

क.	वर्श	खरीफ				रबी				खरीफ–रबी का औसत			
		N	P	K	योग	N	P	K	योग	N	P	K	योग
1	2000– 01	28	15	04	47	10	06	02	18	19	10	03	32
2	2001– 02	35	14	04	54	10	05	01	16	19	10	03	32
3	2002– 03	27	13	04	44	19	09	03	31	23	11	04	38
4	2003– 04	36	13	05	54	15	08	03	26	26	11	04	41
5	2004– 05	34	16	06	56	17	09	04	30	26	12	05	43
6	2005– 06	35	17	06	58	18	09	04	31	27	13	05	45
7	2006– 07	46	18	8	72	28	15	06	49	37	17	07	61
8	2007– 08	46	18	09	73	37	23	08	68	41	21	09	71

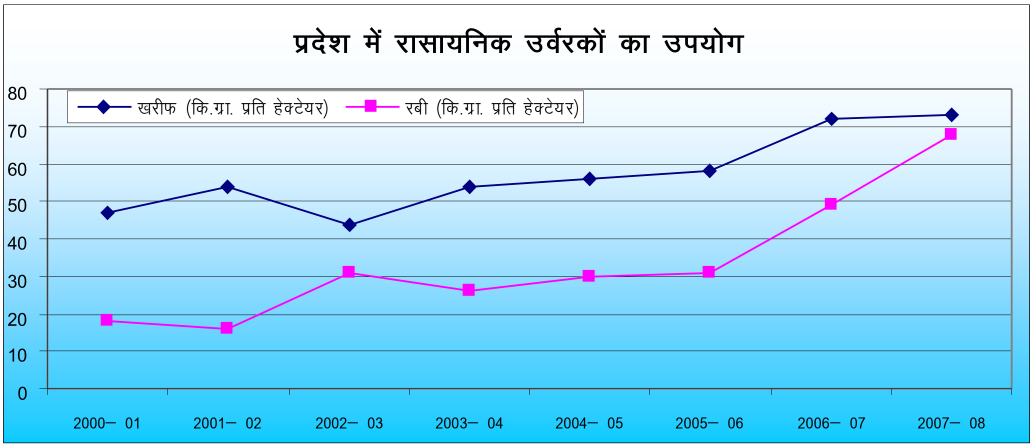

3.1.4 कृशि क्षेत्र में सिंचाई की वि ोश योजनाएं:–

3.1.4.1 लघु सिंचाई (नलकूप) तथा किसान समृद्धि योजना

तालिका क. – 3.08

नलकूपों का खनन, पंप सेट्स का वितरण तथा इनसे सिंचित क्षेत्र

क.	वर्श	नलकूपों का खनन (संख्या)	पंप सेट्स का वितरण (संख्या)	सिंचित क्षेत्र (हे. में)
1	2000–01	855	.	2188
2	2001–02	3239	.	8098
3	2002–03	3488	.	8721
4	2003–04	4850	.	12126
5	2004–05	4535	.	11338
6	2005–06	5779	.	14448
7	2006–07	8070	8437	20175
8	2007–08	8699	9207	21747

किसानों को वि वसनीय सिंचाई सुविधां उपलब्ध कराये जाने हेतु कृशि विभाग द्वारा लघु सिंचाई (नलकूप) योजना तथा किसान समृद्धि योजना चलायी जा रही है । इन योजनाओं के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुदान दिया जाता है। सामान्य कृशकों को नलकूपों के खनन हेतु रू0 25000.00 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृशकों को रू0 43000.00 का अनुदान दिया जाता है। 2007–08 तक 39515 नलकूपों का खनन और 98841 हेक्टेयर में सिंचाई की वि वसनीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । वर्श 2007–08 तक 17644 पंप सेटस का वितरण किया गया हैं।

राज्य निर्माण के बाद से नलकूपों का खनन निम्नानुसार किया गया है ।

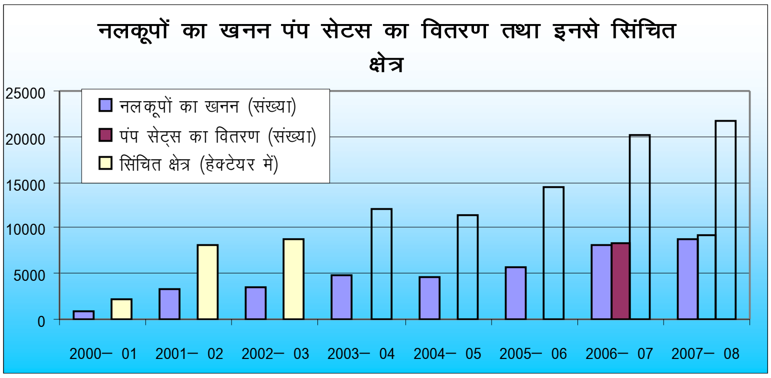

3.1.4.2 भााकम्भरी योजना

तालिका क्र. – 3.09

कुओं का खनन एवं पंप सेट्स की स्थापना

क्र.	वर्श	कूओं का खनन (संख्या)	पंप सेट्स की स्थापना (संख्या)
1	2005– 06	520	2253
2	2006– 07	1527	8437
3	2007– 08	1098	9444
	योग:–	**3145**	**20134**

लघु एवं सीमान्त कृशको को सहायता हेतु राज्य द्वारा 2005–06 से भााकम्भरी योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के अंतर्गत लघ ु एवं सीमान्त कृशकों को 5 हॉर्स पॉवर तक के डीजल, बिजली और केरोसीन के पंप सेट्स क्रय करने पर इकाई लागत रू0 15500.00 पर 75 प्रति ात अनुदान एवं कुआं निर्माण हेतु इकाई लागत रू0 34200.00 पर (लघु एवं सीमान्त कृशकों को) 50 प्रति ात अनुदान देने का प्रावधान है । 2007–08 (तीन वर्शो में) तक 3145 कूओं का खनन किया गया और 20134 पंप सेट्स की स्थापना की गयी ।

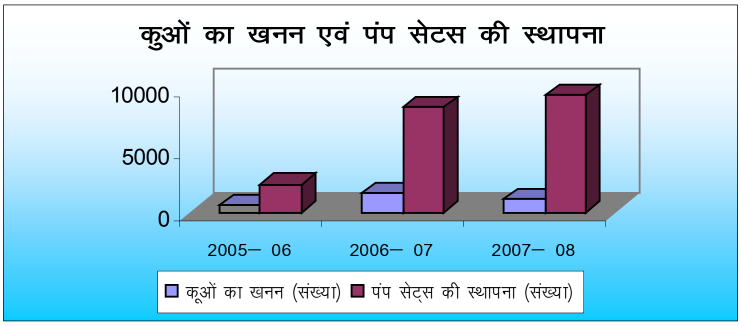

3.1.4.3 माइक्रो इरीगे ान

तालिका क्र. – 3.10

लघुत्तम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत बनाये गये छोटे तालाब

इस योजना के अंतर्गत वर्शा जल को संग्रहित कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु छोटे तालाब तथा भू–जल स्तर में वृद्धि करने के लिये परकोले ान टैंक/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि का निर्माण किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत 2007–08 तक 1135 छोटे तालाबों का निर्माण किया

क्र.	वर्श	छोटे तालाबों का निर्माण (संख्या)
1	2000– 01	66
2	2001– 02	104
3	2002– 03	137
4	2003– 04	105
5	2004– 05	96
6	2005– 06	226
7	2006– 07	179
8	2007– 08	222

गया ।		

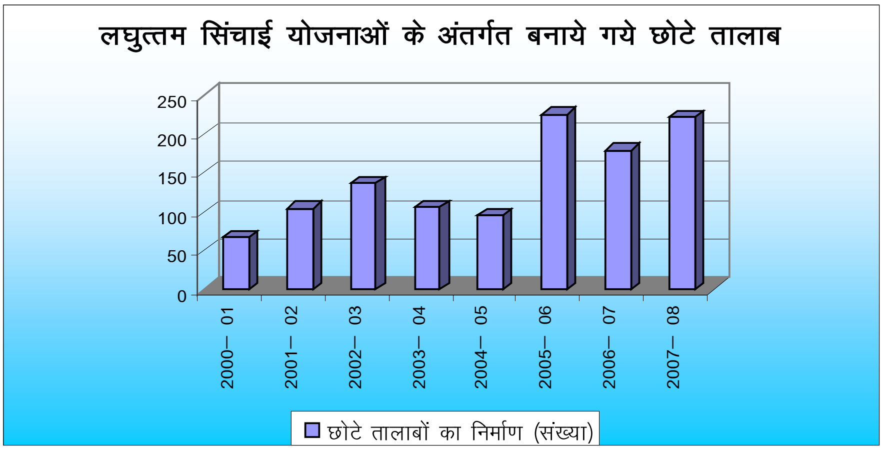

अन्य उपलब्धियां:-

- रू. 1.20 करोड़ की लागत से जैव उर्वरक प्रयोग ाला का निर्माण।
- दुर्ग एवं अंबिकापुर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्वीकृति।
- वर्ष 2006 से चार चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित।
- राज्य में प्रथम कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना।
- उन्नत कृषि यंत्रों पर वेट टैक्स समाप्त।
- उन्नत कृषि यंत्रों पर भारत शासन द्वारा देय अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत् राज्य अनुदान का प्रावधान।
- खलिहान अग्नि दुर्घटना पीड़ित कृषकों को 10,000 रू. तक क्षतिपूर्ति देय।
- नवीन राज्य गन्ना विकास योजना प्रारंभ। भोरमदेव भाक्कर कारखाना में उत्पादन भ्ाुरू एवं बालौद (दुर्ग) एवं अंबिकापुर में शक्कर कारखाना निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर।
- कृषकों एवं विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना। विगत चार वर्षों में 10 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित।
- छ.ग.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना।
- प्रदेश के जलग्रहण क्षेत्र जोबा (गरियाबंद) को राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार।

...

3.2 उद्यानिकी

फल, सब्जी एवं मसाले वाली फसलों से कृशकों को सीमित भूमि से अधिक आमदनी प्राप्त होती है एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का अच्छा साधन है । इन फसलों के विकास के लिये प्रदे ा में विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही है । उद्यानिकी विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मि ान चल रहा है । राष्ट्रीय बागवानी मि ान का उद्दे य राज्य में उद्याानिकी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को आगामी पांच वर्शो में दो गुना करना है । साथ ही पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट योजनाएं प्रारंभ कर उत्पाद की हांनि को कम कर कृशकों को समुचित कीमत दिलाना है । प्रदे ा में उद्यानिकी फसलों– फल, सब्जी, मसालों, पुश्प तथा औशधीय एवं सुगंधित फसलों के क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

उद्यानिकी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2000–01 में रू. 3.85 करोड़ का व्यय किया गया था । 2007–08 में यह व्यय बढ़कर रू. 65.23 करोड़ हो गया है ।

3.2.1 उद्यानिकी योजनाओं के कियान्वयन पर व्यय

तालिका क. – 3.11
उद्यानिकी योजनाओं के कियान्वयन पर व्यय

क.	वर्ष	व्यय राशि (लाख रू. में)
1	2000–01	385
2	2001–02	546
3	2002–03	714
4	2003–04	713
5	2004–05	1065
6	2005–06	1858
7	2006–07	6401
8	2007–08	6523

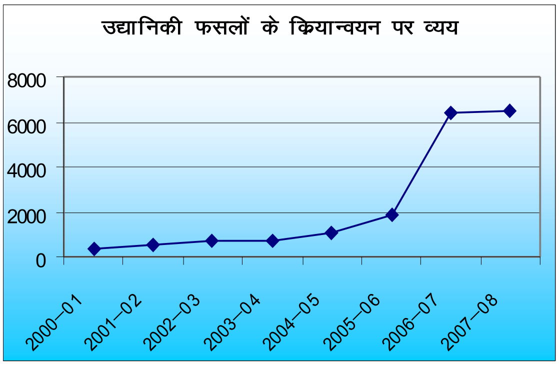

3.2.2 उद्यानिकी योजनाओं के कियान्वयन पर व्यय

3.2.2.1 फल

2000–01 में 14931 हेक्टेयर क्षेत्र में 186371 मी. टन फलों का उत्पादन हुआ था । 2007–08 में 122459 हेक्टेयर क्षेत्र में 1040905 मी. टन फलों का उत्पादन हुआ।

तालिका क. – 3.12
फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	14931	186371
2	2001–02	16173	11997
3	2002–03	15850	379600
4	2003–04	16803	324102
5	2004–05	46157	402110
6	2005–06	75771	646070
7	2006–07	100002	683535
8	2007–08	122459	1040905

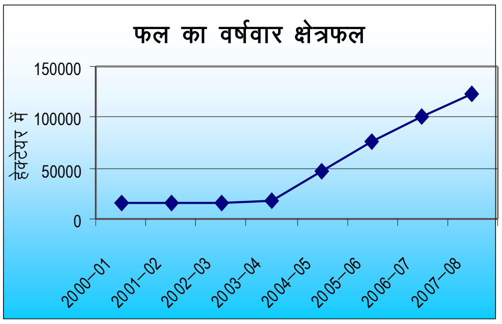

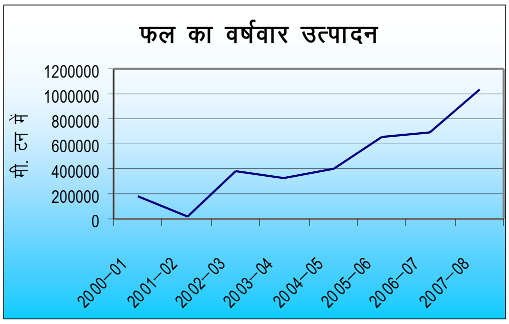

3.2.2.2 सब्जी

तालिका क. – 3.13

सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

2000–01 में जहां 84164 हेक्टेयर क्षेत्र में 11.46 लाख मी. टन सब्जियों का उत्पादन किया जाता था । अब 2007–08 में 292560 हेक्टेयर क्षेत्र में 36.23 लाख मी. टन सब्जियों का उत्पादन किया गया है ।

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	84164	1146287
2	2001–02	93255	299374
3	2002–03	97917	1480070
4	2003–04	61032	1266302
5	2004–05	125072	1554074
6	2005–06	195617	2432311
7	2006–07	276105	2738139
8	2007–08	292560	3627745

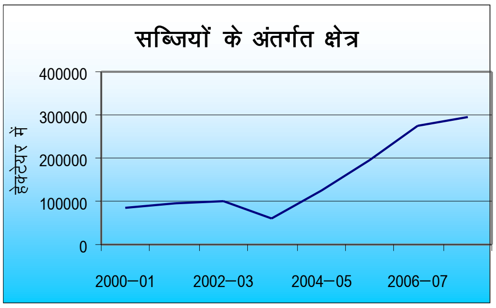

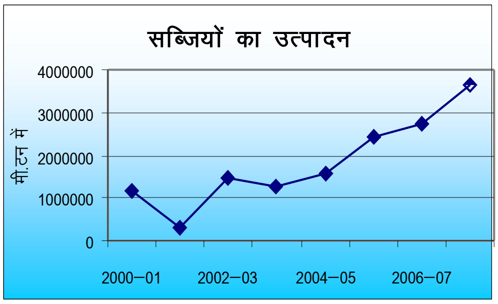

3.2.2.3 मसाला

तालिका क. – 3.14

मसालों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

मसालों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र बढ़कर 2007–08 में 48265 हेक्टेयर हो गया है । तद्नुसार मसालों का उत्पादन 2000–01 की तुलना में 11485 मी. टन से बढ़कर 2007–08 में 279936 मी. टन हो गया है ।

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	13927	11485
2	2001–02	14661	14368
3	2002–03	14141	15805
4	2003–04	16127	16969
5	2004–05	28399	169621
6	2005–06	29055	168280
7	2006–07	40557	199099
8	2007–08	48265	279936

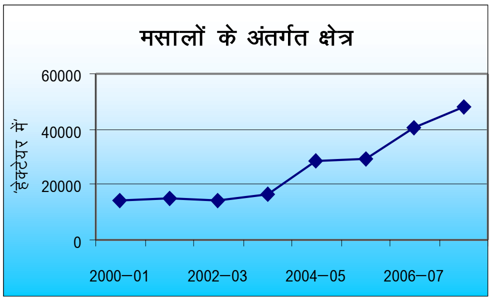

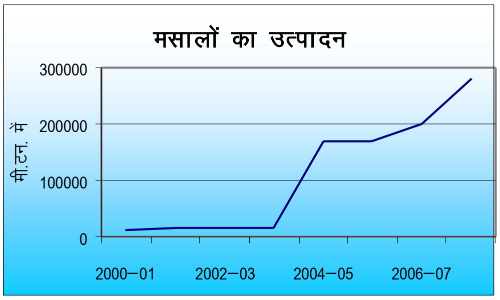

3.2.2.4 फूल

छत्तीसगढ़ निर्माण के समय प्रदे ा में फूलों की खेती नही के बराबर होती थी । फूलों के अंतर्गत 2000–01 में केवल 6 हेक्टेयर क्षेत्र था जो 2007–08 में बढ़कर 2204 हेक्टेयर हो गया है । 2007–08 में 8506 मी. टन फूलों का उत्पादन किया गया ।

तालिका क. – 3.15

फूलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी. टन)
1	2000–01	6	9
2	2001–02	10	15
3	2002–03	11	21
4	2003–04	200	307
5	2004–05	1508	2829
6	2005–06	1551	3302
7	2006–07	2031	7839
8	2007–08	2204	8506

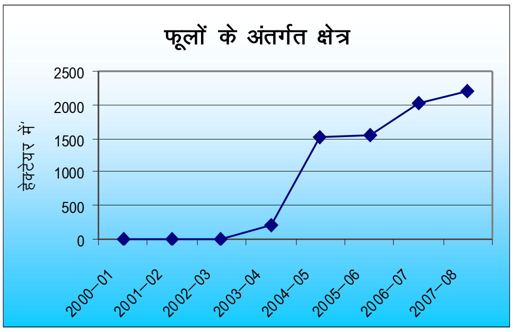

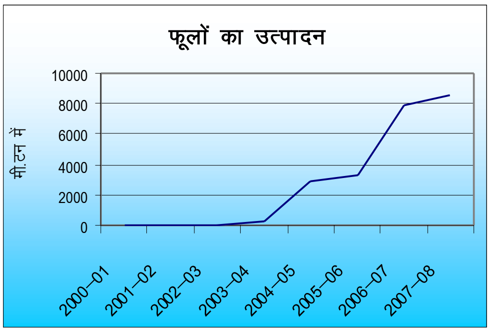

3.2.2.5 औशधीय एवं सुगंधित फसल

तालिका क. – 3.16

औशधीय एवं सुगंधित फसल

2004–05 में औशधीय एवं सुगंधित फसलों का 1808 हेक्टेयर क्षेत्र में 10608 मी. टन उत्पादन किया गया । 2007–08 में 22374 हेक्टेयर क्षेत्र में 40497 मी. टन औशधीय एवं सुगंधित फसलों का उत्पादन किया गया।

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	1808	10608
6	2005–06	1586	7093
7	2006–07	2750	4978
8	2007–08	22374	40497

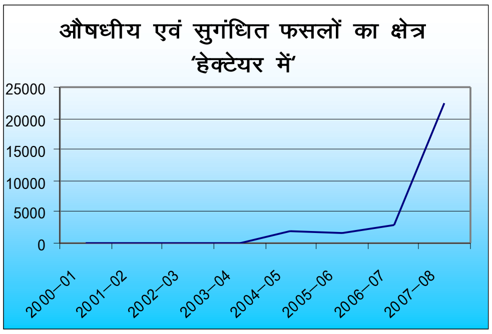

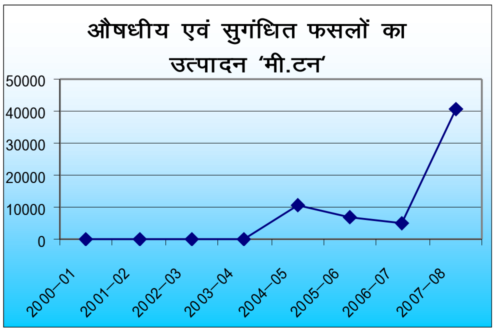

3.2.3 फलोद्यान

उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत विभिन्न फलों के क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । उद्यानिकी फसलों में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न फलों के चयनित जिलों में बैंक ऋण एवं स्वयं के व्यय पर भी फलों का रोपण करने पर 25 प्रति ात अनुदान देने का प्रावधान है । प्रदे ा में 106 विभागीय विकासखण्ड रोपणियां है, जिसमें आम, अमरूद, नीबू, संतरा, मौसम्बी, कटहल, नारियल, चीकू, काजू, बेर, आंवला आदि के उच्च कोटि के पौधे तैयार कर कृशकों को वितरित किये जाते हैं ।

3.2.3.1 आम

सभी जिलों में आम के रोपण पर अनुदान दिया जाता है। 2000–01 में 8039 हेक्टेयर क्षेत्र में 72351 मी. टन आम के उत्पादन की तुलना में 2007–08 में 46568 हेक्टेयर क्षेत्र में आम का उत्पादन 3.96 लाख मी. टन हो गया है ।

तालिका क. – 3.17

आम के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	8039	72351
2	2001–02	7056	4481
3	2002–03	7126	64100
4	2003–04	7482	143813
5	2004–05	20420	67305
6	2005–06	25764	113802
7	2006–07	38630	136425
8	2007–08	46568	395826

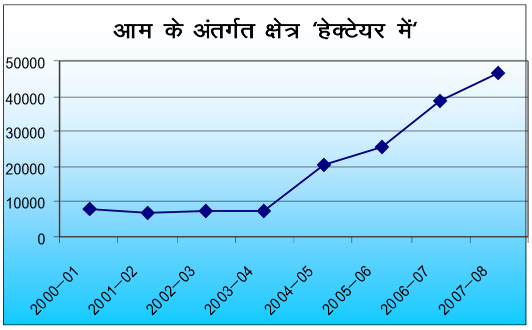

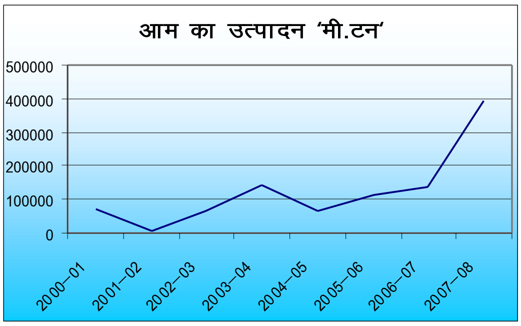

3.2.3.2 केला

केले के उत्पादन पर अनुदान की योजना प्रदे ा के 13 जिलों रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर तथा दंतेवाड़ा में लागू है । 2000–01 में जहां 354 हे. क्षेत्र में 14322 मी. टन

तालिका क.– 3.18

केले के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	354	14322
2	2001–02	493	98
3	2002–03	542	21900
4	2003–04	569	19150
5	2004–05	2719	22995
6	2005–06	3493	122887
7	2006–07	4898	152105
8	2007–08	6149	52267

केले का

उत्पादन होता था । 2007–08 में 6149 हेक्टेयर क्षेत्र में 52267 मी. टन केले का उत्पादन किया गया ।

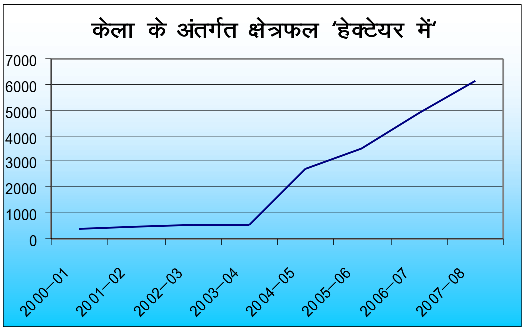

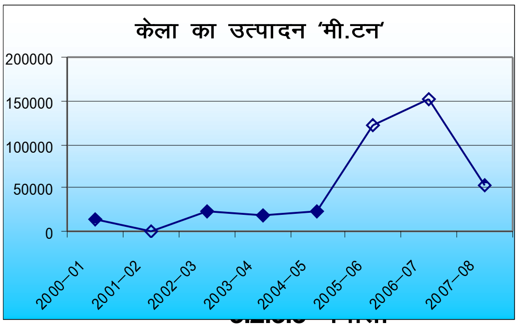

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	111	5439
2	2001–02	221	24
3	2002–03	243	11900
4	2003–04	255	25348
5	2004–05	3599	12495
6	2005–06	4224	119090
7	2006–07	4426	136699
8	2007–08	5455	46368

पपीते की खेती पर अनुदान की योजना प्रदे I के 08 जिलों रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर तथा कोरबा जिलों में लागू हैं ।

2007–08 में 5455 हेक्टेयर में 46368 मी. टन पपीते का उत्पादन किया गया जबकि 2000–01 में 111 हेक्टेयर क्षेत्र में 5439 मी. टन पपीते का उत्पादन हुआ था । ◁ 30▷

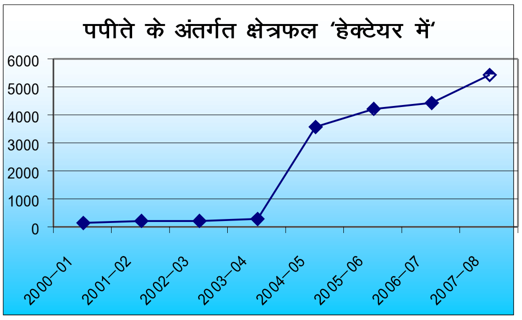

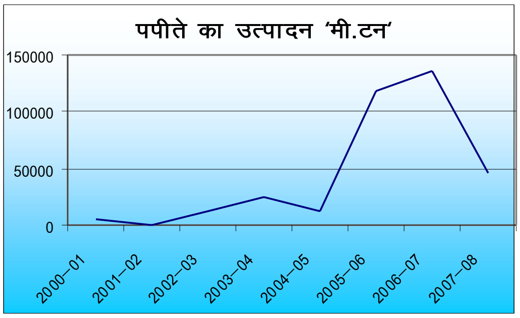

3.2.3.4 काजू

काजू का वृक्षारोपण किया जाता है । 2000–01 में 2035 हेक्टेयर क्षेत्र में 2849 मी. टन काजू के उत्पादन की तुलना में 2007–08 में 12473 हेक्टेयर क्षेत्र में 17710 मी. टन काजू का उत्पादन हुआ।

तालिका क. – 3.20
काजू के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन

क.	वर्श	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	2035	2849
2	2001–02	2925	4254
3	2002–03	3425	4795
4	2003–04	3987	5701
5	2004–05	4512	6315
6	2005–06	7506	[illegible]
7	2006–07	8373	[illegible]
8	2007–08	12473	[illegible]

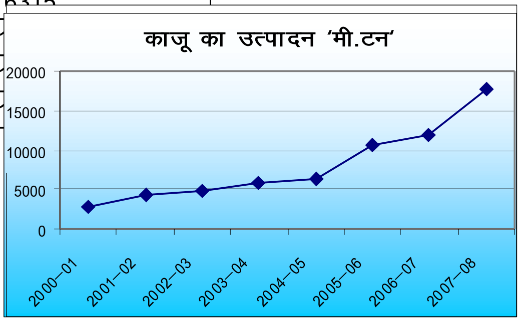

तालिका क. – 3.21
लीची के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	512	3075
2	2001–02	515	3090
3	2002–03	535	3115
4	2003–04	547	3181
5	2004–05	567	3188
6	2005–06	617	3468
7	2006–07	1051	5908
8	2007–08	1198	6735

3.2.3.5 लीची

2000–01 में 512 हेक्टेयर क्षेत्र में 3075 मी. टन लीची का उत्पादन हुआ था। वहीं 2007–08 में 2159 हेक्टेयर क्षेत्र में 18352 मी. टन लीची का उत्पादन हुआ ।

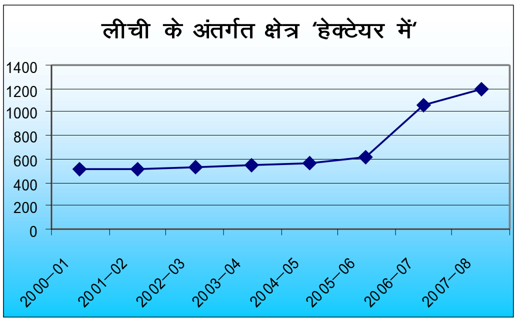

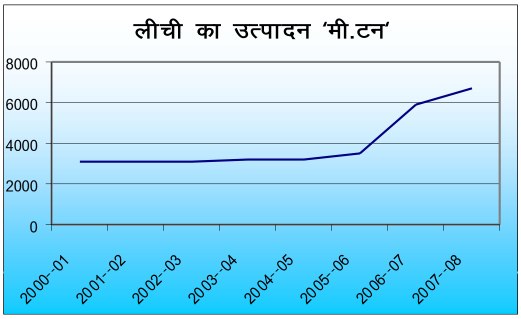

3.2.4 सब्जी उत्पादन

समस्त जिलों के आस–पास सब्जी उत्पादन में वृद्धि की दृश्टि से समन्वित सब्जी विकास की योजना चलायी गयी । योजना के अंतर्गत कृशकों को भांकर बीज, उर्वरक एवं कीटना ाक अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है । कृशकों को वितरित किये जाने हेतु आधार एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन बाना (रायपुर) में किया जाता हैं । गत वर्शो में सभी सब्जियों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

3.2.4.1 फूलगोभी

तालिका क. – 3.22
फूलगोभी के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	3196	51136
2	2001–02	3511	1970
3	2002–03	3686	58980
4	2003–04	3870	61847
5	2004–05	5837	61929
6	2005–06	9572	123510

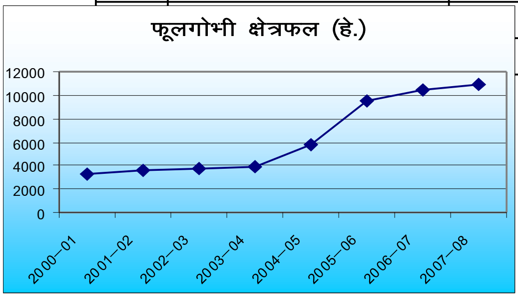

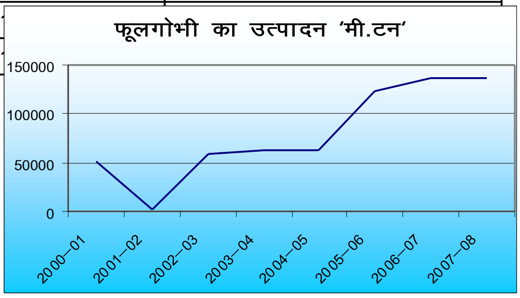

3.2.4.2 पत्तागोभी

तालिका क. – 3.23
पत्तागोभी के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	2674	53480
2	2001–02	2773	15390
3	2002–03	2911	116440
4	2003–04	3057	51413
5	2004–05	4626	122262
6	2005–06	6795	114034
7	2006–07	8032	128666
8	2007–08	8637	107099

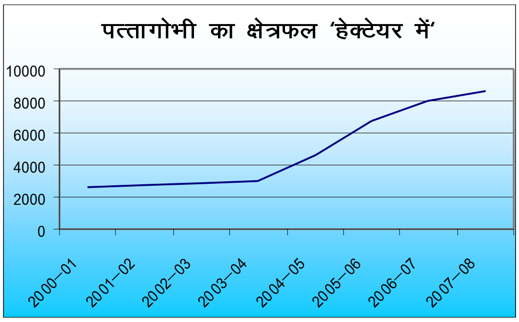

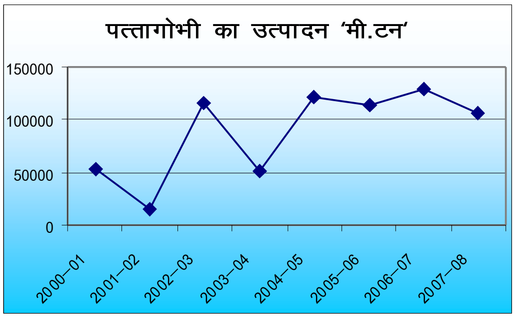

3.2.4.3 बैंगन

तालिका क. – 3.24
बैंगन के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	12081	181215
2	2001–02	12313	22742
3	2002–03	12928	193920
4	2003–04	13574	125111
5	2004–05	11165	203616
6	2005–06	19446	266411
7	2006–07	23917	326864
8	2007–08	26302	326145

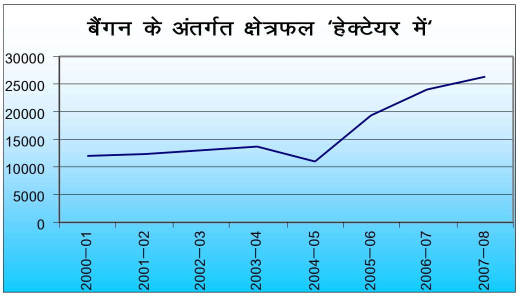

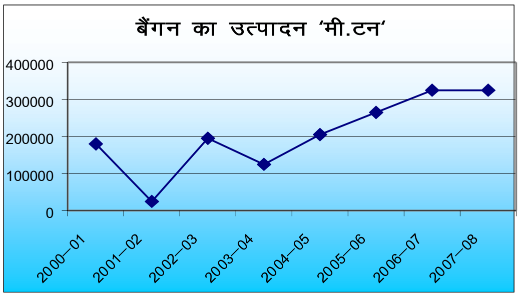

3.2.4.4 टमाटर

तालिका क. – 3.25
टमाटर के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्श	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	15488	232320
2	2001–02	18282	50129
3	2002–03	19196	287940
4	2003–04	20156	217618
5	2004–05	20692	302337
6	2005–06	29205	365816
7	2006–07	35597	53395
8	2007–08	48703	73054

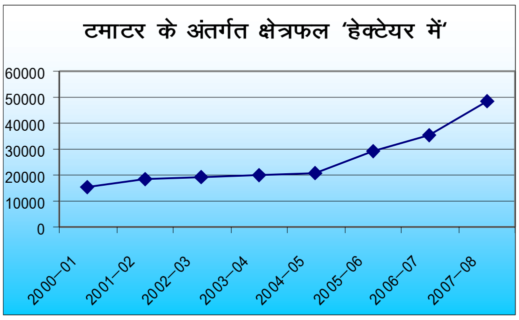

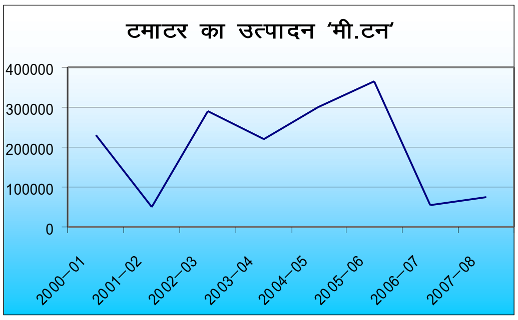

3.2.4.5 भिण्डी

तालिका क. – 3.26
भिण्डी के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	7791	46746
2	2001–02	8196	51508
3	2002–03	8426	54769
4	2003–04	9056	61580
5	2004–05	10257	69747
6	2005–06	18082	184698
7	2006–07	20999	194839
8	2007–08	22790	282596

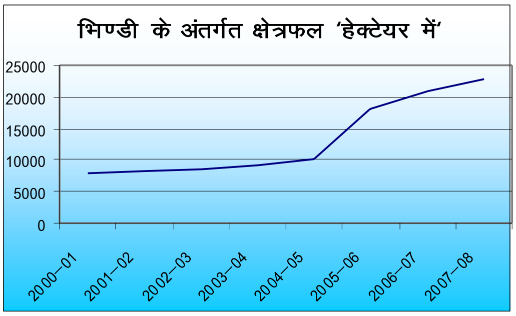

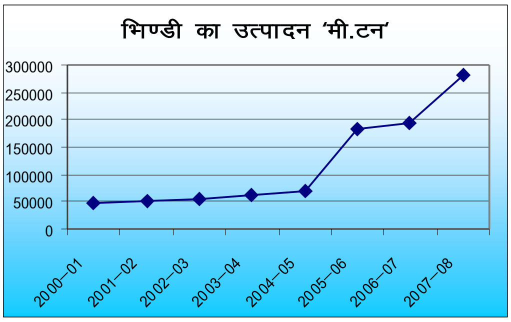

3.2.4.6 आलू

तालिका क. – 3.27
आलू के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	8283	124245
2	2001–02	9729	14183
3	2002–03	10215	153220
4	2003–04	10726	130194
5	2004–05	12922	160881
6	2005–06	18731	290022
7	2006–07	29261	399812
8	2007–08	31806	394394

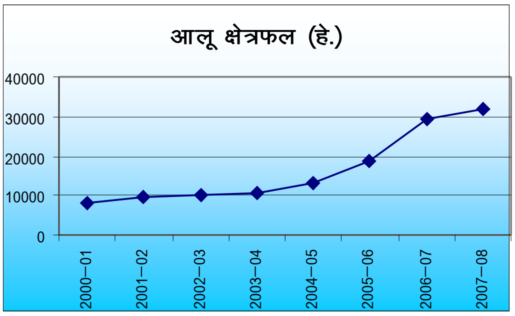

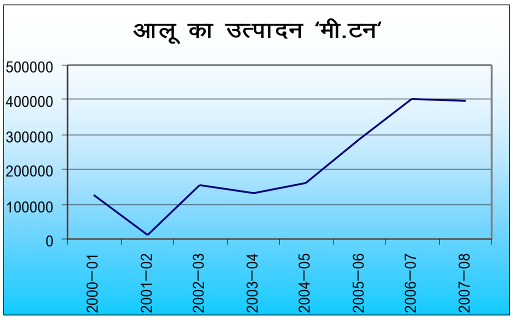

3.2.4.7 कद्दू

तालिका क. – 3.28
कददू के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	3576	38598
4	2003–04	3995	41947
5	2004–05	4287	45015
6	2005–06	4861	50464
7	2006–07	7215	77780
8	2007–08	7807	96807

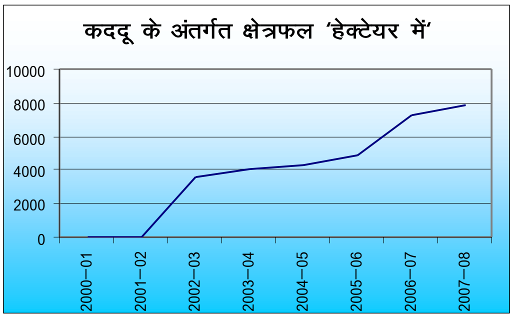

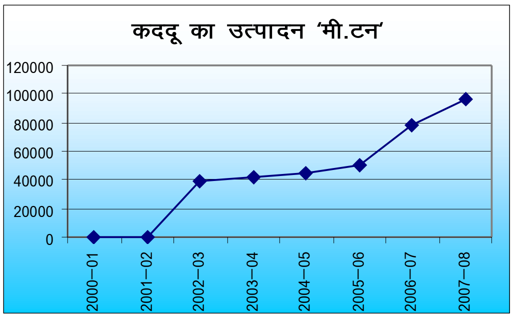

3.2.4.8 लौकी

तालिका क. – 3.29
लौकी के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	1978	23736
4	2003–04	2197	26371
5	2004–05	2683	33933
6	2005–06	3484	45550
7	2006–07	6285	78203
8	2007–08	6593	81753

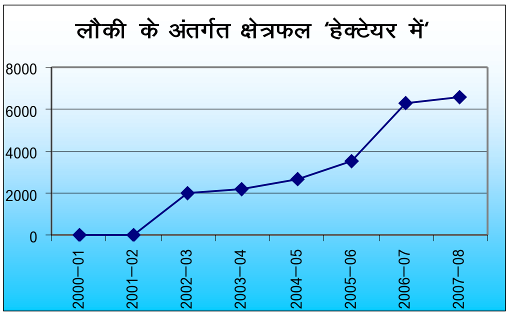

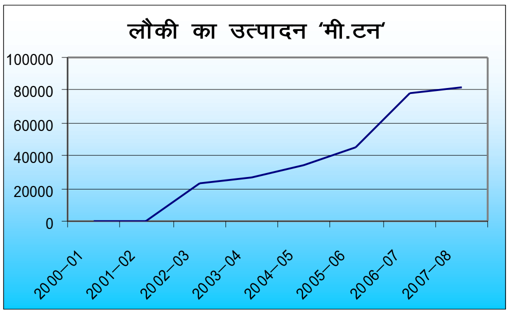

3.2.4.9 प्याज

तालिका क. – 3.30
प्याज के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	3199	47985
2	2001–02	3531	1871
3	2002–03	3707	55600
4	2003–04	3892	42754
5	2004–05	3899	58380
6	2005–06	6773	96927
7	2006–07	7978	119505
8	2007–08	8239	102164

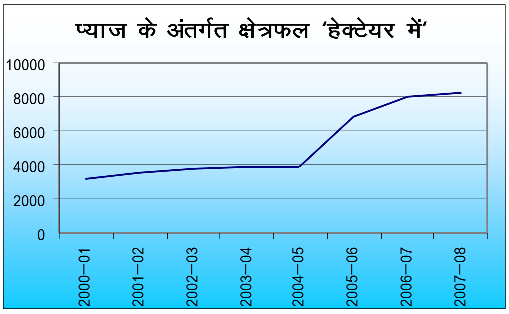

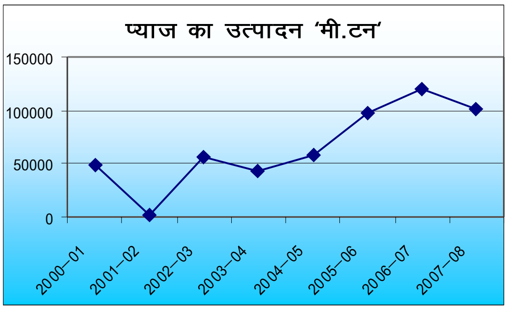

3.2.4.10 म ारूम उत्पादन

म ारूम उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई हैं । वर्श 2000–01 में जहां 2 स्पॉन और 5 मी. टन म ारूम का उत्पादन होता था । 2007–08 में प्रदे ा में 10 स्पॉन में 40 मी. टन म ारूम का उत्पादन हुआ हैं ।

तालिका क. – 3.31

म ारूम का क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	मशरूम	
		स्पॉन	उत्पादन (मी. टन)
1	2000–01	2	5
2	2001–02	3	10
3	2002–03	3	15
4	2003–04	3	18
5	2004–05	5	20
6	2005–06	6	25
7	2006–07	7	30
8	2007–08	8	40

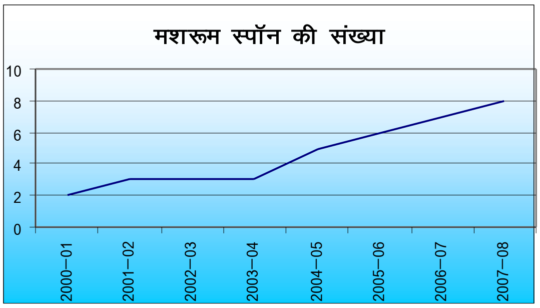

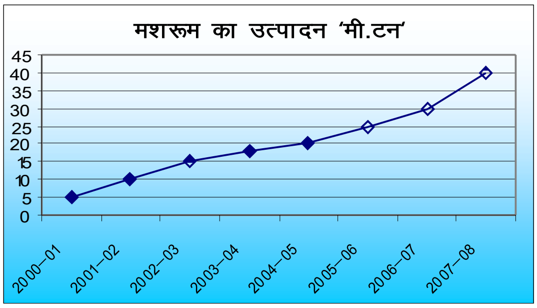

3.2.5 मसालों का उत्पादन

मसालों के अंतर्गत अदरक, धनियां, मिर्च, लहसुन, हल्दी आदि का उत्पादन किया जाता है । इन फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है । मसाला फसलों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन में काफी प्रगति हुई है।

3.2.5.1 अदरक

तालिका क. – 3.32

अदरक के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	771	1410
2	2001–02	1736	1701
3	2002–03	771	1871
4	2003–04	1910	925
5	2004–05	2509	34188
6	2005–06	3173	40168
7	2006–07	4095	50736
8	2007–08	5402	31334

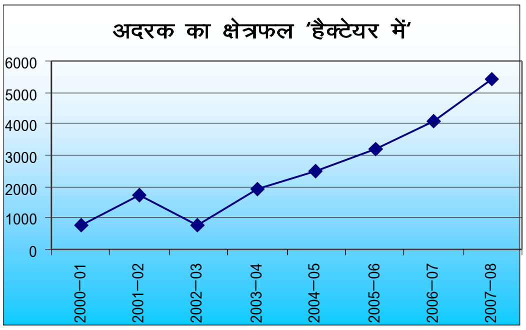

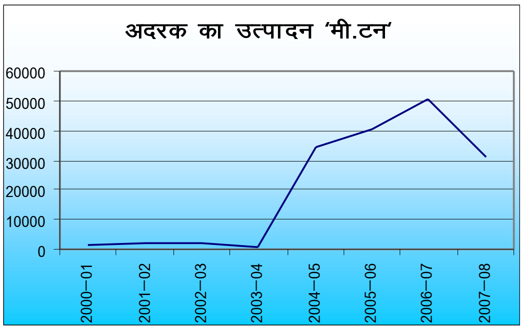

3.2.5.2 धनिया

तालिका क. – 3.33
धनियें के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	4359	1743
2	2001–02	3587	3515
3	2002–03	4359	3867
4	2003–04	3946	5231
5	2004–05	5066	16852
6	2005–06	5444	15527
7	2006–07	8222	12163
8	2007–08	8235	47765

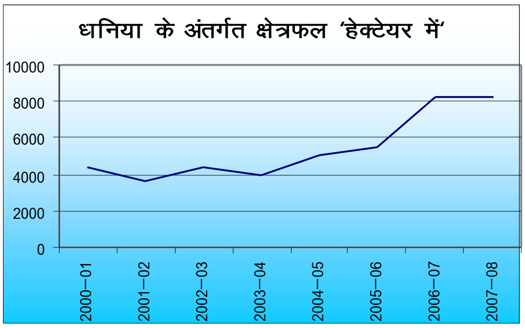

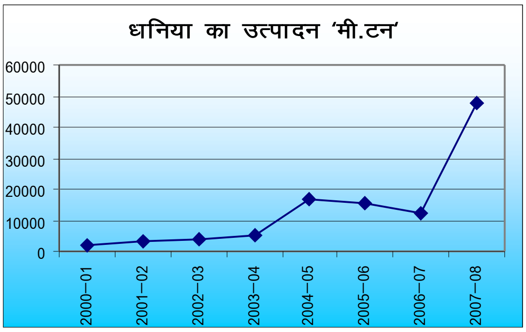

3.2.5.3 मिर्च

तालिका क. – 3.34
मिर्च के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	6415	2950
2	2001–02	6540	6409
3	2002–03	6415	7050
4	2003–04	7194	7698
5	2004–05	10292	59044
6	2005–06	9790	52458
7	2006–07	14400	64620
8	2007–08	19688	114190

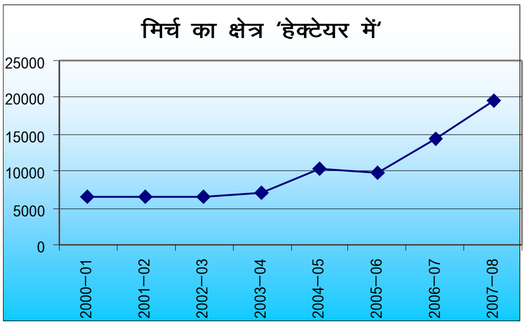

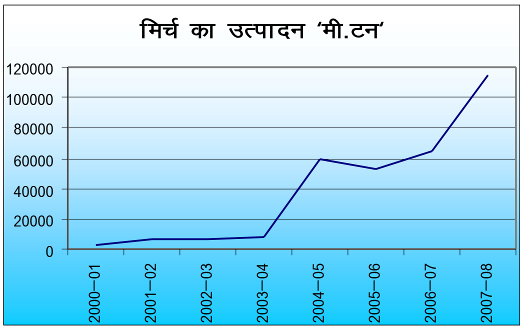

3.2.5.4 लहसुन

तालिका क. – 3.35
लहसुन के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	669	2742
2	2001–02	745	730
3	2002–03	669	803
4	2003–04	820	803
5	2004–05	2297	16874
6	2005–06	2496	17795
7	2006–07	2738	19642
8	2007–08	3738	21680

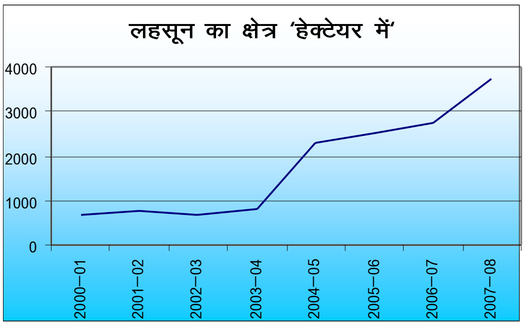

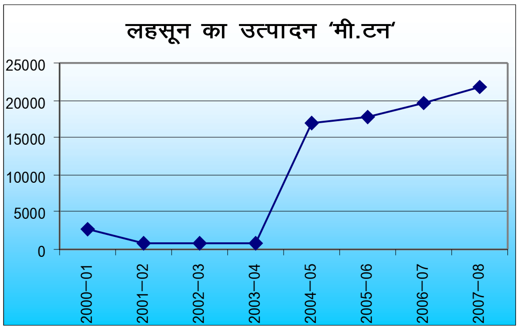

3.2.5.5 हल्दी

तालिका क. – 3.36
हल्दी के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	468	1638
2	2001–02	667	654
3	2002–03	468	719
4	2003–04	734	562
5	2004–05	2362	26596
6	2005–06	2528	27791
7	2006–07	2830	27990
8	2007–08	3730	21635

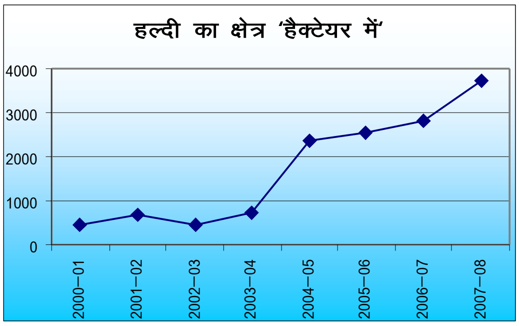

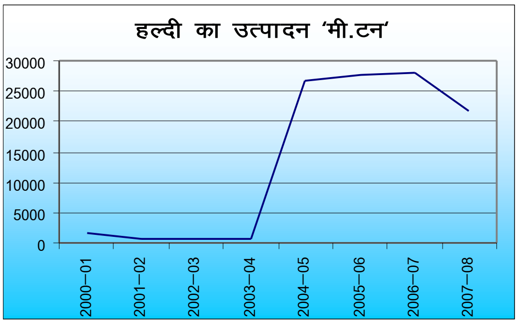

3.2.6 पुश्प उत्पादन

पुश्पों का उत्पादन पहले भी होता था, लेकिन पुश्पों का व्यावसायिक उत्पादन प्रदे ा में 2004–05 से प्रारंभ हुआ है । प्रमुखतः गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, चमेली आदि फूलों का उत्पादन होता है । वर्श 2004–05 से 2007–08 तक विभिन्न फूलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

3.2.6.1 गेंदा

तालिका क. – 3.37
गेंदा के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	90	0
5	2004–05	495	859
6	2005–06	482	1633
7	2006–07	597	2888
8	2007–08	684	2640

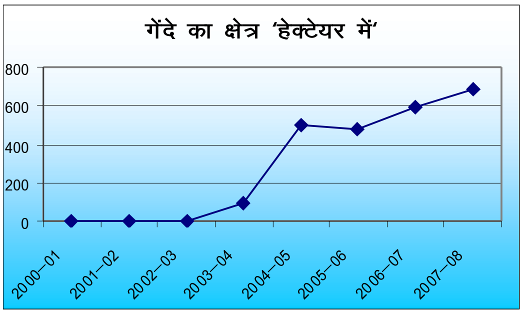

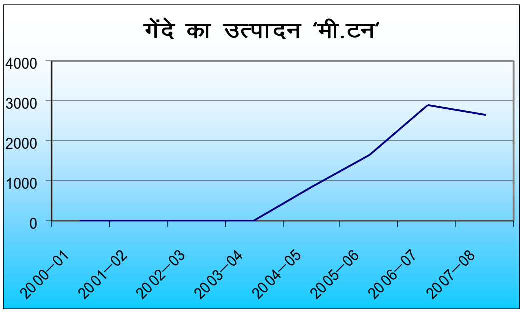

3.2.6.2. गुलाब

तालिका क. – 3.38
गुलाब के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	40	0
5	2004–05	511	942
6	2005–06	286	335
7	2006–07	420	2608
8	2007–08	506	1953

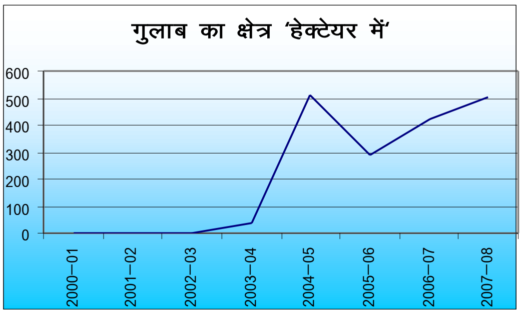

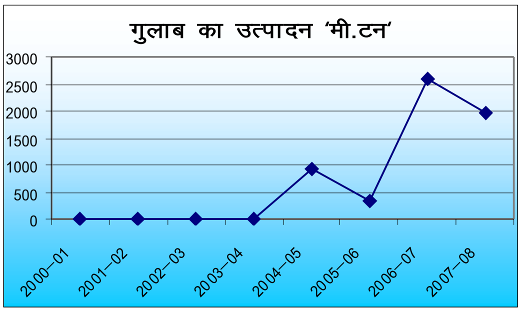

3.2.6.3 गुलदाउदी

तालिका क. – 3.39
गुलदाउदी के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	77	147
6	2005–06	141	354
7	2006–07	116	102
8	2007–08	116	448

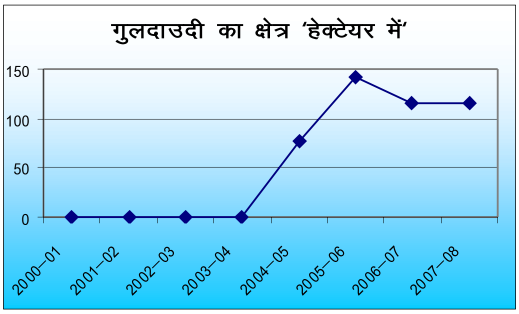

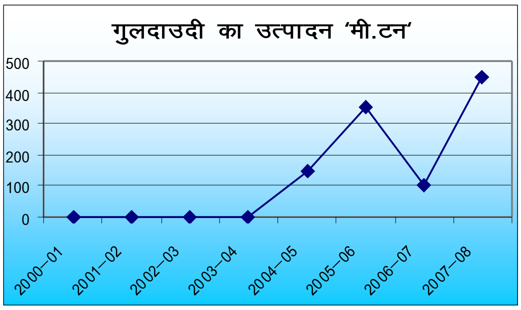

3.2.6.4. चमेली

तालिका क. – 3.40
चमेली के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	179	217
6	2005–06	207	186
7	2006–07	243	264
8	2007–08	243	937

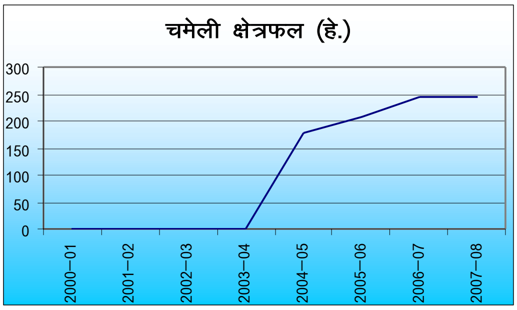

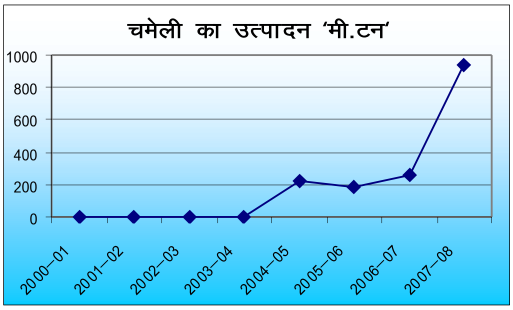

3.2.7 औशधीय एवं सुगंधित फसलों का उत्पादन

फूलों की तरह औशधीय एवं सुगंधित फसलों का उत्पादन 2004–05 से प्रारंभ हुआ है । औशधीय एवं सुगंधित फसलों के अंतर्गत प्रदे ा में लेमनग्रास, सफेद मुसली, बच, सर्पगंधा, अ वगंधा आदि का उत्पादन प्रमुखता से होता है ।

3.2.7.1 लेमनग्रास

तालिका क. – 3.41
लेमनग्रास के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	294	1348
6	2005–06	325	1268
7	2006–07	492	59
8	2007–08	3340	6045

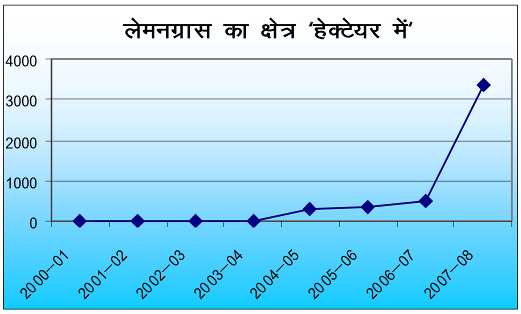

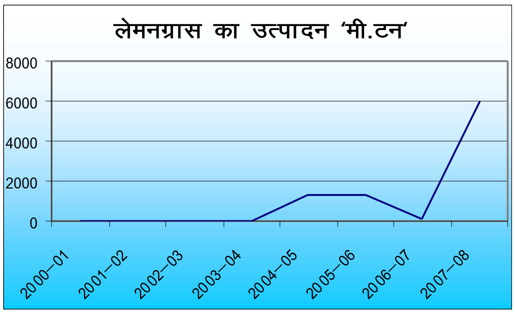

3.2.7.2 सफेद मुसली

तालिका क. – 3.42
सफेद मुसली के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	210	906
6	2005–06	161	149
7	2006–07	73	60
8	2007–08	73	131

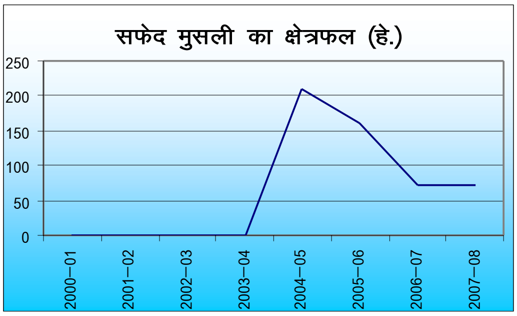

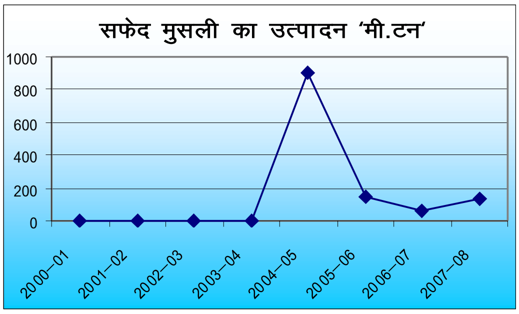

3.2.7.3 बच

तालिका क. – 3.43
बच के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	317	1160
6	2005–06	29	28
7	2006–07	10	18
8	2007–08	10	18

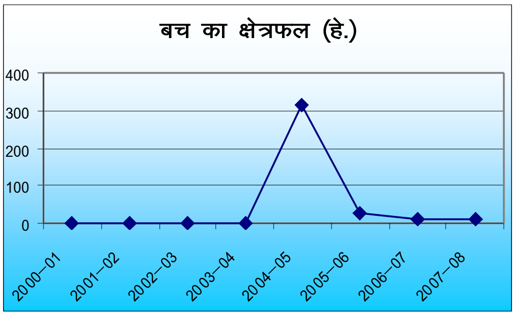

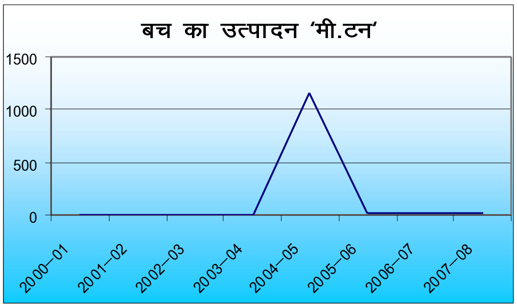

3.2.7.4 सर्पगंधा

तालिका क. – 3.44
सर्पगंधा के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	105	171
6	2005–06	50	78
7	2006–07	2	0
8	2007–08	2	4

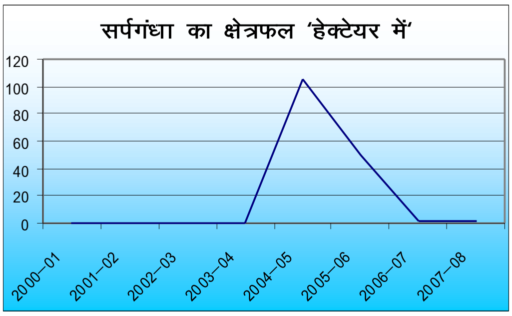

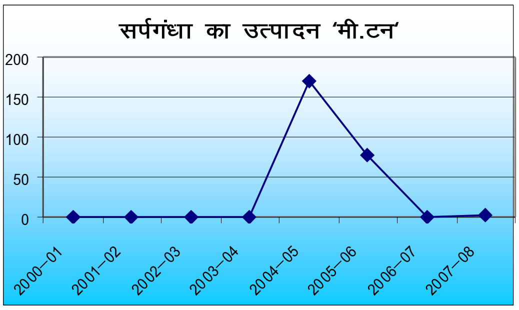

3.2.7.5 अ वगंधा

तालिका क. – 3.45
अ वगंधा के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

क.	वर्ष	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2000–01	0	0
2	2001–02	0	0
3	2002–03	0	0
4	2003–04	0	0
5	2004–05	157	106
6	2005–06	139	292
7	2006–07	29	15
8	2007–08	29	52

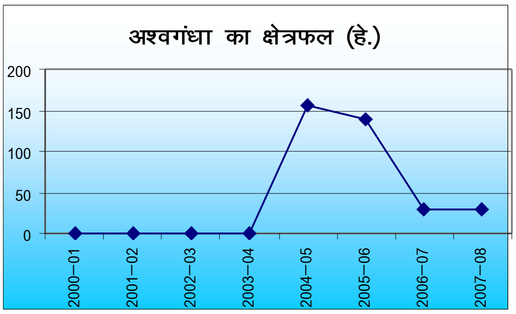

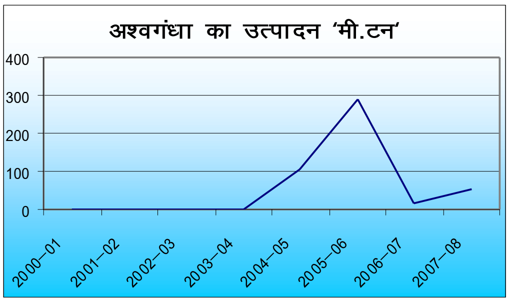

3.2.8 प्रदे ा में उद्यानिकी रोपणियों की संख्या

उद्यानिकी रोपणियों की संख्या 2000–01 में 105 से बढ़कर 2007–08 में 131 हो गयी हैं।

तालिका क. – 3.46
प्रदे ा में उद्यानिकी रोपणियों की संख्या

कमांक	वर्ष	रोपणियां (संख्या)
1	2000–01	105
2	2001–02	107
3	2002–03	107
4	2003–04	107
5	2004–05	107
6	2005–06	114
7	2006–07	121
8	2007–08	131

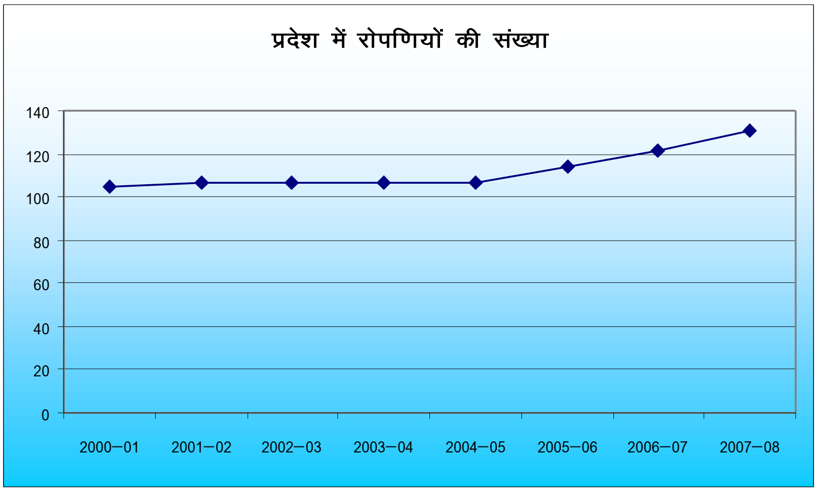

3.3 प ुपालन

राज्य में सम्पन्न 17 वीं प ु गणना 2003 (संदर्भित तिथि 15 अक्टूबर 2003) के अनुसार प्रदे ा में कुल प ुधन 1,34,92,954 है, जिसमे गौवं ीय 88,81,729 भैंस वं ीय 15,95,041 एवं भोश प ुधन 30,13,184 है । इसमें भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर एवं अन्य प ु भाामिल है । राज्य में पक्षी धन (कुक्कुट, बत्तख, जापानी बटेर एवं अन्य) की संख्या 81,81,324 है ।

3.3.1 आबंटन तथा व्यय

कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को प ुपालन के माध्यम से गरीबी रेखा के उपर लाना प ुपालन विभाग का प्रमुख उद्दे य है। यही कारण है कि वर्श 2002–03 में विभाग का बजट आबंटन रू. 1287.16 लाख था, जो वर्श 2007–08 में बढ़कर रू. 5560.33 लाख हो गया है।

तालिका क. – 3.47
आबंटन तथा व्यय
(रा ि लाख रू. मे)

क.	वर्श	आबंटन	व्यय	व्यय का प्रति ात
1	2002–03	1287.16	1180.73	91.73%
2	2003–04	1633.04	1331.59	81.54%
3	2004–05	4375.55	2413.85	55.17%
4	2005–06	4853.27	3475.47	71.61%
5	2006–07	7351.61	6436.85	87.56%
6	2007–08	5560.33	4545.44	81.75%

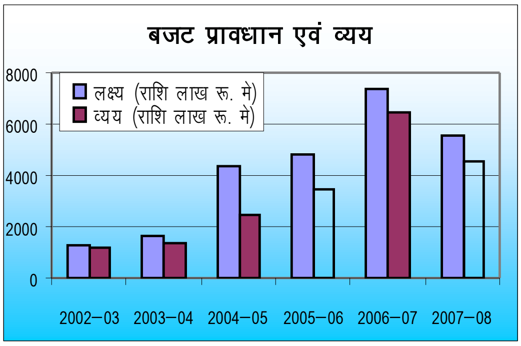

3.3.2 प ु उत्पादों का उत्पादन

प ु उत्पादों दूध, अण्डे तथा मांस के उत्पादन में भी वृद्धि की प्रवृत्ति रही है ।

तालिका क. – 3.48
प ु उत्पादों का उत्पादन

क.	वर्ष	दूध उत्पादन (हजार मी.ट.)	अण्डा उत्पादन (लाख मे)	मांस उत्पादन (हजार कि. ग्रा.मे)
1	2000–01	777	7326	7060
2	2001–02	794	7704	7542
3	2002–03	804	7790	8399
4	2003–04	813	8739	8563
5	2004–05	831	8795	9778
6	2005–06	839	8875	10703
7	2006–07	849	8967	11918
8	2007–08	866	9182	13260

जहां वर्श 2000–01 में 777 हजार मी. टन दूध का उत्पादन था जो 2007–08 में बढ़कर 866 हजार मी. टन हो गया है । ग्यारहवी पंचवर्शीय योजना के अंत तक दूध का उत्पादन 960 हजार मी. टन उत्पादन करने का लक्ष्य है। अण्डे का उत्पादन 2000–01 में 7326 लाख से बढ़कर 2007–08 में 9182 लाख

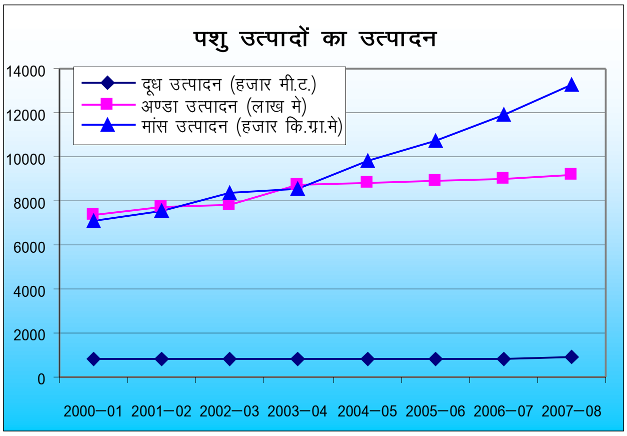

हो गया है। ग्यारहवी पंचवर्शीय योजना के अंत तक 9980 लाख अण्डो के उत्पादन का लक्ष्य है ।

इसी प्रकार मांस का उत्पादन 2000–01 में 70.60 लाख कि. ग्रा. से बढ़कर 2007–08 में 132.60 लाख कि. ग्रा. हो गया है । ग्यारहवी पंचवर्शीय योजना के अंत तक 191.09 लाख कि. ग्रा. मांस उत्पादन का लक्ष्य है ।

3.3.3 प ु उत्पादों की उपलब्धता

वर्तमान में प्रति व्यक्ति प ु उत्पादों की उपलब्धता निम्नानुसार है ।

तालिका क. – 3.49
प ु उत्पादों की उपलब्धता

क.		दूध (ग्रा.प्रति दिन)	अण्डा (नग वार्षिक)	मांस (कि.ग्रा.) (प्रतिवर्श)
1	अनुंशंसित मात्रा प्रति व्यक्ति	240–260	120–180	12..15
2	उपलब्धता प्रति व्यक्ति **(राष्ट्रीय स्तर)**	245.00	45	1.617
3	उपलब्धता प्रति व्यक्ति **(छत्तीसगढ़ स्तर)**	112.00	43	0.57

दूध की अनु ंसित मात्रा प्रति व्यक्ति 240–260 ग्राम प्रतिदिन है । राष्ट्रीय स्तर पर दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 245 ग्राम और छत्तीसगढ़ में 112 ग्राम है । अण्डे की अनु ंसित मात्रा 120–180 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रति वर्श है । राष्ट्रीय स्तर पर अण्डों की उपलब्धता 45 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्श और प्रदे ा में इनकी उपलब्धता 43 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रति वर्श है । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति प्रति वर्श 12–15 कि. ग्रा. मांस अनु ंसित है । राष्ट्रीय स्तर पर मांस की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिवर्श 1.62 कि. ग्रा. है और राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्श 0.57 कि. ग्रा. है ।

प्रदे ा के 76 प्रति ात किसान सीमान्त और छोटे कृशक है, जिनके पास औसतन डेढ़ हेक्टेयर से भी कम जमीन है । अतएव लगातार कृशि के साथ–साथ पूरक आय के स्त्रोत विकसित करने हेतु डेयरी, बकरी, सूकर, कुक्कुट व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है । प ु संवर्धन कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुये कृत्रिम गर्भाधान सुविधा विहीन पंचायतों में नस्ल सुधार हेतु भारतीय नस्ल के सांडों का वितरण प्रारंभ किया गया । अंजोरा जिला दुर्ग में फ्रोजन सीमन बैंक की स्थापना की गयी है, जहां हिमीकृत वीर्य पद्धति से कृत्रिम गर्भाधान हेतु अन्य प्रान्तों से लाये गये फ्रोजन सीमन को रखा जाता है ।

3.3.4 गाय एवं बैल जोड़ियों का वितरण

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ग्रामीण अंचल में निवासरत भूधारक अनुसूचित जनजाति परिवारों को कृशि कार्य में आत्मनिर्भर

तालिका क.– 3.50
गाय एवं बैल जोड़ियों का वितरण

क.	वर्ष	बैलजोड़ी वितरण	गाय वितरण
1	2005–06	3071	8791
2	2006–07	48082	7203
3	2007–08	32612	15994
	योग:–	**83765**	**31988**

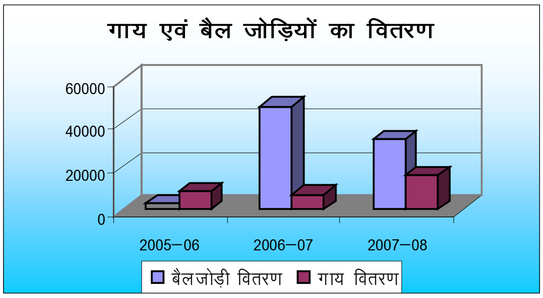

बनाने के लिये, नि: ुल्क गाय एवं बैल जोड़ी प्रदाय की अभिनव योजना प्रारंभ की गयी है । प्रदे ा के 85 अनुसूचित तथा 03 बैगा प्रिमिटीव ब्लॉक में 2005–06 से 2007–08 तक कुल 15994 गायों तथा 83765 बैल जोड़ियों का वितरण किया गया हैं ।

3.3.5 सांड वितरण योजना

उन्नत प्रजनन सुविधा विहीन प्रदे ा के सभी ग्राम पंचायतों में राज्य द्वारा उन्नत नस्ल के सांड वितरण की अभिनव योजना प्रारंभ की गयी है । ग्राम पंचायतों को भारतीय नस्ल के गिर साही वाल, थरपाकर, हरियाणा आदि सांडों का वितरण किया जा रहा है ।

तालिका क. – 3.51

सांड वितरण

क.	वर्ष	सांड वितरण
1	2000–01	0
2	2001–02	0
3	2002–03	0
4	2003–04	0
5	2004–05	331
6	2005–06	395
7	2006–07	1115
8	2007–08	821
	योगः–	**2662**

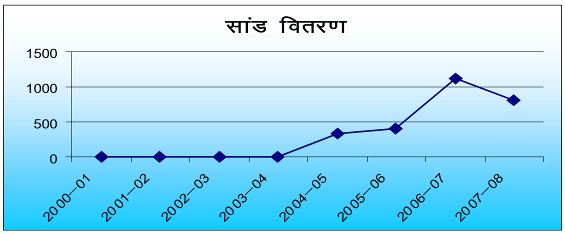

योजना के प्रारंभिक वर्श 2004–05 से 2007–08 तक प्रदे ा में कुल 2662 सांडों का वितरण किया गया है ।

3.3.6 सूकर त्रयी एवं सूकर वितरण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सूकर पालकों को विनिमय के आधार पर सूकर त्रयी एवं नर सूकरों का वितरण किया जाता हैं ।

तालिका क. – 3.52

सूकर त्रयी एवं सूकर वितरण

क.	वर्ष	सूकर त्रयी वितरण	सुकर वितरण
1	2000–01	63	166
2	2001–02	16	128
3	2002–03	53	136
4	2003–04	84	149
5	2004–05	3491	4560
6	2005–06	1652	899
7	2006–07	991	337
8	2007–08	2000	400
	योगः–	**8350**	**6775**

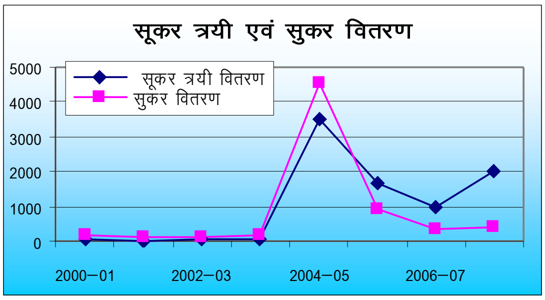

राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से ही राज्य में ये योजनायें चल रही है । 2000–01 से लेकर 2007–08 तक कुल 8350 सूकर त्रयी तथा 6775 नर सूकरों का वितरण किया गया हैं ।

3.3.7 बकरी पालन योजना

इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में बकरी पालकों को विनिमय के आधार पर बकरी इकाइयों का वितरण किया जाता है । वर्श 2000–01 से 2007–08 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 15620 बकरा इकाइयों का वितरण किया गया हैं ।

तालिका क. – 3.53

बकरी वितरण

क.	वर्ष	बकरा वितरण
1	2000–01	279
2	2001–02	268
3	2002–03	320
4	2003–04	364
5	2004–05	3336
6	2005–06	2567
7	2006–07	2986
8	2007–08	5500
	योग:–	**15620**

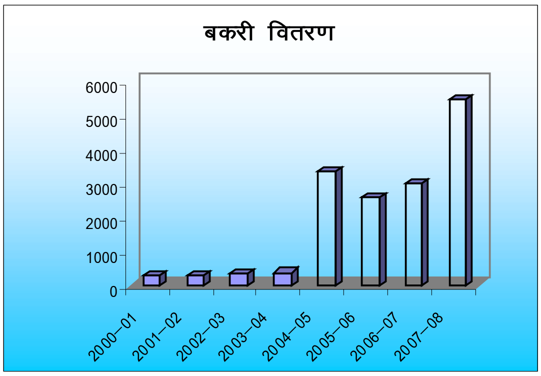

3.3.8 कुक्कुट विकास

कुक्कुट पालन एक पारम्परिक व्यवसाय है, जिसे और अधिक लाभप्रद बनाये जाने के प्रयास जारी है । कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने तथा बी.पी.एल. परिवारों की आय में वृद्धि के लिये कुक्कुट इकाइयों का वितरण किया जाता है ।

तालिका क.– 3.54

बैकयार्ड कुक्कुट वितरण

क.	वर्ष	बैकयार्ड कुक्कुट वितरण
1	2000–01	1411
2	2001–02	2347
3	2002–03	2584
4	2003–04	542
5	2004–05	9186
6	2005–06	15539
7	2006–07	16168
8	2007–08	14109
	योग:–	**61886**

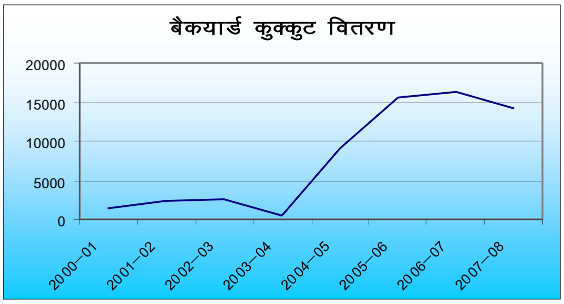

वर्श 2000–01 में 1411 इकाइयों के विरूद्ध 2007–08 में 14109 कुक्कुट इकाइयों का वितरण किया गया । राज्य निर्माण के बाद से 2007–08 तक कुल 61886 कुक्कुट इकाइयों का वितरण किया गया हैं ।

3.3.9 प ुधन कल्याण

प ु औशधालयों एवं चिकित्सालयों में प ुओं के उपचार, औशधि वितरण, टीकाकरण तथा इस हेतु लगाये गये ि ाविरों में राज्य निर्माण के बाद से निरन्तर वृद्धि हुई हैं ।

3.3.9.1 प ु उपचार

तालिका क. – 3.55
प ु उपचार

क.	वर्ष	उपचार किये गये प ुओं की संख्या
1	2000–01	1478581
2	2001–02	1344385
3	2002–03	1315858
4	2003–04	1659912
5	2004–05	1652313
6	2005–06	1791095
7	2006–07	2062369
8	2007–08	1920668

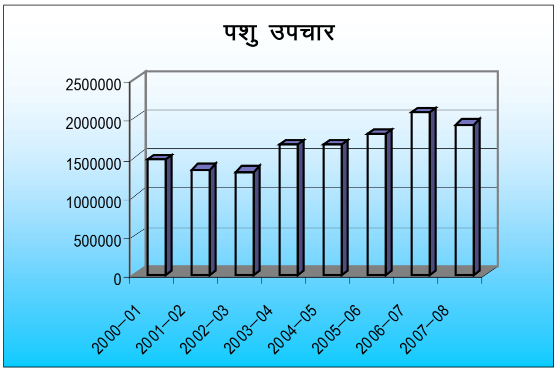

3.3.9.2 औशधि वितरण

तालिका क. – 3.56
औशधि वितरण

क.	वर्ष	औषधि वितरण
1	2000–01	1209779
2	2001–02	1365435
3	2002–03	1265827
4	2003–04	1730694
5	2004–05	1717244
6	2005–06	1877791
7	2006–07	2215176
8	2007–08	2208580

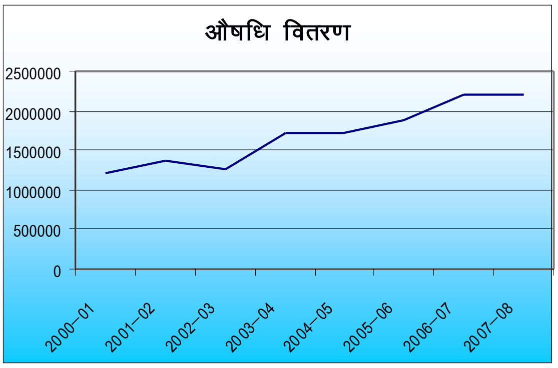

3.3.9.3 टीकाकरण

तालिका क. – 3.57
टीकाकरण

क.	वर्ष	टीकाकरण
1	2000–01	1582980
2	2001–02	6110720
3	2002–03	6011652
4	2003–04	7117242
5	2004–05	7762748
6	2005–06	10633925
7	2006–07	978428
8	2007–08	12129190

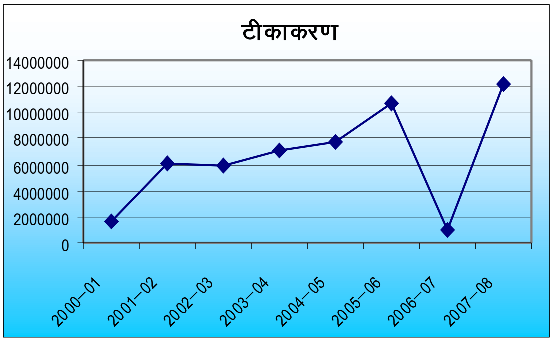

3.3.9.4 प ु ि ाविरों का आयोजना

तालिका क. – 3.58
प ु ि ाविरों का आयोजना

क.	वर्ष	पशु शिविर
1	2000–01	2961
2	2001–02	4573
3	2002–03	4783
4	2003–04	10194
5	2004–05	9353
6	2005–06	13837
7	2006–07	14555
8	2007–08	13354

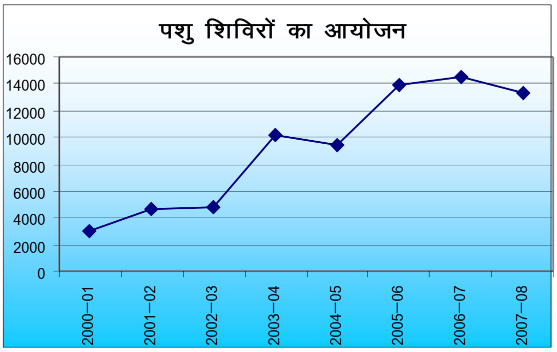

3.3.10 मिनीकिट
चारा मिनीकिट का वितरण

प ुधन के विकास हेतु चारा बीजो के मिनीकिट वितरण का प्रावधान है । खरीफ में अफ्रीकन मक्का, म.प्र. चरी और जवार तथा रबी में ओट, बरसीम और लूसने के 1 से 5 कि. ग्रा. तक के चारा बीज मिनीकिट का वितरण किया जाता हैं।

तालिका क. – 3.59
चारा मिनीकिट का वितरण

क.	वर्ष	कुल मिनीकिट चारा बीज का वितरण (संख्या)
2	2001–02	6246
3	2002–03	6000
4	2003–04	5100
5	2004–05	18300
6	2005–06	12000
7	2006–07	30200
8	2007–08	12700

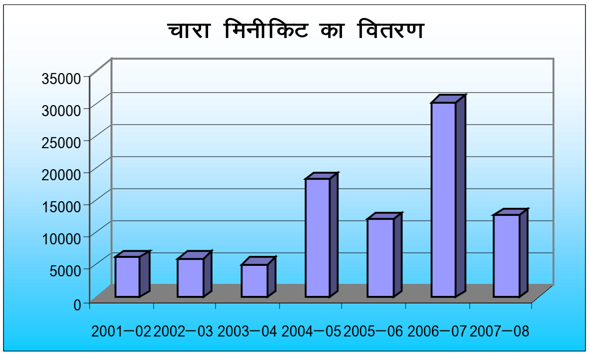

वर्श 2007–08 में 6246 मिनीकिट की तुलना में 2007–08 में 12700 मिनीकिट्स का वितरण किया गया हैं ।

3.3.11 छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग

इसका गठन 03.03.2003 को परिरक्षण एवं कल्याण हेतु किया गया है। प ु कल्याण एवं गौवं ाीय प ुओं की रक्षा हेतु कृशिक प ु परिरक्षण अधिनियम–2004 लागू किया गया, जिसके प्रभाव ााली कियान्वयन हेतु आयोग द्वारा 700 कृशक प ु कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। गौवं ा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु

राज्य के प्रत्येक जिले में कृशिक प ु कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की योजना है। गौसेवा आयोग द्वारा गौ ाालाओं में रखे गये अ ाक्त, बूढ़े तथा कत्ल खाने ले जाये जा रहे, प ुओं के कल्याण के लिये प्रदे ा में 38 गौ ाालाओं का पंजीयन कर उन्हें अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। गौ ाालाओं के पंजीयन की प्रकिया निरंतर जारी है। वर्श 2007–08 में 27 गौ ाालाओं को रू. 1,20,87,600 का अनुदान राि ा वितरित की गई है। छत्तीसगढ़ कृशिक प ु परिरक्षण अधिनियम– 2004 के प्रभावी कियान्वयन हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। गौवं ा के गोबर एवं गौमूत्र की उपयोगिता एवं महत्व के प्रचार–प्रसार एवं प्रि ाक्षण हेतु भी गौ ाालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। मानव के दैनिक जीवन में पंचगव्य का महत्व एवं उससे निर्मित औशधियों, साबुन, मंजन, मच्छर क्वाईल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, फिनाईल एवं कीटना ाक आदि रोजगार मूलक वस्तुओं के उत्पान, प्रि ाक्षण आदि हेतु आयोग द्वारा गौ ाालाओं को अनुदान प्रदाय किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग जैविक खाद निर्माण व बायोगैस के उत्पादन एवं उपयोगिता के प्रचार–प्रसार हेतु भी अनुदान दे रहा है। छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग द्वारा अपने गठन काल से अब तक कुल 2,63,97,500.00 रू. का अनुदान विभिन्न मदों में गौ ाालाओं को प्रदाय किया गया है।

3.4 मत्स्य पालन

मत्स्य पालन व्यवसाय एक वि ाश्ट स्थान रखता है । उपलब्ध जल संसाधन की दृश्टि से मत्स्य पालन व्यवसाय का विकास प्रदे ा में काफी तेजी से हो रहा है । राज्य की भौगोलिक रिथति एवं जलवायु मछली पालन हेतु उपयुक्त है । मछली पालन अधिक आय, कम लागत और कम समय में सहायक धन्धे के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है । यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का स ाक्त एवं रोजगारन्मुखी साधन है । मत्स्य पालन एक लाभकारी व्यवसाय होने के साथ–साथ पौश्टिक खाद्य पदार्थ भी है, जिससे कुपोशण को दूर किया जा सकता है ।

इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये तथा इससे ग्यारहवी पंचवर्शीय योजना में 1.88 लाख मत्स्य कृशक लाभान्वित होंगे। इनका लाभ अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है । ग्यारहवी पंचवर्शीय योजना में 1.8 लाख मी. टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये मत्स्य विभाग के परिव्यय एवं व्यय में राज्य निर्माण के बाद से ही निरंतर वृद्धि हुई है।

3.4.1 बजट प्रावधान तथा व्यय राि ा

तालिका क. – 3.60

बजट प्रावधान एवं व्यय

(राि ा लाख रू. में)

क.	वर्श	परिव्यय	व्यय
1.	2000–01	272.67	208.11
2.	2001–02	286.00	248.44
3.	2002–03	375.93	318.49
4.	2003–04	333.20	331.49
5.	2004–05	380.79	332.76
6.	2005–06	600.08	578.85
7.	2006–07	797.00	685.66
8.	2007–08	793.44	678.28

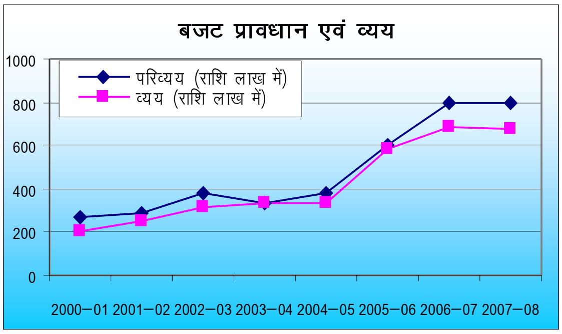

3.4.2 मत्स्य बीज उत्पादन के संसाधन

मत्स्य पालन को बढ़ावा देनें के लिये मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादन हेतु उपलब्ध संसाधनों का विस्तार हुआ है।

तालिका क. – 3.61
मत्स्य बीज उत्पादन के संसाधन

(जल क्षेत्र हेक्टेयर में)

क.	वर्श	चायनीज हैचरीज		मत्स्य बीज प्रक्षेत्र		संवर्धन पोखर	
		संख्या	जलक्षेत्र	संख्या	जलक्षेत्र	संख्या	जलक्षेत्र
1.	2000–01	33	56.50	26	21.17	21	16.22
2.	2001–02	33	56.50	26	21.17	21	16.22
3.	2002–03	33	56.50	26	21.17	21	16.22
4.	2003–04	40	72.12	30	35.45	258	54.12
5.	2004–05	45	91.95	32	39.35	258	54.12
6.	2005–06	48	96.11	32	39.35	258	54.12
7.	2006–07	48	96.11	32	39.35	258	54.12

चायनीज हैचरी, मत्स्य बीज प्रक्षेत्र एवं संर्वधन पोखर की संख्या

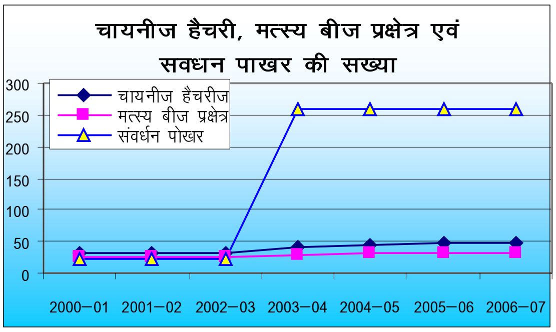

चायनीज हैचरीज की संख्या 2000–01 में 33 थी जो 2007–08 में बढ़कर 48 हो गयी है । 2008–09 में 2 और हैचरीज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है, जिससे कुल चायनीज हैचरीज की संख्या बढ़कर 50 हो जावेगी ।

मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की संख्या जो 2000–01 में 26 थी 2007–08 में बढ़कर 32 हो गई है । इसी प्रकार संवर्धन पोखरों की संख्या 2000–01 में 21 से बढ़कर 2007–08 में 258 हो गई हैं ।

चायनीज हैचरी, मत्स्य बीज प्रक्षेत्र एवं संवर्धन पोखरों के अंतर्गत जलक्षेत्र

चायनीज हैचरीज के अंतर्गत 2000–01 में 56.50 हेक्टेयर जलक्षेत्र था जो 2007–08 में बढ़कर 100 हेक्टेयर हो गया हैं । मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के अंतर्गत जहां 2000–01 में 21.17 हेक्टेयर जल क्षेत्र था 2007–08 में बढ़कर 39.35 हेक्टेयर हो गया । संवर्धन पोखरों के अंतर्गत 2000–01 में 16.22 हेक्टेयर जल क्षेत्र था जो 2007–08 में बढ़कर 70.12 हेक्टेयर हो गया हैं ।

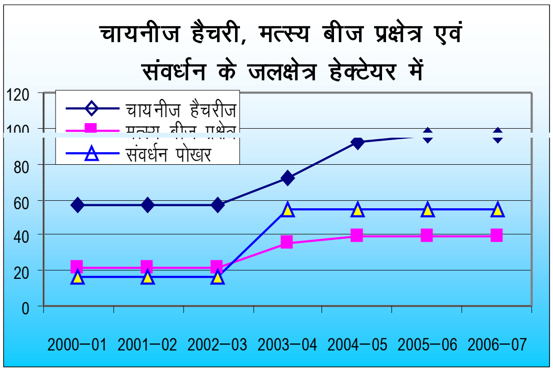

3.4.3 मत्स्य उत्पादन के संसाधन

तालिका क. – 3.62
मत्स्य उत्पादन के संसाधन

क्षेत्र हेक्टेयर में

क.	वर्श	तलाब संख्या	उपलब्ध क्षेत्र
1.	2000–01	46817	144285
2.	2001–02	49809	147200
3.	2002–03	54485	153800
4.	2003–04	54485	153800
5.	2004–05	55585	154900
6.	2005–06	55585	154900
7.	2006–07	55945	155300
8.	2007–08	58861	157900

मत्स्य उत्पादन के संसाधनों में निरंतर वद्धि हुई है। वर्श 2000–01 में 46,817 तालाबों में 1.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिये उपलब्ध था । 2007–08 में 58861 होने से तालाबों में मत्स्य उत्पादन के लिये उपलब्ध जल क्षेत्र

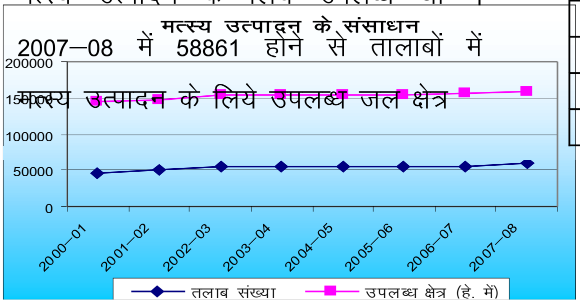

1.58 लाख हेक्टेयर हो गया ।

उपलब्ध 1.58 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 50482 तालाबों के अंतर्गत 1.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हैं, जो कि कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 90.69 प्रति ात है ।

3.4.4 मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन

मछली उत्पादन हेतु मछली का बीज मूलभूत आव यकता है । उपलब्ध जल संसाधन में मछली पालन के लिये वर्श 2007–08 में कुल 65.18 करोड़ सेंट फ्राई की आव यकता थी, जिसके विरूद्ध 64.96 करोड़ सेंटफ्राई का उत्पादन किया गया ।

तालिका क. – 3.63
मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन

उत्पादन लाख सेंटफ्राई में

क.	वर्श	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1.	2000–01	4079	2867
2.	2001–02	3600	3329
3.	2002–03	4045	3233
4.	2003–04	4200	3678
5.	2004–05	4620	4613
6.	2005–06	4960	5055
7.	2006–07	5915	5917
8.	2007–08	6400	6496

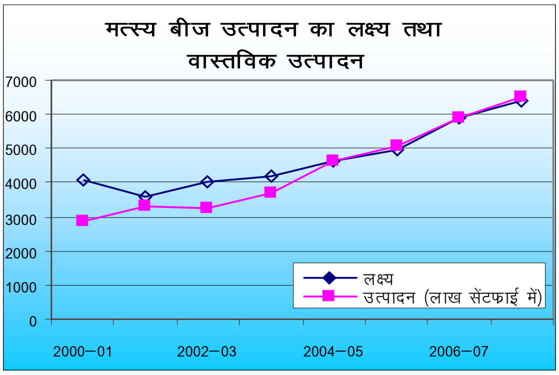

3.4.5 विभिन्न वर्शो में कुल मत्स्य उत्पादन

◁ 54▷

मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । वर्श 2000–01 में 89271 मी. टन लक्ष्य के विरूद्ध 93000 मी. टन मत्स्य का उत्पादन हुआ था । वर्श 2007–08 में 1.42 लाख मी. टन लक्ष्य के विरूद्ध 1.39 लाख मी. टन मत्स्य का उत्पादन हुआ ।

तालिका क. – 3.64
मत्स्य उत्पादन

उत्पादन मीट्रिक टन में

क.	वर्श	लक्ष्य	उत्पादन
1.	2000–01	89271	93000
2.	2001–02	90172	95872
3.	2002–03	96125	99800
4.	2003–04	96341	110520
5.	2004–05	103000	120072
6.	2005–06	104000	131751
7.	2006–07	113970	137753
8.	2007–08	141950	139373

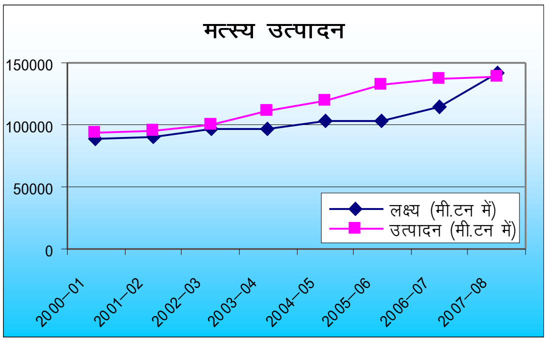

3.4.6 मत्स्य कृशक विकास योजनान्तर्गत प्रदान सहायता

मत्स्य कृशक विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य कृशकों को तकनीकी वित्तीय एवं विस्तार में सहयोग के लिये एक पैकेज के रूप में सहायता दी जाती है । मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिये मत्स्य कृशकों को नये तालाबों के खनन प्रथम वर्श के लिये, आगतो (मत्स्य बीज, चारा, खाद आदि) पर होने वाला व्यय, एकीकृत मत्स्य उत्पादन, मत्स्य बीज हेचरी तथा मत्स्य चारा मिलों के लिये अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है ।

मत्स्य कृशक विकास अभिकरण योजना के अंतर्गत मत्स्य कृशकों को गत वर्शो में दिये गये ऋण, अनुदान तथा उनकी स्वयं की भूमि पर निर्मित नये तालाबों का विवरण तालिका में दर्शि त है।

तालिका क. – 3.65
मत्स्य कृशक विकास योजनान्तर्गत प्रदान सहायता

(राशि लाख रू0 में)

क.	वर्श	ऋण	अनुदान	स्वयं की भूमि पर नये तालाबो का निर्माण
1.	2000–01	44.47	28.60	70
2.	2001–02	87.48	51.25	387
3.	2002–03	185.26	40.12	422
4.	2003–04	164.68	58.39	151
5.	2004–05	236.72	84.65	225
6.	2005–06	216.67	65.03	142
7.	2006–07	325.29	101.58	176
8.	2007–08	366.55	98.92	124

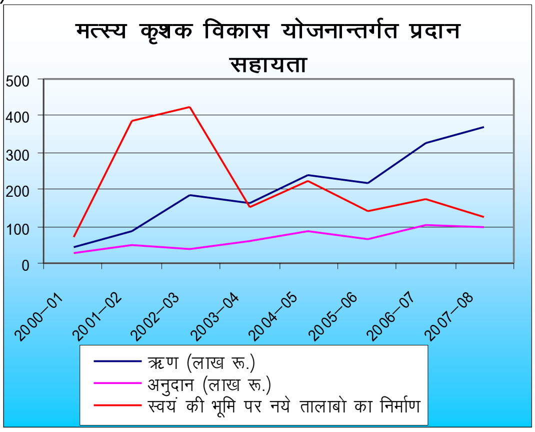

3.4.7 मत्स्य कृशकों का प्रशिक्षण

मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, मत्स्य कृशकों का अध्ययन, भ्रमण, मत्स्य कृशक विकास अभिकरण तथा विस्तार एवं प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के मत्स्य कृशकों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं । इन योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।

तालिका क. – 3.66
मत्स्य कृशकों का प्रशिक्षण

क.	वर्श	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या
1.	2000–01	1814
2.	2001–02	2030
3.	2002–03	1226
4.	2003–04	1886
5.	2004–05	2469
6.	2005–06	2667
7.	2006–07	6590
8.	2007–08	6147

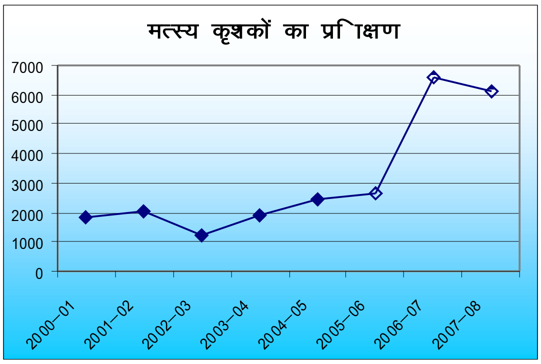

वर्श 2000–01 में सभी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या 1814 थी जो 2007–08 में बढ़कर 6147 हो गई है । 2008–09 में 6536 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है ।

3.4.8 मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार सृजन

मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 2007–08 में 83

तालि
मत्स्य उत्पादन

लाख मानव दिवस में

क.	वर्श	रोजगार का सृजन

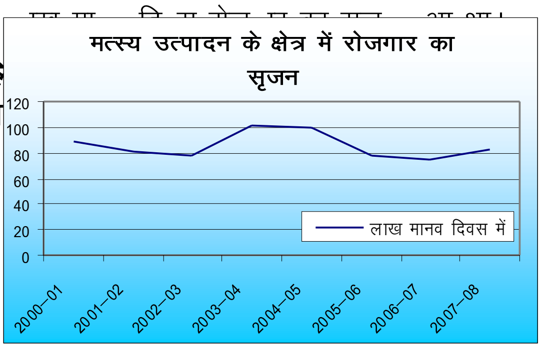

1.	2000—01	89
2.	2001—02	81
3.	2002—03	78
4.	2003—04	101
5.	2004—05	100
6.	2005—06	78
7.	2006—07	75
8.	2007—08	83

3.5 सहकारी संस्थाएं

कृशि विकास में सहकारिता आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। कृशि के विकास के लिये कृशिगत आगतों की पूर्ति, पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और कृशि उत्पादो के उत्पादन तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहकारिता के सुदृढ़ीकरण करने की आव यकता है। राज्य सरकार विभिन्न समितियों के माध्यम से इन समितियों से जुड़े किसाों को ऋण एवं अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है।

अल्पकालीन साख संरचना का त्रिस्तरीय ढाचां कार्यरत है। राज्य सहकारी बैंक (एपेक्स बैंक) तथा राज्य सहकारी कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंक राज्य स्तर पर कार्य ील है। जिला स्तर पर 06 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा 12 जिला सहकारी कृशि तथा ग्रामीण विकास बैंक कार्य कर रहे है। 1333 प्राथमिक कृशि सहकारी साख समितियां और 14 भाहरी ऋण समितियां जिला स्तरीय संस्थाओं से जुड़ी हुई है। प्राथमिक कृशि साख सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी बैंको द्वारा कृशको को नगद एवं वस्तु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटना ाक औशधि, कृशि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृशि उपज विपणन एवं भासन के अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। प्रदे ा में कुल 1333 प्राथमिक कृशि साख सहकारी समितियां कार्यरत है, जिसमें 857 प्राथमिक कृशि सहकारी समितियां (पैक्स) एवं 476 वृहद आदिवासी बहुउद्दे ीय समितियां (लैम्पस) है।

3.5.1 वित्तीय उपलब्धियाँ

◁ 57▷

सहकारिता विभाग का वर्श 2000–01 में रू. 9.43 करोड़ का बजट प्रावधान था, जो वर्श 2008–09 में बढ़कर रू. 147.32 करोड़ का हो गया है।

तालिका क. – 3.68

प्राप्त आबंटन तथा व्यय

(राि ा लाख रू. में)

क.	वर्श	प्राप्त आबंटन	व्यय	व्यय का प्रति ात
1	2000–01	943	65	6.9%
2	2001–02	3478	2542	73.08%
3	2002–03	4126	2012	48.75%
4	2003–04	7093	2723	38.38%
5	2004–05	5614	3412	60.77%
6	2005–06	6454	3008	46.6%
7	2006–07	9032	6510	72.06%
8	2007–08	11080	7827	70.63%

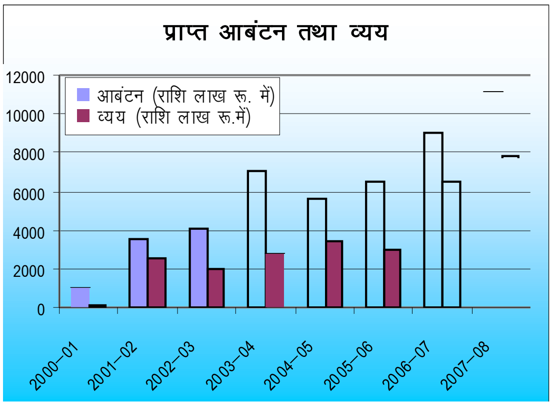

2000–01 में सहकारिता विभाग द्वारा प्राप्त आबंटन रू. 9.43 करोड़ में से केवल रू. 0.65 लाख का व्यय किया गया जो कि कुल प्राप्त आबंटन का 6.90 प्रति ात था । वर्श 2007–08 में प्राप्त आबंटन रू. 110.86 करोड़ में

से रू. 78.27 करोड़ का व्यय किया गया जो कि प्राप्त आबंटन का 70.63 प्रति ात है। वर्श 2008–09 में बजट में प्रावधानित राि ा रू. 78.33 प्रति ात के व्यय का अनुमान है।

3.5.2 अल्पकालीन कृशि ऋण का वितरण

अब कृशकों को 3 प्रति त ब्याज दर पर कृशि ऋण दिया जा रहा है। कृशकों को ऋण की पात्रता अधिकतम 75 हजार से 1 लाख तक थी, उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात पूर्व में 60:40 था, उसे 2007–08 से सं ोधित कर 40:60 कर दिया गया है।

तालिका क. – 3.69
अल्पकालीन कृशि ऋण

(रा ि लाख रू. में)

क्र.	वर्श	अल्पकालीन कृशि ऋण का नगद वितरण
1	2000–01	844
2	2001–02	15242
3	2002–03	26023
4	2003–04	24305
5	2004–05	33446
6	2005–06	35284
7	2006–07	45698
8	2007–08	58836

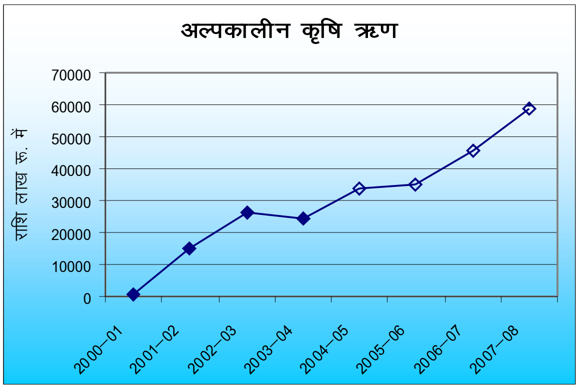

वर्श 2000–01 में कुल रू. 8.44 करोड़ के अल्पकालीन ऋण दिये गये थे। वर्श 2007–08 में रू. 588.36 करोड़ के अल्पकालीन ऋण दिये गये वर्श 2008–09 में रू. 805.00 करोड़ के अल्पकालीन ऋण देने का अनुमान है।

3.5.3 अल्पकालीन कृशि ऋणों की वसूली

वर्श 2001–02 में रू. 418.03 करोड़ की मांग के विरूद्ध रू. 303.92 करोड़ की वसूली की गयी। वसूली का प्रति त 72.70 रहा है। वर्श 2007–08 में रू. 972.75 करोड़ मांग के विरूद्ध रू. 497.78 करोड़ की वसूली की गई।

तालिका क. – 3.70
अल्पकालीन कृशि ऋण की वसूली

(रा ि लाख रू. में)

क्र.	वर्श	मांग	वसूली	वसूली का प्रति त
1	2000–01	0	0	0
2	2001–02	41803	30391	72070
3	2002–03	49763	32605	65.52
4	2003–04	53541	36200	67.61
5	2004–05	60718	40046	65.96
6	2005–06	6887	43583	64.01
7	2006–07	79259	43925	61.73
8	2007–08	97275	49798	51.19

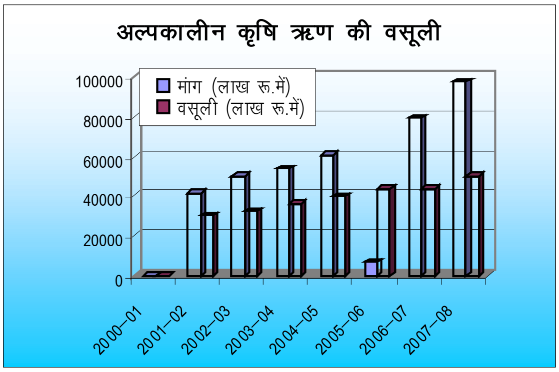

सहकारी बैंको एवं समितियों द्वारा दिए गए सहकारी ऋणों की अवरूद्ध कालातीत ऋण रा ियों की वसूली हेतु एक मु त योजना प्रारंभ की गई है। योजना के माध्यम से बैंको के एन.पी.ए. में कमी लाने के साथ कालातीत ऋणों (वि ोशकर संदिग्ध एवं डूबत) की वसूली हेतु वैधानिक जटिलाताओं से मुक्ति प्रदान की गई है। जान बूझकर चूक न करने वाले हितग्राहियों का पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। कालातीत ऋणी 14 प्रति त ब्याज दर से लिये गये ऋण अदायगी कर तत्काल 6 प्रति त पर नए ऋण प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत 4298 सदस्य लाभान्वित, उनसे 428.01 लाख रू. रा ि की वसूली हुई।

3.5.4 वैद्यनाथन कमेटी की अनु ंसाओं का कियान्वयन

वैद्यनाथन कमेटी की अनु ंसा को लागू करने हेतु दिनांक 25.09.2007 को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किये गये है। वैद्यनाथन कमेटी की अनु ंसा अनुसार प्रदे ा के राज्य सहकारी बैंक, 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं 1333 प्राथमिक कृशि साख सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस समझौता के तहत लगभग रा ा रू. 263.75 करोड़ का आर्थिक पैकेज प्राप्त होगा। उक्त रा ा में केन्द्र सरकार की रू. 127.38 करोड़, राज्य सरकार की रू. 125.25 करोड़ एवं संस्थाओं की रू. 11.13 करोड़ की भागीदारी होगी। यह सहकारी संस्थाओं की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। वैद्यनाथन कमेटी की अनु ंसाओं को लागू करने हेतु वर्श 2008–09 के बजट में रू. 75.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3.5.5 नवीन सहकारी सोसायटी अधिनियम में वि ाश्ट प्रावधान

सहकारी सोसायटियों को और अधिक प्रजातांत्रिक स्वरूप में सुदृढ़ करने हेतु नवीन सहकारी सोसायटी अधिनियम मार्च 2006 विधानसभा में पारित किया गया। इसमे समय पर निर्वाचन की बाध्यता का प्रावधान है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अन्य प्रजातांत्रिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद धारण करने पर रोक लगाई गई है। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम दो वर्शो का होगा। निर्वाचन आयोग तथा सहकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। वि ाश्ट प्रावधानों के अंतर्गत अंकेक्षण कराने का दायित्व भी सहकारी संस्थाओं पर डाला गया है।

3.5.6 सहकारी संस्थाओं में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना

प्रथम बार सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन कराया जा रहा है। अब तक कुल 1333 में से 1326 प्राथमिक कशि साख सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन पूर्ण हो गये है। अब तक 83 विपणन सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन भी पूर्ण करा लिया गया है। भोश संस्थाओं का निर्वाचन कार्यक्रम तय किया जा चुका है। सभी सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन करा कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिये भाासन वचनबद्ध है।

3.5.7 किसान केडिट कार्ड

वर्श 1999 से सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको में कृशि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसान केडिट कार्ड सदस्यों को उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत समिति के नियमित सदस्यों को अल्पकालीन ऋण की साख सीमा उनकी पात्रतानुसार उपलब्ध करायी जाती है। साख सीमा रू. 75 हजार से रू. 1 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 3 लाख किया गया। नगद एवं वस्तु का अनुपात 40:60 था, जिसे अब 60:40 किया गया है।

तालिका क. – 3.71
किसान केडिट कार्ड

क.	वर्श	किसान केडिट कार्ड की संख्या	स्वीकृत साख सीमा (रा ा करोड़ रू0 में)
1	2000–01	55994	83.99
2	2001–02	151352	192.93
3	2002–03	270140	409.69
4	2003–04	351588	627.84
5	2004–05	533815	829.22
6	2005–06	682194	1083.52
7	2006–07	783949	1362.44
8	2007–08	852169	1461.83

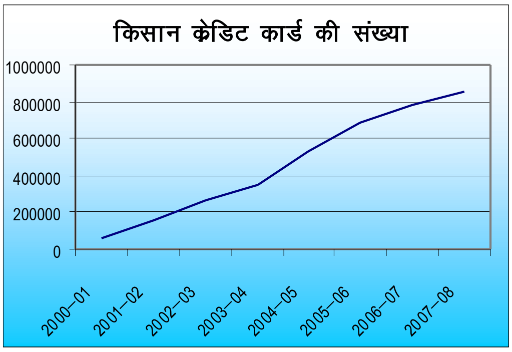

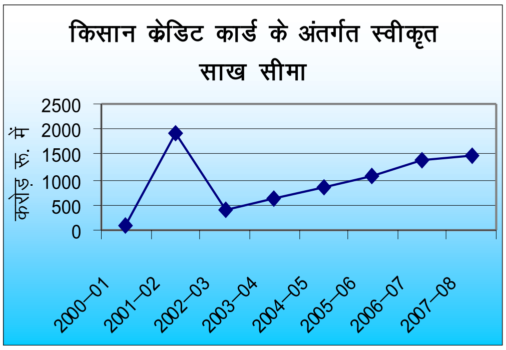

3.5.8 दीर्घकालीन ऋण

दीर्घकालीन साख का द्विस्तरीय ढांचा कार्यरत है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृशि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 12 जिला सहकारी कृशि और ग्रामीण विकास बैंको की भााखाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कृशि एवं कृशि प्रयोजनार्थ जैसे उद्यानिकी, मत्स्य पालन, रे ाम उद्योग, कृशि वानिकी, बायोगैस प्लांट आदि तथा गैर कृशि प्रयोजनों के लिये दीर्घकालीन साख उपलब्ध करायी जाती है।

तालिका क. – 3.72
दीर्घकालीन ऋण

(रा ि ा लाख रू. में)

क.	वर्श	दीर्घकालीन ऋण का लक्ष्य	दीर्घकालीन ऋण की पूर्ति	प्रति ा त
1	2000—01	1873	1855	99.05
2	2001—02	3800	3457	90.98
3	2002—03	5000	4242	84.84
4	2003—04	5700	3980	69.82
5	2004—05	6400	4089	63.89
6	2005—06	4200	2946	70.15
7	2006—07	4200	712	16.94
8	2007—08	1714	1770	103.25

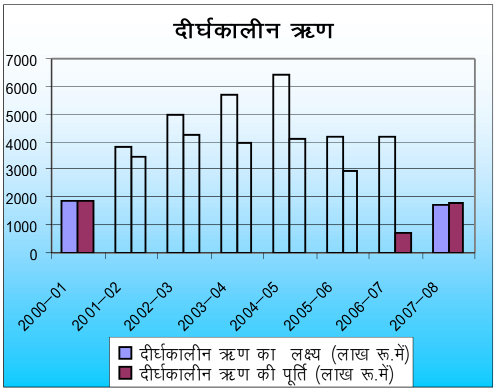

वर्श 2000—01 में रू. 18.73 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध रू. 18.55 करोड़ के दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति की गई। वर्श 2007—08 में रू. 17.14 करोड़ के विरूद्ध रू. 17.70 करोड़ के दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया गया है जो कि लक्ष्य का 103 प्रति ात है। वर्श 2008—09 में रू. 70 करोड़ के दीर्घकालीन ऋणों के पूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

3.5.9 दीर्घकालीन ऋणों की वसूली

तालिका क
दीर्घकालीन ऋ

(रा ि ा लाख रू. में)

क.	वर्श	मांग	वसूली (30 जून तक)	प्रति ा त
1	2000—01	2705	1823	67.4

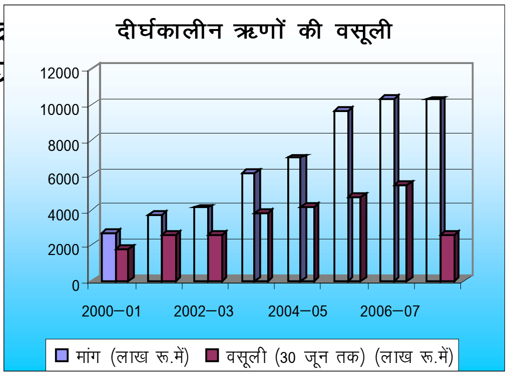

2	2001–02	3752	2634	70.2
3	2002–03	4116	2615	63.53
4	2003–04	6110	3865	63.26
5	2004–05	6977	4216	60.42
6	2005–06	9653	4726	48.96
7	2006–07	10326	5436	52.64
8	2007–08	10252	2613	25.49

वर्श 2000–01 में रू. 27.05 करोड़ की मांग के विरूद्ध रू. 18.23 करोड़ की वसूली की गई, जो कि मांग के विरूद्ध 67 प्रति ात थी। वर्श 2007–08 में 102.52 करोड़ के विरूद्ध रू. 26.13 करोड़ की वसूली हुई है।

3.5.10 सहकारी संस्थाओं के माध्यम से रासायनिक खाद का वितरण

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृशकों को रासायनिक खाद का वितरण किया जा रहा है।

तालिका क. – 3.74
रासायनिक खाद का वितरण

(मीट्रिक टन में)

क.	वर्श	रासायनिक खाद वितरण
1	2000–01	79024
2	2001–02	94378
3	2002–03	268553
4	2003–04	234544
5	2004–05	305682
6	2005–06	332152
7	2006–07	395212
8	2007–08	422059
9	2008–09 (लक्ष्य)	534600

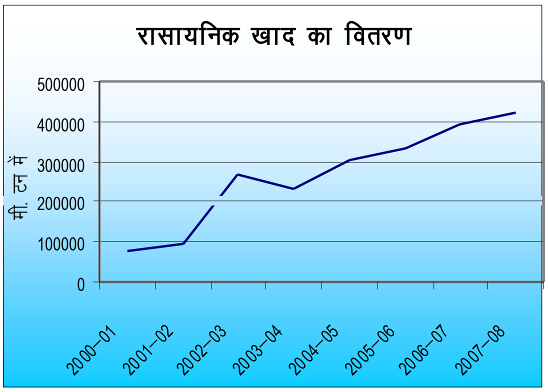

वर्श 2000–01 सहकारी संस्थांओं के माध्यम से 79,024 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया गया। वर्श 2007–08 में सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद का वितरण बढ़कर 4,22,059 मीट्रिक टन हो गया है। वर्श 2008–09 में सहकारी समितियों के माध्यम से 5.34.600 मीट्रिक टन रासायनिक खाद के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

3.5.11 सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य

3.5.11.1 भोरमदेव सहकारी भाक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा

प्रथम भाक्कर कारखाना सहकारिता क्षेत्र में रू. 49.00 करोड़ की लागत से वर्श 2002–03 में स्थापित किया गया। कारखाने की क्षमता 2500 टी.सी.डी. है। वर्श 2006–07 में क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने से किसानों के हित में संपूर्ण गन्ना खरीदने का निर्णय लिया गया। राज्य भाासन ने इससे होने वाली क्षति की पूर्ति का आ वासन दिया था जिसके परिप्रेक्ष्य में कारखाने को भाासन द्वारा रा ि ा रू. 10.51 करोड़ प्रदाय किया गया। वर्तमान में कारखाने की सदस्य संख्या 16922 है, जिनमें से 7000 कशक गन्न उत्पादन कर रहे है तथा गन्न उत्पादक कृशको की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

3.5.11.2 दंते वरी मैया सहकारी भाक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला दुर्ग

दूसरा सहकारी भाक्कर कारखाना भी सहकारी क्षेत्र में बालोद के करकाभाट में स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 1250 टी.सी.डी. होगी जिसकी अनुमानित लागत 48.50 करोड़ है। संस्था के 14755 कशक, 116 सहकारी संस्थाओं की कुल 3.70 करोड़ अं ा पूंजी है। राज्य भाासन की अं ापूंजी रू. 13.50 करोड़ प्रदाय की गई है। भाासन द्वारा 5 करोड़ का ऋण भी प्रदान किया गया है। 2008 के पेराई सीजन से कारखाना को प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है।

3.5.11.3 मॉ महामाया सहकारी भाक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर

तीसरा भाक्कर कारखाना सहकारिता क्षेत्र में अंबिकापुर के ग्राम केरता में स्थापित किया जा रहा है। कारखाने का ि ालान्यास 13 मई 2007 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। इसकी क्षमता 2500 टी.सी.डी. होगी जिसकी अनुमानित लागत 94 करोड़ है। संस्था क्षेत्र के कशक एवं सहकारी संस्थाओं की कुल 9.40 करोड़ अं ापूंजी होगी, जिसके विरूद्ध 2.94 करोड़ एकत्रित हो चुके है। राज्य भाासन की अं ापूंजी रू. 42.30 करोड़ है। भाासन द्वारा अभी तक 10 करोड़ प्रदाय किये गये है।

3.6 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, भाक्कर, केरोसिन आदि आव यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग कृशको को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किये जाने हेतु घोशित मूल्य पर धान का उर्पाजन करता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितो का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है।

3.6.1 मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

समाज के कमजोर वर्गो को खाद्यान सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना 1 अप्रेल 2007 से प्रारंभ की गयी। प्रारंभ में इस योजना के अंतर्गत 7 लाख अंत्योदय परिवारो तथा 12 लाख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारो को 3 रू. किलो चावल प्रदान किया जा रहा था। 1 जनवरी 2008 से सभी वर्गो के 34 लाख परिवारो को प्रति परिवार 35 किलो चावल 3 रू. प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा हैं।

3.6.2 समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन

किसानो को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान किये जाने हेतु घोशित समर्थन मूल्य पर राज्य द्वारा धान की खरीदी की जाती है। राज्य की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा धान की खरीदी की जाती है।

3.6.3 समर्थन मूल्य

वर्श 2000–01 में सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रू. 510 प्रति क्विंटल तथा 'ए' श्रेणी के धान के लिये रू. 540 प्रतिक्विंटल था जो 2007–08 में बढ़कर सामान्य श्रेणी के लिये रू. 580 प्रतिक्विंटल तथा 'ए' श्रेणी के लिये 675 रू. प्रतिक्विंटल हो गया है। वर्श 2007–08 में दोनो ही श्रेणी के धान उर्पाजन पर रू. 100 प्रति क्विंटल बोनस भी देय है।

तालिका क. – 3.75
धान का समर्थन मूल्य

क.	वर्ष	समर्थन मूल्य		बोनस
		सामान्य श्रेणी	'ए' ग्रेड	
1.	2000—01	510	540	—
2.	2001—02	530	560	—
3.	2002—03	530	560	20
4.	2003—04	550	580	—
5.	2004—05	560	590	—
6.	2005—06	570	600	—
7.	2006—07	580	610	40
8.	2007—08	645	675	100

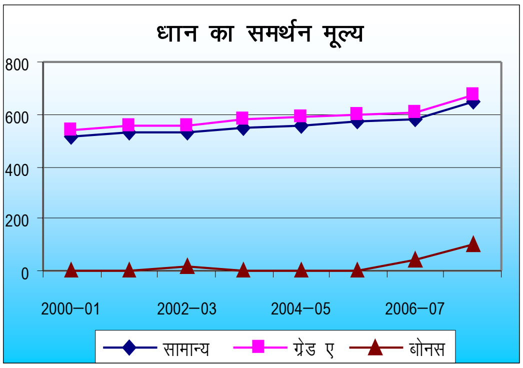

3.6.4 धान खरीदी केन्द्रो की संख्या

धान खरीदी केन्द्रो की संख्या 2000—01 में 1373 से बढ़कर 2007—08 में 1533 हो गई है।

तालिका क. – 3.76
धान खरीदी केन्द्रो की संख्या

क.	वर्ष	धान खरीदी केन्द्र की संख्या
1.	2000—01	1373
2.	2001—02	1377
3.	2002—03	1443
4.	2003—04	1482
5.	2004—05	1502
6.	2005—06	1499
7.	2006—07	1519
8.	2007—08	1533

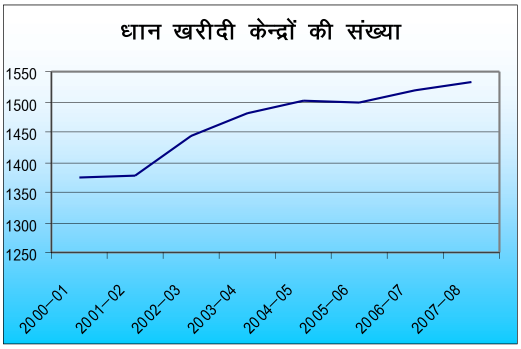

3.6.5 उपार्जित धान की मात्रा

वर्ष 2000—01 में केवल 5.87 लाख टन धान का उपार्जन और उस पर रू. 363.78 करोड़ व्यय किया गया था। वर्ष 2007—08 में धान का उपार्जन बढ़कर 31.59 लाख टन हो गया और रू. 3137.75 करोड़ व्यय किये गये।

तालिका क. – 3.77
उपार्जित धान की मात्रा तथा व्यय

(मात्रा टन में मूल्य करोड़ रूपयों में)

क.	वर्ष	उपार्जित धान की मात्रा	उपार्जन पर व्यय
1.	2000—01	587490	364
2.	2001—02	1899517	1373

3.	2002—03	1474382	1156
4.	2003—04	2705067	2096
5.	2004—05	2886730	2100
6.	2005—06	3586777	2598
7.	2006—07	3714281	2646
8.	2007—08	3158924	3138

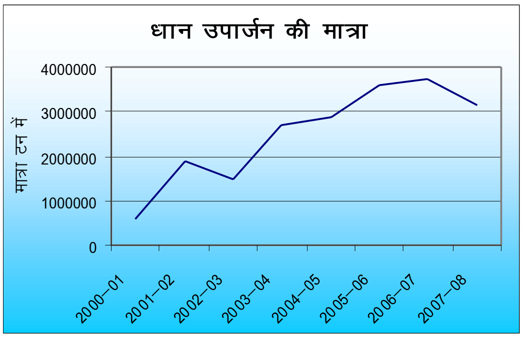
धान उपार्जन की मात्रा
मात्रा टन में
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2000–01
2001–02
2002–03
2003–04
2004–05
2005–06
2006–07
2007–08

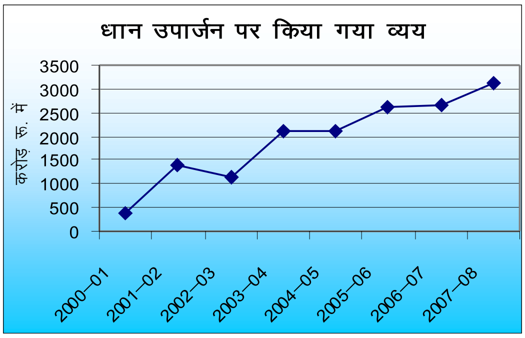
धान उपार्जन पर किया गया व्यय
करोड़ रू. में
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000–01
2001–02
2002–03
2003–04
2004–05
2005–06
2006–07
2007–08

3.6.6 समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन से होने वाली हानि

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन से होने वाले कुल व्यय के अनुपात में हानि का प्रति ात पिछले कुछ वर्शो में घटा है। वर्श 2000–01 में धान उपार्जन पर होने वाले कुल व्यय रू. 363.78 करोड़ में से रू. 90.10 करोड़ की हानि हुई थी। 2006–07 में 2646.46 करोड़ के व्यय में से केवल 191 करोड़ की हानि हुई है। वर्श 2007–08 मे इसके और कम होने की संभावना है।

तालिका क. – 3.78
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन से होने वाली हानि

(रू. करोड़ में)

क.	वर्ष	समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान से होने वाली हानि
1.	2000–01	90
2.	2001–02	376
3.	2002–03	275
4.	2003–04	387
5.	2004–05	216
6.	2005–06	99
7.	2006–07	191

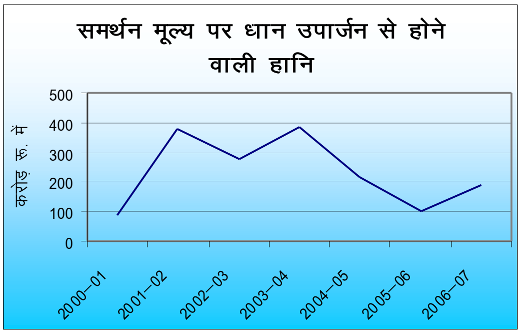

3.6.7 धान निराकरण में लगने वाला समय

धान निराकरण में लगने वाले समय में भी निरंतर कमी आ रही है।

तालिका 3.79
धान निराकरण में लगने वाला समय

(माह में)

क.	वर्ष	धान निराकरण में लगने वाला समय
1.	2000–01	15
2.	2001–02	26
3.	2002–03	18
4.	2003–04	15
5.	2004–05	11
6.	2005–06	7
7.	2006–07	6

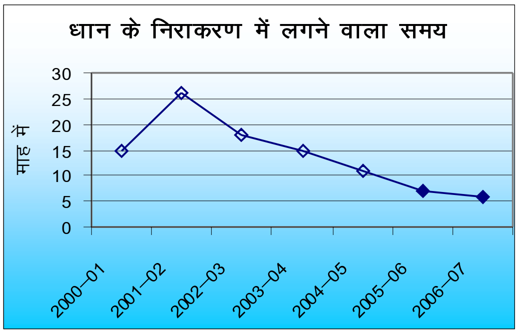

3.6.8 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण

धान खरीदी के कार्य का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इसके लिये सभी 1533 धान खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थापित किये गये है तथा प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर में दर्ज कर ली गयी है। इसके साथ ही किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्रो में धान विक्रय के तुरन्त बाद कम्प्यूटर द्वारा निर्मित चेक तत्काल संबंधित किसान को उपलब्ध करा दिया जाता है।

3.6.9 ने ानल ई. गर्वनेन्स अवार्ड 2007–08

भारत सरकार के प्र ाासनिक सुधार एवं जन ि ाकायत निवारण विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्व ारा वर्श 2007–08 के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य विभाग को ऑन लाईन धान खरीदी के प्रोजेक्ट के लिये ने ालन ई. गर्वनेन्स के कांस्य पदक का अवार्ड दिया गया है।

3.6.10 छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना

वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगो के भाोशण को रोकने तथा घेंघा रोग पर नियंत्रण लगाने के लिये राज्य द्वारा 26 जनवरी .2004 से राज्य के 85 विकासखण्डो में छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना लागू की गयी जिसे 15 अगस्त 2004 से प्रदे ा के समस्त विकासखण्डो में लागू कर दिया गया इसके अंतर्गत प्रदे ा के 23 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2 किग्रा आयोडाईज्ड नमक 25 पैसे प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

3.6.11 अन्नपूर्णा दाल भात योजना

निर्धन और जरूरतमंद लोगो को न्यूनतम मूल्य पर पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये प्रदे ा में जनवरी 2004 से अन्नपूर्णा दाल भात योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत 300 ग्राम चावल और 90 ग्राम दाल 5 रू0 में उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में 178 अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्र सामाजिक संस्थाओ, स्वसहायता समूहों तथा अन्य द्वारा चलाये जा रहे है। अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रो से प्रतिदिन 30000 से 35000 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे है।

3.6.12 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय प्रदे ा में 6501 उचित मूल्य दूकाने संचालित थी। राज्य गठन के बाद 3899 नयी दुकाने स्थापित की गयी है। राज्य में फरवरी 2008 की स्थिति में 10400 उचित मूल्य दुकाने संचालित है। जिसमें से 4148 पंचायत, 658 लेम्प्स, 1672 सेवा सहकारी समिति, 1395 अन्य सहकारी समिति, 2295 महिला स्वसहायता समूह तथा 232 वन सुरक्षा समितियां द्वारा संचालित की जा रही है।

तालिका क. – 3.80
उचित मूल्य के दुकानों की संख्या

क.	विवरण	उचित मूल्य दुकान की संख्या
1	पंचायत	4148
2	लेम्प्स	658
3	सेवा सहकारी समिति	1672
4	अन्य सहकारी समिति	1395
5	महिला स्वसहायता समूह	2295
6	वन सुरक्षा समितियां	232
	योगः–	**10400**

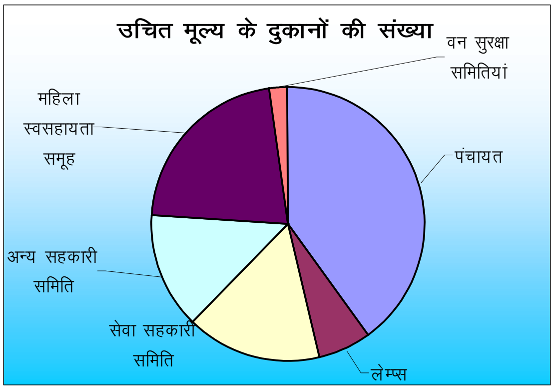

3.6.13 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य खाद्य विभाग द्वारा काल सेंटर, जनभागीदारी बेबसाइट एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

3.6.14 कॉल सेन्टर

खाद्य विभाग द्वारा स्थापित किये गये कॉल सेन्टर का दूरभाश क्रमांक 1800–233–3663 है। इस निःशुल्क फोन लाइन से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

3.6.15 जनभागीदारी बेबसाइट

जनभागीदारी वेबसाइट राज्य भाासन का एक ऐसा अभिनव प्रयोग है। जिसे राशन दुकान की मॉनिटरिंग में उपयोग करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। इस वेबसाइट का पता WWW.cg.nic.in/citizen है। कोई भी नागरिक इस वेबसाइट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा कर ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग के संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुबिधा प्राप्त कर सकता हैं। इस प्रथम पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु भी पंजीयन कराया जा सकता है। एस.एम.एस. सुबिधा के लिये पंजीयन में दर्ज कियें गये मोबाइल नंबर अथवा ई–मेल आई.डी. पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्र से संबंधित राशन दुकान को राशन प्रदाय करने हेतु डक चालान कम्प्यूटर पर जारी करते ही राशन की मात्रा एवं डाक क्रमांक की जानकारी के साथ–साथ प्रदाय तिथि एवं समय की जानकारी एस.एम.एस. अथवा ई–मेल के माध्यम से संबंधित नागरिकों को उपलब्ध हो जाती है। अपने मोबाइल नंबर पर राशन प्रदाय की जानकारी प्राप्त होते ही नागरिक द्वारा संबंधित राशन दुकान में जा कर राशन सामग्री के पहुंचने की पुश्टि की जा सकती है।

3.6.16 निगरानी समितियां

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों के अनुरूप, जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं प्रत्येक उचित मुल्य दुकान स्तर पर निगरानी समितियॉ गठित की गयी है। निगरानी समितियॉ यह सुनिश्चित कर रही है कि उचित मुल्य दुकान पर निहित विवरण प्रदर्शित हो, दुकानें निर्धारित दिनों एवं समय पर खुली रहें, दुकानदार द्वारा आबंटन के अनुसार सामग्री प्राप्त कर निर्धारित मात्रा में पात्र व्यक्तियों को प्रदाय की जाये। नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों का अपने क्षेत्र की उचित मुल्य की दुकानों के निरीक्षण का अधिकार है।

3.6.17 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोशण फोरम

अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक उपभोक्ता फोरम स्थापित हो। आवश्यकतानुसार एक से अधिक जिला फोरम भी स्थापित किये जा सकते है। समस्त जिलो में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित है जिनमें से 09 जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया एवं कोरबा तथा भोश 07 जिलों में अंशकालिक जिला फोरम क्रमशः महासमुन्द, धमतरी, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, जशपुर, कांकेर एवं दंतेवाड़ा कार्यरत है। राज्य भाासन द्वारा नवीन जिला नारायणपुर एवं बीजापुर को अंशकालिक जिला फोरम गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला फोरम में रू0 20.00 लाख तक के प्रकरण पंजीबद्ध होते है, जिसे उपभोक्ता/परिवादी द्वारा सादे आवेदन पत्र पर पंजीबद्ध कराया जा सकता है।

3.6.18 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोशण आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोशण आयोग, रायपुर का गठन दिनांक 01.11.2002 को किया गया है। जिसका मुख्य कार्य जिला फोरम के फैसले के विरूद्ध आने वाली अपीलों की सुनवाई तथा रू0 20.00 लाख से अधिक एवं 1.00 करोड़ तक की राि ा का ि ाकायतों की सुनवाई करना है।

3.6.19 उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों का विस्तार

विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के विस्तार तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रचार–प्रसार के लिये राज्य के 10 जिलों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिशदों का गठन किया जा चुका है तथा भोश 06 जिलों में गठन की कार्यवाही प्रचलित है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिशद के गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। राज्य में 305 विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन किया जा चुका है। राज्य के अधिक से अधिक विद्यालयो/महाविद्यालयो में उपभोक्ता क्लबों के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

3.6.20 छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

कार्पोरे ान द्वारा भाासन के अभिकर्ता के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य संपादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कार्पोरे ान द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप में मक्का का समर्थन मूल्य पर उपार्जन एवं विपणन एवं व्यवसाय से संबंधित कार्य संपादित किये जाते है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदे ा के लिए खाद्यान्न, नमक एवं भाक्कर का मासिक आबंटन कार्पोरे ान के द्वारा स्थापित किए गए प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है। कार्पोरे ान के द्वारा 98 प्रदाय केन्द्र संचालित है। भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रों से गेहूं एवं भाक्कर मिलों से भाक्कर का निगम द्वारा उठाव किया जाकर प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है, जहां से सहकारी संस्था/उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक वितरण कराये जाने की व्यवस्था है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, मध्यान्ह भोजन योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं खाद्यान्न उपलब्धता बनाए रखने में निगम की प्रमुख भूमिका है।

3.6.21 छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की गतिविधियां

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरे ान की स्थापना एग्रीकल्चरल प्रोडयूस डेव्हलपमेंट एण्ड वेयर हाउसिंग कार्पोरे ान एक्ट 1956 के तहत 02 मई 2002 को हुई है। निगम के राज्य भाासन एवं केन्द्रीय भंडारण गृह निगम 50–50 प्रति ात अं ाधारी है। छत्तीसगढ़ में निगम की 107 भााखाओं के गोदामों की संख्या 426 है, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 5.05 लाख मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा प्रदे ा में किराए पर लिए गए 180 गोदामों की कुल भण्डारण क्षमता 2.80 लाख मीट्रिक टन है। कृशकों/जमाकर्ताओं को अपने कृशि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस उददे य से स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करना तथा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना निगम का प्रमुख उददे य है।

निगम गठन के प चात 77,700 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया गया है। गोदामों का निर्माण ऋण एवं स्वयं के साधनो से किया गया है। कृशकों/जमाकर्ताओ के हितों के साथ–साथ समय–समय पर भाासन द्वारा निर्धारित नीतियों को दृश्टिगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कंध भण्डारण एवं वितरण,

समर्थन मूल्य, वाणिज्यिक खरीदी इत्यादि को भी ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

3.6.22 अन्नपूर्णा योजना

इस योजना के अंतर्गत 65 वर्श या इससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध को सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जो वृद्धावस्था पें ान प्राप्त करने की पात्रता रखते है किन्तु न तो उन्हे राज्य सामाजिक सुरक्षा पें ान स्कीम और न ही राश्ट्रीय वृद्धावस्था पें ान योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पें ान का लाभ मिल रहा है। ऐसे बेसहारा वृद्धो को प्रतिमाह 10 किलो चावल निः ुल्क प्रदाय किया जा रहा है। प्रदे ा में इस योजना से लाभान्वित होने वाले कार्डधारियों की संख्या 26,112 हैं।

अध्याय – 4
वन एवं वन आधारित उद्योग

वानिकी

राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,224 वर्ग कि.मी. है, जो कि दे ा के क्षेत्रफल का 4.1 प्रति ात है, जिसमें से वन क्षेत्रफल लगभग 59772 वर्ग कि.मी. है, जो कि प्रदे ा के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रति ात है तथा दे ा के वनक्षेत्रफल का 7.77 प्रति ात है ।

4.1 वनों की स्थिति

वन क्षेत्रफल का वैधानिक वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

आरक्षित वन – 43.14 प्रतिशत
संरक्षित वन – 40.21 प्रतिशत
अवर्गीकृत वन – 16.65 प्रति ात

तालिका क्र. – 4.01

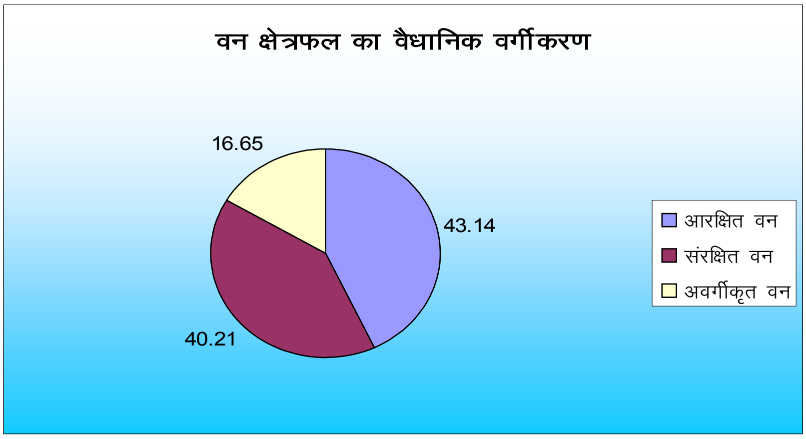

राज्य के वन क्षेत्रफल में वनों के विभिन्न प्रकार निम्नानुसार है ।

तालिका क्र. – 4.02

वनों के प्रकार	वन क्षेत्र वर्ग (कि.मी. में)	प्रति ात
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	59772.40	100

सेटेलाईट डाटा के अनुसार घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति निम्नानुसार है:–

सघन वन – 4.04 प्रति ात
मध्यम घने वन – 65.28 प्रतिशत
विरल वन – 30.68 प्रतिशत

तालिका क्र. – 4.03

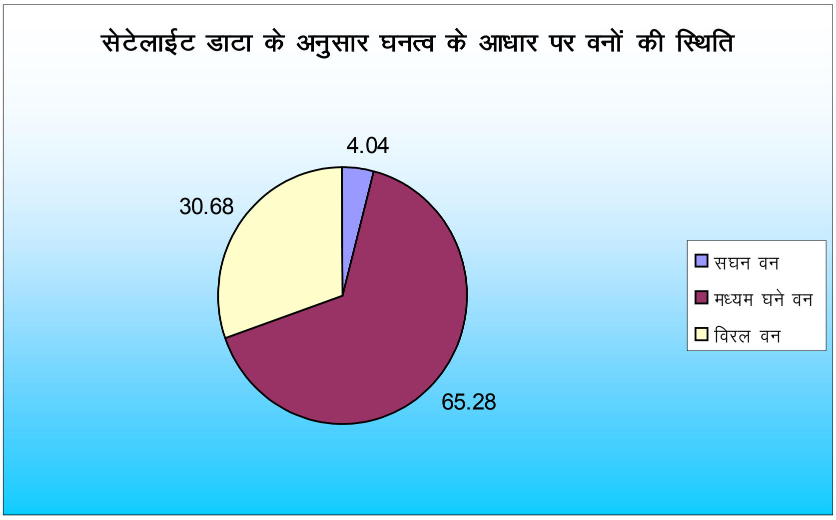

4.2 राज्य की वन नीति, 2001

छत्तीसगढ़ दे ा का प्रथम राज्य है, जिसने वन प्रबंधन को नई दि ाा देने के लिए जनोन्मुखी वन नीति 2001 बनाई है । इस वन नीति से सतत प्रबंधन के साथ वन पर आश्रित स्थानीय लोगो की भी परिकल्पना की गई है ।

4.2.1 वन नीति, 2001 के मूल उद्देश्य

- राज्य के विपुल संसाधन को निरंतरता के आधार पर स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु चिन्हांकित कर उनके उन्मुक्त उपभोग का सामुदायिक नियंत्रण एवं प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित एवं प्रबंधित संसाधन के रूप में मान्य करना ।
- प्रमुख वनोपज (लकड़ी) से लघुवनोपज, एकल स्तर से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रतीकात्मक प्रजाति सवन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना ।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावर्णीय स्थायित्व तथा पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करना ।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन, जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार है, को सुरक्षित रखकर राज्य के जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना ।
- नदियों एवं जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भूक्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो । निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को उच्चतम उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद जमा होने की गति में कमी लाना ।
- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित अनुत्पादक भूमि पर कृशि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना ।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ एवं छोटी लकड़ी, चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
- वनों को आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानकर, राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक युक्ति नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना ।

4.3 वन प्रबंधन

वनों का प्रबंधन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है । प्रत्येक परिक्षेत्रीय संभाग के लिए एक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है, वही विरल वनों का बिगड़े वनों के सुधार के अंतर्गत उपचार किया जा रहा है तथा सघन एवं मध्यम वनों का प्रबंधन उत्पादन के आधार पर किया जा रहा है ।

27 संभागों में वर्किंग प्लान का कार्य 1998–99 से लेकर अभी तक किया जा रहा है । इनमें प्रमुख जिले बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायपुर एवं सरगुजा हैं ।

4.4 काश्ठ, बांस एवं अन्य महत्वपूर्ण लघु वनोपज का उत्पादन

4.4.1 काश्ठ का उत्पादन – वन विभाग द्वारा विभिन्न काश्ठों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें प्रमुख काश्ठ उत्पादों का प्रति ात वृत चित्र में द ार्या गया है । साल छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख काश्ठ उत्पाद है ।

ईमारती एवं जलाऊ लकड़ी का उत्पादन वर्शवार निम्नानुसार रहा है :–

तालिका क्रमांक– 4.04

किस्म	उत्पादन (प्रतिशत में)
साल	56
टीक	11
बीजा	8
साजा	9
सलाई	6
अन्य	10

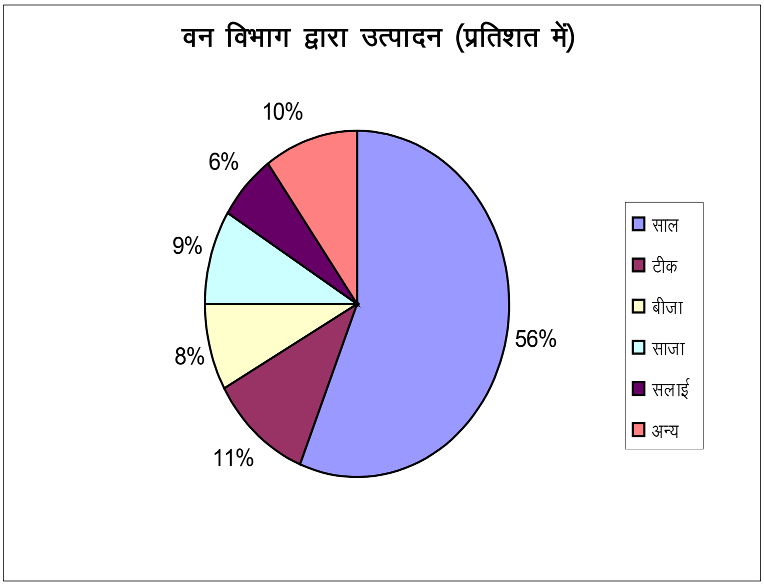

तालिका क्रमांक–4.05

ईमारती एवं जलाऊ लकड़ी का उत्पादन

ईमारती एवं जलाऊ लकड़ी का उत्पादन

वर्ष	ईमारती लकड़ी का उत्पादन (लाख सी एम टी में)	जलाऊ लकड़ी का उत्पादन (लाख लट्ठों में)
2003-04	1.41	2.08
2004-05	1.61	1.95
2005-06	1.23	1.4
2006-07	1.68	2.1
2007-08	1.76	2.05

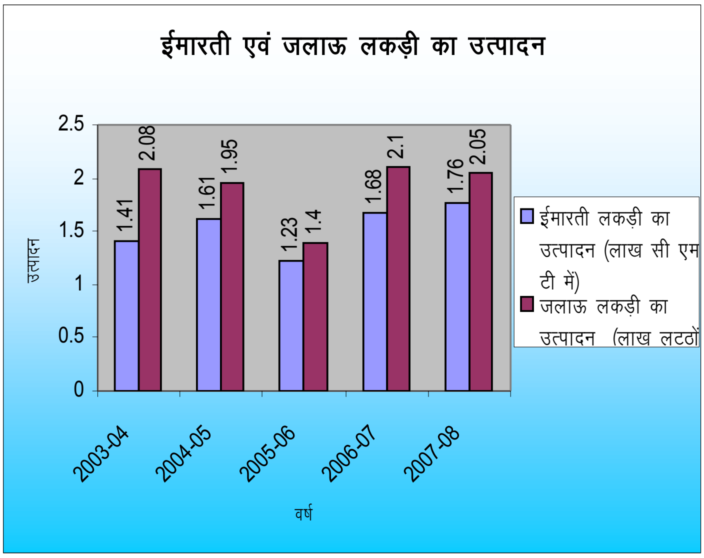

निम्नानुसार लट्ठो एवं जलाऊ लकड़ी का उत्पादन किया गया जिसे ग्रामीण निस्तार हेतु प्रदाय किया गया।

तालिका क्रमांक– 4.06

ग्रामीण निस्तार हेतु लट्ठो एवं जलाऊ लकड़ी का प्रदाय

ग्रामीण निस्तार हेतु लट्ठो एवं जलाऊ लकड़ी का प्रदाय		
वर्श	लट्ठा	जलाऊ लकड़ी
2002-03	44892	12687
2003-04	73863	21684
2004-05	65071	35588
2005-06	59776	28465
2006-07	77698	37188

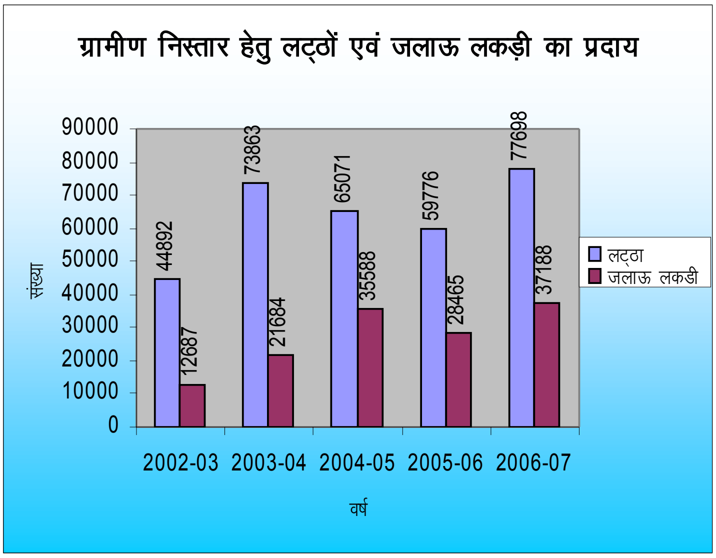

उपरोक्त सारिणी से स्पश्ट है कि पांच वर्शो में ग्रामीण निस्तार के लिए जहॉ 3,21,300 लट्ठे उपलब्ध कराये गये वहीं 1.35 लाख सी.एम.टी. जलाऊ लकड़ी प्रदाय की गई ।

4.4.2 बांस उत्पादन –

बांस का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है । बांस आदिवासी अंचलों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की दृश्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है । औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बांसों के उत्पादन की स्थिति वर्शवार निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–4.07

बांस उत्पादन

उत्पादन (टन में)

वर्ष	वाणिज्यिक बांस	औद्योगिक बांस
2003-04	26834	45561
2004-05	24799	38168
2005-06	14766	18537
2006-07	22945	36480
2007-08	17265	33240

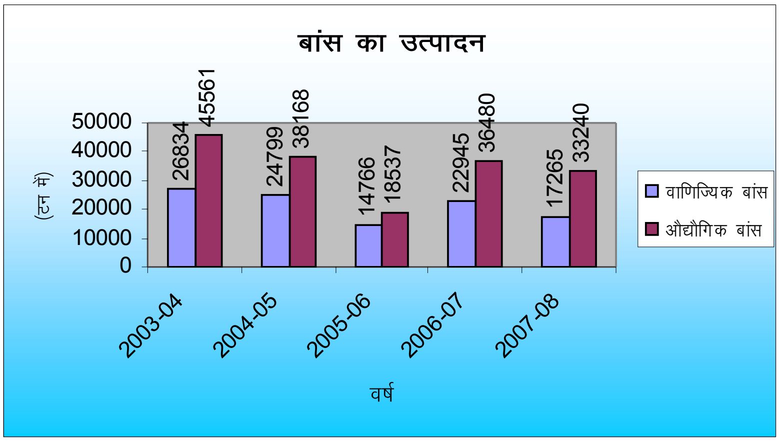

विगत पांच वर्शो में तालिका के अनुसार उत्पादित 125.58 लाख बॉस ग्रामीण निस्तार हेतु प्रदाय किया गया इसके साथ ही विगत पॉच वर्शो में राज्य भ्रासन द्वारा 99.01 लाख बांस बंसोड़ो को आजीविकोपार्जन के लिए उलब्ध कराये गये है ।

तालिका क्रमांक–4.08
ग्रामीण निस्तार हेतु बांसो का प्रदाय

ग्रामीण निस्तार हेतु बांसो का प्रदाय

वर्श	बांस (संख्या लाखों में)
2002-03	25.55
2003-04	28.66
2004-05	26.72
2005-06	28.68
2006-07	18.97

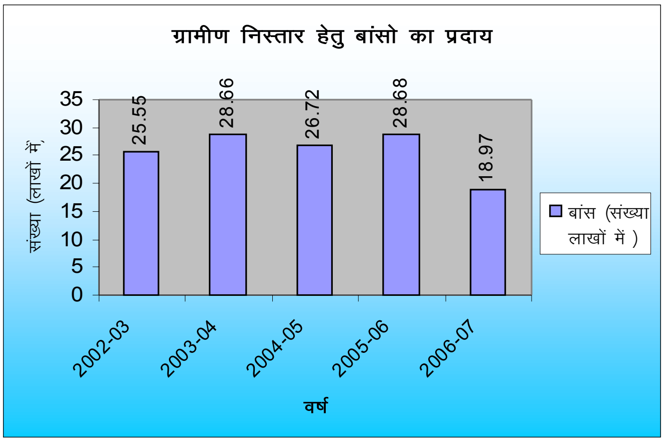

तालिका क्रमांक–4.09
बंसोड़ो को बांस प्रदाय

बंसोड़ो को बांस प्रदाय

वर्ष	बांसो का प्रदाय (लाखों में)
2002-03	13.45
2003-04	21.28
2004-05	22.35
2005-06	18.00
2006-07	23.93

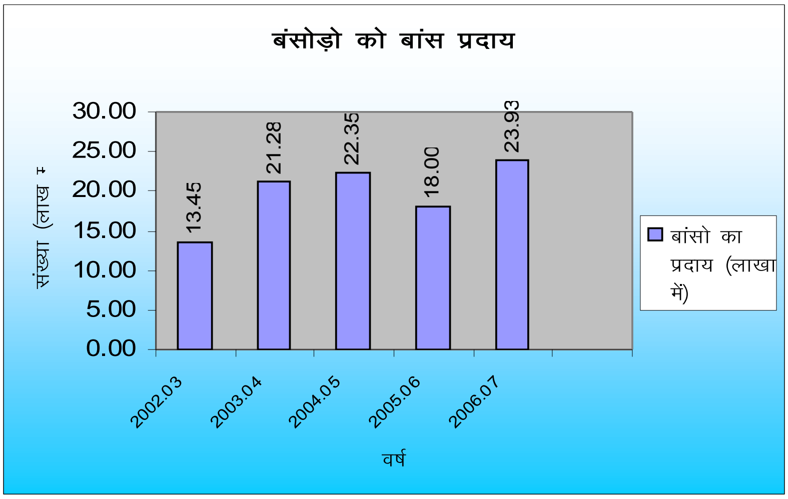

4.5 वनों से राजस्व प्राप्ति–

वनो के वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण दोहन से वन उत्पादन, मुख्यतः ईमारती लकड़ी, बांस, निस्तारी लकड़ी एवं खैर के विक्रय से होने वाले राजस्व में वर्श 2003–04 की तुलना में वर्श 2007–08 तक लगभग 100 प्रति त की वृद्धि हुई है जो उल्लेखनीय है ।

तालिका क्रमांक–4.10

वर्ष	राजस्व (करोड़ रू. में)
2003-04	137.76
2004-05	154.52
2005-06	191.00
2006-07	201.00
2007-08	265.70

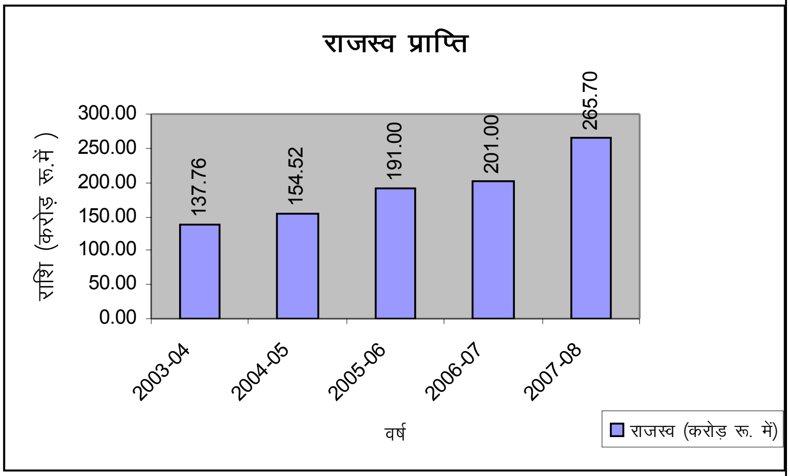

4.5.1 निस्तारी हेतु एवं बसोड़ो को दी गई सबसिडी

लोक कल्याणकारी नीति के अंतर्गत स्थानीय निवासियों को निस्तार के लिए दी गई जलाऊ लकड़ी, बल्लियों तथा बांस एवं बसोड़ो को दिये गये बांस पर प्रत्येक वर्श रू. 5.00 करोड़ से रू. 8.00 करोड़ तक की रियायत दी जाती है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को प्राप्त होने वाला राजस्व का ही एक भाग है ।

तालिका क्रमांक–4.11

निस्तारी हेतु लकड़ी एवं बंसोड़ो को दिये जाने बांसो पर रियायत

निस्तारी हेतु लकड़ी एवं बंसोड़ो को दिये जाने बांसो पर रियायत (राशि लाख में)

वर्श	रियायत
2002-03	528
2003-04	675
2004-05	739
2005-06	835
2006-07	708

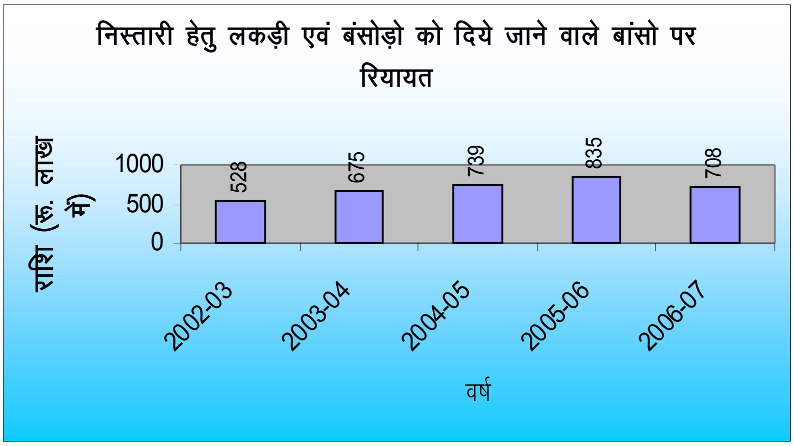

4.6 लघु वनोपज उत्पादन

आदिवासी एवं गरीब लोगो के जीवकोपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन किया गया। लघु वनोपज संघ द्वारा मुख्य रूप से विनिर्दिश्ट राश्ट्रीयकृत वनोपज जैसे तेंदूपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद का संग्रहण कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियो के माध्यम से कराया जाता है । इसके अतिरिक्त अराश्ट्रीयकृत वनोपज के संग्रहण संरक्षण प्रसंस्करण एवं वितरण के कार्य किये जाते है ।

4.6.1 तेंदू पत्ता का व्यापार

राज्य में प्रतिवर्श औसतन 17–18 लाख एस.टी. बैग तेंदूपत्ता का संग्रहण होता है । वर्श 2001 में प्रति मानक बैग तेंदूपत्ता का संग्रहण दर 450 रू. था, जिसे 2007 में बढ़ाकर 500 रू. तथा वर्श 2008 में 600 रू. किया गया । तेंदूपत्ता का संग्रहण दर, संग्रहण मजदूरी व लाभ वर्शवार निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.12

संग्रहण वर्श	संग्रहण दर (राि ा प्रति एस.बी.)	संग्रह/विक्रय मात्रा (लाख एस.टी. बैग)	संग्रहण मजदूरी (राि ा करोड़ में)	विक्रय दर (राि ा करोड़ में)	व्यय (राि ा करोड़ में)	लाभ (राि ा करोड़ में)
2001	450	16.67	75.53	165.22	118.66	46.56
2002	450	19.58	88.92	198.71	139.15	59.56
2003	450	18.12	82.18	173.25	128.04	45.21
2004	450	18.86	84.88	148.50	110.89	37.61
2005	450	14.92	67.12	135.06	91.75	42.31
2006	450	14.72	66.24	140.02	84.49	55.53
2007	500	17.18	85.96	325.59	115.98	209.61
2008	600	17.92	107.58	257.28	140.75	116.52

तालिका क्रमांक–4.13

वर्श	संग्रहित मात्रा (लाख एस.टी. बैग में)
2000-01	16.67
2001-02	19.58
2002-03	18.12
2003-04	18.86
2004-05	14.92
2005-06	14.72
2006-07	17.18
2007-08	17.92

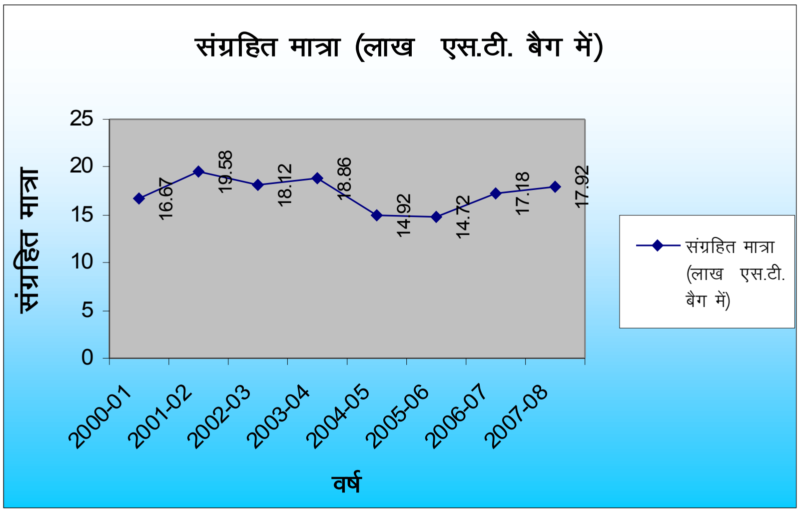

4.6.2 साल बीज का व्यापार

सामान्यतः साल बीज के संग्रहण में काफी उतार चढ़ाव होता है । विगत आठ वर्शो में संघ द्वारा दी गयी संग्रहण की जानकारी के अनुसार वर्श 2005–06 में न्यूनतम 0.49 लाख क्विंटल तथा वर्श 2004–05 में साल बीज का संग्रहण अधिकतम 9.24 लाख क्विंटल था । वर्श 2001 में साल बीज की संग्रहण दर 320 रू. प्रति क्विंटल था, जिसे राज्य भाासन द्वारा 2008 में बढ़ाकर 700 रू. प्रति क्विंटल किया गया है ।

तालिका क्रमांक–4.14

मात्रा (क्विंटल में) राि ा (करोड़ में)

संग्रहण वर्श	संग्रहण मात्रा (लाख क्विं. में)	संग्रहण दर (राि ा प्रति क्विं. में)	संग्रहण मजदूरी (राि ा करोड़ में)	विक्रय मात्रा (लाख क्वि. में)	विक्रय दर (राि ा करोड़ में)	औसत विक्रय दर (राि ा करोड़ में)	व्यय (राि ा करोड़ में)	लाभ (राि ा करोड़ में)
2001	4.77	320.00	15.28	4.77	19.60	410.58	15.70	3.90
2002	1.38	350.00	4.84	1.38	7.95	574.28	4.97	2.98
2003	8.55	500.00	42.74	8.55	21.80	255.03	52.86	–31.06
2004	1.25	500.00	6.24	1.25	5.35	429.83	5.18	0.17
2005	9.24	500.00	46.22	9.24	30.56	330.49	42.09	–11.53
2006	0.488	500.00	2.44	0.488	3.59	735.55	2.49	1.10
2007	6.06	500.00	30.33	6.06	59.09	974.39	30.93	28.16
2008	2.51	700.00	17.55	1.52	21.47	1412.46	10.82	10.65

तालिका क्रमांक–4.15

वर्श	संग्रहित मात्रा (लाख क्वि. में)
2000-01	4.47
2001-02	1.38
2002-03	8.55
2003-04	1.25
2004-05	9.24
2005-06	0.49
2006-07	6.06
2007-08	2.51

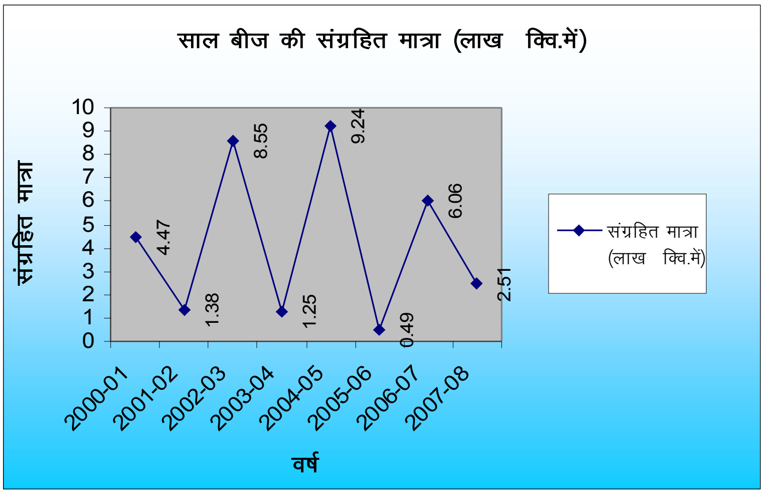

4.6.3 हर्रा का व्यापार

संघ द्वारा संग्रहण की जानकारी के अनुसार वर्श 2005–06 में न्यूनतम 44.12 लाख क्विंटल तथा वर्श 2002–03 में हर्रा का संग्रहण अधिकतम 85.26 लाख क्विंटल था । हर्रा का संग्रहण वर्शवार निम्नानुसार रहा :–

तालिका क्रमांक–4.16

मात्रा (क्विंटल में) राशि (करोड़ में)

संग्रहण वर्श	संग्रहित मात्रा	संग्रहण मजदूरी	विक्रय मात्रा	विक्रय दर	व्यय	लाभ/हानि
2001–02	60.63	1.82	60.63	1.51	2.04	–0.53
2002–03	85.26	2.13	85.26	2.16	2.47	–0.31
2003–04	63.09	1.58	63.07	1.68	1.70	–0.02
2004–05	60.61	1.52	60.42	1.54	1.60	–0.06
2005–06	44.12	1.10	44.11	1.19	1.17	0.02
2006–07	59.90	1.50	55.79	1.66	1.55	0.11

तालिका क्रमांक–4.17

वर्श	संग्रहित मात्रा (लाख क्वि.में)
2001-02	60.63
2002-03	85.26
2003-04	63.09
2004-05	60.61
2005-06	44.12
2006-07	59.90

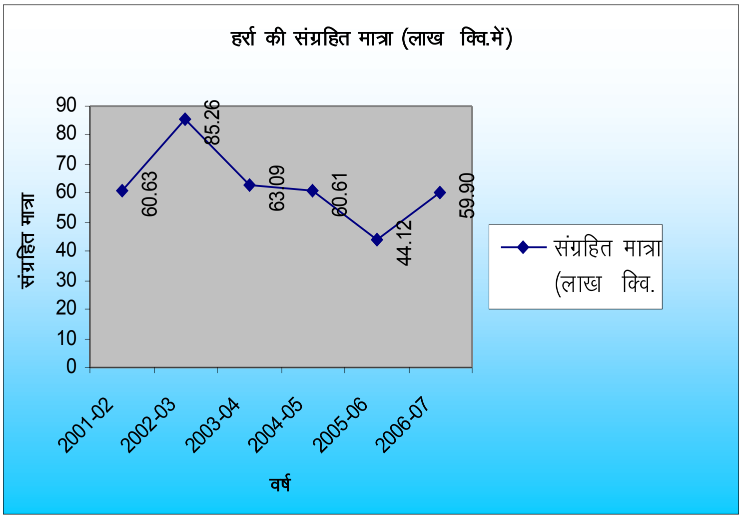

4.6.4 धावड़ा/खैर/गोंद का व्यापार

धावड़ा गोंद के संग्रहण में निरंतर गिरावट आयी है । वर्श 2001–02 में धावड़ा गोंद का संग्रहण 1196.12 क्विंटल था तथा वहीं वर्श 2006–07 में यह संग्रहण घटकर मात्र 141.58 क्विंटल रह गया है । धावड़ा गोंद का संग्रहण व अन्य जानकारी वर्शवार निम्नानुसार रहा :–

तालिका क्रमांक–4.18

मात्रा (क्विंटल में) राि ा (करोड़ में)

संग्रहण वर्श	संग्रहित मात्रा	संग्रहण मजदूरी	विकय मात्रा	विकय दर	व्यय	लाभ/हानि
2001–02	1196.12	0.28	1193.12	0.16	0.29	–0.13
2002–03	904.23	0.17	902.63	0.175	0.177	–0.002
2003–04	403.53	0.076	403.53	0.08	0.08	0.00
2004–05	742.16	0.12	742.16	0.133	0.126	0.007
2005–06	145.50	0.023	145.50	0.027	0.025	0.002
2006–07	141.58	0.029	141.58	0.033	0.030	0.003

तालिका क्रमांक–4.19

वर्श	संग्रहित मात्रा (लाख क्वि.में)
2001-02	1196.12
2002-03	904.23
2003-04	403.53
2004-05	742.16
2005-06	145.50
2006-07	141.58

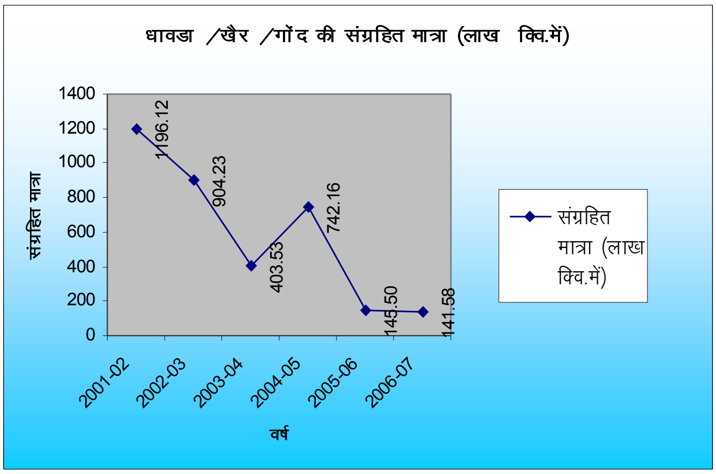

4.6.5 कुल्लू गोंद

कुल्लू गोंद का संग्रहण वर्शवार निम्नानुसार रहा है –

तालिका क्रमांक–4.20

मात्रा (क्विंटल में) राि ा (करोड़ में)

संग्रहण वर्श	संग्रहित मात्रा	संग्रहण मजदूरी	विकय मात्रा	विकय दर	व्यय	लाभ/हानि
2001–02	247.52	0.12	247.52	0.132	0.126	0.006
2002–03	494.60	0.25	494.60	0.250	0.253	-0.003
2003–04	1058.60	0.53	1058.35	0.547	0.541	0.006
2004–05	1283.07	0.82	1283.07	0.851	0.829	0.022
2005–06	676.79	0.63	676.79	0.68	0.63	0.05
2006–07	435.82	0.59	435.82	0.65	0.59	0.07

तालिका क्रमांक–4.21

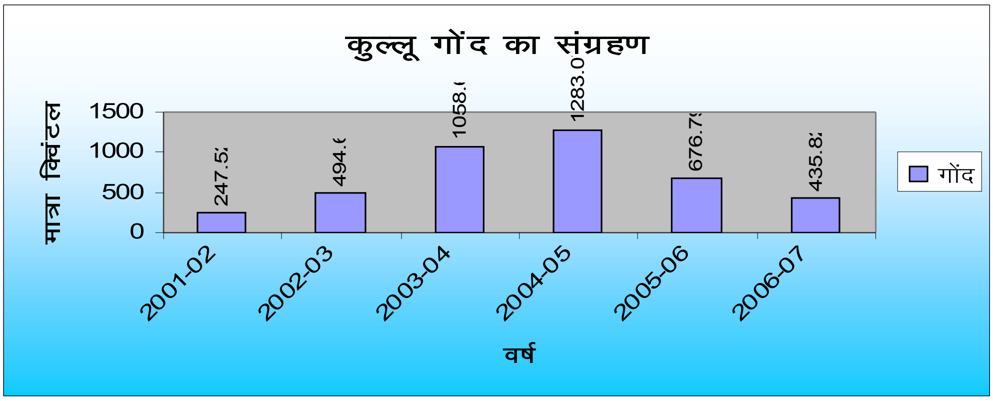

4.6.6 लाख उत्पादन

वर्श 2004–05 में लघु वनोपज संघ के अंतर्गत लाख विकास योजना प्रारंभ की गई है । लाख विकास योजना के अंतर्गत लाख की खेती का विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन कर कार्य किया जा रहा है । मुख्यतः दो तरह के लाख का उत्पादन किया जा रहा है –

1. कुसुम लाख 2. पला ा लाख ।

लाख की खेती के फलस्वरूप लाख की संग्रहण मात्रा एवं मूल्य वर्शवार निम्नानुसार रहा है –

तालिका क्रमांक–4.22
कुसुम लाख की जानकारी

कुसुम लाख की जानकारी

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख में)
2004-05	1708	1424.27
2005-06	2406	2165.4
2006-07	4005	3604.5

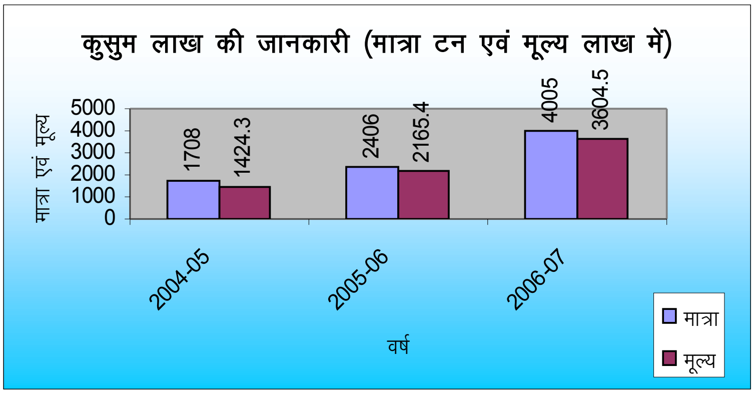

तालिका क्रमांक–4.23
पलाश लाख की जानकारी

वर्ष	पलाश लाख	
	मात्रा	मूल्य
2004-05	2562	1024.80
2005-06	3609	1624.05
2006-07	4870	2435.00

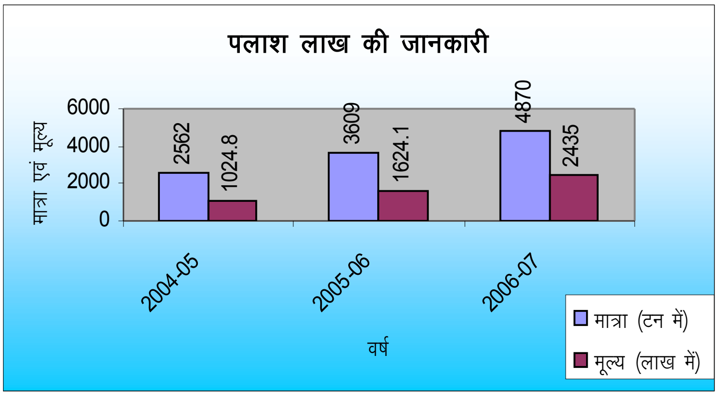

4.6.7 भाहद संग्रहण

भाहद का कुल उत्पादन लगभग 3500 क्विंटल होता है, संग्रहण एवं प्रसंस्करण लघुवनोपज संघ द्वारा किया गया है । इसके लिए संघ द्वारा 1000 भाहद संग्राहकों को वैज्ञानिक पद्धति से भाहद संग्रहण का प्रि क्षण भी दिया गया है । बिलासपुर एवं ज पुर में दो भाहद प्रसंस्करण सयंत्र स्थापित किये गये है तथा भानुप्रतापपुर एवं कवर्धा से दो और सयंत्र स्थापित किये जा रहे है । यहॉ के प्रसंस्कृत भाहद 'एगमार्क' प्रमाणीकृत है ।

4.6.8 इमली प्रसंस्करण

बस्तर जिले की इमली दे ा में विख्यात है । बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिले में इमली संग्रहण तथा प्रसंस्करण उद्यम स्थापित किये गये है ।

4.6.9 दोना पत्तल उत्पादन

महुलई पत्ते से दोना पत्तल बनाने के कार्य को संघ द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, वर्तमान में 08 लघु उद्यम पत्ता दोना बनाने का कार्य कर रहे है । जिससे मूल्य संवर्धन का लाभ स्थानीय निवासियों को प्राप्त हो रहा है । वर्तमान में इस उत्पादन का वार्शिक टर्न ओवर रू. 25.00 लाख का है ।

4.6.10 हर्बल उत्पाद

संघ द्वारा 50 हर्बल उत्पादों का उत्पादन 14 केन्द्रो में किया जा रहा है, जिनका संचालन स्व सहायता समूह अथवा संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है । इनका विपणन संघ तथा संजीवनी के माध्यम से होता है । लघु वनोपज उत्पादों के विपणन के लिए 6 NWFP मार्ट एवं 42 संजीवनी रिटेल दुकानें संचालित है ।

4.7 वन संरक्षण एवं सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम

4.7.1 **बिगड़े वनों का सुधार** योजना का क्रियान्वयन वनमंडलो की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित कम घनत्व वाले विरले क्षेत्रों में किया जाता है । योजना में वृक्षारोपण से निम्नलिखित क्षेत्रों का पुर्नवास किया गया है ।

तालिका क्रमांक–4.24

वित्तीय वर्श	प्रथम वर्श का कार्य (हे.में)	द्वितीय वर्श का कार्य (हे. में)	पुराने क्षेत्रों का रखरखाव (हे. में)
2005-06	42990	33079	50708
2006-07	42517	43280	78364
2007-08	39644	50316	74684

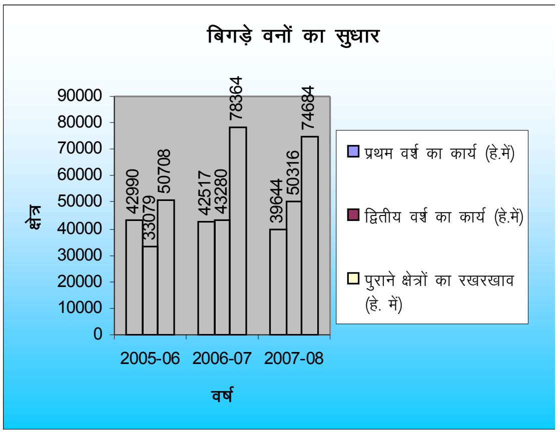

4.7.2 - **बिगड़े बांस वनो का सुधार** योजना के अंतर्गत वनमंडलो की कार्य आयोजनाओं द्वारा निर्धारित ऐसे बिगड़े बांस वन क्षेत्रों को लिया गया जहां पर बांस के भिर्रे जीर्ण– ीर्ण हो गये थे या अत्यधिक गुंथे होने के फलस्वरूप अनुत्पादक हो गये थे ।

तालिका क्रमांक–4.25

वित्तीय वर्श	प्रथम वर्श का आर.डी.बी. एफ. कार्य (हे. में)
2005-06	16963
2006-07	26642
2007-08	23799

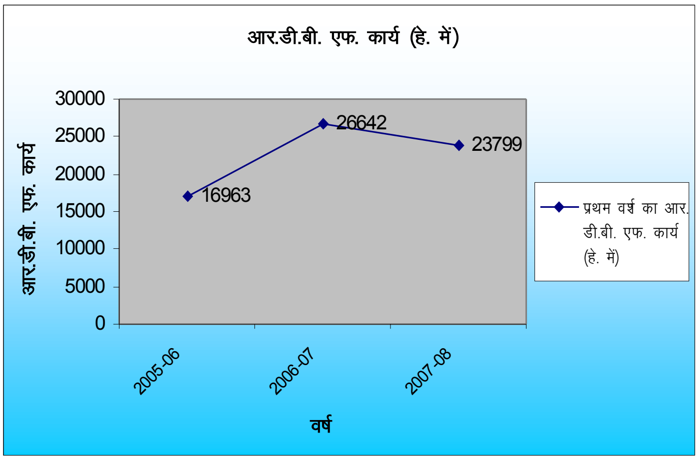

4.7.3 **पौधा प्रदाय योजना** के अंतर्गत भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रू. प्रति पौधा की रियायती दर पर उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते है । योजनांतर्गत वर्श 2005–06 में 12.64 लाख तथा वर्श 2006–07 में 9.07 लाख पौधे रियायती दर पर प्रदाय किये गये है ।

4.7.4 **हरियाली प्रसार योजना में** भूमि स्वामी को उनके द्वारा पड़त भूमि में न्यूनतम 250 तथा अधिकतम 1000 पौधे की सीमा तक गढ्ढे खोदने की स्थिति में पौधा रोपण के अन्य समस्त व्यय जैसे पौधा तैयारी, रोपण, निंदाई, खाद कीटना ाक आदि पर होने वाले व्यय, विभाग द्वारा भारित किये जा रहे है ।

4.7.5 **नदी तट वृक्षारोपण योजना** वित्तीय वर्श 2005–06 में इस योजना को प्रारंभ की गई । इसका उद्दे य नदी तटों पर भू–क्षरण रोकना है । योजना अंतर्गत वर्श 2005–06 में 1.55 लाख तथा वर्श 2006–07 में 3.30 लाख पौधों का रोपण किया गया।

4.7.6 **बायोडीजल हेतु रतनजोत वृक्षारोपण–** बायोडीजल उत्पादन हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराने की दृश्टि से प्रदे ा में वर्श 2004–05 से रतनजोत रोपण की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है । इसके अंतर्गत विभाग द्वारा भासकीय भूमि पर पौधा रोपण एवं जनता को पौधा उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से निजी भूमि पर रोपण का कार्य कराया गया ।

तालिका क्रमांक–4.26

वर्ष	रतनजोत पौधा रोपण/वितरण					
	लक्ष्य (लाख में)			उपलब्धि (लाख में)		
	रोपण	वितरण	योग	रोपण	वितरण	योग
2005–06	150	150	300	243.65	61.24	304.89
2006–07	500	300	800	600.13	230.71	830.84
2007–08	1200	–	1200	859.11	27.15	886.26

तालिका क्रमांक–4.27

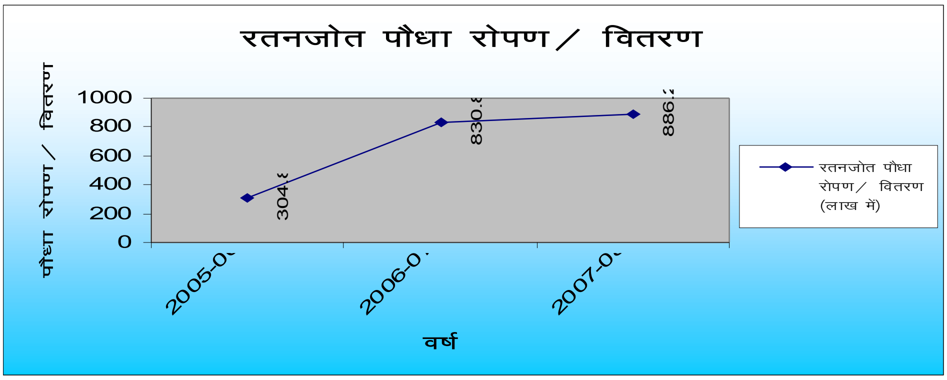

4.8 संयुक्त वन प्रबंधन

संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का आधार बनाया गया है । प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में वनक्षेत्रों की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित है। राज्य के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी संकल्प अक्टूबर, 2001 के अनुसार इन ग्रामों के घनत्व के आधार पर वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है ।

वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन– सहयोग प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन का संकल्प – 2001 तथा यथा संशोधित संकल्प– 2007 जारी किया गया है जिसके अंतर्गत वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति को एक करते हुए वन प्रबंधन समिति का नाम दिया गया है ।

4.8.1 राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की अद्यतन स्थिति

वन प्रबंधन समितियों की संख्या	:	7887
सं.व.प्र. के अंतर्गत क्षेत्रफल	:	33190 वर्ग कि.मी.
कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत	:	55.52 प्रतिशत
कुल समिति सदस्यों की संख्या	:	27.63 लाख
महिला	:	14.36 लाख
पुरूश	:	13.27 लाख
अनुसूचित जाति	:	15.21 लाख
अनुसूचित जनजाति	:	4.71 लाख
अन्य	:	7.71 लाख

4.8.2 वन प्रबंधन समिति से वनवासियों को होने वाला आर्थिक लाभ –

वन प्रबंधन समिति को आबंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप बांस या काश्ठ कूप के मुख्य पातन/ वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद समिति को प्रदाय किया जा रहा है । वनोपज प्रदाय की दशा में प्रदाय की जाने वाली वनोपज के विदोहन पर हुए व्यय के तुल्य राशि या वनोपज की मात्रा कम कर दी जाती है । कूप में वनोत्पाद के मूल्य की गणना गैर वाणिज्यिक दरों के आधार पर की जाती है ।

4.8.3 वन प्रबंधन समिति को प्रदाय की गई अनुदान राशि

वर्श 2000–01 से वर्श 2006–07 तक वन प्रबंधन समितियॉ को प्राप्त होने वाला अनुदान वर्शवार निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.28

वर्श	अनुदान राशि
2000-01	3.08
2001-02	6.13
2002-03	8.29
2003-04	8.2
2004-05	9.01
2005-06	9.76
2006-07	13.93

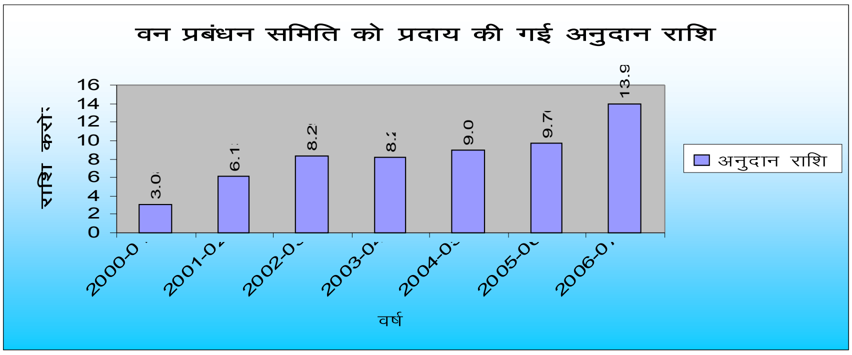

वर्श 2002–03 से वन प्रबंधन समितियों को लगभग 8–9 करोड़ रू. अनुदान के रूप में प्राप्त हो रहे है, जो वर्श 2006–07 तक बढ़कर लगभग रू. 14 करोड़ हो गया है ।

4.8.4 संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत बिगड़े वनों का सुधारः–

संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत बिगड़े वनों के सुधार के लिए वर्श 2003–04 से वर्श 2007–08 तक 57248 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जा चुका है, जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.29

वर्श	पौधारोपण (हेक्ट. में)
2003-04	25461
2004-05	29392
2005-06	33079
2006-07	42990
2007-08	57248

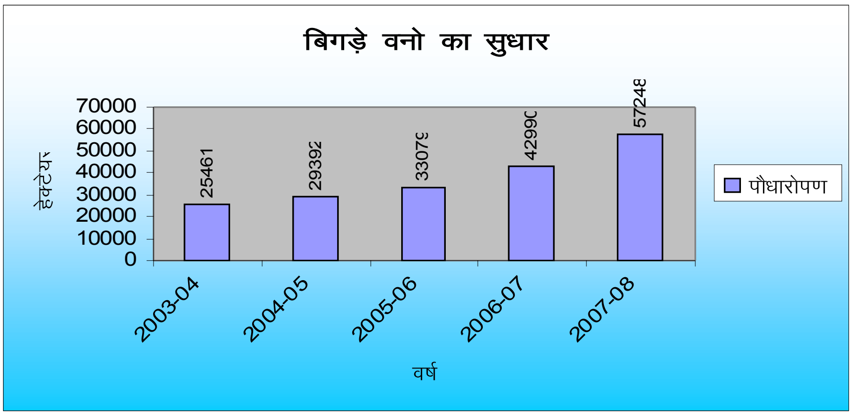

4.8.5 संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत बांस पौधारोपण

संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत बिगड़े वनों के सुधार के लिए वर्श 2001–02 से वर्श 2007–08 तक 20456 हेक्टेयर में पौधारोपण किया जा चुका है, जिसका वर्शवार निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.30

वर्श	पौधारोपण (हेक्ट. में)
2001-02	6008.00
2002-03	5666.00
2003-04	14752.50
2004-05	18766.16
2005-06	24950.07
2006-07	29734.28
2007-08	20456.06

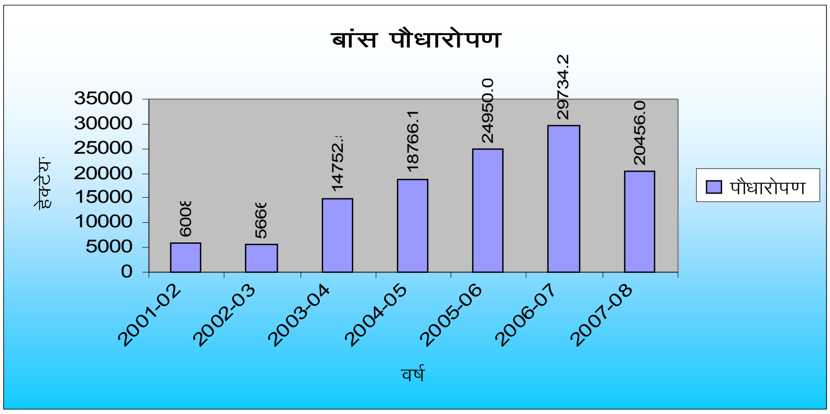

4.9 लोक संरक्षित क्षेत्रः–

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के समस्त 32 वनमंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की श्रृखंला का विकास किया जा रहा है । इस कार्यक्रम को वर्श 2001 से लागू किया गया है एवं वर्श 2007 तक 115320 हेक्टेयर क्षेत्र में लोक संरक्षित क्षेत्रों की अन्तःस्थलीय संवर्धन एवं 92 हेक्टेयर क्षेत्र में बाहय स्थलीय संवर्धन का कार्य किया जा चुका है । इस कार्य में रू. 3224.74 लाख व्यय किये गये हैं । इसके अलावा लोक संरक्षित क्षेत्र में प्रसंस्करण केन्द्रों का निर्माण तथा 39 वन औशधालयों की स्थापना भी इस योजना के अंतर्गत किया गया है ।

4.9.1 लोक संरक्षित क्षेत्र

वन मंडलों की कुल संख्या	:	32
विभाग द्वारा संचालित लोक संरक्षित क्षेत्र	:	23
अंतः स्थलीय संवर्धन क्षेत्र (हेक. में) (विभाग द्वारा संचालित 23 वन मंडलों में)	:	115320 हेक्टे.
बाहय स्थलीय संवर्धन क्षेत्र (हेक. में)	:	92 हेक्टे.
कुल व्यय राशि (2007–08) तक	:	3224.74 लाख

4.10 लोक निजी सहभागिता :–

लोक निजी सहभागिता कार्यक्रम वर्श 2003–04 में प्रारंभ की गई । वर्श 2003–04 में तीन वृत्त में 23 समितियों के अंतर्गत 600 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा वर्श 2004–05 में 5 वृत्त में 65 समितियों के अंतर्गत 911 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है । जिन ग्राम वन समितियों द्वारा अपने स्तर पर वित्तीय संस्थानों/ बैंको से नगद या सामग्री के रूप में ऋण प्राप्त कर अथवा राहत कार्य या अन्य रोजगारमूलक कार्यो हेतु प्राप्त राशि में से बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत रोपण हेतु पूंजी लगाने की व्यवस्था की है उन समितियों को आबंटित क्षेत्र के माइक्रोप्लान के अनुसार वृक्षारोपण/ बिगड़े वनों के सुधार कार्य करने एवं उनकी सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की दृश्टि से बिगड़े वनों के सुधार कार्य/ वृक्षारोपण से तैयार वृक्षो की परिपक्वता पर कटाई से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण वनोपज दे दी जायेगी जिसे समिति निवर्तित कर सकेगी एवं निर्वतन से प्राप्त राशि में से रोपण हेतु लगाई गई पूंजी, पूंजी पर ब्याज तथा अन्य कोई देनदारी हो, को घटाने के उपरान्त भोश बची राि ा की 50 प्रति ात राि ा ग्राम वन समिति की आमसभा के निर्णय के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा 30 प्रति ात राि ा ग्राम वन समिति क्षेत्र में अधोसरंचना विकास हेतु तथा 20 प्रति ात राि ा वन संसाधनो के विकास हेतु ग्राम वन समिति के माइक्रोप्लान के अनुसार उपयोग की जावेगी ।

4.10.1 लोक निजी सहभागिता के तहत पौधारोपण

वन संभाग	:	11
वन प्रबंधन समिति	:	88
पौधारोपण क्षेत्र (हेक्टेयर में)	:	1451
पौधारोपण सेपलिंग (लाख में)	:	18.53

4.11 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम :–

वनों के सतत् विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। समन्वय के अभाव में विभिन्न विभागों/ संस्थाओं द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में वांछित सफलता नहीं मिल रही है । इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए वन विकास अभिकरण Forest Development Agency (FDA) का गठन किया जाकर इसके तत्वाधान में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित है । वन विकास अभिकरण द्वारा वर्शवार पौधारोपण निम्नानुसार किया गया है :–

तालिका क्रमांक–4.31
वन विकास एजेंसी द्वारा पौधारोपण

वन विकास एजेंसी द्वारा पौधारोपण

वर्श	पौधारोपण
2002-03	200
2003-04	3320
2004-05	15727
2005-06	28239
2006-07	41007

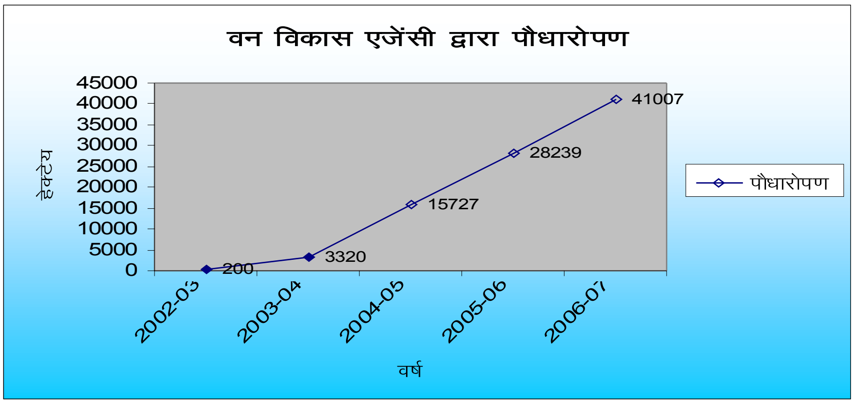

- Awareness in Various Forest Development Agencies प्रोग्राम के तहत 9030 समिति के सदस्यो को प्रि क्षण दिया गया ।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रांरभिक कियाकलाप को पूर्ण करने हेतु रू. 15.66 करोड़ का प्रदाय किया गया।

4.12 बांस मि न

बांस की पर्याप्त रोपण सामग्री तैयार करना, वन एवं ग्रामों के निकट रोपण, प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना करना, कटाई तकनीक, कटाई उपरांत प्रबंधन एवं इनका वास्तविक उपयोग, हस्त ि ल्प निर्माण इत्यादि कार्य में करना, बाजार व्यवस्था, बसोड़ परिवारों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में सुधार लाने के उद्दे य से बांस मि न छत्तीसगढ़, वर्श 2006–07 से स्थापित है एवं इसका क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है । मि न में चयनित मुख्य पॉच प्रजातियों डेंड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस, डेंड्रोकेलेमस एस्पर, बेम्बूसा बेम्बोस, बेम्बूसा वल्गेरिस, बेम्बूसा न्यूटॉस को सम्मिलित किया गया है ।

4.13 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन दिनांक 01–05–2001 को किया गया । वन विकास निगम के अधीन 190496.054 हेक्टेयर वन क्षेत्र वन विभाग से लीज पर लिया गया है जो कि राज्य के वनों के लगभगत 3 प्रति त है । इसका मुख्य उद्दे य राज्य के कम उत्पादक वाले वन क्षेत्रों को राश्ट्रीयकृत बैंको से ऋण लेकर मूल्यवान सागौन एवं बांस के वन तैयार कर, वनों की उत्पादक क्षमता कों बढ़ाना है ।

राज्य वन विकास निगम प्रतिवर्श भाुद्ध लाभ अर्जित कर रहा है । वर्श 2001–02 से लेकर वर्श 2006–07 निगम द्वारा रू. 61.15 करोड़ का भाुद्ध लाभ अर्जित किया गया, जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.32

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्तियॉ	कुल व्यय	शुद्ध लाभ
2001-02	30.48	23.14	7.34
2002-03	33.21	29.27	3.94
2003-04	34.27	33.31	0.96
2004-05	43.97	26.61	17.36
2005-06	42.04	32.55	9.49
2006-07	54.57	32.51	22.06

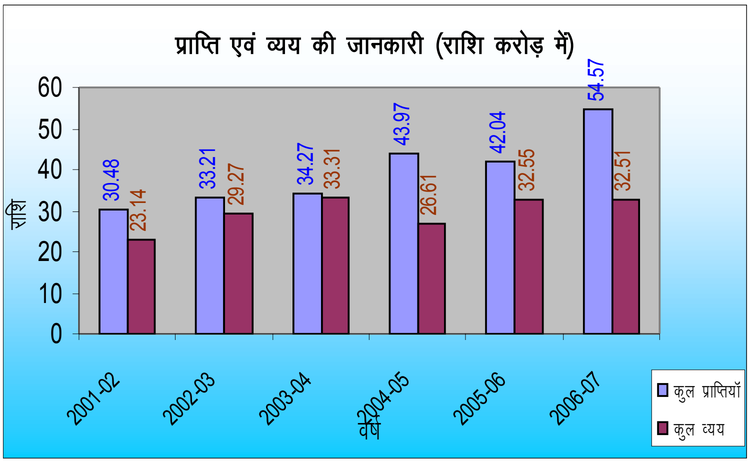

निगम द्वारा राज्य निर्माण के प चात् 64.76 लाख लगभग पौधारोपण किया गया, जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.33

वित्तीय वर्ष	पौधारोपण (संख्या में)
2001-02	554000
2002-03	676776
2003-04	733376
2004-05	1003530
2005-06	1580000
2006-07	1110000
2007-08	818000

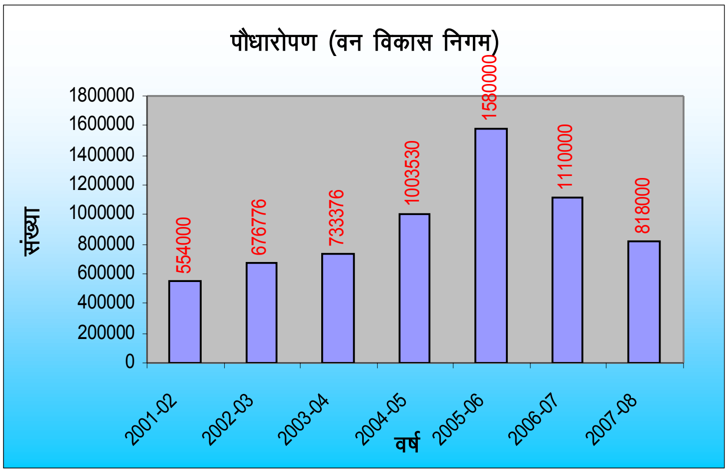

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा एस.ई.सी.एल, भिलाई ईस्पात संयत्र एन.टी.पी.सी, सी.एस.ई.बी. बालको जैसे अनेक सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पौधा रोपण का कार्य डिपाजिट वर्क के आधार पर किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक–4.34

वर्ष	प्राप्त बजट	व्यय (करोड़ में)
2001-02	3.62	3.12
2002-03	3.57	3.26
2003-04	4.27	3.97
2004-05	4.2	3.58
2005-06	6.21	5.74
2006-07	6.04	5.39
2007-08	7.94	6.77

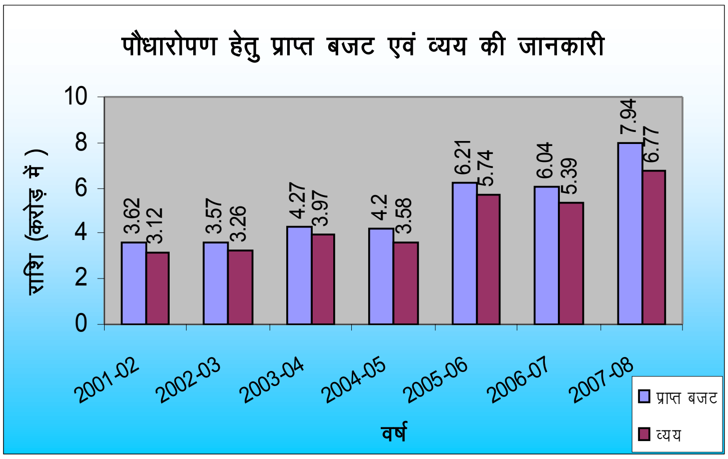

4.14 छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड :–

राज्य में जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 में प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 16/02/2006 को वनमंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है ।

4.15 छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड

औशधीय पादपों के सरंक्षण, संवर्धन, विना ा विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वनौशधि बोर्ड की स्थापना दिनांक 28.07.2004 को की गई है, जिसका उद्दे य:–

- वनौशधियों के विकास हेतु भाोध और अनुसंधान कराना ।
- केन्द्रीय औशधीय पादप बोर्ड या राज्य भाासन द्वारा वित्त पोशित तथा राज्य विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औशधि पौधों के विकास योजनाओं का अनुश्रवण करना ।
- औशधि पौधो की पहचान एवं संसाधनो का सर्वेक्षण ।
- औशधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनोशधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना।
- औशधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना ।
- वनौशधियों से संबंधित अन्य अनुशांगिक कार्य ।
-

वनौशधि बोर्ड द्वारा 93 वनौशधि रोपण योजनाएं राज्य में क्रियान्वित करायी जा रही है, जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.35
वनौषधि रोपण संचयी योजना की जानकारी

वनौषधि रोपण संचयी योजना की जानकारी	
वर्ष	संचयी योजनांए
2003-04	48
2004-05	68
2005-06	78
2006-07	89
2007-08	93

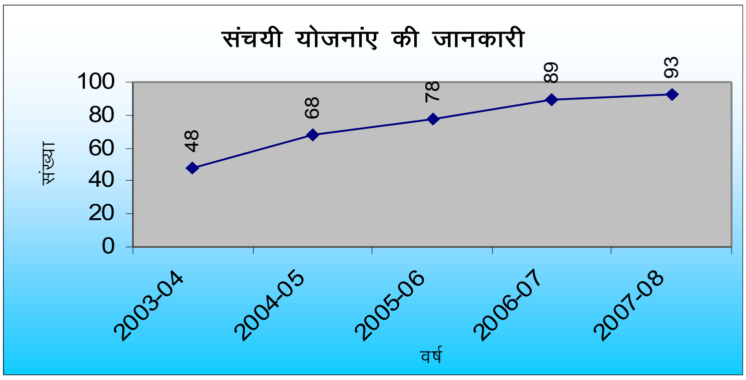

वनौशधि बोर्ड द्वारा वनौशधि रोपण के विभिन्न योजनाओं के लिए वर्श 2007–08 तक कुल रू. 306.39 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.36
संचयी स्वीकृत अनुदान की जानकारी

संचयी स्वीकृत अनुदान की जानकारी	
वर्ष	संचयी स्वीकृत अनुदान
2003-04	196.15
2004-05	209.95
2005-06	280.21
2006-07	300.83
2007-08	306.39

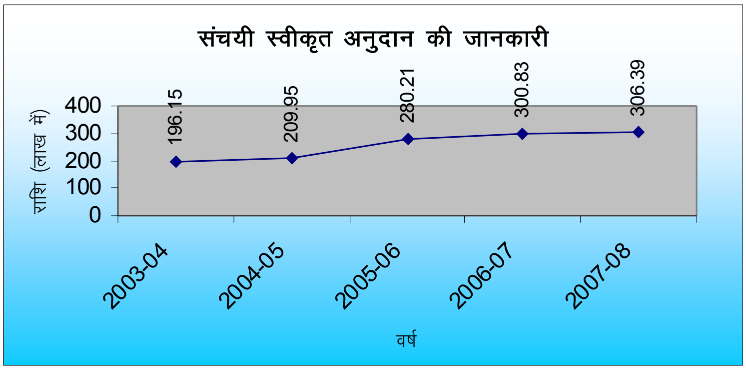

- उपयोगी वनौशधियों के महत्व से अवगत कराने, वनौशधियों के संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहित करने हेतु 65 स्कूलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की जा रही है ।
- जैव विविधता में औशधीय पौधों की पहचान, उपयोगिता एवं औशधीय संबंधी विवरण का डाटाबेस FRLHT , बंगलुरू के सहयोग से तैयार किया गया है । राज्य में 2021 औशधि एवं सुंगधित पौधों की प्रजातियॉ चिन्हांकित की गयी है ।
- वनौशधियों के खेती एवं संग्रहण का समन्वित प्रबंधन करने हेतु वनौशधि बोर्ड द्वारा 525 वनौशधि कृशकों, 13 संग्रहणकर्ताओं एवं 78 व्यापारियों का पंजीयन किया गया है ।
- इंदिरा गांधी कृशि वि वविद्यालय के माध्यम से राज्य में सर्पगंधा/कोलियार के खेती भी तकनीक का मानकीकरण प्रारंभ किया गया है । साथ ही वि वविद्यालय के सहयोग से फेसिलिटे ान सेंटर फॉर मेडिसिनल प्लांट परियोजना 15 प्रि ाक्षण कार्यक्रम, 3 स्टेक हॉल्डर वर्क ाप, डाटाबेस विकास एवं प्रमाणीकरण का कार्य किये जाने का प्रयास किये जा रहे है ।
- विभिन्न वनौशधियों के सम्मिश्रण से महासमुंद जिले के पिथौरा ग्राम में हर्बल चाय तैयार की जा रही है । अब तक 148 कि.ग्रा. चाय तैयार की जा चुकी है जिसका विपणन रू. 152 प्रति कि.ग्रा. के दर से संजीवनी द्वारा किया जा रहा है ।
- बस्तर के कोंडागांव एवं दक्षिणी सरगुजा में काली मिर्च रोपण की योजना प्रारंभ की गयी है ।
- बहुउपयोगी मेंहदी की उपादेयता एवं रोपण तकनीक से जनमानस को अवगत कराया जा रहा है । कांकेर, रायगढ़ एवं दक्षिणी सरगुजा में 'मि ान मेंहदी' चलाया जा रहा है ।
- दूरस्थ वनांचलों में वनौशधि से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले 1000 परम्परागत चिकित्सकों एवं 127 वैद्यो को प्रि ाक्षण देकर वनौशधि के प्रचुर उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है ।
- वनौशधि के विपणन को प्रोत्साहन के लिए मई 2007 तक 176 व्यावसायिक संस्थाओं विपणन लिकेज स्थापित किया गया तथा रायपुर में मार्केटिंग फैसिलिटे ान सेंटर स्थापित किया गया ।

4.16 वनों पर आधारित उद्योगों की स्थिति

1- **आरामिल**— निजी क्षेत्र में लगभग 1421 आरामिलें संचालित है, जो सरकारी डिपो तथा निजी उत्पादकों से लकड़ियॉ प्राप्त करती हैं । इन आरामिलों में लगभग सरकारी डिपो से 1.60 लाख घनमीटर तथा निजी उत्पादको से 50—60 हजार घनमीटर विभिन्न प्रजातियों की लकड़ियो का उपयोग किया जाता है ।

2- **प्लाईवुड, बोर्ड एवं फ्ल ा डोर उद्योग** — राज्य में टिम्बर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाने वाली कोई भी ऐसा उद्योग ना तो राज्य भाासन के अधीन है और नही निजी क्षेत्र में । राज्य में 114 प्लाईवुड, फ्लश डोर तथा ब्लैक बोर्ड निर्माण ईकाईया निजी क्षेत्र में कार्यरत है जिनके द्वारा 45 से 50 हजार घ ानमीटर साफ्ट तथा हार्डवुड का प्रयोग किया जाता है ।

3- **फर्नीचर उद्योग** — राज्य में 2115 लघु फर्नीचर उद्योग है जिनके द्वारा सरकारी डिपो तथा निजी किसानों से लगभग 15000 घनमीटर लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है।

4- **कागज उद्योग** — राज्य में कोई भी कागज उद्योग स्थापित नही है । ज्यादातर उत्पादित उद्योगिक बांस सीमावर्ती मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश में स्थापित कागज उद्योगो को बेचा जाता है । औद्योगिक बांस के प्रमुख केता ओपीएम, भाहडोल, बिल्ट उड़ीसा, आईटीसी भद्राचलम तथा एपी पेपर मील राजमुंद्री हैं ।

इसके अतिरिक्त लगभग 1.08 लाख जलाऊ बल्लियों का उपयोग चारकोल बनाने के लिए किया जाता है, जिसकी औद्योगिक प्रयोजनों में काफी मांग है ।

4.17 वानिकी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास

4.17.1 छ.ग. वन अनुसंधान एवं प्रि ाक्षण संस्थान

वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास तथा वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता विकास के उद्दे यों की पूर्ति हेतु रायपुर के बरौंडा क्षेत्र (विधानसभा भवन के पास–रायपुर बलौदा बाजार मार्ग में 10 कि.मी. की दूरी पर) में वन अनुसंधान एवं प्रि क्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

4.17.2 वानिकी क्षेत्रों में रोजगार निर्माण

वानिकी क्षेत्रों में अधिकां ातः रोजगार परक कार्य किये जाते है । वन क्षेत्रों में ईमारती लकड़ी एवं बांस उत्पादन में प्रतिवर्श लगभग 40 लाख मानव कार्य दिवस का सृजन किया जा रहा है जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक–4.37

(लाख मानव दिवस)

वर्ष	रोजगार उपार्जन (ईमारती लकड़ी)	रोजगार उपार्जन (बांस)	कुल रोजगार उपार्जन
2003-04	28.57	9.36	37.93
2004-05	31.77	8.16	39.93
2005-06	23.85	4.21	28.06
2006-07	32.47	7.68	40.15
2007-08	34.35	6.54	40.89

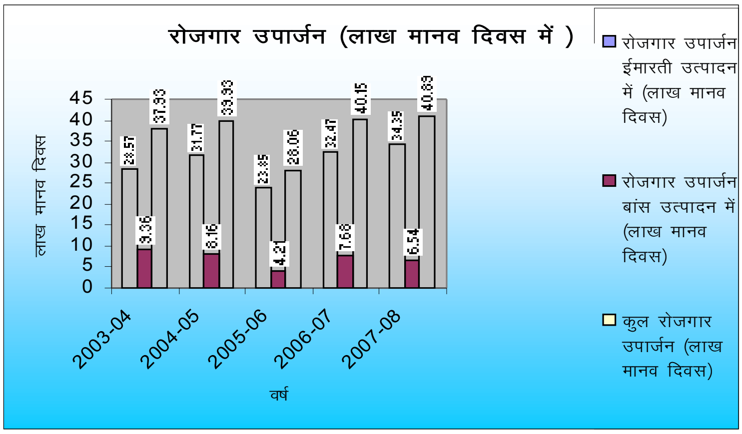

4॰17॰3 प्रशिक्षण

राज्य में अधिकारियों के प्रि क्षण के लिए छत्तीसगढ़ में बन रहे प्रि क्षण संस्थान के अतिरिक्त राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर तथा राश्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उपलब्ध है इसके साथ ही वनरक्षकों के प्रि क्षण के लिए महासमुंद, जगदलपुर एवं जांजगीर चांपा में वनरक्षक प्रि क्षण भााला संचालित है । राज्य में वर्शवार निम्नानुसार प्रि क्षाणार्थियों को प्रि क्षण दिया गया –

तालिका क्रमांक–4.38

वर्ष	प्रशिक्षणार्थी
2002-03	65
2003-04	896
2004-05	806
2005-06	3047
2006-07	5752
2007-08	2943

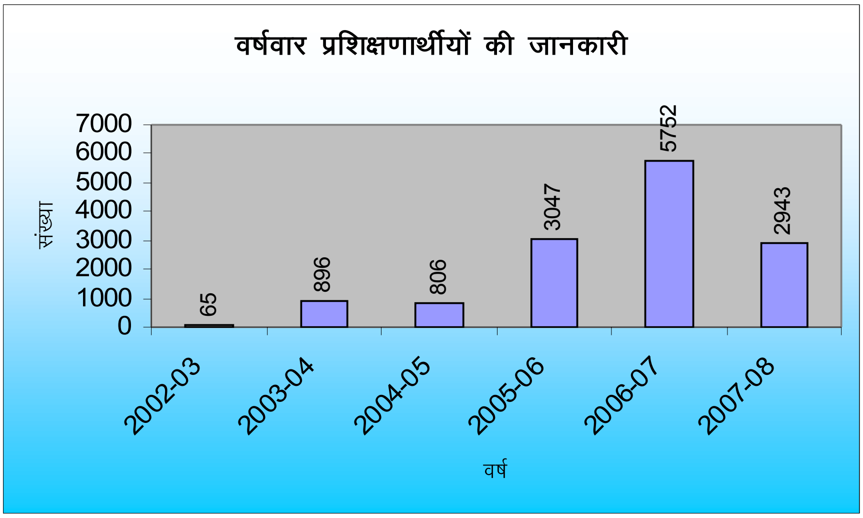

4.18 वन क्षेत्र एवं स्थानीय निवासियों के लिये कल्याणकारी योजनाएं

4०18०1 निस्तार हेतु बांस एवं जलाऊ लकड़ी का प्रदाय–

वन विभाग द्वारा वन संरक्षण एवं उत्पादन के अतिरिक्त स्थानीय लोगो की अनेक आव यकताओं को वि ेश कर निस्तारी हेतु लकड़िया एवं बांसो का प्रदाय किया जा रहा है।

तालिका क्रमांक–4.39
ग्रामीण निस्तार हेतु बांसो का प्रदाय

ग्रामीण निस्तार हेतु बांसो का प्रदाय

वर्श	बांस (संख्या लाखों में)
2002-03	25.55
2003-04	28.66
2004-05	26.72
2005-06	28.68
2006-07	18.97

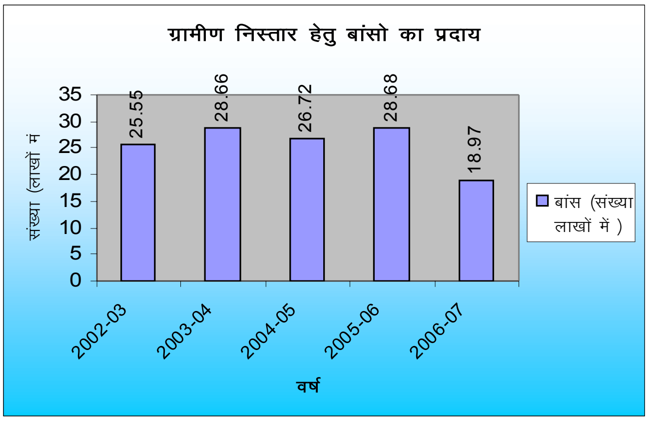

तालिका क्रमांक–4.40
ग्रामीण निस्तार हेतु लट्ठो एवं जलाऊ लकड़ी का प्रदाय

ग्रामीण निस्तार हेतु लट्ठो एवं जलाऊ लकड़ी का प्रदाय

वर्श	लट्ठा	जलाऊ लकड़ी
2002-03	44892	12687
2003-04	73863	21684
2004-05	65071	35588
2005-06	59776	28465
2006-07	77698	37188

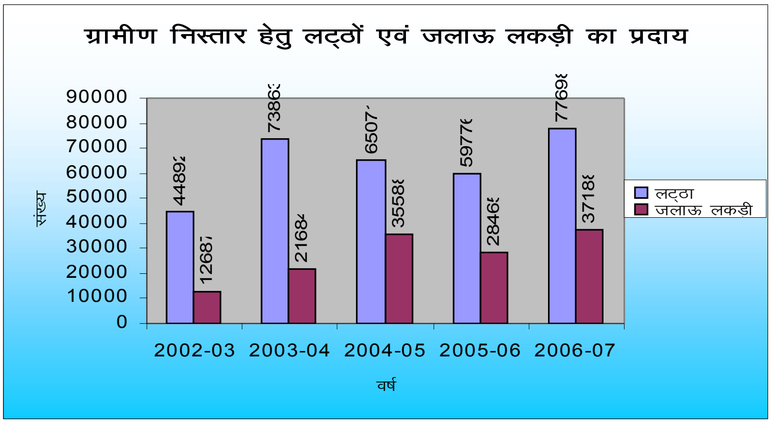

4.18.2 बंसोड़ो को बांस प्रदाय–

राज्य में 4125 बंसोड़ो का परिवार हैं, जिनकी आजीविका बांस से बने वस्तुओं के निर्माण एवं विक्रय पर निर्भर करता है । इन बसोड़ों की इनकी आजीविका के लिए रियायती मूल्यों पर बांसो का प्रदाय किया जाता है ।

तालिका क्रमांक–4.41
बंसोड़ो को बांस प्रदाय

बंसोड़ो को बांस प्रदाय

वर्ष	बांसो का प्रदाय (लाखों में)
2002-03	13.45
2003-04	21.28
2004-05	22.35
2005-06	18.00
2006-07	23.93

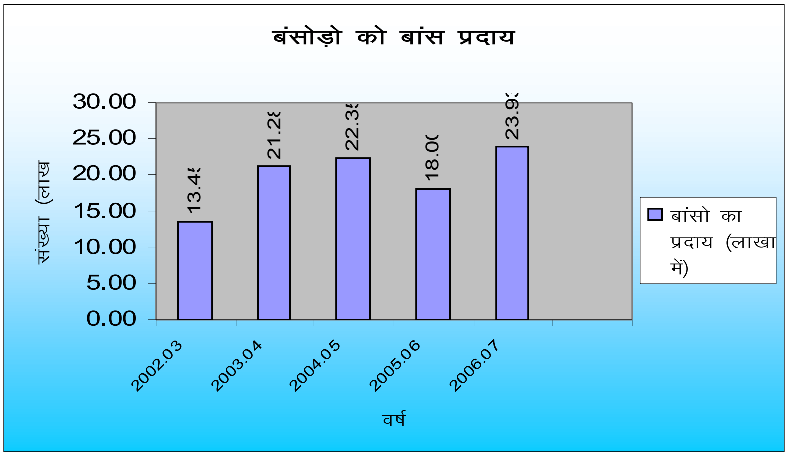

4.18.3 तेंदू पत्ता संग्राहको का सामूहिक बीमा

- जीवन बीमा निगम ने तेंदूपत्ता संग्राहको के लिए सामूहिक बीमा योजना वर्श 1991 में प्रारंभ की गई ।
- 18 से 60 वर्श तक के व्यक्तियों का बीमा किया जाता है ।
- बीमे की आधी प्रीमियम की राि ा का भुगतान एम.एफ.पी फेडरे ान के द्वारा तथा भोश प्रीमियम की राि ा का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।
- संग्राहको अथवा उनके उत्तराधिकारी को निम्नलिखित घटनाएं होने पर जीवन बीमा निगम द्वारा मुआवजा राि ा प्रदाय किया जाता है :–
  सामान्य मृत्यु – राि ा 3500
  आंि ाक अपंगता – राि ा 12500
  दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपगंता – 25000
  सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत वर्शवार निम्नानुसार बीमित राि ा का भुगतान किया गया ।

तालिका क्रमांक–4.42

सामुहिक बीमा योजना के तहत तेंदू पत्ता संग्रहको को बीमित राशि का भुगतान

वित्तीय वर्ष	दावाकर्ता	भुगतान
2001-02	11429	4.72
2002-03	15117	6.34
2003-04	16557	7.14
2004-05	12711	5.21
2005-06	14035	5.75
2006-07	22383	10.47
2007-08	11473	5.67

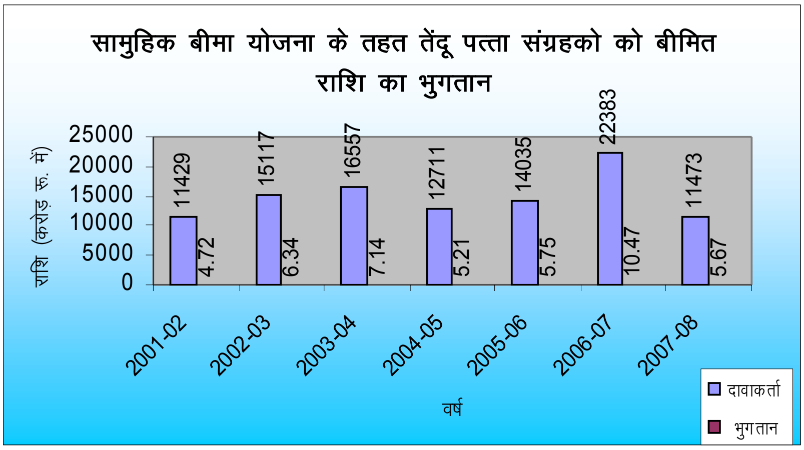

4.18.4 तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्शवार नगद मजदूरी

तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्शवार नगद मजदूरी का वितरण निम्नानुसार है –

तालिका क्रमांक–4.43

संग्रहण वर्श	राशि (करोड़ रू. में)
2001-02	28.32
2002-03	39.85
2003-04	33.06
2004-05	25.31
2005-06	24.45
2006-07	31.33
2007-08	126.00

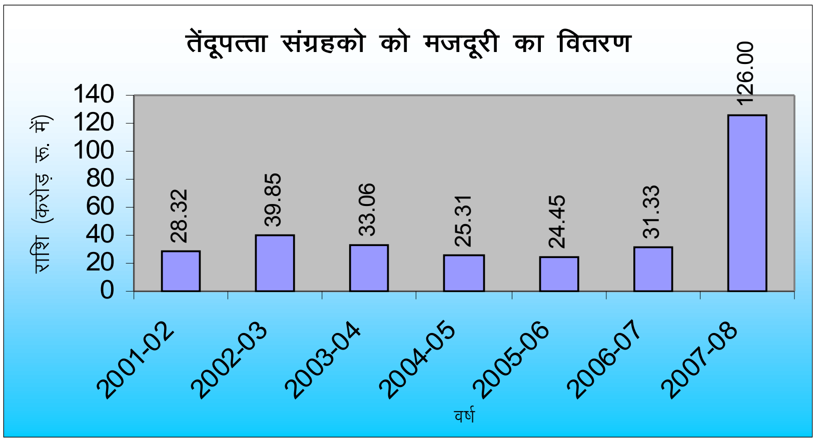

4.18.5 चरण पादुका वितरण योजना :—

तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान नंगे पांव रहने पर गोखुर जैसी बीमारियों के होने का भय बना रहता था । तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रतिवर्श एक जोड़ी जूता निः ुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई जिससे 12 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक प्रतिवर्श लाभांवित हो रहे है ।

तालिका क्रमांक–4.44

वर्ष	चरणपादुका वितरण (संख्या लाख में)
2006	12.52
2007	12.59
2008	12.75

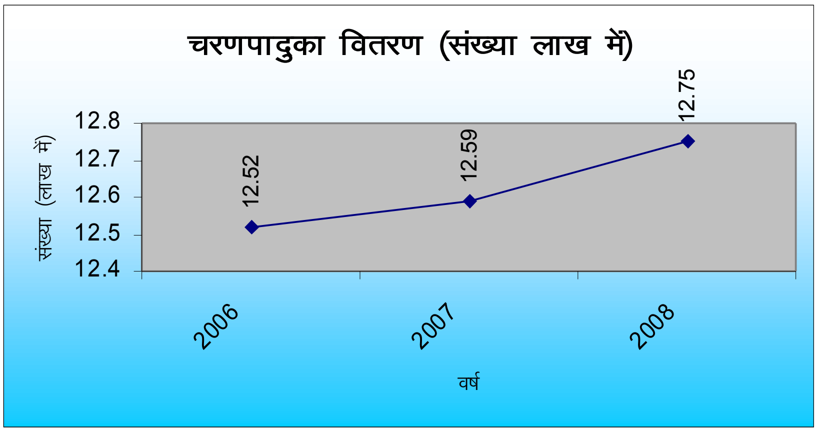

4.18.6 जनश्री सामूहिक बीमा योजना

- तेंदूपत्ता संग्राहको एवं उनके परिवारो के लिए जनश्री सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ 01.05.2007 को किया गया ।
- तेंदूपत्ता संग्राहको एवं उनके उत्तराधिकारियों को मृत्यु अथवा दुर्घटना पर निम्न राि ा का भुगतान बीमा कम्पनी करेंगी ।
  सामान्य मृत्यु – रू. 20000/–
  आंि ाक अपंगता – रू. 25000/–
  दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी अपगंता – रू. 50000/–
- जनश्री सामूहिक बीमा योजना भारत के 09 वी से 12 वी या आई टी आई में पढ़ने वाले दो बच्चो को प्रति तिमाही रू. 300/– के मान से ि ाक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

4ण्18ण्7 एकीकृत वन ग्राम विकास योजना

वनक्षेत्रों के अधीन कुल 427 वनग्राम अधिसूचित हैं जिसमें से 02 वनग्राम वीरान/डूब में है । भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 414 वनग्रामों के विकास हेतु एकीकृत वनग्राम विकास योजना के अंतर्गत रू. 108.81 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन करते हुए रू. 90.24 करोड़ विमुक्त किया गया है।

4.18.7.1 वनग्रामों के विकास की योजना की प्रगति मार्च 2008 तक

तालिका क्रमांक–4.45

(राि ा – करोड़ में)

क्र.	वृत का नाम	वनग्राम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राि ा	व्यय
1	सरगुजा	20	212	2.98	2.88
2	बिलासपुर	54	897	12.60	9.71
3	रायपुर	171	1734	41.23	37.26
4	दुर्ग	28	209	9.60	4.30
5	कांकेर	45	586	7.14	6.54
6	जगदलपुर	96	1875	16.67	4.92
	योग	414	5517	90.24	65.67

4.18.7.2 योजना के अंतर्गत कार्यो की स्थिति

स्वीकृत कार्य योजना के अंतर्गत वनग्रामों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गये :–

तालिका क्रमांक–4.46

क.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या
1.	सोलर लाईट/पम्प की स्थापना	98
2.	स्टाप डेम का निर्माण	124
3.	डब्ल्यू. बी. एम. वन मार्ग का निर्माण	49.60
4.	पहुंच मार्गों का उन्नयन	366.80
5.	पुल–पुलिया एवं रपटे का निर्माण	466
6.	आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	27
7.	ग्रामीण तलाबों के घाट निर्माण	4
8.	ट्यूब–बेल्स	209
9.	हेण्ड पम्प	198
10.	सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण	58.85
11.	तालाबों का गहरीकरण	360
12.	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण	178.55
13.	सामुदायिक भवनों का निर्माण	126
14.	कुंए का निर्माण	36
15.	बायोगैस संयत्र	210
16.	जल आपूर्ति	22
17.	उद्वहन सिंचाई योजना	7
18.	स्कूल भवन	45
19.	स्वास्थ्य ि ाविरों का आयोजन	282
20.	पौधा रोपण	28
21.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	2

4.19 वन्यजीवन संरक्षण

राज्य में वन प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 03 राश्ट्रीय उद्यान एवं 11 अभ्यारण्य एवं गेम सेन्चुरी है, जिनका कुल क्षेत्रफल 8210.425 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30 प्रति ात तथा वन क्षेत्रफल का 16.80 प्रति ात है ।

4.19.1 राष्ट्रीय उद्यान :–

राज्य में वर्तमान में तीन राश्ट्रीय उद्यान है, जिनके अंतर्गत 2899.077 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है ।

तालिका क्रमांक–4.47

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	जिले का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1.	इन्द्रावती	बीजापुर	1258.372
2.	कांगेर घाटी	बस्तर	200.00
3.	गुरू घासीदास	सरगुजा/ कोरिया	1440.705
योग			**2899.077**

4.19.2 अभ्यारण्य :–

राज्य में 11 अभ्यारण्य है, जिनका विस्तार 3770.634 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों में है।

तालिका क्रमांक–4.48

क्र.	अभ्यारण्य	जिले का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1.	अचानकमार	बिलासपुर	551.552
2.	बादलखोल	ज ।पुर	104.454
3.	गोमार्डा	रायगढ़	277.820
4.	बारनवापारा	रायपुर	244.660
5.	उदन्ती	रायपुर	247.590
6.	सीतानदी	धमतरी	553.360
7.	तमोरपिंगला	सरगुजा	608.527
8.	सेमरसोत	सरगुजा	430.361
9.	भैरमगढ़	दंतेवाड़ा	138.950
10.	पामेड़	दंतेवाड़ा	262.120
11.	भोरमदेव	कवर्धा	351.240
	योग		**3770.634**

4.19.3 वन्यप्राणियों का आकलन :–

वन्य प्राणियों का आकलन वर्श 2005 के आकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.49

स. क.	वन्यपशु	संख्या
1	शेर	200
2	तेंदूआ	1293
3	चीतल	23044
4	सांभर	3305
5	कोटरी	19203
6	नीलगाय	4197
7	गौर	2698
8	जंगली भैसा	121

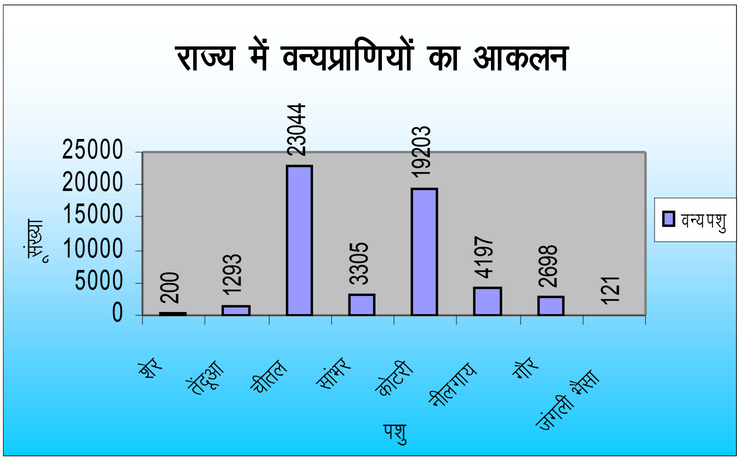

4.19.4 वन्य जीव संरक्षण की योजनाएं

4.19.4.1 प्रोजेक्ट टायगर :–

इन्द्रावती राश्ट्रीय उद्यान, बीजापुर केन्द्र भाासन की प्रोजेक्ट टायगर योजनांतर्गत वर्श 1982 से सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित की गई है।

4.19.4.2 जंगली हाथियों का रहवास :–

हाथियों के अलग–अलग विभिन्न समूहों में बंटकर छत्तीसगढ़ राज्य के ज ापुर, सरगुजा, रायगढ़, धर्मजयगढ़, कोरबा एवं कटघोरा वनमंडलों में विचरण करते आ रहे है । विभाग द्वारा हाथी रहवास स्थलों का विकास एवं हाथी – मानव द्वंद को कम करने हेतु अंर्तराश्ट्रीय स्तर के संस्था अर्थ मेटर्स (एन.जी.ओ.) से एक एम.ओ.यू किया गया है । ज ापुर वनमंडल के बादलखोल क्षेत्र, उत्तरी सरगुजा वनमंडल के तमोर पिंगला एवं कोरबा वनमंडल के लैमरू अभ्यारण्य के समीप की क्षेत्रों को हाथी रिजर्व के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है ।

4.19.4.3 बस्तर पहाड़ी मैना :–

अपने स्त्रोतो से बस्तर मैना के अन्तः स्थलीय संरक्षण के प्रयास किए जा रहे है । जुलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, प्राणी विज्ञान भवन एम.आर.नया अलीपोर, कलकत्ता को भेजा गया है ।

4.19.4.4 वन भैंसो का संरक्षण :–

वनभैसों को महत्व देते हुए इसे राज्य प ु का दर्जा दिया गया है। इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वनभैसों पर संकट बढ़ा है । प्रदे ा में वनभैसों को संरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे है । वन विभाग द्वारा वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के साथ एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है।

4.19.4.5 मगरमच्छ परियोजना :–

वनमंडल जांजगीर चांपा के अंतर्गत कोटमी सोनार तालाब में मगरमच्छ के संरक्षण एवं ग्रामीणों को हानि से बचाने के लिए मगरमच्छ संरक्षण योजना प्रारंभ किया गया ।

4.19.4.6 अचानकमार–अमरकंटक–बायोस्फियर रिजर्व :–

अचानकमार–अमरकंटक–बायोस्फियर रिजर्व की अधिसूचना भारत भाासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च 2005 को जारी की गई है । इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है । यह दे ा का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है ।

4.19.5. वन्य जीवन पर किया गया व्यय :–

वन्यजीवन संरक्षण के लिए प्रदान की जा रही राशि में निरंतर वृद्धि की गई है । 2002–03 में वन्य जीवन पर रू. 5.33 करोड़ का व्यय किया गया था, वहीं वर्ष 2007–08 में रू. 18.54 करोड़ का व्यय किया गया जो कि तीन गुना से अधिक है ।

वन्य जीवन पर किया जा रहा वर्शवार व्यय निम्नानुसार है :–

तालिका क्रमांक–4.50

वर्श	वन्य जीवन पर व्यय की राशि (राशि लाख में)
2002-03	533.07
2003-04	822.61
2004-05	835.69
2005-06	1100.79
2006-07	1650.92
2007-08	1854.47

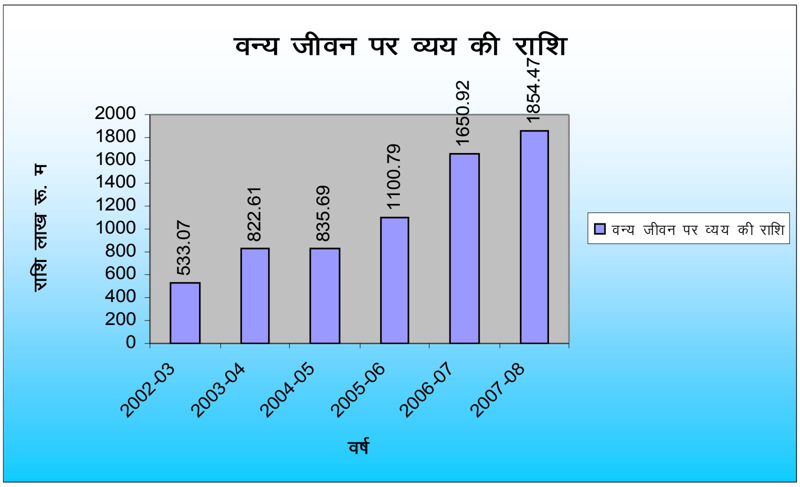

अध्याय – 5
खनिज संसाधन विकास

प्रदेश की खनिज सम्पदा अपने में विविधता संजोये हुये है। इसमें जहॉ एक ओर सामरिक महत्व का खनिज टिन अयस्क, ऊर्जा स्त्रोत के खनिज कोयला तथा धात्विक महत्व के खनिज लौह अयस्क तथा बाक्साइट हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य के गर्भ में औद्योगिक खनिज चूनापत्थर तथा डोलोमाइट बहुलता से पाये जाते हैं। प्रकृति ने राज्य को संपन्न करने हेतु हीरा, एलेक्जेन्ड्राइट, स्वर्ण, गारनेट तथा कोरण्डम जैसे बहुमूल्य खनिजों से विभूषित किया है।

राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों की अहम् भूमिका होती है। इस दृष्टि से राज्य में उपलब्ध खनिजों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन हेतु खनिज साधन विभाग अपने अधीनस्थ संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्यशील है।

5०1 खनिज साधन विभाग के प्रमुख दायित्व–

- **नीति संबंधी –**
  - ➢ खनिज संसाधन की खोज, पूर्वेक्षण एवं आंकलन।
  - ➢ खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास।
  - ➢ पट्टे, रियायतें देना तथा खनिज राजस्व का संग्रहण।
  - ➢ खनिज अधिकारों पर कर।

- **विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियम और नियम–**
  - ➢ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
  - ➢ खनिज रियायत नियम, 1960
  - ➢ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996

- **विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय–**

➢ संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म एवं क्षेत्रीय कार्यालय

- **अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम–**

➢ छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

- संचालनालय में खनिज सर्वेक्षण कार्य को गुणात्मक बनाने के लिये निम्नानुसार प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं–

मुख्यालय, रायपुर	भू–भौतिकी, फोटो भौमिकी शाखा एवं रासायनिक तथा प्रस्तर प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	रासायनिक प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	कोयला एवं रासायनिक प्रयोगशालाएं
क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	रासायनिक प्रयोगशाला

5.2 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि के लिए प्रावधान–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खनिजों के उत्खनन, संयुक्त उपक्रमों में भागीदारी, अधोसंरचना निर्माण तथा राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि का गठन किया गया है। अधिनियम में विगत वित्त वर्ष में प्राप्त खनिज राजस्व के 5 प्रतिशत तक की राशि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि के लिये उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

तालिका क्र.– 5.01

खनिज विकास निधि राशि की प्रगति

(राशि लाख रूपयों में)

वर्ष	प्रावधानित राशि	खनिज विकास निधि में अन्तरण की गई राशि
2003–04	1000	1000
2004–05	1000	1000
2005–06	1000	1000
2006–07	3500	3500
2007–08	4120	3610

5.3 राज्य में उपलब्ध प्रमुख खनिज भंडार–

प्रदेश में उत्पादित तथा पाये जाने वाले प्रमुख खनिजों की खनिजवार राष्ट्रीय स्थिति को को तालिका क्र. –5.2 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्र.–5.02

प्रमुख खनिजों के भण्डार

क्रं	खनिज का नाम	इकाई	देश में कुल भण्डार	छत्तीसगढ़ में कुल भण्डार	देश में छ.ग. का प्रतिशत
1	कोयला	मिलियन टन	253302	41442	**16.36**
2	लौह अयस्क (हेमेटाइट)	मिलियन टन	14630	2731	**18.67**
3	चूनापत्थर (सभी श्रेणी)	मिलियन टन	175345	9038	**5.15**
4	डोलोमाइट	मिलियन टन	7533	847	**11.24**
5	बाक्साइट	मिलियन टन	3290	148	**4.5**
6	टिन अयस्क	मिलियन टन	86.55	32.62	**37.69**
	टिन धातु	टन	101237	14449	**14.27**
7	क्वार्टजाइट	मिलियन टन	1145	26	**2.27**
8	क्वार्टज एण्ड सिलिका सेंड	मिलियन टन	3238	1.5	**0.46**
9	फ्लोराइट	मिलियन टन	20	0.55	**2.75**
10	हीरा	लाख कैरेट	46	13	**28.26**
11	फायर क्ले	मिलियन टन	705	21	**2.99**
12	क्ओलिन (चयना क्ले)	मिलियन टन	2596	15	**0.58**
13	कोरण्डम	टन	83795	885	**1.06**
14	स्वर्ण ओर (प्रायमरी)	मिलियन टन	390	0.9	**0.23**
	स्वर्ण धातु (प्रायमरी)	टन	491	2.7	**0.55**
15	गारमेट	मिलियन टन	58	0.03	**0.05**
16	टाल्क / स्टीयटाइट सोपस्टोन	मिलियन टन	312	0.11	**0.04**
17	ग्रेनाइट	लाख घन मीटर	37426	50	**0.13**
18	मार्बल	मिलियन टन	1793	83	**4.63**

5.4 उपलब्ध प्रमुख खनिजों के भण्डार तथा उत्पादन :–

प्रदेश में उत्पादित प्रमुख खनिजों की खनिजवार वार्षिक उत्पादन की प्रगति को तालिका क्रमांक – 5.3 एवं ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्र.– 5.03

राज्य में प्रमुख खनिजों के वार्षिक उत्पादन की प्रगति

क्र0	खनिज का नाम	उत्पादन इकाई	2000-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
1	कोयला	लाख टन	502.26	536.8	567.58	615.05	692.5	763.6	832.45	893.5
2	लौह अयस्क	लाख टन	200.16	186.6	197.81	233.61	231.2	247.5	288.11	309.2
3	चूनापत्थर	लाख टन	139.54	131.5	136.26	138.33	148.6	148.3	151.11	155.8
4	बाक्साइट	लाख टन	5.57	5.56	6.11	8.88	11.11	13.49	15.93	17.89
5	डोलोमाइट	लाख टन	6.91	8.55	9.18	10.05	10.43	10.78	10.93	10.03
6	टिन अयंस्क	किलों ग्राम	12979	13887	10630	13342	25503	98736	103338	46022

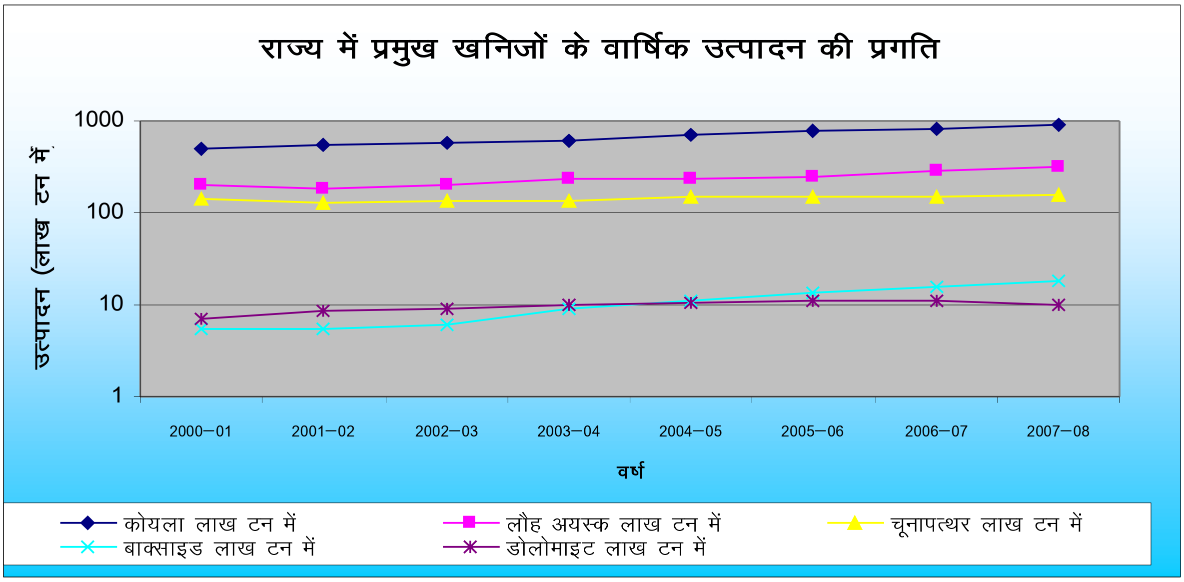

- **कोयला उत्पादन एवं सर्वेक्षण–** ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत कोयला प्रदेश के खनिज राजस्व में लगभग 80. 42 प्रतिशत योगदान है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले के 41,442 मिलियन टन भण्डार हैं। जो की राष्ट्र के कोयले भण्डार का 16.36 प्रतिशत है। राष्ट्र के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभगिता 18.08 प्रतिशत है। तथा कोयला उत्पादन प्रदेशों में यह राज्य **द्वितीय क्रम** में है।

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में कोयले का उत्पादन 502.26 लाख टन था जो 77. 89 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2007–08 में बढ़कर 893.48 लाख टन हो गया । राज्य के रायगढ़ जिले में सी.एम.डी. सी. को आबंटित कोल ब्लाक गारेपेलमा सेक्टर में प्रारंभिक गणना के अनुसार 400 लाख टन

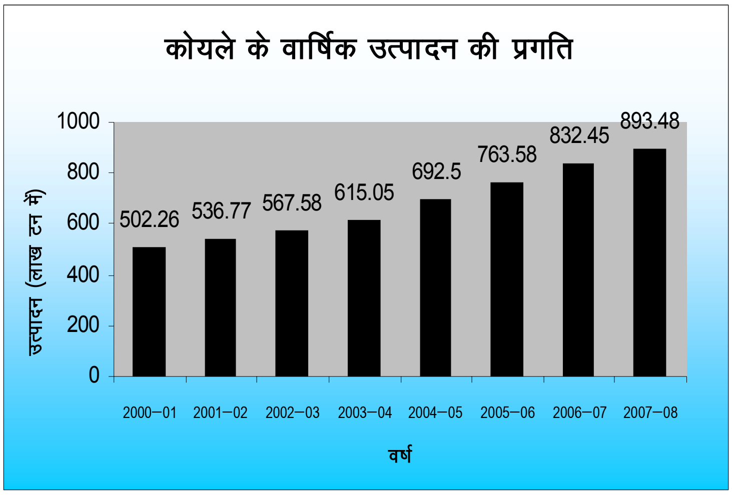

भण्डार अनुमानित है। कोरबा जिले के सैला क्षेत्र में कोयला खनिज भण्डारों के आंकलन हेतु पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है।

प्रदेश में उत्पादित कोयले का उपयोग राष्ट्र तथा प्रदेश स्तरीय वृहत् ताप विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त सीमेंट एवं इस्पात आदि उद्योगों में हो रहा है।

- **लौह अयस्क उत्पादन एवं सर्वेक्षण–** छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा से विश्व प्रसिद्व बैलाडीला तक की पर्वत श्रृंखलाओं में लौह अयस्क के 2,731 मिलियन टन भण्डार हैं जो राष्ट्रीय लौह भण्डार का लगभग **18.67 प्रतिशत** है। राष्ट्र के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभगिता 16.20 प्रतिशत है तथा राष्ट्र में **तृतीय स्थान** प्रात है। लौह अयस्क का उत्पादन **दंतेवाडा, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगांव** जिलों में हो रहा है।

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में लौह अयस्क का उत्पादन 200.16 लाख टन था जो 54.49 प्रतिशत की वृद्वि के साथ वर्ष 2007–08 में बढ़कर 309.22 लाख टन हो गया ।

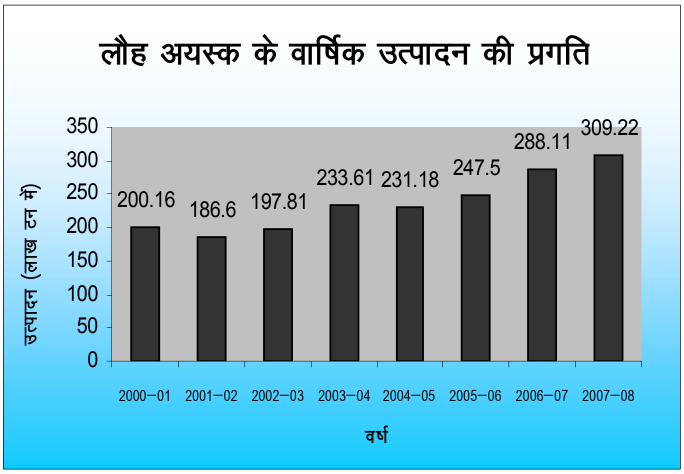

लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाजनिक क्षेत्र के दंतेवाडा स्थित एन.एम.डी.सी. लिमिटेड की बैलाडीला खानों में तथा दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की दल्ली राजहरा खानों से हो रहा है। अल्प मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन निजी क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव तथा कांकेर जिलों में किया जा रहा है।

लौह अयस्क की बढ़ती मांग के अनुरूप दंतेवाडा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क भण्डारों के लिए 55 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण की जा चुका है। फलस्वरूप ग्राम कामालूर, गोंदापाल, पंझडावार, मासौदी आदि में 50 लाख टन लौह अयस्क के भण्डार चिन्हित हुए हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लौह अयस्क उच्च श्रेणी का है तथा इसमें Fe (Iron) की मात्रा 60 से 66 प्रतिशत तक पाई गई है। कांकेर जिले के रावघाट क्षेत्र में 89 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है, प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम तारोकी, तुमापाल, पेड़वेरा तथा हुरतराई में 150 लाख टन लौह अयस्क भण्डार चिन्हित हुए हैं।

- **चूना पत्थर उत्पादन एवं सर्वेक्षण–** राज्य में सभी श्रेणी के चूना पत्थर के 9,038 मिलियन टन भंडार मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय भंडार का **5.15 प्रतिशत** है। राष्ट्र के चूना पत्थर के उत्पादन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 9.15 प्रतिशत है। **रायपुर** जिले में चूना पत्थर की बहुतायत होने से इस जिले में **लाफार्ज, सेंचुरी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम तथा अंबुजा सीमेंट संयंत्र** स्थापित हैं।

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में चूना पत्थर का उत्पादन 139.54 लाख टन था जो 11.67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2007–08 में बढ़कर 155.82 लाख टन हो गया ।

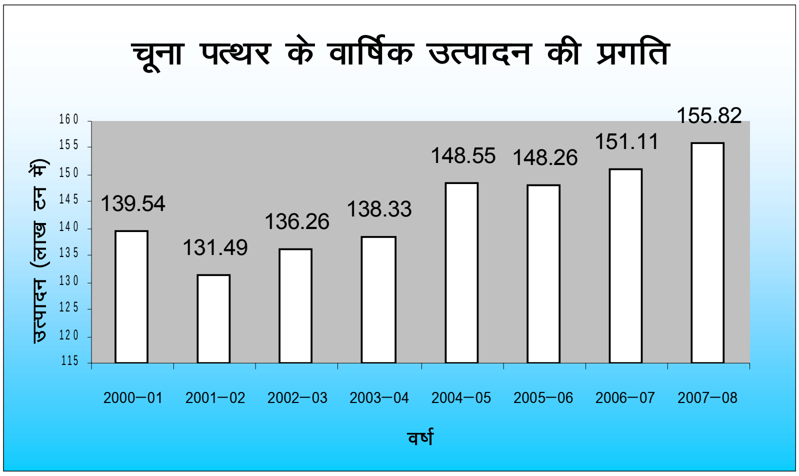

वर्ष 2007–08 में 75 लाख टन वार्शिक क्षमता के 3 नये सीमेंट संयंत्र स्थापित करने तथा 2 कार्यरत सीमेंट संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु चूना पत्थर की खनिज रियायतें स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

कबीरधाम जिलें की सोहागपुर/उड़का क्षेत्र में सीमेंट श्रेणी चूना पत्थर धारी क्षेत्रों का पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान खपरी, बनिया, लालपुर, बिरनपुर आदि ग्रामों में चूना पत्थर प्राप्त हुआ है।

- **बाक्साइट उत्पादन एवं सर्वेक्षण** – राज्य में 148 मिलिनय टन बाक्साइट के भंडार उपलब्ध हैं, जो कि देश के **बाक्साइट** भंडार का **4.50 प्रतिशत** है। देश के बाक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का सहयोग 9.48 प्रतिशत है। **बाक्साइट** का उत्पादन प्रदेश के **सरगुजा, कबीरधाम तथा कांकेर** जिलों में हो रहा है।

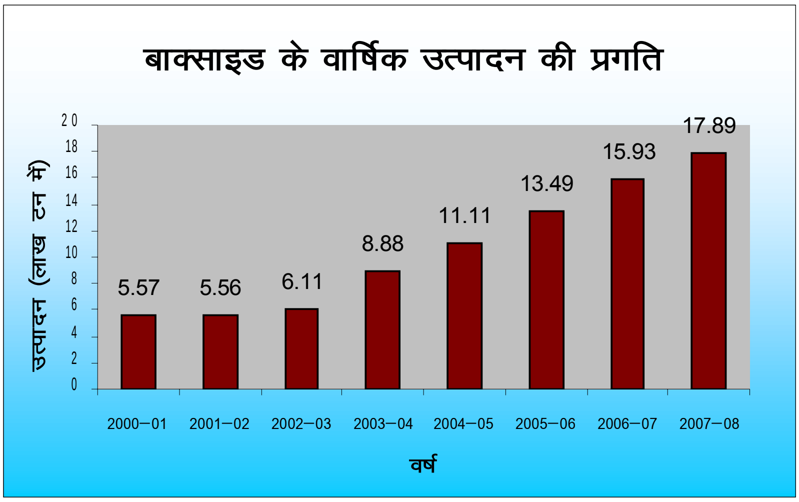

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में **बाक्साइट** का उत्पादन 5.57 लाख टन था जो 221.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2007–08 में बढ़कर 17.89 लाख टन हो गया ।

मुख्य रूप से **बाक्साइट** का उत्पादन मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा, मेसर्स हिन्डालको, रेनुकूट (उ.प्र.) तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के सरगुजा तथा कबीरधाम जिले में उन्हें स्वीकृत बाक्साइट के खनिपट्टे क्षेत्रों से किया जा रहा है। प्रदेश में उत्पादित **बाक्साइट** का प्रमुख उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में हो रहा है।

सरगुजा क्षेत्र के मैनपाट क्षेत्र में ग्राम पथराई (पश्चिम क्षेत्र) में प्रारंभिक गणना के अनुसार 90,000 टन **बाक्साइट** के भंडार अनुमानित किये गये है।

- **डोलोमाइट उत्पादन एवं सर्वेक्षण** – छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट भंडारों की मात्रा 847 मिलियन टन है, जो कि राष्ट्र के भण्डारों का **11.24 प्रतिशत** है। उत्पादन की दृश्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान उत्पादन राज्यों में **द्वितीय** है। डोलोमाइट का प्रमुख उपयोग इस्पात संयंत्रों में होता है। **बिलासपुर** में उत्पादित डोलोमाइट भिलाई इस्पात संयंत्र की मांग की पूर्ति के साथ ही राज्य के बाहर भेजा जाता है।

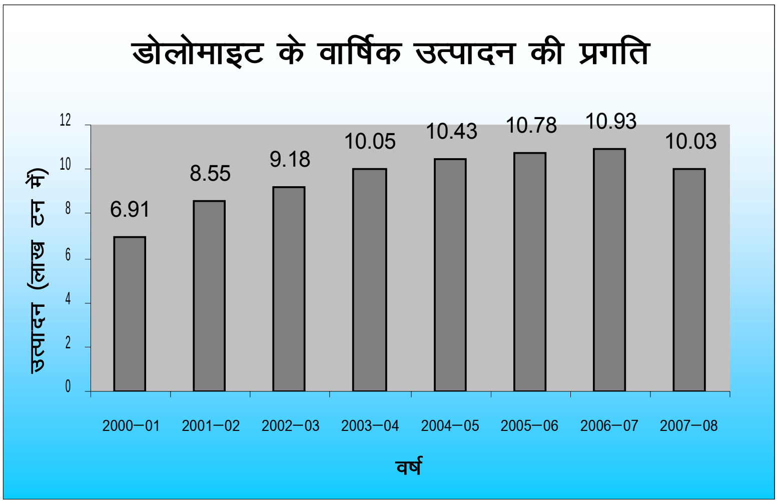

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में डोलोमाइट का उत्पादन 6. 91 लाख टन था जो वर्ष 2006–07 में बढ़कर 10.93 लाख टन हो गया किन्तु वर्ष 2007–08 में उत्पादन कम हो कर 10.03 लाख टन रह गया इस प्रकार इस अवधि के दौरान डोलोमाइट के उत्पादन में 45.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- **टिन अयस्क उत्पादन एवं सर्वेक्षण** – टिन अयस्क के राष्ट्रीय भण्डार में **37.69 प्रतिशत** का योगदान है इस खनिज का शत् प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ के **दंतेवाड़ा** जिले में राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

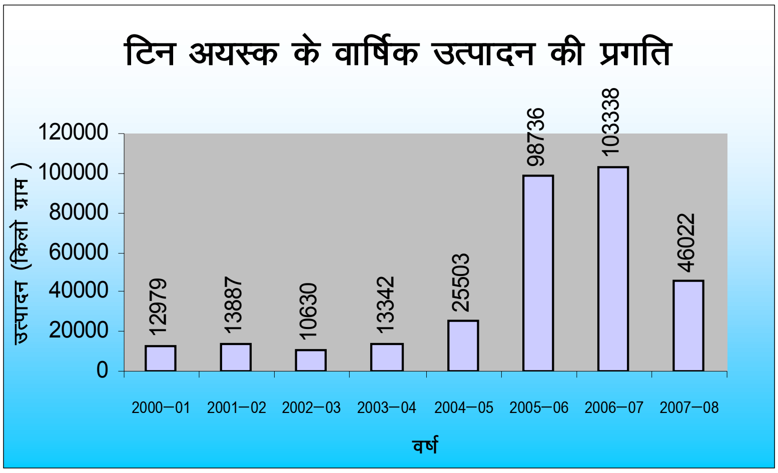

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में टिन अयस्क का उत्पादन 12,979 किलों ग्राम था जो वर्ष 2006–07 में बढ़कर 1,03,338 किलोग्राम हो गया किन्तु वर्ष 2007–08 में उत्पादन कम हो कर 46,022 किलोग्राम रह गया इस प्रकार इस अवधि के दौरान टिन अयस्क के उत्पादन में 254.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

टिन अयस्क का क्रय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

राज्य में पाये जाने वाले अन्य खनिजः–

- **हीरा** – यह सर्वाधिक चर्चित खनिज है प्रदेश ने हीरे की खोज में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। रायपुर जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा खनिज की मातृशिला किम्बरलाइट के छः पाइप बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसमबुडा एंव बेहराडीह टेम्पल क्षेत्र में अंकित किये गये हैं। इनमें से बेहराडीह तथा पायलीखंड क्षेत्रों में किम्बरलाइट पाइप में हीरे की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में स्वीकृत खनि रियायतों के फलस्वरूप राज्य के अन्य जिलों में भी हीरे की उपस्थिति प्रमाणित की गई है।
- **स्वर्ण धातु** – जिला रायपुर के सोना खान क्षेत्र में स्वर्ण के 2780 कि.ग्रा. भंडार प्रमाणित किये गये हैं। जशपुर जिले के बरजोर–तपकरा क्षेत्र में नदियों की रेत में स्वर्ण कण पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रांरभिक सर्वेक्षण के दौरान 25 किलोग्राम जलोढ़ स्वर्ण के भंडार विदित हुए हैं। कांकेर जिले में भी स्वर्ण कण पाये जाने के संकेत प्राप्त हुए हैं।

- **गारनेट** – जिला रायपुर में गारनेट खनिज देवभोग क्षेत्र के गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा तथा कॉदूवन क्षेत्र में पाया जाता हैं। गारनेट खनिज का उपयोग एब्रेसिव उद्योग में होता है। रत्न/उपरत्न श्रेणी के गारनेट का उपयोग आभूषणों में होता है।
- **एलेक्जेन्ड्राइट** – यह दुर्लभ एवं बहुमूल्य खनिज जिले रायपुर के सेंदमुड़ा (देवभोग) क्षेत्र में पाया जाता है।
- **कोरण्डम** – जिला दंतेवाडा मे कोरण्डम खनिज के महत्वपूर्ण भंडार भोपालपटनम् क्षेत्र में पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में कोरण्डम के 50 टन भंडार अनुमानित हैं।
- **फ्लुओराइट** – जिला महासमुंद के चुराकुट्टा, मकरमुत्ता, घाट–कछार आदि ग्रामों के आस–पास फ्लुओराइट खनिज पाये गये हैं। इस खनिज के निक्षेप राजनांदगांव जिले में चांदी डोंगरी के आस–पास भी हैं। प्रदेश में निम्न श्रेणी फ्लुओराइट के कुल 1.45 मिलियन टन भंडार विदित हैं।
- **अन्य खनिज** – प्रदेश में **क्वार्टज** खनिज जो कि सिलिका ब्रिक्स बनाने हेतु उपयोगी है जिला राजनांदगांव के बोरतालाब, पनियाजोव ग्रामों के आस–पास प्राप्त होता है। अग्नि मृत्तिका (फायरक्ले) खनिज जिला कोरिया के वामपुरा, नवापारा तथा विश्रामपुर क्षेत्र में पाया जाता है। यह खनिज पाटरीज तथा सिरामिक उद्योगों हेतु उपयुक्त है। जिला दंतेवाडा में **सिलिमेनाइट** तथा जिला बस्तर में **सोपस्टोन** के निक्षेप अल्प मात्रा में पाये जाते हैं।
- **गौण खनिज** – राज्य में गौण खनिजों का उत्पादन भी होता है, गौण खनिजों कि श्रेणी में रेत तथा बजरी पत्थर, मिट्टी, मुरम, चूना–पत्थर, ग्रेनाइट तथा मार्बल आते हैं। ग्रेनाइट एवं मार्बल को छोड़कर अन्य गौण खनिज प्रदेश के अधिकांश जिलों में पाये जाते हैं।

5.5 खनिजों की उत्पादन मात्रा – समूहवार

प्रदेश में उत्पादित प्रमुख खनिजों की समूहवार उत्पादन की प्रगति को तालिका क्रमांक–5.4 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्र.–5.04

खनिजों की समूहवार उत्पादन मात्रा की प्रगति

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	कोयला	धात्विक खनिज	अधात्विक खनिज	गौण खनिज	योग
2000–01	502.26	205.73	146.62	15.37	869.98
2001–02	536.77	192.16	140.15	19.28	888.36
2002–03	567.58	203.92	145.58	116.72	1033.80
2003–04	615.05	242.49	148.67	70.56	1076.77
2004–05	692.50	242.26	159.47	96.10	1190.33
2005–06	763.38	260.99	159.29	74.28	1258.14
2006–07	832.45	304.04	161.30	94.96	1392.75

5०6 उत्पादित खनिजों से लक्ष्य के विरूद्व प्राप्त राजस्व की प्रगति–

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अधीन मुख्य खनिजों पर देय रायल्टी की दरों के निर्धारण का अधिकार भारत सरकार को है। **गौण खनिजों पर देय रायल्टी की दरों के निर्धारण का अधिकार राज्य शासन को है।**

राज्य में उत्पादित खनिजों के राजस्व लक्ष्य के विरूद्व प्राप्त राजस्व की विभिन्न वर्षों के अंतर्गत प्रगति को तालिका क्रमांक–5.5 एवं ग्राफ में दर्शाया गया हैं–

तालिका क्र.–5.05

राज्य में खनिजों से लक्ष्य के विरूद्व प्राप्त राजस्व (लाख रू.में)

वर्ष	राजस्व लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति
2000–01	42043.00	42996.11
2001–02	45500.00	45852.73 -
2002–03	53941.00	55236.04 -
2003–04	64000.00	63717.61 -
2004–05	66554.00	69462.38
2005–06	70651.00	73785.08 -
2006–07	82469.00	83234.90 -
2007–08	98359.00	102838.12

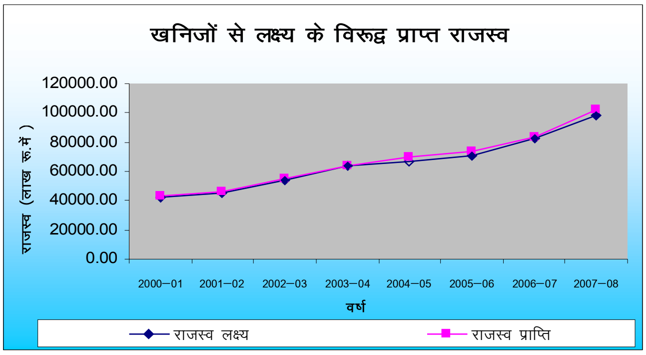

तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 को छोड़कर चयनित वर्षो में लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है।

खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन की रोकथाम के लिये राज्य में विभिन्न जिलों में 45 जॉच चौकियों की स्थापना की गई है जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में 3 तौल कांटे भी स्थापित किये गये हैं।

रेत खनन सुनियोजित ढ़ग से करने तथा पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय के साधन जुटाने की दृश्टि से दिनांक 1 अप्रैल 2006 से रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के अधिकार ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को दिये गये हैं, रेत पर 15 रू. प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी निर्धारित की गई है। रायल्टी से प्राप्त राशि सीधे तौर पर पंचायतों/नगरीय निकायों को प्राप्त हो रही है।

5.7 खनिजों से लक्ष्य के विरूद्व समूहवार प्राप्त राजस्व–

प्रदेश में उत्पादित प्रमुख खनिजों की समूहवार उत्पादन की प्रगति को तालिका क्रमांक–5.6 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्र.–5.06

खनिजों से लक्ष्य के विरूद्व समूहवार प्राप्त राजस्व की प्रगति

(राशि लाख रूपयों में)

वर्ष	राजस्व लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति			लक्ष्य के विरूद्व प्राप्ति का प्रतिशत
		मुख्य खनिज	गौण खनिज	कुल	
2000–01	42043.00	42530.58	465.53	42996.11	102.27
2001–02	45500.00	45168.60	684.13	45852.73	100.78
2002–03	53941.00	53681.51	1554.53	55236.04	102.40
2003–04	64000.00	62315.39	1402.22	63717.61	99.56
2004–05	66551.00	67456.94	2005.44	69462.38	104.37
2005–06	70645.00	70912.95	2872.13	73785.08	104.44
2006–07	82462.00	78681.44	4553.46	83234.90	100.94
2007–08	98359.00	96847.87	5990.25	102838.12	104.55

5.8 जिलेवार खनिज तालिका का निर्माण–

जिलेवार खनिजीय एवं भौमिकीय जानकारी एकत्र करने हेतु प्रदेश के 12 जिलों का जिलेवार खनिज सर्वेक्षण (Districtwise Mineral Survey) पूर्ण हो चुका है।

कबीरधाम जिले में बोदलपानी, सोनवाही तथा बंदरीपानी ग्रामों में 29.8 लाख टन मेटल ग्रेड बाक्साइट के भंडार चिन्हित किये गये हैं। राजनांदगांव जिले ग्राम लिमोना खेरबार में चूनापत्थर, ग्राम बासावर में सेन्डस्टोन/क्वार्टजाइट तथा ग्राम मागरकुंड में लौह अयस्क के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। इसके अलावा बहुमूल्य खनिजों जैसे हीरा, सोना आदि की खोज के लिए 2,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में टोही अनुज्ञा पत्रों के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में हीरा एवं अन्य बहुमूल्य खनिजों के सर्वेक्षण हेतु 9,632 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 5 रिकोनेसेन्स परमिट स्वीकृत किये गये हैं।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरशन (सी.एम.डी.सी.) का गठन जून 2001 को किया गया। निगम की स्वयं या निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से खनिज रियायत प्राप्त कर खनन की योजना है ।

भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा सी.एम.डी.सी. के पक्ष में अगस्त 2003 को तारा कोयला ब्लॉक एवं गारेपेलमा सेक्टर–I, जुलाई 2007 को चेण्डीपाड़ा एवं चेण्डीपाड़ा–2, सोंढ़िया कोयला ब्लॉक तथा शंकरपुर (भटगांव–2) एण्ड शंकरपुर भटगांव एक्टेंशन क्षेत्रों पर कोयला खनिज के क्षेत्र आंबटित किये गये हैं।

तारा कोयला ब्लॉक से सीएसईबी, इफको तथा सी.एम.डी.सी. की ज्वाइंट वेन्चर कोल कम्पनी बनाकर कोयले का उत्पादन किया जाएगा जिससे इफको–सीएसईबी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले 1,000 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लांट की कोयले की आवश्यकता की पूर्ति की जावेगी।

अध्याय – 6

6.1 जल संसाधन

प्रदे ा की लगभग 80 प्रति ात आबादी ग्रामों में बसती है, जो मुख्यतः खेती पर निर्भर है। राज्य भाासन द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। राज्य की कुल बोये क्षेत्र का 75 प्रति ात अर्थात 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2007 तक कुल 3.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। मार्च 2007 की स्थिति में निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं से कुल 17.22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का सृजन हुआ है, जो भाुद्ध (निरा) बोये गये क्षेत्र का 36 प्रति ात है एवं कुल बोये गये क्षेत्र का 30 प्रति ात है। प्रदे ा में वर्तमान में 6 वृहद, 31 मध्यम एवं 2205 लघु योजनायें निर्मित है तथा 5 वृहद, 8 मध्यम एवं 508 लघु योजनायें निर्माणाधीन है। कृशि उत्पादन बढ़ाने के उद्दे य से विभिन्न नदियों में 595 एनीकट बनाये जाने हेतु स्थल चिन्हांकित किये गये है। इनके निर्माण से निस्तार, कृशि, उद्योगों आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति के साथ भू–जल संग्रह बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में 50 एनीकट जिनकी लागत रू. 67.80 करोड़ है का निर्माण किया जा चुका है एवं 120 एनीकट जिनकी अनुमानित लागत रू. 282.00 करोड़ है, निर्माणाधीन है।

एक नवंबर 2000 को समस्त भाासकीय स्रोतो से निर्मित सिंचाई क्षमता 13.28 लाख हेक्टेयर थी। राज्य गठन के प चात क्षमता में उतरोत्तर वृद्धि एवं पूर्ण योजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:–

6.1.1 निर्मित सिंचाई क्षमता

तालिका क. – 6.01
निर्मित सिंचाई क्षमता

क.	वर्श	निर्मित सिंचाई क्षमता (लाख हे. में)	कुल सिंचाई (लाख हे. में)
1	2000–01	12000	13.40
2	2001–02	71000	14.11
3	2002–03	42000	14.53
4	2003–04	98000	15.51
5	2004–05	75000	16.26
6	2005–06	55000	16.81
7	2006–07	41000	17.22

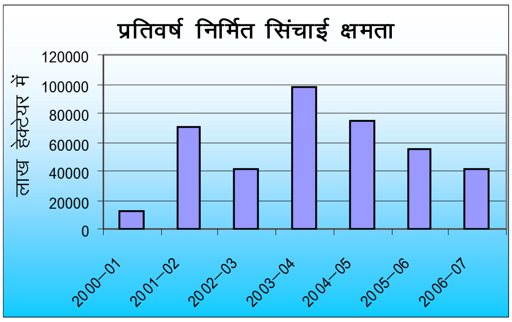

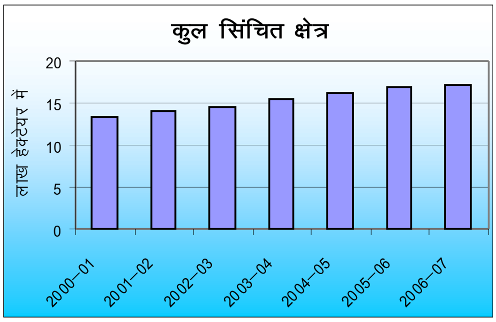

6.1.2 विभागीय बजट

तालिका क. – 6.02
निर्मित सिंचाई क्षमता

(राि ा लाख रू. में)

क.	वर्श	आबंटन	व्यय
1	2000–01	8764.47	6390.43
2	2001–02	25981.71	23230.62
3	2002–03	42998.92	38815.14
4	2003–04	50791.00	45252.54
5	2004–05	74323.70	64441.76
6	2005–06	71400.97	57685.99
7	2006–07	80823.90	67241.02
8	2007–08	85203.44	77003.82

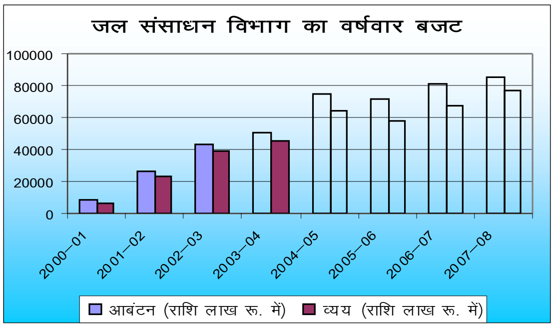

6.1.3 आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत ऐसी सिंचाई योजनाएं भाामिल की जाती है जिनसे कम से कम 50 प्रति ात आदिवासी परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके एवं उनका लाभान्वित होने वाला क्षेत्र, योजना से कुल लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का कम से कम 50 प्रति ात हो, तदनुसार आदिवासी क्षेत्र में 263 योजनायें निर्माणाधीन है। इनमें प्रमुख रूप से खरखरा मोहंदीपाट फेस–1 एवं फेस–2 (जिला दुर्ग) एवं कोसारटेडा मध्यम परियोजना जिला बस्तर में निर्माणाधीन है।

6.1.4 वि ेश घटक योजना

वि ेश घटक योजना के अंतर्गत ऐसी योजनाएं भाामिल की जाती है जिनसे 50 प्रति ात से अधिक अनुसूचित जाति के परिवारों एवं कृशकों के कम से कम 50 प्रति ात क्षेत्र को लाभ होता है। वर्तमान में निम्न जिलों में वि ेश घटक की 8 योजनाएं निर्माणाधीन हैः–

तालिका क. – 6.03
वि ेश घटक योजना

क.	जिला	योजना की संख्या
1.	धमतरी	3
2.	कबीरधाम	1
3.	रायपुर	3
4.	राजनांदगांव	1
	कुल	**8**

6.1.5 सिंचाई योजनाएं

वर्तमान में 5 वृहद, 8 मध्यम एवं 508 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है, जिनकी कुल लागत लगभग रू. 2140.11 करोड़ आंकलित है। इन योजनाओं में अब तक रू. 1461.09 करोड़ व्यय किया गया है। इन निर्माणाधीन योजनाओं के पूर्ण होने से वर्तमान निर्मित सिंचाई क्षमता भाासकीय स्रोतो से 17.22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग

18.99 लाख हेक्टेयर हो जाएगी। जल संसाधन विभाग द्वारा विकास कार्यो को निरंतर गति देने के लिये विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का वर्श 2007–08 का कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

वृहद योजना– छत्तीसगढ़ में 6 वृहद परियोजनाये निर्मित है एवं 5 वृहद परियोजनाएं निर्माण के अग्रिम चरण में है।

मध्यम योजना– विभाग के अंतर्गत 31 योजनाएं निर्मित है एवं 8 मध्यम परियोजनाएं निर्माणाधीन है।

लघु योजनाएं– विभाग के अंतर्गत 2205 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित है एवं 508 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है।

6.1.5.1 पूर्ण/निर्माणाधीन योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता का विवरण

तालिका क. – 6.04

पूर्ण/निर्माणाधीन योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता का विवरण

मार्च 2007 की स्थिति में

क्षमता– मि.घ.मी. में
क्षेत्र– हेक्टेयर में

क.	योजनाओं के प्रकार	संख्या			उपयोगी जल भराव क्षमता	रूपांकित क्षेत्र			निर्मित क्षेत्र		
		निर्मित	निर्माणाधीन	योग		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
1	वृहद	6	5	11	5135.43	745673	218293	963966	691003	213896	904896
2	मध्यम	31	8	39	1305.49	252772	36319	289091	214422	26919	241341
3	लघु	2205	508	2713	1369.41	667247	65788	733035	529214	47274	576488
	योग	2242	521	2763	7810.33	1665692	320400	1986092	1434639	288086	1722725

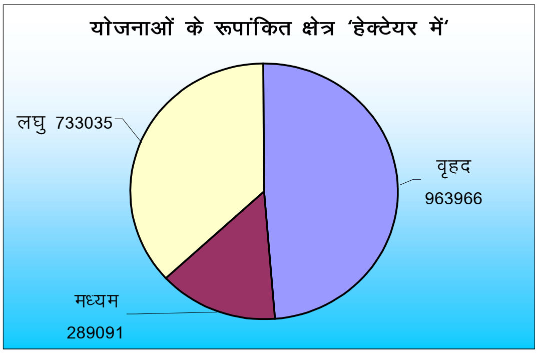

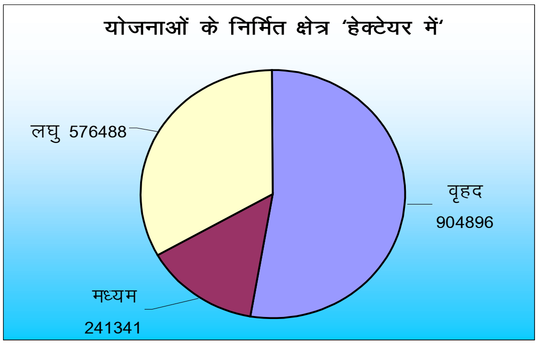

उपरोक्तानुसार पूर्ण योजनाओं एवं निर्माणाधीन योजनाओं से लगभग 17.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है।

6.1.5.2 वृहद योजनाएं

तालिका क. – 6.05

क.	योजना का नाम	जिला	प्र ाा.स्वी. (रू. करोड़)	प्रारंभ वर्श	रूपांकित क्षमता (हे.)	सृजित 12/07 की स्थिति में
1	हसदेव बांगो परियोजना	कोरबा/जांज.–चांपा	1312.32	1980	433500	420580
2	केलो परियोजना	रायगढ़	98.50	2007	26800	–
3	महानदी परियोजना समूह	रायपुर/धमतरी	845.00	1971	264311	262688
4	सोंढर परियोजना	रायपुर/धमतरी	71.15	1977	38470	12188
5	राजीव आगमेंटे ान द्वितीय चरण	रायपुर	114.45	2005	28000	–
	जीर्णोद्धार					
1	खारंग नहर रिमाडलिंग एवं लाइनिंग कार्य	बिलासपुर	78.00	2007	15800	–
2	तांदुला लाइनिंग कि.मी. 46 से 68.80	दुर्ग	31.97	2005–06	5804	4021
3	कोडार लाईनिंग	महासमुंद	47.68	2005–06	1420	1420
4	पैरी बाई तट नहर	धमतरी	16.53	2006–07	12146	–
	योग		**2615.60**		**826251**	**701617**

6.1.5.3 मध्यम योजनाएं

तालिका क. – 6.06
मध्यम योजनाएं

क.	योजना का नाम	जिला	प्र ाा.स्वी. (रू. करोड़)	प्रारंभ वर्श	रूपांकित क्षमता (हे.)	सृजित (हे.)	बजट प्रावधान (रू. करोड़)
1	मोंगरा बैराज	राजनांदगांव	161.44	2004–05	11500	11500	8.00
2	कर्रानाला	कबीरधाम	39.20		4100	–	12.00
3	सूखानाला	राजनांदगांव	45.74		6270	–	17.65
4	घुमरिया नाला	राजनांदगांव	24.78		3050	–	10.50
5	सुतियापाट परि.	कबीरधाम	36.95		3695	3695	10.00
6	खरखरा मोहदीपाट फेस 1 व 2	दुर्ग	43.81	2003–04	12145	12145	0.02
7	कोसरटेडा परि.	बस्तर	60.84	1980	11120	–	13.00
8	बरनई परि.	सरगुजा	4.26	1984	2820	2470	–
	जीर्णोद्धार						
1	सरोदा नहर लाइनिंग	कबीरधाम	4.10	2003–04	1200	900	0.50
2	खरखरा फीडर नहर लाइनिंग	दुर्ग	22.60	2005–06	1300	–	13.00
3	खरखरा बाई तट लाइनिंग	दुर्ग	8.77	2006–07	300	–	4.00
	योग		**452.49**		**57500**	**30710**	**88.67**

6.1.6 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

भारत सरकार द्वारा माह दिसंबर 2006 में दिये गये सं ोधित दि ा–निर्दे ों के अनुसार वृहद, मध्यम तथा ई.आर.एम. परियोजनाओं तथा आदिवासी व डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत भाामिल किया जा सकता है। सामान्य क्षत्र की परियोजनाओं हेतु 25 प्रति ात एवं आदिवासी क्षेत्र व डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की योजनाओं हेतु 90 प्रति ात केन्द्रीय सहायता की पात्रता है।

वर्श 2006–07 में सम्मिलित आदिवासी एवं डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की कुल 43 लघु सिंचाई योजनाओं तथा वर्श 2007–08 में प्रस्तावित की गई महानदी वृहद परियोजना एवं आदिवासी क्षेत्र की 19 लघु सिंचाई योजनाओं हेतु वर्श 2007–08 में कुल रू. 49.07 करोड़ रा ि की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है। हसदेव बांगो वृहद परियोजना फेस–4, कोसारटेडा मध्यम परियोजना, आदिवासी क्षेत्र की 12 लघु सिंचाई योजनाओं तथा योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत आदिवासी एवं डी.पी.ए.पी. क्षेत्र के अंतर्गत 46 एनीकट योजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है।

6.1.7 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

छत्तीसगढ़ में 1997–98 से एक वृहद एवं तीन मध्यम परियोजनाये पूर्ण की गई है। इनमे AIBP के अंतर्गत रू. 474.24 करोड़ व्यय कर 97575 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विस्तार किया गया है। इसका विवरण निम्नानुसार है।

तालिका क. – 6.07
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

क.	परियोजना	AIBP के अंतर्गत लेने का वर्श	AIBP के अंतर्गत अनुमानित लागत	AIBP के अंतर्गत सिंचाई क्षमता का लक्ष्य (हे.में)	AIBP के अंतर्गत व्यय (करोड़ रू. में)	AIBP के अंतर्गत सिंचाई क्षमता का निर्माण	कार्य पूर्ण होने का वर्श
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हसदेव बांगो परि. फेस– 2 (वृहद)	1997–98	459.74 (304.74+155)	86,500	447.70	82,700	3/2005
2	ि ावनाथ डायवर्सन (मध्यम)	1997–98	4.76	5,328	6.55	5,870	6/2002
3	जोंक डायवर्सन (मध्यम)	1999–2000	16.28	9,569	15.23	7,870	3/2005
4	बरनाई परियोजना (मध्यम)	2002–03	2.60	1,485	4.76	1,135	3/2005
	योग			**1,02,882**	**474.24**	**97,575**	

6.1.8 वर्श 2006–07 में AIBP के अंतर्गत सम्मिलित सूक्ष्म सिंचाई योजनाये:–

वर्श 2006–07 में अनुसूचित जनजाति तथा डीपीएपी क्षेत्र की 27 लघु सिंचाई योजनाएं तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की 16 लघु सिंचाई योजनाओं को लिया गया है। इनकी कुल लागत रू. 119.83 करोड़ और निर्मित सिंचाई क्षमता 18,973 हेक्टेयर होगी।

तालिका क. – 6.08
वर्श 2006–07 में AIBP के अंतर्गत सम्मिलित सूक्ष्म सिंचाई योजनाये

(रा ि करोड़ रू. में)

क.	प्रस्ताव	AIBP के अंतर्गत लागत	निर्मित सिंचाई क्षमता का लक्ष्य	प्राप्त केन्द्रीय सहायता रा ि	AIBP के अंतर्गत व्यय (करोड़ रू. में)	AIBP के अंतर्गत निर्मित सिंचाई क्षमता	वि ोश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27 लघु सिंचाई योजनाएं	53.95	9787	22.36	28.15	2022	कार्य प्रगति पर
2	16 लघु सिंचाई योजनाएं	65.88	9186	18.95	26.24	400	कार्य प्रगति पर
	योग	**119.83**	**18,973**	**41.31**	**55.11**	**2,422**	

6.1.9 वर्श 2007–08 में AIBP के अंतर्गत ली गयी परियोजनायें:–

वर्श 2007–08 में AIBP के अंतर्गत कुल रू. 504.99 करोड़ की दो वृहद, एक मध्यम, 31 लघु सिंचाई योजनाओं तथा 46 एनीकट योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इनसे 67,664 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण होगा।

तालिका क. – 6.09
वर्श 2007–08 में AIBP के अंतर्गत ली गयी परियोजनायें:–

क.	प्रस्ताव	AIBP के अंतर्गत लागत	सिंचाई क्षमता का लक्ष्य	प्राप्त केन्द्रीय सहायता	AIBP के अंतर्गत व्यय (करोड़ रू. में)	AIBP के अंतर्गत सिंचाई क्षमता का निर्माण	वि ोश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हसदेव बांगो परि. फेस– 4	111.08	38,400	19.67	45.85	2000	कार्य प्रगति पर
2	महानदी परियोजना	171.71	1943	8.34	38.47	820	––"––
3	कोसारटेडा परि.	75.23	11,120	9.38	58.85	–	––"––
4	19 लघु सिंचाई योजनाएं	41.28	6726	10.96	3.61	–	––"––
5	12 लघु सिंचाई योजनाएं	20.62	2394	6.62	5.58	–	––"––
6	46 एनीकट	85.07	7081	11.38	8.59	300	––"––
	योग	**504.99**	**67,664**	**66.35**	**160.95**	**3120**	

6.1.10 नलकूपों का खनन

वर्श 2000–01 से लेकर वर्श 2007–08 तक जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों को वि वसनीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदे ा में कुल 1069 नलकूपों का खनन किया गया है।

तालिका 6.10
खोदे गये नलकूपों की संख्या

क्र.	वर्श	खोदे गये नलकूपों की संख्या
1	2000–01	33
2	2001–02	57
3	2002–03	48
4	2003–04	73
5	2004–05	127
6	2005–06	138
7	2006–07	387
8	2007–08	206
	योगः–	1069

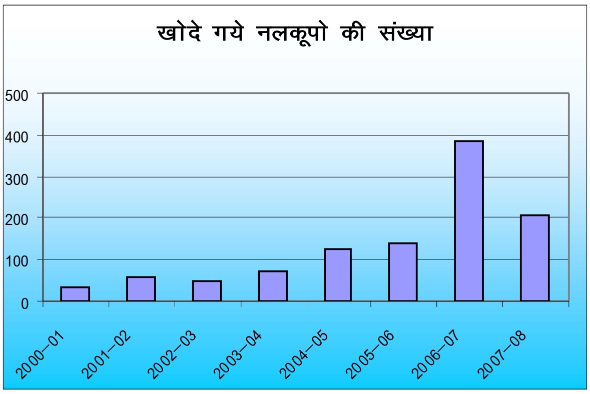

6.1.11 नाबार्ड पोशित योजनाएंः–

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था के अभाव में कई निर्माणाधीन योजनायें वर्शो से अपूर्ण स्थिति में चली आ रही थी। इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिये वर्श 1995–96 से नाबार्ड से सहायता प्राप्त कर इन्हें पूर्ण करने का कार्यक्रम सुनिि चत किया गया। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

- ■ मार्च 2007 तक नाबार्ड द्वितीय चरण से बारहवें चरण तक स्वीकृत योजनाएं (संख्या) – 361
  - नाबार्ड ऋण स्वीकृति की कुल लागत – 698.84 करोड़ रू.
  - नाबार्ड अंतर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन (द्वितीय चरण से बारहवे चरण तक का लक्ष्य) – 1.79 लाख हे.
  - नवंबर 2007 तक पूर्ण कुल योजनायें – 243
  - अतिरिक्त निर्मित सिंचाई क्षमता – 1.00 लाख हे.
- ■ भोश निर्माणाधीन योजनाएं – 118
- ■ भोश योजनाओं के पूर्ण करने का कार्यक्रम (संख्या)
  - मार्च 2008 तक – 88
  - 2008–09 में – 30
  - कुल – 118
- ■ 361 योजनाओं की पुनरीक्षित लागत – 1019.72 करोड़ रू.
  - मार्च 2007 तक व्यय – 730.18 करोड़ रू.
  - नवंबर 2007 तक व्यय – 775.84 करोड़ रू.
  - भोश योजनाओं को पूर्ण करने के लिये आव यक राि ा – 243.89 करोड़ रू.

6.1.12 राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनाः–

जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं पर तीव्र गति से कार्य होने के साथ ही अन्य मदों से ऐसे कार्य कराये जा रहे है जिससे प्रदे ा की सिंचाई क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हो सके। इसी तारतम्य में राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत 15 जिलों में स्वीकृत कार्यो की संख्या 2386 है जिनकी लागत रू. 34961.84 लाख है। वर्श 2007–08 में रू. 2191.06 से लाख के 206 कार्य पूर्ण हो चुके है एवं भोश कार्य प्रगति पर है। इन कार्यो से 9831000 मानव दिवस का सृजन किया गया है।

6.1.13 सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)

राज्य के विकास में जल संसाधनों का वि ाश्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान है। जल के बिना ग्रामीण विकास एवं समृद्धि की कल्पना नही की जा सकती। समग्र आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं विकास की प्रक्रिया में हितग्राहियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनि चत हो। सिंचाई जल प्रबंधन में कृशकों की सक्रिय भागीदारी कृशक संगठनों के माध्यम से संभव है।

सिंचाई प्रबंधन में कृशकों की भागीदारी अधिनियम 2006 पारित किया गया है। पूर्व अधिनियम में सं ाोधन कर जल उपभोक्ता संस्थाओं में आरक्षण द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। राजस्व वसूली आदि के वित्तीय अधिकार द्वारा संस्थाओं को स्वावलंबी बनाया गया।

6.1.14 जल उपभोक्ता संस्थाओं के जिलेवार संख्या एवं विस्तार क्षेत्र

जल उपभोक्ता संस्थाओं के जिलेवार संख्या एवं विस्तार क्षेत्र की जानकारी निम्नानुसार हैः–

तालिका क. – 6.11
जल उपभोक्ता संस्थाओं के जिलेवार संख्या एवं विस्तार क्षेत्र

क.	जिला	जल उपभोक्ता संस्था की संख्या	विस्तार क्षेत्र (हे.में)
1	सरगुजा	97	45997.64
2	कोरिया	22	15876.39
3	बिलासपुर	130	141833.47
4	कोरबा	29	10810.06
5	जांजगीर–चांपा	139	207185.71
6	रायगढ़	45	42489.14
7	ज ापुर	36	13725.42
8	राजनांदगांव	131	75050.22
9	कबीरधाम	47	35527.37
10	दुर्ग	205	198260.02
11	रायपुर	203	256379.25
12	महासमुंद	62	49794.00
13	धमतरी	61	91310.11
14	बस्तर	33	16560.53
15	कांकेर	41	28837.64
16	दंतेवाड़ा	43	14924.54
	योग	**1324**	**1244561.53**

6.1.15 छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजनाः–

निर्मित सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचाई क्षमता के अंतर को कम करने के उद्दे य से पुरानी योजनाओं के पुर्नद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के अंतर्गत लिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदे ा की 200 लघु एवं 20 मध्यम परियोजना का पुनरूद्धार एवं उन्नयन, जल उपभोक्ता

संस्थाओं का सघन प्रि ाक्षण, कृशकों की कृशि पद्धति में सुधार हेतु क्षमता का विकास एवं विभागीय अमले की क्षमता विकास के कार्य सम्मिलित है।

इस परियोजना की लागत रू. 305.74 करोड़ है और यह 30 जून 2006 से प्रभाव ािल की गई है।

6.1.16 राश्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना– द्वितीय चरण (वि व बैंक सहायतित):–

वि व बैंक सहायतित राश्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। इसके मुख्यतः सतही एवं भू–जल की संकलित जानकारी के आधिकारिक एवं उचित उपयोग से राज्य में जल संसाधनों के विकास की आयोजना एवं रूपांकन, उन्नयन तथा डिसी ान सपोर्ट एवं डिजाइन एड (कम्प्यूटर जनित) आदि कार्य सम्मिलित है। इस परियोजना की कुल लागत 21.51 करोड़ रू. है एवं परियोजना की अवधि छः वर्श है।

6.1.17 नदी कछारों का एकीकृत मास्टर प्लानः–

सभी प्रयोजनों में जल प्रदाय की कठिनाईयों को दृश्टिगत रखकर सिंचाई क्षमता की वृद्धि के साथ–साथ जल संवर्धन एवं औद्योगिक उपयोग के लिए सम्पूर्ण प्रदे ा की नदियों के जल का अधिकाधिक उपयोग हेतु विभाग द्वारा, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जल संसाधनों का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सक्षम वि ोशज्ञ एजेंसी जल एवं भाक्ति कन्सलटेन्सी सेवा (WAPCOS) – (भारत सरकार का उपक्रम) को कार्यादे ा प्रदान किया गया है। पूरे प्रदे ा के जल संसाधनों का मास्टर प्लान दो वर्शो में तैयार किये जाने का लक्ष्य है। मास्टर प्लान तैयार होने पर जल संसाधनों का समन्वित विकास और तेजी से किया जाना संभव होगा।

6.1.18 कृशकों को सिंचाईकर में छूटः–

राज्य भाासन के निर्णयानुसार कृशकों के हित को ध्यान में रखते हुए सिंचाई कर की कुल बकाया राि ा का 50 प्रति ात दिनांक 31 मार्च, 2008 तक जमा करने पर संबंधित कृशक को 50 प्रति ात बकाया कर की राि ा माफ किया जायेगा। इससे राज्य के कुल 10.71 लाख कृशक लाभांवित होंगे तथा रू. 36.22 करोड़ की छूट प्राप्त होगी।

6.2 पेयजल एवं स्वच्छता

प्रदे ा की भात–प्रति ात ग्रामीण जनसंख्या को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से एवं नगरीय जनसंख्या को न्यूनतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ।

6.2.1 पेयजल की मुख्य समस्याएं –

राज्य में पेयजल की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है –

1. उपलब्ध जल की गुणवत्ता पेयजल के योग्य न होना ।
2. आश्रित बसाहटों की अव्यवस्थित बसाहट ।
3. बसाहटों के पहुंच योग्य रास्ते का अभाव ।
4. अत्याधिक दोहन तथा अल्प वर्शा के कारण भू–जल का गिरना ।

6.2.2 गुणवत्ता प्रभावित जलस्त्रोत :–

20 वीं भाताब्दी के अंत तक हमारा ध्यान केवल निर्धारित मात्रा में जल उपलब्ध कराने पर केन्द्रित था । वर्तमान परिस्थितियों में जल स्त्रोंतो के जलक्षमता की कमी, निर्धारित मापदंडो के अनुसार जल गुणवत्ता न होने के फलस्वरूप उपलब्ध जलस्त्रोतों की वि वसनीयता एवं निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

6.2.3 जल गुणवत्ता की समस्या एवं निराकरण –

राज्य में 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार 5021 बसाहटें जल गुणवत्ता से प्रभावित थी । इनमें से 4932 लौह अयस्क आधिक्य से , फ्लोराइड से 17, खारापन से 61 तथा आर्सेनिक से 11 बसाहटें चिन्हांकित की गई ।
जलगुणवत्ता से प्रभावित जिलावार बसाहटें निम्नानुसार है :–

तालिका क. – 6.12

क्र.	जिला	लौह आयस्क आधिक्य	फ्लोराइड	आर्सेनिक	खारापन
1.	राजनांदगांव	155	–	11	–
2.	कोरबा	21	–	–	–
3.	बस्तर	3090	–	–	–
4.	दंतेवाड़ा	565	17	–	–
5.	कांकेर	1101	–	–	–
6.	दुर्ग	–	–	–	61

अब तक 48 लौह अयस्क आधिक्य, 17 फ्लोराइड्स तथा 11 आर्सेनिक प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था पूर्ण हो गई है ।

आयरन आधिक्य वाले बसाहटों में आयरन की मात्रा को कम करने के लिए नीरी, नागपुर के सहयोग से एरिये ान कम बायोलाजिकल फिल्टरे ान तकनीक पर आधारित प्रत्यक्षीकरण ईकाईयों को कोरबा में स्थापित किया गया तथा इसके परिणाम उत्साहवर्धक है। आयरन की मात्रा जी–8 पीपीएम से 1–2 पीपीएम तक पाई गई है । नीरी, नागपुर से इसका अंतिम निश्कर्श प्रतिवेदन प्राप्त होते ही कार्ययोजना बना कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा । वर्श 2003 के सर्वेक्षण अनुसार गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में 2009–10 तक भुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना लक्षित है।

इस समस्या के निराकरण हेतु अधोलिखित कार्य/ विकल्पों पर योजना का कियान्वयन प्रारंभ किया जा रहा है :–

1. जल गुणवत्ता से प्रभावित जलस्त्रोतों का चिन्हांकन एवं समस्या का निराकरण ।
2. भू– जल स्तर गिरने के परिप्रेक्ष्य में भू– जल संवर्धन का कार्य प्रारंभ करना ।
3. पंरपरागत जल स्त्रोतों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जिवीकरण ।
4. पानी के उपयोग बचत एवं संरक्षण के प्रति जन–जागरण करना ।
5. राज्य के नदियों के पानी को अत्यधिक स्थानों में रोकना एवं संग्रहित करना ।

6.2.4 भू– जल स्तर में गिरावट –

राज्य में गिरता हुआ जल स्तर भू–जल से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल आपूर्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है । राज्य के निम्नलिखित जिलों में गिरते हुए जल स्तर की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क. – 6.13

क.	जिला	मार्च 2002 का औसत भू–जल स्तर (मी.)	मार्च 2003 का औसत भू–जल स्तर (मी.)	भू–जल स्तर में औसत गिरावट (मी.)	भू–जल स्तर में औसत वृद्धि (मी.)
1.	रायपुर	11.25	11.50	0.25	
2.	धमतरी	15.75	18.10	2.35	
3.	महासमुंद	10.20	9.50	0	0.70
4.	दुर्ग	16.90	18.20	1.30	
5.	राजनांदगांव	14.10	15.40	1.30	
6.	कबीरधाम	16.50	16.50	0	
7.	बिलासपुर	18.00	18.65	0.65	
8.	कोरबा	12.10	16.10	4	
9.	जांजगीर–चांपा	17.00	20.44	3.44	
10.	रायगढ़	12.35	14.90	2.55	
11.	ज ापुर	8.16	8.85	0.69	
12.	सरगुजा	12.55	13.65	1.10	
13.	कोरिया	22.00	24.00	2.00	
14.	बस्तर	9.10	9.75	0.65	
15.	दंतेवाड़ा	13.10	15.70	2.60	
16.	कांकेर	9.75	10.50	0.75	

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि स्थापित हैंडपंपो का जलस्तर में लगभग 2.60 मीटर तक गिरावट परिलक्षित हुई । राज्य में सर्वाधिक भू–जल स्तर में गिरावट क्रम ाः कोरबा 4.00 मी., जांजगीर–चांपा 3.44 मी., दंतेवाड़ा 2.60 मी., रायगढ़ 2.55 मी., धमतरी 2.35 मी. एवं कोरिया 2.00 मी. तक का रिकार्ड किया गया । जहां भू–जल स्तर में अत्यधिक गिरावट आ रही है वहां के लिए भू–जल संवर्धन की कार्य योजना बनाई गई है जो अगले 2 वर्शो में क्रियान्वित की जावेगी । पूर्व में राज्य 'गजरा' एवं 'नगदरहा' भू–जल संवर्धन योजना का क्रियान्वयन किया गया था । राज्य में 78 भू–जल संवर्धन की योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है ।

एनीकट निर्माण – राज्य में भू–जल स्तर को सुधारने के लिए राज्य की समस्त नदियों क`जल का आंकलन करते हुए वि ोश रूप में वृश्टि छाया क्षेत्र में ि विनाथ एवं उसकी सहायक नदियों को वि ोश ध्यान में रखते हुए कुल 1700 करोड़ की 595 एनीकट निर्माण की महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार की गई है । इसमें 200 से अधिक एनीकटों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । इससे राज्य के अनेक भागों में भू–जल के गिरावट में सुधार आया । इसके अतिरिक्त इन एनीकटो से पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल प्रदान किया जा रहा है तथा नदियों के किनारे विद्य ुतीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने से किसानो द्वारा स्वयं के संसाधनो से सिंचाई भी की जा रही है ।

6.2.5 राज्य में जल आपूर्ति के निर्धारित मापदंड –

- समस्त ग्रामों/ बसाहटों में नलकूप खनन कर हैंडपंप अथवा स्थल जलप्रदाय के माध्यम से न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित जल आपूर्ति ।
- भारत निर्माण योजना के अंतर्गत वर्श 2003 सर्वेक्षण के अनुसार अछूते एवं आंि ाक पूर्ण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराना ।
- वर्श 2001 की जनगणनानुसार 2000 या 2000 से अधिक जनसंख्या वाले तकनीकी रूप से संभाव्य ग्रामों में टंकी युक्त नल जल योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति ।
- भाालाओं में पेयजल व्यवस्था ।
- निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा के अवांछित तत्वों के विद्यमान होने के फलस्वरूप गुणवत्ता से प्रभावित जल स्त्रोंतों का उपचार एवं वैकल्पिक जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन ।
- नगरीय जनसंख्या को न्यूनतम 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना ।
- पेयजल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी ।

6.2.6 ग्रामीण जलप्रदाय योजनाऐं :

- वर्ष 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 19,744 ग्रामों में 72,775 बसाहटें है । जिन्हें पेयजल उपलब्ध कराने के हेतु चिन्हांकित किया गया है। वर्ष 2007–08 तक 71,714 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था करा दी गई है, जबकि 1061 स्त्रोत विहीन बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराना शेष है । ये बसाहटें मुख्यतः सरगुजा, जशपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर तथा कवर्धा जिले के पहुंचविहीन एवं पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है । इन क्षेत्रों में ट्रेक्टर माउन्टेड ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं।
- राज्य में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले कुल 1370 बड़े ग्रामों में से 562 बड़े ग्रामों में टंकी युक्त तथा 92 बिना टंकीयुक्त नलजल योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है तथा शेष ग्रामों में वर्ष 2010 तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।
- जिन ग्रामों में ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर नीचे चला जाता है ऐसे 1,266 ग्रामों में स्पॉट सोर्स योजना के तहत् विद्युत पंप के माध्यम से छोटे टंकियों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराई गई है । राज्य निर्माण के पश्चात् स्पॉट सोर्स योजना निर्माण की वर्शवार स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क. – 6.14
स्पाट सोर्स योजना

वर्ष	स्पाट सोर्स योजना
2000-01	212
2001-02	335
2002-03	371
2003-04	390
2004-05	434
2005-06	473
2006-07	751
2007-08	1266

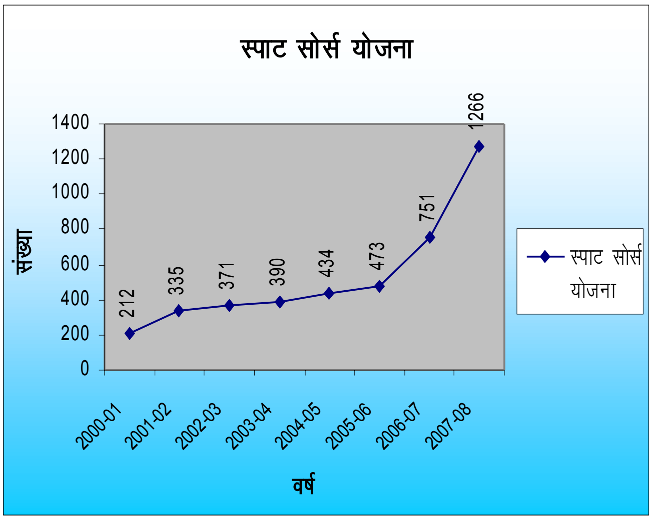

- राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार प्रति 250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपंप स्थापित करने का प्रावधान है परंतु वर्तमान में राज्य में प्रति 88 व्यक्तियों पर एक हैण्डपंप स्थापित कर पेयजल उपलब्ध कराई जा रही है।

तालिका क. – 6.15
हैंडपंप स्थापना

वर्ष	हैंडपंप स्थापना
2000-01	7559
2001-02	8349
2002-03	9244
2003-04	10080
2004-05	11046
2005-06	11900
2006-07	12850
2007-08	14114

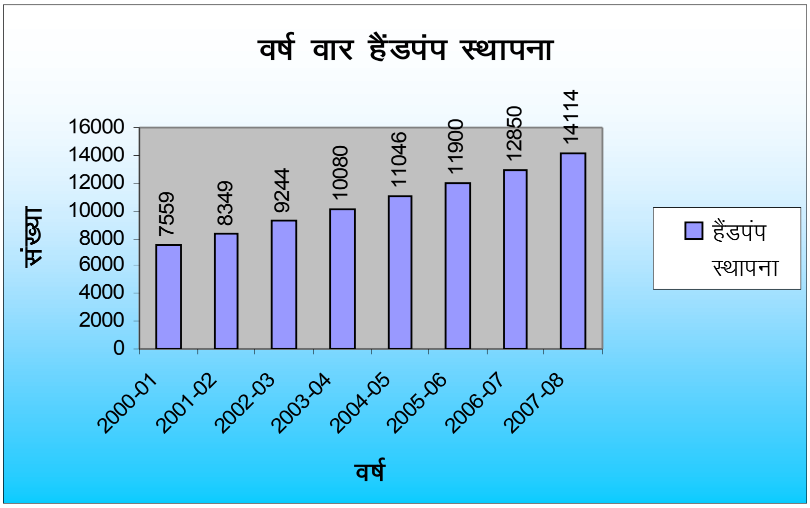

तालिका क. – 6.16
आश्रित जनसंख्या

वर्ष	आश्रित जनसंख्या
2000-01	149
2001-02	135
2002-03	122
2003-04	112
2004-05	107
2005-06	98
2006-07	92
2007-08	88

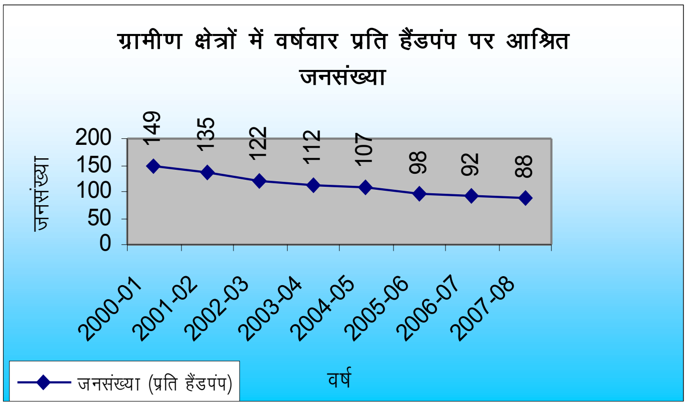

उपरोक्त दंड आरेख सारिणी से यह स्पश्ट हो रहा है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय जहॉ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हैंडपंप आश्रित जनसंख्या 149 थी वहीं मार्च 2008 की स्थिति में प्रति हैंडपंप आश्रित जनसंख्या लगभग आधी अर्थात् 88 रह गयी है ।

6.2.7 नलकूप खनन

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने में नलकूप की अहम भूमिका होती है । राज्य में नलकूप खनन का कार्य विभागीय तौर पर विद्युत /यांत्रिकी भाखा द्वारा तथा निविदा के माध्यम से निजी ठेकेदारो के माध्यम से कराया जा रहा है । वर्शवार नलकूप खनन की स्थिति निम्नानुसार है :-

तालिका क. – 6.17
नलकूप खनन

वर्ष	नलकूप खनन
2000- 01	10319
2001- 02	18953
2002-03	15617
2003-04	15612
2004-05	9615
2005-06	15883
2006-07	16649
2007-08	10411

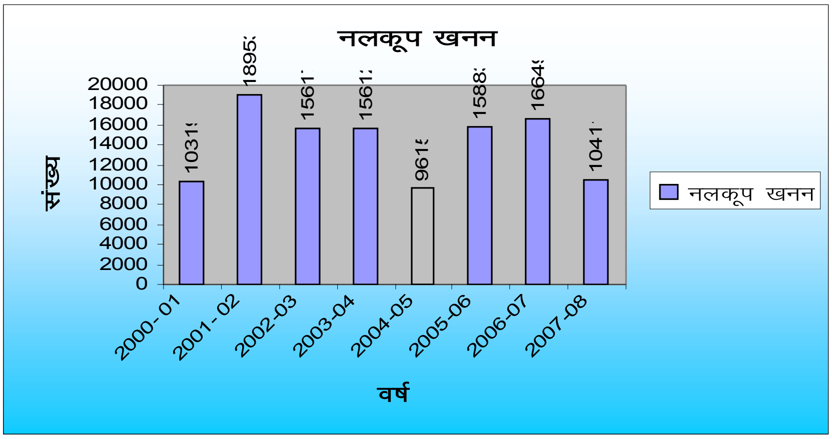

6.2.8 नल जल योजना

राज्य निर्माण के बाद वर्शवार नलजल योजनाओं के कियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-

तालिका क. – 6.18
नल जल प्रदाय योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य

वर्ष	नल जल प्रदाय योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य
2000-01	144
2001-02	352
2002-03	48
2003-04	51
2004-05	142
2005-06	1410
2006-07	326
2007-08	468

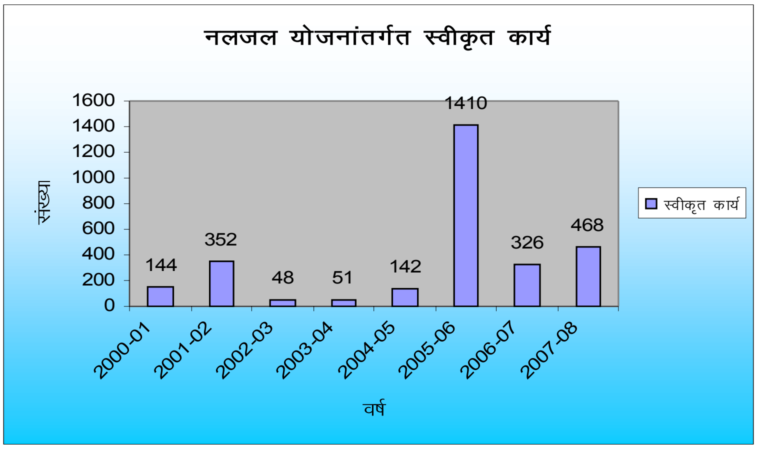

6.2.9 पाईप द्वारा जल प्रदाय योजना

राज्य निर्माण के बाद पाईप द्वारा जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है । राज्य में वर्श 2000–01 में जहॉं 654 पाईप द्वारा जल प्रदाय योजनाएं संचालित थी वहीं वर्श 2007–08 में 1115 पाईप द्वारा जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है । वर्शवार क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क. – 6.19
पाईप द्वारा जल प्रदाय योजना

वर्ष	पाईप द्वारा जल प्रदाय योजना
2000-01	654
2001-02	675
2002-03	691
2003-04	738
2004-05	777
2005-06	879
2006-07	977
2007-08	1115

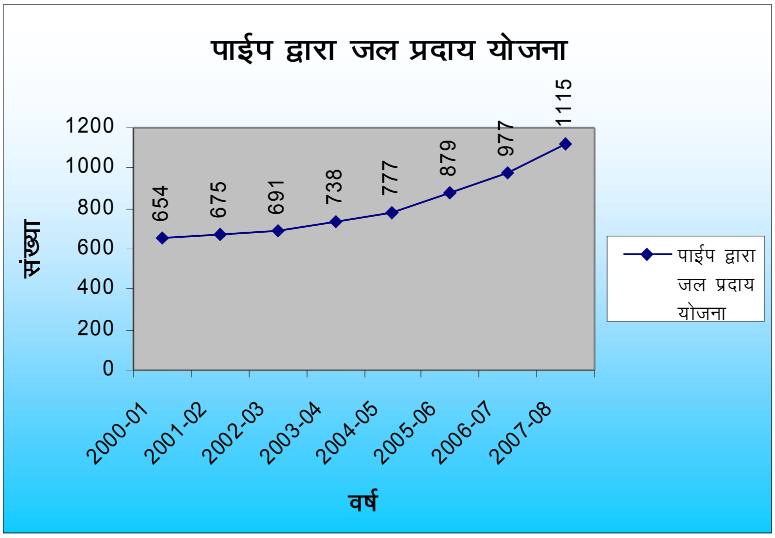

6.2.10 ग्रामीण बसाहटों में पेयजल –

वर्श 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार कुल 72,775 बसाहटों में से राज्य निर्माण के समय 46,335 बसाहट पेयजल की सुविधा से युक्त थे, वर्श 2007–08 के अंत तक 71,714 बसाहटों को पेयजल की सुविधा से आच्छादित ग्रामीण बसाहटों की स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका क. – 6.20
पेयजल सुविधायुक्त बसाहट

पेयजल सुविधायुक्त बसाहट

वर्ष	बसाहट
2001-02	46335
2002-03	47906
2003-04	48918
2004-05	52619
2005-06	59632
2006-07	67862
2007-08	71714

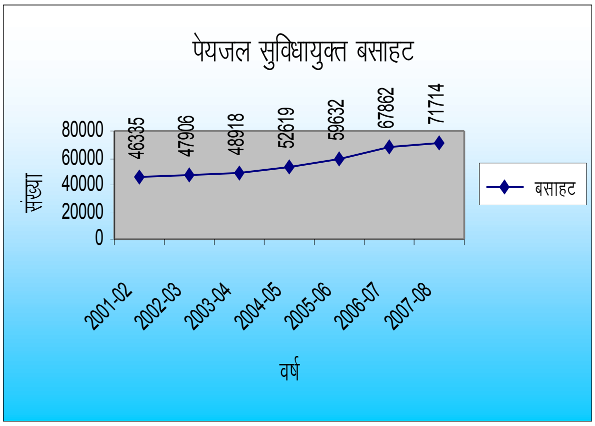

- वर्श 2006–07 में राज्य द्वारा कराये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में नवीन बसाहटों के कारण तथा जलस्त्रोतों में कमी के कारण 7196 नवीन बसाहट सामने आये हैं, जहॉं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है ।

6.2.11 ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं हेतु बजट प्रावधान

राज्य निर्माण के समय ग्रामीण जलप्रदाय योजना के लिए रु. 8415.81 लाख उपलब्ध कराये जा रहे थे । इस राि ा की तुलना में वर्श 2007–08 में ग्रामीण जलप्रदाय योजना के लिए लगभग तीन गुणी अधिक राि ा रु. 25794.00 लाख प्रदाय की गयी ।

तालिका क. – 6.21
ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं हेतु बजट प्रावधान

ग्रामीण जलप्रदाय योजना

वर्ष	बजट लाख रु. में
2001-02	8415.81
2002-03	11205.20
2003-04	11209.66
2004-05	10809.11
2005-06	13809.54
2006-07	21242.00
2007-08	25794.00

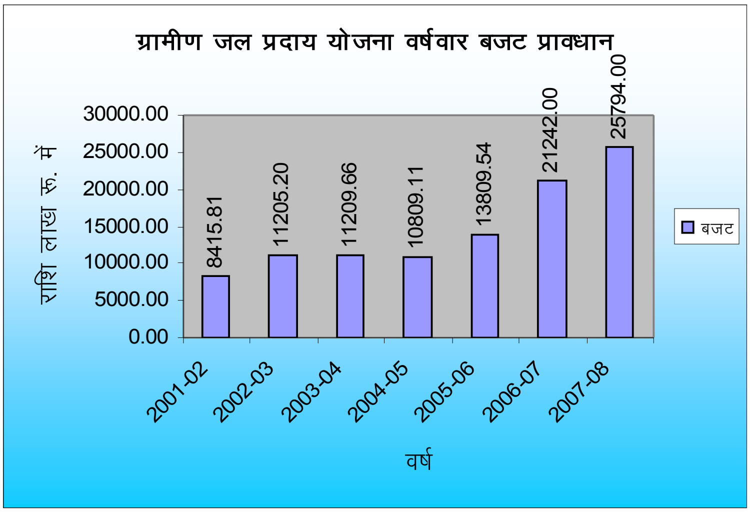

6.2.12 भाालाओं में पेयजल व्यवस्था

भात प्रति ात भाालाओं में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सामने रखकर पेयजल व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे है । पेयजल प्रदाय कराये जा रहे स्कूलों की वर्शवार संख्यां निम्नानुसार है :–

तालिका क. – 6.22
स्कूलों में जल प्रदाय

वर्ष	स्कूलों में जल प्रदाय
2000-01	3076
2001-02	3290
2002-03	3337
2003-04	6569
2004-05	5806
2005-06	3613
2006-07	3805
2007-08	3300

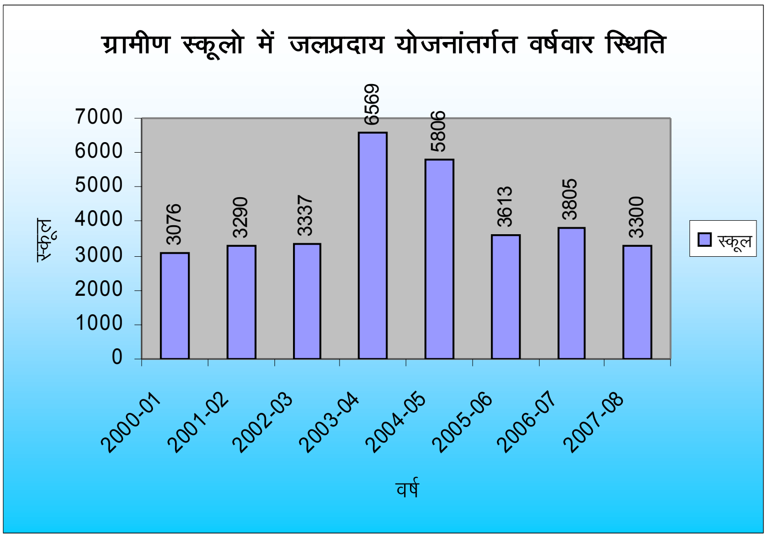

6.2.13 शहरीय जलप्रदाय योजनाएं :

- कुल 111 नगरीय निकायें हैं जिनमें से नगर पालिका निगम –10, नगर पालिका परिषद –28 एवं नगर पंचायतें– 73 हैं ।
- देश में छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य है जहां नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य के अनुदान को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है।
- 30 वर्ष बाद की अनुमानित जनसंख्या के लिये 70–150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से योजनाओं का रूपांकन किया गया है ।
- इन सभी 111 नगरों में 3 वर्षीय कार्य योजना के अनुरूप लागत लगभग रू. 800.00 करोड़ की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया है ।
- इन 111 नगरों की जलप्रदाय योजनाओं में से 43 पूर्ण, 31 प्रगतिरत तथा शेष योजनाओं का विस्तृत डी.पी.आर. प्रक्रियाधीन है ।

तालिका क. – 6.23
शहरी जलप्रदाय योजना

शहरी जलप्रदाय योजना

वर्ष	बजट लाख रु. में
2001-02	1293.90
2002-03	3231.00
2003-04	1826.95
2004-05	982.59
2005-06	1890.94
2006-07	9233.45
2007-08	13740.00

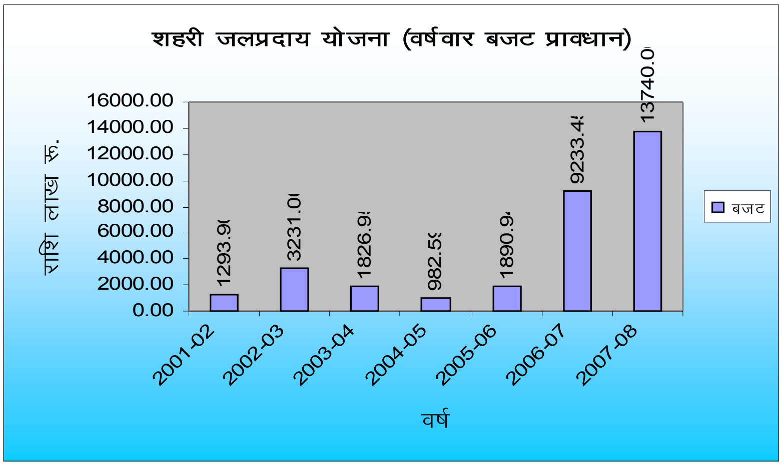

उपरोक्त दंड आलेख सारिणी से स्पश्ट होता है कि छत्तीसगढ़ भासन भाहरी जलप्रदाय योजनाओं को 2010 तक पूर्ण कर भाहरी जलसमस्या का निराकरण युद्ध स्तर पर करना चाह रही है । छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भाहरी जलप्रदाय योजना का वार्शिक बजट लगभग रू. 12.93 करोड़ था जो बढ़कर अब वर्श 2007–08 में रू. 137. 40 करोड़ हो गया है ।

6.2.14 स्वच्छता

" जिस दिन सबके पास भौचालय होगा
उस दिन मैं मान लूंगा कि हमारे दे ा को
विकास का फल हासिल हो गया है ।"

– पं. जवाहरलाल नेहरू

6.2.14.1 संपूर्ण स्वच्छता अभियान :–

- संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी 18 जिलों में प्रारंभ है ।
- भारत शासन द्वारा वर्ष 2012 तक इस अभियान को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

6.2.14.1.1 संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण आवासों में भौचालय निर्माण

प्रदेश में शौचालय विहीन कुल सर्वेक्षित परिवार 33.66 लाख है । जिनमें से वर्ष 2007–08 तक कुल 8,72,129 परिवारों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

तालिका क. – 6.24
शौचालय निर्माण

वर्ष	शौचालय निर्माण
2000-01	0
2001-02	0
2002-03	0
2003-04	892
2004-05	5246
2005-06	23863
2006-07	289512
2007-08	552616

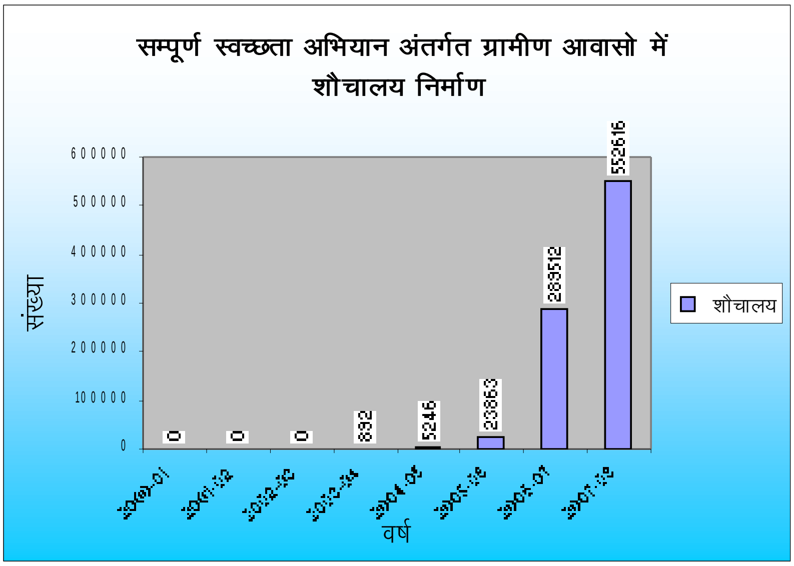

6.2.14.1.2 संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्कूलों में भौचालय निर्माण

प्रदेश में 48,549 शासकीय विद्यालयों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2007–08 तक कुल 24,337 शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है ।

तालिका क. – 6.25
भौचालय निर्माण

वर्ष	शौचालय
2000-01	0
2001-02	0
2002-03	0
2003-04	1098
2004-05	628
2005-06	421
2006-07	4805
2007-08	17385

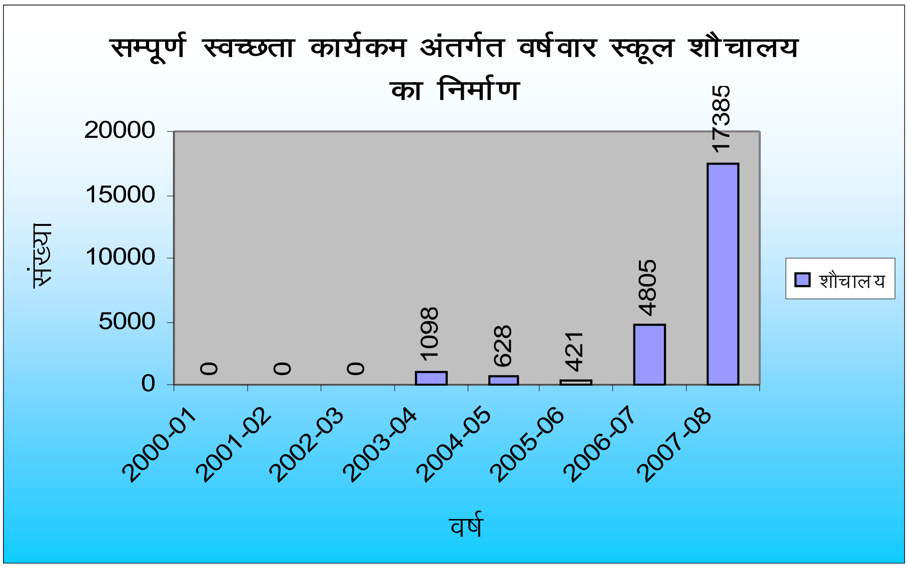

विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार कुल भौचालय विहीन ए.पी.एल एव बी.पी.एल परिवारो की संख्या 33.66 लाख है । जिन्हें जलवाहित भौचालय निर्माण कर वर्श 2012 तक अभियान पूर्ण कर लिया जाएगा।

6.2.14.2 नगरों में जल–मल निकासी –

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 111 नगर है जिनमें से 10 नगर पालिका निगम, 28 नगरों में नगर पालिका परिशद एवं 73 नगरों में नगर पंचायत है । प्रत्येक भाहर में जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, आंतरिक पक्की सड़कें, वर्शा जल की निकासी एवं सीवरेज निकासी की व्यवस्था मूलभूत आव यकताएं हैं एवं नगर की अधोसरंचना का अभिन्न अंग है । जल निकासी, सीवरेज के उपचार एवं निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर भूगर्भीय जल स्त्रोत (नलकूप स्त्रोत) के प्रदूशित होने की आ ांका उत्पन्न होती है एवं साथ ही साथ गंदे जल एकत्रित होने से मच्छरों का कोप रहता है जिसके अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है । अगले 5 वर्शो में 10 नगर पालिका निगम वाले नगरों में सीवरेज एवं सीवेज डिस्पोजल योजना का कार्य किया जाना लक्षित है । इसके लिए रायपुर एवं बिलासपुर में सीवरेज प्रणाली का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर) बनाया जा रहा है । दूसरे चरण में राज्य के अन्य 08 नगर पालिका निगम में सीवरेज एवं सीवेज डिस्पोजल योजना क्रियान्वयन का प्रयास किया जा रहा है ।

अध्याय – 7
ऊर्जा विकास

ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। राज्य में परंपरागत तथा अपरांपरागत ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य भाासन के ऊर्जा विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, छत्तीसगढ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), छत्तीसगढ़ बायो–फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.) व मुख्य विद्युत निरीक्षकालय आते हैं। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत भाासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की भी स्थापना की गई है।

परंपरागत ऊर्जा का विकास – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

राज्य के गठन उपरान्त नवम्बर 2000 को अधिसूचना जारी कर विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किये गये कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है–

7॰1 विद्युत उत्पादन–

राज्य गठन के समय राज्य विद्युत मण्डल की स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी जो बढ़कर आज 1,923.85 मेगावाट हो चुकी है। जिसमें 1,786.35 मेगावाट तापीय व 137.50 मेगावाट जल विद्युत है।

राज्य की कोरबा पूर्व ताप विद्युत उत्पादन संकुल तथा कोरबा पश्चिम संकुल महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन योजनाएं हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने पूरे देश में अपने बेहतर प्रबंधन एवं रखरखाव से कोरबा पश्चिम ताप विद्युत संयंत्र से **न्यूनतम दर 86 पैसे प्रति यूनिट पर विद्युत उत्पादन करने का श्रेय** हासिल किया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित विद्युत परीयोजना– कोरबा (पूर्व)

2 X 250 मेगावाट कोरबा पूर्व ताप विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई का लोकार्पण 17 अगस्त 2007 को किया गया एवं द्वितीय इकाई का लाइट अप 17 जून 2007 को किया गया तथा सिन्क्रोनाइजेशन 11 दिसम्बर 2007 में किया गया। प्रथम इकाई से वाणिज्यक उत्पादन 01.04.2008 को प्रारंभ किया गया ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित विद्युत परियोजना–

तालिका क्र.–7.01

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित विद्युत परीयोजना

(क्षमता मेगावॉट में एवं लागत करोड़ रू0 में)

क	परियोजना	क्षमता	लागत	जिला
1	कोरबा (पश्चिम) ताप विद्युत परियोजना	840	2054	कोरबा
2	भैयाथान ताप विद्युत परियोजना	1500	9354-00	सरगुजा
3	मड़वा ताप विद्युत योजना	1000	4639-63	जांजगीर–चांपा
4	दक्षिण कोरबा ताप विद्युत परियोजना	1000	4395-50	कोरबा
5	विद्युत परियोजना प्रेम नगर	1000	5100	सरगुजा
6	बोधघाट जल विद्युत परियोजना	500	3624	इंद्रावती नदी पर
7	लघु जल विद्युत परियोजना इकाई क्रमांक 2	850 k.w.	4-60	कोरबा (पं.) के निस्तारित जल से ।

राज्य विद्युत मण्डल द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से स्थापित किये जा रहे ताप विद्युत संयंत्रों के अलावा गोण्डना में 4X500 मेगावाट, अकलतरा में 4X800 मेगावाट जिला जांजगीर– चांपा, रामानुजगंज जिला सरगुजा में 2X500 मेगावाट, डूमरपाल जिला रायगढ़ में 2X500 मेगावाट, सालका जिला सरगुजा में 2X250 मेगावाट, मुरा जिला रायगढ़ में 2X250 मेगावाट, महुदा जिला जांजगीर–चांपा में 2X500 मेगावाट एवं लारा जिला रायगढ़ में 4X500 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु स्थानों को चिन्हित किया गया है।

प्रचुर मात्रा में कोयले एवं पानी की उपलब्धता को देखते हुए राज्य को देश की ऊर्जा धुरी बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा आर्कषक ऊर्जा नीति बनाई है जिसके फलस्वरूप देश की प्रतिष्ठित 51 कम्पनियों के साथ राज्य शासन द्वारा लगभग 40,095 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र लगाने हेतु एम.ओ.यू. हस्तांक्षरित किये गये हैं

जिसमें 1 लाख 90 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। इन सभी विद्युत गृहों के कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। राज्य शासन स्तर पर इनकी स्थापना हेतु समय–समय पर समीक्षा की जा रही है। राज्य में विद्युत उत्पादन की प्रगति को तालिका क्र. 7.2 एवं दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.– 7.02

राज्य में विद्युत उत्पादन की प्रगति (मि.यूनिट)

वर्ष	कुल विद्युत उत्पादन		ताप विद्युत उत्पादन		जल विद्युत उत्पादन	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2000–01	7860.00	7372.45	7520.00	7138.66	340.00	233.79
2001–02	8596.44	8159.68	8146.44	7756.43	450.00	403.25
2002–03	8634.84	7870.22	8254.84	7593.25	380.00	276.97
2003–04	8489.86	7913.06	8189.86	7617.49	300.00	295.57
2004–05	9337.33	8312.28	8922.33	7924.99	415.00	387.29
2005–06	9473.02	9317.87	9045.02	8943.98	428.00	373.89
2006–07	9531.23	9619.86	9103.23	9227.49	428.00	392.37
2007–08	9465.17	9561.25	9105.17	9290.02	360.00	271.23

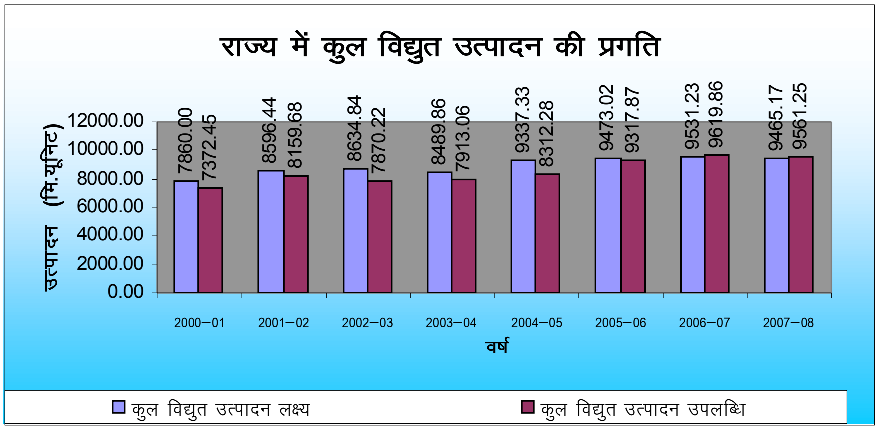

तालिका एवं दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि कुल विद्युत उत्पादन में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि में वृद्धि हो रही है। वर्श 2000–01 की तुलना में कुल विद्युत उत्पादन वर्श 2007–08 में बढ़कर 9,561.25 मिलियन यूनिट हो गया। इस प्रकार कुल उत्पादन में 29.69 प्रतिशत वृद्धि हुई। 121

ताप विद्युत उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की वार्शिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

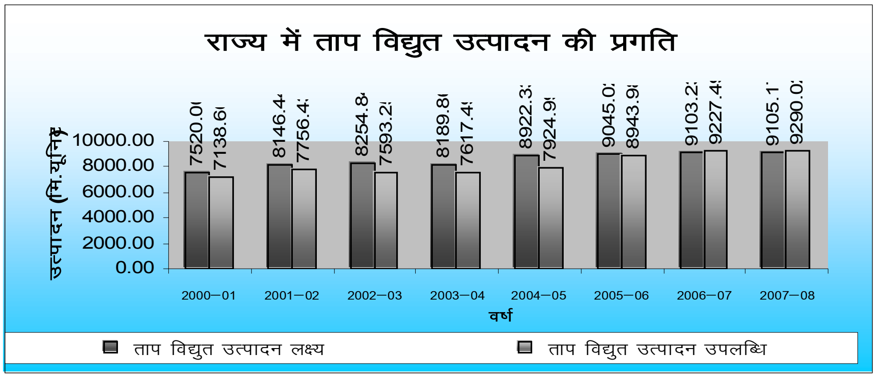

ताप विद्युत उत्पादन में भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि में वृद्धि हो रही है। वर्श 2000–01 में ताप विद्युत उत्पादन 7,138.66 मिलियन यूनिट से वर्श 2007–08 में बढ़कर 9,290.02 मिलियन यूनिट हो गया। इस प्रकार कुल उत्पादन में 30.14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जो लक्ष्य से अधिक है ।

विद्युत उत्पादक संयंत्रों के **संयंत्र उपयोगिता घटक** (Plant Load Factr,PLF) की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

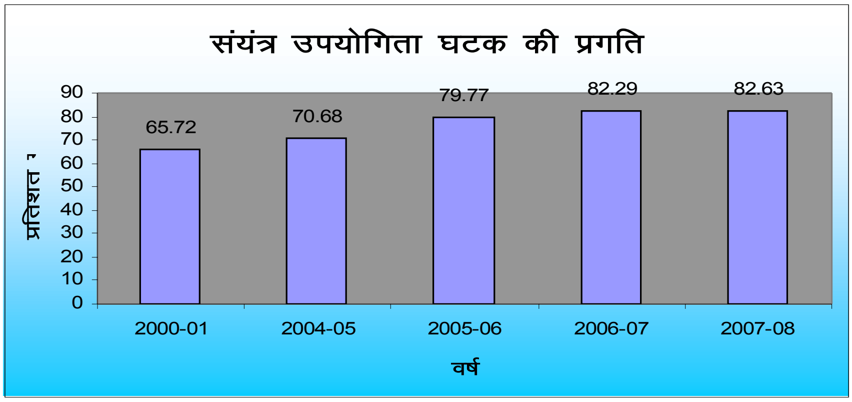

राज्य विद्युत मण्डल ने बेहतर रखरखाव एवं प्रबंधन से अपने 30 से 40 वर्ष पुराने ताप विद्यु

ुत गृहों, का उपयोगिता संयंत्र घटक (पी.एल.एफ.) 65.72 प्रतिशत से बढ़ाकर 2007–08 में 82.63 प्रतिशत प्राप्त किया है ।

- कोरबा ताप विद्युत गृह–दो पूर्व का पी.एल.एफ. 96.6 प्रतिशत वर्श 2007–08 अप्रैल–मई में हासिल करने पर केन्द्र शासन द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है।

जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि की वार्शिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

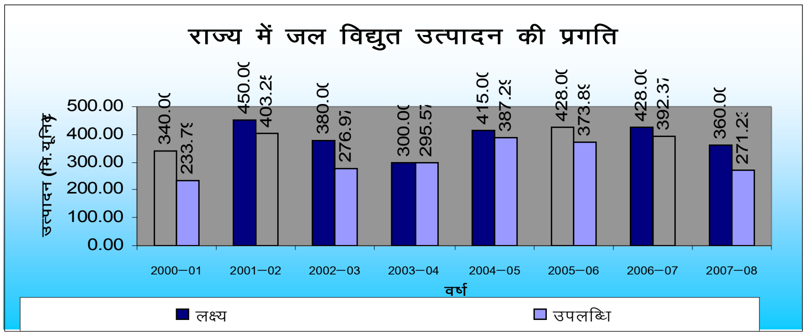

जल विद्युत के उत्पादन में काफी उतार–चढ़ाव हुए हैं। वर्श 2000–01 में जल विद्युत उत्पादन 233.79 मिलियन यूनिट हुआ जो 16.01 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2007–08 बढ़कर 271.23 मिलियन यूनिट हो गया।

- देश की जल विद्युत इकाईयों में छत्तीसगढ़ की हसदेव बांगों जल विद्युत गृह को उसके बेहतर कार्य निष्पादन हेतु **भारत शासन द्वारा गोल्ड शील्ड नेशनल एवार्ड** प्रदाय किया गया है ।

7.2 विद्युत खपत (उपभोग)–

किसी भी राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा अधिक से अधिक विद्युत उपभोग विकास का आधार माना जाता है। राज्य बनने के बाद की विद्युत खपत की प्रगति को तालिका क्र.–7.3 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–7.03
विद्युत खपत की प्रगति

(खपत मिलि.यूनिट में)

वर्ष	उपभोक्ता संख्या	विद्युत खपत	प्रति उपभोक्ता विद्युत खपत	ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत खपत
2000–01 *	1891446	1749.41	925	588.92
2001–02	1921804	5362.77	2790	1774.63
2002–03	2043619	6303.25	3084	1814.92
2003–04	2169221	7223.46	3330	1941.16
2004–05	2278557	8058.34	3537	2418.28
2005–06	2407955	8855.79	3678	3399.91
2006–07	2536014	9441.90	3723	3234.78
2007–08	2651516	10613.21	4003	3917.4

* (01.12.2000 से 31.03.01 तक)

राज्य बनने के बाद से विद्युत उपभोक्तों की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है । राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्श 2001–02 में 19,21,804 थी जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 26,51,516 हो गई। इस प्रकार इस अवधि में उपभोक्ताओं की संख्या में 37.97 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

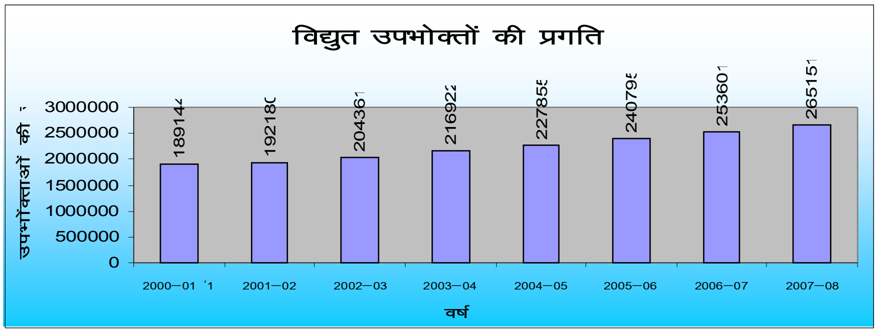

राज्य बनने के बाद से कुल विद्युत खपत की प्रगति के दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि राज्य में वर्श 2001–02 की तुलना में विद्युत खपत 5,362.77 मि. यूनिट से 2007–08 में 10,613.21 मि. यूनिट हो गई। इस प्रकार कुल उपभोक्ताओं की संख्या में वर्श 2001–02 की तुलना में वर्श 2007–08 में 36.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कुल विद्युत खपत में 97.79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

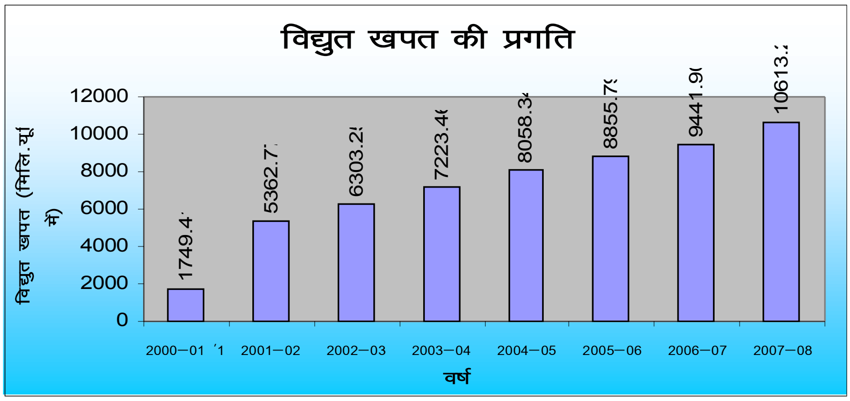

राज्य बनने के बाद से प्रति उपभोक्ता विद्युत खपत की प्रगति का आंकलन दण्ड आरेख में दर्शाया गया है । इसके अनुसार वर्श 2001–02 में प्रति उपभोक्ता विद्युत खपत 2,790 मि.यूनिट थी जो 43.44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2007–08 में बढ़कर 4,003 मि. यूनिट हो गई।

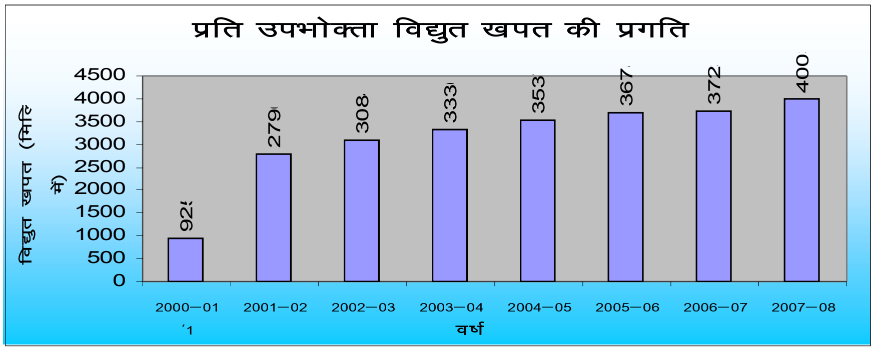

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत खपत की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है।

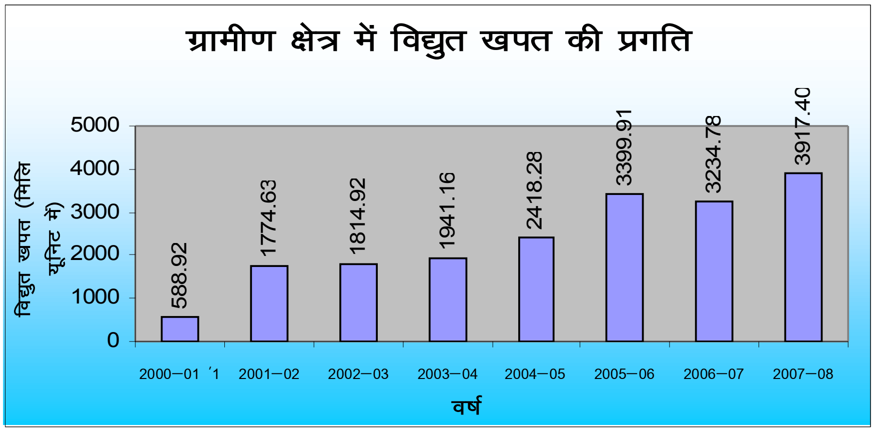

वर्श 2001–02में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत खपत 1,774.63 मि. यूनिट थी जो 120.74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2007–08 में बढ़कर 3,917. 40 मि. यूनिट हो गई। तालिका के विश्लेशण से यह भी स्पश्ट होता है कि कुल विद्युत खपत का औसतन 33.14 प्रतिशत विद्युत खपत ग्रामीण क्षेत्र में है।

- **श्रेणीवार कुल विद्युत खपत–**

राज्य बनने के बाद से औद्योगिक, घरेलू, कृशि, गैर–घरेलू एवं अन्य श्रेणियों द्वारा किये जाने वाले कुल विद्यु्त खपत की प्रगति को तालिका क्र.–7.4 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्र.–7.04

श्रेणीवार विद्युत खपत की प्रगति

(मिलि.यूनिट में)

वर्ष	औद्योगिक	घरेलू	कृषि	गैर–घरेलू	अन्य
2000–01 *	1113.15	307.29	251.61	47.60	29.76
2001–02	3428.81	958.55	717.67	167.43	90.31
2002–03	4185.25	1021.86	807.83	189.10	99.21
2003–04	4953.12	1235.87	705.94	216.25	112.28
2004–05	5250.52	1378.00	1053.24	242.20	134.38
2005–06	5523.21	1504.31	1406.09	280.68	141.50
2006–07	5962.72	1624.42	1408.11	302.47	144.18
2007–08	6753.22	1883.07	1459.95	359.25	157.72
वृद्धि%	**96.96**	**96.45**	**103.43**	**114.57**	**74.64**

*(01.12.2000 से 31.03.01 तक)

तालिका क्र.–7.4 एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 से 2007–08 तक श्रेणीवार विद्युत खपत में सर्वाधिक वृद्धि 114.57 प्रतिशत गैर–घरेलू कार्यो हेतु एवं सबसे कम वृद्धि 74.64 अन्य कार्यों में दर्ज की गई है।

रा ज्य

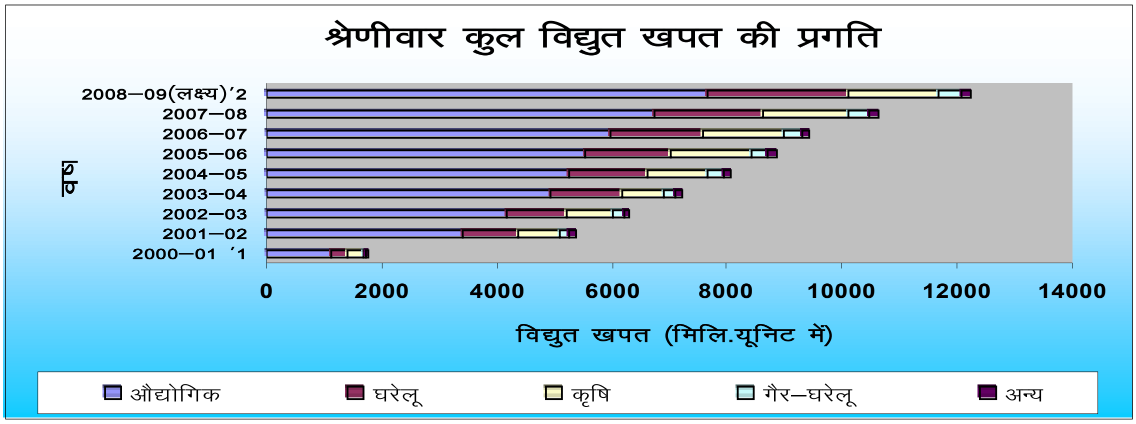

बनने के बाद से श्रेणीवार विद्युत खपत (प्रतिशत में) की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

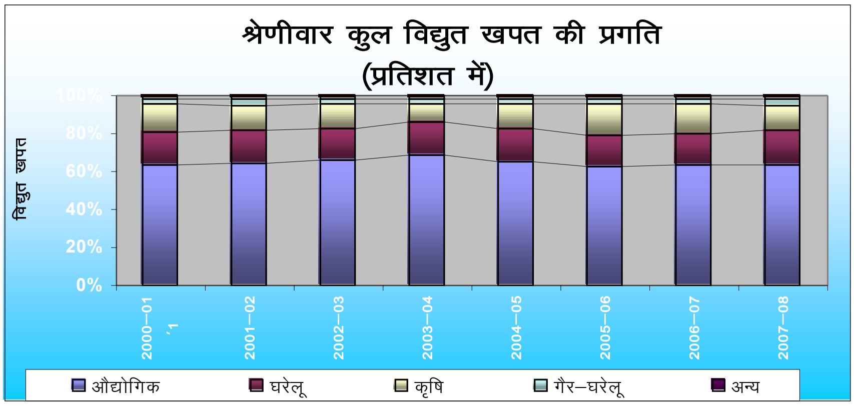

राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक औसतन कुल विद्युत खपत का 64.22 प्रतिशत औद्योगिक 17.68 प्रतिशत घरेलू 13.40 प्रतिशत कृशि पंप, 3.15 प्रतिशत गैर घरेलू तथा 1. 55 प्रतिशत अन्य उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत खपत की जा रही है।

- **ग्रामीण क्षेत्रों में श्रेणीवार कुल विद्युत खपत–**

ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक, घरेलू, कृषि, गैर–घरेलू एवं अन्य श्रेणियों द्वारा किये जाने वाले कुल विद्युत खपत की प्रगति को तालिका क्र.–7.5 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्र.–7.05
ग्रामीण क्षेत्रों में श्रेणीवार कुल विद्युत खपत की प्रगति

(मिलि.यूनिट में)

वर्ष	औद्योगिक	घरेलू	कृषि	गैर–घरेलू	अन्य
2000–01 *1	239.03	138.54	196.46	7.15	7.74
2001–02	801.79	375.08	556.02	25.06	16.68
2002–03	711.87	401.6	658.03	26.98	16.44
2003–04	781.97	522.34	584.48	33.13	19.24
2004–05	901.23	604.22	855.41	37.23	20.19
2005–06	1516.3	642.66	1175.53	42.28	23.14
2006–07	1486.81	688.66	997.31	40.79	21.21
2007–08	1805.07	804.22	1226.26	53.73	28.12

*(01.12.2000 से 31.03.01 तक)

तालिका क्र.–7.5 से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 से 2007–08 तक ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणीवार विद्युत खपत में सर्वाधिक वृद्धि 125.13 प्रतिशत औद्योगिक कार्यो हेतु एवं सबसे कम वृद्धि 68.59 प्रतिशत अन्य कार्यो में दर्ज की गई।

ग्रामीण क्षेत्र में श्रेणीवार कुल विद्युत खपत की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

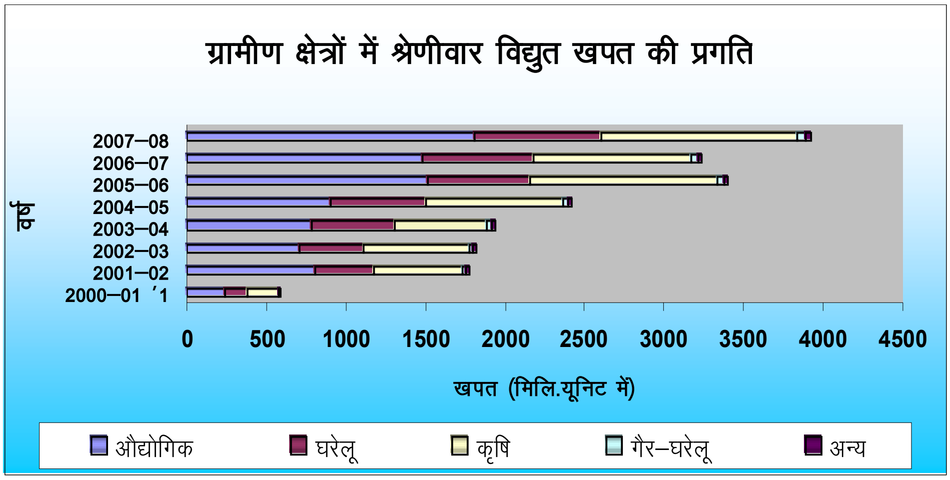

तालिका क्र.–7.5 एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में औद्योगिक क्षेत्र, घरेलू कार्यो, कृषि कार्यो, गैर घरेलू कार्यो एवं अन्य कार्यो हेतु विद्युत खपत क्रमशः 801.79, 375.08, 556.02, 25.06 एवं 16.68 मि.यूनिट थी जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रमशः 1,805.07, 804.22, 1,226.26, 53.73 एवं 28.12 मि.यूनिट होने का अनुमान है।

राज्य बनने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रेणीवार विद्युत खपत (प्रतिशत में) की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है ।

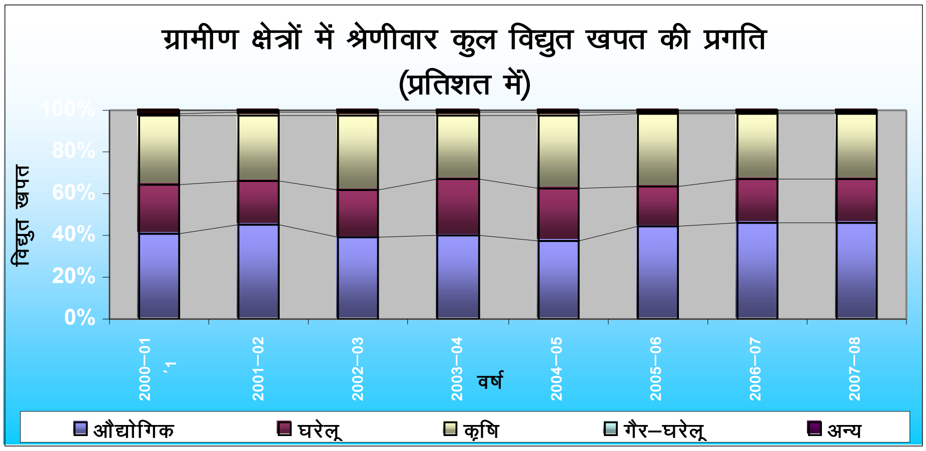

राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक औसतन विद्युत उपभोग का स्वरूप इस प्रकार रहा जिसमें कुल विद्युत खपत का 43.19 प्रतिशत औद्योगिक 21.88 प्रतिशत घरेलू, 32.74 प्रतिशत कृशि पंप 1.40 प्रतिशत गैर घरेलू तथा 0.80 प्रतिशत अन्य उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत खपत की गई।

7.3 लो व्होल्टेज के निराकरण एवं विद्युत प्रणाली उन्नयन हेतु किए गये विकास कार्यो की प्रगति–

लो वोल्टेज की समस्या के निदान एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराने हेतु अधोसंरचना विकास मद में राज्य गठन के पश्चात् लगभग **रू. 2,425** करोड़ से भी अधिक की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। राज्य गठन के समय मात्र 10 प्रतिशत की ही परिसंपत्ति मध्यप्रदेश की तुलना में प्राप्त हुई थी।

लो व्होल्टेज एवं विद्युत प्रणाली उन्नयन हेतु किए गये विकास कार्य की प्रगति को तालिका क्र.–7.6 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र. –7.06

विवरण	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	कुल
33 के.व्ही. लाईन	228	154	550	545	617	752	1083	**3929**
33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र	23	46	80	21	43	41	86	**340**
11 के.व्ही. लाईन	679	701	501	477	583	551	588	**4080**
11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र	485	1074	1027	1008	1134	1179	1128	**7035**
निम्न दाब लाईन	422	581	463	437	609	429	374	**3315**

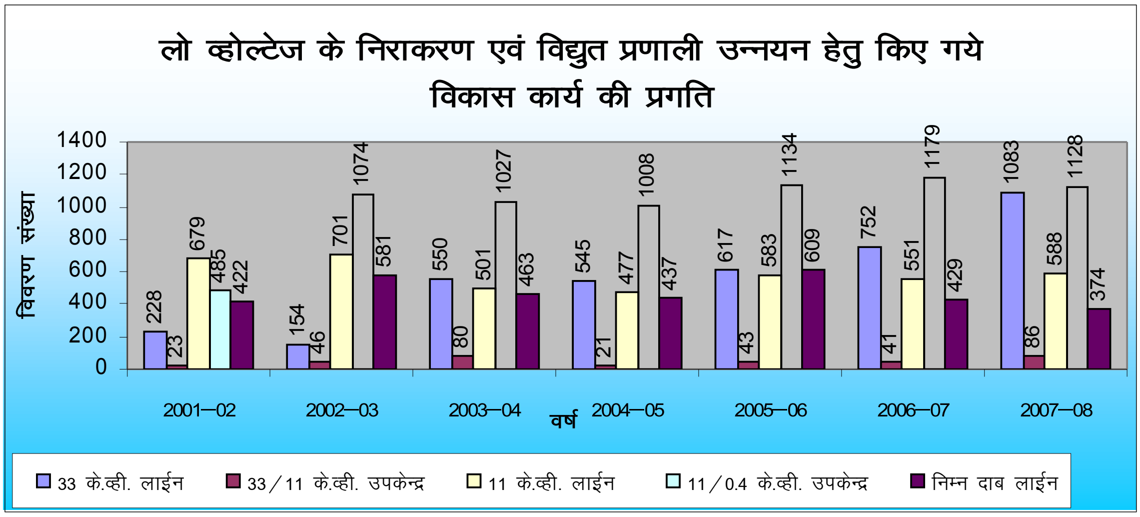

तालिका क्र.–7.6 एवं दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि राज्य में अधोसंरचना विकास के अंतर्गत् 3,929 कि.मी. 33 के.व्ही. लाईन, 340 नग 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र ,4,080 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 7,035 नग 11/0.4 के. व्ही. उपकेन्द्र, 3,315 कि.मी. निम्न दाब लाईन एवं साथ ही इनसे संबंधित अन्य उपकरणों का भी कार्य किया गया।

7.4 टी.एंड डी. लॉस/ए.टी.एंड सी. लॉस

मण्डल द्वारा पारेशण एवं वितरण प्रणाली सुद्वढ़ीकरण तथा उसके उन्नयन के कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया गया है। राज्य में विद्युत प्रणाली में हुए इन विकास कार्यो से लो–वोल्टेज जैसी जन समस्याओं को लगभग पूर्णतः समाप्त किया जा रहा है। राज्य बनने के बाद से **टी.एंड डी. लॉस/ए.टी.एंड सी. लॉस** की कमी में प्रगति को तालिका क्र.–7.7 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र. – 7.07

टी.एंड डी. लॉस/ए.टी.एंड सी. लॉस की कमी में प्रगति

वर्ष	टी.एंड डी. लॉस	ए.टी.एंड सी. लॉस
2000–01 *	34.57	40.65
2001–02	32.66	43.29
2002–03	33.77	36.71
2003–04	30.44	36.55
2004–05	31.07	36.91
2005–06	29.16	35.97
2006–07	29.02	33.86
2007–08	29.41	31.49

*(01.12.2000 से 31.03.01 तक)

राज्य बनने के बाद से टी.एंड डी. लॉस/ए.टी.एंड सी. लॉस की कमी में प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

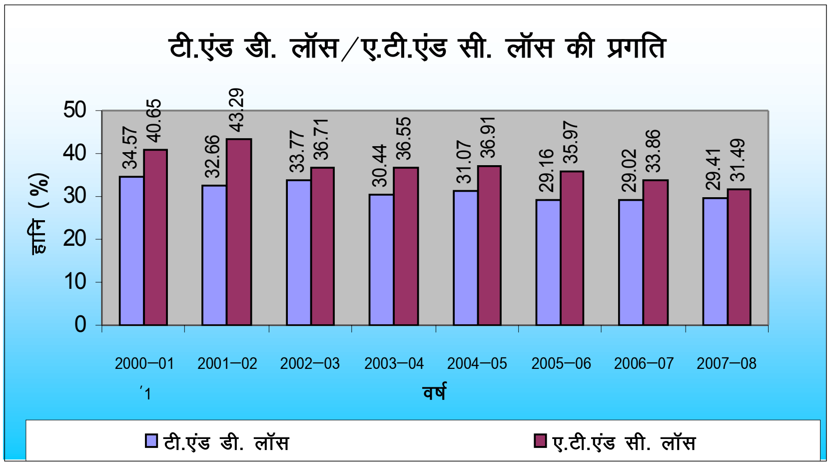

राज्य में वर्श 2000–01 में टी.एंड डी. लॉस 34.57 प्रतिशत था। मंडल गठन के बाद से सवा पांच वर्षो की अल्प कार्यावधि में मंडल ने वर्श 2005–06 के अंत तक पारेशण एवं वितरण प्रणाली पर कुल 1,190 करोड़ रूपये से अधिक के व्यय कर पारेशण एवं

उप–पारेशण प्रणाली उन्नयन के विभिन्न कार्य किये। इसके उपरांत भी वर्श 2007–08 में टी.एंड डी. लॉस 29.41 प्रतिशत रहा।

वर्श 2001–02 ए.टी.एंड सी. लॉस 43.29 प्रतिशत था जिसे लगातार कम करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान सुनियोजित तरीके से विद्युत की चोरियों में कमी लाने हेतु छापामार कार्यवाही की गई साथ ही पुरानी लाईनों में बेहतर संधारण करने के परिणामस्वरूप ए.टी.एंड सी. लॉस में 3 प्रतिशत से भी अधिक की कमी लाने में सफलता अर्जित की। **वर्तमान में यह हानि 31.49 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत (35%) से कम है।**

7ण्5 ग्रामीण विद्युतीकरण–

भात–प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु मण्डल द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। भाासन की नीतियों के अनुसार राज्य के प्रत्येक गांव तथा मजरा टोलों में बिजली उपलब्ध किये जाने के साथ–साथ कृशि पंपों के ऊर्जीकरण, एकल बत्ती कनेक्शन तथा राज्य के प्रत्येक आवासीय परिसर तक विद्युत उपलब्ध किये जाने हेतु भाासन द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(1) ग्रामों का विद्युतीकरण–

- कुल आबाद ग्राम (2001 की जनगणनानुसार) – 19,744
- राज्य गठन से पूर्व तक कुल विद्युतीकृत ग्राम – 17,926
- वर्श 2007–08 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या –215(20परंपरागत, (परंपरागत –अपरंपरागत स्त्रोत) 195 अपरंपरागत)
- 31.03.08 की स्थिति में कुल विद्युतीकृत ग्राम – 18,993
- विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत (31.03.08 की स्थिति में) – **96.20**
- 31.03.08 की स्थिति में अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या – 751
- राज्य के कुल 18 जिलों में से महासमुन्द्र, दुर्ग तथा जांजगीर–चांपा तीनों जिलों के भात–प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।
- शेष ग्रामों में प्रत्येक आवास तक विद्युत पहुंचाने के लिए **आर.जी.जी.व्ही.वाई. योजना** के अंतर्गत कार्य किये जा रहे हैं जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण किया जाना संभावित है ।

ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति को तालिका क्र.–7.8 एवं दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–7.08

राज्य में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति

वर्ष	ग्रामों की संख्या	कुल विद्युतीकृत ग्राम	शेष ग्राम
2000–01	19720	18076	1644
2001–02	19744	18092	1652
2002–03	19744	18199	1545
2003–04	19744	18444	1300
2004–05	19744	18506	1238
2005–06	19744	18630	1114
2006–07	19744	18830	914
2007–08	19744	18993	751

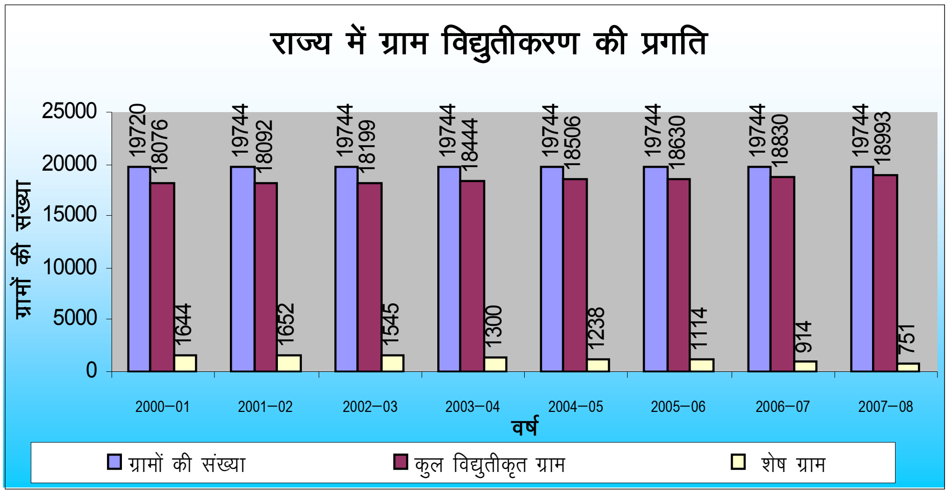

वर्श 2000–01 में जहां 18,076 ग्राम विद्युतीकृत थे वहीं वर्श 2007–08 में विद्युतीकृत ग्रामों की

संख्या बढ़कर 18,993 हो गई। वर्श 2000–01 में अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 1,644 थी जो वर्श 2007–08 में घटकर 751 रह गई है।

राज्य बनने के बाद से वर्शवार परंपरागत एवं अपरंपरागत स्त्रोत से ग्राम विद्युतीकरण की तुलनात्मक प्रगति को तालिका क्र.–7.9 एवं दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–7.09

राज्य में ग्राम विद्युतीकरण (परंपरागत एवं अपरंपरागत स्त्रोत) की प्रगति

वर्ष	लक्ष्य (छ.रा.वि.मं.)	उपलब्धि			
		परंपरागत स्त्रोत	अपरंपरागत स्त्रोत		योग
		छ.रा.वि.मं.	छ.रा.वि.मं.	क्रेडा	
2000–01	–	1	–	–	1
2001–02	94	35	–	89	124
2002–03	86	83	–	24	107
2003–04	64	66	–	162	228
2004–05	60	50	7	17	74
2005–06	100	88	17	4	109
2006–07	20	22	13	174	209
2007–08	20	20	–	195	215
योग	**444**	**365**	**37**	**665**	**1067**

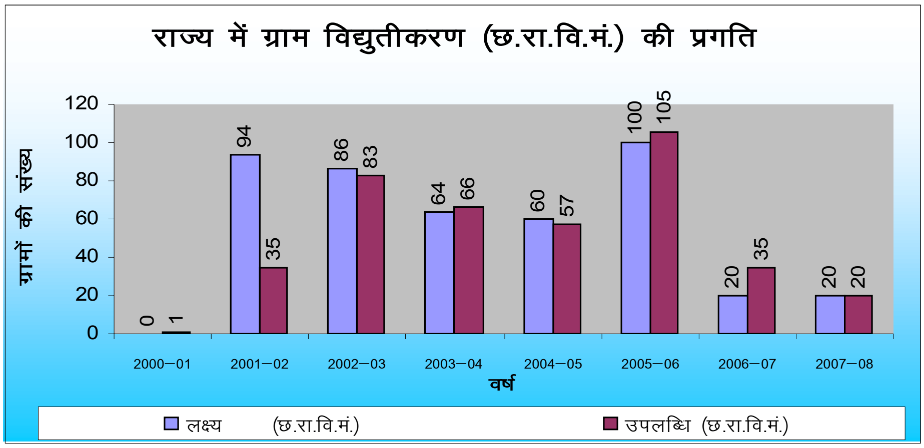

सर्वाधिक 105 ग्रामों का विद्युतीकरण वर्श 2005–06 में किया गया। वर्श 2001–02 से वर्श 2007–08 तक 444 ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 402 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया।

जिन ग्रामों में वनबाधा होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य सम्भव नही है। उन ग्रामों का विद्युतीकरण गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से क्रेडा द्वारा किया जा रहा है। राज्य में राज्य बनने के बाद से गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति को ग्राफ में दर्शाया गया है। वर्श 2001–02 से वर्श 2007–08 तक क्रेडा द्वारा 665 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया।

(2) मजरा/टोलों का विद्युतीकरण–

छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी जनजाति बाहुल्य प्रदेश है जिसमें लगभग 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति है जो छोटी–छोटी आबादी के मजरों/टोलों के रूप में ग्रामों के आसपास बसे हुए हैं।

केन्द्र भाासन की नीतियों के अनुसार 11वीं पंचवर्शीय योजना के अंत तक राज्य के सभी आवासों में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस संबध में मण्डल द्वारा विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है।

राज्य में मजरा/टोलों के विद्युतीकरण की प्रगति

- मजरा–टोलों की अनुमानित संख्याा – 35,096
- राज्य गठन के पूर्व तक कुल विद्युतीकृत मजरा–टोलों की संख्या(परंपरागत स्त्रोत) –10,375
- राज्य गठन के पश्चात 31.03.08 तक विद्युतीकृत मजरा–टोलों की संख्या (परंपरागत + अपरंपरागत स्त्रोत) – 9,068
- वर्श 2007–08 हेतु मजरे–टोलों का विद्युतीकरण का लक्ष्य – 1,500
- वर्श 2007–08 में विद्युतीकृत मजरे–टोले – 1,149
- **राज्य में 31.03.08 तक विद्युतीकृत कुल मजरे–टोलों की संख्या 2+3 (अपरंपरागत स्त्रोत मिलाकर) – 19,443**
- विद्युतीकृत मजरा–टोलों का प्रतिशत – **55.40**
- **31.03.08 की स्थिति में अविद्युतीकृत मजरा–टोलों की संख्या – 15,653**

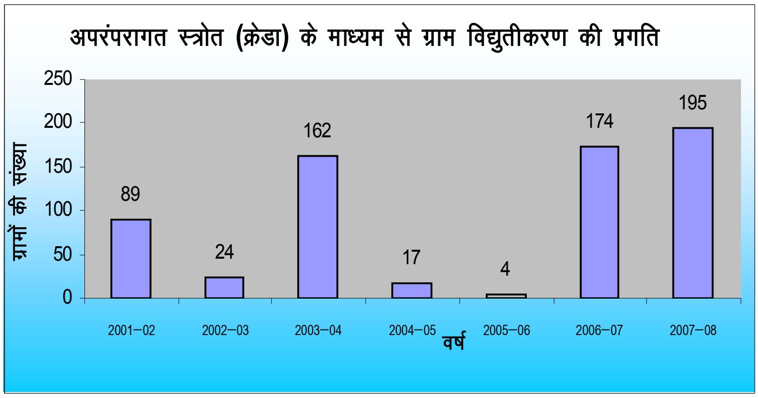

शेष मजरा–टोलों तक विद्युत पहुंचाने के लिए **आर.जी.जी.व्ही.वाई. योजना** के अंतर्गत् कार्य किये जा रहे हैं जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । मजरा/टोलों के विद्युतीकरण की प्रगति को तालिका क्र.–7.10 में दर्शाया गया है –

तालिका क्र.–7.10
राज्य में मजरा/टोलों के विद्युतीकरण की प्रगति

वर्ष	मजरा/टोलों की संख्या	विद्युतीकरण		शेष
		लक्ष्य	उपलब्धि	
2000–01	35096	–	374	24347
2001–02	35096	946	805	23542
2002–03	35096	998	1080	22462
2003–04	35096	1200	1703	20759
2004–05	35096	1500	915	19844
2005–06	35096	2700	1723	18121
2006–07	35096	1259	1319	16802
2007–08	35096	1500	1149	15653

राज्य बनने के बाद से मजरा/टोलों के विद्युतीकरण की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

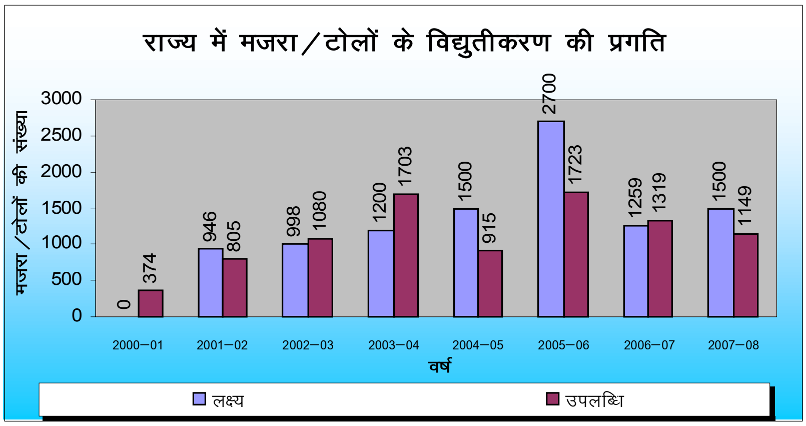

विभिन्न वर्शो में मजरा–टोलों के विद्युतीकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि में काफी उतार–चढ़ाव आया है। सर्वाधिक 1,723 मजरा–टोलों का विद्युतीकरण वर्श 2005–06 में किया गया है। आंकड़ो के विश्लेशण से यह भी स्पश्ट होता है कि लक्ष्य के विरूद्ध 87.86 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।

राज्य के मजरा/टोलों के विद्युतीकरण की संख्यावार प्रगति को इस ग्राफ में दर्शाया गया है–

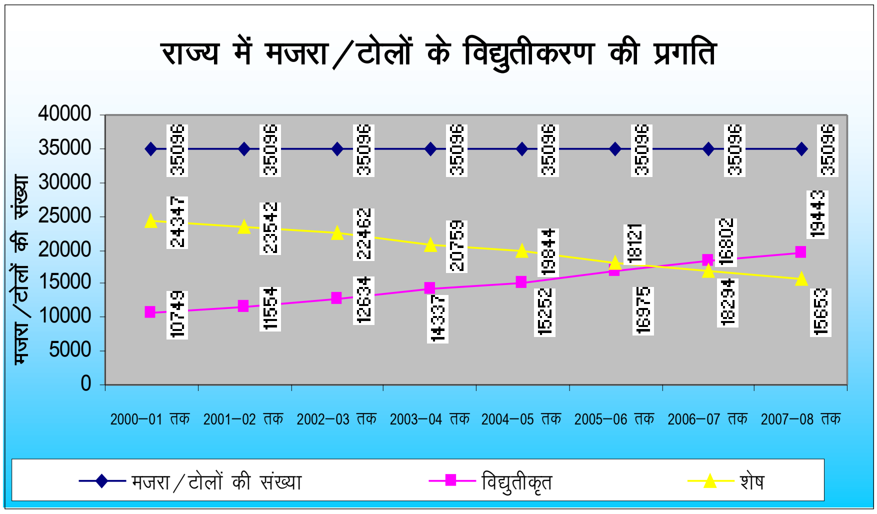

राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर कुल मजरा टोलों की अनुमानित संख्या 35,096 हैं। ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2000–01 में जहां 10,749 मजरा टोला विद्युतीकृत थे वहीं वर्श 2007–08 में विद्युतीकृत मजरा–टोलों की संख्या बढ़कर 19,443 हो गई। वर्श 2000–01 में अविद्युतीकृत मजर–टोलों की संख्या 24,347 थी जो वर्श 2007–08 में घटकर 15,653 रह गई है। इस प्रकार वर्श 2007–08 तक 55.40 प्रतिशत मजरा–टोलों विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(3) एक बत्ती कनेक्शन–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उपभोक्ताओं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को एक बत्ती कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले ग्रामवासियों को जिनके घर मण्डल की विद्यमान निम्नदाब लाईन से अधिकतम 30 मीटर की दूरी के भीतर है उनसे सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा सुरक्षा निधी जमा कराये बगैर निःशुल्क एक बत्ती कनेक्शन प्रदाय किये जाते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के पम्पों तथा बी.पी.एल. परिवारों के एकल बत्ती कनेक्शन(बी.पी.एल.) (अधिकतम 120 वाट विद्युत भार के लिये अधिकतम 30 यूनिट खपत तक) के विद्युत बिलों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

गरीब परिवारों के एकल बत्ती कनेक्शनों के विरूद्ध लम्बित देयकों के भुगतान हेतु एक मुश्त राशि रू. 54 करोड़ विद्युत मण्डल को प्रदाय किये गयें।

राज्य में एकल बत्ती कनेक्शन की प्रगति–

- राज्य गठन के पूर्व तक एकल बत्ती कनेक्शन (बी.पी.एल.) – 6,30,389
- राज्य गठन के पश्चात 31.03.08 तक बी.पी.एल कनेक्शन – 3,55,452
- छत्तीसगढ़ में 31.03.08 तक बी.पी.एल कनेक्शन – 9,85,841

राज्य बनने के बाद से बी.पी.एल. (एकल बत्ती कनेक्शन) के विद्युतीकरण की प्रगति को तालिका क्र.–7.11 एवं दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–7.11

एकल बत्ती कनेक्शन (बी.पी.एल.) की प्रगति

वर्ष	एकल बत्ती कनेक्शन		कुल एकल बत्ती कनेक्शन
	लक्ष्य	उपलब्धि	
2000–01	–	2417	2417
2001–02	30300	3804	6221
2002–03	30500	30498	36719
2003–04	60000	57607	94326
2004–05	80000	68666	162992
[illegible]	[illegible]	[illegible]	380
[illegible]	[illegible]	[illegible]	535
[illegible]	[illegible]	[illegible]	52

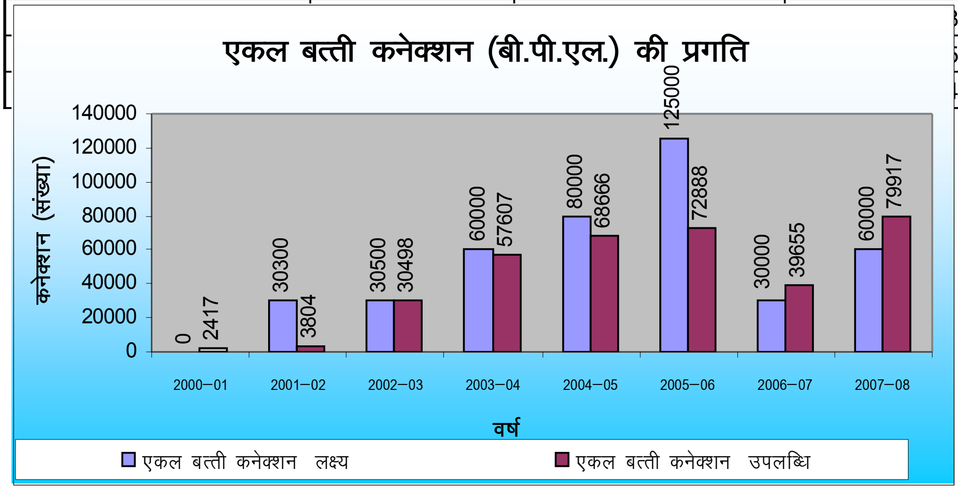

एकल बत्ती कनेक्शन (बी.पी.एल.) के लक्ष्य एवं उपलब्धि में

काफी उतार–चढ़ाव रहा है। सर्वाधिक 79,917 एकल बत्ती कनेक्शन (बी.पी.एल.) 2007–08 में दिया गया है। लक्ष्य के विरूद्व 86.53 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।

राज्य बनने के बाद से कुल एकल बत्ती कनेक्शन (बी.पी.एल.) की प्रगति को इस ग्राफ में दर्शाया गया है–

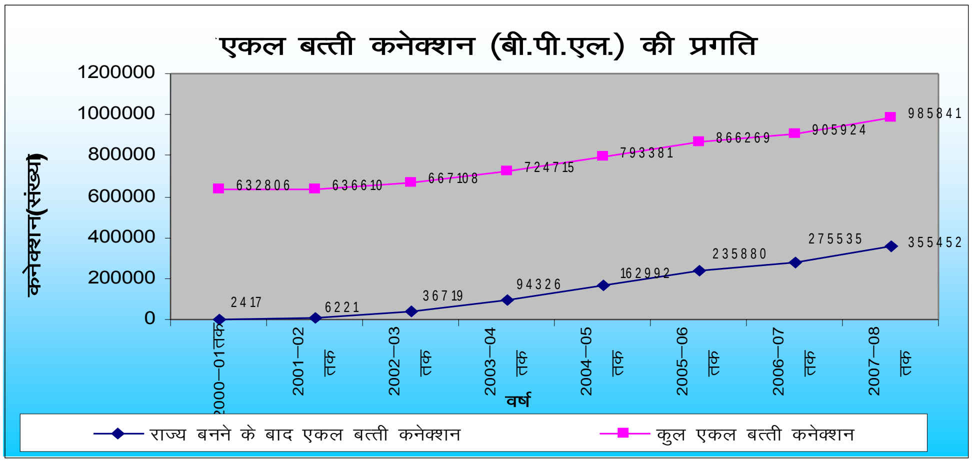

जहां राज्य गठन के पूर्व 44 वर्षों में मात्र 6,30,389 एकल बत्ती कनेक्शन दिये गये वहीं 2007–08 तक 3,55,452 एकल बत्ती कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इस प्रकार, कुल एकल बत्ती कनेक्शनों की संख्या 9,85,841 हो चुकी हैं।

(4) पम्प विद्युतीकरण–

बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि पम्पों के लिये विद्युत विस्तार हेतु मंडल द्वारा व्यय की जाने वाली प्रति पम्प की राशि की सीमा को रू. 30 हजार से बढ़ाकर रू. 40 हजार किया गया तथा कुछ ही समय बाद इसे पुनः बढ़ाकर रू. 50 हजार प्रति पम्प कर दिया गया।

राज्य में पम्प विद्युतीकरण की प्रगति–

- छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय उपलब्ध पंप कनेक ान (कार्य पूर्ण) – 72,400
- छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात् 31.03.08 तक
  विद्युत लाईन विस्तार किये गये कुल पंप कनेक्शन – 1,27,143
- 31.03.08 तक विद्युतीकरण किये गये कुल पंप कनेक्शन (कार्य पूर्ण) – 1,99,543

राज्य बनने के बाद से पम्प विद्युतीकरण की प्रगति को तालिका क्र.–7.12 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र. –7.12

राज्य में पम्प विद्युतीकरण की प्रगति

वर्ष	पम्प विद्युतीकरण		कुल पम्प विद्युतीकरण
	लक्ष्य	उपलब्धि (कार्य पूर्ण)	
2000–01	–	849	849
2001–02	8801	9416	10265
2002–03	7500	8058	18323
2003–04	9000	5330	23653
2004–05	15000	11396	35049
2005–06	25000	25645	60694
2006–07	35000	34417	95111
2007–08	40000	32032	127143

राज्य बनने के बाद से पम्प विद्युतीकरण की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

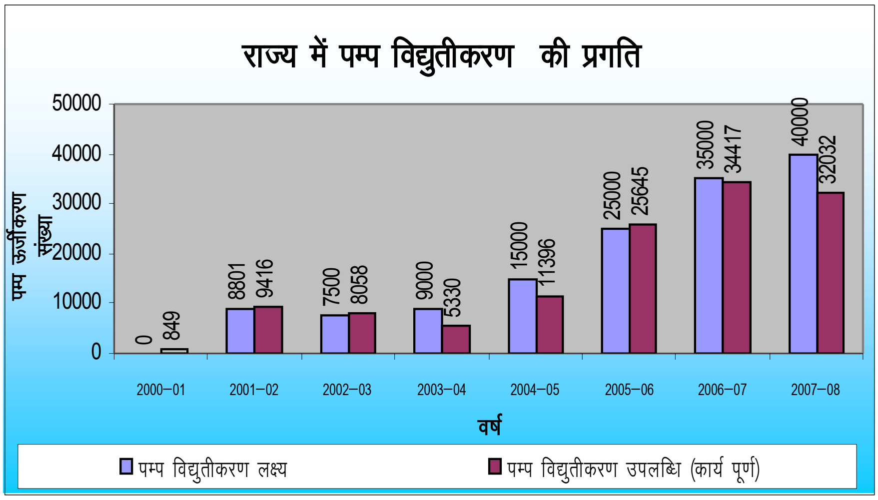

वर्ष 2007–08 तक थोड़े बहुत उतार–चढ़ाव के साथ पम्प विद्युतीकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि में वृद्धि देखने को मिल रही है। सर्वाधिक 34,417 पम्प विद्युतीकरण वर्ष 2006–07 में किया गया है। आंकड़ो के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि लक्ष्य के विरूद्व 91.26 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है। वर्ष 2008–09 में 18,000 पम्प विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य बनने के बाद से एवं कुल पम्प विद्युतीकरण की प्रगति को इस ग्राफ में दर्शाया गया है–

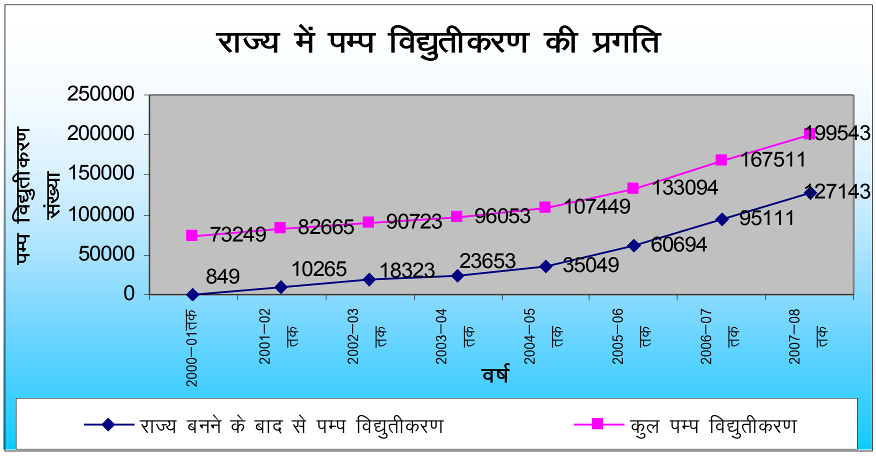

राज्य गठन के पूर्व 72,400 सिंचाई पम्पों का विद्युतीकरण किया गया। राज्य गठन के बाद से वर्ष 2007–08 तक 1,27,143 सिंचाई पम्पों का विद्युतीकरण किया जाकर वर्ष 2007–08 तक कुल 1,99,543 सिंचाई पम्पों का विद्युतीकरण किया गया।

अटल ज्योति योजना–

राज्य के सात जिलों (रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा एवं राजनांदगांव), जिनमें पंप कनेक्शनों की संख्या अधिक है, के ग्रामों के रहवासी क्षेत्रों में सतत् विद्युत प्रदाय हेतु **"अटल ज्योति"** योजना का प्रारूप तैयार किया गया। जिसका उद्देश्य सिंचाई पम्पों की सप्लाई के फीडर को अलग करते हुए ग्रामों में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति की जाना है ताकि ग्रामवासियों को बाधारहित विद्युत आपूर्ति होती रहे एवं ग्रामीणों के जीवनस्तर में सुधार व

समृद्धि हो सके। योजना के अंतर्गत 9,367 ग्रामों के रहवासी क्षेत्रों के विद्युत लाईनों को सिचाई पंपों के विद्युत लाईनों से अलग करने हेतु रूपये 618.51 करोड़ की लागत से लगभग 23,555 कि.मी. 11के.व्ही लाईन एवं 6,716 कि.मी निम्नदाब लाईनों के निर्माण के साथ 12,571 वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना के कार्य भाामिल किये गये।

उक्त योजना को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाना है। परंतु संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रथम चरण मे रूपये 200 करोड़ की लागत से पंपों की अधिक सघनता वाले क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक योजना बनाई गई।

किसान समृद्धि योजना (पुरानी इंदिरा खेत गंगा योजना)–

योजना के अंतर्गत अल्प वर्शा (वृश्टि छाया) वाले जिलों में नलकूप खनन एवं उनमें पम्प ऊर्जीकरण के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना पांच जिलों क्रमशः राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर एवं बिलासपुर के 25 विकासखण्डों क्रमशः राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगांव, बेरला, बेमेतरा, साजा, धमधा, नवागढ़, दुर्ग, पण्डरिया, कवर्धा, बोडला, लोहारा, तिल्दा, सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल, बिलाईगढ़ मुंगेली, पथरिया, बिल्हा एवं तखतपुर में लागू है। इस योजना को वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृशकों तक सीमित कर नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत लाईनों के विस्तार पर आने वाले व्यय की अधिकतकम राशि रू. 60,000 प्रति पम्प निर्धारित की गई है, जिसमें रू. 50,000 का व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जाता है तथा भोश रू. 10,000 की राशि राज्य भाासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

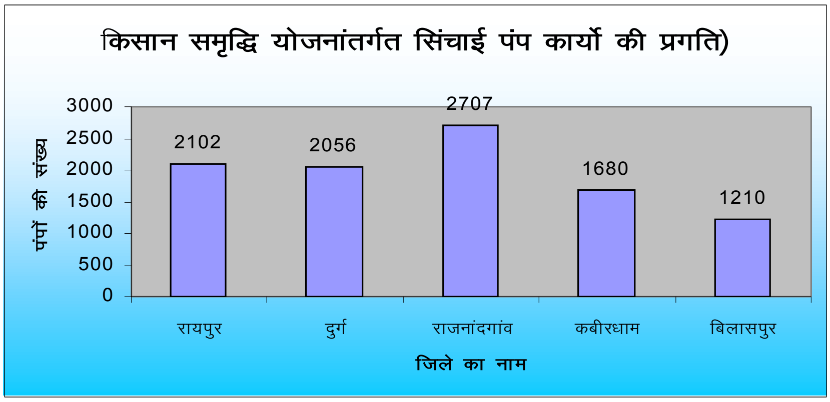

इस योजना की जिलावार प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है। विचाराधीन वर्श 2007–08 में इस योजना के तहत् कुल 2,435 नलकूपों के विद्युतीकरण के कार्यों हेतु विद्युत लाईनों को विस्तारित किया गया। इस प्रकार वर्शांत तक कुल 9,755 नलकूपों/पम्पों के लिए विद्युत लाईन विस्तार के कार्य पूर्ण किए गए।

7.6 विशिष्ट उपलब्धियॉं–

विशिष्ट उपलब्धियों की प्रगति की जानकारी निम्नानुसार है :–

- 4x2.5 मेगावाट गंगरेल जल विद्युत परियोजना वर्ष 2004 में सिंक्रोनाइज की गई।
  - 1x0.85 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना, कोरबा पश्चिम, दिनांक 12.01.03 को सिंक्रोनाइज की गई ।
- 6 मेगावाट को–जेन परियोजना, कवर्धा दिनांक 10.08.2007 को सिंक्रोनाइज की गई ।
- 2x3.5 मेगावाट सिकासार जल विद्युत परियोजना दिनांक 03.09.07 को सिंक्रोनाइज की गई
  - 2x250 मेगावाट विस्तार परियोजन कोरबा पूर्व की इकाई क. 1 एवं दो को क्रम ाः 30.03.07 एवं 11.12.07 को सिंक्रोनाइज की गई ।

7.7 विद्युत अधिनियम 2003 का कियान्वयन–

केन्द्र सरकार द्वारा 10 जून, 2003 से विद्युत अधिनियम 2003 अधिसूचित किया गया । तद्नुसार उपरोक्त अधिनियम राज्य में 10 दिसम्बर, 2003 से प्रभावीाल हो गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विद्युत मंडल का पुर्नगठन किया जाना है। अधिनियम की धारा–17 2 (ए) के द्वारा प्रदत्त भाक्तियों के अनुसार इसको आगामी 29 फरवरी, 2008 तक बढ़ाया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत मंडल के पुर्नगठन हेतु भाासन द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

7.8 केन्द्र प्रर्वतित योजनाएं एवं विकास

• राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY)–

- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्श 2009 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी आवासों तक विद्युत उपलब्ध कराया जाना है।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के भात–प्रतिशत घरों तक विद्युतीकरण हेतु जिलेवार योजना बनाने से लेकर विद्य ुतीकरण तक के सम्पूर्ण कार्यो को संपादित करने हेतु केन्द्र भाासन के तीन उपक्रमों क्रमशः एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. तथा पी.जी.सी.आई.एल. को अधिकृत किया है।
- राज्य के सभी 16 जिलों में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़ भाासन, छ.ग.रा.विद्युत मंडल एवं पृथक–पृथक उपक्रमों के साथ चार पक्षीय अनुबंध किये गये हैं। जिन्हें तालिका क्र.–7.13 में दर्शाया गया है:–

तालिका क्र. –7.13

सार्वजनिक उपक्रम अनुबंध की स्थिति

क्रं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	अनुबंध की तिथि	आबंटित जिले
1	एन.एच.पी.सी.(National Hydal Power Corporation)	30.06.2005	सात जिले क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, कबीरधाम, राजनांदगांव एवं कांकेर
2	एन.ई.एस.सी.एल. (NTPC Electric Supply Compny Ltd.)	08.08.2005	पांच जिले क्रमशः कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जशापुरनगर एवं जांजगीर–चांपा
3	पी.जी.सी.आई.एल. (Power Gride Corporation India Ltd.)	16.11.2005	चार जिले क्रमशः कोरिया, सरगुजा, बस्तर एवं दंतेवाड़ा

- राज्य के 3 जिलों कबीरधाम (कवर्धा), दुर्ग एवं जांजगीर–चांपा की योजनाएं 10वीं पंचवर्शीय योजना में ही स्वीकृत हो गई थीं। तीन जिलों के विद्युतीकरण की प्रगति को परिशिश्ट 01 में दर्शाया गया है

स्वीकृत प्रोजेक्ट की दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रगति – वित्तीय प्रगति

10 वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत इस योजना में स्वीकृत लागत, प्रदायित लागत, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को दी गई राशि एवं खर्च की गई राशि की प्रगति को इस दण्ड आरेख में प्रस्तुत किया गया है । जिसमें कुल स्वीकृत

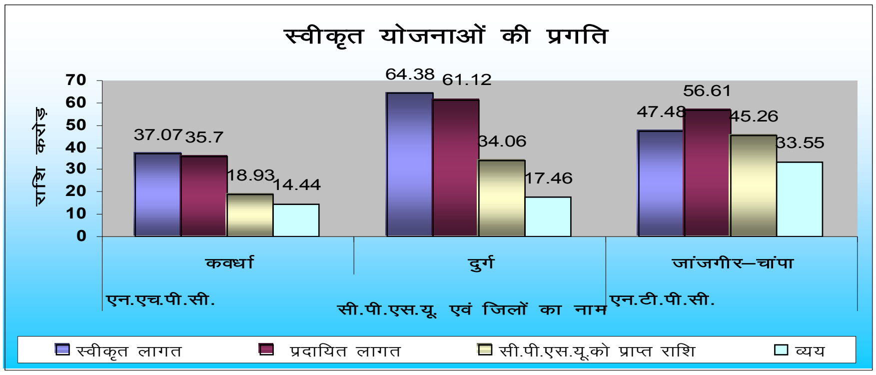

लागत रू. 148.93 करोड़ प्रदायित लागतरू.,रू. 153. 40 करोड़ है, जिसमें से रू. 98.25 करोड़ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने प्राप्त की और मात्र रू. 65.45 करोड़ ही खर्च किये जा सके।

भौतिक प्रगति– 10 वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत इस योजना में भाामिल बी.पी.एल. आवासों की प्रगति को इस दण्ड आरेख में प्रस्तुत किया गया है–

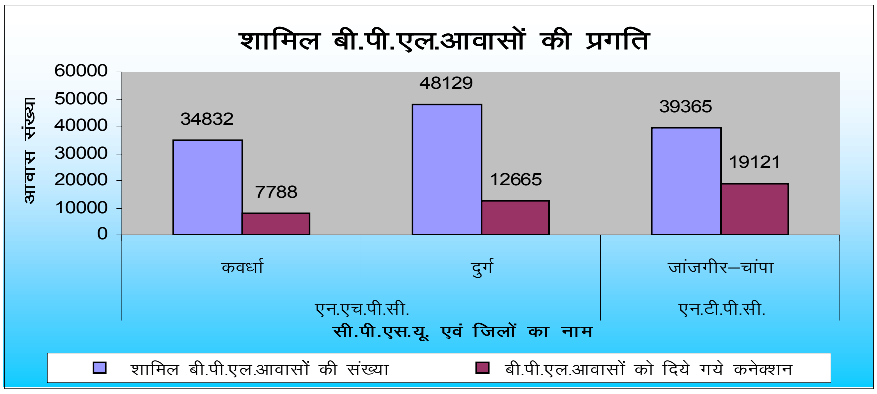

भाामिल 3 जिलों की योजनाओं के अंतर्गत कुल 1. 22.326 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने हेतु भाामिल किया गया है जिसमें सर्वाधिक परिवार दुर्ग जिलें के है जिसमें से कुल 39.574 बी.पी.एल. आवासों को कनेक्शन दिये गये है विस्तृत कार्य प्रगति को परिशिश्ट 01 में दर्शाया गया है।

- **11वीं पचंवर्षीय योजना हेतु स्वीकृत प्रस्ताव–**

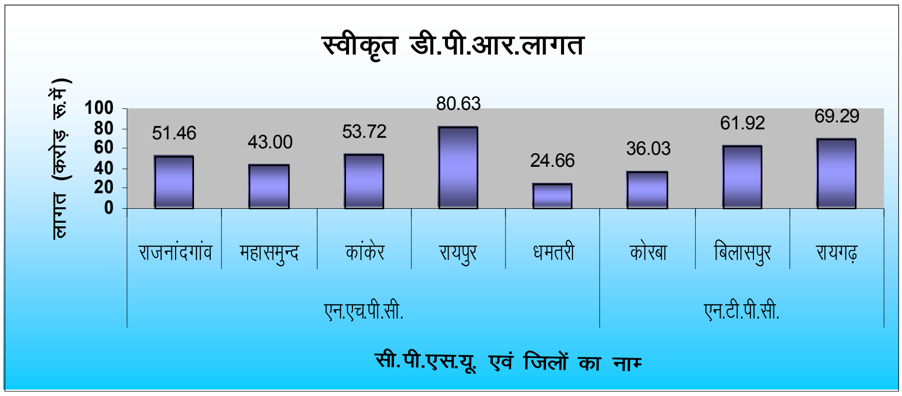

11वीं पंचवर्षीय योजना में योजनांतर्गत 8 जिलों को भाामिल किया गया है। जिसकी जिलेवार स्वीकृत डी.पी.आर लागत को इस दण्ड आरेख में द र्ााया गया है–
8 जिलों के ग्रामीण विद्य ुतीकरण की कुल स्वीकृत लागत रू. 420.71 करोड़ है।

इस योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत गांवों एवं मजरे/टोलों की स्थिति को इस दण्ड आरेख में प्रस्तुत किया गया हैः–

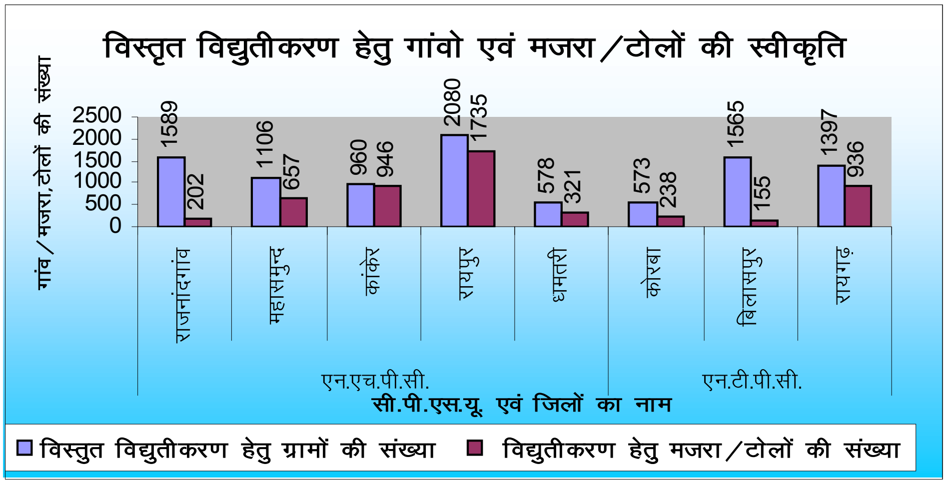

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि विद्य ुतीकरण हेतु स्वीकृत सर्वाधिक गांवो एवं मजरा/टोलों की संख्या रायपुर जिले से है। राज्य के कुल 9,848 गांवों एवं उनके मजरे/टोलों के विद्युतीकरण कार्य प्रावधानित हैं।

इस योजना में भाामिल कुल ग्रामीण आवासों की संख्या जिसमें बी.पी.एल. को भाामिल किया गया है विद्युतीकरण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे की स्थिति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया हैः–

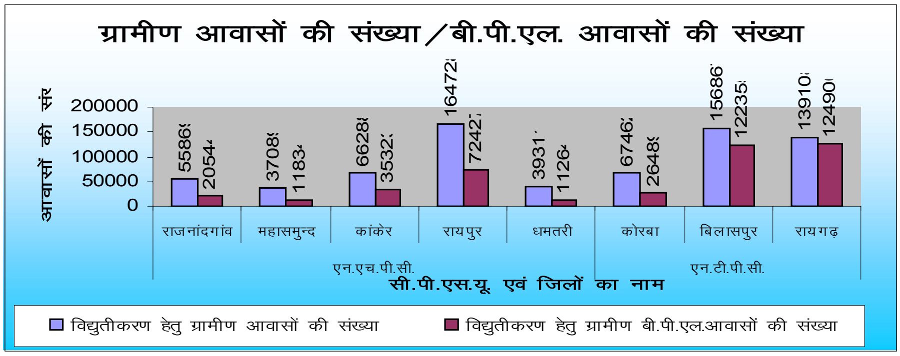

इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल 7,26,722 ग्रामीण आवासों में से 4,25,136 बी.पी.एल. ग्रामीण आवासों को भाामिल किया गया है जो विद्युतीकरण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा 74 अविद्युतीकृत ग्रामों एवं 38 डी–इलेक्ट्रीफाइड ग्रामों को भी इस योजना के अंतर्गत भाामिल किया गया है।

इस योजना में भाामिल जिलों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी परिशिश्ट 02 में प्रस्तुत की गई है।

- **ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग के पास स्वीकृती हेत लम्बित डी.पी.आर.की स्थिति :–**

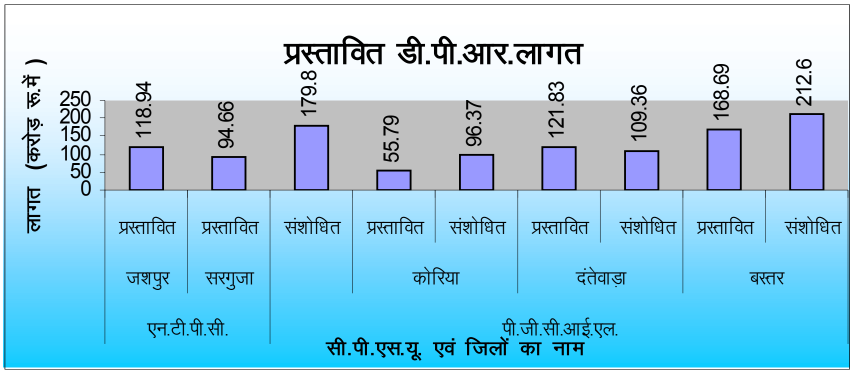

भोश 5 जिलों के प्रस्ताव ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं। जिनकी जिलेवार प्रस्तावित लागत को इस दण्ड आरेख में प्रस्तुत किया गया है– इन 5 आदिवासी बाहुल्य जिलों की प्रस्तावित डी.पी. आर. लागत रू. 560.91 करोड़ एवं संशोधित लागत 777.93 करोड़ रू.प्रस्तावित है।

लंबित 5 जिलों की योजनाओं में भाामिल गांवों तथा मजरे/टोलों की संख्या को जिलेवार इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

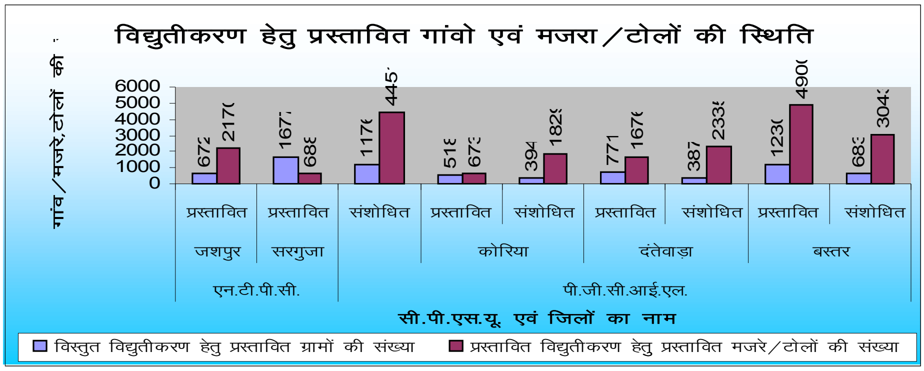

इसके अंतर्गत पूर्व में प्रस्तावित ग्रामों की संख्या 4,868 तथा मजरों/टोलों की संख्या 10,107 थी जिसमें संशोधन कर क्रमशः 2,640 एवं 11,658 किया गया।

इसके अंतर्गत पूर्व में प्रस्तावित अन–इलेक्ट्रीफाइड एवं डी–इलेक्ट्रीफाइड ग्रामों की संख्या क्रमशः 461 एवं 250 थी जिसमें संशोधन कर क्रमशः 1,728 एवं 350 किया गया।

इसके अंतर्गत पूर्व में प्रस्तावित ग्रामीण घरेलू विद्युतीकरण एव बी.पी.एल. परिवार जो इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकेगे की कुल संख्या क्रमशः 5,93,683 एवं 3,59,000 थी जिसमें संशाोधन कर क्रमशः 3,29,303 एवं 3,14,673 किया गया।

इस योजना में लंबित जिलों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 03 में दी गई है।

- **त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (APDRP)**–

विद्युत वितरण के सुद्रढीकरण, ऊर्जा हानि कम किये जाने, विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं में सुधार किये जाने आदि उद्देश्य हेतु केन्द्र भाासन ने "त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम" (ए.पी.डी.आर.पी.) योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत समग्र योजना लागत की 25 प्रतिशत राशि को अनुदान के रूप में तथा 25 प्रतिशत को लंबी अवधि के ऋण के रूप में ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है तथा भोश 50 प्रतिशत राि"ा की व्यवस्था विद्युत मण्डल द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से किया जाना है।

वर्ष 2002–03 से कियाशील त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम की कुल 06 योजनायें:–

(1) रायपुर – इस योजना में जिला रायपुर, धमतरी एवं महासमुन्द समाहित हैं।
(2) बिलासपुर – इस योजना में जिला बिलासपुर, चांपा–जांजगीर एवं कोरबा समाहित हैं।
(3) राजनांदगांव – इस योजना में जिला राजनांदगांव एवं कवर्धा समाहित हैं।
(4) रायपुर (शहर)
(5) दुर्ग (ाहर)
(6) भिलाई (शहर)

उक्त स्वीकृत योजनाओं की स्वीकृत राशि, आबंटित राशि एवं दिनांक 30.04.08 तक किये गए कार्यो में व्यय की गई राि ा की प्रगति को तालिका क्र.–7.14 में दर्शाया गया है:–

तालिका क्र. –7.14

योजनाओं की स्वीकृत राशि, आबंटित राशि एवं व्यय राशि की प्रगति

(राशि करोड़ रू. में)

क.	स्वीकृत योजनाओं का नाम	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	30.04.08 तक व्यय की गई राशि	भोश राशि
1	श्रायपुर(संचा./संधा.) वृत्त	119.42	159.21	133.59	-14.17
2	बिलासपुर(संचा./संधा.) वृत्त	104.96		78.36	26.61
3	राजनांदगांव (संचा./संधा.) वृत्त	49.28		41.33	7.95
4	श्रायपुर (शहर)	47.20		23.65	23.55
5	दुर्ग (शहर)	13.32		7-07	6.25
6	भिलाई (शहर)	15.79		8.85	6.94
	कुल योग	**349.97**	**159.21**	**292.84**	**57.12**

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्शो में किये गये व्यय एवं प्रगतिभील व्यय को इस ग्राफ में दर्शाया गया है–

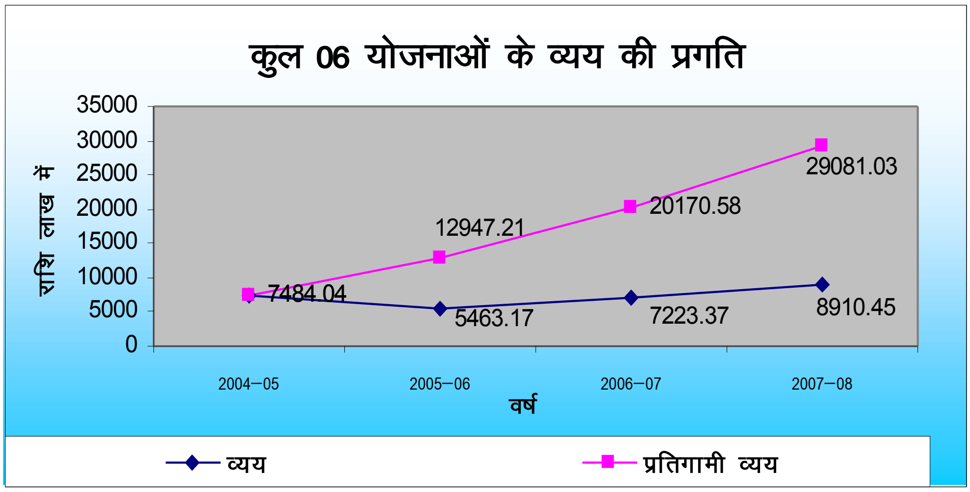

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि विभिन्न वर्शों के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन पर वर्श 2007–08 तक रू. 29,081.03 लाख राशि व्यय की गई है।

योजना के अंतर्गत रू. 34,996.29 लाख का प्रावधान किया गया है जिसमें से अप्रैल 2008 तक रू. 29,284. 28 लाख प्राप्त कर व्यय किया जा चुका है। भोश रू. 5,712 लाख प्राप्त कर व्यय किया जाना है।

त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम के तहत तीन नई योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। जिन्हें तालिका क्र.–7.15 में दर्शाया गया है:–

तालिका क्र.–7.15

स्वीकृत नवीन योजनाओं की प्रगति

कं.	शहर का नाम	राशि (करोड़ रू. में)
1	ज्गदलपुर	3.33
2	अम्बिकापुर	4.30
3	रायगढ़	3.86

इन तीनो योजनाओं में से जगदलपुर (शहर) की योजना प्रारंभ हो गई है तथा मार्च 2009 तक पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम हेतु नये दिशा–निर्देशों (रूपरेखा) जारी होने के पश्चात ही दो योजनाओं क्रमशः अम्बिकापुर (शहर) और रायगढ़ (शहर) का क्रियान्वयन किया जाना संभव होगा।

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का विकास– अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से मई 2001 में अभिकरण का गठन किया गया। केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं एवं लघु विद्युत जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकारण (क्रेडा) द्वारा किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का प्रधान कार्यालय रायपुर में है। इसके अंतर्गत पॉच क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर व सरगुजा में है एवं पन्द्रह जिला कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, धमतरी, कांकेर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, जशपुरनगर, बस्तर, सरगुजा, कोरिया व दंतेवाड़ा में हैं।

अक्षय ऊर्जा का अर्थ है पुनर्जनित, समाप्त न होने वाले, पर्यावरण अनुकूल और गैर–जीवाश्म संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा। अनेक अक्षय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों का विकास हुआ है । पिछले लगभग ढाई दशक से अधिक समय से भारत सरकार के साथ राज्य सरकारों द्वारा भी आम नागरिक, उद्योग, समुदाय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अनेक राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों द्वारा अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने में अग्रणी रहा है। यहां 800 से अधिक दूरस्थ गाँवों को सौर ऊर्जा से बिजली दी गई है। अब तक क्रेडा ने 566.94 मेगावॉट की लघु पनबिजली परियोजनाओं, 324 मेगावॉट क्षमता वाले चावल की भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र, 24 गैसीफायर संयंत्र, लगभग 22,000 बायोगैस संयंत्रों तथा 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापन प्रणालियों और जेट्रोफा के लगभग 3 करोड़ पौधों के साथ दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़कर अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

राज्य उन स्थलों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं जहां भू–तापीय संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है। राज्य का तातापानी क्षेत्र विचारणीय संभाव्यता वाला क्षेत्र है जहां पर निवेश किया जा सकता है। जलशक्ति की तुलना में 80–85 प्रतिशत उच्च लोड फैक्टर भू–तापीय क्षेत्र में प्राप्त होता है जो प्रारंभिक उच्च पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति करता है इसके अलावा भू–तापीय संयंत्रों को चलाने में प्रचालन लागत काफी कम आती है।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकांश योजनाएं जैसे–बायोगैस विकास कार्यक्रम, सौर थर्मल, सौर प्रकाशवोल्टीय, ग्राम विद्युतीकरण तथा बायोमास गैसीफायर आदि क्रेडा द्वारा कार्यान्वित की जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्रेडा को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों का समन्वय, नियमन एवं प्रवर्तन करने तथा राज्य के भीतर उक्त अधिनियम के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित किया है।

7.9 अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)– कार्यक्रमों का विवरण

- **राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम**

क्रेडा राज्य/नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वित्तीय सहायता से परिवार मूलक बायोगैस संयंत्रों के संवर्द्धन हेतु बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना तथा सामुदायिक एवं संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। विभिन्न क्षमताओं के बड़े आकार वाले संयंत्रों को भी ग्रामों, गौशालाओं एवं इसी प्रकार की संस्थाओं में कुकिंग ईंधन एवं विद्युत उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है। पिछले छः वर्षों के दौरान (तलिका क्र.–16) क्रेडा द्वारा 24,329 परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 25 संस्थागत संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनसे प्रतिदिन लगभग 230 टन लकड़ी की बचत हो रही है। इन संयंत्रों से राज्य के कृषकों को प्रतिदिन लगभग 250 टन उच्च स्तर की खाद् मिल रही है। रायपुर जिले के ग्राम–अभनपुर में स्थित जीवोदय संस्थान में प्रतिदिन लगभग 500 व्यक्तियों का खाना बनता है। पहले इस संस्थान में 50 गैस सिलैंण्डर प्रतिमाह की खपत थी। 50 घनमीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्र, 1,000 लिटर का सौर गर्म जल संयंत्र एवं 01 गैसीफायर संयंत्र की स्थापना से LPG गैस का उपयोग बंद हो गया है। इसी प्रकार चांपा स्थित कुष्ठ आश्रम में लगभग 350 व्यक्तियों का खाना बायोगैस से ही बन रहा है। ईंधन के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली खाद् का प्रयोग कर, उक्त दोनों संस्थानों में 50 एकड़ से अधिक भूमि पर खेती की जा रही है। राज्य में स्थापित घरेलू बायोगैस संयंत्रों की प्रगति को तलिका क्र.–7.16 में दर्शाया गया हैः–

तलिका क्र.–7.16

घरेलू बायोगैस संयंत्रों की प्रगति

वर्ष	संयंत्रों की संख्या	कुल संयंत्रों की संख्या (तक)
2001-02	3000	3000
2002-03	4641	7641
2003-04	3243	10884
2004-05	3420	14304
2005-06	3881	18185
2006-07	4238	22423
2007-08	1906	24329

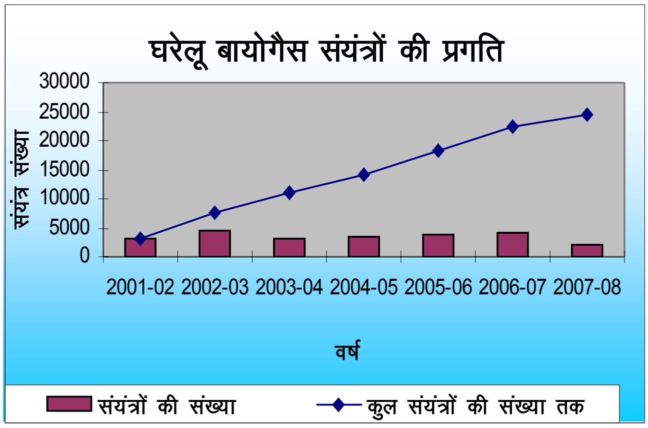

संस्थागत बायोगैस के क्षेत्र में क्रेडा ने कई अनूठे प्रयोग किये हैं। भाटापारा में जलकुंभी से बायोगैस उत्पादन व उत्पादित बायोगैस से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। रायपुर जिले के ग्राम–अछोटी में अभ्योदय संस्थान में कम्प्रेशर के माध्यम से सिलेंण्डर में गैस भरने का सफल प्रयोग किया गया है। सिलेंण्डर में गैस भरने के पूर्व बायोगैस से कार्बन–डाय–आक्साइड व हाइडोजन–सल्फाइड गैस सेपरेटर में अलग कर दी जाती है।

राजनांदगांव में राजाराम मेज प्रोडक्ट स्टार्च का उत्पादन करता है। इस उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट से 2,200 घनमीटर प्रतिदिन बायोगैस का निर्माण हो रहा है। जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कुम्हारी में केडिया डिस्टलरी में 2,800 घनमीटर क्षमता का बायोगैस उत्पादन संयंत्र लगाया गया है। यहॉं भी उत्पादित बायोगैस विद्युत उत्पादन में उपयोग हो रही है।

▪ पनबिजली परियोजनाएं

राज्य में 3,000 मेगावॉट की पनबिजली संभाव्यता है परंतु विशाल एवं लघु पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से अभी तक मात्र छोटे से अंश (320 मेगावॉट) को प्राप्त किया गया है। लघु पनबिजली परियोजनाएं दूरस्थ क्षेत्रों, जो कि राज्य में सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से किसी न किसी मार्ग से गम्य हैं, में सामान्यतः मुख्य धाराओं/नदियों के मिलन बिन्दु के नजदीक हैं, 'रन–ऑफ–द–रिवर' योजनाओं के रूप में विकसित किया जाना प्रास्तावित है। क्रेडा ने विकल्प पन ऊर्जा केन्द्र, आईआईटी, रुड़की से लघु पन संसाधनों की पहचान तथा राज्य में लघु पन बिजली संभाव्यता का अनुमान लगाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन प्रायोजित किया है। वर्तमान अध्ययन में, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत व्यवहार्य विद्युत उत्पादन हेतु कुल 180 स्थानों की पहचान की गई है। समस्त स्थानों की कुल अनुमानित संभाव्यता लगभग 800 मेगावॉट है। अभिनिर्धारित स्थानों की क्षमता 1 किलोवॉट से 24 मेगोवॉट तक है तथा ये राज्य के विभिन्न भागों में स्थित हैं। लघु पनबिजली विकास तथा सरकार की नीति के अनुरूप, क्रेडा में परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं। इनमें से, 566.94 मेगावॉट की कुल क्षमता की 64 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं तथा इनके कार्यान्वयन हेतु करार किया गया है। 54 मेगावॉट की कुल क्षमता की 05 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं परंतु करार किया जाना शेष है तथा 18 मेगावॉट की कुल क्षमता की दो परियोजनाएं अनुमोदन हेतु प्रतीक्षित हैं।

गंगरेल जलाशय में 10 मेगावॉट, सोंदूर में 04 मेगावॉट एवं कोरबा में 850 किलोवॉट क्षमता की परियोजनायें कार्यशील हैं।

▪ सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम

राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत वनों से घिरा है। राज्य में 1986 में, लमनी ग्राम, जिला बिलासपुर में प्रथम सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र लगाया गया। तब से यह संयंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है। क्रेडा के गठन से लेकर अब तक 800 से अधिक गांवों का सौर प्रकाशवोल्टीय द्वारा विद्युतीकरण किया गया है। ये समस्त गांव सुदूर एवं आदिवासी जनजातीय हैं तथा कुछ गांव नक्सल प्रभावित भी हैं।`

विद्युतीकरण दो तरीकों से किया जाता है। बड़े ग्रामों में, केन्द्रीकृत सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं तथा इनसे विद्युत घरों में भेजी जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थलों को रोशन करने के लिए कुछ सड़क रोशनी प्रणालियॉं भी लगाई गई हैं। छोटे ग्रामों में, सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू एवं सड़क रोशनी प्रणालियों की सहायता से विद्युतीकरण किया जाता है। इन सभी ग्रामों में प्राथमिक प्रचालन एवं अनुरक्षण की देखभाल के लिए ग्राम–स्तर की समितियां हैं। प्रणालियों के प्रचालन और अनुरक्षण, निगरानी एवं रखरखाव हेतु क्लस्टर तकनीशियन नियुक्त किए जाते हैं तथा क्रेडा के तकनीकी कर्मचारी भी नियमित रूप से प्रणालियों का प्रबोधन करते हैं। प्रचालन एवं अनुरक्षण की सहायता हेतु कनेक्शन टेरिफ के रूप में प्रत्येक लाभार्थी अंशदान देता है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार प्रणाली के अनुरक्षण हेतु ग्राम ऊर्जा समिति को प्रतिमाह रु. 5 का भुगतान कर रहा है। इसके संचालन के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को प्रशिक्षित किया गया है। उसे इस कार्य हेतु रु. 400–600 प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। क्लस्टर तकनीशियन को प्रतिमाह लगभग रुपए 3500.00 भुगतान किया जाता है।

इस कार्यक्रम से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में ग्रामीणों विशेषकर आदिवासियों की जीवन–शैली ही बदल गई है। अब यहाँ के रहवासी दूरदर्शन के माध्यम से कृषि व विज्ञान के आधुनिक प्रयोगों से परिचित हो रहे हैं। रात्रि में घर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होने के कारण बच्चे उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब इन ग्रामों में शाम का माहौल शहरों की तरह रौनकभरा लगता है। इमली से बीज व छिल्का अलग करना, माहुल पत्ते से दोना–पत्तल बनाना एवं झाडू निर्माण जैसे अनगिनत आमदनी जनित कार्य इन ग्रामों में शाम ढलने के बाद भी देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि अब इन ग्रामों में नवजात बच्चों का नाम गुरसू या आयतू की जगह राहुल व प्रदीप रखा जाने लगा है। इन ग्रामिणों के पहनावे में आधुनिकता झलकने लगी है। अब ये किसान भी कृषि के उत्कृष्ठ साधनों व उन्नत बीजों के प्रयोग से खेती कर रहे हैं।

- **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विद्युतीकरण**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इनक्युबेटर्स, रेफ्रीजरेटर, एक्स–रे एवं ईसीजी जैसे विभिन्न यंत्रों के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। राज्य में क्रेडा द्वारा 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सौर प्रकाशवोल्टीय के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है।

- **सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क प्रकाश प्रणाली**

रायपुर में, प्रदर्शन हेतु विधानसभा, गांधी उद्यान, जवाहर उद्यान, राजभवन, मुख्य मंत्री निवास, स्पीकर निवास एवं छत्तीसगढ़ अधिकारी क्लब में सड़क रोशनी प्रणालियां लगाई गई हैं। इसी प्रकार विकसित ऊर्जा पार्क में सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क लाइटें लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लगभग 900 ग्रामों में 12,000 से अधिक सौर पथ प्रकाश संयंत्र स्थापित हैं। उचित रखरखाव व संचालन व्यवस्था के कारण ये सभी पथ प्रकाश संयंत्र विगत 08 वर्षों से निरंतर कार्यशील हैं।

प्रसिद्ध मंदिर भौरमदेव क्षेत्र में सौर प्रकाश वोल्टीय पथ प्रकाश संयंत्र स्थापित हैं। रायपुर स्थित एग्रीकल्चरल कॉलेज परिसर, बस्तर का परचनपाल, सलवा जुडूम राहत शिविर एवं बारनवापारा पर्यटक ग्राम जैसे कई स्थानों पर सौर प्रकाश वोल्टीय पथ प्रकाश संयंत्र स्थापित है।

- **सामुदायिक सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां**

सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युतीकरण के माध्यम से रात में भी अपने दिन–प्रतिदिन कार्यकलापों को चलाए रखने में समुदायों की सहायता करना संभव है। प्रदेश में क्रेडा ने अब तक 500 से अधिक जनजातीय छात्रावासों का सौर प्रणाली से विद्युतीकरण किया है। विगत 03 वर्षों में यह अनुभव किया गया कि ऐसे विद्युतीकृत छात्रावासों का परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत बहुत बेहतर रहा है। यहाँ अध्ययनरत् छात्र अब रात्रि में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे परीक्षा परिणाम से प्रोत्साहित हो कर ये छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होने लगे हैं। सौर प्रणाली से विद्युतीकृत ग्रामों में हाई स्कूलों की मांग उठ रही है।

प्रदेश में लगभग 70 पुलिस थाने जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं, का विद्युतीकरण सौर विद्युत प्रणाली से किया गया है। सामान्य रूप से विद्युतीकृत थानों में बाहर से विद्युत प्रवाह बंद कर नक्सलियों द्वारा हमला किया जाता है। सौर प्रणाली से विद्युतीकृत थानों में ऐसा करना संभव नहीं है।

- **वन विश्राम गृहों एवं पर्यटन केन्द्रों हेतु सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युतीकरण**

बार–नवापारा, उदंती एवं तौरंगा में वन्यजीव अभ्यारणों जैसे सुदूर क्षेत्रों में फारेस्ट विश्राम गृहों को सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। इसके माध्यम से बार–नवापारा पर्यटन कॉटेजों का भी विद्युतीकरण किया गया है। लगभग 200 पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था वाला यह विश्रामगृह पूर्ण रूप से सौर प्रणाली से विद्युतीकृत है। इसके समीप ही ग्राम–मोहदा में नव–निर्मित पर्यटक कॉटेज 10 किलोवॉट क्षमता के सौर संयंत्र से विद्युतीकृत किया गया है। जिला सरगुजा में कैलाश गुफा तथा जिला कबीरधाम में भोरमदेव कुछ पर्यटक स्थल है जिनका सौर प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है।

सीमित क्षेत्र में दूरसंचार हेतु वायरलैस इन लोकल लूप (WLL) की आवश्यकता होती है। सामान्यतः (WLL) का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां दूरसंचार की अन्य प्रणालियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अविद्युतीकरण वाले क्षेत्रों में जहां (WLL)कराया जाता है, वहां बिजली की आवश्यकता सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती हैं। ग्राम सरोरा दादर, जिला कबीरधाम में (WLL) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली की सहायता से चल रहा है। परम्परागत साधनों की तुलना में ऐसे विद्युतीकरण की लागत बहुत कम है।

▪ सौर जल पंप

सौर प्रकाशवोल्टीय पंपन योजना का मुख्य उद्देश्य विशेषकर अविद्युतीकृत ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराना है। इन पंपों से न केवल पीने का पानी मिलता है, अपितु खेतों में सिंचाई में भी सहायता मिलती है। प्रथम सौर प्रकाशवोल्टीय पंप ग्राम जबेरा, जिला धमतरी में लगाया गया जिसमें लगभग 73 परिवार हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार की आर्थिक सहायता से ग्रामों में वन विकास समितियों द्वारा 155 पंप लगाए गए हैं। उनमें से अधिकांश 1,800 वॉट पीवी एरे क्षमता के हैं तथा वन समितियां इनकी स्वामी हैं। सभी पंप संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

▪ सौर जल तापन प्रणाली

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आसान ऋणों तथा अन्य प्रोत्साहनों तथा गुणवत्ता मापदंडों पर बल देने से सौर जल तापन प्रणालियों के निर्माण, स्थापना, वित्तपोषण एवं सर्विसिंग में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है। शहरी परिवारों हेतु निम्न पुनर्भुगतान (पे–बैक) एक अतिरिक्त आकर्षण है। क्रेडा ने अब तक 05 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता से अधिक की जल तापन प्रणालियां लगाई हैं। एक अनुमान के अनुसार ये संयंत्र प्रतिवर्ष लाखों रुपए की विद्युत के साथ ही लाखों टन कार्बन उत्सर्जन की बचत कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में शायद ही कोई प्रमुख होटल होगा जहॉं सौर जल तापन प्रणाली स्थापित न हो। अब निजी भवनों में भी इन संयंत्रों का प्रचलन बढ़ा है। प्रतिवर्ष इनकी संख्या दो–गुनी दर से अधिक बढ़ रही है।

रायपुर में पहल नामक स्वयं सेवी संस्था नगर के स्कूलों में 50 हजार बच्चों को मध्यान भोजन वितरण कर रही है। इतनी अधिक मात्रा में भोजन पकाने के लिए सौर गर्म जल संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिदिन 12 व्यवसायिक गैस सिलैण्डर की बचत कर रहा है। ऐसा ही एक संयंत्र धमतरी में 5,000 छात्रों के भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। राज्य में स्थापित सौर जल तापन प्रणालियों कीं उपलब्धि तालिका क्र.–7.18 में दर्शाया गया है:–

तलिका क्र.–7.18

राज्य में स्थापित सौर जल तापन प्रणालियों कीं उपलब्धि

वर्ष	(वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र)	कुल (वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र) तक
2002–03	36600	36600
2003–04	42000	78600
2004–05	49975	128575
2005–06	113100	241675
2006–07	200475	442150
2007–08	163000	605150

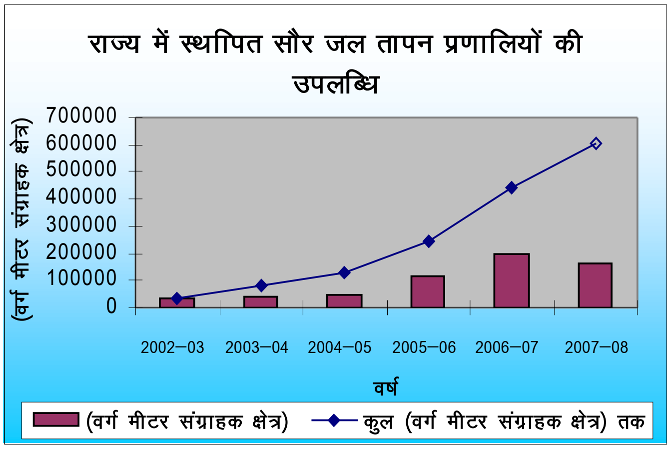

▪ बायोमास विद्युत

छत्तीसगढ़ में, सरकार ने अक्षय ऊर्जा संसाधनों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लाभों/प्रोत्साहनों का विस्तार करके अपनी ऊर्जा नीति की घोषणा की है। नोडल अभिकरण, क्रेडा, अक्षय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन हेतु राज्य में आने वाली परियोजनाओं पर विचार करने एवं अनुमोदन देने हेतु सशक्त है। राज्य भारत के सर्वाधिक चांवल उत्पादक राज्यों में से एक है। आधुनिक चावल मिलों में धान के प्रसंस्करण से लगभग 20 प्रतिशत धान की भूसी उत्पादित होती है।

- धान का वार्षिक उत्पादन : 50 लाख टन
- कुल उत्पादित चावल : 37.5 लाख टन
- उत्पादित चावल भूसी : 12.5 लाख टन
- कुल उत्पादित धान भूसी : 112.5 लाख टन
- प्रति मेगावॉट/दिन विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक अपशिष्ट : 36 टन
- प्रति वर्ष/मेगावॉट विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक अपशिष्ट : 10800 टन।

यदि कुल अपशिष्ट का 50 प्रतिशत विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध होता है तो राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु संभाव्यता लगभग 575 मेगावॉट है। राज्य में अब तक 140 मेगावॉट विद्युत बायोमास से उत्पादित की जा रही है। स्थापनाधीन संयंत्रों को मिलाकर कुल क्षमता 325 मेगावॉट हो जाएगी जो भारत में सर्वाधिक है। इन संयंत्रों की स्थापना के पूर्व राज्य में धान की भूसी का कोई मूल्य नहीं था। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 4000 टन धान की भूसी की खपत हो रही है, जिसका बाजार मूल्य औसतन रुपए 32 लाख है। ये संयंत्र प्रतिदिन 33 लाख यूनिट विद्युत उत्पादित कर रहे हैं। जुलाई 09 तक यह क्षमता 300 मेगावॉट पहुॅच जाएगी। प्रदेश में एकमात्र शक्कर कारखाना है जिसके अपशिष्ट से 06 मेगावॉट क्षमता का विद्युत संयंत्र संचालित है।

उसी प्रकार कोयले के वाशरी अपशिष्टों से प्रदेश में लगभग 350 मेगावॉट विद्युत उत्पादन हो रहा है। यह नई तकनीक भारत में प्रथम बार राज्य में ही प्रयोग की गई है। इससे भविष्य में लगभग एक हजार मेगावॉट विद्यु ुत उत्पादन की संभावना है।

▪ सोलर पेसिव आर्किटेक्चर

प्रदेश में इस दिशा में अच्छी प्रगति है। अब तक 07 शासकीय भवनों का निर्माण सोलर पेसिव आर्किटेक्चर पद्यति से किया गया है। सभी प्रमुख नगरों में सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित कर, इस प्रणाली का प्रचार–प्रसार किया गया है।

▪ बैटरी चलित वाहन

छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है, जहॉ बैटरी चलित वाहनों पर राज्य शासन ने अनुदान देना प्रारंभ किया है। अब तक प्रदेश में 5,000 से अधिक बैटरी चलित दो–पहिया वाहन संचालित हो रहे हैं। जबकि लगभग 25 ति–पहिया वाहन व 08 मिनी बस संचालित हैं। इनसे प्रतिदिन हजारों लीटर पैट्रोल एवं डीजल की बचत के साथ ही लाखों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हो रही है।

तालिका क्. –7.17

राज्य में अक्षय ऊर्जा पर एक नजर (30 जून 2008)

क्.	प्रेगाम	उपलब्धि	आगामी प्रस्ताव
1	सौलर फोटोवोल्टेक विलेज इलेकिट्रीफिकेशन	3345.5 कि.वा.	5500 कि.वा.
2	सोलर होम लाईट सिस्टम	5854 संख्या	15000 संख्या
3	सोलर कम्यूनिटि लाईट	190 संख्या	500 संख्या
4	सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम	300000 एल.पी.डी.	200000 एल.पी.डी.
5	सोलर लेनर्टन	3643 संख्या	5000 संख्या
6	सोलर स्टीट लाईट सिस्टम	10015 संख्या	5000 संख्या
7	सोलर जनरेटर	560 संख्या	500 संख्या
8	सोलर डस्क टू डाऊन स्वीच	341 संख्या	500 संख्या
9	इलेकिट्रीफिकेशन थ्रूव फोटोवोल्टेक		
	थ्वलेज	836 संख्या	150 संख्या
	मजरा टोला / हेमलेट	71 संख्या	50 संख्या
10	SPV पंप इन्स्टोलेट	153 संख्या	100 संख्या
11	बायो–मॉस ग्रेसीफायर	32 संख्या	10 संख्या
12	इम्प्रुवड क्रेमेट्रोरिया	29 संख्या	100 संख्या
13	सोलर पैसिव बिल्डिंग डिजिग	07 संख्या	03 संख्या
14	सोलर कुकर ड्रिस टाइप (ड्रिस टाइप)	157 संख्या	200 संख्या
15	इनर्जी ऐजूकेशन पार्क	6 संख्या	11 संख्या
16	फेमेलि टाइप बायो–गैस	22448 संख्या	2000 संख्या
17	कम्यूनिटि / इंस्टीटयूट बायो–गैस	21 संख्या	15 संख्या
18	विंड मॉनीटरिंग स्टेशन	8 संख्या	2 संख्या
19	विंड सोलर हाइब्रीट सिस्टम	1 (1.6 कि.वा.)	----
20	बैटर ओपरेट वेहिकल (थीविलर)	13 संख्या	50 संख्या

	(टूविलर)	4325 संख्या	1000 संख्या
21	स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट	269 मे.वा	500 मे.वा
22	राइस हक पावर प्लाट	17 (140 मे.वा.)	12 (160 मे.वा.)
23	बायोगैस कनर्जवेशन	1	06 मे.वा
24	कोल वाशरी रिजेक्ट	03 (145 मे.वा.)	02/300 मे.वा.
25	इनर्जी फार अरबन एण्ड इण्डस्ट्रीज	01 (1.2 मे.वा.)	-
26	जेटरोफा प्लांटटेशन	39 करोड़	05 करोड़
27	इनर्जी ऑडीट	9 संख्या	30 संख्या

बायोफ्यूल का विकास

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमेशा से पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के परिदृश्य में योजना आयोग, भारत सरकार ने, वनस्पति तेलों पर आधारित सस्ता एवं अक्षय तरल–ईंधन पाने के उद्देश्य से' **बायोडीजल पर राष्ट्रीय मिशन**' का आरंभ किया। 'बायोडीजल पर राष्ट्रीय मिशन' की रिपोर्ट वर्ष 2003 में प्रस्तुत कर दी गई थी। जिसमें पेट्रो–डीजल के प्रतिस्थापन के रूप में बायो–डीजल में परिवर्तन हेतु आवश्यक वनस्पति तेल निकालने हेतु जेट्रोफा की एक उपयुक्त तिलहन के रूप में पहचान की गई। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि जेट्रोफा तेल को जो कि प्रकृति में अखाद्य है तथा विशाल क्षेत्रों में फैले जंगलों से आने के कारण इस मिशन के प्रारंभ होने तक बहुत कम ग्राहक मिले। राष्ट्रीय मिशन रिपोर्ट के अनुसार निम्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है–

- किसान की परती भूमि के अतिरिक्त सरकारी बंजर भूमि का प्रयोग करना।
- ग्रामीण जनता हेतु अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।
- समग्र वातावरणीय सुधार हेतु हरित क्षेत्र बढ़ाना।
- बीजों की बिक्री के माध्यम से किसानों की परती भूमि से उनकी आय में वृद्धि करना।
- ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बायो डीजल उत्पादित करना।
- विद्युत उत्पादन हेतु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डी जी सेट्स चलाने हेतु बायो–डीजल का प्रयोग करना।

7.10 राज्य में बायो ईंधन की संभाव्यता

बायो–डीज़ल पर राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप राज्य सरकार ने वर्ष 2012 तक राज्य में उपलब्ध 10 लाख हेक्टेयर पड़ती एवं निम्न कोटि की वन भूमि पर जेट्रोफा के पौधरोपण हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम आरंभ किया है। इसमें किसानों से संबंधित वह भूमि भी शामिल है जो कि उपयुक्त भू–परिस्थिति के अभाव में अप्रयुक्त पड़ी है। सरकार ने राज्य में बायो–ईंधन कार्यक्रम के संवर्द्धन हेतु 26 जनवरी 2005 को **'छत्तीसगढ़ बायो–ईंधन विकास प्राधिकरण'** नामक एक विशिष्ट अभिकरण की स्थापना की। छत्तीसगढ़ बायोईंधन विकास प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- आवश्यकता–आधारित अनुसंधान करने हेतु तथा लक्षित परिणाम की प्राप्ति हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी एवं विस्तार पैकेजों का विकास करने हेतु अनुसंधान एवं विकास सुविधा का संवर्द्धन।
- ग्रामीण आय में वृद्धि करना तथा महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण रोजगार सृजित करना।
- बायोईंधन ऊर्जा का प्रयोग करके अक्षय ऊर्जा का संवर्द्धन।
- वृक्ष–जन्य तिलहन उगाना एवं वृक्ष–जन्य तिलहन हेतु संचालक क्षेत्रों की पहचान के माध्य से बायो–ईंधन निकालना।
- देश/राज्य हेतु तेल के आयात बिल को घटाना।
- जैविक खाद की उपलब्धता का संवर्द्धन।
- बायोईंधन के दहन के दौरान हानिकारक स्राव को घटाना जो कि व्यवहार रूप में सल्फर यौगिकों से मुक्त हैं।
- पौधा तेल आधारित ईंधनों के साथ जैव ईंधन के प्रतिस्थापन के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस प्रवाह को घटाना।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 प्रतिशत वन भूमि के तहत है जो कि अनेकों प्रकार के वृक्ष जन्य तिलहन जैसे जेट्रोफा, करंज, महुआ एवं कुसुम का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है। यह राज्य में बायोईंधन कार्यक्रम के संवर्द्धन हेतु विशाल अवसर प्रदान करता है। वृक्ष जन्य तिलहन का ताजा पौधरोपण करने हेत विशाल पड़ती भूमि भी उपलब्ध है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य में 10 लाख हेक्टेयर पड़ती भूमि पर जेट्रोफा/करंज का पौधरोपण करके निम्नलिखित (6 टन बीज/हेक्टेयर औसत पर) उत्पादन होगा।

जेट्रोफा बीज	–	60 लाख टन
बायोडीज़ल	–	20 लाख टन
तेल रहित केक	–	40 लाख टन (बायो–खाद)
ग्लिसरॉल	–	3 लाख टन
बायोगैस	–	21 000 लाख घन मीटर
विद्युत	–	400 मेगावॉट

राज्य में निजी निवेश के माध्यम से बायोईंधन परियोजनाओं के विकास की विशाल संभाव्यता है।

7.11 राज्य सरकार द्वारा नीति प्रयास

राज्य सरकार निम्नकोटि की वन्य भूमि, सरकारी बंजर भूमि तथा किसानों से संबंधित बंजर/उपयुक्त भूमि को टीबीओ के पौधरोपण हेतु लक्ष्य कर रही है ताकि समय–सीमा के भीतर निर्धारित उद्देश्य पूरे किए जा सकें। राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत प्रयास निम्नानुसार हैं:–

▪ किसानों को जेट्रोफा पौधों की आपूर्ति

सरकार ने वन विभाग, कृषि विभाग, वन विकास निगम, क्रेडा तथा कृषि विश्वविद्यालय की नर्सरियों में जेट्रोफा पौधों के उगाने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य के किसानों से संबंधित अप्रयुक्त/बंजर भूमि पर पौधरोपण हेतु इन पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। 500 जेट्रोफा पौधों तक वितरण मुफ्त किया जाता है तथा तत्प''चात किसानों से 0.50 रुपए प्रति पौधा मूल्य लिया जाता है। एक किसान अपनी बंजर भूमि पर पौधरोपण हेतु अधिकतम 5,000 जेट्रोफा पौधे ले सकता है।

▪ निवेशकों हेतु भूमि आबंटन नीति

तेल उत्पादन करने वाले वृक्षों के (टीबीओ) रोपण तथा बायो–डीज़ल उत्पादन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी संगठनों को भूमि आबंटित करने की एक नवप्रवर्तनकारी नीति अपनाई है। इस नीति की प्रमुख विषेशताएं निम्नानुसार है :–

क) टीबीओ की खेती करने तथा बायो–डीज़ल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सरकारी बेकार भूमि किसी सरकारी संगठन को पट्टे पर दी जाएगी।
ख) पट्टाधारी टीबीओ खेती तथा कम्पनी द्वारा प्रबंधित बायो–डीज़ल आधारित प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें पट्टाधारी सरकारी संगठन के कम–से–कम 26 प्रतिशत शेयरधारी होंगे, प्राप्त कर सकता है।
ग) सरकारी व्यर्थ पड़ी भूमि आरंभ में 30 वर्ष हेतु आबंटित की जाएगी तथा इसका विस्तार अगले 10 वर्ष तक किया जा सकेगा।
घ) प्रति हेक्टेयर वार्षिक पट्टा लगान निम्नानुसार होगा

1 वर्ष	– 500 रु.
2 से 5 वर्ष	– 625 रु.
6 से 7 से	– 900 रु.
8 वर्ष और उससे आगे	– 1400 रु.

ङ) 5,000 रु. प्रति हेक्टेयर सुरक्षा जमा के रूप में भुगतान करना होगा जिसे परियोजना की पूर्णता के उपरांत बिना ब्याज से वापस लौटा दिया जाएगा।
च) यदि पट्टेदार को किसी प्रावधान, अधिनियम अथवा प्रवर्तित नियम अथवा पट्टे की शर्तों में बांधा जाता है तो पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा।

▪ टीबीओ की खरीद हेतु समर्थन मूल्य

यह सुनिश्चित करने के लिए जेट्रोफा रोपाई के लिए अपनी परती भूमि का प्रयोग करने वाले किसानों को अपने टीबीओ उत्पाद की उचित कीमत मिलें, राज्य सरकार ने इस हेतु समर्थन मूल्य की घोषणा की है। विभिन्न बीजों/तेल हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं :–

जेट्रोफा बीज	–	650 रु. प्रति क्विंटल
करंज बीज	–	550 रु. प्रति क्विंटल
जेट्रोफा/करंज तेल	–	18 रु. प्रति ली.

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को एजेंसी बनाया गया है जो कि राज्य भर में फैली अपनी 913 प्राथमिक फारेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से जेट्रोफा/करंज बीजों को प्राप्त कर रही है।

7.12 अब तक की गई प्रगति

सीबीडीए ने लागत युक्त अथवा नाम मात्र की आपूर्ति कीमत पर जेट्रोफा पौध प्रदान करते हुए किसानों की अप्रयुक्त भूमि पर जेट्रोफा रोपाई तथा साथ ही बड़ी मात्रा में बायो–डीज़ल प्रोसेसिंग यूनिटें स्थापित करने के अतिरिक्त सरकारी भूमि पर जेट्रोफा रोपाई हेतु निजी निवेश को आमंत्रित करने का कार्य संर्वाधित किया है।

अब तक की गई विभिन्न उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

- जेट्रोफा रोपण हेतु सरकारी बेकार /परती भूमि की पहचान की गई।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में कार्य बल का गठन।
- प्रदेश में विगत 03 वर्षों में लगभग 40 करोड़ रतनजोत पौध रोपण के सफल प्रयास व बीजों के संग्रहण की असीम संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए देश की कई नामी औद्योगिक इकाईंयों ने राज्य में बायोडीजल उत्पादन संयंत्र लगाने में रुचि दिखाई है। प्रदेश में बायोफ्यूल के क्षेत्र में समुचित विकास के लिए देश की प्रमुख तेल कम्पनियों इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ संयुक्त उपक्रम गठित किया गया है। इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के साथ गठित उपक्रम प्रथम चरण में रुपए 400 करोड़ का निवेश प्रदेश में करेगा। जबकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ गठित उपक्रम प्रथम चरण में रुपए 250 करोड़ का निवेश प्रदेश में करेगा। इन दोनों ही उपक्रमों में क्रेडा की भागीदारी 26 प्रतिशत है। ये उपक्रम प्रदेश में पूर्व से ही रोपित रतनजोत पौधों की उचित देखभाल करेंगे। प्रदेश की पड़त भूमि पर रतनजोत रोपण के साथ ही प्रदेश के किसानों की अनुपजाउ भूमि पर रतनजोत रोपण के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन उपक्रमों के द्वारा प्रदेश में बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित होने पर बहुत अधिक मात्रा में रतनजोत व करंज के साथ ही अन्य अखाद्य श्रेणी के बीजों का संग्रहण व क्रय प्रारम्भ हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार इस कार्यक्रम द्व ारा वर्ष 2011 तक प्रदेश में लगभग रुपए 04 हजार करोड़ की अतिरिक्त आय ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होगी।
- विभिन्न विभागों की नर्सरियों में 40 करोड़ जेट्रोफा पौध उगाई
- पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों से संबंधित एवं सरकारी लगभग 1,60,000 हेक्टेयर बंजर/पड़ती भूमि पर रतनजोत पौधे रोपित किये।
- जेट्रोफा उगाई हेतु 195 किसान प्रशिक्षणों का प्रबंध किया।
- बायोईंधन कार्यक्रम के लाभों के प्रति किसानों को संवेदी बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 800 से अधिक स्टेज–शो किए।
- रायपुर में 3 किलो लीटर/दिन क्षमता के बायो–डीज़ल संयंत्र की स्थापना की।
- करंज/जेट्रोफा बीजों तथा उनके तेल हेतु सरकारी समर्थन मूल्य की घोषणा की।
- 1.5 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जेट्रोफा/करंज तेलों तथा बायो–डीज़ल पर गुणवत्ता नियंत्रण रखने हेतु आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई।
- मुख्य–मंत्री का अधिकारिक वाहन भी शुद्ध बायो–डीज़ल पर चल रहा है।

7.13 राज्य को प्रक्षेपित सामाजिक आर्थिक लाभ

एक मिलियन हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र को वर्ष 2012 तक जेट्रोफा रोपण के तहत लाए जाने पर, राज्य को निम्नलिखित लाभ होंगेः–

- औसत 1 हेक्टेयर जेट्रोफा रोपण से 2 किलो लीटर बायो–डीज़ल मिलता है, प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रु. (25 रु. प्रतिलीटर की वर्तमान कीमत पर) मूल्य का लगभग 20 लाख टन बायो–डीज़ल उत्पादित किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में डीज़ल की वार्षिक खपत लगभग 8 लाख किलो लीटर है।

- 10 लाख हेक्टेयर पड़ती भूमि पर जेट्रोफा रोपण के लिए, गड्डे खोदने, पौधे लगाने, इंटर कल्चरल कार्यों तथा अन्य कृषि संबंधी कार्यों हेतु प्रथम 2 वर्षों में लगभग 3,000 लाख मानव दिवसों के शारीरिक श्रम की आवश्यकता होगी। इससे अकेले ही ग्रामीणों हेतु श्रमिक वेतन के रूप में लगभग 1,800 करोड़ रु. (वर्तमान श्रम दर के अनुसार) बनेंगे। बायो–डीज़ल बनाने हेतु तेल प्रसंस्करण के अतिरिक्त खेती–पश्चात् कार्यों के लिए शामिल शारीरिक श्रम इससे कहीं अधिक होगा।
- प्रस्तावित बड़े पैमाने पर जेट्रोफा रोपण वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खपत कर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अत्यधिक घटा देगा। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसरण में, यह राज्य को अत्यधिक उच्च स्तर के प्रदूषण वाले देशों से अंतर्राष्ट्रीय रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के व्यापार का अवसर प्रदान करेगा। औसतन एक हेक्टेयर जेट्रोफा रोपण वातावरण से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड खपत करता है और इस प्रकार एक मिलियन हेक्टेयर रोपण वातावरण से 10 मिलियन टन कार्बन–डाइऑक्साइड खपत करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 10 डॉलर प्रति टन के प्रचलित व्यापार दर के आधार पर भी

राज्य प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रूप से 450 करोड़ रु. मूल्य से अधिक तक कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापार करने की स्थिति में होगा।

- एक मिलियन हेक्टेयर की जेट्रोफा फसल के प्रसंस्करण द्वारा 20 लाख टन बायो–डीज़ल प्राप्त करने के अलावा कृषि क्षेत्र में प्रयोग हेतु प्रीमियम गुणवत्ता की 40 लाख टन बायो–खाद प्राप्त होगी। यह बायो–खाद (जिसमें 6 प्रतिशत नाइट्रोजन) मिट्टी को अत्यधिक आवश्यक प्रमुख तथा सूक्ष्म पोषण प्रदान करने के अतिरिक्त मिट्टी की ह्यूमस बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगी। यह मिट्टी की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए अत्यधिक आवश्यक है जो कि रसायनिक खादों के सतत इस्तेमाल के कारण असंतुलित होती जा रही है। इस बायो–खाद हेतु 2 रु. प्रति किलो ग्राम की नाम मात्र की लागत को ध्यान में रखते हुए भी इस प्रकार से उत्पादित बायो–खाद की कीमत 800 करोड़ रु. वार्षिक के लगभग होगी।

- बायोईंधन कार्यक्रम से होने वाले अन्य लाभों में समग्र पर्यावरणीय सुधार, बंजर भूमि का उन्नत मिट्टी उपजाऊपन, स्थानीय रूप से ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करना तथा वर्तमान में जीवाश्म ईंधन के परिवहन पर आने वाली बड़ी लागत को बचाना होगा। इसके अतिरिक्त, यह बड़े पैमाने पर रोपण तथा तेल निकालने वाली/ट्रांसएस्टरीफिकेशन यूनिटों की स्थापना के माध्यम से ग्राम स्तर पर अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

अध्याय – 8

भू–अभिलेख एवं भू–सुधार

राज्य में कृषि भूमि का क्षेत्रफल 55,80,537 हैक्टेयर गैर कृषि भूमि का क्षेत्रफल 18,54,133 हैक्टेयर है एवं कृषि भूमि के 46,79,222 खातेदार है जिसमें 24,63,000 लघु एवं सीमांत किसान हैं। वर्तमान कृषि संगणना के अनुसार राज्य में कुल 32.56 लाख कृशि जोते पाई गई। कुल जोतों का 75.52 प्रति त जोते 2.00 हेक्टर से कम पाई गई जबकि ऐसी जोतों के अधीन कुल जोतों का 34.41 प्रति त क्षेत्रफल पाया गया।

8.1 भू–अभिलेख एवं भू–सुधार विकास हेतु आबंटन एवं व्यय की प्रगति–

भू–अभिलेख एवं भू–सुधार की संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु बजट आबंटन एवं व्यय की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

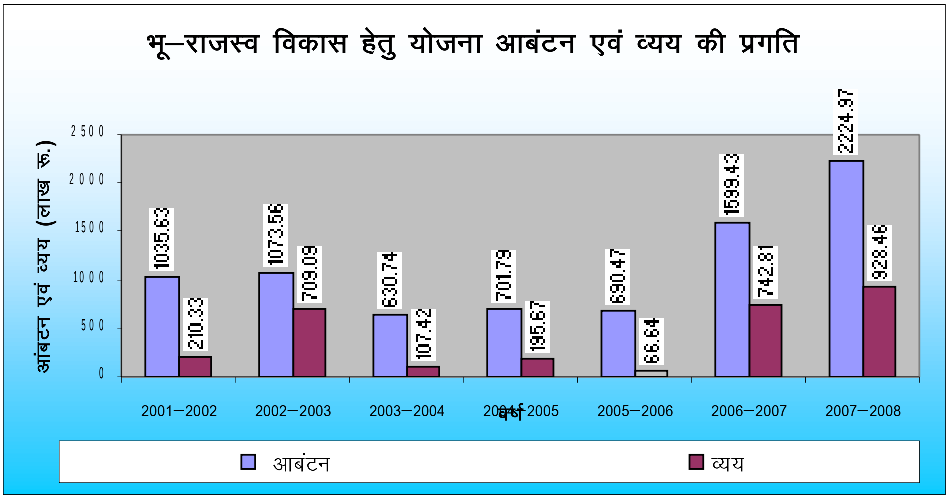

जिससे स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में प्राप्त आबंटन रू. 1035.63 लाख के विरूद्ध रू. 210.33 लाख व्यय किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर रू. 2224.97 लाख के विरूद्ध रू. 928.46 लाख हो गया ।

8.2 भू–अभिलेख एवं भू–सुधार हेतु संचालित योजनाएं

भू–अभिलेख एवं भू–सुधार के अंतर्गत राज्य में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है जैसे–

- **नवीन पटवारी हल्कों का गठन**– दो पंचायतों पर एक पटवारी हल्के का गठन किया गया है । राज्य में 4,906 पटवारी हल्के हैं। पटवारी कार्यालय सह आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

- **ऋण पुस्तकों का कम्प्यूट्रीकरण**– जनहित में खसरा बी–1 एवं नक ों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है ।

- भू–अभिलेखों का संधारण वैज्ञानिक पद्धति से करने एवं अभिलेखों के टेम्पर प्रूफ बनाने के उद्देश्य से भू–अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण योजना राज्य के 16 जिलों की समस्त तहसीलों में जिला प्रशासन के सहयोग से लागू की गई है।

- **प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल के अनुमान समय पर भेजना**– राज्य के कुल ग्रामों में से न्यायद र्ि पद्धति द्वारा चुने गये 20 प्रति त ग्रामों में गिरदावरी के प्राप्त परिणामों के आधार पर 18 प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान तैयार कर निर्धारित समय सीमा में केंद्र भाासन को भेजे जाते हैं।

- **हवाई सर्वेक्षण की योजना**– परम्परागत पद्धति से नक ाा तैयार करने की प्रक्रिया अधिक जटील, श्रमसाध्य एवं खर्चीली है जिसके विकल्प के रूप में स्थाई सर्वेक्षण को लिया गया है। जिला बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में हवाई सर्वे द्वारा फोटोग्राफी नक्शा तैयार किया जा रहा है।

- केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत कृषि संगणना योजना, पशु धन संगणना योजना तथा लघु सिंचाई संगणना योजना क्रियान्वित हैं। इन्हें वर्ष 2000–01 के भू–अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न कराया गया है तथा पशुधन संगणना प्रत्येक पॉच वर्ष में कराई जाती है ।

- **फसल बीमा** – इस योजना के अंतर्गत कृषकों की फसल हानि की क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा तथा प्रदेश में बोये जाने वाली फसलों के उत्पादन के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। राज्य में प्रमुख 18 खाद्य, अखाद्य फसले एवं फल भाजियों पर लगभग 12,500 प्रयोगों का आयोजन प्रति वर्श किया जा रहा है।

- **फसलों के पूर्वानुमान**– प्रतिवर्श राज्य की 44 फसलों के जिलेवार क्षेत्रफल उत्पादन के संबंध में 93 फसल पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं। यह समस्त पूर्व तिथियों में भारत भाासन व राज्य भाासन को भेजे जाते हैं।

- **फसल मौसम प्रतिवेदन**– प्रति सप्ताह सप्ताहन बुधवार को राज्य में मौसम फसल व प ु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन तैयार कर राजपत्र में प्रका ान हेतु भेजा जाता हैं।

- **वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी**– प्रतिवर्श वार्शिक कृशि सांख्यिकी सारणी तैयार कर भारत भाासन व राज्य भाासन को निर्धारित तिथि तक प्रकाि ात कर भेजी जाती है।

- **वर्षा संबंधी आंकड़े**– मानसून में वर्शा के जिलेवार वार्शिक, तहसीलवार साप्ताहिक तथा केन्द्रवार मासिक आंकड़े राज्य के समस्त 225 वर्शा मापी केन्द्रो से संकलित किये जाते हैं। तथा प्रतिवेदन तैयार कर विभिन्न कार्यालयों को भेजे जाते हैं।

- **भाव प्रतिवेदन**– राज्य की कृशि अर्थ व्यवस्था एवं नीति निर्धारण में कृशि पदार्थो के भावों के संकलन का वि ोश महत्व है। राज्य में आयुक्त भू–अभिलेख एक मात्र भाव संकलन प्राधिकारी है जो बाजार भाव के संकलन एवं प्रका ान के लिए उत्तरदायी है। मुख्यालय द्वारा दैनिक थोक भाव, साप्ताहिक थोक भाव, फुटकर भाव, प्रक्षेत्रीय भाव, ग्रामीण कृशि मजदूरी आदि के आंकड़े संकलित किये जाते हैं। राज्य के प्रमुख कृशि पदार्थो के प्रक्षेत्रीय भाव सूचकांक तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाते हैं।

- **पटवारियों के गिरदावरी कार्य की वैज्ञानिक जांच योजना**– प्रतिवर्श लगभग 1,000 ग्रामों का निरीक्षण राजस्व निरीक्षक तथा भू–अभिलेख अधिकारियों द्वारा किया जाकर उनका संकलन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता हैं।

- अधिकारियों को भू–अभिलेख संबंधी आधुनिक तकनीक व कानूनों से अवगत कराने तथा सर्वे का सैद्धांतिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण देने हेतु राज्य के जिला बिलासपुर में राजस्व निरीक्षण प्रशिक्षण शाला कार्यरत है।

- अति ोश घोशित भूमि का वितरण राज्य में पूर्ण हो गया है। सीलिंग एक्ट के अंतर्गत बंटित भूमि पर कृशिकों को कब्जा दिया जा चुका तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित 1379.056 हे. भूमि का निपटारा किया जाना है।

- छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110, 164, 165 (6), 166, 167, 168, 169, 170 ए एवं बी तथा 185 एवं 190 के तहत तथा सम्पत्ति अतंरण अधिनियम के अंतर्गत एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम अंतर्गत बेनामी हस्तान्तरण को पहचानने के लिए गाइड लाईन तैयार किये गये हैं।

- **राज्य में PESA एक्ट लागू किया गया है** एवं संविधान की 5 वीं अनुसूचि प्रावधानित है 46 ब्लाक में अनुसूचित जनजाति की बहुलता है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को भू–राजस्व सहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत भूमि के अंतरण का अधिकार प्रतिबंधित किया है। 165 (6) में उल्लंघन के अंतरण का परिवर्जन करने के लिए धारा 170 **"क" "ख"** प्रावधानित है ।

- सार्वजनिक उपयोग की भूमि के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1956 की धारा 237 के तहत नोईयत परिवर्तन का, गरीबों को भूमि बंटन/व्यवस्थापन की कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। जिसके तहत राज्य में गरीब कृषक, भूमिहीनों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों को भूमि पात्रता अनुसार 20 सूत्रीय समिति एवं तहसीलदारों के द्वारा पट्टा प्रदाय किया गया है।

अध्याय – 9

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास/अल्पसंख्यक

भारत के संविधान के अनुच्छेद – 46 में सौंपे गए कर्तव्य "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गो के ि ाक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए" संविधान के अनुच्छेद – 244 एवं संविधान के अनुच्छेद – 275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद – 164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप तथा संविधान की 5 वीं अनुसूची के अधिकारो और आदिवासी क्षेत्रों के हितो के संरक्षण के लिए अनेक विकास की योजनाओ का संचालन किया जा रहा है तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का राज्य में कियान्वयन एवं उसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है ।

9.1 राज्य में अनुसूचित जनजाति कल्याण

9.1.1 राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 66.16 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 31.76 प्रति ात है । भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजातियों/ जनजाति समूह हैं, जिसका विस्तृत विवरण परि ाश्ट – 04 पर दिया गया है ।

9.1.2 राज्य में वि ोश पिछड़ी जनजातियां

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में से 5 जनजातियों/ जनजाति समूह को वि ोश पिछड़ी जनजातिय माना गया है । ये वि ोश पिछड़ी जनजातियां है 1. अबुझमाड़िया 2. पहाड़ी कोरवा 3. बिरहोर 4. बैगा 5. कमार । छत्तीसगढ़ भाासन द्वारा पंडो को राज्य की ओर से वि ोश पिछड़ी जनजाति माना गया है ।

छत्तीसगढ़ की उपरोक्त 5 वि ोश पिछड़ी जनजातियां राज्य के 10 जिलो के 1161 गांवो में निवास करती ◁ 149 ▷
है। जिनके परिवारों की कुल संख्या जनगणना 2001 के अनुसार 24975 है तथा इनकी कुल जनसंख्या 114677 है जिसमें 57013 पुरूश तथा 48364 महिलाएं है ।

9.1.3 राज्य में अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 2, अनुभाग 3, उपअनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ के 9 जिले यथा सरगुजा, कोरिया, बस्तर, दंवेवाड़ा, कांकेर, कोरबा, ज ापुर, बीजापुर एवं नारायणपुर जिले संपूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत परिभाशित है जबकि अन्य 9 जिले आं ाक रूप से अनुसूचित रूप से भाामिल है। राज्य के 146 विकासखंडो में से 85 विकासखंड आदिवासी उपक्षेत्र के अंतर्गत आते है ।

छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल 135135 वर्ग कि.मी. है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल 81861.88 वर्ग कि.मी है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.57 प्रति ात होता है जबकि राज्य में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र 88000 वर्ग कि.मी. है । जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रति ात है ।

9.1.4 आदिवासी मंत्रणा परिशद एवं अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र योजना

राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में योजनाओं के कियान्वयन एवं निर्धारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आदिवासी मंत्रणा समिति का गठन किया गया है । समिति द्वारा नियमित रूप से बैठक की जाती है तथा अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए समय समय पर अपनी अनु ांसा राज्य भाासन को सौंपी जाती है ।

राज्य के आयोजना में आदिवासी मंत्रणा समिति की अनु ांसा के अनुरूप आदिवासी उपक्षेत्र योजना के लिए जनसंख्या के अनुपात 31.76 प्रति ात से अधिक 38 प्रति ात आयोजना मद की रा ि का प्रावधान बजट में किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ निर्माण के प चात् अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र योजना में बजट अनुमान में किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :–

तालिका क्रं. – 9.01

अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र योजना के लिए प्राप्त आबंटन

वर्श	प्राप्त आबंटन
2002-03	627.03
2003-04	1069.42
2004-05	1144.52
2005-06	1365.96
2006-07	1960.03
2007-08	2625.67
2008-09	3221.23

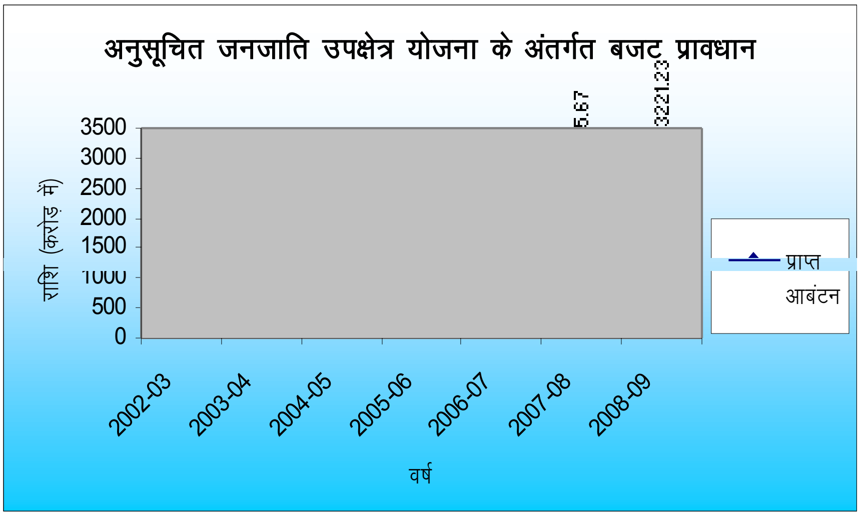

9.1.5 अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन की संरचना

9.1.5.1 आईटीडीपी (एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना)

राज्य में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं संचालित है । ये एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं निम्नलिखित है –

जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, बीजापुर, गरियाबंद, नगरी, डौंडीलोहारा, राजनांदगांव, अंबिकापुर, सूरजपुर, पाल, बैंकुठपुर, कोरबा, गौरेला, धरमजयगढ़, ज ापुर नगर ।

9.1.5.2 माडा पाकेट एवं लघु अंचल

राज्य में 09 माडा पाकेट निम्नलिखित है :–

1. बलोदाबजार
2. गंगरेल
3. महासमुंद – 1
4. महासमुंद – 2
5. नचनियां
6. कबीरधाम
7. रूकजा
8. गोपालपुर
9. सांरगढ़

राज्य में 02 लघु अंचल निम्नलिखित है :–

1. धुरीबंधा
2. बछेराभाटा

9.1.5.3 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्राप्त सहायता राि ा

अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त अधोसरंचना के उन्नयन हेतु विकास के कार्यो के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में एकमु त राि ा प्राप्त होती है साथ ही उससे किये जाने वाले कार्यो का विवरण प्राप्त होता है वर्श 2000–01 से लेकर वर्श 2004–05 तक भारत सरकार से रू. 112.54 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके विरूद्ध रू. 112.02 करोड़ का व्यय पूर्ण कर लिया गया था । वर्श 2005–06 से अब तक के प्राप्त राि ा एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्रं. – 9.02

वर्श	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2005-06	3479	3477.97
2006-07	3016.85	3016.73
2007-08	3090.44	2242.47

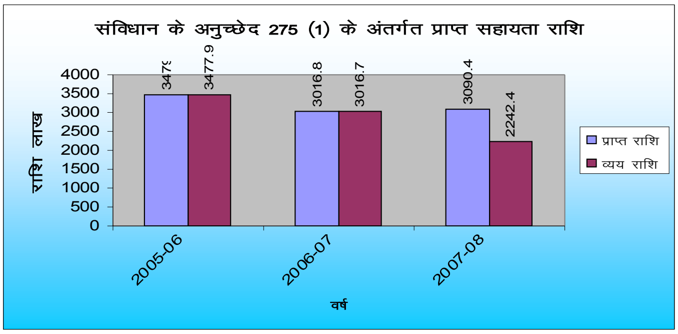

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्राप्त सहायता से लाभांवित हितग्राही

तालिका क्रं. – 9.03

वर्श	हितग्राही
2005-06	134382
2006-07	115759
2007-08	110762

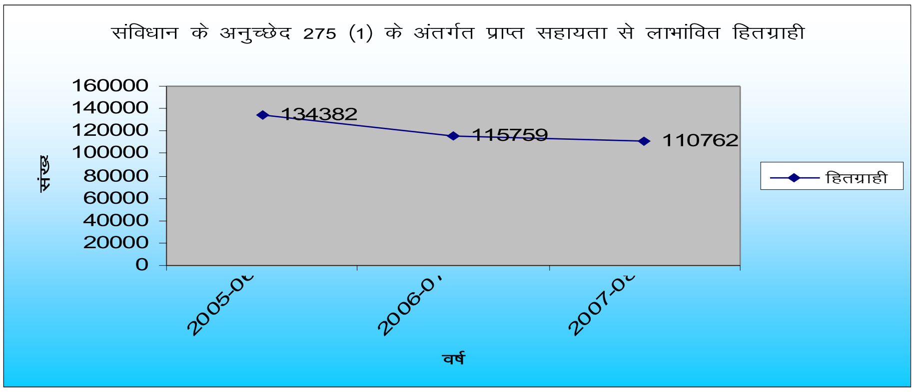

वित्तीय वर्श 2008–09 हेतु रू. 2896.43 लाख की कार्य योजना भारत सरकार को प्रेशित की गई । अब तक की उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

- 80 छात्रावास एवं आश्रम भवनों का निर्माण किया गया है ।
- 286 कि.मी. लंबी सड़क एवं 288 पुल पुलिया का निर्माण किया गया है।
- लघु सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है।

9.1.5.4 उपयोजना क्षेत्र के लिए वि ेश केन्द्रीय सहायता

भारत सरकार से अनुसूचित जनजाति उपक्षेत्र योजना को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त वि ेश केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका 70 प्रति त राजस्व व्यय एवं 30 प्रति त पूंजीगत व्यय के लिए खर्च की जाती है । यह सहायता प्रोत्साहन रा ि के रूप में प्राप्त होता है जिसका आधार विगत वर्श में किया गया व्यय एवं प्राप्त की गई उपलब्धि है । राज्य भाासन द्वारा एकमु त प्राप्त होने वाले वि ेश केन्द्रीय सहायता के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र में आर्थिक विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्श कार्ययोजना बनाकर भारत सरकार को भेजा जाता है । वर्श 2007–08 तक भारत सरकार से रू. 387.67 करोड़ रू. प्राप्त हुए तथा इसके विरूद्ध रू. 365.86 करोड़ का व्यय किया गया ।

तालिका क्रं. – 9.04

वर्श	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि
2000-01	3695.36	3620.73
2001-02	4626.18	4501.51
2002-03	4626.18	4177.85
2003-04	4405.12	4742.95
2004-05	5397.76	5654.98
2005-06	4641.08	4610.4
2006-07	5477.04	5446.36
2007-08	5898.78	3830.95

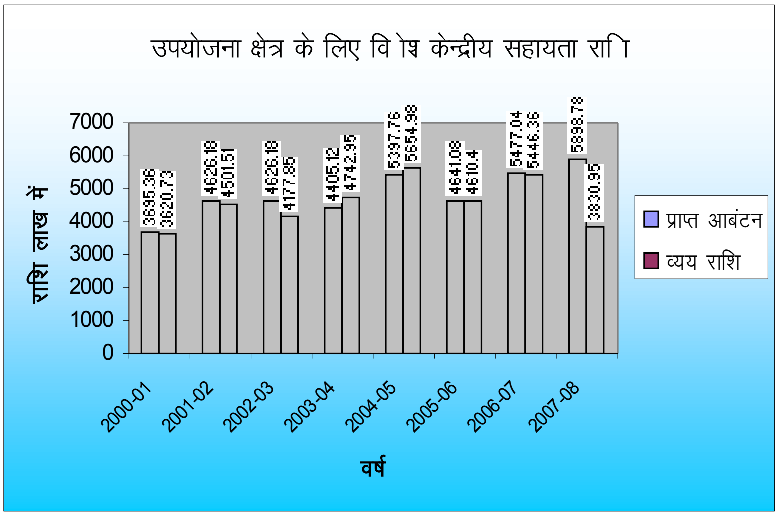

तालिका क्रं. – 9.05

लाभांवित हितग्राही

वर्श	हितग्राही
2005-06	42509
2006-07	55737
2007-08	57782

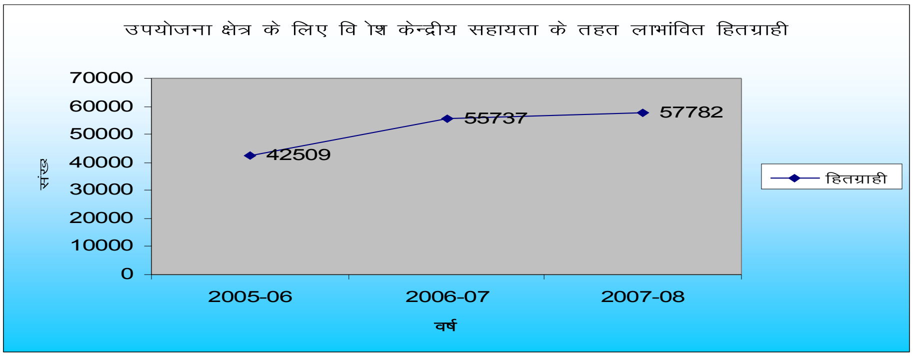

वित्तीय वर्श 2008–09 हेतु रू. 6839.00 लाख की कार्य भारत सरकार को योजना प्रेशित की गई है। वि ोश केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

- 24000 एकड़ भूमि का सुधार एवं समतलीकरण ।
- 1.00 लाख से ऊपर जनजातिय परिवारों को बीज, खाद, कीटनाशक एवं कृशि उपकरणों का प्रदाय ।
- 10000 एकड़ भूमि के लिए सिंचाई साधन का विकास ।
- हाथकरघा, बुनाई, ईट बनाना, बढ़ईगिरी, मिस्त्री प्रि ाक्षण, मछली पालन, म ारूम उत्पादन, जैविक खाद आदि के क्षेत्र में स्वरोजगार के कार्यक्रम के लिए व्यय ।

9.1.6 अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसत साक्षरता 64.70 % है, जिसमें पुरूश साक्षरता 77.40% तथा महिला साक्षरता 51.90% है, इसकी तुलना में जनजाति साक्षरता मात्र 52.01% है, जिसमें जनजाति पुरूश साक्षरता 60% तथा जनजाति महिला साक्षरता 39.30% है जो कि सामान्य साक्षरता से काफी कम है । आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं एवं अध्ययनरत विद्यार्थी की स्थिति निम्नानुसार है ।

क.	शालाए	संस्था	अध्ययनरत विद्यार्थी (लाख में)
1.	प्राथमिक भालाएं	13442	9.50
2.	माध्यमिक भालाएं	2590	3.50
3.	हाई स्कूल	404	1.40
4.	उ.मा.भा.	625	0.60
योग		17061	15.00

9.1.6.1 जनजाति साक्षरता (वर्श 2001)

जनगणना वर्श 2001 के आधार पर राज्य की औसत साक्षरता एवं जनजाति साक्षरता निम्नानुसार है :–

विवरण	साक्षरता %	जनजाति साक्षरता %
औसत	64.70	52.01
पुरूश	77.4	60.00
महिला	51.90	39.30

उपरोक्त आकड़ो से स्पश्ट है कि राज्य की औसत साक्षरता की तुलना में जनजाति साक्षरता का प्रति ात काफी कम है । जिसके लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा भौक्षणिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है ।

9.1.6.2 विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आश्रम

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास एवं आश्रम तथा उनमें सीट्स की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	संस्था	सीट्स
1.	छात्रावास	1544	53840
2.	आश्रम	1024	57665

वर्श 2008–09 में नवीन स्वीकृत आश्रम – 100, छात्रावास – 175

9.1.6.3 वि िश्ट शिक्षण संस्थाएं

आदर्श उ.मा.वि.	–	05
कन्या ि ाक्षा परिसर	–	05
खेल परिसर	–	12
गुरूकुल विद्यालय	–	01
एकलव्य आवासीय विद्यालय	–	08

9.1.6.4 आश्रम शालाएँ :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत अत्यन्त कम है। साक्षरता वृद्धि के दृष्टिकोण से आश्रम शालाएं कारगर सिद्ध हुई हैं। अतएव राज्य गठन के बाद बड़ी संख्या में आश्रम शालाएं स्थापित की हैं। वर्ष 2000–01 से वर्ष 2007–08 तक 508 नवीन आश्रम शालाएं खोली गई हैं, जिसमें 23,850 विद्यार्थियों के लिए रहने एवं अध्यापन की व्यवस्था है। राज्य गठन के बाद उत्तरोत्तर प्रगति को दर्शाने वाले आकड़े एवं दण्ड आरेख निम्नानुसार हैं :–

तालिका क्रं. – 9.06

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में संचालित संस्थाएं	वर्ष के दौरान स्वीकृत संस्थाएं	कुल संस्थाएं
2000–01	516	0	516
2001–02	516	0	516
2002–03	516	7	523
2003–04	523	206	729
2004–05	729	25	754
2005–06	754	27	781
2006–07	781	130	911
2007–08	911	113	1024

तालिका क्रं. – 9.07

आश्रम शालाएँ

वर्ष	कुल संस्थाएं
2000-01	516
2001-02	516
2002-03	523
2003-04	729
2004-05	754
2005-06	781
2006-07	911
2007-08	1024

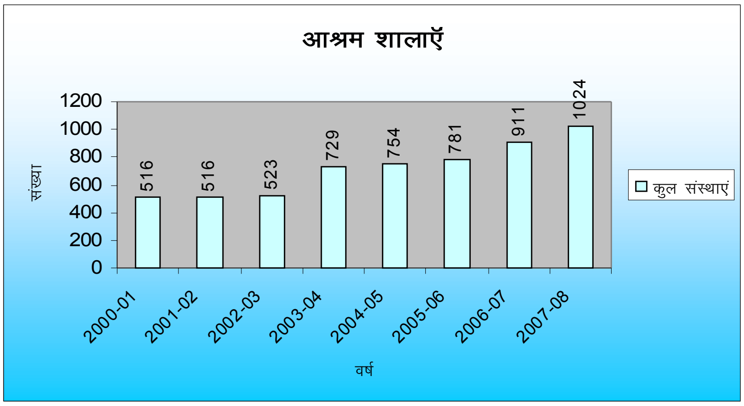

उपरोक्त दंड आरेख से स्पश्ट है कि वर्श 2000–01 में कुल आश्रम भाालाएं 516 थी तथा यह वर्श 2007–08 में लगभग दुगुनी होकर 1024 हो गई है ।

9.1.6.5 छात्रावास :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत अत्यन्त कम है । साक्षरता वृद्वि की दृष्टिकोण से छात्रावास कारगर सिद्ध हुई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में छात्रावासों का जाल फैलाया गया है। 2007–08 तक 556 नवीन छात्रावास स्थापित किए गए हैं, जिसमें 15,900 अतिरिक्त विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था हुई है। राज्य गठन के बाद उत्तरोत्तर प्रगति को दर्शाने वाले आकड़े एवं दण्ड आरेख निम्नानुसार हैं :–

तालिका क्रं. – 9.08

वर्ष	वर्ष के पूर्व संचालित संस्थाएं	वर्ष के दौरान स्वीकृत संस्थाएं	कुल संस्थाएं
2000–01	994	0	994
2001–02	994	0	994
2002–03	994	09	1003
2003–04	1003	58	1061
2004–05	1061	0	1061
2005–06	1061	54	1115
2006–07	1115	142	1257
2007–08	1257	293	1550

तालिका क्रं. – 9.09

छात्रावास

वर्ष	कुल संस्थाएं
2000-01	994
2001-02	994
2002-03	1003
2003-04	1061
2004-05	1061
2005-06	1115
2006-07	1257
2007-08	1550

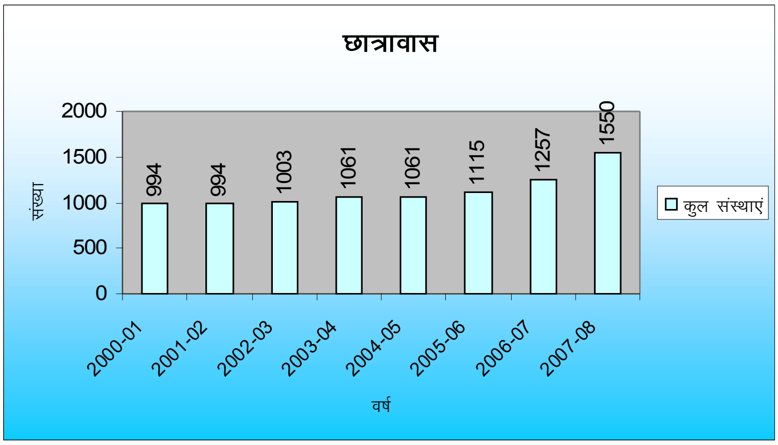

उपरोक्त दंड आरेख से स्पश्ट है कि वर्श 2000–01 में कुल 994 छात्रावास थी तथा यह प्रतिवर्श बढ़ते हुए 2007–08 में 1550 हो गई है ।

- राजधानी मुख्यालय रायपुर में 500 सीटर सर्वसुविधा युक्त महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास खोला गया है जिसमें 350 अनुसूचित जनजाति की छात्राएँ रह सकेंगी । प्रथम चरण में 300 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है ।

9.1.6.6 हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय : –

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत कम है । साक्षरता वृद्धि की दृष्टिकोण से एवं शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु राज्य गठन के बाद बड़ी संख्या में हाई स्कूल/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित की गई है । 2007–08 तक 320 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल तथा 199 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किया गया है । राज्य गठन के बाद उत्तरोत्तर प्रगति को दर्शाने वाले ऑकड़े एवं दण्ड आरेख निम्नानुसार हैं :–

तालिका क्रं. – 9.10

हाई स्कूल/ उ.मा.वि.

वर्ष	हाई स्कूल / उ0मा0वि0
2000–01	618
2001–02	618
2002–03	618
2003–04	619
2004–05	620
2005–06	656
2006–07	787
2007–08	938

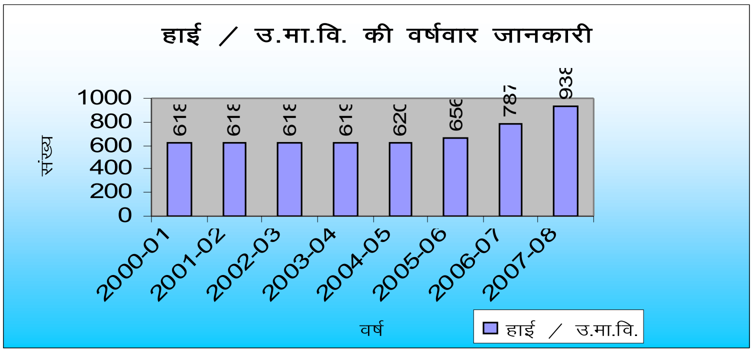

9.1.6.7 छात्रावास तथा आश्रम भवन :–

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2000–01 से वर्ष 2007–08 में स्वीकृत नये भवनों का विवरण इस प्रकार है :–

तालिका क्रं. – 9.11

वर्श	**छात्रावास**			**आश्रम**		
	अनु0ज0जा0	अ0जा0	योग	अनु0ज0जा0	अ0जा0	योग
2000–01	02	16	18	45	–	45
2001–02	01	–	01	–	–	–
2002–03	46	41	87	37	01	38
2003–04	58	–	58	50	–	50
2004–05	11	02	13	01	–	01
2005–06	–	–	–	70	12	82
2006–07	25	04	29	24	–	24
2007–08	51	58	109	170	17	187
योग	**194**	**121**	**315**	**397**	**30**	**427**

9.1.6.8 सरस्वती सायकल प्रदाय योजना :–

छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के शिक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रयासरत हैं। हाईस्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल वर्ष 2004–05 से वितरित की जा रही है। वर्ष 2006–07 से विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को भी सायकिल वितरित की जा रही है। वर्ष 2007–08 तक 48000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना के प्रारंभ होने से हाईस्कूल की इस वर्ग की दर्ज संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 से पिछड़ी जाति एवं अन्य वर्ग की ऐसी बालिकाओं को भी सायकिल प्रदान की जा रही है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हैं, इससे 7550 छात्राएँ लाभान्वित हुई है । योजना के प्रारभ से वर्ष 2007–08 तक रू. 1659.12 लाख व्यय कर 75,000 छात्राओं को सायकल वितरण किया गया है।

तालिका क्रं. – 9.12

वर्ष	व्यय राशि
2004-05	262.75
2005-06	202.27
2006-07	581.16
2007-08	536.65

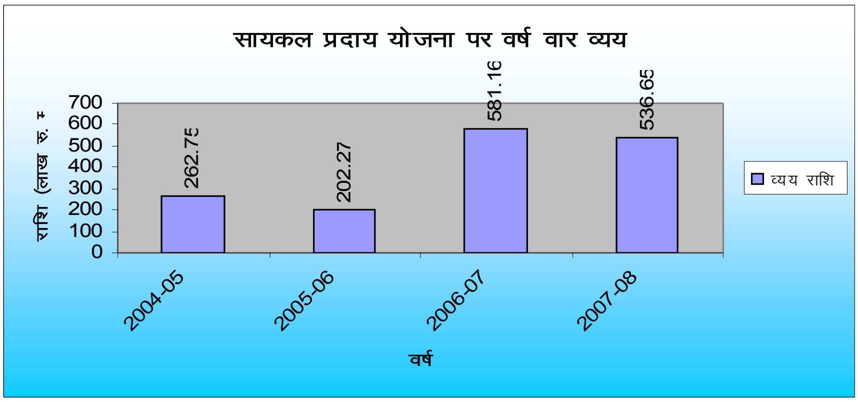

तालिका क्रं. – 9.13
सायकल प्रदाय योजना से लाभांवित छात्राएं

वर्ष	सायकल प्रदाय
2004-05	15549
2005-06	19050
2006-07	14551
2007-08	25076

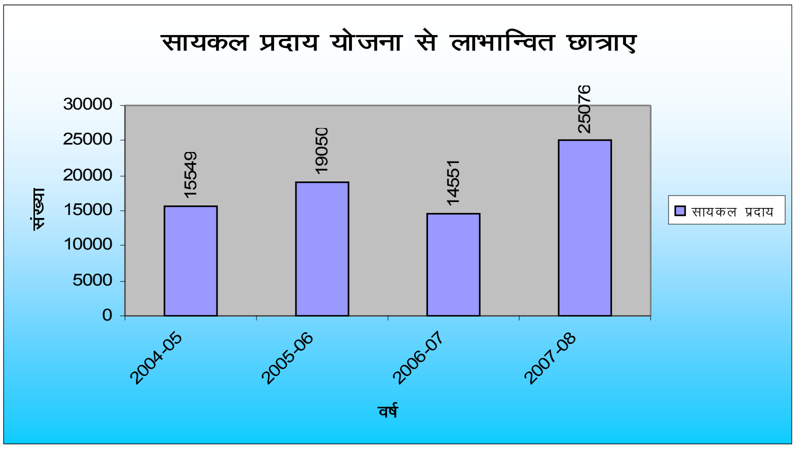

9.1.6.9 पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय :–

कक्षा 1ली से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तके **सर्व ि ाक्षा अभियान** के माध्यम से प्राप्त हो रही है। विभाग द्वारा विभागीय संस्थाओं में अध्ययनरत् हाईस्कूल की समस्त बालिकाओं को पाठ्य पुस्तके वितरित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गई है। इस योजना से प्रतिवर्ष 14,55,000 से भी अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है ।

तालिका क्रं. – 9.14

पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय व्यय की जानकारी

वर्ष	व्यय राशि
2005-06	20.10
2006-07	54.63
2007-08	148.00

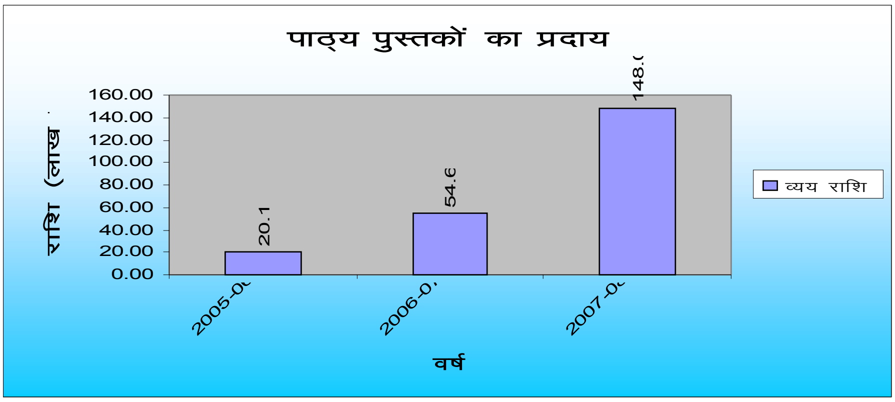

तालिका क्रं. – 9.15

पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय लाभांवित छात्र

पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय लाभांवित छात्र

वर्ष	लाभान्वित विद्यार्थी
2005-06	16297
2006-07	80893
2007-08	87464

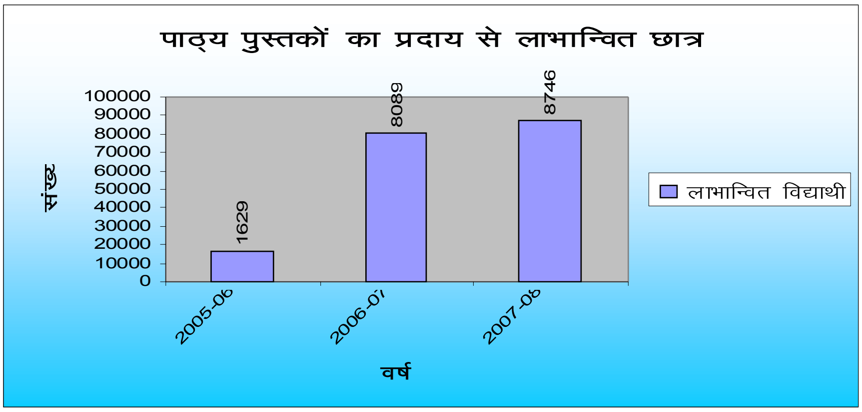

9.1.6.10 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :–

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति विद्यार्थियों में से प्रत्येक स्तर पर 350 अनुसूचित जन जाति एवं 150 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का चयन कर प्रत्येक को अपने रू. 10000 का पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र वितरित किया जा रहा है। अब सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई. बोर्ड के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे।

9.1.6.11 विशेष कोचिंग केन्द्र :–

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को कठिन विषयों जैसे विज्ञान, अंग्रेजी एवं गणित विषयों में शाला समय के बाद अथवा पूर्व छात्रावास में कोचिंग दी जाती है। जिससे उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार हो एवं परीक्षा परिणाम में सुधार हो। यह योजना वर्ष 2006–07 से संचालित है। योजना प्रारंभ वर्ष से अब तक कुल 222.99 लाख व्यय कर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को कोचिंग प्रदान किया गया है ।

तालिका क्रं. – 9.16

विशेष कोचिंग केन्द्र

विशेष कोचिंग केन्द्र

वर्ष	व्यय राशि (लाख में)
2005-06	32.2
2006-07	71.08
2007-08	119.71

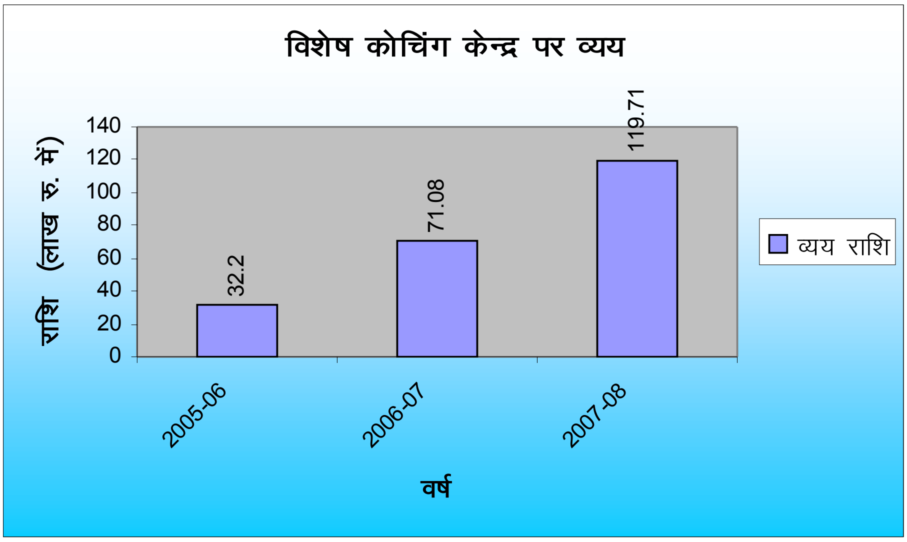

तालिका क्रं. – 9.17

विशेष कोचिंग केन्द से लाभांवित छात्र

विशेष कोचिंग केन्द से लाभांवित छात्र

वर्ष	लाभान्वित छात्र
2005-06	0
2006-07	27425
2007-08	26457

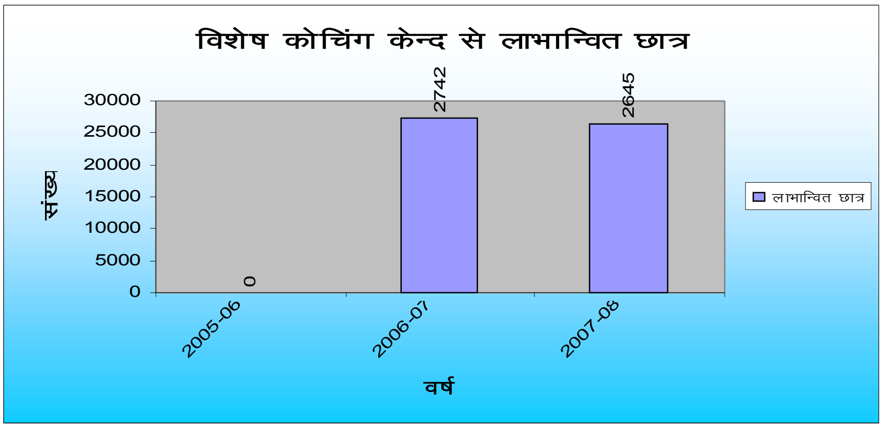

9.1.6.12 छात्र भोजन सहाय योजना :–

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह 200 रूपये की दर से 10 माह हेतु वि ोष सहायता रा ि उपलब्ध कराया जा रहा है । योजना का उद्दे य पोष्टिक भोजन हेतु सहायता देना है। यह योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है । योजनान्तर्गत अब तक कुल 324.88 लाख व्यय किया जा कर 19408 छात्रों को लाभान्वित किया गया है । छात्र भोजन सहाय योजना के अंतर्गत वर्शवार व्यय की गई जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्रं. – 9.18

छात्र भोजन सहाय योजना

छात्र भोजन सहाय योजना

वर्ष	व्यय राशि
2005-06	22.67
2006-07	143.28
2007-08	158.93

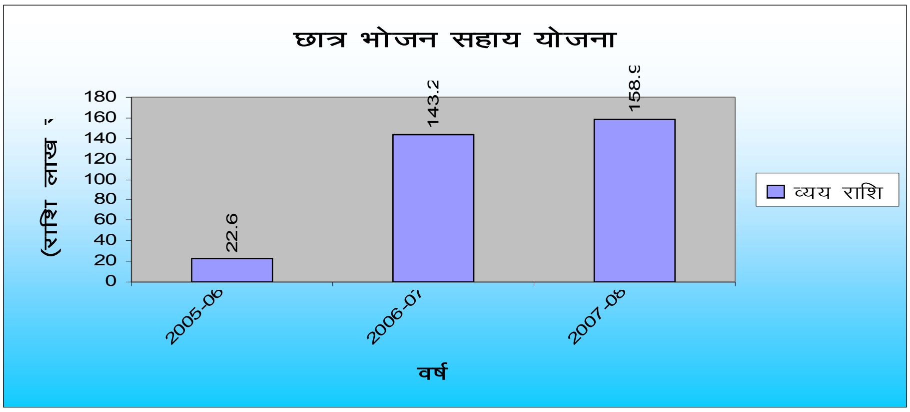

छात्र भोजन सहाय योजना से वर्शवार लाभांवित छात्र निम्नानुसार है –

तालिका क्रं. – 9.19

छात्र भोजन सहाय योजना से लाभांवित छात्र

छात्र भोजन सहाय योजना से लाभांवित छात्र

वर्ष	लाभांवित छात्र
2005-06	1576
2006-07	9959
2007-08	7873

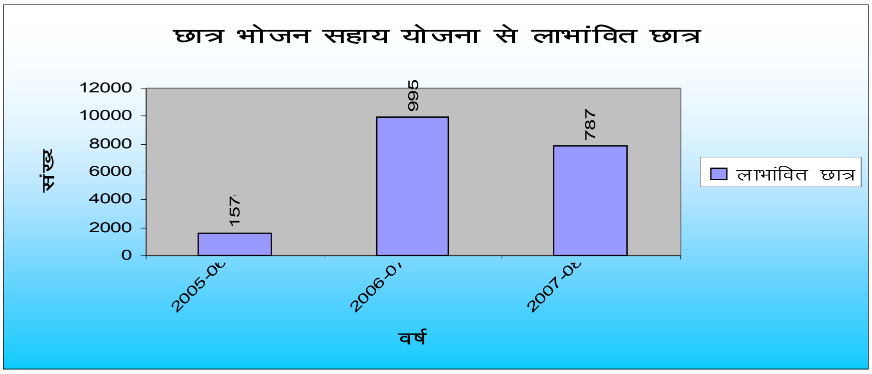

9.1.6.13 कम्प्यूटर ि ाक्षा योजना :–

वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का है। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास में ही कम्प्यूटर का ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। वर्ष 2007–08 में इस योजना से 550 छात्रावासों के 15000 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए है।

9.1.6.14 आदर्श शाला पुरस्कार योजना :–

इस योजना के उद्देश्य हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यायलयों में स्वस्थ्य शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है । जिस्से विद्यालयों में सर्वागीण शैक्षिक परिदृश्य में सुधार हो तथा विद्यालयों में अन्य वर्गो के विद्यार्थियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गो के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो सकें। यह योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है योजना प्रारंभ से अब तक योजना अन्तर्गत रू. 12.52 लाख व्यय कर 06 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है ।

9.1.6.15 आदर्श शाला शिक्षक पुरस्कार :-

स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं के शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट परिणाम देने, अनुशासन नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिमान स्थापित करने के आधार पर आदर्श शिक्षक चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाना है यह योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गई है । योजना प्रारंभ से अब तक रूपये 13.86 लाख व्यय कर 115 शिक्षकों को पुस्कृत किया गया हैं ।

9.1.6.16 स्वस्थ तन–स्वस्थ मन योजना :-

छात्रावास/आश्रमों में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों का स्वस्थ्य परीक्षण योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा माह में दो बार किया जायेगा।

9.1.7 आर्थिक विकास

9.1.7.1 एयर होस्टेज एवं पायलट प्रशिक्षण :-

एयर होस्टेज सेवा में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य में है। इस क्षेत्र में सेवा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जनजाति की युवतियों को एयर होस्टेज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में 27 युवतियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। योजना अंतर्गत निः ुल्क प्रि ाक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति की 20 युवतियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना है । चयन प्रक्रिया जारी है ।

इसी तरह वायुयान पायलट जैसी प्रतिष्ठापूर्ण एवं उच्च वेतन वाली सेवाओं में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों की संख्या लगभग शून्य है। अतएव कि इन वर्गों के 3–3 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष पायलट प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है । वर्ष 2007–08 में प्रत्येक वर्ग से 3–3 व्यक्तियों का चयन कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है । यह प्रशिक्षण साई फ्लाइटेट एविएशन प्रा0लि0 द्वारा चकरभाठा, बिलासपुर में दिया जा रहा है ।

9.1.7.2 युवा कैरियर निर्माण योजना :-

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु वि ोष कोंचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठत प्रि ाक्षण संस्थान का चयन करके रायपुर एवं बिलासपुर में प्रि ाक्षण दिलाया जा रहा है। इस योजना का पिछड़ा वर्गों के लिए भी विस्तार किया जा रहा है।

9.1.7.3 विश्व खाद्य कार्यक्रम :-

वि व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ज ापुर एवं सरगुजा में इसके अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला स्तर से शाला स्तर तक सामग्री के भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्था की जा रही है । वर्ष 2007–08 तक इस योजनान्तर्गत रू. 250.47 लाख व्यय किया गया है ।

9.1.8 सांस्कृतिक एवं अन्य विकास

9.1.8.1 आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :-

आदिवासी सांस्कृतिक दलों को वाद्य उपकरण, वेशभूषा आदि के लिए 10000/– रू. तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। योजना में अब तक 1279 सांस्कृतिक दलों को सहायता दी जा चुकी है।

9.1.8.2 लोक कला महोत्सव :-

प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को भाहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके जन्म स्थान सोनाखान ग्राम में ''आदिवासी लोक कला महोत्सव'' का आयोजन किया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोककला दलों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

इसी तरह गुरूघासी दास लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष माह दिसम्बर में किया जाता है। इस आयोजन में भी अनुसूचित जाति लोक नृत्य यथा पंथी नृत्य, चौका नृत्य की प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दलों को पुरस्कृत किया जाता है।

तालिका क्रं. – 9.20
लोक कला महोत्सव व्यय की जानकारी

लोक कला महोत्सव व्यय की जानकारी

वर्ष	व्यय राशि
2002-03	11
2003-04	1.78
2004-05	5
2005-06	13.7
2006-07	12.98
2007-08	15

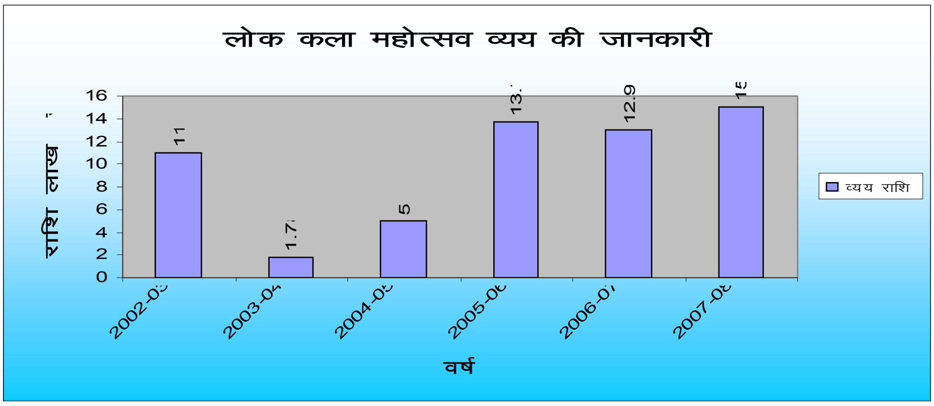

9.1.8.3 स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान :–

अनुसूचित जनजाति के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था को प्रतिवर्श दो लाख रूपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2007–08 में प्रगति गोंडवाना महिला समाज नेहरू नगर, भिलाई को सम्मानित किया गया है।

9.1.8.4 देवगुड़ी विकास योजनाः–

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामो में स्थित देवस्थल के विकास हेतु इस योजना में प्रत्येक ग्राम को 10000/– रू. की राि ा प्रदाय की जा रहा है। यह योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ है। इस येाजना से 4800 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है ग्रामों का चयन जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाता है।

9.1.8.5 सोनाखान का समन्वित विकास :–

छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीरनारायण सिंह की जन्म स्थली ग्राम सोनाखान के विकास के लिए वर्ष 2004–05 में यह योजना प्रारंभ की गई है। इस ग्राम के विकास पर रू. 7.36 करोड़ का व्यय किया गया है। इसके अन्तर्गत ग्राम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एवं अन्य विकास कार्य कराए गए हैं।

9.1.9 वन ग्रामों का विकास :–

योजना अन्तर्गत 396 वन ग्रामों के आवागमन के साधनों और आजीविका कार्यो में सुधार किया गया है । यह योजना वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गई । मार्च 2007 तक रूपये 9029.37 लाख व्यय कर 15697 परिवारों को लाभांन्वित किया गया है । वर्शवार व्यय की गयी राि ा का विवरण एवं विकास की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्रं. – 9.21
वनग्रामों का विकास

वनग्रामों का विकास

वर्ष	व्यय राशि
2005-06	4359
2006-07	2338.67
2007-08	2331.7

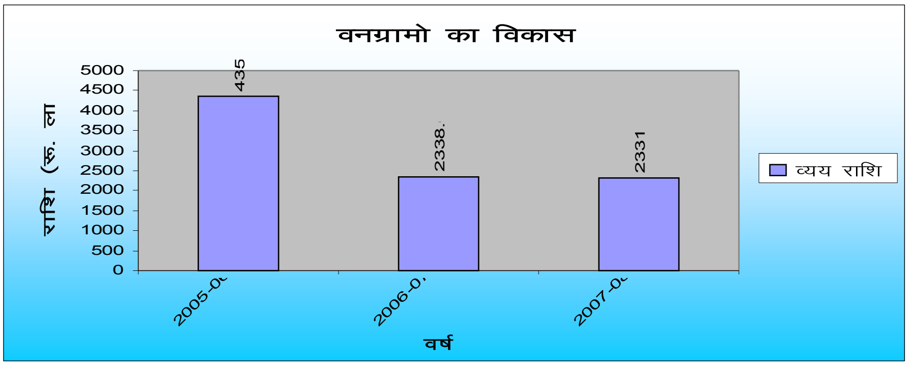

तालिका क्रं. – 9.22

वनग्रामों का विकास कार्यो की जानकारी

वनग्रामों का विकास कार्यो की जानकारी

वर्ष	कार्य
2005-06	3454
2006-07	61
2007-08	2806

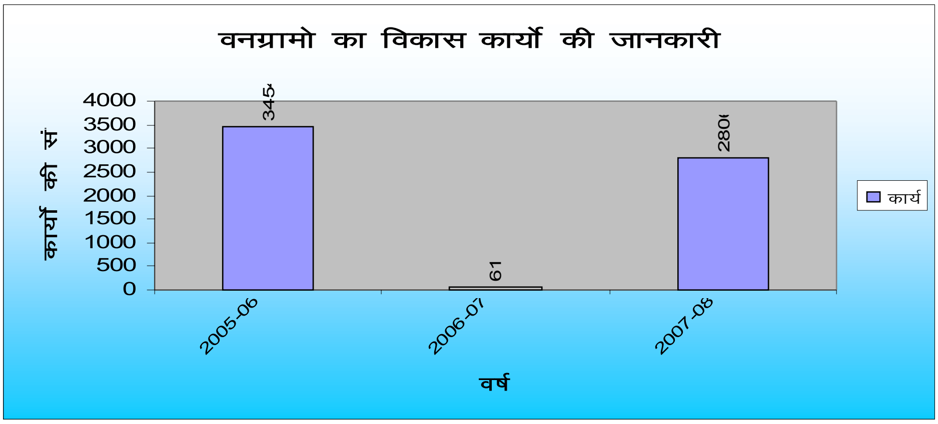

तालिका क्रं. – 9.23

वनग्रामों के विकास की योजना की प्रगति मार्च 2008 तक :–

तालिका क्रं. – 9.23

(राशि – करोड़ में)

क्र.	वृत का नाम	वनग्राम	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय
1	सरगुजा	20	212	2.98	2.88
2	बिलासपुर	54	897	12.60	9.71
3	रायपुर	171	1734	41.23	37.26
4	दुर्ग	28	209	9.60	4.30
5	कांकेर	45	586	7.14	6.54
6	जगदलपुर	96	1875	16.67	4.92
	योग	414	5517	90.24	65.67

स्वीकृत कार्य योजना के अंतर्गत वनग्रामों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गये :–

तालिका क्रं. – 9.24

क्र.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या
1.	सेलर लाईट/पम्प की स्थापना	98
2.	स्टाप डेम का निर्माण	124
3.	डब्ल्यू. बी. एम. वन मार्ग का निर्माण	49.60
4.	पहुंच मार्गों का उन्नयन	366.80
5.	पुल–पुलिया एवं रपटे का निर्माण	466
6.	आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	27
7.	ग्रामीण तलाबों के घाट निर्माण	4
8.	ट्यूब–बेल्स	209
9.	हेण्ड पम्प	198
10.	सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण	58.85
11.	तालाबों का गहरीकरण	360
12.	सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण	178.55
13.	सामुदायिक भवनों का निर्माण	126
14.	कुंए का निर्माण	36
15.	बायोगैस संयत्र	210
16.	जल आपूर्ति	22
17.	उद्वहन सिंचाई योजना	7
18.	स्कूल भवन	45

19.	स्वास्थ्य ि ाविरों का आयोजन	282
20.	पौधा रोपण	28
21.	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	2

9.1.10 आदिवासी समितियों को अनुदान (IFAD)

बाह्य सहायता से राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगो के विकास के लिए समितियों के माध्यम से विभिन्न विकास के कार्य कराये जा रहे है ।

9.1.11 अन्य जनजाति एवं क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण

राज्य में छह वि ोश पिछड़ी जनजातियॉ घोशित की गई है । जिलेवार उनके परिवार एवं जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	जनजाति	जिला तह.	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1.	अबुझमाड़िया	बस्तर एवं दंतेवाड़ा (जिला)	152	3895	19,401
		नारायणपुर (तह.)	8		
		बीजापुर (तह.)	41		
		योग	**201**	**3895**	**19,401**
2.	बैगा	कवर्धा (जिला)	229	6319	29,612
		बिलासपुर (जिला)	62	2828	13,226
		योग	**291**	**9147**	**42,838**
3.	पहाड़ी कोरवा	ज ापुर (जिला)	88	2450	10,725
		अंबिकापुर (जिला)	260	4571	20,630
		कोरबा (जिला)	26	541	2,025
		योग	**374**	**7562**	**33,380**
4	बिरहोर	ज ापुर (जिला)	11	110	401
		रायगढ़	21	194	704
		योग	**32**	**304**	**1,105**
5	कमार	रायपुर (जिला)	182	2954	13,797
		धमतरी (जिला)	81	908	3,962
		योग	**263**	**3862**	**17,759**
		महायोग	**1161**	**24770**	**1,14,483**

- वर्तमान पंचवर्षीय योजना के लिए रू. 81.75 करोड़ की योजना तैयार की गयी है ।

- भात प्रति ात वि ोश पिछड़ी जनजातिय परिवार को वर्श 2009–10 तक आवास उपलब्ध कराने हेतु रू. 30.00 करोड़ उपलब्ध करा दिया गया है ।

9.1.12 पंडो विकास अभिकरण :–

सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वांगीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय अंबिकापुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य लिए जाते हैं। यह योजना वर्ष 2002–03 से प्रारंभ है । अब तक 171 कार्यो के लिए रू. 250.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

तालिका क्रं. – 9.25

पंडो विकास अभिकरण व्यय की जानकारी

पंडो विकास अभिकरण व्यय की जानकारी

वर्ष	व्यय राशि (लाख में)
2003-04	20
2004-05	80
2005-06	50
2006-07	50
2007-08	50

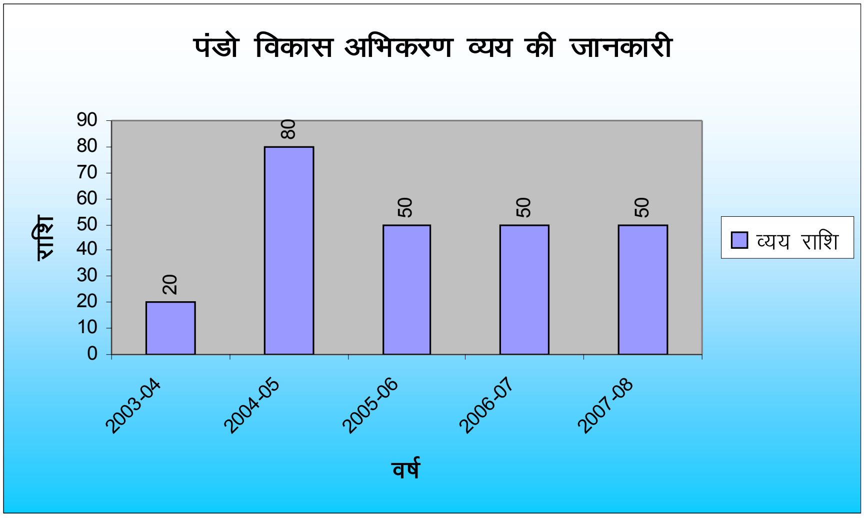

तालिका क्रं. – 9.26

पंडो विकास अभिकरण कार्यो की जानकारी

पंडो विकास अभिकरण कार्यो की जानकारी

वर्ष	कार्य
2003-04	7
2004-05	43
2005-06	42
2006-07	43
2007-08	42

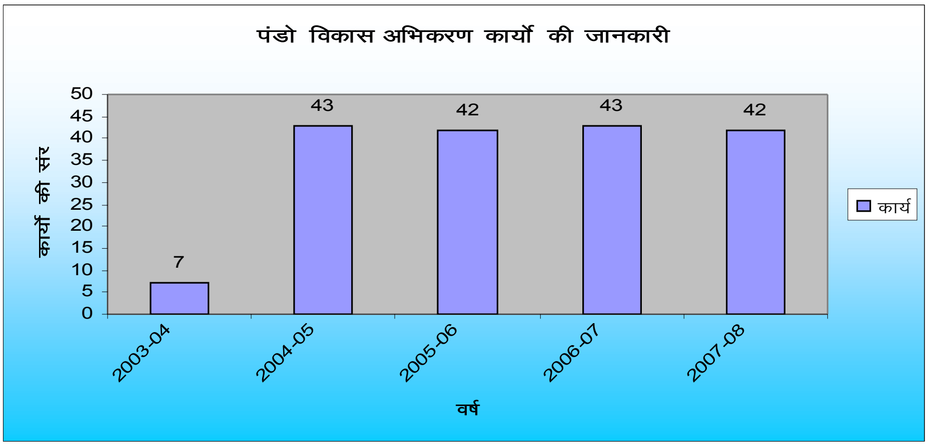

9.1.13 भुजिया विकास अभिकरण की स्थापना :–

राज्य के रायपुर, धमतरी एवं महासमुन्द जिले के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डों में निवासरत भुजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से भुजिया जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य लिए जा रहे हैं। यह योजना वर्ष 2002–03 से प्रारंभ है तथा अब तक 128 कार्यो के लिए रू. 230.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तालिका क्रं. – 9.27

भुजिया विकास अभिकरण की स्थापना

भुजिया विकास अभिकरण की स्थापना

वर्ष	व्यय राशि (लाख में)
2003-04	30
2004-05	50
2005-06	50
2006-07	50
2007-08	50

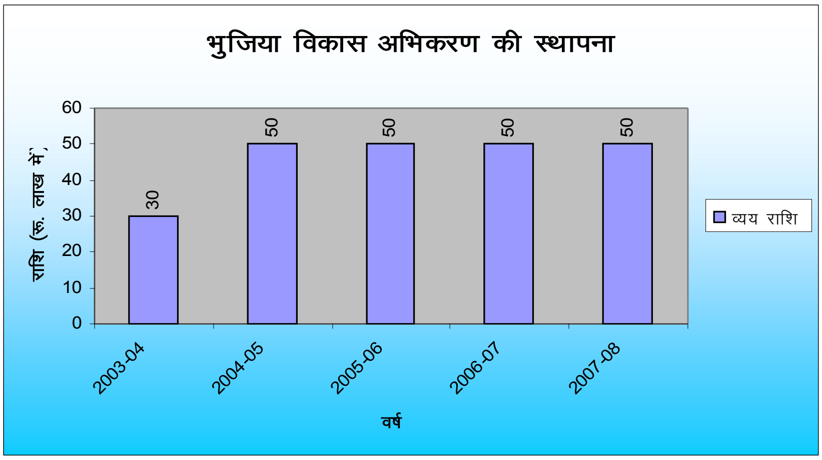

तालिका क्रं. – 9.28

भुजिया विकास अभिकरण कार्यो की जानकारी

भुजिया विकास अभिकरण कार्यो की जानकारी

वर्ष	कार्य
2003-04	7
2004-05	43
2005-06	42
2006-07	43
2007-08	42

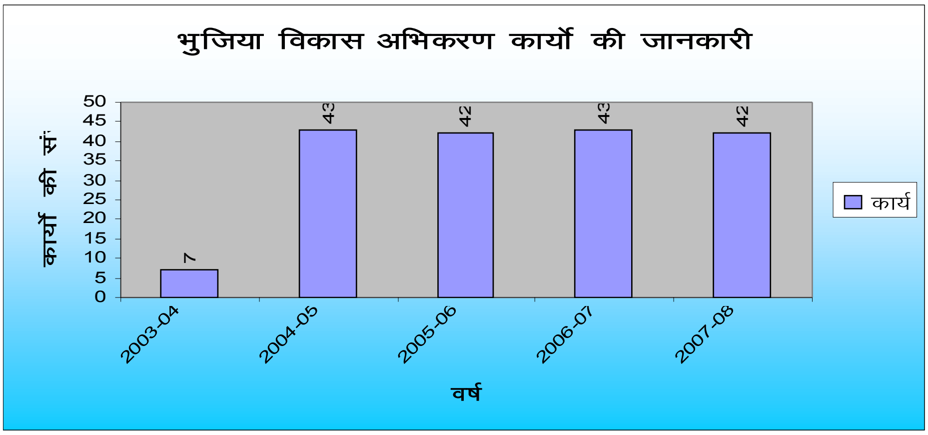

9.1.14 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण :–

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र सामान्य क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में आवागमन एवं अन्य सुविधा मुहैया कराने के लिए वर्ष 2004–05 से बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण में दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर जिले तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना धमतरी, गरियाबन्द, डौण्डी लोहारा एवं राजनांदगांव सम्मिलित हैं। प्राधिकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान बजट में किया जा रहा है। प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय आवश्यकता के विकास कार्य सुगमता से स्वीकृत किए जाकर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 तक रू. 90.17 करोड़ के 13939 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

तालिका क्रं. – 9.29

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण

वर्ष	व्यय राशि
2004-05	1241.83
2005-06	2350.5
2006-07	2608.24
2007-08	2816.73

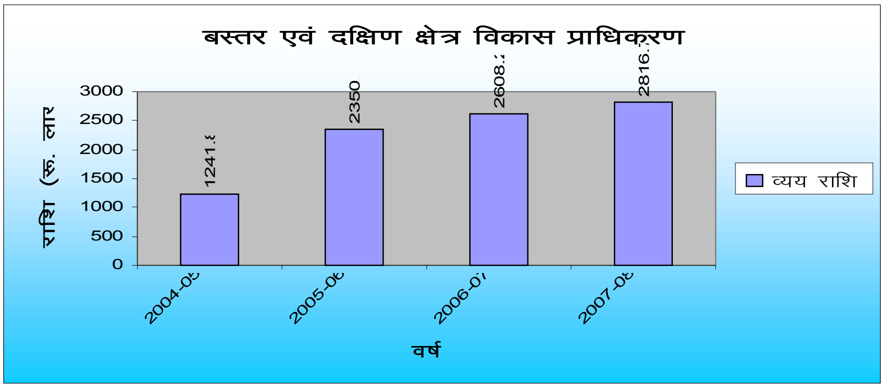

तालिका क्रं. – 9.30

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यो की जानकारी

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यो की जानकारी

वर्ष	कार्य
2004-05	195
2005-06	553
2006-07	12205
2007-08	986

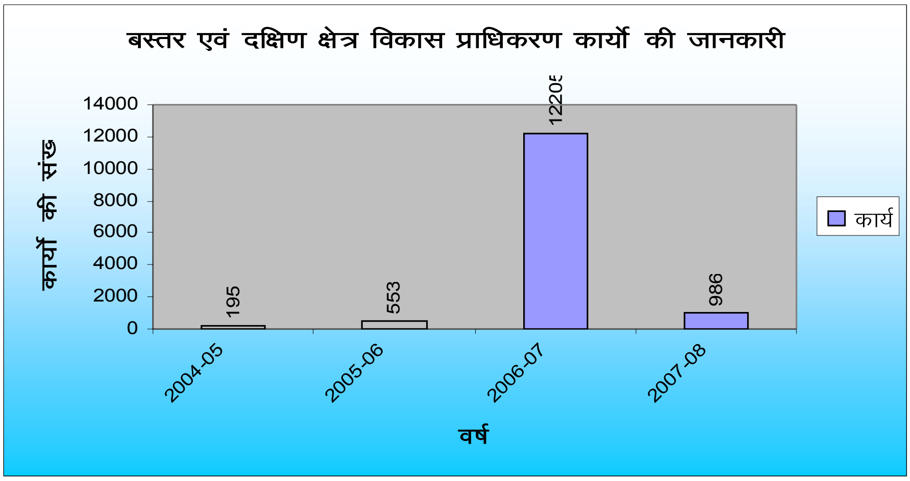

9.1.15 सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण :–

सरगुजा, कोरिया, जशपुर, कोरबा जिले एवं एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गौरेला, धरमजयगढ़ को सम्मिलित करते हुए सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के अन्तर्गत रू. 93.40 करोड़ के 2103 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

तालिका क्रं. – 9.31

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

वर्ष	व्यय राशि
2004-05	1300
2005-06	2391.86
2006-07	3459.92
2007-08	3187.97

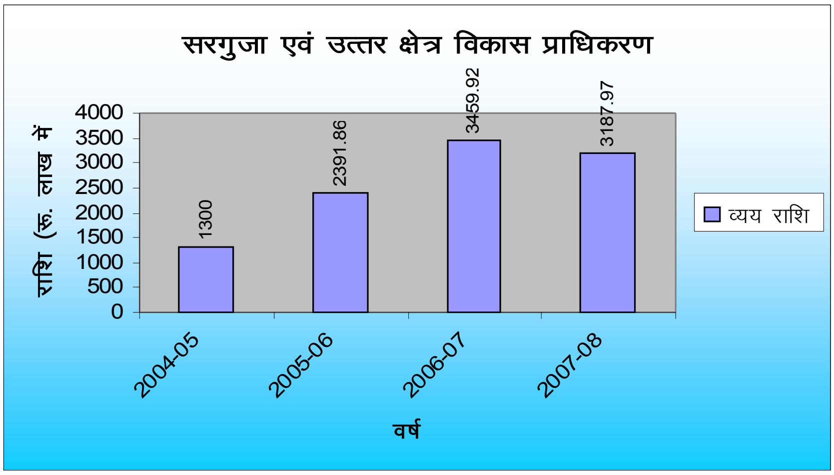

तालिका क्रं. – 9.32

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यो की जानकारी

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यो की जानकारी

वर्ष	कार्य
2004-05	195
2005-06	553
2006-07	12205
2007-08	986

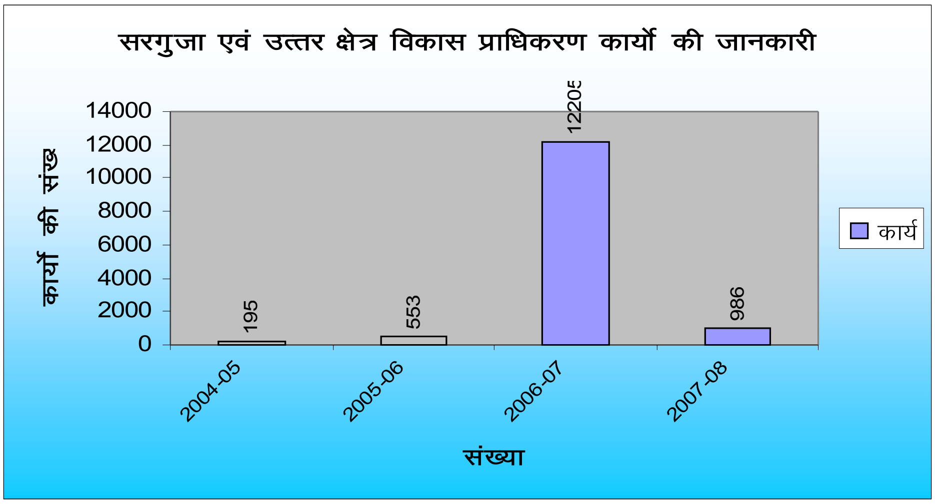

9.1.16 आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रि ाक्षण संस्थान, रायपुर

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्शीय योजना के निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति इनके रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गो के विकास हेतु योजना बनाने में कठिनाई महसूस हुई थी । इसे ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने 1954 में पुराने म.प्र., उड़ीसा, बिहार एवं पं. बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आदिम जाति अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्दे ा दिये है ।

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 31.6 प्रति ात जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है । राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृश्टिगत रखते हुए भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनु ांसा अनुसार दे ा के 15 वे आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में इस संस्थान का गठन राज्य भाासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दिनांक 02.09.2004 को किया गया है । भारतीय प्र ाासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारी को संचालक के पद पर पदस्थ करते हुए विभागाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है ।

9.1.16.1 संस्थान के प्रमुख कार्य

1. अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना है ।
2. अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु भाासन को सुझाव देना ।
3. अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु भाासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना ।
4. अनुसूचित जनजाति की सूची में भाामिल होने के लिए राज्य भाासन को विभिन्न जातियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में उक्त जातियों का इथनोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर भाासन को अभिमत देना कि संबंधित जाति मे जनजातिय लक्षण पायी जाती है अथवा नही ।
5. अनुसूचित जाति की सूची में भाामिल होने के लिए राज्य भाासन को विभिन्न जातियों से प्राप्त अभ्योवेदनों के संदर्भ में उक्त जातियों अस्पृ यता से पीड़ित है अथवा नही? इनके परम्परागत व्यवसाय तथा सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन कर भाासन को अभिमत देना ।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय के दि ाा निर्दे ाानुसार प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ भाासन आदिम जाति विकास विभाग की अध्यक्षता एवं संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की उपाध्यक्षता में इस संस्थान के एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी, सोि ायोलॉजी, विशय–वि ोशज्ञों को भाामिल करते हुए इस संस्थान में जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई है । इसका स्टेट्स क्वासी ज्यूडि ायल हैं ।

   अनुसूचित जनजातियों का फर्जी/ गलत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपात्र व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भाासकीय सेवाओं में नियुक्ति एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवे ा लेने के बढ़ते हुए प्रकरणों की संख्या को दृश्टिगत रखते हुए एवं वास्तविक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार फर्जी/ गलत जाति प्रमाण – पत्र धारकों के कारण आरक्षण को वंचित होने की प्रवृत्ति में रोक लगाने की दृश्टि से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नौकरी में नियुक्ति एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवे ा से पूर्व जाति प्रमाण–पत्रों की जॉच एवं सत्यापन जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराने का निर्दे ा दिया गया था । उक्त निर्दे ा के परिपालन में भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ राज्य भाासन द्वारा समस्त विभागों में नियुक्ति से पूर्व जाति प्रमाण– पत्रों की जॉच एवं सत्यापन उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय

छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान संस्थान से कराने हेतु निर्दे ित किया गया है । संस्थान उक्त दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है ।

7. माननीय उच्चतम नयायालय के निर्दे । के परिपालन में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पदों पर कई वर्शो पूर्व से नियुक्ति प्राप्त कर चुके व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच करना एवं गलत/ फर्जी पाये जाने पर उनका गलत जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पद पर प्राप्त की गई गलत नियुक्ति को निरस्त करने हेतु नियोक्ताओं को अनु ंसा करने ।
8. जाति प्रमाण– पत्र जारी करने वाले अधिकारियों (डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एव ंनायब तहसीलदार) के लिए आदिवासी संस्कृति एवं जाति प्रमाण– पत्र संबंधी नियमों, निर्दे ों की जानकारी देने हेतु प्रि ाक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
   आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ विभिन्न विभाग के अधिकारियों को आदिवासी संस्कृति, समस्याओं तथा उनकी योजना संबंधी प्रि ाक्षण देना । जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर के आदिवासी जनप्रतिनिधियों को आदिवासियों के हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातिय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रि ाक्षण का आयोजन करना ।
9. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु दे । के विभिन्न वि वविद्यालयों तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के वि ोशज्ञों को आमंत्रित कर राश्ट्रीय स्तर के कार्य ााला एवं संगोश्ठीयों का आयोजन करना ।
10. विकास एवं परिवर्तन के दौर में अनुसूचित जनजातियों को अपनी परम्परागत कला–कौ ाल, नृत्य–संगीत, बोली एवं भाशा, रीति–रिवाज आदि सांस्कृतिक विरासत धीरे–धीरे समाप्त होती जा रही है । इन्हें बचाये रखने के लिए इनके परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु संस्थान में आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कर आदिवासी संस्कृति की दुर्लभ कलाकृतियों, उनकी नृत्य–संगीत, बोली–भाशा संबंधी धरोहरी को संरक्षित एवं सुरक्षित करना ।

9.1.16.2 आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रि ाक्षण संस्थान द्वारा संपादित कार्य

9.1.16.2.1 सर्वेक्षण कार्य

- छ.ग. के 16 जिलों में निवासरत 9996 सफाई कामगार परिवारों का सामाजिक, आर्थिक एवं मूलभूत सुविधाओं संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर जिलावार प्रतिवेदन तैयार किया गया (वर्श 2005–06)
- बिरहोर वि ोश पिछड़ी जनजाति के 689 परिवारों का आधारभूत सर्वेक्षण (वर्श 2005–06)।
- बैगा वि ोश पिछड़ी जनजाति के 13500 परिवारों का आधारभूत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण (वर्श 2005–07) ।
- पहाड़ी कोरवा वि ोश पिछड़ी जनजाति के 8372 परिवारों का आधारभूत सामाजिक– आर्थिक सवेक्षण (2005–07) ।
- कमार वि ोश पिछड़ी जनजाति के 5485 परिवारों का सामाजिक– आर्थिक सर्वेक्षण (वर्श 2005–07)।
- डिहारी कोरवा जनजाति का 5663 परिवारों का सर्वेक्षण (वर्श 2007–08) ।

9.1.16.2.2 अनुसंधान कार्य

- ि ाकारी पारधी अनुसूचित जनजाति एवं ि ाकारी पारधी सामान्य वर्ग (जो अनुसूचित जनजाति की सूची में भाामिल नहीं है ।) का नृजातीय अध्ययन (वर्श 2007–08) ।
- संवरा एवं सौंरा जाति का नृजातीय अध्ययन वर्श (वर्श 2007–08) ।
- खड़िया जाति का नृजातीय अध्ययन (वर्श 2007–08) ।
- चिक गाड़ा/चिक/चीक जाति का नृजातीय अध्ययन (वर्श 2007–08) ।
- महरा जाति का नृजातीय अध्ययन (वर्श 2007–08) ।
- केंवट, ढीमर, कहार, मल्लाह आदि अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों का नृजातीय अध्ययन (वर्श 2007–08) ।
- बंग नमो भाुद्रः जाति का नृजातीय अध्ययन (वर्श 2007–08) ।
- भाासकीय सेवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की उपयोगिता एक अध्ययन (वर्श 2007–08) ।

9.1.16.2.3 मूल्यांकन अध्ययन

अनुसूचित जनजातियों की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति को विक्रय/ हस्तांतरण/ वापसी संबंधी निर्णयों के अनुपालन का मूल्यांकन, गरीबी के रेखा से नीचे के आदिम जनजाति समूह के लिए इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन, 275 (1) के अंतर्गत निर्मित आदिवासी आश्रम ााला एवं छात्रों को प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन, वनग्राम विकास का मूल्यांकन, अटल ज्योति योजना (आदिवासियों के सिंचाई पंप के लिए विद्युत कनेक ान) का मूल्यांकन, आदिवासी कृशि विकास संबंधी लघु सिंचाई योजना (ट्यूबवेल) तथा इंदिरा खेत गंगा योजना का मूल्यांकन ।

9.1.16.2.4 प्रि ाक्षण

जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों) के लिए वर्श 2004 से वर्श 2008 तक 23 प्रि ाक्षण सत्र आयोजित कर 380 अधिकारियों को प्रि ाक्षित किया गया । अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा भूमि हस्तांतरण अधिनियम के संबंध में आदिवासी विकासखंडों के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के जनपद अध्यक्षों तथा आदिवासी विकासखंडों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के लिए वर्श 2007–08 में 4 प्रि ाक्षण सत्र आयोजित किया गया था । जिसमें 19 आदिवासी जनप्रतिनिधियों एवं 63 अधिकारियों को प्रि ाक्षण दिया गया ।

9.1.16.2.5 अनुसूचित जाति/जनजातियों के जाति प्रमाण– पत्रों की जांच

वर्श 2007–08 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में (इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेद, डेंटल, पॉलिटेक्निक) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवे ा लेने वाले 4306 अभ्यार्थियों की जाति प्रमाण– पत्रों की जांच की गई, जिसमें 212 जाति प्रमाण– पत्र गलत/फर्जी पाये गये, इन्हें आरक्षित वर्ग में प्रवे ा नही दिया गया इनके स्थान पर वास्तविक अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रवे ा दिलाया गया ।

9.1.16.2.6 राश्ट्रीय कार्य ााला एवं संगोश्ठी का आयोजन

आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में राश्ट्रीय कार्य ााला '' आदिवासियों में स्वास्थ्य एवं कुपोशण की समस्या कारण एवं निदान'' एवं संगोश्ठी ''छत्तीसगढ़ राज्य का कला–कौ ाल तथा उनके आर्थिक विकास में योगदान'' का आयोजन दिनांक 08 से 10 फरवरी 2007 को किया गया । संगोश्ठी में भारत सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न वि वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के 60 विशय वि ोशज्ञों की सहभागिता रही।

दिनांक 03 से 05 फरवरी 2008 तक रायपुर में ''छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति समूह (पी.टी.जी.) की स्थिति एवं इनके सर्वांगीन विकास हेतु रणनीतियॉ'' विशय पर राश्ट्रीय कार्य ााला/संगोश्ठी का आयोजन किया गया था । इसमें भारत सरकार/राज्य सरकार विभिन्न वि वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों के विशय वि ोशज्ञों तथा वि ोश पिछड़ी जनजाति समुदाय के जनप्रतिनिधियों आदि कुल 120 व्यक्तियों की सहभागिता रही ।

9.1.16.2.7 प्रका ान

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित निम्नांकित पुस्तकें तैयार कर प्रकाि ात किया गया है :–

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियॉ (वर्श 2004)
छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण–पत्र एंव आरक्षण की पात्रता (वर्श 2004)
छत्तीसगढ़ का जनजातिय परिदृ य (वर्श 2007)
छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियॉ – एक परिदृ य (वर्श 2008)

9.2 अनुसूचित जाति कल्याण

9.2.1 राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या

राज्य की कुल जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार 208.34 लाख है जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 24.18 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 11.61 प्रति ात है ।

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 43 अनुसूचित जातियों/ जाति समूह हैं, जिसका विस्तृत विवरण परिि ाश्ट – 05 पर दिया गया है ।

9.2.2 अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना

राज्य के आयोजना में अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना के लिए जनसंख्या के अनुपात 11.61 प्रति ात से अधिक 12 प्रति ात आयोजना मद की राि ा का प्रावधान बजट में किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ निर्माण के प चात् अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना में बजट अनुमान में किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :—

तालिका क्रं. – 9.33
अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना के लिए प्राप्त आबंटन

अनुसूचित जाति उपक्षेत्र योजना के लिए प्राप्त आबंटन

वर्श	प्राप्त आबंटन
2002-03	173.93
2003-04	240
2004-05	295.32
2005-06	288.08
2006-07	302.61
2007-08	813.9
2008-09	1105.52

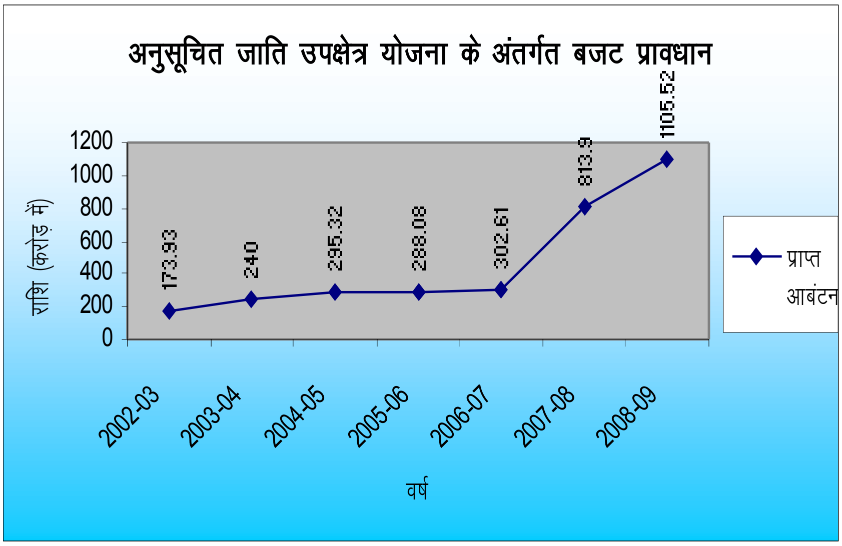

9.2.3 भौक्षणिक विकास

9.2.3.1 छात्रावास तथा आश्रम भवन :–

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2000–01 से वर्ष 2007–08 में स्वीकृत नये भवनों का विवरण अग्रानुसार है :–

वर्श	छात्रावास	आश्रम
	अ0जा0	अ0जा0
2000–01	16	–
2001–02	–	–
2002–03	41	01
2003–04	–	–
2004–05	02	–
2005–06	–	12
2006–07	04	–
2007–08	58	17
योग	**121**	**30**

- राजधानी मुख्यालय रायपुर में 500 सीटर सर्वसुविधा युक्त महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास खोला गया है जिसमें 150 अनुसूचित जाति की छात्राएँ रह सकेंगी । प्रथम चरण में 300 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है ।

9.2.4 सांस्कृतिक विकास

9.2.4.1 गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास :–

गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी सतनामी समाज के आस्था का केन्द्र बिन्दु है। अतएव इन स्थानों के विकास की योजना हाथ में ली गई हैं। इसके अन्तर्गत ग्राम एवं मेला स्थल में विकास के कार्य किए गए हैं। अब तक रू. 1323.68 लाख के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

9.2.4.2 गिरौदपुरी में जैतखम्भ का निर्माण :–

महान संत गुरूघासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी में कुतुबमीनार से भी उंची जैतखम्भ के निर्माण का निर्णय लिया गया है। निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया जारी है। इसकी लागत लगभग रू. 50.00 करोड़ रू. से भी अधिक आने की संभावना है ।

9.2.4.3 मंगल भवन का निर्माण :–

अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यों के सम्पादन में सुविधा हेतु मंगल भवन निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। ऐसे 749 ग्रामों में मंगल भवन की स्वीकृति विगत 2 वर्षों में दी गई है।

9.2.5 अन्य विकास कार्यक्रम

9.2.5.1 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :–

आनुपातिक रूप से अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाले जिले रायपुर, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, धमतरी, रायगढ़, राजनांदगांव, कबीरधाम एवं महासमुन्द को सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास के कार्य स्वीकृत कर क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 2558 कार्यो के लिए 68.08 करोड़ के स्वीकृति प्रदान की गई है ।

तालिका क्रं. – 9.34

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

वर्ष	व्यय राशि
2004-05	214.65
2005-06	1934.24
2006-07	1957.26
2007-08	2702.2

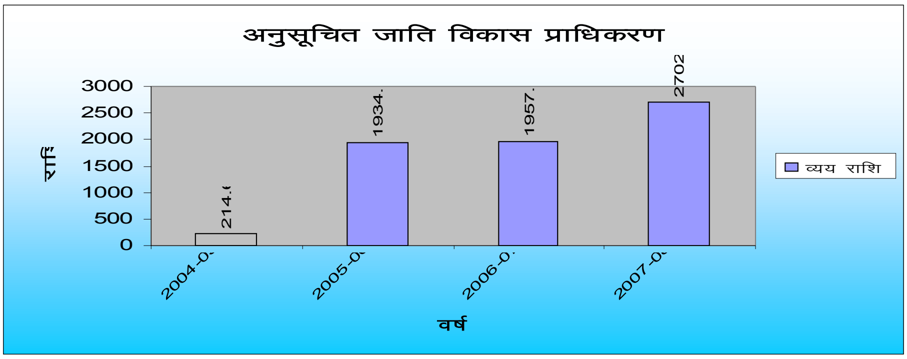

तालिका क्रं. – 9.35

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण कार्यो की जानकारी

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण कार्यो की जानकारी

वर्ष	कार्य
2004-05	216
2005-06	799
2006-07	425
2007-08	1218

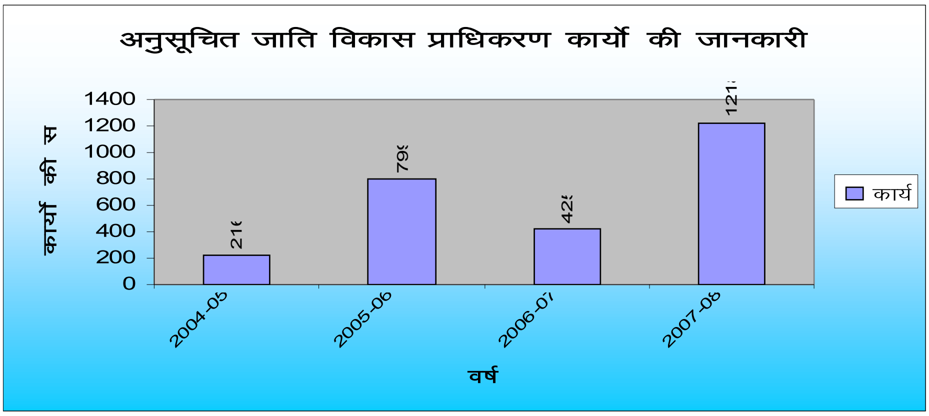

9.2.6 अनुसूचित जाति आयोग :–

अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। राज्य आयोग वर्ष 2006–07 से कार्यरत है । वर्तमान में अध्यक्ष एवं दो सदस्य मनोनीत है । आयोग के गठन के पश्चात आयोग के विभिन्न क्रियाकलापों पर अब तक रूपये 41.11 लाख व्यय किया गया हैं ।

9.2.7 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

म.प्र. भाासन के असाधारण राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 1997 जिसका छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अनुकूलन किया गया है, के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 86 जाति, उपजाति एवं वर्ग समूह है । इसके अतिरिक्त छत्तीगढ़ निर्माण के प चात् 4 अन्य जाति समूह को इसमें भाामिल किया गया है । जिसका विवरण परिि ाश्ट 06 पर दिया गया है ।

मुस्लिम धर्मावलंबियों में 26 जाति, उपजाति, वर्ग समूह को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मान्य किया गया है। जिसका विवरण परिि ाश्ट – 07 पर दिया गया है ।

9.2.8 भौक्षणिक विकास

9.2.8.1 पिछड़ा वर्ग छात्रावास :–

पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 04 पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास एवं एक प्री मैट्रिक बालक छात्रावास संचालित है । यह योजना 2003–04 से प्रारंभ की गई है । इस छात्रावासों में छात्र/छात्राओं के लिए निशुल्क आवास, पुस्तकें एवं समाचार पत्रों का इन्तजाम रहता है । योजना प्रारंभ से अब तक रूपये 172.22 लाख व्यय इस मद में किया गया है ।

तालिका क्रं. – 9.36

वर्श	व्यय राशि (लाख रू.)
2003-04	0.01
2004-05	22.06
2005-06	98.93
2006-07	35.4
2007-08	15.82

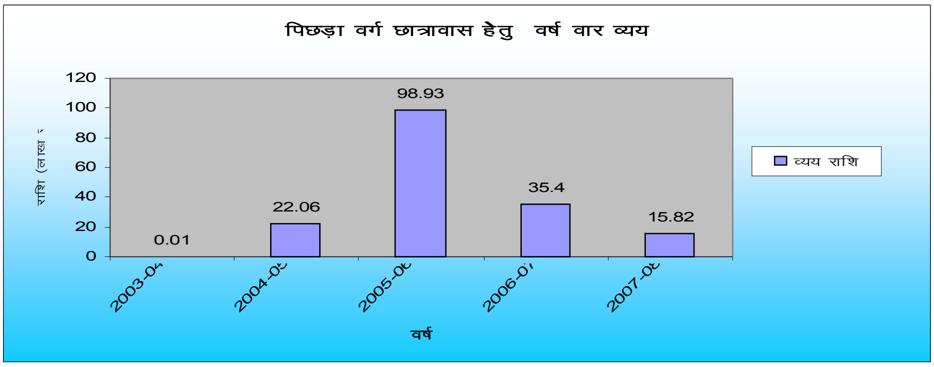

9.2.9 आर्थिक विकास

9.2.9.1 लोकमित्र (नाई पेटी) योजना :–

परम्परागत रूप से बाल काटने का व्यवसाय करने वाले नाई जाति के लागों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से नाई पेटी किट्स सहित प्रदाय की योजना वर्ष 2006–07 से लागू की गई है। इस योजना से 9600 परिवार लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2008–09 में 5500 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

तालिका क्र. – 9.37

नाई पेटी योजना

वर्ष	व्यय राशि
2006-07	50
2007-08	46.03

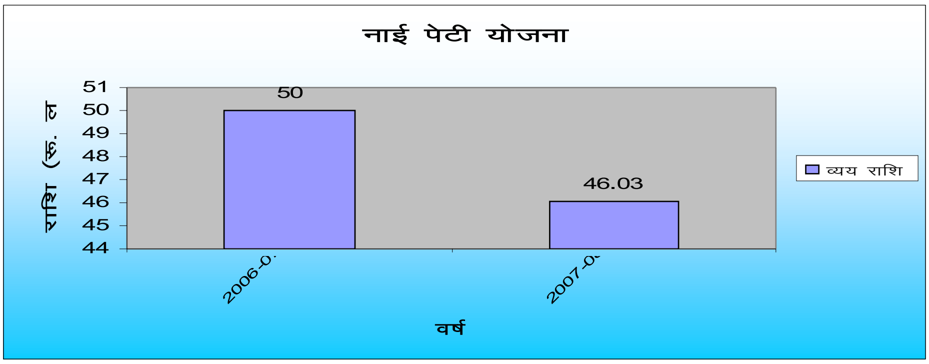

9.2.10 धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास

9.2.10.1 दामाखेड़ा का समन्वित विकास :—

दामाखेड़ा कबीरपंथियों का आस्था का केन्द्र है। इस ग्राम के विकास हेतु वर्ष 2006—07 में वित्तीय प्रावधान किया गया था। अब तक रू. 60.00 लाख के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

9.2.11 पिछड़ा वर्ग आयोग :—

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जातियों के निश्कासन करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितपहरी के रूप में कार्य करने हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया हैं । राज्य गठन के पश्चात आयोग के क्रिया कलापों पर अब तक 50.00 लाख व्यय किया जा चुका हैं ।

9.2.12 अल्पसंख्यक कल्याण

9.2.12.1 वक्फ न्यायाधिकरण :—

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए वर्ष 2003—04 से वक्फ न्यायाधिकरण का गठन की गई है । वक्फ न्यायाधिकरण के गठन के पश्चात अब तक 19.61 लाख व्यय किया गया है ।

तालिका क्रं. — 9.38
वक्फ न्यायाधिकरण

वक्फ न्यायाधिकरण

वर्ष	व्यय राशि(लाख में)
2005-06	6
2006-07	5.73
2007-08	7.88

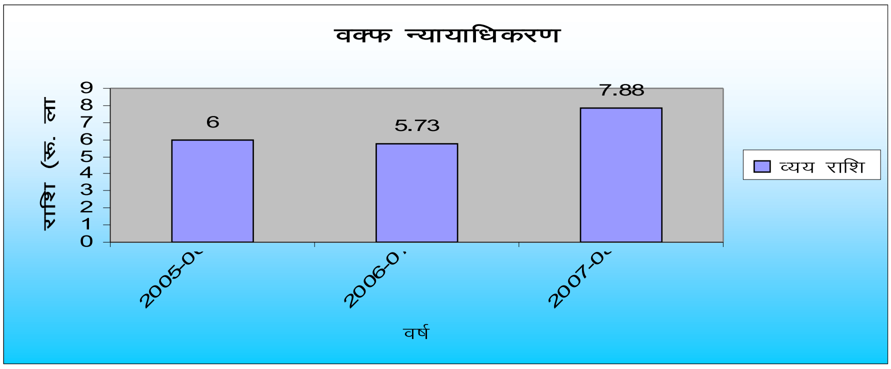

9.2.12.2 छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी :—

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया है । अकादमी का कार्य उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण परिचर्चा, गोष्ठियां आदि का आयोजन करना है । अकादमी में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 18 अन्य सदस्य के मनोनयन का प्रावधान है । अकादमी के क्रियाकलापों पर अब तक रूपये 92.00 लाख व्यय की गई है ।

तालिका क्र. — 9.39

छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी

छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी

वर्ष	व्यय राशि
2004-05	10.00
2005-06	20.00
2006-07	18.00
2007-08	32.00

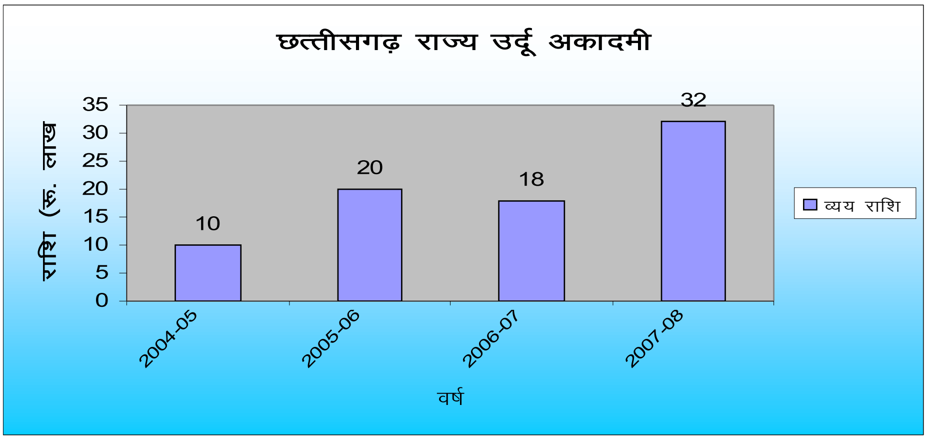

9.2.12.3 वक्फ बोर्ड :—

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का गठन अधिसूचना दिनांक 21.07. 2003 द्वारा किया गया है । बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य है बोर्ड के कियाकलापों हेतु बोर्ड गठन के पश्चात अब तक रूपये 98.00 लाख व्यय किया जा चुका है ।

तालिका क्र. – 9.40

वक्फ बोर्ड

वक्फ बोर्ड

वर्ष	व्यय राशि(लाख में)
2005-06	5.00
2006-07	43.00
2007-08	50.00

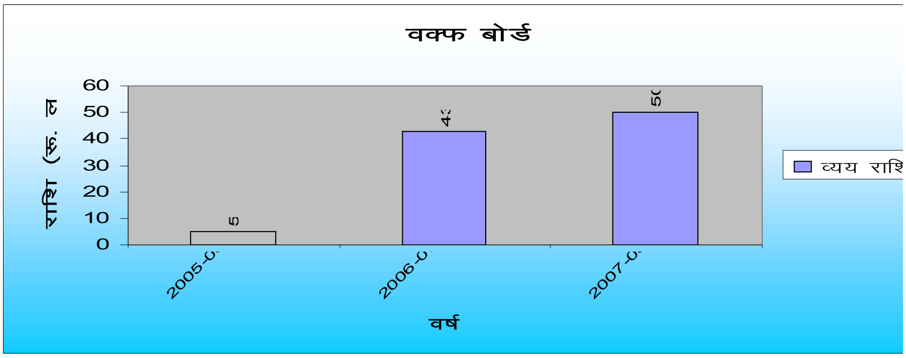

9.2.12.4 अल्प संख्यकों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी :–

शहरों एवं कस्बों में स्थित अल्प संख्यक समुदायों के कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से बचाने तथा मकबरों की सुरक्षा हेतु वर्ष 2003–04 से यह योजना प्रारंभ की गई है । योजना प्रारंभ से अब तक 18.33 लाख व्यय कर कब्रिस्तानों एवं मकबरों की घेरा बंदी (अहाता निर्माण) किया गया है ।

तालिका क्र. – 9.41

अल्प संख्यकों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी

अल्प संख्यकों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी

वर्ष	व्यय राशि
2003-04	5
2004-05	4.5
2005-06	2.85
2006-07	0.98
2007-08	5

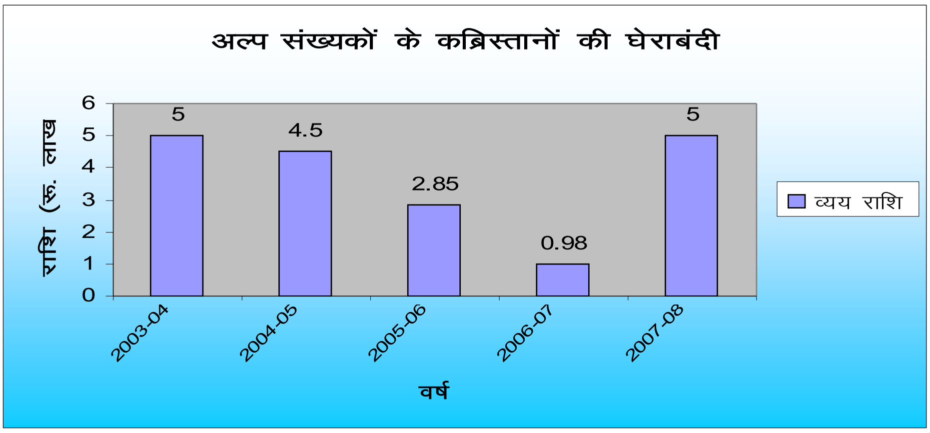

9.2.12.5 स्व0 हाजी हसन अली स्मृति पुरस्कार :–

उर्दु सहित्य के क्षेत्र में सहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना के सम्मानित करने हेतु रूपये दो लाख मूल्य का एक पुरस्कार दिया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है अब तक योजना अन्तर्गत रू. 8.50 लाख व्यय कर 07 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है ।

तालिका क्र. – 9.42
स्व. हाजी हसन अली स्मृति पुरस्कार

स्व. हाजी हसन अली स्मृति पुरस्कार

वर्ष	व्यय राशि	पुरस्कार
2004-05	2	2
2005-06	2	2
2006-07	2.25	2
2007-08	2.25	1

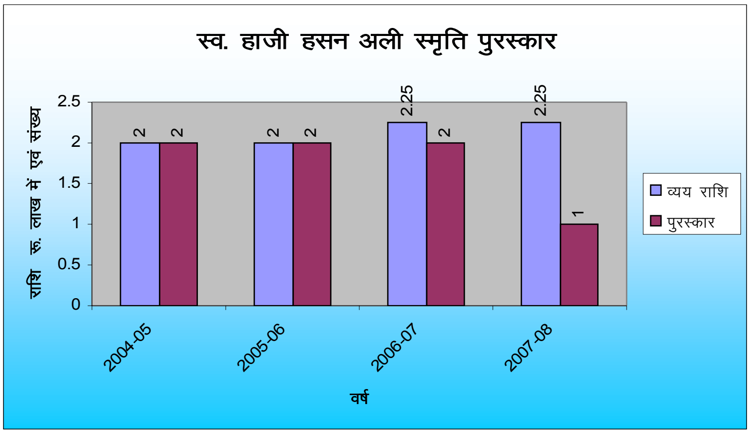

9.2.12.6 छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड

पंजीकृत दीनी मदरसों की धार्मिक ि ाक्षा (दीनी तालीम) के साथ–साथ उनमें अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को आधुनिक ि ाक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन करने के लिए छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का गठन किया है।

छत्तीसगढ़ मदरसाा बोर्ड द्वारा मदरसों को मान्यता देना एवं अपात्र होने पर मान्यता वापस लेना, पाठ्यक्रम विवरण विहित करना तथा पुस्तक वितरण करना, प्राथमिक प्रमाण पत्र एवं पूर्व माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा तथा अदीब उर्दू, माहिर उर्दू तथा मोअल्लिम उर्दू प्रमाण–पत्र परीक्षाओं का संचालन, पत्राचार द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा का संचालन का कार्य किया जाता है।

अध्याय – 10
ि ाक्षा एवं मानव संसाधन विकास प्राथमिक

10.1 प्राथमिक ि ाक्षा एवं साक्षरता

मानव संसाधन के विकास में ि ाक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में साक्षरता का स्तर राश्ट्रीय परिदृ य की तुलना में निम्नानुसार है :–

साक्षरता	राश्ट्रीय	छत्तीसगढ़	छ.ग. में अनुसूचित जनजाति
औसत साक्षरता	64.84 प्रति ात	64.70 प्रति ात	52.01 प्रति ात
पुरूश	75.26 प्रति ात	77.40 प्रति ात	60.00 प्रति ात
महिला	53.67 प्रति ात	51.90 प्रति ात	39.30 प्रति ात

10.1.1 शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्याऍ :–

1- पुरूशों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता का प्रति ात 26 प्रति ात कम होना।

2- स्कूलों में अद्योसंरचना का अभाव, जिसमें अतिरिक्त कमरों का निर्माण एवं पेयजल व भाौचालय की सुविधा का अभाव प्रमुख है।

3- अनुसचित जनजाति जो राज्य की कुल जनसंख्या का 31 प्रति ात है में साक्षर की दर राज्य के औसत दर से काफी कम होना।

4- अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में बालकों की तुलना में 21 प्रति ात साक्षरता की दर में कम होना।

5. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में ड्राप–आउट की दर का अधिक होना।

10.1.2 स्कूल ि ाक्षा :–

ि ाक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए राज्य में निरंतर नामांकन दर भात–प्रति ात करने की, ड्राप–आउट दर को 10 प्रति ात के अंदर तक सीमित करने का, ि ाक्षा में गुणात्मक सुधार करने का तथा कम्प्यूटर ि ाक्षा के प्रचार–प्रसार करने का प्रयास किया जा रहा है।

10.1.2.1 ि ाक्षा में जनभागीदारी :–

संविधान में 73 वें व 74 वें सं ोधन द्वारा स्थानीय निकायों को स ाक्त बनाने तथा स्व ाासन की इकाई के रूप में विकसित करने के लिए राज्य भाासन द्वारा संकल्प के अनुसार स्कूल ि ाक्षा के क्षेत्र में कियांवयन के अधिकार पंचायतों एवं नगरीय निकायों को प्रत्यायोजित किये है।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी भाालाओं का प्रबंधन, संचालन एवं निगरानी का कार्य कम ाः पंचायतों एवं नगरीय निकायों को सौंपा गया है।

नवीन भाालाओं की स्थापना, ि ाक्षकों की नियुक्तियॉ, भवन निर्माण व विस्तार, उपकरणों की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन योजनाओं का कियान्वयन पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में किया जा रहा है।

10.1.2.2 ि ाक्षा का लोकव्यापीकरण :–

ि ाक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए राज्य में निम्नानुसार भाालाऍ संचालित है।

प्राथमिक भाालाऍ	–	37,062
पूर्व माध्यमिक भाालाऍ	–	15,038
हाई–स्कूल भाालाऍ	–	1,987
हायर सेकेण्डरी भाालाऍ	–	2,100

10.1.2.3 भाालाओं में छात्रों की स्थिति

छात्रों की स्थिति निम्नानुसार है –

- प्राथमिक भाला में वर्श 2007–08 की स्थिति में 33,56,426 कुल छात्र अध्ययनरत् हैं, जिनमें से 17,46,405 छात्र तथा 16,10,021 छात्राएँ हैं।
- पूर्व माध्यमिक भाला में वर्श 2007–08 की स्थिति में 14,55,128 कुल छात्र अध्ययनरत् हैं, जिनमें से 8,05,107 छात्र तथा 6,50,021 छात्राएँ हैं।
- हाईस्कूल में वर्श 2007–08 की स्थिति में 4,89,249 कुल छात्र अध्ययनरत् हैं, जिनमें से 2,67,361 छात्र तथा 2,21,888 छात्राएँ हैं।
- हायर सेकेण्डरी में वर्श 2007–08 की स्थिति में 2,64,562 कुल छात्र अध्ययनरत् हैं, जिनमें से 1,56,365 छात्र तथा 1,08,197 छात्राएँ हैं।

भाासकीय स्कूलों एवं निजी स्कूलों में छात्रों का अनुपात निम्नानुसार है।

तालिका क्र. – 10.01

स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या

स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या

शासकीय स्कूलों में छात्र	48,26,388
निजी स्कूलों में छात्र	795,846
कुल छात्र	56,22,234

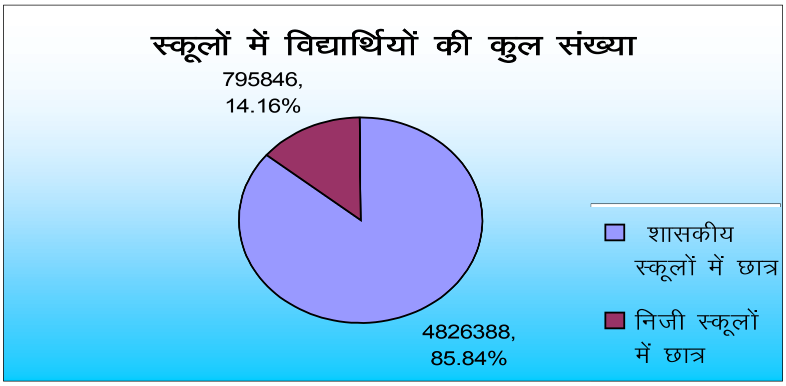

पूर्व प्राथमिक से लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूल तक कुल छात्रों की संख्या 56,22,234 है जिसमें 30,05,928 छात्र तथा 26,16,306 छात्राएँ हैं। भाासकीय स्कूलों में छात्रों की संख्या 48,26,388 है जो कुल छात्रों का लगभग 85.84 प्रति ात है। तथा निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या 7,95,846 है। जो कुल छात्रों का 14.16 प्रति ात है।

10.1.2.3 भाालाओं में ि क्षकों की स्थिति

वर्श 2001 में जहां स्कूलों में 1,08,318 ि क्षक अध्यापनरत् थे, वहीं 2007 में 1,30,156 ि क्षक अध्यापनरत् है। इस प्रकार ि क्षकों की संख्या में 20 प्रति ात की वृद्धि हुई है। वर्शवार ि क्षकों की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.02

शिक्षकों की संख्या

शिक्षकों की संख्या

वर्श	शिक्षक
2001	108318
2002	105171
2003	118369
2004	117744
2005	118310
2006	123763
2007	130156
2008	166506

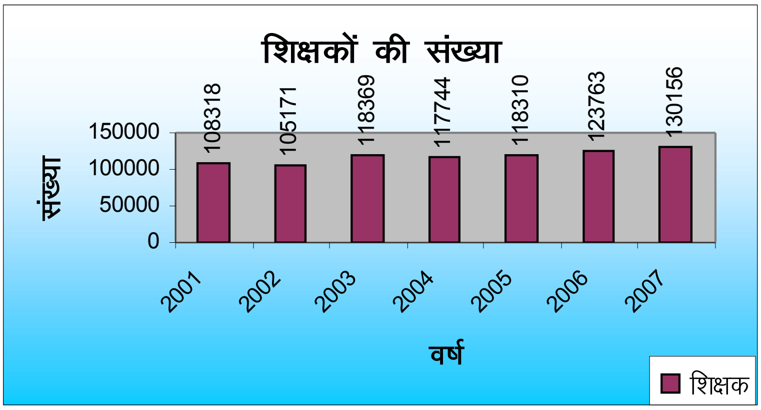

10.1.2.4 प्राथमिक भाला

वर्श 2001–02 में पूर्व प्राथमिक भाालाओं की संख्या 537 एवं प्राथमिक भाालाओं की संख्या 29434 थी जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ः 1015 एवं 37062 हो गई है। कुल संख्या में लगभग 27 प्रति ात की वृद्धि हुई है। पूर्व प्राथमिक भाालाओं एवं प्राथमिक भाालाओं की वर्शवार स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.03 व 10.04

पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक भाालाओं की जानकारी

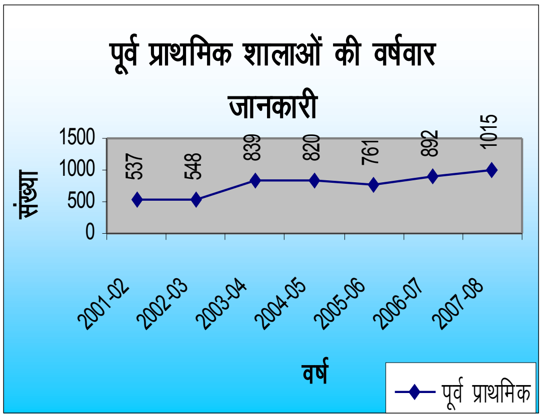

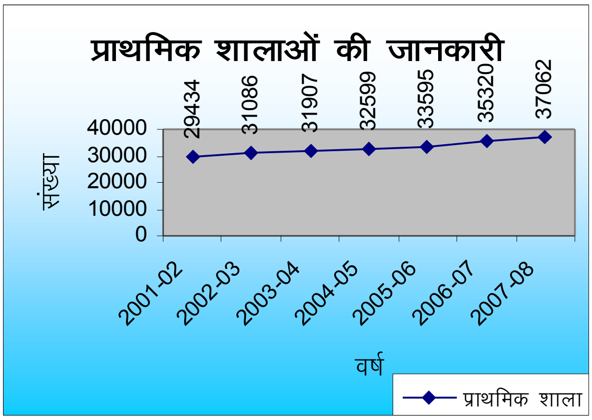

प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.05

प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी

प्राथमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की वर्षवार स्थिति

वर्श	छात्र	छात्राएँ
2001-02	1654876	1373624
2002-03	1576655	1395940
2003-04	1738038	1619358
2004-05	1766331	1631464
2005-06	1776950	1628552
2006-07	1860957	1702909
2007-08	1746405	1610021

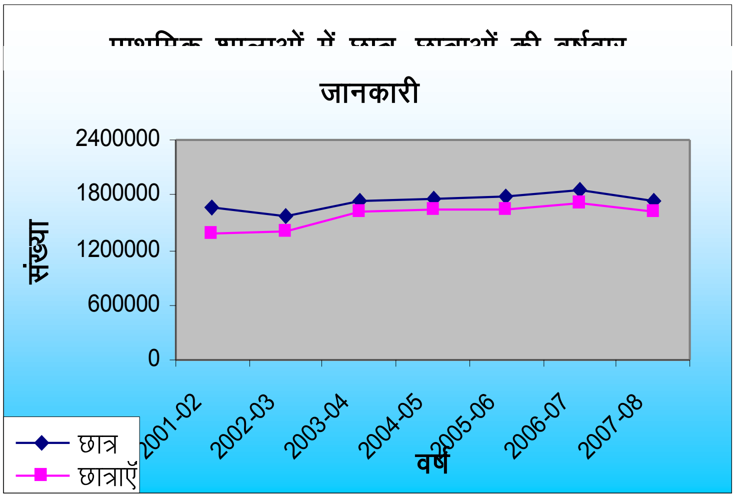

विभिन्न प्राथमिक भाालाओं में छात्र–छात्रों की स्थिति वर्श 2007–08 के सत्र के अनुसार निम्नानुसार है।

		संख्या	प्रति ात
बालक	–	17,46,405	52.03
बालिका	–	16,10,021	47.96
कुल	**–**	**33,56,426**	

अनुसूचित जाति –

बालक	–	2,85,464 51.83
बालिका	–	2,65,262 48.17
कुल	**–**	**5,50,726**

अनुसूचित जनजाति –

बालक	–	5,87,657 52.17
बालिका	–	5,38,626 47.83
कुल	**–**	**11,26,283**

वर्श 2001 से वर्श 2007 तक पहली कक्षा में प्रवे ा योग्य बच्चों की वर्शवार संख्या निम्नानुसार है। जिससे यह स्पश्ट हो रहा है कि प्रति वर्श औसतन 7–8 लाख बच्चे पहली कक्षा में प्रवे ा ले हेतु तैयार हो रहे है ।

तालिका क्र. – 10.06

कक्षा 1 में प्रवेश योग्य बच्चों की वर्षवार संख्या

कक्षा 1 में प्रवेश योग्य बच्चों की वर्षवार संख्या

वर्श	प्रवेश योग्य बच्चें
2001	840975
2002	723180
2003	705349
2004	716199
2005	814128
2006	819018
2007	820492

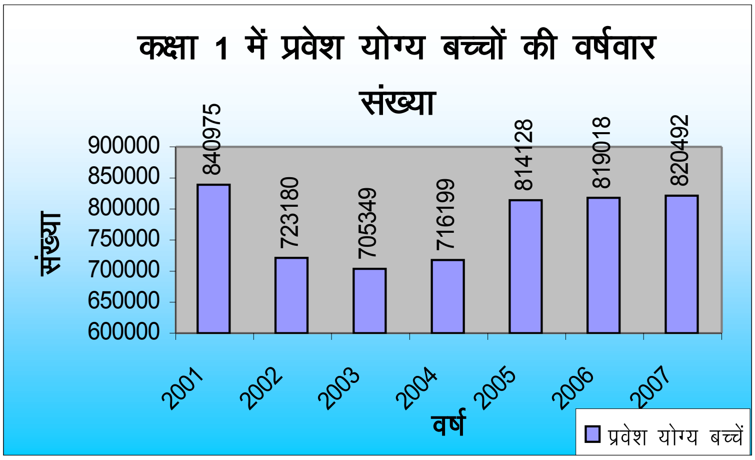

- प्राथमिक भाालाओं वर्श 2000–01 में नामांकन दर्ज संख्या 31,68,453 थी जो वर्श 2007–08 में 6 प्रति ात बढ़कर 33,56,426 हो गई है जबकि वर्श 2000–01 में ि ाक्षकों की संख्या 64,543 थी जो वर्श 2007–08 में 38 प्रति ात बढ़कर 89,237 हो गई है ।

तालिका क्र. – 10.07 व 10.08

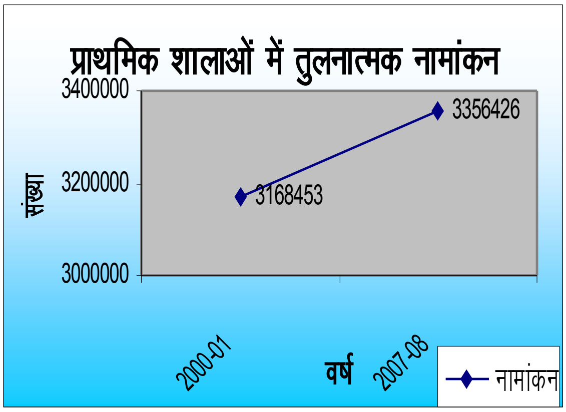

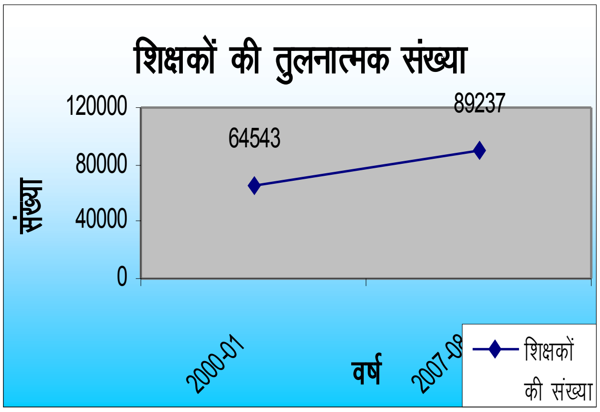

प्राथमिक शालाओं में छात्र–शिक्षक का अनुपात निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.09

प्राथामिक भाालाओं में ि ाक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:49 था जो वर्श 2007–08 में घटकर 1:38 हो गया है। जो कि राश्ट्रीय मानक मापदण्डों के अनुरूप है।

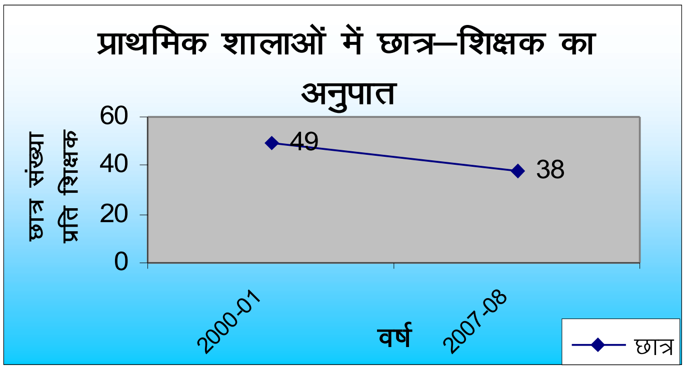

10.1.2.4.1 प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा

प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा का संचालन का कार्य जिला ि ाक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा सभी जिलों के प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का वर्शवार संकलन निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.10

प्राथमिक शाला उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

प्राथमिक शाला उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

वर्श	विद्यार्थी
2001	339868
2002	365907
2003	385910
2004	379551
2005	383543
2006	496417
2007	423425

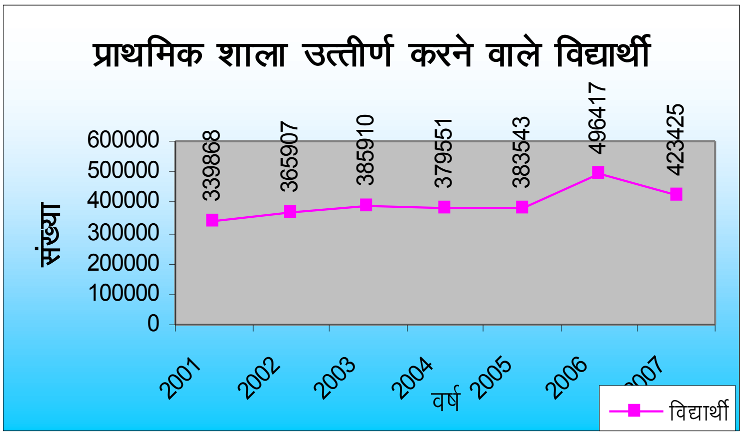

10.1.2.5 पूर्व माध्यमिक भााला

विभिन्न पूर्व माध्यमिक भाालाओं में छात्र–छात्रों की स्थिति वर्श 2007–08 के सत्र के अनुसार निम्नानुसार है।

			संख्या	**प्रति ात**
	बालक	–	8,05,107 55.32	
	बालिका	–	6,50,021 44.68	
	कुल	**–**	**14,55,128**	
			संख्या	**प्रति ात**
अनुसूचित जाति –				
	बालक	–	1,14,843 54.62	
	बालिका	–	95,414	45.38
	कुल	**–**	**2,10,257**	
अनुसूचित जनजाति –				
	बालक	–	2,29,464 54.89	
	बालिका	–	1,88,543 45.11	
	कुल	**–**	**4,18,007**	

वर्श 2001–02 में पूर्व माध्यमिक भाालाओं की संख्या 6,152 थी जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 15,038 हो गई है इस तरह पूर्व माध्यमिक भाालाओं की संख्या में 144 प्रति ात की वृद्धि हो गई है। वर्शवार पूर्व माध्यमिक भाालाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.11
पूर्व माध्यमिक शालाओं की स्थिति

पूर्व माध्यमिक शालाओं की स्थिति

वर्श	पूर्व माध्यमिक शाला
2001-02	6152
2002-03	6621
2003-04	7098
2004-05	9350
2005-06	10799
2006-07	14285
2007-08	15038

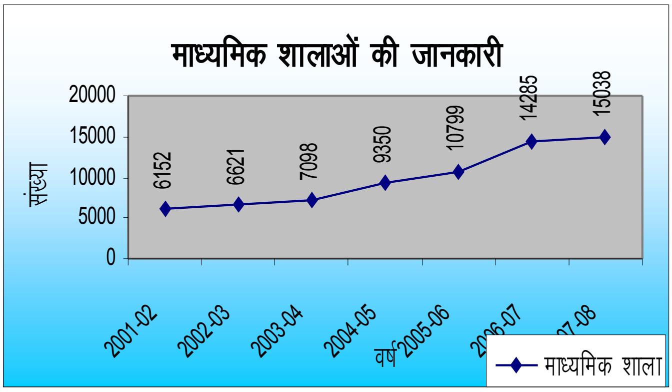

माध्यमिक भाालाओं वर्श 2000–01 में नामांकन दर्ज संख्या 10,52,276 थी जो वर्श 2007–08 में 28 प्रति ात बढ़कर 14,55,128 हो गई है जबकि वर्श 2000–01 में f ाक्षकों की संख्या 20,009 थी जो वर्श 2007–08 में 119 प्रति ात बढ़कर 48,231 हो गई है।

तालिका क्र. – 10.12

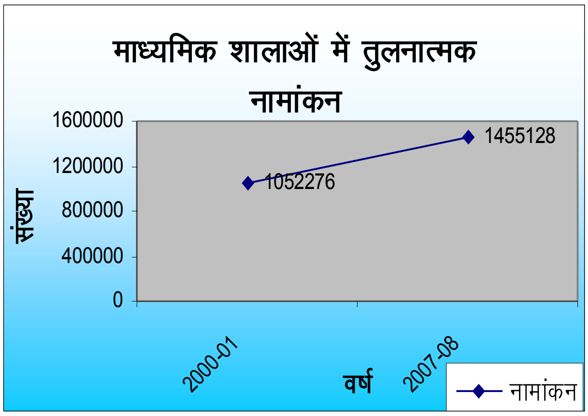

तालिका क्र. – 10.13

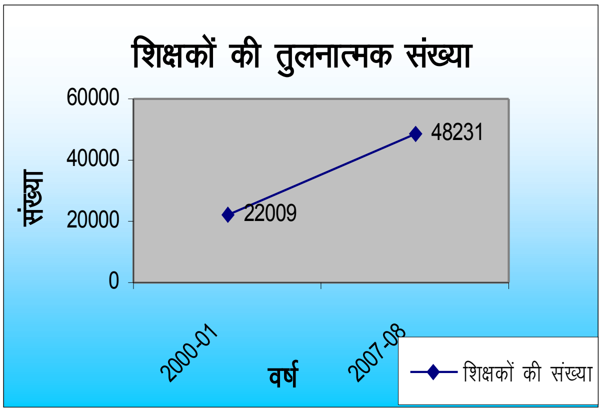

पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.14
पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की वर्षवार स्थिति

पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की वर्षवार स्थिति

वर्श	छात्र	छात्राऐं
2001-02	574353	387864
2002-03	615860	445771
2003-04	624673	466778
2004-05	657586	501001
2005-06	687761	522233
2006-07	704998	569195
2007-08	805107	650021

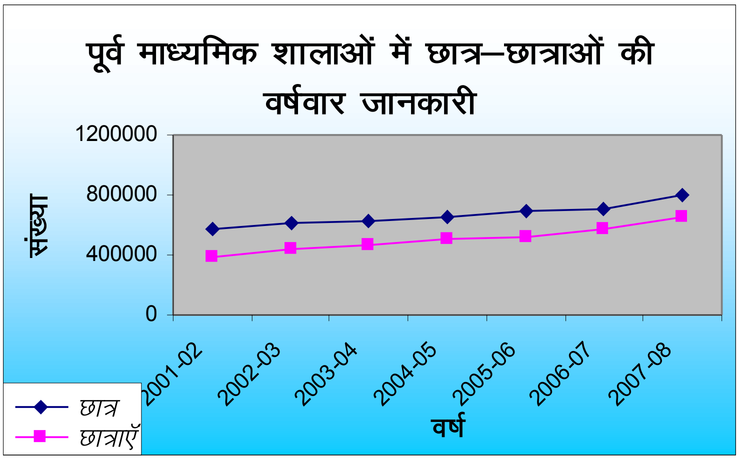

पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र–शिक्षक का अनुपात निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.15

पूर्व माध्यमिक भाालाओं में ि ाक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:46 था जो वर्श 2007–08 में घटकर 1:30 हो गया है। जो कि राश्ट्रीय मानक मापदण्डों से काफी उन्नत स्थिति है।

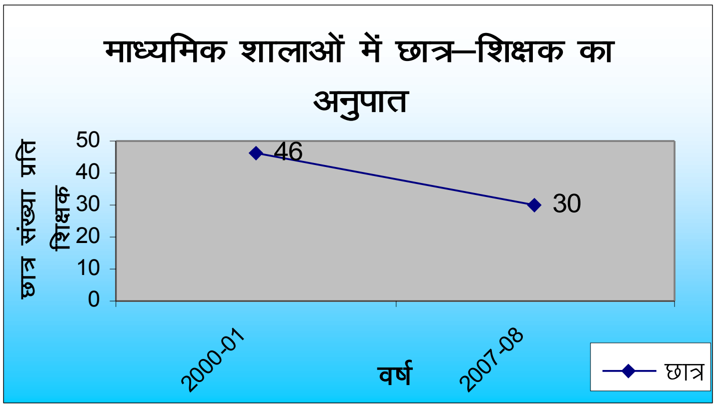

10.1.2.5.1 पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा

पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा के संचालन का कार्य जिला ि ाक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। सभी जिलों के पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की वर्शवार संख्या अग्रानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.16
माध्यमिक शाला उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

माध्यमिक शाला उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

वर्श	विद्यार्थी
2001	163825
2002	177379
2003	221670
2004	222753
2005	231488
2006	249298
2007	257725

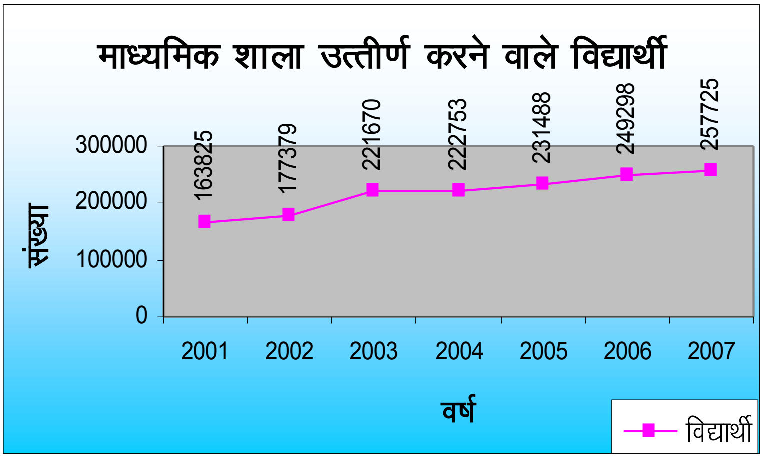

10.1.2.6 हाईस्कूल

वर्श 2001–02 में हाईस्कूलों की संख्या 1,103 थी जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 1,987 हो गई है इस तरह हाईस्कूलों की संख्या में 80 प्रति त की वृद्धि हो गई है। वर्शवार हाईस्कूलों की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.17

हाई स्कूल की स्थिति

हाई स्कूल की स्थिति

वर्श	हाई स्कूल
2001-02	1103
2002-03	1161
2003-04	1176
2004-05	1227
2005-06	1231
2006-07	1774
2007-08	1987

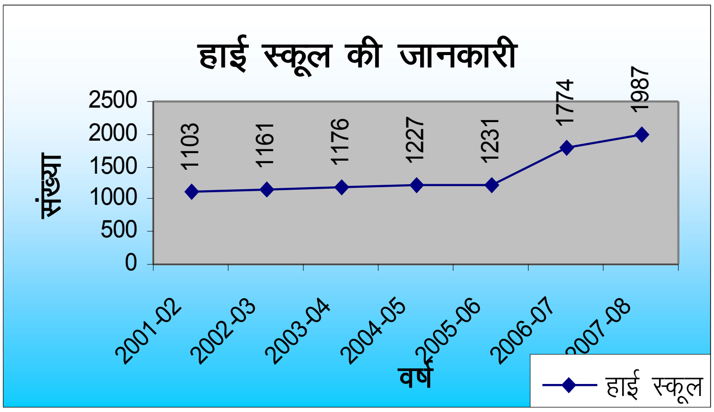

- हाईस्कूलों में वर्श 2000–01 में नामांकन दर्ज संख्या 3,67,847 थी जो वर्श 2007–08 में 33 प्रति त बढ़कर 4,89,249 हो गई है जबकि वर्श 2000–01 में ि क्षकों की संख्या 5,658 थी जो वर्श 2007–08 में 64 प्रति त बढ़कर 9,251 हो गई है ।

तालिका क्र. – 10.18

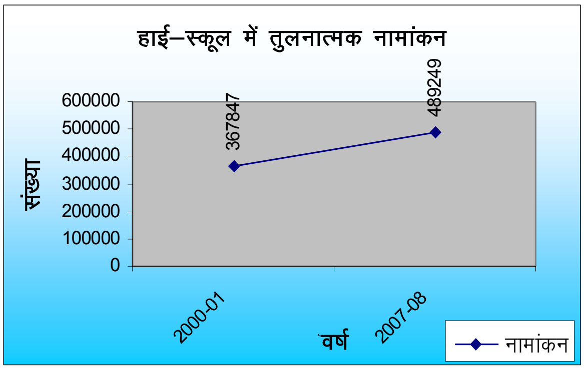

तालिका क्र. – 10.19

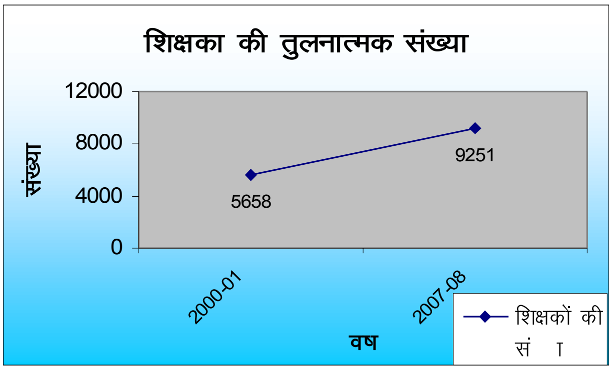

हाईस्कूलों में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.20

हाईस्कूलों में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी

हाईस्कूलों में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी

वर्श	छात्र	छात्राएँ
2001-02	220819	120815
2002-03	217685	126282
2003-04	219558	142061
2004-05	245261	150967
2005-06	255247	165608
2006-07	269563	193977
2007-08	267361	221888

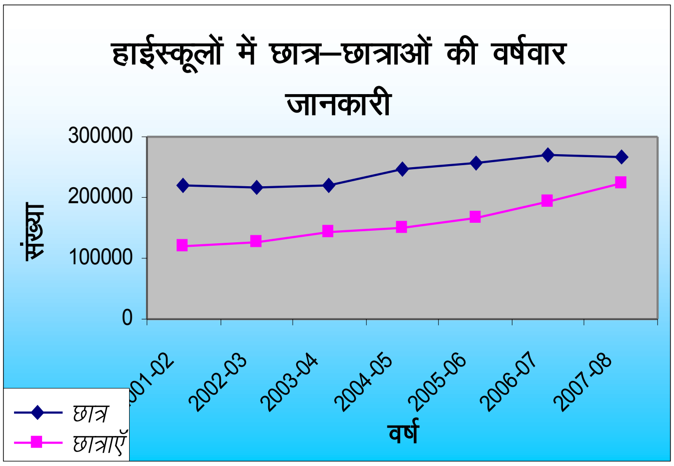

हाईस्कूलों में छात्र–शिक्षक का अनुपात निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.21

राज्य निर्माण के समय हाईस्कूलों में शि क्षक एवं छात्र का अनुपात 1:65 था जो वर्श 2007–08 में घटकर 1:52 हो गया है। जो कि राष्ट्रीय मानक मापदण्डों से कुछ अधिक है ।

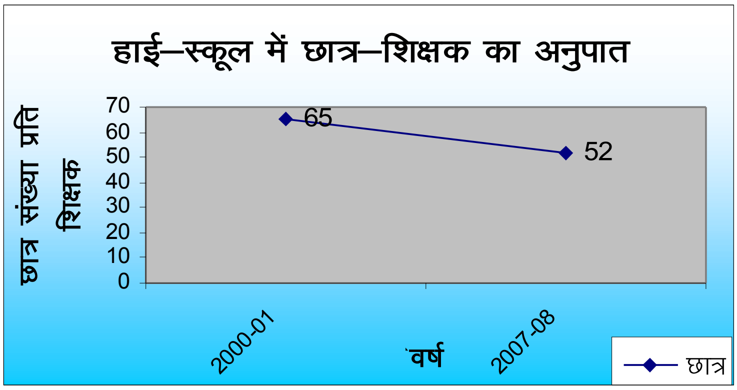

10.1.2.6.1 हाईस्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा

हाईस्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा का संचालन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शि क्षा मण्डल के द्वारा किया जाता है। राज्य में हाईस्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की वर्शवार संख्या निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.22

हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

वर्श	विद्यार्थी
2002	79760
2003	71253
2004	93289
2005	107885
2006	132203
2007	122067

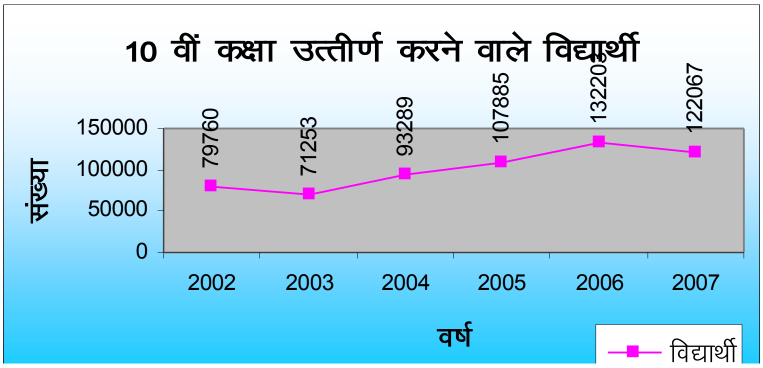

◁ 185 ▷

10.1.2.7 हायर सेकेण्डरी

वर्श 2001–02 में हायर सेकेण्डरी की संख्या 1,278 थी जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 2,100 हो गई है इस तरह हायर सेकेण्डरी की संख्या में 64 प्रति ात की वृद्धि हो गई है। वर्शवार हायर सेकेण्डरी की स्थिति निम्नानुसार है:–

तालिका क्र. – 10.23

हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्थिति

हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्थिति

वर्श	हायर सेकेंडरी
2001-02	1278
2002-03	1378
2003-04	1386
2004-05	1439
2005-06	1439
2006-07	1721
2007-08	2100

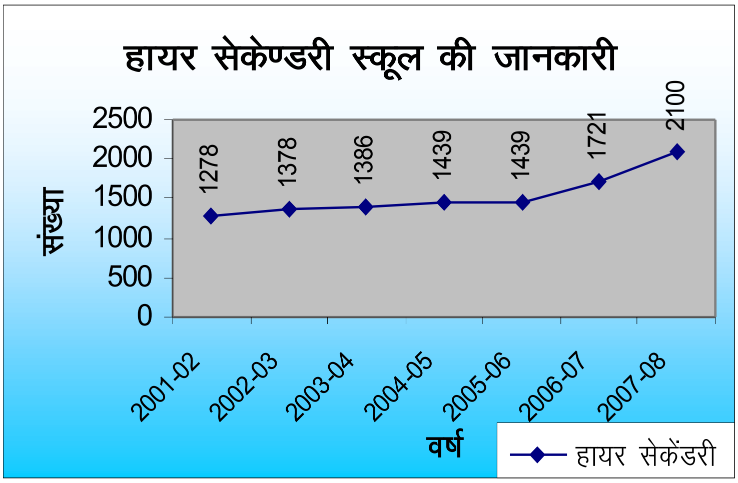

- हायर सेकेण्डरी स्कूलों में वर्श 2000–01 में नामांकन दर्ज संख्या 1,71,155 थी जो वर्श 2007–08 में 56 प्रति ात बढ़कर 2,64,562 हो गई है जबकि वर्श 2000–01 में शि क्षकों की संख्या 14,955 थी जो वर्श 2007–08 में 23 प्रति ात बढ़कर 18,331 हो गई है।

तालिका क्र. – 10.24 **तालिका क्र. – 10.25**

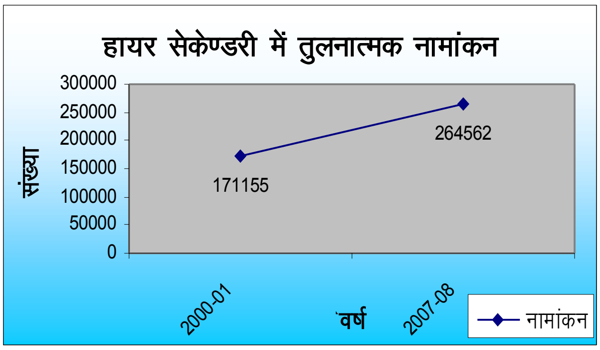

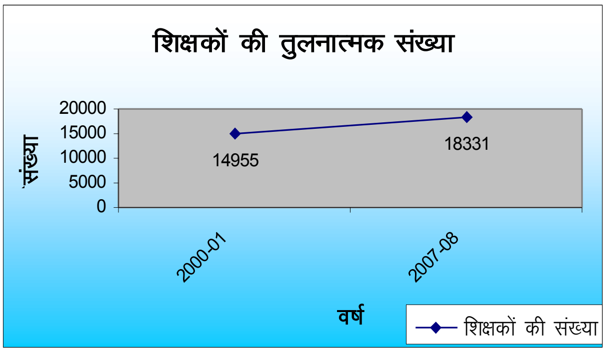

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.26

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र–छात्राओं की वर्षवार जानकारी

वर्श	छात्र	छात्राऍं
2001-02	127465	70666
2002-03	144591	81417
2003-04	147353	87271
2004-05	161919	98560
2005-06	169356	109532
2006-07	187761	122537
2007-08	156365	108197

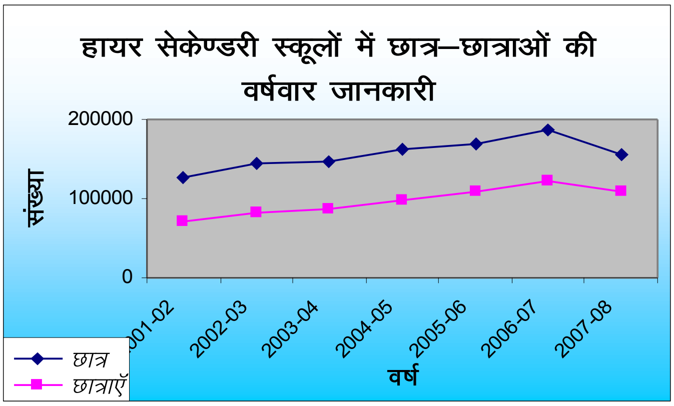

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र–शिक्षक का अनुपात निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.27

राज्य निर्माण के समय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:14 था जो वर्श 2007–08 में भी 1:14 हो गया है। छात्र–शिक्षक अनुपात राश्ट्रीय मानक मापदण्डों से अच्छी स्थिति में है ।

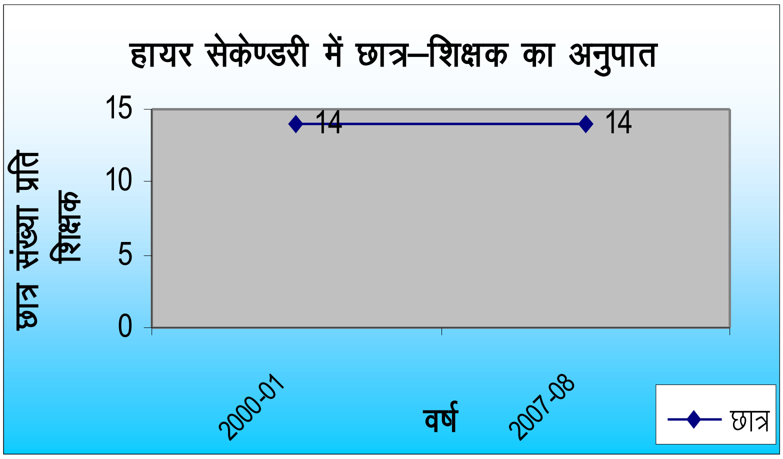

10.1.2.7.1 हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा

हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा का संचालन छत्तीसगढ़ माध्यमिक ि ाक्षा मण्डल के द्वारा किया जाता है। हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की वर्शवार संख्या निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.28

हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

वर्श	विद्यार्थी
2002	72266
2003	62133
2004	68557
2005	66629
2006	94631
2007	102099

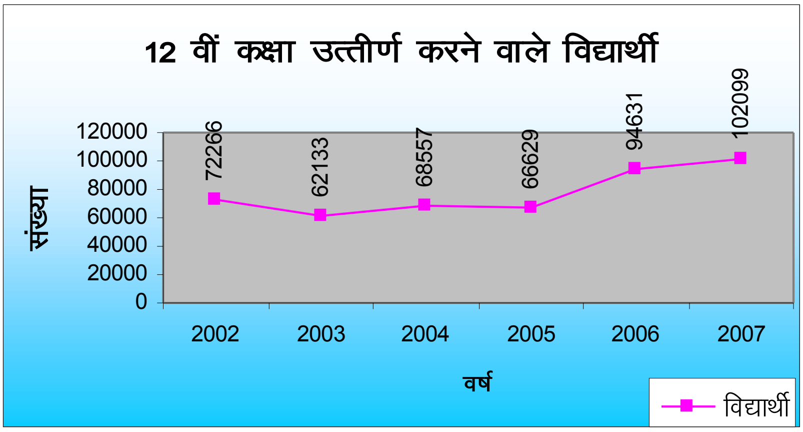

हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संकायवार संख्या वर्शवार निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.29

संकाय वार 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी

संकाय वार 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी			
वर्श	कला संकाय	विज्ञान संकाय	वाणिज्य संकाय
2002	30504	26155	11301
2003	26656	23583	8891
2004	30156	24479	10594
2005	26827	26351	10225
2006	43083	32741	13539
2007	42774	40300	12350

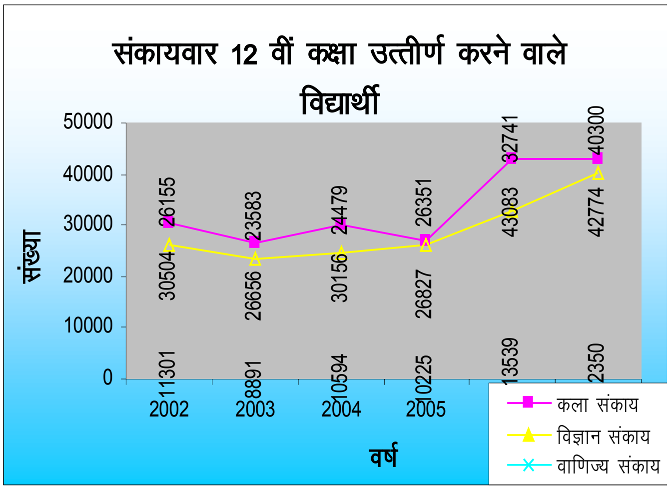

10.1.3 कम्प्यूटर ि ाक्षा

भालयें छात्रों में कम्प्यूटर के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं कम्प्यूटर ि ाक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। जिनमें प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है।

10.1.3.1 क्लॉस परियोजना

कम्प्यूटर ि ाक्षा के प्रसार एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए छात्रों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी देने के उद्दे य से वर्श 1996–97 में उच्चतर माध्यमिक भालाओं में क्लास प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया।

- यह योजना वर्तमान में 135 विद्यालयों में संचालित है।
- इस योजना के अंतर्गम 8875 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत् है।
- इस योजना के अंतर्गत 600 ि ाक्षकों को प्रि ाक्षित किया गया है।
- इस परियोजनातंर्गत् 100 विद्यालयों में 10–10 कम्प्यूटर प्रदाय किये गये है।

10.1.3.2 क्लैप योजना

- इसमें कक्षा 7वीं से 12 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रि क्षण दिया जा रहा है।
- वर्श 1997–98 में निजी एजेंसियों का चयन संचालनालय द्वारा किया गया। इनके द्वारा योजना में भाामिल होने वाले विद्यार्थियों से रू. 250/– प्रतिवर्श की दर से भाुल्क लिया जाता है।
- वर्श 1998–99 में इस योजना का विकेन्द्रीकरण कर भााला विकास समिति की सहायता से एजेंसी का चुनाव एवं भाुल्क निर्धारण अपने स्तर पर करने का निर्णय लिया गया।

10.1.3.3 छत्तीसगढ़ सूचना भाक्ति योजना (कम्प्यूटर ि क्षा)

कम्प्यूटर ि क्षा को विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ सूचना भाक्ति योजना का प्रारंभ 16 अगस्त 2005 को किया गया। इसका मुख्य उद्दे य :–

- महिला स क्तिकरण को बढ़ावा देना एवं छात्राओं को कम्प्यूटर ि क्षा का लाभ प्रदान करना।
- प्रदे ा की 1.86 लाख छात्राओं को निः ुल्क कम्प्यूटर प्रि क्षण देना का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्तमान में 1189 विद्यालयों की 1.86 लाख छात्राऍं लाभान्वित हो रही है।

10.1.3.4 जिला कम्प्यूटर प्रि क्षण केन्द्र

कम्प्यूटर ि क्षा को प्रोत्साहित करने लिए जिला मुख्यालय के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर प्रि क्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। जिला मुख्यालय के भाासकीय बहुउद्दे ाीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 60 कम्प्यूटर, प्रिंटर, एल. सी. डी. प्रोजेक्टर लगाकर सर्व सुविधा युक्त कम्प्यूटर प्रि क्षण भवन बनाया गया है।

10.1.4 बालिका ि क्षा

छात्राओं की ि क्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नानुसार प्रमुख कार्यक्रम संचालित कर रहें है :–

10.1.4.1 सरस्वती सायकल प्रदाय योजना (निः ुल्क)

हाई स्कूलों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य एवं पिछड़े वर्ग बी.पी.एल. परिवार की छात्राओं को निः ुल्क सायकल प्रदाय कर बालिका ि क्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सायकल के प्रदाय से बालिकाऍं ि क्षा के प्रति आकृश्ट हो रही है।

10.1.4.2 दत्तक पुत्री ि क्षा योजना :–

इस योजना के अंतर्गत ऐसी गरीब बालिकाओं को जिनकी पढ़ाई का खर्च पालकों द्वारा वहन किया जाना कठिन होता है, सक्षम व्यक्तियों/समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उन्हें शालाओं में प्रवेश दिलाकर उनको निरन्तर शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 300.00 प्रति वर्ष तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 400.00 प्रतिवर्ष की सहायता जो कि नगद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में हो सकती है, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

तालिका क्र. – 10.30

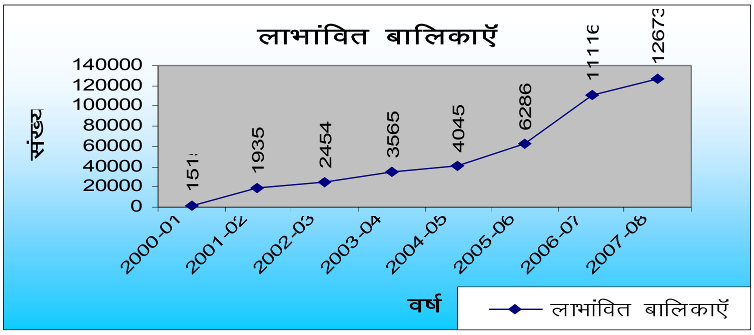

10.1.4.3 निः ुल्क गणवे ा योजना

प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 वीं तक की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को निः ुल्क गणवे ा प्रदान किया जा रहा हैं ।

10.1.4.4 निः ुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण/बुक बैंक योजना

कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत् सभी वर्ग की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बालिकाओं को प्रत्येक बच्चे पर 150 रू. की अधिकतम सीमा के अन्दर निः ुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय किया जा रहा है। वर्श 2007–08 में 32.70 लाख बच्चों को निः ुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण किया जा चुका है। वर्श 2008–09 में 15.07.2008 की स्थिति में लगभग 98 प्रति ात बच्चों को निः ुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा चुका है।

तालिका क्र. – 10.31
बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण

बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण

वर्ष	संख्या (लाख में)
2004-05	26.13
2005-06	28.01
2006-07	29.84
2007-08	32.70
2008-09	32.59

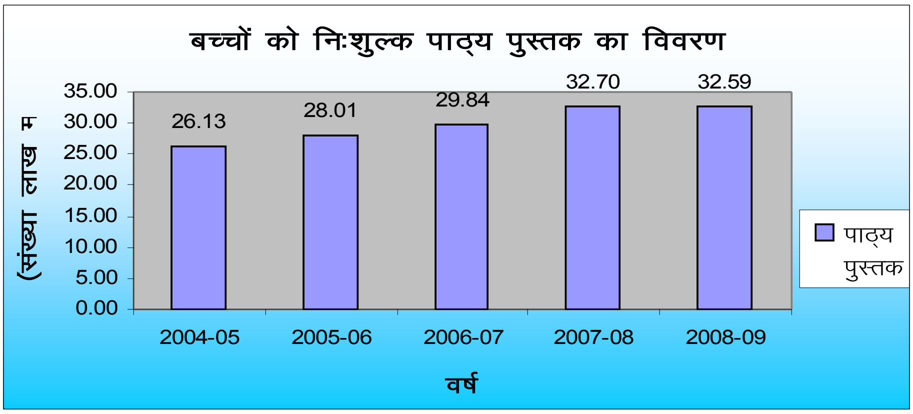

10.1.5 सर्व शिक्षा अभियान

सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने एवं गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा समुदाय की सहभागिता से सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सन् 2010 तक चलेगा। इसके प्रमुख उद्देश्य है :–

- 6–14 वर्श आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, वैकल्पिक शालाओं या शिविरों के माध्यम से शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना।
- सभी बच्चों को कक्षा आठ तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराना।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोशजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेश ध्यान देना।
- बालक–बालिकाओं असमानता एवं समाजिक वर्ग भेद को दूर करना।

◁ 189 ▷

10.1.5.1 राजीव गांधी शिक्षा मिशन

राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत समिति है। जो राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन कर रही है। इसके मुख्य उद्देश्य है :–

- उद्देश्य एवं रणनीति की स्पश्टता के साथ कार्य करना।
- शिक्षा के लोकव्यापीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना।
- कार्यक्रमों का त्वरीत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- मिशन भावना से समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना।
- विभिन्न विभागों से समन्वय के साथ मिलजुलकर कार्य करना।
- कार्यक्रमों की प्रगति की सतत् मानिटरिंग एवं सुधारात्मक प्रयास करना ।

10.1.5.2 सर्व शिक्षा अभियान के अधीन कार्यक्रम :–

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सहायता के निमित्त केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच की साझेदारी 9वीं योजना के दौरान 85:15, दसवीं योजना के दौरान 75:25 एवं वित्तीय वर्श 2007–08 से 65:35 के अनुपात में है।

1- **नवीन प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति :** ऐसे शिक्षा सुविधा विहीन बसाहटें जिनकी दूरी निकटतम प्राथमिक शाला से एक किलोमीटर से अधिक हो तथा वहां छः से चौदह वर्श आयु समूह के पढ़ने वाले आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 10 बच्चे तथा गैर आदिवासी क्षेत्र में 40 बच्चे उपलब्ध होने पर नवीन प्राथमिक शाला खोलने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत शिक्षा सत्र वर्श 2008–09 तक 9276 प्राथमिक शालाऐं खोली गई है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 10 बच्चों की उपलब्धता पर 1370 ज्ञान ज्योति विद्यालय सम्मिलित है।

2- **उच्च प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति :** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्ग 03 किलोमीटर की परीधी में उच्च प्राथमिक शाला की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। विशेश परिस्थितियों में एवं भौगोलिक दृश्टिकोण तथा छात्र संख्या आपेक्षित होने पर 02 प्राथमिक शालाओं पर एक उच्च प्राथमिक शाला खोलने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्श 2008–09 तक कुल 6421 उच्च प्राथमिक शाला खोली जा चुकी है।

तालिका क्र. – 10.32
शिक्षा सुविधा के तहत शालाएं

शिक्षा सुविधा के तहत शालाएं

वर्ष	प्राथमिक शाला	उच्च. प्राथमिक शाला
2002-03	99	771
2003-04	5061	1474
2004-05	6388	2252
2005-06	7454	3382
2006-07	8868	5950
2007-08	9267	6396

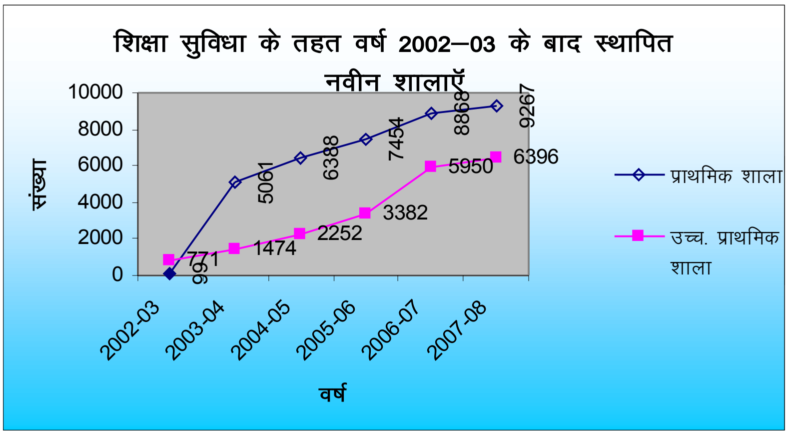

3- **सर्व ि क्षा अभियान के अंतर्गत ि क्षक :** प्रत्येक प्राथमिक भाला के लिए कम से कम 02 ि क्षक, उच्च प्राथमिक भाला के लिए कम से कम 03 ि क्षक, ि क्षक छात्र 1:40 के अनुपात में भालाओं को एक अतिरिक्त ि क्षक। सर्व ि क्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2008–09 तक कुल 54985 पद स्वीकृत जिसके विरूद्ध भर्तियां पूर्णता पर है।

तालिका क्र. – 10.33
वर्षवार शिक्षक प्रावधान

वर्षवार शिक्षक प्रावधान

वर्ष	शिक्षक
2002-03	6320
2003-04	22370
2004-05	31913
2005-06	39535
2006-07	50786
2007-08	53391
2008-09	54985

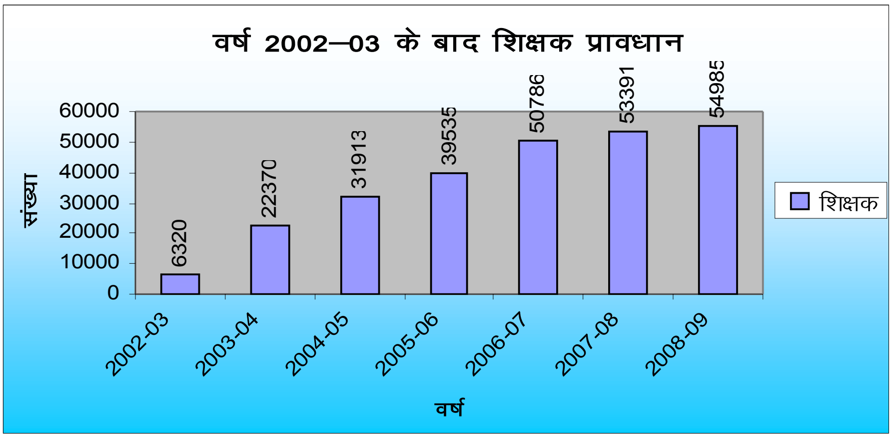

4- **ि क्षक प्रि क्षण कार्यकम :** ि क्षक प्रि क्षण का सम्पूर्ण कार्य विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र एवं डाइट के माध्यम से एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया जाता है। प्रति ि क्षक प्रति दिन 70 रू. व्यय का प्रावधान है।

5- **निर्माण कार्य :** सर्वि क्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य में कुल स्वीकृत बजट का 33 प्रति त व्यय करने का प्रावधान है । इसके अंतर्गत भवन विहीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक भालाओं के लिए नया भवन, प्रत्येक 40 बच्चें पर एक कमरे उपलब्ध कराने के तहत अतिरिक्त कक्ष की स्वीकृति का प्रावधान है । वर्ष 2002–03 से वर्ष 2008–09 से कुल स्वीकृत 50640 निर्माण कार्य से 29940 निर्माण कार्य, 8583 निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

तालिका क्र. – 10.34
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत निर्माण कार्य

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत निर्माण कार्य

वर्ष	संख्या
2002-03	2285
2003-04	4785
2004-05	8832
2005-06	7140
2006-07	8608
2007-08	7006
2008-09	11984

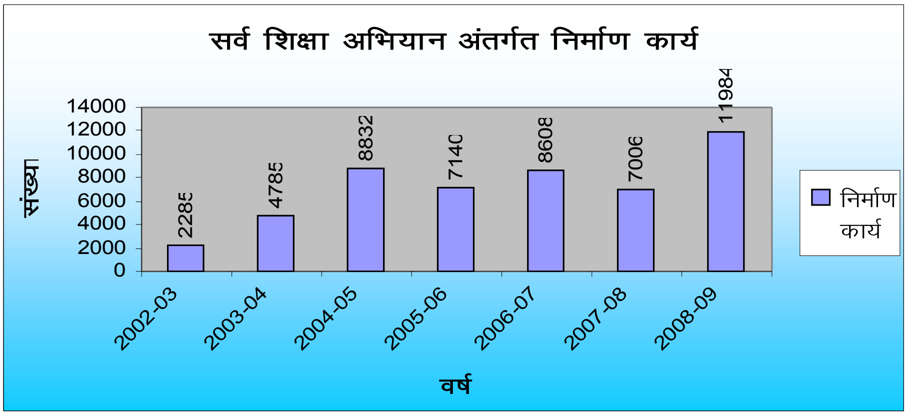

6- **स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक एवं नवाचारी ि ाक्षा योजना (ए.आई.ई)** : 6 से 14 वर्श आयु वर्ग के भााला त्यागी / भााला अप्रवे ाी बच्चों के लिए सर्वि ाक्षा अभियान में वैकल्पिक एंव नवाचारी ि ाक्षा योजना है । जिसके तहत गैरअवासीय सेतु पाठ्यक्रम/अवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र संचालित किया जाकर अप्रवे ाी एवं भााला त्यागी बच्चों को उम्र एवं बौद्धिक क्षमता के समकक्ष लाया जा कर ि ाक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है । वर्श 2008–09 के प्रारंभ में भााला से बाहर बच्चों की संख्या 169753 है । जिसमें से 85772 बच्चों को इन केन्द्रों में दर्ज कराएं जाने का लक्ष्य रखा गया है । एवं भोश बच्चों को भााला प्रवे ा अभियान अंतर्गत प्रवे ा दिलाये जाने का लक्ष्य इसके अतिरिक्त भाहरी क्षेत्र के घुमंतु, कामकाजी, उपेक्षित बच्चों हेतु राज्य में 36 नाईट् सेल्टर, 23 पलायन प्रभावित परिवार के बच्चों हेतु डारमेंट्री भाालाएं एवं 24 आदिवासी क्षेत्र में 50 सीटर डारमेंट्री भााला संचालित है । ◁ 191 ▷

इस तरह वर्श 2002–03 में भााला से बाहर बच्चों की संख्या 3.83 लाख थी वह जनसंख्या वृद्धि दर के बावजूद वर्श 2007–08 में घटकर 1.23 लाख हो गयी है।

तालिका क्र. – 10.35
शाला से बाहर बच्चों की स्थिति

शाला से बाहर बच्चों की स्थिति

वर्ष	(संख्या (लाख में)
2002-03	3.83
2003-04	3.66
2004-05	2.92
2005-06	2.82
2006-07	1.69
2007-08	1.23

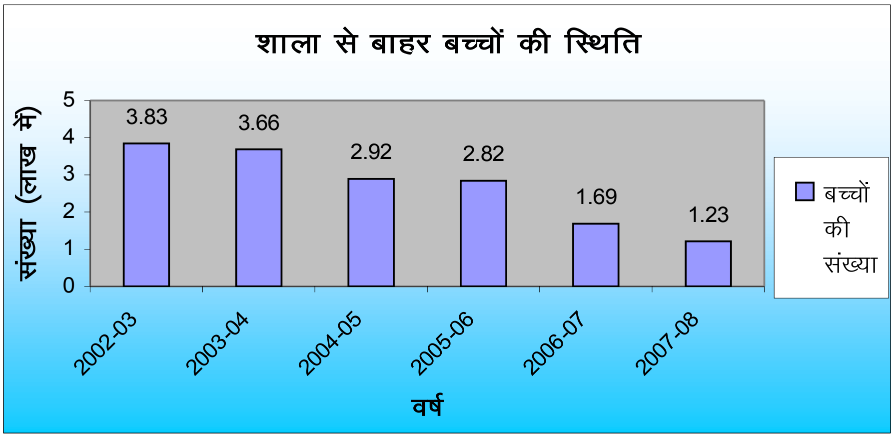

7- **समावे ाी ि ाक्षा :** समावे ाी ि ाक्षा के तहत निः ाक्त बच्चों के लिए प्रतिनिः ाक्त बच्चें प्रतिवर्श रू. 1200/– का प्रावधान है । इस रा ि ा का उपयोग निः ाक्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सहायक उपकरण, चिकित्सा, रैम्प, पालकों का उन्मुखीकरण ि ाक्षक प्रि ाक्षण आदि में किया जाता है । राज्य में 41672 चिन्हांकित निः ाक्त बच्चों में से 2909 स्कूल में दर्ज निः ाक्त बच्चों को ि ाक्षा उपलब्ध कराने हेतु, आव यकतानुसार सहायक सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

तालिका क्र. – 10.36
समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा

वर्ष	संख्या
2004-05	4312
2005-06	14177
2006-07	25476
2007-08	31714

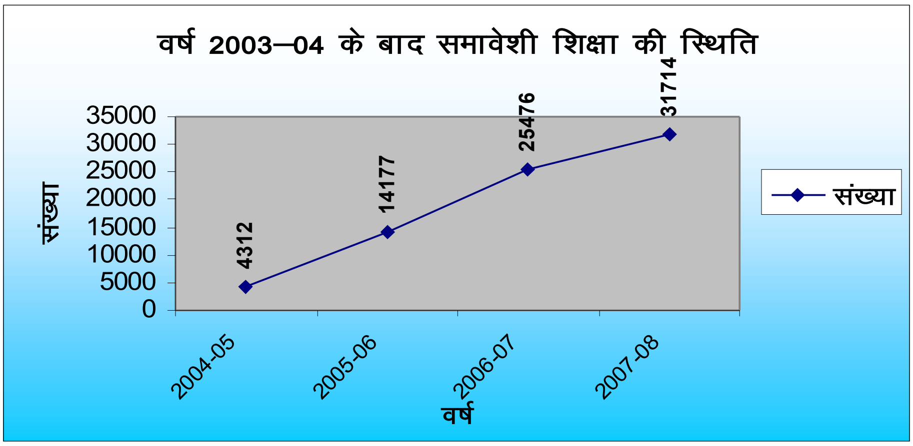

8. सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा

(1) बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राश्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) : सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 आयु समूह के सभी बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने, महिला भेदभाव समाप्त करने तथा महिला–पुरूश साक्षरता दर को समाप्त करने के लिए, महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं उन्हें भौक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु शिविर आदि आयोजित करने के लिए यह विशेश कार्यक्रम लागू किया गया है। उक्त कार्यक्रम संचालित करने का मापदंड यह है कि –

- ग्रामीण महिला साक्षरता दर, राश्ट्रीय दर 46.13 से कम है तथा महिला पुरूश साक्षरता दर में अंतर, राश्ट्रीय महिला पुरूश साक्षरता दर में अंतर 21.7 से अधिक है ।
- जहां अनु. जाति/जनजाति की संख्या 5 प्रतिशत या उससे अधिक है वहा महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है ।
- भाहरी गंदी बस्ती

यह योजना राज्य के 101 विकासखण्डों में 1426 संकुलों में संचालित हो रही थी जो घटकर अब 1059 संकुलों में संचालित है।

(2) कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय : उच्च प्राथमिक भालाओं से भाला त्यागी ऐसी बालिकाऐं जो निम्नलिखित स्थानीय कारणों से जैसे :–

1. परिवार के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा मेहनत, मजदूरी के लिए पलायन करना।
2. वर्शा के दिनों में नदी नाले में पानी भर जाने के कारण भाला नही जा पाना।
3. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होना।
4. स्कूल अधिक दूरी में होने के कारण तथा कामकाजी बालिकाऐं जो 5वीं पास होने के बाद आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ है।

यह भाला उन क्षेत्रों में खोली जा रही है जिस विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता दर वर्श 2001 की जनगणना के अनुरूप राश्ट्रीय औसत महिला साक्षरता दर से कम है तथा महिला पुरूश साक्षरता दर में भी राश्ट्रीय औसत से अधिक अंतर है।

प्रदेश में वर्श 2004–05 में कुल 51 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोला गया है। वर्तमान में 2008–09 में राज्य में कुल 93 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है जिनमें 9100 बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है ।

तालिका क्र. – 10.37
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थिति

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थिति

वर्ष	संख्या
2004-05	51
2005-06	51
2006-07	51
2007-08	84

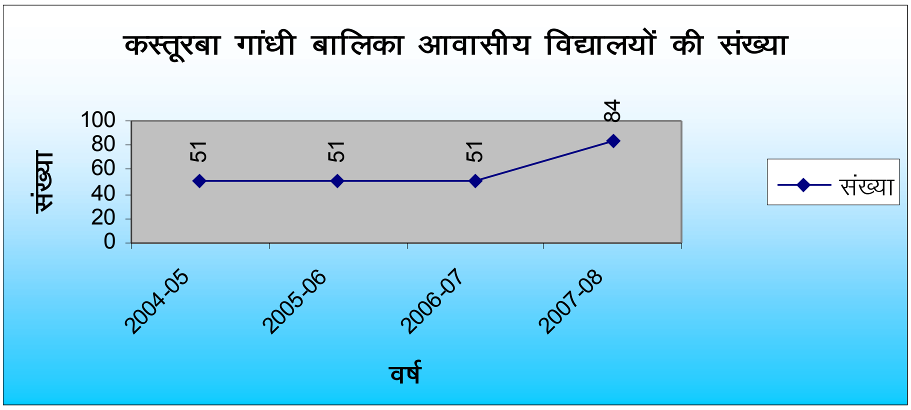

10 इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं :–

1. कम्पयूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1056 आदर्श सहेली शाला, 484 माध्यमिक शालाओं को एवं 69 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराऐं गए है। इन कम्प्यूटरर्स पर ए.पी.एफ. से प्राप्त एज्यूकेशनल सी.डी. को लोड किया गया है। जिन्हें बच्चे खुद देखते एवं समझते है।
2. यूनिसेफ एवं आई.एल.एफ.एस. के सहयोग से स्वास्थ पाठशाला कार्यक्रम शालाओं में साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल, अच्छी स्वस्थ आदतों के विकास के लिए बाल केबिनेट एवं स्वस्थ पाठशाला पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
3. आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य के 09 आदिवासी बाहुल्य जिलों में सभी बोलियों के प्रयोग से पाठ्यक्रम सहज करने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार की जा रही है।

4- नंदी फाउन्डेशन के सहयोग से कांकेर जिले में अकादमिक भौक्षणिक सहयोग प्राप्त हो रहा है।

10.1.6 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्राथमिक स्तर के 32,081 प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 31,04,553 छात्रों एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के भौक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों के 6,016 विद्यालयों में अध्ययनरत् 4,40,843 विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन का लाभ दिया जा रहा है। छ.ग. शासन द्वारा कुकिंग कास्ट के रूप में प्रति छात्र कार्य दिवस 2.50 रू. व्यय किये जा रहे है जिसमें केन्द्रांश रू. 1.50 एवं राज्यांश 1.00 रू. के रूप में है।

तालिका क्र. – 10.38
मध्यान्ह भोजन के लिए बजट आबंटन

मध्यान्ह भोजन के लिए बजट आबंटन

राशि – रू. करोड़ में

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तवित व्यय
2002-03	33.06	25.68
2003-04	36.39	27.29
2004-05	63.12	66.91
2005-06	77.04	60.59
2006-07	77.04	66.92

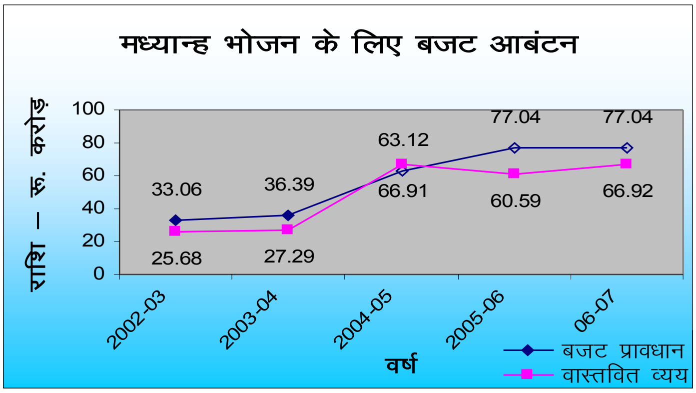

प्रदेश में 12,196 शालाओं में पंचायत द्वारा, 18,672 शालाओं में महिला स्व–सहायता समूह द्वारा, 268 शालाओं में स्थानीय निकाय, 185 शालाओं में स्वंय सेवी संगठन पहल द्वारा और शेष 760 शालाओं में शाला विकास समिति एवं जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित की जा रही है।

- भारत सरकार से निर्दे ाानुसार द्वारा आयरन फोलिक एसिड टेबलेट, विटामिन"ए" की खुराक एवं डिवर्मिंग टेबलेट स्थास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों में वितरित किया जा रहा है एवं बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।
- 01.10.2007 से प्रदे ा के 12 जिलों में 74 भौक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड में संचालित 6,016 अपर प्रायमरी भाालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें 4,40,843 छात्र लाभान्वित हुए।

10.1.6.1 मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण

मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत औसतन 55–59 हजार मिट्रीक टन खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है जिसकी वर्शवार स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.39

मध्यान्ह भोजन के लिए वितरित खाद्यान्न

मध्यान्ह भोजन के लिए वितरित खाद्यान्न

मिट्रिक टन में

वर्ष	वितरित खाद्यान्न
2002-03	55313.08
2003-04	56421.40
2004-05	53800.91
2005-06	58485.10
2006-07	39320.59

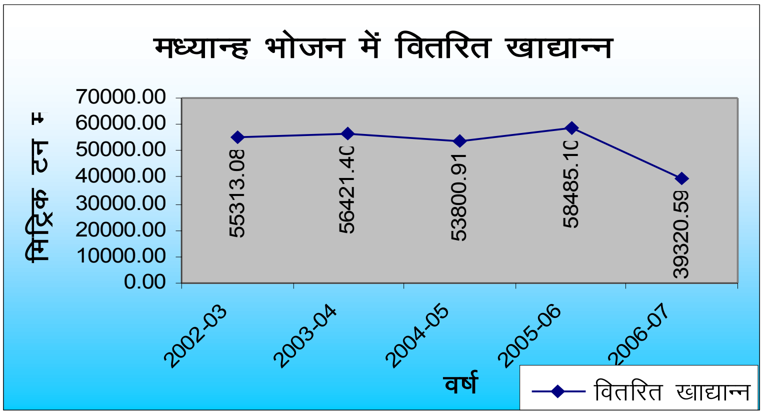

मध्यान्ह भोजन में हितग्राही छात्रों की संख्या लगभग एक समान रहते हुए वर्शवार निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.40

मध्यान्ह भोजन में हितग्राही छात्रों की संख्या

मध्यान्ह भोजन में हितग्राही छात्रों की संख्या

लाखों में

वर्ष	छात्र
2002-03	26.71
2003-04	25.46
2004-05	26.12
2005-06	24.85
2006-07	26.71

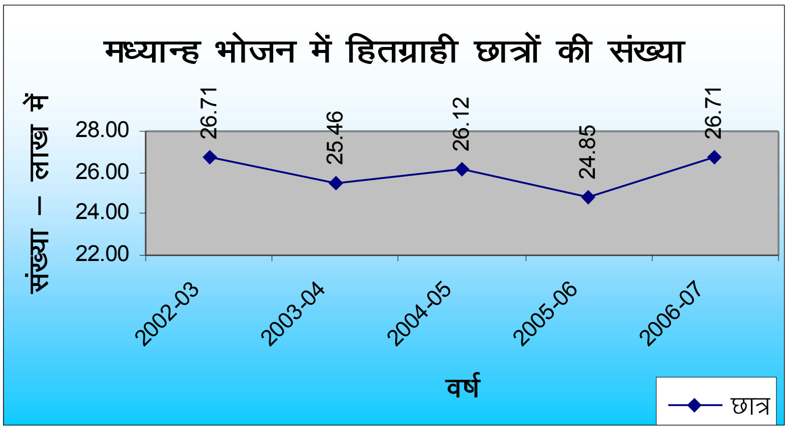

बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन के लिए किचन भोड का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी 2004–05 से अब तक की स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.41
वर्ष 2004–05 से किचन शेड निर्माण

वर्ष 2004–05 से किचन शेड निर्माण

वर्ष	किचन शेड संख्या
2004-05	6372
2005-06	7418
2006-07	8447
2007-08	8912

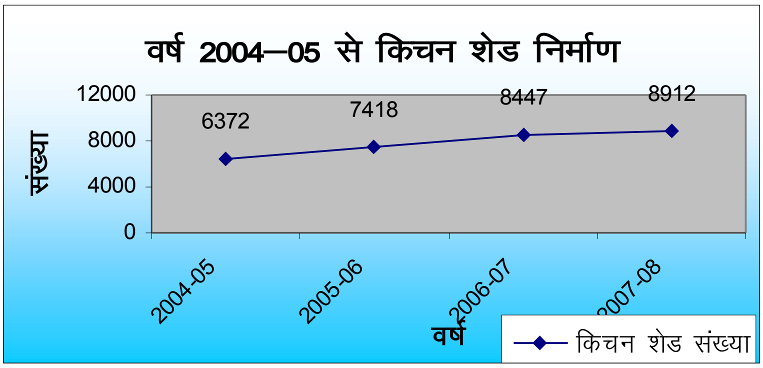

10.1.7 ि ाक्षक कल्याण कार्यक्रम

ि ाक्षक कल्याण प्रतिशठान द्वारा प्रतिवर्श भौक्षिक जिलों से योग्यता तथा उत्कृश्टता के आधार पर उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय ि ाक्षा सम्मान के लिए ि ाक्षकों का चयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिवर्श 4 प्राथमिक व 2 माध्यमिक स्तर के ि ाक्षकों को राश्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है। छ.ग. भाासन द्वारा राज्य के चार मूर्धन्य विद्वानों के नाम पर उनकी स्मृति में 50–50 हजार रूपयों के चार पुरस्कारों की घोशणा की गई है। ये पुरस्कार निम्नांकित है :–

- डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक ाी, स्मृति पुरस्कार
- डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र, स्मृति पुरस्कार
- श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, स्मृति पुरस्कार
- डॉ. मुकुटधर पाण्डेय, स्मृति पुरस्कार

इसके अलावा राज्य के भाासकीय व अ ाासकीय ि ाक्षकों को व उनके परिजनों की बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर आदि के लिए ि ाक्षक कल्याण प्रतिशठान से सहायता दी जाती है।

10.1.8 राज्य भौक्षिक अनुसंधान और प्रि ाक्षण परिशद् (एस.सी.ई.आर.टी.)

एस.सी.ई.आर.टी. के द्वारा पूर्व प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक ि ाक्षकों को प्रि ाक्षण दिया जा रहा हैं। औपचारिक एवं औपचारिकेत्तर ि ाक्षा हेतु पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण एवं प्रका ान एवं भौक्षिक प्रक्रिया एवं भौक्षिक अनुसंधान की उन्नति हेतु गुणात्मक सुधार संबंधी कार्य भी किया जा रहा है।

10.1.9 राज्य भौक्षिक प्रबंध एवं प्रि ाक्षण संस्थान (सीमेट)

सीमेट के द्वारा भौक्षिक प्र ाासकों को भौक्षिक प्रबंधन एवं प्र ाासन में प्रि ाक्षण एवं उन्मुखीकरण, योजना एवं प्रबंधन में मार्गद ान, भाोध कार्य का संवर्धन एवं सूचना प्रणाली का निर्माण, भौक्षिक आव यकता अनुरूप लघु एवं दीर्घ अवधि के प्रि ाक्षण कार्यक्रम का संपादन किया जा रहा है।

10.1.10 ऑग्ल भाशा ि ाक्षण संस्थान (ई.एल.टी.आई.)

ऑग्ल भाशा ि ाक्षण संस्था के द्वारा व्याख्याताओं के लिए प्रि ाक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अंग्रेजी भाशा ि ाक्षण की गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य करना, अंग्रेजी ि ाक्षण में नवाचार, भाोध हेतु समय–समय पर सेमीनार का आयोजन करना एवं पाठ्यपुस्तक कक्षा 1 से 8वी तक सहायक सामग्री का निर्माण करना।

10.1.11 छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड

संस्कृत भाशा की विधिवत प्रतिश्ठा एवं संस्कृत भाशा के प्रचार–प्रसार के लिए 25.03.2003 को राज्य भाासन द्वारा छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड का गठन किया।

- बोर्ड द्वारा प्रदे ा में चल रहे संस्कृत पाठ ाालाओं के विद्यार्थियों को निः ाुल्क पुस्तकें प्रदान किया जा रहा है।
- प्रदे ा के संस्कृत विद्यालयों को आधुनिकीकरण स्वरूप देने के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराया गया है।
- संस्कृत की प्रथमा, पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा भाास्त्री एवं आचार्य उपाधियों की समकक्षता का निर्धारण राज्य भाासन के माध्यम से किया गया। इस कार्य से संस्कृत पाठ ाालाओं में छात्र–छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
- संस्कृत पाठ ाालाओं में अध्यापन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अध्यापकों की व्यवस्था की जा रही है।

10.1.12 राष्ट्रीय छात्र सेना

राश्ट्रीय कैडेट कोर का प्रारंभ पंडित श्री एच. एन. कुन्जरू की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारि ाों के फलस्वरूप 1948 में संसद में राश्ट्रीय कैडेट कोर के गठन के लिए अधिनियम पारित कर सम्पूर्ण भारत में प्रकाि ात हुआ एवं फरवरी 1963 को रायपुर में एन. सी.सी. की ईकाईयॉ स्थापित की गई।

राश्ट्रीय छात्र सेना केन्द्र भाासन द्वारा प्रबंधित है, एवं प्रि ाक्षण की आधी रािा राज्य सरकार द्वारा प्रदाय की जा रही है। राश्ट्रीय छात्र सेना राज्य की युवाओं में अनु ाासन के अतिरिक्त दे ा की एकता, अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता की भावना जागृत करने तथा साहसिक एवं सहायता कार्यों में सराहनीय योगदान दे रही है।

- दे ा की युवाओं में चरित्र, साहचर्य, अनु ाासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच तथा निःस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना।
- संगठित, प्रि ाक्षित एवं प्रेरित युवाओं का एक मानव–संसाधन तैयार करना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना व दे ा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना।
- स ास्त्र सेना में जीविका (कैरियर) बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना।

प्रदे ा के 69 महाविद्यालयों एवं 144 विद्यालयों में राश्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियां संचालित की जा रही है। जिसमें राज्य के वरिश्ठ संभाग से 5017 छात्र–छात्राओं एवं कनिश्ठ संभाग से 12400 छात्र–छात्राओं को एन. सी. सी. का प्रि ाक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ से 10 युनिटें है जिसमें थल सेना की 09 एवं वायु सेना की 01 युनिट है।

प्रदे ा की राजधानी रायपुर में एक नेवल यूनिट, 01 छ.ग. नेवल यूनिट एन.सी.सी. रायपुर के नाम से एन. सी.सी. मुख्यालय भोपाल के आदे ाानुसार स्वीकृति उपरांत खोलने की कार्यवाही चल रही है।

10.1.13 राज्य साक्षरता मि ान प्राधिकरण

राज्य साक्षरता मि ान प्राधिकरण छत्तीसगढ़ का गठन 12 जून 2002 को किया गया। इसका लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के सभी निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना तथा प्राप्त कौ ाल को भविश्य में बनाए रखना है।

राज्य साक्षरता मि ान प्राधिकरण के द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है :–

1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान
2. उत्तर साक्षरता कार्यक्रम
3. सतत् ि ाक्षा कार्यक्रम

जिनका उद्दे ाय निम्नानुसार है :–

- साक्षरता कौ ाल को बनाए रखना एवं उसका विकास करना।
- विकास की गतिविधियों में समाज के सभी लोगों की सहभागिता बढ़ाना।
- राश्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुधार, महिला समानता, छोटा परिवार जैसे राश्ट्रीय महत्व के विशयों के संबंध में जागरूकता पैदा करना।
- पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना।
- गांवों के लोगों की भागीदार तय करना जो स्थानीय आव यकताओं के मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम तैयार कर सके।

10.1.14 छत्तीसगढ़ माध्यमिक ि ाक्षा मण्डल

छत्तीसगढ़ माध्यमिक ि ाक्षा मण्डल, रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यमिक ि ाक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा भाासित एक स्वायत्त ाासी निगमित निकाय है। छ.ग. माध्यमिक ि ाक्षा मण्डल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है।

- छत्तीसगढ़ माध्यमिक ि ाक्षा मण्डल, द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन किया जाता है :–
  - हाईस्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा
  - हाईस्कूल पत्राचार परीक्षा
  - हायर सेकेण्डरी (10+2) स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा एवं पत्राचार परीक्षा
  - हायर सेकेण्डरी (10+2) व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा
  - भाारीरिक प्रि ाक्षण पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा
  - डिप्लोमा इन एजुके ान प्रमाण पत्र परीक्षा

- मण्डल द्वारा पाठ्यक्रम संबंधी निर्दे ा और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में भासन का सलाह दिया जा रहा है।
- पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा ि क्षण कार्य किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को मान्यता।

10.1.15 छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर का गठन छत्तीसगढ़ भासन के स्कूल ि क्षा विभाग द्वारा दिनांक 5/08/2004 को किया गया। जिसका उद्दे य सभी प्रकार के ि क्षा को वि ेश रूप से प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक ि क्षा को उत्तम बनाने एवं बढ़ावा देने के समस्त कार्य इस उद्दे य की पूर्ति हेतु मिलों से पेपर क्रय करके पुस्तकों का मुद्रण प्रतिस्पर्धा दर पर कराकर उनका वितरण करना है।

10.1.16 छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड

पंजीकृत दीनी मदरसों की धार्मिक ि क्षा (दीनी तालीम) के साथ–साथ उनमें अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को आधुनिक ि क्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन करने के लिए छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड का गठन किया है।

छत्तीसगढ़ मदरसाा बोर्ड द्वारा मदरसों को मान्यता देना एवं अपात्र होने पर मान्यता वापस लेना, पाठ्यक्रम विवरण विहित करना तथा पुस्तक वितरण करना, प्राथमिक प्रमाण पत्र एवं पूर्व माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा तथा अदीब उर्दू, माहिर उर्दू तथा मोअल्लिम उर्दू प्रमाण–पत्र परीक्षाओं का संचालन, पत्राचार द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा का संचालन का कार्य किया जाता है।

10.1.17 राज्य में स्कूल ि क्षा पर किया गया व्यय :–

स्कूल ि क्षा पर जहां वर्श 2000–01 में राज्य भासन द्वारा 394.38 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध कराया गया वही वर्श 2007–08 में 1301.80 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया। इस तरह स्पश्ट है कि राज्य भासन स्कूल ि क्षा के प्रति सजग है तथा राज्य निर्माण के समय स्कूल ि क्षा के लिए उपलब्ध कराये जा रहे संसाधनों की तुलना में वर्श 2007–08 में तीन गुना से अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया गया।

तालिका क्र. – 10.42

आबंटन तथा व्यय की जानकारी

आबंटन तथा व्यय की जानकारी

वर्श	आबंटन	व्यय
2000-01	39438.50	21923.40
2001-02	87767.97	54244.81
2002-03	68658.12	54970.87
2003-04	71707.94	59571.05
2004-05	76097.19	65307.80
2005-06	83821.75	73596.74
2006-07	93395.10	81363.37
2007-08	130180.61	106281.18

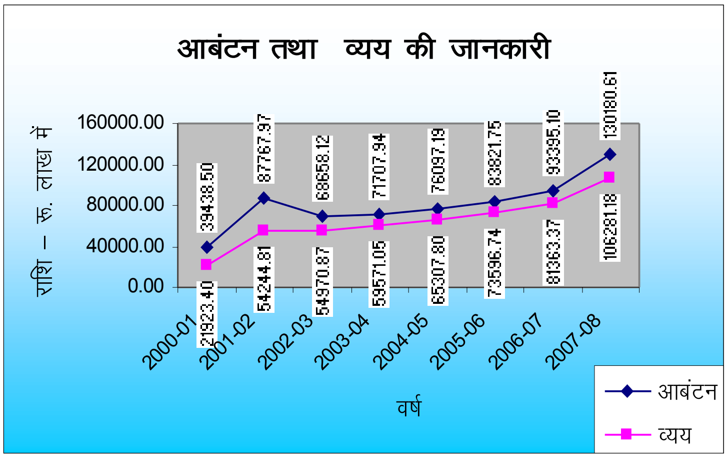

छ.ग. राज्य में ि क्षा को बढ़ावा देने के लिए भासन के द्वारा ि क्षा के लिए प्रति व्यक्ति प्रावधान की गई राि ा का वर्शवार जानकारी निम्नलिखित है :–

तालिका क्र. – 10.43
शिक्षा के लिए प्रति व्यक्ति प्रावधान

वर्ष	प्रावधान (आयोजना एवं अयोजनेत्तर)	सर्वशिक्षा अभियान हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि
	राशि – रू. लाख में	
2000-01	39438.50	
2001-02	87767.97	
2002-03	68658.12	2850.98
2003-04	71707.94	7616.08
2004-05	76097.19	20786.76
2005-06	83821.75	29184.39
2006-07	93395.10	51182.20
2007-08	130180.61	46245.60

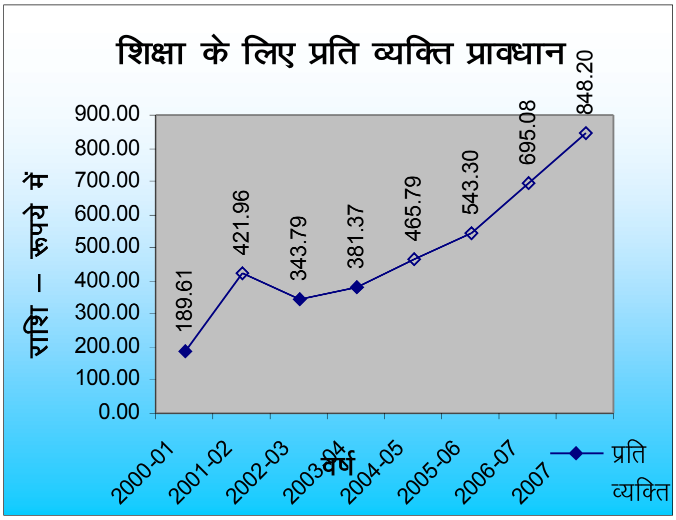

10.1.18 राज्य में साक्षरता एवं समस्याएँ

जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 64.66 प्रतिशत है। पुरूश साक्षरता दर 77.38 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 51.85 प्रतिशत है। गत दशक साक्षरता दर में हुई बढ़ोत्तरी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा राज्य को पुरस्कृत किया गया है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी हमें मीलों दूर जाना हैं। राज्य में जहां सर्वाधिक साक्षरता राजनांदगांव जिले में है तथा रायगढ़, दुर्ग, धमतरी एवं कांकेर जिलों की साक्षरता 70 प्रतिशत से अधिक है, वही बस्तर जिले की साक्षरता मात्र 43.91 प्रतिशत तथा दंतेवाड़ा की साक्षरता 30.17 प्रतिशत है। पुरूश साक्षरता में रागयढ़, जांजगीर–चाम्पा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी तथा कांकेर जिलों की सारक्षरता 80 प्रतिशत से अधिक है। दूसरी ओर दंतेवाड़ा में पुरूश साक्षरता मात्र 39.75 प्रतिशत है। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता 67.55 प्रतिशत राजनांदगांव जिले में है। तथा सबसे कम महिला साक्षरता दंतेवाड़ा जिले में 20.75 प्रतिशत है अतः महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख समस्या आ रही है, उसमें अधोसंरचना, बुनियादी सुविधा एवं मानव संसाधन की समस्या प्रमुख है। ◁ 198 ▷

- 394 हाईस्कूल, 207 उच्च माध्यमिक शाला के लिए भवन निर्माण किया जाना शेष है।
- राज्य में 3,345 प्राथमिक शाला एवं 481 उच्च प्राथमिक शाला के भवन जर्जर अवस्था में है।
- 2,105 प्राथमिक शाला, 308 पूर्व माध्यमिक शाला, 56 हाईस्कूल तथा 43 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में, जहां यथा शीघ्र नवीन भवन बनवाया जाना होगा।
- 6,770 प्राथमिक शालाओं में 13,540 अतिरिक्त कक्ष, 637 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 1,274 अतिरिक्त कक्ष, 296 हाईस्कूलों में 1,184 अतिरिक्त कक्षा तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 1088 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।
- 18,500 शिक्षक आवास की आवश्यकता है।
- 29,083 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में विद्युतीकरण का अभाव है।
- 422 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विद्युतीकरण किया जाना शेष है।
- राज्य के 1,1931 प्राथमिक शालाओं, 3,221 पूर्व माध्यमिक शालाओं, 277 हाईस्कूल तथा 199 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शौचालय की सुविधा नही है।
- 1774 प्राथमिक शालाओं, 1888 पूर्व माध्यमिक शालाओं, 170 हाईस्कूल तथा 93 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पेयजल की सुविधा नही है।
- विभिन्न स्तरों के स्कूलों में प्राचार्य एवं शिक्षकों की कमी है, जिसे वर्श 2008–09 में लगभग 40,000 शिक्षाकर्मी की नियुक्ति कर पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

10.2 उच्च ि क्षा

राज्य में एक प्रगति ील एवं पुरोगामी उच्च ि क्षा नीति अपनाई गयी है जो युवाओं के संर्वागीण विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है । यह नीति रोजगारोन्मुखी ि क्षा प्रदान करने के साथ–साथ युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक न्याय सुनि चत करते हुए, नये राज्य के उज्जवल भविश्य हेतु महिलाओं की भागीदारी प्रोत्साहित करने हेतु उद्देि ित है । उच्च ि क्षा विभाग उपरोक्त उद्दे यों की पूर्ति करते हुए प्रदे ा को उच्च ि ाक्षित बनाने हेतु अनवरत प्रयासरत है ।

उच्च ि ाक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य में कुल 05 निम्नलिखित वि वविद्यालय संचालित हैः–

1. पंडित रवि ंकर भाुक्ल वि वविद्यालय, रायपुर
2. गुरू घासीदास वि वविद्यालय, बिलासपुर
3. इंदिरा कला संगीत वि वविद्यालय, खैरागढ़
4. पंडित सुंदर लाल भार्मा (मुक्त) वि वविद्यालय, बिलासपुर
5. कु ाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार वि वविद्यालय, रायपुर

- पं. रवि ंकर भाुक्ल वि.वि. के अंतर्गत कुल 215 महाविद्यालय संबद्ध है । जिनमें से 85 भाासकीय महाविद्यालय, 06 अनुदान प्राप्त तथा 124 गैर अनुदान प्राप्त है।

- गुरू घासीदास वि.वि. के अंतर्गत कुल 137 महाविद्यालय संबद्ध है । जिनमें से 55 भाासकीय महाविद्यालय, 08 अनुदान प्राप्त तथा 74 गैर अनुदान प्राप्त है ।

- इंदिरा कला संगीत वि वविद्यालय एि ाया का एकमात्र संगीत वि वविद्यालय है जिनमें 29 पाठ्यक्रम संचालित है तथा वि वविद्यालय से 42 महाविद्यालय संचालित किये जा रहे है । जिनमें से 10 भाासकीय महाविद्यालय, 13 अनुदान प्राप्त तथा 19 गैर अनुदान प्राप्त है ।

- पं. सुन्दर लाल भार्मा वि.वि. के अंतर्गत राज्य में कुल 154 अध्ययन केन्द्र संचालित है।

- कु ाभाऊ ठाकरे वि.वि. के अंतर्गत राज्य में कुल 11 महाविद्यालय संचालित है । जिसमें से 07 भाासकीय महाविद्यालय तथा 04 अ ासकीय महाविद्यालय संचालित है ।

विभाग के अंर्तगत राज्य में कुल 03 निम्नलिखित आयोग/ अकादमी संचालित हैः–

1. छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र वि वविद्यालय विनियामक आयोग
2. छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी
3. छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी

विगत वर्शो में कई उल्लेखनीय सफलताओं को हासिल किया गया है । वि वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की अधोसरंचना, भौक्षणिक गुणवत्ता एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भाासकीय प्रयास के साथ ही निजी क्षेत्रों को भी अवसर प्रदान किये जा रहे है फलस्वरूप उच्च ि ाक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन एवं रूचि दृश्टिगोचर हो रही है, जिसने राज्य को अल्प समय में ही राश्ट्रीय परिदृ य में ला खड़ा किया है ।

- रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर तथा अम्बिकापुर में मॉडल कालेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है।
- राज्य में चार मॉडल कॉलेज में इन्स्टूमेंटे ान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ।
- सभी भाासकीय महाविद्यालयों का नेटवर्किंग करना तथा कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है ।
- महाविद्यालयों में व्यावसायिक एवं रोजगारमूलक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है ।
- राज्य में नए स्व ाासी महाविद्यालय स्थापित करना एवं वर्तमान स्व ाासी महाविद्यालयों को सुदृढ़ किया गया है ।
- नेक द्वारा मूल्यांकन कराने हेतु महाविद्यालयों को तैयार किया जा रहा है।

राज्य में भासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.44

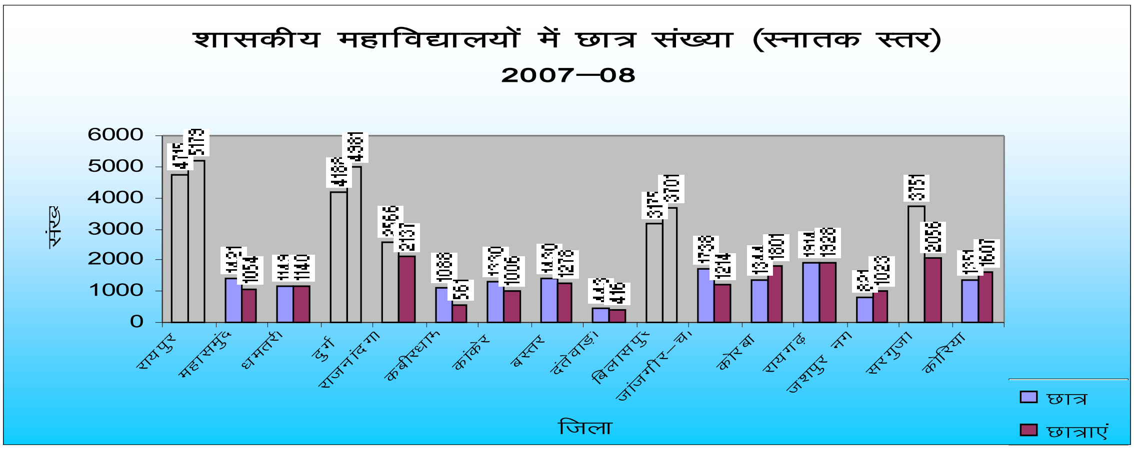

राज्य में भासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.45

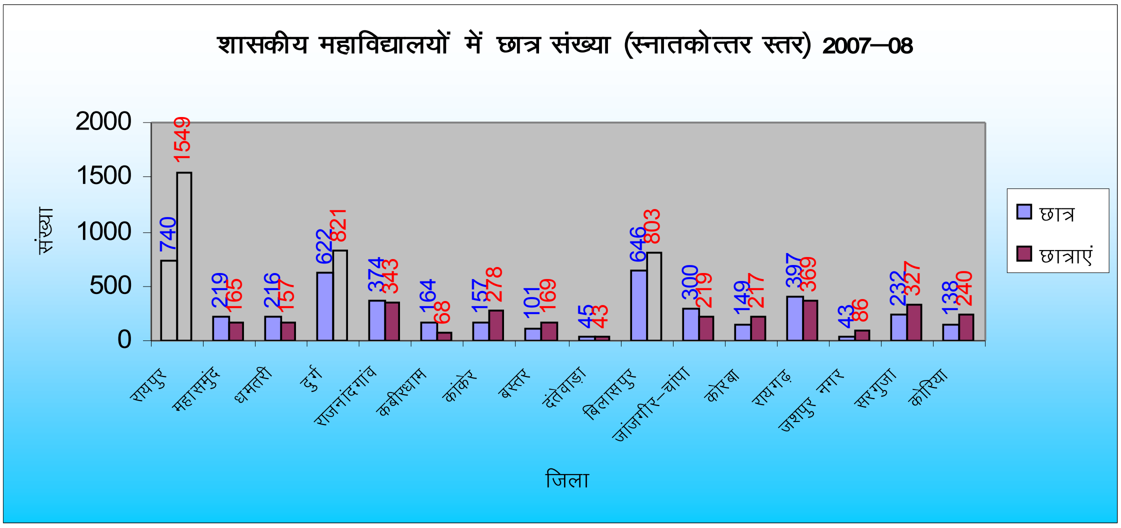

◁ 200 ▷

भासकीय महाविद्यालयों में वर्श 2007–08 की स्थिति में स्नातक स्तरीय छात्रो की संख्या कुल 63524 थी, जिसमें 32424 छात्र तथा 31100 छात्राएं थी । इस तरह स्नातक स्तर पर छात्र छात्राओं का अनुपात 51:49 रहा । वही स्नातकोत्तर स्तर पर भासकीय महाविद्यालयों में कुल छात्र 10397 थे । जिसमें छात्र 4543 तथा छात्राएं 5854 थी । इस प्रकार छात्र छात्राओ का अनुपात 44:56 रहा जिससे यह पता चलता है कि स्नातक के बाद छात्रो द्वारा अकादमी पाठ्यक्रम के स्थान पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अथवा अन्य रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है ।

भासकीय महाविद्यालयों में वर्श 2007–08 की स्थिति में स्नातक स्तरीय एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं की संवर्गवार निम्न दंडआलेख में संख्या दी गई है –

स्नातक स्तर पर संवर्गवार स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.46

शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर
संवर्गवार विद्यार्थियों की संख्या

संवर्ग	छात्र	छात्राएं
सामान्य	6107	9864
अनु. जाति	4872	3383
अ.ज.जा.	7445	5657
अ.पि.व.	13922	12124
अन्य	78	72

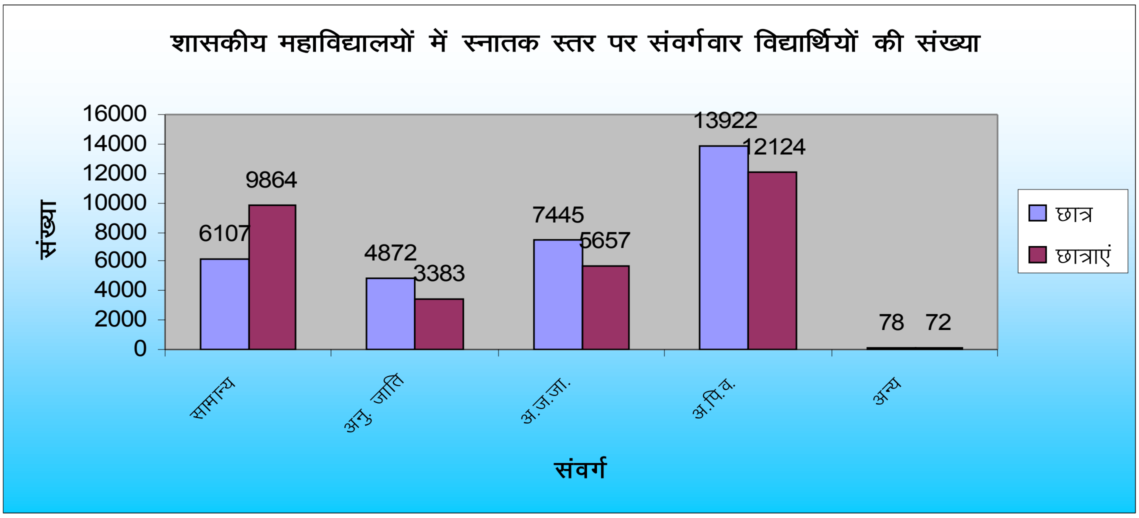

स्नातकोत्तर स्तर पर संवर्गवार स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.47

संवर्ग	छात्र	छात्राएं
सामान्य	851	2387
अनु. जाति	904	644
अ.ज.जा.	950	794
अ.पि.व.	1816	1998
अन्य	22	31

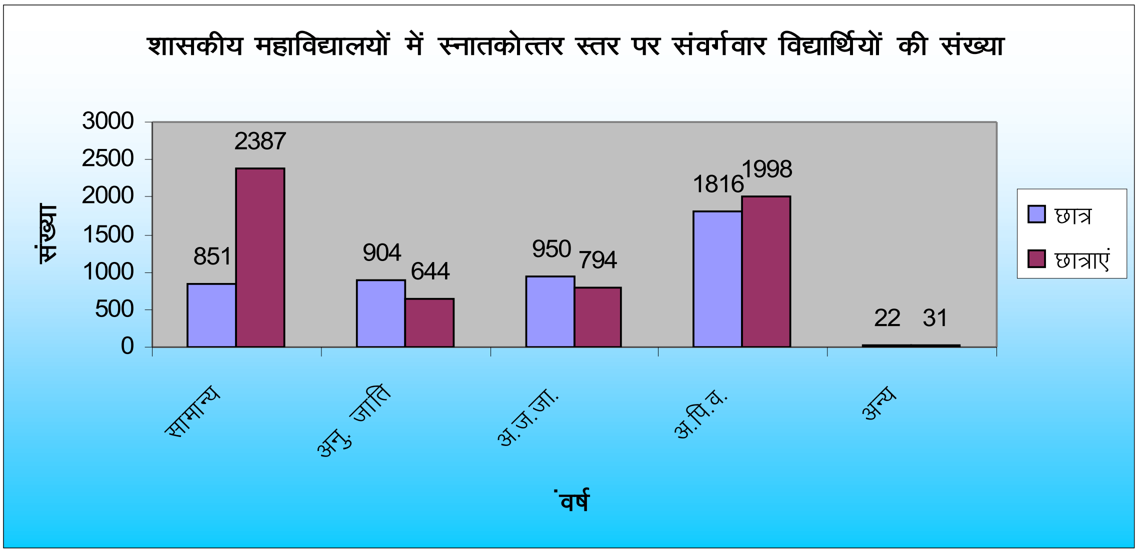

बजट प्रावधान

वर्श 2002–03 में उच्च ि क्षा हेतु बजट प्रावधान रू. 102.09 करोड़ था । जिसमें वर्श 2007–08 तक 76 प्रति त की वृद्धि हुई तथा वर्श 2007–08 में उच्च ि क्षा के लिए रू. 180.07 करोड़ का प्रावधान किया गया । वर्श 2002–03 से अब तक कुल बजट प्रावधान निम्नानुसार रहा :–

तालिका क्र. – 10.48
कुल बजट प्रावधान

कुल बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष	कुल प्रावधान
2002-03	10209.69
2003-04	12956.77
2004-05	14302.99
2005-06	17591.46
2006-07	17014.37
2007-08	18007.36

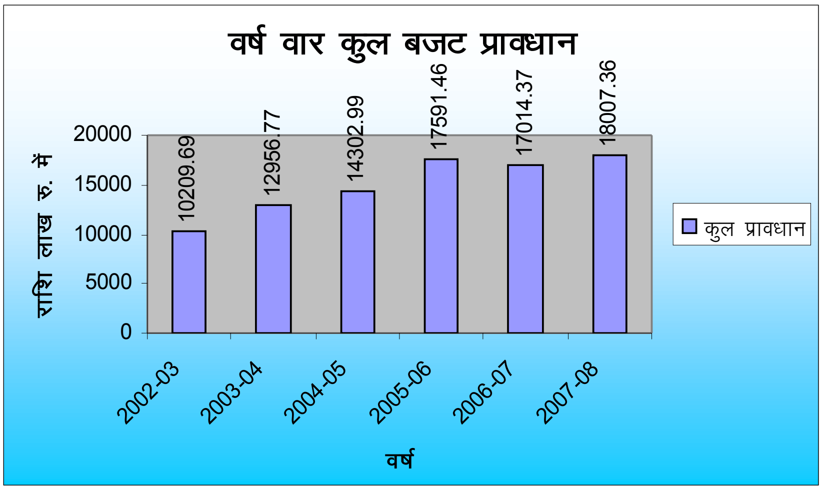

उच्च ि क्षा हेतु आयोजना एवं आयोजनेत्तर मद में वर्शवार प्रावधान निम्नानुसार रहा :–

तालिका क्र. – 10.49
कुल बजट प्रावधान

कुल बजट प्रावधान

वित्तीय वर्ष	आयोजना	आयोजनेत्तर
2002-03	2943.12	7266.57
2003-04	5261.68	7695.09
2004-05	4999.16	9303.83
2005-06	9236.22	8355.24
2006-07	8179.34	8835.03
2007-08	7620.81	10386.55

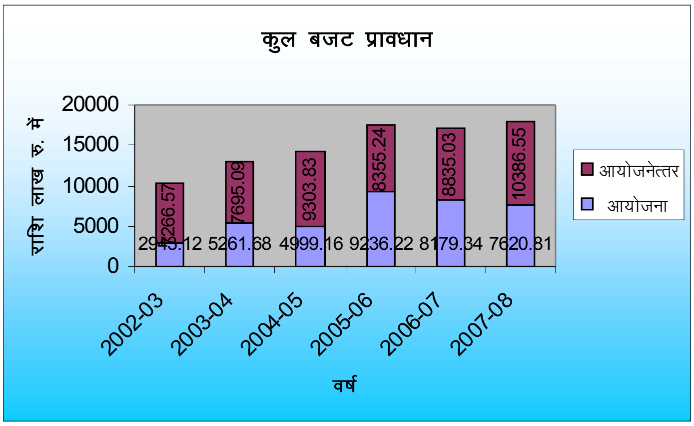

उच्च ि क्षा हेतु आयोजना मद में वर्शवार व्यय निम्नानुसार रहा :–

तालिका क्र. – 10.50
आयोजना पर व्यय

आयोजना पर व्यय

वित्तीय वर्ष	व्यय राशि
2002-03	2785.17
2003-04	3855.69
2004-05	2918.31
2005-06	8614.61
2006-07	3755.22
2007-08	4750.16

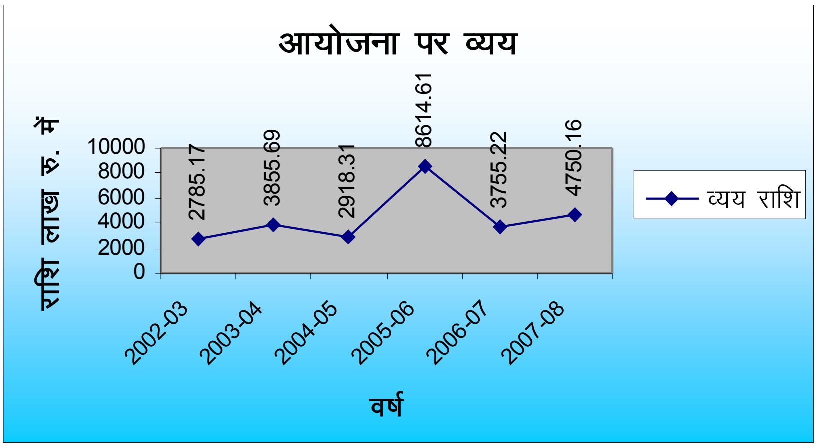

10.3 तकनीकी f क्षा

10.3.1

प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न होने के कारण राज्य में विकास की असीम संभावनाएं है जिस कारण उद्योगो के स्थापना हेतु अवसर उपलब्ध है । राज्य में सीमेंट, लोहा, एल्यूमिनियम तथा बिजली उत्पादन के अनेक बड़े उद्य ोगो के साथ साथ बड़ी संख्या में लघु उद्योग भी स्थापित है । राज्य के विकास में मानव संसाधन के विकास के लिए तकनीकी f क्षा पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है ।

राज्य में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास के लिये इस्पात नगरी भिलाई में स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ।

10.3.1.1 राज्य में तकनीकी f क्षा संस्थाओं की वर्तमान स्थिति –

- वर्तमान में 03 भाासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 02 स्व ाासी तथा 14 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय है । जिनकी कुल क्षमता 6440 सीटो की है ।
- 13 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय है जिनकी कुल क्षमता 2385 सीटो की है ।
- 07 एम सी ए संस्थाएं है । जिनकी कुल क्षमता 405 सीटो की है ।
- 08 एम बी ए संस्थाएं है जिनकी कुल क्षमता 780 सीटो की है ।
- 09 फार्मेसी कालेज है जिनकी डी फार्मा कोर्स में कुल क्षमता 450, बी फार्मा में 480 तथा एम फार्मा में 40 सीटो की है ।इसके अतिरिक्त राज्य में 01 आर्किटेक्चर कालेज है जिसकी कुल क्षमता 20 सीटो की है ।

राज्य निर्माण के पश्चात इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या जहां दोगुनी हो गई है वहीं फार्मेसी से संबंधित शिक्षण की अनेक संस्थाएं स्थापित की गई है जिससे दक्ष मानव संसाधन तैयार करने में राज्य सक्षम हो रहा है ।

10.3.1.2 वर्श 2000 एवं 2007–08 की स्थिति में तकनीकी संस्थाओं का तुलनात्मक स्थिति

तालिका क्र. – 10.51

क्र.	संस्थाएं	1 नव. 2000 की स्थिति में	वर्श 2007–08 की स्थिति में
1.	इंजीनियरिंग	11	19
2.	पॉलीटेक्निक	10	13
3.	एम.सी.ए	4	7
4.	एम.बी.ए	3	8
5.	एम. फार्मा	0	2
6.	बी. फार्मा	0	8
7.	डी. फार्मा	1	8
8.	आर्किटेक्चर	1	1

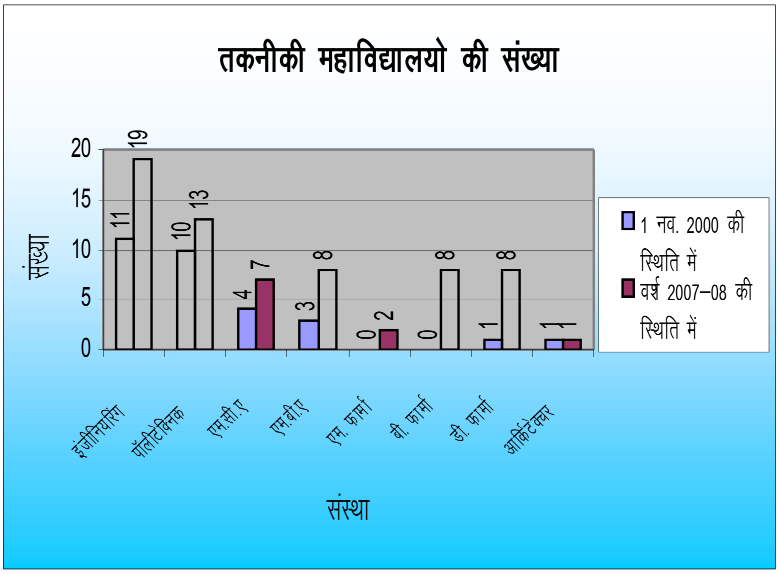

वर्श 2008–09 तक इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थिति वर्शवार निम्नानुसार है, जो 11 से बढ़कर 38 हो गयी है ।

तालिका क्र. – 10.52
इंजीनियरिंग महाविद्यालय

वित्तीय वर्ष	संस्थाएं
2000-01	11
2001-02	12
2002-03	12
2003-04	12
2004-05	14
2005-06	14
2006-07	14
2007-08	19
2008-09	38

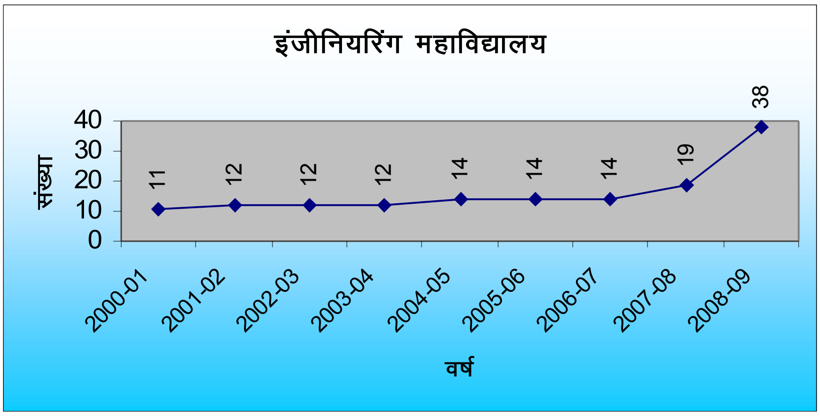

राज्य स्थापना के बाद पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना की स्थिति वर्शवार निम्नानुसार है जो 10 से बढ़कर 13 हो गई है ।

तालिका क्र. – 10.53

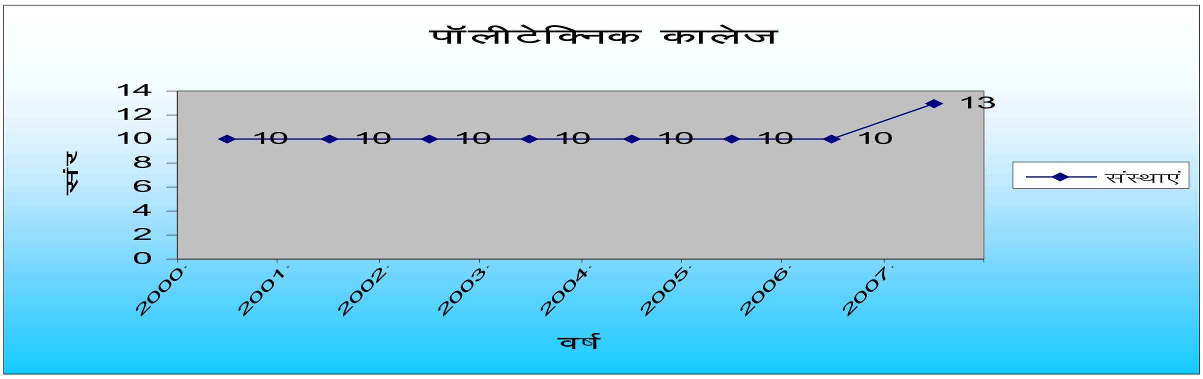

10.3.1.3 राज्य में तकनीकी संस्थाओं की सीट क्षमता

- राज्य में छत्तीसगढ़ निर्माण के समय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कुल सीट क्षमता 2750 थी जो वर्श 2008–09 तक बढ़कर 11580, वर्श 2007–08 तक यह क्षमता 6440 थी ।
- वर्श 2000 में पॉलीटेक्निक कालेजों में कुल सीट क्षमता 1495 थी जो वर्श 2007–08 तक बढ़कर 2385 हो गई ।
- वर्श 2000 में एम.सी.ए. में कुल सीट क्षमता 210 थी जो वर्श 2007–08 तक बढ़कर 405 हो गई ।
- वर्श 2000 में एम.बी.ए. की कुल सीट क्षमता 160 थी जो वर्श 2007–08 तक बढ़कर 780 हो गई ।
- वर्श 2000 में एम. फार्मा की सुविधा नही थी जो वर्श 2007–08 तक 40 हो गई।
- वर्श 2000 में बी. फार्मा की सुविधा नही थी जो वर्श 2007–08 तक 480 हो गई ।
- वर्श 2000 में डी. फार्मा की कुल सीट क्षमता 30 थी जो वर्श 2007–08 तक बढ़कर 450 हो गई ।
- वर्श 2000 में आर्किटेक्चर की कुल सीट क्षमता 20 थी जो वर्श 2007–08 तक बढ़कर 40 हो गई ।

तालिका क्र. – 10.54

संस्थाएं	वर्ष 1 नव. 2000 की स्थिति में (सीटो की क्षमता)	वर्श 2007–08 की स्थिति में (सीटो की क्षमता)
इंजीनियरिंग	2750	6440
पॉलीटेक्निक	1495	2385
एम.सी.ए	210	405
एम.बी.ए	160	780
एम. फार्मा	0	40
बी. फार्मा	0	480
डी. फार्मा	30	450
आर्किटेक्चर	20	40

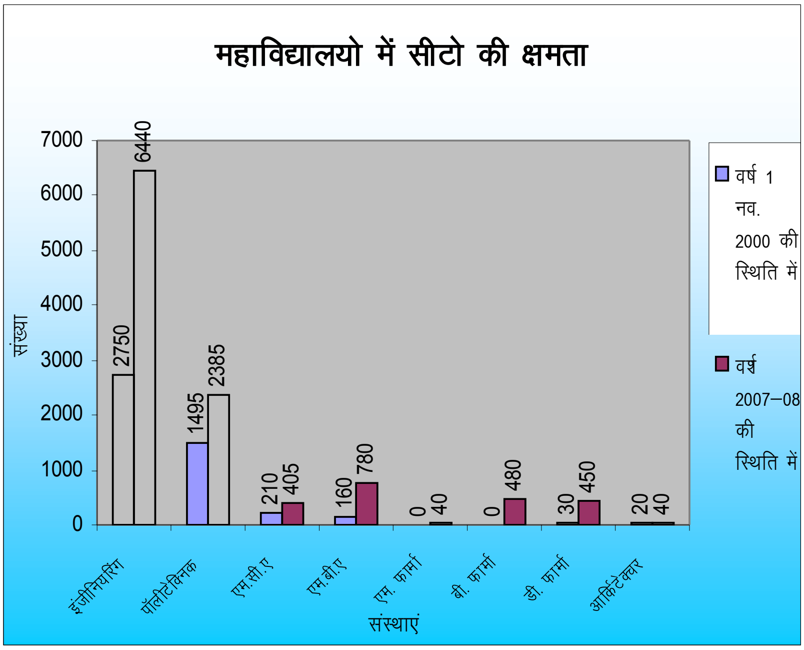

तालिका क्र. – 10.55
इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की सीट क्षमता

वित्तीय वर्ष	सीट क्षमता
2000-01	2730
2001-02	3170
2002-03	3335
2003-04	3445
2004-05	4690
2005-06	4440
2006-07	4670
2007-08	6640
2008-09	11580

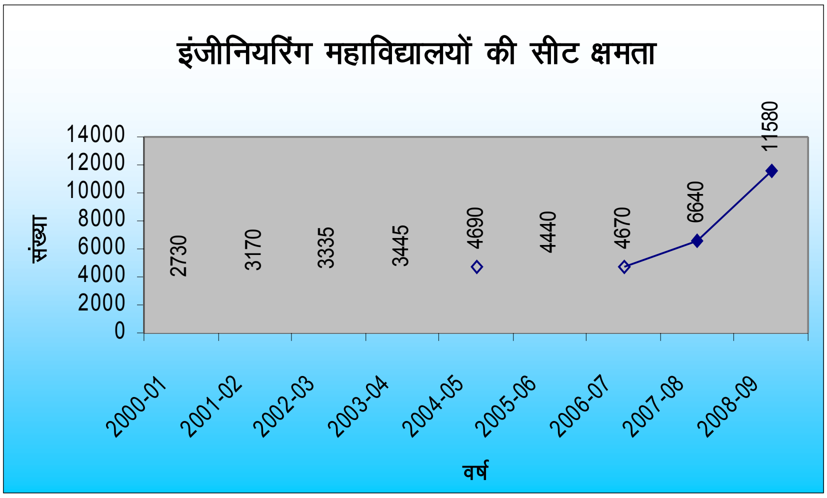

तालिका क्र. – 10.56

संस्थाएं	वर्ष नव. 2000 की स्थिति में	वर्श 2007–08 की स्थिति में
सिविल	100	170
मैकिनिकल	430	1360
इलेक्ट्रिकल	260	330
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन	500	1420
इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	0	630
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्सट्रूमेनसन	0	120
केमिकल	160	120
कम्प्यूटर साइंस	610	1240
इन्फारमेसन टेक्नॉलाजी	480	910
माईनिंग	70	20
इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन	60	60
मेटलर्जी	60	0
बायो टेक्नॉलाजी	0	60
आर्किटेक्चर	20	40

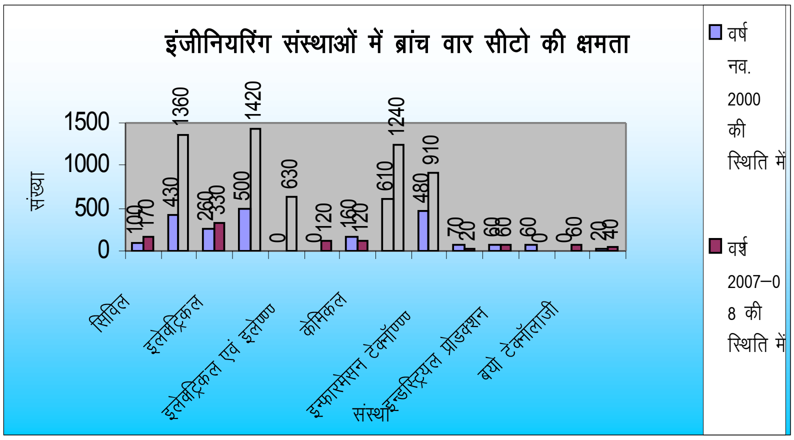

तालिका क्र. – 10.57
पॉलीटेक्निक संस्थाओं में ब्रांच वार सीटो की क्षमता

क्र.	संस्थाएं	वर्ष नव. 2000 की स्थिति में	वर्श 2007–08 की स्थिति में
1	सिविल	120	180
2	मैकिनिकल	330	420
3	इलेक्ट्रिकल	300	430
4	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन	135	190
5	केमिकल	0	30
6	कम्प्यूटर साइंस	75	265
7	इन्फारमेसन टेक्नॉलाजी	90	90
8	माईनिंग	40	40
9	मेटलर्जी	90	130
10	आर्किटेक्चर	30	30
11	कस्टम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग	60	90
12	इंटेरियर डेकोरेशन	30	30

13	प्रिंटिंग टेक्नोलाजी	0	40
14	माडर्न आफिस मैनेजमेंट	120	120
15	माईन सर्वेंग	0	0
16	मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स	0	0
17	इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम	0	0
18	प्लांट इंजीनियरिंग	0	0
19	मेडिकल लेबोरटी टेक्नालॉजी	0	0

पालीटेक्निक कालेज में वर्शवार सीट क्षमता निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 10.58

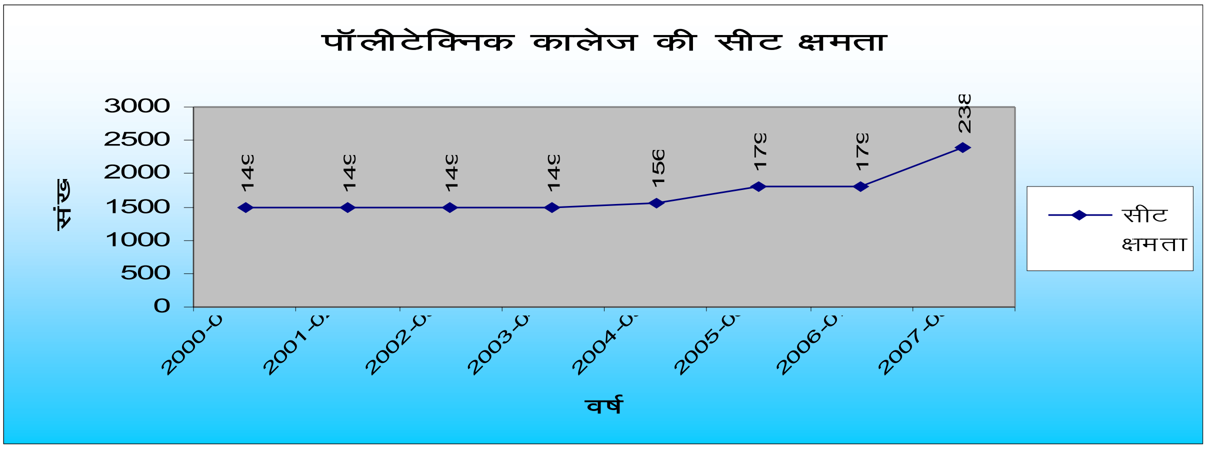

10.3.1.4 तकनीकी शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय का प्रावधान

तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये वित्तीय प्रावधानों में 10 गुने से अधिक वृद्धि की गई है जो राज्य के दक्ष मानव संसाधन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है । वर्शवार व्यय की स्थिति निम्नानुसार रही :–

तालिका क्र. – 10.59

वित्तीय वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय राशि
2000-01	240.38	119.44
2001-02	513.6	319.81
2002-03	691.12	546.05
2003-04	779.76	462.35
2004-05	1453.4	1057.73
2005-06	1508.9	1103.38
2006-07	1604.1	806.22
2007-08	2593.17	1942.91

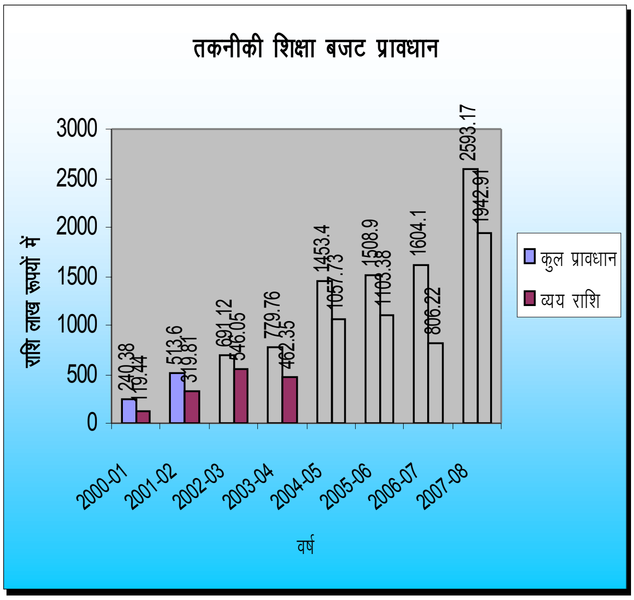

10.3.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये एवं विकास

राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली (NCVT) के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme) के अंतर्गत वर्तमान में 87 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाऐं संचालित की जा रही हैं। जिनका मुख्य उद्देश्य वर्तमान एवं भविष्य की जन क्ति की आव यकता को मांग के अनुरूप पूर्ति करने शिल्पकारों को तैयार करना है जिससेः–

- घरेलू उद्योगों के लिए विभिन्न व्यवसायों में कुशल कारीगरों की नियमित रूप से पूर्ति हो सके।
- व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन में गुणवतता एवं वृद्धि हो सके।
- शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके।
- युवा पीढ़ी में तकनीकी एवं औद्योगिक रूझान विकसित हो सके।

रोजगार के अवसर–

आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के लिये रोजगार एवं स्वरोजगार के सर्वाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। निजीकरण के इस दौर में आई.टी.आई. से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी सम्मानजनक जीवन यापन करने सफल साबित हो रहे हैं। इन्हें हर क्षेत्र में चाहे वो वृहद्, मध्यम, लघु एवं कुटीर उद्योग हो, चाहे वो रेल्वे, आर्मी, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, केमिकल प्लांट या कोई अन्य प्लांट हो, चाहे मंत्रालय या भासकीय कार्यालयों में कोई जॉब हो, चाहे अपनी स्वयं की दुकान चलानी हो, सफलता मिल रही है।

10ण्3ण्2ण्1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रगति

तालिका क्र. – 10.60

वर्ष	आई.टी.आई की संख्या	प्रशिक्षणार्थी संख्या	औसत प्रशिक्षणार्थी संख्या
2000–01	44	5960	135
2001–02	56	6408	114
2002–03	61	6664	109
2003–04	61	7048	116
2004–05	61	7328	120
2005–06	68	8236	121
2006–07	80	10078	126
2007–08	87	14440	165

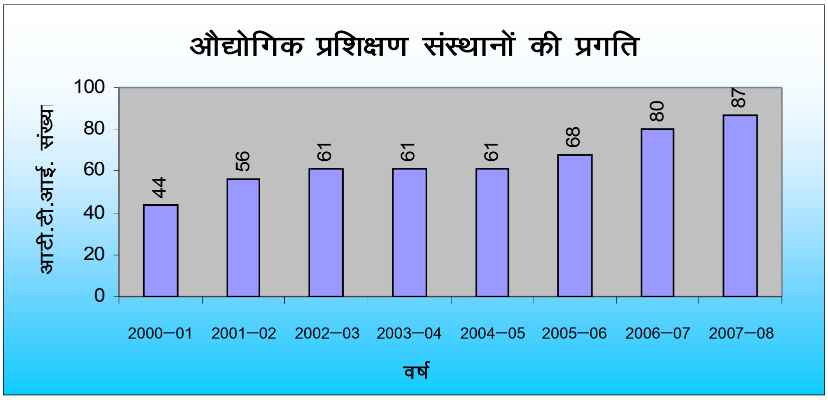

वर्ष 2000–01 में आई.टी.आई. की संख्या 44 थी, जो बढ़कर वर्ष 2007–08 में 87 हो गई है। राज्य में वर्तमान में 146 विकास खण्डों में से 74 विकास खण्डों में 88 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाये संचालित हैं। शेष 72 विकास खण्डों में 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) तक खोलने का प्रस्ताव है।

राज्य में 87 आई.टी.आई में से 37 आई.टी.आई. का स्वंय का भवन उपलब्ध नहीं है। जिसमे से 12 संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु भूमि आंबटन प्राप्त हो चुकी है। प्रति संस्था भवन निर्माण पर लगभग राशि 175.00 लाख व्यय अनुमानित है। इस प्रकार 12 संस्थाओं में भवन निर्माण हेतु लगभग राशि रू. 2,100.00 लाख का व्यय संभावित है।

संचालित 42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई जिससे लगभग 1,600 अतिरिक्त युवा आधुनिक तकनीकी पर आधारित प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2000–01 में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 5,960 थी। जो बढ़कर वर्ष 2007–08 में 14,440 हो गई है।

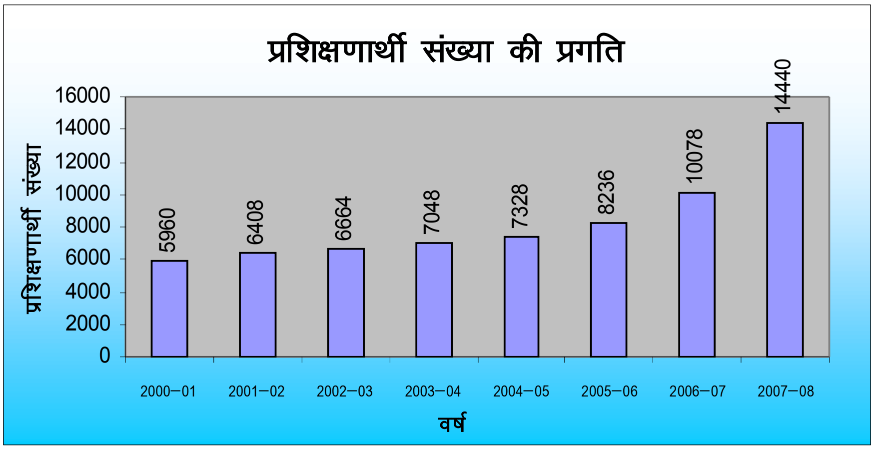

10.3.2.2 NCVT के संचालित व्यवसाय –

राज्य में वर्तमान में संचालित NCVT के व्यवसायों की सूची							
इंजीनियरिंग व्यवसाय				नान–इंजीनियरिंग व्यवसाय			
द्विवर्षीय पाठ्यम		एकवर्षीय पाठ्यम		एकवर्षीय पाठ्यम		छमाही पाठ्यम	
1	फिटर	1	वेल्डर	1	कटिंग टेलरिंग	1	ड्रायवर कम मैकेनिक (लाइट मोटर व्हीकल)
2	टर्नर	2	मोल्डर	2	ड्रेस मेकिंग		
3	मशीनिष्ट	3	कारपेंटर	3	सेक्रेटरियल प्रेक्टिस		
4	मशीनिष्ट ग्राइंडर	4	शीटमेटल	4	स्टेनोग्राफी हिन्दी		
5	उपकरण यांत्रिकी	5	डीजल मैकेनिक	5	स्टेनोग्राफी अंग्रेजी		
6	मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एवं एअर कंडीशनिंग	6	ट्रेक्टर मैकेनिक	6	डाटा एंट्री आपरेटर		
7	ड्राफट्समैन मैकेनिक	7	प्लंबर	7	प्रिजरवेशन ऑफ फूड एंड वेजीटेबल		
8	मेटर मैकेनिक	8	मेसन	8	कम्प्युटर आपरेटर एंड प्रोग्रोमंग असिस्टेंट		
9	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटेनेस	9	ब्लैक स्मिथी	9	डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपरेटर		
10	मैकेनिक कम्प्युटर हार्डवेयर			10	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग		
11	विद्युतकार			11	हेंड विविंग		
12	वायरमेन			12	लायब्रेरी एंड इंफरमेशन साइंस		
13	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक						
14	रेडियो एंड टेलीविजन मैकेनिक						
15	ड्राफट्समैन सिविल						
16	सर्वेयर						
17	पेंटर जनरल						
18	पैटर्न मेकर						

वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 18 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एवं 9 एक वर्षीय पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 12 एक वर्षीय एवं 01 छमाही पाठ्यक्रम में नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

10.3.2.3 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (Apprenticeship Training Scheme)

भारत भाासन के ि ाक्षुता अधिनियम 1961 में निहित प्रावधानों के अनुरूप ही राष्ट्रीय शिक्षुता परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को उद्य ोगों एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादन/वास्तविक कार्य के साथ संलग्न कर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू की गई है, जिससे उद्योगों के मांग अनुरूप ही कुशल कारीगर तैयार हो सकें एवं औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्वि हो साथ–साथ ही नियमित रूप से उद्योगों को अपनी जरूरत के अनुसार कुशल टेक्नीशियन मिलते रहें।

शिक्षुओं को जनवरी 2008 से तकनीशियन (व्यवसायिक) शिक्षु रू. 1,440 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रतिश्ठान द्व ारा दी जाती है। आई.टी.आई. के व्यवसाय की अवधि को शिक्षु प्रशिक्षण अवधि में छूट प्रदान की जाती है।

तालिका क्र. – 10.61

राज्य में शिक्षु प्रशिक्षण की स्थिति

कं	क्षेत्र/प्रतिश्ठान	निर्धारित स्थान	नियोजन
1	निजी क्षेत्र/प्रतिष्ठान	746	471
2	सार्वजनिक क्षेत्र/प्रतिष्ठान	462	10
	योग	**1208**	**481**

प्रि ाक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही–

विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्वि हेतु रिक्त शैक्षणिक पदों पर नियमित/संविदा नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रशिक्षकों की नियुक्ति से प्रशिक्षण गुणवत्ता में वृद्वि सुनिश्चित की जा सकेगी।

तालिका क्र. – 10.62

भाासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्तियां

कं	छात्रवृत्ति का प्रकार	राशि (प्रतिमाह)
1	सामान्य छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा के अंतर्गत)	100.00
2	योग्यता छात्रवृत्ति (Merit Scholarship)	125.00
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति	335.00
	* छात्रावासी	335.00
	* गैर छात्रावासी	140.00

10.3.2.4 अधोसंरचना विकास (संस्थाओं की भूमि/भवन एवं छात्रावास)–

वर्तमान में राज्य गठन के समय संचालित 44 संस्थाओं में से 10 संस्थाओं के पास स्वयं की भूमि नहीं थी तथा 14 संस्थाओं के स्वयं के भवन उपलब्ध नहीं थे। राज्य बनने के बाद से प्रगति निम्नानुसार है–

तालिका क्र. – 10.63

कं		कुल उपलब्ध,	स्वयं का भवन	अन्य भासकीय भवन	निजी भवन (किराये पर)
	संस्था भवन–	87	50	16,	21*
I	**छात्रावास भवन**	23	21		02**
निर्माणाधीन भवन					
	संस्था भवन–	18***			
	छात्रावास भवन	04****			

नोट–*रायपुर, महिला–रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, नगरी–सिहावा, बालोद, बेरला, कबीरधाम, जगदलपुर, तिल्दा–नेवरा, अन्तागढ़, सूरजपुर, वाड्रफनगर, मनेन्द्रगढ़, कांकेर, लैलूंगा, तपकरा, अकतरा, करतला

** कसडोल, बलौदाबाजार

*** रायपुर, महिला रायपुर, कसडोल, गरियाबंद, बेरला, मारो, राजनांदगांव, नगरी–सिहावा, सारंगढ़, कटघोड़ी, बस्तर, गीदम, कवर्धा, बलौदाबाजार, सुरेगांव, संजारी, महिला नारायणपुर, महिला भिलाई

****कन्या छात्रावास भवन– कोनी–बिलासपुर, माना, बस्तर, रायगढ़ ।

- राज्य गठन के उपरान्त संस्थाओं के स्वयं के भवन निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करते हुये 18 संस्थाओं को भवन के निर्माण हेतु राशि रू. 1,777.04 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन प्रदान करने 04 कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु राशि रू. 242.99 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।
- वर्तमान में 18 संस्था भवन तथा 04 कन्या छात्रावास भवन निर्माणधीन है।
- राज्य गठन के पश्चात् विभिन्न संस्थाओं के भवनों मरम्मत एवं रखरखाव के साथ ही साथ छोटे मोटे अतिरिक्त निर्माण कार्यो पर राशि 951.458 लाख का व्यय किया गया।
- इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 12 संस्थाओं के पृथक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संस्था भवनों का निर्माण–

वित्तीय वर्ष 2007–08 में 03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं क्रमशः महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर में भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान कर स्वीकृति प्रदान की गई।

मशीनों का आधुनिकीकरण–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ में प्रशिक्षण अधोसंरचना के आधुनिकीकरण एवं आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संशोधित पाठयक्रम के अनुसार राशि रू. 300.00 लाख के आधुनिक मशीन औजार उपकरणों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई।

10.3.2.5 प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन

- **सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना**

राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन कर नवीन आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

डोमेस्टिक फंडिग से अगस्त 2005/फरवरी 2006 से सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयित राज्य की आई.टी.आई. की सूची

क्रमांक	संस्था का नाम	सेक्टर
1.	आई.टी.आई. भिलाई, जिला–दुर्ग (अगस्त 2005)	फैब्रिकेशन सेक्टर
2.	आई.टी.आई. माना, जिला–रायपुर(अगस्त 2005)	आटोमोबाईल सेक्टर
3.	आई.टी.आई.कोरबा, जिला–कोरबा (अगस्त 2005)	इलेक्ट्रिकल सेक्टर
4.	आई.टी.आई. रायगढ़, जिला–रायगढ़ (फरवरी	इलेक्ट्रिकल सेक्टर

	2006)	

विश्व बैंक योजनान्तर्गत अगस्त 2006 से सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयित राज्य की आई.टी. आई.की सूची

कमांक	संस्था का नाम	सेक्टर
1.	आई.टी.आई. कोनी–बिलासपुर, जिला–बिलासपुर	इंस्ट्रमेंटेंशन सेक्टर
2.	आई.टी.आई. कुरूद, जिला–धमतरी	इंफार्मेशन टेक्नालाजी सेक्टर
3.	आई.टी.आई. अंबिकापुर, जिला–सरगुजा	रेफ्रिजिरेशन एण्ड एअर कंडिशनिंग सेक्टर
4.	आई.टी.आई. बस्तर, जिला–बस्तर	इंडिस्ट्रयल आटोमेशन सेक्टर

वि व बैंक योजनान्तर्गत फरवरी 2008 से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्राप्त राज्य की आई.टी.आई.की सूची

क्रमांक	संस्था का नाम	प्रस्तावित सेक्टर
1.	आई.टी.आई. दुर्ग, जिला–दुर्ग	प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर
2.	महिला आई.टी.आई. भिलाई, जिला–दुर्ग	इंफार्मेशन टेक्नालाजी सेक्टर
3.	आई.टी.आई. बलौदाबाजार, जिला–रायपुर	प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
4.	आई.टी.आई. गौरेला, जिला–बिलासपुर	इलेक्ट्रिकल सेक्टर
5.	आई.टी.आई.डौंडीलोहारा, जिला–दुर्ग	प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
6.	आई.टी.आई. राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव	इलेक्ट्रिकल सेक्टर

तालिका क्र. – 10.64

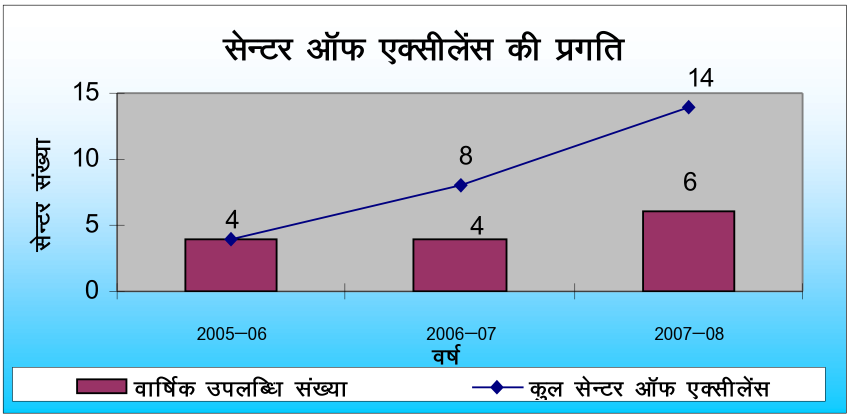

विश्व स्तरीय बहुकौशलीय कामगार तैयार करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत वित्तीय वर्श 2007–08 में 06 संस्थाओं क्रमशः बलौदाबाजार, गौरेला, डौंडीलोहारा, दुर्ग, महिला भिलाई एवं राजनांदगांव को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्ट संस्थान) के रूप में उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। जिससे लगभग 600 अतिरिक्त युवा प्रतिवर्ष लाभान्वित।

- **इंगिल्श लैंग्वेज लैब** –नये स्थापित हो रहे विश्व स्तरीय उद्योगों में रोजगार के लिये अवसर प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित 04 संस्थाओं कुरूद, कोनी–बिलासपुर, कोरबा एवं बस्तर में राशि रू. 40,00 लाख की लागत से इंगिल्श लैंग्वेज लैब की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **अंग्रेजी भाषा का ज्ञान**–बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार में सहायता के लिये प्रशिक्षणार्थियों को अंग्रेजी भाशा का ज्ञान हेतु संचालित समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी भाशा के प्रशिक्षण अधिकारियों के पद स्वीकृत किये गये हैं।

- **प्लेसमेंट सेल का गठन**–आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार नियोजन में सहायता के लिये सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित आई.टी.आई. में प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है ।

10.3.2.6 पब्लिक प्रायवेट पार्टनरि प योजना

वर्श 2007–08 में विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 12 संस्थाओं का उन्नयन हेतु सहमति दी गई जिसमें मेसर्स जिंदल पावर एण्ड स्टील रायगढ़, भिलाई इस्पात संयत्र भिलाई, नेशनल थर्मस पावर, लिमिटेड

कोरबा (एन.टी.पी.सी), ए.सी.सी जामुन आदि प्रमुख हैं। योजनान्तर्गत संस्थाओं के उन्नयन हेतु केन्द्र भाासन द्वारा प्रति संस्था 2.50 करोड़ का ब्याज सहित दीर्घकालीन अग्रिम प्रदाय किया गया है ।

10.3.2.7 विश्वकर्मा योजना

राज्य के 16 जिलों में 20 संस्थाओं में अल्प शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनके निवास के आस–पास ही रोजगार नियोजन में सहायता की दृष्टि से भवन निर्माण सम्बन्धी (मेशन, प्लंबर, घरेलू विद्युत वायरिंग एवं कारपेन्टर) बहुकौशलीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमे प्रति वर्ष लगभग 1600 अतिरिक्त युवा लाभान्वित हो रहे हैं ।

- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत संचालित संस्थाओं में लायब्रेरी की स्थापना ।
- **प्रशिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने तथा रोजगार/स्वरोजगार के लिये–**

  प्रथम चरण में प्रदेश के प्रमुख 21 संस्थाओं रायपुर, महिला–रायपुर, माना, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, महासमुन्द, कुरूद, बिलासपुर, महिला बिलासपुर, कोरबा, महिला–कोरबा, अम्बिकापुर, महिला–अम्बिकापुर, रायगढ़, महिला–रायगढ़, धमतरी, बलौदाबाजार, महिला–भिलाई, बस्तर, जगदलपुर, में प्रशिक्षणरत सभी व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थियों को संस्था में ही अपने व्यवसायों के प्रशिक्षण के साथ–साथ पब्लिक–प्रायवेट–पार्टनरशीप के अंतर्गत प्रतिष्ठित कम्प्यूटर संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराया जा रही है। आई.टी.आई. के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ऐसी पहल करने वाला देश में प्रथम हैं, जहां व्यवसाय के प्रशिक्षण के साथ–साथ कम्प्यूटर प्रशिक्षण का आवश्यक ज्ञान तथा प्रमाणपत्र प्रशिक्षणर्थियों को कोई शुल्क लिये बिना उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तरह प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों एवं बाजार में रोजगार/स्वरोजगार के ज्यादा अच्छे अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ अधिक परिश्रमिक भी प्राप्त हो रहा है। राज्य के बाहर के आधुनिक उद्योगों में भी आई.टी. आई. से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन के अवसर भी बढ़े है। इस योजना से प्रदेश के 5,000 से भी अधिक प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रस्तावित योजनायें–

10.3.2.8 अंग्रेजी में अभिव्यक्ति कौशल का प्रशिक्षण "English Language Lab"–

आई.टी.आई. में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय के ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक तकनीकी बारीकियों को सीखने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित होने के साथ–साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। साथ ही हाई–टेक एवं माडर्न इंडस्ट्रीज में रोजगार के अवसरों को अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा में प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी का वर्तमान परिवेश में ज्ञान होना आई.टी.आई. के प्रशिक्षणार्थी के लिये आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये प्रथम चरण में राज्य के 04 संस्थाओं, माना, रायगढ़, कोरबा एवं भिलाई जिनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की योजना चल रही है में "English Language Lab" प्रारंभ करना प्रस्तावित है। इस योजना में कम्प्यूटर आधारित साफ्टवेयर तथा प्रशिक्षक के माध्यम से अंग्रेजी का ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा।

10ण्3ण्2ण्9 आई.टी.आई. में संस्थाओं प्रबंध समिति का गठन –

उद्योगों की जरूरत के लिये तैयार किये जाने वाले श्रमशक्ति के प्रशिक्षण की शासकीय व्यवस्था को उद्योगों के लिये भी जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से प्रथमतया प्रदेश के 12 आई.टी.आई. में संस्थान प्रबंध समिति का गठन प्रतिष्ठित उद्योगपति की अध्यक्षता में तथा उद्योगों से 04 अन्य प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। संस्थान प्रबंध समिति के गठन का प्रथम उद्देश्य प्रशिक्षण की संबंद्वता को बढ़ाना है। साथ ही आई.टी.आई. को ऑटोनॉमस बनाकर स्वपोषित बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश की अन्य संस्थाओं में भी संस्थान प्रबंध समिति का गठन प्रस्तावित है।

10ण्3ण्2ण्10 अल्प शिक्षित युवाओं का प्रशिक्षण–

प्रदेश के ऐसे युवा जो अपरिहार्य कारणों से हाईस्कूल करने पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देते है उन युवाओं के लिये संस्थाओं में उपलब्ध अधोसंरचना के अधिकाधिक उपयोग करते हुये 09 संस्थाओं रायपुर, माना, भिलाई, कोनी–बिलासपुर, बस्तर, कोरबा, रायगढ़, कवर्धा एवं कुरूद में इन्फार्मल सेक्टर में अल्पावधि के प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के उपयुक्त बनाया जावेगा।

- प्रशिक्षणार्थियों के सर्वागीण विकास के लिये संस्था, जिला एवं राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है।

10.3.2.1 एन.सी.सी.–

राज्य की 06 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं क्रमशः रायपुर, बस्तर, दुर्ग, अम्बिकापुर, कुरूद, एवं डौंडीलोहारा में एन.सी.सी. का गठन प्रस्तावित है।

10ण्3ण्2ण्11 राष्ट्रीय सेवा योजना–

औद्योगिक संस्थाओ के छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और सेवा के गुणों सहित उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए 07 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में राश्ट्रीय सेवा योजना इकाईयां प्रारंभ की गई है, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, माना, अम्बिकापुर, बस्तर एवं रायगढ़ संस्था के लगभग 700 युवा लाभान्वित हो रहे है तथा आगामी वर्ष में 09 अन्य संस्थाओं केशकाल, कसडोल, महासमुन्द, दुर्ग, डौंडीलोहारा, बस्तर, बलौदा बाजार, कुरूद एवं जगदलपुर में लगभग 900 युवा लाभान्वित होंगे।

11.3.2.13 सुपर न्यूमरीज सीट्स में प्रवेश सुविधा–

संस्थाओं में उपलब्ध अधोसंरचना (भवन, भूमि, मशीन उपकरण, पावर कनेक्शन एवं कर्मचारी अमले) के अधिकाधिक उपयोग के साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने संस्थाओं में संचालित तकनीकी व्यवसायों में स्वीकृत सीटों का 20 प्रतिशत एवं गैर तकनीकी व्यवसायों में स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत संख्याधिक सीटों पर प्रवेश शुल्क के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे राज्य गठन उपरान्त जहां 2,247 अतिरिक्त युवा तकनीकी प्रशिक्षण से लाभान्वित हुये वहीं राशि रू. 304.65 लाख प्राप्त हुआ जिसका उपयोग संस्थाओं में अधोसंरचना एवं प्रि ाक्षण सुविधा के विस्तार हेतु किया जाता है। सत्र अगस्त 2008 से 30 प्रतिशत संख्याधिक सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही की जा रही है जिससे लगभग 4,620 अतिरिक्त युवा तकनीकी प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे ।

10.3.4 अन्य क्षेत्रों में ि ाक्षा

राज्य में सामान्य ि ाक्षा, तकनीकी ि ाक्षा, कृशि ि ाक्षा एवं चिकित्सा ि ाक्षा के अतिरिक्त अन्य आर्थिक एवं मानव संसाधन क्षेत्र में अन्य ि ाक्षा विधा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें होटल प्रबंधन एवं विधि की ि ाक्षा प्रमुख है ।

10.3.4.1 होटल प्रबंधन

राज्य में वन क्षेत्रों से आच्छादित भू–भाग की अधिकता है तथा जैव विविधता के साथ साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों के कारण पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए होटल प्रबंधन क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन विकास के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रायपुर में स्थापित किया जा रहा है । होटल प्रबंधन के क्षेत्र में वर्तमान में प्रवे ा क्षमता 100 सीटों की है जिसे बढ़ाकर भविश्य में 400 सीटों तक करने की योजना है ।

10.3.4.2 विधि वि वविद्यालय

राज्य के राजधानी में न्यायिक ि ाक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के लिए हिदायतुल्ला राश्ट्रीय विधि वि वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें स्नातक स्तर के 80 तथा स्नातकोत्तर स्तर में 30 सीटो की प्रवे ा क्षमता है । राश्ट्रीय विधि वि वविद्यालय की स्थापना से राज्य विधि क्षेत्र में ि ाक्षा के मानचित्र में उभर कर सामने आया है । वि वविद्यालय के लिए रू. 40.00 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो पूर्णता के करीब है तथा वर्श 2008–09 में इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

राज्य में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की आव यकता को देखते हुए राज्य द्वारा भारत सरकार से आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स इत्यादि की मांग सदैव की जाती रही है । इस वर्श राज्य में आईआईआईटी, आईआईएम के खोलने की भारत सरकार द्वारा घोशणा की गई है तथा एम्स का निर्माण प्रगति पर है, राज्य द्वारा एम्स के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि अधिग्रहित कर उपलब्ध करा दी गई है तथा स्थल विकास के लिए आवागमन हेतु सड़को का निर्माण एवं पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है । उपरोक्त संस्थाओं के स्थापना से भविश्य में उच्च एवं उत्कृश्ट तकनीकी ि ाक्षा के लिए राज्य के युवाओं का पलायन रोकने में सफलता मिलने की संभावना है ।

राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं एवं उच्च तकनीकी ि ाक्षा के लिए युवाओं के पलायन को देखते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया जाना स्वाभाविक लगता है कि राज्य में भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान (आई. टी.एम.आई) एवं भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (आई.आई.टी) भीघ्र खोली जाये ।

10.3.5 चिकित्सा िाक्षा

राज्य की जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार लगभग 2.08 करोड़ है। तथा इस आबादी को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन की महती आव यकता है । राज्य में राश्ट्रीय मानक को देखते हुए भाहरी क्षेत्रों में डाक्टर मरीज का अनुपात लगभगत समतुल्य है परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में डाक्टर मरीज का अनुपात आज भी राश्ट्रीय औसत के आधे से कम है ।

राश्ट्रीय मानक को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार) के लिए आव यक चिकित्सकों की संख्या एवं उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.65

विवरण	आबादी (करोड़ में)	राश्ट्रीय मानक	आव यकता	राज्य गठन के समय चिकित्सकों की उपलब्धता	वर्तमान में चिकित्सकों की उपलब्धता
चिकित्सक	2.08	1:10000	2080	963	1500
दंत चिकित्सक	2.08	1:20000	1040	85	185
फिजियोथेरेपिस्ट	2.08	1:10000	2080	05	0

उपरोक्त सारिणी से यह स्पश्ट है कि राज्य में 600 चिकित्सक, 865 दंत चिकित्सक एवं 2000 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है । चिकित्सा के क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटो की वृद्धि तथा निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने की आव यकता के अनुरूप में राज्य भाासन द्वारा वि ोश प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित स्थिति चिकित्सा िाक्षा के क्षेत्र में बनी है।

- राज्य निर्माण के पूर्व एक भाासकीय चिकित्सा महाविद्यालय थी, जिसकी प्रवे ा क्षमता 100 थी जो वर्श 2008 की स्थिति में बढ़कर 03 चिकित्सा महाविद्यालय एवं प्रवे ा क्षमता 250 हो गई है ।
  - ➢ पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर प्रवे ा क्षमता 150
  - ➢ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर प्रवे ा क्षमता 50
  - ➢ चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर प्रवे ा क्षमता 50
  - ➢ रायगढ़ में भाासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है ।
- राज्य से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय वर्तमान में 19 कालेजो का संचालन कर रही है जो कि राज्य निर्माण के पूर्व संचालित नही था ।
- राज्य गठन के समय कोई दंत चिकित्सा महाविद्यालय राज्य में नही था । वर्तमान में एक भाासकीय एवं 04 निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हो गई है । इसकी प्रवे ा क्षमता 500 है ।
- राज्य में कोई फिजियोथेरेपी कालेज संचालित नही था, वर्तमान में एक भाासकीय एवं 06 निजी फिजियोथेरेपी कालेज स्थापित है, जिसकी कुल प्रवे ा क्षमता 410 है ।
- पूर्व में राज्य में मात्र एक निजी नर्सिंग कालेज संचालित था एवं प्रवे ा क्षमता 50 थी वर्तमान में बढ़कर 1 भाासकीय एवं 10 निजी नर्सिंग कालेज स्थापित है, जिसकी कुल प्रवे ा क्षमता 480 है ।
- पूर्व में पैरामेडिकल कोर्स राज्य में स्थापित नही था, वर्तमान में 07 कालेज स्थापित है, जिसकी कुलं प्रवे ा क्षमता 537 है ।

10.3.5.1 लोक निजी सहभागिता

चिकित्सा िाक्षा के प्रसार के लिए न सिर्फ चिकित्सा िाक्षा के विभिन्न विधाओं में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया जिसके फलस्वरूप अनेक महाविद्यालयों की स्थापना हुई बल्कि राज्य भाासन द्वारा बहुप्रतिश्ठित चिकित्सीय संस्थानों को राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराकर राज्य में उनको इकाईयों के स्थापना के लिए प्रयास किये गये ।

- राज्य के नागरिकों को हृदय रोग से संबंधित उच्च चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से PPP योजना के तहत् हृदय रोग के उपचार हेतु एस्कार्ट हार्ट कमांड सेंटर की स्थापना की गई ।
- पं0 जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में आयुष्मान इंडोसर्जरी की स्थापना किया गया ।

10.3.5.2 तीन वर्शीय चिकित्सा पाठ्यक्रम–

ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में तीन वर्शीय चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किया गया तथा तीन वर्शीय चिकित्सा पाठयक्रम में डिप्लोमा प्राप्त 398 चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक के रूप में पदस्थ किया गया ।

10.3.5.3 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना –

भारतीय शासन द्वारा राजधानी रायपुर में एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया जिस पर कार्य प्रगति पर है । राज्य शासन द्वारा राज्य में एम्स की भीघ्र स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई तथा संस्थान हेतु अधोसरंचना विकास के रूप में विद्युत एवं जल की व्यवस्था कर दी गई है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना यथा ाीघ्र हो जाये इसके लिए राज्य भाासन द्वारा निरंतर केन्द्र सरकार से आग्रह किया जा रहा है ।

10.3.5.4 आयुर्विज्ञान वि वविद्यालय की स्थापना –

राज्य में चिकित्सा ि ाक्षा के क्षेत्र में समुचित विकास एवं नवीन पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में सभी चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण से राज्य में चिकित्सा सेवा के विस्तार के उद्दे य से आयुर्विज्ञान वि वविद्यालय की स्थापना की जा रही है ।

10.3.5.5 विकास के अन्य कार्य

उपरोक्त प्रयासो के अतिरिक्त राज्य में भाासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य भाासन द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है । उनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार है –

चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में उपलब्ध कराया गया अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा :–

- सेन्ट्रल गैस पाईप लाईन की स्थापना ।
- सेन्ट्रल लांड्री की स्थापना ।
- एम आर डी विभाग की स्थापना ।
- ट्रामा यूनिट की स्थापना ।
- सी टी स्केन म ाीन की स्थापना ।
- एम आर आई म ाीन की स्थापना ।
- मम्मोग्राफी म ाीन की स्थापना ।
- हृदय रोग के ईलाज हेतु पी पी पी के अंतर्गत एस्कार्ट हार्ट कमांड सेन्टर की स्थापना।
- चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में बाल/बालिका छात्रावास का निर्माण ।
- स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण ।
- स्टेट ऑफ आर्ट मार्डन ब्लड बैंक की स्थापना, बायोकेमेस्ट्री विभाग में सेन्टर फॉर जेनेटिक डिसिजेस एंड बायोटेक्नालॉजी खंड की स्थापना, कैंसर विभाग में कोबाल्ट मशीन एवं बेकोथेरेपी मशीन की स्थापना ।
- सीटी स्केन मशीन, कलर डापलर, वेंन्टीलेटर, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 100 छात्रों के लिये महिला छात्रावास तथा 50 छात्रों की क्षमता वाले स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण ।
- बर्न यूनिट एवं ट्रामा यूनिट, पिडियाट्रिक्स नियोनेटल केयर यूनिट, एमआरआई एवं मेमोग्राफी मशीन, टेलीमेडिसीन, चर्म रोग विभाग का अलग से स्थापना किया गया ।

10.3.5.6 बजट एवं व्यय की जानकारी –

चिकित्सा ि ाक्षा पर वर्श 2000–01 से लेकर वर्श 2008–09 तक प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 10.66

वर्ष	प्राप्त बजट	व्यय
2000-01	39.31	29.3
2001-02	132.5	81.05
2002-03	260.3	132.07
2003-04	1407.06	1290.4
2004-05	1547.36	687.31
2005-06	2422.84	1075.37
2006-07	6372.52	3747.27
2007-08	12092.49	8839.26
2008-09	19500.71	0

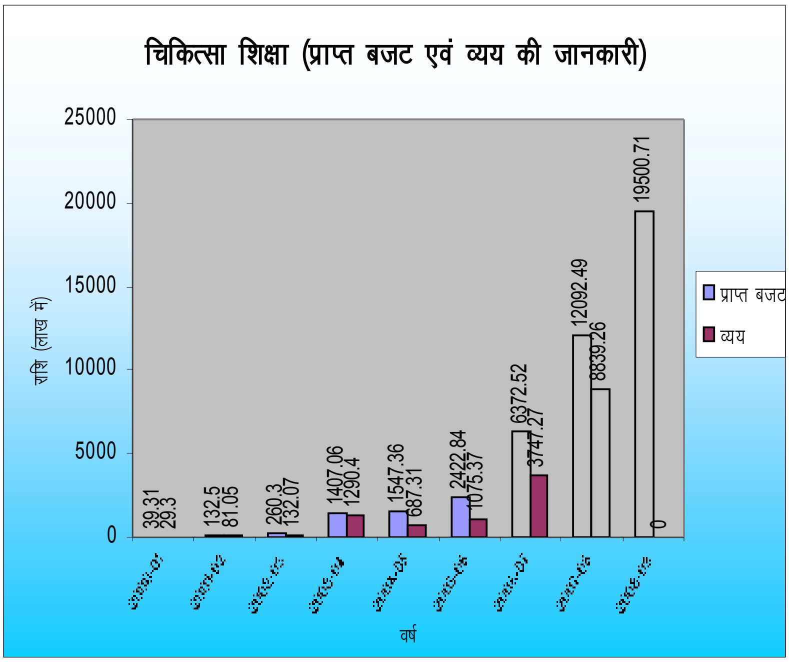

10.3.5.7 पैरामेडिकल मानव संसाधन विकास :–

राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों से राज्य को चिकित्सा सेवा क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन प्राप्त हो रहे है । इसके साथ ही चिकित्सा सेवा क्षेत्र में सहायता के लिए पैरामेडिकल स्टॉफ की जरूरत होती है । जिसके लिए राज्य में बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज, नर्सिंग प्रि ाक्षण केन्द्र, महिला एवं पुरूश बहुउद्दे ीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रि ाक्षण केन्द्र इत्यादि की स्थापना एवं निजी क्षेत्रों में उनके स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

10.3.5.8 नर्सिंग प्रि ाक्षण केन्द्र –

राज्य में नर्सिंग प्रि ाक्षण हेतु 04 केन्द्रो की स्थापना की गई है । जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने हेतु प्रि ाक्षण दिया जाता है जो कि रायपुर में 120 सीट, दुर्ग में 10 सीट ,बिलासपुर में 10 सीट एवं जगदलपुर में 66 सीट क्षमता वाली है ।

10.3.5.9 महिला एवं पुरूश बहुउद्दे ीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रि ाक्षण केन्द्र –

महिला बहुउद्दे ीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रि ाक्षण केन्द्र राज्य में 07 जिलो में कम ाः रायगढ़ में 60 सीट, अम्बिकापुर में 60 सीट, जगदलपुर में 60 सीट, धमतरी में 60 सीट, राजनांदगांव में 60 सीट, कोंडागांव में 40 सीट, ज ापुर में 30 सीट संचालित किया जा रहा है । पुरूश बहुउद्दे ीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रि ाक्षण केन्द्र दुर्ग, अम्बिकापुर एवं पंखाजूर तीन स्थान पर संचालित किये जा रहे है ।

10.3.6 आयुश शैक्षणिक संस्थाऐं

गठन के समय राज्य में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम हेतु 01 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं 01 निजी होम्योपैथी महाविद्यालय संचालित था । राज्य गठन पश्चात शासन द्वारा निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किये जाने के कारण स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 02 निजी आयुर्वेद महाविद्यालय, 02 निजी होम्योपैथी महाविद्यालय, 01 निजी यूनानी महाविद्यालय एवं 01 निजी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये गये है। इससे प्रतिवर्ष विभिन्न पद्धतियों के राज्य में लगभग 460 चिकित्सक उपलब्ध हो रहे है उक्त में से लगभग 50 छात्रा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु एवं लगभग 150 छात्रा निजी चिकित्सा व्यवसाय हेतु राज्य के बाहर चले जाते है।

राज्य गठन के उपरान्त वर्ष 2000 में आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में 01 विषय में 05 छात्रों हेतु स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध थी जिसमें निरंतर वृद्धि की जाकर 04 नवीन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये, वर्तमान में कुल 05 विषयों में 17 छात्रों को स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 17 स्नातकोत्तर चिकित्सक उपलब्ध हो रहे है।

शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर का मॉडल कालेज के रूप में उन्नयन किया गया एवं वर्तमान आवश्कताओं के अनुरूप भवन, उपकरण, कम्प्यूटर लेब, आधुनिक पुस्तकालय एवं छात्राओं के लिए छात्राावास निर्माण कराया गया।

शासकीय क्षेत्र में संचालित चिकित्सालय एवं औषधालयों में 1198 विशेषज्ञों एवं चिकित्सा अधिकारियो के पद सृजित है एवं भविष्य में लगभग 800 चिकित्सकों के पदों का सृजन प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के जनसामान्य की आस्था इन पद्धतियों पर अत्याधिक होने के कारण निजी क्षेत्र में भी आयुष चिकित्सकों की आवश्यकता अधिक होगी। इस प्रकार शासकीय एवं निजी क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष अनुमानित 350 आयुर्वेद एवं 300 होम्योपैथी स्नातक की आवश्यकता राज्य में होगी।

वर्तमान में प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाले स्नातक एवं आवश्यक स्नातकों के बीच की कमी की पूर्ति हेतु 02 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं 01 शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा। इससे प्रदेश में आवश्यकता अनुरूप आयुष चिकित्सक उपलब्ध हो सकेगें।

10.3.6.1 आयुष स्नातक महाविद्यालयों एवं उपलब्ध सीटों की तुलनात्मक स्थिति :–

तालिका क्र. – 10.67

विषय	आयुर्वेद		होम्योपैथी		यूनानी		योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	
वर्ष	2001	2008	2001	2008	2001	2008	2001	2008
महाविद्यालय	01	03	01	03	0	01	0	01
सीट	55	170	50	200	0	40	0	50

10.3.6.2 आयुष स्नातकोत्तर स्तर :–

राज्य में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। पाठ्यक्रय की संख्या एवं सीटों की तुलनात्क स्थिति निम्न है :–

तालिका क्र. – 10.68

आयुर्वेद			
महाविद्यालय		सीट संख्या	
2001	2008	2001	2008
01	05	05	17

10.3.6.3 आयुष पैरामेडिकल प्रशिक्षण :–

गठन के समय राज्य में आयुष पैरामेडिकल प्रशिक्षण हेतु कोई भी शासकीय केन्द्र संचालित नहीं था। वर्तमान में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में आयुष पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया गया है । कम्पाउण्डर के 468, पंचकर्म सहायक के 152 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 16 पद वर्तमान में रिक्त है तथा भविष्य में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 617 पद सृजित किया जाना आव यक होगा ।

आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रशिक्षित आयुष पैरामेडिकल स्टॉफ तैयार करने में काफी समय लगेगा। अतः इस अंतर की शीघ्र भरपाई हो सके इस हेतु और प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा तथा इस संबंध में निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित किया जावेगा। जिससे पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित आयुष पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो सकेगे एवं जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सहायक होंगे । इससे आयुर्वेद की विशिष्ट विधा पंचकर्म को भी राज्य में लोकप्रिय बनाया जा सकेगा।

शासकीय आयुष पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र एवं सीटों की तुलनात्मक स्थिति :–

तालिका क्र. – 10.69

विषय	कम्पाउण्डर		पंचकर्म		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
वर्ष	2001	2008	2001	2008	2001	2008
प्रशिक्षण केन्द्र	0	01	0	01	0	01
सीट	0	30	0	30	0	30

- राज्य में वनौशधि बहुलता एवं जनमानस के ग्राह्यता के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा के विकास के लिए आयुश वि वविद्यालय खोला जाना प्रक्रियाधीन है ।

10.3.7 कृशि िाक्षा एवं अनुसंधान

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के विभाजन उपरांत, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को हुई थी। तभी से विश्वविद्यालय अपने कार्यो का सम्पादन सीमित मानव एवं वित्तीय संसाधनों से स्वतंत्र रुप से कर रहा है। स्थापना के समय केवल कृषि महाविद्यालय, रायपुर ही विश्वविद्यालय के आधीन कार्यरत था। इसके अलावा दुग्ध प्रौद्योगिकि महाविद्यालय, रायपुर एवं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा (दुर्ग) भी इस विश्वविद्यालय के आधीन कियाशील थे। कृषि महाविद्यालय के कुछ विभागों में स्नातकोत्तर कोर्स चालू थे और बहुत ही कम विभागों में मानद उपाधि कोर्स स्वीकृत थे।

1 नवम्बर, 2000 में राज्य बनते ही कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। उच्च शिक्षा प्राप्ति पश्चात् केवल 0.4 प्रतिशत विद्यार्थी महाविद्यालीन कृषि शिक्षा के लिए जाते थे। कृषक परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, वे अपने बच्चों को उच्च कृषि शिक्षा के लिए रायपुर में दाखिला नही दिला सकते थे। इतना ही नही कृषि महाविद्यालय, रायपुर में सीटों की संख्या भी सीमित थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने यह निर्णय लिया कि और संघटक एवं प्राइवेट कृषि एवं अन्य संबंधित संकाय विषयों के महाविद्यालयों को राज्य के अन्य स्थानों पर खोले जाये, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कार्य करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राज्य शासन ने विश्वविद्यालय अधिनियम में सं ाोधन करते हुए, 5 संघटक कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की एवं 9 प्राइवेट कृषि महाविद्यालयों, 4 प्राइवेट उद्यानिकी महाविद्यालयों की स्थापना विभिन्न स्थानों पर की। साथ ही साथ 1 संघटक और 2 प्राइवेट कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना की जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। राज्य शासन ने वर्तमान में 1 उद्यानिकी महाविद्यालय राजनांदगांव एवं 1 मत्स्य महाविद्यालय, कबीरधाम में खालने की अनुमति प्रदान की है ।

वर्ष 2000 मे ंराज्य बनने के उपरांत, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार में अपेक्षा से अधिक कार्य किया है एवं बहुत सी ऊचाईयों को छुआ हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों (शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार) का विववरण संक्षिप्त में बिन्दुवार निम्नानुसार है ।

शिक्षा

विश्वविद्यालय के सभी विभागों को कम्पयुटर, मल्टीमीडिया एलसीडी प्रोजेक्टर, इन्टरनेट सुविधा, अत्याधिक सुग्राही प्रयोगशाला समानों से समृद्ध किया गया । इससे विश्वविद्यालय के कई विभागों में शिक्षा प्रणाली की अवधारणा में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है ।

विश्वविद्यालय में स्थानीय शिक्षार्थियों की क्षमता कृषि, दुग्ध प्रौद्योगिकी, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन और कृषि अभियांत्रिकी पर्याप्त है विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को लेने की क्षमता निम्नानुसार है।

प्रवेश सीटों की संख्या

क.	महाविद्यालय का नाम	प्रारंभ दिनांक	सीटों की संख्या
1.	कृषि महाविद्यालय, रायपुर	मई 1961	स्नातक– 408, स्नातकोत्तर– 588
2.	कृषि महाविद्यालय, बिलासपुर	सितंबर 2001	153
3.	कृषि महाविद्यालय, अंबिकापुर	सितंबर 2001	138
4.	कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर	सितंबर 2001	116
5.	कृषि महाविद्यालय, कर्वधा	25 सितंबर 2007	48
6.	दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर	9 सितंबर 1985	131
7.	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महा. अंजोरा –दुर्ग	9 सितंबर 1985	324
8.	कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर	19 अप्रेल 1996	13
9.	कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंगेली	25 सितंबर 2007	23

कुल सीटों की संख्या

कृषि संकाय							
स्नातक	2000–01	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07
कृषि महाविद्यालय, रायपुर	96	96	96	96	96	60	60
कृषि महाविद्यालय, बिलासपुर	-	48	48	48	48	48	48
कृषि महाविद्यालय, अंबिकापुर	-	48	48	48	48	48	48
कृषि महाविद्यालय, जगदलपुर	-	48	48	48	48	48	48
दुग्ध प्रौद्योगिकी संकाय							
दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर	36	36	36	363	36	36	36
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन संकाय							
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महा. अंजोरा –दुर्ग	46	46	46	46	46	46	46
कृषि संकाय							
स्नातकोत्तर (M.Sc.):							
कृषि संकाय, रायपुर							
प्रथम वर्ष	-	100	98	88	107	115	-
अंतिम वर्ष	-	106	198	215	258	228	-
पी.एच.डी.							
नये	-	19	12	0	20	19	-
पुराने	-	19	12	-	20	22	-

अनुसंधानः

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने वर्षा आधारित धान उत्पादन में सुधार, फसल सघनता बढ़ाना, अलग–अलग पर्यावरण में फसल विविधता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस विश्वविद्यालय के अनुसंधान की कुछ उपलब्धियों 7 से 8 वर्षो में की है जिनको नीचे संक्षिप्त में वर्णित किया गया है।

1) फसलों की किस्मों का विकास

इस विश्वविद्यालय ने अलग–अलग फसलों की कई किस्मों को विकसित किया है जो प्रत्येक शस्य–वातावरण परिक्षेत्र में तीनो शस्य जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। राज्य बनने के बाद निकाली गई फसलों की किस्में निम्न सारणी में दर्शित है :

फसलों की प्रजातियों का विकास

फसल	2001	2005	2006	2007	2008
धान	बम्लेश्वरी	इंदिरा सुगंधित धान		इन्दिरा सोना	कर्मा मासुरी
				सम्बलेश्वरी	
				चन्द्रहासिनी	
				ज्लदुबी	
गेहूँ					रतन अरपा
अलसी		इंदिरा अलसी 32 कार्तिका		दिपीका	आर एल सी 92
सरसों					छत्तीसगढ़ सरसों
मटर	अम्बिका शुभ्रा		पारस		
चना	वैभव				
तिवड़ा	प्रतीक				महा तिवड़ा
मूंग					इन्दिरा कुन्दरु
अरहर					राजिम लोचन

बरबट्टी				खल्लेश्वरी	
कुन्दरु			इन्दिरा कुन्दरु 35, इन्दिरा कुन्दरू 5		
कोचई			इन्दिरा अरवी–1		
ककोड़ा				इन्दिरा ककोड़ा–1	
शकरकंद			इन्दिरा मधुर		इन्दिरा नवीन इन्दिरा नन्दंनी
आम					छत्तीसगढ़ नदंनीराज
लिची					अंबिका लिची
मशरुम				इंदिरा श्वेता	

(कुछ प्रजातियों की वृहत जानकारी परिशिष्ठ II में दर्शित है)

इस विश्वविद्यालय व्दारा ककोड़ा की किस्म विश्व में प्रथम बार निकाली गई। वर्तमान में नारियल फसल की किस्म कार्यशाला में चिन्हित की गई है जो कि जगदलपुर अनुसंधान केन्द्र व्दारा मूल्यांकित की गई हैं। इस किस्म को देश के 5 राज्यों के लिए अनुमोदित किया गया है। इस किस्म की उपज 100 नग नारियल बस्तर की परिस्थिति में पाया जाता है ।

2) हरी खाद प्रयोगों का अर्थशास्त्र

अधिकांश कृषकों के पास निम्न स्तरीय कृशि संसाधन हैं। अतः वि वविद्यालय ने धान उत्पादकता को निम्न लागत तकनिकी बढ़ाने पर विकसित करने पर जोर दिया है। इससे हरी खाद का उपयोग निम्न लागत तकनिकी से राज्य की धान उपज बढ़ाने में एक है। लागत–लाभ अनुपात के आधार पर सबसे अधिक लाभ हरी खाद का उपयोग बरबट्टी पर था, इसके उपरांत सिसबेनिया, एक्कुलेटा और फिर मूँगबीन पर था जिसमें 100 प्रतिशत नत्रजन हरी खाद से दी गई ।

3) बीज विस्थापन अनुपात

यह प्रमाणित है कि बीज विस्थापन से 20–25 प्रतिशत तक फसल की उपज बढ सकती है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं प्रक्षेत्र विकास निगम का निर्माण हुआ जिससे बीज परिवर्तन के विस्तार में आशातीत विकास हुआ। विश्वविद्यालय बीज निगम एवं कृषि विभाग के समन्वित प्रयास से ''सीड रोलिंग प्लान'' वर्ष 2006 में विकसित किया, जिसके अच्छे परिणाम आये। इसकी प्रगति निम्न सारणी में प्रदर्शित की गई है ।

राज्य में बीज प्रतिविस्थापन वर्ष 2000–2007

क	खरीफ फसल	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	धान	1.79	1.64	1.48	2.23	2.88	7.15	8.50	10.00
2	मक्का	0.58	238	5.74	6.44	3.37	8.83	11.00	11.50
3	अरहर	8.04	5.70	12.33	5.72	5.59	9.80	12.00	13.00
4	उड़द	0.278	0.25	3.46	2.10	3.46	3.50	5.00	6.50
5	मूंग	3067	3.16	2.59	2.13	0.39	4.50	6.75	7.00
6	सोयाबीन	11.96	6.92	12.79	23.49	6.49	22.55	26.00	30.00
7	तिल	6.42	0.25	0.786	2.64	4.76	0.98	2.50	3.25
8	मूंगफली	0.10	0.00	1.09	0.33	0.60	0.38	2.00	2.75
	रबी फसल								
1	गेहूँ	8.77	6.74	5.84	5.12	6.11	7.65	9.00	9.50
2	चना	2.35	1.56	1.23	1.25	1.32	5.60	7.80	9.00
3	मटर	0.72	1.27	2.00	1.50	1.75	5.00	7.50	8.00
4	मसूर	0.00	0.54	0.25	0.46	0.60	4.50	6.25	6.50
5	तोरिया एवं सरसों	0.57	0.97	2.15	5.33	7.50	7.75	9.80	10.00
6	अलसी	0.00	0.00	0.69	0.15	0.51	1.06	2.00	10.00
7	कुसुम	9.12	20.67	19.26	10.81	4.42	9.67	9.80	43.00

4) बीज उत्पादन कार्यक्रम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व्दारा आयोजित राष्ट्रीय बीज योजना/मेगा सीड प्रोग्राम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय ने वर्ष 2007–08 में कई बीज उत्पादन कार्यक्रम अपने परिक्षेत्रों में भाामिल किये हैं। विश्वविद्यालय व्दारा पिछले 8वर्षों में उत्पादित विभिन्न फसलों के उत्पादित प्रजनन बीज को सारणी में दर्शाया गया है ।

बीज उत्पादन कार्यक्रम

	2000–01				**2001–02**			
	मांग			**उत्पादन (क्विं)**	**मांग**			**उत्पादन (क्विं)**
धान								
सोयाबीन								
मूंग								
अरहर								
गेहूँ								
अलसी								
मटर								
चना								
मसूर								
तिवड़ा								
कुसुम								
उड़द								
कुल								

	2002–03				**2003–04**			
	मांग			**उत्पादन (क्विं)**	**मांग**			**उत्पादन (क्विं)**
धान								
सोयाबीन								
मूंग								
अरहर								
गेहूँ								
अलसी								
मटर								
चना								
मसूर								
तिवड़ा								
कुसुम								
उड़द								
कुल								

	2004–05			2005–06			
	मांग		उत्पादन (क्विं)	मांग			उत्पादन (क्विं)
धान							
सोयाबीन							
मूंग							
अरहर							
गेहूँ							
अलसी							
मटर							
चना							
मसूर							
तिवड़ा							
कुसुम							
उड़द							
कुल							

	2006–07			2007–08			
	मांग		उत्पादन (क्विं)	मांग			उत्पादन (क्विं)
धान							
सोयाबीन							
मूंग							
अरहर							
गेहूँ							
अलसी							
मटर							
चना							
मसूर							
तिवड़ा							
कुसुम							
उड़द							
कुल							

5) अनुसंधान केन्द्र रायपुर व्दारा संकर धान विकसित करना

छत्तीसगढ़ में संकर धान का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसे दृष्टिगत् रखते हुये विश्वविद्यालय में वर्ष 2002 से 2005 में सफल प्रयोग किये गये । छत्तीसगढ़ में इन प्रयोगों का महत्व एवं सफलता को निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

संकर / मानक	**उत्पादकता (किलो / हे)**				**औसत उत्पादन (किलो / हे)**	**रैंक**	**डीएम**	**जी टी**
	2002	**2003**	**2004**	**2005**				
पी एच बी 71	7777	7375	7129	6088	7092	1	130	एल एस
पी ए 6201	6811	6925	4500	5625	5965	4	120	एल एस

के आर एच 2	6555	7250	5139	5375	6080	3	130	एम एस
पी ए 6444			7963	6000	6982	2	130	एल एस
आई आर 36 (सी)	4000	4125	3334	5488	4237	5	110	एल एस

मानक आई आर 36 (4237 कि/हे) के विरुद्ध इन संकर धान में पीएचबी–71 अधिकतम उपज 7092 कि/हे दी है उसके उपरांत पी ए 6444 (6982 कि/हे)।

6) उड़द फसल की किस्मों की सफल उलब्धियॉं

बदलते पर्यावरण में धान उत्पादन अनुपयुक्त एवं अलाभकारी होने से राज्य शासन ने फसल विविधीकरण पर जोर दिया । उड़द फसल व्दारा धान को प्रतिविस्थापित करना महत्वपूर्ण एवं लाभकारी सिद्ध हुआ है। अतः राज्य में उड़द किस्मों को मूल्यांकित करने के लिये वर्ष 2003–05 में विभिन्न सफल प्रयोग किये गये । इनके परिणाम निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

प्रजाति	उत्पादकता (किलो/हे)				प्रतिशत वृद्धि मानक के ऊपर
	2003	2004	2005	औसत	
टीपीयू 4 (सी)	444	625	347	472	–
आरबीयू 38 (सी)	438	667	208	438	–
के यू (सी)	529	1153	347	676	–
टी यू 942 (सी)	580	142	382	368	–
आर यू 03–14	1103	764	382	750	10.94
आर यू 03–16	1032	799	625	819	21.15
आर यू 03–22	1136	694	486	772	14.20

आर यू–03–16, आर यू 03–22 और आर यू 03–14 को सफल किस्म पाया गया। चिन्हित के डब्लू–96 से इनकी उत्पादन क्षमता 10 प्रतिशत अधिक है ।

7) कपास फसल की औसत उपलब्धि (खरीफ 2004–05 एवं 2005–06)

छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना अति आवश्यक है, इनसे अधिक कीमत प्राप्त होती है। कपास की खेती छत्तीसगढ़ राज्य के कृषकों के लिए एक नई संभावना परिलक्षित नजर आती हैं। कपास की कुछ प्रजातियों राज्य के कृषकों के लिए वर्ष 2004–05 मूल्यांकित की गई है। जिनके परिणामें को निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

पृविष्ठी	फूल का समय	पौधे की ऊंचाई (सेमी)	औसत उपज (कि/हे)		
			2004	2005	औसत
एलआरए 5166	75	91.80	1796.00	1320.00	1558.00
अंजलि	74	109.30	2178.00	870.00	1541.00
खण्डवा 2	76	96.00	1731.00	681.00	1206.00
प्रतिमा	74	98.80	2190.00	1979.00	2084.50
सीएनएच36	75	105.00	1889.00	2359.00	2124.00
अक्का (संकर)	70	92.60	—	4791.00	—
औसत			1948.00	2000.00	1974.0
सीडी पी–0–05			321.50	186.50	—
सी व्ही %			10.96	12.60	—

सी एच एन 36 कपास की प्रजाति अधिकतम औसत उपज 2124 कि/हे दे रही है जबकि अक्का प्रजाति वर्ष 2005 अधिकतम औसत उपज 4791 कि/हे थी, इन्हें अन्य परिस्थितियों में परीक्षित किया जाना आवश्यक है ।

8) राज्य में परम्परागत पौध संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के व्दारा संचालित तदर्थ अनुसंधान परियोजना के परिणाम)

छत्तीसगढ़ राज्य के कृषक के पास परम्परागत् ज्ञान अत्याधिक है और कृषक इन्हे अपने खेतों पर उपयोग में भी लाते है। वंशानुगत तकनीकी जानकारी के संदर्भ में वर्ष 2002–2005 में राज्य विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया । कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को फसल संरक्षण करने के लिये उपयोग की गई वंशानुगत तकनीकी की जानकारियों नीचे संदर्भित किया गया है :

- **वंशनुगत जानकारी के माध्यम से धान के कीड़े एवं बीमारियों का प्रभावित ढंग से व्यवस्थापन :**

कोदों पैरा का छिड़काव 80 ग्रा/वर्ग मी की दर प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर करने पर धान उपज को हानि से बचाता है । कर्रा पौधे की डण्डी प्रत्येक प्रति वर्ग मीटर पर 25 दिनों के अंतराल से लगाने पर आशानुरुप परिणाम प्राप्त हुये। नीम तेल 05 प्रतिशत घोल का छिड़काव करने पर 691 क्विं/हे अधिक उपज प्राप्त होती है यदि इसे बिना छिड़काव वाले परिणामों पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाये ।

करंज केक का छिड़काव 80 ग्राम प्रति वर्ग मीटर पर 10 दिनों के अंतराल से करीब 526 क्विं/हेक्टेयर धान की उपज को कीटों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। सलिया पौधे की छड़ी प्रति वर्गमीटर क्षेत्र के अंतराल से प्रत्येक 25 दिनों पर लगाने से सराहनीय परिणाम परिलक्षित होते हैं । गौ मूत्र का छिड़काव 10 प्रतिशत संग्रहता के छिड़काव से 526 क्विं/हे अतिरिक्त धान की उपज प्राप्त होती है ।

(इन परिणमों को मानक चेक एण्डोसल्फान 007 प्रतिशत + मोनोक्रोटोफॉस 005 प्रतिशत + कार्बोफ्यूरान 3 जी 1 किग्रा एआई/हे के छिड़काव से 591 क्विं/हे अधिक उपज बिना छिड़काव वाले परिणामों से प्राप्त होती है ।)

✦ **वंशानुगत तकनीकी ज्ञान व्दारा अरहर फसल को घुन (ब्रूचिडस) का प्रभावशील व्यवस्थापनः**

महुआ तेल का लेप अरहर के बीजों प्रति 10 एमएल प्रति किग्रा अरहर के बीजों का उपचारित करने पर घुन (ब्रूचिडस) का प्रभाव कम हो जाता है। लगभग 95 प्रतिशत तक संग्रहित अरहर दानों को संरक्षित किया जा सकता है। छः माह बाद यदि बीज की बोनी की जाये तो इसका कोई प्रतिरोधी प्रभाव नही होता है।

गाय के गोबर से बने छैना/कण्डा से निकली राख को 100 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाने पर संग्रहित बीजों को 90 प्रतिशत तक संरक्षित किया जा सकता है। इससे बीज अंकुरण पर कोई प्रतिरोधी प्रभाव नहीं पड़ता है यदि इसे छः माह बाद पुनः बोनी की जायें (मानक चेक : सल्फास के 1 गोली प्रति किलो बीज पर रखने से 97 प्रतिशत तक नुकसान को रोकता है ।)

✦ **वंशानुगत तकनीकी व्दारा दीमक का प्रभावशील व्यवस्थापन**

– यदि 200 किग्रा बालू (बारिक रेत) प्रत्येक दीमक घरौंदे में भरा जाये तो 1 वर्ष तक दीमक अपने घर का निर्माण नही कर पाती है ।

– यदि 2 किग्रा नमक प्रत्येक दीमक घरौंदे में भरा जाये तो 1 वर्ष तक दीमक को घर निर्माण करने से रोका जा सकता है ।

(मानक चेक : 10 जी 200 ग्राम प्रति घरौंदे की दर से फोरेट को भरने से 1 वर्ष तक दीमत अपने सामूहिक जीवन को निर्माण करने में असमर्थ हो जाती है)

9) आम उद्यान के अन्तर्गत अंतराशस्य करने पर उपलब्धियॉ :

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यान फसलों की अपार संभवान है विशेषकर देखा जाये तो फलोत्पादन की । राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के सघन प्रत्यनों व्दारा उद्यानिकी फसलों का राज्य में विकास हुआ हैं। विशेषकर फलोउत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में अन्तराशस्य की अपार सम्भावनाऍ हैं।

ट्रीटमेंट		कंद उपज (टन/हे) अन्तरशस्य (2004-05)	कंद उपज (टन/हे) अन्तरशस्य (2005-06)	औसत उपज (टन/हे)
एमाफॉलस	T1 – C1F1	6.72	08.16	7.44
	T2 – C1F2	7.60	11.43	9.52
सकरकंद	T3 – C2F1	6.46	08.34	7.40
	T4 – C2F2	7.00	10.51	8.76
आरारोट	T5 – C3F1	8.09	6.08	7.09
	T6 – C3F2	9.16	7.60	8.38
हल्दि	T7 – C4F1	7.42	6.50	6.96
	T8 – C4F2	8.20	8.37	8.29

एमॉर फीफेलस अधिकता 952 टन /हे कंद उपज प्रदान करता है इसके बाद शकरकंद (876 टन/हे) और आरा–रोट रुट (838 टन/हे) उपज प्रदान करता है जब इन्हें आम पौध के बीच लगाया जाता है ।

10) फसलो में नये जीन /विभेद (स्ट्रेन) की पहचान

फसल सुधार कार्यक्रम में सर्व प्रथम कार्य नये जीन। विभेद की पहचान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय ने आवश्यक जीन/विभेद की पहचान की है। जो कि फसलों में कीट–बीमारी प्रतिरोधी के साथ–साथ सूखा विभेद क्षमता रखते हैं। इन जीन/प्रजातियों की पहचान वर्ष 2000–2007 के बीच हुई है।

कुछ महत्वपूर्ण जीन/विभेद की पहचान निम्नानुसार है :

अ) ओडीएपी आगर सह बैक्टोरिया का पृथक्करण

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ओम राइजो –4 तिवड़ा के राइजोप्लेन और राइजोस्फियर से ओडीएपी सह बैक्ट्रीरिया के प्रथक्करण उपरांत एक चमत्कारिक बैक्ट्रीरिया प्राप्त हुआ, इसे सूडोमोनॉस प्रजाति (*Pseudomonos sp.*) के अंतर्गत रखा गया । यह बैक्ट्रीरिया आगर में पाये जाने वाले ओडीएपी का क्षरण या तोड़ने का कार्य सम्पादित करता है। इसे पृथक्करण करने के बाद आई जी के व्ही ओम राइजो–4 के नाम से उपाधित किया गया और इसका एक्सेसन नमबर एमटीसीसी 6388 रखा गया है (इस एक्सेसन नम्बर को जीन बैंक संस्थान, सूक्ष्मजीव तकनीकी, चंडीगढ़ ने दिया है)। इस पृथ्क्क बैक्ट्रीरिया का उपयोग न केवल कार्बनिक पदार्थो का 3 पुर्नउपयोग में लाया है बल्कि इसका उपयोग आणविक जीव विज्ञान के माध्यम से तिवड़ा में पाये जाने वाले जहर को कम करने में किया जाता है। अभी इस पृथ्कीय बैक्ट्रीरिया का परिक्षण और अपेक्षित है।

ब) धान का गंगई निरोधक किस्म/प्रजातियॉ विकसित करना

छत्तीसगढ़ राज्य में फसल विविधीकरण सामान्यतया है ही परन्तु धान की विभिन्न किस्म /प्रजातियों का भी विविधीकरण पाया जाता है। कुछ प्रजातियों में गंगई और इससे पैदा होने वाले जैव प्रारुप (बायोटाइप) निरोधक जर्मप्लाज्म (जन्नद्रव्य) उपलब्ध हैं। अनुसंधान कार्य इस दिशा में अग्रेषित है कि ऐसे जीनों की पहचान की जाये जो गंगई और इससे पैदा होने वाले जीवांश के प्रति निरोधक क्षमता रखते हों। इस विश्वविद्यालय में 2000–2005 के दरम्यान कुछ डोनर (दाता जनक) किस्मों का पता लगाया गया है जो गंगई और इसके जीवांश के प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, इन्हें नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है ।

गगंई निरोधक जीन

जीन	जीन की प्रकृति	दाता/किस्म	स्त्रोत
Gm1	प्रभावी	समृद्धि	ईश्वराकोरा / W 1263
Gm2	प्रभावी	फाल्गुना	श्याम 29 / लौंग 152
Gm3	निष्क्रीय	RP 20681835	वेलूथेचिरा
Gm4	प्रभावी	अभया	Ptb 10
Gm5	प्रभावी	ARC 5984	ARC 5984
Gm7	प्रभावी	ARC 10659	RP 23331568
Gm8	प्रभावी	झिटपीटी	झिटपीटी
Gm9	प्रभावी	माधुरी वंशक्रम #9	माधुरी वंशक्रम #9
Gm10	प्रभावी	BG380	BG380

स) गेरुआ निरोधक धान प्रजातियॉ विकसित करना

राज्य का सरगुजा जिला धान का गेरुआ रोग के लिए सबसे संवेदनशील स्थान है। यहॉ का मौसम गेरुआ रोग के लिये अनुकुल पाया गया है। यहॉ के मौसम में न ही केवल धान का गेरुआ रोग आता है बल्कि यह रोग फैलाने में भी काफी सहायक होता है। विश्वविद्यालय ने इस दिशा में 7–8 वर्षो तक अनुसंधान किया और कुछ धान की गेरुआ निरोधक प्रजातियॉ विकसित की हैं। नीचे दी गई सारणी में धान प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में रोपड़ी लगाकर गेरुआ निरोधक पाया गया है ।

धान की गेरुआ प्रतिरोधी वंशक्रम

क्र.	प्रवृष्ठी	क्र.	प्रवृष्ठी
1.	R12196502141	8.	R 125446811
2.	R 1238454111	9.	R 125446921
3.	R 1248149328271	10.	IGSR 5110
4.	R 125446131	11.	IGSR 5223
5.	R 125446211	12.	IGSR 5224
6.	R 125446321	13.	IGSR 5226
7.	R 125446411	14.	IGSR 5333

धान की उपज बढ़ाने में धान की पत्ती का विषाणु जनित रोग बहुत बड़ी बाधा है। इस रोग का प्रभाव छत्तीसगढ़ प्लेन में धान प्रजातियों पर प्रथम स्थान रखता है। अतः विश्व विद्यालय ने इस रोग के प्रति निरोधक जीन पता लगाये हैं। इस रोग के प्रति धान प्रजातियों में सहनशीलता विकसित करने के लिए 10 वर्षों से प्रयोग किये जा रहे है। कुछ प्रभावशील धान की प्रजातियॉ पहचान की गयी है जो इस रोग के प्रति निरोधक गुण रखती हैं और इन्हे अलग–अलग मौसम परिवर्तनों पर परीक्षित किया गया है। ये प्रजातियॉ नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है ।

धान की पत्ती का विषाणु जनित रोग के वंशक्रम

क्र.	प्रवृष्ठी	क्र.	प्रवृष्ठी
1.	R 73886422	6.	R 71411912
2.	R 74623412	7.	R 74115522
3.	IR 410548123	8.	RP 2151733
4.	R 656592	9.	R 71043711
5.	R 71216522	10	OR 6507
6.	BKP 264		

11) बायोफ्यूल अनुसंधान कार्यक्रम

राज्य शासन ने बायोफ्यूल विकास पर अत्याधिक जोर दिया है। विश्वविद्यालय स्तर पर दो परियोजनाए वर्ष 2003–07 में क्रियांवित थी। इन परियोजनाओं का संचालन नोवोड और डीबीटी के माध्यम से किया रहा था। इस संचालित परियोजना के दरम्यान दो उपुयक्त जीन प्रारुप (जिनोटाइप) चिन्हित की गई, जिनको जेट्रोफा करकस और पोन्गामिआ पिन्नाटा नाम से परिलक्षित किया गया है। गुणवत्तायुक्त पौध विकसित करना प्रथम कार्य इस विश्वविद्यालय व्दारा लिया, तदोपरांत अलग–अलग भूमि पर रोपड़ी विधि को विकसित करना था। एक वृहत सर्वेक्षण अलग–अलग शस्य जलवायु परिक्षेत्रों पर किया गया। इस सर्वेक्षण को मध्य भारत और उत्तरी भारत तक सीमित रखा गया थां। इस सर्वेक्षण में कुछ प्रभावित करने वाली प्रजातियों के स्त्रोत ज्ञात हुये, जिनकी उत्पादन क्षमता 3 किलो से अधिक प्रति पौधा है और इसमें उपलब्ध तेल की मात्रा 45 प्रतिशत से भी अधिक है। प्रारम्भिक परिणामों में छत्तीसगढ़ के पेंड्रारोड एवं सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली जेट्रोफा की प्रजातियों की उपज सर्वाधिक पायी गई और उनमें पाये जाने वाले तेल की मात्रा भी सर्वाधिक थी। चिन्हित की गई जेट्रोफा प्रजातियों की रोपणी एवं इनका प्रोपोगेशन का मानक तैयार किया जा चुका है। विभिन्न प्रकार के बहुस्तरीय मॉडल इसके लिये विकसित किये गये हैं जैसे एग्री सिल्वी कल्चर । करंज पेड़ पर भी अनुसंधान समयानुसार किया जाता रहा है। इसे और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। कृषक के प्रक्षेत्र पर जेट्रोफा प्रजातियों का वृहत्स्तर पर रोपण किया गया था।

12) पड़त भूमि विकास कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र का 20 प्रतिशत क्षेत्र भाठा पड़त भूमि के अंतर्गत आता है जिसे लगभग 1 प्रतिशत भूमि खान–खदान के अंतर्गत है। विश्व बैंक व्दारा अनुमोदित राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना (एनएटीपी) जिसका संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व्दारा किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत उपरवारा ग्राम (माना) में वर्ष 2001–2005 तक के बीच में प्रयोग किये गये। जिसके अंतर्गत पेड़ों को पड़त भूमि पर लगाया गया। पेड़ो को अलग–अलग तकनिकी विधि से विभिन्न प्रकार की पड़त भूमि पर लगाया गया । पड़त भूमि को अपेक्षाकृत सुधार कर मानक स्तर पर लाया गया। इस भाठा भूमि पर ग्मेलिना अरबोरिया, ल्यूसिना ल्यूकोसेफेला, इम्बिलका आफिस्निालिस एवं युकेलिप्टस टेरेटिकारनिस उगाने पर भूमि सुधार हुआं। साथ ही ये पेड़ अधिक उपयुक्त पाये गये । इस भाठा भूमि पर उगाये गये पेड़ों के बीच सील्वीपाश्चुरल पद्धति का अनुपालन किया गया। घास और दलहनी फसलें उपयुक्त पायी गई । इससे भूमि सुधार के साथ ही साथ भूमि की उर्वरता क्षमता भी बढ़ी। खान एवं खदान में इस्तेमाल भूमि पर ग्मेलिना अरबोरिया, ल्यूसिना ल्यूकोसेफेला, डलबरजिया सिसु, पोंगामिया पिन्नाटा, ग्लाईरीसीडिया सेपियम और सिसबेनिया सेसबम्स को उपयुक्त पौध रोपण पाया गया ।

13) धान की सुंगधित प्रजातियों का मूल्यांकन

छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक सुगंधित धान की प्रजातियॉ पाई जाती हैं परन्तु उत्पादन क्षमता काफी निम्न ऑकी जाती है। इन सुगंधित धान प्रजातियें की उत्पादन क्षमता ऑकने के लिए वर्ष 2002–2006 में विश्वविद्यालय के 5 अनुसंधान केन्द्रों पर प्रयोग किये गयें। औसत उपज, समयावधि और सुगंधित धान प्रजातियों की ऊंचाई इन प्रयोग पर ऑकी गई, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी में है :

क्षेत्रीय जनन द्रव्य से मूल्यांकित सुगंधित धान प्रजातियां

किस्में	धान की गुणवक्ता मूल्यांकन		
	अवधि (दिन)	ऊंचाई (सेमी)	औसत उपज 5 अनु केन्द्र से (कि/हे)
गोपाल भोग	144	126	4151
लखन भोग	140	140	3907
आमा गोही	148	120	3834
तरुण भोग	144	124	3302
दुबराज	142	127	3879

14) कृषि औजारों का निर्माण

विश्वविद्यालय में कियाशील कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय व्दारा कुछ कृषि औजारों का निर्माण करता है और इन्हें कृषकों को उपलब्ध करवाता है। अतः इसमें प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

कृषि औजारों का निर्माण

वर्ष	कृषि औजार की बेची गई संख्या	आय (लाख रु)
2000–01	168	1.17
2001–02	3583	25.42
2002–03	10437	33.75
2003–04	9307	41.14
2004–05	4509	26.00
2005–06	8051	26.39
2006–07	3362	21.21
2007–08	1261	8.07
कुल	**39417**	**175.08**

15) धान की शुष्क (खुर्रा) बोनी से उत्पादकता में सुधार

मानसून की आनाकानी से छत्तीसगढ़ के कृषकों को बहुधा खरीफ धान की बोनी आगे पीछे करने से धान के उत्पादन में काफी हानि उठानी पड़ती है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय व्दारा धान की शुष्क बोनी विधि विकसित की गई है। जिसे क्षेत्रीय भाषा में खुर्राबोनी कहा जाता है। इस विधि से बोई गई धान को पकने में कम समय लगता है और उत्पादन भी अधिक होती है। इससे दूसरी फसल प्राप्त लेने में आसानी होती है। अतः इस विधि से दो–दो लाभ प्राप्त होते हैं। महासमुंद के बागबहरा विकासखण्ड क्षेत्र में कृषक प्रक्षेत्रों में वर्ष 2003–06 के बीच इस विधि के प्रयोग किये गये और इनके परिणामों को आशानुरुप पाया गया ।

कृषि प्रसार

कृषि तकनिकी का प्रसार करना विश्विविघलय तीसरा प्रमुख अंग हैं । जिसके अंतर्गत विकसित कृषि तकनिकी का प्रसार हर संभव प्रसार शामिल है। जिससे कृषकों व्दारा उत्पादित फसलों की उत्पादकता बढ़ाना समाहित होता है। इस प्रसार कार्यक्रम में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, सम्पर्क माध्यम से सलाह, प्रशिक्षण, प्रकाशन और लेखापत्र, निदान सेवाएँ, प्रक्षेत्र अनुसंधान, फसल सर्वेक्षण, कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए आधुनिक पाठ्यक्रम चलाना इत्यादि शामिल है । इस प्रसार कार्यक्रम में 16 कृषि विज्ञान केन्द्र विभिन्न जिलों में खोले गये हैं, इनका विवरण निम्न सारणी दर्शाया गया है ।

क.	कृषि विज्ञान केन्द्र के नाम	जिला	प्रारंभ वर्ष
1	कृषि विज्ञान केन्द्र, बिलासपुर	बिलासपुर	1984
2	कृषि विज्ञान केन्द्र, अंजोरा दुर्ग	दुर्ग	1993
3	कृषि विज्ञान केन्द्र, अंबिकापुर	सरगुजा	1995
4	कृषि विज्ञान केन्द्र, जगदलपुर	जगदलपुर	2000
5	कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुंद	महासमुंद	2004
6	कृषि विज्ञान केन्द्र, भाटापारा	भाटापारा	2004
7	कृषि विज्ञान केन्द्र, चापां–जांजगीर	चापां–जांजगीर	2004
8	कृषि विज्ञान केन्द्र, रायगढ़	रायगढ़	2004
9	कृषि विज्ञान केन्द्र, धमतरी	धमतरी	2004
10	कृषि विज्ञान केन्द्र, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	2005
11	कृषि विज्ञान केन्द्र, कोरबा	कोरबा	2007
12	कृषि विज्ञान केन्द्र, जशपुर	जशपुर	2007
13	कृषि विज्ञान केन्द्र, कांकेर	कांकेर	2007
14	कृषि विज्ञान केन्द्र, राजनांदगांव	राजनांदगांव	2008
15	कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्वधा	क्बीरधाम	2008
16	कृषि विज्ञान केन्द्र, कोरिया	कोरिया	2008

प्रसार संचालनालय व्दारा प्रशिक्षण देने की वृहत जानकारी

क	वर्ष	प्रशिक्षण आयोजित							
		विशेष प्रशिक्षण		मासिक कार्यशाला		कृषक प्रशिक्षण		अन्य प्रशिक्षण	
		संख्या	प्रशिक्षणार्थी	संख्या	प्रशिक्षणार्थी	संख्या	प्रशिक्षणार्थी	संख्या	प्रशिक्षणार्थी
1	2000–01	12	362	12	284	12	301	–	–
2	2001–02	13	195	12	278	6	181	–	–
3	2002–03	14	398	8	193	12	329	–	–
4	2003–04	21	504	6	290	12	327	–	–
5	2004–05	9	256	12	179	9	352	8	237
6	2005–06	18	635	11	177	3	59	1	11
7	2006–07	10	250	11	99	–	–	–	–
8	2007–08	7	88	12	150	2	44	–	–

प्रकाशन :

प्रसार संचालनालय व्दारा सततः छत्तीसगढ़ खेती पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें कृषि से संबंधित सभी विषयों के आलेख वर्ष 1994 से प्रकाशित होते आ रहे हैं। यह पत्रिका प्रसार अधिकारी, कृषकों एवं विधार्थियों अत्याधिक प्रचलित है। विभिन्न प्रकार के प्रकाशन संचालनालय व्दारा प्रकाशित किये जाते है अतः इनका विवरण नीचे तालिका में है :

इंगांकृवि व्दारा प्रकाशित किये गये प्रकाशनों की वृहत जानकारी

प्रकाशन	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
सामायिक लेख	30	32	40	42	87	57	52	48
समाचार पत्रक	55	50	54	48	56	60	50	52
छत्तीसगढ खेती	4	4	4	4	4	4	4	2
शोध ग्रंथ पत्रक (जय)	2	2	2	2	2	2	2	2
कृषि युग पंचांग	1	1	1	1	1	1	1	1
कृषि डायरी	1	1	1	1	1	1	1	1
तकनिकी समाचार पत्रक	15	26	19	18	15	22	40	28

सामायिक लेख

प्रगतिशील कृशकों एवं कृषि अधिकारियों से समय–समय पर कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों की समस्याएँ की जानकारी से अवगत होते हुए, संचालनालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक अपने अभिलेख दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों में छपवाते रहते हैं। कृषि एवं इससे संबंधित विषयों की सामायिक समस्याओं के अभिलेख वर्श 2000–2007 से लगातार कृषक दुनिया, छत्तीसगढ़ खेती, कृषक स्मारिका, अम्बिका वाणी, कृषक जगत, कृषक दूत (बीज विशेषांक), कृषक वन्दना, कृषि विस्तार समीक्षा, किसान मितान, दैनिक जन कल्याण समाचार पत्र, कृषि जन कल्याण समाचार। इसकी विस्तृत जानाकरी उपर्युक्त सारणी में दर्शित है।

समाचार पत्रक

कृषकों एवं विस्तार अधिकारियों की आवश्यकतानुसार संचालनालय 28 पत्रकों का प्रकाशन कर चुका हैं जिनमें करीब सभी प्रमुख फसलों को कृषि कार्यमाला अवलोकित हैं। ये सभी प्रकाशन हिन्दी में वर्णित है जिनका करीब 7 से 8 वर्षो की समावधि में प्रकाशित किया गया है ।

कृषि युग पंचांग एवं कृषि डायरी

संचालनालय कृषि युग पंचांग एवं कृषि डायरी को वर्ष 2001 से लगातार प्रतिवर्श करते आ रहा है। इन प्रकाशनो को हिन्दी में वर्णित और विभिन्न प्रकार रंगों का प्रयोग करके आकृर्षित बनाया गया है। दोनों ही प्रकाशन अधिक आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी से संलिप्त होते हैं जिसमें कृषकों एवं कृषि विस्तार अधिकारी सामायिक समस्याओं का निराकरण करने में सहायक है ।

अध्याय – 11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थिति छत्तीसगढ़ में एक नजर

राज्य के सामाजिक विकास में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण घटक है । मानव विकास सूचकांकों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सूचकांको का स्थान प्रमुख है । राज्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थिति निम्नानुसार है :–

विशय विवरण	**छत्तीसगढ़**
प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर (1991–01)	18.06%
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	154
लिंग अनुपात (महिला / 1000)	989
जन्मदर (2007)	26.9
मृत्युदर (2007)	8.1
शिशु मृत्युदर (2007) प्रति हजार जीवित जन्म	61
सकल प्रजनन दर	2.62
दंपत्ति संरक्षण दर	65.32

11.1 स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु मापदंड एवं स्थिति

स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु जनसंख्या के मापदंड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 30000 की जनसंख्या पर 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 120000 जनसंख्या पर 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पर 1 उपस्वास्थ्य केन्द्र 20000 की जनसंख्या पर 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 80000 जनसंख्या पर 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द होना चाहिए । जनगणना 2001 के आधार पर जनसंख्या के मान से राज्य में 5049 उपस्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए, जिसमें से 4711 उपस्वास्थ्य केन्द्र राज्य में संचालित है तथा 17 उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्श 2008–09 में स्वीकृत किये गये हैं । इस तरह से राज्य में 321 उपस्वास्थ्य केन्द्र मापदंड से कम है । वही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 805 होने चाहिए, जिसमें 707 कार्यरत है तथा 98 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की कमी है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 201 होने चाहिए, जिसके विरूद्ध 129 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 19 सिविल अस्पताल कार्यरत है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के निम्नलिखित संस्थाएं सेवा देने हेतु संचालित हैं –

जिला चिकित्सालय – 18
सिविल अस्पताल – 19
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – 129
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 707
उप स्वास्थ्य केन्द्र – 4728
सिविल डिस्पेंसरी – 30

- वर्श 2000–01 में जिला अस्पतालों की संख्या 06 थी जो बढ़कर 18 हो गई है।
- वर्श 2000–01 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या 114 थी जो बढ़कर 129 हो गई है ।
- वर्श 2000–01 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या 512 थी जो बढ़कर 707 हो गई है ।
- वर्श 2000–01 में उप स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या 3818 थी जो बढ़कर 4728 हो गई है ।
- वर्श 2000–01 में सिविल डिस्पेंसरी की संख्या 23 थी जो बढ़कर 30 हो गई है ।

यहां उल्लेखनीय है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44 प्रति ात भू–भाग वनों से आच्छादित है तथा यहां के वन औशधिय पौधों की सम्पदा से परिपूर्ण हैं । साथ ही यहां की जनता के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की तुलना में ज्यादा सहज और ग्राह्य है । राज्य में 692 आयुर्वेदिक औशधालय संचालित है, जो चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण के संकल्पना पर विकल्प के रूप में एलोपैथी स्वास्थ्य केन्द्रो के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इस तरह से स्वास्थ्य संस्था हेतु जनसंख्या के मापदंड के अनुरूप जो कमी परिलक्षित हो रही है, उसे पूर्ण कर रहे हैं ।

11.1.1 स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसरंचना

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा हेतु अधोसंरचना का महत्वपूर्ण स्थान है । अधोसंरचना उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है । अधोसरंचना संबंधी स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.01

क्र.	संस्था	कुल संस्थाएं	भवनयुक्त	भवनविहीन
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	4728	1742	2986
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	707	345	362
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	129	56	73
4.	जिला अस्पताल	18	15	3

- उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 1139 भवन निर्माणाधीन है, जिसमें से 172 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन यूरोपियन कमी ान के सहयोग से बनाया जा रहा है ।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 240 भवन निर्माणाधीन है, जिसमें से 16 प्रा. स्वा. केन्द्र भवन यूरोपियन कमी ान से बनाया जा रहा है ।
- सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास भवन उपलब्ध है परंतु उनमें से 73 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो के भवन मानक मापदंड के नही हैं, जिसके लिए 66 भवन निर्माण का कार्य प्रचलन में है ।
- जिला अस्पताल हेतु 01 भवन निर्माणाधीन है ।

11.1.1.1 अन्य सहायक भवन

तालिका क्र. – 11.02

क्र.	विवरण	कुल	भवनयुक्त	भवनविहीन
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय	18	7	11
2.	जिला स्टोर	18	7	11
3.	ए.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर	6	6	–
4.	स्टॉफ नर्स ट्रेनिंग सेंटर	1	–	1
5.	एम.पी. डब्लयू (पुरूश) ट्रेनिंग सेंटर	3	3	–
6.	बी.एस.सी. ट्रेनिंग सेंटर	1	–	1

- ए.एन.एम ट्रेनिंग सेंटर हेतु 10 भवन प्रस्तावित है ।
- स्टॉफ नर्स ट्रेनिंग सेंटर हेतु 1 भवन प्रस्तावित है ।
- एम.पी. डब्लयू (पुरूश) ट्रेनिंग सेंटर हेतु 1 भवन प्रस्तावित है ।
- बी.एस.सी. ट्रेनिंग सेंटर हेतु 3 भवन प्रस्तावित है ।
- एल.एच.व्ही ट्रेनिंग सेंटर हेतु 1 भवन प्रस्तावित है ।

11.1.2 स्वास्थ्य सेवा में मानव संसाधन

राज्य में स्वास्थ्य सेवा के लिए एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत भाासकीय मानव संसाधन की जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.03

क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	वि ोशज्ञ सेवा संवर्ग	701	248	453
2.	चिकित्सा अधिकारी	2147	773	1374
3.	रेडियोग्राफर	153	99	54
4.	लेब टेक्नीि ायन	731	357	374
5.	नेत्र सहायक	620	167	453
6.	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	974	614	360
7.	एम.पी.एस.	872	722	150
8.	पुरूश स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4784	2514	2270
9.	ड्रेसर	936	630	306
10.	सीनियर सिस्टर ट्यूटर	2	2	0
11.	प्राचार्य	9	4	5
12.	पब्लिक हेल्थ ट्यूटर	19	16	3
13.	सिस्टर ट्यूटर	26	21	5
14.	हाऊस कीपर	13	6	7
15.	नर्सिंग अधीक्षक	7	0	7

16.	मेट्रन	17	10	7
17.	नर्सिंग सिस्टर	185	39	146
18.	स्टॉफ नर्स	889	865	24
19.	एल.एच.व्ही.	1034	749	285
20.	ए.एन.एम	5585	4605	980
योग		**19704**	**12441**	**7263**

राज्य में कुल 19,704 पद के विरूद्ध मात्र 12,441 मानव संसाधन स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे है । मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये हैः –

1- राज्य में तीन वर्शीय चिकित्सा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा धारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 398 ''ग्रामीण स्वास्थ्य सहायक'' पदनाम से पदस्थ किया गया है ।
2. चिकित्सकों के वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की गयी है ।
3- 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा सेवा कोर' का गठन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण चिकित्सकों को वि ोश भत्ता, ि ाक्षा सुविधा यातायात सुविधा एवं आवास सुविधॉए उपलब्ध कराई जा रही है ।
4. ग्रामीण अंचलों में 60,000 से अधिक मितानिनों (आ ाा) की नियुक्ति की गयी है ।

11.1.3 राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में मूलभूत परिवर्तन लाने हेतु प्रारंभ की गई राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ान की भाुरूआत अप्रैल 2005 से हो चुकी है । मि ान की गतिविधियां विभिन्न चरणों पर प्रगति की ओर उन्नमुख है –

11.1.3.1 स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नवीन व्यवस्थापन –

- राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियां का गठन किया जा चुका है ।
- प्रत्येक ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जा चुका है । अब तक 19,896 समितियों का गठन किया जा चुका है तथा 14,255 समितियों के बैंक खाते खोले जा चुके है ।
- राज्य में हर स्तर पर जीवनदीप समितियों का पंजीकृत किया जा चुका है । इन समितियों के कार्य तथा इसका सुदृढ़ीकरण कर इसे अधिकार सम्पन्न बनाया गया है । स्वास्थ्य प्रबंधन की दि ाा में किया गया यह प्रयास अब एक नवीनतम स्वरूप में जीवनदीप समिति के नाम संचालित किया जा रहा है ।
- त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के पदाधिकारियों की भूमिका निर्धारित कर ली गई है। उन्हें निर्णय लेने तथा उपलब्ध धनरा ि ा के सदुपयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है ।
- गुणवत्ता प्रदाता समिति (क्वालिटी इं ाोरेंस कमेटी) का गठन राज्य स्तर पर किया जा चुका है तथा जिलो में समिति गठन की प्रकिया पूर्णता की ओर है । समिति महिला एवं नसबंदी आपरे ान की गुणवत्ता पर निगरानी रखेगी व सुझाव देगी ।

- **छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 60,500 मितानिनों को नियुक्त किया जा चुका है जो स्वास्थ्य सहायक का काम कर रही है ।**

- प्रत्येक ग्राम, मंजरे–टोले में एक मितानिन तय कर ली गई है ।
- चयनित 60,500 मितानिनों का प्रि ाक्षण लगभग पूर्ण हो चुका है ।
- मितानिनों को प्रसव सेवाओं (सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव, परिवहन एवं देखभाल) के लिए प्रोत्साहन रा ि ा प्रदान करने हेतु एक पैकेज तैयार किया जा चुका है ।
- कार्यक्रम की समीक्षा, राश्ट्रीय मॉनिटरिंग ग्रूप द्वारा की गई, उन्होने राज्य के मितानीन कार्यक्रम के संचालन की सराहना की ।
- उपस्वास्थ्य केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य के सभी जिलों को (केन्द्रों की संख्या के आधार पर) अनाबद्ध राशि प्रदान किया गया ।
- 96 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन कर भवन, आपरे ान थियेटर, उपकरण, वि ोशज्ञ सेवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है । बहुत से केन्द्र कार्य ाील भी हो गये है ।
- सभी ग्रामों को दस हजार रू. की अनाबद्ध राशि उपलब्ध कराया गया है ।

11.1.3.2 योजनाओं की निगरानी एवं समीक्षाः–

◁ 235 ▷

समग्र टीकाकरण (यू.आई.पी) के सुदृढ़ीकरण हेतु योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी जा चुकी है । राज्य में गत वर्श ि ा ु सुरक्षा कवच के नाम से ''मॉप अप राउन्ड'' तथा ि ा ु संरक्षण माह का आयोजन किए जा चुके है ।

11.1.3.3 डिपो होल्डर एवं मितानिन

डिपो होल्डर एवं मितानिनों की जिलावार जानकारी (वर्श 2007–08 की स्थिति में निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.04

जिलों का नाम	डिपो होल्डर	मितानिन
रायपुर	4445	6691
महासमुंद	1646	943
धमतरी	1244	1267
दुर्ग	3997	4301
राजनांदगांव	2696	3740
कबीरधाम	1874	1702
कांकेर	1344	2776
बस्तर	3483	5212
दंतेवाड़ा	2033	3293
बिलासपुर	4404	4176
जांजगीर–चांपा	1839	3611
कोरबा	2844	2460
रायगढ़	1975	3722
जशपुर नगर	1186	3242
सरगुजा	4802	8233
कोरिया	2133	2133

11.1.3.4 मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना –

राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना का भुभारंभ 14 जुलाई 2008 को प्रदे ा में किया जा चुका है । इस योजना के तहत् 5–15 वर्श तक की उम्र के बच्चें, जो हृदय रोग से पीड़ित है, उन्हें सर्जरी कराने के लिए विभाग द्वारा रा ि ा प्रदान की जा रही है । उक्त सर्जरी कराने के लिए चार मान्यता प्राप्त अस्पतालों यथा अपोलो बी एस आर, भिलाई, रामकृश्ण केयर अस्पताल, रायपुर, एस्कॉर्ट हार्ट सेंटर, रायपुर तथा अपोलो अस्पताल, बिलासपुर से अनुबंध कर सर्जरी की जा रही है । इन अस्पतालों में अब तक कुल 19 सफल ऑपरे ान किया जा चुका है ।

11.1.3.5 परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रम

तालिका क्र. – 11.05

क्र.	कार्यक्रम	वर्श 2005–06	वर्श 2007–08	आधिक्य / कमी (प्रति ात में)
	परिवार कल्याण कार्यक्रम			
1	महिला नसबंदी की संख्या	117800	143916	22.17
2.	पुरूश नसबंदी की संख्या	6699	9920	48.09
3.	कुल परिवार कल्याण आपरे ान	124499	153836	23.57
4.	आई.यू.डी.	107198	118616	10.66
5.	ओरल पिल्स	188189	238376	26.67

6.	निरोध	286331	335506	17.18
	शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम			
1.	पूर्ण प्रतिरक्षित (टीकाकृत) बच्चे	611211	586417	–4.06
2.	विटामिन ए (5 डोज)	511638	610200	19.27
3.	टी.टी. – गर्भवती माताएं	660073	632910	–4.12
4.	ए.एन.सी पंजीयन	672823	651226	–3.21
5.	3 ए.एन.सी परीक्षण	550852	542389	–1.54
6.	संस्थागत प्रसव	102811 (18%)	149025 (26.44 %)	44.95
7.	निरीक्षित प्रसव	514921	530947	3.12
8.	जननी सुरक्षा योजनांतर्गत हितग्राही	2170	175978	
9.	दम्पत्ति सरंक्षण दर	62.12	65.32	5.16
	एस.आर.एस बुलेटिन के अनुसार			
10.	जन्म दर	27.2	26.9	–1.11
11.	शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्म पर)	63	61	–3.18
12.	मातृ मृत्युदर (प्रति लाख जीवित जन्म पर)	379 (2003)	–	–

- राज्य की ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हजार है, जो राष्ट्रीय औसत 64 प्रति हजार से कम है।

11.1.4 जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना, मातृ दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 17.01.2006 से यह योजना प्रारंभ की गई । इसके अंतर्गत जहॉ ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर प्रसव कराने पर एकमुश्त हितग्राही माताओं को 500 रू., संस्थागत प्रसव कराने पर 700 रू., मितानिनों को प्रोत्साहन राशि 200 रू. एवं रिफर हेतु 400 रू. प्रदाय किये जाते थे । भाहरी क्षेत्र में घर पर प्रसव कराने पर एकमुश्त हितग्राही माताओं को 500 रू., संस्थागत प्रसव कराने पर 700 रू. प्रदाय किये जाते थे । दिनांक 01.06.2007 से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थागत प्रसव हेतु एकमुश्त राशि में बढ़ोतरी की गई जो क्रमशः बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव कराने पर 1400 रू., भाहरी क्षेत्र में 1000 रू. की गई है । वर्श 2005–06 में इस योजनांतर्गत लाभांवित हितग्राही 2170 थी, वहीं यह 2007–08 में बढ़कर 175978 हो गई है ।

तालिका क्र. – 11.06

जननी सुरक्षा योजनांतर्गत वर्षवार लाभांवित महिलाएं

जननी सुरक्षा योजनांतर्गत वर्षवार लाभांवित महिलाएं

वर्ष	घर प्रसव	संस्थागत प्रसव
2005-06	1659	511
2006-07	44642	30814
2007-08	74229	101749

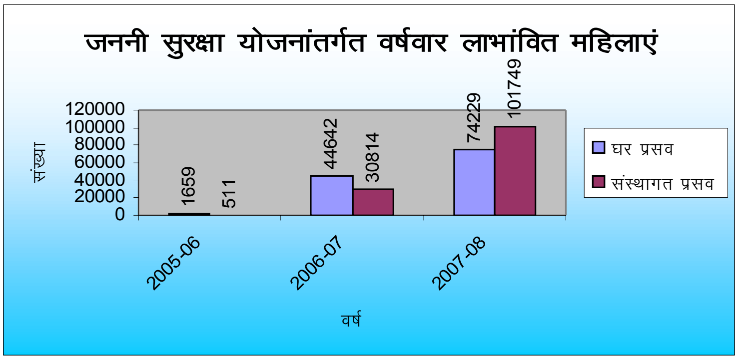

11.1.5 परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम इसका उद्देश्य जनसंख्या को नियोजित कर स्थिरीकरण किया जाना एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है । वर्श 2010 तक प्रदेश में जन्म दर का स्तर 21 प्रति हजार जनसंख्या तक लाना है जो कि वर्तमान में 26.9 प्रति हजार है तथा शिशु मृत्यु दर जो कि वर्तमान में 61 प्रति हजार जीवित जन्म है, उसे 30 प्रति हजार जीवित जन्म तक लाये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है । इस हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं –

- स्टरलाईजेशन – वर्श 2001–02 में 98,368 स्टरलाईजेशन के प्रकरण किये गये थे, वहीं 2007–08 में कुल स्टरलाईजेशन की संख्या बढ़कर 1,53,836 हो गया वर्शवार यह संख्या निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.07
कुल स्टरलाईजेशन की वर्षवार स्थिति

कुल स्टरलाईजेशन की वर्षवार स्थिति

वर्ष	स्टरलाईजेशन
2001-02	98368
2002-03	115298
2003-04	115848
2004-05	124478
2005-06	124499
2006-07	133094
2007-08	153836

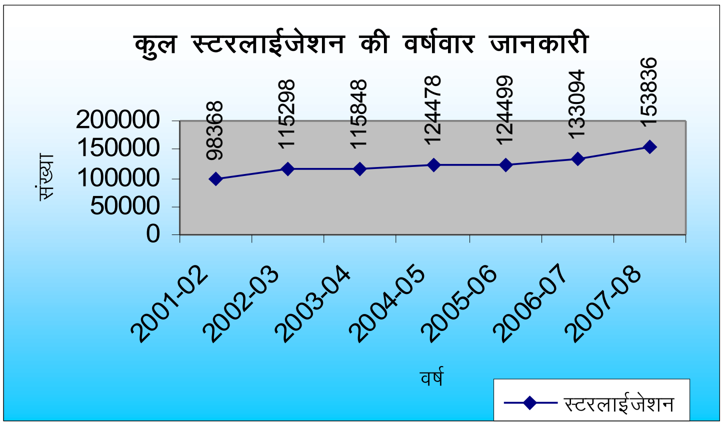

- ओरलपिल्स का प्रयोग – वर्श 2001–02 में राज्य में 1,70,433 ओरलपिल्स का प्रयोग किया गया वही वर्श 2007–08 में यह संख्या बढ़कर 2,38,376 हो गई । जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 11.08
ओरल पिल्स की वर्षवार स्थिति

ओरल पिल्स की वर्षवार स्थिति

वर्ष	हितग्राही
2001-02	170433
2002-03	234179
2003-04	205197
2004-05	158166
2005-06	188189
2006-07	205628
2007-08	238376

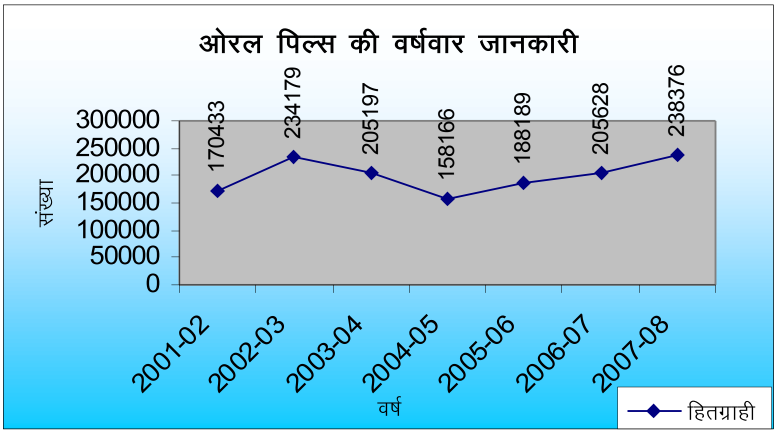

- कंडोम का प्रयोग – वर्श 2001–02 में राज्य में 2,84,539 कंडोम का प्रयोग किया गया वही वर्श 2007–08 में यह संख्या बढ़कर 3,35,506 हो गई । जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.09
कंडोम उपयोगकर्ता की वर्षवार स्थिति

कंडोम उपयोगकर्ता की वर्षवार स्थिति

वर्ष	उपयोगकर्ता
2001-02	284539
2002-03	383550
2003-04	342106
2004-05	258248
2005-06	286331
2006-07	322442
2007-08	335506

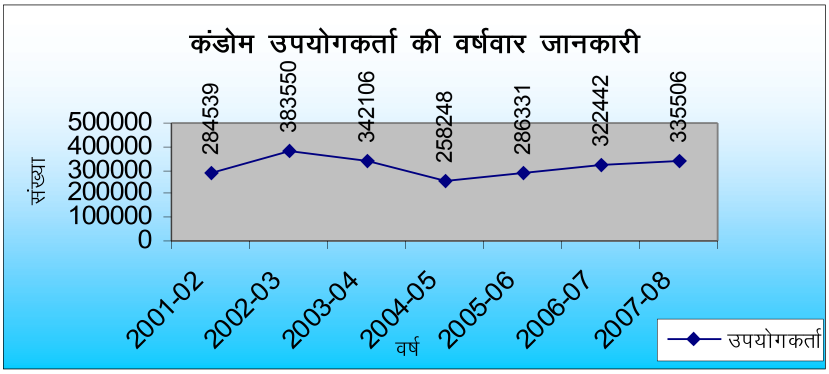

- गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टाक्साईड – वर्श 2001–02 में गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टाक्साईस देने के 6,04,389 प्रकरण दर्ज किये गये वही वर्श 2007–08 में 6,32,910 प्रकरणों में टिटनेस टाक्साईस दिया गया। जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.10
टिटनेस टॉक्साईड (गर्भवती महिला) की वर्षवार जानकारी

टिटनेस टॉक्साईड (गर्भवती महिला) की वर्षवार जानकारी

वर्ष	हितग्राही
2001-02	604389
2002-03	622184
2003-04	619344
2004-05	630905
2005-06	660073
2006-07	667678
2007-08	632910

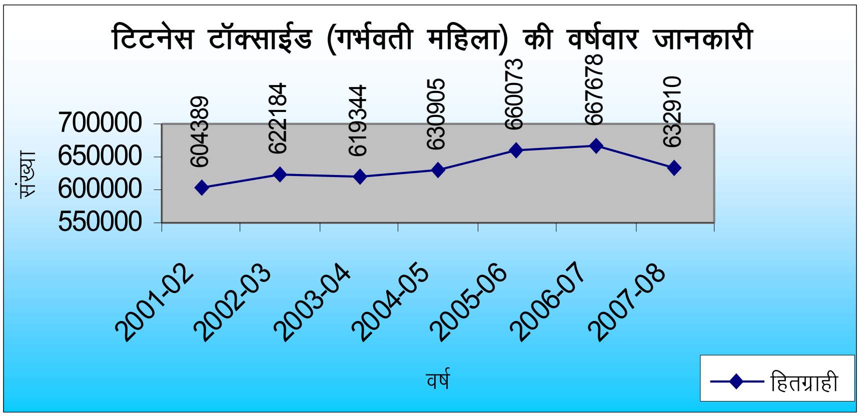

- विटामिन 'ए' प्रदाय – वर्ष 2001–02 में 7,60,405 बच्चों को विटामिन ए का डोज दिया गया वही वर्ष 2007–08 में 6,10,200 बच्चों को यह डोज दिया गया । जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.11
प्रदाय किये गये विटामिन ए की वर्षवार जानकारी

प्रदाय किये गये विटामिन ए की वर्षवार जानकारी

वर्ष	हितग्राही
2001-02	760405
2002-03	776036
2003-04	527260
2004-05	540076
2005-06	511638
2006-07	506901
2007-08	610200

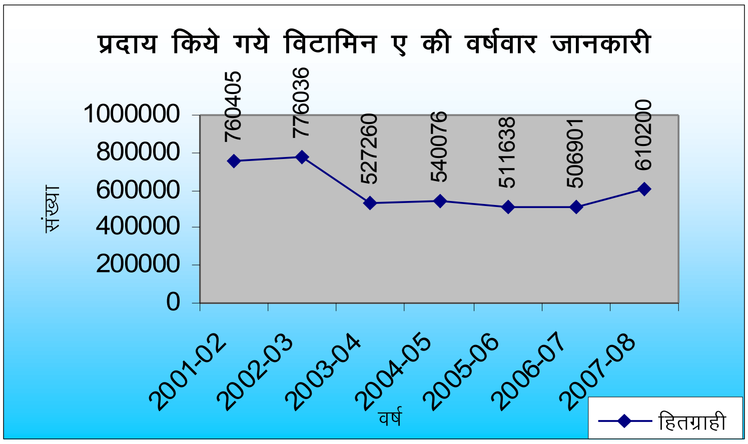

- आयरन फालिक एसिड – वर्ष 2001–02 में 6,46,527 बच्चों को आयरन फालिक एसिड का डोज दिया गया, वहीं वर्ष 2007–08 में 5,98,452 बच्चों को यह डोज दिया गया जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्र. – 11.12
बच्चों को प्रदाय किये गये आयरन फालिक एसिड की वर्षवार जानकारी

बच्चों को प्रदाय किये गये आयरन फालिक एसिड की वर्षवार जानकारी

वर्ष	हितग्राही
2001-02	646527
2002-03	612430
2003-04	588593
2004-05	641272
2005-06	633434
2006-07	298500
2007-08	598452

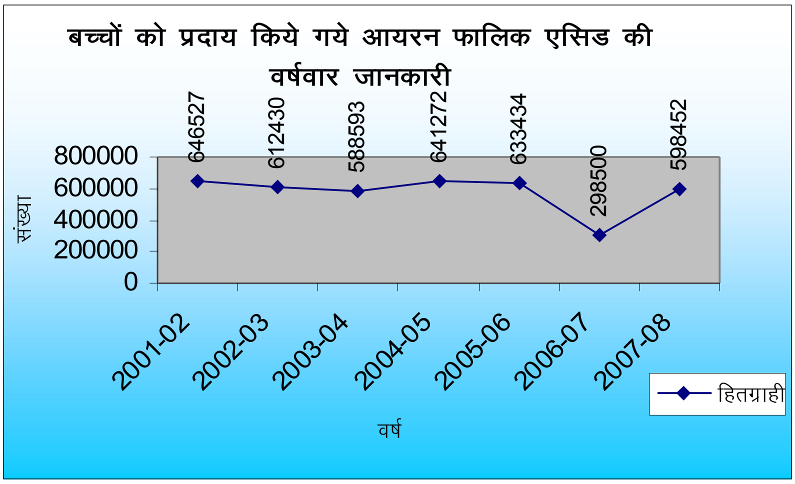

- आयरन फालिक एसिड – वर्ष 2001–02 में 720549 महिलाओं को आयरन फालिक एसिड का डोज दिया गया, वहीं वर्ष 2007–08 में 5,57,894 महिलाओं को यह डोज दिया गया जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.13
महिलाओं को प्रदाय किये गये आयरन फालिक एसिड की वर्षवार जानकारी

महिलाओं को प्रदाय किये गये आयरन फालिक एसिड की वर्षवार जानकारी

वर्ष	हितग्राही
2001-02	720549
2002-03	640601
2003-04	600563
2004-05	677764
2005-06	674427
2006-07	444045
2007-08	557894

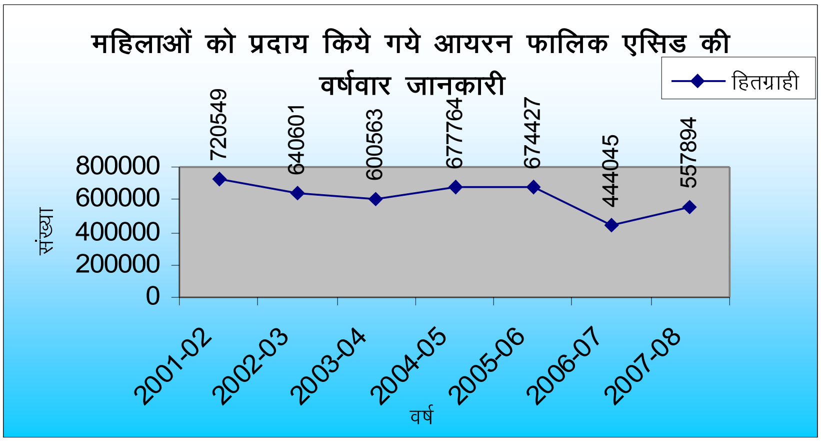

- पूर्ण ईम्युनाईजे ान – वर्श 2001–02 में 6,16,329 बच्चे का ईम्युनाईजे ान किया गया, वहीं वर्श 2007–08 में 5,86,417 बच्चों का किया गया । जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.14
पूर्ण ईम्युनाईजेशन की वर्षवार जानकारी

पूर्ण ईम्युनाईजेशन की वर्षवार जानकारी

वर्ष	हितग्राही
2001-02	720549
2002-03	640601
2003-04	600563
2004-05	677764
2005-06	674427
2006-07	444045
2007-08	557894

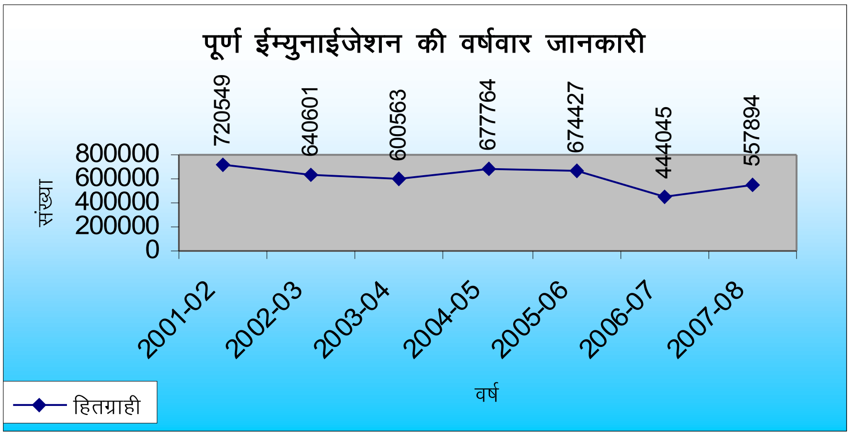

11.1.6 पल्स पोलियो अभियान :–

- **विगत साढ़े पांच वर्शों में पोलियो का एक भी धनात्मक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है ।**
  पल्स पोलियो अभियान की उपलब्धि वर्श 2007 में –
  - प्रथम चरण 7 जनवरी 2007 को 99.94 प्रति ात
  - द्वितीय चरण 11 फरवरी 2007 को 100.38 प्रति ात
  - तृतीय चरण 20 मई 2007 को 100.57 प्रति ात

11.1.7 राश्ट्रीय कार्यक्रम

परिवार कल्याण एवं मातृ ि ा ु कल्याण कार्यक्रम के अतिरिक्त अनेक राश्ट्रीय कार्यक्रम निम्नानुसार चलाये जा रहे है –

- **राश्ट्रीय याज उन्मूलन कार्यकम**
- **राश्ट्रीय कुश्ठ उन्मूलन कार्यकम**
- **राश्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यकम**
  - **मलेरिया नियंत्रण कार्यकम**
  - **फाईलेरिया नियंत्रण कार्यकम**
- **पुनरीक्षित राश्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यकम**
- **राश्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यकम**
- **राश्ट्रीय दृश्टिहीनता नियंत्रण कार्यकम**

11.1.7.1 राश्ट्रीय याज उन्मूल कार्यक्रम

इस रोग को विभिन्न नामों से जाना जाता है, बस्तर में इसे गोंड़ी रोग, कांची गुड़ी एवं माड़िया रोग जैसे नामों से जाना जाता है, वहीं बिलासपुर क्षेत्र में डोमारिया, चन्दर, अंकुरा जैसे नामों से पुकारा जाता है, तो सरगुजा जिले में इसे व्याधि, सेवाया, कन्दारी एवं चकावर जैसे नामों से पुकारा जाता है । इस तरह संक्रमण से फैलने वाली इस बीमारी के नाम अनेक हैं । वर्श 2001 के बाद प्रदे ा मे एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है ।

- **भारत सरकार द्वारा 19 सितम्बर ,2006 को छत्तीसगढ़ राज्य को याज मुक्त घोशित किया गया ।**

11.1.7.2 राश्ट्रीय कुश्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

राज्य की स्थापना के समय राज्य का कुश्ठ प्रभाव दर 8.2 था जो कि वर्तमान माह दिसंबर 2007 में 2.24 प्रति दस हजार है । माह जनवरी 2008 में राज्य में कुल 5134 रोगियों को बहुऔशधि उपचार के अंतर्गत नियमित उपचार निः ुल्क दिया जा रहा है । वर्तमान में प्रदे ा के चार जिले (दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा एवं कोरिया) एलिमिने ान स्तर, रोग प्रभाव दर 1 अथवा 1 से कम प्रति दस हजार जनसंख्या प्राप्त कर चुके है । राज्य बनने के बाद रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा एक से कम प्रति 10,000 जनसंख्या तक लाया जाना ही Leprosy Elimination का चरम लक्ष्य है । राज्य के समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर बहुऔशधि उपचार की निः ुल्क व्यवस्था उपलब्ध है । छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आने के प चात् सन् 2001, 2002 एवं 2004 में तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम एमएलईसी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया ।

तालिका क्र. – 11.15

कुष्ठ उपचाररत् रोगियों की जानकारी

कुष्ठ उपचाररत् रोगियों की जानकारी

वर्ष	रोगी
2001	16058
2002	22953
2003	15482
2004	12918
2005	7994
2006	4515
2007	3322
2008	5465

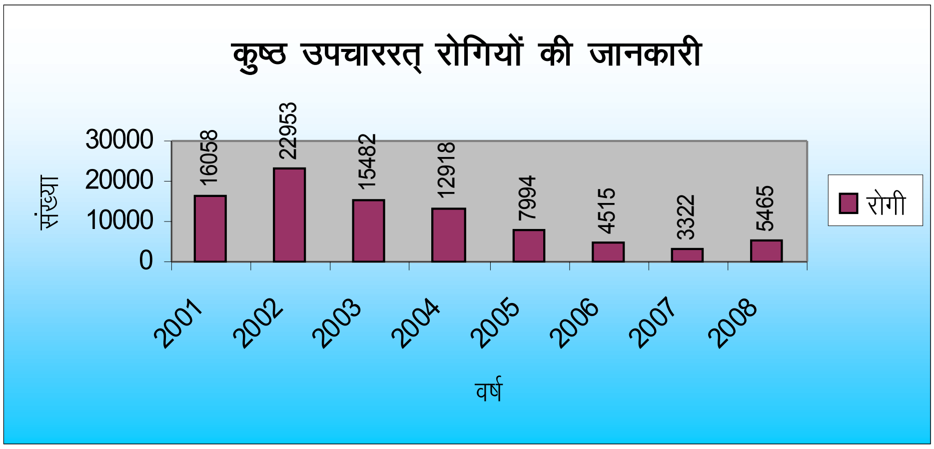

उपरोक्त दंडआरेख से स्पश्ट है कि वर्श 2002 के बाद से कुश्ठ उपचाररत् रोगियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है ।

कुश्ठ रोग से रोगमुक्त रोगियों की संख्या वर्शवार निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.16

रोगमुक्त रोगियों की संख्या

रोगमुक्त रोगियों की संख्या

वर्ष	संख्या
2000-01	24710
2001-02	21154
2002-03	26097
2003-04	17949
2004-05	18034
2005-06	12519
2006-07	7249
2007-08	6215

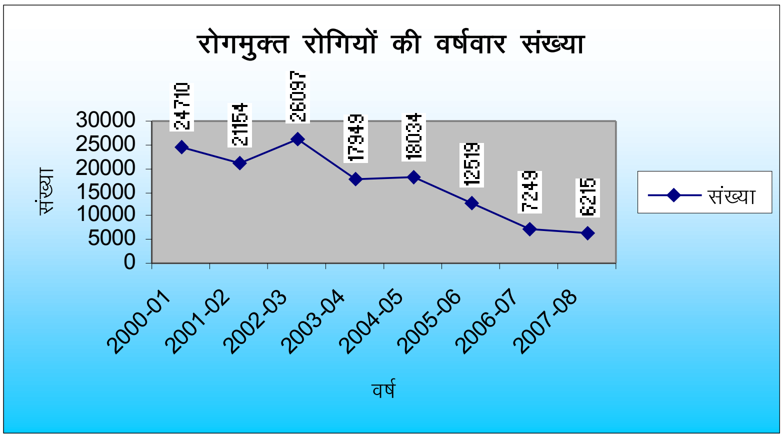

नये कुश्ठ रोगियों की खोज की गई है जिसकी वर्शवार जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.17
नये कुष्ठ रोगियों की संख्या

नये कुष्ठ रोगियों की संख्या

वर्ष	संख्या
2001	22343
2002	28230
2003	18468
2004	15385
2005	13110
2006	9040
2007	6052
2008	6215

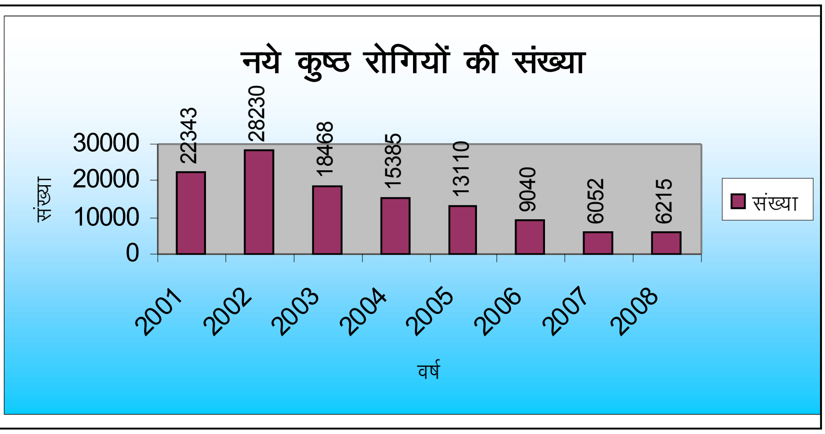

कुष्ठ प्रभावित दर की वर्शवार जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.18
कुष्ठ प्रभावित दर की जानकारी

कुष्ठ प्रभावित दर की जानकारी
(प्रति 10000 जनसंख्या पर)

वर्ष	दर
2001	7.72
2002	11.03
2003	7.2
2004	6.01
2005	3.6
2006	1.99
2007	1.45
2008	2.38

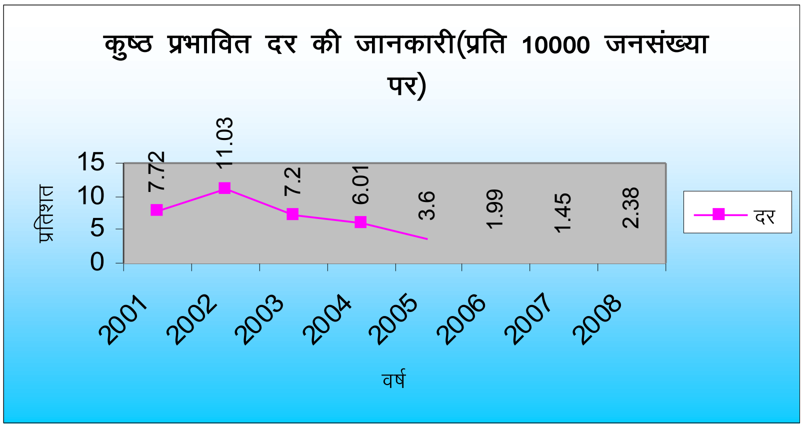

◁ 242 ▷

वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2008 तक कुश्ठ रोगियों के प्रभावित दरों में क्रम ाः कमी आई है । जहां वर्ष 2001 में प्रति 10000 जनसंख्या पर 7.72 प्रति ात था वही वर्ष 2008 में 2.38 प्रति ात रह गई है ।

11.1.7.3 राश्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम –

11.1.7.3.1 मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वि व बैंक की सहायता से वर्ष 1997 से आदिवासी प्राथमिक स्वा. केन्द्रो में ई.एम.सी.पी एवं भोश प्रा. स्वा. केन्द्रों में राश्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है । मलेरिया पर नियंत्रण हेतु त्वरित निदान एवं भीाघ्र उपचार, सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल, कीटना ाक दवा का छिड़काव, जैविक नियंत्रण तथा व्यक्गित सुरक्षा की गतिविधियां संचालित की जा रही है । मच्छर से बचाव तथा मलेरिया के उपचार के संबंध में स्वास्थ्य ि ाक्षा की महत्वाकांक्षी योजना पूरे प्रदे ा में चलाई जा रही है । सभी गांवो में लोक कलाओं के माध्यम से स्वास्थ्य ि ाक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

तालिका क्र. – 11.19

वर्ष	एबीई आर	एपी आई	एस पी आर	ए सए फ आर
2000	18.97	16.75	8.83	6.23
2001	17.79	12.89	7.25	5.03
2002	16.22	10.64	6.56	4.73
2003	15.74	8.28	5.26	3.9
2004	15.16	7.87	5.19	3.99
2005	16.51	8.01	4.85	3.62
2006	15.38	7.53	4.9	3.8
2007	14.04	5.95	4.2	3.1

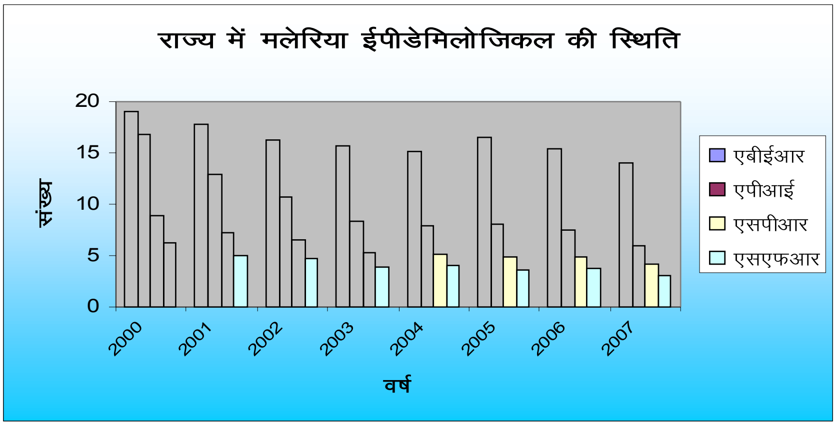

मलेरिया से मृत्यु :– राज्य में मलेरिया से होने वाली मृत्यु की वर्शवार संख्या निम्नानुसार है–

तालिका क्र. – 11.20

वर्ष	मृत्यु
2000	63
2001	32
2002	3
2003	4
2004	6
2005	3
2006	3
2007	0

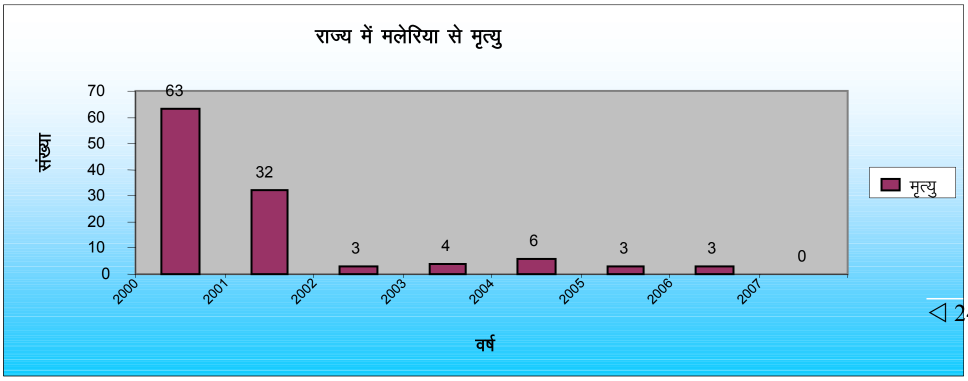

उपरोक्त दंडआरेख से स्पश्ट है कि वर्श 2000 से राज्य में मलेरिया से होने वाली मृत्यु में क्रम ाः कमी आई है ।

मलेरिया नियंत्रण के अंतर्गत रक्त पट्टियों का परीक्षण –

तालिका क्र. – 11.21
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

वर्श	रक्त पट्टी एकत्र	रक्त पट्टी परीक्षण	धनात्मक प्रकरण	फेलसीपेरम प्रकरण
2000-01	4097160	4097160	361795	255430
2003-04	3693618	3693618	194419	144028
2007-08	3447058	3447058	145949	107321

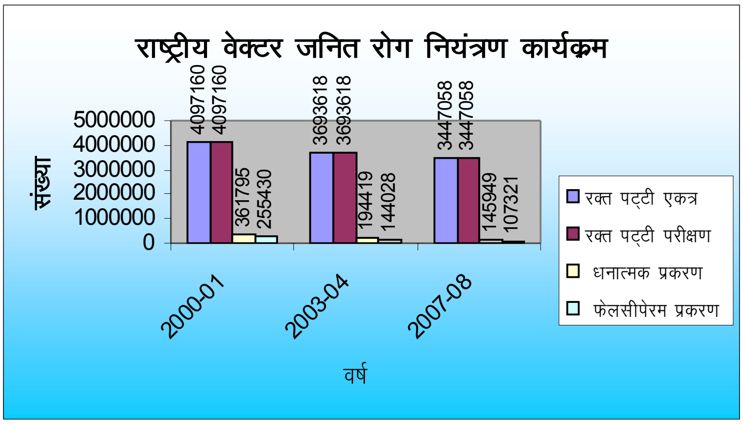

- वर्श 2000–01 की तुलना मे 2007–08 में धनात्मक प्रकरणों में 59.6 प्रति ात की कमी आई है ।
- वर्श 2000–01 की तुलना में कुल फेलसीपेरम प्रकरणों में वर्श 2007–08 में 57 प्रति ात की कमी आई है ।

तालिका क्र. – 11.22
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

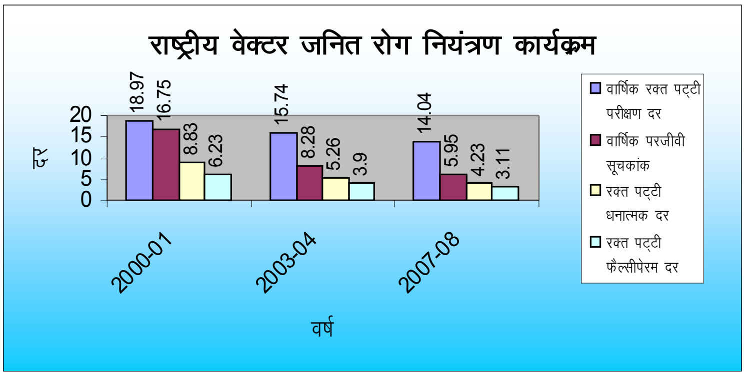

वर्श	वार्षिक रक्त पट्टी परीक्षण दर	वार्षिक परजीवी सूचकांक	रक्त पट्टी ध् ानात्मक दर	रक्त पट्टी फैल्सीपेरम दर
2000-01	18.97	16.75	8.83	6.23
2003-04	15.74	8.28	5.26	3.9
2007-08	14.04	5.95	4.23	3.11

- वर्श 2000–01 की तुलना में 2007–08 में वार्शिक परजीवी सूचकांक में 10.8 प्रति ात की कमी आई है ।
- वर्श 2000–01 की तुलना में 2007–08 में रक्त पट्टी धनात्मक दर में 4.60 प्रति ात की कमी आई है ।
- वर्श 2000–01 की तुलना में 2007–08 में रक्त पट्टी पेलसीपेरम दर में 3.12 प्रति ात की कमी आई है ।
- वर्श 2000–01 की तुलना में 2007–08 में मलेरिया से मृत्यु प्रकरणों में 100 प्रति ात की कमी आई है ।

तालिका क्र. – 11.23

वर्ष 2007 में जिलावार जनसंख्या एवं मलेरिया की स्थिति (प्रतिशत में)

जिलों का नाम	जिलावार जनसंख्या	मलेरिया की स्थिति	जिलों का नाम	जिलावार जनसंख्या	मलेरिया की स्थिति
रायपुर	14.13	1.06	दंतेवाड़ा	3.49	18.94
महासमुंद	4.60	0.44	बिलासपुर	9.75	1.97
धमतरी	3.53	0.40	जांजगीर–चांपा	6.64	0.40
दुर्ग	13.38	1.09	कोरबा	4.25	7.60
राजनांदगांव	6.19	1.99	रायगढ़	6.00	5.89
कबीरधाम	3.12	1.23	जशपुर नगर	3.82	8.22
कांकेर	3.18	10.11	सरगुजा	9.17	10.81
बस्तर	6.07	25.02	कोरिया	2.68	4.83

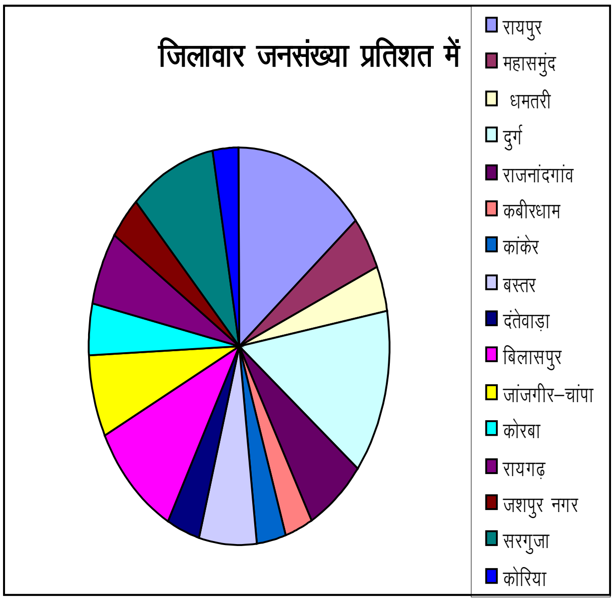

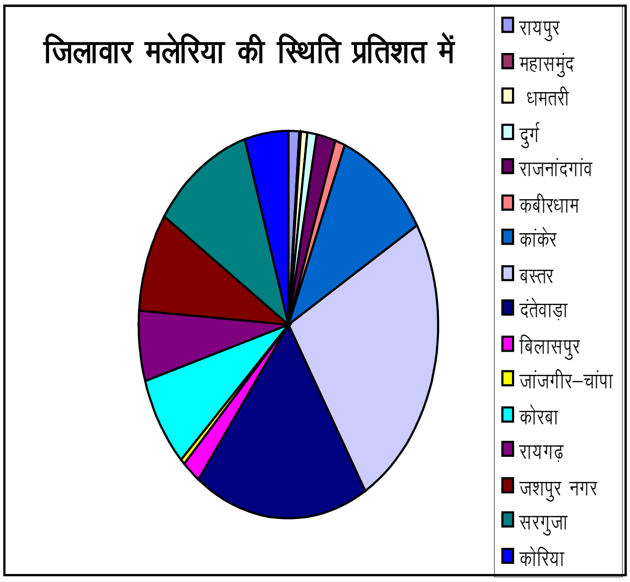

उपरोक्त दंडआरेख से स्पश्ट है कि जनजातीय बाहुल्य जिलों बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, ज ापुर अन्य जिलो की तुलना में मलेरिया संक्रमितों की स्थिति अनुपात में अधिक है ।

11.1.7.3.2 फाईलेरिया नियंत्रण –

फाईलेरिया रोग को राज्य में हाथी पांव के नाम से जाना जाता है । सूचना ि ाक्षा एवं संचार के अंतर्गत बैनर, पांपलेट एवं होर्डिंग्स के माध्यम से लोगों को फाईलेरिया के बारे में जानकारी और व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत मच्छरदानी के उपयोग एवं घर के आस–पास की साफ–सफाई, गंदे पानी को जमा न होने देना एवं जैविक नियंत्रण द्वारा रोग नियत्रंण हेतु प्रयास कर रही है । दिनांक 22.11.2007 को फाईलेरिया दिवस मनाया गया और घर घर जाकर प्रतिरोधक दवाई का वितरण किया गया।

राज्य के 09 जिलों रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, जांजगीर, ज ापुर, रायगढ़, अम्बिकापुर जिसकी जनसंख्या लगभग 1.64 करोड़ है, में फाईलेरिया के संक्रमण की संभावना है । संक्रमण संभावित जनसंख्या एवं प्रतिरक्षित जनसंख्या निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.24

वर्ष	संक्रमण संभावित जनसंख्या	प्रतिरक्षित जनसंख्या	प्रतिशत
2005	136.02	112.63	82.80
2007	134.18	120.14	89.53

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि डी.ई.सी. टेबलेट के वितरण से ज्यादा से ज्यादा संक्रमण संभावित जनसंख्या को प्रतिरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

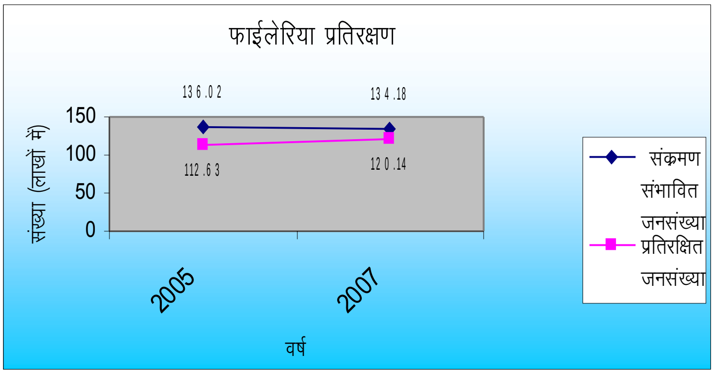

माइक्रोफाईलेरिया सर्वेक्षण, 2007 से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 09 जिलों में फाईलेरिया संक्रमण निम्नानुसार धनात्मक पाई गई –

तालिका क्र. – 11.25

क्र.	जिला	रक्त पट्टी परीक्षण	धनात्मक प्रकरण
1.	बिलासपुर	10826	59
2.	जांजगीर	3508	62
3.	अम्बिकापुर	5411	74
4.	रायगढ़	–	–
5.	ज ापुर	–	–
6.	रायपुर	33862	09
7.	महासमुंद	4889	137
8.	धमतरी	5008	84
9.	दुर्ग	3827	27
कुल		**67331**	**452**

11.1.7.4 पुनरीक्षित राश्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :–

विश्व बैंक की सहायता से भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सन् 1993 से पुनरीक्षित राश्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है । जिसके अंतर्गत प्रदेश के 4 जिलों रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव एवं दुर्ग में 15 अगस्त 2002 एवं जिले धमतरी, कांकेर, जांजगीर, रायगढ़ व कवर्धा में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2004 तथा जिला महासमुंद विश्व क्षय दिवस 24 मार्च 2004 से रोगियों का ईलाज डॉट्स पद्धति से प्रारंभ किया गया है । इसी तारतम्य में 5 मई 2004 को कोरबा, जशपुर एवं 29 मई 2004 को जगदलपुर तथा 15 अगस्त 2004 को कोरिया, दंतेवाड़ा एवं सरगुजा जिले में डॉट्स सेवा भाुरू किया गया ।

यह कार्यक्रम देश में विश्व बैंक की सहायता से सन् 1997 में आरंभ हुआ । डी.एफ.आई.डी, यू.एस.एड व जी.एफ.ए.टी.एम की सहायता से इसका विस्तार तेजी से पूरे देश में किया गया । प्रदेश में सभी 16 जिलों में आर.एन.टी.सी.पी. लागू किया गया है, जो प्रदेश की 232.5 लाख लोगों तक पहुॅच रहा है । पुनरीक्षित राश्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य–खॅखार जांच में पाये गये धनात्मक रोगियों में उच्च निरोगता दर प्राप्त करना है । उच्च निरोगता दर का लक्ष्य कम से कम 85 प्रतिशत रखा गया है ।

तालिका क्र. – 11.26

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां वर्श 2002		उपलब्धियां वर्श 2008	
		आकड़े	प्रतिशत	आकड़े	प्रतिशत
ओ.पी.डी.	....	670831	....	5044542	....
बलगम जांच	2–3%	17914	2.6%	111084	2.2%
वर्शिक क्षय रोग खोज दर(कुल)	216 / लाख जनसंख्या प्रतिवर्श	2418	....	27384	55%
वर्शिक नये संक्रामक क्षय रोगी खोज दर	80 / लाख जनसंख्या प्रतिवर्श	2214	41%	10509	56%
3 माह उपचार उपरांत संक्रामक से असंक्रामक	> 90%	---------	82 %	-----------	89 %
रोग मुक्त संक्रामक रोगी	> 85 %	-----------	81 %	-----------	84.5 %

11.1.7.5 राश्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

भारत सरकार ने 1987 में राश्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की भाुरूआत की थी, राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति इस दि ाा में कार्यरत है, जो नाको (NACO) के दि ाा–निर्दे ाों के अनुसार एच.आई. वी/एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए विभिन्न घटकों पर कार्य कर रही है जिसमें से प्रमुख घटक है, उच्च जोखिमपूर्ण समूहों यथा सेक्स वर्कर्स, ट्रकर्स, माइग्रेन्ट लेबर्स इत्यादि में एच.आई.वी की रोकथाम, जन सामान्य में एच. आई.वी. की रोकथाम, अल्प लागत वाली एड्स देखभाल, संस्थागत् सुद्धीकरण, अन्तर्विभागीय समन्वय इत्यादि ।

एच.आई.वी. एड्स जांच की स्थिति –

वर्श 2002 से मार्च 2008 तक 3300 एच.आई.वी. पॉजीटिव रोगियो की जॉच में निम्नानुसार स्थिति पाई गई–

तालिका क्र. – 11.27
वर्ष 2002 से मार्च 2008 तक एच.आई.वी. एड्स की स्थिति

वर्ष 2002 से मार्च 2008 तक एच.आई.वी. एड्स की स्थिति	
जॉच रिपोर्ट का प्रकार	संख्या
ब्लड बैक	615
व्हीसीटीसी	2656
पीपीटीसीटी	29

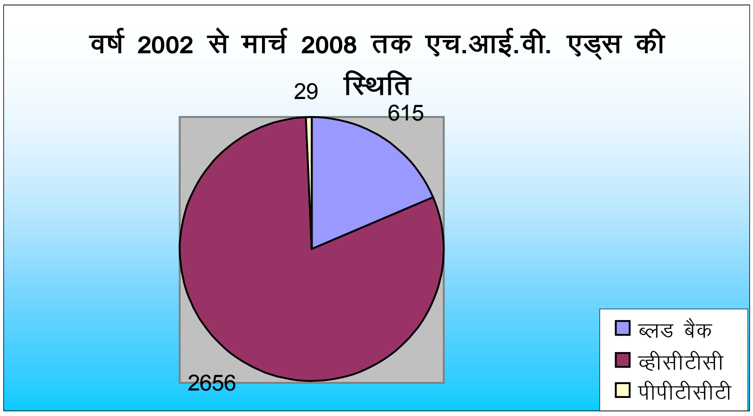

एच.आई.वी. पॉजीटिव महिलाओं एवं पुरूशों के अध्ययन से महिला:पुरूश का अनुपात 1:2 छत्तीसगढ़ राज्य में पाया गया ।

तालिका क्र. – 11.28
राज्य में एच.आई.वी. पॉजीटिव महिलाएं एवं पुरूष का अनुपात

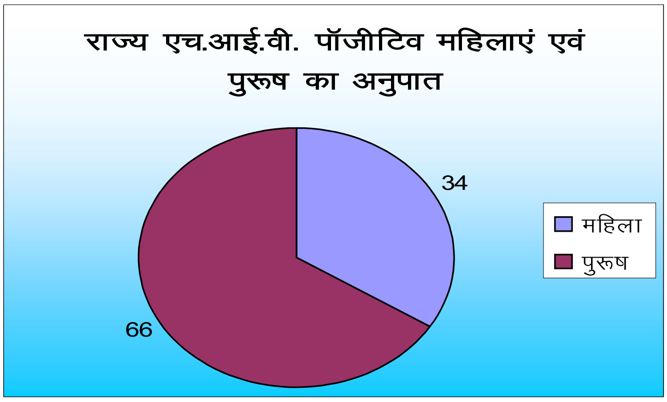

वर्शवार एच.आई.वी पॉजीटिव की स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.29
वर्षवार कुल एच.आई.वी पॉजीटिव

वर्षवार कुल एच.आई.वी पॉजीटिव

वर्ष	ब्लड बैंक	व्हीसीटी सी	पीपीटी सी टी
2002	52	0	0
2003	51	37	0
2004	81	209	0
2005	87	344	0
2006	133	639	9
2007	165	1119	20
2008	46	308	0

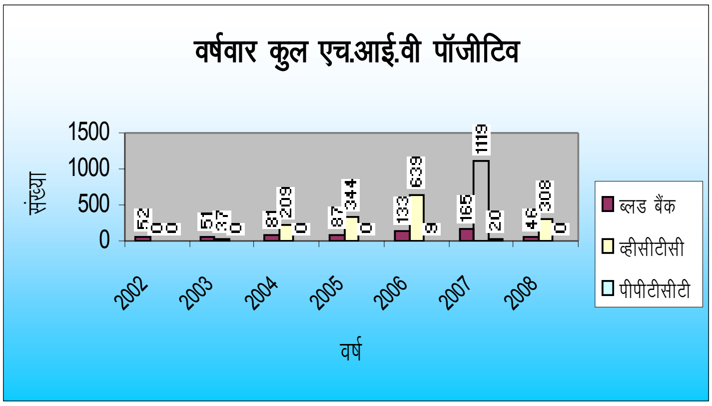

राज्य में आयुवार एड्स पीड़ित की स्थिति –

आयुवार एड्स पीड़ितो का वि लेशण करने पर यह प्रतीत होता है कि 30 वर्श से 40 वर्श के लोगो में इसकी संख्या सर्वाधिक पायी गई । इसके साथ ही 6 वर्श से 14 वर्श की आयु के बच्चों की तुलना में 0 से 5 वर्श में 2.27 प्रति त संख्या का पीड़ित पाया जाना राज्य में एड्स के फैलने की ओर हल्का संकेत देता है ।

तालिका क्र. – 11.30

आयु समूह वार एड्स पीड़ितो का प्रतिशत

आयु समूह वार एड्स पीड़ितो का प्रतिशत

आयु समूह	प्रतिशत
0-5	2.27
6-14	1.86
15-19	2.69
20-29	27.07
30-39	43.6
40-49	16.74
50 Above	5.79

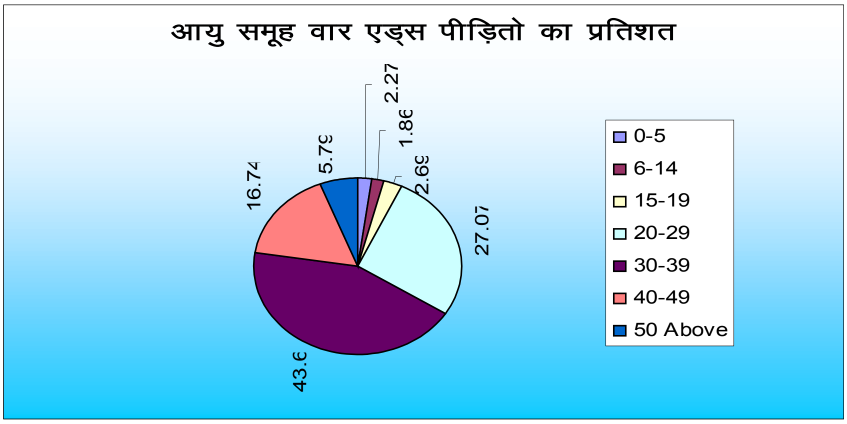

उपरोक्त सारिणी में 20 वर्श से कम आयु के बच्चों की तुलना में 20 से 30 वर्श के लोगो में 27.07 प्रति ात 40 वर्श से अधिक के लोगो की तुलना में अधिक है । जिससे यह प्रतीत होता है कि पिछले द ाक में एड्स पीड़ितो की संख्या में तुलनात्मक रूप से बढ़ोतरी हुई है ।

11.1.7.6 राश्ट्रीय दृश्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम –

वि व बैंक की सहायता से सन् 1994 से मोतियाबिंद अंधत्व निवारण परियोजना राज्य में भाुरू की गई थी । जिसके अंतर्गत प्रदे ा के अस्पतालों में 140 नेत्र बिस्तरों को बढ़ाकर 470 की गई । सन् 2002 से भारत भाासन द्वारा विजन 2010 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया राश्ट्रीय दृश्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य दृश्टिहीनता की दर को 2.1 प्रति ात से कम कर 0.3 प्रति ात तक लाना है । वर्शवार मोतियाबिंद आपरे ान निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.31
मोतियाबिन्द आपरेशन

मोतियाबिन्द आपरेशन

वर्ष	भारत सरकार का लक्ष्य	उपलब्धियां
2001-02	-	51832
2002-03	80000	56451
2003-04	80000	64196
2004-05	80000	84388
2005-06	84000	84407
2006-07	84000	88330
2007-08	84000	86580

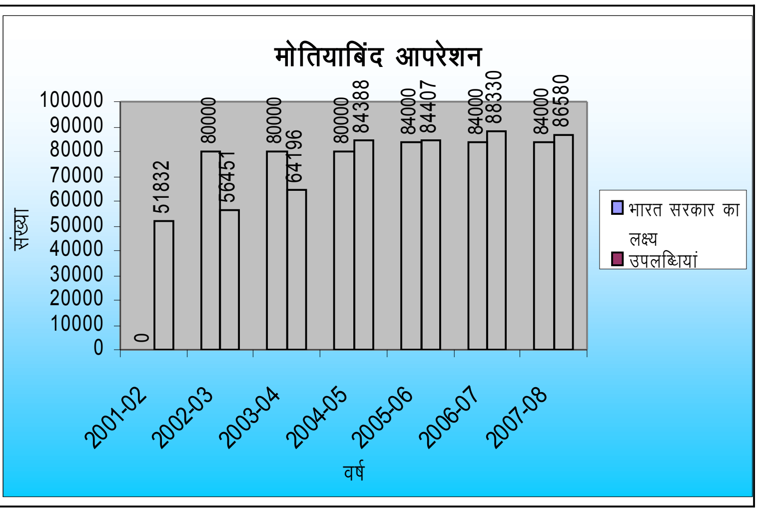

नेत्रदान एवं कार्निया प्रत्यारोपण

नेत्रदान एवं कार्निया प्रत्यारोपण की वर्शवार जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.32

वर्ष	दान में प्राप्त नेत्रों की संख्या	कार्निया प्रत्यारोपण
2001-02	21	17
2002-03	21	19
2003-04	26	21
2004-05	44	38
2005-06	167	87
2006-07	108	102
2007-08	248	90

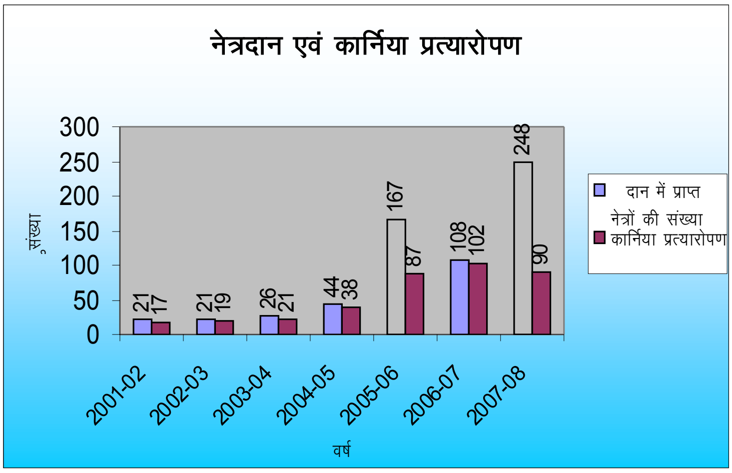

11.1.8 महामारी नियंत्रण कार्यक्रम

महामारी नियंत्रण में बचावदल के प्रभावित स्थल पर पहुंचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऐसी स्थिति में प्रभावित स्थल की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है, जिसे समय पर नियंत्रण किया जा सकता है । राज्य में महामारी रोगो में दस्त रोग, पीलिया, तथा मस्तिश्क ज्वर प्रमुख है । जिलावार कुल ग्राम, महामारी संभावित ग्राम तथा पहुंचविहीन ग्रामों की स्थिति वर्श 2007–08 में निम्नानुसार है –

तालिका क्र. — 11.33

जिलेवार महामारी संभावित व पहुंचविहीन ग्रामों की संख्या (वर्ष 2007—08 की स्थिति में)			
जिलों का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	महामारी संभावित ग्रामों की संख्या	पहुंचविहीन ग्रामों की संख्या
रायपुर	2154	86	156
महासमुंद	1141	66	77
धमतरी	633	14	15
दुर्ग	1803	99	5
राजनांदगांव	1625	34	97
कबीरधाम	962	3	76
कांकेर	1180	23	117
बस्तर	1510	156	162
दंतेवाड़ा	1212	401	410
बिलासपुर	1590	210	110
जांजगीर— चांपा	913	76	45
कोरबा	792	103	61
रायगढ़	1435	141	28
जशपुर नगर	769	29	98
सरगुजा	1774	328	123
कोरिया	653	194	162

11.1.8.1 संक्रामक रोगो की रोकथाम —

महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं विकासखंड स्तर पर काम्बेट टीम का गठन एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये है । संक्रामक रोगों के प्रकोपों के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भाासन द्वारा पूरे प्रदे ा में पेयजल के स्त्रातों के अंतर्गत 3,30,113 कुओं, 1,75,075 हैंडपंपो एवं 19,866 पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल भाुद्धिकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है । 16 जिलों की 1,963 समस्या मूलक एवं 1,742 पहुंचविहीन ग्रामों को चिन्हांकित कर वर्शाकाल के पूर्व ही आव यक औशधियों का भंडारण एवं वितरण किया जा रहा है ।

11.1.8.2 दस्तरोग—

दस्तरोग प्रकरण एवं उससे मृत्यु की वर्शवार जानकारी निम्नानुसार है —

तालिका क्र. — 11.34
दस्तरोग की वर्षवार जानकारी

दस्तरोग की वर्षवार जानकारी

वर्ष	दस्तरोग प्रकरण
2003	186736
2004	213216
2005	246925
2006	166697
2007	176382

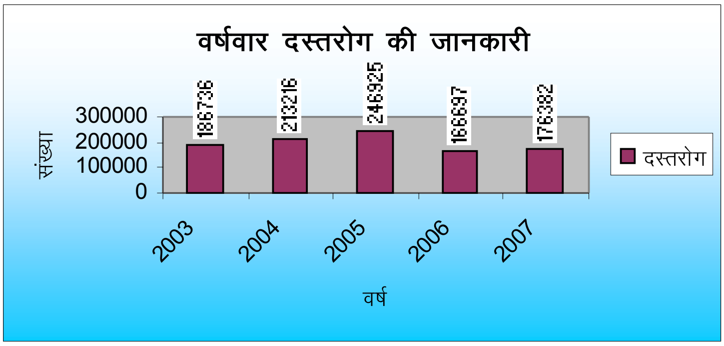

तालिका क्र. – 11.35
दस्तरोग से मृत्यु की वर्षवार जानकारी

दस्तरोग से मृत्यु की वर्षवार जानकारी

वर्ष	मृत्यु
2003	37
2004	29
2005	126
2006	14
2007	120

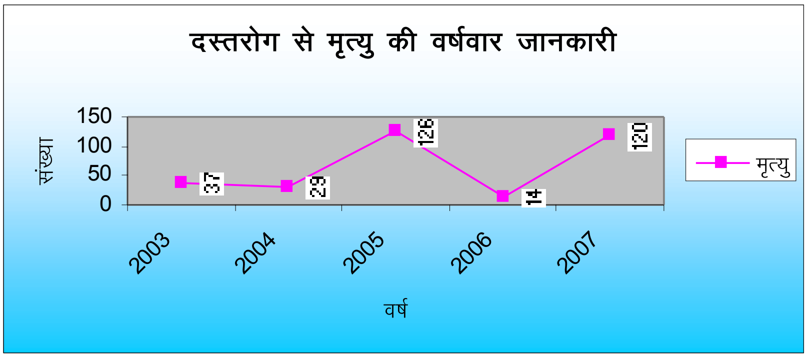

11.1.8.3 पीलिया रोग –

पीलिया रोग संक्रमण एवं उससे मृत्यु की वर्शवार जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.36
पीलिया रोग की वर्षवार स्थिति

पीलिया रोग की वर्षवार स्थिति

वर्ष	पीलिया संक्रमण
2003	757
2004	1140
2005	528
2006	335
2007	382

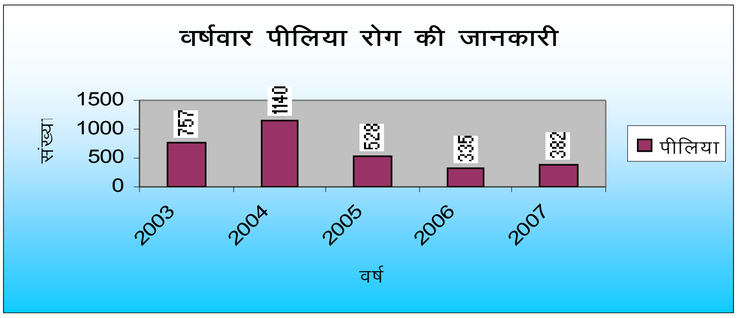

तालिका क्र. – 11.37
पीलिया से मृत्यु की वर्षवार जानकारी

पीलिया से मृत्यु की वर्षवार जानकारी

वर्ष	मृत्यु
2003	7
2004	21
2005	1
2006	2
2007	0

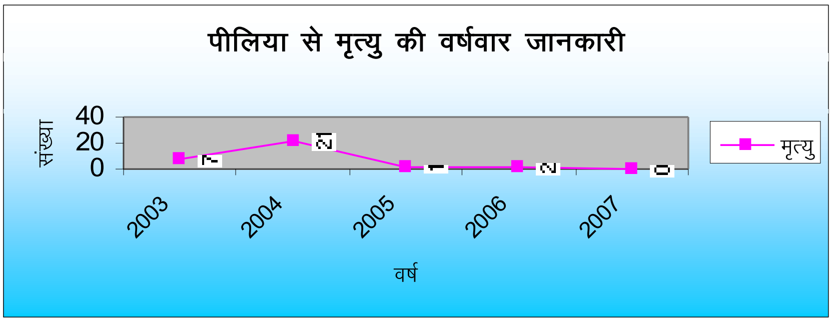

11.1.8.4 मस्तिश्क ज्वर –

मस्तिश्क ज्वर एवं उससे मृत्यु की वर्शवार जानकारी निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.38
मस्तिष्क ज्वर की वर्षवार जानकारी

मस्तिष्क ज्वर की वर्षवार जानकारी

वर्ष	मस्तिष्क ज्वर
2003	1
2004	52
2005	46
2006	37
2007	36

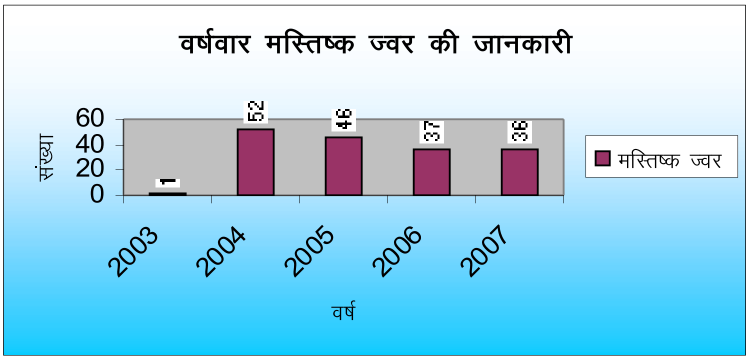

तालिका क्र. – 11.39
मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु की वर्षवार जानकारी

मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु की वर्षवार जानकारी

वर्ष	मृत्यु
2003	0
2004	2
2005	0
2006	1
2007	0

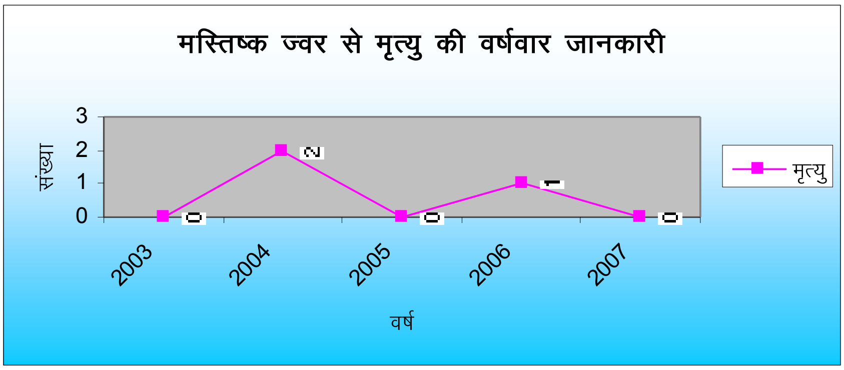

वर्श 2000 एवं वर्श 2007 में महामारी से मृत्यु की स्थिति निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.40
वर्ष 2000 एवं वर्ष 2007 में महामारी से मृत्यु की स्थिति

वर्ष 2000 एवं वर्ष 2007 में महामारी से मृत्यु की स्थिति

रोग	मृत्यु (2000)	मृत्यु (2007)
गैस्ट्रोन्ट्रीस	57	85
डिसेन्ट्री	48	35
जंडिस	13	0
कोलेरा	0	0
मेनिजाइटिस	2	0
मिसल्स	4	0

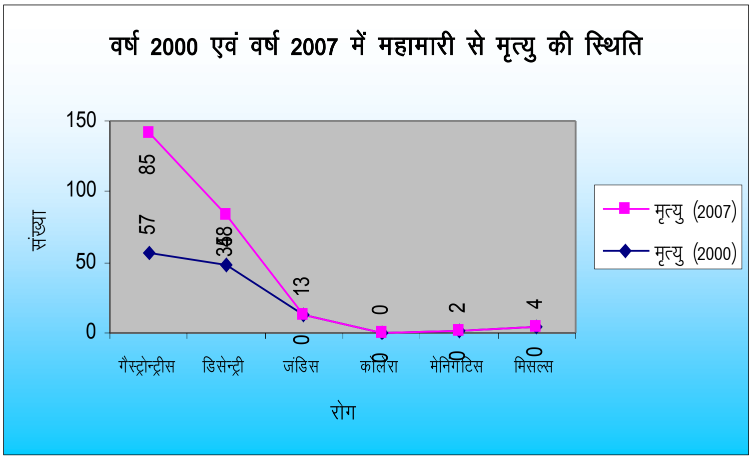

11.1.9 मानसिक स्वास्थ्य –

राज्य में गरीब मनोरोगियों के मानसिक विकास एवं सेवाएं प्रदाय करने हेतु निम्न वि ोश कदम उठा रही है –

- 100 बिस्तरीय राज्य मानसिक चिकित्सालय तथा स्टॉफ क्वार्टर्स का निर्माण ।
- रायपुर एवं बिलासपुर मेडिकल कालेज के मनोरोग विभाग का उन्नयन हेतु प्रयास ।
- जिला मानसिक कार्यक्रम जिला धमतरी में संचालित किया गया है ।
- मंदबुद्धि एवं मानसिक विकलांग रोगियों की पहचान एवं प्रभावीकरण ।
- बेहतरीन सेवाएं प्रदाय करने हेतु मनोचिकित्सक उपलब्ध कराये जा रहे है ।

11.1.10 सेवा प्रदाय हेत अन्य संस्थाएं –

11.1.10.1 जीवन दीप समिति – राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने हेतु सभी जिलो में निम्न जीवन दीप समिति का पंजीयन किया गया है –

- जिला अस्पताल – 15
- सिविल अस्पताल – 08
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – 128
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – 499
- सी.डी. – 13

11.1.10.2 पी.एन.डी.टी. –

पुरूशो की तुलना में महिला लिंगानुपात कम है, जो कि एवं गंभीर विशय हैं इस हेतु कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार वि ोश परिस्थितियों में भ्रूण का परीक्षण एवं गर्भधारण पूर्व परख नली में भ्रूण को विकसित करने का

प्रावधान है। भाासन द्वारा इस कानून के अधीन अधिसूचना जारी करते हुए राज्य जिला एंव खंड स्तर पर सक्षम अधिकारी तथा सलाहकार समितियों की नियुक्ति की गई है तथा समस्त छत्तीसगढ़ में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु निम्न केन्द्रो का पंजीयन किया गया है –

तालिका क्र. – 11.41
लिंग चयन प्रतिषेध के तहत अनुवांशिक केन्द्रो का पंजीयन

लिंग चयन प्रतिषेध के तहत अनुवांशिक केन्द्रो का पंजीयन

वर्ष	केन्द्र
2001	29
2003	277
2007	399

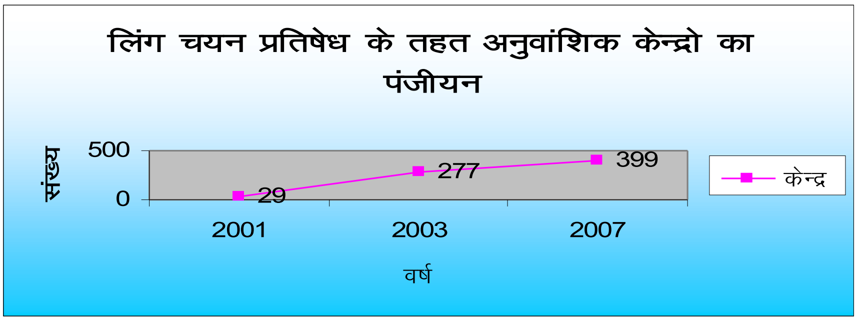

11.1.10.3 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान –

स्वास्थ्य प्रि क्षण से संबंधित भाीर्शस्थ संस्था के रूप में एवं विभागीय मानव संसाधन विकास नीति के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की स्थापना की गई है । इनका लक्ष्य सभी स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत कर्मचारियों एवं चिकित्सकों में आव यक को ाल एवं क्षमताओं का विकास करना । इसके संचालन एवं प्रबंधन में राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि ान के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है ।

11.1.10.4 संजीवनी कोश –

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों के गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु संजीवनी कोश की स्थापना की गई है । जिसमें गंभीर दुर्घटनाओं, बीमारियों एवं प्राकृतिक आपदा पीड़ित व्यक्तियों को ईलाज हेतु सहायता राि ा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज कराने पर दी जाती है । वर्श 2001–02 से 2007–08 तक निम्नलिखित मरीज लाभांवित हुए तथा सहायता राि ा प्रदान की गई :–

तालिका क्र. – 11.42
संजीवनी कोष

संजीवनी कोष

वित्तीय वर्ष	लाभान्वित मरीज
2001-02	29
2002-03	221
2003-04	227
2004-05	178
2005-06	518
2006-07	565
2007-08	557

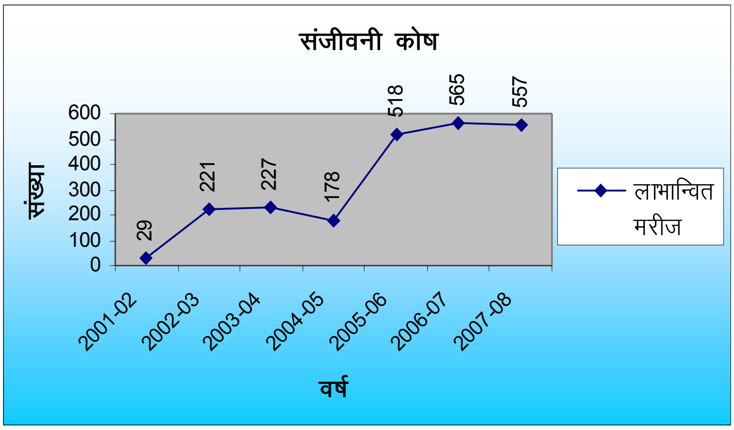

तालिका क्र. – 11.43

वित्तीय वर्ष	कुल लाभान्वित मरीजों की वर्षवार संख्या	सहायता राशि (राशि लाख रू. में)
2001-02	29	12.51
2002-03	221	176.03
2003-04	227	300.6
2004-05	178	172.23
2005-06	518	349.17
2006-07	565	541.35
2007-08	557	553.97

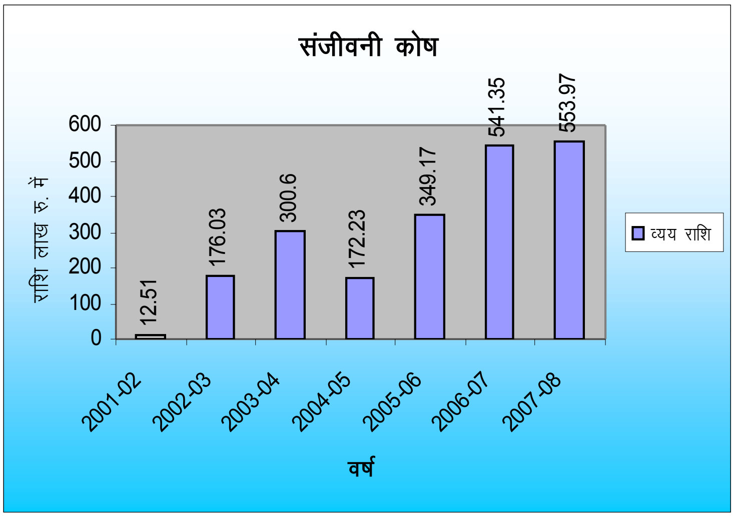

संजीवनी कोश के तहत निम्न बीमारियों में हितग्राहियों को लाभ दिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.44

संजीवनी कोष की सूचीगत बीमारियों के तहत शासन से प्रदत्त हितग्राहियों को दी गई राशि का वर्षवार एवं बीमारी अनुसार जानकारी

वर्श	हृदय रोग	कैंसर रोग	अन्य रोग
2001-02	16	8	5
2002-03	125	62	34
2003-04	149	42	36
2004-05	141	23	14
2005-06	367	105	46
2006-07	400	121	44
2007-08	407	88	49

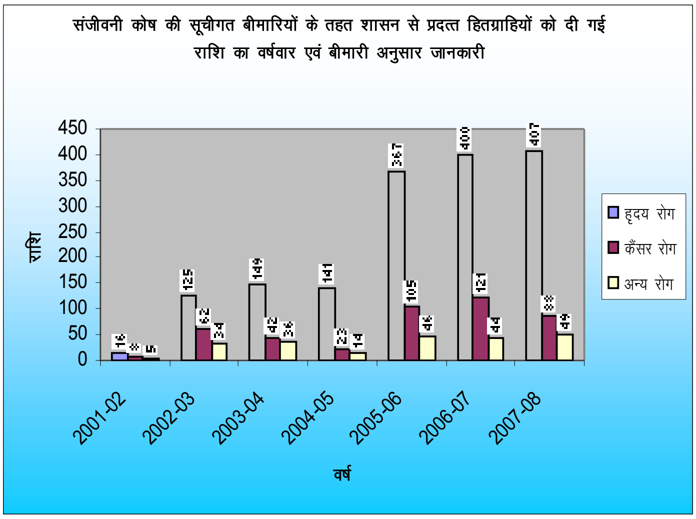

11.2 खाद्य एवं औशधि प्र ाासन–

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं औशधि प्र ाासन, तथा खाद्य एवं औशधि सामग्री की गुणवत्ता पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों का पालन सुनि चत कराया जा रहा है ।

- औशधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 का क्रियान्वयन
- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, 1955 एवं नियम 1962 का क्रियान्वयन

राज्य मे वर्तमान में अस्थायी तौर पर खाद्य प्रयोग ााला स्थापित कर खाद्य नमूनो की जांच की जा रही है तथा औशधि नमूनो की जांच केन्द्रीय औशधि प्रयोग ााला कोलकाता से करायी जा रही है । वि व बैंक की सहायता से छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औशधि परीक्षण प्रयोग ााला की स्थापना का कार्य सम्पन्न होने पर है जिसके बाद समस्त नमूनो की जांच राज्य में की जा सकेगी ।

11.3 आयुष

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) द्वारा स्वास्थ्य उन्नयन, रोगों की रोकथाम एवं चिकित्सा सेवाऐं प्रदाय की जा रही है। इन पद्धतियों के चिकित्सा महाविद्यालयों, आयुर्वेद कम्पाउण्डर तथा महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता (दाई) प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदाय तथा

आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास सतत् रूप से कार्य किया जा रहा है।

आयुश के विकास एवं उन्नयन हेतु संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) कार्यरत है, एवं उसके अंतर्गत विभिन्न शासकीय/निजी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन, उपचार आदि स्वास्थ्य सेवाऐं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी नीतियों को कियान्वयित करने तथा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के सर्वागीण विकास एवं उन्नयन हेतु निम्नानुसार केन्द्र संचालित है :–

11.3.1 आयुष राज्य में पंजीकृत चिकित्सक :–

राज्य में लगभग 13,116 चिकित्सक विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे है, इनमें से राज्य बनने के पूर्व 6289 आयुर्वेद, 2469 होम्योपैथी तथा 48 यूनानी के चिकित्सक पंजीकृत थे। राज्य बनने के पश्चात 1332 आयुर्वेद, 12 यूनानी, 28 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा 438 होम्योपैथी उपाधिधारी चिकित्सक आयुर्वेद एवं होम्योपैथी बोर्ड में पंजीकृत हुए है ।

वनोपज बहुल राज्य होने से ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत ढंग से जड़ी–बूटी से विभिन्न रोगों का उपचार लगभग 1500 स्थानीय वैद्यों द्वारा किया जा रहा है।

11.3.2 आयुष चिकित्सा सुविधाऐं

राज्य गठन के समय 06 तीस शैय्या जिला आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित थे। आयुष पद्धतियों के प्रति जनसामान्य की रूचि को दृष्टिगत रखते हुए 15 जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष की शाखा स्थापित की गई है। जिससे प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में बहिरंग एवं अंतरंग विभागों की सुविधा होने से जनसामान्य को आयुष पद्धति से चिकित्सा लाभ प्राप्त हो रहा है।

राज्य में 02 नये जिला का सृजन किया गया है । अतः कुल 11 जिलों में तीस शैय्या आयुष चिकित्सालय स्वीकृत किया जाएगा चिकित्सालयों में मापदण्डानुसार भवन तथा विभिन्न पदों का भी सृजन कराया जावेगा। जिसमें एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी तथा होम्योपैथी पद्धति से बहिरंग एवं अंतरंग उपचार की सुविधा जनसामान्य को उपलब्ध हो सकेगी।

11.3.2.1 राज्य में आयुष औषधालयों की स्थिति

जिला आयुर्वेद चिकित्सालय	06
जिला आयुर्वेद कार्यालय	16
जिला चिकित्सालयों में आयुश शाखा	15
आयुष औषधालय	692
ग्रामीण क्षेत्रों में	650
शहरी क्षेत्रों में	42

आयुर्वेद औशधालयों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. – 11.45

आयुर्वेद		होम्योपैथी		यूनानी	
2001	2008	2001	2008	2001	2008
632	634	51	52	06	06

उपरोक्त तालिका से स्पश्ट है कि आयुश के अंतर्गत सर्वाधिक औशधालय आयुर्वेद के है तथा राज्य में योग, यूनानी इत्यादि को भी प्रोत्साहित किये जाने की आव यकता है ।

11.3.2.2 आयुष पद्धति की सुविधा (पंचकर्म/क्षारसूत्र सुविधा तथा स्पेशिलिटी क्लीनिक)

जनसामान्य को चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों की सुविधा एक छत के नीचे उपलब्ध हो सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 61 ऐलोपैथिक चिकित्सा केन्द्रों में आयुर्वेद की विशिष्ट विधा पंचकर्म तथा स्पेशिलिटी क्लीनिक स्वीकृत की गई है। जिससे जनता को ऐलोपैथिक के साथ–साथ आयुर्वेद पद्धति से भी जटिल एवं असाध्य रोगो के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

11.3.3 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आयुष का एकीकरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अवधारणा के अनुरूप राज्य में एक ही शहर/ग्राम में पृथक–पृथक स्थानों में संचालित 85 ऐलोपैथिक एवं आयुष औषधालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाकर एक ही स्थान पर

संचालित किया जा रहा है । राज्य के 129 ऐलोपैथिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 707 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से प्रथम चरण में 08 आदिवासी जिलों के 52 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 347 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस प्रकार कुल 399 आयुष चिकित्सकों के पद सृजित किये गये है। इससे आदिवासी क्षेत्रों में जनसामान्य को एक ही स्थान पर समस्त पद्धतियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगा।

तालिका क्र. — 11.46

पंचकर्म/ क्षारसूत्रा सुविधा (आयुष)		पंचकर्म/ क्षारसूत्रा सुविधा स्पेशलाइज थेरेपी सेन्टर		स्पेशिलिटी क्लीनिक	
जिला एलोपैथिक चिकित्सालय		समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
2001	2008	2001	2008	2001	2008
0	15	0	22	0	24

उपरोक्त सारिणी से स्पश्ट है कि राज्य के अस्तित्व में आने के प चात् राज्य में 61 एलोपैथी चिकित्सा केन्द्रो पर आयुश की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जिसमें 15 जिला अस्पताल भाामिल है ।

राज्य के एलोपैथी चिकित्सा केन्द्रों में आयुश पद्धति के 399 चिकित्सकों का वर्गीकरण निम्नानुसार है, जो सभी राज्य निर्माण के प चात् उपलब्ध कराये गये हैं ।

तालिका क्र. — 11.47

आयुर्वेद		होम्योपैथी		यूनानी	
समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		समुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
2001	2008	2001	2008	2001	2008
0	319	0	60	0	20

11.3.4 पब्लिक प्रायवेट पाटर्नशिप

राज्य गठन पश्चात पब्लिक प्रायवेट पाटर्नशिप योजना के तहत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में केरल की विश्वविख्यात ''श्रीधरियम नेत्र चिकित्सा संस्थान एवं पंचकर्म केन्द्र'' सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, जिससे प्रदेश के साथ–साथ अन्य प्रदेशों के भी नेत्ररोगी लाभान्वित हो रहे है ।

11.3.5 रोगी संख्या

स्वास्थ्य रक्षा संबंधी गतिविधियां ग्रामीण अंचलों तक विस्तारित है, सुदूर ग्रामीण अंचलों में ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधा के लिये औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपकरण सुलभ करवाये गये है। जिससे प्रतिवर्ष लगभग 37 लाख रोगियों को आयुष पद्धतियों का लाभ दिया जा रहा है ।

11.3.6 स्वास्थ्य मेला

दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत जनसामान्य को विभिन्न रोगो से बचाव एवं रोग की अवस्था में उनके समुचित उपचार एवं ग्रामीणजनों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आयुष चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों एवं हॉट बाजार में शिविरों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही क्षेत्र विशेष में होने वाले विभिन्न रोगो एवं महामारी के बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जन–जागृति के गहन प्रयास किये जा रहे है।

रोग निदान शिविरों एवं हितग्राहियों की स्थिति :–

तालिका क्र. — 11.48

क्र.	वर्ष	स्वास्थ्य जागरूकता एवं निदान शिविरों की संख्या	हितग्राहितों की संख्या
1.	2004–05	1144	138544

2.	2005—06	5930	452385
3.	2006—07	6641	557241
4.	2007—08	9034	591287

तालिका क्र. – 11.49
रोग निदान शिविरों एवं हितग्राहियों की स्थिति

रोग निदान शिविरों एवं हितग्राहियों की स्थिति		
वर्ष	शिविर	हितग्राहीं
2004-05	1144	138544
2005-06	5930	452385
2006-07	6641	557241
2007-08	9034	591287

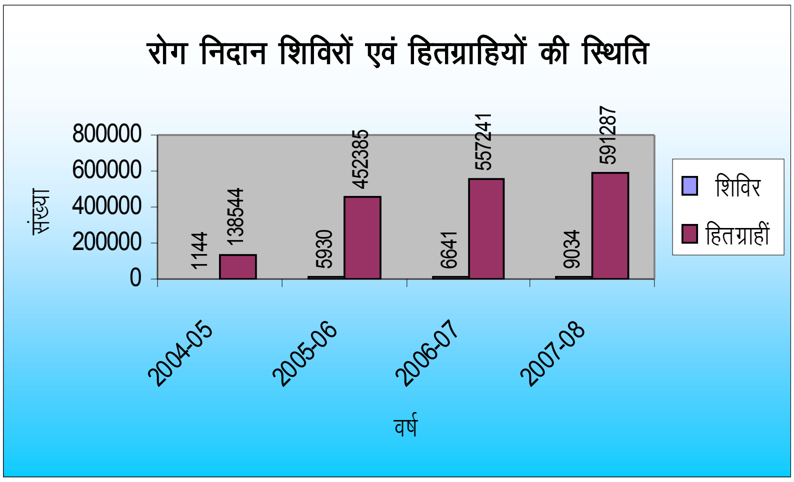

उक्त के अतिरिक्त आयुर्वेद की विशिष्ट विधा क्षार–सूत्र से अर्श एवं भंगदर के निदान हेतु प्रदेश के 06 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाकर लगभग 3000 रोगियों का परीक्षण किया जाकर 635 रोगियों को इसका लाभ पहुंचाया गया।

11.3.7 राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयुष की सहभागिता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता का निर्वहन कर रहा है । ग्रामीण अंचल में व्यापक चिकित्सा तंत्रा फैला हुआ है, औषधालयों में पदस्थ कुल 3950 क्षेत्रीय अमले द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए नसबंदी प्रेरणा, निरोध वितरण, ओरल पिल्स, मलेरिया स्लाईडस, अंधत्व निवारण, कुष्ठ निवारण, मातृत्व एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम एवं टीकाकरण तथा छात्रा स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कुशलता पूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदेश अग्रणी है । प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाभ लगभग 18 लाख जनता को पहुंचाया जा रहा है ।

जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से वर्शवार निम्नानुसार लाभांवित किया गया –

तालिका क्र. – 11.50
नसबन्दी प्रेरणा

वर्ष	व्ही टी	टी टी	एल टीटी	निरोध	लूप	ओरल पिल्स
2004-05	248	800	5698	89147	2315	25974
2005-06	535	1018	4801	140752	3853	48361
2006-07	532	957	3761	166255	17630	46572
2007-08	453	2604	6342	232543	8505	71347

अनेक राश्ट्रीय कार्यक्रमों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से लोगो को चिकित्सा लाभ पहुंचाया गया जिनका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क्र. – 11.51

वर्ष	मलेरिया स्लाइड	अन्धत्व निवारण	माताओं का टीकाकरण	बच्चों का टीकाकरण	छात्र स्वास्थ्य परीक्षण	कुष्ठ निवारण
2004-05	45279	5634	15598	59670	69357	1446
2005-06	68893	5148	25594	105418	171046	1575
2006-07	54479	5747	20469	85843	264396	605
2007-08	84904	9463	29982	170182	149054	1715

11.3.8 अधोसंरचना

आयुर्वेद चिकित्सालय, आयुष औषधालयों के अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसके तहत राज्य बनने के पश्चात 03 चिकित्सालय एवं 265 आयुष औषधलायों का निर्माण कराया गया। नवीन निर्मित औषधालय भवनों में चिकित्सक आवास की व्यवस्था की गई है। इससे औषधालय में ही चिकित्सक निवासरत रहते हुए बेहतर एवं 24 घंटे जनसामान्य को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे है ।

तालिका क्र. – 11.52

जिला आयुर्वेद चिकित्सालय		आयुर्वेद औषधालय		होम्योपैथी औषधालय		यूनानी औषधालय	
2001	2008	2001	2008	2001	2008	2001	2008
03	06	212	461	12	26	01	03

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि राज्य निर्माण के समय आयुश से संबंधित चिकित्सालयों हेतु जो अधोसंरचना उपलब्ध थी, वह दुगुने से अधिक हो गयी है, यह सराहनीय उपलब्धि है ।

तालिका क्र. – 11.53

क्र.	वर्ष	आयुर्वेद डिस्पेंसरी	
		भवन युक्त	भवन विहीन
1	2000-01	212	420
2	2001-02	212	420
3	2002-03	260	372
4	2003-04	260	372
5	2004-05	260	372
6	2005-06	260	372
7	2006-07	260	372
8	2007-08	461	173
9	2008-09	173	0

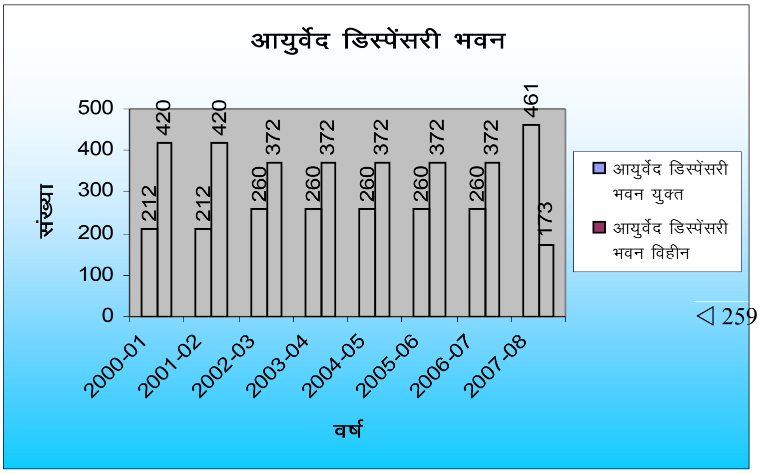

आयुर्वेद डिस्पेंसरी को स्वयं का भवन उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय है, जो उपरोक्त दंडआरेख व सारिणी से स्पश्ट हो रहा है । वर्श 2008–09 में भात प्रति ात आयुर्वेद डिस्पेंसरी हेतु भवन की व्यवस्था कर दी गयी है ।

तालिका क्र. – 11.54

क्र.	वर्ष	होम्योपैथी डिस्पेंसरी	
		भवन युक्त	भवन विहीन
1	2000-01	12	40
2	2001-02	12	40
3	2002-03	26	26
4	2003-04	26	26
5	2004-05	26	26
6	2005-06	26	26
7	2006-07	26	26
8	2007-08	26	26
9	2008-09	26	26

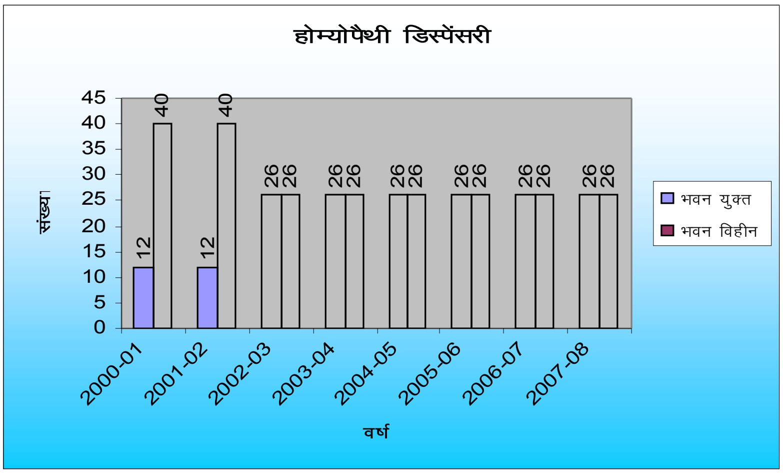

उपरोक्त दंड आरेख से स्पश्ट है कि 50 प्रति ात होम्योपैथी डिस्पेंसरी को स्वयं का भवन उपलब्ध करा दिया गया है ।

आयुश चिकित्सालयों में मुख्य समस्या स्वयं के भवन की है । राज्य 06 जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में सिर्फ 04 के पास स्वयं के भवन हैं तथा जिला आयुर्वेद कार्यालयों में 16 में से सिर्फ 01 आयुर्वेद कार्यालय के पास स्वयं का भवन है तथा शेश भवन विहीन है जिनके लिये भवन निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी औशधालयों में 692 में से 490 केन्द्रों को भवन उपलब्ध करा दिया गया है तथा 202 भवन विहीन केन्द्रों को स्वयं का भवन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

11.3.9 आयुर्वेद फार्मेसी

राज्य के भू–भाग का 44 प्रतिशत वनो से आच्छादित है। इस वनांचाल में गुणकारी वनौषधि की बहुलता है। राज्य की वनौषधियों का समुचित उपयोग करने हेतु शासकीय क्षेत्रा में 01 एवं निजी क्षेत्र में 64 फार्मेसियों द्वारा औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य गठन पश्चात शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर का सुदृढ़ीकरण करते हुए जी0एम0पी0 धारक बनाया गया है। फार्मेसी में नये यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये है जिससे औषधियों के उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ इनकी गुणवत्ता में भी सुधार आया है। आयुर्वेद की शास्त्रोक्त औषधि में रस, भस्म, क्वाथ, वटी, आसव, अर्क, गूग्गूल, चूर्ण एवं लेप का निर्माण किया जा रहा है। फार्मेसी द्वारा निर्मित उत्तम गुणवत्तायुक्त औषधियों का विभाग के अधीन संचालित आयुर्वेद चिकित्सालय / औषधालय की आवश्यकतानुरूप प्रदाय किया जा रहा है।

11.3.10 ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र

ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र रायपुर में प्रारंभ किया गया। लेबोरेटरी के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार से भी अनुदान राशि प्राप्त की गई। जिसमें औषधियों के भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण किया जाकर औषधियों के मानक स्थापित करते हुए गुणवत्तायुक्त औषधि उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

भविष्य में प्रदेश के वनों में पाई जाने वाली वनौषधि प्रजातियों एवं वनेत्तर क्षेत्रों में खेती से उत्पन्न प्रजातियों के उत्पादों के रासायनिक अवयवों की गुणवत्ता एवं मानक गुणवत्ता के तुलनात्मक अध्ययन हेतु ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र में तकनीकी दक्षता उपलब्ध कराये जाने एवं ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के वांछित उन्नयन सुनिश्चित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य वनोषधि बोर्ड से करारनामा किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका क्र. – 11.55

क.	वर्ष	परीक्षण किए गए औषधियों की संख्या
1	2005–06	21
2	2006–07	51
3	2007–08	53

11.3.11 औषधि परीक्षण प्रयोगशाला

वनौषधियों के गुणधर्म के परीक्षण एवं उनसे निर्मित औषधियों की गुणवत्ता की जांच हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। इसे उन्नत किया जाकर शोध संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है । प्रयोगशाला द्वारा किये गये परीक्षण की जानकारी अग्रानुसार है –

तालिका क्र. – 11.56

वर्ष	औषधि परीक्षण
2002-03	6
2003-04	6
2004-05	15
2005-06	22
2006-07	51
2007-08	53

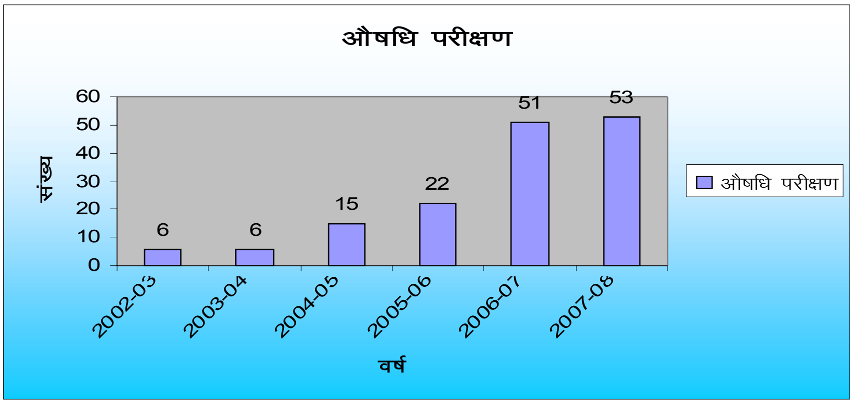

इस तरह आयुश स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल रहा है, चिकित्सा पद्धति के एकीकरण का लक्ष्य राज्य में मूर्त रूप लेता जा रहा है ।

अध्याय – 12
समाज कल्याण

निः ाक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 सम्पूर्ण भारत के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रभाव ील है। अधिनियम का उद्दे य इसकी भावना के अनुरूप निः ाक्त व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण के तहत उनकी समाज में सहभागिता सुनि चत करना है। इस प्रयोजन हेतु विकलांगता प्रमाणीकरण, ि ाक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा व पुर्नवास संबंधी सेवाऐं प्रदान करना है।

विभाग अंतर्गत निम्नलिखित अधिनियम प्रभाव ील है :–

- कि ोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा सं ोधित 2006
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
- भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973
- निः ाक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995
- राश्ट्रीय न्यास (स्वपरायणता, प्रतिमस्तिश्क अंगाघात, मानसिक मंदता एवं बहु निः ाक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण) अधिनियम 1999
- भारतीय पुनर्वास परिशद अधिनियम 1992

12.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

12.1.1 सामाजिक सुरक्षा पें ान

समाजिक सुरक्षा पें ान योजना के अंतर्गत प्रदे ा के मूल निवासी जिसकी आयु 50–60 वर्श या उससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, विधवा/पारित्यक्त महिलाएं, 6 से 14 वर्श के निराश्रित निः ाक्त, भालेय छात्र एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के निः ाक्त बच्चे चाहे वे निराश्रित न हो एवं 14 वर्श से अधिक आयु के निराश्रित निः ाक्त व्यक्ति को रूपये 200/– प्रतिमाह पें ान दी जाती है।

◁ 3 ▷

तालिका क्र. 12.01
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	315178
2001-02	333627
2002-03	339500
2003-04	378872
2004-05	390766
2005-06	411780
2006-07	452786
2007-08	710013

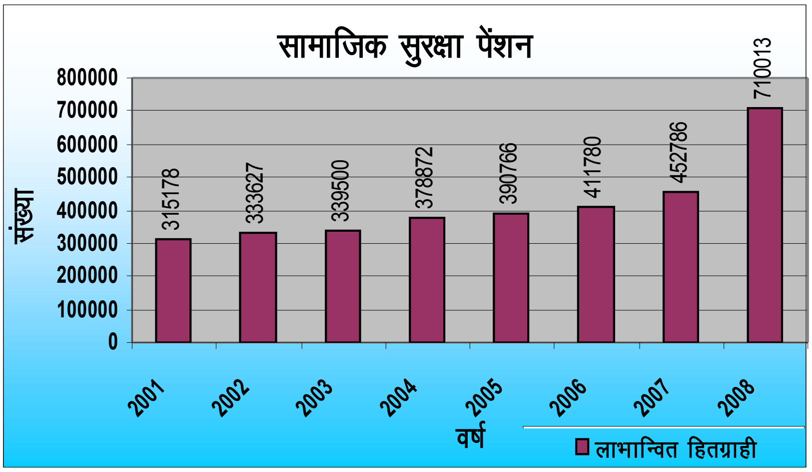

तालिका क्र. 12.02
सामाजिक सुरक्षा पेंशन

वर्ष	व्यय प्रावधान (लाख रु. में)
2000-01	4487.84
2001-02	4627.40
2002-03	5336.98
2003-04	5475.00
2004-05	5900.00
2005-06	6000.00
2006-07	6450.00
2007-08	9836.00

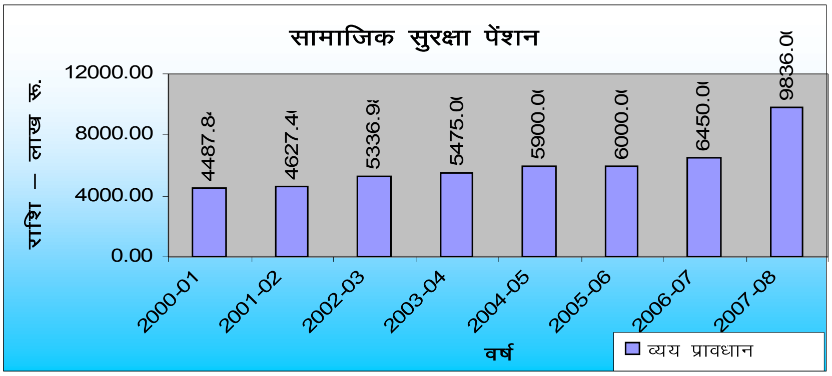

12.1.2 सुखद सहारा योजना

योजना का उद्दे य महिलाओं को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के द्वारा पुनर्वासित होने तक सहायता प्रदान करना है इसके लिए राज्य में 18 से 50 वर्श तक की निराश्रित विधवा/परित्यक्त महिलाओं को रूपये 200/– प्रतिमाह की दर से पें ान भुगतान की रही है।

तालिका क्र. 12.03
सुखद सहारा योजना

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	92604
2001-02	97780
2002-03	95012
2003-04	109553
2004-05	121660
2005-06	134137
2006-07	151781
2007-08	170522

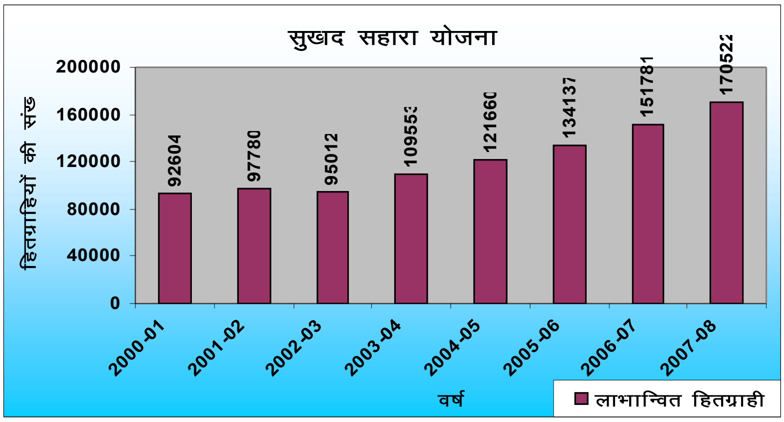

◁ 4 ▷

तालिका क्र. 12.04
सुखद सहारा योजना की वर्शवार वित्तीय स्थिति

वर्ष	व्यय प्रावधान
2000-01	65.00
2001-02	1540.33
2002-03	1354.64
2003-04	1748.00
2004-05	2150.00
2005-06	2200.00
2006-07	2440.00
2007-08	3649.00

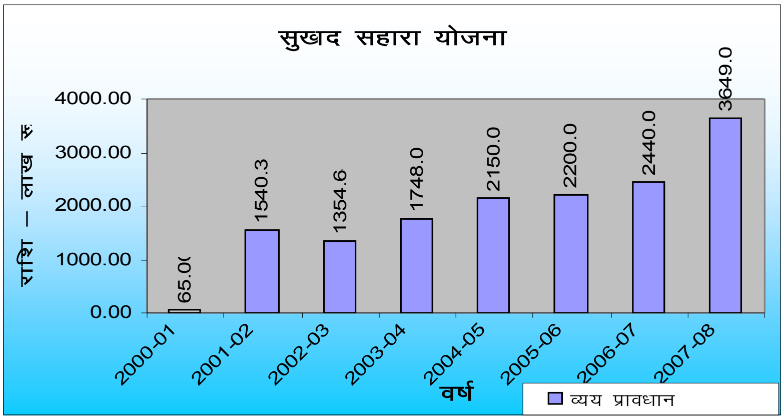

12.1.3 राश्ट्रीय वृद्वावस्था पें ान

राश्ट्रीय वृद्वावस्था पें ान योजना 2 अक्टूबर 1995 से राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त वित्तीय संसाधनों से राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत 65 वर्श से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को जिनके पास अपने जीविकोपार्जन के साधन न हो को रूपये 300/– प्रतिमाह की दर से पें ान भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया रहा है।

तालिका क्र. 12.05
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	144560
2001-02	140384
2002-03	141342
2003-04	149902
2004-05	151321
2005-06	183893
2006-07	201345
2007-08	437218

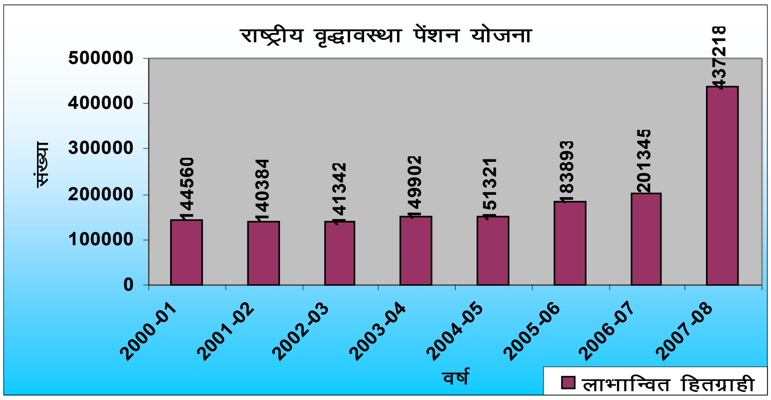

तालिका क. 12.06
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की वर्शवार वित्तीय स्थिति

वर्ष	व्यय प्रावधान (लाख रु. में)
2000-01	1243.41
2001-02	1101.04
2002-03	1129.34
2003-04	1129.34
2004-05	1650.00
2005-06	1140.25
2006-07	3592.00
2007-08	9700.00

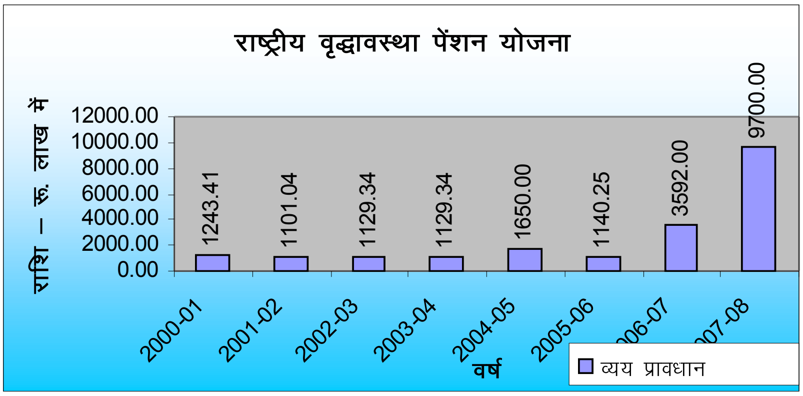

योजना के प्रारम्भ से हितग्राहियों को रूपये 150/– प्रतिमाह मिलता था जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अं ा 75–75 रूपया था अप्रेल–2007 से भारत सरकार द्वारा 200 रूपया तथा राज्य भाासन द्वारा 100 रूपया प्रतिमाह कुल 300 रूपया प्रतिमाह हितग्राहियों को दिया जा रहा है ।

12.1.4 राश्ट्रीय परिवार सहायता योजना

इस योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूश जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकां ा खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्श से अधिक 65 वर्श से कम हो प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को रूपये 10,000/– की एक मु त सहायता प्रदान की रही है।

तालिका क. 12.07
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	10774
2001-02	6972
2002-03	7847
2003-04	8145
2004-05	13704
2005-06	11472
2006-07	11543
2007-08	9645

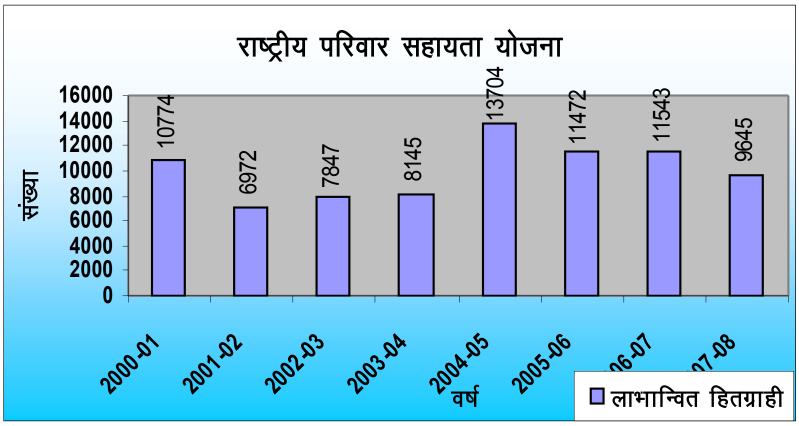

तालिका क. 12.08
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की वर्शवार वित्तीय स्थिति

वर्ष	व्यय प्रावधान (लाख रु. में)
2000-01	1053.35
2001-02	863.51
2002-03	797.90
2003-04	797.90
2004-05	1300.00
2005-06	1600.00
2006-07	1450.00
2007-08	1220.00

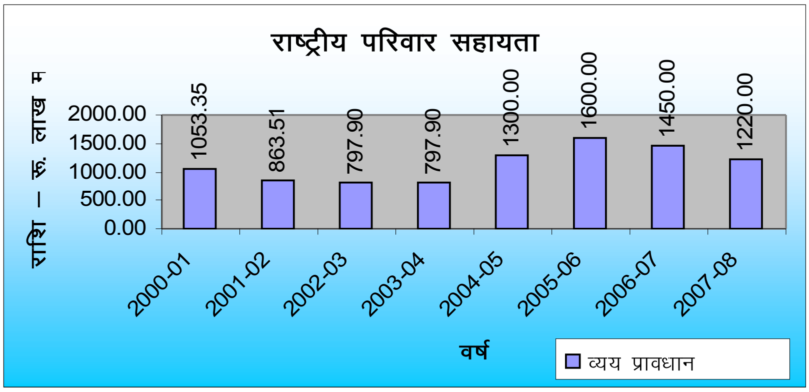

12ण्2 समाज रक्षा

- कि ोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम – 2000 यथा संशोधित 2006
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम – 1958
- निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 यथा संशोधित 1977
- न ाबंदी कार्यक्रम
- कलापथक योजना
- वरिश्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम

प्रदे ा के निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 अंतर्गत अ ाासकीय संथाओं एवं स्थानीय निकायों को वृद्धाश्रम संचालन हेतु जिले में संग्रहित निराश्रित निधि की ब्याज रा‍ि ा से पात्रता अनुसार 90 प्रति ात रा‍ि ा प्रदाय की जाती है। प्रदे ा में 12 वृद्धाश्रम संचालित है जहां 265 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे है।

12.3 **नि: ाक्त कल्याण**

12.3.1 **जिला नि: ाक्त पुनर्वास केन्द्र**

जिले में नि: ाक्त व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य के समस्त जिलों में जिला नि: ाक्त पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

तालिका क. 12.09
जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र

वर्ष	केन्द्र
2001	1
2002	4
2003	4
2004	7
2005	7
2006	16
2007	16
2008	16

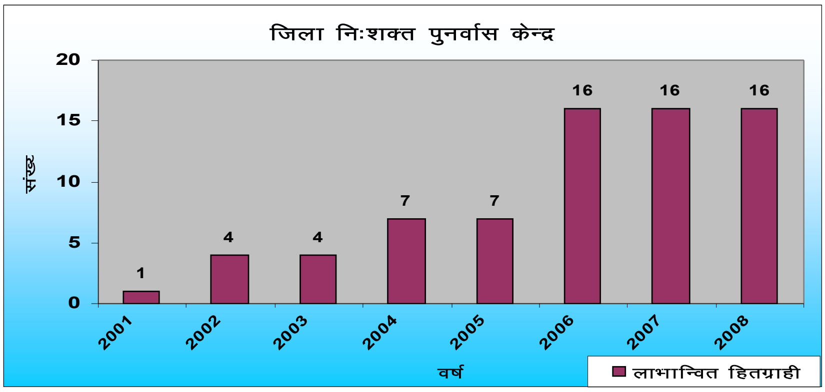

12.3.2 **कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय योजना**

नि: ाक्तजनों की नि: ाक्तता के प्रभावों को न्यूनतम करने तथा गति ाील बनाने के लिए उन्हें संसाधन एवं सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य भाासन द्वारा स्वयं के वित्तीय स्त्रोत से एवं केन्द्र भाासन की कृत्रिम अंग प्रदाय योजना के माध्यम से नि: ाक्त व्यक्तियों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, भवेतछड़ी व ब्रेल किट आदि प्रदाय किये रहें है।

भाासन द्वारा कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय हेतु आय सीमा रू0 5,000/– प्रतिमाह तक नि: ाुल्क तथा रू0 5,001/– से रू0 8,000/– तक कृत्रिम अंग/उपकरण का 50 प्रति ात मूल्य जमा कर प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है।

तालिका क. 12.10
कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	1840
2001-02	1995
2002-03	2810
2003-04	3425
2004-05	4125
2005-06	3955
2006-07	4058
2007-08	5021

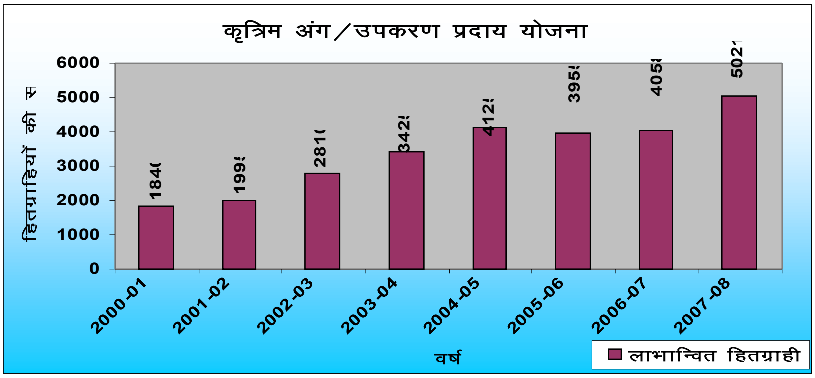

तालिका क. 12.11
कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदाय योजना की वर्शवार वित्तीय स्थिति

वर्ष	व्यय प्रावधान
2000-01	4.32
2001-02	4.52
2002-03	45.00
2003-04	44.00
2004-05	50.00
2005-06	57.00
2006-07	65.00
2007-08	165.00

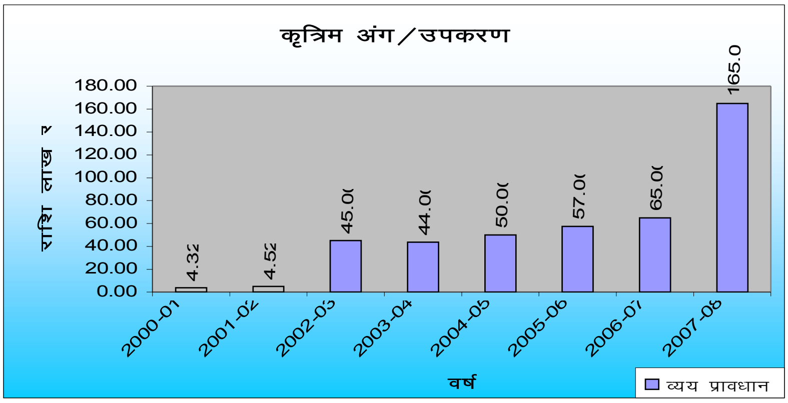

◁ 7 ▷

12.3.3 नि: ाक्त व्यक्तियों के लिए पदों का चिन्हांकन

विभिन्न भाासकीय सेवाओं में नि: ाक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदो ंके चिन्हांकन हेतु अधिनियम के प्रावधान के तहत् माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्दे ों के परिपालन में विभाग ने पहल कर सर्वप्रथम नि: ाक्त व्यक्तियों के पदों का चिन्हांकन किया तत्प चात् कृशि, मत्स्य उद्योग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के विभागीय पदों में से नि: ाक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद चिन्हित किये गये हैं ।

तालिका क. 12.12
नि:शक्त शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तहत् लाभांवित कर्मचारी

वर्ष	लाभान्वित कर्मचारी
2000-01	347
2001-02	426
2002-03	445
2003-04	455
2004-05	459
2005-06	572
2006-07	596
2007-08	625

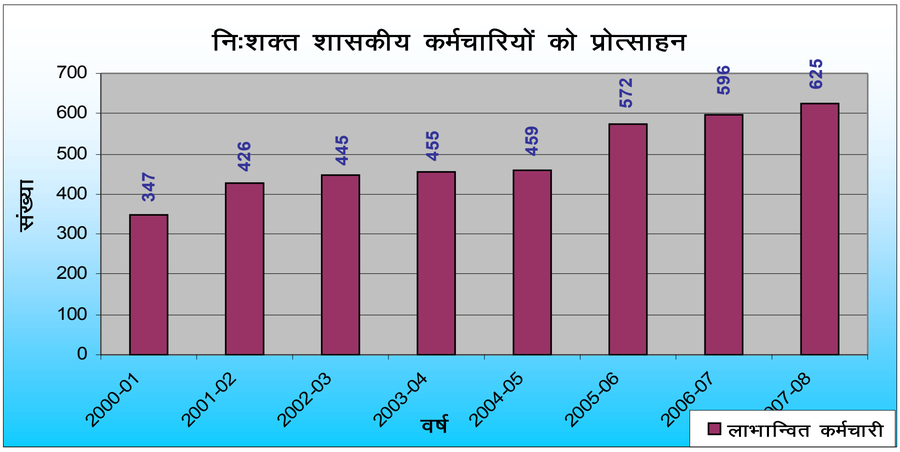

12.3.4 राश्ट्रीय न्यास (स्वपरायणता, प्रतमस्तिश्क अंगाघात, मानसिक मंदता एवं बहु नि: ाक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण) अधिनियम 1999 का कियान्वयन

राश्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के क्रियान्वयन हेतु स्वपरायणता, प्रमस्तिश्क अंगाघात, बौद्धिक मंदता तथा बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों के पालकों को वैधानिक अभिभावक नियुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 14 जिलों में स्थानीय स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी का गठन रायपुर में किया गया है ।

12.3.5 कुश्ठ कल्याण योजना

कुश्ठ मुक्त व्यक्तियों के आवासीय व्यवस्था एवं पुनर्वास हेतु विभागीय मान्यता प्राप्त एक संस्था को सहायक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजनांतर्गत वर्श 2007—08 में 173 हितग्राही लाभान्वित हुए।

12.3.6 भौक्षणिक कार्यक्रम

स्वैच्छिक संस्थाओं को निःशक्त कल्याण हेतु प्रोत्साहन

नि: ाक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। प्रदे ा में नि: ाक्तजनों के ि ाक्षण–प्रि ाक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिि चत करने के लिए राज्य भाासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।

तालिका क. 12.13
स्वैच्छिक संस्थाओं को निःशक्त कल्याण हेतु प्रोत्साहन के तहत लाभांवित हितग्राही

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	300
2001-02	450
2002-03	850
2003-04	1169
2004-05	1830
2005-06	2480
2006-07	1605
2007-08	1765

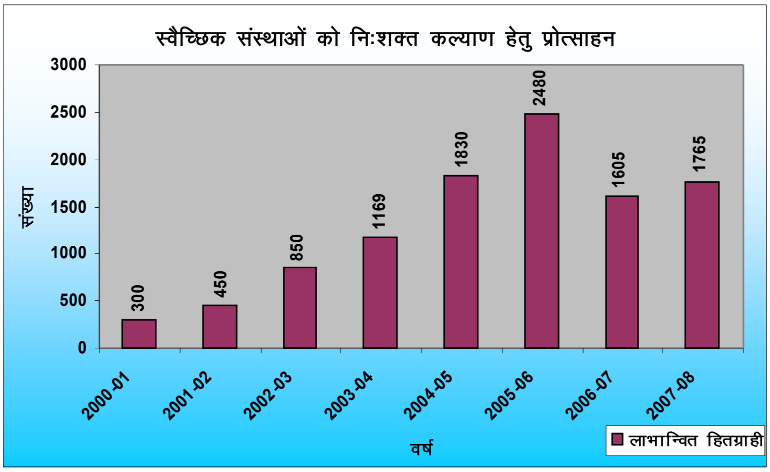

◁ 9 ▷

तालिका क. 12.14
स्वैच्छिक संस्थाओं को निःशक्त कल्याण हेतु वर्शवार वित्तीय स्थिति

वर्ष	व्यय प्रावधान
2000-01	20.63
2001-02	27.05
2002-03	69.55
2003-04	63.85
2004-05	142.61
2005-06	157.92
2006-07	143.53
2007-08	132.4

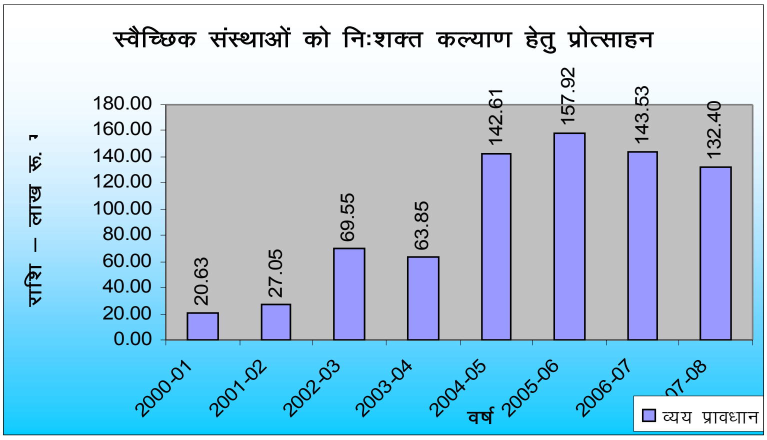

निःशक्त छात्रवृत्ति योजना

नि: ाक्त व्यक्तियों को छात्रवृत्तियॉ वितरित की जाती है जिसकी वर्शवार लाभान्वित हितग्राही अग्रानुसार है :–

तालिका क. 12.15
नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभांवित हितग्राही

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	4376
2001-02	5225
2002-03	6956
2003-04	7500
2004-05	8200
2005-06	13299
2006-07	13783
2007-08	13885

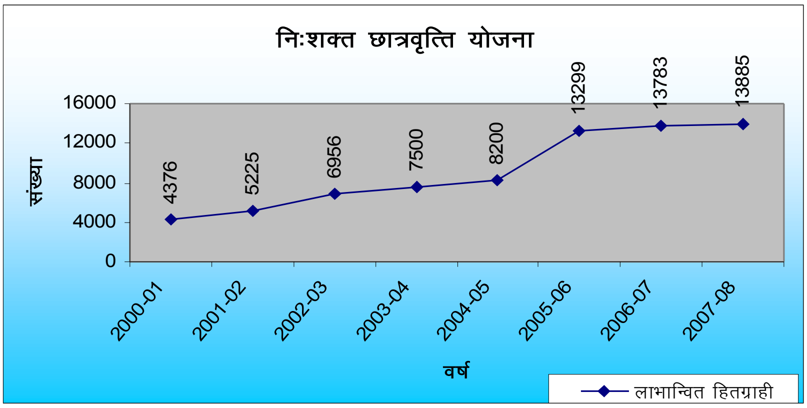

वर्शवार नि: ाक्त छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान उपलब्ध कराया गया :—

तालिका क. 12.16
नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु वर्शवार वित्तीय स्थिति

नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना

वर्ष	प्रावधान (लाख रु. में)
2000-01	17.08
2001-02	25.00
2002-03	29.00
2003-04	52.00
2004-05	72.00
2005-06	98.00
2006-07	106.00
2007-08	106.00

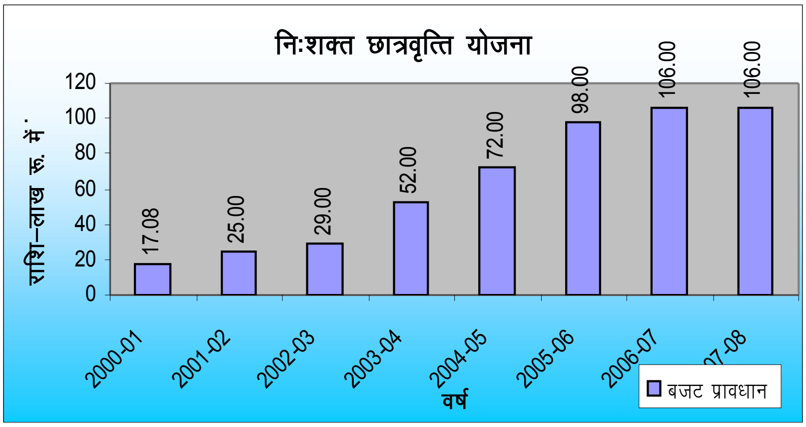

◁ 10 ▷

12.3.7 नि: ाक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

नि: ाक्तजनों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु नि: ाक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 18 वर्श से 45 वर्श की महिलाओं तथा 21 वर्श से 45 वर्श के लिए नि: ाक्त पुरूश विवाह के लिए 1 अप्रेल 2005 से प्रदे ा में लागू की गई है। इस योजना के तहत विवाहित जोड़ों को रू0 21,000/— की प्रोत्साहन रा‍ि ा दी जा रही है।

तालिका क. 12.17
नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभांवित हितग्राही

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही
2000-01	0
2001-02	0
2002-03	0
2003-04	0
2004-05	0
2005-06	148
2006-07	194
2007-08	454

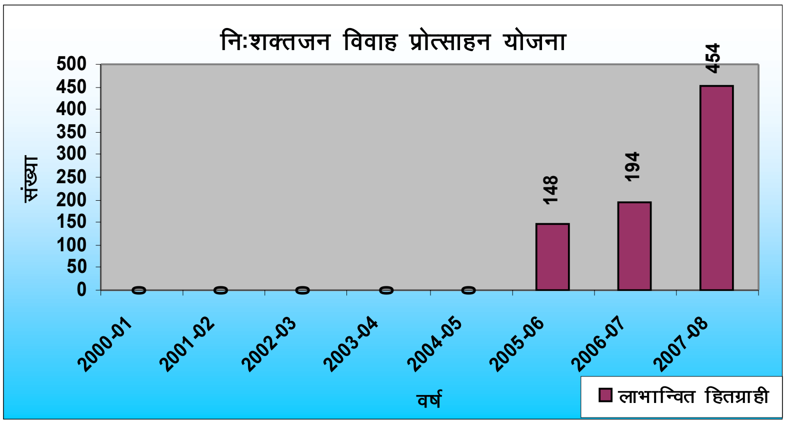

12.3.8 निः ाक्तजन प्रमाणीकरण

निः ाक्तजनों को विकलांगता के कारण ाासन की नीतियों के अनुसार आरक्षण एवं अन्य हितलाभ प्राप्त होते हैं। राज्य में वर्शवार निम्नानुसार निः ाक्तजनों का प्रमाणीकरण किया गया है।

तालिका क्र. 12.18
निःशक्तजनों की जानकारी

वर्श	निःशक्तजनों की संख्या
2000-01	48000
2001-02	48250
2002-03	48250
2003-04	52000
2004-05	81002
2005-06	101803
2006-07	131946
2007-08	148562

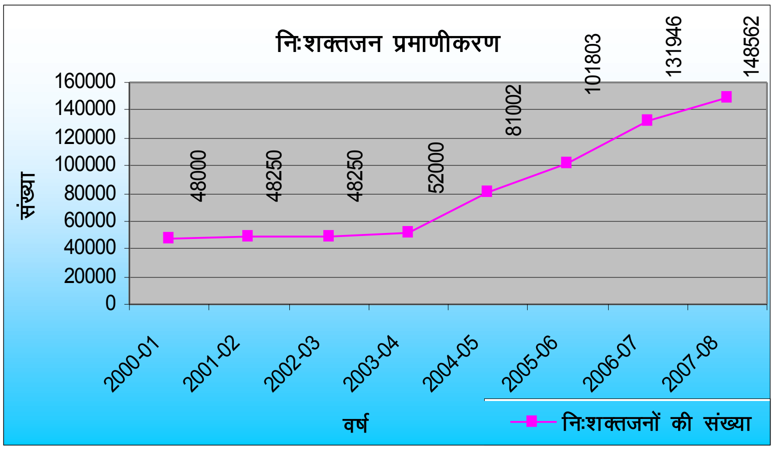

12.3.9 मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ

विभागीय योजनाओं को मूर्त रूप देने हेतु विभाग अंतर्गत निम्नानुसार मण्डल/उपक्रम/स्वायत ाासी संस्था संचालित है :-

12.3.9.1 छत्तीसगढ़ निः ाक्तजन वित्त एवं विकास निगम ◁ 11 ▷

निः ाक्त व्यक्तियों की अधिकारिता विकसित करने तथा उन्हें स्वरोजगार प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गयी है। इस निगम को राश्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की चैनेलाईजिंग एजेंसी घोशित किया गया है। छत्तीसगढ़ निः ाक्तजन वित्त विकास निगम को उपलब्ध करायी गई राि ा का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका क्र. 12.19
छत्तीसगढ़ निःशक्त वित्त एवं विकास निगम

वर्ष	व्यय प्रावधान
2004-05	165.00
2005-06	247.00
2006-07	147.00
2007-08	146.50

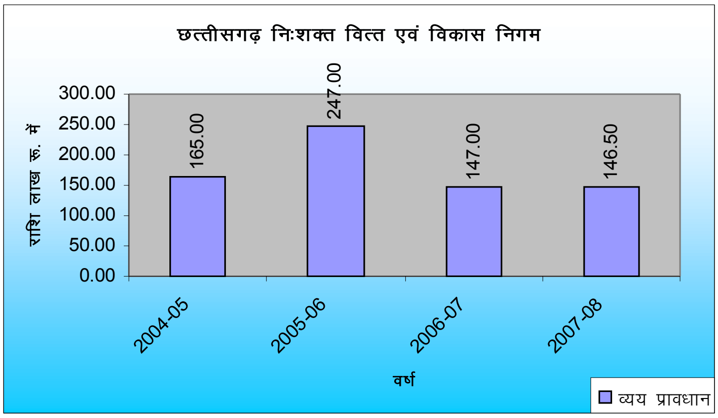

12.3.9.2 आयुक्त निः ाक्तजन

निः ाक्तजन अधिनियम 1995 के विभिन्न प्रावधानों के पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं निः ाक्त व्यक्तियों को समाजन अवसर अधिकारों के संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता प्रदान करने हेतु अधिनियम की धारा 60 के अनुसार जिला पंचायत परिसर, दुर्ग में छत्तीसगढ़ राज्य निः ाक्तजन आयुक्त कार्यालय संचालित है।

तालिका क्र. 12.20
आयुक्त निःशक्तजन हेतु बजट प्रावधान

वर्ष	व्यय प्रावधान
2002-03	5.00
2003-04	10.00
2004-05	6.91
2005-06	6.83
2006-07	12.08
2007-08	15.26

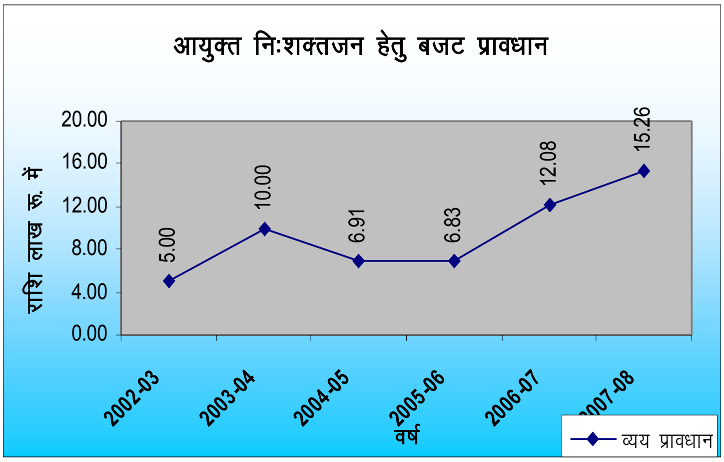

12.3.9.3 राज्य श्रोत (निः ाक्तजन) संस्थान

राज्य में स्वायत्त ाासी स्वैच्छिक निकाय के रूप में निः ाक्त व्यक्ति अधिनियम के तहत निः ाक्त व्यक्तियों को अनुसरण सेवाएं, संसाधन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान हेतु राज्य श्रोत (निः ाक्तजन) संस्थान की रायपुर में स्थापना की गई है।

12ण्3ण्9ण्4 स्वावलंबन केन्द्र

श्रवण बाधित, निः ाक्तजनों की संख्या में वृद्धि को दृश्टिगत रखते हुए राज्य में तकनीकी रूप से सक्षम स्वावलंबन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। जिसमें नवजात ि ा ुओं की श्रवण भाक्ति की जांच की जावेगी। श्रवण बधित निः ाक्तता की श्रेणी के आधार पर उनका उपचार एवं पुर्नवास कार्यक्रम सुनि ि चत किया जावेगा।

अध्याय – 13
महिला एवं बाल विकास

जनगणना वर्श 2001 के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या 1.03 करोड़ है। भारत में प्रत्येक 1000 पुरूश पर स्त्री–पुरूश अनुपात 933 है जबकि छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 989 है जो कि राश्ट्रीय औसत से बेहतर है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित है।

- पुरूश की तुलना में साक्षरता दर में कमी होना।
- ि ा ु मृत्यु दर 61 प्रति 1000 होना (जो एस.आर.एस. बुलेटिन 2000 में 79 थी)।
- मातृत्व मृत्यु दर 379 प्रतिलाख होना।
- कुपोशण 52 प्रति ात होना (जो एन.एफ.एच.एस.–2 1998 के अनुसार 61 थी)।
- जन्म दर 2.69 प्रति ात होना।
- सामाजिक कुरीति के रूप में टोनही प्रताड़ना का होना।

राज्य में महिला एवं बाल विकास के लिए कार्यरत् संस्थाओं की स्थिति निम्नलिखित है –

आई.सी.डी.एस.–

- आई.सी.डी.एस. परियोजना की संख्या – 163
- आदिवासी परियोजना की संख्या – 86
- ग्रामीण परियोजना की संख्या – 63
- शहरी परियोजना की संख्या – 14
- कुल स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र – 34937
- कुल स्वीकृत मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र – 2319
- कुल हितग्राही (एस.एन.पी.) – 32.23 लाख
- 0–6 वर्ष के बच्चे – 18.57 लाख
- गर्भवती एवं धात्री महिलाएँ – 5.05 लाख
- किशोरी बालिकाएँ – 8.61 लाख

13.1 महिला ि ाक्षा :–

राज्य की औसत साक्षरता दर 64.80 प्रति ात है। जिसमें पुरूशों की साक्षरता दर 77.40 प्रति ात है वहीं महिलाओं की साक्षरता मात्र 51.90 प्रति ात है। यह साक्षरता अनुसूचित जनजाति महिलाओं में मात्र 39.30 प्रति ात है। अतः राज्य भाासन द्वारा राज्य में महिला साक्षरता वि ोशकर अनुसूचित जाति/जनजाति में महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए वि ोश प्रयास किये गये हैं।

- सर्व ि ाक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा आठवीं तक सभी छात्र–छात्राओं को निः ाुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है।
- हाई–स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को निः ाुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय किये जा रहे हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को निः ाुल्क स्कूल ड्रेस का वितरण किया जा रहा है।

13.1.1 सरस्वती सायकल योजना :–

छत्तीसगढ़ भाासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालिकाओं के ि ाक्षा के प्रति वि ोश रूप से प्रयासरत् है। हाई स्कूल में कक्षा नवमीं में प्रवे ा लेने वाली अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं को निः ाुल्क सायकल वर्श 2004–05 से तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अन्य पिछड़ी जाति एवं अन्य वर्ग की बालिकाओं को वर्श 2007–08 से वितरित की जा रही है। वर्श 2007–08 तक इस योजना से 75,000 से अधिक बालिकाएँ लाभान्वित हुई है। इस योजना के प्रारंभ होने से हाई स्कूल की इस वर्ग की दर्ज संख्या में आ ातीत वृद्धि हुई है।

13.1.2 दत्तक पुत्री शिक्षा योजना :–

इस योजना के अंतर्गत ऐसी गरीब बालिकाओं को जिनकी पढ़ाई का खर्च पालकों द्वारा वहन किया जाना कठिन होता है, सक्षम व्यक्तियों/समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उन्हें शालाओं में प्रवेश दिलाकर उनको निरन्तर शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 300.00 प्रति वर्ष तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रूपये 400.00 प्रतिवर्ष की सहायता जो कि नगद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में हो सकती है, उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

तालिका क. 13.01
दत्तक पुत्री शिक्षा योजनांतर्गत वर्शवार लाभांवित बालिकाऍं

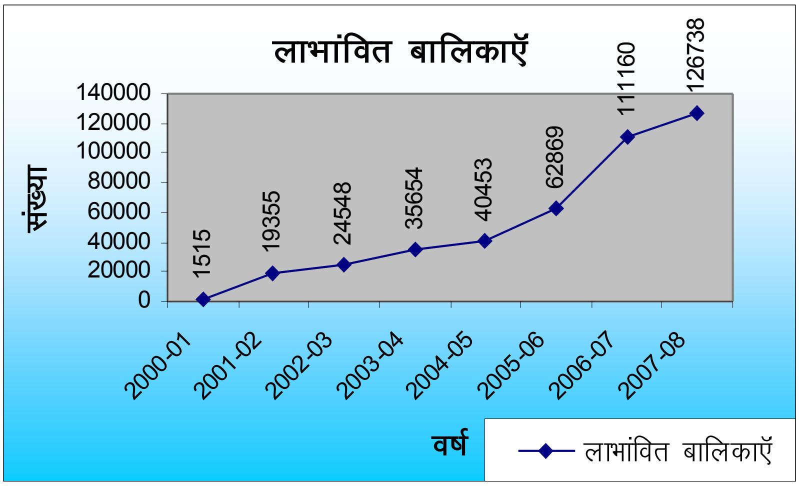

13.1.3 बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) :

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 आयु समूह के सभी बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने, महिला भेदभाव समाप्त करने तथा महिला–पुरूश साक्षरता दर को समाप्त करने के लिए, महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं उन्हें भौक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु शिविर आदि आयोजित करने के लिए यह विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है । उक्त कार्यक्रम संचालित करने का मापदंड यह है कि –

- ग्रामीण महिला साक्षरता दर, राश्ट्रीय दर 46.13 से कम है तथा महिला पुरूश साक्षरता दर में अंतर, राश्ट्रीय महिला पुरूश साक्षरता दर में अंतर 21.7 से अधिक है ।
- जहां अनु. जाति/जनजाति की संख्या 5 प्रतिशत या उससे अधिक है जहां महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है ।
- भाहरी गंदी बस्ती ।

यह योजना राज्य के 101 विकासखण्डों में 1426 संकुलों में संचालित हो रही थी, जो घटकर अब 1059 संकुलों में संचालित है, जो इस बात का द्योतक है कि महिला साक्षरता में निरंतर सुधार हो रहा है।

13.1.4 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय :

उच्च प्राथमिक भालाओं से भाला त्यागी ऐसी बालिकाऐं जो निम्नलिखित स्थानीय कारणों से जैसे :–

1. परिवार के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा मेहनत, मजदूरी के लिए पलायन करना।
2. वर्शा के दिनों में नदी नाले में पानी भर जाने के कारण भाला नही जा पाना।
3. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होना।
4. स्कूल अधिक दूरी में होने के कारण तथा कामकाजी बालिकाऐं जो 5वीं पास होने के बाद आगे की पढ़ाई करने में असमर्थ है।

ऐसी बालिकाओं के लिए यह भाला उन क्षेत्रों में खोली जाती है जिस विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता दर वर्श 2001 की जनगणना के अनुरूप राश्ट्रीय औसत महिला साक्षरता दर से कम है तथा महिला पुरूश साक्षरता दर में भी राश्ट्रीय औसत से अधिक अंतर है।

वर्श 2004–05 में कुल 51 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोला गया था। वर्तमान में 2008–09 में राज्य में कुल 93 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जिनमें 9100 बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है।

तालिका क. 13.02
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों

वर्ष	संख्या
2004-05	51
2005-06	51
2006-07	51
2007-08	84

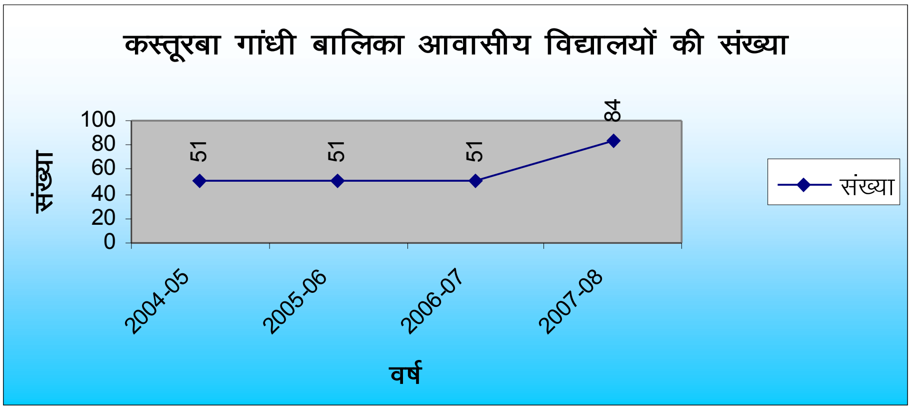

13.1.5 बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु पंचायतों को पुरस्कार :–

योजनांतर्गत बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं शिक्षा को बढ़ावा देने तथा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट में राशि रू. 50. 00 लाख का प्रावधान किया गया है।

13.2 महिला स्वास्थ्य :–

ि ा ु मृत्युदर, मातृत्व मृत्युदर, पेरीनेटल मृत्युदर इत्यादि की स्थिति में परस्पर सुधार हो रहा है, परन्तु इसमें सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वि ेश प्रयास करने की जरूरत महसूस की गयी है तथा राज्य भाासन द्वारा इसके लिए नवीन योजनाएँ लाकर सकारात्मक प्रयास किया गया है।

13.2.1 आयुष्मति योजना :–

योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को जिला चिकित्सालय/मेडिकल कालेज अस्पताल/खण्ड स्तरीय चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400.00 रूपये तक तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000.00 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा के तहत दवा, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जा रहा है । योजना के अंतर्गत हुए व्यय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है –

तालिका क. 13.03
योजनांतर्गत वर्शवार बजट आबंटन एवं हितग्राहियों की संख्या

क.	वर्ष	वित्तीय		हितग्राही
		आबंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2003-2004	46.71	38.96	11445
2	2004-2005	53.75	53.53	15527
3	2005-2006	65.84	62.96	16927
4	2006-2007	70.15	64.38	15449
5	2007-2008	87.14	80.84	22747

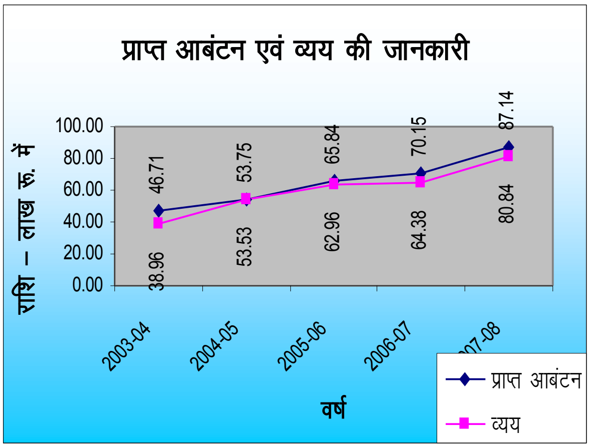

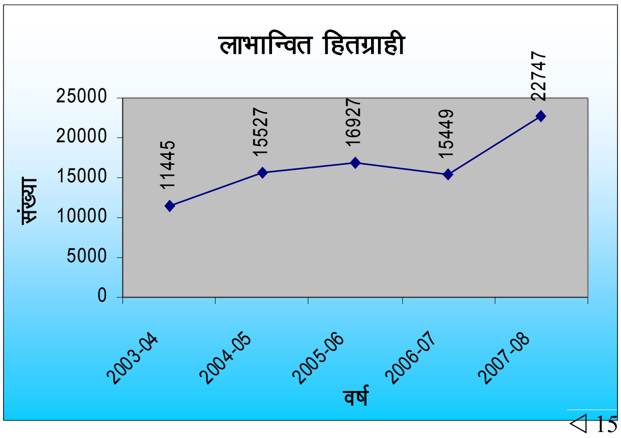

13.2.2 कि ोरी भाक्ति योजना :–

कि ोरी भाक्ति योजना, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना 11–18 वर्श आयु की बालिकाओं के लिए है। इसके अंतर्गत कि ोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी में संलग्न कर स्वास्थ्य, पोशण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आव यक विशयों का प्रि क्षण, पूरक पोशण आहार, रक्ताल्पता होने पर आयरन फोलिक एसिड, टीकाकरण (टी.टी.), स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा आदि की यथा संभव व्यवस्था किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत ॥ासन के निर्दे ॥ानुसार तैयार कार्ययोजना के तहत प्रत्येक परियोजना में 300 बालिकाओं को उपरोक्तानुसार प्रि क्षण दिया जा रहा है। इनमें से 30 बालिकाओं का चयन कर आय उपार्जन गतिविधियों के लिए व्यवसायिक प्रि क्षण दिए जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए रू. 1.10 लाख व्यय का प्रावधान है। योजनांतर्गत उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

तालिका क. 13.04
योजनांतर्गत वर्शवार बजट आबंटन एवं कियान्वित परियोजनाओं की संख्या

क.	वर्ष	वित्तीय		कियान्वित परियोजना
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2003-2004	167.20	164.31	152
2	2004-2005	136.40	135.39	152
3	2005-2006	कियान्वयन नही		
4	2006-2007	167.20	165.19	152
5	2007-2008	173.80	171.49	158

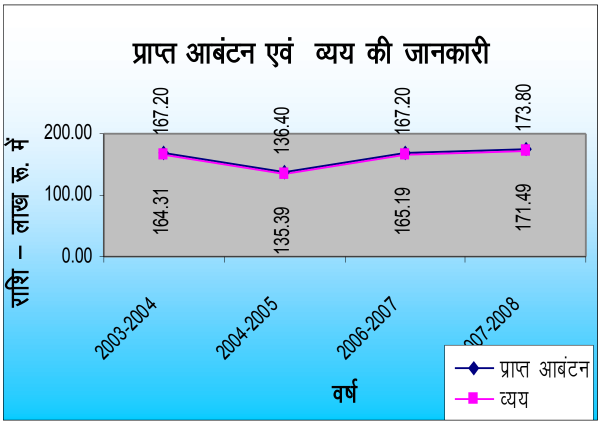

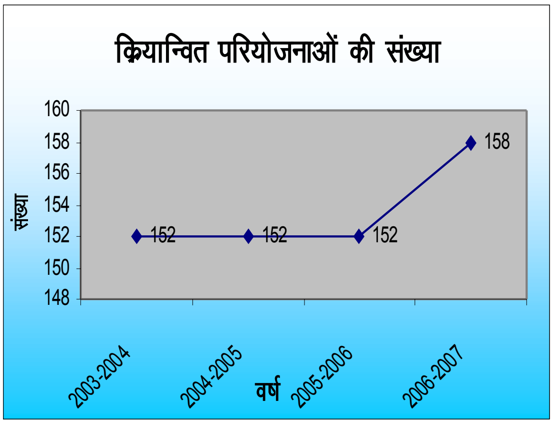

13.2.3 जननी सुरक्षा योजना :–

इस योजना अंतर्गत गरीब परिवार की गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के कारण गर्भवती माताओं में एनीमिया (रक्त अल्पतता) के विरूद्ध काफी सफलता मिली है तथा मातृत्व मृत्युदर तथा ि ा ु मृत्युदर में कमी आई है।

- राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रथम रीफरल इकाईयों की स्थापना की गयी है, जिससे गर्भवती माताओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके यह मातृत्व मृत्युदर तथा ि ा ु मृत्युदर को नियंत्रित करने में काफी सहायक सिद्ध हो रहा है।
- राज्य में संस्थागत प्रसव मात्र 26.44 प्रति ात है, जिस कारण मातृत्व मृत्युदर एव ि ा ु मृत्युदर की संभावना अधिक होती है, इसे कम करने के लिए राज्य भाासन द्वारा संस्थागत प्रसव को वि ोश रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- राज्य लगभग 60 हजार मितानिन की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर की गयी है तथा उन्हें ''फर्स्ट एड'' व जीवन रक्षक दवा से सुसज्जित ''मुख्यमंत्री दवा पेटी'' उपलब्ध करायी गयी है। मितानिन स्वास्थ्य रक्षक का कार्य सफलता पूर्वक कर रही है।

13.3 महिला स ाक्तिकरण :–

छठवीं पंचवर्शीय योजनाओं से महिला स ाक्तिकरण के जो प्रयास किये जा रहे हैं, राज्य निर्माण के प चात राज्य में उन प्रयासों की गति और बढाई गयी है तथा अनेक नवीन एवं अभिनव योजनाओं के द्वारा महिला स ाक्तिकरण पर पर्याप्त बल दिया गया है।

13.3.1 महिला कल्याण :–

13.3.1.1 राज्य समाज कल्याण बोर्ड :–

महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य समाज कल्याण बोर्ड गठन किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा महिलाओं के लिए कामकाजी महिला वसति गृह, अल्पकालीन आवास गृह, परिवार परामर्श केन्द्र, जागरूकता कार्यक्रम तथा महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

13.3.1.2 नारी निकेतन :–

16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुर्नवास के लिए प्रदेश में रायपुर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा में नारी निकेतन संचालित है। संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुर्नवास की व्यवस्था की जा रही है।

13.3.1.3 मातृ–कुटीर

इस योजना का उद्दे य अनाथ बच्चों व निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में गठित करके पारिवारिक वातारवण निर्मित करना है ताकि बच्चों को धात्री मॉ का व महिला को बच्चों का स्नेह मिल सके। संस्था में मॉ एवं बच्चों के ि ाक्षण, प्रि ाक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधा मुहैया करायी जा रही

है। बच्चे व्यस्क होने और स्थापित होने तक संस्था में रहते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदे ा में बिलासपुर तथा राजनांदगांव में मातृ–कुटीर संचालित है। दुर्ग एवं जगदलपुर में मातृ–कुटीर संस्था के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.1.4 शासकीय झूलाघर

निम्न मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रदेश में 2 शासकीय झूलाघर क्रमशः बिलासपुर एवं रायपुर में संचालित किये जा रहे हैं। इन झूलाघरों के माध्यम से वर्ष 2007–08 में माह मार्च 2008 की स्थिति में 50 बच्चे लाभान्वित हुये हैं।

13.3.1.5 महिला कल्याण संस्थाओं को अनुदान :–

महिला कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने तथा उन्हें महिला कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु इस योजना के अंतर्गत महिला कल्याण क्षेत्रों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए बजट प्रावधान सम्मिलित किया जा रहा है । राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक महिला कल्याण संस्थाओं को अनुदान के अंतर्गत हुए व्यय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है –

तालिका क. 13.05

योजनांतर्गत वर्शवार वित्तीय प्रावधान एवं लाभान्वित संस्थाओं की संख्या

क.	वर्ष	वित्तीय		लाभान्वित संस्थाएँ
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2000-2001	10.00	1.44	300
2	2001-2002	11.00	3.09	590
3	2002-2003	6.00	2.55	314
4	2003-2004	5.00	2.15	429
5	2004-2005	5.00	4.60	412
6	2005-2006	5.00	1.99	75
7	2006-2007	5.50	3.49	149
8	2007-2008	6.75	3.79	100

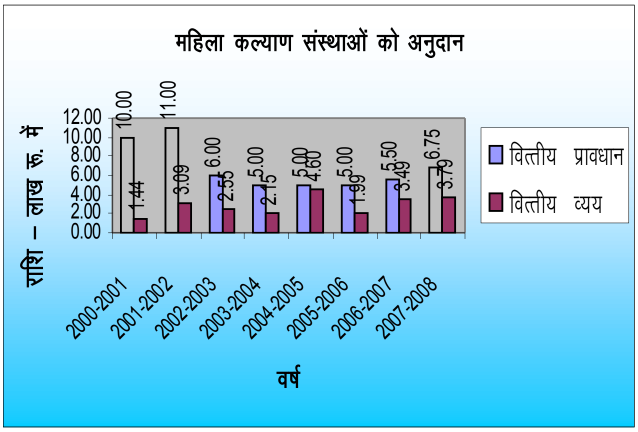

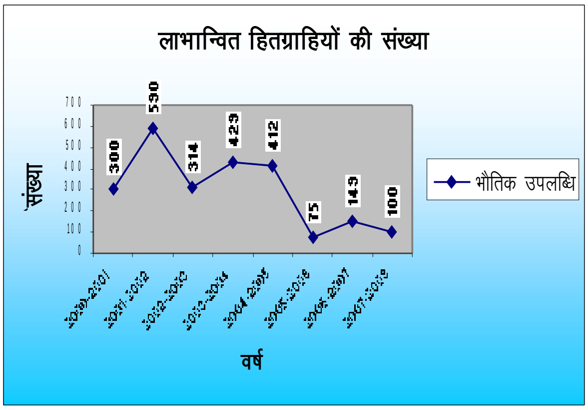

13.3.1.6 निर्धन युवतियों का विवाह :–

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को 4000.00 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जा रही है। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति कन्या राशि रूपये 1000.00 तक व्यय की जा रही है। इस प्रकार योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 5000.00 रूपये की सहायता राशि देय है। योजनांतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अग्रानुसार है –

तालिका क्र. 13.06
योजनांतर्गत वर्शवार वित्तीय प्रावधान एवं लाभान्वितों की संख्या

क्र.	वर्ष	वित्तीय		भौतिक	
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2004-2005	17.00	0.00		0
2	2005-2006	250.00	247.48	5000	4535
3	2006-2007	250.00	247.73	5000	4595
4	2007-2008	250.00	247.04	5000	4776

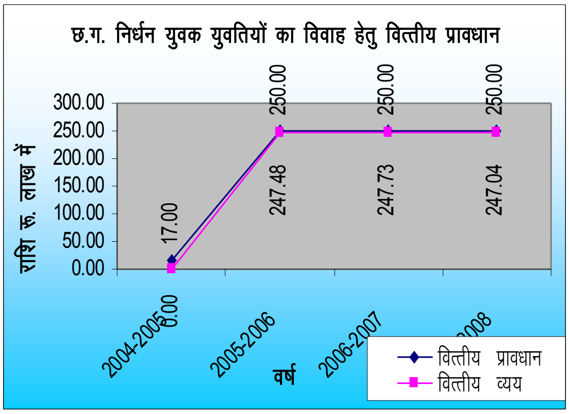

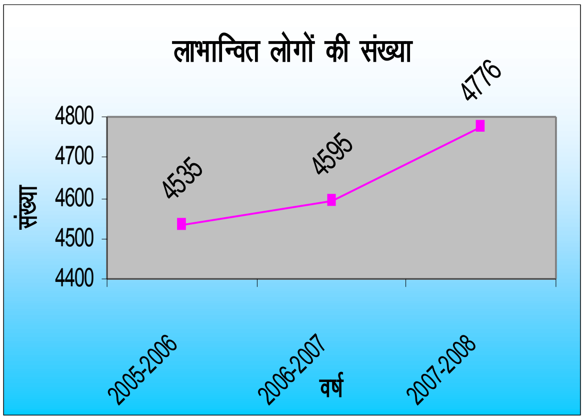

13.3.1.7 मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) :–

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की महिला/अशासकीय संस्था को प्रतिवर्ष **"मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान)"** प्रदान किया जा रहा है । इसके तहत् एक महिला/संस्था को 2.00 लाख रू. की राशि तथा प्रशस्ति पट्टिका सम्मान के रूप में प्रदान किया जा रहा है ।

13.3.2 क्षमता विकास :–

13.3.2.1 राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र :–

राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र के गठन पश्चात संचालन रायपुर जिले में 2006 से प्रारंभ हुआ। राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र द्वारा परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षकों व अन्य विभाग हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहें हैं । वित्तीय वर्ष 2008–09 में राशि रूपये 53.56 लाख का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है ।

13.3.2.2 क्षेत्रीय महिला एवं प्रशिक्षण संस्थान :–

प्रदेश में 02 क्षेत्रीय महिला एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला बिलासपुर व जगदलपुर में वर्ष 2006 से संचालित है । इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से अन्य विभाग के अधिकारियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहें हैं ।

13.3.2.3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र :–

प्रदेश में 07 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है । प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्थिति अग्रानुसार है :–

तालिका क. 13.07
जिलावार आंगनबाड़ी प्रि ाक्षण केन्द्र

क्र.	जिला	संस्था
1	रायपुर	छ.ग. राज्य बाल कल्याण परिषद
2	दुर्ग	छ.ग. राज्य बाल कल्याण परिषद
3	रायगढ़	छ.ग. राज्य बाल कल्याण परिषद
4	जगदलपुर	छ.ग. राज्य बाल कल्याण परिषद
5	बिलासपुर	छ.ग. राज्य बाल कल्याण परिषद
6	महासमुंद	विनिता महिला समाज
7	राजनांदगांव	नेहरू युवा केन्द्र

इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मूलभूत एवं प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहें हैं । वर्ष 2008–09 में इन प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु राशि रूपये 02.00 करोड का बजट उपलब्ध कराया गया है ।

13.3.3 स ाक्तिकरण कार्यक्रम :–

13.3.3.1 एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम (स्वयंसिद्धा) :–

महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना भारत शासन की स्वीकृति से प्रदेश के चयनित 17 विकासखंडो में लागू की गई है। ◁ 20 ▷ समूह को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही है। 17 विकासखण्डों में योजना अनुरूप गठित 1620 महिला स्वसहायता समूहों में 20806 महिलाओं को जोड़ा गया है। योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानसुार है –

तालिका क. 13.08
योजनांतर्गत वर्शवार वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

वर्ष	वित्तीय	
	प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)
2001-2002	74.00	12.01
2002-2003	30.00	27.31
2003-2004	90.00	26.00
2004-2005	120.00	30.97
2005-2006	120.00	35.40
2006-2007	160.00	63.20
2007-2008	89.51	71.68

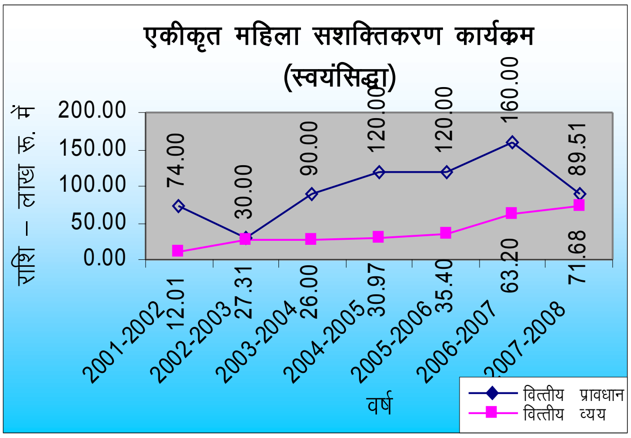

13.3.3.2 महिला जागृति शिविर :–

ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका उददेश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरूद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना है। आयोजित शिविरों एवं लाभांवितों की जानकारी अग्रानुसार है :–

तालिका क. 13.09
योजनांतर्गत वर्शवार वित्तीय प्रावधान एवं उपलब्धि

क.	वर्ष	वित्तीय		उपलब्धि
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2000-2001	5.25	4.30	65990
2	2001-2002	15.95	11.51	168492
3	2002-2003	34.00	31.24	24561
4	2003-2004	42.00	37.19	449041
5	2004-2005	48.00	43.57	515200
6	2005-2006	54.00	51.03	479000
7	2006-2007	54.00	52.13	539000

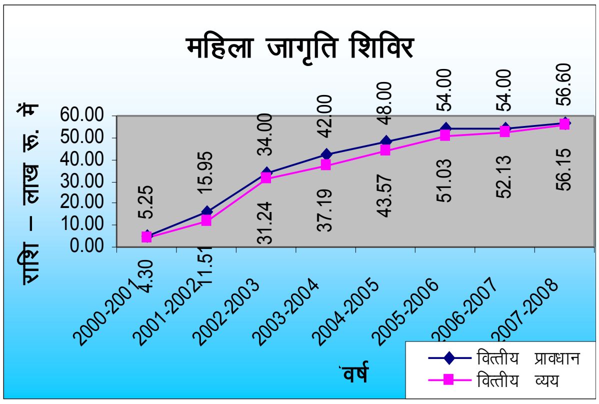

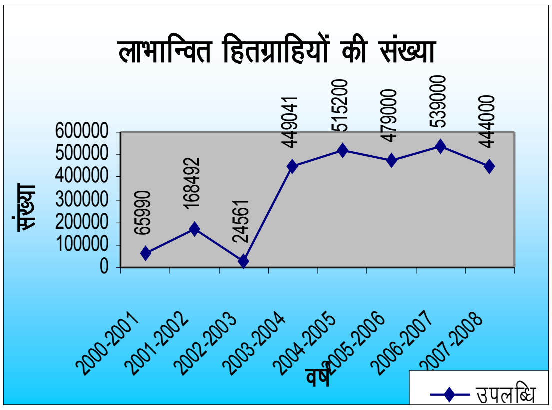

13.3.3.3 दिशा दर्शन एवं भ्रमण :–

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए दिशा दर्शन व भ्रमण करने हेतु बजट प्रावधान सम्मिलित किया गया है । राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक दिशा दर्शन एवं भ्रमण योजना के अंतर्गत हुए व्यय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

तालिका क. 13.10
योजनांतर्गत वर्शवार वित्तीय प्रावधान एवं हितग्राहियों की संख्या

क.	वर्ष	वित्तीय		हितग्राही
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2000-2001	2.00	1.80	1290
2	2001-2002	1.00	0.70	1165
3	2002-2003	5.00	5.00	1206
4	2003-2004	5.00	4.64	1996
5	2004-2005	6.00	5.93	2299
6	2005-2006	6.00	5.66	3805
7	2006-2007	7.00	6.65	12407
8	2007-2008	8.00	7.99	14187

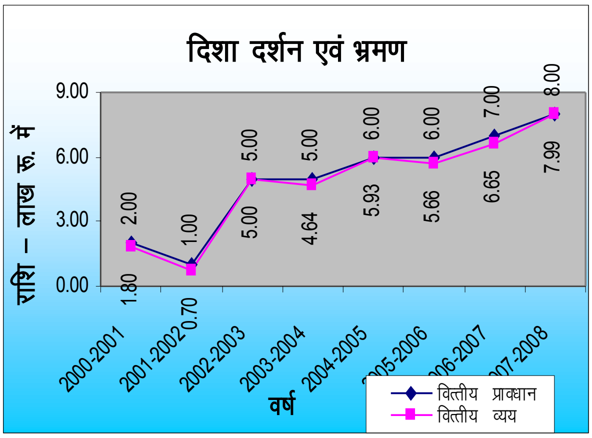

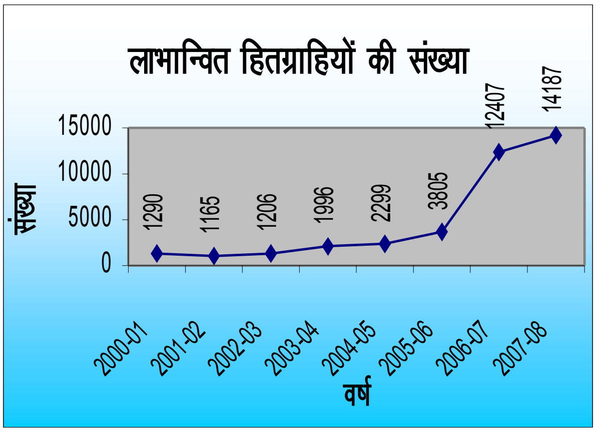

13.3.3.4 राज्य महिला आयोग :—

प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करने, हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाने, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है ।

आयोग का कार्य :—

(अ) आयोग निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थातः—

- महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों का अन्वेषण तथा परीक्षण करना ।
- राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर, जैसा कि आयोग उचित समझे, ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

- संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लघंन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना ।
- महिलाओं के सामाजिक—आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना ।
- ऐसे मुकदमों को धन देना, जिनमें ऐसे मुद्दे अन्तर्वलित है जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते है ।
- निम्नलिखित के संबंध में गहन अध्ययन करना :—

1. राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, इसमें विशिष्टतया आदिवासी जिलों तथा ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु दर तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से कम विकसित है।
2. वे परिस्थितियां जिनमें महिलाएं कारखानों, स्थापनाओं, निर्माण स्थलों तथा वैसी ही अन्य स्थितियों में कार्य करती है और उक्त क्षेत्रों में महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार हेतु विशिष्ट रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सिफारिश करना।

- राज्य में या चुने हुए क्षेत्रों में, महिलाओं के विरूद्ध उन समस्त अपराधों की, जिनके अंतर्गत महिलाओं के विवाह तथा दहेज, बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़, महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित मामले तथा प्रसव करवाने या नसबंदी करवाने के समय चिकित्सीय उपेक्षा, गर्भधारण या शिशु जन्म से संबंधित चिकित्सीय हस्तक्षेप के मामलों में समय—समय पर जानकारी संकलित करना ।
- महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरूद्ध संपूर्ण राज्य में या विर्निदिष्ट क्षेत्रों में लोकमत जुटाने के लिए राज्य प्रकोष्ठ और जिला प्रकोष्ठों, यदि कोई हों, के साथ समन्वय करना जिससे ऐसे अत्याचारों संबंधी अपराध की शीघ्र रिपोर्ट की जाने तथा पता लगाये जाने और ऐसे अपराधों के विरूद्ध लोकमत जुटाने में सहायता मिलेगी ।

- निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना :–

1. महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के विरूद्ध अपराध ।
2. महिलाओं को उनके न्यूनतम मजदूरी, प्राथमिक स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधाओं से संबंधित अधिकारों से वंचित करना ।
3. महिलाओं के संबंध में, राज्य सरकार के नीतिगत विनिश्चयों का पालन न किया जाना ।
4. परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं और वैश्यावृत्ति करने के लिए विवश की गई महिलाओं का पुनर्वास ।
5. ऐसी महिलाओं पर जो अभिरक्षा में है, अत्याचार और उन्हें समुचित उपचारी उपाय के लिए संबद्ध प्राधिकारियों तक ले जाना।

- निर्धन महिलाओं को विधिक परामर्श देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य के गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना, प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना ।

- किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा में रखने के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को कैदियों के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना और यदि आवश्यक समझा जाए तो उपचारी कार्यवाही के लिए संबंद्ध प्राधिकारियों तक ले जाना ।

किसी अन्य ऐसे मामले के संबंध में कृत्यों का पालन करना जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ।

13.3.3.5 छत्तीसगढ़ महिला कोष

छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए **ऋण योजना** का संचालन दिनांक 15.8.03 से किया जा रहा है । योजनांतर्गत स्वयं सहायता समूहों को उनकी बचत राशि का न्यूनतम 4 से अधिकतम 10 गुना अथवा अधिकतम 10000.00 रूपये तक का ऋण प्रथम बार में प्रदान किया जा रहा है । ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनके द्वारा ऋण की राशि नियत अवधि में कोष को वापस कर दी जाती है, उनको आवश्यकतानुसार राशि रूपये 10000 से 20000 तक का ऋण 500 रूपये के गुणांक में पुनः प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं । ◁ 23 ▷

- योजना के तहत छ.ग.महिला कोष द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को 6.5 प्रतिशत एवं स्वैच्छिक संगठनों को 5.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- ऋण योजना प्रारंभ से जून 2008 10,506 महिला स्वयं सहायता समूहों को 884.97 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में वितरित की गई हैं ।
- **छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना :–** इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्श 1.00 करोड़ का प्रावधान वर्श 2003–04 से किया जा रहा है।

तालिका क. 13.11
योजनांतर्गत वर्शवार समूहों की संख्या

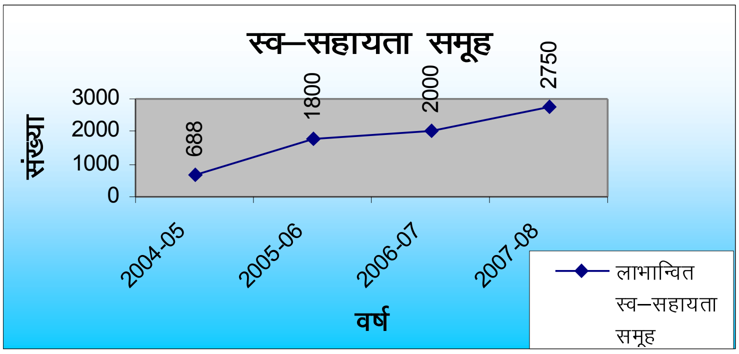

- **कौशल उन्नयन योजना** – इस योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारंभ किया गया हैं । योजनांतर्गत आय उपार्जन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल वृद्धि कर अधिक लाभ पहुँचाने के उद्‌देश्य से एक से तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं । योजना के तहत जून 2008 में 690 महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ।
- **उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम** – इस योजना को वर्ष 2007–08 से प्रारंभ किया गया हैं । योजनांतर्गत महिलाओं को उद्यमशील गतिविधियों के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने, उनमें उद्यमिता विकास करने, स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने के उद्‌देश्य से तीन दिवसीय उद्यमिता जागरूकता संचालित किये जा रहे हैं । पूरे राज्य में लगभग 800 महिलाओं को उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

13.3.3.6 महिला स्व–सहायता समूहों का गठन

महिलाओं को संगठित करने, उन्हें समूह में छोटी–छोटी बचत करने एवं अपनी छोटी–मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेनदेन करने के लिए सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करने तथा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रदेश में स्व–सहायता समूहों का गठन प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 73 हजार 4 सौ 53 महिला स्वयं सहायता समूह गठित किये गये है, जिनके तहत् लगभग 8.86 लाख महिलाऐं संगठित हुई है तथा इन समूहों व्दारा अब तक लगभग 44.82 करोड़ रूपये की राशि बचत की गई है।

विभिन्न कार्यो में संलग्न महिला स्व–सहायता समूह

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन कर रहे महिला स्व–सहायता समूहों की संख्या – 2295
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन कर रहे महिला स्व–सहायता समूहों की संख्या – 14129
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार व्यवस्था का संचालन कर रहे महिला स्व – सहायता समूहों की संख्या – 15032

13.3.3.7 शक्ति स्वरूपा योजनाः–

विषम परिस्थिति में विधवा महिलाओं के कल्याण तथा स्वावलंबन के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में शक्ति स्वरूपा योजना स्वीकृत की गई है । वित्तीय वर्ष 2008–09 के विभागीय बजट में योजना अंतर्गत राशि रूपये 25 लाख का प्रावधान किया गया है। योजना अन्तर्गत विधवा महिलाओं को उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण अथवा स्वयं के व्यवसाय के संचालन के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना वर्ष 2008–09 में प्रदेश के चार जिलों बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में लागू की जानी है ।

13.3.3.8 तेजस्विनी योजना :–

महिला स्व–सहायता समूहों के सशक्तिकरण तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्‌देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला स्व–सहायता समूहों के प्रेरक/ मास्टर ट्रेनर्स के रूप मे प्रशिक्षण दिये जाने हेतु विभागीय बजट में राशि रूपये 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

13.3.4 महिलाओं के संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधान :–

13.3.4.1 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 :–

महिलाओं के लिये हिंसा मुक्त घरेलू जीवन का अधिकार दिलाने तथा इन अधिकारों का हनन होने पर शीघ्र कानूनी सहायता तथा संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में अधिनियम लागू किया गया है तथा समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

13.3.4.2 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 प्रभावी किया गया है। अधिनियम के कियान्वयन हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 बनाए गये हैं तथा समस्त जिलों में जिला

कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को बाल विवाह की रोकथाम तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

13.3.4.3 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 :—

महिलाओं को टोनही के रूप में चिन्हित कर उन्हें उत्पीड़ित किये जाने की घटनाओं को रोकने एवं इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 लागू किया गया है।

13.3.4.4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का कियान्वयन :—

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रावधान अनुसार राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है, दहेज प्रतिषेध नियम बनाये गये हैं तथा सभी जिलों में दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है ।

13.4 पोशण आहार

एन.एफ.एच.एस. — II के वर्श 1998 के बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में कुपोशण 61 प्रति ात थी जो एन.एफ.एच.एस. — III के बुलेटिन के अनुसार घटकर 52 प्रति ात रह गई है। एकीकृत महिला बाल विकास योजना, पूरक पोशण आहार व्यवस्था, मध्याहन भोजन योजना द्वारा कुपोशण कमी करने के क्षेत्र में काफी सराहनीय सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त राज्य भाासन द्वारा 1 नवम्बर 2007 से महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना प्रारंभ की गई है जिससे कुपोशण के विरूद्ध एक अभियान के रूप में कार्य करने में राज्य भाासन को सहायता मिल रही है।

13.4.1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) :—

0 से 6 आयु के बच्चे तथा महिलाओं के समग्र विकास हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है । योजनांतर्गत 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों में कुपोषण की दर, रूगण्ता की दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्युदर में कमी लाने तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के कार्यो में समन्वय स्थापित करने हेतु आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को छः सेवायें—पूरक पोषण आहार, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा, स्वास्थ एवं पोषण शिक्षा प्रदाय की जा रही है।

- राज्य निर्माण के समय प्रदे ा में 152 बाल विकास परियोजनाएँ स्वीकृत थी जो वर्श 2007—08 में बढ़कर 163 हो गई।
- राज्य निर्माण के समय 20289 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत थी, वर्श 2007—08 में 34937 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 2319 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।
- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के विस्तार एवं सर्वव्यापीकरण हेतु तृतीय चरण हेतु प्रदे ा में 180 नवीन बाल विकास परियोजनाएँ, 20772 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 6362 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव भारत भाासन को प्रेशित किये गये है ।

परियोजना अंतर्गत स्थापना, प्रशिक्षण एवं किशोरी शक्ति योजना सहित वर्ष 2000—01 से वर्ष 2008—09 तक वित्तीय प्रावधान एवं व्यय तथा भौतिक उपलब्धि की जानकारी का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका क्र. 13.12
योजनांतर्गत वर्शवार वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

क्र.	वर्ष	वित्तीय		हितग्राही
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2000-2001	2653.33	1750.88	1163577
2	2001-2002	7776.70	4347.50	1382926
3	2002-2003	6900.57	5242.07	1420290
4	2003-2004	8173.44	5884.24	1754640
5	2004-2005	7741.97	5860.73	1798230
6	2005-2006	8271.86	6140.91	1828109
7	2006-2007	13126.74	8235.58	2096985
8	2007-2008	12389.22	8786.31	2930107

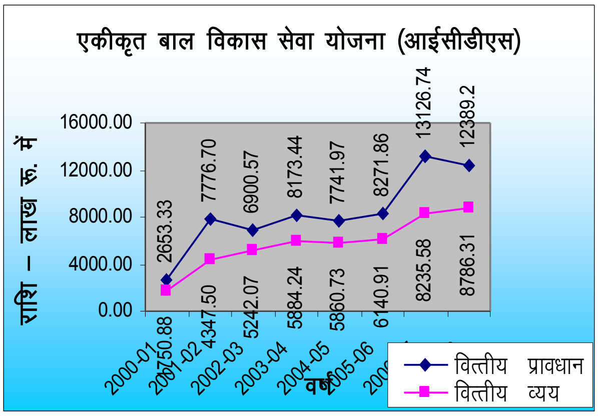

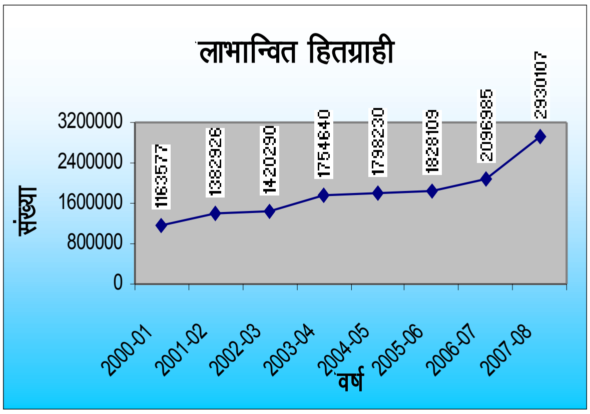

13.4.2 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार व्यवस्था :–

एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को चावल आधारित पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है । 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म भोजन का प्रदाय किया जा रहा है । 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन के माध्यम से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है । पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000–01 से वर्ष 2008–09 तक वित्तीय प्रावधान एवं व्यय तथा भौतिक उपलब्धि की जानकारी का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका क्र. 13.13
योजनांतर्गत वर्शवार वित्तीय प्रावधान एवं व्यय

क्र.	वर्ष	वित्तीय		हितग्राही
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2000-2001	556.50	491.90	1163577
2	2001-2002	2523.42	1326.29	1382926
3	2002-2003	3557.32	3025.74	1434460
4	2003-2004	6152.21	5751.70	1814033
5	2004-2005	7258.21	7086.39	2022506
6	2005-2006	12545.93	11118.79	1930848
7	2006-2007	20891.00	7848.51	2300979
8	2007-2008	19500.00	15115.19	2930107

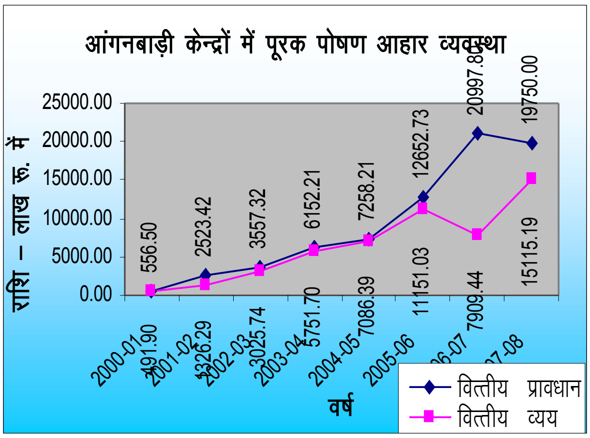

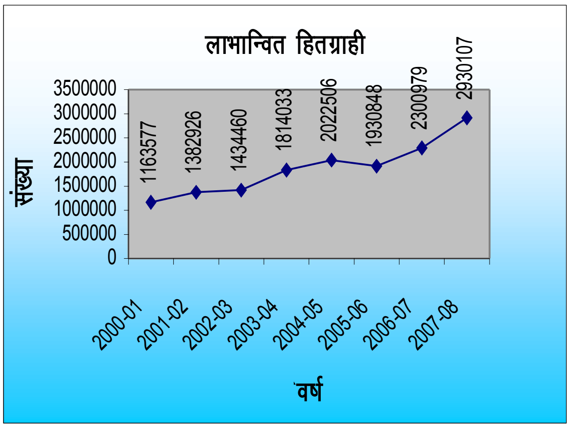

पूरक पोशण आहार की विकेन्द्रीकृत नवीन व्यवस्था जिसमें पोशण आहार का कार्य ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों एवं महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है।

क्र.	हितग्राही	वित्तीय मापदण्ड
1.	6 माह से 6 वर्श के सामान्य बच्चे	रू. 2/– प्रति हितग्राही प्रतिदिन
2.	6 माह से 6 वर्श के गंभीर कुपोशित बच्चे	रू. 2.70/– प्रति हितग्राही प्रतिदिन
3.	गर्भवती/शिशुवती माताएँ एवं समस्त किशोरी बालिकाएँ (11 से 18 वर्श)	रू. 2.30/– प्रति हितग्राही प्रतिदिन

- **समेकित बाल विकास सेवा योजनांतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को दिये जा रहे मानदेय के अतिरिक्त राज्य आयोजना मद से राज्य शासन द्वारा 1 अप्रेल 2007 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200/– रू. प्रतिमाह तथा सहायिकाओं को 100/– रू. प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा है।**

- **1 अप्रैल 2008 से अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की गई है। जिसमें आंगनबाड़ी सहायिकाओं हेतु 300/– तथा आंगनबाड़ी सहायक सहायिकाओं हेतु 150/– रू. प्रतिमाह के स्थान पर अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं हेतु 500/– तथा आंगनबाड़ी सहायक सहायिकओं हेतु 250/– रू. प्रतिमाह का अतिरिक्त मानदेय दिये जाने का राज्य भाासन द्वारा निर्णय लिया गया है।**
- **राज्य शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर राज्य मद से आश्रित परिवार को 10.00 हजार रू. एक्सग्रेसिया 15 अगस्त 2007 के बाद से दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।**

13.4.3 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गुणवत्ता उन्ननयन के प्रयासों के परिणाम :–

आंगनबाड़ी केन्द्र में किये गये गुणवत्ता उन्नयन के प्रयासों के फलस्वरूप कुपोशण की स्थिति में सुधार तथा शिशु मृत्यु दर कम करने की दिशा में उपलब्धि प्राप्त हुई इनकी जानकारी निम्नानुसार है :–

1. एस.आर.एस. बुलेटिन के अनुसार वर्श 2000 में छत्तीसगढ़ में एम.आई.आर. (शिशु मृत्यु दर) 79 था जो कि 2005 में घटकर 63 हो गई है ।
2. एन.एफ.एच.एस.–2 (वर्श 1998) के अनुसार छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोशर्ण का स्तर 61 प्रतिशत था जो एन.एफ.एच.एस.–3 (वर्श 2005) के अनुसार घटकर 52 प्रतिशत हो गया है।

तालिका क. 13.14
वर्शवार शिशु मृत्युदर

तालिका क. 13.15
वर्शवार कुपोशण

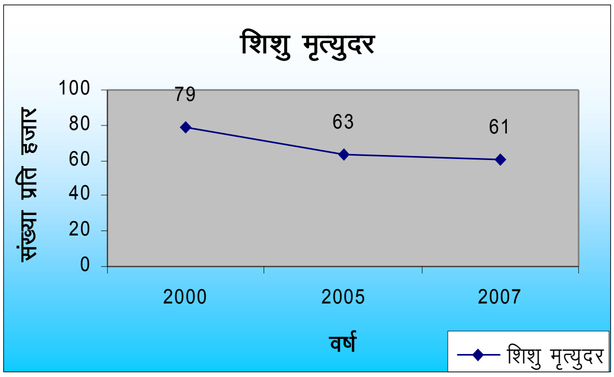

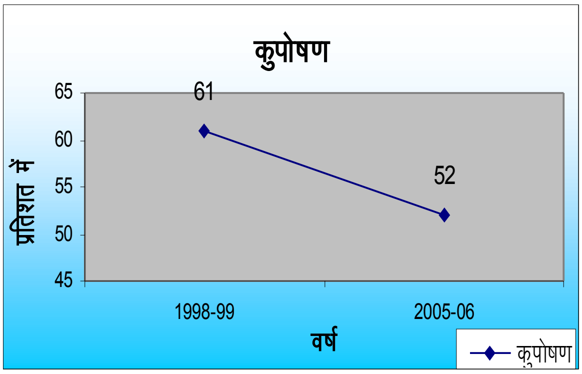

3. **हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि :–** विगत वर्शों में सेवाओं के विस्तार तथा गुणवत्ता में किये गये प्रयासों के सकारात्मक परिणामों के रूप में हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है और सेवाओं की पहुंच व अच्छादन अपेक्षाकृत काफी विस्तृत हो गया है। इसका विवरण अग्रानुसार है :–

तालिका क. 13.16
वर्शवार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

वर्ष	लाभान्वित हितग्राही (संख्या लाख में)
2000-01	11.63
2002-03	17.34
2006-07	28.09

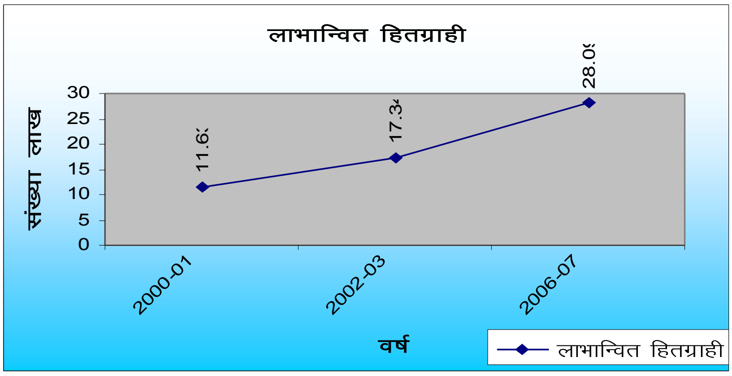

13.4.4 किशोरी शक्ति योजना :–

यह योजना 11–18 वर्ष की बालिकाओं के लिये है । इसके अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी में संलग्न कर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण, पूरक पोषण आहार, रक्ताल्पता होने पर आयरन फोलिक एसिड, टीकाकरण (टी.टी.), स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा आदि की यथासंभव व्यवस्था किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । भारत शासन की स्वीकृति अनुसार यह योजना वर्ष 2007–08 में 158 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित किया गया । किशोरी शक्ति योजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर भारत शासन के निर्देशानुसार प्रति परियोजना 300 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाना है ।

किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को आय उपार्जन गतिविधियों में प्रत्येक परियोजनाओं के 30 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया है । क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक परियोजना 1.10 लाख रू. का प्रावधान है । योजनांतर्गत उपलब्धियां निम्नानुसार है।

क्र.	वर्ष	परियोजना	वित्तीय		भौतिक	
			प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	2006–07	152	167.20	165.19	45600	45300
2.	2007–08	158	173.80	171.49	47400	47400

13.4.5 कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम :–

समेकित बाल विकास सेवा अंतर्गत कुपोषण की दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये किये जा रहे प्रयास को गति देने तथा नवीन पोषण आहार व्यवस्था हेतु राज्य आयोजना मद से वर्ष 2008–09 हेतु 803.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान में आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन मशीन एवं बर्तन आदि प्रदाय किये जाने हेतु बजट प्रावधान किया है ।

13.4.6 जनजागरण अभियान :–

इस योजना के अंतर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन, राहत शिविरों में पोषण व्यवस्था के लिए बजट प्रावधान सम्मिलित किया गया है । वर्ष 2008–09 में इस योजना के अंतर्गत 2.00 करोड़ का प्रावधान किया है ।

13.4.7 मिनीमाता पोशण आहार योजना :–

सरगुजा जिले में लड़कियों में कुपोशण की स्थिति को देखते हुए वि ोश योजना ''मिनीमाता पोशण आहार योजना'' संचालित की जा रही है। प्रत्येक वर्श इस योजना के लिए रू. 4–8 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

13.4.8 पोशण निगरानी योजना :–

कन्याओं में कुपोशण को कम करने के लिए अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिले दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में इस योजना को लागू किया गया है।

13.5 बाल विकास :–

13.5.1 शासकीय बाल संरक्षण गृह

कुष्ठ रोगियों के 18 वर्ष आयु तक के स्वस्थ बच्चों को उनके माता–पिता से अलग रखकर उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित इस संस्था में उन्हें आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। प्रत्येक केन्द्र में 50 बालक/बालिका के रहने की व्यवस्था है। प्रदेश में 5 बाल संरक्षण गृह क्रमशः बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर तथा दुर्ग एवं बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में संचालित है।

13.5.2 बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र

वर्तमान में प्रदेश में 06 वर्ष आयु तक के बच्चों के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए 02 शासकीय बालवाड़ी सह–संस्कार केन्द्र क्रमशः रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित है।

13.5.3 मातृ–कुटीर

इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों व निराश्रित महिला को एक साथ परिवार के रूप में गठित करके पारिवारिक वातावरण निर्मित करना है ताकि बच्चों को धात्री मॉ का व महिला को बच्चो का स्नेह मिल सके। संस्था में मॉ एवं बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल आदि की सुविधा मुहैया करायी जा रही है। बच्चे वयस्क होने और स्थापित होने तक संस्था में रहते है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिलासपुर तथा राजनांदगांव में मातृ कुटीर संचालित है। दुर्ग एवं जगदलपुर में मातृ–कुटीर संस्था के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

13.5.4 बाल कल्याण संस्थाओं को अनुदान :–

बच्चों के विकास तथा कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने तथा उन्हें बाल कल्याण की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने /आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु इस योजना के अंतर्गत बाल कल्याण क्षेत्रों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए बजट प्रावधान सम्मिलित किया जा रहा है । राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक बाल कल्याण संस्थाओं कौ अनुदान के अंतर्गत हुए व्यय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है –

तालिका क. 13.17
वर्शवार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

क.	वर्ष	वित्तीय		भौतिक उपलब्धि
		प्रावधान (लाख में)	व्यय (लाख में)	
1	2000-2001	15.00	4.80	200
2	2001-2002	11.00	6.63	607
3	2002-2003	19.00	9.94	620
4	2003-2004	18.21	14.25	570
5	2004-2005	12.14	11.03	498
6	2005-2006	19.00	17.60	615
7	2006-2007	21.00	19.52	622
8	2007-2008	25.60	23.09	634

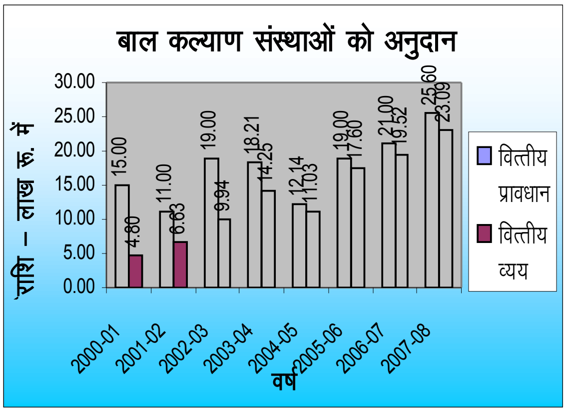

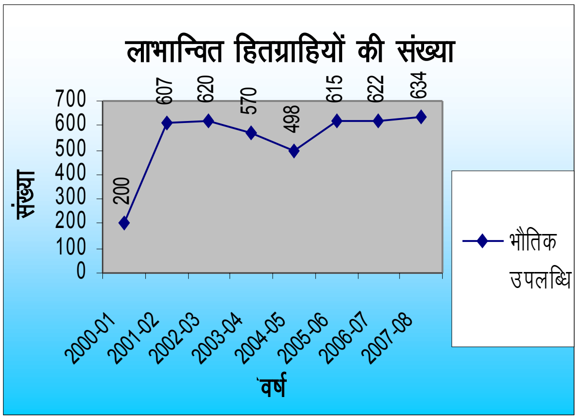

13.5.5 अनौपचारिक शिक्षा :–

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के 3–6 वर्श के स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है। प्रदेश के स्कूल पूर्व शिक्षा के लाभांवित हितग्राहियों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका क. 13.18
वर्शवार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

क्र.	वर्श (माह मार्च की स्थिति में)	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	स्कूल पूर्ण शिक्षा से लाभांवित		
			बालक	बलिका	योग
1.	2005–06	20290	289918	298082	**588000**
2.	2006–07	26435	360879	370882	**731761**
3.	2007–08	29101	405133	412811	**817944**

13.5.6 राज्य वीरता पुरस्कार :–

प्रदेश के बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, साहस एवं बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत करने हेतु राज्य वीरता पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष राशि रू. 1.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है ।

13.5.7 शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति :–

राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार/राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिये छात्रवृत्ति नियम लागू किये गये हैं । पुरस्कार प्राप्त बालक/बालिका को स्कूल शिक्षा के दौरान रू. 200.00 प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा के दौरान रूपये 500.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है । योजना का क्रियान्वयन राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से किया जाता है ।

13.6 अधोसंरचना निर्माण :–

स्वीकृत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु प्रतिवर्ष बजट में प्रावधान किया जाता है । राज्य निर्माण से लेकर वर्तमान तक राशि रू. 101.04 करोड़ व्यय कर 3880 आंगनबाड़ी भवन निर्माण किया गया है। राज्य में भवन युक्त आंगनबाड़ियों की स्थिति अग्रानुसार है –

तालिका क्र. 13.19
वर्शवार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

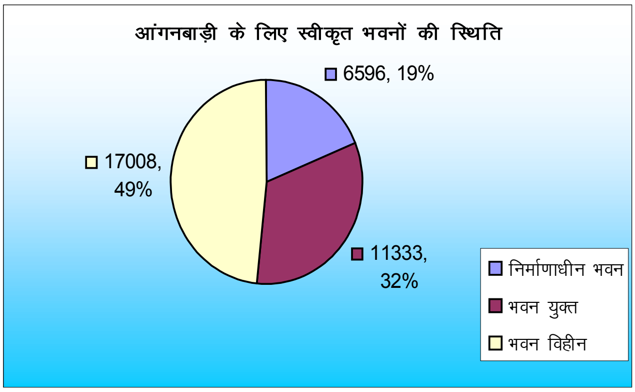

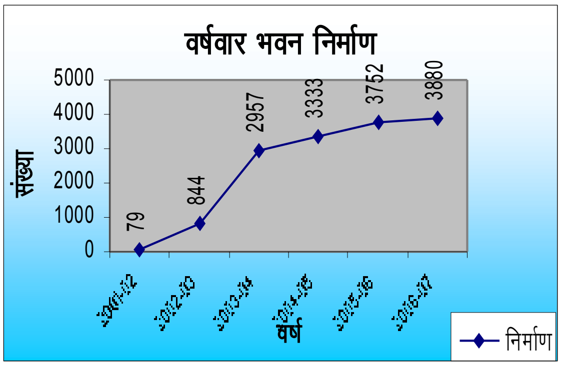

उपरोक्त वृत्तचित्र से स्पश्ट है कि संचालित आंगनबाड़ी तथा स्वंय के भवन युक्त आंगनबाड़ी वाले केन्द्रों के बीच काफी बड़ा अंतर है। एकीकृत बाल विकास योजना से होने वाले लाभों को देखते हुए आंगनबाडियों के लिए भवन निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अध्याय – 15
रोजगार सुविधाओं का विकास

भारत में रोजगार सेवा का इतिहास सन् 1921 से शुरू होता है, जब हमने सन् 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कनवेन्‍ ान को स्वीकार किया था। सन् 1943–44 में सर्वप्रथम 09 रोजगार कार्यालय युद्व में तकनीकी कर्मचारियों को भारी कमी को दूर करने के उद्देश्य से स्थापित किये गये। तदपश्चात 1945 में द्वितीय विश्व युद्व उपरांत छंटनी किये गये सैनिकों एवं सेना के सहायक कर्मियों को सुव्यवस्थित तरीके से नागरिक सेवा में स्थापित करने एवं 1947 में देश के विभाजन के फलस्वरूप विस्थापित हुये लोगों के पुर्नःवास का दायित्व संगठन को सौंपा गया।

रोजगार सेवा की बढ़ती हुयी लोकप्रियता के कारण शासन ने इसका कार्यक्षेत्र 1948 में सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिये खोल दिये परिणामस्वरूप रोजगार कार्यालय एक पुर्नःवास एजेंसी से बढ़कर अखिल भारतीय नियोजन एजेंसी का रूप ले लिया। 01 नवम्बर 1956 को शिवाराम समिति की सिफारिशों के आधार पर रोजगार सेवा के दैनिक प्रशासक राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। इन गतिविधियों को वैधानिक रूप देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम,1959 दिनांक 01 मई 1960 से पूरे देश में लागू किया गया। श्री पी.सी.मैथ्यू समिति (1978) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अलग–अलग जिम्मेदारियॉ तय की गयी, जिसके तहत् प्रदेश के रोजगार कार्यालय निरंतर अपनी सेवायें रोजगार सहायता के इच्छुक आवेदकों को प्रदान कर रहें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना उपरांत रोजगार कार्यालय अपने नये नाम जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के रूप में जाना जा रहा है।

संगठित क्षेत्रों विशेषकर शासकीय क्षेत्रों में रोजगार की निरंतर कम होती हुई परिस्थिति के मद्देनजर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र वृहत पैमाने में रोजगार सहायता के इच्छुक आवेदकों का रोजगार / स्वरोजगार के लिये मार्गदर्शन तथा स्वरोजगार स्थापना के लिये विभिन्न व्यवसायों में आवश्यक प्रशिक्षण देने का कार्य संपादित कर रहा है।

राज्य में रोजगार कार्यालय जिले के रोजगार बाजार संबंधी सूचनाओं को एकत्र कर जिले में विभिन्न नियोजन में आवश्यक श्रम शक्ति का अनुमान लगाता है तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत इन सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली को उपलब्ध कराता है। जिसका उपयोग केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं को तैयार करने मे किया जाता है।

15.1 आवेदकों का पंजीयन–

रोजगार सहायता के इच्छुक आवेदकों का पंजीयन कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसके लिये आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ तथा अन्य प्रमाण पत्रों यथा जाति, निवास, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र इत्यादि सहित कार्यालय में स्वयं उपस्थित होता है। राज्य में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के अतिरिक्त विकासखंड स्तर पर भी पंजीयन, नवीनीकरण की सुविधा नियमानुसार प्रदान की जाती है जिसके अनुसार विकासखंड मुख्यालय की दूरी संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय से न्यूनतम 50 कि.मी. होनी चाहिए। पंजीयन के लिए उपस्थित आवेदको को आवश्यकतानुसार पंजीयन मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आवेदकों की प्रगति–

राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

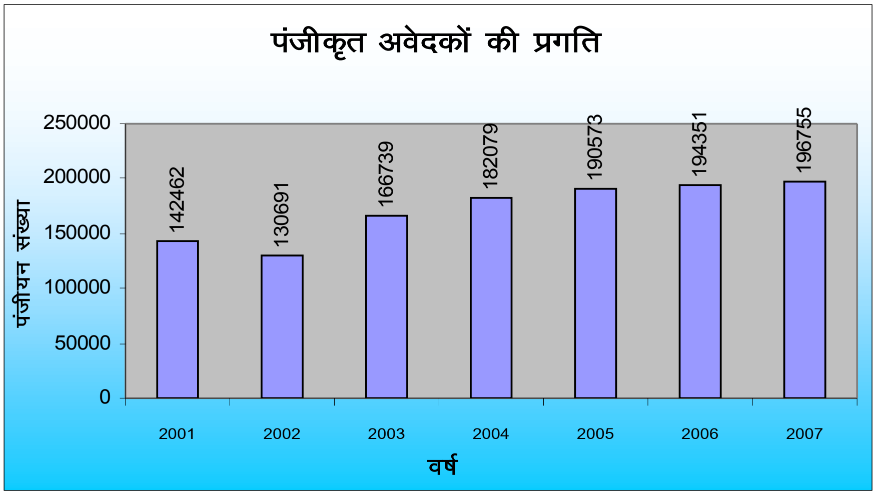

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2001 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1,42,462 थी, जो वर्ष 2007 में बढ़कर 1,96,755 हो गई। इस प्रकार इस अवधि के दौरान पंजीकृत आवेदकों की संख्या में 38.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पंजीयन का नवीनीकरण–

कार्यालय में पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के पंजीयन रिकार्ड का नवीनीकरण पंजीयन माह के तीन वर्ष पश्चात् किया जाता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् नवीनीकरण के अभाव में निरस्त हुए समस्त पंजीयन अभिलेख कार्यालय की जीवित पंजी से हटाकर निरस्त कर दिए जाते हैं।

राज्य के रोजगार कार्यालयों में आज तक जीवित पंजीयन की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

में

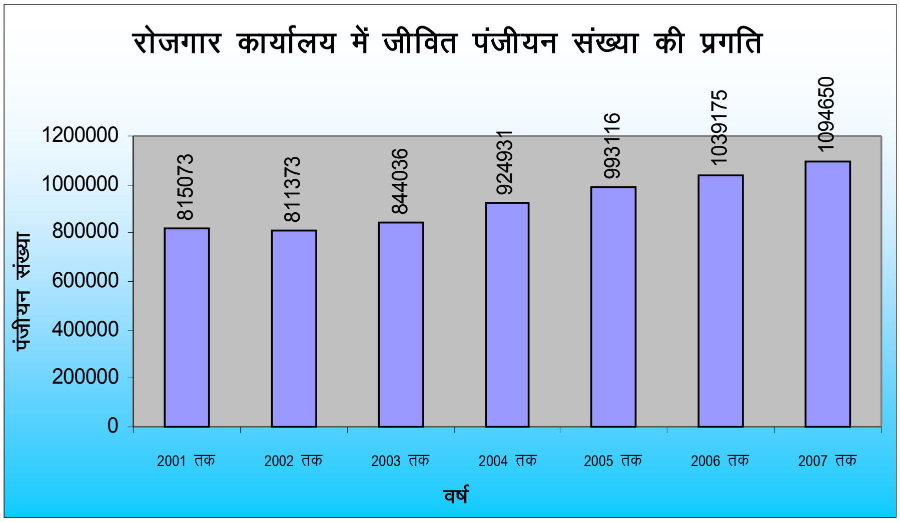

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि रोजगार कार्यालय होने वाले पंजीकृत आवेदकों की जीवित पंजी में वर्ष 2000–01 से निरंतर वृद्धि हो रही है । वर्ष 2001 तक जहाँ कुल 8,15,073 जीवित पंजीयन थें वहीं वर्ष 2007 तक ये बढ़कर 10,94,650 हो गये।

15.2 रिक्तियों की अधिसूचना प्रस्तुतीकरण एवं नियुक्ति–

विभिन्न नियोजकों द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना कार्यालय को प्राप्त होने पर इन रिक्तियों संबंधी प्रलेखन निर्धारित प्रारूप में दर्ज किया जाता है। रिक्तियों के दर्ज होने के पश्चात् कार्यालय की चयन सूची से अथवा जीवित पंजी से उपयुक्त आवेदकों का नाम नियमानुसार वरिष्ठता क्रम में तय कर संप्रेषण हेतु चयन योजना प्रारूप में तैयार कर सूची नियोजक को प्रेषित की जाती है। वर्तमान में एक रिक्ती हेतु 12 आवेदकों के नाम

प्रेषित किए जाने का प्रावधान है। एक आवेदक को निरंतर दो नियमित एवं स्थायी रिक्तियों के लिए संप्रेषण का मौका प्राप्त होता है। जिन आवेदकों का चयन कार्यालय द्वारा संप्रेषित सूची से नियुक्ति हेतु नियोजक द्वारा कर लिया जाता है उनका नाम जीवित पंजी से हटाकर उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है।

रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित रिक्त स्थानों की स्थिति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

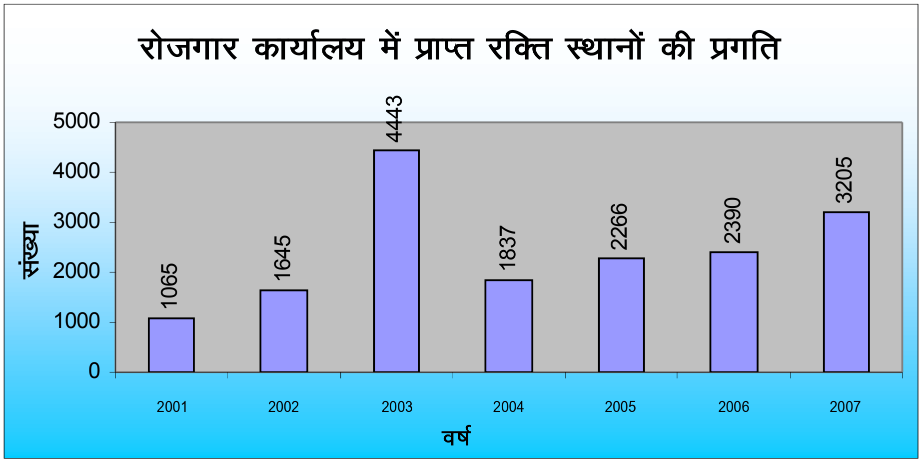

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि रोजगार कार्यालयों को विभिन्न वर्षो में अधिसूचित रिक्तियों की स्थिति में काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिल रहे है, जबकि पंजीयकृत आवेदनों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। सर्वाधिक रिक्तियों की अधिसूचना वर्ष 2003 में प्राप्त हुई राज्य बनने से मार्च 2008 तक कुल 17,256 रिक्तियों की अधिसूचना रोजगार कार्यालयों को प्राप्त हुई।

रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोक्ताओं को प्रेषित आवेदनों एवं नियुक्तियों की प्रगति –

रोजगार कार्यलायों द्वारा नियोंक्ताओं को प्रेषित आवेदनों एवं नियुक्तियों की प्रगति को इस ग्राफ में दर्शाया गया है–

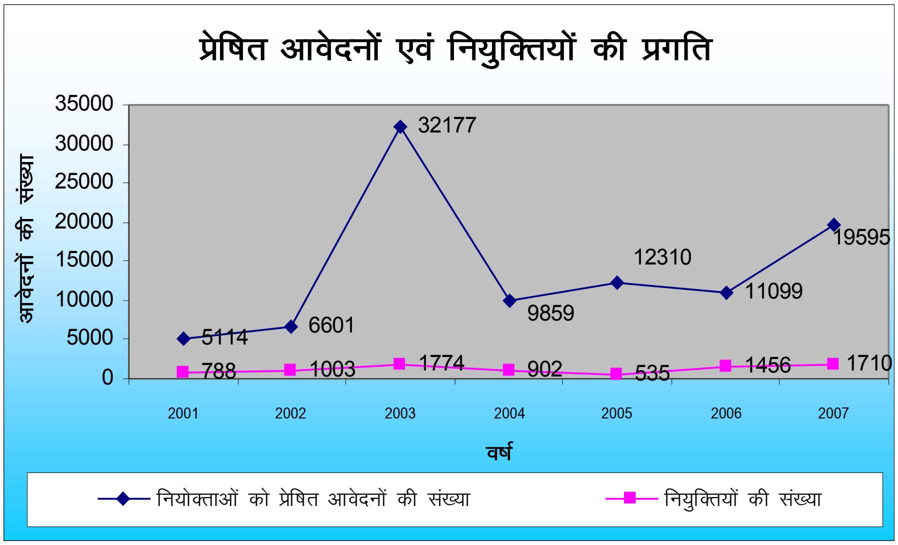

संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में निरंतर कमी की प्रवृत्ति के बावजूद रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजकों को प्रेषित आवेदकों की संख्या तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त नियुक्तियों की संख्या में विगत 7 वर्षों में उतार–चढ़ाव के साथ वृद्धि परिलक्षित हो रही है । वर्ष 2003 में सर्वाधिक 32,177 आवेदन नियोक्ताओं को प्रेषित किये गये, जिसमें से 1,774 बेरोजगारों को नियुक्ति प्रदान की गई। वर्ष 2007 तक 96,755 आवेदन नियोक्ताओं को प्रेषित किये गये, जिसमें से 8,168 बेरोजगारों को नियुक्ति प्रदान की गई।

15.3 रोजगार बाजार सूचना का एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं नियोजकों के अभिलेखों का निरीक्षण–

रोजगार कार्यालय जिले के रोजगार बाजार संबंधी सूचनाओं को एकत्र कर जिले में विभिन्न नियोजन में आवश्यक श्रम शक्ति का अनुमान लगाता हैं तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत इन सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली को उपलब्ध कराता है। जिनका उपयोग केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं को तैयार करने में उपयोग में लाई जाती है। रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत रोजगार अधिकारी एवं अन्य प्राधिकृत अधिकारी जिले के नियोजकों के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते है।

15.4 - व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श–

रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार सहायता के लिए संपर्क करने वाले आवेदकों को सतत् व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिसके अंतर्गत इच्छुक आवेदकों को व्यक्तिगत् सूचना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पंजीयन मार्गदर्शन, सामूहिक परिचर्चा, कैरियर वार्ता, कैरियर सम्मेलन और प्रदर्शनी के माध्यम से रोजगार बाजार की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

15.5 रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण–

प्रदेश के 6 रोजगार कार्यालयों को वर्ष 2006–07 में कम्प्यूटर प्रदाय किये गये तथा शेष 10 जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर को वर्ष 2007–08 में पांच–पांच सेट कम्प्यूटर प्रदाय किये गये हैं। कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त कम्प्यूटराईजेशन हेतु अन्य कम्प्यूटर उपकरण, कम्प्यूटर फर्नीचर भी प्रदेश के समस्त कार्यालयों को प्रदाय किये जा चुके हैं।

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर एवं दुर्ग में 5 नवम्बर 2007 तथा अन्य समस्त जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों में दिनांक 17 दिसम्बर 2007 से बेरोजगार आवेदकों के ऑफ लाईन पंजीयन का कार्य किया जा चुका है। इस हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा रोजगार सेवा हेतु विकसित राष्ट्रीय साफ्टवेयर के आधार पर कम्प्यूटराइजेशन, रोजगार कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं अन्य कार्यालयीन कार्य को संपादित किये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है। कम्प्यूटराइजेशन, के प्रथम चरण में विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु NIC द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

रोजगार कार्यालय के आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु प्रदेश के समस्त रोजगार कार्यालय में ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा से जुड़ गये हैं।

1 5ण6 कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के उपबन्धों के कियान्वयन हेतु प्रवर्तन कक्ष (Enforcement Cell) की स्थापना

. राज्य के गठन पश्चात राज्य में नैसर्गिक, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, औद्योगिक विकास हेतु अधोसंरचना तथा राज्य शासन की औद्योगिक नीति के फलस्वरूप राज्य में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योग एवं प्रतिष्ठानों की स्थापना तीव्र गति से हो रही है। जिनमें अत्यधिक संख्या में जनशक्ति का नियोजन हो रहा है। नवस्थापित उद्योगों एवं भविष्य में स्थापित होने वाले संस्थानों/उद्योगों में प्रदेश के स्थानीय निवासियों को रोजगार प्राप्त हो सके, इस हेतु रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 को प्रभावशाली रूप से लागू करने हेतु प्रवर्तन कक्ष (Enforcement cell) स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र तथा जगदलपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 16 जिलों में स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में रोजगार बाजार सूचना शाखा स्थापित हैं, परंतु अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है कि रोजगार बाजार सूचना शाखा को शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप से मजबूत किया जाऐ।

प्रस्तावित प्रवर्तन कक्ष –

राज्य में **3 प्रवर्तन कक्ष** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिनके कार्य क्षेत्र समक्ष में दर्शाये गए हैं :–

- संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण – रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिला।

- जगदलपुर – जगदलपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं प्रस्तावित कार्यालय नारायणपुर एवं बीजापुर जिला।

- बिलासपुर – बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया एवं जशपुर जिला।

प्रवर्तन कक्षों की स्थापना से लाभ–

- प्रवर्तन कक्षों के रहने से रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 का पालन होने से प्रदेश के नियोजकों द्वारा उनके संस्थान/उद्योगों में की जाने वाली भर्तियों हेतु रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित किए जाने पर रोजगार कार्यालयों द्वारा स्थानीय बेरोजगारों का सम्प्रेषण किया जावेगा, जिससे कि स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

- प्रदेश के उद्योगों/संस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए जाने से प्रवर्तन कक्षों के माध्यम से यह जानकारी भी प्राप्त होगी कि प्रदेश में किस तरह के कुशल/अर्द्धकुशल कारीगरों की कमी है। इस तरह की जानकारी से शासन/निजी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा जनशक्ति की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ करने की कार्ययोजना तैयार कर सकते है।

- प्रवर्तन कक्षों द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले स्ट्रीट सर्वे से इनके कार्य क्षेत्र में स्थानीय संस्थाओं/उद्योगों की जानकारी एकत्रित की जावेगी। इस जानकारी का राज्य शासन के अन्य विभाग जैसे कि–उद्योग, श्रम, खनिज, वाणिज्यिक कर आदि अपनी योजनाओं, नियमों–अधिनियमों को प्रभावशाली रूप से लागू कर सकते हैं अथवा राजस्व प्राप्ति हेतु उपयोग कर सकते हैं।

- प्रतिवर्ष भारत शासन एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश के शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी क्षेत्रों में नियोजित कर्मचारियों की जानकारी विभिन्न उपयोगों हेतु चाही जाती है। अतः प्रवर्तन कक्षों द्वारा कार्य किए जाने से एकत्रित जानकारी जो कि विश्वसनीय एवं तथ्यात्मक होगी की उपलब्धता से जानकारी का उचित उपयोग संभव होगा।

1 5ण7 संचालित प्रमुख योजनाएं–

राज्य शासन द्वारा बेरोजगारों को जहॉ स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है, विभिन्न संस्थानों में नियुक्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है वहीं रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं–

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना –

योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को अंतरिम अवधि में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करके उनके लिए स्वरोजगार/रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना है, जिससे कि प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके।

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना अक्टूबर 1995 से प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में पात्र आवेदकों को 200 रूपये प्रतिमाह की दर से भत्ता दिया जाता था, जिसे अप्रैल 1999 से बढ़ाकर 300 रूपये कर दिया गया। वर्तमान में अप्रैल 2004 से शासन ने बेरोजगारी भत्ता की राशि बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह कर दी है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त शिक्षित बेरोजगारों को रू. 500 प्रतिमाह प्रथमतः एक वर्ष के लिए दिया जाता है, किन्तु आवश्यकतानुसार इसकी अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।

राज्य शासन के निर्णयानुसार बेरोजगारी भत्ता योजना का जनपद पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वयन होना है एवं इन जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकायों को बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के निर्धारण, भत्ता के भुगतान, भत्ता बंद करने का निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है। पात्रता निर्धारण का कार्य जनपद पंचायत/नगरीय स्थानीय निकायों की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की प्रगति को तालिका क्र.–15.2 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.– 15.2

शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना – आबंटन एवं व्यय की प्रगति

वर्ष	आबंटन (लाख रू.)	व्यय (लाख रू.)	प्रतिशत
2001–02	339.91	335.46	**98.69**
2002–03	339.91	321.39	**94.55**
2003–04	339.91	253.77	**74.66**
2004–05	595.15	539.16	**90.59**
2005–06	612.65	608.42	**99.31**
2006–07	716.76	664.88	**92.76**
2007–08	736.70	599.53	**81.38**
योग	**3680.99**	**3322.61**	**90.26**

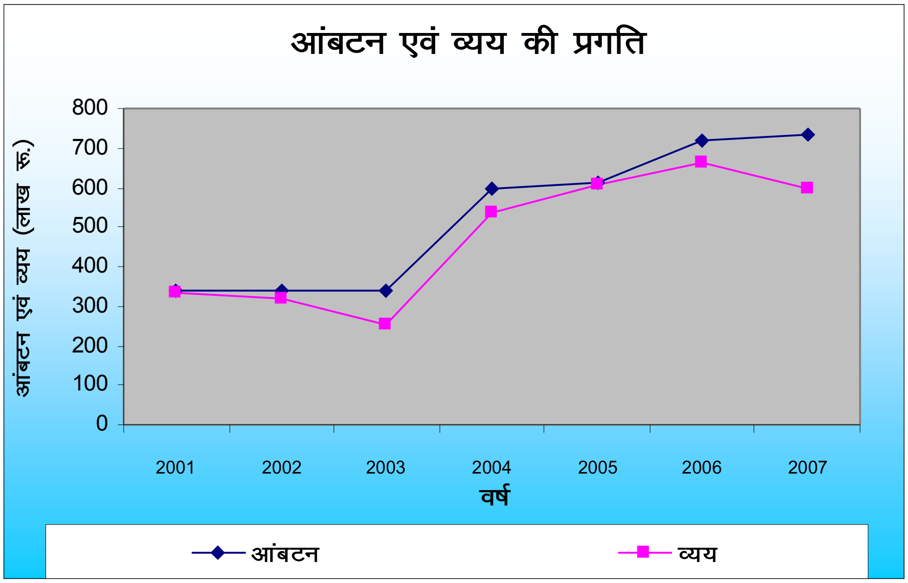

तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में 339.91 लाख रू. आंबटन प्राप्त हुआ जिसमें से 335.46 लाख रू. (98. 69 प्रतिशत) व्यय किया गया जो वर्ष 2007–08 में बढ़कर 736.70 लाख रू. एवं 599.53 लाख रू. (81. 38 प्रतिशत) हो गया। राज्य बनने से वर्ष 2007–08 तक कुल 3,680.99 लाख रू.

बेरोजगारी भत्ता हेतु आबंटन प्राप्त हुआ। जिसमें से 3,322.61 लाख रू. (90.26 प्रतिशत) व्यय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की प्रगति को तालिका क्र.–15.3 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–15.3

लाभान्वित हितग्राहियों की प्रगति

वर्श	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या						
	योग	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	थ्वकलांग
2000-01	**11840**						
2001-02	**13097**	1282	6409	3130	2276	637	93
2002-03	**14992**	2123	8799	2126	1944	880	217
2003-04	**11726**	1387	5305	2967	2067	874	98
2004-05	**12726**	1250	5736	3015	2725	1263	166
2005-06	**12054**	1216	5544	2912	2382	1175	103
2006-07	**13501**	1332	6507	2524	3138	1683	124
2007-08	**10844**	1610	4662	2411	2161	1118	110
योग	**100780**	**10200**	**42962**	**19085**	**16693**	**7630**	**911**

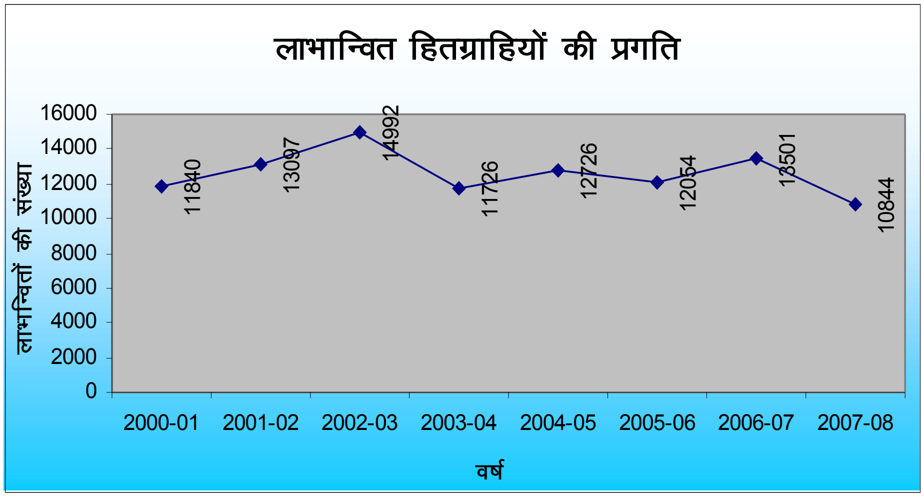

तलिका एवं ग्राफ से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में 11,840 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता से लाभान्वित किया गया जिनकी संख्या वर्ष 2002–03 में बढ़कर 14,992 हो गई किन्तु वर्ष 2007–08 में इनकी संख्या घट कर 10,844 रह गई। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत कुल 1,00,780 हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही शासन द्वारा योजना के हितग्राहियों को विभिन्न स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण देने की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रारंभ की गई है।

स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना–

प्रदेश के संगठित क्षेत्रों विशेषकर शासकीय प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर निरंतर कम हो रहे हैं परन्तु राज्य के रोजगार कार्यालयों में शासकीय नौकरी के इच्छुक आवेदकों का पंजीयन निरंतर बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि प्रदेश के ऊर्जावान युवाशक्ति को स्वयं के रोजगार अर्थात स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जावे। इसी उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2004—05 में इस अभिनव स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना को प्रारंभ किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये प्रत्येक वर्ष विज्ञापन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदकों से विभिन्न इच्छुक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, साथ ही साथ प्रशिक्षण देने हेतु दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तियों / संस्थाओं से भी विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होता है।

प्रशिक्षण की पात्रता हेतु आवेदक राज्य का निवासी हो तथा जिला रोजगार एंव स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो। पूर्व वित्तीय वर्ष के ऐसे आवेदक जिन्हें किन्हीं कारणवश प्रशिक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका है, ऐसे आवेदन पत्रों पर वर्तमान वर्ष में प्रारंभ किये जाने वाले प्रशिक्षण में सम्मिलत किये जाते हैं। विभिन्न व्यवसायों में दिये जाने वाले अल्पकालिन प्रशिक्षण की स्थिति को तालिका क्र.—15.4 में दर्शाया गया है :—

तालिका क्र.—15.4

स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु व्यवसायों के नाम

1	चाट की दुकान	14	सायकल मरम्मत	26	साफ्ट टायज
2	भोजन निर्माण	15	स्कूटर / मोपेड (टू व्हीलर) रिपेयरिंग	27	कृत्रिम आभूषण निर्माण
3	अपाहिजों अथवा बुजुर्गों की देखभाल	16	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	28	ब्करी कार्य
4	इंग्लिश कोचिंग क्लासेस	17	स्क्रीन प्रिंटिंग	29	स्टेशनरी निर्माण
5	स्वयं सहायता समूह का लेखा संधारण	18	प्लंबर एवं सिनेटरिंग फिटिंग	30	रफूगिरी एवं रंगाई
6	हेयर कटिंग सेलून / ब्यूटी पार्लर	19	गैस चूल्हा, कूकर एवं मिट्टी तेल ल स्टोव रिपेरिंग	31	सिलाई, कढ़ाई
7	चाय केंटिन एवं नाश्ता केन्द्र			32	स्वेटर निर्माण
8	योग शिक्षा	20	ट्रेक्टर मैकेनिक	33	मशरूम उत्पादन
9	बच्चों की देखभाल (झूलाघर)	21	घर की साज संभाल	34	ईंट / खपरा निर्माण
10	लांड्री कार्य	22	बागवानी एवं नर्सरी	35	डिटर्जेंट पाउडर निर्माण
11	चाक निर्माण / मोमबत्ती निर्माण	23	प्शुपालन / मुर्गी पालन	36	वेल्डिंग
12	घड़ीसाज	24	फुटकर विक्रेता	37	मोटर कार मैकेनिक
13	विद्युत यंत्र सुधारक	25	मसाला उद्योग	38	मोबाइल रिपेयरिंग

स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन/व्यय एवं इससे लाभान्वितों की प्रगति को तालिका क्र.–15.5 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.– 15.5

स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना – आबंटन/व्यय एवं लाभान्वितों की प्रगति

वर्ष	आबंटन (लाख रू. में)	व्यय (लाख रू. में)	प्रशिक्षणार्थी/लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
2004–05	32.00	24.98	3,000
2005–06	50.00	41.74	4,376
2006–07	66.16	57.26	6,317
2007–08	86.70	81.44	6,220
योग	**234.86**	**205.42**	**19,913**

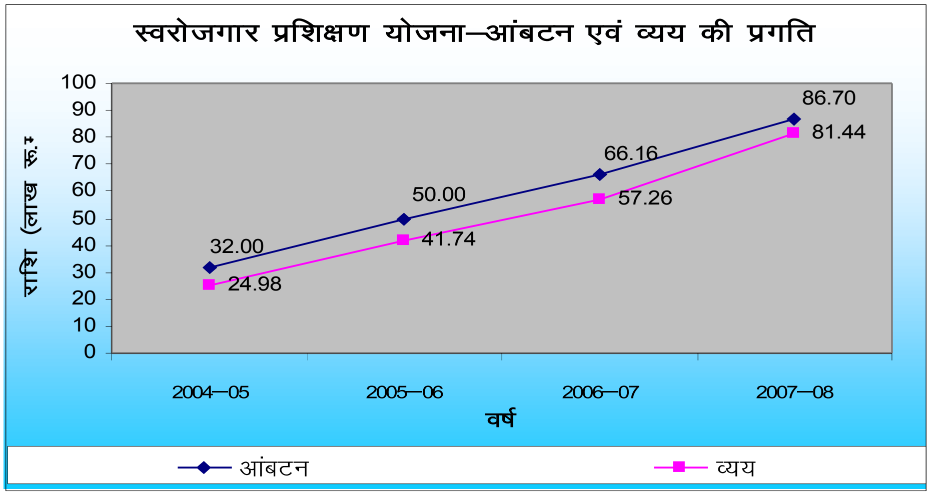

तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट होता है कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2004–05 में इस योजना के अंतर्गत 32 लाख रू. आबंटन प्राप्त हुआ जो बढ़कर वर्ष 2007–08 में 86.70 लाख रू. हो गया। इसके विरूद्व व्यय 24.98 लाख रू. से बढ़कर 81.44 लाख हो गया। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक कुल 234.86 लाख आबंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्व 205.42 लाख रू. व्यय किया गया। इस तरह 87.46 प्रतिशत व्यय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

स्वरोजगार प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम को प्रशिक्षण के इच्छुक आवेदकों से अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो रही है। चूंकि यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क तथा किसी भी पंजीकृत बेरोजगार के लिए खुला हुआ है, फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 20,000 बेरोजगार आवेदकों ने वर्ष 2004 से मार्च 2008 तक इस योजना का लाभ उठाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में स्वयं को स्थापित किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की प्रगति को इस ग्राफ में दर्शाया गया है–

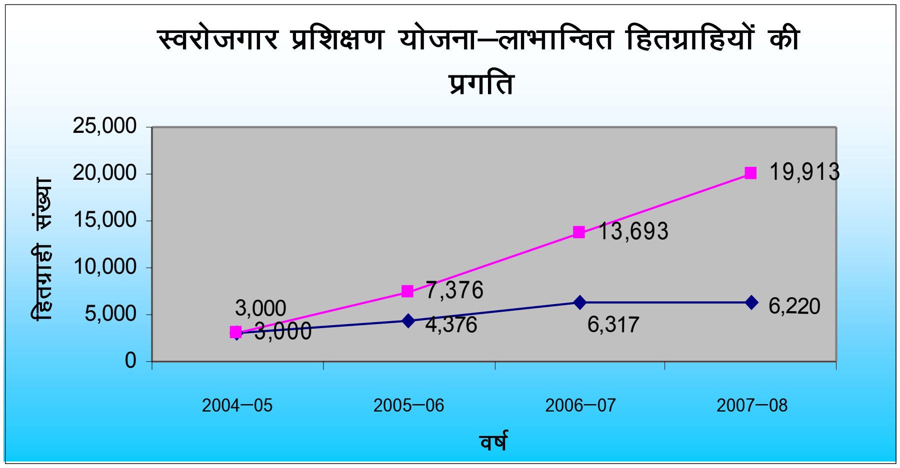

ग्राफ से स्पष्ट होता है कि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2004–05 में इस योजना के अंतर्गत 3,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया जो बढ़कर वर्ष 2007–08 में 6,220 हो गये। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक कुल 19,913 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

15.8 रोजगार कार्यालय (कार्यालयीन भवन)

शासन द्वारा प्रथम चरण में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, बिलासपुर एवं रायपुर के स्वयं के आधुनिक, सुव्यवस्थित भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रूपये 50 लाख का प्रावधान किया गया है। कोनी, बिलासपुर में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, तथा रायपुर में भूमि आबंटन पश्चात् भवन निर्माण की प्रकिया प्रारंभ की जावेगी ।

अध्याय – 16
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

राज्य के अभ्युदय के बाद से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचनाओं, परिसंपत्तियों का निर्माण तथा रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई। श्रम मूलक रोजगार, स्वरोजगार के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी आव यकताओं जैसे–आवास, सड़क, जलसंरक्षण संबंधी संरचना सहित अन्य उपयोगी अधोसंरचनाओं का निर्माण कराया गया। ग्रामीण परिवे ा की बुनियादी जरूरतों की आव यकता निर्धारित करते हुए गृहलक्ष्मी, निर्मलाघाट, मुक्तिधाम, ग्रामीण आंतरिक सड़क योजना, वृंदावन गौठान, कांजी हाऊस, इंद्रप्रस्थ, सेवाकेन्द्र, छ.ग. ग्राम गौरव योजना, हमारा छ.ग. योजना जैसे नयी योजनाऐं प्रारंभ की गयीं।

16.1 श्रम मूलक (Labour Intensive) रोजगार योजना (रोजगार आ वासन योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/राश्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना) – राज्य बनने के समय रोजगार आ वासन योजना एवं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना क्रियान्वित थी। वर्ष 2001–02 से उक्त योजना के स्थान पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्रियान्वित की गई। इसके अलावा दिसंबर, 2004 से प्रदे ा के 10 चिन्हित जिलों में राश्ट्रीय काम के बदले अनाज योजन प्रारंभ की गई, जों 02 फरवरी, 2006 में राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, 2005 प्रभाव ील होने तक क्रियान्वित थी। ये सभी श्रम मूलक रोजगार योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने एवं खाद्यान्न सुरक्षा के साथ–साथ स्थायी सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन तथा अधोसंरचना विकसित करने के उद्दे य से क्रियान्वित की गई। श्रम मूलक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–16.1 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.1

श्रम मूलक रोजगार योजनाओं की प्रगति

(राशि करोड़ में)

वर्श	योजना का नाम	कुल उपलब्ध रा ा	व्यय	सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस में)	खाद्यान्न वितरण (लाख मे.टन)	पूर्ण कार्य संख्या
00-01	रोजगार आ वासन योजना/ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	137.41	126.89	153.89	2.07	30694
01-02	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	157.79	144.90	375.09	1.14	33360
02-03	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	179.26	158.27	377.68	3.72	37163
03-04	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	187.81	168.05	308.55	2.35	50152
04-05	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना /राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना	297.53	241.50	479.69	2.87	57099
05-06	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना /राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना	523.49	453.39	514.22	2.25	87915
06-07	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	71.78	70.40	83.58	0.26	28948
07-08	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	19.16	19.16	22.85	0.07	9027
योग		**1574.23**	**1382.56**	**2315.55**	**14.73**	**334358**

रोजगार आ वासन योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना/संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना/राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की वित्तीय उपलब्धि को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है:–

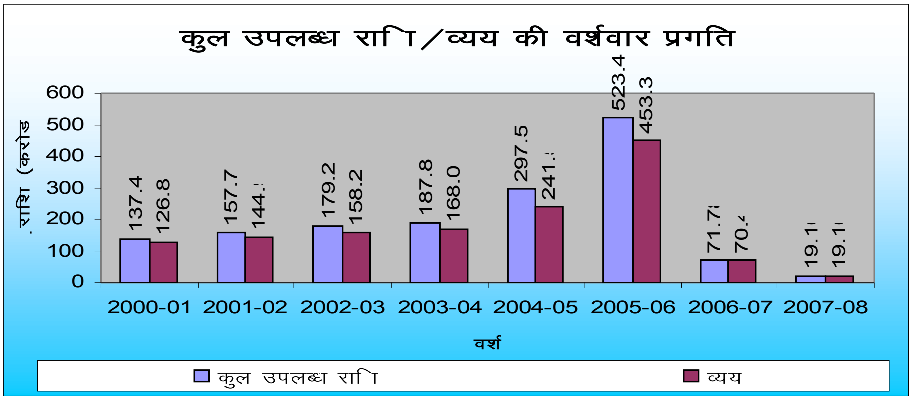

दण्ड आरेख एवं तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य स्थापना वर्श से वर्श 2007–08 के अंत तक इन श्रम मूलक योजनाओं में कुल उपलब्ध रू. 1574.23 करोड़ में से रू. **1382.56 करोड़ रा ि** व्यय की गई।

* वर्श 2007–08 में योजना समाप्त होने के कारण कमी परिलक्षित हो रही है।

सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस) की प्रगति को इस ग्राफ में द ार्या गया है–

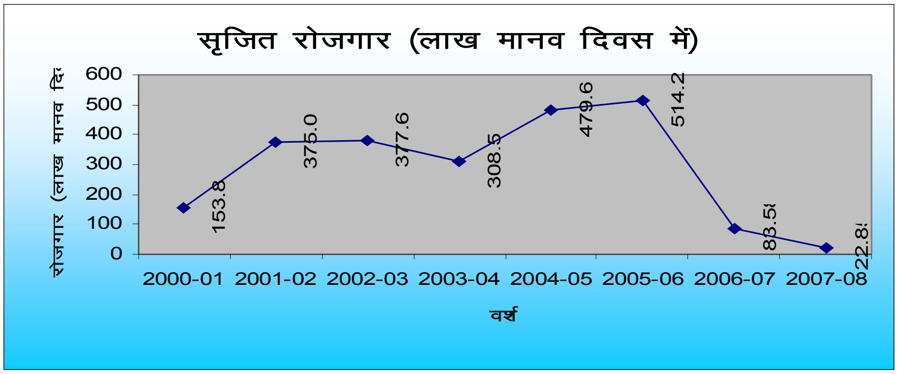

ग्राफ एवं तालिका से स्पश्ट होता है कि 2,315.55 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये गये। इसके अतिरिक्त मजदूरी के रूप में 14.73 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया।

योजनांतर्गत कुल 3,34,358 कार्य कराये गये। वार्शिक पूर्ण कार्य संख्या की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

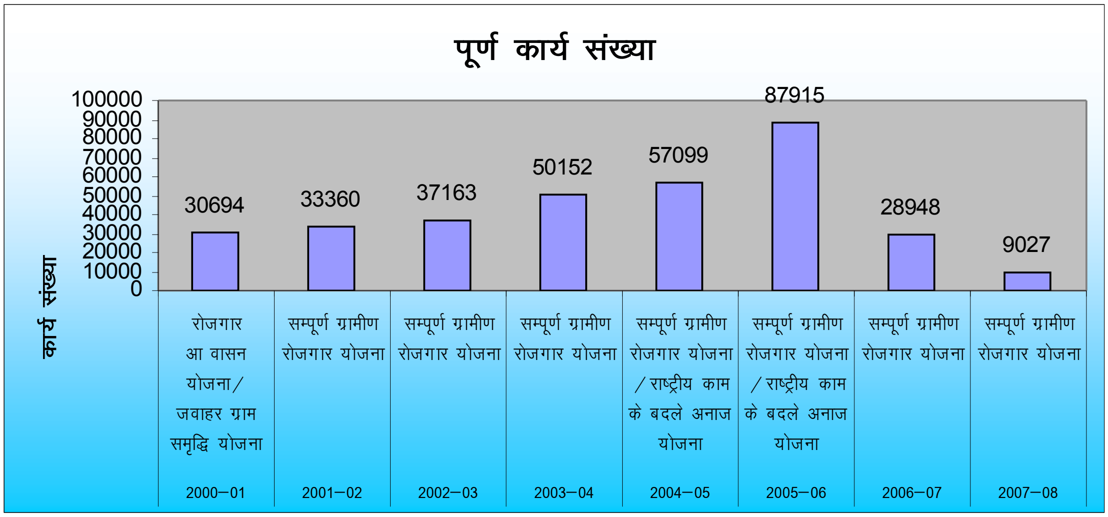

16.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करा कर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस प्रकार इस योजना में पंजीकृत परिवार को मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पाना एक मौलिक अधिकार बन गया है। रोजगार के लिये ग्रामीण परिवारों का पंजीयन कर उन्हें परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) प्रदाय किया गया है।

- प्रथम चरण : प्रदेश के 11 जिलें – बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरिया एवं कबीरधाम (कवर्धा) चयनित।
- द्वितीय चरण : राज्य के 04 जिले रायपुर, महासमुंद, कोरबा एवं जांजगीर–चांपा में भी यह योजना 01. 04.2007 से लागू की गई।
- तृतीय चरण : अधिनियम के अंतर्गत तृतीय चरण में 01.04.2008 से यह योजना पूरे दे ा में लागू हो गयी है अतः राज्य में शेष बचा जिला दुर्ग भी इस योजना में 01.04.2008 से जुड़ गया है।

योजना में प्रारंभ से अब तक 31.36 लाख परिवारों का पंजीयन किया जा चुका है। 2070.65 करोड़ की राशि व्यय कर 2007.5 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये गए। वर्ष 2006–07 में 12. 56 लाख एवं 2007–08 मे 22.94 लाख परिवारों को रोजगार प्रदाय किया गया जिनमे से 2006–07 में 1.30 लाख एवं 2007–08 में 2.56 लाख परिवारों को वित्तीय वर्ष मे न्यूनतम 100 दिन का रोजगार प्रदाय किया गया। 65,185 कार्य पूर्ण किये गए।

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनांतर्गत राज्य के पंजीकृत परिवारों की संख्या की प्रगति को तालिका क्र.–16.2 में द ााया गया है–

तालिका क्र.–16.2

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत राज्य के 16 जिलों में पंजीकृत परिवारों की संख्या

कमांक	जिला	पंजीकृत परिवार संख्या			
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग
1	बस्तर	14312	152682	40586	207580
2	बिलासपुर	75826	73658	164056	313540
3	दंतेवाड़ा	6619	104575	21180	132374
4	धमतरी	8605	36083	68616	113304
5	ज्शपुर	11415	92297	37423	141135
6	कांकेर	6881	70576	44549	122006
7	कोरिया	5249	54777	23740	83766
8	रायगढ़	41525	65254	91007	197786
9	राजनांदगांव	26517	70854	119666	217037
10	सरगुजा	16745	184196	133961	334902
11	कबीरधाम	16234	25308	74102	115644
12	रायपुर	95908	78893	213552	388353
13	महासमुंद	34139	62247	78543	174929
14	कोरबा	21018	86964	31444	139426
15	जांजगीर–चांपा	58386	31220	104408	194014
16	दुर्ग	36165	56950	167918	261033
योग		**475544**	**1246534**	**1414751**	**3136829**
कुल में प्रति ात योगदान		15.16	39.74	45.10	100.00

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनांतर्गत राज्य के पंजीकृत परिवारों की संख्या की जिलेवार प्रगति को इस ग्राफ में द ाया गया है–

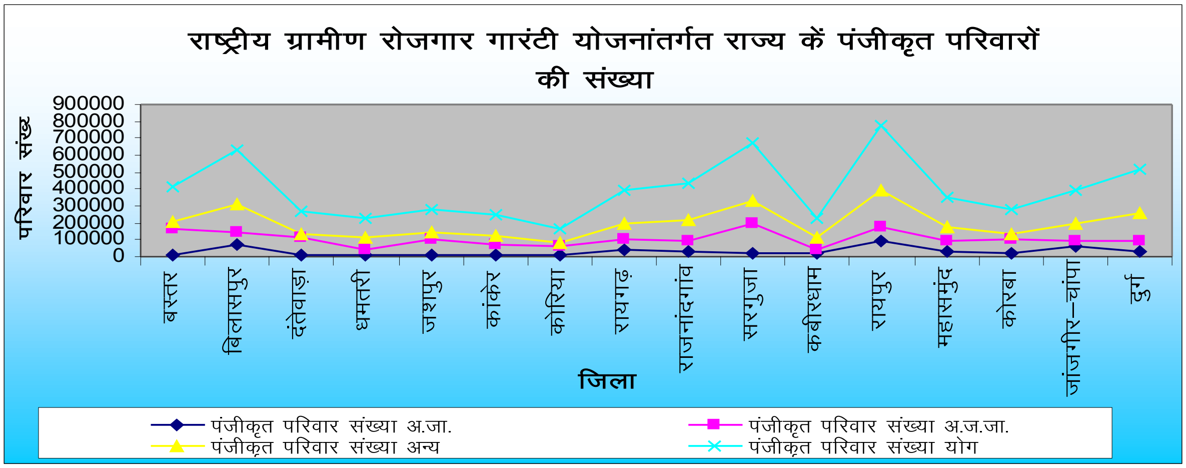

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना रोजगार उपलब्धता की प्रगति को तालिका क्र.–16.3 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.3

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रोजगार उपलब्धता की प्रगति

विवरण	2006–07	पंजीकृत परिवार संख्या का %	07–08	पंजीकृत परिवार संख्या का %	2006–07 पर 2007–08 में %वृद्धि
पंजीकृत परिवार संख्या	1848766	100.00	2875796	100.00	55.55
रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	1282794	69.39	2297042	79.87	79.07
रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या-	1256737	67.98	2294108	79.77	82.54
100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या	130302	7.05	256071	8.90	96.52

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना रोजगार उपलब्ध की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

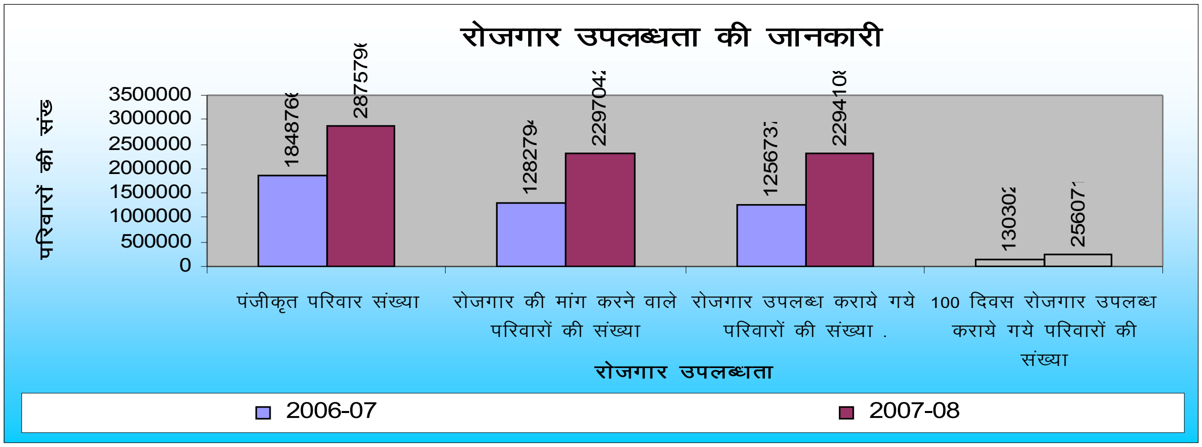

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की वित्तीय प्रगति को तालिका क्र.–16.4 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.4

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वित्तीय प्रगति : (राि ा रू. करोड़ में)

विवरण	2006-07	कुल राि ा का %	2007-08	कुल राि ा का %
प्रारंभिक शेष (1 अप्रैल)	57.77	6.87	208.37	13.73
केन्द्रांश	702.7	83.55	1161.84	76.56
राज्यांश	77.7	9.24	136.16	8.97
अन्य प्राप्तियां	2.87	0.34	11.18	0.74
कुल उपलब्ध राशि	841.04	100.00	1517.55	100.00
कुल व्यय	668.82	79.52	1401.83	92.37

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

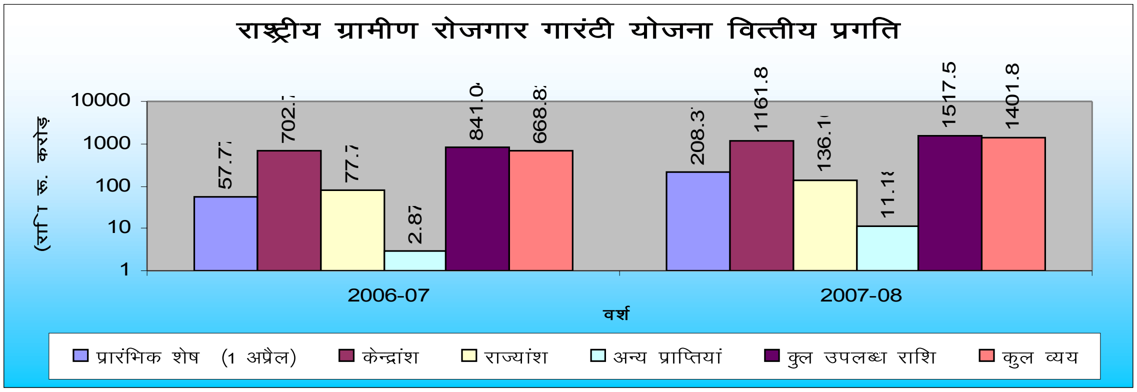

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–16.5 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.5

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भौतिक प्रगति

विवरण	2006-07	कुल स्वीकृत कार्य का %	2007-08	कुल स्वीकृत कार्य का %
कुल स्वीकृत कार्य संख्या	37058	100.00	84355	100.00
पूर्ण कार्यों की संख्या	17623	47.56	47562	56.38
प्रगतिशील कार्यों की संख्या	19435	52.44	36793	43.62

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की भौतिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

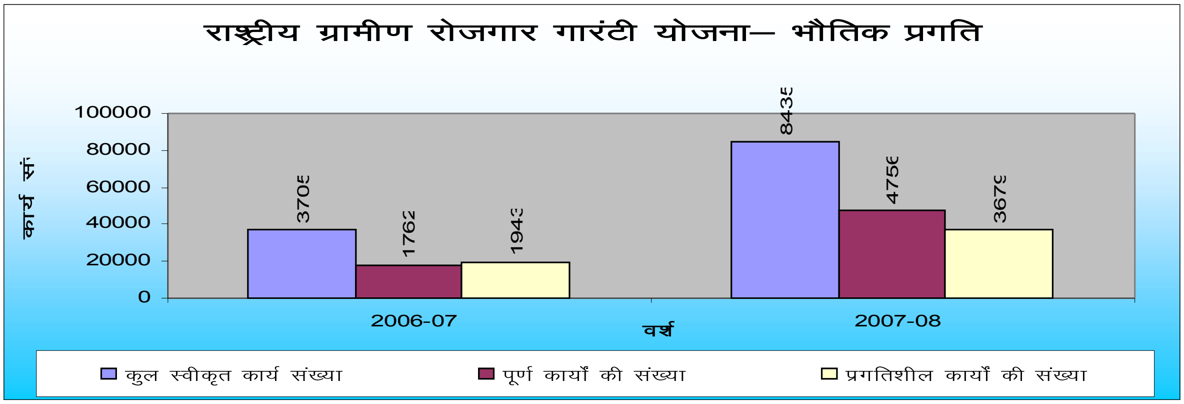

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना सृजित मानव दिवस प्रगति को तालिका क्र.–16.6 में द र्शाया गया है–

तालिका क्र.–16.6

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सृजित मानव दिवस की प्रगति

विवरण	**उपलब्धि वर्श 2006–07**	**कुल सृजित मानव दिवस का %**	**उपलब्धि वर्श 2007–08**	**कुल सृजित मानव दिवस का %**
अ.जा.	84.07	12.16	196.29	14.91
अ.ज.जा.	318.97	46.13	544.77	41.39
अन्य	288.36	41.71	575.03	43.69
कुल सृजित मानव दिवस	691.41	100.00	1316.10	100.00
महिलाओं की भागीदारिता	275.29	39.82	553.41	42.05

जिला दुर्ग में दिनांक 15.04.2008 तक कुल **2,61,033** परिवारों का पंजीयन किया जा चुका है।

राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना सृजित मानव दिवस प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्शाया गया है–

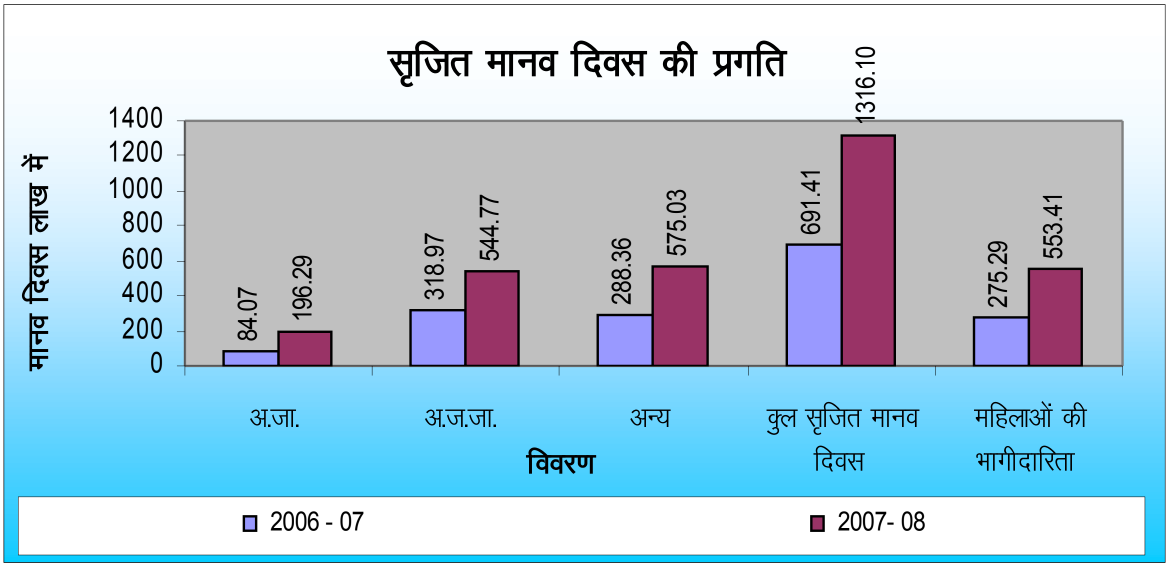

वित्तीय वर्श 2006–07 में कार्यवार भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–16.7 में द र्शाया गया है–

तालिका क्र.–16.7

वित्तीय वर्ष 2006–07 में कार्यवार भौतिक प्रगति

क्र.	कार्य की प्रकृति	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	कार्यो का प्रति ात	कुल व्यय रा ि	व्यय का प्रति ात
1	जल संवर्धन एवं जल संचय	4807	2136	2671	13%	12104.75	18%
2	वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण	4375	3614	761	12%	10633.54	16%
3	सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई सुविधा	746	143	603	2%	3627.60	6%
4	अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों व भूमि सुधारो के हितग्राहियों को सिचाई सुविधा	469	55	414	1%	344.68	1%
5	परंपरागत जल स्त्रोतों का पुर्ननवीनीकरण	2609	965	1644	7%	6910.60	10%
6	भूमि विकास	13129	4851	8278	35%	7822.53	12%
7	बढ़ नियंत्रण	249	104	145	1%	1307.27	2%
8	बारहमासी पहुंचमार्ग	8986	4112	4874	24%	22328.37	34%
9	अन्य स्वीकृत कार्य	1688	1643	45	5%	754.25	1%
योग		37058	17623	19435	100%	65833.59	100%

वर्श 2006–07 में व्यय की कार्यवार वित्तीय प्रगति को इस वृत चित्र में द ाया गया है–

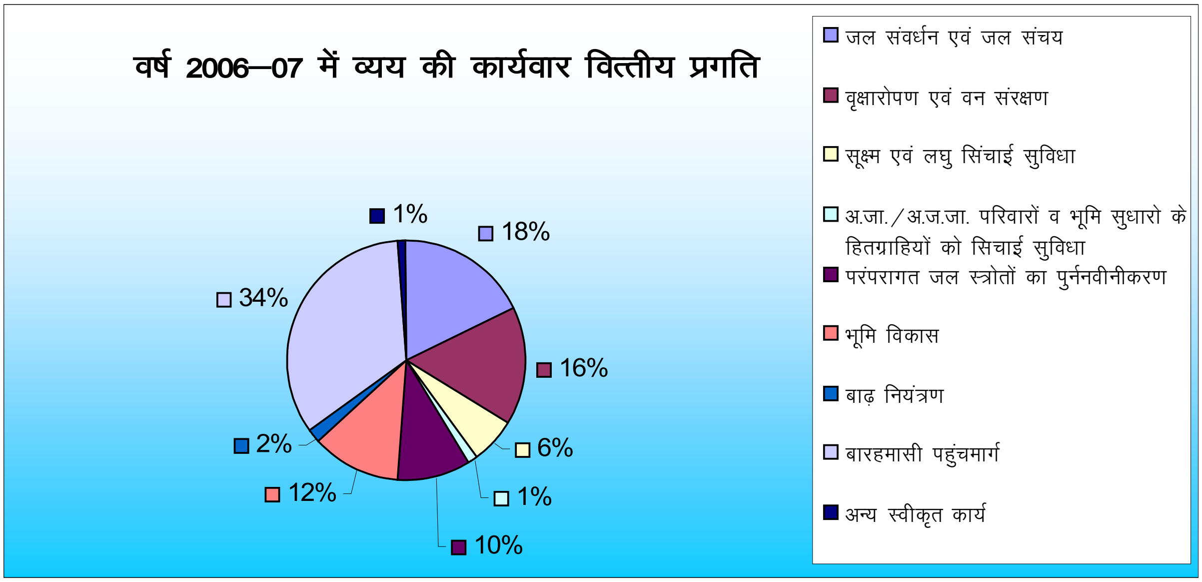

वर्श 2007–08 में कार्यवार भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–16.8 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.8

वर्ष 2007–08 में (माह मार्च, 2008 तक) कार्यवार भौतिक प्रगति

क्र.	कार्य की प्रकृति	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	कार्यो का प्रतिशत	कुल व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	जल संवर्धन एवं जल संचय	8924	4326	4598	11%	21195.42	15%
2	वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण	6311	4452	1859	7%	13127.61	10%
3	सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई सुविधा	2831	923	1908	3%	14717.61	11%
4	अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों व भूमि सुधारो के हितग्राहियों को सिचाई सुविधा	11755	8540	3215	14%	4103.57	3%
5	परंपरागत जल स्त्रोतों का पुर्ननवीनीकरण	9287	4282	5005	11%	19718.04	14%
6	भूमि विकास	25901	16268	9633	31%	16045.11	12%
7	बाढ़ नियंत्रण	501	234	267	1%	1620.85	1%
8	बारहमासी पहुंचमार्ग	18845	8537	10308	22%	46442.43	34%
	योग	84355	47562	36793	100%	136970.64	100%

वर्श 2007–08 में कार्यवार वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्शाया गया है–

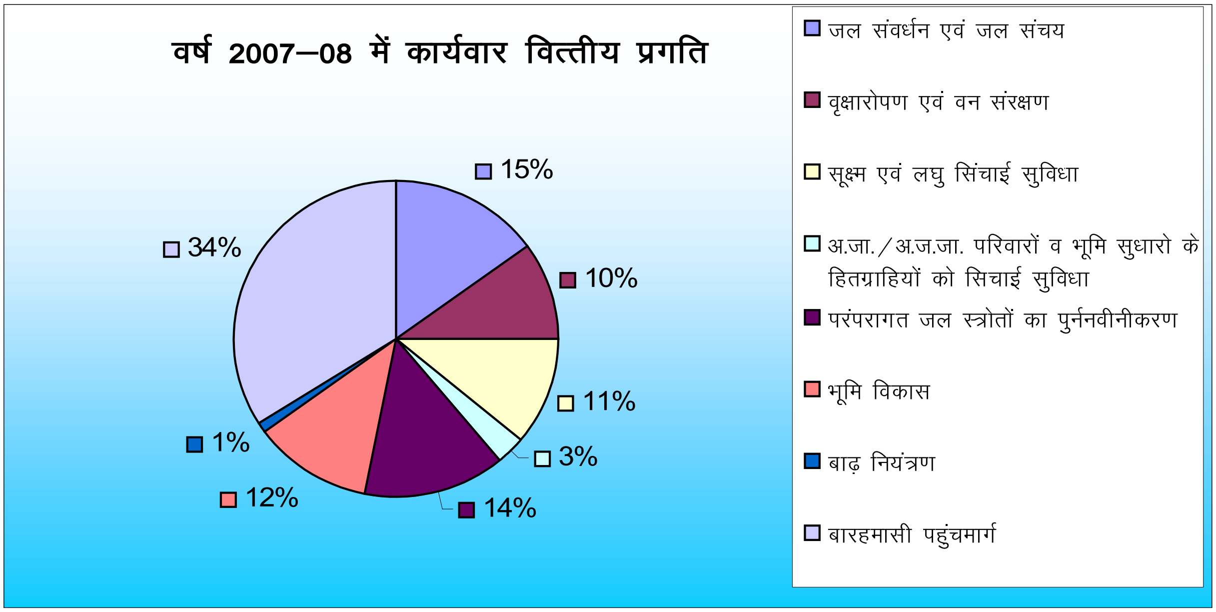

16.3 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)–

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके आय में वृद्धि हेतु बैंक लोन एवं शासन की ओर से अनुदान/सहायता उपलब्ध करावा है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान परियोजना के लागत का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह राशि अधिकतम 7,500 रू. होगी, परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 10,000 रू. होगी। स्वरोजगारी समूह के लिए अनुदान की राशि परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत हो सकेगा, जो 1.25 लाख से अधिक नहीं होगी। सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इस केन्द्र प्रवर्तित योजना मे केन्द्रांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 75:25 है।

योजना प्रारंभ से 2007–08 तक कुल 52,285 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है। वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक योजनांतर्गत कुल 2,09,664 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया है तथा आर्थिक गतिविधि हेतु राशि रू. 531.81 करोड़ का ऋण स्वसहायता समूह एवं स्वरोजगारियों को उपलब्ध कराया गया। इस अवधि मे कुल राशि रू. 291.85 करोड़ योजनान्तर्गत व्यय की गई।

कुल उपलब्ध राि ा/व्यय/ऋण प्रदान राि ा की प्रगति को तालिका क्र.–16.9 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–16.9

कुल उपलब्ध राि ा/व्यय/ऋण प्रदान राि ा की प्रगति

(राशि लाख रू. में)

वर्श	कुल उपलब्ध राि ा	व्यय	% व्यय	ऋण प्रदाय राशि
2001-02	3915.89	3887.9	99.29	7415.62
2002-03	3547.24	3510.7	98.97	7181.95
2003-04	3238.31	2975.32	91.88	6112.18
2004-05	4174.47	3863.97	92.56	7261.58
2005-06	4038.86	3740.3	92.61	7972.41
2006-07	4695.29	4677.29	99.62	7149.58
2007-08	6722.64	6529.53	97.13	10028.49
ोग;	**30332.7**	**29185.01**	96.22	**53121.81**
% वृद्धि	**71.68**	**67.94**	**-2.17**	**35.23**

कुल उपलब्ध राि ा/व्यय/ऋण प्रदान राि ा की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

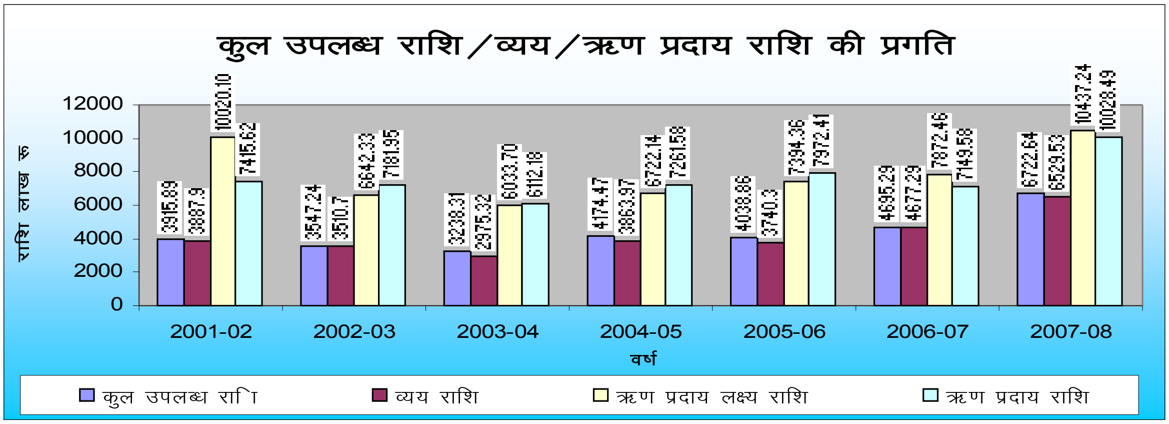

कुल लाभान्वित स्वरोजगारों की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

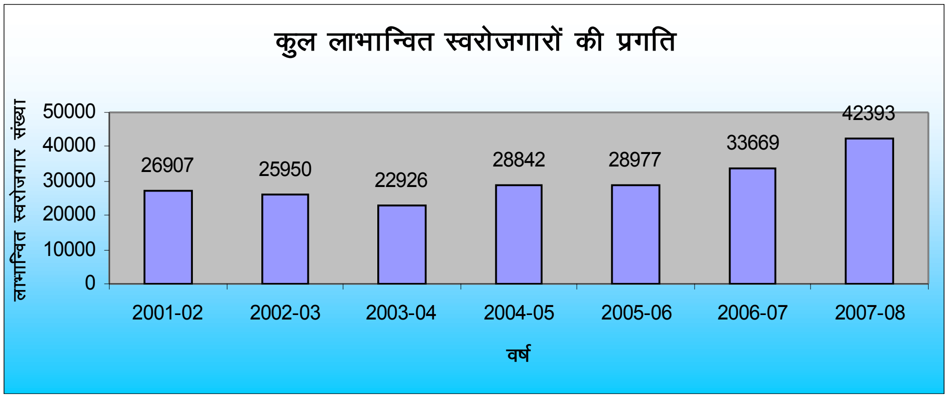

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि कुल लाभान्वित स्वरोजगारों की संख्या जो वर्श 2001—02 में 26,907 थी बढ़कर 2007—08 में 42,393 हो गयी।

आर्थिक गतिविधि में संलग्न स्वसहायता समूह की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है—

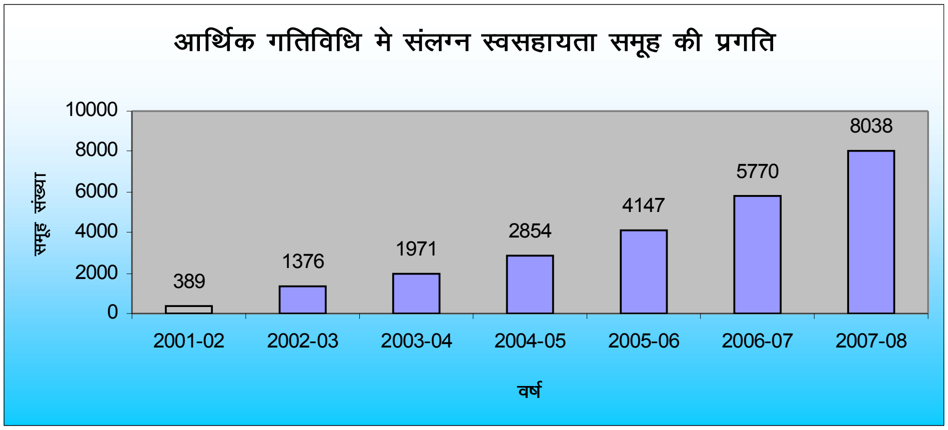

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि आर्थिक गतिविधि में संलग्न स्वसहायता समूहों की संख्या जो वर्श 2001—02 में 389 थी बढ़कर 2007—08 में 8,038 हो गयी।

वर्गवार लाभान्वित स्वरोजगार प्रति ात की प्रगति को इस वृत चित्र में द ाया गया है—

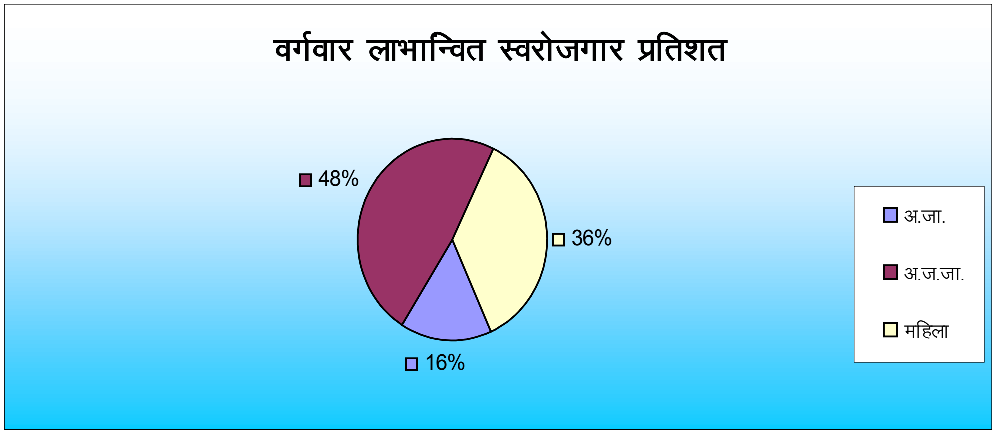

वृत चित्र से स्पश्ट होता है कि स्वरोजगार से 16 प्रति ात अ.जा., 48 प्रति ात अ.ज.जा. एवं 36 प्रति ात महिला वर्ग लाभान्वित हुआ।

16.4 आवास योजनाएँ : इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1985–86 से इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गयी। राज्य गठन के पश्चात इन्दिरा आवास योजना के साथ–साथ वर्ष 2001–02 से 2004–05 तक क्रियान्वित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। योजना अंतर्गत नवीन आवास के साथ–साथ आवास उन्नयन हेतु भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2004–05 से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत नवीन आवास हेतु रू. 25,000 तथा आवास के उन्नयन हेतु रू. 12,500 का अनुदान का प्रावधान है। राज्य गठन के वर्ष से 2007–08 तक कुल रू. 365.08 करोड़ की राशि व्यय की गई है एवं 1,38,385 नवीन आवास निर्माण तथा 46,651 आवासों का उन्नयन कार्य कराया गया हैं। योजनांतर्गत कुल 1,85,036 परिवार लाभान्वित हुए।

इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की प्रगति को तालिका क्र.–16.10 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.10

इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि लाख रू. में)

वर्श	योजना का नाम	पूर्व अव ेश ा सहित अन्य प्राप्तियां	वर्ष मे प्राप्त आबंटन		कुल उपलब्ध रा ि ा	व्यय	नवीन आवास निर्माण	आवास उन्नयन	लाभान्वित परिवार
			केन्द्रांश	राज्यांश					
00–01	इंदिरा आवास	931.98	2129.14	630.74	3691.86	3174.71	12089	5688	17777
01–02	इंदिरा आवास	420.26	2011.38	627.49	3059.13	2796.40	15255	7741	22996
	प्रधानमंत्री ग्रामोदय	-	646.80	-	646.80	604.33	1829	773	2602
02–03	इंदिरा आवास	347.51	2027.88	740.36	3115.75	2923.19	10978	5277	16255
	प्रधानमंत्री ग्रामोदय	33.11	690.80	-	723.91	723.91	2279	-	2279
03–04	इंदिरा आवास	263.02	2353.51	791.70	3408.23	3068.27	12343	5959	18302
	प्रधानमंत्री ग्रामोदय	180.43	549.60	-	730.03	691.37	2014	3994	6008
04–05	इंदिरा आवास	413.11	2984.87	998.09	4396.07	3982.75	13613	6521	20134
	प्रधानमंत्री ग्रामोदय	20.09	549.59	-	569.68	483.32	1024	-	1024
05–06	इंदिरा आवास	334.87	3669.71	1249.57	5254.15	5043.71	17646	8932	26578
06–07	इंदिरा आवास	241.37	4011.27	1337.03	5589.67	5334.44	20598	220	20818
07–08	इंदिरा आवास	598.79	5464.63	1826.00	7889.42	7681.61	28717	1546	30263
योग		**3784.54**	**27089.18**	**8200.98**	**39074.70**	**36508.01**	**138385**	**46651**	**185036**

कुल उपलब्ध राि ा/व्यय की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्ााया गया है–

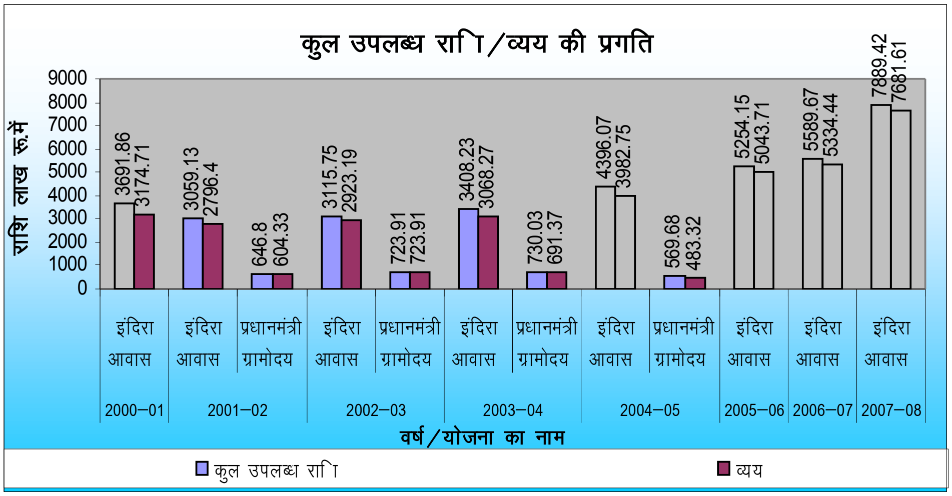

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में उपलब्ध राि ा रू. 3691.86 लाख के विरूद्ध रू. 3174.71 लाख व्यय किये गये जो बढ़कर 2007–08 में रू. 7889.42 लाख के विरूद्ध रू. 6681.61 लाख व्यय हो गये।

नवीन आवास निर्माण की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्ााया गया है–

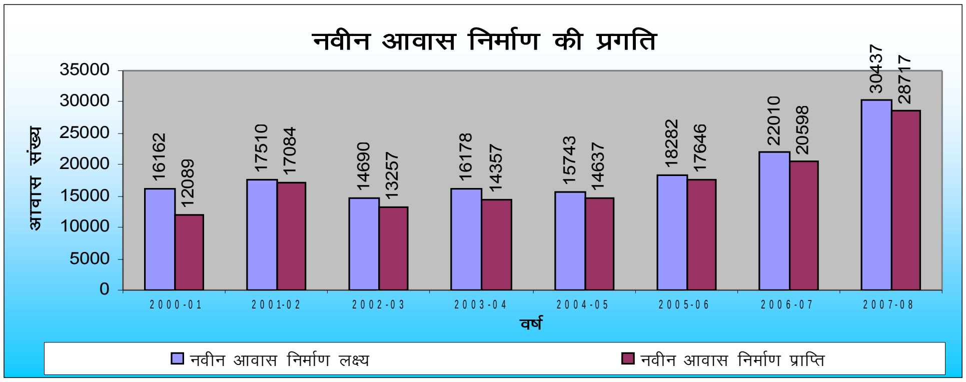

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि नवीन निर्मित आवासों की संख्या जो वर्श 2001–02 में 12,089 थी बढ़कर 2007–08 में 28,717 हो गयी।

नवीन आवास निर्माण/आवास उन्नयन की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्ााया गया है–

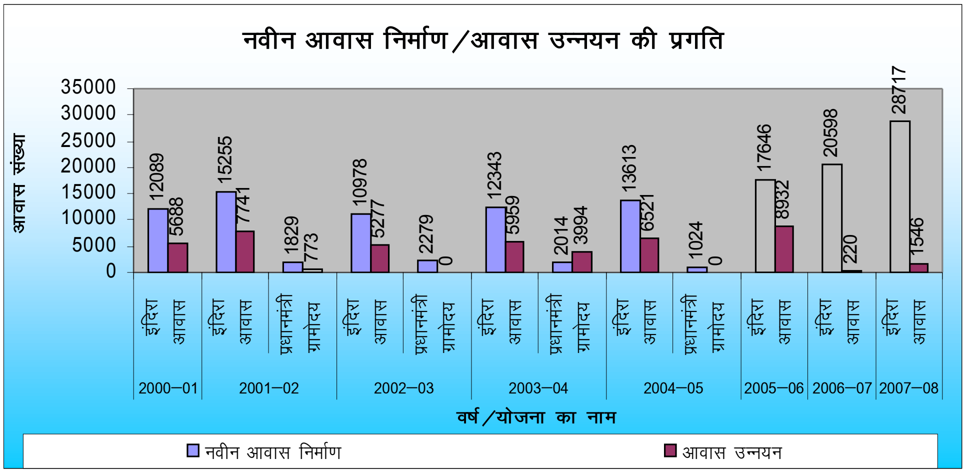

दण्ड आरेख के वि लेशण से स्पश्ट होता है कि 2007–08 तक कुल 1,38,385 नवीन आवासों का निर्माण एवं 46,651 आवासों का उन्नयन करवाया गया।

लाभान्वित परिवारों की प्रगति को इस वृत चित्र में द ाया गया है–

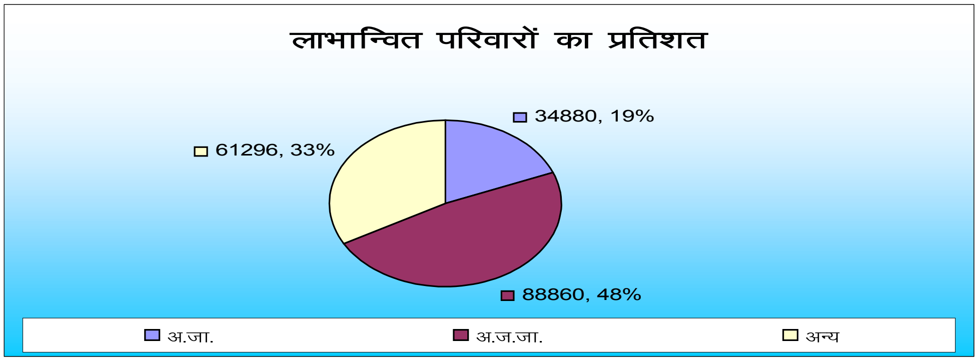

वृत चित्र से स्पश्ट होता है कि 19 प्रति ात अ.जा., 48 प्रति ात अ.ज.जा. एवं 33 प्रति ात अन्य परिवार लाभान्वित हुए।

16.5 राष्ट्रीय सम विकास योजना/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना–

पिछड़े एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों में समकेन्द्रित विकास कार्यक्रम एवं नीतियों को व्यवस्थित कर विकास में तेजी लाने के उद्दे य से योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राश्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत राज्य के आठ जिलों का चयन किया गया। प्रथम चरण (वर्श 2002–03) में जिला **बस्तर एवं दंतेवाड़ा,** द्वितीय चरण (वर्श 2003–04) में जिला **राजनांदगांव एवं कबीरधाम** तथा तृतीय चरण (वर्श 2004–05) में चार जिलों **बिलासपुर, कांकेर, सरगुजा एवं ज ापुर** को भाामिल किया गया।

यह योजना विकास गतिविधियों में भौतिक व सामाजिक अधोसंरचना के महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई, जिसके लिए जिला प्र ासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा त्रिवर्शीय मास्टर प्लान तैयार किया गया। योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले हेतु प्रति वर्श रू. 15.00 करोड़ के मान से तीन वर्शीय कार्ययोजना के कुल रू. 45.00 करोड़ की रा ि **वि ोश केन्द्रीय सहायता मद** से वित्त पोशण किए जाने का प्रावधान किया गया था। योजना में भाामिल सभी 8 जिलों हेतु 360.00 करोड़ का आबंटन प्राप्त हो चुका है। योजनान्तर्गत प्राप्त आबंटन के विरूद्ध अब तक रा ि रू. 333.24 करोड़ की राशि व्यय की गई है एवं 86,447 कार्य पूर्ण कराये गए हैं।

राष्ट्रीय सम विकास योजना की वित्तीय एवं भौतिक की प्रगति को तालिका क्र.–16.11 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.11

राष्ट्रीय सम विकास योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	वर्ष	पूर्व अवशेष	प्राप्त आबंटन	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2003-04	0	30.00	30.00	12.39	1098	37
2	2004-05	17.61	60.00	77.61	42.82	10481	2733
3	2005-06	34.79	97.50	132.29	93.06	12345	12304
4	2006-07	39.23	127.50	166.73	97.05	40363	30603
5	2007-08	69.68	45.00	114.68	87.92	41097	40770
	योग	**161.31**	**360.00**	**521.31**	**333.24**	**105384**	**86447**

कुल उपलब्ध रा ि ा/व्यय की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्ाया गया है—

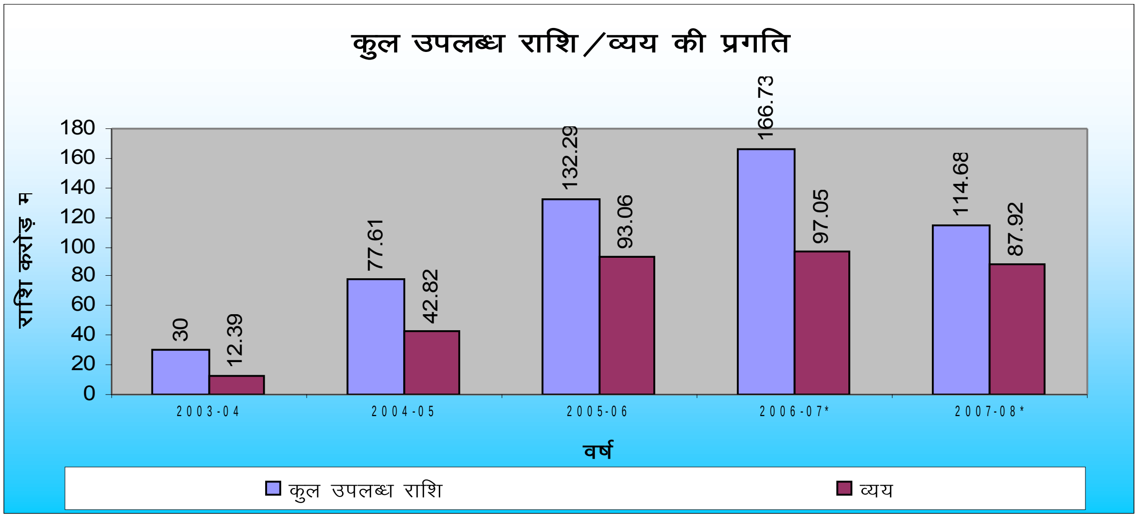

स्वीकृत कार्य/पूर्ण कार्य की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्ाया गया है—

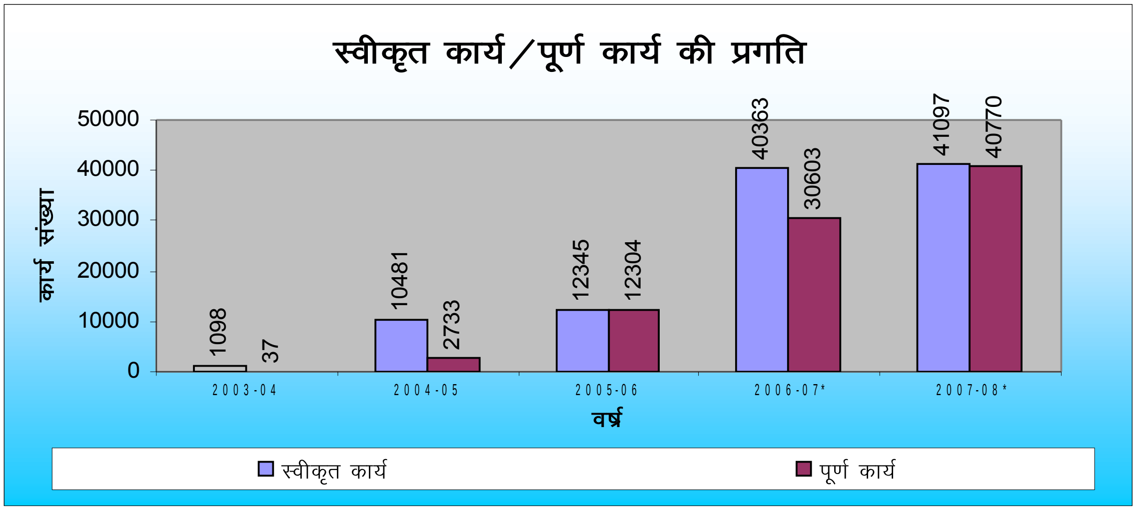

◁ 70 ▷

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत मदवार व्यय के प्रति ात को इस वृत चित्र में द ार्ाया गया है—

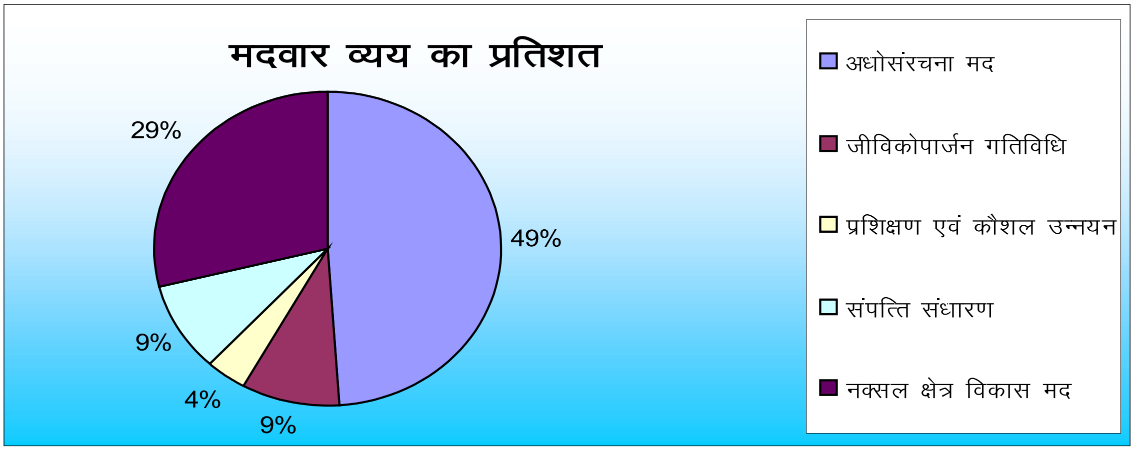

16.6 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (विकास मद)–

वर्ष 2006–07 से **राष्ट्रीय सम विकास योजना** के स्थान पर **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान** निधि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सम विकास योजना मे शामिल सभी 8 जिलों सहित 5 नये जिलों – कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं धमतरी कुल 13 जिले शामिल किये गए हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत विकास गतिविधियों के साथ–साथ पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं के क्षमता विकास एवं सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं के क्षमता विकास हेतु वर्ष 2006–07 मे 9.10 करोड़ का आबंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है तथा विकास कार्यो हेतु वर्ष 224.92 करोड़ का आंबटन प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध माह मार्च तक 118.53 करोड़ की राशि व्यय की गई है। योजनांतर्गत 25,499 कार्य स्वीकृत किये गए हैं।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (विकास मद) की वित्तीय एवं भौतिक की प्रगति को तालिका क्र.–16.12 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.12

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (विकास मद) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	वर्ष	पूर्व अवशेष	प्राप्त आबंटन	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	2007-08	-	224.9168	224.1968	118.53	25499	165

* आबंटन माह जनवरी 2008 में भारत सरकार से प्राप्त ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (क्षमता निर्माण) की वित्तीय एवं भौतिक की प्रगति को तालिका क्र.–16.13 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–16.13

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (क्षमता निर्माण) की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि रू. करोड़ में)

क्र.	वर्ष	पूर्व अवशेष	प्राप्त आबंटन	कुल उपलब्ध राशि	कार्य एजेन्सियों को जारी राशि	स्वीकृत कार्य	
						कार्य	लागत
1	2007-08	9.10	-	9.10	9.03	01 सेटकाम स्टूडियो 30 पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु प्रशिक्षण व अन्य	4.00 3.39 1.64

16.7 'नवा अंजोर' छ.ग.ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना –

छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना 'नवा अंजोर' विश्व बैंक की सहायता से राज्य के 16 जिलों के 40 विकासखण्डों की 2,023 ग्राम पंचायतों में जून 2004 से संचालित है। परियोजना की समयावधि 5 वर्ष की है, जो वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्रारंभ होकर वित्तीय वर्ष 2009–10 में समाप्त होगी। परियोजना अंतर्गत 1 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। यू.एस.डालर के वर्तमान मूल्य अनुसार परियोजना की कुल लागत रू. 431.85 करोड़ है, जिसमें माह अप्रैल 2008 तक राशि रू 235.78 करोड़ स्वीकृत की गयी है, जिसमें राशि रू. 164.69 करोड़ व्यय की गयी है।

परियोजना का उद्देश्य–

- साधन विहीन परिवारों के समूहों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय के स्त्रोतों में वृद्धि करना।
- ग्रामीण गरीब पुरूष एवं महिलाओं की क्षमता में विकास कर उनके लिये रोजगार की अधिक संभावनाएं उत्पन्न करना।
- समान हित समूहों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तरीय संस्थाओं को अधिक क्रियाशील बनाना।

परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब अनुसूचित जाति–जनजाति एवं विशेषकर महिलाओं तथा साधनविहीन परिवारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

योजना की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि–

योजनांतर्गत अप्रैल 2008 तक 20,613 समूहों की उपपरियोजना हेतु राशि रू. 169.62 करोड़ आर्थिक सहायता स्वीकृत करायी गयी है, ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास के 3,283 कार्य हेतु राशि रू. 61.95 करोड़ तथा भवन विहीन 193 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु राशि रू. 4.83 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई।

जिलावार समहित समूह कार्य संख्या की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

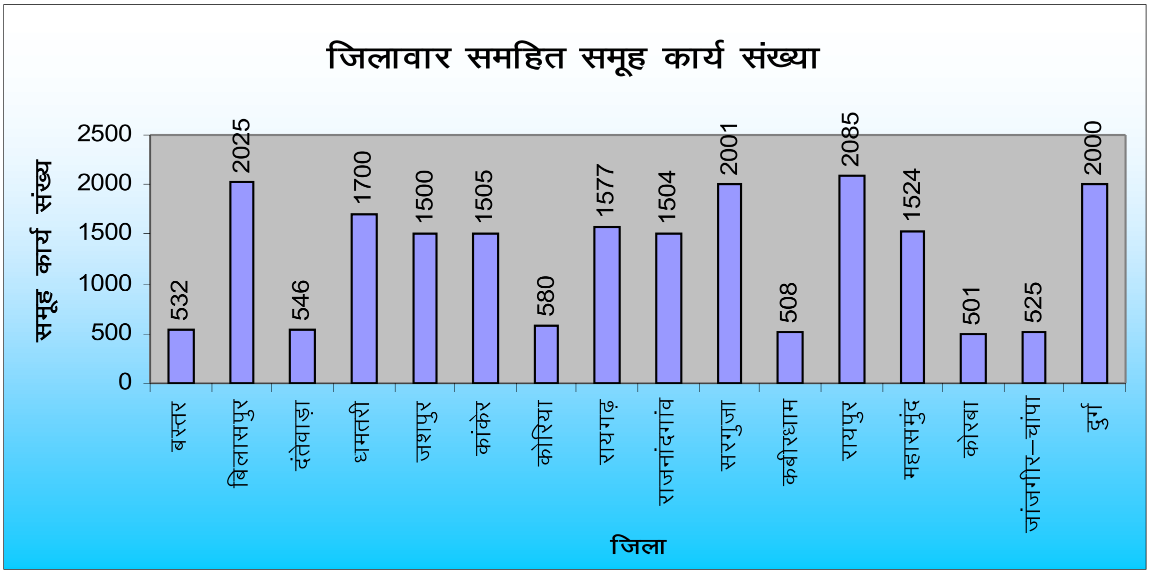

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से संबंधित उपलब्धियाँ–

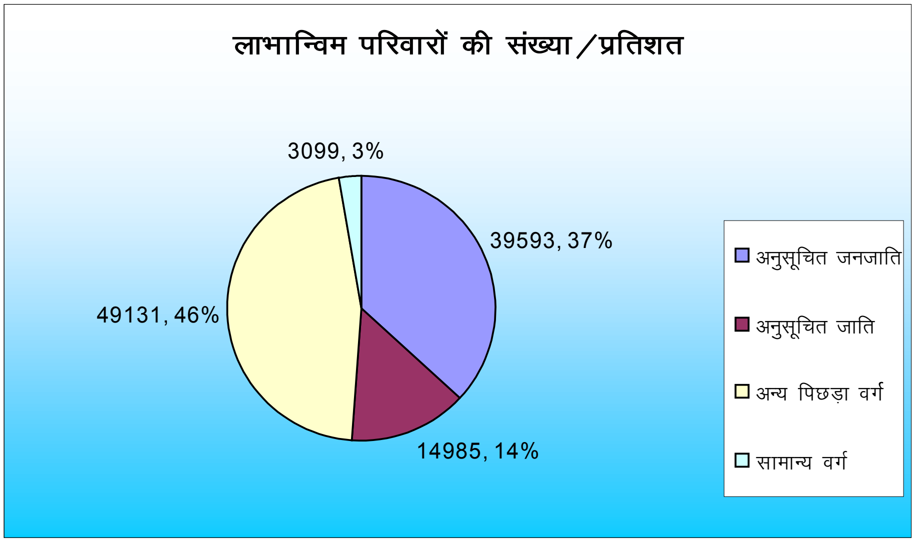

समहित समूह परियोजनांतर्गत 20,613 समूहों के माध्यम से 1,06,808 लाभान्वित परिवारों में 14,985 अनुसूचित जाति 39,593 जनजाति 49,131 अन्य पिछड़ा वर्ग 3,099 सामान्य वर्ग के हैं। परियोजनांतर्गत लाभान्वित होने वाले परिवारों में अधिकांश रोजगार के अभाव में पलायन कर जाते थे जो अब स्थानीय संसाधनों एवं परियोजना द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से कृषि आधारित, दुग्ध एवं पशुपालन, परम्परागत एवं कुटीर व्यवसाय तथा लघु व्यवसाय संबंधी गतिविधियां संचालित कर परिवार की आर्थिक विकास में लगे हुए हैं।

महिला वर्ग से संबंधित उपलब्धियाँ–

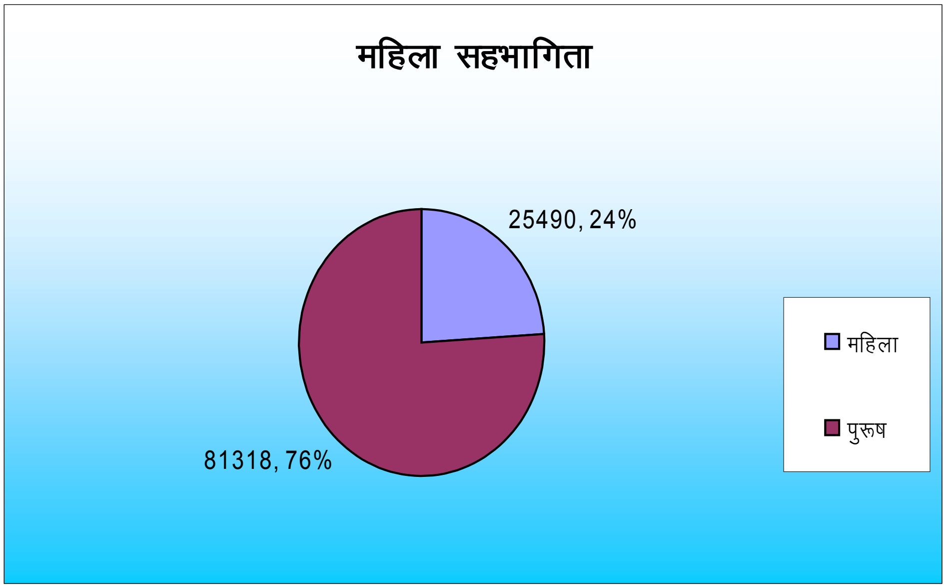

परियोजनांतर्गत कुल 25,490 महिला मुखिया परिवार लाभान्वित हुए है। महिलाओं द्वारा मुख्यतः बड़ी–पापड़ निर्माण, वनोपज संग्रहण एवं विक्रय, गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कोसा धागा बुनाई तथा सब्जी क्रय–विक्रय का कार्य किया जाकर अपने परिवारों की आर्थिक विकास में सहभागी बनी हुई है।

16.8 छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान–

राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों की कमी दूर करने एवं पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास की गतिविधियों को सुदृढ एवं सशक्त बनाने एवं ग्राम सभाओं को स्थानीय शासन के रुप में सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के नवनिर्मित भवन परिसर का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 30 अप्रैल 2005 में किया गया।

संस्थान का उद्देश्य :–

- चुने हुये जनप्रतिनिधियों को पंचायत राज अधिनियमों, पंचायतों के कामकाज, संचालन प्रक्रिया, विकास की अवधारणा, योजना एवं बजट, शासन की योजनायें, शासकीय कार्यालयों में उनकी कार्यप्रणाली, नेतृत्व एवं कौशल का ज्ञान कराना।
- शासन द्वारा जारी नई नितियों, दिशा निर्देशों, नियमों, अधिनियमों में संशोधन, अधिकारों, कर्तव्यों व शक्तियों का विकेन्द्रीकरण समय–समय पर किया जाता रहा है, इनकी मूल योजना को साकार करने एवं वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग करने, इसकी क्रियान्वयन एजेन्सी (शासकीय पदाधिकारियों) को पूर्णतः जानकारी देना एवं उनकी कार्यकौशल क्षमता में वृद्वि करना।
- पंचायती राज प्रणाली से जुड़े समस्त कार्यो (शासकीय एवं गैर शासकीय पदाधिकारियो) को आवश्यक सूचना, ज्ञान तथा अभिप्रेरणा उपलब्ध कराकर स्थानीय स्वशासन को अवधारणा को सक्षम बनाना।

तालिका क्र.–16.14

संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण की वर्षवार संक्षिप्त जानकारी

क्र.	अकादमिक वर्ष	कुल सत्र संख्या	कुल उपस्थित प्रतिभागी
1	2002–03 (1 नवम्बर 2002 से प्रारंभ)	21	466
2	2003–04	77	2040
3	2004–05	118	4248
4	2005–06	156	4956
5	2006–07	136	4010
6	2007–08 (31 मार्च 2008 तक)	282	10,501
*	प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा क्लस्टर में आयोजित प्रशिक्षण	129	6355

- संस्थान द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा क्लस्टर में आयोजित प्रशिक्षण (एस.जी.एस.वाई., रोजगार गारण्टी, हुडको चेयर, जलग्रहण परियोजना)

संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण की वर्षवार सत्र संख्या की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्शया गया है–

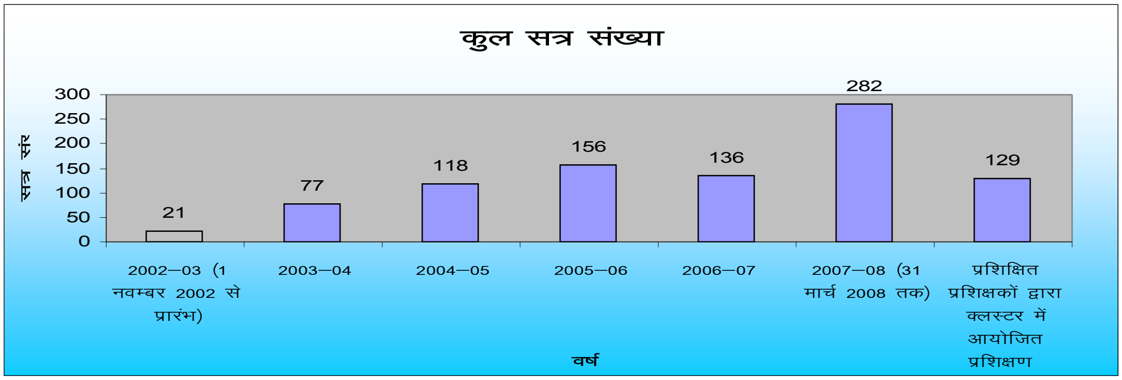

संस्थान में आयोजित प्रशिक्षणों में कुल उपस्थित प्रतिभागियों की वर्षवार प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्शया गया है–

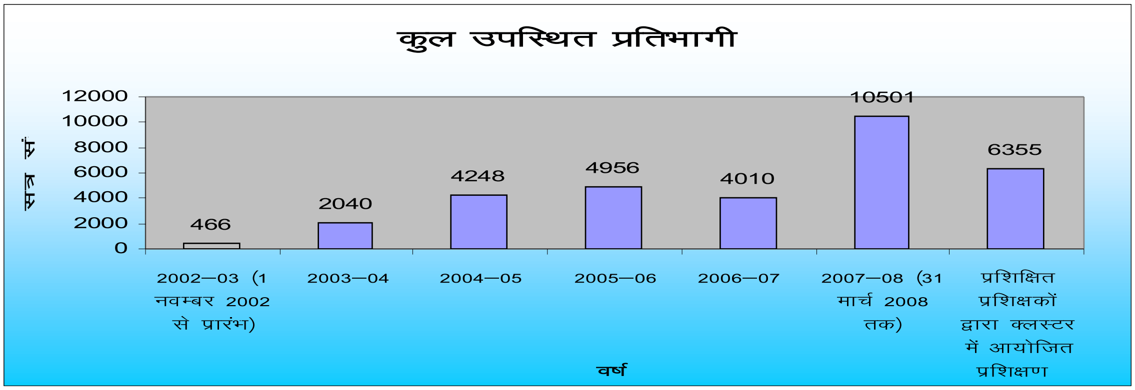

तालिका क्र.—16.15

संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी (2007—08)

क्र.	**प्रशिक्षण विषय**	**कुल सत्र संख्या**	**कुल उपस्थित प्रतिभागी**
1	एस.जी.एस.वाई.	19	791
2	एस.जी.आर.वाई	1	22
3	रोजगार गारंण्टी	31	1330
4	पंचायत राज	92	3464
5	बजट लेखा	8	163
6	वाटरशेड (हरियाली)	28	887
7	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	3	61
8	डी.पी.आर.पी.	4	144
9	हुडको (नगरीय निकाय)	20	489
10	अन्य (Venue)	23	1249
11	टी.एस.सी.	7	171
12	एन.आई.आर.डी. (ऑफ कैम्पस)	8	265
13	UNDP	3	28
14	BRGF	35	1437
	योग	**282**	**10,501**
संस्थान द्वारा प्रशिक्षित, प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित क्लस्टर में अन्य प्रशिक्षण			
1. रोजगार गारंण्टी योजना (क्लस्टर)		96	5445
2. वाटरशेड हरियाली		5	144
3. हुडको (नगरीय निकाय)		19	405
4. एस.जी.एस.वाय.		9	361
	योग	**129**	**6355**

16.9 पुरा वि ेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण—

राश्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की परिकल्पना के अनुसार "पुरा" (PURA) योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य भाासन द्वारा सर्वप्रथम पहल की गई । पुरा का तात्पर्य है **Providing Urban Amenities in Rural Areas** अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में भाहरी सुविधाऍ उपलब्ध करना। यह ग्रामीण विकास की स क्त एवं नवीन पहल है जिसमें कुछ ग्रामों के समूह को रिंग रोड़ से जोड़ते हुए आधुनिक सुविधाऍ उपलब्ध कराना है जिससे ग्रामाद्य ोग एवं कृशि उत्पाद को आसानी से अधिक लाभ प्रदान करते हुए विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध हो सके। इस परियोजना का भुभारंभ नवम्बर .2006 को राश्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम द्वारा ग्राम बकतरा में किया गया । इस परियोजना को प्रदे ा के अन्य ग्रामों के समूह में भी लागू किये जाने की योजना है।

- **पुरा वि ोश क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन–**

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नवम्बर 2006 को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम, 1973 की धारा 65 की उपधारा (1) के अंतर्गत पुरा वि ोश क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है कलेक्टर, रायपुर जिसमें पदेन अध्यक्ष हैं।

- **पुरा वि ोश क्षेत्र में भाामिल क्षेत्र–**

छत्तीसगढ़ भाासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2006 द्वारा आरंग तहसील के 17 ग्रामों को भाामिल करते हुए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम, 1973 की धारा 64 के अंतर्गत पुरा वि ोश क्षेत्र का गठन किया गया है। इसके प चात् 05 ग्रामों को नया रायपुर वि ोश क्षेत्र से विलोपित करते हुए पुरा वि ोश क्षेत्र में भाामिल किया गया है। इस तरह आरंग पुरा वि ोश क्षेत्र में रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के 23 ग्राम भाामिल हैं।

- **संचालित योजनाऍ एवं गतिविधियॉ–**

पुरा वि ोश क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में अधिसूचित 23 ग्रामों को रिंग रोड़ से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इन ग्रामों में पेयजल, स्वच्छ भौचालय, मार्ग निर्माण इत्यादि अद्य ोसंरचनाओं का विकास करते हुए ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना है। जिसके अंतर्गत निम्नालिखित कार्य प्रगति पर हैं–

तालिका क्र.–16.16

"पुरा" क्षेत्र हेतु कार्य प्रगति

क्र.	कार्य	संख्या
1	उचित मूल्य दुकान का निर्माण	06
2	मुक्ति धाम भोड निर्माण	18
3	किचन भोड	07
4	कांजी हाऊस भवन	09
5	निर्मला घाट का निर्माण	22
6	सामुदायिक भवन का निर्माण	07
7	सी.सी.रोड़ का निर्माण	22 कि.मी.
8	आंगन बाड़ी भवन	16
9	प ु औशाधालय	02
10	उप स्वास्थ्य केन्द्र	03
11	हैण्ड पम्प	13

उपरोक्त कार्य के साथ ही यातायात सुविधा की दृश्टि से रिंग रोड़ पर बसों का संचालन भी किया जा रहा है।

पंचायत अनुभाग

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 के अधीन प्रदेश में 16 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत एवं 9820 ग्राम पंचायत स्वशासन के रूप में स्थापित हैं। संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप समस्त आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यो (संविधान की 11 वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन उक्त पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा हैं। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाकर ग्राम सभा को अधिक स ाक्त बनाया गया। पंचायतों के कार्यदायित्व, अमला एवं वित्तीय व्यवस्था का मानचित्रण किया जाकर इन्हें सशक्त तथा अधिकार संपन्न बनाया गया। राज्य में चयनित पंचायत पदाधिकारियों का विवरण तालिका क्र.–16.17 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–16.17

प्रदेश में पंचायत पदाधिकायों का विवरण

क्र.	पंचायत	पदाधिकारी	पुरूष					महिला				
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. वर्ग	सामान्य	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. वर्ग	सामान्य	योग
1	थ्जला	अध्ययक्ष–16	1	4	3	2	10	1	3	1	1	6
		सदस्य–305	23	76	37	66	202	12	41	16	34	103
2	जनपद	अध्ययक्ष–146	7	61	10	17	95	4	32	5	10	51
		सदस्य–2831	214	763	286	614	1877	91	401	144	318	954
3	ग्राम	सरपंच–9820	576	3638	837	1487	6538	288	1830	418	746	3282
		पंच–147430	11314	39845	13746	32762	97667	5022	20239	6991	17511	49763

पंचायतों के उपबंधों का (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत् प्रदेश में 7 जिले पूर्णत: एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इस क्षेत्र में 85 जनपद पंचायतों का कार्य क्षेत्र है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम आम चुनाव जनवरी, 2005 में निर्विघ्न संपन्न हुए । ग्रामीण सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु 747 नये ग्राम पंचायतों का गठन।

पंचायत निर्वाचन के तत्काल बाद पंचायत पदाधिकारीयों को उनके कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु कामकाज संचालन प्रकिया, बजट एवं लेखा संधारण, योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, क्षमता उन्नयन आदि के लिये पंचायत सचिव प्रि ाक्षण केन्द्रों एवं जिला/जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस उददे य से रूपये 6 करोड़ की लागत से **छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान** (SIRD) की स्थापना की गई हैं जिसमें 599 प्रशिक्षण सत्रों में 20,469 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। तथा 4 पंचायत सचिव प्रि ाक्षण केन्द्र कम ाः–पंचायत राज प्रि ाक्षण केन्द्र बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, सरगुजा में अब तक 2,831 पंचायत सचिवों तथा 93,320 पंचायत पदधारियों को प्रशिक्षण दिया गया हैं।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में बुनियादी सुविधाएं जुटाने हेतु, पंचायत राज संस्थाओं को दायित्व सौंपा गया। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास मूलक विभिन्न कार्य किये जाते हैं जिनसे गॉवों में बुनियादी सुविधाएं सुलभ होती हैं। पंचायतों के विकास कार्यो हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समय–समय पर पंचायतों का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य गठन के उपरान्त प्रदेश में 11वें एवं 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा प्रभावशील हुई तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को आधार माना गया।

16.10 राज्य निर्माण से अब तक योजनाओं की प्रगति–

नव गठित राज्य होने के बावजूद प्रदे ा की ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न विकास मूलक कार्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार एवं प्रदे ा की पंचायत राज संस्थाएं अग्रसर हुई। इनके द्वारा संचालित कार्यों को तालिका क.–16.17 में द ााया गया है–

तालिका क.–16.17

पंचायतों हेतु स्वीकृत कार्यो की प्रगति

क.	कार्य का नाम	2000–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	07–08	योग
1	ग्राम पंचायत भवन	399	215	169	464	1188	481	52	2968
2	आंगनबाडी भवन	259	108	218	314	558	106	231	1794
3	हाई. / हायर से. स्कूल भवन	187	48	44	42	0	0	125	446
4	जनपद पंचायत नवीन/ मरम्मत/ उन्नयन	0	0	0	0	0	142	0	142
5	सामुदायिक भवन	0	0	0	0	0	0	1002	1002
6	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन	58	14	27	179	0	9	186	473
7	सद्भावना भवन	0	0	36	33	0	0	0	69
8	मिनी स्टेडियम निर्माण	0	0	0	0	61	0	0	61
9	निर्मलाघाट	0	0	0	0	0	0	597	597
10	उचित मूल्य दुकान	0	0	0	0	0	0	736	736
11	मुक्तिधाम	0	0	0	0	0	0	340	340
12	प्रवेश द्वार एवं परिचय पट्टिका	0	0	0	0	0	0	47	47
13	तलाब गहरीकरण एवं निर्मलाघाट निर्माण	0	0	0	0	0	0	113	113
14	व्यवसायिक परिसर निर्माण,(अटल बाजार)	0	0	0	0	0	0	74	74
15	हमारा छत्तीसगढ़ योजना अन्तर्गत पर्यटन मंडल में निर्माण कार्य	0	0	0	0	0	0	114	114
16	कांजी हाऊस	0	0	0	0	0	0	539	539
17	सी.सी.रोड	0	0	0	0	0	0	2780	2780
	महायोग –	903	385	494	1032	1807	738	6936	12295

पंचायतों द्वारा वार्शिक स्वीकृत कुल कार्यों को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

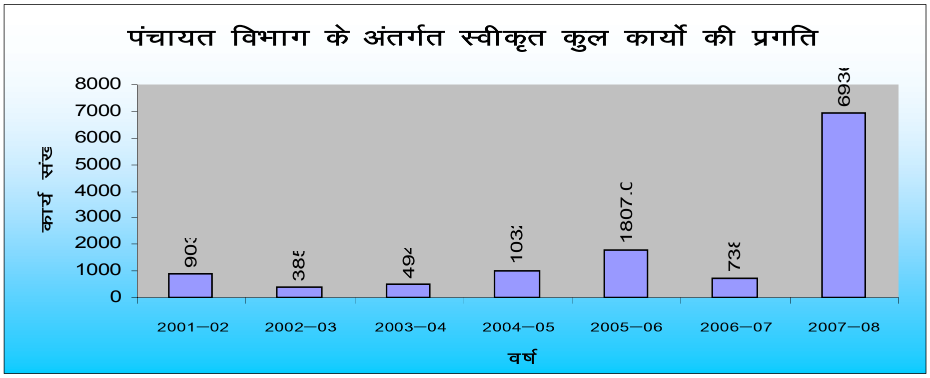

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने से लेकर वर्ष 2007–08 तक कुल 12,295 निर्माण कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं। प्रदेश में पंचायत अनुभाग के अन्र्तगत उपलब्ध आंबटन एवं अद्योसंरचना निर्माण में प्रगति हुई है, जो अपने आप पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से की जा रही प्रगति को दर्शाता है।

पंचायतों द्वारा क्रियान्वित वि ोश योजनाएं एवं विकास–

- छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के जन्म स्थान का चयन कर उसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जावेगा। अब तक **छत्तीसगढ़ गौरव** योजनान्तर्गत 48 ग्रामों का चयन किया जा चुका है जिसमें से रू. 8.37 करोड़ के 722 कार्य पूर्ण।

- प्रदेश में पुरातत्व महत्व के स्थलों में अधोसंरचना का विकास किया जावेगा। अब तक **हमारा छत्तीसगढ़** योजनांतर्गत 98 स्थलों का चयन किया गया है जहां 21.95 करोड़ रू. की लागत से 986 कार्य पूर्ण।

- ग्रामीण अंचल में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 5 एकड भूमि उपलब्ध होने पर उसको **इन्द्रप्रस्थ (उन्मुक्त खेल मैदान) योजनान्तर्गत** खेल के मैदान (मिनी स्टेडियम) के रूप में विकसित किया जा रहा है। 61 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 55 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

- ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत राज्य बजट से रू. 160 करोड़ का प्रावधान कर अब तक 4518 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

- **गृहलक्ष्मी योजनांतर्गत** बी.पी.एल. परिवारों को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा प्रदाय योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले 32,472 परिवारों को **निःशुल्क गैस कनेक्शन एवं चूल्हा** प्रदाय किया गया।

- प्रत्येक ग्राम के निस्तारी तालाबों में महिलाओं के लिये पृथक से घाट **(निर्मला घाट)** तैयार किया जा रहा है। निस्तारी तालाबों में महिलाओं के लिये रू. 117.33 करोड़ की लागत से 9,338 घाटों के निर्माण कार्य पूर्ण।

- ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थित शमशान घाट **(मुक्तिधाम)** में दो शेड का निर्माण कर उन्नयन किया जाना है। श्मशान घाट के उन्नयन के 1,356 कार्य लागत रू. 17.86 करोड़ के पूर्ण।

- ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों के आंतरिक मुख्य मार्ग को सीमेंट रोड में परिवर्तित करने का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में

किया जा रहा है। गांवों के आंतरिक मुख्य मार्ग को सीमेंट कांक्रीट रोड में परिवर्तित करने के कुल 13,080 कार्य रू. 253.30 करोड़ की लागत से **मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक सड़क योजनान्तर्गत** पूण किये गये।

- विकास खंड मुख्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वहां ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत **सद्भावना भवन** निर्माण किया जाना है । सद्भावना भवन निर्माण हेतु स्वीकृत 69 कार्यों के लिए रू. 16.45 करोड़ की स्वीकृती जारी की गई। इसमें से 64 सद्भावना भवनों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- ग्राम के 02 हेक्टेयर से अधिक पड़त भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु **केशवकुंज योजनान्तर्गत** वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने हेतु पंचायत वानिकी योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत गांवों में स्वस्थ पर्यावरण विकसित करने हेतु शासकीय भूमि में उद्यानों के विकास के 3,475 कार्य लागत रू. 21. 61 करोड़ के पूर्ण।

- गांव में गौठानों को पत्थर एवं मुरम से पक्का करने का कार्य **वृन्दावन (गौठान) योजना** ग्रामीण क्षेत्रो में 2,521 कार्य लागत रू. 32.05 करोड़ के पूर्ण।

- ग्रामीण क्षेत्रों में फसल की सुरक्षा एवं पंचायतों की आयवृद्वि हेतु संचालित **कांजी हाऊस निर्माण** योजनान्तर्गत रू. 5.33 करोड़ की लागत से 421 कार्य पूर्ण। प्रदेश में 9,820 **कांजी हाऊस** की स्थापना की गयी।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज के भंडारण हेतु उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायतों के माध्यम से संचालित किये जाने की **दुकान सह गोदाम** योजनान्तर्गत रू. 39.81 करोड़ की लागत के 2,025 निर्माण कार्य पूर्ण।

- छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना के अंतर्गत रू. 32 करोड़ का प्रावधान कर अब तक 1,271 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये है।

- परम्परागत व्यवसायों यथा नाई, धोबी आदि के लिए 2,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों में 4000 दुकान निर्मित कराने का लक्ष्य। अब तक 1,073 दुकान निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं।

- वर्ष 2007–08 में 1,002 सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया गया है।

- वर्ष 2007–08 में 74 व्यवसायिक परिसरों (अटल बाजार) का निर्माण करवाया गया है।

- समस्त ग्राम पंचायतों में **स्वामी आत्मांनद वाचनालय** की स्थापना का लक्ष्य हैं।

- बीस करोड़ से अधिक रतनजोत पौधरोपण किया गया है।

- राज्य बनने से वर्ष 2007–08 तक हाई/हायर से. स्कूल भवन एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में द ार्शाया गया है –

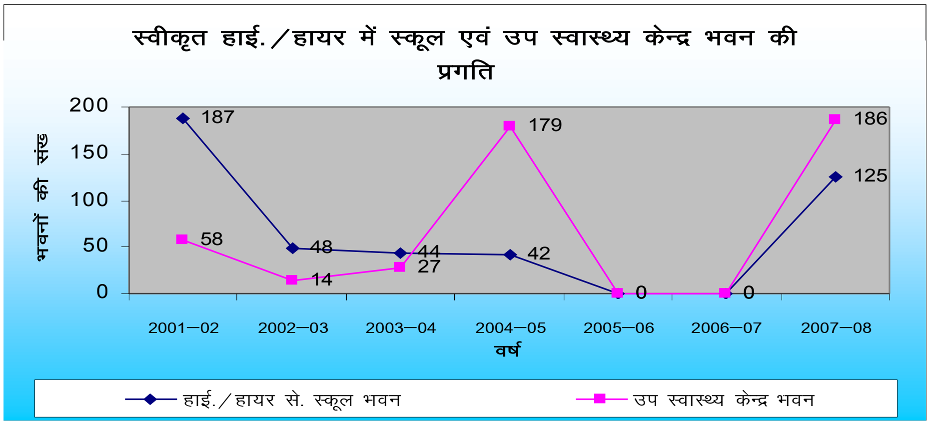

राज्य बनने से वर्ष 2007–08 तक कुल 446 हाई/हायर से. स्कूल भवन एवं 473 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया गया है ।

- राज्य बनने से वर्ष 2007–08 तक ग्राम पंचायत भवनों एवं आंगनबाडी भवनों के निर्माण की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में द ाौया गया है –

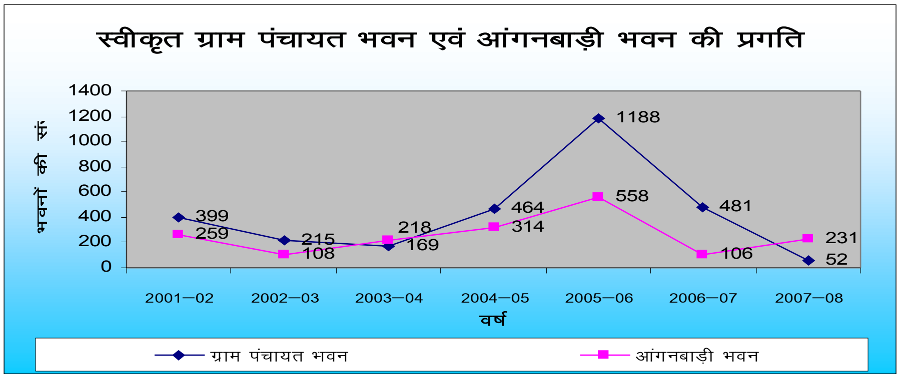

राज्य बनने से वर्ष 2007–08 तक कुल 2,968 ग्राम पंचायत भवनों एवं 1,794 आंगनबाडी भवनों का निर्माण करवाया गया।

- प्रदेश के भवन विहिन जिला पंचायत/जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के लिए भवन व्यवस्था की गई है। 3 जिला पंचायत भवन निर्माण पूर्ण तथा 142 जनपद पंचायत भवनों का निर्माण/मरम्मत एवं उन्नयन वर्ष 2006–07 में करवाया गया ।

11वां वित्त आयोग–

11वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों में निम्नलिखित अधोसंरचना निर्माण किया गया है–

▪ ग्राम पंचायत सह उचित मूल्य की दुकान	633
▪ पूर्व माध्यमिक भााला भवन	277
▪ आंगनबाड़ी भवन	532
▪ उपस्वास्थय केन्द्र भवन	207
▪ सामुदायिक भवन (सद्भावना भवन)	69
▪ विद्युतविस्तार	759
▪ पुल–पुलिया निर्माण	157
▪ हाट बाजार चबूतरा	181
▪ गली कांक्रीटीकरण निर्माण कार्य	501
▪ अन्य कार्य	590

- ई–पंचायत योजनान्तर्गत 16 जिले एवं 146 जनपंद पंचायतों को व्ही सेट से जोड़ा गया।

12वां वित्त आयोग–

12वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों में निम्नलिखित अधोसंरचना निर्माण कराया जा रहा है–

- ग्राम पंचायत भवन सह उचित मूल्य दुकान निर्माण के अंतर्गत 1,687 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
- आंगनबाडी भवन निर्माण अंतर्गत 711 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
- उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण के 92 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
- रू. 5.75 करोड़ की लागत से 46 हाई स्कूल निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
- कांजी हाऊस भवन निर्माण योजनांतर्गत 102 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
- राशि रू. 6.84 करोड़ की लागत से 342 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत स्वच्छ शौचालय की प्रगति–

वर्ष 2005–06 में कुल 1,19,873 ए.पी.एल परिवारों हेतु एवं 1,69,170 बी.पी.एल. परिवारों हेतु स्वच्छ भौचालयों का निर्माण करवाया गया। वर्ष 2006–07 में कुल 3,49,748 ए.पी.एल. परिवारों हेतु एवं 1,50,000 बी.पी.एल. परिवारों हेतु स्वच्छ भौचालयों का निर्माण करवाया गया। वर्ष 2007–08 में कुल 1,28,346 ए.पी.एल परिवारों हेतु एवं 3,00,000 बी.पी.एल. परिवारों हेतु स्वच्छ भौचालयों का निर्माण करवाया गया। कुल 5,97,967 ए.पी.एल परिवारों हेतु एवं 6,19,170 बी.पी.एल. परिवारों हेतु स्वच्छ भौचालयों का निर्माण करवाया गया।

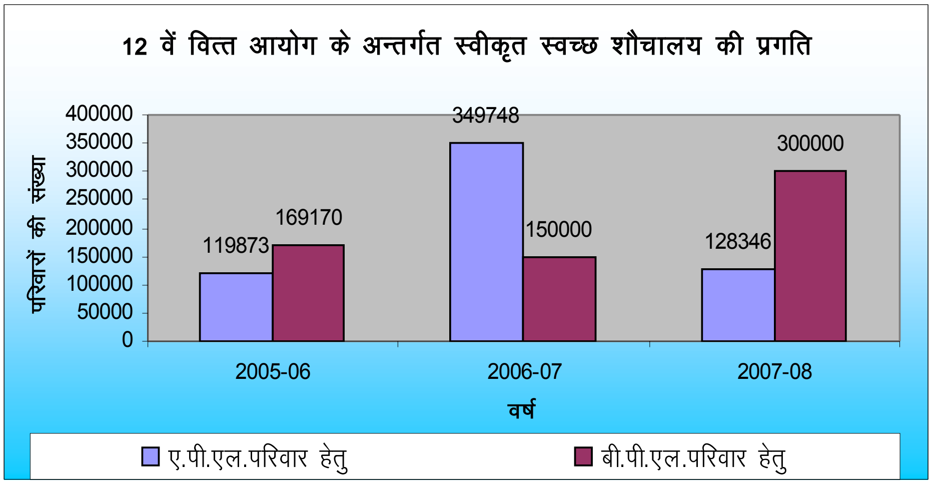

शिक्षाकर्मी योजना–

- वर्श 2004–05 से अभी तक शिक्षाकर्मी वर्ग–01, 02 एवं 03 के लगभग 41,000 पदों पर नियुक्ति की गई।
- मई 2005 में लगभग 16,000 संविदा शिक्षकों को शिक्षाकर्मियों के पद पर परिवर्तित किया गया।
- प्रदेश के पहली बार मई 2005 से अभी तक 10,088 शिक्षाकर्मियों को पदोन्नति दी गई।
- शिक्षाकर्मी वर्ग–03 के पद पर लगभग 900 पात्र अभ्यर्थियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।
- 119 विशेष पिछड़ी जनजातियों को शिक्षाकर्मी के पद पर सीधी नियुक्ति।
- 1,433 निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति किया गया।
- 174 भूतपूर्व सैनिको को शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।
- अप्रैल, 2004 से शिक्षाकर्मियों को प्रतिमाह रू. 100 विशेष राहत स्वीकृत की गयी।
- समय–समय पर शिक्षाकर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की गई।
- शिक्षाकर्मियों की मांगों के निराकरण हेतु दिनांक मई 2004 को तत्कालीन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा मार्च 2005 में अपनी रिपोर्ट भासन को सौपी गई। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जनवरी 2007 को मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सौपा गया है।

- मंत्री स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ि ाक्षाकर्मियों के वेतमान में सं ोधन, पति–पत्नि के एक स्थान पर पदस्थापना के संबंध में स्थानांतरण का प्रावधान तथा ि ाक्षाकर्मी वर्ग–01 की पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यवाही की गई है।

- नवम्बर 2006 से समस्त ि ाक्षाकर्मियों के लिये रू. 100 अंतरिम राहत स्वीकृत की गयी।

- अप्रैल, 2007 से ि ाक्षाकर्मियों के वेतनमान में सं ोधिन किया गया।

- वर्तमान में ि ाक्षाकर्मियों की चयन हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर चयन प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

पंचायतकर्मी योजना–

- प्रदे ा में लगभग 7,560 पंचायतकर्मी ग्राम पंचायतों में सचिव पद का दायित्व संभाल रहे हैं। विगत 3 वर्श की कालावधि में 730 पंचायतकर्मियों की नियुक्ति की गई।

- पंचायतकर्मियों के वित्तीय एवं गैर–वित्तीय मामलों से संबंधित मांगों के निराकरण हेतु तत्कालीन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10/06/2004 को एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा मार्च, 2005 को अपना प्रतिवेदन भाासन को सौंपा गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतकर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में सितम्बर, 2006 को नई स्थानांतरण नीति जारी की गई–

  - पंचायतों परस्पर सहमति के आधार पर जनपद पंचायत द्वारा किये जायेंगें।
  - स्थानांतरण मई – जून में किये जाने का प्रावधान।
    - प्र ाासकीय आव यकता अनुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अपवाद स्वरूप स्थानांतरण का प्रावधान।

- समिति के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जनवरी, 2007 को मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया। मंत्री स्तरीय समिति द्वारा नवम्बर, 2007 से पंचायत कर्मियों के वेतमान में सं ोधन का निर्णय लिया गया। उक्त निर्ण पर भाासन द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

- पंचायत कर्मियों की सेवा भार्त बनाने के संबंध में समिति का गठन किया गया समिति का प्रतिवेदन विचारधीन है।

- 01 जनवरी 2008 से समस्त पंचायत कर्मियों को रू. 2700–50–3700 वेतनमान में वेतन भुगतान करने का निर्णय लेकर आदे ा जारी किया जा चुका है।

16.11 पंचायती राज संस्थाओं में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग–

- प्रदेश के समस्त जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को ई–पंचायत प्रणाली के V-Sat के अंतर्गत एवं कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदेश मुख्यालय से जोड़ा गया। प्रदेश के 10 जनपद पंचायतों में सिम्प्यूटर प्रणाली विकसित की गई।

- प्रदेश के सभी विकासखण्डों में खण्ड स्तरीय सचिवालय एवं समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की गई हैं।

16.12 पंचायत विभाग के अंतर्गत बजट आंबटन की प्रगति–

राज्य निर्माण के बाद से लगातार पंचायतों को विकास कार्यो के लिए अधिक से अधिक बजट उपलब्ध कराया जाकर उन्हें स क्त करने का प्रयास किया गया है। जिसे इस दण्ड आरेख में द र्शाया गया है–

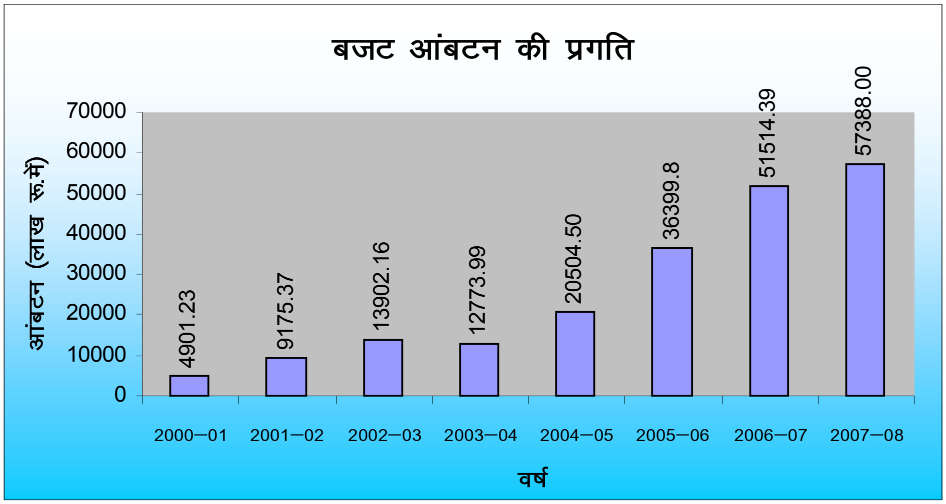

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि राज्य में पंचायत के अंतर्गत उपलब्ध आंबटन में लगातार प्रगति हुई हैं, जो पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से की जा रही प्रगति को द र्शाता है। प्राप्त आबंटन वर्श 2000–01 के रू. 4901.23 लाख से बढ़कर रू. 57388.00 लाख हो गया।

अध्याय – 17
खेल एवं कला संस्कृति

17.1 खेल

छत्तीसगढ़ भारत के खेल मानचित्र में उभरता हुआ नवीन राज्य है जहां हॉकी, बास्केटबाल, बेसबाल, तीरंदाजी एवं व्हालीबाल के खेलों में विकास की असीम संभावनाएं है। राज्य में खेलों के विकास के लिये राज्य शासन द्वारा बहुस्तरीय प्रयास किये जा रहे हैं, सभी ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से स्कूलों के लिये खेल के मैदान हेतु भूमि सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही स्कूल एवं कालेजों में खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का प्रयास किया जा रहा है ।

राज्य में खेलों के विकास के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :–

- खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था
- विभिन्न खेलों का आयोजन
- खेलों के लिये अधोसंरचना का विकास
- खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कार एवं राशि की व्यवस्था

17.1.1 खेल प्रि ाक्षण –

17ण्1ण्1 राज्य स्तरीय खेल प्रि ाक्षण

खेलो की विकास के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर का निर्माण 62 एकड़ में किया जा रहा है । इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों हेतु आवास एवं भोजन की पूर्ण व्यवस्था राज्य शासन की होगी।

17ण्1ण्2 राज्य खेल अकादमी

राज्य खेल अकादमी की स्थापना रायपुर में की जा रही है इसके शुरू होते ही राज्य के खिलाड़ियों को अन्तर्राश्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना/ उपकरण एवं तकनीक प्राप्त होगी ।

17ण्1ण्3 खेल अकादमी (व्हालीवाल), भिलाई

राज्य में पहला खेल अकादमी भिलाई में व्हालीवाल संचालित है, जिसमें मध्यान्ह भोजन सुविधा उपलब्ध है।

17.1.1.4 विकासखण्ड स्तरीय खेल प्रशिक्षण –

शिविर में बच्चों में अधिकृत खेल खेलने में रूचि पैदा करने एवं प्रेरणा प्रदान करने हेतु ग्रीश्मावकाश में विकासखण्ड स्तर पर खेल प्रशिक्षण निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है ।

17ण्1ण्5 जिला स्तरीय खेल प्रि ाक्षण ि ाविर

जिला स्तरीय खेल प्रशिक्षण शिविर ग्रीश्मावकाश में किया जा रहा है, इसमें वे बच्चे भाग लेते हैं, जिन्होने पूर्व में विकासखण्ड स्तरीय खेल प्रशिक्षण में भाग लिया हो । बच्चे अपनी इच्छा से अपनी रूचि अनुसार खेल पसंद कर उस खेल का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

17.1.1.6 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर

राज्य स्तरीय प्रि ाक्षण ि ाविर का आयोजन कर खेल में नियमित अभ्यास करवा कर उसके खेल कौशल में वृद्धि हेतु तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

तालिका क्र. 17.01
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

वर्ष	खिलाड़ी
2000-01	1100
2001-02	1500
2002-03	3000
2003-04	4000
2004-05	4525
2005-06	4960
2006-07	6100
2007-08	18612

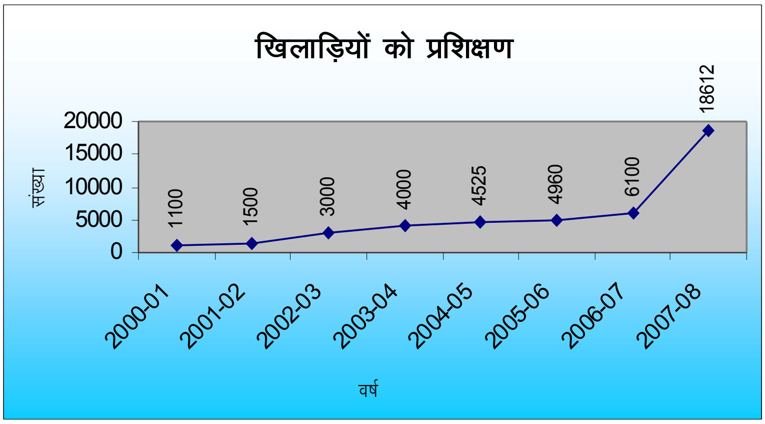

17.1.1.7 राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रि क्षण ि ाविर

राज्य की टीम जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है तो दल के खिलाड़ियों में तालमेल बनाने हेतु प्रतियोगिता पूर्व प्रि क्षण ि ाविरों का आयोजन किया जा रहा तथा तकनीकी शिक्षा दी जा रही है । राज्य में प्रत्येक खेल विधा में प्रि क्षण देने का यथा संभव प्रयास किया जा रहा है ।

17.1.2 खेल आयोजन

17.1.2.1 राष्ट्रीय खेल आयोजन

भारत सरकार खेल एवं युवा मंत्रालय से राश्ट्रीय खेल आयोजन का अवसर प्राप्त होने पर राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है । राश्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता एसोशियन द्वारा भी आयोजित किये जाते हैं। विभिन्न खेलों से संबंधित कई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर राज्य को प्राप्त हो चुका है ।

17०1०2०2 राज्य स्तरीय खेल आयोजन

जिला स्तरीय खेल आयोजन कर चयनित खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय आयोजनों से चयनित खिलाड़ी राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं भागीदारी कर रहे हैं । खेल आयोजनों में महिलाओं को भी पर्याप्त स्थान प्राप्त हो रहा है, जिसका वर्शवार विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क्र. 17.02
महिला खेलकूद प्रतियोगिता

वर्ष	प्रतिभागी खिलाड़ी
2000-01	1250
2001-02	1300
2002-03	4000
2003-04	3350
2004-05	3978
2005-06	1995
2006-07	4700
2007-08	11845

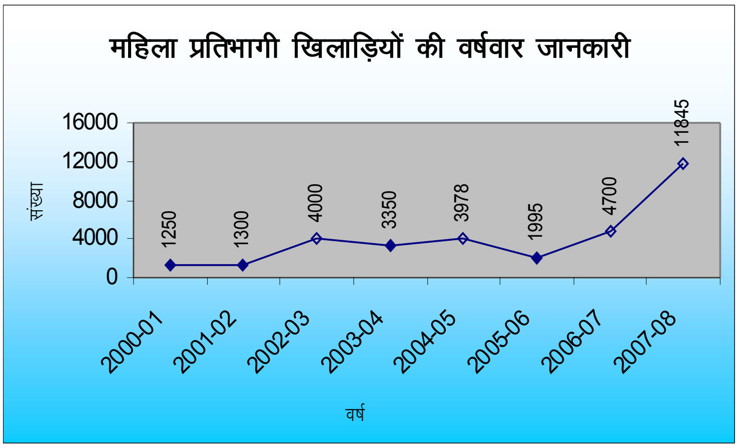

17०1०2०3 जिला स्तरीय खेल आयोजन

राज्य में नियमित जिला स्तरीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे अन्तर विद्यालय/महाविद्यालय, विकासखंड स्तरीय खिलाड़ी विकासखण्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

17.1.2.4 विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन

विकासखंड स्तर पर अन्तर विद्यालय/महाविद्यालय/क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इन प्रतियोगिताओं में सफल खिलाड़ी को आगे (उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में) खेलने का अवसर प्राप्त होता है ।

17ण1ण2ण5 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के प्रति सम्मान उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजना किया जा रहा है। इसमें वर्शवार निम्नानुसार खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया :–

तालिका क्र. 17.03
ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

वर्ष	प्रतिभागी खिलाड़ी
2000-01	1500
2001-02	1600
2002-03	3325
2003-04	3375
2004-05	6200
2005-06	3280
2006-07	4450
2007-08	19740

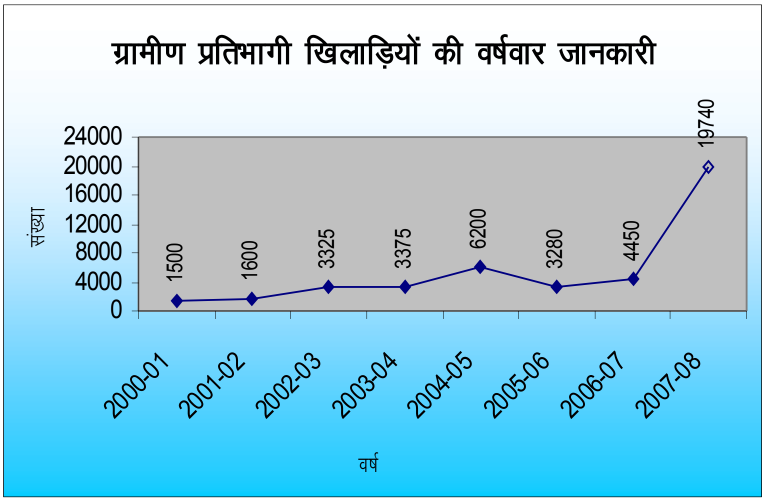

17.1.3 खेल हेतु अधोसंरचना –

17.1.3.1 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान

राजधानी रायपुर में एक अन्तर्रा‍‍शट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जिसकी संभावित लागत लगभग रू. 100.00 करोड़ है तथा 60,000 की द िक क्षमता है। यह स्टेडियम क्षमता की दृश्टि से दे ा में दूसरा स्थान रखता है। भविश्य में राश्ट्रीय एवं अंतर्राश्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन से राज्य में क्रिकेट खिलाड़ियों के उदय में सहायता मिलेगी।

17.1.3.2 जिला स्तरीय खेल परिसर

राज्य की समस्त जिलों में सर्वसुविधा खेल परिसर निर्माण किया जा रहा है ।

17.1.3.3 इन्डोर/आउटडोर स्टेडियम

जिला मुख्यालयों तथा तहसील/ब्लाक मुख्यालयों में इन्डोर/आउटडोर स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है । जगदलपुर, कोण्डागांव , कांकेर, कोटा टिकरकाला, जिला बिलासपुर सोनहट, जिला कोरिया में इन्डोर/आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

17.1.3.4 राज्य स्तरीय खेल प्रि ाक्षण केन्द्र

राज्य में खेलों के अंतर्राश्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रि ाक्षण देने के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में रू. 39.00 करोड़ की लागत से 62 एकड़ में निर्माणाधीन है । इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों हेतु आवास एवं भोजन की पूर्ण व्यवस्था राज्य शासन की होगी ।

17ण1ण3ण5 राज्य खेल अकादमी

राज्य शासन राज्य खेल अकादमी रायपुर में प्रारम्भ करने जा रही है । इसके शुरू होते ही राज्य के खिलाड़ियों को अन्तर्राश्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना/उपकरण एवं तकनीक प्राप्त होगी ।

17ण1ण4 खेल पुरस्कार –

17ण1ण4ण1 शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार

किसी भी खेल में सीनियर वर्ग अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुये राश्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है । पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं रू. 2.25 लाख दिये जाते हैं। एक वर्श में अधिकतम 05खिलाड़ियो को यह पुरस्कार दिया जा सकता है ।

17ण1ण4ण2 शहीद कौ ाल यादव पुरस्कार

किसी भी खेल के जूनियर वर्ग अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुये राश्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से नवाजा जा रहा है । पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं रू. 1.00 लाख दिये जाते हैं। एक वर्श में अधिकतम 05खिलाड़ियो को यह पुरस्कार दिया जा सकता है ।

17ण1ण4ण3 स्व. हनुमान सिंह पुरस्कार

राज्य के ऊर्जावान प्रशिक्षक/निर्णायक, जिनकी उपलब्धि राश्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर होती है उन्हें इस प्रुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार एक वर्श में एक को ही प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि रू. 1.00 लाख का होता है ।

17ण1ण4ण4 गुण्डाधुर सम्मान

किसी भी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुये सर्वोत्कृश्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के गुण्डाधुर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। गुण्डाधुर सम्मान की राशि रू. 2.00 लाख की होती है। यह पुरस्कार वर्श में एक बार मात्र एक खिलाड़ी को राज्योत्सव में प्रदान किया जाता है ।

17ण1ण4ण5 महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव पुरस्कार

यह पुरस्कार राज्य के तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देने के लिये दिया जा रहा है । राज्य की ओर से तीरंदाजी खेल में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक वर्श में अधिकतम 05खिलाड़ियो को यह पुरस्कार दिया जा सकता है तथा पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख की होती है ।

17ण1ण5 खेलों हेतु प्रोत्साहन

खेलों में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में अनेक तरह के प्रोत्साहन दिये जा रहे है –

सम्मान निधि

60 वर्श से अधिक उम्र के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक, एशियाड, राश्ट्रमण्डल खेल विश्वचैम्पियन आदि अन्तर्राश्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीता है, उन्हें जीवन पर्यन्त प्रतिमाह रूपये 3000/– की सम्मान निधि प्रदान करने का प्रावधान है ।

नगद रा ा पुरस्कार अलंकरण –

खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल में और पैंनापन लाने की दृश्टिकोण से निम्नानुसार नगद राशि पुरस्कार अलंकरण से सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है

तालिका क. 17.04

सीनियर	छत्तीसगढ़ खेल शिखर अलंकरण राशि रू. 25000/–	छत्तीसगढ़ खेल शिखर रजत अलंकरण राशि रू. 20000/–	छत्तीसगढ़ खेल शिखर कांस्य अलंकरण राशि रू. 15000/–
जूनियर	छत्तीसगढ़ खेल गौरव स्वर्ण अलंकरण राशि रू. 15000/–	छत्तीसगढ़ खेल गौरव रजत अलंकरण राशि रू. 10000/–	छत्तीसगढ़ खेल गौरव कांस्य अलंकरण राशि रू. 7000/–
सबजूनियर	छत्तीसगढ़ खेल अंकुर स्वर्ण अलंकरण राशि रू. 10000/–	छत्तीसगढ़ खेल अंकुर रजत अलंकरण राशि रू. 7000/–	छत्तीसगढ़ खेल अंकुर कांस्य अलंकरण राशि रू. 4000/–

वर्शवार प्रोत्साहन प्राप्त खिलाड़ियों की संख्या निम्नानुसार है :–

तालिका क. 17.05
खिलाडियों को प्रोत्साहन

वर्ष	खिलाड़ी
2000-01	1700
2001-02	1900
2002-03	2000
2003-04	1800
2004-05	1997
2005-06	3500
2006-07	3500
2007-08	9790

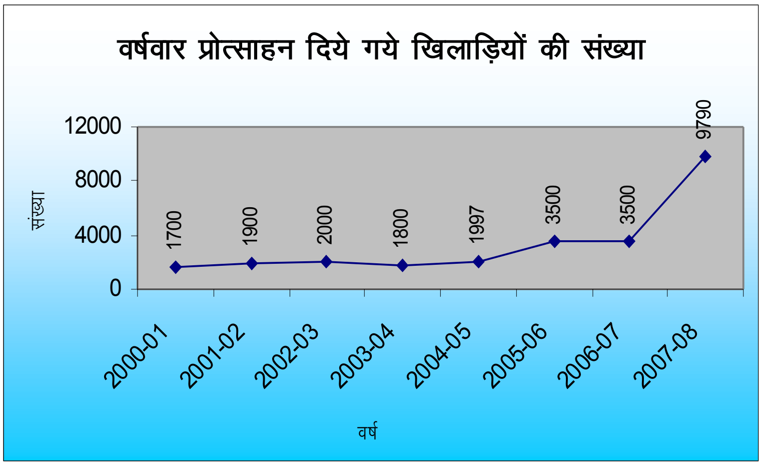

खेलविभूति सम्मान

छत्तीसगढ़ राज्य के सीनियर जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग के वर्ग के खिलाड़ियों हेतु खेलवृत्ति प्रदान करने के प्रति रूझान पैदा किया जाता है । जिला एवं राज्य स्तर पर खिलाड़ियों की उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जाता है ।

ट्रेकसूट प्रदाय

छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को जो राश्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने जा रहे हों ट्रेकसूट प्रदाय कर प्रोत्साहित किया जाता है । ◁ 88 ▷

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज

राज्य में राश्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल प्रतिभा खोज का आयोजन ब्लॉक, तहसील, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया जाता है जिसमें उत्कृश्ट खिलाड़ियों का चयन कर राश्ट्रीय स्तर पर प्रि ाक्षण प्रदान किया जाता है । वर्शवार चयनित उत्कृश्ट खिलाड़ियो की संख्या निम्नानुसार है –

तालिका क. 17.06
राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज के तहत खिलाड़ियों की संख्या

वर्ष	संख्या
2000-01	600
2001-02	650
2002-03	2000
2003-04	2200
2004-05	2920
2005-06	1200
2006-07	2300
2007-08	1470

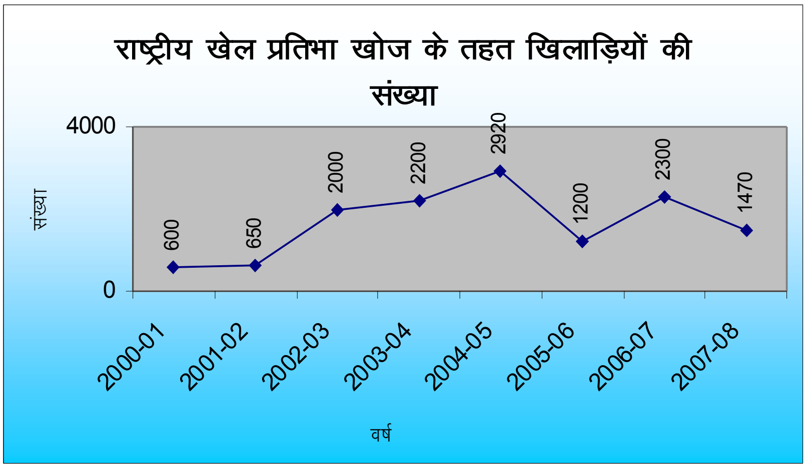

17.1.6 राज्य में खेल के विकास हेतु वित्तीय प्रावधान–

राज्य में खेलों के विकास हेतु वर्ष 2000–01 में राि ा रू. 112.15 लाख का प्रावधान था जो बढ़कर वर्ष 2007–08 में 2010.00 लाख रू. हो गई है जिसका वर्शवार आबंटन निम्नानुसार है :–

तालिका क. 17.07
खेल हेतु वर्शवार आबंटन

वर्ष	आबंटन
2000-01	112.15
2001-02	133.93
2002-03	148.14
2003-04	237.00
2004-05	2252.00
2005-06	1363.00
2006-07	1970.00
2007-08	2010.00

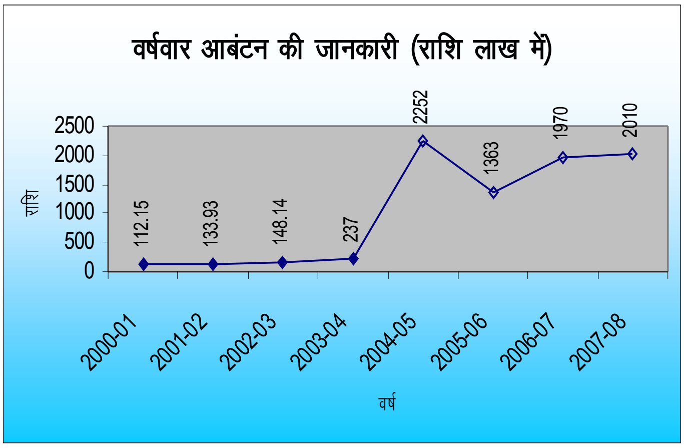

राज्य में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए खेल पर होने वाले प्रावधान को कई गुना किया गया है।

17.2 कला एवं संस्कृति

राज्य का कला एवं संस्कृति की दृश्टि से विभोश महत्व है । प्रदेभा की संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व का संवर्धन एवं विकास करने हेतु राज्य शासन पुरोगामी प्रयास कर रही है । राज्य को एक जीवंत संग्रहालय की नई परिकल्पना में रखकर विभिन्न समुदायों की संस्कृति का नये रूप में प्रस्तुतीकरण, शोध–संगोश्ठी एवं विभिन्न उत्सवों के माध्यम से किया जा रहा है । राज्य शासन द्वारा कला एवं संस्कृति के विकास के लिए राज्य के विभिन्न अंचलों में स्थानीय महात्सवों के आयोजन को बढ़ावा दे रही है, विभिन्न लोक कलाओं का विकास, प्रदर्भान एवं कलाकारों को प्रोत्साहन तथा सम्मान दे रही है । साथ ही राज्य के दो प्रमुख संग्रहालय यथा गुरू घासीदास संग्रहालय रायपुर तथा संग्रहालय जगदलपुर के अतिरिक्त सभी जिलों में संग्रहालय की स्थापना का प्रयास कर रही है । ◁ 89 ▷

राज्य में विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक धरोहर बिखरा हुआ है उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के विभोश प्रयास जनभागीदारी की सहायता से किये जा रहे है । इसके अतिरिक्त कला संस्कृति, पुरातत्व एवं राज्य के विभिन्न बोलियों के विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ।

17.2.1 पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय

राज्य की कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान, जीवनशैली और जीवन्त संस्कृति को विभिन्न माध्यमों से प्रद र्नि करने एवं इस पूरी अवधारणा को आकार देने में लोक और जन–जातीय कलाकारों, शिल्पियों और विशेषज्ञों की भागीदारी तथा कोण्डागांव के लौह शिल्पी, नारायणपुर, बस्तर के काष्ठ शिल्पी, एकताल, रायगढ़ एवं कोंडागांव के पीतल शिल्पी, सरगुजा के रजवार कलाकारों आदि के सतत् प्रयत्नों से पुरखौती मुक्तांगन तैयार किया जा रहा है जिसकी लागत रू. 224.00 करोड़ होने का अनुमान है । यह रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम–उपरवारा में लगभग 200 एकड़ भूमि पर जीवन्त सांस्कृतिक संग्रहालय आकार ग्रहण कर रहा है ।

17.2.2 संग्रहालय

राज्य में रायपुर में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय तथा जगदलपुर में पुरातत्वीय संग्रहालय पूर्व से स्थापित है। राजनांदगांव में जिला पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की जा चुकी है इसके अतिरिक्त राज्य में पुरातत्वीय संग्रहण को वि ोश महत्व देने के लिए निम्नानुसार अधोसंरचनात्मक कार्य किये जा रहे हैं :–

- राज्य के प्रत्येक जिले में 12 वें वित्त आयोग के अनु ांसा से एक संग्रहालय की स्थापना की जा रही है ।
- जगदलपुर में संग्रहालय के लिए नवीन भवन बनाया जा रहा है जिसके लिए रू. 1.24 करोड़ स्वीकृत किया गया ।
- रायपुर स्थित राज्य स्तरीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के प्रवेश दीर्घा, सिरपुर दीर्घा, प्रतिमा दीर्घा एवं शिलालेख दीर्घा में प्रदर्शन का आधुनिकीकरण कार्य, सांस्कृतिक आयोजनों, संगोष्ठी, व्याख्यान व अन्य आयोजनों के लिए सभाकक्ष का निर्माण किया गया है। कला विथिका का निर्माण एवं विकास के साथ–साथ संगीत संग्रहालय की स्थापना की गई है।

- रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ एवं बिलासपुर में पुरातत्वीय संग्रहालय और सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना की जा रही है ।
- छत्तीसगढ़ राज्य की पुरासम्पदा के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए राजनांदगांव में जिला पुरातत्व संग्रहालय तथा जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं आरंग में संग्रहालय भवन निर्माण किया जा रहा है ।

17.2.3 राज्य भाासन द्वारा प्रदान किये जा रहे पुरस्कार

कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार दिये जा रहे है –

- पं. सुन्दरलाल भार्मा पुरस्कार – साहित्य के क्षेत्र में
- चक्रधर सम्मान – संगीत एवं कला के क्षेत्र में
- दाऊ मंदराजी सम्मान – लोक कला एवं ि ाल्प के क्षेत्र में
- अप्रवासी भारतीय सम्मान – दे ा के बाहर उल्लेखनीय क्षेत्र में काम करने पर
- स्व. देवदास बंजारे सम्मान – लोक कला के क्षेत्र में

17.2.4 मेला / उत्सव / प्रदर्शनी

मेला उत्सव एवं प्रद ानी के माध्यम से संस्कृति एवं पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित जानकारी लोकसाधारण तक पहुंचाया जा रहा है।

- बुद्ध जयंती प्रदर्शनी, महावीर जयंती अवसर पर पुरातत्वीय प्रदर्शनी,
- स्वाधीनता दिवस पर प्रदर्शनी,
- शहीद वीरनारायण सिंह के छायाचित्रों की प्रदर्शनी,
- छत्तीसगढ़ में भगवान रामचन्द्रजी के वनगमन मार्ग पर आधारित प्रदर्शनी,
- विश्व धरोहर दिवस पर छत्तीसगढ़ के राज्य स्मारक/धरोहर पर आधारित प्रदर्शनी,
- गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन गहनों (आदिवासी) की प्रदर्शनी,
- हिन्दी दिवस के अवसर पर रायपुर में प्रदर्शनी,
- संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्राचीन स्मारकों के फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी,
- राज्योत्सव में पुरातत्वीय एवं संस्कृति की झलक से संबंधित प्रदर्शनी,
- श्री राजीवलोचन महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शनी,
- संगीत प्रतिभा उत्सव,
- लोक मड़ई मेला राजनांदगांव,
- दशहरा मेला (बस्तर) जगदलपुर,
- ग्वालियर म.प्र. के व्यापार मेले में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां,
- रायपुर में राष्ट्रीय शिल्प मेला,
- लोक नृत्य उत्सव,
- रायपुर गुरू घासीदास जी की जयंती पर गिरौदपुरी मेला,
- इसके अतिरिक्त कुल्लू दशहरा मेला में छ.ग. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, स्वदेशी मेला, जगार, शिल्प मेला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पंथी नृत्य उत्सव, सरस मेला रायपुर के आयोजन में सहयोग प्रदान किया जाता है ।

17.2.5 सार्वजनिक पुस्तकालय

रायपुर में संचालित महंत सर्वे वरदास ग्रंथालय को राज्य केन्द्रीय ग्रंथालय का दर्जा दिया गया है। शहीद स्मारक भवन में स्थानांतरित इस ग्रंथालय को ई–लाईब्रेरी के रूप में विकसित कर आधुनिक ग्रंथालय का रूप दिया जा रहा है।

ग्रंथालय में 'लिब्बिस इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर' लगाये जाने के लिए कोलकाता के कंपनी से सम्पर्क किया गया है, ग्रंथालय के ऊपरी मंजिल में ई–लायब्रेरी की स्थापना, ग्रंथालय के ऊपरी मंजिल में म्यूजिक लायब्रेरी का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है। ग्रंथालय के ऊपरी मंजिल में एक हॉल प्रदर्शनी सभा कक्ष के लिए निर्मित किया जा रहा है, प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागियों के लिए अध्ययन कक्ष की ऊपरी मंजिल में निर्मित किया जा रहा है, एवं ग्रंथालय में इतिहास साहित्य, पत्रकारिता, पर्यटन, पुरातत्व, कला, नृत्य शास्त्र, लोक प्रका ान, संस्कृत साहित्य की लगभग 50 हजार पुस्तके क्रय की गई है।

17.2.6 बहुआयामी संस्कृति संस्थान

राज्य के समस्त प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, विकास, प्रचार–प्रसार, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन हेतु बहुआयामी संस्कृति संस्थान का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत रू. 20.52 करोड़ है । इसमें आडिटोरियम, मुक्ताकाश मंच, आर्ट गैलरी आदि तैयार करने की योजना बनाई गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2003–04 से प्रारंभ हुई है ।

17.2.7 विभिन्न सृजनपीठ / संस्थान / समारोह / महोत्सव

- **पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ भिलाई की स्थापना**
- **छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान की स्थापना**

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक समारोहों / महोत्सवों को आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्य के कला एवं संस्कृति में यथेश्ठ योगदान दिया जा रहा है । यह उत्सव व समारोह निम्नानुसार हैं –

राज्योत्सव समारोह, अखिल भारतीय नृत्य समारोह, चक्रधर समारोह, रायगढ़, रामगढ़ महोत्सव, सरगुजा, भोरमदेव महोत्सव, कबीरधाम, शास्त्रीय संगीत समारोह, अखिल भारतीय नाट्य समारोह (3 दिवसीय रायपुर में) इप्टा जननाट्य संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ में नाट्य समारोह हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है एवं स्वाधीनता दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह, शास्त्रीय गीत / गायन समारोह, राजिम कुंभ, चम्पारण्य में पंडवानी महोत्सव, खल्लारी महोत्सव, महासमुन्द, बिलासा महोत्सव, बिलासपुर, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में संगीत समारोह, जाज्वल्यदेव महोत्सव, जांजगीर–चांपा, कांकेर गढ़िया महोत्सव, ताला महोत्सव, मल्हार महोत्सव, बिलासपुर, ओजस्विनी महोत्सव, भोपाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड आदि राज्यों में आयोजित महोत्सव / समारोह में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, गुरू घासीदासजी जयंती के अवसर पर पंथी नृत्य महोत्सव के साथ–साथ जिलों से प्राप्त प्रस्तावानुसार समारोह / महोत्सव हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जा रहा है ।

17.2.8 कलाकार कल्याण कोष

वरिष्ठ कलाकारों / साहित्यकारों के परिवार को गंभीर बीमारी एवं मृत्यु की द ाा में आर्थिक मदद करने हेतु कलाकार कल्याण कोश की स्थापना की गई है। पूर्व में कलाकारों / साहित्यकारों को प्रति रू. 5000/– आर्थिक सहायता दी जाती थी। वर्तमान में शासन स्तर पर निर्णय एवं अनुमोदन पश्चात इसमें वृद्धि की गई है। अब प्रति साहित्यकार / कलाकार को राशि रू. 15000/– आर्थिक सहायता दी जा रही है।

राज्य निर्माण से वर्तमान तक लगभग 90 कलाकारों / साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा चुका है।

17.2.9 छत्तीसगढ़ राजभाशा आयोग

छत्तीसगढ़ी को राजभाशा का दर्जा प्रदान करने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ी राजभाशा आयोग गठन के साथ–साथ इसे संविधान की 8 वीं अनुसूची में भाामिल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

17.2.10 पुरातत्वीय उत्खनन, एवं विकासः–

- सिरपुर राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्वीय स्थल सिरपुर से प्राचीन स्मारकों, हिन्दू, जैन एवं बौद्ध के अष्ठधातु प्रतिमाओं की प्राप्ति उल्लेखनीय है। अब तक सिरपुर में 32 पुरातत्वीय स्थलों पर उत्खनन किया गया है, जिसमें एक महल, एक यज्ञ शाला, 14 मंदिर योजना, 8 रिहायशी स्थल, 2 जैन विहार एवं 11 बौद्ध विहार प्रकाश में आए हैं। प्राप्त अवशेषों का अनुरक्षण एवं उत्खनन स्थल का संरक्षण कार्य किय प्राचीन नगरी सिरपुर के महत्व को देखते हुए यहां भव्य संग्रहालय निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है, सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए विश्व धरोहर के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सिरपुर को शासन द्वारा 'हेरिटेज विलेज' घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

- हांफ नदी के किराने बसे ग्राम सिली पचराही (जिला कबीरधाम) का उत्खनन कार्य कराया गया, जिससे इतिहास के विभिन्न पहलू प्रकाश में आ रहे हैं। उत्खनन से आवासीय कक्ष, चाहरदीवारी एवं आवासीय परिसर में विभिन्न आकार–प्रकार की मणिकाएं, लौह उपकरण, ताम्र आभूषण, बच्चों के मिट्टी के खिलौने इत्यादि सामग्री प्राप्त हुए हैं। इस उत्खनन से पहली बार छत्तीसगढ़ में कवर्धा नागवंश के राजाओं की स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं प्रकाश में आई है, जिनसे छत्तीसगढ़ के राजनैतिक इतिहास में नवीन कड़ी जोड़ने का प्रमाण मिलता है। वर्तमान में भी उत्खनन कार्य किया जा रहा है। इसमें उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि पचराही कवर्धा के नागवंशों की राजधानी स्थल एवं व्यापारिक केन्द्र रहा होगा।

- रेण नदी के किनारे ग्राम महेशपुर (जिला सरगुजा) में भी पुरातत्वीय उत्खनन कार्य किए जा रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण धरोहर प्रकाश में आ रहे हैं। उत्खनन से सिपुर के सोमवंशी शासकों के काल में ईंटो से निर्मित स्थापत्य कला पर आधारित 8वीं सदी ईसवी का ताराकृति तल योजना पर निर्मित भग्न मंदिर अवशेष प्रकाश में आए हैं। इससे सरगुजा अंचल में महत्वपूर्ण स्थापत्य कला, धार्मिक केन्द्र एवं राजनैतिक संप्रभुता का आभास मिलता है।

- महानदी की सहायक जलधारा झरझरा नाला के किनारे बसे ग्राम लीलर (जिला धमतरी) में पुरातत्वीय उत्खनन कार्य कराया गया, जिसमें महापाषाणीय संस्कृति के 1500 ई.पूर्व के प्रमाण प्रकाश में आए।

- **सर्वेक्षण** – राज्य के केसरपाल, बस्तर, कोटा तहसील बिलासपुर, हॉप नदी, कवर्धा जिला महानदी घाटी, शिवनाथ घाटी, कांकेर, बालोद, मालखरौदा, बम्हनीडीह तहसील आदि क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य कराया गया है।

- **अनुरक्षण** – राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों की सुरक्षा, सुदृढ़ता तथा संवर्धनात्मक कार्यों के अंतर्गत बत्तीसा मंदिर, बारसूर, दन्तेवाड़ा, शिवमंदिर गुढ़ियारी केसरपाल तथा देवरली मंदिर समूह ढोढरेपाल, शिवमंदिर उरांवटीला, कपिलेश्वर मंदिर समूह, बालोद, शिवमंदिर, छिंदगांव के स्मारकों का जीर्णोद्धार, चितावरी देवी मंदिर, धोबनी, देवरानी जेठानी मंदिर ताला, सिसदेवरी स्थित भग्न स्मारक संरचना, मठपुरैना स्थित प्रतिमाएं का अनुरक्षण कार्य किया गया। कुलेश्वर महादेव मंदिर, राजिम, पासीद में कार्य प्रगति पर है।

- **रासायनिक संरक्षण** – सिद्धेश्वर मंदिर पलारी, शिव मंदिर चंदखुरी जिला रायपुर, छेरकी महल, चौरा जिला कवर्धा, शिव मंदिर नगपुरा बजरंगबली मंदिर, सहसपुर, शिव मंदिर, नगपुरा, जिला दुर्ग, जिला पुरातत्व संग्रहालय राजनांदगांव की प्रतिमाओं एवं अस्त्र–शस्त्रों, शिवमंदिर गुमड़ापाल, बस्तर, शिवमंदिर धोबनी, रायपुर, फणिकेश्वरनाथ मंदिर, फिंगेश्वर का रसायनीकरण कार्य किया गया।

17.2.11 वित्तीय प्रावधान

कला एवं संस्कृति के विकास के लिए आयोजना के रूप में निम्नानुसार राभि उपलब्ध कराई जा रही है:–

तालिका क. 17.07

कला एवं संस्कृति हेतु वर्शवार आबंटन

वर्ष	बजट
2001-02	160.75
2002-03	218.65
2003-04	452.8
2004-05	606.18
2005-06	378.19
2006-07	955.24
2007-08	1011.81

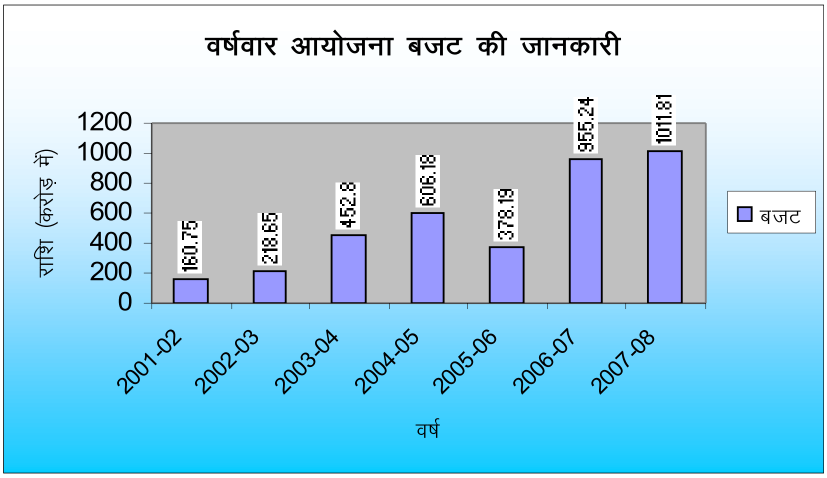

कला एवं संस्कृति हेतु आयोजना बजट में जहॉं वर्श 2001–02 में रू. 160.75 लाख था वही वर्श 2007–08 में छह गुणा से अधिक बढ़कर रू. 1011.81 लाख हो गया । इस तरह से कला एवं संस्कृति को विकसित एवं परिश्कृत करने हेतु राज्य वि ोश रूप से प्रयासरत है ।

अध्याय – 18
औद्योगिक विकास

औद्योगिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। उद्योगों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के मंदिर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का प्रारंभ पंचवर्शीय योजनाओं के साथ होता है। इनके पूर्व यहां उद्योग के नाम पर 1862 में स्थापित बंगाल नागपुर काटन मिल (B.N.C.Mill), राजनांदगांव तथा 1935 में स्थापित रायगढ़ जूट मिल ही थे। पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत सोवियत रूस के सहयोग से 1957 में भिलाई में भारत सरकार के उपक्रम के रूप में इस्पात संयंत्र का कार्य प्रारम्भ हुआ। यह संयंत्र 22 फरवरी, 1961 में पूरा हुआ। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र सम्पूर्ण भारत का औद्यागिक तीर्थ है। इसमें लगभग 60,000 से ऊपर लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।

राज्य में उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया गया है– ग्रामोद्योग एवं व्यवसायिक उद्योग।

ग्रामोद्योग विकास
खादी

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के लिए 2001 में किया गया। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में मुख्यतः दो क्षेत्रों में कार्य किया जाता है खादी एवं ग्रामोद्योग। बोर्ड का मूल उद्दे य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना हैं, विक्रय योग्य वस्तुओं का निर्माण कर विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित कर करना तथा भाोशण रहित एवं समता मूलक समाज की रचना का व्यापक उद्दे य है। प्रदे ा में खादी तथा ग्रामोद्योग के सत्त विकास हेतु बोर्ड द्वारा निम्नानुसार कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

- खादी तथा ग्रामोद्योग सेक्टर के कार्यो का नियोजन एवं उन्नयन करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की विक्रय योग्य वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करना।
- औजारों, उपकरणों एवं कच्चेमाल की व्यवस्था करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में उन्नत तकनीक के उपयोग हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में तकनीक प्रि ाक्षण की व्यवस्था करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के विकासात्मक कार्यो का कियान्वय करना, जिसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर व्यक्तियों एवं संस्थाओं को वितरित करना।

18.1 खादी विकास हेतु संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति–

परिवार मूलक योजना

राज्य योजनान्तर्गत संचालित इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के उद्यमियों को लाभन्वित किया जा रहा है। अधिकतम 1.00 लाख रूपये तक की परियोजना लागत के ऋण प्रकरण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराये जाते हैं एवं अनुदान सहायता परियोजना लागत का 50 प्रति ात या अधिकतम 13,500 रू. में जो भी कम हो देय होता है।

यह सहायता अनुदान निर्धारित आवेदन पत्र भर कर जिला पंचायत, जनपद पंचायत में सहपत्रों के साथ जमा कर सभी राश्ट्रीयकृत बैंकों के साथ–साथ सहकारी बैंक द्वारा दिया जा रहा है। बैंक से प्रकरण स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधित बैंक शाखा को अनुदान देने हेतु जिला प्रबंधक, जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर बैंक शाखा में अनुदान जमा किया जाता है।

योजना के अंतर्गत एक माह से तीन माह तक का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रि ाक्षण दिया जा रहा है। इस योजना की वार्शिक प्रगति को तालिका क्र. 18.1 में द ार्याया गया है–

तालिका क्र. 18.1

परिवार मूलक राज्य शासन योजना की प्रगति

राशि (लाख रू.में)

वर्ष	लक्ष्य				पूर्ति			
	इकाई संख्या	प्रोजेक्ट राशि	मार्जिन मनी	रोजगार	इकाई संख्या	प्रोजेक्ट राशि	मार्जिन मनी	श्रोजगार
2000–01	–	–	–	–	–	–	–	–
2001–02	369	61.50	30.75	738	190	22.08	13.13	380
2002–03	319	64.20	39.09	638	368	47.71	27.33	736
2003–04	1585	385.80	197.10	3168	2013	296.57	176.64	4026
2004–05	2209	356.00	170.00	4421	1990	290.45	179.19	4046
2005–06	2341	487.75	195.10	7024	1799	450.58	206.19	5397
2006–07	2607	572.00	260.00	7821	1991	634.06	257.73	5373
2007–08	2804	616.77	280.35	8411	1979	767.36	253.91	6061

परिवार मूलक योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट इकाईयों की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है–

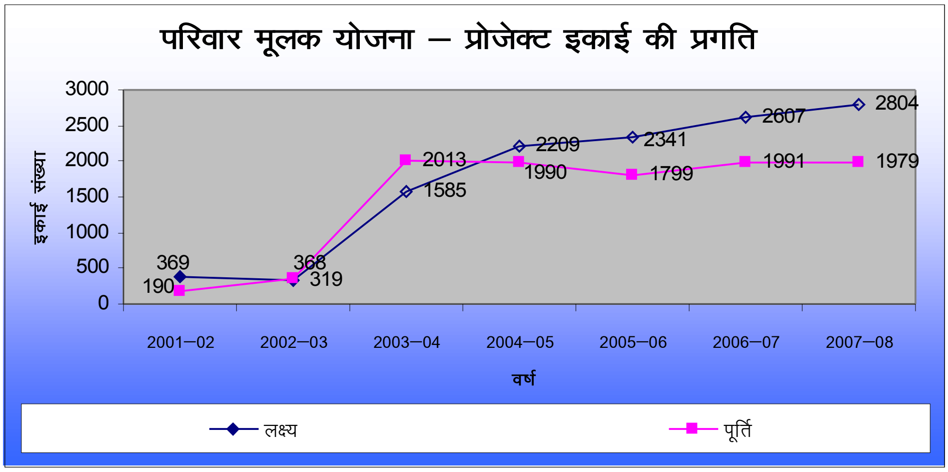

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 369 प्रोजेक्ट इकाई लक्ष्य के विरूद्ध 190 प्रोजेक्ट इकाईयों की पूर्ति की गई जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 2,804 एवं 1,979 हो गयीं।

वर्श 2007–08 तक कुल लक्ष्य 12,234 इकाई संख्या के विरूद्ध 10,330 इकाईयों की पूर्ति की गयीं।

परिवार मूलक योजना के अंतर्गत संचालित प्रोजेक्ट इकाईयों की प्रोजेक्ट राि ा एवं मार्जिन मनी की लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है–

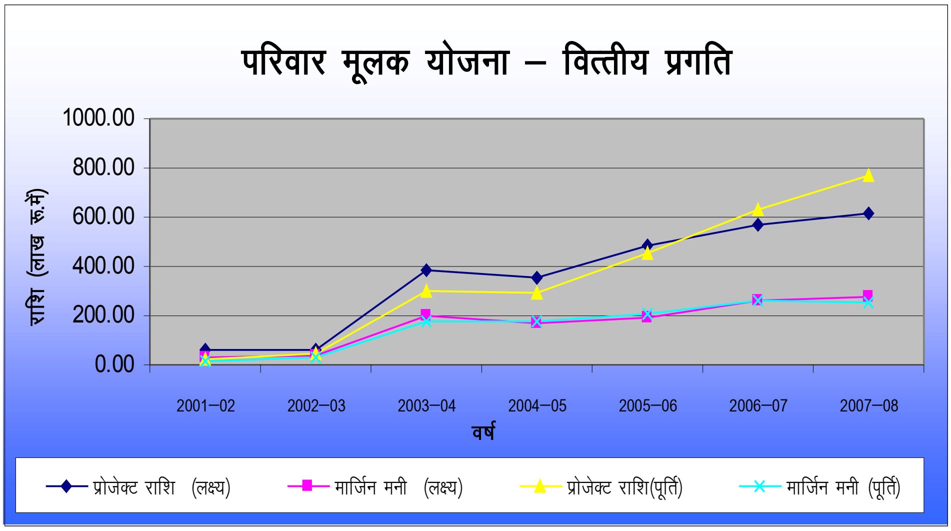

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में रू. 61. 50 लाख प्रोजेक्ट राि ा लक्ष्य के विरूद्ध रू. 20.08 लाख प्रोजेक्ट राि ा की पूर्ति की गई जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 616.77 एवं 767.36 हो गयीं एवं वर्श 2001–02 में रू. 30.75 लाख मार्जिन मनी लक्ष्य के विरूद्ध रू. 13.13 लाख मार्जिन मनी की पूर्ति की गई जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 280.35 एवं 253.91 हो गयीं।

वर्श 2007–08 तक कुल प्रोजेक्ट राि ा लक्ष्य रू. 2,544.02 लाख के विरूद्ध रू. 2,508.81 लाख की पूर्ति की गयी एवं मार्जिन मनी लक्ष्य रू. 1,172.39 लाख के विरूद्ध रू. 1,114.12 लाख की पूर्ति की गयी।

परिवार मूलक योजना के अंतर्गत रोजगार की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में द ार्या गया है–

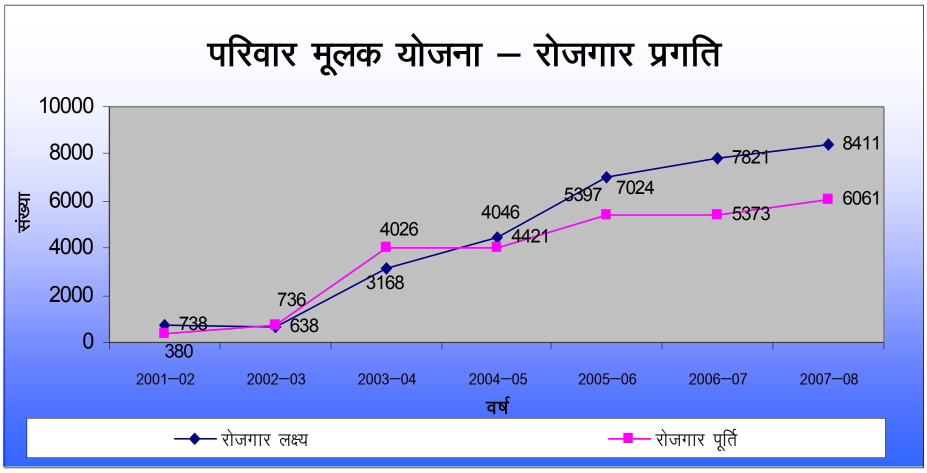

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 738 रोजगार लक्ष्य के विरूद्ध 380 व्यक्तियों को रोजगार से लाभान्वित किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 8,411 एवं 6,061 हो गये।

वर्श 2007–08 तक कुल रोजगार लक्ष्य 32,221 के विरूद्ध 26,019 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया।

मार्जिन मनी योजना

ग्रामोद्योग की स्थापना में ग्रामीण युवाओं के लिये सबसे बड़ी पूंजी की समस्या को देखते हुए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई द्वारा बैंकों के माध्यम से मार्जिन मनी योजना प्रायोजित की गई। इस योजना में अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करने के उद्दे य से उन्हें ग्रामोद्योगों में सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में 25.00 लाख रू. तक की वित्तीय सहायता (अनुदान व ऋण) उपलब्ध कराई जा रही है।

- इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक बार ही दी जा रही है। ऋण सीमा बढ़ाने के लिए पुनः वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होती।
- साझेदारी फर्म निजी लि.कंपनियॉ/संयुक्त ऋण कर्मी/ सह–आब्लिगेटर। संयुक्त जोखिमी, संयुक्त हिंदू परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते।
- संबंधित बैंक उद्यमी को ऋण की प्रथम कि त रिलीज करने के पश्चात् तीन माह के अंदर अपने नोडल शाखा से मार्जिन मनी (अनुदान) मांग करेंगे।

उद्यमियों को उत्पादन में गुणवत्ता के साथ तकनीकी प्रि क्षण एवं मार्गद न :–

- वित्तपोषित उद्यमियों को अच्छी गुणवत्ता स्तर की वस्तुओं का बाजार उपलब्ध कराने एवं विक्रय हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में कार्य ाला के साथ–साथ उत्पाद इकाईयों की जिला स्तर पर प्रद नी का आयोजन किया जाता है।
- जिला स्तर के अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के उत्पाद का विक्रय हेतु वर्क ॉप के साथ सेमीनार का आयोजन किया जाता है।
- इस प्रकार के आयोजनों से लाभांवित हितग्राही को काफी मात्रा में उत्पादित माल के विक्रय में काफी सहयोग मिला है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति के साथ–साथ रोजगार में स्थिरता आयी है।
- राज्य के बाहर तथा दे ा के अंदर भी समय–समय पर सेमीनार के साथ वर्क ॉप तथा प्रद ानियों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राज्य के उद्यमियों को विक्रय में काफी सहायता मिली है।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा हेतु खादी आयोग के माध्यम से हितग्राहियों को चयनित कर विदे ा भेजा जाता है जिसमें खादी आयोग के द्वारा अच्छी क्वालिटी के उत्पाद करने वाले हितग्राहियों को 90 प्रति ात यात्रा व्यय अनुदान एवं वहॉ पर रहने ठहरने की व्यवस्था वहन करता है। इससे इस योजना के अन्तर्गत उत्पादक उद्यमियों को विपणन के क्षेत्र में काफी सफलता मिल रही है। इस योजना की वार्शिक प्रगति को तालिका क्र. 18.2 में द ाया गया है–

तालिका क्र. 18.2

मार्जिन मनी योजना की प्रगति

राशि (लाख रू.में)

वर्ष	लक्ष्य				पूर्ति			
	इकाई संख्या	प्रोजेक्ट राशि	मार्जिन मनी	रोजगार	इकाई संख्या	प्रोजेक्ट राशि	मार्जिन मनी	रोजगार
2001-02	450	2300.00	575.00	4700	428	1815.00	453.00	3998
2002-03	1200	3000.00	750.00	6400	854	3886.00	971.00	9633
2003-04	252	798.00	198.48	3956	319	1497.00	374.00	3996
2004-05	300	1200.00	300.00	6001	306	1525.48	445.48	7644
2005-06	413	2243.84	560.00	8264	338	2753.88	586.60	9102
2006-07	457	2028.00	707.00	8452	452	3286.00	681.61	10906
2007-08	1240	6169.76	1544.44	23580	752	4636.42	997.51	14199
कुल	**4312**	**17739.60**	**4634.92**	**61353**	**3449**	**19399.78**	**4509.20**	**59478**

मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट इकाईयों की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है–

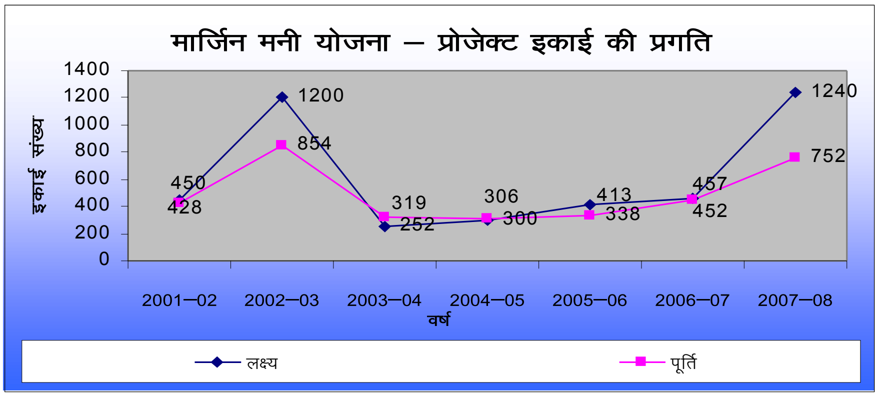

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 450 प्रोजेक्ट इकाई लक्ष्य के विरूद्ध 428 प्रोजेक्ट इकाईयों की पूर्ति की गई जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 1,240 एवं 752 हो गयीं।

वर्श 2007–08 तक कुल लक्ष्य 4,312 इकाई संख्या के विरूद्ध 3,449 इकाईयों की पूर्ति की गयीं।

मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत संचालित प्रोजेक्ट इकाईयों की प्रोजेक्ट राि ा एवं मार्जिन मनी की लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में द ाीया गया है–

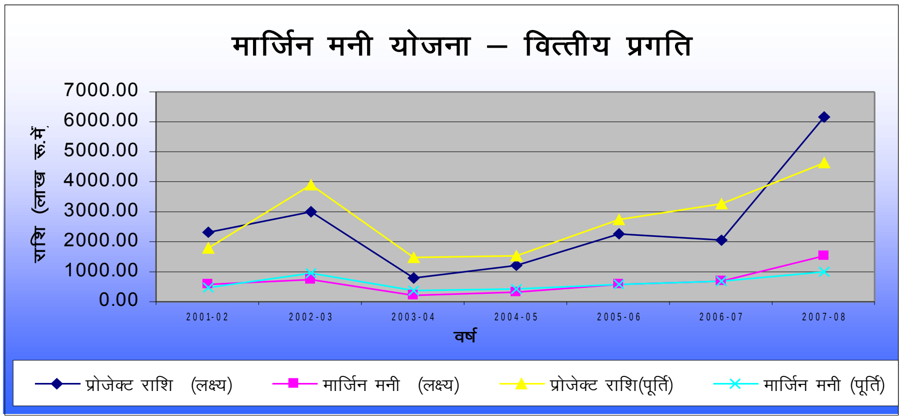

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में रू. 2,300 लाख प्रोजेक्ट राि ा लक्ष्य के विरूद्ध रू. 1,815 लाख प्रोजेक्ट राि ा की पूर्ति की गई जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 6,169.76 एवं 4,636.42 हो गयीं एवं वर्श 2001–02 में रू. 575 लाख मार्जिन मनी लक्ष्य के विरूद्ध रू. 453 लाख मार्जिन मनी की पूर्ति की गई जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 1,544.44 एवं 997.51 हो गयी।

वर्श 2007–08 तक कुल प्रोजेक्ट राि ा लक्ष्य रू. 17,739.60 लाख के विरूद्ध रू. 19,399.78 लाख की पूर्ति की गयीं एवं मार्जिन मनी लक्ष्य रू. 4,634.93 लाख के विरूद्ध रू. 4,509.20 लाख की पूर्ति की गयीं।

मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत रोजगार की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है–

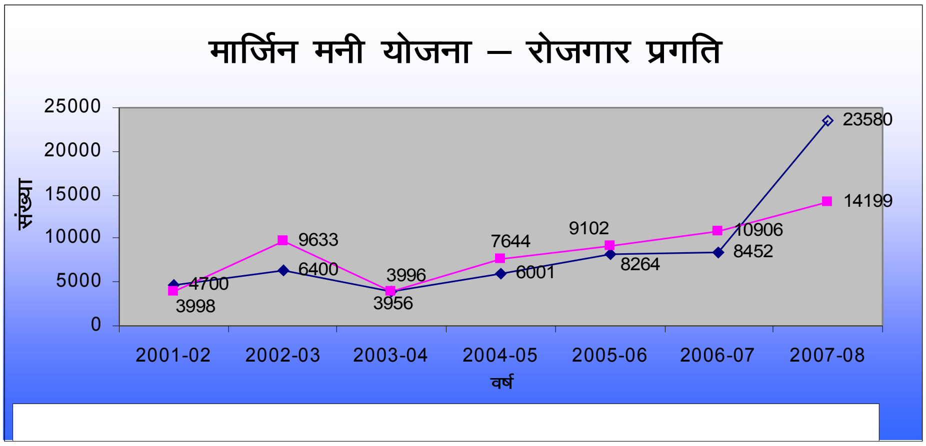

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 4,700 रोजगार लक्ष्य के विरूद्ध 3,998 व्यक्तियों को रोजगार से लाभान्वित किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 23,580 एवं 14,199 हो गये।

वर्श 2007–08 तक कुल रोजगार लक्ष्य 61,353 के विरूद्ध 59,478 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया।

18ण्2 खादी उद्योग की प्रगति–

खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु राशि एवं रोजगार की प्रगति को तालिका क्र.18.3 में द ार्या गया है–

तालिका क्र. 18.3

प्रशिक्षण हेतु राशि एवं रोजगार की प्रगति

राशि (लाख रू.में)

वर्ष	लक्ष्य (राशि)	पूर्ति (राशि)	रोजगार
2002–03	1.27	1.27	124
2003–04	5.00	5.00	605
2004–05	5.00	5.00	615
2005–06	3.97	3.97	406
2006–07	5.52	5.52	1112
2007–08	7.50	6.49	935

प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य/पूर्ति रा ा की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में द ार्या गया है–

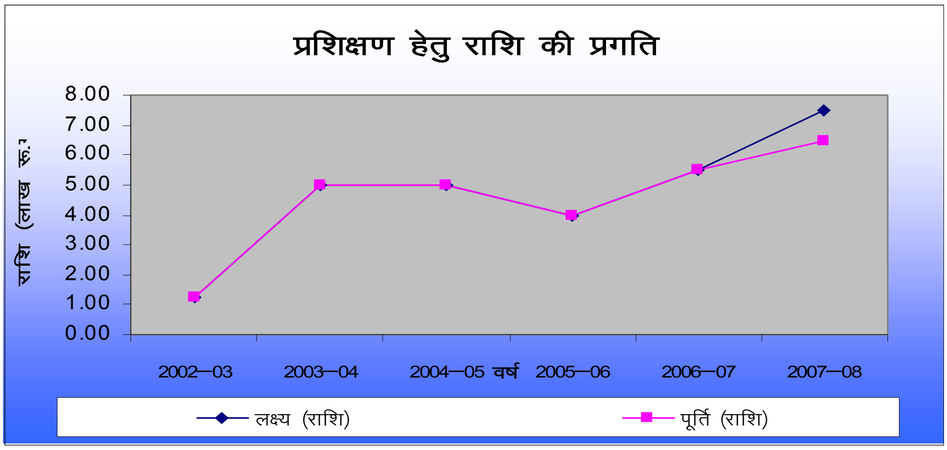

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में रू. 1.27 लाख शिक्षण हेतु लक्ष्य के विरूद्ध रू. 1. 27 लाख की पूर्ति की गई जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः रू.7.50 लाख एवं रू. 6.49 लाख हो गये।
वर्श 2007–08 तक कुल रू. 28.26 लाख के विरूद्ध रू. 27.25 लाख की पूर्ति की गयी।

प्रशिक्षण प चात रोजगार की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में द ार्या गया है–

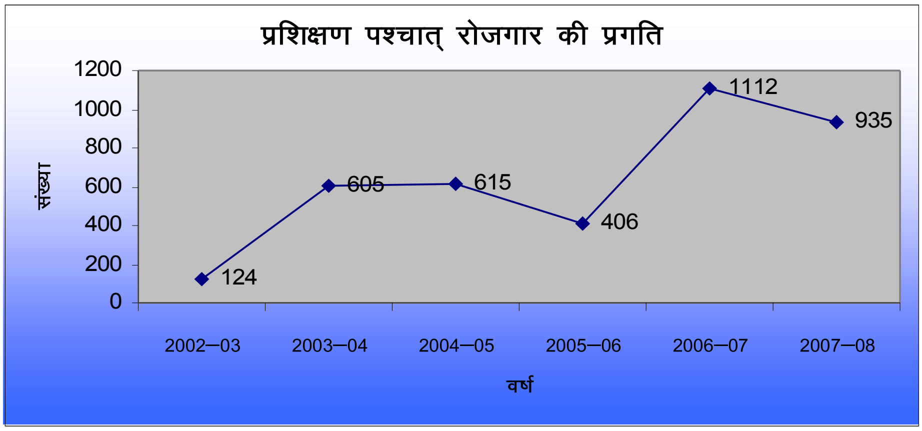

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 124 व्यक्तियों को रोजगार से लाभान्वित किया गया जो

वर्श 2007–08 में बढ़कर 935 हो गये।वर्श 2007–08 तक कुल 3,797 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया।

खादी उद्योग में उत्पादन की प्रगति–

खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत उत्पादन व्यय राशि, उत्पादन राशि एवं रोजगार की प्रगति को तालिका क. 18.4 में द ार्ाया गया है–

तालिका क. 18.4

खादी उद्योग में उत्पादन की प्रगति

राशि (लाख रू.में)

वर्ष	व्यय राशि	उत्पादन राशि	रोजगार
2002–03	22.96	5.96	191
2003–04	63.32	19.75	171
2004–05	2.83	26.35	224
2005–06	57.03	28.73	169
2006–07	80.89	50.69	415
2007–08	140.90	133.99	627

खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत उत्पादन व्यय राशि की प्रगति को इस ग्राफ में द ार्ाया गया है–

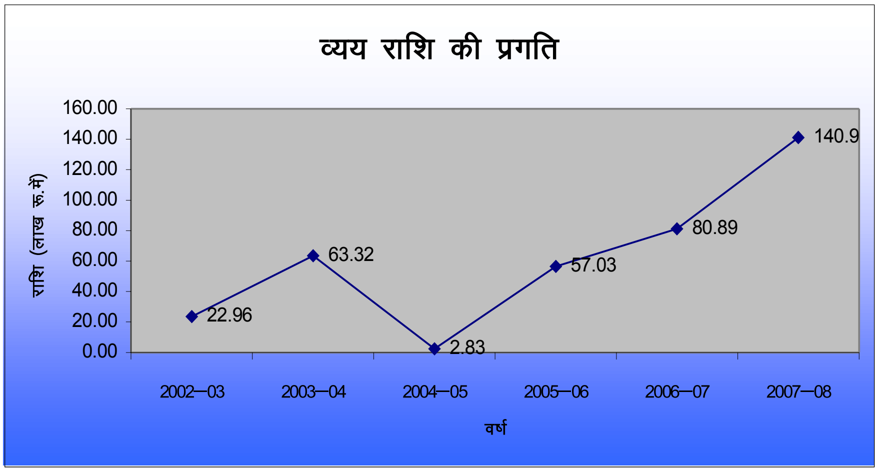

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में रू. 22.96 लाख व्यय किये गये जो वर्श 2007–08 में बढ़कर रू.140.90 लाख हो गये। वर्श 2007–08 तक कुल रू. 367.93 लाख व्यय किये गये।

उत्पादन की प्रगति–

खादी क्षेत्र में चार प्रकार की खादी का निर्माण किया जाता है:–सुती, ऊनी, रे ामी तथा पोली। सूत कताई से लेकर खादी बुनाई तक एवं इसके आगे ग्राहकों के हाथ में खादी पहुंचाने तक का कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। सूत कताई हेतु विभिन्न स्तर पर पोनी, ककुन एवं` अम्बर चरखें से कत्तीनों द्वारा धागा कताई का कार्य किया जा रहा है। जिसमें ग्रामीण परिवे ा की महिलाएँ एवं पुरूशों का चयन कर उन्हें अम्बर चरखा प्रदाय किया जा रहा है। अम्बर चरखें द्वारा उत्पादित धागा बुनकरों को दिया जा रहा है, बुनकर अपने कौ ाल का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की खादियों का निर्माण कर रहा है। इसमें अधिकत्तर ग्रामीण एवं परम्परागत् श्रमिकों का कु ालतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

कु ाल कारीगरों द्वारा तैयार की गई खादी वस्त्रों की मांग राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर भी है। प्रद ार्नियों द्वारा विभिन्न प्रकार के ड्रेस डिजाईन कर प्रद ार्ित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में खादी उत्पादन के सात केन्द्र संचालित हैं इन केन्द्रों में 10 उत्पादन इकाईयां क्रम ाः सारागांव, कुवंरगढ, मैनपुर, गरियाबंद, देवरबीजा (रायपुर), डिमरापाल (जगदलपुर), बिलासपुर , हरदीबाजार

(कोरबा), भगतदेवरी (महासमुन्द) एवं जगदलपुर में संचालित की जा रही हैं। जिसमें खादी के वि ोशज्ञ उत्पादन सहायक के रूप में कार्य करते हैं। खादी उत्पादन में लगने वाला कच्चा माल पोनी एवं ककुन के रूप में प्रदे ा अथवा प्रदे ा के बाहर से प्राप्त किया जा रहा है। सूती एवं पोनी खादी हेतु पोनी सीहोर प्लांट से प्राप्त की जा रही है एवं ककून प्रदे ा के रे ाम विभाग द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। खादी का अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो इसके लिए आधुनिक तकनीकी के अम्बर चरखें एवं लूम का उपयोग किया जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत उत्पादन से प्राप्त राशि की प्रगति को इस ग्राफ में द ार्या गया है–

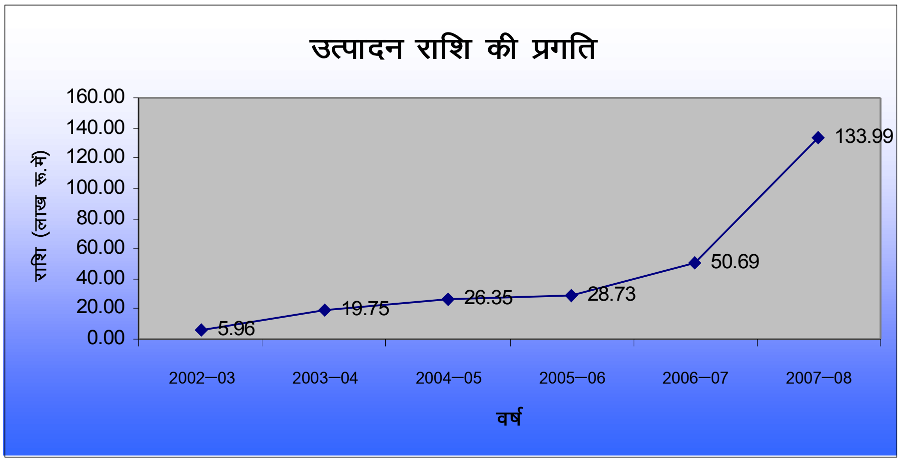

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में रू. 5.96 लाख उत्पादन राि ा प्राप्त की गयी जो वर्श 2007–08 में बढ़कर रू.133. 99 लाख हो गयी। वर्श 2007–08 तक कुल रू. 265.47 लाख उत्पादन राि ा प्राप्त की गयी।

खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत रोजगार की वार्शिक प्रगति को इस ग्राफ में द ार्या गया है–

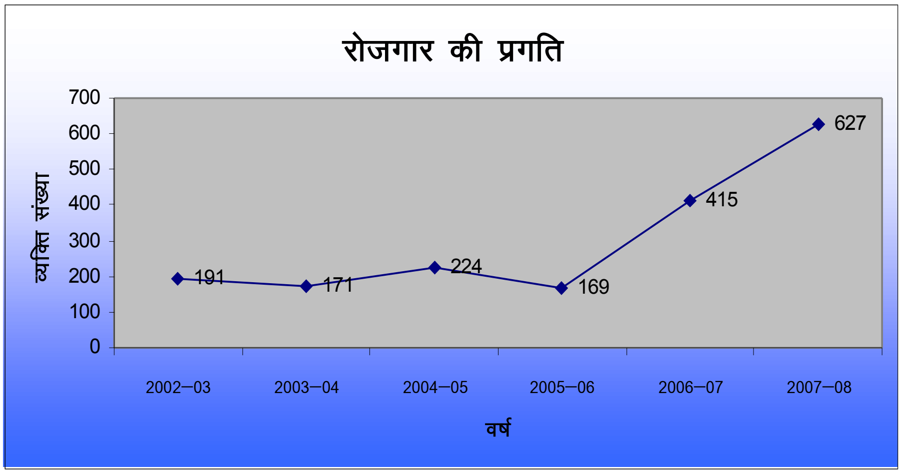

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 191 व्यक्तियों को रोजगार से लाभान्वित किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 627 हो गये।वर्श 2007–08 तक कुल 1,797 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया।

18.3 खादी विक्रय–

खादी तैयार होने के पश्चात् विपणन के पूर्व रंगाई ,छपाई धुलाई आदि का कार्य प्रदे ा की संस्थाओं द्वारा ही संपन्न किया जाता है। खादी की गुणवत्ता अनुसार निर्मित वस्त्रों का मूल्य भी खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के दि ा–निर्दे ाानुसार तय किए जाते हैं। निर्मित खादी तथा खादी वस्त्रों की प्रद ार्नियां प्रदे ा में एवं प्रदे ा के बाहर आयोजित कर अधिक से अधिक खादी बिक्री करने का प्रयास किया जाता है।

खादी ग्रामोद्योग हेतु प्रदत्त अनुदान का लाभ अधिक से अधिक उपयोग कत्तीनों/बुनकरों को रोजगार के अवसर निर्मित करने में किया जा रहा है। खादी विक्रय राशि की प्रगति को तालिका क्र.18.5 में द ार्या गया है–

तालिका क.— 18.5

खादी विकय की प्रगति

राि ा (लाख रू. में)

वर्श	विकय लक्ष्य	कुल विकय	शासकीय विकय
2002-03	113.00	61.73	49.27
2003-04	95.00	62.80	43.57
2004-05	45.00	63.63	50.00
2005-06	60.00	58.73	45.05
2006-07	150.00	152.34	92.46
2007-08	250.00	490.93	443.32

खादी विकय लक्ष्य एवं कीये गये विकय की प्रगति को इस ग्राफ में द ाया गया है—

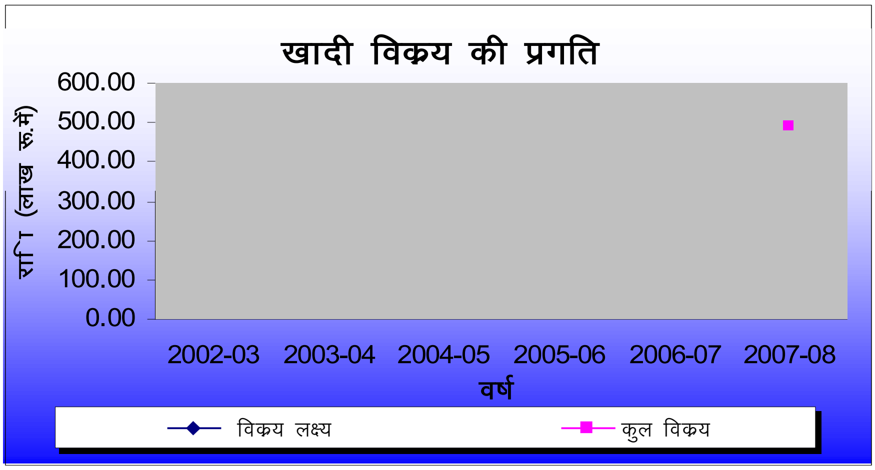

तालिका क. 05 एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002—03 में रू. 113 लाख विकय लक्ष्य के विरूद्ध रू. 61.73 लाख का विकय किया गया जो वर्श 2007—08 में बढ़कर कम ाः रू. 250 लाख एवं रू. 490.93 लाख हो गया।

वर्श 2007—08 तक कुल रू. 713 लाख के विरूद्ध रू. 890.16 लाख का विकय किया गया।

ाासकीय खादी विकय की प्रगति को इस ग्राफ में द ाया गया है—

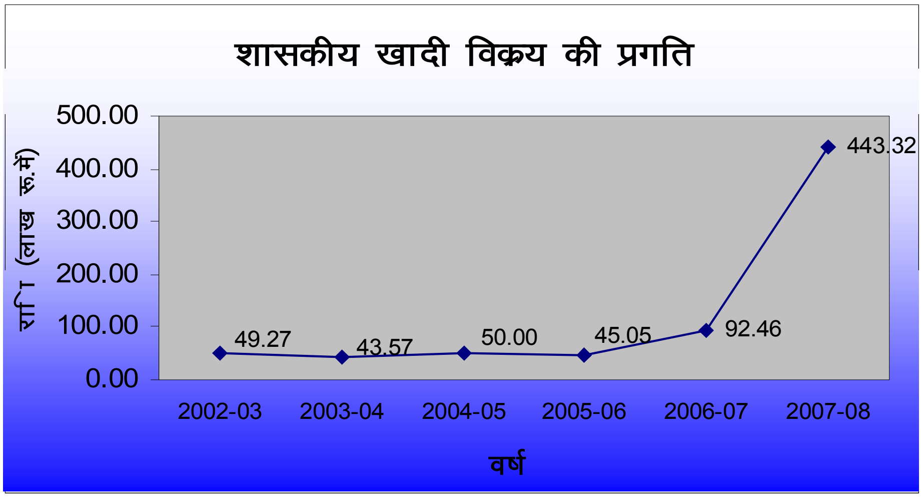

ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002—03 में रू. 49.27 लाख ाासकीय विकय से प्राप्त किये गये जो वर्श 2007—08 में बढ़कर रू. 443.32 लाख हो गये।

वर्श 2007—08 तक कुल रू. 723.76 लाख प्राप्त किये गये।

हाथकरघा

प्रदे ा की प्राचीन एवं उत्कृश्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्व परम्परा को समृद्व बनाए रखने, हाथकरघा उद्योगों में आधुनिक तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृश्टि से लाभप्रद बनाने, हाथकरघा बुनकरों को सत्त रोजगार देकर इस उद्योग से संबद्व कर बेरोजगारी निवारण का प्रयास करने, औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके तकनीकी एवं आर्थिक उन्नयन के लिए प्रयास करने तथा ग्रामोद्योग में महिलाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए, हाथकरघा बुनकरों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को दृश्टिगत् रखते हुए बुनाई, रंगाई एवं डिजाइन के क्षेत्र में उन्नत प्रि ाक्षण दे कर राज्य में हाथकरघा ग्रामोद्योग के विकास का लक्ष्य रखा गया है।

18.4 हाथकरघा गतिविधियों के विकास हेत संचालित योजनाऍ –

हाथकरघा गतिविधियों के विकास हेतु राज्य में अनेक योजनाऍ संचालित की जा रही हैं जैसे–

- वेलफेयर पैकेज, रिवाल्विंग फण्ड, एकीकृत हाथकरघा विकास, दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन, सर्वश्रेश्ठ बुनकर प्रोत्साहन, बुनकर सहकारी समितियों को ऋण माफी एवं हाथकरघा प्रोजेक्ट पैकेज योजनाएं प्रारंभ की गयी हैं।

- बुनकरों हेतु आवास सह कर्म ााला, कार्य ीील पूंजी बुनकर संघ, भारतीय हाथकरघा प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई है।

- बुनकरों के द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने हेतु प्रदे ा के प्रायः सभी जिला मुख्यालयों में एवं प्रदे ा के बाहर भुवने वर (उड़ीसा), पुणे (महाराश्ट्र), कोलकत्ता (पं.बंगाल), बैंगलोर (कर्नाटक), हैदराबाद (आंध्र प्रदे ा), भोपाल, इन्दौर (मध्यप्रदे ा) लखनाऊ (उ.प्र.), नागपुर (महाराश्ट्र), में हाथकरघा वस्त्र विक्रय प्रद र्नी का आयोजन किये जाने की योजना है।

प्रोजेक्ट पैकेज योजना (राज्य योजना) –

जिला पंचायतों को हस्तांतरित कर दी गई है जिसके अंतर्गत निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं–

- हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों को उन्नत उपकरण प्रदाय हेतु सहायता राशि में 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। उक्त सहायता प्रति सदस्य अधिकतम रू. 8,000 तक दी जाती हैं जिससे बुनकर करघा, कंघी, बय, चरखा आदि क्रय करता है।

- हाथकरघा वस्त्र नवीन बुनाई कार्य के इच्छुक 20 व्यक्तियों के समूह को नवीन बुनाई प्रशिक्षण देने हेतु कच्चा माल, छात्रवृत्ति, मास्टर वीवर्स को मानदेय आदि के लिये रू. 54,000 की सहायता दी जाती है।

- बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों को समिति के अं ा क्रय करने हेतु चार अं ाो तक रू. 40 सदस्य द्वारा जमा करने पर, रू. 360 अं ापूंजी ऋण शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इससे सदस्य की अं ापूंजी बढ़ती है तथा समिति की अं ापूंजी में भी वृद्धि होती है साथ ही कार्य ीील पूंजी हेतु सहकारी बैंको से साख–सीमा की पात्रता वृद्धि होती है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति के बुनकरों को सहकारी समिति का सदस्य बनने हेतु एक अं ा के लिये रू. 10 प्रति सदस्य द्वारा जमा करने पर रू. 90 का अनुदान दिया जाता है। बुनकर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से अं ा की पूरी रा ा जमा नही कर पाते है, अतः इस सहायता से सहकारी समिति के सदस्य बनने से सहायता मिलती है।

- बुनकर सहकारी समितियों की अं ापूंजी में वृद्धि हेतु शासन द्वारा समिति के अं ा क्रय कर रा ा वेष्ठित करता है। यह रा ा समिति की प्रदत्त अं ापूंजी के तीन गुना तक दी जाती है। इससे समिति को उत्पादन हेतु वित्तीय संस्थाओं से कार्य ीील पूंजी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

▪ बुनकर सहकारी समितियों को वस्त्र बुनाई हेतु ताना मशीन की स्थापना एवं बॉबिन भरने हेतु भवन की आवश्यकता होती है। अतः जिन समितियों के पास जमीन है उन्हें सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिये अधिकतम रू. 40,000 से 60,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है ।

▪ कार्यालय–सह–गोदाम हेतु बुनकर सहकारी समितियों को 1,000 वर्ग फीट भवन निर्माण के लिए राशि रू. 1.00 लाख तक दी जाती है, जिसमें रू. 25,000 अनुदान एवं रू. 50,000 ऋण एवं 25000 रू. धनवेष्ठन की सहायता का प्रावधान है।

▪ सामान्य कर्मशाला सहायता जिनके पास स्वयं की जमीन है ऐसी बुनकर सहकारी समितियों कोरू. 1.00 लाख तक दी जाती है जिसमें रू. 50,000 ऋण, रू. 25,000 धनवेष्ठन एवं रू. 25,000 अनुदान की सहायता का प्रावधान है।

18.5 हाथकरघा उद्योग की उपलब्धियॉं–

राज्य बनने से अब तक की हाथकरघा क्षेत्र की उपलब्धियों को तालिका क्र. 18.6 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र. 18.6

हाथकरघा उद्योग की प्रगति

वर्श	व्यय (लाख रू)	कुल पंजीकृत समितियां	कुल कार्यशील बुनकर समितियां	कुल कार्यशील हाथकरघे	उत्पादन (मिलियन मी.)	रोजगार
2000–01	435.65	165	–	–	38.5	3945
2001–02	669.48	170	100	13468	36.4	41565
2002–03	559.48	170	115	13820	72.25	42035
2003–04	284.48	170	111	13890	103.76	41670
2004–05	237.65	174	114	13996	111.20	41988
2005–06	253.92	261	115	13999	114.00	41997
2006–07	1145.48	272	130	16150	119.10	48450
2007–08	562.46	272	143	16350	121.62	49050

- **हाथकरघा उद्योग के अंतर्गत व्यय की प्रगति–**

हाथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत व्यय की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है

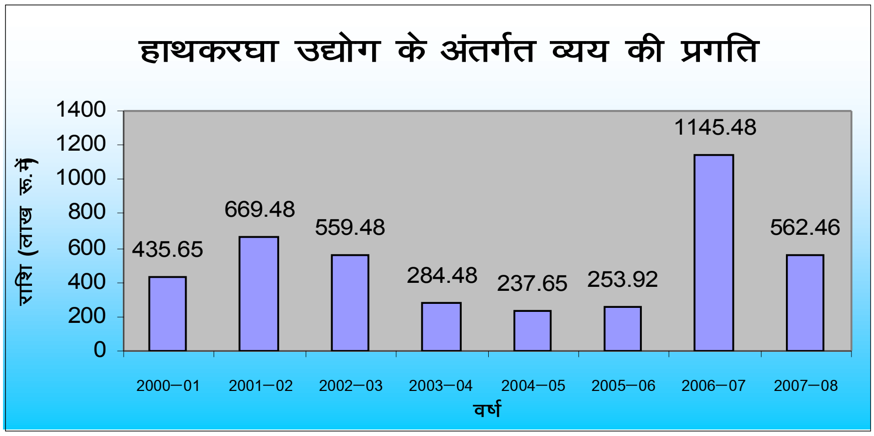

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि हाथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत व्यय की स्थिति में विभिन्न वर्शो में उतार–चढ़ाव रहा है। प्रदेश में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत वर्श 2000–01 में 435.65 लाख रूपयें व्यय किये गये जबकि सर्वाधिक

1145.48 लाख रू. वर्श 2006–07 में व्यय किये गये। वर्श 2007–08 तक कुल 4148.60 लाख रू. व्यय किया गया।

बुनकरों के समग्र विकास हेतु हाथकरघा क्लस्टर एप्रोच के अंतर्गत वर्श 2006–07 में छुईखदान जिला–राजनांदगांव को रू. 60.00 लाख एवं मुंगझर जिला–रायपुर को रू. 59.00 लाख एकीकृत हाथकरघा विकास योजनांतर्गत स्वीकृत किया गया । उक्त योजना का क्रियावयन वर्तमान में जारी है।

- **बुनकर सहकारी समितियों की प्रगति–**

हाथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत/कार्य ीील बुनकर सहकारी समितियों की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है

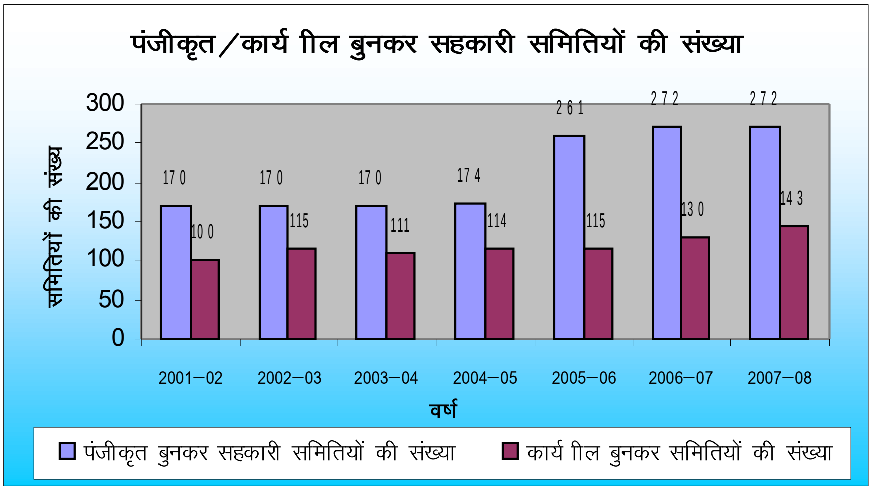

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 170 बुनकर सहकारी समितियॉ पंजीकृत थीं जिनका संख्या बढ़कर 2007–08 में 272 हो गई। इन पंजीकृत बुनकर सहकारी समितियों में से वर्श 2001–02 में जहां 100 बुनकर सहकारी समितियॉ कार्य ीील थी वहीं वर्श 2007–08 में इनकी संख्या बढ़कर 143 गई।

- राज्य की 140 बुनकर सहकारी समितियों का बैंक कालातीत ऋण रू. 6.41 करोड़ माफ किया गया जिससे 10,704 बुनकर सहकारी सदस्य लाभान्वित हुए।
- राज्य की अपेक्स बुनकर सहकारी समिति एवं तीन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को हैण्लूम मार्का हाथकरघा वस्त्र गुणवत्ता के लिए पंजीकृत किया गया है।

- **हाथकरघों की प्रगति–**

हाथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत हाथकरघों की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

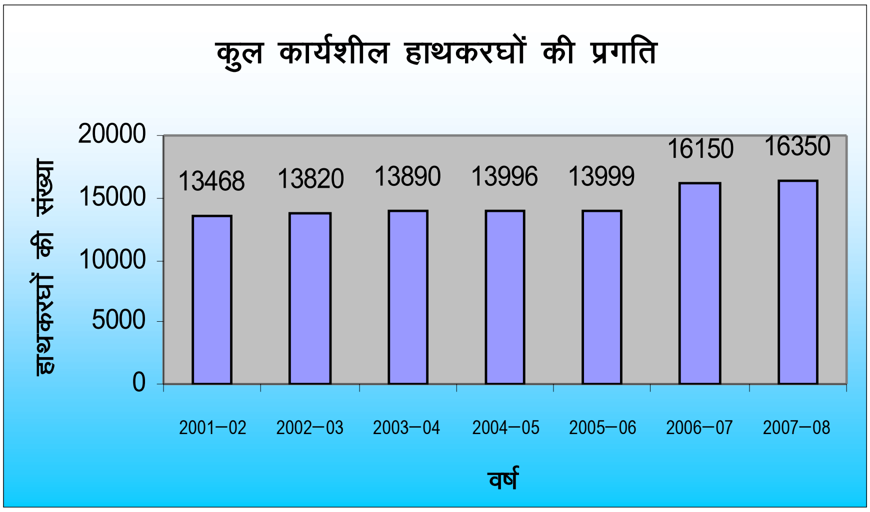

राज्य में स्थापित करघों की संख्या 24,573 है एवं ग्राफ से कार्य ीील हाथकरघों की स्थिति को देखने से स्पश्ट होता है कि वर्श 2001–02 में 13,468 हाथकरघ ो कार्य ीील थे जिनकी संख्या बढ़कर

2007–08 में 16,350 हो गयी जिसमें से 7,750 सहकारी क्षेत्र में एवं 8,600 सहकारी क्षेत्र के बाहर कार्य ील हैं।

- **उत्पादन की प्रगति–**

हाथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

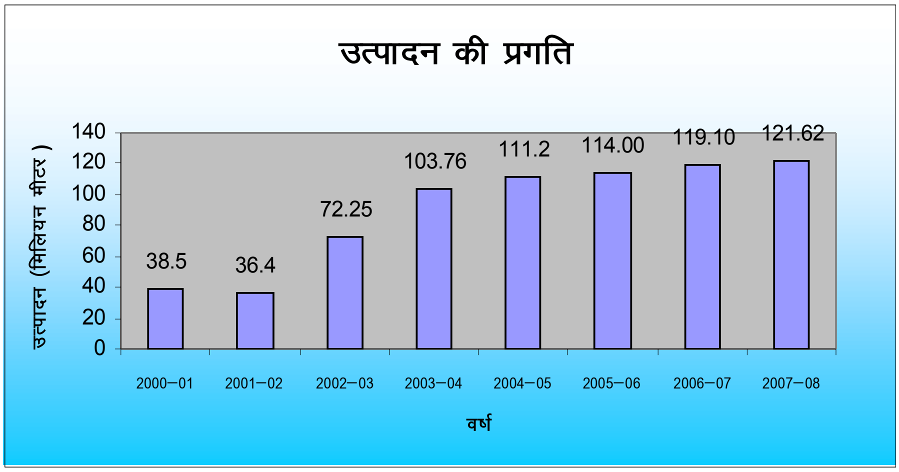

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि हाथकरघा उद्य ोग के अंतर्गत उत्पादन में निरतंर वृद्वि हो रही है। वर्श 2000–01 में 38.5 मिलियन मीटर उत्पादन किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 121.62 मिलियन मीटर हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल 716.83 मिलियन मीटर उत्पादन किया गया।

- निर्यात योग्य हाथकरघा वस्त्र के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 500 कोसा करघों का आधुनिकीकरण करने हेतु रू. 1.92 करोड़ स्वीकृत किया गया है।

- नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग में 705 अनुसूचित जनजाति के लोगों को हाथकरघा पर टाट्पट्टी, कम्बल एवं गणवे ा उत्पादन हेतु प्रि ाक्षण दिया गया।

- पहली बार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र राजनांदगांव जिले में ऊलन कम्बल का उत्पादन वर्श 2006–07 में प्रारंभ किया गया, जिसमें 110 करघे कार्यरत हैं, तथा 350 व्यक्तियों को इस उत्पादन से रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में भी निरंतर उत्पादन जारी रखते हुए उक्त व्यक्ति लाभन्वित हो रहे हैं।

- वर्श 2002–03 में प्रतिमाह 4,000 नग टाट्पट्टी उत्पादन की क्षमता थी, वहीं अब स्थानीय साधनों से छोटे लूम का प्रयोग कर उत्पादन क्षमता प्रतिमाह 60,000 नग टाट्पट्टी हो गई है। वर्श 2006–07 में बुनकरों द्वारा 1,10,000 नग टाट्पट्टी का उत्पादन कर ि ाक्षा विभाग को प्रदाय किया गया है। वर्श 2007–08 में 1.39 लाख नग टाटपट्टी प्रदाय की जा चुकी है।

- बुनकरों की संस्कृति परम्परा एवं कौ ाल को बढ़ावा देने के लिए स्वर्गीय बिसाहूदास महंत पुरस्कार योजना प्रारंभ किया गयी है। इस योजना में उत्कृश्ठ दो बुनकरों को एक–एक लाख रूपये से पुरस्कृत किया जाता है। कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजनांतर्गत दो बुनकरों को रू. 35,000 दिया जाता है।

- कंबल एवं उनी ब्लेजर के प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए राश्ट्रीय सम विकास योजनांतर्गत जिला राजनांदगांव के लिए रा ि ा रू. 1.52 करोड़ स्वीकृत की गयी है। स्थापना संबंधी कार्यवाही जारी है।

- ## रोजगार की प्रगति–

हाथकरघा उद्योग के अंतर्गत रोजगार की प्रगति को दण्ड आरेख में में द ार्शाया गया है

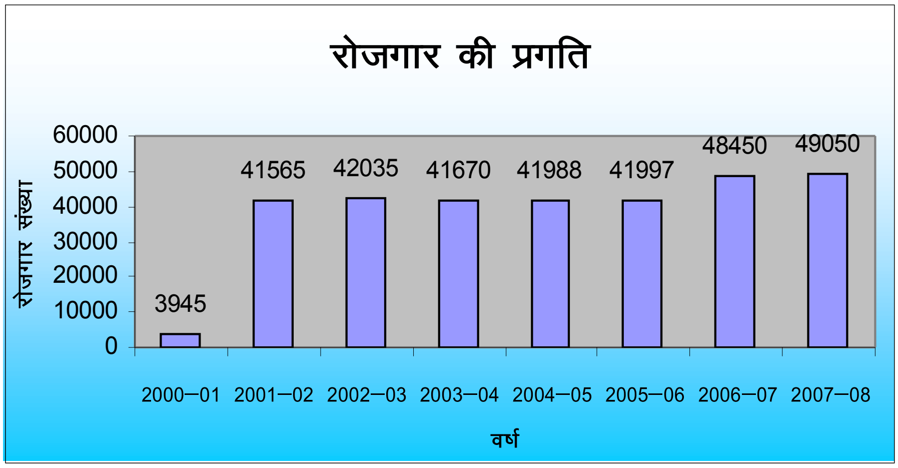

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि हाथकरघा उद्योग के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वर्श 2001–02 में जहां 41,565 हितग्राहियों को रोजगार प्रदान कर लाभांवित किया गया वही वर्श 2007–08 में बढ़ाकर 49,050 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया जिसमें से 24,489 हितग्राही सहकारी क्षेत्र में एवं 24,561 हितग्राही सहकारी क्षेत्र के बाहर लाभांवित हुए।

- वर्श 2006–07 एवं 2007–08 में स्कूल ि ाक्षा एवं आदिम जाति विकास विभाग को 16,63,909 नग गणवे ा सिलाई कर प्रदाय किया गया है, जिसमें प्रतिवर्श बुनाई कार्य में 10,000 बुनकरों को एवं सिलाई कार्य में 12,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

- रोजगार अवसरों में वृध्दि हेतु राज्य के चांपा–जांजगीर में दे ा के सांतवें भारतीय हाथकरघा प्रौद्य ोगिकी संस्थान में त्रिवर्शीय हाथकरघा डिप्लोमा कोर्स 2006 से प्रारंभ किया गया है।

- ## हथकरघा वस्त्रों के विक्रय की प्रगति–

- वर्श 2002–03 में रू. 5.00 करोड़ एवं वर्श 2006–07 रू. 26.00 करोड़ एवं वर्श 2007–08 में रू. 16.00 करोड़ का प्रदाय आदे ा विभिन्न विभागों से प्राप्त हुआ जिसमें 11,000 बुनकरों को रोजगार अवसर प्राप्त हुए।

- हाथकरघा वस्त्र के विपणन हेतु बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय प्रद ार्नी एवं दे ा के प्रमुख ाहरों में विक्रय प्रद ार्नी का आयोजन किया गया। वर्श 2006–07 में लगभग रू. 4.00 करोड़ एवं वर्श 2007–08 में रू. 2.04 करोड़ के हाथकरघा वस्त्रों का विक्रय किया गया।

- कुल 439.02 लाख मीटर कपड़े का विक्रय कर 18.49 करोड़ रू. प्राप्त किये।

रे ाम उद्योग

राज्य में रे ाम ग्रामोद्योग, ग्रामीण रोजगार के अवसर का सृजन एवं रे ाम विकास का आधार है। इस हेतु राज्य के अंतर्गत संचालनालय ग्रामोद्योग विभाग संचालित है जिसका उद्दे य ग्रामीण अंचलों में निवास कर रहे गरीब परिवारों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना, रे ाम योजनाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना, कच्चे रे ाम की मांग की पूर्ति हेतु सिल्क उत्पादन बढ़ाने के लिये अधोसंरचना निर्माण करना, उत्पादकता में वृद्धि हेतु नई तकनीक को मैदानी स्तर पर लागू करना है।

18.5 रेशम विकास हेतु अपनाई जा रही रणनीति–

- नैसर्गिक टस्सर उत्पादन एवं परपंरागत कोसा कृमिपालन की गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- रे ाम उद्योग की जनोन्मुखी योजनाओं को जन–भागीदारी एवं व्यावसायिक रूप देना।
- प्रदे ा में बुनकरों की आव यकता के अनुरूप रे ाम धागे के उत्पादन को बढ़ावा व उसे बुनकरों को उचित दर पर उपलब्ध कराना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ककून तथा रे ाम धागे के गुणात्मक सुधार लाना व कौ ाल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण हेतु निरंतर प्रयास कराना।
- रे ाम कीटपालन द्वारा अतिरिक्त आय अर्जित कराने के उद्दे य से निजी क्षेत्र में भाहतूत पौधरोपण को बढ़ावा देना।
- चयनित जिलों में प्राकृतिक रैली/लरिया/बरफ कोसाफलों का प्रगुणन केम्प लगाना।
- पालित डाबा बीज प्रगुणन (सीड रीलिज प्रोग्राम) के माध्यम से नये वन क्षेत्रों साजा/अर्जुना/सेन्हा/धवड़ा के पौधें वाले नवीन क्षेत्रों में योजना का क्रियान्वयन करना।
- रे ाम उत्पादन में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर बल देना।
- पालित टस्सर विकास हेतु नवीन विधाओं का समग्र विकास करना। ◁ 108 ▷
- पालित प्रजाति के कृमिपालकों को स्वस्थ समूह पर सहायता राि ा योजना का क्रियान्वन।
- अरंडी रे ाम विकास और विस्तार कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के माध्यम से टसर/मलबरी/ईरी रे ाम उत्पादन एवं गुणवत्ता सुधार की दि ाा में पहल।

रे ाम ग्रामोद्योग की स्थिति–

रे ाम/कोसा उद्योग एक रोजगार प्रधान खेती/वन आधारित ग्रामीण उद्योग है। छत्तीसगढ़ में कोसा कृमिपालन एवं वस्त्र निर्माण का कार्य परंपरागत रूप से कृटीर उद्योग के रूप में अनादिकाल से चला आ रहा है। रे ाम/कोसा उद्योग के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को तथा वि ोश तौर पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सीधे योगदान प्रदान करता है। प्रदे ा में 7,718 पीट/फ्रेम/जकार्ड लूम कार्यरत हैं तथा 9,862 सिल्क बुनकर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में 4,000 रीलर्स, 380 मास्टर बुनकर, 59 ड्रायर्स कार्यरत हैं। प्रदे ा में कोसा वस्त्र से संबंधित 68 भाो रूम तथा 482 व्यवसायिक संस्थान कोसा वस्त्र के निर्यात/निर्यात सामग्री तैयार करने के कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रदे ा में ाासकीय स्तर पर एक डिजाईन डेव्हलपमेंट सेन्टर (विवर सर्विस सेंटर (डब्ल्यू एस सी)) रायगढ़ में कार्यरत है। प्रदे ा में 2,500 मीटर सिल्क फर्नि ांग मटेरियल, 8,000 मीटर ड्रेस मटेरियल, 550 नग साड़ी प्रतिदिन निजी व्यवसायिक संस्थानों एवं भासकीय समितियों के माध्यम से उत्पादित हो रहे हैं। कोसा सिल्क उत्पादन का 3% स्थानीय स्तर पर 32% राश्ट्र स्तर पर तथा 65% निर्यात के माध्यम से विक्रय हो रहा है।

ग्रामोद्योग संचालनालय रे ाम प्रभाग द्वारा प्रदे ा में तीन प्रकार के रे ाम टसर/मलबरी/ईरी ककून उत्पादन एवं धागाकरण की विधाओं का सतत् विकास किया गया है।

राज्य गठन के पूर्व नवीं पंचवर्शीय योजना के अंत में **टसर उत्पादन** का क्षेत्रफल 12,269 हेक्टेयर एवं पौधरोपण का क्षेत्रफल 6,868 हेक्टेयर था जोकि ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना के प्रारंभ में बढ़कर क्रम ाः 14,407 हेक्टेयर एवं 10,860 हेक्टेयर हो गया। वर्श 2000–01 में 55.98 प्रति ात क्षेत्रफल में टसर खाद्य वृक्षारोपण था वहीं वर्श 2007–08 में यह बढ़कर 75.38 प्रति ात हो गया। वर्ष 2000–01 में

59.13 लाख नग पालित टसर ककून उत्पादन किया गया था जो कि वर्ष 2007–08 में तक 457.10 लाख नग (अब तक का सर्वाधिक) हो गया। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साल, सेन्हा, धवड़ा, बेर के वृक्षों पर नैसर्गिक रूप से टसर कोसा की रैली/लरिया/बरफ प्रजाति पायी जाती है। वर्ष 2000–01 में 496 लाख नग नैसर्गिक टसर ककून उत्पादन किया गया जो कि बढ़कर वर्ष 2007–08 में 586.74 लाख नग हो गया।

राज्य गठन के पूर्व नवीं पंचवर्शीय योजना के अंत में **मलबरी उत्पादन** का क्षेत्रफल 2,389 एकड़ एवं पौधरोपण का क्षेत्रफल 677 एकड़ था जो कि ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना के प्रारंभ में क्रम ाः 2,389 एकड़ एवं 1,513 एकड़ हो गया है। वर्श 2000–01 में 28.34 प्रति ात क्षेत्रफल में मलबरी वृक्षारोपण था वह वर्श 2007–08 में यह बढ़कर 63.33 प्रति ात हो गया। वर्श 2000–01 में 17,354 कि.ग्रा. मलबरी उत्पादन किया गया जो कि वर्ष 2007–08 में बढ़कर 41,632 कि.ग्रा. हो गया। वर्श 2000–01 की तुलना में वर्श 2007–08 तक मलबरी उत्पादन में 139.90 प्रति ात वृद्वि हुई है।

राज्य गठन के पूर्व प्रदेश में **ईरी उत्पादन** का कार्य नहीं होता था। प्रदेश में प्रथम बार नवीनतम प्रकार के ईरी ककून उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अम्बिकापुर/जशपुर/उत्तर बस्तर कांकेर/जगदलपुर में योजना का क्रियान्वयन किया गया। वर्ष 2003–04 में 1,087 कि.ग्रा. ईरी उत्पादन किया गया जो कि वर्ष 2007–08 में बढ़कर 4,370 कि.ग्रा. हो गया। वर्श 2003–04 से वर्श 2007–08 तक कुल 12,593 कि.ग्रा. ईरी उत्पादन किया जा चुका है।

18ण्6 रे ाम ग्रामोद्योग की बजटीय प्रगति–

रे ाम ग्रामोद्योग के विकास हेतु राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक के कुल बजट आंबटन एवं व्यय की प्रगति को तालिका क.–18.7 में द ार्या गया है–

तालिका क.–18.7

बजट आंबटन एवं व्यय की प्रगति

(लाख रू. में)

वर्ष	आंबटन	व्यय	% व्यय
2000–01	1081.27	541.23	50.06
2001–02	1922.70	1385.20	72.04
2002–03	1722.53	1442.17	83.72
2003–04	2002.13	1790.26	89.42
2004–05	2399.01	2122.66	88.48
2005–06	1901.84	1733.45	91.15
2006–07	2061.30	1973.28	95.73
2007–08	2014.51	1937.17	96.16
कुल	**15105.29**	**12925.42**	**85.57**

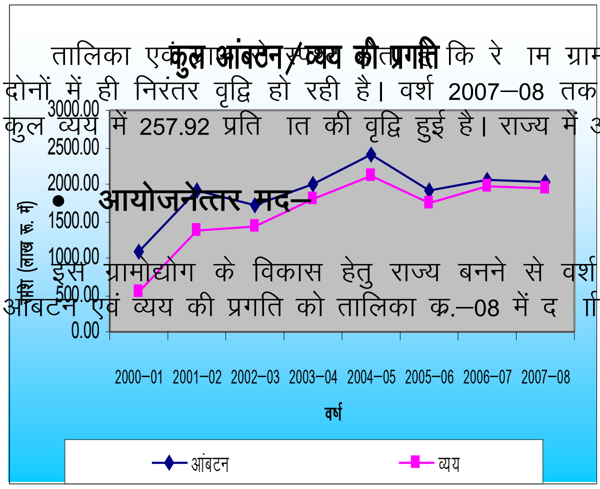

तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि रे ाम ग्रामोद्योग के विकास के हेतु प्राप्त आंबटन एवं व्यय दोनों में ही निरंतर वृद्वि हो रही है। वर्श 2007–08 तक आंबटन में 86.31 प्रति ात वृद्वि हुई है, जबकि कुल व्यय में 257.92 प्रति ात की वृद्वि हुई है। राज्य में औसतन कुल व्यय 85.57 प्रति ात रहा है।

- **आयोजनेत्तर मद–**

इस ग्रामोद्योग के विकास हेतु राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक के आयोजनेत्तर मद के बजट आंबटन एवं व्यय की प्रगति को तालिका क.–08 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.8

आयोजनेत्तर मद–आंबटन एवं व्यय की प्रगति

(लाख रू. में)

वर्ष	आंबटन	व्यय	% व्यय
2000–01	315.67	256.91	81.39
2001–02	732.23	715.72	97.75
2002–03	722.25	691.73	95.77
2003–04	768.80	751.26	97.72
2004–05	1179.15	1133.22	96.10
2005–06	1257.40	1179.95	93.84
2006–07	1382.85	1364.15	98.65
2007–08	1485.70	1470.09	98.95
कुल	**7844.05**	**7563.03**	**96.42**

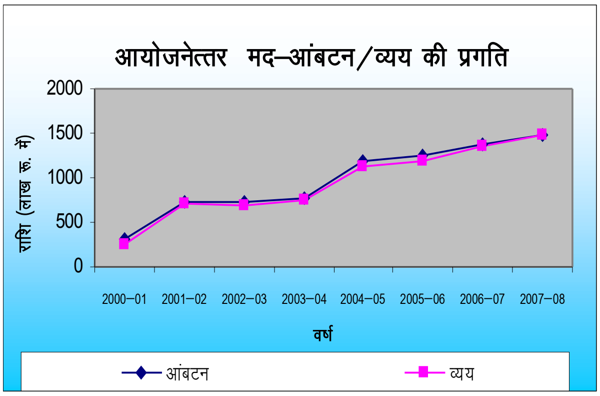

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि रे ाम ग्रामोद्योग के विकास के हेतु प्राप्त आयोजनेत्तर मद के आंबटन एवं व्यय दोनों में ही निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्श 2007–08 तक आंबटन में 370.65 प्रति ात वृद्धि हुई है, जबकि कुल व्यय में 472.22 प्रति ात की वृद्धि हुई है। राज्य में औसतन आयोजनेत्तर व्यय 96.42 प्रति ात रहा है।

- **आयोजना मद–**

इस ग्रामोद्योग के विकास हेतु राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक के आयोजना मद के बजट आंबटन एवं व्यय की प्रगति को तालिका क्र.–18.9 में द ााया गया है–

तालिका क्र.–18.9

आयोजना मद–आंबटन एवं व्यय की प्रगति

(लाख रू. में)

वर्श	आंबटन	व्यय	% व्यय
2000–01	765.60	284.32	37.14
2001–02	1190.47	669.48	56.24
2002–03	1000.28	750.44	75.02
2003–04	1233.33	1039.00	84.24
2004–05	1219.86	989.44	81.11
2005–06	644.44	553.50	85.89
2006–07	678.45	609.13	89.78
2007–08	528.81	467.08	88.33
कुल	**7261.24**	**5362.39**	**73.85**

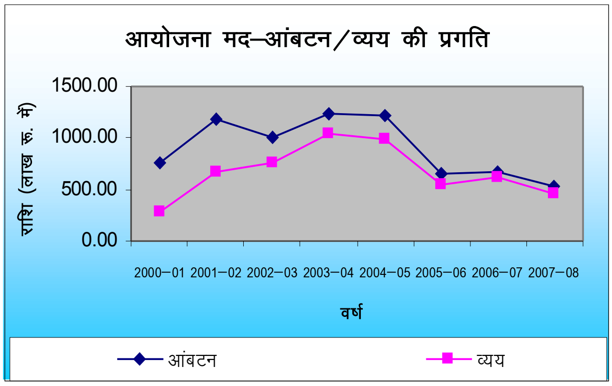

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि रे ाम ग्रामोद्योग के विकास के हेतु प्राप्त आयोजना मद के आंबटन एवं व्यय दोनों में वर्श 2003–04 तक वृद्वि हो रही है, किन्तु उसके बाद से ही निरंतर कमी हो रही है। राज्य में औसतन आयोजना व्यय 73.85 प्रति ात रहा है।

18.7 राज्य योजनाएं एवं विकास–

- **प्रि ाक्षण एवं अनुसंधान–** प्रि ाक्षण एवं अनुसंधान योजना के अंतर्गत टसर/मलबरी रे ाम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के तहत कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को एवं संबंधित कृशक हितग्राहियों को नवीनतम तकनीकी के प्रि ाक्षण दिये जाते हैं, साथ ही अन्य राज्यों तथा अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर टसर/मलबरी क्षेत्रों में समय–समय पर नवीन गतिविधियों की जानकारी से राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु प्रि ाक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। अनुसंधान अंतर्गत प्रदे ा की जलवायु में टसर/मलबरी/ईरी रे ाम की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रक्षेत्र परीक्षण कर उन्नत प्रजाति के उत्पादन हेतु तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है।

- **टसर रे ाम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम–** टसर रे ाम विकास एवं विस्तार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में टसर बीज केन्द्र/पायलट प्रोजेक्ट एवं अन्य योजनाओं के तहत केन्द्र स्थापित हैं। उक्त केन्द्रों पर बीज उत्पादन, पालित टसर ककून उत्पादन, केन्द्र संधारण, नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं ककून संग्रहण तथा धागाकरण से संबंधित कार्य किये जाते हैं।

(क) पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना–

पालित टसर की गतिविधियों को संचालित करने हेतु विभाग द्वारा हितग्राहियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जाती हैं–

- टसर रोगमुक्त बीजों का रियायती दर पर वितरण।
- निः ाुल्क तकनीकी मार्गद ान।
  - निर्धारित समर्थन मूल्य पर समिति के माध्यम से गुणत्ता आधारित कोसा क्रय कर किसानों को विपणन की चिंता से मुक्त रखना।

- ग्रामोद्योग संचालनालय रे ाम प्रभाग के अंतर्गत संचालित 103 टसर केन्द्रों में से 86 पायलेट प्रोजेक्ट/अन्य टसर केन्द्र तथा 17 कोसा बीज केन्द्र हैं।

(ख) नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा उत्पादन योजना–

प्राकृतिक रूप से उपलब्ध साल, सेन्हा, धवड़ा, बेर के वृक्षों पर नैसर्गिक रूप से टसर कोसा की रैली/लरिया/बरफ प्रजाति पायी जाती हैं उक्त प्रजाति का संग्रहण अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों के द्वारा किया जाता है। नैसर्गिक कोसा प्रगुणन एवं उत्पादन हेतु प्रदत्त सुविधाएं निम्नांनुसार हैं–

- साल बाहुल्य वन खण्डों में ब्रीडिंग मटेरियल (कृमि के अण्डे एवं तितलियॉ) छोड़े जा रहे है।
- इससे जुड़े हितग्राहियों को अधिक लाभ दिलाने के लिये खुले बाजार विपणन की व्यवस्था कराई गई है, जिससे उन्हें उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। खुले बाजार में नैसर्गिक मृत, बीज, कोसाफल रा ा रू. 2.00 से 3.10 प्रति कोसाफल एवं पोली कोसाफल रू. 1.00 से 1.20 की दर पर विक्रय हुआ है।
  इसके उत्पादन का अधिक लाभ स्थानीय हितग्राही को मिले इसलिए–
- प्रदे ा के विभिन्न जिलों में 861 टसर मोटराइज्ड रीलिंग म ाीन एवं 219 स्पीनिंग म ाीन हितग्राहियों को वितरित की गई हैं।
- महिला समूह को धागाकरण से प्रतिदिन रू. 50 से 60 की अतिरिक्त आय हो रही है।

▪ टसर रे ाम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में सुधार हेतु किये जा रहे प्रयास–

⇒ राज्य के साल बाहुल्य वन खण्डों– जगदलपुर/दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा/उत्तर बस्तर कांकेर जिलों में नैसर्गिक ककून को बढ़ाने हेतु बीज प्रगुणन का कार्यक्रम किया गया।

⇒ केन्द्रीय रे ाम बोर्ड की सहायता से उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत टसर विकास हेतु हितग्राही मूलक योजना चालू की गई है।

⇒ पालित डाबा बीज प्रगुणन (सीड रीलिज प्रोग्राम) के माध्यम से नये साजा/अर्जुना/सेन्हा/धवड़ा के पौधें वाले नवीन वन क्षेत्रों– जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अंबिकापुर, कोरिया, ज ापुर में योजना का क्रियान्वयन,किया गया।

⇒ वर्श 2007–08 में वन सुरक्षा समिति एवं अन्य नयें कृशक हिताग्राही के रूप में 1,108 कृशकों का लाभ पहुंचाया गया।

⇒ विभागीय, राश्ट्रीय रोजगार गारन्टी एक्ट एवं वि ोश केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 320 हैक्टर नये क्षेत्र में पौधरोपण किया गया।

▪ वित्तीय प्रगति– व्यय की प्रगति

टसर उत्पादन क्षेत्र में किये गये व्यय की स्थिति को इस दण्ड आरेख में द ार्याया गया है–

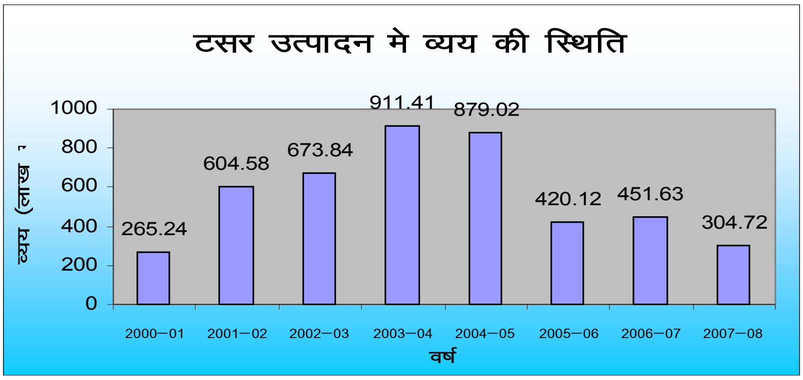

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2003–04 तक निरंतर किये गये व्यय में वृद्वि हो रही है, किन्तु इसके प चात व्यय में

उतार–चढ़ाव रहा है। वर्श 2000–01 से वर्श 2007–08 तक कुल रू. 4,510.56 लाख व्यय किया जा चुका है।

- ### भौतिक प्रगति–

⇒ टसर उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति

टसर उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति को तालिका क.–18.10 एवं दण्ड आरेख में द ाािया गया है–

तालिका क.–18.10

टसर उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति

(हेक्टेयर में)

वर्ष	क्षेत्रफल	वृक्षारोपण
2000–01	12269	6868
2001–02	12269	7835
2002–03	12269	8498
2003–04	12269	8538
2004–05	12269	8718
2005–06	13167	8900
2006–07	13167	9046
2007–08	14407	10860

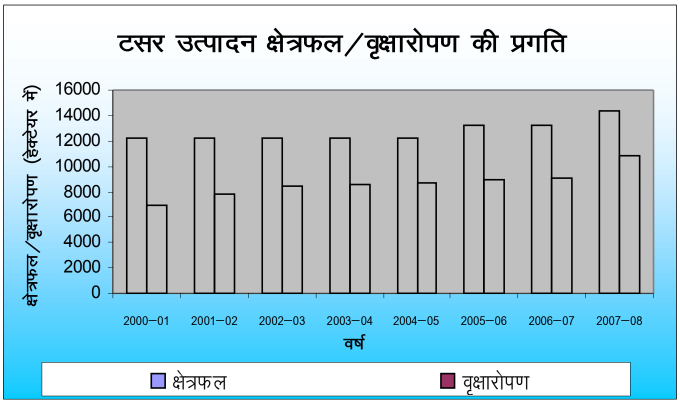

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2000–01 की तुलना में वर्श 2007–08 में टसर उत्पादन क्षेत्रफल एवं वृक्षारोपण में वृद्वि हुई है। क्षेत्रफल में जहां 17.43 प्रति ात वृद्वि हुई है वहीं वृक्षारोपण में 58.12 प्रति ात वृद्वि हुई है। वर्श 2000–01 में जहां कुल क्षेत्रफल के 55.98 प्रति ात क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया वहीं वर्श 2007–08 में यह बढ़ कर 75.38 प्रति ात हो गया।

प्रदे ा के कोसा कृमिपालकों को टसर खाद्य पौधें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्दे य से टसर खाद्य पौधों का पौधरोपण किया जावेगा।

⇒ नैसर्गिक ककून/टसर उत्पादन की प्रगति–

नैसर्गिक ककून/टसर उत्पादन प्रगति को तालिका क.–18.11 एवं दण्ड आरेख में द ाािया गया है–

तालिका क.–18.11

नैसर्गिक ककून/टसर उत्पादन की प्रगति

(लाख नग में)

वर्ष	नैसर्गिक ककून उत्पादन	पालित टसर ककून उत्पादन
2000–01	496.00	59.13
2001–02	570.42	172.45
2002–03	382.72	238.04
2003–04	828.79	218.61
2004–05	758.16	310.97
2005–06	378.86	330.51
2006–07	506.05	386.22
2007–08	586.74	457.10

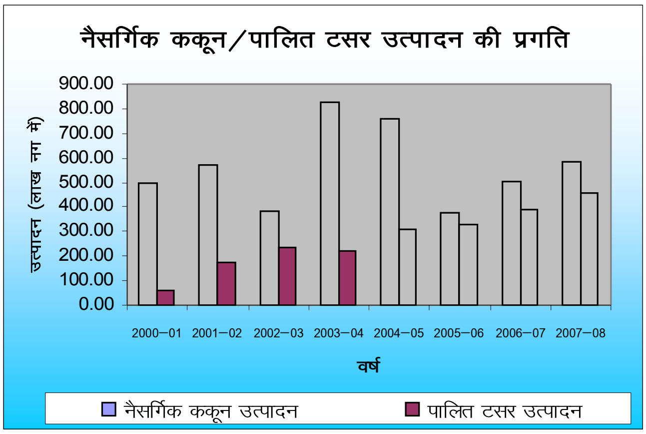

◁ 114 ▷

तालिका एवं दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2000–01 में **नैसर्गिक ककून** उत्पादन 496 लाख नग एवं पालित टसर ककून उत्पादन 59.13 लाख नग था जो कि वर्ष 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः 586.74 लाख नग एवं 457.10 लाख नग हो गया।

प्रदे ा में टसर कोसा उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2007–08 में 748 हेक्टेयर नवीन वन क्षेत्रों में 1,146 वन समिति के सदस्यों को कोसा उत्पादन से संबद्ध किया गया।

⇒ टसर धागा उत्पादन की प्रगति–

टसर धागा उत्पादन की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

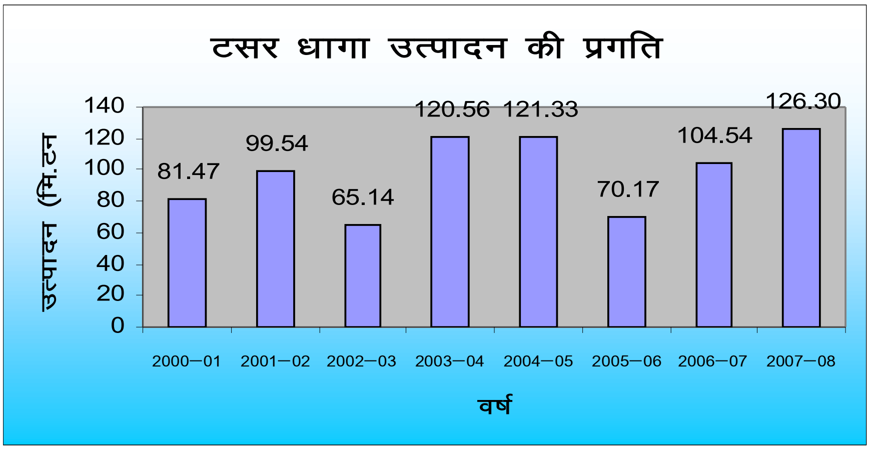

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित वर्षो में टसर धागे के उत्पादन में काफी उतार–चढाव रहा है। किन्तु वर्श 2000–01 में जहां 81.47 मि0टन टसर धागे का उत्पादन किया गया है वहीं वर्श 2007–08 में बढ़कर यह 126.30 मि0टन हो गया।

⇒ **रोजगार की प्रगति–**

टसर उत्पादन में रोजगार की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

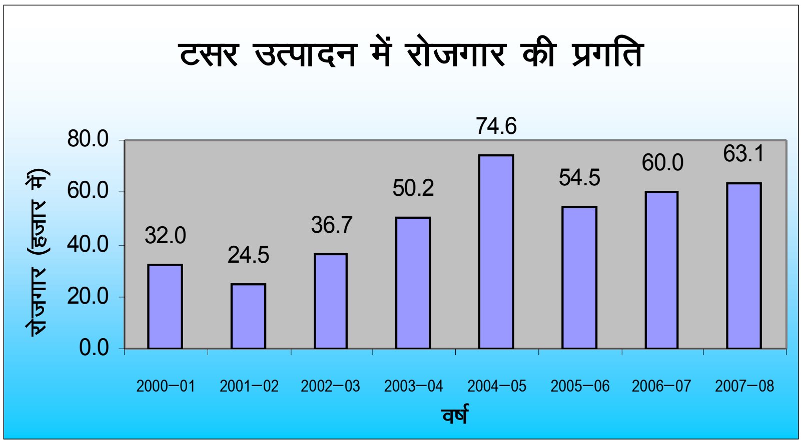

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2000–01 में जहां 32 हजार लोगों को रोजगार दिया गया वहीं वर्श 2007–08 में बढ़कर यह लगभग दुगना 63.1 हजार हो गया है। सर्वाधिक रोजगार वर्श 2004–05 में 74.6 हजार लोगों को प्रदान किया गया।

जिला रायगढ़ के भीखारीमाल ग्राम में 93 परिवारों को पूर्णतः टसर कोसा रीलिंग पर आधारित किया गया है इनसे मोटराइज्ड रीलिंग एवं स्पीनिंग म ीन के माध्यम से धागाकरण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रदे ा में नैसर्गिक टसर ककून संग्रहण को बढ़ाने तथा साल बाहुल्य वन खण्डों के समुचित उपयोग हेतु कबीरधाम जिले में प्रथम बार सरई से रे ाम हेतु 5 वर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। योजना की लागत रू0 2.42 करोड़ होगी एवं जिले के बैगा एवं अन्य अनुसूचित जनजाति परिवार नैसर्गिक कोसा संग्रहण, धागाकरण एवं वस्त्र निर्माण से लाभांवित होंगे।

- **मलबरी रे ाम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम–**

मलबरी रे ाम विकास एवं विस्तार योजना के अंतर्गत मलबरी ग्रेनेजों में स्वस्थ समूह एवं बीज उत्पादन तथा रे ाम केन्द्रों पर पौधरोपण संधारण एवं कृमिपालन का कार्य रे ाम कृमिपालक हितग्राहियों के गठित समूहों के माध्यम से कराया जाता है। ग्रामोद्योग संचालनालय (रे ाम प्रभाग) के अंतर्गत 106 रे ाम केन्द्र/बीज केन्द्र, 03 भाासकीय मलबरी ग्रेनेज, 05 धागाकरण (रीलिंग) यूनिट, 05 ट्विस्टिंग यूनिट, 01 अनुसंधान केन्द्र, इस प्रकार कुल 120 इकाई संचालित हैं। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत सिल्क फेडरे ान को समाहित किया जा चुका है। सिल्क फेडरे ान के तहत 06 ककून बैंक एवं 04 यार्न बैंक संचालित हैं जो समर्थन मूल्य पर उत्पादित मलबरी/टसर/ईरी ककून क्रय कर रहे हैं।

- **मलबरी रे ाम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में सुधार हेतु किये जा रहे प्रयास–**

⇒ केन्द्रीय रे ाम बोर्ड के सहयोग से उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मलबरी विकास हेतु हितग्राही मूलक योजना चालू की गई है।

⇒ भाहतूत की उन्नत प्रजातियों की कंटिंग्स से पौधरोपण किया गया है।

⇒ भाहतूत कृमिपालन हेतु उन्नत प्रजाति के बीज केन्द्रीय रे ाम बोर्ड बैंगलोर से प्राप्त कर कृमिपालन किया जा रहा है।

⇒ कृशकों के निजी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए भाहतूत पौधरोपण योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

▪ वित्तीय प्रगति– व्यय की प्रगति–

मलबरी उत्पादन क्षेत्र में किये गये व्यय की स्थिति को इस दण्ड आरेख में द र्शाया गया है–

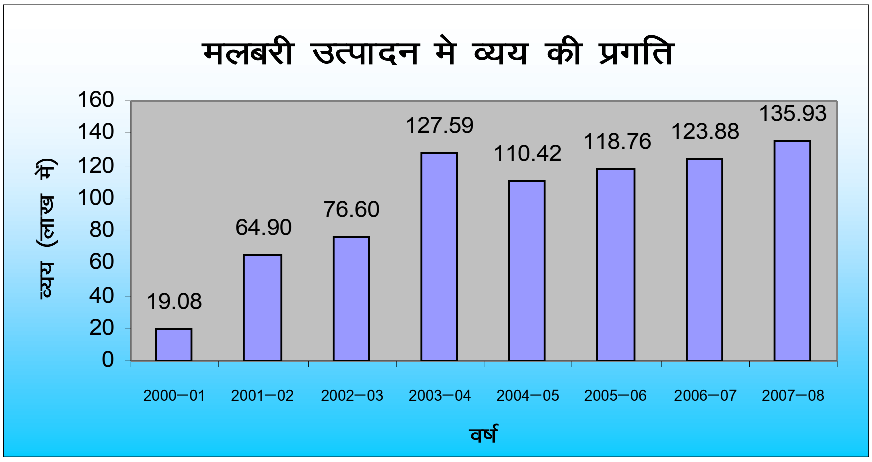

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि मलबरी उत्पादन के क्षेत्र में किये गये व्यय में निरंतर (वर्श 2003–04 वि शेश वृद्वि) वृद्वि हो रही है। वर्श 2000–01 में जहां रू. व्यय किया गया वही वर्श 2007–08 में बढ़कर यह रू. 135.93 लाख हो गया। वर्श 2000–01 से वर्श 2007–08 तक कुल रू. 777.16 लाख व्यय किया गया है।

▪ भौतिक प्रगति–

⇒ मलबरी उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति

मलबरी उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति को तालिका क्र.–18.12 एवं दण्ड आरेख में द र्शाया गया है–

तालिका क्र.–18.12

मलबरी उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति

(एकड़ में)

वर्ष	क्षेत्रफल	कुल उपलब्ध वृक्षारोपण
2000–01	2389	677
2001–02	2389	766
2002–03	2389	838
2003–04	2389	991
2004–05	2389	1082
2005–06	2389	1134
2006–07	2389	1386
2007–08	2389	1513

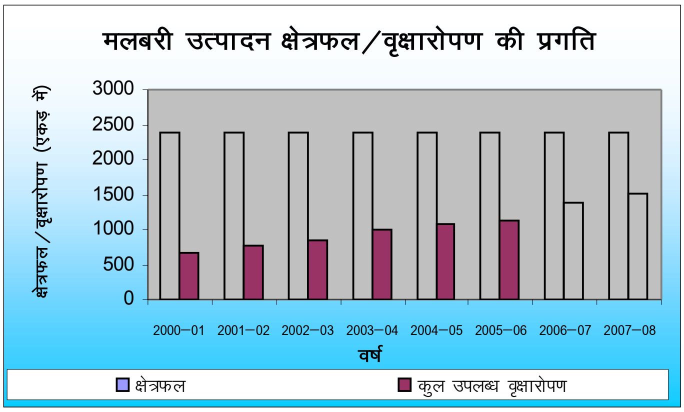

तालिका एवं दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्श 2000–01 से वर्श 2007–08 तक मलबरी उत्पादन क्षेत्रफल स्थिर रहा है जबकि कुल उपलब्ध वृक्षारोपण में वृद्वि हो रही है। वृक्षारोपण में 132.49 प्रति ात वृद्वि हुई है। वर्श 2000–01 में जहां कुल क्षेत्रफल के 28.34 प्रति ात क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया वहीं वर्श 2007–08 में बढ़कर यह 63.33 प्रति ात हो गया।

⇒ मलबरी उत्पादन की प्रगति–

मलबरी उत्पादन की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

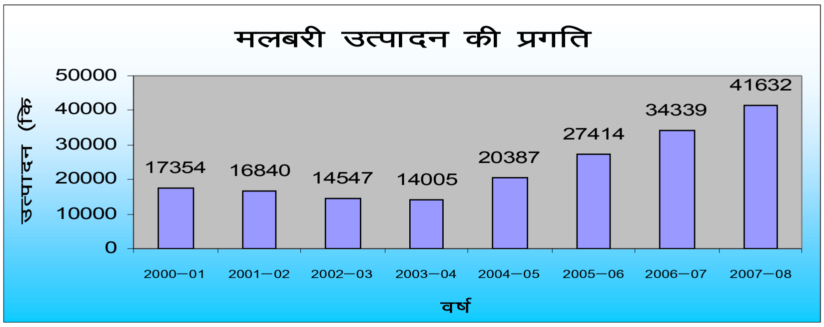

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2000–01 में 17,354 कि.ग्रा. मलबरी उत्पादन किया गया जो कि वर्श 2007–08 में बढ़कर 41,632 कि. ग्रा. हो गया। वर्श 2000–01 की तुलना में वर्श 2007–08 तक मलबरी उत्पादन में 139.90 प्रति त वृद्वि हुई है।

⇒ रोजगार की प्रगति–

मलबरी उत्पादन में रोजगार की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

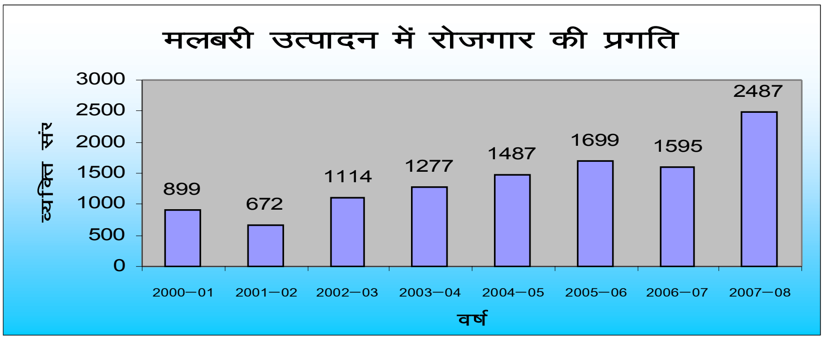

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2000–01 में जहां 899 लोगों को रोजगार दिया गया वहीं वर्श 2007–08 में बढ़ाकर लगभग तीन गुना अधिक 2,487 लोगों का रोजगार प्रदान किया गया।

- **ईरी रे म विकास कार्यक्रम–**

⇒ प्रदे । में पहली बार नवीन प्रकार के ईरी ककून उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु जिला अंबिकापुर/ज पुर/जगदलपुर/उत्तर बस्तर कांकेर में अरण्डी पौधरोपण किया गया।

⇒ ईरी उत्पादन कार्य सतत रूप से करते हुए जनवरी 2008 अंत तक 2,130 कि.ग्रा. ककून उत्पादन हो चुका है।

- **वित्तीय प्रगति– व्यय की प्रगति–**

ईरी उत्पादन क्षेत्र में किये गये व्यय की स्थिति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

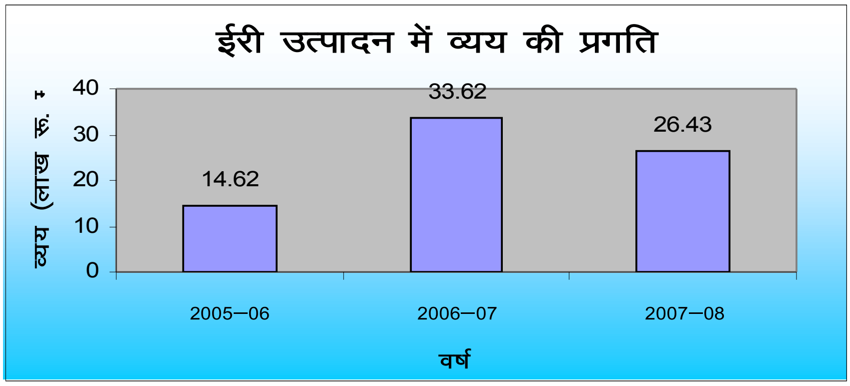

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि ईरी उत्पादन क्षेत्र में किये जाने व्यय में वर्श 2006–07 बाद से कमी हो रही है। इसका मूल कारण इस क्षेत्र में प्राप्त

के

आबंटन में कमी है। वर्श 2005–06 से वर्श 2007–08 तक कुल रू. 74.67 लाख ईरी उत्पादन पर व्यय किया जा चुका है।

- **भौतिक प्रगति–**

⇒ **ईरी उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति–**

ईरी उत्पादन क्षेत्रफल/वृक्षारोपण की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्ााया गया है–

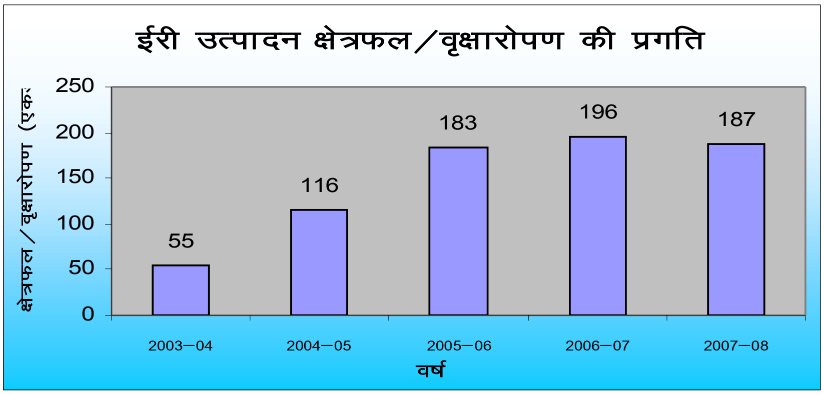

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्श 2000–01 से वर्श 2006–07 तक ईरी उत्पादन क्षेत्रफल एवं वृक्षारोपण में वृद्वि हो रही है, किन्तु इसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी परिलक्षित हो रही है।

⇒ **ईरी उत्पादन की प्रगति–**

राज्य में ईरी उत्पादन की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्ााया गया है–

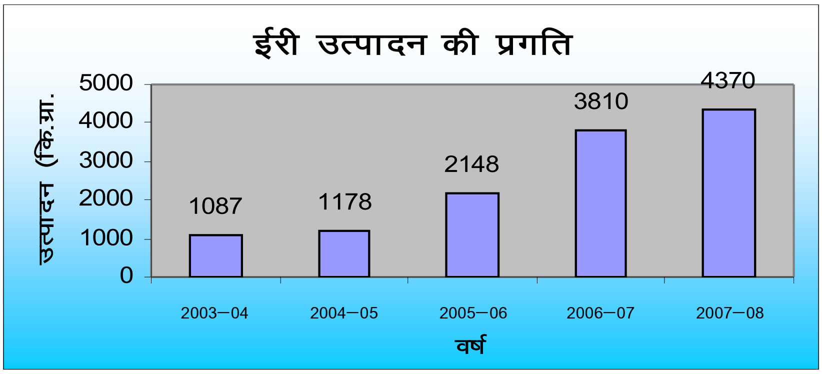

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 में 1,087 कि.ग्रा. ईरी उत्पादन किया गया जो कि वर्ष 2007–08 में बढ़कर 4,370 कि.ग्रा. हो गया। वर्श 2003–04 से वर्श 2007–08 तक कुल 12,593 कि.ग्रा. ईरी उत्पादन किया गया।

⇒ **रोजगार की प्रगति–**

ईरी उत्पादन में रोजगार की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्ााया गया है–

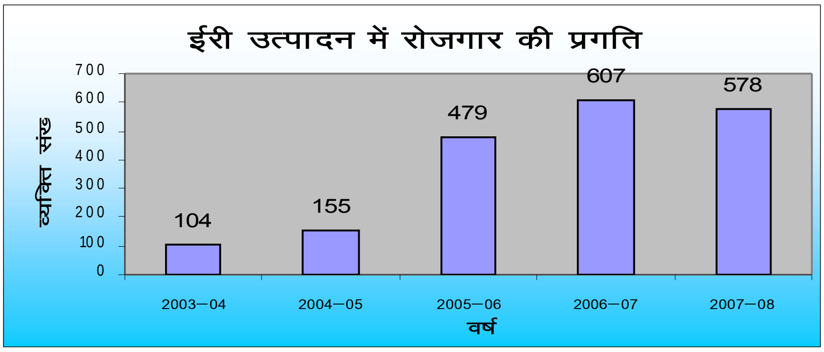

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि इसमें वर्श 2003–04

में जहां 104 लोगों को रोजगार दिया गया वहीं वर्श 2007–08 में यह पांच गुना से ज्यादा बढ़कर 578 हो गया है।

18.9 जैपनींज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) वित्त पोषित छत्तीसगढ़ रेशम परियोजना–

राज्य में रे ाम/टसर विकास की अपार सम्भावनों को दृश्टिगत रखते हुये तत्कालीन म0प्र0 के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वर्श 1998 में जे.बी.आई.सी. जापान द्वारा वित्त पोषित छ0ग0 रे ाम परियोजना का कियान्वयन बिलासपुर संभाग के सात जिलों बिलासपुर/जांजगीर चांपा/कोरबा/सरगुजा/कोरिया/ज ापुर एवं रायगढ़ में किया गया।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

ग्रामीण अंचलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले हितग्राहियों विशेष कर महिलाओं को रे ाम/कोसा उत्पादन कर परियोजना के माध्यम से स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराते हुए गरीबी उन्मूलन करना।

प्रदे ा एवं दे ा में बढ़ती हुई सिल्क की मांग की पूर्ति परियोजना के माध्यम से उत्पादित होने वाले सिल्क से करना।

परियोजना अंतर्गत कार्यो का विवरण (उद्दे यों की पूर्ति)–

परियोजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले महिला हितग्राहियों के स्व सहायता समूह गठित कर परियोजना जिलों में 4,000 हेक्टेयर वन/राजस्व भूमि पर टसर खाद्य पौधों (साजा/अर्जुन) का पौधरोपण करना।

परियोजना क्षेत्र में कोसा उत्पादन से जुड़ी 27 अधोसंरचना का विकास जिसमें 10 टसर एग्स प्रोडक ान सेन्टर (TEPC), 10 टसर ककून प्रोक्यूरमेंट एण्ड स्टोरेज सेन्टर (TCPSC), 03 टसर सील मल्टीप्लीके ान (TSHQ) एवं 01 टसर फील्ड रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (FRTC) हैं।

कोसा उत्पादन विकास हेतु योजना से जुड़े भाासकीय कर्मचारियों एवं महिला हितग्राहियों को प्रि ाक्षण एवं उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।

रेशम परियोजना की लागत–

रेशम परियोजना के चरण–एक भाग एक में 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टसर खाद्य पौधों के पौधरोपण एवं उससे संबंधित अधोसंरचना विकास की कुल स्वीकृत लागत राशि रू. 117.16 करोड़ थी जिसमें ऋण अंश राशि रू. 64.87 करोड़ एवं राज्य अंश राशि रू. 52.29 करोड़ थी।

परियोजना की अवधि – (चरण एक भाग एक) 7 वर्ष (वर्ष 1998 –2005 तक)

परियोजना की अवधि में वृद्धि– 2 वर्ष (वर्ष 2005 से फरवरी 2007 तक)

तलिका क्र.–18.13

रेशम परियोजना की वित्तीय उपलब्धि

ऋण अं ा	राज्यां ा अं ा	व्यय (मार्च–07 तक)
44.36 करोड़	53.21 करोड़	97.57 करोड़

तलिका क्र.–18.14

रेशम परियोजना की भौतिक उपलब्धि

क्र.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1	टसर पौधरोपण	4,000 हेक्टेयर	4,000 हेक्टेयर
2	रेशम कृषक समूह संख्या	150	155
3	लाभांवित महिला हितग्राही संख्या (कृमिपालक)	4,000	5,340
4	महिला स्व सहा0 समूह संख्या	300	332
5	रीलिंग एवं स्पीनिंग महिला हितग्राही संख्या	750	750
6	रीलिंग एवं स्पीनिंग समूह संख्या	50	55
7	वितरित मोटराइज्ड रीलिंग म ाीन संख्या	500	500

8	वितरित मोटराइज्ड स्पीनिंग म ीन संख्या	250	250

तलिका क.–18.15

परियोजना अंतर्गत वि ाश्ठ उपलब्धियॉ

क.	**विवरण**	**(रा ा करोड़ रू. में)**
1.	गठित महिला स्वसहायता समूह द्वारा परियोजना अंतर्गत प्रदाय रा ा की 25 प्रति ात रा ा से सावधि जमा रा ा	3.52
2.	महिला बचत साख समूह द्वारा उनके खाते में जमा रा ा	0.14
3.	अन्य वैकल्पिक रोजगार अंतर्गत बचत साख समूह द्वारा बकरी पालन, सुअर पालन, किराना व्यवसाय, सब्जी व्यवसाय, आपसी लेन देन एवं अन्य वन आधारित व्यवसाय किये जा रहे हैं	2,150 महिला हितग्राही 2,150 महिला

तलिका क.–18.16

परियोजना अंतर्गत ककून उत्पादन/ हितग्राही

वर्ष	**उत्पादन**	**हितग्राही**
2001–02	2,09,070	66
2002–03	18,62,213	625
2003–04	41,21,136	1,582
2004–05	92,27,916	3,047
2005–06	1,07,97,549	2,735
2006–07	1,35,69,440	3,320
2007–08	1,78,43,514	3,503

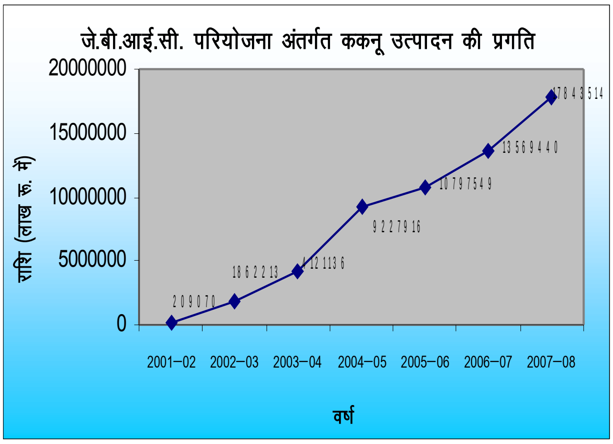

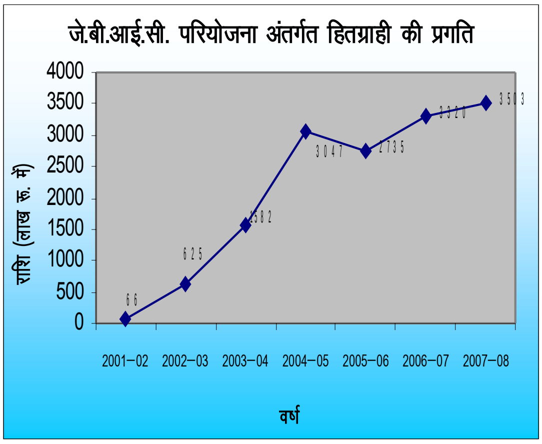

रे ाम परियोजना के पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन उपरांत उत्पादन एवं लाभ–

तलिका क्र.–18.17

चरण एक भाग एक के क्रियान्वयन उपरांत परियोजना के कुल उत्पादन एवं लाभ

क्र.	**विवरण**	**राि ा/उत्पादन**	**लाभान्वित हितग्राही**
1	कुल कोसा उत्पादन	12.38 करोड़	7,870
2	उन्नत किस्म का टसर रील्ड धागा	87.04 टन	2,683 लाभान्वित हितग्राही
3	टसर स्पन धागा	54.96 टन	1,696 लाभान्वित हितग
4	टसर कोसा वस्त्र निर्माण		5,661
	योग		17,910

तलिका क्र.–18.18

प्रति हेक्टेयर पौधरोपण से उत्पादित कोसे से प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्ष/ प्रति परिवार आय/लाभ

क्रं.	**विवरण**	**(राि ा हेक्टेयर में)**
1	कुल संभावित कोसा उत्पादन	22,280 कोसा/हेक्टेयर
2	कोसा उत्पादन से कुल आय	24,170/हेक्टेयर
3	कुल उत्पादन लागत	8,610/हेक्टेयर
4	कोसा उत्पादन से कुल नेट आय	15,560/हेक्टेयर

तलिका क.—18.19

उन्नत किस्म की रीलिंग एवं स्पीनिंग म ीनों द्वारा लाभ

कं.	विवरण	ईकाई	(रा ि रू. में)
1	उन्नत रीलिंग म ीन	प्रति म ीन/प्रति वर्श आय लाभ	30400
2	उन्नत स्पीनिंग म ीन	प्रति म ीन/प्रति वर्श आय लाभ	9400

तलिका क.—18.20

निर्माण कार्यो की अद्यतन प्रगति

क.	वर्श	निर्माण संस्था को प्रदाय रा ि करोड़ में	निर्माण कार्यो की संख्या	प्रगति
1	2002—03	1.08	05	पूर्ण
2	2003—04	1.08	05	
3	2004—05	2.93	13	
4	2005—06	0.77	04	
	योग	5.86	27	

18.10 रे ाम उद्योग (कुल प्रगति)—

- **लाभांवित हितग्राही—**

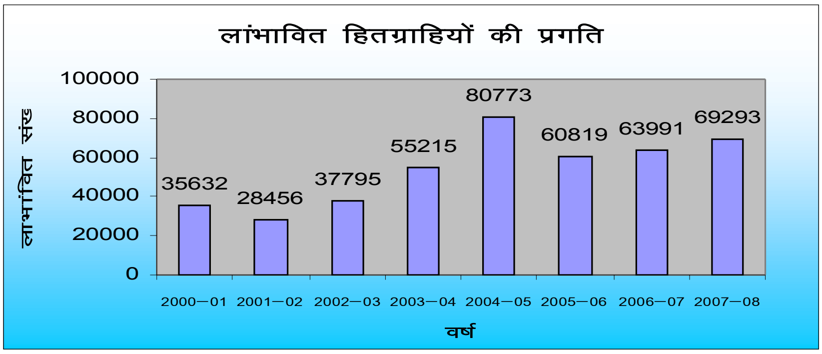

रे ाम ग्रामोद्योग द्वारा वर्श 2000—01 में 35,632 हितग्राही लाभांवित किये गये जो कि वर्श 2007—08 में बढ़कर 69,293 हो गये।

- **अर्जित आय (राजस्व प्राप्ति) की प्रगति—**

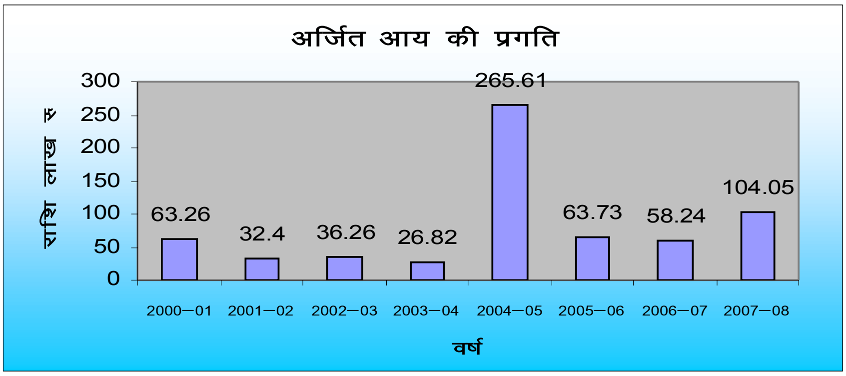

दण्ड आरेख से स्पश्ट है कि वर्श 2000—01 में 63.26 लाख रू. राजस्व की प्राप्ति हुई जबकि वर्श 2007—08 में बढ़ कर 104.05 लाख रू. हो गई। नोट— वर्श 2004—05 में रा ि रू. 265.61 लाख आय, छ.ग. रे ाम परियोजना के अंतर्गत सलाहकार दल के आयकर की रा ि जो कि आयकर विभाग से वापस प्राप्त हुई थी ामिल होने के कारण अन्य वर्शो की तुलना में अधिक द ि ित हो रही है।

18.11 केन्द्र प्रवर्तित उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम—

राज्य में यह योजना 10वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत वर्श 2003—04 में ाुरू की गई। योजना का मुख्य उद्दे य टसर एवं मलबरी कोसा तथा धागे की गुणवत्ता में सुधार से उन्नत

तकनीकी की ग्रह्यता, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्वि, पूंजी निवे ा को बढ़ावा देना एवं स्व–रोजगार से संबद्वता स्थापित करना है। उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में टसर, मलबरी, ईरी रे ाम उत्पादन, धागाकरण व प्रचार प्रसार की योजनाएं क्रियान्वयन की जा रही हैं।

10वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत प्रगति–

- **वित्तीय प्रगति–** रे ाम विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आंबटन एवं व्यय की प्रगति को तालिका क्र.–18.21 एवं दण्ड आरेख में द ार्या गया है

तालिका क्र.–18.21

आंबटन एवं व्यय की प्रगति

(लाख रू. में)

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	कुल
2003–04	106.74	57.60	5.11	169.45
2004–05	157.09	96.73	8.82	262.64
2005–06	127.42	74.7	6.74	208.86
2006–07	61.05	45.11	4.14	110.3
कुल	**452.30**	**274.14**	**24.81**	**751.25**

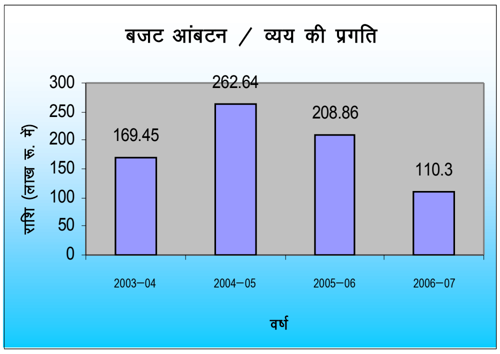

तालिका से स्पश्ट होता है कि प्रारंभिक दो वर्शो में प्राप्त आंबटन एवं व्यय में वृद्वि हो रही है किन्तु भोश दो वर्शो में कमी परिलक्षित हो रही है। 10वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत कुल रू. 452.30 लाख केन्द्रां ा, रू. 274.14 लाख राज्यां ा एवं रू. 24.81 लाख हितग्राही अं ा इस प्रकार कुल रू. 751.25 लाख प्राप्त आंबटन का उपयोग किया गया।

- **भौतिक प्रगति–**

रे ाम विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत विभिन्न समूहो को दी गई सहायता की प्रगति को तालिका क्र.–18.22 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.22

विभिन्न समूहो को दी गई सहायता की प्रगति

(संख्या में)

वर्ष	बीज कृमिपालकों को सहायता	व्यवसायिक कृमिपालक को सहायता	निजी अण्डा उत्पादकों को सहायता	मलबरी कृमिपालक को सहायता	मलबरी एवं ईरी कृमिपालकों को प्रशिक्षण एवं उपकरण प्रदाय	कुल
2003–04	340	866	42	225	125	**1598**
2004–05	840	1400	82	155	100	**2577**
2005–06	840	1350	50	142	50	**2432**
2006–07	325	690	43	120	50	**1228**
कुल	**2345**	**4306**	**217**	**642**	**325**	**7835**

तालिका से स्पश्ट होता है कि प्रारंभिक दो वर्शो में दी जाने वाली सहायता में वृद्वि हो रही है किन्तु भोश दो वर्शो में कमी परिलक्षित हो रही है इसका मूल कारण यह है कि प्रारंभिक दो वर्शो के आंबटन में वृद्वि हुई है जबकि भोश दो वर्शो में कमी हुई है।

10वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत कुल 2,345 बीज कृमिपालकों, 4,306 व्यवसायिक कृमिपालकों, 217 निजी अण्डा उत्पादकों, 642 मलबरी कृमिपालकों को सहायता एवं 325 मलबरी एवं ईरी कृमिपालकों को प्रशिक्षण एवं उपकरण प्रदाय किये गए कुल 7,835 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया।

- **मूलभूत सुविधाओं का निर्माण–**

रे ाम विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं के निर्माण की प्रगति को तालिका क.–18.23 में द ाया गया है

तालिका क.–18.23

मूलभूत सुविधाओं के निर्माण की प्रगति

(संख्या में)

वर्ष	ड्रिप सिंचाई (हेक्टे.में)	ग्रेनेज हाऊस (टसर क्षेत्र)	रियरिंग कृमिपालन (मलबरी क्षेत्र)	चॉकी कृमिपालन केन्द्र (मलबरी क्षेत्र)	पायलेट प्रोजेक्ट सेन्टर उन्नयन (टसर क्षेत्र)	मलबरी ग्रनेज का उन्नयन	रील इकाईयों का उन्नयन
2003–04	10	42	20	2	6	3	4
2004–05	10	82	15	2	10	3	4
2005–06	5	50	15	1	11	0	0
2006–07	0	43	0	0	3	0	0
कुल	**25**	**217**	**50**	**5**	**30**	**6**	**8**

तालिका से स्पश्ट होता है कि 10वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत कुल 25 हेक्टे. में ड्रिप सिंचाई, 217 टसर क्षेत्र में ग्रेनेज हाऊस, 50 मलबरी क्षेत्र में कृमिपालन कक्ष, 5 मलबरी क्षेत्र में चॉकी कृमिपालन केन्द्र, 30 टसर क्षेत्र में पायलेट प्रोजेक्ट सेन्टर का उन्नयन, 6 मलबरी ग्रनेज का उन्नयन एवं 8 रील इकाईयों का उन्नयन किया गया।

11वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत प्रगति–

- **वित्तीय प्रगति–** ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना में भी केन्द्रीय रे ाम बोर्ड द्वारा प्रवर्तित **उत्प्रेरण विकास कार्यकम** के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मिलित किया गया है। रे ाम विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्शीय योजना के बजट प्रस्ताव को तालिका क.–18.24 एवं दण्ड आरेख में द ाया गया है–

तालिका क.–18.24

बजट प्रस्ताव की स्थिति

(लाख रू. में)

वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	कुल
2007–08	342.69	80.04	4.07	**426.80**
2008–09	602.73	132.08	5.79	**740.60**
2009–10	334.28	74.39	3.61	**412.28**
2010–11	288.60	64.91	3.12	**356.63**
2011–12	277.50	63.26	3.12	**343.88**
कुल	**1845.80**	**414.68**	**19.71**	**2280.19**

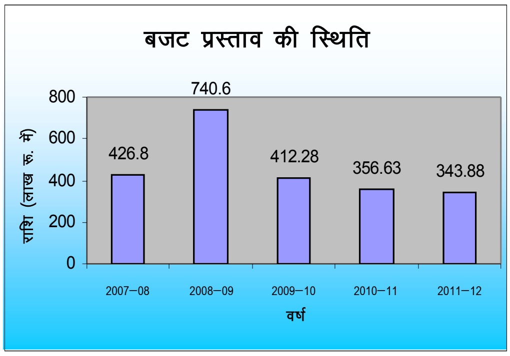

तालिका से स्पश्ट होता है कि प्रारंभिक दो वर्शों में प्राप्त आंबटन एवं व्यय में वृद्वि हो रही है किन्तु भोश दो वर्शो में कमी परिलक्षित हो रही है। 11वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत कुल रू. 1845.80 लाख केन्द्रां ा, रू. 414.68 लाख राज्यां ा एवं रू. 19.71 लाख हितग्राही अं ा इस प्रकार कुल रू. 2280.19 लाख बजट प्रस्ताव रखा गया है।

वर्श 2007–08 में राज्य में टसर, मलबरी, ईरी रे ाम विकास एवं प्रचार प्रसार तथा प्रि ाक्षण आदि के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कुल रािा रू. 816.16 लाख की योजना थी जिसमें से रू. 716.35 लाख केन्द्रां ा, रू. 138.63 लाख राज्यां ा एवं रू. 6.18 लाख हितग्राही अं ा के रूप में प्रस्तावित की गई किन्तु कुल रू. 426.80 लाख के आंबटन का उपयोग किया गया। जिसमें से रू. 342.69 लाख केन्द्रां ा, रू. 80.04 लाख राज्यां ा एवं रू. 4.07 लाख हितग्राही अं ा के रूप में उपयोग किया गया।

- **भौतिक प्रगति–**

रे ाम विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत विभिन्न समूहो को दी जाने वाली सहायता की स्थिति को तालिका क्र.–18.25 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.25

विभिन्न समूहों को दी गई सहायता की प्रगति

(संख्या में)

वर्ष	टसर बीज कृमिपालकों को सहायता	व्यवसायिक कृमिपालकों को सहायता	निजी अण्डा उत्पादकों को सहायता	म्लबरी कृमिपालकों को सहायता	ईरी कृमिपालकों को सहायता	रीलर्स/स्पीनर्स को सहायता	कुल
2007–08	100	1000	40	100	50	200	**1490**
2008–09	200	700	40	175	150	100	**1365**
2009–10	200	400	20	120	100	80	**920**
2010–11	-	400	-	115	100	50	**665**
2011–12	-	400	-	115	100	50	**665**
कुल	**500**	**2900**	**100**	**625**	**500**	**480**	**5105**

तालिका से स्पश्ट होता है कि 11वीं पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत कुल 500 टसर बीज कृमिपालकों, 2,900 व्यवसायिक कृमिपालकों, 100 निजी अण्डा उत्पादकों, 625 मलबरी कृमिपालकों को सहायता एवं 500 ईरी कृमिपालकों 480 रीलर्स/स्पीनर्स इस प्रकार कुल 5,105 हितग्राहियों को सहायता प्रदान कर लाभांन्वित किये जाने का लक्ष्य है।

- **मूलभूत सुविधाओं का निर्माण–**

रेशम विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं के निर्माण की प्रगति को तालिका क्र..–18.26 में दर्शाया गया है

तालिका क्र.–18.26

मूलभूत सुविधाओं के निर्माण की स्थिति

(संख्या में)

वर्ष	ड्रिप सिंचाई (हेक्टे. में)	ग्रेनेज हाऊस (टसर क्षेत्र)	कृमिपालन कक्ष (मलबरी)	चॉकी कृमिपालन केन्द्र (मलबरी क्षेत्र)	पायलेट प्रोजेक्ट सेन्टर उन्नयन (टसर क्षेत्र)	मलबरी ग्रेनेज का उन्नयन	रील इकाईयों का उन्नयन	ईरी फार्म कम ग्रेनेज हाऊस	ईरी रियरिंग हाऊस का निर्माण	टसन ककून संग्रहालय का निर्माण
2007–08	30	40	75	0	5	-	-	3	50	10
2008–09	175	40	200	10	5	3	-	-	-	20
2009–10	20	20	120	5	-	-	-	-	100	10
2010–11	10	-	115	5	-	-	-	-	100	10
2011–12	10	-	115	5	-	-	-	-	100	10
कुल	**245**	**100**	**625**	**25**	**10**	**3**	**0**	**3**	**350**	**60**

तालिका से स्पश्ट होता है कि 11वी पंचवर्शीय योजना के अंतर्गत उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में हितग्राहियों हेतु 245 हेक्टे. में ड्रिप एरीगेशन, 100 टसर क्षेत्र में ग्रेनेज हाउस, 625 मलबरी कृमिपालन कक्ष, 25 चॉकी कृमिपालन केन्द्र, 10 मलबरी क्षेत्र में पायलेट प्रोजेक्ट सेन्टर का उन्नयन, 03 मलबरी ग्रेनेज का उन्नयन, 03 ईरी फार्म कम ग्रेनेज हाउस, 350 ईरी रियरिंग हाउस का निर्माण एवं 60 टसन ककून संग्रहालय का निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

हस्तशिल्प

“हस्तशिल्प” भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हमारे राज्य में हस्तशिल्प का इतिहास काफी गौरवपूर्ण एवं समृद्वशाली रहा है। राज्य में विभाजन के पूर्व म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा हस्तशिल्प की गातिविधियों का संचालन किया जाता था। वर्श 2002 में तात्कालिक व्यवस्था के तहत् छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प की गतिविधियों के संचालन के लिये छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत् हस्तशिल्प प्रकोश्ठ बनाकर गतिविधियां संचालित की गईं। तत्पश्चात दिसम्बर, 2004 में छ. ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया एवं बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तशिल्प विकास की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हस्तशिल्प विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास विस्तार एवं लुप्त हुए शिल्पों को प्रशिक्षण के माध्यम से पुर्नजीवित करते हुए अधिक से अधिक बेरोजगारों, परम्परागत/गैर परम्परागत शिल्पियों को स्वरोजगार में स्थापित कर शिल्प का निरंतर विकास करना है।

छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प प्रदेश की शिल्प एवं संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहां का शिल्प लगभग 400 वर्श पुराना है। बस्तर में विशेश प्रकार की घड़वा जाति द्वारा बेलमेटल शिल्प परंपरागत ढंग से गढ़ते जा रहे है। यह शिल्प प्राचीन होने के कारण इसे ढोकरा की संज्ञा दी गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आयरन शिल्प लौहरा/विश्वकर्मा समुदाय द्वारा, काश्ठ शिल्प जनजाति एवं बंगाली समुदाय द्वारा, टेराकोटा शिल्प कुम्भकार समुदाय द्वारा, बांस शिल्प बंसोड एवं समुदाय द्वारा, कौड़ी शिल्प विशेश बंजारा समुदाय द्वारा, हार्न शिल्प बंगाली समुदाय द्वारा एवं जूट शिल्प सामान्य एवं जनजाति द्वारा पारंपरिक शिल्प के रूप में अपनाया गया है। इन शिल्पों में अधिकाधिक रोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न समुदायों के हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है।

राज्य की हस्तशिल्प बस्तर से लेकर बोस्टन तक अपनी अमिट पहचान बना चुकी है। प्रसार भारत मलेशिया 2005, लियान, फ्रांस, श्रीलंका, इटली (बारी), बरमिघंम (यू.के.) में हस्तशिल्प का प्रदर्शन एवं प्रचार–प्रचार किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प की अत्याधिक मांग रही है।

वि व प्रसिद्व बेलमेटल ि ाल्प, काश्ठ ि ाल्प, लौह ि ाल्प, मिट्टी ि ाल्प, पत्थर ि ाल्प, भी ाल ि ाल्प, कौड़ी ि ाल्प एवं अन्य विविध ि ाल्प हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की वि ोश पहचान है।

18ण्12 राज्य योजनाएं एवं हस्तशिल्प विकास

प्रदे ा में हस्ति ाल्प के विकास एवं हस्ति ाल्पियों की चहुंमुखी उन्नति हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा विभिन्न अभिनव योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं जैसे नारायणपुर एवं परचनपाल में सिजनिंग एवं ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना, कुम्भकारों को बेयरिंग एवं विद्युत चाक वितरण ज ापुर एवं अम्बिकापुर में भाबरी एम्पोरियम का भुभारंभ, सलवा जुडूम सेन्टरों में हस्ति ाल्प से रोजगार, छत्तीसगढ़ हाट का निर्माण, ि ाल्पी परिचय पत्र प्रदान करना, रायपुर फ्यूजन स्कूल ऑफ आर्ट, अन्तर्राश्ट्रीय डिजाईनर द्वारा डिजाईन कार्य ााला का आयोजन, सी.एफ.सी. की स्थापना, छत्तीसगढ़ के ि ाल्प का पेटेंटिंग आदि जो निम्नानुसार हैं–

हस्ति ाल्पी प्रि ाक्षण–

हस्ति ाल्प ग्रामोद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पंरपरागत ि ाल्पियों ने प्रचलित ि ाल्प को पारंपरिकता से अपनाकर जीवनयापन का साधन बनाया है। राज्य की प्रचलित ि ाल्पों में अल्पि ाक्षित, ि ाक्षित बेरोजगार, कृशि मजदूर आदि हितग्राहियों को प्रि ाक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रचलित ि ाल्पों में कुछ ि ाल्प ऐसी भी हैं जिन्हें महिलाएं अपने गृह कार्यो से अतिरिक्त समय निकालकर कर रहीं हैं जैसे–कसीदाकारी, बांस ि ाल्प, जूट ि ाल्प आदि। इसी प्रकार पुरूश भी अपने कार्यो के साथ–साथ खाली समय में ि ाल्प से अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं।

प्रदे ा के परम्परागत ि ाल्पियों को नई तकनीकी से जोड़ने, हस्ति ाल्प के क्षेत्र में बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वरोजगार हेतु अग्रसर करने हेतु निम्नांकित प्रदान किया किये जा रहे हैं :–

तलिका क्र.–18.27

प्रि क्षण के स्तर / प्रकार / अवधि

स्तर	प्रि क्षण का प्रकार	समयावधि
प्रथम	बुनियादी प्रि क्षण	6 माह
द्वितीय	उन्नत प्रि क्षण	6 माह
तृतीय	अति–उन्नत प्रि क्षण	6 माह
चतुर्थ	समग्र प्रि क्षण	6 माह
पंचम	कार्य ाला	15 से 30 दिन

उपरोक्तानुसार आयोजित अवधि के लिये प्रि क्षण प्रि क्षणार्थियों को निः ुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही योजना अनुसार निर्धारित छात्रवृत्ति प्रदान करते हुये कच्चामाल, औजार उपकरण एवं तकनीकी प्रि क्षक की व्यवस्था भी की जा रही है।

हस्ति ल्पयों का पंजीयन एवं औजार–उपकरण अनुदान– बोर्ड द्वारा ि ल्पियों का पंजीयन किया जाता है। प्रि क्षित ि ल्पियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु रा ि रू. 5,000 तक की सीमा में औजार–उपकरण अनुदान प्रदान किये जाते हैं। पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के ि ल्पियों के लिये इस सुविधा मे 75 प्रति त अनुदान एवं अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के ि ल्पियों के लिये भात–प्रति त अनुदान दिया जाता है।

कर्म ाला निर्माण अनुदान– प्रि क्षित निर्धन हस्ति ल्पी जिनके पास कार्य करने हेतु कर्म ाला नहीं है, ऐसे ि ल्पियों को रू. 10,000 तक कर्म ाला निर्माण बाबत् अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के ि ल्पियों के लिये भात–प्रति त अनुदान एवं पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के ि ल्पियों हेतु 75 प्रति त अनुदान दिया जाता है।

सहकारी समितियों / संस्थाओं को आर्थिक सहायता– हस्ति ल्प के क्षेत्र में कार्यरत समितियों को 25,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें।

हस्ति ल्पयों को ब्याज अनुदान– स्व–रोजगार स्थापित करने बाबत् जिन ि ल्पियों द्वारा बैंक के माध्यम से ऋण लिया जाता है, ऐसे ि ल्पियों को 1,000 रूपये तक की सीमा में ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाती है।

अध्ययन प्रवास– ि ल्पियों को उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान करने हेतु हस्ति ल्प के प्रसिद्व केन्द्रों में 7 से 15 दिनों तक के लिये अध्ययन प्रवास हेतु भेजा जाता है।

तकनीकी एवं डिजाईन मार्गद र्न– ि ल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता सुधार एवं उत्पादन अधिकता तथा वर्तमान में बाजार मांग के अनुरूप डिजाईन में परिवर्तन आदि के लिये ख्याति प्राप्त डिजाईनरों के माध्यम से कार्य ालाएं आयोजित की जाती हैं। कार्य ाला की अवधि योजनानुसार 15 दिनों से 30 दिन होती है। इसमें ि ल्पियों को निः ुल्क तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। इस कड़ी में परचनपाला, बस्तर, नारायणपुर, बिलासपुर एवं एकताल, रायगढ़ में ख्याति प्राप्त डिजाईनरों के माध्यम से तकनीकी डिजाईन कार्य ालाएं आयोजित की गईं।

हस्ति ल्पियों हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना– चयनित कलाकृतियों के निर्माणकर्ता ि ल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार में रा ि रू. 15,000 नगद, ताम्रपत्र, श्रीफल एवं भॉल भेंट की जाती है।

विपणन सहायता– बाजार मांग के अनुसार उचित मूल्य प्राप्त करने के उद्दे य से ि ल्पियों को आयोजित प्रद नी एवं ि ल्प बाजारों में अपना उत्पाद ग्राहकों को विक्रय करने हेतु आंमत्रित किया जाता है। **भाबरी एम्पोरियम** के माध्यम से ि ल्पियों की उत्पादित सामग्री को उचित मूल्य पर संग्रहण कर बेचने की व्यवस्था की जाती है।

अन्तर्राश्ट्रीय प्रद ानियों में हस्ति ाल्प का प्रद ान सह विक्रय— राज्य की हस्ति ाल्प बस्तर से लेकर बोस्टन तक अपनी अमिट पहचान बना चुकी है। प्रसार भारत मले ाया 2005, लियान, फ्रांस, श्रीलंका, इटली (बारी), बरमिघंम (यू.के.) में हस्ति ाल्प का प्रद ान एवं प्रचार–प्रचार किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ के हस्ति ाल्प की अत्याधिक मांग रही है तथा निर्यात आदे ा मिलने की प्रबल संभावना है।

नारायणपुर एवं परचनपाल में सिजनिंग एवं ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना— नारायणपुर एवं परचनपाल में कार्यरत बांस एवं काश्ठ ि ाल्पियों के लिये बांस एवं काश्ठ सिजनिंग प्लांट की स्थापना की गई हैं। इस प्लांट की स्थापना से ि ाल्पियों को कच्चामाल बांस एवं लकड़ी ट्रीटमेंट उपरांत उपलब्ध कराने पर निर्मित कलाकृति में घुन/दीमक से बचाव होगा तथा कलाकृतियों की गुणवत्ता एवं फिनि ांग भी उच्च कोटि की बनी रहेगी। नारायणपुर में लगभग 300 ि ाल्पी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य से जुड़े हैं।

ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना— कुम्भकरों द्वारा पारंपरिक रूप से उत्पादित सामग्री में ग्लेज नहीं होने के कारण अधिक दूरी तक परिवहन नहीं की जा सकती साथ ही अति ाीघ्र टूट जाती है। प्रदे ा के टेराकोटा ि ाल्पियों के उत्पादन में गुणवत्ता लाना तथा वर्तमान निर्मित सामग्रियों की ग्लेजिंग कर विक्रय करने के उद्दे य से कोण्डागांव, जिल–बस्तर, बालौद, जिला–दृर्ग एवं महासमुन्द्र जिले मे ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना से प्रदे ा के कुम्भकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुम्भकारों को बेयरिंग एवं विद्युत चाक वितरण योजना— कुछ कुंभकार पारंपरिक तौर से हस्ति ाल्प के आयटम्स् जैसे– हाथी, घोड़े, डेकोरेटिव गमले, पेन स्टैंड, एस–ट्रे, गुलदस्ता आदि बनाते हैं। कुम्भकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने की कड़ी में रा ि ा रू. 50 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। जिससे लगभग 700 ि ाल्पियों को विद्युत एवं बेयरिंग चाक प्रदान किये जा रहे हैं। इससे कुम्भकारों द्वारा उत्पादन में वृद्वि होने से उनकी आर्थिक स्थिति सृदृढ़ होगी।

क्रियेटिव सेन्टर, कोण्डागांव की स्थापना— प्रदे ा के अधिकां ा ि ाल्पी एवं ि ाल्प बस्तर जिले में प्रचलित है। बस्तर जिले का कोण्डागांव ि ाल्प के क्षेत्र में केन्द्र बिन्दु है। कोण्डागांव में एक रचनात्मक केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें नई–नई डिजाईन के प्रि ाक्षण, कार्य ाालाओं के साथ ही विभिन्न आधुनिक सुविधाएं एवं म ाीने स्थापित की जावेगी। वर्श 2007–08 के बजट में रा ि ा रू. 40.00 लाख प्रदान किया गया।

भाबरी एम्पोरियम की स्थापना— भाबरी एम्पोरियम स्थापना से उस क्षेत्र के ि ाल्पियों को उत्पादित सामग्री जिला मुख्यालय पर बेचने का अवसर प्राप्त होता है। ये एम्पोरियम राज्य में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, परचनपाल (बस्तर), नारायणपुर भिलाई में एवं नई दिल्ली में स्थापित किये गये हैं।

सलवा जुडूम सेन्टरों में हस्ति ाल्प से रोजगार— राज्य के नक्सल प्रभावित केन्द्र भैरमगढ़, बीजापुर, कासोली, दोरनापाल, जागला आदि कैंपों में लगभग 1,000 व्यक्तियों को बांस एवं काश्ठ ि ाल्प, बेल मेटल एवं जूट ि ाल्प में सफल प्रि ाक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हस्ति ाल्प रोजगार अपनाकर ि ाल्पी अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन कैम्पों में प्रि ाक्षित ि ाल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों को विक्रय करने हेतु विक्रय एम्पोरियम का भुभारंभ दंतेवाड़ा में किया गया है, साथ ही बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रद ानियों में इन्हें सम्मिलित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ हाट का निर्माण— रायपुर के हृदय स्थल पण्डरी में छत्तीसगढ़ हाट का निर्माण किया गया है, जिसका भुभारंभ जुलाई 2008 में किया गया। हाट में सामग्री विक्रय हेतु 42 स्टॉल, प्रद ानी हाल, संग्रहालय, सांस्कृतिक मंच, व्यंजन विक्रय स्टॉल, ि ाल्पी चौपाल, ओपन थियेटर, वाटर बाडी आदि के साथ ही मंनोरजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रद ानी हॉल में विभिन्न प्रदे ाों के ि ाल्पियों एवं बुनकरों को 15–15 दिनों के चक्रीय आधार पर प्रद ानी आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है एवं साथ ही विभिन्न स्टालों में सामग्री विक्रय की जा रही है।

ि ाल्पी परिचय पत्र— भारत सरकार की योजनानुसार छत्तीसगढ़ के ि ाल्पियों के परिचय–पत्र बनाये जा रहे हैं। पूर्व में यह कार्य विकास आयुक्त हस्ति ाल्प, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर द्वारा किया जाता रहा हैं। अब यह कार्य बोर्ड को सौंपा गया है। बोर्ड द्वारा लगभग 4,000 कार्ड तैयार कर लिए गए हैं, तथा वितरण भी प्रारंभ हो चुका है।

रायपुर फ्यूजन स्कूल ऑफ आर्ट– प्रदे ा के ि ाल्पियों एवं ि ाक्षित बेरोजगारों को ि ाल्प ि ाक्षा प्रदाय कर हस्ति ाल्प में रोजगार उपलब्ध कराने की दृश्टि से रायपुर में फ्यूजन स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की जा रही है।

अन्तर्राश्ट्रीय डिजाईनर द्वारा डिजाईन कार्य ााला का आयोजन– प्रदे ा के ि ाल्पियों को उनके द्वारा उत्पादित कलाकृतियों की गुणवत्ता में वृद्वि एवं नये–नये डिजाईनों के निर्माण हेतु परचनपाल जिल–बस्तर में आयरन तथा बेलमेंटल ि ाल्पियों को, नारायणपुर में बांस ि ाल्पियों को एवं बिलासपुर में काश्ठ ि ाल्पियों को तकनीकी डिजाईन वर्क ााप का आयोजन किया गया है। इसमें संबधित जिलों के अनेकानेक ि ाल्पी लाभांवित हुए।

सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.)की स्थापना– राज्य के ि ाल्पियों को अधिकाधिक सुविधायें देने, उनके द्वारा निर्मित सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार एवं आधुनिकम म ाीनें उपकरण पर कार्य करने की सुविधायें एवं उत्पादन में गुणवत्ता सुधार के उद्दे य से कोण्डागांव, अम्बिकापुर, कैलेकोड़ा (दुर्ग), मे सी.एफ.सी की स्थापना की जा चुकी है एवं बिलासपुर में की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के ि ाल्प का पेटेंटिंग– भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ के ि ाल्प बेलमटल (ढोकरा), आयरन एवं काश्ठ ि ाल्प का पेटेंट किया गया है। इससे राज्य के हस्ति ाल्प की डुप्लीकेटिंग नहीं की जा सकेगी एवं इससे बस्तर के पारम्परिक ि ाल्पियों का एकाधिकार स्थापित होगा।

वित्तीय प्रगति– बजट के साथ ही छत्तीसगढ़ के ि ाल्पियों को मिलने वाली सुविधाओं एवं सहायता में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। ि ाल्पियों द्वारा उत्पादित कलाकृतियों की गुणवत्ता में भी अपेक्षित सुधार हो रहा है। इससे यह सुनि चत है कि छत्तीसगढ़ के ि ाल्पि विकास एवं उन्नति की ओर अग्रसर है।

18.13 बांस हस्तशिल्प की प्रगति –

हस्ति ाल्प उद्योग के अंतर्गत बॉस हस्ति ाल्प की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–18.28 एवं ग्राफ में द ााया गया है–

तालिका क्र.–18.28

बॉस हस्तशिल्प की प्रगति

वर्श	आंबटन (लाख रू.)	व्यय (लाख रू.)	रोजगार (संख्या)	विक्रय (लाख रू.)
2002–03	11.923	8.96	45	0.15
2003–04	5.72	4.90	41	0.84
2004–05	3.40	2.84	95	1.30
2005–06	17.41	15.77	132	1.50
2006–07	31.07	20.99	366	1.90
2007–08	15.66	12.36	206	2.30

बांस हस्ति ाल्प हेतु प्राप्त आबंटन एवं किये गये व्यय की वार्शिक प्रगति एवं कुल प्रगति को इस ग्राफ एवं दण्ड आरेख में द ााया गया है–

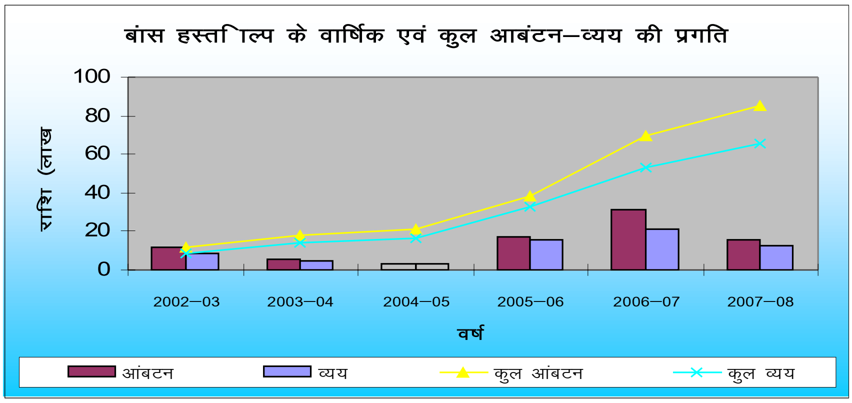

तालिका एवं ग्राफ दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में बांस हस्ति ाल्प के विकास हेतु आबंटित रू. 11.92 लाख में से रू. 8.96 लाख व्यय किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः रू.

15.66 लाख एवं रू. 12.36 लाख रू. हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल आबंटित रू. 85.18 लाख में से रू. 65.82 लाख व्यय किया गया।

बांस हस्तशिल्प में रोजगार की वार्शिक प्रगति एवं कुल रोजगार प्रगति को इस ग्राफ में दर्शाया गया है–

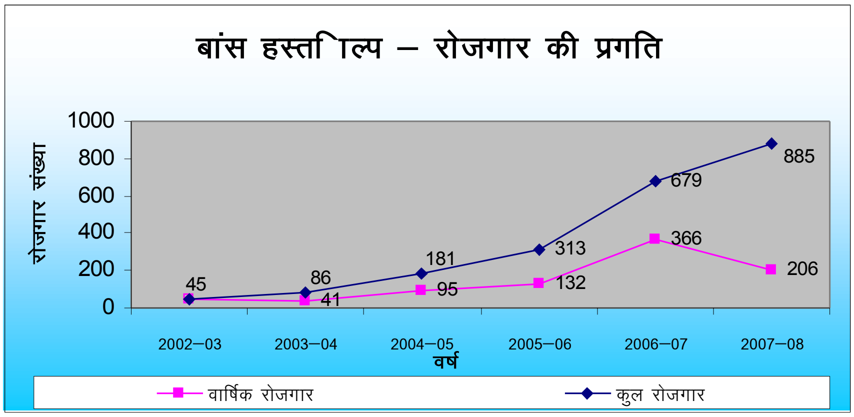

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में बांस हस्तशिल्प में 45 शिल्पियों को रोजगार प्रदान किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 206 हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल 885 शिल्पियों को रोजगार प्रदान किया गया।

बांस उद्योग उत्पाद के विक्रय से प्राप्त राशि की वार्शिक एवं कुल प्रगति को इस ग्राफ एवं दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

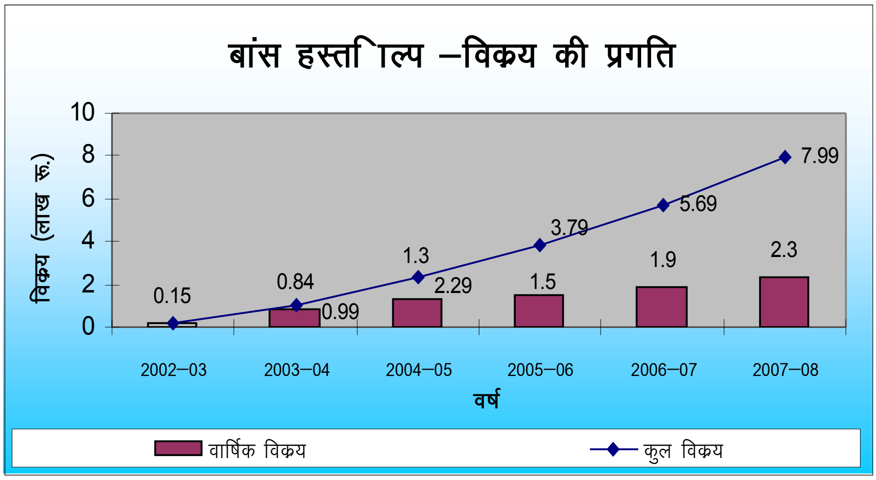

तालिका एवं ग्राफ एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में रू. 0.15 लाख के बांस हस्तशिल्प का विक्रय किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर रू. 2.30 लाख हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल रू. 7.99 लाख रू. का विक्रय किया गया।

18.14 बेल मेटल हस्तशिल्प की प्रगति–

हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत बेल मेटल हस्तशिल्प की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को तालिका क्रं.–18.29 एवं ग्राफ में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–18.29

बेल मेटल उद्योग की प्रगति

वर्ष	आंबटन (लाख रू.में)	व्यय (लाख रू.में)	रोजगार (संख्या)
2002–03	0.75	0.75	25
2003–04	0.30	0.3	15
2004–05	0.48	0.48	12
2005–06	5.29	4.32	61
2006–07	8.64	7.30	90
2007–08	2.65	2.14	610

बेल मेटल हस्ति ल्प हेतु प्राप्त आबंटन एवं किये गये व्यय की वार्शिक प्रगति एवं कुल प्रगति को इस ग्राफ एवं दण्ड आरेख में द ाया गया है–

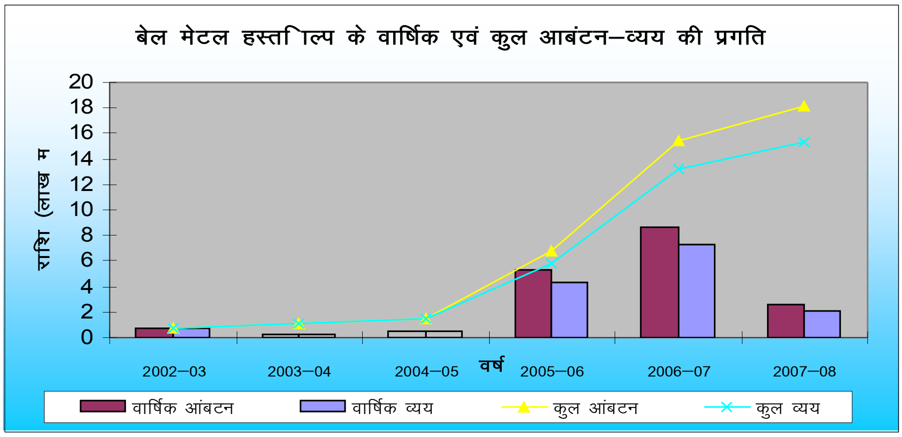

तालिका एवं ग्राफ एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में बेल मेटल हस्ति ल्प के विकास हेतु आबंटित रू. 0. 75 लाख में से रू. 0.75 लाख व्यय किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर क्रम ाः रू. 2.65 लाख एवं रू. 2.14 लाख रू. हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल आबंटित रू. 18. 11 लाख में से रू. 15.29 लाख व्यय किया गया।

बेल मेटल हस्ति ल्प में रोजगार की वार्शिक प्रगति एवं कुल रोजगार प्रगति को इस ग्राफ में द ाया गया है–

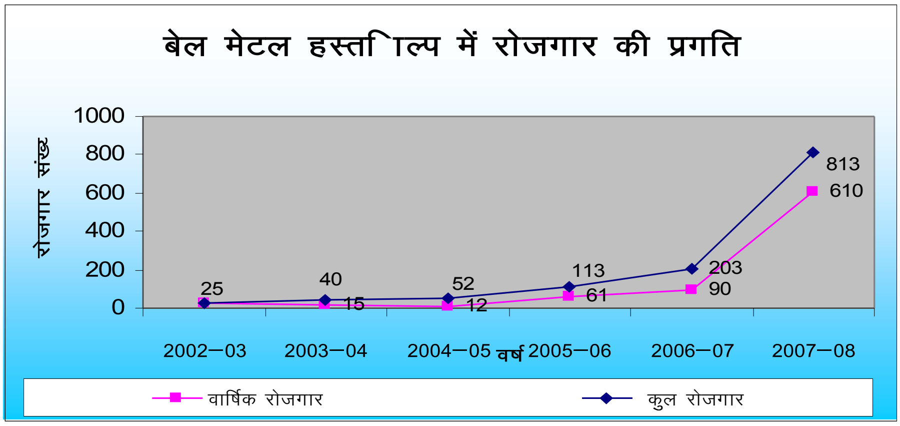

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में बेल मेटल हस्ति ल्प में 25 ि ल्पियों को रोजगार प्रदान किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर 610 हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल 813 ि ल्पियों को रोजगार प्रदान किया गया।

18ण्15 टेराकोटा हस्ति ल्प की प्रगति–

हस्ति ल्प उद्योग के अंतर्गत टेराकोटा हस्ति ल्प की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–18.30 एवं ग्राफ में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.30

टेराकोटा हस्ति ल्प की प्रगति

वर्ष	आंबटन (लाख रू.में)	व्यय (लाख रू.में)	रोजगार (संख्या)
2002–03	0.225	0.225	3
2003–04	2.025	2.025	27
2004–05	0.675	0.675	9
2005–06	2.407	1.797	84
2006–07	3.42	2.40	160
2007–08	-	-	-

टेराकोटा हस्त ि ल्प हेतु प्राप्त आबंटन एवं किये गये व्यय की वार्शिक प्रगति एवं कुल प्रगति को इस ग्राफ एवं दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

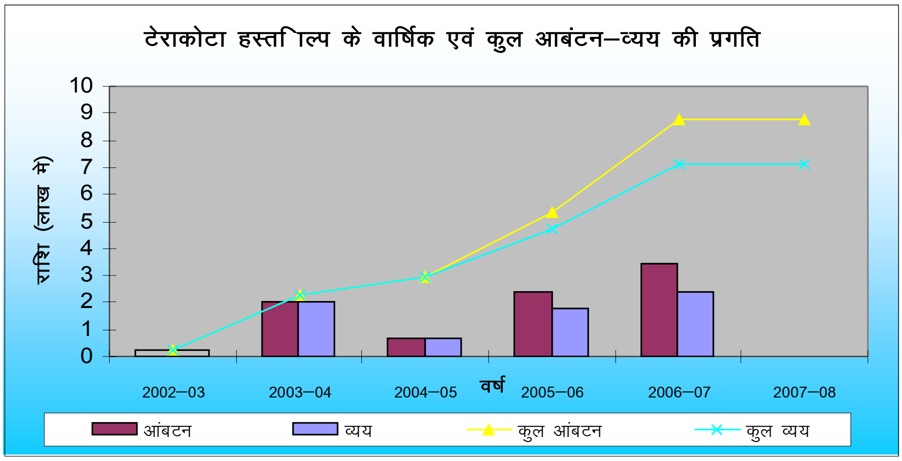

तालिका एवं ग्राफ एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में टेराकोटा हस्त ि ल्प के विकास हेतु आबंटित रू. 0.225 लाख में से रू. 0.225 लाख व्यय किया गया जो वर्श 2006–07 में बढ़कर क्रम ः रू. 3.42 लाख एवं रू. 2.4 लाख रू. हो गया। वर्श 2006–07 तक कुल आबंटित रू. 8.75 लाख में से रू. 7.12 लाख व्यय किया गया।

टेराकोटा हस्त ि ल्प में रोजगार की वार्शिक प्रगति एवं कुल रोजगार प्रगति को इस ग्राफ में द ार्या गया है–

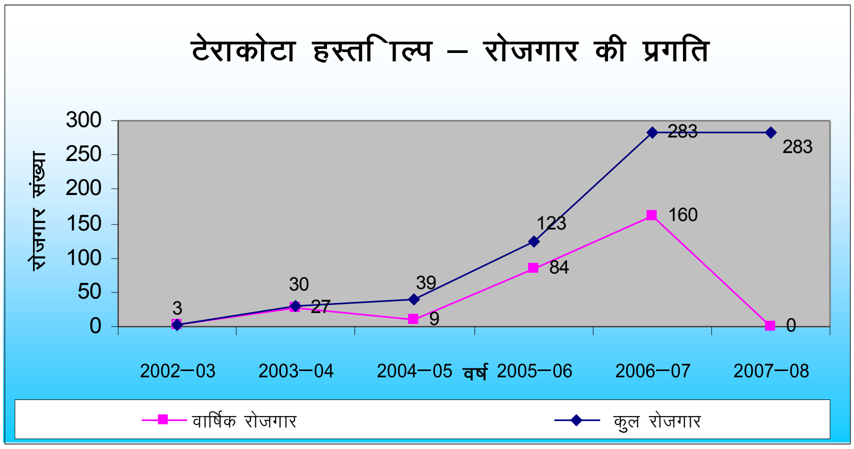

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्श 2002–03 में टेराकोटा हस्त ि ल्प में 3 ि ल्पियों को रोजगार प्रदान किया गया जो वर्श 2006–07 में बढ़कर 160 हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल 283 ि ल्पियों को रोजगार प्रदान किया गया।

वाणिज्यिक औद्योगिक विकास

राज्य के उद्योग विभाग का प्रमुख दायित्व प्रदे ा के चहुंमुखी विकास में औद्योगिकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, अति–वृहद मेगा तथा सहायक लघु औद्य ोगिक ईकाइयों की स्थापना तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन, पूंजी निवे ा द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास, व्यापार एवं निर्यात वृद्वि के लिए विभाग उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाता हैं।

विभाग ने राज्य में प्रभाव ील “छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवे ा प्रोत्साहन अधिनियम –2002” को “छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवे ा प्रोत्साहन (सं ोधित) अधिनियम –2004” द्वारा सं ोधित करते हुए भाासन के अनेक कार्यो को अधिनियम के अधीन कर उद्योंगों को निर्धारित समयवधि में अनुमतियॉ/सहमतियॉ पाने का कानूनी अधिकार प्रदान किया है। अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं को स्पश्ट रूप से परिभाशित करते हुए “छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवे ा प्रोत्साहन अधिनियम – 2004” दिनांक 16.12.2004 को अधिसूचित एवं लागू किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं आनुशांगिक इकाईयों द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री का भुगतान एक निर्धारित समय में करने हेतु भारत भाासन द्वारा 2 अक्टूबर 2006 से लागू “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006” के अंतर्गत विलंबित संदाय नियम के तहत् उद्योग संचालनालय अधिनस्थ गठित छत्तीसगढ़ सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटे ान काऊंसिल–2006 कार्य कर रही है।

औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन “उद्योग संचालनालय” तथा “छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पो. लि.(सी.एस.आई.डी.सी.)” के माध्यम से होता है। भाासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों तथा औद्योगिक जगत के बीच नियमित समन्वय, सुझावों के आदान–प्रदान से औद्य ोगकि तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदे ा की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया जा रहा है। विभागीय बजट का संचालन एवं नियंत्रण तथा जिला कार्यालयों का नियंत्रण एवं मार्गद ान उद्योग संचालनालय द्वारा किया जाता है। औद्योगिक अधोसंरचना का विकास/उन्नयन, विभाग के उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी. तथा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग एवं समन्वय तथा सुसाध्य करने का कार्य “राज्य निवे ा प्रोत्साहन बोर्ड” द्वारा किया जा रहा है।

18ण16 औद्योगकि नीति 2004–09

औद्योगीकरण को गति प्रदान कर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, राज्य के संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करने, अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनि चत करने, औद्योगिक निवे ा को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने, अनुसूचित जाति/जनजाति आदि कमजोर वर्ग की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनि चत करने औद्य ोगिक अंधोसंरचना निर्माण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्वि कारने के लिए आव यक वातावरण निर्मित करने संबंधी उद्दे यों की पूर्ति हेतु “औद्योगिक नीति 2004–09” का क्रियान्वयन नवंबर 2004 से प्रारंभ किया गया है।

राज्य के समग्र औद्योगिक विकास कि लक्ष्य की पूर्ति हेतु राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को दो वर्गो में “सामान्य क्षेत्र” व “अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र”,उद्यमी के वर्ग की दृश्टि से सामान्य, अनिवासी भारतीय, भात–प्रति ात एफ.डी.आई.निवे ाक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में एवं औद्य ोगिक निवे ा के आकार की दृश्टि से लघु उद्योग, मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स एवं रू. 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग एवं मध्यम की दृश्टि से सामान्य उद्योग, वि ोश थ्रस्ट उद्योग एवं निशिद्व उद्योगों में वर्गीकृत हैं।

राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने हेतु भाासन द्वारा औद्य ोगिक इकाईयों को दी जाने वाली छूट/रियायतें को प्राप्त करने की पात्रता हेतु अकु ाल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90 प्रति ात, कु ाल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 50 प्रति ात तथा प्र ाासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करने की भार्त का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है।

18.17 राज्य में औद्योगिक विकास हेतु दी जाने वाली सुविधाओं की प्रगति–

- **ब्याज अनुदान** – लघु एवं मध्यम–वृहद नवीन उद्योग की स्थापना तथा उद्योग के विस्तार पर वित्तिय संस्थाओं–बैंको से लिए गये सावधि ऋण एवं/या कार्य ील पूंजी पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

  - ♦ **लघु उद्योग–** सामान्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रति त (आनिवासी भारतीय/ तप्रति त एफ.डी.आई. निवे को को 45 प्रति त) व वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रति त (अनिवासी भारतीय/ तप्रति त एफ.डी.आई. निवे को को 80 प्रति त) अधिकतम सीमा –सामान्य उद्योग रू. 5 लाख वार्शिक, थ्रस्ट उद्योग रू. 10 लाख, 5 वर्श की अवधि तक।
  - ♦ **मध्यम–वृहद उद्योग–** सामान्य क्षेत्रों में वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को भुगतान किये गये ब्याज का 75 प्रति त (अनिवासी भारतीय/ तप्रति त एफ.डी.आई. निवे को को 80 प्रति त) अधिकतम सीमा रू. 20 लाख वार्शिक 5 वर्श की अवधि तक।

उद्योगों को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–18.31 एवं दण्ड आरेख में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.31

ब्याज अनुदान वित्तीय एवं भौतिक की प्रगति

(रा ि लाख रू. में)

वर्ष	आंबटन	व्यय	उपलब्धियॉ
2000–01	6.25	6.25	–
2001–02	8.85	7.70	–
2002–03	40.00	0.00	–
2003–04	80.00	74.11	146
2004–05	120.00	119.00	392
2005–06	300.00	297.36	495
2006–07	700.00	699.62	180
2007–08	955.00	968.26	1080

उद्योगों को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

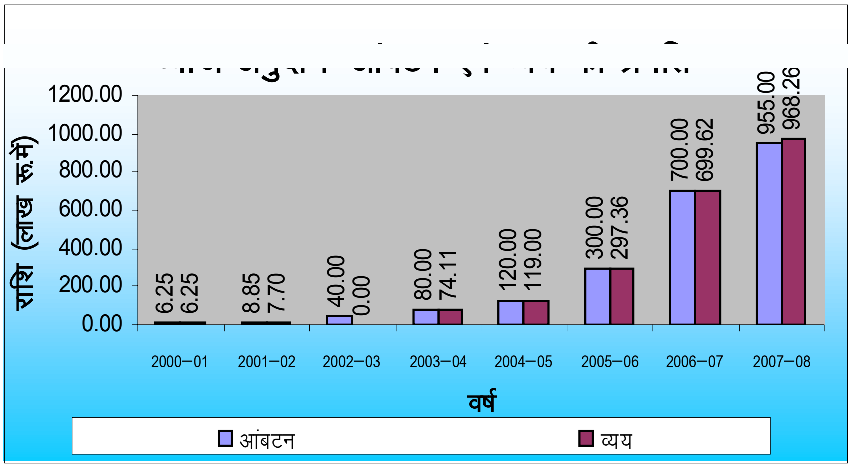

तालिका एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि उद्योगों को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान की रा ि में निरंतर वृद्वि हो रही है। वर्श 2001–02 में प्राप्त आंबटन रू. 8.85 लाख एवं व्यय रू. 7.70 लाख से बढ़कर वर्श 2007–08 में आंबटन रू. 955 लाख एवं व्यय रू.

968.26 लाख हो गया है। वर्श 2007–08 तक प्राप्त कुल आंबटन रू. 2,210.10 लाख में से कुल व्यय रू. 2,172.30 लाख किया गया है जो कि प्राप्त आंबटन का 98.29 प्रति त है।

उद्योगों को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान की भौतिक प्रगति को इस **दण्ड आरेख** में द र्ाया गया है–

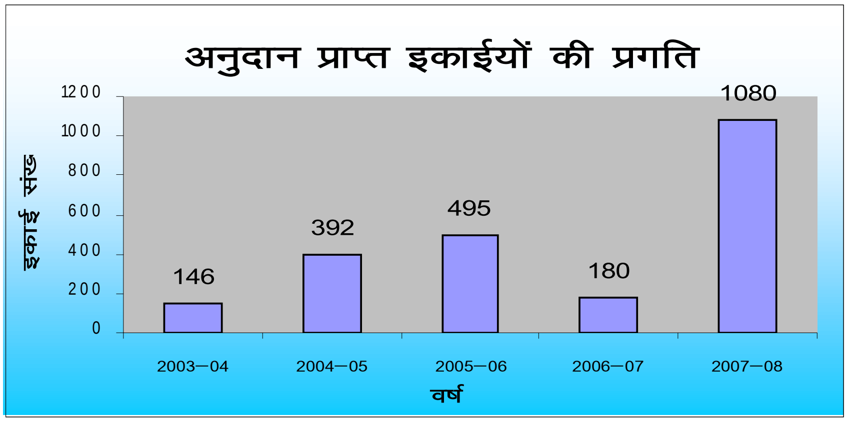

तालिका क्रं–01 एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि उद्योगों को दिये जाने वाले ब्याज अनुदान के अंतर्गत इकाईयों की संख्या में वृद्वि हुई है (वर्श 2006–07 को छोड़कर)। वर्श 2003–04 में 146 इकाईयों को ब्याज अनुदान दिया गया जिनकी संख्या वर्श में बढ़कर 2007–08 में 1,080 इकाईया हो गया। वर्श 2007–08 तक कुल 2293 इकाईयों को को ब्याज अनुदान दिया गया।

- **अद्योसंरचना लागत–स्थायी पूंजी निवे ा अनुदान–**

लघु, मध्यम–वृहद, मेगा प्रोजेक्ट व रू. 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत वाले अति–वृहद औद्योगिक ईकाइयों को नवीन उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण हेतु अद्योसंरचना लागत/सकल पूंजी निवे ा पर अनुदान दिया जा रहा है।

♦ **लघु उद्योग**– सामान्य क्षेत्रों में वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को एवं अति पिछडे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों/विि ाश्ट थ्रस्ट उद्योगों को सकल पूंजी निवे ा का 25 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 30 प्रति ात) अनुदान, अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्र रू. 25 लाख, अति पिछडे अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रू. 35 लाख है।

♦ **मध्यम–वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट–** सामान्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर सामान्य उद्योगों को अद्योसंरचना लागत का 25 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाको को 30 प्रति ात) अधिकतम सीमा–राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्श के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर की समतुल्य राि ा, वि ोश थ्रस्ट उद्योंगो को (औद्योगिक क्षेत्रों मे/औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर) सकल पूंजी निवे ा का 35 प्रति ात (अनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 40 प्रति ात), अधिकतम राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्श के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर की समतुल्य राि ा।

♦ **रू. 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग** – अति वृहद उद्योगों को सामान्य एवं अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में (औद्योगिक क्षेत्रों में/औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर) सकल पूंजी निवे ा का 45 प्रति ात (अनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 50 प्रति ात), अधिकतम सीमा राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्श के वाणिज्यिक कर/केन्द्र विक्रय कर की समतुल्य राि ा, चाहे उद्य ोग "सामान्य उद्योग" हो अथवा "वि ोश थ्रस्ट उद्योग" हो, सामान्य क्षेत्रों में स्थापित हो अथवा अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में।

उद्योगों को दिये जाने वाले स्थाई पूंजी निवे ा अनुदान की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

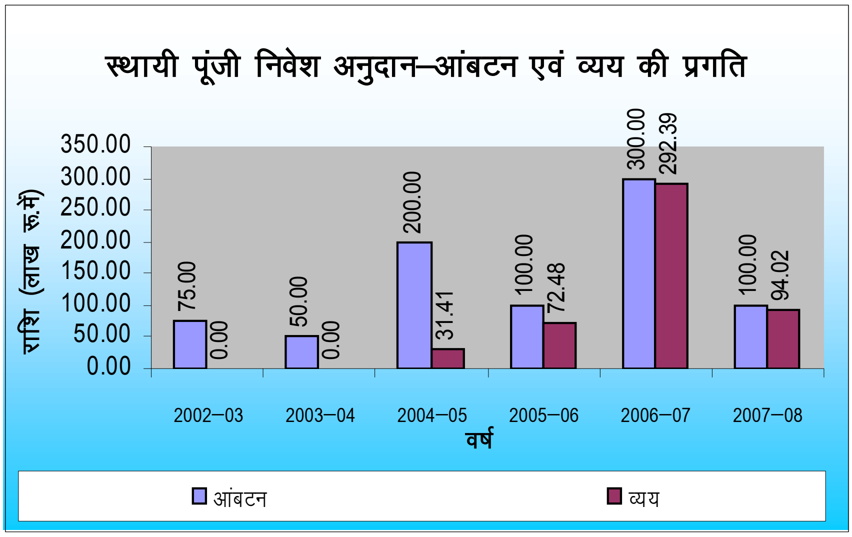

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि उद्योगों को दिये जाने वाले पूंजी निवे ा अनुदान की रा ा में काफी उतार–चढ़ाव रहा है। उद्योगों को सर्वाधिक पूंजी निवे ा अनुदान वर्श 2006–07 में दिया गया है। वर्श 2007–08 तक प्राप्त कुल आंबटन रू.825 लाख में से कुल व्यय रू. 490.30 लाख किया गया है जो कि प्राप्त आंबटन का 59.43 प्रति ात है।

राज्य लागत पूंजी अनुदान की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

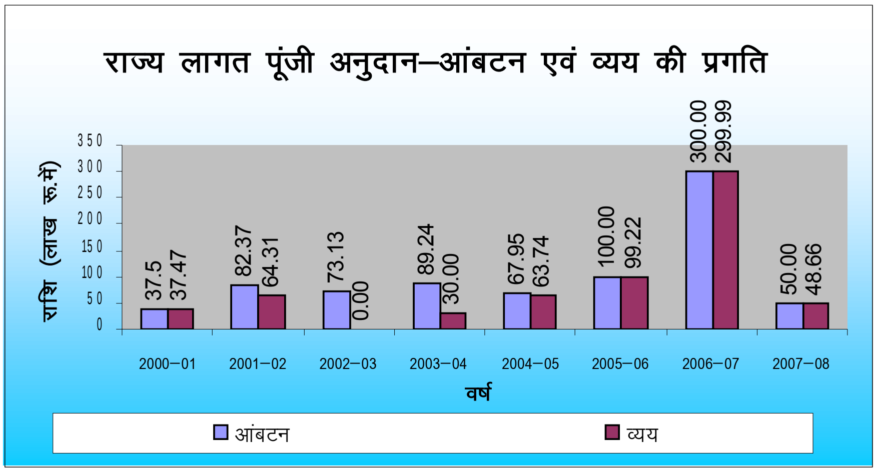

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि उद्योगों को दिये जाने वाले राज्य लागत पूंजी अनुदान की रा ा में काफी उतार–चढ़ाव रहा है। उद्योगों को सर्वाधिक राज्य लागत पूंजी अनुदान वर्श 2006–07 में दिया गया है। वर्श 2007–08 तक प्राप्त कुल आंबटन 800.19 लाख रू. में से कुल व्यय 643.39 लाख रू. किया गया है जो कि प्राप्त आंबटन का 80.40 प्रति ात है।

- **विद्युत भुल्क छूट–** नवीन औद्योगिक ईकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पात्रता अनुसार 10 से 15 वर्शो की अवधि तक पूर्ण छूट दी जा रही है।

  - ♦ **लघु उद्योग** – सामान्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को 10 वर्श तक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सामान्य उद्योगों को 15 वर्श तक, वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 15 वर्श तक एवं अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों एवं वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 15 वर्श तक पूर्ण छूट।
  - ♦ **मध्यम–वृहद उद्योग** – सामान्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को 10 वर्श तक वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 15 वर्श तक एवं अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों एवं वि ोश थ्रस्ट को 15 वर्श तक पूर्ण छूट।

- **मेगा प्रोजेक्ट एवं रूपये 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग** – सामान्य क्षेत्रों/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य/वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 15 वर्श तक पूर्ण छूट।

- **स्टाम्प भुल्क से छूट–** सामान्य एवं अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पात्र लघु, मध्यम–वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं रू. 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योगों को भूमि, भोड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के विलेखों के निश्पादन पर पूर्ण छूट तथा ऋण तथा अग्रिम से संबंधित विलेखों के निशपादन पर पंजीयन दिनांक से 3 वर्श तक छूट।

- **प्रवे ा कर से छूट–** सामान्य क्षेत्रों में लघु मध्यम–वृहद, मेगा प्रोजक्टस के सामान्य उद्योगों को 5 वर्श तक एवं वि ाश्ट थ्रस्ट उद्योगों को 7 वर्श तक एवं अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को 7 वर्श तक तथा वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 9 वर्श तक वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, प्रथम छूट देने के दिनांक जो पूर्व हो, से पात्रतानुसार पूर्ण छूट।

- **औद्योगिक क्षेत्रों में आबंटित भूमि पर प्रीमियम में छूट/रियायत** – औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रब्याजि में 50 से 100 प्रति ात तक छूट।

    - **लघु एवं मध्यम–वृहद उद्योग** – सामान्य क्षेत्रों में वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को एवं अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों/वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 50 प्रति ात छूट(आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 55 प्रति ात)।
    - **मेगा प्रोजेक्ट्स व रूपये 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग** – सामान्य क्षेत्रों में/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्रों/वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को भू–प्रब्याजि में 50 प्रति ात छूट (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाको को 55 प्रति ात)।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को इस वर्ग हेतु सामान्य क्षेत्रों में आरक्षित 25 प्रति ात भू–खण्ड तक एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आरक्षित 50 प्रति ात भू–खण्ड तक सामान्य उद्योगों/वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 100 प्रति ात छूट।

- **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान–** नवीन उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान। सामान्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित लघु, मध्यम–वृहद एवं मेगा प्रोजेक्टस व रू. 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योगों को परियोजना लागत का 1 प्रति ात अनुदान अधिकतम सीमा रू. 1 लाख। अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों मे सभी वर्गों को लघु, मध्यम–वृहद एवं मेगा प्रोजेक्टस व रू. 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाल अति वृहद उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु व्यय की गई राि ा की भात–प्रति ात राि ा अधिकतम सीमा रू. 2 लाख।

उद्योगों को दिये जाने वाले परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

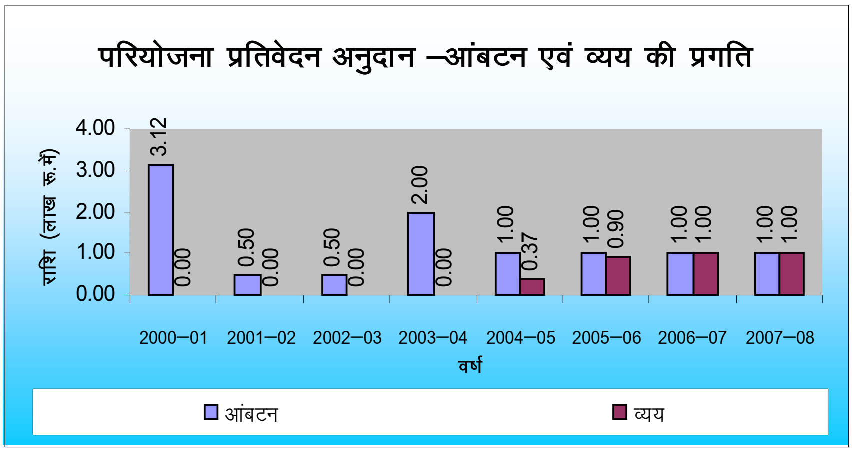

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि उद्योगों को दिये जाने वाले परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की राि ा में काफी उतार–चढ़ाव हो रहा है। वर्श 2007–08 तक प्राप्त कुल आंबटन रू.10.12 लाख में से कुल

व्यय रू. 3.27 लाख किया गया है। वर्श 2007–08 तक प्राप्त आंबटन का 32.31 प्रति ात व्यय किया गया है।

- **प्रौद्योगिकी प्रोन्नति हेतु ब्याज अनुदान–** विद्यमान औद्योगिक ईकाइयों को वित्तीय संस्थाओं से तकनीकी प्रोन्नति हेतु दिये गये सावधि ऋण पर प्रौद्योगिकी प्रोन्नति कोश से ब्याज अनुदानः–

  ♦ **लघु उद्योग** – सामान्य क्षेत्रों में, सामान्य उद्योगों एवं वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 5 वर्श की अवधि तक भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 45 प्रति ात) अधिकतम सीमा–सामान्य उद्योग पर रू. 5 लाख वार्शिक वि ोश थ्रस्ट उद्योग पर रू. 12.5 लाख वार्शिक।

  अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में, सामान्य उद्योगों को एवं वि ोश थ्रस्ट उद्य ोगों को 5 वर्श की अवधि तक भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाको को 45 प्रति ात), अधिकतम सीमा–सामान्य उद्य ोग पर रू. 10 लाख वार्शिक, वि ोश थ्रस्ट उद्योग पर रू. 25 लाख वार्शिक।

  ♦ **मध्यम–वृहद उद्योग –** सामान्य क्षेत्रों में, सामान्य उद्योगों एवं वि ोश थ्रस्ट उद्योग को 5 वर्श की अवधि तक भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाको को 45 प्रति ात) अधिकतम सीमा सामान्य उद्य ोग/वि ोश थ्रस्ट उद्योग रू. 12.5 लाख वार्शिक।

  अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को एवं वि ोश थ्रस्ट उद्य ोगों को 5 वर्श की अवधि तक भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 45 प्रति ात), अधिकतम सीमा सामान्य उद्य ोग/वि ोश थ्रस्ट उद्योग रू. 25 लाख वार्शिक।

  ♦ **मेगा प्रोजेक्ट्स व रूपये 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योग** – अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों/वि ोश थ्रस्ट उद्योगों को 5 वर्श की अवधि तक भुगतान किये गये ब्याज का 40 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 45 प्रति ात), अधिकतम सीमा रू. 25 लाख वार्शिक।

- **भूमि–व्यपवर्तन भुल्क से छूट–** नवीन लघु प्रौद्योगिक ईकाइयों को सामान्य/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामान्य उद्योग/वि ोश थ्रस्ट उद्योंगों की स्थापना पर भू–उपयोग परिवर्तन भुल्क से अधिकतम 5 एकड़ भूमि हेतु 50 प्रति ात छूट।

- **औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू–आबंटन सेवा भुल्क** – औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि के अर्जन/ ाासकीय भूमि के हस्तान्तरण से प्राप्त भूमि–निजी भूमि या निजी भूमि के सामान्य या अर्जन भूमि के बराबर रा ि एवं उस पर सेवा भुल्क 25 प्रति ात से कम कर 10 प्रति ात अधिरोपित करते हुए सामान्य क्षेत्रों/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में भू–आबंटन। निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला कलेक्टर को देय 10 प्रति ात सेवा भुल्क के स्थान पर केवल 5 प्रति ात सेवा भुल्क देय।

- **गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान –** समस्त नवीन लघु, मध्यम–वृहद मेगा प्रोजक्ट एवं रू. 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योगों को सामान्य क्षेत्रों/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आई.एस.ओ–9,000, आई.एस.ओ–14,000, एवं समान राश्ट्रीय/अंतर्राश्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 55 प्रति ात), अधिकतम रू. 75 हजार की प्रतिपूर्ति।

उद्योगों को दिये जाने वाले गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ााया गया है–

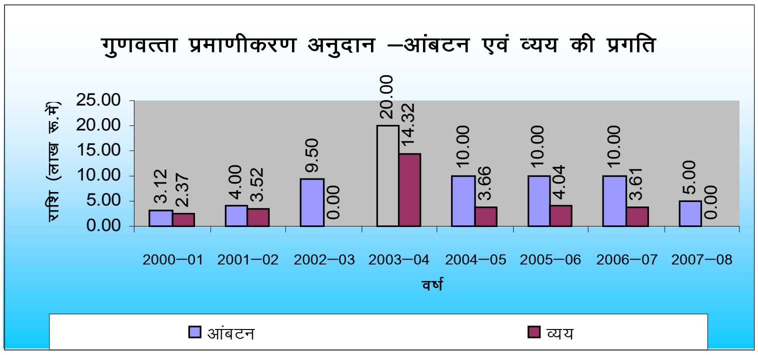

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि उद्योगों को दिये जाने वाले गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान की रा ि ा में काफी उतार–चढ़ाव हो रहा है। उद्योगों को सर्वाधिक गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान वर्श 2003–04 में दिया गया है। वर्श 2007–08 तक प्राप्त कुल आंबटन रू. 71.62 लाख में से कुल व्यय रू. 31.52 लाख किया गया है। इस प्रकार वर्श 2007–08 तक प्राप्त आंबटन का लगभग 44.01 प्रति ात व्यय किया गया है।

- **तकनीकी पेटेंट अनुदान–** समस्त नवीन लघु, मध्यम–वृहद मेगा प्रोजेक्ट एवं रू. 1,000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले अति वृहद उद्योगों को सामान्य क्षेत्रों/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में पेटेंट प्राप्त करने पर इस हेतु किये गये व्यय का 50 प्रति ात (आनिवासी भारतीय/ ातप्रति ात एफ.डी.आई. निवे ाकों को 55 प्रति ात) या रू. 5 लाख जो कम हो, की प्रतिपूर्ति।

- **मार्जिन मनी ऋण–** अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु मार्जिन मनी की 15 प्रति ात रा ि ा बिना किसी ब्याज अधिरोपण के (1 प्रति ात सेवा भुल्क) के उपलब्ध कराई जा रही है जिसकी अधिकतम 15 लाख रू. है।

18.18 **विशेष थ्रस्ट सेक्टर का औद्योगिक विकास–** राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का राज्य में ही मूल्य आवर्धन करने एवं इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना व कोर सेक्टर के अतिरिक्त अन्य उद्योगों की स्थापना को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए "वि ोश थ्रस्ट सेक्टर" की अवधारणा की गई हैं जिसमें सम्मिलित हैं–

- हर्बल तथा वनौशाधि प्रसंस्करण
- आटोमोबाईल, आटो–कंपोनेन्ट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग
- प्लांट/म ाीनरी/इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण
- एल्यूमीनियम पर आधारित डाऊनस्ट्रीम उत्पाद
- खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)
- मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
- फार्मेस्यूटिकल उद्योग
- व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता उत्पाद
- अपरंपरागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
- फ्लाई ऐ ा उद्योग (सीमेंट को छोड़कर)
- रेडीमेड गारमेंटस (केवल अपैरल पार्क में स्थापित)
- सिंगल सुपर फास्फेट
- कागज उद्योग
- टेक्सटाईल (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फैबिक्स व अन्य प्रकिया)
- 100 प्रति ात निर्यातक उद्योग
- बायोडीजल उत्पादन
- कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाईल्स एवं फिटिंग
- वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग
- कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स

18.19 औद्योगिक नीति के कियान्वयन हेतु वर्श 2006–07 में जारी अधिसूचनाएं एवं भाासनदे ा

छत्तीसगढ़ भाासन भण्डार कय नियम 2002 में सं ोधन– राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू "छत्तीसगढ़ भाासन भण्डार कय नियम–2002" में सं ोधन किये गये है जिसके फलस्वरूप अब ये नियम राज्य के भाासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, राज्य के समस्त सार्वजनिक उपकम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों पर भी लागू हो गये है।

भण्डार कय नियमों की परिधि में 12 नये आइटम/उत्पादों को समावेि ात करने के उपरांत अब नियमों की परिधि में 101 आइटम/उत्पाद है।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना– राज्य में स्थापित लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहित करने तथा राज्य के विकास में लघु उद्योग के योगदान को प्रतिपादित करने के उद्दे य से "छत्तीसगढ़ राज्य लघु उद्योग पुरस्कार योजना" प्रारंभ की गयी है।

योजना के अंतर्गत प्रतिवर्श चयनित लघु उद्योगों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में कम ाः रू. 51,000 रू., 31,000 एवं रू. 21,000 की रािा प्रदान की जाती है।

18.20 केंद्रीय योजनाएं एवं औद्योगिक विकास

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) –

ि ाक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्दे य से संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना "प्रधानमंत्री रोजगार योजना" भारत भाासन द्वारा वर्श 1993–94 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र ि ाक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय हेतु रू. 2 लाख तथा सेवा व उद्योग हेतु रू. 5 लाख का ऋण बैकों से प्रदाय किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा 15 प्रति ात अनुदान भी दिया जाता है जिसकी सीमा अधिकतम रूपये 12,500 है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

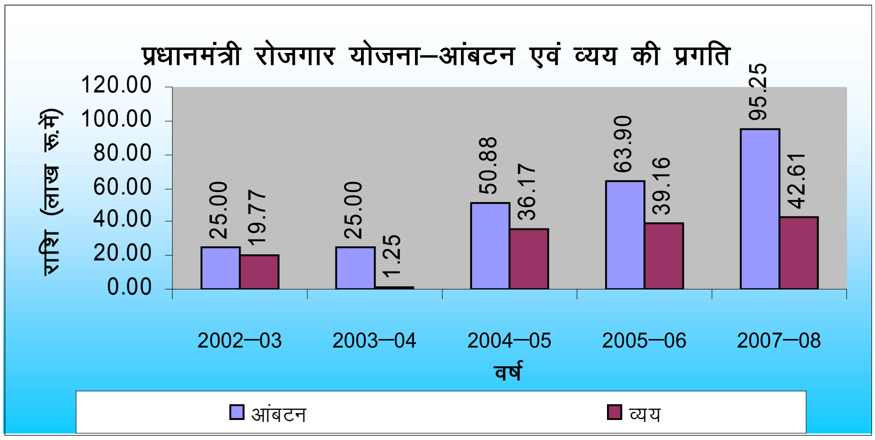

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त आंबटन में निरंतर वृद्वि हो रही है एवं वर्श 2003–04 को छोड़ कर व्यय में भी वृद्वि हो रही है। वर्श 2002–03 से वर्श 2007–08 तक कुल 260.03 लाख रू. आंबटन हुआ और इस आंबटन में से मात्रा 138.96 लाख रू. व्यय किया गया। इस प्रकार औसतन 53.44 प्रति ात ही व्यय किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भौतिक प्रगति (रोजगार) को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

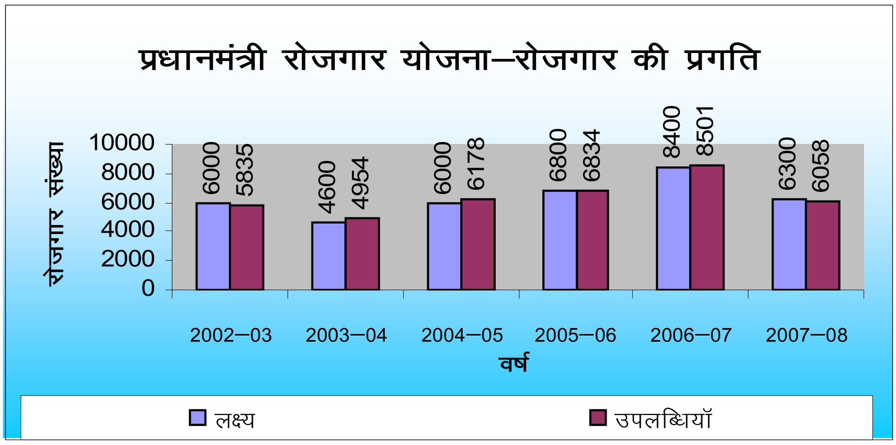

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में उतार–चढ़ाव रहा है। वर्श 2002–03 से वर्श 2007–08 तक कुल 38,100 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु लक्ष्य के विरूद्व 38,360 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व औसतन 100.68 प्रति ात उपलब्धि दर्ज की गई।

इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम (IIUS)–

भारत सरकार की इस योजना के अर्न्तगत चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में जनभागीदारी के माध्यम से समूह आधारित उद्योगों के विकास हेतु अधोसंरचना सुविधाओं के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अंशदान अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य शासन एवं समूह उद्योगों द्वारा गठित स्पेशल पर्पज़ व्हीकल द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में चयनित औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा के संधारण हेतु 55.06 करोड़ की परियोजना (पुनः संशोधित) स्वीकृत है। (IIUS) की वित्तीय प्रगति–भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–18.32 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.32

(IIUS) की वित्तीय – भौतिक प्रगति

क्र.	विवरण	राि ा करोड. रु.
1	पुनः संशोधित परियोजना लागत	55.06
2	केन्द्र सरकार से स्वीकृत अनुदान	31.76
3	राज्य भाासन से स्वीकृत सुलभ ऋण	10.00
4	बैंक से ऋण	05.00
5	एसपीव्ही (यूजर्स ग्रुप) द्वारा लगाई जाने वाली राशि	08.30
6	अब तक केन्द्र सरकार द्वारा एसपीव्ही को प्रदत्त अनुदान	21.07
7	राज्य भाासन से एसपीव्ही को प्रदत्त सुलभ ऋण	6.00

योजना के क्रियान्वयन हेतु **स्पेशल पर्पज़ व्हीकल मे. इस्पात भूमि लिमि. (सीआईबीएल)** गठित है। गठित एस.पी.व्ही. को औद्योगिक क्षेत्र उरला एवं सिलतरा सौंपे गए हैं। इस्पात भूमि लिमि. द्वारा विकास केन्द्र सिलतरा में अधोसंरचना उन्नयन कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं।

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र योजना (IIDC)–

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में लघु, अति लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 2 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण के रुप में अथवा राज्य शासन द्वारा अंशदान दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है। IIDC योजना की वर्षवार वित्तीय प्रगति को तालिका क्रं–18.33 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.33

IIDC योजना की वर्षवार वित्तीय प्रगति

(राि ा लाख रु. में)

वर्श	बिरकोनी (महासमुंद)		हरिनछपरा (कबीरधाम)		नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा)		कुल प्राप्त राशि	
	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2002-03		3.2						3.2
2003-04		0.17						0.17
2004-05	100	0.9	100	3.58	100	0.05	300	4.53
2005-06	66.66	0.89	303.45	75.84	230	90.13	600.11	166.86
2006-07	223.87	87.07	0	65.23		115.85	223.87	268.15
2007-08	25.22	269.73	22.8	82.93	98.14	121.61	146.16	474.27
योग	**415.75**	**361.96**	**426.25**	**227.58**	**428.14**	**327.64**	**1270.14**	**917.18**

तालिका से स्पश्ट होता है कि बिरकोनी (महासुमन्द), हरिनछपरा (कबीरधाम), नयनपुर–गिरवगंज (सरगुजा) लघु उद्योग केन्द्रों हेतु क्रम ाः रू. 415.75, 426.25, 428.14 लाख का आंबटन प्राप्त हो चुका है जिसमें से क्रम ाः रू.361.96, 227.58, 327.64 लाख औद्योगिक अधोसंरचना विकास हेतु व्यय किया जा चुका है। कुल उपलब्ध 1,270.14 लाख रू. में से 917.18 लाख रू. व्यय किया जा चुका है। बिरकोनी (महासमुंद), हरिनछपरा (कबीरधाम) एवं नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा) में लघु औद्य ोगिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों में उद्योग स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका हैं। क्षेत्रवार भौतिक प्रगति को तालिका क्रं–34 में द ार्या गया है–

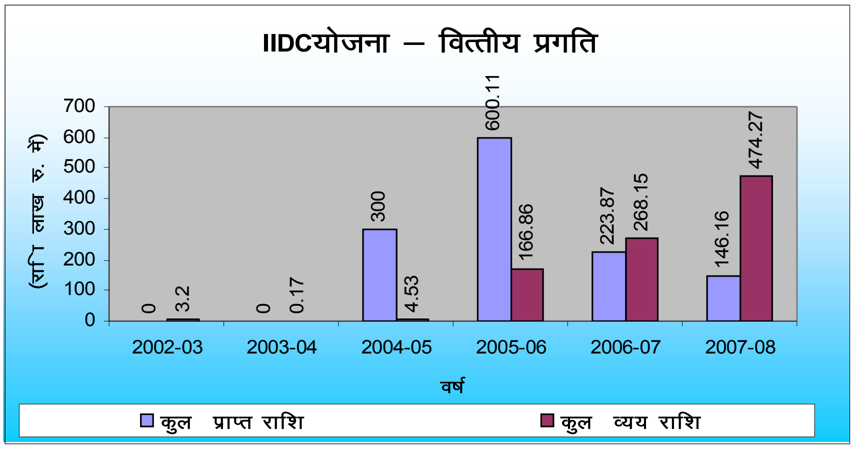

तालिका क्र.–18.34

औद्योगिक क्षेत्रों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राि ा लाख रु. में)

क्र.	जिला	क्षेत्र का नाम	थ्वकास केन्द्र का रकबा(हे.)	आबंटन योग्य रकबा(हे.)	कुल प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	महासमुंद	थ्वरकोनी	86.42	46.60	415.75	361.96
2	कबीरधाम	हरिनछपरा	21.00	12.18	426.25	227.58
3	सरगुजा	नयनपुर–गिरवरगंज	51.00	26.43	428.14	327.64

तिफरा, जिला बिलासपुर, श्यामतराई जिला धमतरी, टेकनार जिला दंतेवाड़ा, कापन जिला जांजगीर–चांपा, बेलटुकरी जिला रायपुर, एवं महरुमखुर्द जिला राजनांवगांव में लघु औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि चयन किया जा चुका है। इनमें से तिफरा, श्यामतराई एवं टेकनार का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है जिसमें से तिफरा, श्यामतराई की परियोजना की स्वीकृति हेतु हाई पावर कमेटी की बैठक हो चुकी है।

निर्यात अधोसंरचना व सहायक गतिविधियों के विकास हेतु सहायता योजना (ASIDE)–

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातक इकाईयों को आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के कियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

(ASIDE)योजना की वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को तालिका क.–18.35 में द ाया गया है–

तालिका क.–18.35

ASIDE योजना की वर्षवार वित्तीय प्रगति

वर्श	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि		राज्य सरकार से प्राप्त राशि		कुल प्राप्त राशि	
	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2001-02	200.00				200.00	0.00
2002-03	400.00	210.84			400.00	210.84
2003-04	400.00	233.57		17.00	400.00	250.57
2004-05	500.00	382.72	45.00	23.39	545.00	406.11
2005-06	500.00	687.87	15.00	16.41	515.00	704.28
2006-07	550.00	366.43	16.50	18.20	566.50	384.63
2007-08	435.00	49.75	15.00	14.54	450.00	64.29

सी.आई.बी./एसाईड योजना के अर्न्तगत मार्च 2008 तक भिलाई में Software Technology Park of India (STPI) की स्थापना हेतु चिप्स को रु. 400 लाख तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य हेतु सीएसआईडीसी को 2,585 लाख (कुल राशि रु0 2,985 लाख) प्राप्त हुई है तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु रु. 550 लाख का आबंटन स्वीकृत किया गया है। इस मद में अब तक राशि रु. 1931.18 लाख (सीएसआईडीसी एव चिप्स द्वारा) का व्यय की गयी है। (ASIDE) योजना के अंतर्गत राज्य के पुराने औद्य ोगिक क्षेत्रों उरला, रावांभाटा, भनपुरी (जिला रायपुर), भिलाई (दुर्ग) एवं सिरगिट्टी (बिलासपुर) में अधोसंरचना उन्नयन के कार्य किए जा रहे हैं।

योजना की वर्शवार वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

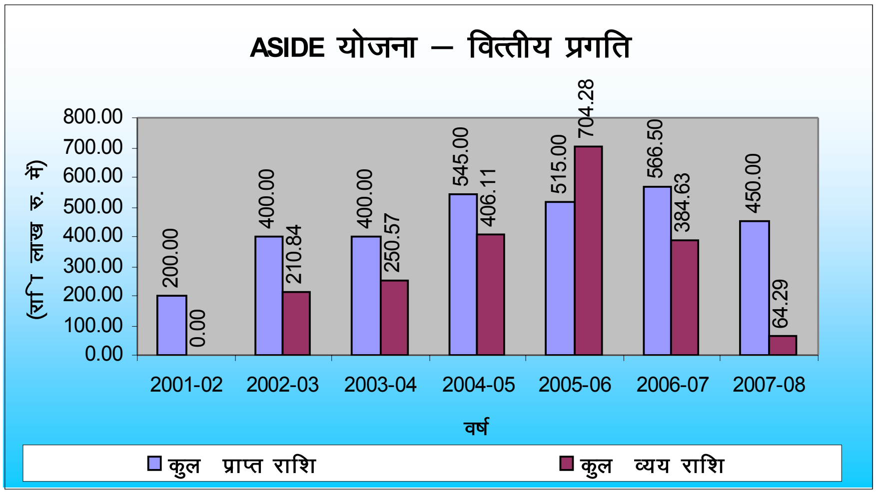

तलिका एवं दण्ड आरेख के वि लेशण से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने से वर्श दण्ड आरेख 2007–08 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त रा ि रू. 2,985 लाख में से रू. 1,931.18 लाख व्यय किये गये हैं तथा राज्य सरकार से प्राप्त रा ि रू. 91.50 लाख में से रू.89.54 लाख व्यय किये गये। कुल प्राप्त रा ि रू.3,076.50 लाख में से रू. 2,020.72 लाख व्यय किये गये हैं।

18.21 औद्योगिक वित्तीय प्रगति–

राज्य के औद्योगिक विकास हेतु बजट आंबटन किया जाता है। इस आबंटन/व्यय की प्रगति को तालिका क.–18.36 एवं दण्ड आरेख में द ाया गया है–

तालिका क.–18.36

आंबटन एवं व्यय की प्रगति

(रा ि लाख रू. में)

वर्ष	आंबटन	व्यय	व्यय प्रतिशत
2000–01 (पांच माह)	472.34	309.38	65.50
2001–02	1448.06	1292.95	89.29
2002–03	1857.62	1382.90	74.44
2003–04	3819.12	1373.48	35.96
2004–05	4297.28	2624.47	61.07
2005–06	9107.4	7981.81	87.64
2006–07	10151.48	9325.75	91.87
2007–08	14897.75	13177.05	88.45
योग	**46051.05**	**37467.79**	**81.36**

तालिका एवं दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक आंबटित एवं व्यय राशि में निरंतर वृद्वि हो रही है । वर्श 2001–02 में आंबटन रू. 1448.06 लाख के विरूद्व व्यय रू. 1292.95 लाख किया गया जो वर्श 2007–08 में बढ़कर रू. 14897.75 लाख एवं रू. 13177.05 लाख हो गया। जहां कुल आंबटन में वर्श 2001–02 से वर्श 2007–08 तक 928.81 प्रतिशत वृद्वि हुई है वही कुल व्यय में 919.15 प्रतिशत वृद्वि हुई है। कुल रू. 46,051.05 लाख आंबटन के विरूद्व रू. 37,467.79 लाख व्यय किया गया। जो कि कुल आंबटन का 81.36 प्रतिशत है।

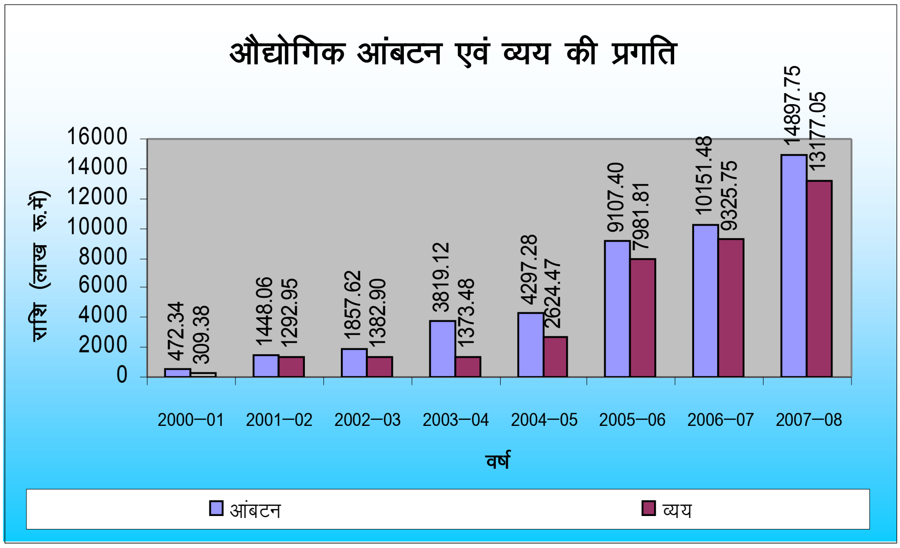

18ए22 लघु उद्योगों की प्रगति–

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से 2007–08 तक की लघु उद्योगो की संख्या, पूंजी निवेश एवं इन उद्योगो के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार की प्रगति को तालिका क्र.–18.37 में दर्शाया गया है–

तालिका क्र.–18.37

लघु उद्योगों की वार्शिक प्रगति

(राशि लाख रू. में)

वर्ष	उद्योगों की संख्या	पूंजी निवेश (लाख में)	रोजगार
31 / 10 / 2000 तक	118700	744.05	302155
2000–01	1991	2430.53	4925
2001–02	2122	2292.82	5161
2002–03	2375	1635.56	5803
2003–04	2034	3701.69	6760
2004–05	1400	4673.19	6055
2005–06	813	10248.07	6611
2006–07	557	12698.59	7536
2007–08	581	13508.62	6787
कुल–राज्य बनने के बाद	**11873**	**51189.07**	**49638**
कुल	**130573**	**51933.12**	**351793**

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने के पूर्व राज्य में कुल 1,18,700 लघु उद्योग स्थापित थे जिसमें 744.05 लाख रू. का पूंजी निवे ा किया गया था तथा 3,02,155 लोगों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्रदान किया गया था।

तालिका के वि लेशण से स्पश्ट होता है कि कुल स्थापित 1,30,573 उद्योगों में मात्र 9.09 प्रति ात उद्योग, कुल पूंजी निवे ा 51,933.12 लाख रू. में से 98.57 प्रति ात पूंजी निवे ा एवं कुल रोजगार 3,51,793 में से 14.11 प्रति ात रोजगार राज्य बनने के बाद उपलब्ध कराया गया हैं।

- **लघु उद्योगों की वार्षिक प्रगति–**

लघु उद्योगों की संख्या की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है

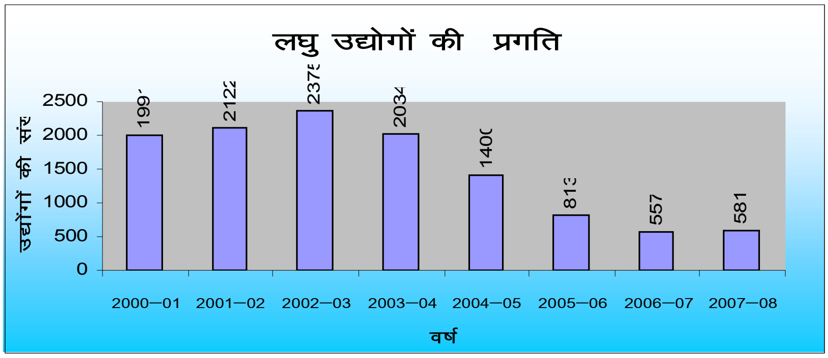

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि प्रारंभिक तीन वर्शो में लघु उद्य ोगों की स्थापना में क्रम ाः वृद्वि दिखाई दे रही है किन्तु इसके बाद वर्श 2006–07 तक इसमें निरंतर कमी दिखाई दे रही है। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 11,873 लघु उद्योगों को स्थापित किया गया।

- **लघु उद्योगों में पूंजी निवे ा–**

लघु उद्योगों में पूंजी निवे ा की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है

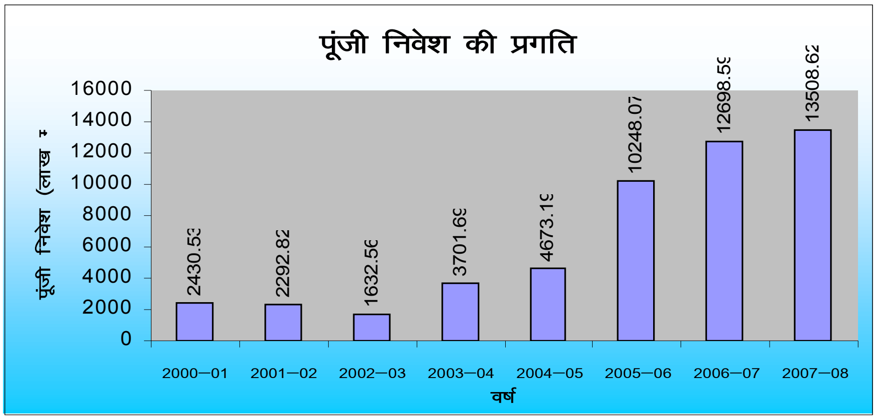

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि लघु उद्योगों के पूंजी निवे ा में क्रम ाः तीव्र वृद्वि दिखाई दे रही है (2002-03 को छोड़ कर)। वर्श 2001–02 के रू. 2,292.82 लाख पूंजी निवे ा किया गया जो वर्श

2007–08 में बढ़कर रू. 13,508.62 लाख हो गया। इस प्रकार पूंजी निवे ा में 489.17 प्रति ात वृद्वि दर्ज की गई। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 51,186.07 लाख रू. पूंजी निवे ा किया गया।

- **लघु उद्योगों में रोजगार –**

लघु उद्योगों में **रोजगार** की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है

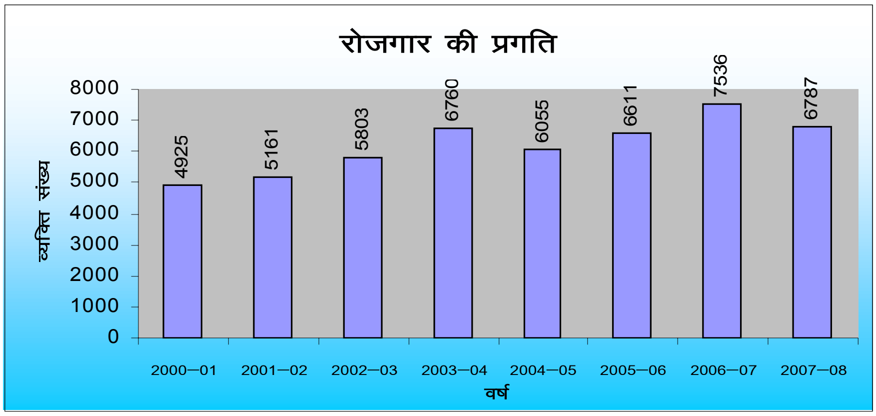

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि लघु उद्योगों में रोजगार लाभार्थियों की संख्या में उतार–चढ़ाव रहा है। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 49,638 लोगों को विभिन्न लघु उद्योगों में रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक की लघु उद्योगों की संख्या, पूंजी निवे ा एवं इन उद्योगों के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार की कुल प्रगति को तालिका क्र.–18.38 में द ार्या गया है–

तलिका क्र.–18.38

लघु उद्योगों की कुल प्रगति

(रा ि लाख रू. में)

वर्श	**उद्योगों की संख्या**	**पूंजी निवेश (लाख में)**	**श्रोजगार**
31–10–2000 तक	118700	744.05	302155
2000–01 तक	120691	3174.58	307080
2001–02 तक	122813	5467.40	312241
2002–03 तक	125188	7102.96	318044
2003–04 तक	127222	10804.65	324804
2004–05 तक	128622	15477.84	330859
2005–06 तक	129435	25725.91	337470
2006–07 तक	129992	38424.50	345006
2007–08 तक	130573	51933.12	351793

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से 2007–08 कुल 1,30,573 लघु उद्योगों को स्थापित किया गया जिसमें रू. 51,933.12 लाख पूंजी निवे ा किया गया तथा 3,51,793 लोगों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्रदान किया गया।

18ण्23 वृहद/मध्यम उद्योगों की प्रगति –

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक की वृहद/मध्यम उद्योगों के अंतर्गत किये गये एम.ओ.यू. की संख्या, पूंजी निवे ा एवं इन उद्योगो के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार की प्रगति को तालिका क्र.–18.39 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.39

वृहद/मध्यम उद्योगों की वार्शिक प्रगति

वर्श	एम.ओ.यू की संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश(करोड़ में)	वास्तविक पूंजी निवेश(करोड़ में)	रोजगार
31.10.2000 तक	2	-	-	-
2000–01	-	-	-	-
2001–02	4	9110.00	6143.92	4950
2002–03	5	1717.00	573.41	1026
2003–04	5	2220.00	268.81	2772
2004–05	14	8779.66	5932.13	17137
2005–06	2	17000.00	82.24	7330
2006–07	18	13459.84	2123.33	8085
2007–08	17	34205.24	321.11	9290
कुल–राज्य बनने के बाद	**65**	**86491.74**	**15444.95**	**50590**

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य में राज्य बनने के पहले 02 वृहद् एवं मध्यम उद्योग स्थापित किये गये एवं राज्य बनने के बाद से 2007–08 कुल 65 वृहद् एवं मध्यम उद्योगों को स्थापित करने हेतु एम.ओ.यू. किये गये जिसमें रू. 86,491.74 करोड़ पूंजी निवे ा का प्रस्ताव किया गया किन्तु वास्तविक पूंजी निवे ा रू. 15,444.95 करोड़ ही किया गया जो की कुल प्रस्तावित पूंजी निवे ा का 17.86 प्रति ात है तथा 50,590 लोगों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार प्रदान किया गया।

- **एम.ओ.यू की प्रगति–**

वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में किये गये एम.ओ.यू. की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया हैं–

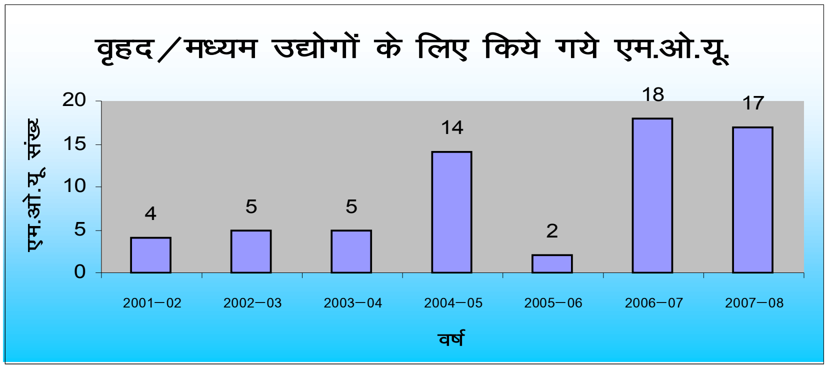

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि वृहद् एवं मध्यम उद्योगों हेतु किये गये एम.ओ.यू में काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इन उद्योगों हेतु सर्वाधित एम.ओ.यू. वर्श 2006–07 में किये गये राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 65 एम.ओ.यू. किये गये।

- **प्रस्ताविक पूंजी निवे ा/वास्तविक पूंजी निवे ा–**

वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में किये गये प्रस्तावित/वास्तविक पूंजी निवे ा की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

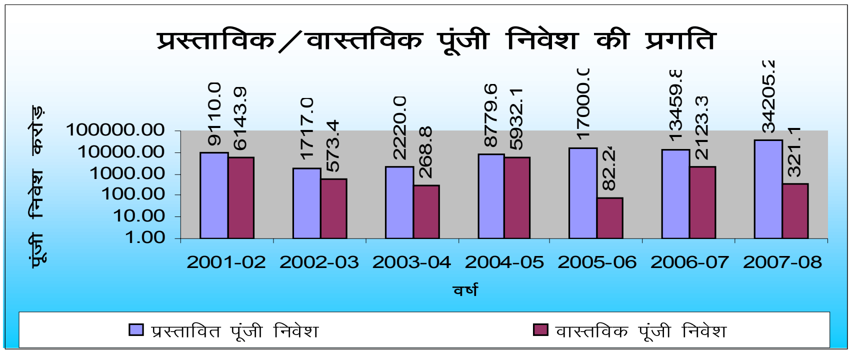

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि कि वृहद् एवं मध्यम उद्योगों हेतु किये गये प्रस्तावित/वास्तविक पूंजी निवे ा में काफी उतार–चढ़ाव रहा है। इन उद्योगों हेतु सर्वाधित रू.

34,205.24 करोड़ प्रस्ताविक पूंजी निवे ा वर्ष 2007–08 में किन्तु वास्तविक पूंजी निवे ा रू. 6,143.92 करोड़ वर्ष 2001–02 में किया गया है। राज्य बनने से वर्ष 2007–08 तक कुल प्रस्तावित पूंजी निवे ा 86,491.75 करोड़ रू. था जिसके विरूद्ध वास्तविक पूंजी निवे ा 15,444.95 करोड़ रू. (जो की प्रस्तावित पूंजी निवे ा का मात्र 17.86 प्रति ात होता है) किया गया।

- **रोजगार की प्रगति–**

वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

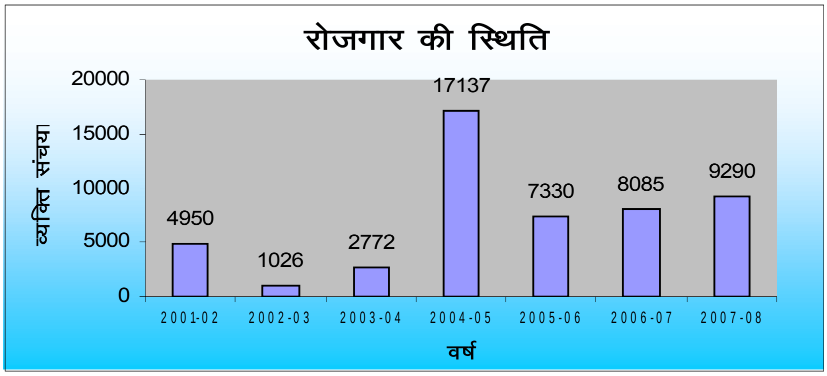

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वृहद् एवं मध्यम उद्य ोगों में रोजगार लाभार्थियों की संख्या में उतार–चढ़ाव रहा है। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 50,590 लोगों को विभिन्न वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया गया। सर्वाधिक रोजगार 17,137 वर्श 2004–05 में प्रदान किया गया।

18.23 राज्य के प्रमुख उद्योगों की प्रगति–

स्पंज आयरन उद्योग की प्रगति–

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक की स्पंज आयरन उद्योगों की संख्या, पूंजी निवे ा, उत्पादन एवं इन उद्योगो के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार की प्रगति को तालिका क्र. –18.40 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.40

स्पंज आयरन उद्योग की वार्शिक प्रगति

वर्ष	उद्योंगों की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ में)	उत्पादन (मेट्रिक टन)	रोजगार
31.10.2000 तक	6	83553.14	1306000	6852
2000–01	-	-	-	-
2001–02	3	100.73	375000	410
2002–03	7	1054.77	92625	574
2003–04	9	678.88	459750	1114
2004–05	25	1871.84	925000	2411
2005–06	24	6177.46	1255500	3549
2006–07	8	1453.91	529500	1826
2007–08	2	3.78	22500	79
कुल (राज्य बनने के बाद)	**78**	**11341.37**	**3659875**	**9963**
कुल	**84**	**94894.51**	**4965875**	**16815**

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने के पहले राज्य में स्पंज आयरन उद्योगों की कुल संख्या 6 थी जिसमें 83,553.14 करोड़ रू. पूंजी निवे ा किया गया एवं इन उद्यागों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 13,06,000 मेट्रिक टन थी तथा इन उद्योगों में 6,852 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था।

राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक राज्य में स्पंज आयरन उद्योगों की कुल संख्या 78 हो गई जिसमें 11,341.37 करोड़ रू. पूंजी निवे ा किया गया एवं इन उद्यागों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 36,59,875 मेट्रिक टन थी तथा इन उद्योगों में 9,963 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से 2007–08 तक कुल स्पंज आयरन उद्य ोगों की संख्या 84 हो गई जिसमें 94,894.51 करोड़ रू. पूंजी निवे ा किया गया एवं इन उद्यागों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 49,65,875 मेट्रिक टन है तथा इन उद्योगों में 16,815 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। इस प्रकार राज्य बनने के बाद से राज्य में जहॉ कुल उद्योगों में 92.86 प्रति ात स्पंज आयरन उद्योगों की स्थापना हुई हैं, 11.95 प्रति ात पूंजी निवे ा किया गया हैं वहीं उत्पादन 73.70 प्रति ात एवं रोजगार 59.25 प्रति ात रहा हैं।

- **स्पंज आयरनों में उद्योगों की संख्या–**

स्पंज आयरन उद्योग संख्या की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

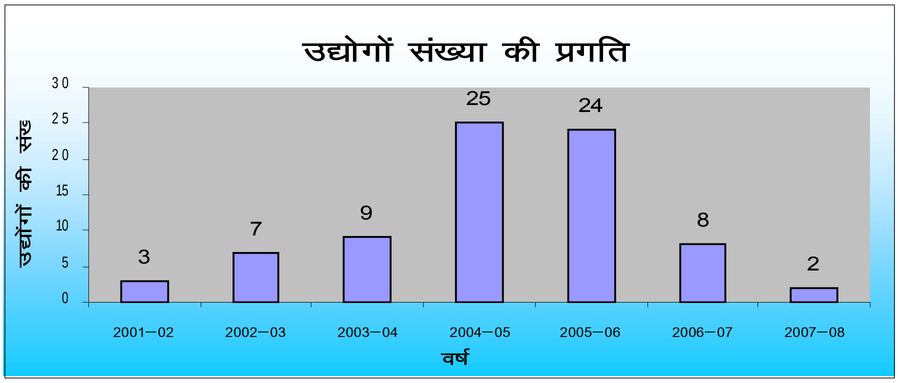

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि प्रारंभिक चार वर्शो में स्पंज आयरन उद्योगों की स्थापना में क्रम ा: वृद्वि दिखाई दे रही है किन्तु वर्श 2005–06 से वर्श 2007–08 तक इसमें निरंतर कमी दिखाई दे रही है। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 78 स्पंज आयरन उद्य ोगों को स्थापित किया गया। सर्वाधिक स्पंज आयरन उद्योग (25) वर्श 2004–05 एवं सबसे कम (2) वर्श 2007–08 में स्थापित किये गये।

- **पूंजी निवे ा की प्रगति–**

स्पंज आयरन उद्योगों में पूंजी निवे ा की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया हैं–

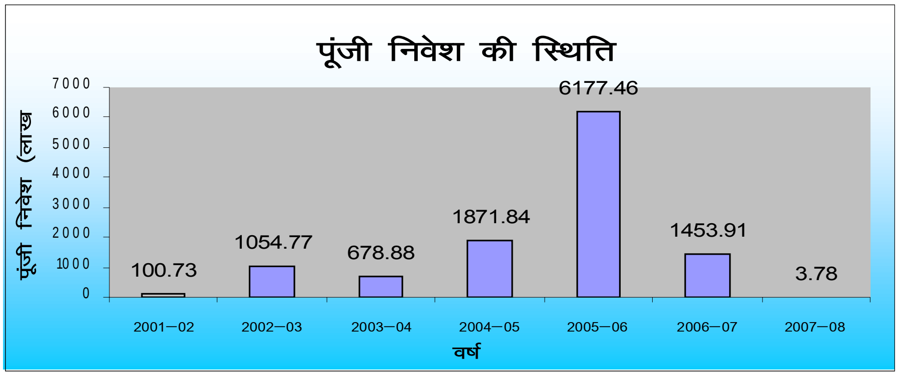

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि स्पंज आयरन उद्योगों में सर्वाधिक पूंजी निवे ा रू. 6,177.46 करोड़ वर्श 2005–06 किया गया सबसे कम पूंजी निवे ा वर्श 2007–08 में रू. 3.78 करोड़ किया गया। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 11,341.37 करोड़ रू. पूंजी निवे ा किया गया जो की राज्य में कुल पूंजी निवे ा का 11.75 प्रति त है।

- **उत्पादन की प्रगति–**

स्पंज आयरन उद्योगों में पंजीकृत उत्पादन क्षमता की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

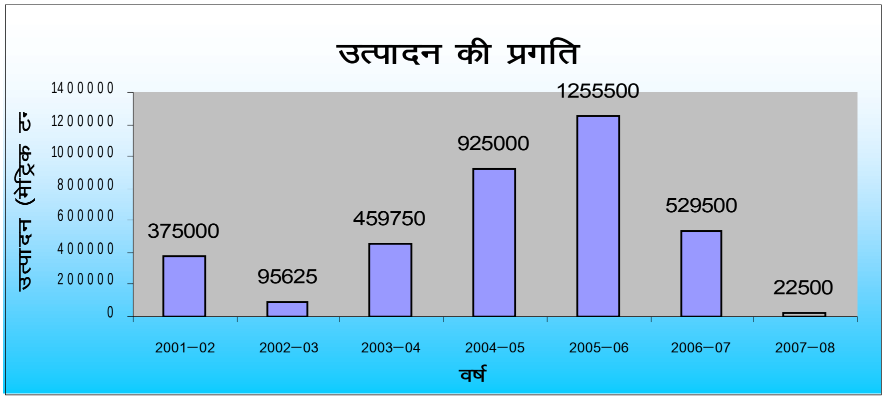

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि प्रारंभिक पांच वर्शो में (वर्श 2002–03 को छोड़कर) स्थापित होने वाले स्पंज आयरन उद्योगों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता में वृद्वि हो रही है। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक स्थापित 78 स्पंज आयरन उद्योगों की कुल पंजीकृत उत्पादन क्षमता 36,598.75 मेट्रिक टन थी। वर्श 2005–06 में स्पंज आयरन उद्योग के अंतर्गत स्थापित

उद्योगों में सर्वाधिक 12,55,500 मेट्रिक टन पंजीकृत उत्पादन क्षमता दर्ज की गई, सबसे कम वर्श 2007–08 में 22,500 मेट्रिक टन।

- **रोजगार की प्रगति–**

स्पंज आयरन उद्योगों में रोजगार की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ाया गया है–

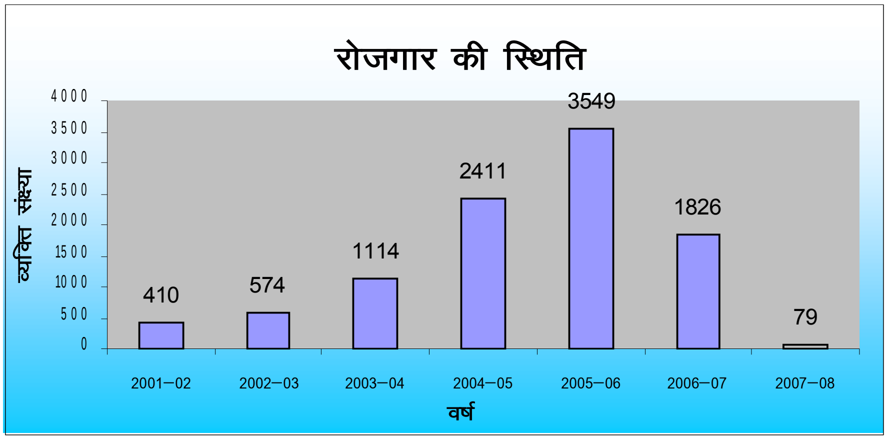

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि प्रारंभिक पांच वर्शो में स्थापित होने वाले स्पंज आयरन उद्योगों में रोजगार में वृद्वि हुई है। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक स्थापित 78 स्पंज आयरन उद्योगों में कुल 9,963 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इन उद्योगों के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार के अवसर वर्श 2005–06 में 3,549 एवं सबसे कम 79 रोजगार के अवसर वर्श 2007–08 में सृजित हुए।

स्टील उद्योग की प्रगति–

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक की स्टील उद्योगों की संख्या, पूंजी निवे ा, उत्पादन एवं इन उद्योगो के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार की प्रगति को तालिका क्र.–18.41 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.41

स्टील उद्योग की वार्शिक प्रगति

वर्श	उद्योंगों की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ में)	उत्पादन (मेट्रिक टन)	रोजगार
31.10.2000 तक	**18**	**60644.44**	**21187065**	**48762**
2000–01	14	228.9	743040	1963
2001–02	10	304.38	670891	1828
2002–03	6	17.6	172500	325
2003–04	2	469.66	179300	2140
2004–05	28	496.9	887860	2800
2005–06	74	356.35	589056	3376
2006–07	31	1033.47	586550	1237
2007–08	12	35.27	172100	676
कुल (राज्य बनने के बाद)	**177**	**2942.53**	**4001297**	**14345**
कुल	**195**	**63586.97**	**25188362**	**63107**

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने के पहले राज्य में स्थापित स्टील उद्योगों की कुल संख्या 18 थी जिसमें रू. 60,644.44 करोड़ पूंजी निवे ा किया गया एवं इन उद्यागों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 2,11,87,065 मेट्रिक टन थी तथा इन उद्योगों में 48,762 रोजगार के अवसर सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया था।

राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक राज्य में 177 स्टील उद्योगों को स्थापित किया गया जिसमें रू. 2,942.53 करोड़ पूंजी निवे ा किया गया एवं इन उद्यागों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 40,01,297 मेट्रिक टन थी तथा इन उद्योगों में 14,345 रोजगार के अवसर सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया।

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से 2007–08 तक कुल स्थापित स्टील उद्योगों की संख्या 195 हो गई जिसमें रू. 63,586.97 करोड़ पूंजी निवे ा किया गया एवं इन उद्यागों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 2,51,88,362 मेट्रिक टन है तथा इन उद्योगों में 63,107 रोजगार के अवसर सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया। इस प्रकार राज्य में कुल उद्योगों में राज्य बनने के बाद से जहाँ 90.77 प्रति ात स्टील उद्योगों की स्थापना हुई हैं, वहीं मात्र 4.63 प्रति ात पूंजी निवे ा, 15.89 प्रति ात उत्पादन एवं 22.73 प्रति ात रोजगार के अवसर सृजित किये गये।

- **स्टील उद्योगों संख्या की प्रगति–**

स्टील उद्योग संख्या की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

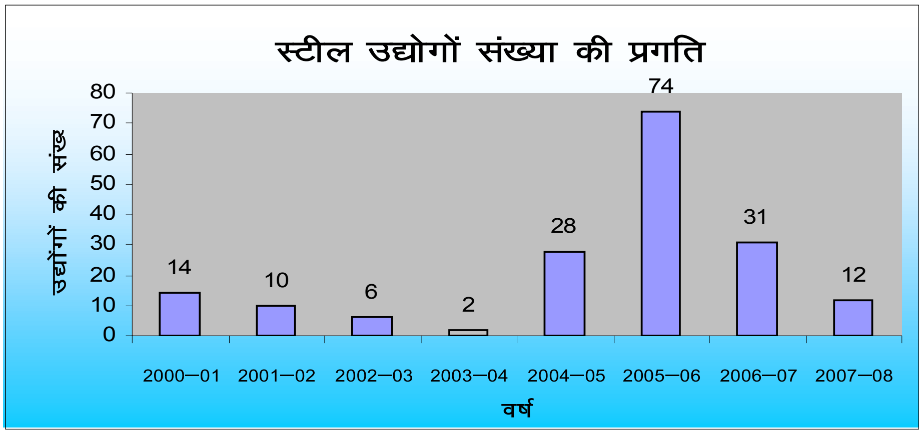

दण्ड आरेख को देखने से स्पष्ट होता है कि राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 177 स्टील उद्योगों को स्थापित किया गया हैं। सर्वाधिक स्टील उद्योग (74) वर्श 2005–06 एवं सबसे कम (2) वर्श 2003–04 में स्थापित किये गये।

- **पूंजी निवे ा की प्रगति–**

स्टील उद्योगों में पूंजी निवे ा की वार्षिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया हैं–

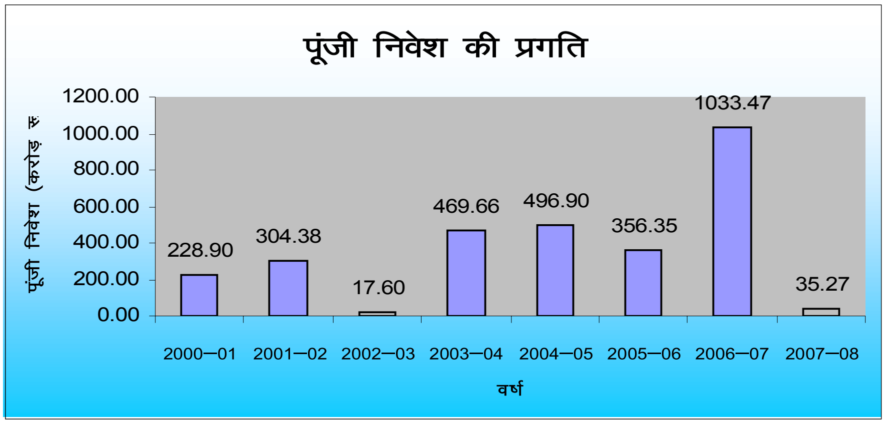

दण्ड आरेख को देखने से स्पष्ट होता है कि राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल रू. 2,942.53 करोड़ पूंजी निवे ा किया गया जो की राज्य में कुल पूंजी निवे ा का 4.63 प्रति ात है। स्टील उद्योगों में सर्वाधिक पूंजी

निवे ा रू. 1,033.47 करोड़ वर्श 2006–07 में एवं सबसे कम पूंजी निवे ा वर्श 2002–03 में रू. 17.60 करोड़ किया गया।

- **उत्पादन की प्रगति–**

स्टील उद्योगों में पंजीकृत उत्पादन क्षमता की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

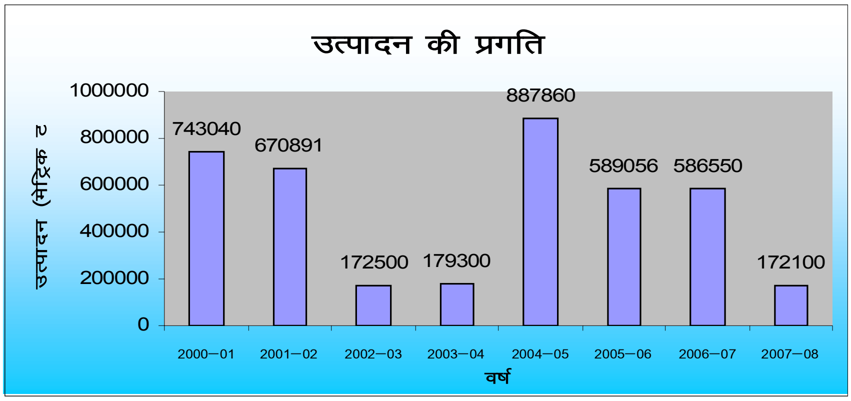

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक स्थापित 177 स्टील उद्योगों की कुल पंजीकृत उत्पादन क्षमता 40,01,297 मेट्रिक टन थी। वर्श 2004–05 में स्थापित स्टील उद्योगों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 8,87,860 मेट्रिक टन सर्वाधिक पंजीकृत उत्पादन क्षमता एवं सबसे कम 1,72,100 मेट्रिक टन वर्श 2007–08 में दर्ज की गई।

- **रोजगार की प्रगति–**

स्टील उद्योगों में रोजगार की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

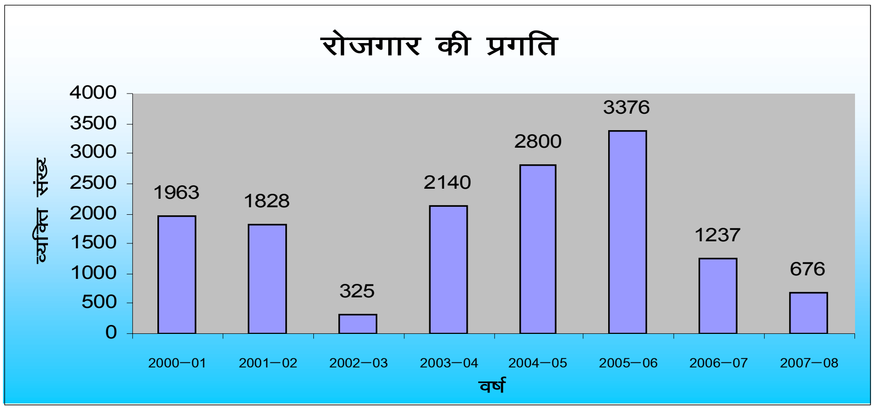

दण्ड आरेख को देखने से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक स्थापित 177 स्टील उद्योगों में कुल 14,345 रोजगार के अवसर सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इन उद्योगों के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार के अवसर वर्श 2005–06 में 3,376 एवं सबसे कम 325 रोजगार के अवसर वर्श 2002–03 में सृजित हुए।

सीमेंट उद्योग की प्रगति–

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक की सीमेंट उद्योगों की संख्या, पूंजी निवे ा, उत्पादन एवं इन उद्योगो के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार की प्रगति को तालिका क्र.–18.42 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.42

सीमेंट उद्योग की प्रगति

वर्ष	उद्योगों की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ में)	उत्पादन (मेट्रिक टन)	रोजगार
31.10.2000 तक	8	1073.52	33103000	5333

2007–08	1	2.70	30000	40
कुल	**9**	**1076.22**	**33133000**	**5373**

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने से पहले राज्य में 8 सीमेंट उद्योग स्थापित किये गये थे, जिनमें रू. 1,073.52 करोड़ का पूंजी निवे ा किया गया था एवं इन उद्योगों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 3,31,03,000 मेट्रिक टन थी तथा इन उद्योगों में 5,333 रोजगार के अवसर सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

राज्य बनने के बाद वर्श 2007–08 में 1 सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। जिनमें रू. 2.70 करोड़ का पूंजी निवे ा किया गया एवं इस उद्योग की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 30,0000 मेट्रिक टन थी तथा इस उद्योग में 40 रोजगार के अवसर सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

इस प्रकार वर्श 2007–08 तक राज्य में कुल 9 सीमेंट उद्योग स्थापित किये गये जिनमें रू. 1,076.22 करोड़ का पूंजी निवे ा किया गया एवं इन उद्योगों की पंजीकृत उत्पादन क्षमता 3,31,33,000 मेट्रिक टन थी तथा इन उद्योगों में 5,373 रोजगार के अवसर सृजित कर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

एल्यूमिनियम उद्योग की प्रगति–

राज्य में राज्य बनने के पहले एवं राज्य बनने के बाद से वर्श 2007–08 तक की एल्यूमिनियम उद्योगों की संख्या, पूंजी निवे ा, उत्पादन एवं इन उद्योगो के अंतर्गत प्रदत्त रोजगार की प्रगति को तालिका क्र.–18.43 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.43

एल्यूमिनियम उद्योग की प्रगति

वर्ष	उद्योगों की संख्या	पूंजी निवेश (करोड़ में)	उत्पादन	रोजगार
31.10.2000 तक	1	1136.61	एल्यूमीनियम रॉड – 35,000 में. टन रोल – 40,000 में.टन एक्सक्यूजन – 7,000 में.टन इनगॉट एवं अन्य – 18,000 में.टन	6107
2007–08	पूर्व से कार्यरत इकाई द्वारा विस्तार	2540.03	एल्यूमीनियम – 3,00,000 में.टन केप्टिल पावर – 6,600 मेगावॉट	4912

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने से पहले राज्य में एक एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किया गया था। जिसमें रू. 1,136.61 करोड़ का पूंजी निवे ा एवं 1,00,000 मे. टन उत्पादन एवं 6,107 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया गया था। राज्य बनने के बाद वर्श 2007–08 में इस इकाई का विस्तार कर रू. 2,540.03 करोड़ का पूंजी निवे ा एवं 3 लाख में. टन एल्यूमिनियम उत्पादन एवं 6,600 मेगावॉट केप्टिव पावर उत्पादन तथा 4,912 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

एल्यूमिनियम उद्योग के अंतर्गत कुल 3,676.64 करोड़ रू. का पूंजी निवे ा एवं 3 लाख मे.टन उत्पादन क्षमता एवं 11,019 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

18ण्24 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. –

उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में गठित एकमात्र निगम "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" है।

इस निगम की अधिकृत पूंजी रू. 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रू. 1.60 करोड़ है। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भाासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम क्रमशः (1) म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) म.प्र. लघु उद्योग निगम (3) म.प्र. राज्य उद्योग निगम (4) म.प्र.निर्यात निगम (5) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (6) म.प्र. स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन तथा वित्त विभाग के अंतर्गत स्थापित म.प्र. वित्त निगम इसमें समाहित किये गये हैं।

राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्धन गतिविधियों यथा– प्रचार–प्रसार, अंधोसंरचना सुविधाओं का विकास, संपादन तथा संधारण, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तथा प्रबंधन, लघु उद्योगों को कच्चामाल (स्टील एवं कोयला) आपूर्ति, शासकीय क्रय हेतु भंडार क्रय नियम के अंतर्गत रेट कान्ट्रेक्ट करना, शासकीय उत्पादन इकाईयों का संचालन, राज्योत्सव तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में राज्य शासन की नोडल एजेन्सी के रुप में कार्य संपादन आदि निगम के कर्त्तव्यों में है।

राज्य में विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के पश्चात इनमें उद्योग स्थापना से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होने से स्थानीय स्तर पर जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

18.25 औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र–

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति को तालिका क्र.–18.44 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.44

औद्योगिक विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति

क्रं.	विकास केन्द्रों/औ. क्षेत्रों के नाम	आंबटन योग्य भूमि (हे. में)	स्थापित उद्योग (संख्या)	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ रु. में)	रोजगार (संख्या)	आंबटन हेतु शेष भूमि (हे. में)
1	सिलतरा (रायपुर)	872.00	65	2100	5300	05.00
2	बोरई (दुर्ग)	192.00	57	330	1965	1.516
3	उरला (रायपुर)	270.00	471	425	11260	–
4	सिरगिट्टी (बिलासपुर)	215.76	244	450	3635	–
5	रानी दुर्गावती औ.क्षेत्र अंजनी पेण्ड्रारोड (बिलासपुर)	10.89	10	1.05	112	1.35
6	बिरकोनी (महासमुंद)	49.00	–	–	–	45.00
7	हरिनछपरा (कबीरधाम)	11.00	–	–	–	11.00
8	नयनपुर–गिरवरगंज (सरगुजा)	24.06	03	2.00	50	16.92

- बिरकोनी (महासमुंद) में 16 उद्योगों को 6.85 हेक्टेयर भूमि एवं हरिनछपरा (कबीरधाम) में 1 उद्योग को 0.37 हेक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है।

- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों को भी भूमि का आबंटन इसी निगम द्वारा किया जाता है जिसके लिये उद्योग विभाग द्वारा भूमि निगम को उपलब्ध कराई जाती है।

- निगम द्वारा अभी तक रायपुर, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, कोरबा, बिलासपुर, बस्तर तथा कांकेर जिलों में 21 उद्योगों को 1869.765 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है एवं 2 उद्योगों को 1673.553 हेक्टेयर भूमि का आबंटन प्रक्रियाधीन है।

औद्योगिक क्षेत्रों की वर्शवार संख्या, स्थान एवं व्यय की प्रगति को तालिका क्र.–18.45 में द ाया गया है–

तालिका क्र.–18.45

औद्योगिक क्षेत्रों की वर्शवार प्रगति

वर्ष	औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या एवं सीान का नाम	व्यय (रु. लाख में)
2000–01	4–उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई	341.93
2001–02	5– उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी	341.12
2002–03	5– उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी	532.12
2003–04	6– उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी, बिरकोनी	513.92
2004–05	9– उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी, बिरकोनी, हरिनछपरा, नयनपुर–गिनवरगंज, सिलपहरी	1030.36
2005–06	10– उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी, बिरकोनी, हरिनछपरा, नयनपुर–गिनवरगंज, सिलपहरी, राजनांदगांव	2117.13
2006–07	10– उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी, बिरकोनी, हरिनछपरा, नयनपुर–गिनवरगंज, सिलपहरी, राजनांदगांव	4616.44
2007–08	10– उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, बोरई, अंजनी, बिरकोनी, हरिनछपरा, नयनपुर–गिनवरगंज, सिलपहरी, राजनांदगांव, 5–मेटल पार्क, अपरेल पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल एवं मेडिसिनल पार्क, जेम्स ज्वेलरी एसईजेड	4571.65

18ण्25 नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की प्रगति को तालिका क्र.–18.46 में द ार्याया गया है–

तालिका क्र.–18.46

नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की प्रगति

सीाल	रकबा (हेक्टे.)	वर्तमान स्थिति
जोरातराई (राजनांदगांव)	698.581 (प्रथम चरण)	भू–अर्जन प्रक्रियाधीन।
दगोरी (बिलासपुर)	795.920	भू–अर्जन प्रक्रियाधीन।
तिल्दा (रायपुर)	2502.561	भू–अर्जन प्रक्रियाधीन।
लारा (रायगढ़)	1465.847	भू–अर्जन प्रक्रियाधीन।

मेटल पार्क –

रावांभाठा जिला रायपुर में लगभग 191 हेक्टेयर भूमि पर मेटल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें 107 हेक्टेयर भूमि शासकीय एवं 84 हेक्टेयर निजी भूमि है इसमें से 51 हेक्टेयर शासकीय भूमि पूर्व से निगम के आधिपत्य में है, शेष की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पार्क की परियोजना लागत लगभग रू. 17 करोड़ है। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अपेरल पार्क–

भनुपरी जिला रायपुर में लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि पर बहुमंजिला इमारत की अवधारणा पर अपेरल पार्क की स्थापना की जा रही है जिसकी लागत लगभग 37.55 करोड़ रुपये है। इस पार्क में लगभग 100 रेडीमेड गारमेंट निर्माण एवं अन्य अनुशांगिक इकाईयों की स्थापना होगी।

इंजीनियरिंग पार्क–

भिलाई में लगभग 121 हेक्टेयर भूमि पर 20 करोड़ रुपये की लागत से इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनिरिंग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है।

18.27 पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं–

औद्योगिक पार्क

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप परियोजना के अंर्तगत स्थापित किये जाने पार्कों की प्रगति को तालिका क्र.–18.47 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.47

पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप परियोजना के अंर्तगत स्थापित औद्योगिक पार्कों की प्रगति

पार्क	सीान	रकबा (हेक्टे.)	लागत (प्रथम चरण) (करोड़ रू.)	वर्तमान स्थिति
फूड प्रोसेसिंग पार्क	इंदावानी (राजनांदगांव)	121	61	भू–अर्जन प्रक्रियाधीन।
हर्बल / मेडिसिनल पार्क	बंजारी–बगौद (धमतरी)	101	32	भू–अर्जन हेतु अवार्ड पारित ।
जेम्स एण्ड ज्वेलरी एसईजेड	नया रायपुर	28	170	भूमि एनआरडीए से प्राप्त होनी है।

डेव्हलपर का चयन किया जाकर इकरारनामा दिनांक अक्टूबर, .2007 को निष्पादन किया गया है।

अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर (ए.टी.डी.सी.) –

अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल द्वारा रायपुर एवं बिलासपुर में अपेरल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर (एटीडीसी) की स्थापना की गई है जिस हेतु सीएसआईडीसी द्वारा भवन उपलब्ध कराया गया है। इन सेटर्स में रेडीमेड व्यवसाय से संबधित कुशल कारीगरी, क्वालिटी कंट्रोल का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे रेडीमेड कपड़ों के निर्माताओं को लगने वाले मानव संसाधन की पूर्ति हो सकेगी । प्रशिक्षण अवधि 3 से 6 माह है।

18ण्28 राज्य के विभागों / सार्वजनिक उपकमों / स्थानीय निकायों में कय हेतु सामग्रियों की दर निर्धारण (विपणन सहयोग) –

क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पादर्शिता हेतु वर्तमान में सभी निविदाओं को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा रहा है, साथ ही क्रयकर्ता विभागों को सुलभ संदर्भ उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से जिन सामग्रियों की दरें प्रचलित हैं, उन सामग्रियों की दरों का प्रकाशन वेबसाईट पर नियमित रूप से किया जा रहा है।

राज्य शासन द्वारा निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु **ई–प्रोक्योरमेंट** की व्यवस्था लागू की जा रही है। इस क्रम में सीएसआईडीसी को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। सीएसआईडीसी द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अब से सभी निविदाएं ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से आमंत्रित की जाएं। इस संबंध में दर अनुबंधित इकाईयों को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पंजीयन हेतु सूचित कर प्रेरित किया जा रहा है।

वर्ष 2007–08 तक कुल 63 सामग्रियों के दर अनुबंध किये गये हैं जिनमें राज्य के 682 तथा राज्य के बाहर के 763 प्रदायकर्ता लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष 2007–08 में लघु उद्योगों को कच्चा माल प्रदाय

- **वायर राड** : भिलाई स्थित कच्चामाल डिपो से लघु उद्योग इकाईयों को वायर राड का विक्रय 8,901 मे. टन किया गया।
- **कोयला** : 80 उद्योगों को 29,535 मि. टन कोयले का आबंटन किया गया ।

उत्पादन इकाईयां – वर्ष 2007–08 में उत्पादन इकाईयों द्वारा किये गये व्यवसाय की जानकारी

- फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर : रु. 269.11 लाख
- कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई : रु. 73.07 लाख

टेस्टिंग लेबोरेटरी, भिलाई –

वर्ष 2007–08 में विभिन्न उद्योगों के 4,715 सेम्पल्स की टेस्टिंग की गई। कुल 22.36 लाख का टेस्टिंग शुल्क प्राप्त हुआ।

18ण्29 उद्योग भवन एवं कार्पोरेट टावर का निर्माण –

रायपुर के रिंग रोड क्रमाक 01 पर सोनाखान भवन के सामने सीएसआईडीसी के आधिपत्य की कुल 2.9 एकड़ भूमि में से 1.20 भमि पर उद्योग भवन का निर्माण किया जा रहा है। शेष 1.7 एकड़ भूमि पर पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत् उद्योग से संबंधित विभिन्न संस्थाओं, औद्योगिक इकाईयों, बैंकों आदि के कार्यालयों हेतु कार्पोरेट टावर के निर्माण के लिए सलाहकार की नियुक्ति की गई है। सलाहकार द्वारा परियोजना बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं।

18.30 निर्यात संवर्धन–

यद्यपि राज्य चारों ओर भू–भागों से घिरा हुआ है परंतु इस राज्य से निर्यात प्रगति पर है। राज्य से किये जाने वाले निर्यात की प्रगति को तालिका क.–18.48 में द र्‍ााया गया है–

तालिका क.–18.48

राज्य औद्योगिक निर्यात की प्रगति

वर्ष	(राशि करोड़ रू. में)	प्रतिशत वृद्वि	भारत के निर्यात में प्रतिशत योगदान
1	2	3	4
2002–03	425.21	_	0.17
2003–04	1059.86	149.26	0.36
2004–05	1480.15	39.66	0.39
2005–06	1630.04	10.13	
2006–07	1335.99*	-18.04	0.28

- * निर्यात में गिरावट का कारण डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपये की मजबूती है।

राज्य से किये जाने वाले निर्यात की प्रगति को इस दण्ड आरेख में द र्‍ााया गया है–

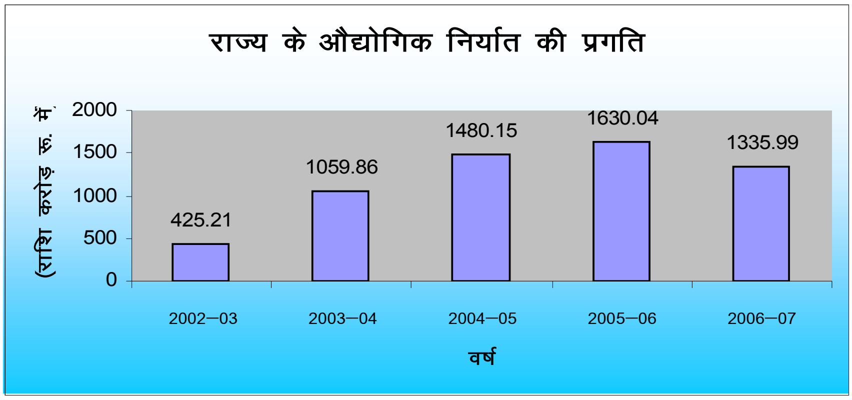

तालिका एवं दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002–03 में जहां रू. 425.21 करोड़ का निर्यात किया गया था वहीं वर्श 2005–06 तक निरंतर बढ़ कर ये रू. 1630.04 करोड़ हो गया। वर्श

2006–07 में निर्यात घटकर रू. 1335.99 करोड़ रह गया जिसका मूल कारण डॉलर के मुकाबले भारतीय रूपये का मूल्य बढ़ना है। तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल भारत के निर्यात में राज्य का योगदान 0.17 प्रति ात से 0.39 प्रति ात रहा है।

राज्य मे मुख्यतः स्टील, हस्तशिल्प, हाथकरघा उत्पाद, मिश्रित सूत, खाद्य/कृषि उत्पाद, लौह खनिज, एल्युमिनियम, सीमेंट, खनिज एवं अभियांत्रिकी उपकरणों का उत्पादन किया जाता है।

राज्य शासन द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु सीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है एवं प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी को ''निर्यात आयुक्त'' बनाया गया है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा राज्य में निर्यात संभावनाओं (एक्सपोर्ट पोटेन्शियल) हेतु सर्वे किया गया है। जिसके आधार पर सीएसआइडीसी द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं:–

- सीएसआईडीसी द्वारा राज्य के निर्यातोन्मुखी इकाईयों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। राज्य में निर्यात की संभावनाओं में तेजी लाने एवं इस संबंध में केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।
- सीएसआईडीसी द्वारा छत्तीसगढ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है जिसमें सामग्रियों का प्रदर्शन, क्रेता–विक्रेता समागम एवं निर्यात से संबंधित अन्य गतिविधियों को एक ही स्थान पर संपादित किया जा सकेगा।
- एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कमोडिटि बोर्ड, चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं औद्योगिक संघों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
- राज्य द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड फेयर, सेमिनार, आदि में भाग लिया जा रहा है एवं राज्य में इस प्रकार के आयोजन किये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। निर्यात संभावनाओं एंव संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन का भी प्रस्ताव है।
- राज्य शासन के प्रयासों के फलस्वरूप महानिदेशक, विदेश व्यापार का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में प्रारंभ किया गया है जो कार्यशील है।
- राज्य शासन के प्रयासों के फलस्वरूप रिजर्व बैंक आफ इंडिया का राज्य स्तरीय कार्यालय रायपुर में प्रारंभ किया गया है।
- राज्य के निर्यातोन्मुखी इकाईयों के सहायता हेतु कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा कांपा, रायपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है।
- इनलैंड कंटेनर डिपो तक अबाध आवागमन हेतु सीएसआईडीसी द्वारा रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 से सीधे पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाईट एवं पक्की सतही नाली का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य लगभग पूर्णता की ओर है।

राज्य से वर्षवार, वस्तुवार निर्यात का विवरण परिि ाष्ट–08 में संलग्न है।

अन्य उपलब्धियॉ–

- नई दिल्ली में प्रतिवर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले "भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2007" में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व "सी.एस.आई.डी.सी." द्वारा नोडल एजेंसी के रूप सफलतापूर्वक किया गया।
- "राज्योत्सव 2007 इन्टरप्राईज़ छत्तीसगढ़" का आयोजन किया गया।

18ण्31 राज्य निवे ा प्रोत्साहन बोर्ड–

राज्य में निवे ा करने के इच्छुक उद्यमिकों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने के लिए आव यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के उद्दे य से राज्य निवे ा प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिले निवे ा प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ भाासन, बोर्ड के अध्यक्ष, उद्य ोग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपाध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यि एवं उद्योग बोर्ड के संयोजक हैं। जिला समितियों के अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के संयोजक हैं।

रू. 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में तथा रू. 10 करोड़ से कम की परियोजनाओं के लिए जिला समिति जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। बोर्ड कार्यालय तथा जिला समिति, निवे ाकों के लिए "एकल सम्पर्क बिन्दु" के रूप में कार्य करते हैं जिससे निवे ाकों को अपनी परियोजना से संबंधित सभी कार्यो के लिये विभिन्न कार्यालयों/विभागों से सम्पर्क करने के स्थान पर एक ही स्थल से उनके कार्य सम्पन्न होते हैं। राज्य के वेबसाईट में राज्य निवे ा प्रोत्साहन बोर्ड से संबंधित जानकारी जैसे– औद्य ोगिक नीति, छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवे ा प्रोत्साहन अधिनियम–2002 छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवे ा प्रोत्साहन नियम–2004 तथा विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन पत्रों के प्रारूप उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवे ा प्रोत्साहन (सं ोधन) अधिनियम–2004 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवे ा प्रोत्साहन नियम–2004 बनाया गया है। इस नियम के द्वारा निवे ाकों को सभी विभागों/एजेंसी से सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समयावधि नि चत कर दी गई है।

वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग तथा विभिन्न औद्योगिक समूहों के मध्य वर्श 2001 से जुलाई, 2008 तक कुल 94 एम.ओ.यू हुये जिसमें 1,03,834.61 करोड़ रू. पूंजी निवे ा एवं 50,590 रोजगार के अवसरों का सृजन होना था। इनमें से 21 एम.ओ.यू. जिनका प्रस्तावित पूंजी निवे ा 13,014.66 करोड़ रू. था निरस्त कर दिये गये। भोश 73 एम.ओ.यू. के अंतर्गत 90,819.95 करोड़ रू. पूंजी निवे ा प्रस्तावित है। अब तक कुल 16,070.62 करोड़ रू. का पूंजी निवे ा किया जा चुका है।

इन उद्योगों में रेल एवं बीम मिल, केप्टिव पावर प्लांट, स्टील प्रोडक्स, कोलवा ारी, एल्यूमिनियम प्लांट, स्पांज आयरन पावर प्लांट, फुड पार्क, एम.एस.इनगाट, फेरोकम प्लांट, कोल माइस, बायोमांस पावर प्लांट, स्टील मेल्टींग प्लांट, पिंग आयरन, कोक ओवन यूनिट, भुगर प्लांट, फेरो अलायज, फलाई ए ा–बिल्डिंग मटेरियल, आक्सीजन प्लांट, थर्मस पावर प्लांट, ब्लेण्डेड सीमेंट, सीमेंट प्लांट प्रमुख हैं।

भारत सरकार के सामने राज्य द्वारा किये गये निवे ा प्रस्ताव में राज्य के स्थान की स्थिति को तालिका क्र.–18.49 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–18.49

राज्य का भारत सरकार के समक्ष निवेश प्रस्ताव में स्थान

वर्ष	देश में स्थान
2001	पंचम
2002	तृतीय
2003	चतुर्थ
2004	तृतीय
2005	तृतीय
2006	प्रथम
2007	प्रथम

तालिका से स्पश्ट होता है कि राज्य बनने से अब तक निवे ा प्रस्ताव के संबंध में दे ा में राज्य का स्थान पहले से पांचवें कम के बीच रहा है।

18.32 राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान–

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तालिका क्र.–18.50 में राज्य के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत क्षेत्र एवं गैर पंजीकृत क्षेत्र के योगदान एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के प्रति ात योगदान को द ार्या गया है–

तालिका क.–18.50

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान की प्रगति

(राशि ा लाख रू. में)

वर्ष	विनिर्माण (पंजीकृत क्षेत्र)	विनिर्माण (गैर पंजीकृत)	विनिर्माण (2+3)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	प्रतिशत (4/5*100)
1	2	3	4	5	6
1999–2000	302620	86764	389384	2747459	**14.17**
2000–01	296168	91831	387999	2608500	**14.87**
2001–02	291026	92437	383463	2991019	**12.82**
2002–03	405305	100525	505830	3286824	**15.39**
2003–04	594546	116688	711234	3968627	**17.92**
2004–05	935958	132171	106812 9	4549733	**23.48**
2005–06 (प्रा.अ.)	1161156	151297	131245 3	5074126	**25.87**
2006–07 (त्व.अ.)	1379499	170058	154955 7	5932128	**26.12**

राज्य में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत क्षेत्र एवं गैर पंजीकृत क्षेत्र के योगदान को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

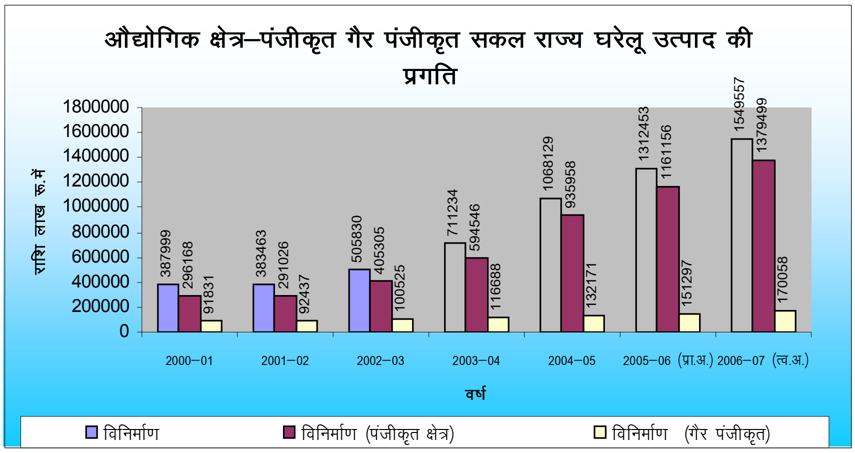

तालिका एवं दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि औद्य ोगिक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्वि हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र के सकल राज्य घ रेलू उत्पाद में गैर पंजीकृज क्षेत्र की तुलना में पंजीकृत क्षेत्र का योगदान हमे ाा ही अधिक रहा है। विनिर्माण क्षेत्र से वर्श 2000–01 में कुल रू. 3,87,999 लाख, विनिर्माण पंजीकृत क्षेत्र से रू. 2,96,168 लाख एवं विनिर्माण गैर पंजीकृत क्षेत्र से रू. 91,831 लाख प्राप्त हुये जिसका बढ़कर क्रम ाः रू.15,49,557 लाख , रू. 13,79,499 लाख एवं रू. 1,70,058 लाख होने का त्वरित अनुमान है।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति ात योगदान को इस दण्ड आरेख में द ार्या गया है–

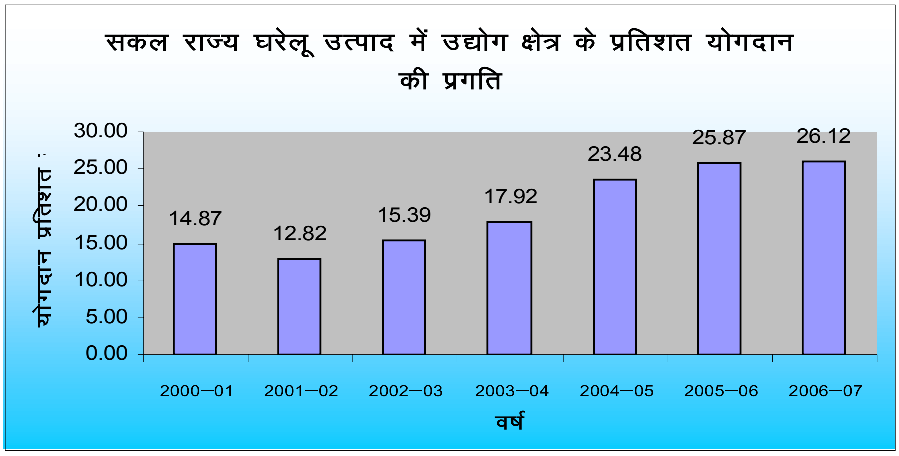

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि वर्श 2000–01 में जहां औद्योगिक क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल

राज्य घरेलू उत्पाद में 14.87 प्रति ात था। वर्श 2007–08 में बढ़कर 26.12 प्रति ात होने का त्वरित अनुमान है।

अध्याय – 19

19.1 परिवहन

वर्श 2000–01 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों की लम्बाई कुल 35388.54 कि.मी. थी, जिसमें 1827 कि.मी. राश्ट्रीय राजमार्ग, 2073.78 कि.मी. राज्य मार्ग, 3094.86 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग तथा 28392.60 कि.मी. ग्रामीण मार्ग थे। इन मार्गो में पक्की सड़कों की लम्बाई 24005.73 कि.मी. तथा कच्ची सड़कों की लम्बाई 11382.81 कि.मी. थी। वर्श 2000–01 में सड़कों की लम्बाई का औसत घनत्व, पक्की सड़क 17.75 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. तथा कच्ची सड़क 8.11 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. था।

वर्तमान में वर्श 2007–08 में सड़कों की कुल लम्बाई 36066 कि.मी. है, जिसमें 2227.60 कि.मी. राश्ट्रीय राजमार्ग, 3213 कि.मी. राज्य मार्ग, 4814 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग एवं 25811 कि.मी. अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग है।

19.1.1 सड़कों की लम्बाई

तालिका क्र.– 19.01
सड़कों की लम्बाई

कमांक	विवरण	सड़को की लम्बाई	
		2000–01	2007–08
1	राष्ट्रीय राजमाार्ग	1827	2227
2	राज्य मार्ग	2073	3213
3	मुख्य जिला मार्ग	3094	4814
4	अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग	28392	25811
	कुल	**35386**	**36065**

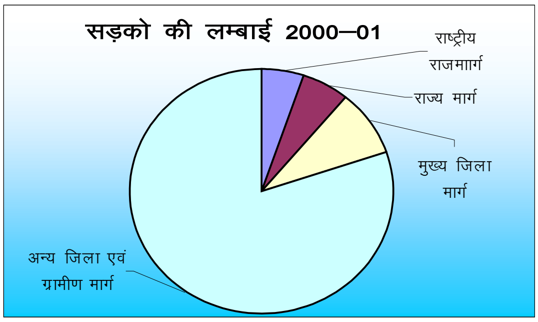

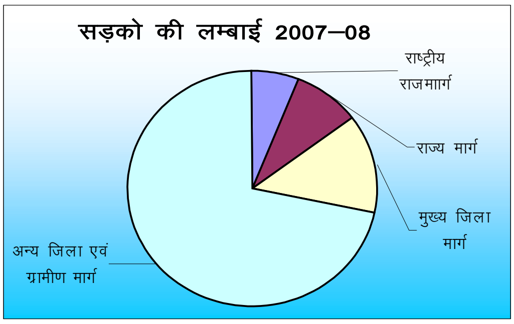

वर्श 2007–08 में सड़कों की लम्बाई का औसत घनत्व पक्की सड़क 20.69 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. तथा कच्ची सड़क का औसत घनत्व 5.98 कि.मी. प्रति सौ वर्ग कि.मी. है।

इस प्रकार देखा जाये तो सड़कों की लम्बाई के साथ ही उसकी श्रेणी में सुधार हुआ है साथ ही पक्की सड़कों की लम्बाई का औसत भी बढ़ा है। पूर्व की तुलना में आज सड़कें यातायात की दृश्टि से सुगम तथा बाधा रहित हो गई है, जिससे नये नये उद्योगों एवं व्यवसाय का राज्य में तेजी से विकास हो रहा है। राज्य निर्माण के प चात् उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पि चम दि ाा में तीव्र गति वाले 6 कॉरीडोर का निर्माण किया गया है, जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

19.1.2 बजट प्रावधान एवं व्यय

वर्श 2000–01 में लोक निर्माण विभाग हेतु 01.11.2000 से 31.03.2001 तक के लिये रू. 156.80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, जिसमें से रू. 86.67 करोड़ का व्यय किया गया। विगत वर्शो में लोक निर्माण विभाग हेतु बजट के प्रावधान में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्श 2007–08 में लोक निर्माण हेतु रू. 1976.85 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से रू. 1713.87 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका क. – 19.02
लोक निर्माण विभाग का बजट प्रावधान
(करोड़ रू.में)

क.	वर्ष	आबंटन	व्यय राशि
1	2000–01	156.80	80.67
2	2001–02	339.01	251.65
3	2002–03	590.38	485.88
4	2003–04	773.13	581.29
5	2004–05	814.23	551.44
6	2005–06	1002.96	739.20
7	2006–07	1484.84	1141.80
8	2007–08	1976.85	1713.87

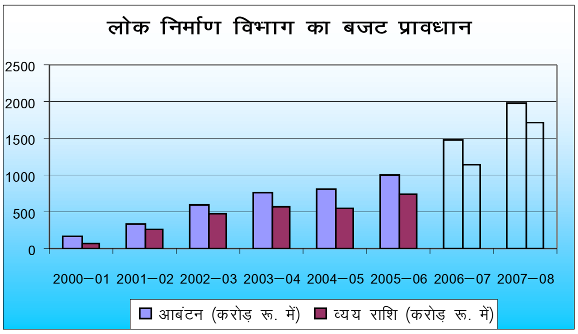

19.1.3 सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्यतः सड़को, पुलो तथा भवनों के निर्माण पर व्यय किया जाता है। राज्य निर्माण के बाद से सड़को एवं पुलों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान में कई गुना वृद्धि हुई है। वर्श 2000–01 में सड़को एवं पुलों के निर्माण हेतु रू. 90.36 करोड़ का प्रावधान था, जो बढ़कर 2007–08 में रू. 1225.32 करोड़ हो गया है। भवनों के निर्माण हेतु वर्श 2000–01 के रू. 66.44 लाख के बजट प्रावधान की तुलना में वर्श 2007–08 में रू. 426.60 करोड़ का प्रावधान किया गया।

तालिका क. – 19.3
सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान
(करोड़ रू. में)

क.	वर्ष	सड़को एवं पुलो के निर्माण हेतु बजट प्रावधान	भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान
1	2000–01	90.36	66.44
2	2001–02	278.58	106.17
3	2002–03	434.44	155.44
4	2003–04	604.07	168.98
5	2004–05	620.25	188.88
6	2005–06	629.10	303.80

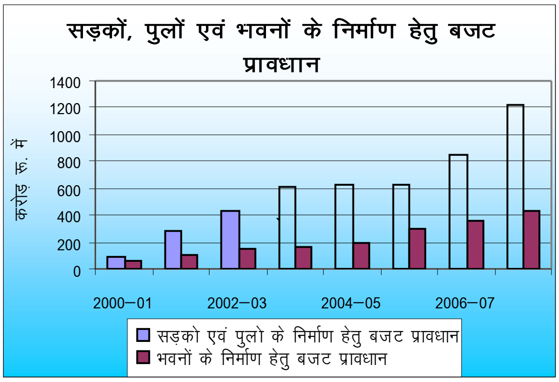

7	2006—07	844.32	360.52
8	2007—08	1225.32	426.60

19.1.4 आदिवासी एवं अनुसूचित जाति क्षेत्रो में सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान

लोक निर्माण विभाग के बजट प्रावधान में से अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति क्षेत्रों हेतु कई गुना वृद्धि हुई है। वर्श 2000—01 में आदिवासी तथा अनुसूचित जाति क्षेत्रों हेतु क्रम ाः रू. 25.78 करोड़ तथा रू. 5.68 करोड़ का प्रावधान था। वर्श 2007—08 में यह प्रावधान क्रम ाः रू. 416.66 करोड़ तथा रू. 199.59 करोड़ का हो गया।

तालिका क. — 19.04
सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान
(करोड़ रू. में)

क.	वर्ष	सामान्य क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र	अनुसूचित जाति क्षेत्र
1	2000—01	58.90	25.78	5.68
2	2001—02	173.86	97.17	7.55
3	2002—03	261.92	165.45	7.07
4	2003—04	336.45	237.45	30.17
5	2004—05	306.14	230.85	83.26
6	2005—06	326.63	253.42	49.05
7	2006—07	474.32	324.93	45.07
8	2007—08	609.00	416.66	199.59

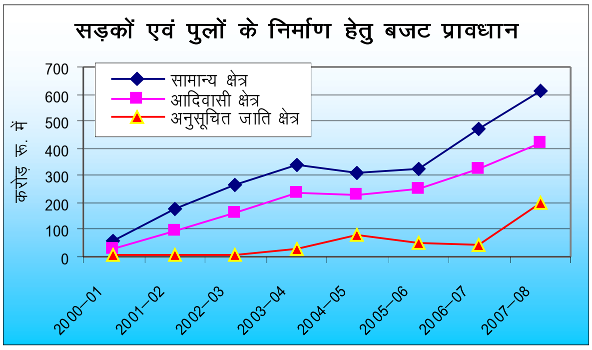

19.1.5 सड़क एवं पुल पर किया गया व्यय

सड़कों एवं पुलो पर वर्श 2000—01 में रू. 39.44 करोड़ का व्यय सामान्य क्षेत्रों में तथा रू. 12.10 करोड़ आदिवासी क्षेत्रों की सड़कों एवं पुलो के निर्माण पर व्यय किये गये। वर्श 2007—08 में रू. 665.31 करोड़ का व्यय सामान्य तथा रू. 333.78 करोड़ का व्यय आदिवासी क्षेत्रों पर किया गया।

तालिका क.
सड़क एवं पुल पर
(करोड़ रू.में)

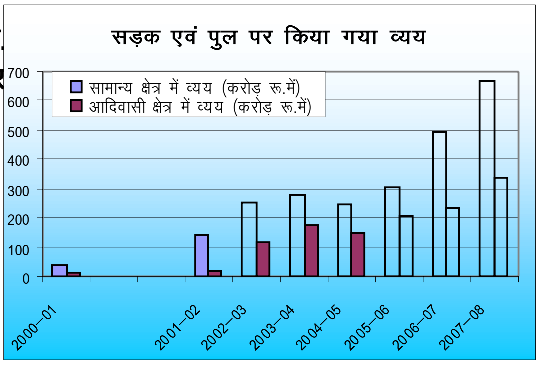

क.	वर्ष	सामान्य क्षेत्र में व्यय	आदिवासी क्षेत्र में व्यय
1	2000—01	39.44	12.10
2	2001—02	143.89	18.06
3	2002—03	253.33	117.12
4	2003—04	276.66	175.71
5	2004—05	244.43	150.12
6	2005—06	302.17	205.82
7	2006—07	495.37	230.80
8	2007—08	665.31	333.78

19.1.6 भवनो के लिये प्रावधानित राि ा

भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्श 2007—08 में भवनों के निर्माण हेतु सामान्य क्षेत्र में रू. 337.00 करोड़ तथा आदिवासी क्षेत्रों में रू. 89.60 करोड़ का प्रावधान किया गया।

तालिका क. — 19.06
भवनों के लिए प्रावधानित राि ा

(करोड़ रू. में)

क.	वर्ष	सामान्य क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र
1	2000—01	56.69	9.75
2	2001—02	97.92	8.25
3	2002—03	115.05	40.39
4	2003—04	88.36	80.62
5	2004—05	143.51	45.37
6	2005—06	239.29	64.51
7	2006—07	272.74	87.78
8	2007—08	337.00	89.60

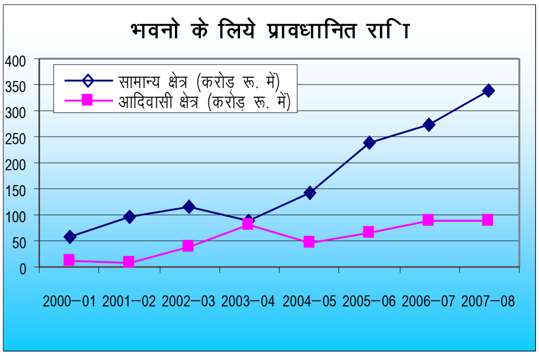

19.1.7 भवनो के निर्माण पर व्यय

भवनों के निर्माण हेतु बजट प्रावधान के अनुरूप भवनों के निर्माण पर सामान्य तथा आदिवासी दोनो क्षेत्र में व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्श 2007—08 में सामान्य क्षेत्र में 344.86 तथा आदिवासी क्षेत्रों में रू. 49.91 करोड़ भवनों के निर्माण पर व्यय किये गये।

तालिका क. — 19.07
भवनों के निर्माण पर व्यय

(करोड़ रू.में)

क.	वर्ष	सामान्य क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र
1	2000—01	27.39	0.94
2	2001—02	80.81	7.05
3	2002—03	99.73	12.25
4	2003—04	70.59	18.78
5	2004—05	114.82	37.48
6	2005—06	150.74	51.79
7	2006—07	241.10	52.07
8	2007—08	344.86	49.91

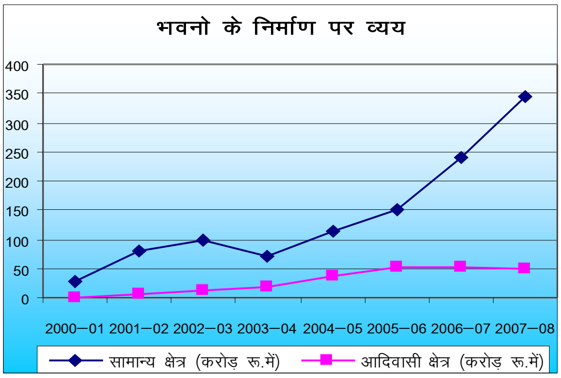

19.1.8 अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सड़को, पुलो तथा भवनों पर किया गया व्यय

अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सड़कों, पुलो तथा भवनों के निर्माण पर प्रारंभिक कुछ वर्शो के पश्चात काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्श 2000–01 में अनुसूचित जाति क्षेत्रों में सड़कों, पुलों तथा भवनों के निर्माण पर जहां केवल रू. 80 लाख व्यय किये गये थे। वर्श 2007–08 में रू. 164.20 करोड़ व्यय किये गये।

तालिका क. – 19.08
सड़को, पुलो तथा भवनों पर किया गया व्यय

क.	वर्ष	अनुसूचित जाति क्षेत्रों में (करोड़ रू.में)
1	2000–01	0.80
2	2001–02	1.84
3	2002–03	3.45
4	2003–04	3.55
5	2004–05	4.03
6	2005–06	25.72
7	2006–07	49.68
8	2007–08	164.20

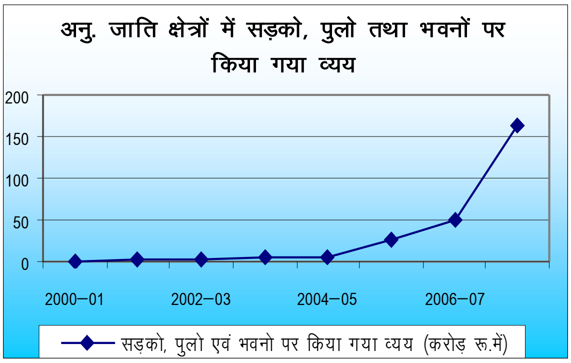

19.1.9 उपलब्धियां

वर्श 2008 तक 7923 कि.मी. सड़कों का डब्ल्यू.बी.एम., 10690 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण तथा 3317 कि.मी. सड़कों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया गया। साथ ही 173 कि.मी. कांक्रीट मार्ग का निर्माण किया गया है। ग्यारहवी पंचवर्शीय योजना में कुल 34020 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन तथा कुल 482 पुलो तथा 20 रेलवे ओव्हर ब्रिज बनाने का लक्ष्य है।

19.1.9.1 कुल

तालिका क. – 19.09

क.	वर्ष	डब्ल्यू. बी.एम.	डब्ल्यू.बी.एम. नवीनीकरण	डामरीकरण	डामरीकृत नवीनीकरण	चौड़ीकरण	मजबूतीकरण
1	2000–03	1238.57	4553.23	1836.31	2767.26	251.27	776.17
2	2003–04	372.63	541.60	755.09	463.03	90.96	140.90
3	2004–05	994.00	985.60	1718.00	640.00	256.40	203.20
4	2005–06	1371.73	1503.86	1912.04	439.39	349.46	110.86
5	2006–07	1871.41	1290.08	2031.59	606.40	424.88	81.36
6	2007–08	2074.72	1267.33	2437.16	552.52	534.21	97.68
योग–		**7923.06**	**10141.70**	**10690.19**	**5468.60**	**1907.18**	**1410.17**

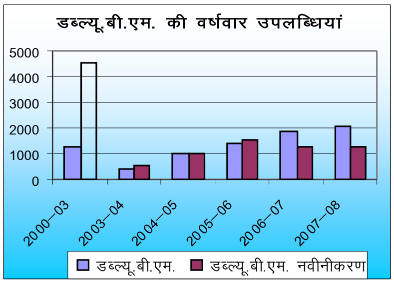

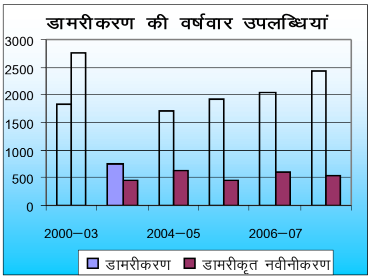

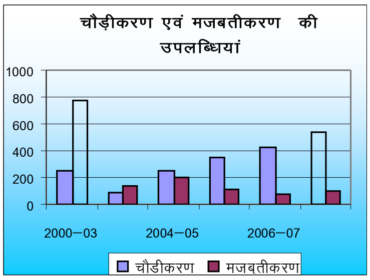

19.1.9.2 सामान्य क्षेत्र

सामान्य क्षेत्रों में अब तक 4031.65 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. सड़के बनायी गयी है और 5914.47 कि. मी. सड़कों का डामरीकरण तथा 2195.82 कि.मी. सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया गया है।

तालिका क्र. – 19.10

क्र.	वर्श	डब्ल्यू. बी.एम.	डब्ल्यू.बी.एम. नवीनीकरण	डामरीकरण	डामरीकृत नवीनीकरण	चौड़ीकरण	मजबूतीकरण
1	2000—03	426.45	3413.80	888.63	1975.06	75.07	673.37
2	2003—04	97.76	254.24	257.16	176.63	29.16	43.70
3	2004—05	644.09	472.93	1034.55	234.50	127.12	86.08
4	2005—06	901.33	1114.86	1374.75	254.81	218.11	89.06
5	2006—07	776.97	748.08	989.23	372.00	302.38	76.56
6	2007—08	1185.05	925.93	1370.15	322.68	392.33	86.88
योग—		**4031.65**	**6929.84**	**5914.47**	**3335.68**	**1140.17**	**1055.65**

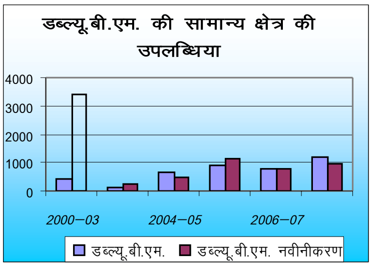

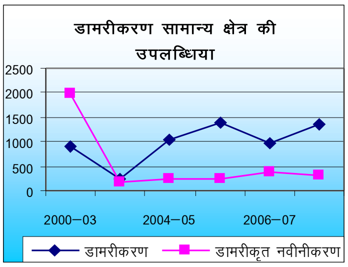

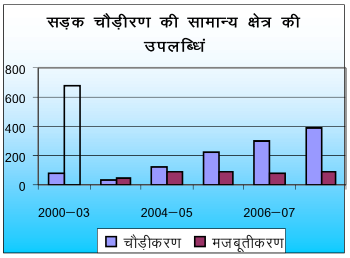

19.1.9.3 आदिवासी क्षेत्र

आदिवासी क्षेत्र में 3324.75 अब तक कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण तथा 4317.23 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण 1055.98 कि.मी. का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण किया गया।

तालिका क्र. – 19.11
आदिवासी क्षेत्र

क्र.	वर्श	डब्ल्यू. बी.एम.	डब्ल्यू.बी.एम. नवीनीकरण	डामरीकरण	डामरीकृत नवीनीकरण	चौड़ीकरण	मजबूतीकरण
1	2000—03	745.26	1070.03	897.68	765.20	176.20	102.80
2	2003—04	258.67	256.76	469.83	275.20	61.80	97.20
3	2004—05	325.04	498.87	671.95	389.00	114.28	116.52
4	2005—06	421.40	340.80	504.59	184.58	131.35	21.80
5	2006—07	856.83	509.90	922.76	232.90	97.70	4.80
6	2007—0	717.55	333.00	850.42	229.84	124.53	7.00

	8						
योगः—		**3324.75**	**3009.36**	**4317.23**	**2076.72**	**705.86**	**350.12**

19.1.9.4 अनुसूचित जाति क्षेत्र

अनुसूचित जाति क्षेत्रों में 566.66 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का निर्माण किया गया। 458.49 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण तथा 60.95 कि.मी. सड़कों का चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण किया गया।

तालिका क. – 19.12
अनुसूचित जाति क्षेत्र

क.	वर्श	डब्ल्यू. बी.एम.	डब्ल्यू.बी.एम. नवीनीकरण	डामरीकरण	डामरीकृत नवीनीकरण	चौड़ीकरण	मजबूतीकरण
1	2000—03	66.86	69.40	50.00	27.00	0.00	0.00
2	2003—04	16.20	30.60	28.10	11.20	0.00	0.00
3	2004—05	24.87	13.80	11.50	16.50	15.00	0.00
4	2005—06	49.00	48.20	32.70	0.00	0.00	0.00
5	2006—07	237.61	32.10	119.60	1.50	24.80	0.00
6	2007—08	172.12	8.40	216.59	0.00	17.35	3.80
योगः—		**566.66**	**366.22**	**458.49**	**56.20**	**57.15**	**3.80**

19.1.10 पुल, पुलियों का निर्माण

विभिन्न नदियो/नालो में लगभग 476 वृहत पुलों तथा 74 मध्यम पुलों एवं 11090 छोटी पुलियों का निर्माण किया गया है जिसके कारण वर्शा ऋतु में जो आवागमन बाधित होता था वो काफी हद तक दूर हो गया है। वर्तमान में 216 वृहत पुलों पर कार्य प्रगति पर है। रेलवे लाईन की बाधा के कारण कई सड़कों पर यातायात बाधित हो रहा था, जिससे उनकी गति एवं समय दोनो नश्ट हो रहे थे इस बाधा को दूर करने के लिये 4 रेलवे ओव्हर ब्रिज के कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा 10 कार्य प्रगति पर है।

19.1.10.1 कुल

तालिका क. – 19.13

क.	वर्श	पुलिया	पुल		मध्यम पुल		रेलवे ओव्हर ब्रिज	
			पूर्ण	प्रगतिरत	पूर्ण	प्रगतिरत	पूर्ण	प्रगतिरत
1	2000—03	1175	94	209	6	—	—	—
2	2003—04	248	34	187	9	9	—	—
3	2004—05	951	92	120	5	—	—	—
4	2005—06	2250	63	174	14	—	2	—
5	2006—07	3250	91	191	23	5	—	10

6	2007–08	3216	102	216	26	11	2	10
योगः–		**11090**	**476**	**216**	**83**	**11**	**4**	**10**

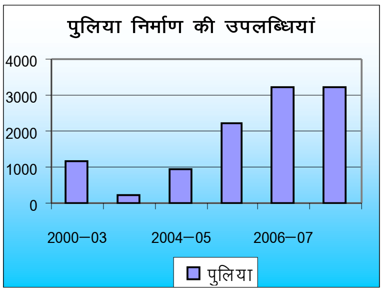

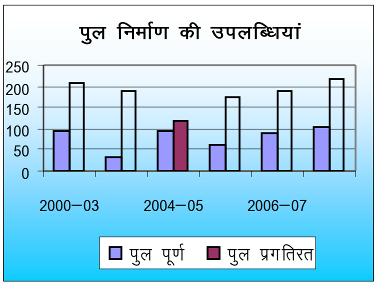

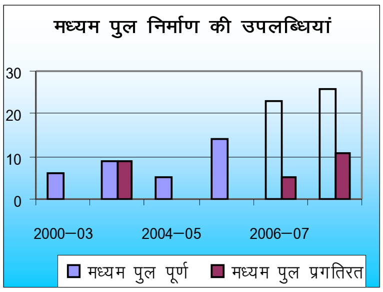

19.1.10.2 सामान्य क्षेत्र

सामान्य क्षेत्र में अब तक 6576 पुलियों का निर्माण किया गया है। 202 पुलों का निर्माण किया जा चुका है तथा 80 पुलों का कार्य प्रगति पर है। 2 मध्यम पुलों का निर्माण किया जा चुका है तथा 1 पुल के निर्माण का कार्य प्रगतिरत है।

तालिका क. – 19.14
सामान्य क्षेत्र

क.	वर्श	पुलिया	पुल		मध्यम पुल		रेलवे ओव्हर ब्रिज	
			पूर्ण	प्रगतिरत	पूर्ण	प्रगतिरत	पूर्ण	प्रगतिरत
1	2000–03	402	29	209	–	2	–	–
2	2003–04	172	16	133	–	–	–	–
3	2004–05	591	41	83	–	–	–	–
4	2005–06	1619	32	126	–	–	–	2
5	2006–07	1813	49	69	–	4	–	10
6	2007–08	1979	35	80	2	1	2	10
योगः–		**6576**	**202**	**80**	**2**	**1**		

19.1.10.3आदिवासी क्षेत्र

आदिवासी क्षेत्रों में 3435 पुलियों का निर्माण हो चुका है। 269 पुल पूर्ण किये जा चुके है तथा 123 पुलो पर कार्य प्रगतिरत है। 77 मध्यम पुल पूर्ण किये जा चुके है तथा 10 पुलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

तालिका क्र. – 19.15
आदिवासी क्षेत्र

क्र.	वर्ष	पुलिया	पुल		मध्यम पुल		रेलवे ओव्हर ब्रिज
			पूर्ण	प्रगतिरत	पूर्ण	प्रगतिरत	
1	2000–03	696	65	–	6	–	–
2	2003–04	75	18	53	9	9	–
3	2004–05	304	51	36	5	–	–
4	2005–06	567	31	48	14	8	–
5	2006–07	926	41	117	19	5	–
6	2007–08	867	63	123	24	10	–
योगः–		**3435**	**269**	**123**	**77**	**10**	

19.1.10.4 अनुसूचित जाति क्षेत्र

अनुसूचित जाति क्षेत्रों में राज्य निर्माण से लेकर अब तक 1079 पुलियों का निर्माण किया गया है। 5 पुल पूर्ण किये जा चुके है और 13 पुलों पर कार्य प्रगति पर है।

तालिका क्र. – 19.16
आदिवासी क्षेत्र

क्र.	वर्ष	पुलिया	पुल		मध्यम पुल	रेलवे ओव्हर ब्रिज
			पूर्ण	प्रगतिरत		
1	2000–03	77	–	–	–	–
2	2003–04	1	–	1	–	–
3	2004–05	56	–	1	–	–
4	2005–06	64	–	–	–	–
5	2006–07	511	1	5	–	–
6	2007–08	370	4	13	–	–
योगः–		**1079**	**5**	**13**	**–**	**–**

19.1.11 भवन निर्माण

भवन कार्य के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के कुल 1137 भवनों का कार्य पूर्ण किया गया तथा वर्तमान में 917 भवनों के कार्य प्रगति पर है। राज्य निर्माण के प चात पूर्ण कार्यो में 174 माध्यमिक भाला, 271 स्वास्थ्य केन्द्र व अस्पताल, 42 महाविद्यालय, 09 इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्य, 09 स्टेडियम, 09 जिला कार्यालय, 02 संग्रहालय, 02 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 78 छात्रावास तथा आश्रम भवन, 280 ि क्षक आवास गृह, 84 भौक्षणिक संस्थान, 05 प्राथमिक भाला तथा 172 अन्य भवनों के कार्य किये गये।

तालिका क्र. – 19.17
भवन निर्माण

क्र.	वर्ष	भवन निर्माण	
		पूर्ण	प्रगति पर
1	2000–01	16	163
2	2001–02	63	166
3	2002–03	65	165
4	2003–04	75	198
5	2004–05	147	522
6	2005–06	257	511

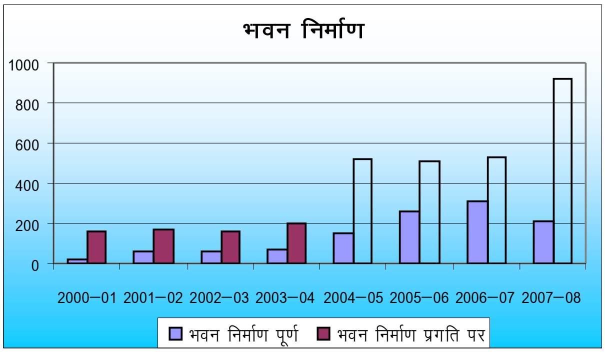

7	2006—07	310	526
8	2007—08	207	917

19.1.12 आदिवासी क्षेत्रों में भवनों का निर्माण

वर्श 2007—08 तक आदिवासी क्षेत्रों में 641 भवनों का निर्माण किया गया एवं 377 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

तालिका क. — 19.18
आदिवासी क्षेत्र के भवन कार्यो की उपलब्धियां

क.	वर्ष	आदिवासी क्षेत्र	
		पूर्ण	प्रगति पर
1	2000—01	5	57
2	2001—02	22	60
3	2002—03	23	59
4	2003—04	23	121
5	2004—05	91	432
6	2005—06	203	274
7	2006—07	191	180
8	2007—08	83	377
	योग:—	**641**	**377**

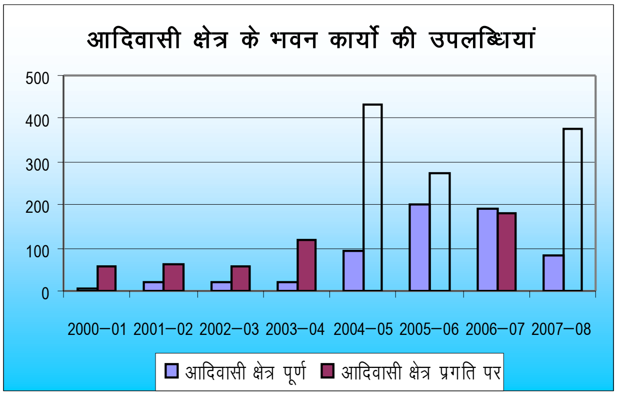

19.1.13 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये केन्द्र से प्राप्त राि ा एवं व्यय

राष्ट्रीय राजमार्गो के लिये केन्द्र से जितनी भी राि ा प्राप्त हुई उसका पूर्ण व्यय किया गया।

तालिका क. — 19.19
राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये केन्द्र से प्राप्त राि ा एवं व्यय
(करोड़ रू. में)

क.	वर्ष	राशि	व्यय राशि
1	2000—01	25.18	25.18
2	2001—02	56.48	56.48
3	2002—03	86.44	86.44
4	2003—04	60.51	60.51
5	2004—05	60.85	60.85
6	2005—06	72.22	72.22
7	2006—07	75.95	75.95
8	2007—08	86.09	86.09

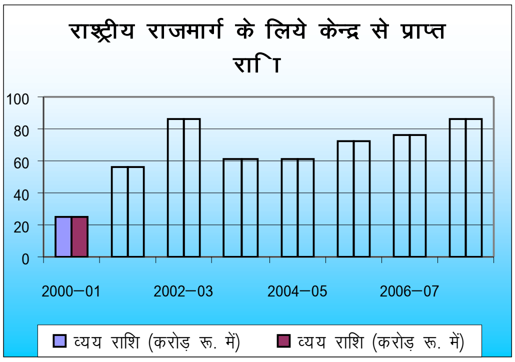

19.1.14 छत्तीसगढ़ त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एन्यूटी) पर टीप

विगत वर्शो में लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जा रही राि ा तथा उसके व्यय की समीक्षा से यह स्पश्ट हुआ कि विभाग भाासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी बजट राि ा में से प्रतिवर्श लगभग 300 से 400 करोड़ रूपये का उपयोग नही कर पा रहा है, जिससे राज्य में सड़क अधोसंरचना विकास में अपेक्षित गति नही प्राप्त हो पा रही है। अतः राज्य भाासन ने अंतर्राज्यीय एवं राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों के त्वरित गति से चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कर उन्हें राश्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाये जाने के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस कंपनी के माध्यम से आगामी 2–3 वर्शो में महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा तथा सड़कों का संधारण भारत भाासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आगामी 15 वर्शो तक कंपनी द्वारा किया जायेगा। इस संयुक्त उपक्रम कंपनी में राज्य भाासन की भागीदारी 26 प्रति ात तथा निजी निवे ाक की भागीदारी 74 प्रति ात निर्धारित की गई है। कंपनी द्वारा सड़क निर्माण पर आने वाली समस्त लागत का निवे ा स्वयं किया जायेगा तथा सड़क निर्माण की परियोजना का प्रबंधन एवं 15 वर्शो तक रखरखाव किया जायेगा। राज्य भाासन द्वारा कुल परियोजना लागत के 21 प्रति ात वार्शिक की दर से सड़क निर्माण के उपरांत कंपनी को राि ा 15 वर्शो में वापस की जायेगी। इस कंपनी द्वारा भाासन द्वारा चयनित 1500 लेन कि.मी. सड़कों का निर्माण 2 वर्श 6 माह में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

19.1.15 आद्यतन प्रगतिः–

- गठित कंपनी द्वारा डी.पी.आर. की कार्यवाही प्राप्त की गई है।

- टेण्डर अभी आमंत्रित नही किये गये है मात्र पी.क्यू. सी.एच.डी.सी.एल. किया गया है।
- डी.पी.आर. फाईनल होने पर टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे।
- एन.एच.ए.आई. के मॉडल कन्से ान एग्रीमेंट पर अनुबंध का प्रावधान पी.डी.ए. में है।
- सड़क निर्माण संधारण एम.ओ.आर.टी.एच. के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना है।

19.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना बिना अच्छी सड़कों के करना संभव नहीं है। इसलिये आव यक है कि प्रत्येक गांव को बाराहमासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा **25.12.2000** को "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" इस उद्दे य के साथ प्रारंभ की गई कि सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जावे।

ग्राम सड़क सम्पर्क भारतवर्श के ग्रामीण विकास का एक मूल अंग है। योजना प्रारंभ के समय छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ 17 प्रति ात के लगभग गांव/बसाहटें ही डामरीकृत सड़कों के माध्यम से विकसित क्षेत्रों से जुड़ी हुई थीं विगत 5 वर्शो में निर्मित सड़कों से राज्य में बारहमासी सड़कों से जुड़ी बसाहटों की संख्या लगभग 34 प्रति ात हो गई है।

प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर वर्श 2002 में मास्टरप्लान तैयार करने पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 29544 बसाहटें चिन्हित की गयी थी। वर्श 2001 की जनगणना के अधिकां ा आंकड़े जनवरी 2006 में प्राप्त होने के प चात मास्टरप्लान का पुनः परीक्षण कराया गया जिसके आधार पर बसाहटों की संख्या 27853 आंकी गयी है । इसमें से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुक्रम तथा प्रधानमंत्री द्वारा घोशित भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्श 2009 तक सामान्य क्षेत्रों में 1000 या उससे अधिक आबादी की सभी बिना जुड़ी बसाहटें तथा आदिवासी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की सभी बिना जुड़ी बसाहटों को बाराहमासी सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी बाजार हाट केन्द्रों, चिकित्सा केन्द्रों एवं उच्च ि क्षा केन्द्रों को जोड़ने का कार्य भी इसी अवधि में पूर्ण किया जाना है।

19.2.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगाः–

19.2.1 प्रथम प्राथमिकता– सभी 1000 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बाराहमासी मार्ग से जोड़ने का कार्य।

19.2.1.1 दूसरी प्राथमिकता– – सभी 500 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों (आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में 250 या उससे अधिक आबादी की बसाहटों) को बाराहमासी मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़क निर्माण।

19.2.1.2 तीसरी प्राथमिकता– सभी मुख्य मार्गो का उन्नयन।

19.2.1.3 चौथी प्राथमिकता– सभी सम्पर्क मार्ग का उन्नयन ।

19.2.2 आगे की कार्ययोजना –

राज्य द्वारा ग्रामीण सड़कों का जिलेवार मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है जिसमें जिला ग्रामीण सड़क योजना एवं कोर नेटवर्क सम्मिलित है। कोर नेटवर्क के अंतर्गत 50761.52 किलोमीटर सड़कें सम्मिलित हैं जिसमें से 5040.74 किलोमीटर राश्ट्रीय/राज्य मार्ग एवं 4205.09 किलोमीटर मुख्य जिला सड़कें हैं। भोश 41515.69 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। जिसमें से 4200.34 किलोमीटर सड़कें 01.04.2000 की स्थिति में डामरीकृत थीं। विगत पांच वर्शों में 10995.06 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं तथा 26274.69 किलोमीटर लम्बी सड़कों को आगामी वर्शो में लिया जावेगा। सड़कों के प्रकार के आधार पर सड़कों की स्थिति तालिका क्र.–01 में द र्ाई गई है–

तालिका क्र.–19.20

क्र.	विवरण	कोरनेटवर्क में सम्मिलित सड़कों की लंबाई (किमी में)			
		डामरीकृत मार्ग	गिट्टीकृत मार्ग	मुरूमीकृत/मिट्टी मार्ग	योग
1	2	3	4	5	6
1	01/04/2000 की स्थिति में सड़कों की लंबाई	4200.34	12785.59	24484.16	41470.09
2	1.12.2006 की स्थिति में सड़कों की लंबाई	10200.03	11879.81	19390.25	41470.09

19.2.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यो की प्रगतिः–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत कार्यो के विरूद्व निम्नानुसार उपलब्धियां प्राप्त की गई हैः–

तालिका क्र.–19.21

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना –वित्तीय प्रगति

(राशि करोड रूपये मे)

वर्ष	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्रतिशत (4/3*100)	शेष
1	2	3	4	5	6
2000-01	91.93	92.41	0.00	0.00	92.41
2001-02	203.49	98.62	21.14	21.44	169.89
2002-03	0.00	159.60	161.26	101.04	168.23
2003-04	378.02	110.00	137.27	124.79	140.96
2004-05	516.67	214.95	282.98	131.65	72.93
2005-06	1038.93	302.71	446.44	147.48	-70.80
2006-07	1102.03	688.52	654.68	95.09	-36.96
2007-08	2037.00	1070.89	910.89	85.06	123.04
योग	**5368.07**	**2737.70**	**2614.66**	**95.51**	**659.70**

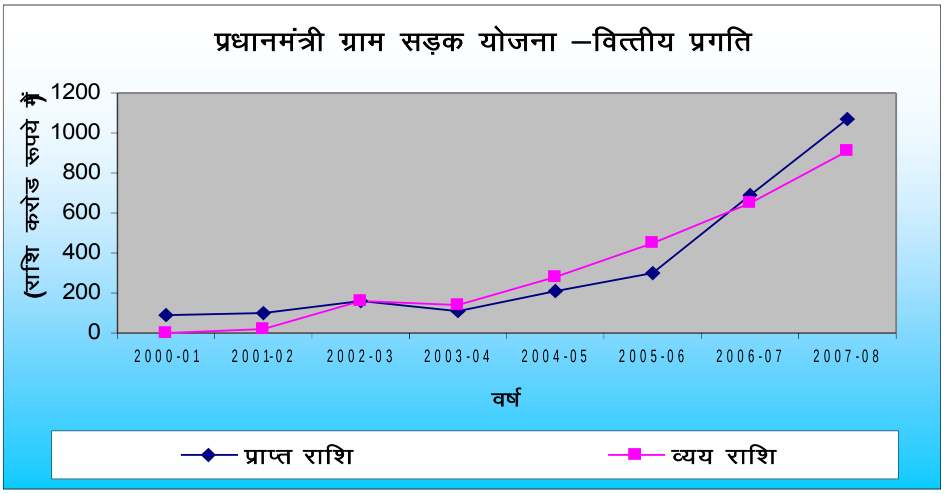

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत

प्राप्त होने वाली राि ा एवं व्यय में वृद्धि हुई हैं। प्राप्त राि ा का औसतन 95.51 प्रति ात व्यय किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भौतिक प्रगति को तालिका क्र.–03 में द ार्या गया है–

तालिका क्र.–19.22

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना –भौतिक प्रगति

वर्ष	स्वीकृत								
	सड़को को जोड़ना			बसाहटे (नवीन)					उन्नयन (किलो मी. में)
	सड़क की संख्या	नयी सड़कों की लम्बाई (किलो मी. में)	कुल पुलिया की संख्या	1000+	500+ (500-999)	250+ (250-499)	250 से कम	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2000-01	112	0.00	360	0	0	0	0	0	956.83
2001-02	270	1270.17	1612	306	161	67	37	571	0
2002-03	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	293	1913.08	2821	282	273	162	141	858	0
2004-05	429	2377.33	4195	323	368	193	161	1045	0
2005-06	992	4350.54	6501	322	965	516	379	2182	127.16
2006-07	924	3674.29	6419	246	816	421	211	1694	173.65
2007-08	1251	5083.88	8941	174	985	647	495	2301	1752.8
योग	**4271**	**18669.29**	**30849**	**1653**	**3568**	**2006**	**1424**	**8651**	**3010.44**

वर्ष	उपलब्धि								
	सड़को को जोड़ना			बसाहटे (नवीन)					उन्नयन (किलो मी. में)
	सड़क की संख्या	नयी सड़कों की लम्बाई (किलो मी. में)	कुल पुलिया की संख्या	1000+	500+ (500-999)	250+ (250-499)	250 से कम	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2000-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0.00	88	0	0	0	0	0	0
2002-03	88	142.42	2159	81	24	11	9	125	541.05
2003-04	216	765.79	889	147	31	12	15	205	305.98
2004-05	170	897.09	2156	151	173	46	51	421	24.77
2005-06	342	1986.32	1601	270	224	107	76	677	18.66
2006-07	504	2977.91	2984	250	470	182	96	998	15.08
2007-08	603	2701.67	3229	263	570	264	274	1371	13.59
योग	**1923**	**9471.2**	**13106**	**1162**	**1492**	**622**	**521**	**3797**	**919.13**

तालिका एवं ग्राफ से स्पश्ट होता है कि वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक स्वीकृत सड़कों की संख्या 4,271 थी जिसमें से 1,923 सड़कों का निर्माण किया गया। नयी सड़कों की लम्बाई 18,669.29 कि. मी. स्वीकृत थी जिसमें से 9,471.2 कि.मी. सड़कों को जोड़ गया एवं कुल स्वीकृत पुल–पुलिया की संख्या 30,849 स्वीकृत थी जिसमें से 13,106 पुल–पुलियाको जोड़ गया।

इस योजना के अंतर्गत कुल 8,651 बसाहटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें से 3,797 बसाहटों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों एवं निर्मित सड़कों की वर्शवार प्रगति को इस ग्राफ में द ाया गया है–

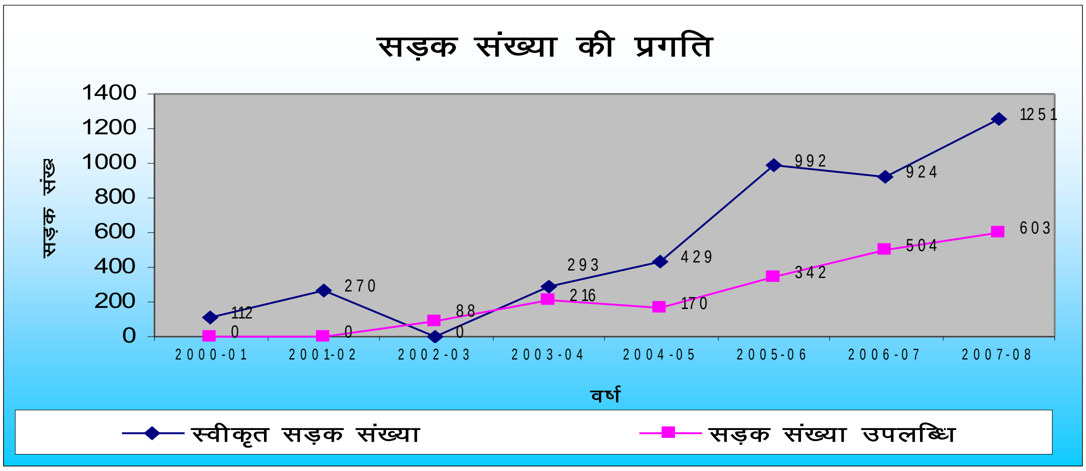

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत नवीन सड़कों की लम्बाई एवं उन्नयन एवं उपलब्धि की वर्शवार प्रगति को इस ग्राफ में द ाया गया है–

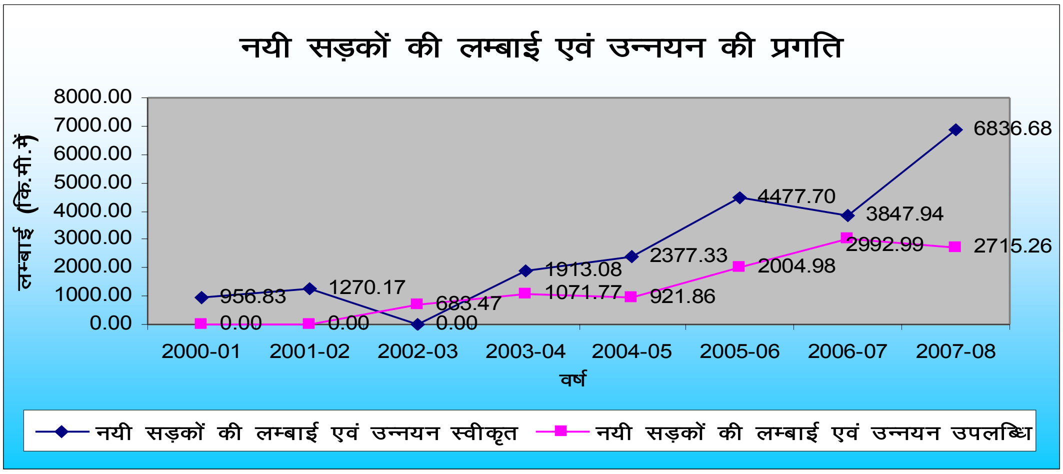

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत बसाहटों एवं जोड़ी गई बसाहटों की वर्शवार प्रगति को इस ग्राफ में द ाया गया है–

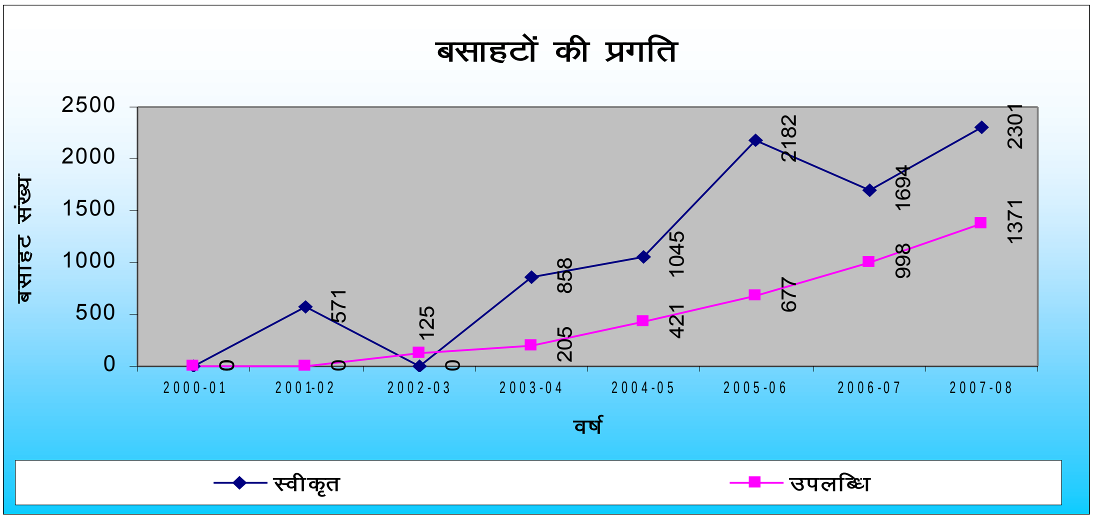

- वर्श 2008–09 में भारत भाासन द्वारा पिछली उपलब्धियों को देखते हुए 1300 करोड़ रूपये का व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 4850 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण एवं 1500 बसाहटों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति को पूर्ण सुनि चत् करने हेतु कार्यपालन अभियंताओं को जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके है साथ ही विभाग द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति को पूर्ण सुनि चत् करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जावेगा । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वर्श 2008–09 हेतु 1518 सड़कें जिसकी लंबाई 6445.00 कि.मी. तथा लागत रू. 2035.40 करोड़ है, के डी.पी. आर. राज्य तकनीकी अभिकरण को प्रस्तुत किये जा चुके है, जिनकी तकनीकी जांच होते ही ये प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भारत भाासन को भेज दिये जावेंगे ।
- राज्य में कुल बसाहटों की संख्या, मुख्य मार्गो से जुड़ी बसाहटों की संख्या एवं भोश बसाहटों की स्थिति को तालिका क.–04 में द ाया गया है–

तालिका क.–19.23

मुख्य मार्गो से जुड़ी/ ोश बसाहटों की प्रगति

विवरण	1000+	500-999		250-499		250 से कम	कुल	% जुडी बसाहटें
		(आदिवासी)	(सामूदायिक विकास खंण्ड)	आदिवासी)	(सामूदायिक विकास खंण्ड)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.04.2000 को कुल बासहटों की संख्या	4425	4056	3628	5134	2304	8059	27606	
बी.टी. द्वारा जुड़ी बसाहटों की संख्या	1587	717	612	792	257	983	4948	17.92
1.04.2000 शेष बासहटों की संख्या	2838	3339	3016	4342	2047	7076	22658	
पी.एम.जी.एस.वाय **स्वीकृति सड़कों** के अंतर्गत शामिल कुल बसाहटें	2659	2903	1879	2013	678	1684	11816	60.73
2001–2008 के बीच जोड़ी गईं बसाहटें	1162	527	965	243	379	521	3797	
31.03.2008 तक जुड़ी बसाहटों की संख्या	2749	1244	1577	1035	636	1504	8745	31.68
31.03.2008 को शेष बसाहटें	1676	2812	2051	4099	1668	6555	18861	
पी.एम.जी.एस.वाय. फेस –8 2008–09 के अंतर्गत प्रस्तावित बसाहटें जिनके प्रस्ताव भारत शासन को भेजे जा चुके हैं	173	381	231	1318	128	696	2927	10.60
फेस–8 के बाद शेष बसाहटें	1503	2431	1820	2781	1540	5859	15934	57.72

19.2.4 ग्रामीण सड़कों का रखरखाव :—

निर्मित सड़कों की कम से कम दस वर्श तक अच्छी हालत में बनी रहने के लिए स्वीकृत सड़कों के ठेके में पूर्ण होने के प चात अगले पांच वर्शो तक संधारण कार्य जोड़ा गया है तथा पांचवे वर्श में पुन : अगले पांच वर्शो का ठेका दिया जावेगा । चूँकि कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में निवे ा हुआ है ,अतः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की परिसम्मितियों का उपयुक्त रखरखाव करने राज्य में कार्यक्रम को जारी रखने का प्रयास किया गया है ।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा योजना समाप्त होने पर ग्रामीण सड़कें पंचायतीराज संस्थाओं को रखरखाव हेतु दे दी जायेंगी। जब पंचायतीराज संस्थाओं का तकनीकी विंग संधारण हेतु प्रि ाक्षित नहीं हो जाता तब तक परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा ही संधारण का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है।

19.2.5 विमानन

- राज्य गठन से वर्श 2008 तक की प्रमुख उपलब्धियॉ

क्र.	विवरण	उपलब्धियॉ
1.	नये हेलीकाप्टर का क्रय	02
2.	नये विमान का क्रय	01
3.	पक्के हेलीपैड का निर्माण	06
4.	हवाई पट्टी का पुननिर्माण	01

- माना एयरपोर्ट रायपुर को विकसित करने एवं बड़े हवाई जहाजों के उतरने के उपयुक्त बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हवाई पट्टी के विस्तार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस हेतु भाासन द्वारा 50.17 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 22.22 एकड़ निजी भूमि भी सम्मिलित है। निजी भूमि के मुआवजा हेतु भाासन द्वारा रा ि ा रूपये 43.16 लाख का भुगतान किया गया है। भाासन द्वारा उपलब्ध कराई गई 50.17 एकड़ भूमि पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई पट्टी को 6,400 फीट से बढ़ाकर 7,500 फीट करने की कार्यवाही की जा रही है।

अध्याय – 20

नगरीय प्रशासन एवं विकास

राज्य भाासन का नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश के नगरीय निकायों यथा नगरपालिका निगमों, नगरपालिका परिशदों तथा नगर पंचायतों का प्राासकीय विभाग है। भाहरीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं भी इस विभाग के अधीन गठित राज्य भाहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित की जाती हैं। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य की भाहरी आबादी 41.75 लाख है जो कि कुल जनसंख्या का 20.08 प्रतिशत है। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 03.16 लाख परिवार हैं जो कि भाहरी जनसंख्या का 31 प्रतिशत है। गंदी बस्ती जनसंख्या 01.92 लाख परिवार है जो कि शहरी जनसंख्या 23 प्रतिशत है।

20.1 राज्य में नगरीय निकायों की स्थिति–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिशद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या तालिका क्र.–20.1 में दर्शायी गयी है:–

तालिका क्र.–20.1

राज्य में नगरीय निकायों की संख्या

1	नगर पालिक निगम	10
2	नगर पालिक परिशद्	28
3	नगर पंचायत	73
कुल	**111**	

दिनांक 30.11.07 की अधिसूचना द्वारा बीजापुर को नगर पंचायत घोशित किया गया है।

नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुच्छेद 243 'द' के अनुसार नगर पंचायत बीजापुर को छोड़कर भोश में संविधान के अनुरूप चुनी हुई निकाय स्थापित है।

तालिका क्र.–20.2

जन प्रतिनिधियों नगरीय निकायवार स्थिति

क	निकाय	महापौर/अध्यक्ष	निर्वाचित पार्शद	मनोनीत पार्शद	योग
1	नगर निगम	10	513	60	483
2	नगर पालिका	28	600	112	740
3	नगर पंचायत	73	1080	144	1296
कुल योग		**111**	**2193**	**316**	**2619**

नोट– न.पं. बीजापुर ग्राम पंचायत से उन्नयन हो कर नव गठित है । ग्राम पंचायत के पंच/अध्यक्ष ही नगर पंचायत के पार्शद/अध्यक्ष है।

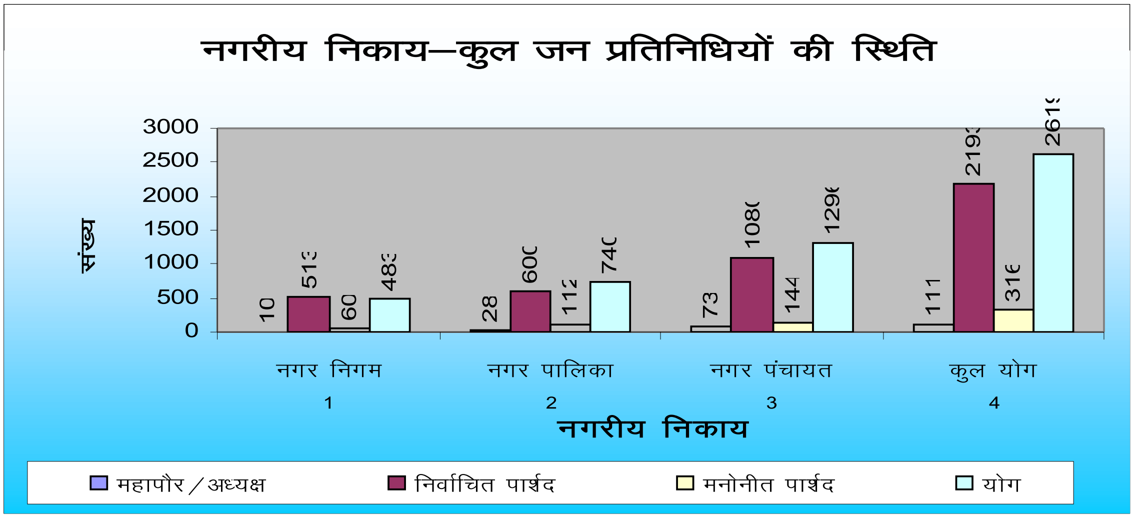

20.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम निम्नानुसार है —

- छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956)
- छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)
- पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू हो)
    - पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू हो)
    - स्लाटर आफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू हो)
    - छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
    - छत्तीसगढ़ गंदी बस्ती क्षेत्र (अनुज्ञाप्तियों का विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 36 सन् 1984)
    - सफाई कर्मचारी नियोजन और भुश्क भौचालय संनिर्माण (प्रतिशेध) अधिनियम, 1993।

विभाग मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, गंदी बस्ती सुधार योजनाओं का पर्यवेक्षण, नगरीय क्षेत्रों में गरीबी के उन्नयन के लिए विशिश्ट योजनाएं तैयार करना तथा उनका पर्यवेक्षण, नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम का क्रियान्वयन एवं पट्टों के दस्तावेजों का पर्यवेक्षण, चुंगी क्षतिपूर्ति कर निधि का प्रशासन जैसे कार्यों का सम्पादन करता है ।

20.3 वित्तीय प्रशासन—

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को क्रमशः छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में स्थापित किया गया है। निकायों को भाासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेश अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकायों के स्तर पर प्रमुख रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं—

- संपत्ति कर
- समेकित कर
- जलकर
- बाजार भुल्क
- निर्यात कर

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को विचार में रखते हुए भाासन द्वारा संपत्तिकर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। साथ ही, सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्शिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

भाासन को एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने का अधिकार है। साथ ही भाासकीय सेवकों को भी निगमों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने का अधिकार है।

20.4 छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निधि–

प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया है। नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों न्यागमन खाता एवं अद्योसंरचना खाते का संधारण किया जाता है।

न्यागमन खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर क्षतिपूर्ति, मुद्रांक भाुल्क, बार लायसेन्स एवं अन्य क्षतिपूर्ति के अनुदान को भाामिल किया जाता है जिसमें निम्नानुसार वृद्धि हुई है :–

- ### चुंगी क्षतिपूर्ति–

नगरीय निकायों में वर्ष 1976 से प्रचलित **चुंगी क्षतिपूर्ति के पात्रता के निर्धारण** को युक्तियुक्त करते हुए जनसंख्या को आधार बनाकर निर्धारण किया है, इसमें पहली बार 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई हैं, जिससे समस्त नगरीय निकायों को आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त हुई है।

भाासन द्वारा नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने वाले अनुदान की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है जिससे स्पश्ट होता है कि नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने वाले अनुदान में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्श 2001–02 में जहॉं रू. 9,000 लाख आबंटन प्राप्त हुआ वहॉं 2007–08 में बढ़कर रू. 48,463 लाख हो गये। इस प्रकार 438.48 प्रतिशत वृद्धि की गई।

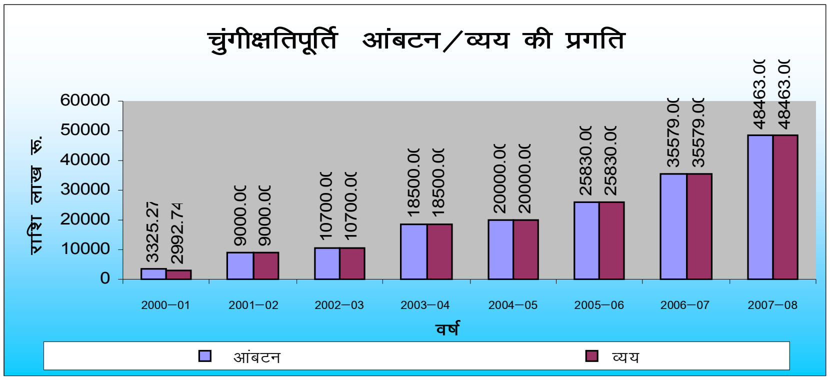

- ### यात्रीकर क्षतिपूर्ति–

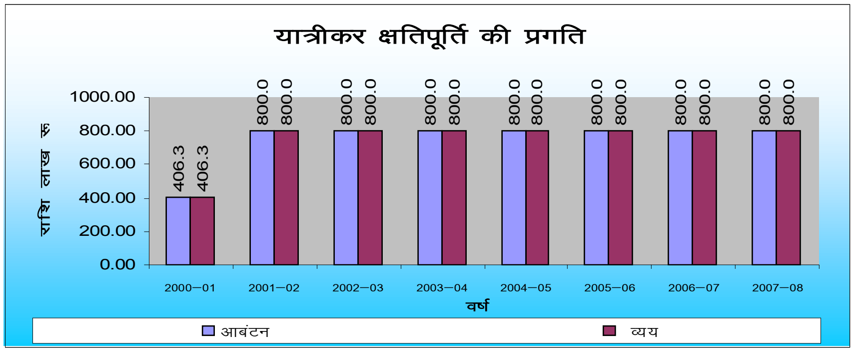

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2001–02 से नगरीय निकायों को प्राप्त होने वाली यात्रीकर क्षतिपूर्ति स्थिर है।

▪ **मुद्रांक शुल्क –**

भाासन द्वारा निकायों को मुद्रांक भुल्क के रूप में दी जाने वाली राशि की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शायाा गया है

रू

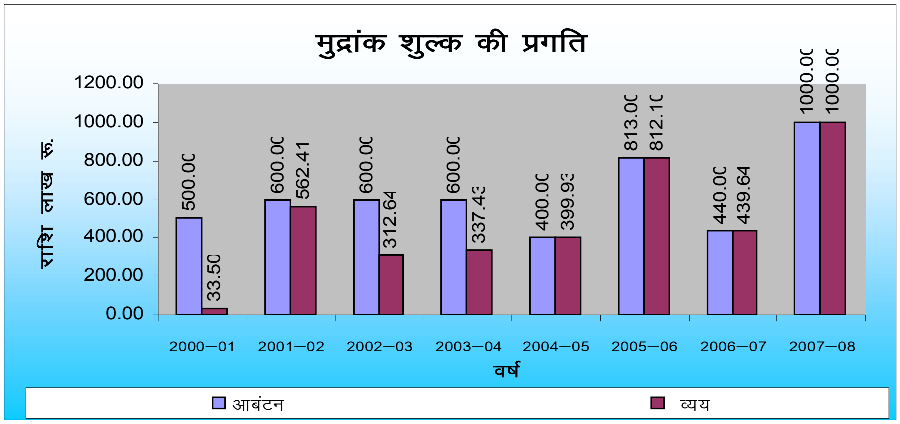

जिससे स्पश्ट होता है कि निकायों को मुद्रांक भुल्क के प में दी जाने वाली राशि में वर्श 2001–02 की तुलना में वर्श 2007–08 में 77.81 प्रतिशत वृद्वि दर्ज की गई।

अद्योसंरचना खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के बाद अतिरिक्त भोश राशि, राज्य वित्त आयोग अनुशंसा, सड़क मरम्मत अनुरक्षण जैसे मद को भाामिल कर निधि का निर्माण किया जाता है।

▪ **राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि की प्रगति–**

केन्द्रीय वित्त आयोग की तरह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय स्थानीय निकायों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं परिसंपत्तियों के रख–रखाव की व्यवस्था करने के लिए राज्य संसाधन से आवंटन किया जाता है । राज्य में अभी भी मध्यप्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसााओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि नगरीय स्थानीय निकायों को दी जा रही है। जबकि मध्यप्रदेश में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के प्रथम वित्त आयोग (श्री वीरेन्द पाण्डे की अध्यक्षता में गठित) ने अपना प्रतिवेदन मई .2007 को सौंप दिया है, जिसको लागू किया जाना है । ◁ 177 ▷

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भाासन से प्राप्त आबंटन एवं व्यय को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है जो आबंटन एवं व्यय की राशि में वर्श 2006–07 तक निरंतर वृद्वि दर्शा रहा है ।

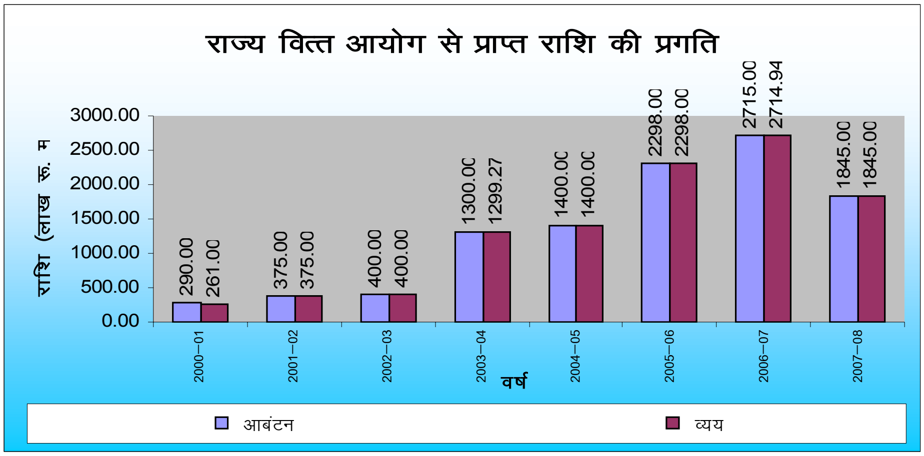

वर्श 2001–02 में जहॉ रू. 375 लाख आबंटन राशि प्राप्त हुई वही 2006–07 में बढ़कर रू. 2,71,5 लाख हो गयी। इस प्रकार 624 प्रतिशत वृद्वि दर्ज की गई। व्यय राशि रू. 375 लाख से बढ़कर रू. 2714. 94 लाख हो गयी एवं 623.98 प्रतिशत वृद्वि दर्ज की गई। वर्श 2007–08 में कमी हुई है।

- **नगरीय स्थानीय निकायों हेतु 11वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि की प्रगति–**

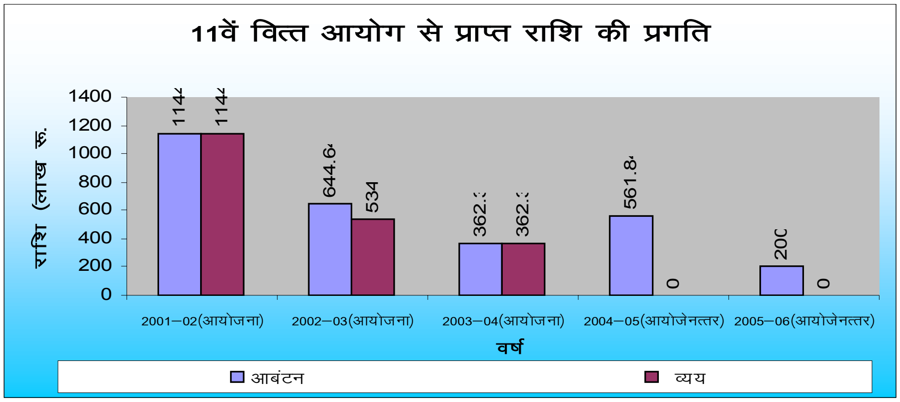

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि नगरीय निकायों को 11वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि में कमी हुई है। वर्ष 2005–06 तक रू. 2912.78 लाख आबंटन राि ा प्राप्त हुई और रू. 2040 30 लाख राशि व्यय की गयी।

12वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि की प्रगति–

12वें वित्त आयोग, भारत सरकार की अनुशंसानुसार स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मूलभूत सुविधा, डाटाबेस संधारण जैसे आवश्यक कार्यो को संपादित करने हेतु वित्त आयोग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। दण्ड आरेख से स्पश्ट है कि नगरीय निकायों को 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर प्राप्त वर्ष 2007–08 तक कुल रू. 5,280 लाख में से रू. 2,640.37 लाख राशि व्यय गयी।

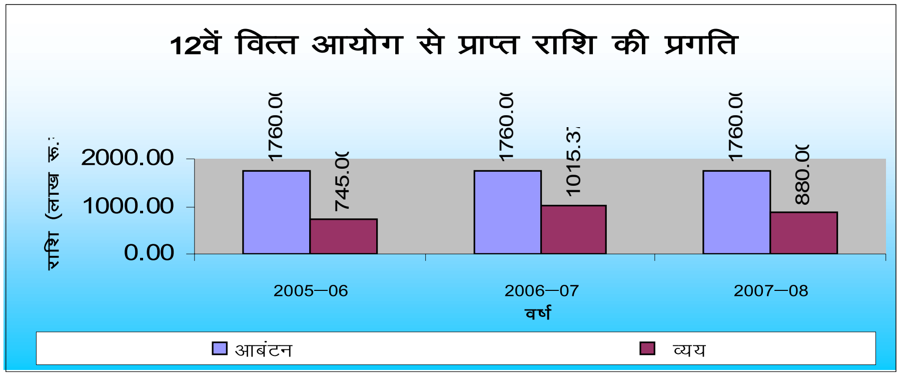

20.5 कुल बजटीय (आयोजना + आयोजनेत्तर) प्रगति–

नगरीय प्रशासन एवं विकास हेतु राज्य में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आयोजना एवं आयोजनेत्तर मदों के अंतर्गत किया जा रहा है। दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि में निरंतर वृद्वि हुई है। वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2007–08 में 504 प्रतिशात वृद्वि दर्ज की गई वहीं व्यय में इसी अवधि में 356.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

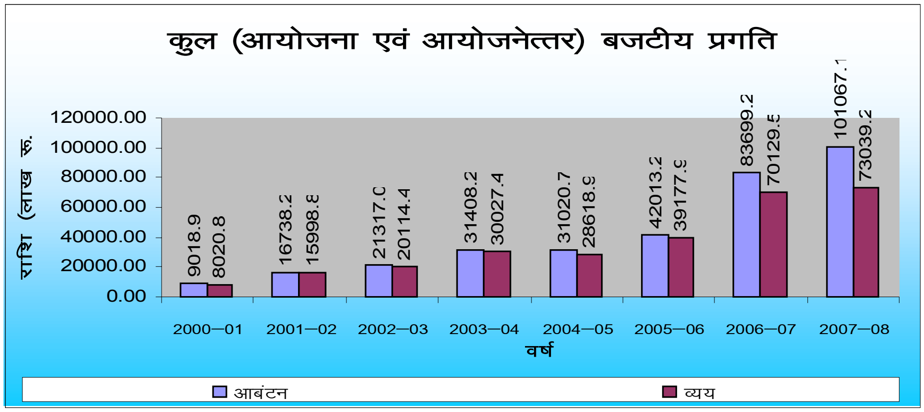

20.6 केन्द्र परिवर्तित योजनाएं एवं विकास–

केन्द्र परिवर्तित योजनाओं में स्वर्ण जयंती भाहरी रोजगार योजना, पे एण्ड यूज के अंतर्गत सार्वजनिक भौचालय, भुश्क भौचालय परिवर्तन कार्यक्रम, वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना, जवाहर लाल नेहरू राश्ट्रीय भाहरी नवीनीकरण मिशन, छोटे एवं मंझोले नगरो की अद्योसंरचना विकास की योजना एवं एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम प्रमुख हैं।

▪ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)–

यह योजना प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लागू है। वर्श 1997–98 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या लगभग 3,15,988 लाख है। वर्श 2007–08 में भाहरी गरीबों की पहचान एवं गणना का कार्य कराया जा रहा है, जो कि पूर्णता पर है। योजना के **वित्तीय प्रगति** को दण्डआरेख में दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वर्श 2000–01 की तुलना में वर्श 2007–08 में इस योजना के अंतर्गत आबंटन में 73.31 प्रतिशत एवं व्यय में 71.84 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान कुल आबंटन रू. 3,976,15 लाख एवं कुल व्यय रू. 2,583.91 लाख (64.99 प्रतिशत) किया गया।

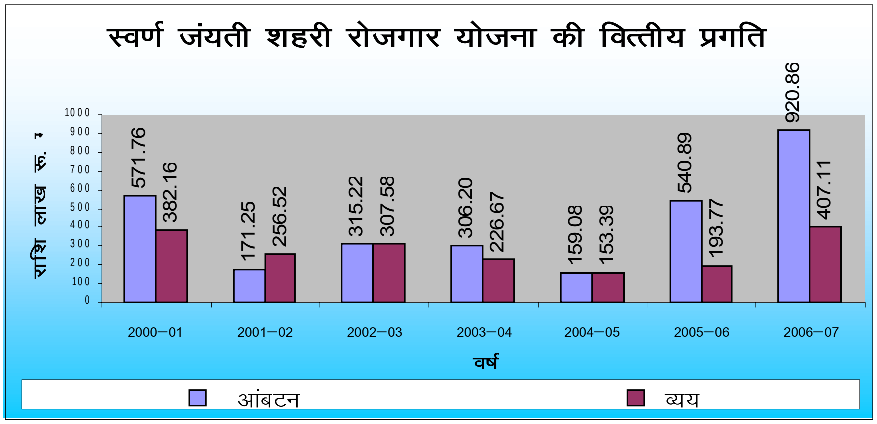

भौतिक प्रगति–

योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु दिये जाने वाले अनुदान की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है कि वर्श 2000–01 में जहां 2,417 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया वहीं वर्श 2007–08 में लक्ष्य से भी अधिक 3,666 बेरोजगारों को लाभान्वित किया गया। राज्य बनने से वर्श 2007–08 तक कुल 19,674 बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा

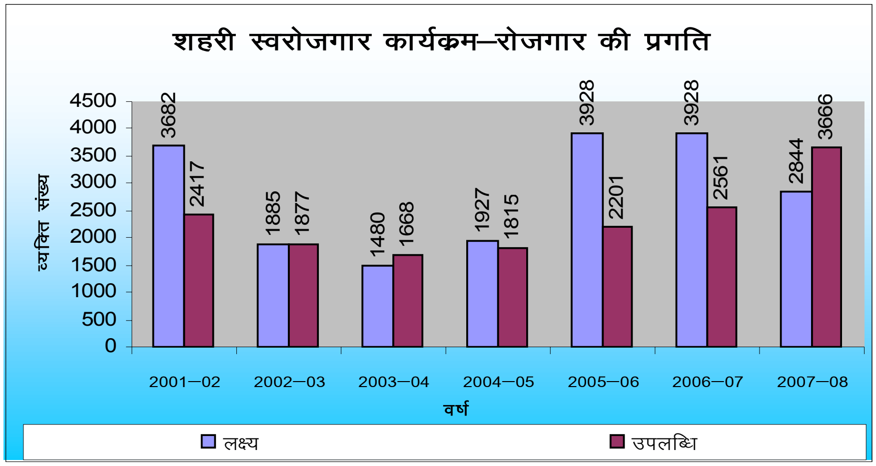

गया था, और 16,205 बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु अनुदान दिया गया। इस तरह लक्ष्य के 82.37 प्रति ात की प्राप्ति हुई।

इसी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु दिये जाने वाले प्रशिक्षण की प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

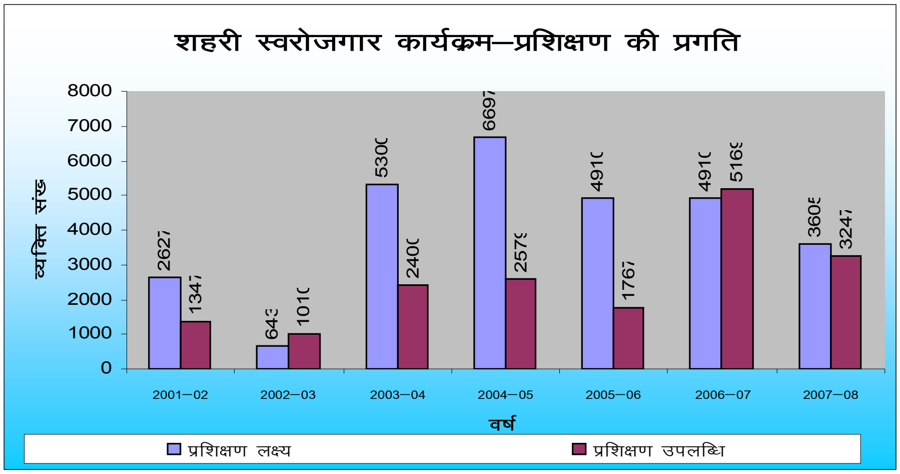

दण्ड आरेख से स्पष्ट होता है कि राज्य बनने से वर्ष 2007–08 तक कुल 28,692 प्रशिक्षण लक्ष्य के विरूद्ध 17,519 बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह लक्ष्य के 61.06 प्रतिशत की प्राप्ति हुई।

▪ 'पे एण्ड यूज' अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय (Pay & Use)–

इस योजना के अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों में सार्वजनिक भाौचालयों का निर्माण किया जाता है तथा 30 वर्शीय अनुबंध के आधार पर 'पे एण्ड यूज' आधार पर संचालित किया जाता हैं।

इस योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है

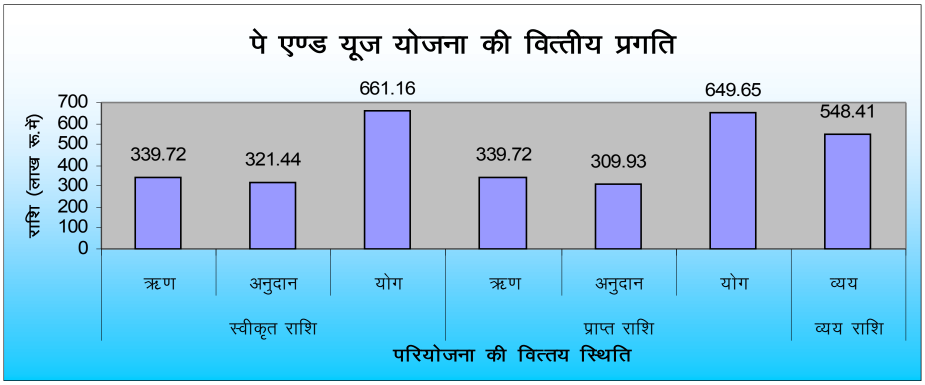

जिससे स्पष्ट होता है कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 56 नगरीय निकायों में 82 'पे एण्ड यूज' यूनिट्स (शौचालय) हेतु कुल लागत राशि रू. 661.16 लाख की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें से राशि रू. 649.65 लाख का आबंटन प्राप्त हो चुका है, जिसे 56 नगरीय निकायों को आबंटित किया जा चुका है।

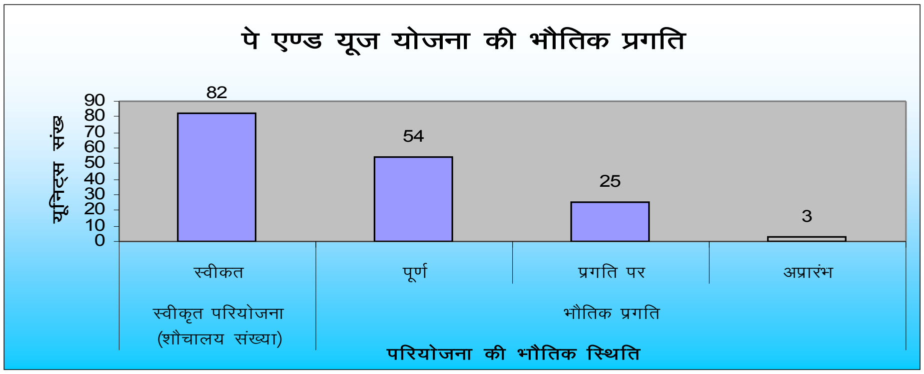

इस योजना के

अंतर्गत रू. 548.41 लाख व्यय कर 54 भाौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 25 भाौचालयों का कार्य प्रगति पर है।

- ## शुष्क शौचालय को जलवाहित शौचालय में परिवर्तन की योजना (ILCS)–

प्रदेश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों में नये भाौचालयों के निर्माण को भाामिल किया जाता है।

योजनान्तर्गत पूर्व में भारत सरकार तथा आवास एवं नगर विकास निगम (हुडको) के द्वारा ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया जाता था। वर्श 1992–93 से उक्त राशि केवल हुडको के द्वारा ही दी जा रही है। विभिन्न हितग्राही समूहों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का मापदण्ड तालिका क्र.–20.3 के अनुसार हैः–

तालिका क्र.–20.3

हितग्राही आर्थिक सहायता मान दण्ड

क्र.	भवन के प्रकार	अनुदान	ऋण	हितग्राही का अंशदान
1	इ.डब्ल्यू.एस.	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2	एल.आई.जी.	25 प्रतिशत	60 प्रतिशत	15 प्रतिशत
3	एम.आई.जी.	–	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत

इस योजना के द्वितीय चरण की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है ।

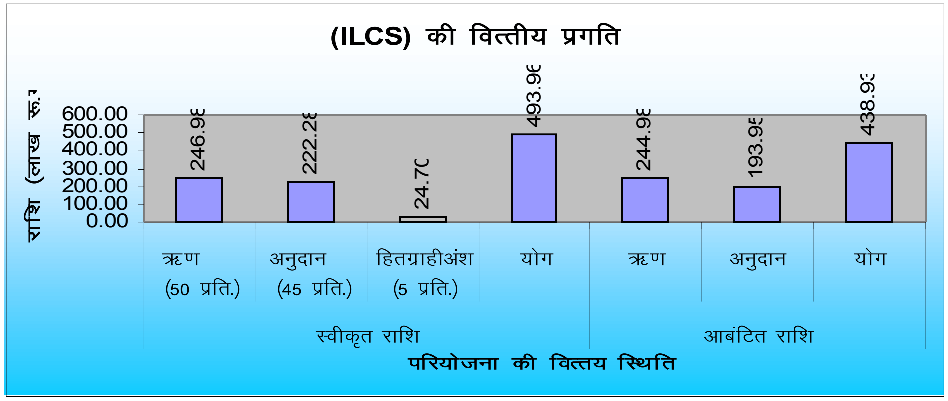

कुल लागत रू. 493.96 लाख की कार्य योजना पर भारत सरकार तथा हुडको से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसमें से रू. 438.93 लाख राशि नगरीय निकायों को आबंटित की जा चुकी है।

इस योजना की भौतिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है । इससे स्पश्ट होता है कि राज्य में भाुश्क भाौचालय को जलवाहित भाौचालय में परिवर्तन का कार्य प्राथमिकता से करने हेतु सर्वेक्षित 15,222 भाुश्क भाौचालय का लक्ष्य रखा गया है। अभी

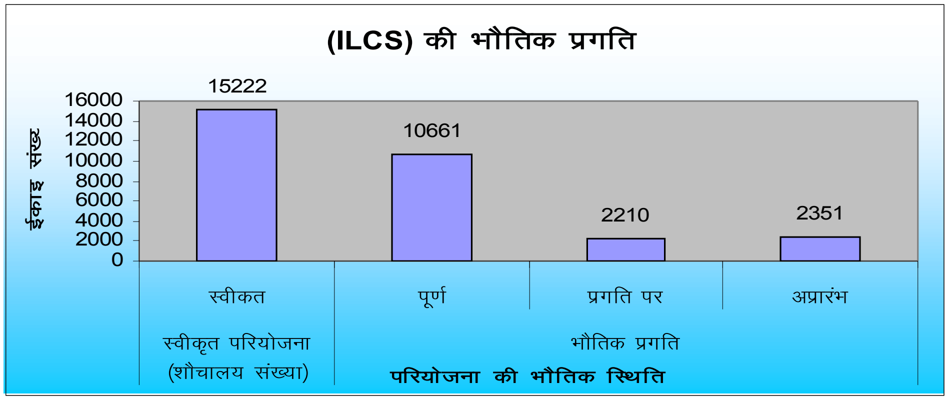

तक कुल 10,661 ईकाइयों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2,210 कार्य प्रगति पर है एवं 2,351 ईकाइयों को प्रारंभ किया जाना भोश है।

- **वाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना (VAMBAY)–**

10 लाख से कम आबादी के भाहरों में भाहरी गंदी बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे या उसके आस–पास जीवन यापन करने वाले आवासहीन लोगों के आवास की व्यवस्था के लिए योजना के अंतर्गत रू. 40 हजार तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में भारत सरकार से तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में हुडकों या अन्य किसी राश्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। हितग्राहियों के चयन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है, जिसमें अनुसुचित जाति/जनजातिके 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के 30 प्रतिशत, अन्य कमजोर वर्ग 15 प्रतिशत तथा भारीरिक एवं मानसिक रूप से अयोग्य तथा विकलांग एवं अन्य 5 प्रतिशत है।

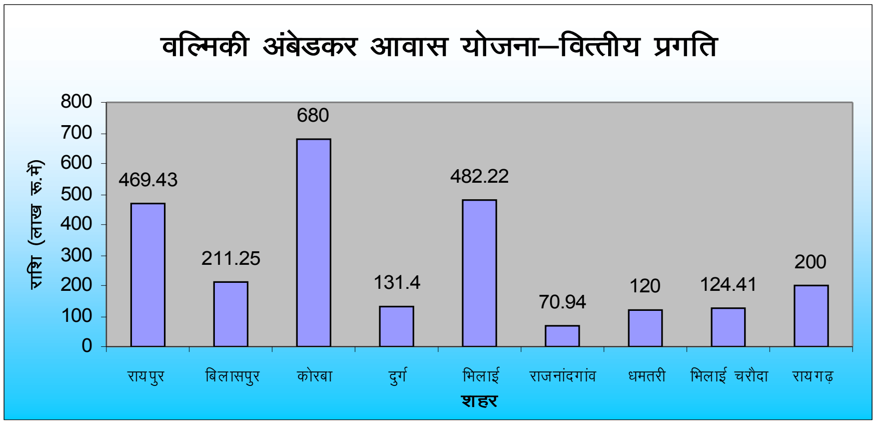

योजना के द्वितीय चरण की वित्तीय प्रगति से स्पश्ट होता है कि यह योजना प्रदेश के 9 भाहरों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, भिलाई चरौदा एवं रायगढ़ में चालू है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2489.65 लाख रू. खर्च किया जा चुका है।

भौतिक प्रगति– इस योजना के द्वितीय चरण की भौतिक प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शया गया है

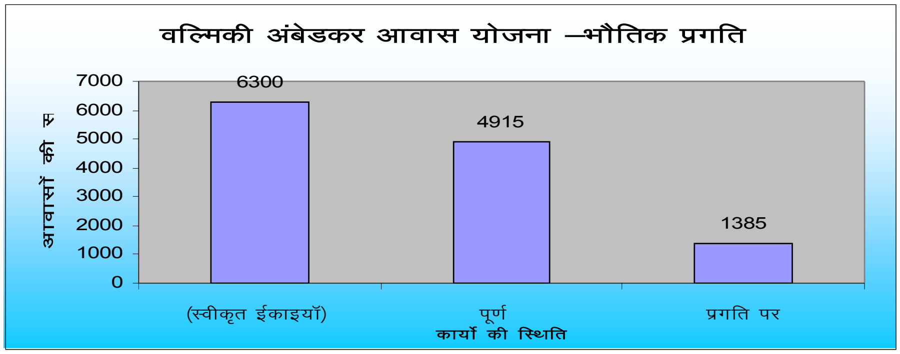

जिससे स्पश्ट होता है कि इस योजना के अंतर्गत कुल 6,300 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें से 4,915 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं भोश 1,385 प्रगति पर हैं।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना/पे एण्ड यूज योजना/आई.एल.सी.एस. योजना/वाम्बे योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्शो में दिये गये आबंटन एवं व्यय को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है– राज्य बनने

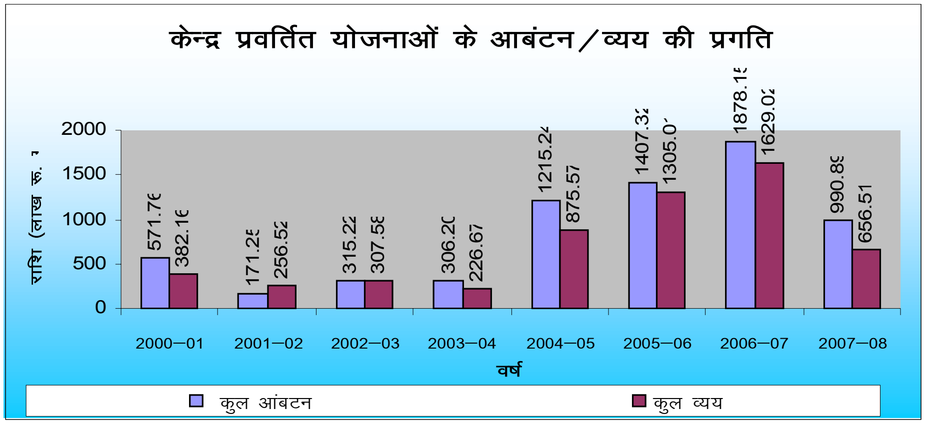

से 2007–08 तक कुल रू.6,856.03 लाख आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें से रू. 5,639.04 लाख (82.25 प्रतिशत) व्यय किया गया।

- ## जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM)–

राष्ट्रीय भाहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 60 नगरों में नगरीय विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रम लागू किया गया है। नगर निगम रायपुर का चयन प्रदेश की राजधानी होने के कारण किया गया है। मिशन के अंतर्गत 80 प्रतिशत धनराशि केन्द्र भाासन द्वारा, 10 प्रतिशत राज्य भाासन द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त की जायेगी और भोश 10 प्रतिशत राशि निकाय के द्वारा वहन की जायेगी। मिशन के अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति की निम्नानुसार भार्तो का पालन आवश्क है:–

- ♦ नगरीय निकाय तथा राज्य भाासन केन्द्र भाासन द्वारा मिशन के अंतर्गत निर्धारित सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुबंध करें।
- ♦ नगरों के एकीकृत विकास के लिए 20–25 वर्शो की योजना तैयार की जावें।
- ♦ प्रत्येक योजना के लिए डी.पी.आर. तैयार की जावें।

प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का अनुपात देश की भाहरी जनसंख्या से होगा। मिशन के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि का आबंटन उसी अनुपात में किया जायेगा। मिशन के अंतर्गत योजना की पात्रता के लिए प्रथम वर्श में ऐच्छिक सुधारों को लागू करना अनिवार्य किया गया है जिसका पालन राज्य शासन द्वारा किया गया । रायपुर नगर निगम, राज्य भाासन तथा केन्द्र भाासन के मध्य सुधार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अगस्त, 2006 को अनुबंध निश्पादित किया गया ।

राष्ट्रीय भाहरी नवीनीकरण मिशन में सम्मिलित नगरों को छोड़कर भोश सभी नगरों को सम्मिलित करते हुए **छोटे एवं मंझोले नगरो की अद्योसंरचना विकास की योजना (UIDSMT), एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम की (IHSDP) संचालित हैं । इन योजनाओं में भी उपरोक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्देश लागू होंगे ।**

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन वित्तीय प्रगति–

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय भाहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत–(1) अद्योसंरचना विकास एवं ई गवर्नेस योजना (जलावर्धन) तथा (2) बी.एस.यू.पी. योजना (रायपुर नगर निगम के भाहरी गरीबों हेतु आवास निर्माण) में छत्तीसगढ़ के लिए वर्श 2005–12 तक के लिए विभिन्न घटकों में योजना आयोग भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया गया, जिसके आबंटन/स्वीकृत की प्रगति को आगे दण्ड आरेखों में दर्शया गया है–

- ## अद्योसंरचना विकास एवं ई गवर्नेस योजना की वित्तीय प्रगति–

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि योजना के अंतर्गत राशि रू. 30,364.00 लाख रायपुर भाहर की **जलप्रदाय योजना** नगर निगम रायपुर हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें से रू. 6,831.90 लाख राशि प्राप्त हो चुकी है एवं इसमें से रू. 6,588.

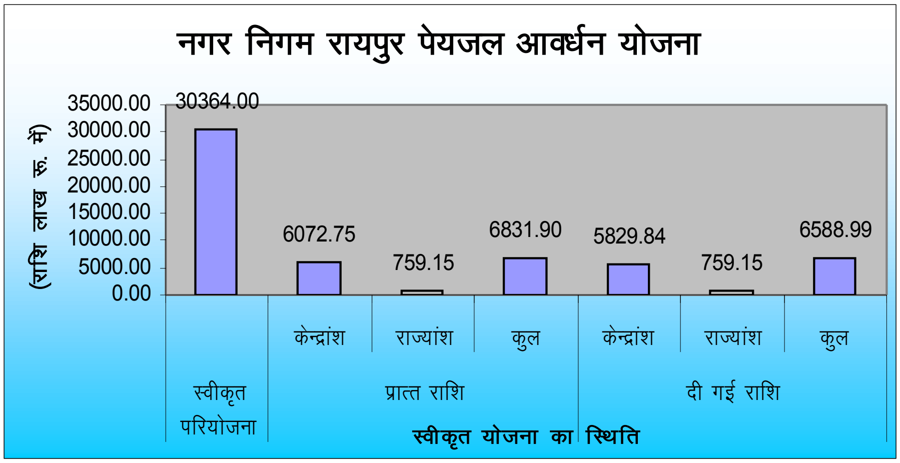

99 लाख राशि नगर निगम रायपुर को दी गई है। लगभग 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं भोश कार्य प्रगति पर है।

- **बी.एस.यू.पी. योजना (रायपुर नगर निगम के शहरी गरीबों हेतु आवास निर्माण)–**

दण्ड आरेख से स्पश्ट होता है कि इस मिशन के द्वितीय **सब मिशन (बी.एस.यू.पी.)** के अंतर्गत रायपुर में 27,976 आवासों के निर्माण एवं अधोसंरचना के लिए रू. 39,145 लाख स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से रू. 8,779 लाख राशि प्राप्त हो चुकी है एवं इसमें से रू. 8,691.21 लाख राशि नगर निगम रायपुर को आवास निर्माण हेतु दी गई है एवं कार्य प्रगति पर है

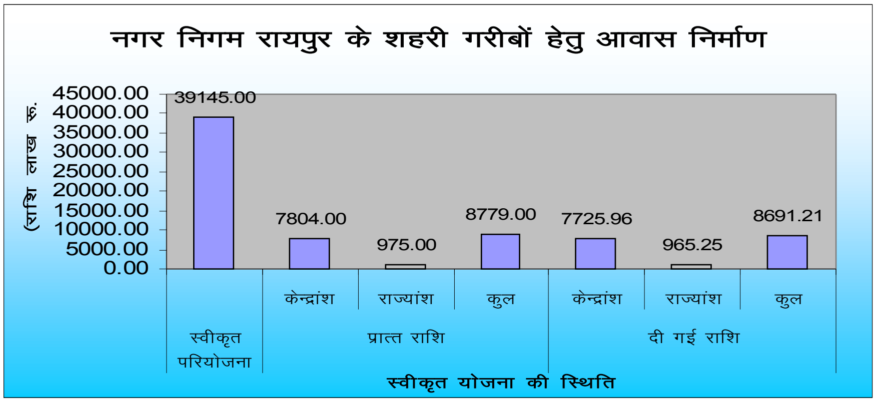

- **छोटे एवं मंझोले नगरो की अद्योसंरचना विकास की योजना (UIDSMT)–**

इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे तथा मंझोले नगरों में अद्योसंरचना कार्यो का सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना है।

वित्तीय प्रगति– इस योजना की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता हैकि वित्तीय वर्श 2007–08 में भारत सरकार के द्वारा राशि रू. 6,118.65 लाख की पेयजल आवर्धन योजना नगर निगम बिलासपुर, नगर निगम रायगढ़ एवं नगरपालिका कोण्डागांव के लिए स्वीकृत की गई है, इन तीन नगरीय निकायों में से नगर निगम बिलासपुर का कार्य प्रगति पर है एवं नगर निगम रायगढ़ तथा नगरपालिका कोण्डागांव में निविदा प्रचलित कर दी गई हैं।

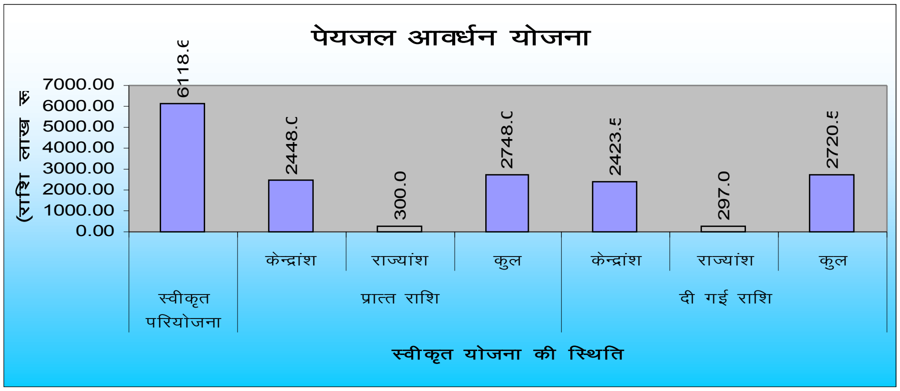

नगर निगम बिलासपुर हेतु स्वीकृत भूमिगत सिवरेज परियोजना योजना की वित्तीय प्रगति को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है। योजना के अंतर्गत

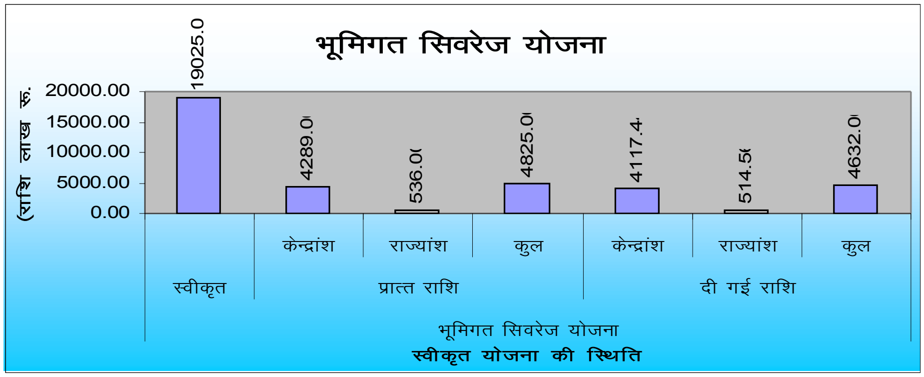

नगर निगम, बिलासपुर को स्वीकृत रू. 19,025 लाख में से रू. 4,632 लाख राशि दी गई है। इस कार्य हेतु निविदा प्रचलित कर दी गई है

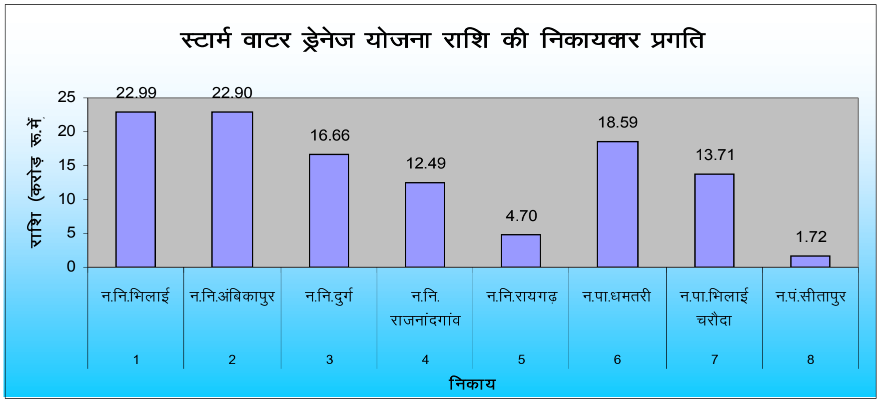

उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा 8 नगरी निकायों क्रमशः न.नि. भिलाई, अम्बिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, न.पा.धमतरी, भिलाई–चरौदा एवं न. पं. सीतापुर की रू. 113.76 करोड़ राशि की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजनाएं भी एप्राइजल हेतु केन्द्र भाासन को अग्रेशित की गई हैं।

▪ एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम की (IHSDP)–

यह योजना भारत सरकार द्वारा परिवर्तित की गई है, जिसमें चयनित भाहरों की वर्तमान झुग्गी बस्तियों में उपयुक्त आवास तथा बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण को स्वस्थ और बेहतर बनाया जा सके। झुग्गियों के सुधार एवं विकास में कलस्टर एप्रोच का अनुसरण किया जायेगा, जिसमें कि पूरी बस्ती अथवा उसके किसी पारे/टोले को अन्यत्र विस्थापित किया जा सकेगा।

वित्तीय प्रगति–

वित्तीय वर्ष 2007–08 में भारत सरकार के द्वारा 14 नगरीय निकायों हेतु जिन भाहरों के लिए योजना स्वीकृत की गई है उन्हें इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

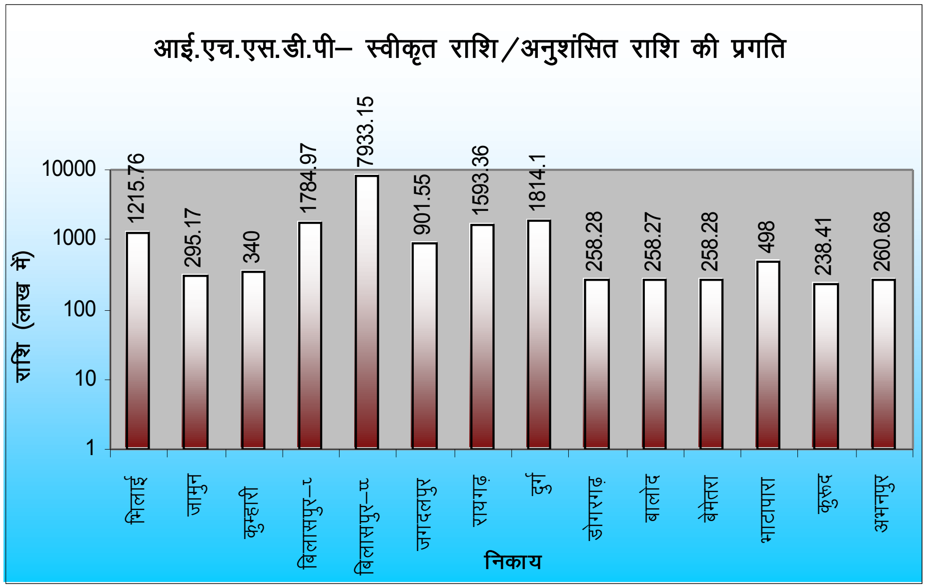

स्वीकृत कुल परियोजना राशि रू. 17,649.98 लाख में से रू. 12,200.49 लाख केन्द्रांश एवं रू. 1,524.92 लाख राज्यांश के रूप में स्वीकृत की गयी। केन्द्र भाासन एवं राज्य भाासन से इन नगरीय निकायों हेतु कुल रू. 6,862.33 लाख राशि (रू. 6,100.42 केन्द्रांश एवं रू. 761.91 राज्य) राशि प्राप्त हो चुकी है एवं कुल रू. 6,610.76 लाख राशि(रू. 5,876.01 केन्द्रांश एवं रू. 734.75 राज्यांश) राशि इन निकायों को दी जा चुकी है। सर्वाधिक राशि बिलासपुर भाहर हेतु स्वीकृत की गई है।

भौतिक प्रगति–

इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की संख्या को इस दण्ड आरेख में दर्शाया गया है–

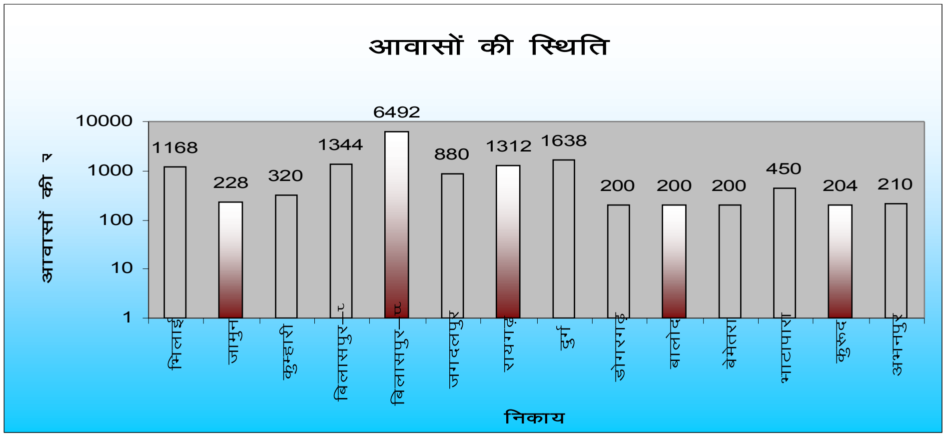

स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत कुल 14,846 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। जिसका कार्य संबंधित नगरीय निकायों में प्रारंभ कर दिया गया है अथवा निविदा प्रचलित कर दी गई है।

20.7 राज्य प्रवर्तित योजनाएं एवं विकास

- **सरोवर धरोहर योजना–**

भाहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्वार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृश्टि से इस योजना के अंतर्गत 88 तालाबों की स्वीकृति दी जाकर रू. 12.60 करोड़ स्वीकृत दी गई है।

- **ज्ञानस्थली योजनांतर्गत–**

ज्ञानस्थली योजनांतर्गत भाासकीय एवं अर्द्वशासकीय शिक्षण संस्थाओं में मूलभूत सुविधा एवं अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जाता है, जिसमें अब तक लगभग रू. 7.22 करोड़ खर्च किया गया है।

- **उन्मुक्त खेल मैदान योजना–**

राज्य के भाहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु इस योजना को लागू किया गया है जिसमे प्रति हेक्टेयर 7.50 लाख रू. का भात–प्रतिशत अनुदान नगरीय निकायों को दिया जाता है। इसमें रू. 4.47 करोड़ का व्यय किया है।

- **उद्यानों का विकास–**

राज्य के भाहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु प्रति हेक्टेयर रू. 11.05 लाख पुश्प वाटिका उद्यान योजना लागू की गई जिसमें भात–प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकाय को दी जाती है। इसके अंतर्गत कुल रू. 1,302.70 लाख व्यय कर 85 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

- **पं. सुन्दर लाल शर्मा सफाई कामगार आवास योजना–**

राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को स्वयं के आवास उपलब्ध कराने की इस योजना में 50 वर्गमीटर भूखण्ड में 40 वर्गमीटर के आवास का निर्माण किया जाता है। योजना में 10 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी एवं 90 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है। वर्तमान में नगर निगम जगदलपुर की योजना प्रगति पर है। इस योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 134 आवासों में रू. 133.00 लाख व्यय कर 105 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

- **मिनी माता शहरी निर्धन बीमा योजना–**

  मिनी माता भाहरी निर्धन बीमा योजना, राज्य भाासन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रू. 20,000, दुर्घटना मृत्यु होने पर रू. 50,000, दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर रू. 50,000, दुर्घटना में दो हाथ–पांव, या एक आंख और एक हाथ या पांव से अक्षम होने पर रू. 50,000 एवं दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर रू. 25,000 की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होती है।

  - **बाबा गुरू घासीदास गंदी बस्ती उत्थान योजना–**

  नगरीय क्षेत्रों के गरीबों के लिए **गुरू घासीदास झुग्गी बस्ती उत्थान योजनांतर्गत** 74 झुग्गी वस्तियों में रू. 13.83 करोड़ का व्यय किया है। इन बस्तियों में सड़क निर्माण, गली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, गंदे पानी की नालियों का निर्माण, सार्वजनिक भौचालय निर्माण, इन बस्तियों तक पहंच मार्ग एवं बस्तियों की गंदे पानी की निकासी हेतु मुख्य नालों तक नालों का निर्माण भाामिल है।

  - **मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना–**

  भाहरी युवाओं को छोटे व्यवसायी के रूप में स्वरोजगार हेतु दुकान एवं चबूतरा उपलब्ध कराने हेतु **मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजनांतर्गत** 7,955 दुकान एवं 2,501 चबूतरों का निर्माण कराया जाकर इस पर रू. 21.63 करोड़ का व्यय किया गया है।

  - **महिला समृद्धि बाजार योजना–**

  इसी प्रकार महिला समृद्धि बाजार योजनांतर्गत बड़े भाहरों में आवश्यकतानुसार 778 दुकानों का निर्माण कराया है। जिसमें रू. 1.94 करोड़ का व्यय किया है। इसी प्रकार दीनदयाल स्वावलंबन योजनांतर्गत छोटे व्यवसायियों के लिए 3,585 गुमटियों का निर्माण कर रू. 6.03 करोड़ का व्यय किया है।

  - **श्यामा प्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना–**

  जन सहभागिता को बढ़ावा देते हुए **पं.श्यामप्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजनांतर्गत** आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेरोजगार एवं महिलाओं को उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्वि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजना बनायी जाकर 4000 हितग्राहियों को प्रशिाक्षण दिया जाकर रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग दिया है।

- **ट्रांसपोर्ट नगर योजना–**

  नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के कारण आवागमन में असुविधा के निराकरण हेतु ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत 07 योजनाओं में रू. 14.65 करोड़ की स्वीकृति दी है।

- **गोकुल नगर योजना–**

  नगरों में डेयरियों के कारण उत्पन्न आवागमन की असुविधा को देखते हुए गोकुल नगर योजनांतर्गत भाहर से बाहर 08 गोकुल नगर की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाकर रू. 13.98 करोड़ की स्वीकृति है।

- **प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना–**

  नगरों में बस स्टैण्ड को सर्व सुविधायुक्त बनाने के साथ–साथ निकायों को आय का नया स्रोत पैदा करने हेतु **प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना** प्रांरभ की गई जिसमें रू. 19.39 करोड़ का व्यय किया है।

- **सार्वजनिक प्रसाधन योजना–**

  नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक भौचालय जैसी आवश्यक जन सुविधाओं की कमी को देखते हुए समस्त नगरीय निकायों में भात–प्रतिशत अनुदान दे कर सार्वजनिक भौचालय निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत् नगर निगमों में रू. 10.00 लाख लागत की 86 सार्वजनिक भौचालय, नगर पालिकाओं में रू. 9.00 लाख लागत की 57 सार्वजनिक भौचालय एवं नगर पंचायतों में रू. 6.00 लाख लागत की 73 सार्वजनिक भौचालयों का निर्माण करने की योजना है। इस पर कुल व्यय रू. 1,805 लाख अनुमानित है जिसके विरूद्ध कुल 216 भौचालयों के लिए रू. 1,378.50 लाख

जारी किए गये हैं । 79 भौचालयों के निर्माण कार्य पूर्ण किया जा कर 106 भौचालयों के कार्य प्रगति पर है।

- **मुक्तिधाम निर्माण योजना–**

  मुक्तिधाम योजनांतर्गत 110 नगरीय निकायों में रूपए 10.10 करोड़ की 133 योजना स्वीकृत की गई है जिसमें इन स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्वारा का कार्य किया है।

  - **कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना–**

  इसी प्रकार गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन करने वाले परिवार के अशिक्षित एवं अल्पशिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण का आयोजन करने हेतु कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजनांतर्गत सम्मानजनक जीवकोपार्जन कराने की योजनांतर्गत रू. 190 लाख का आंबटन उपलब्ध कराया है।

  - **शहरों में हाट बाजार समृद्धि योजना–**

  एक बड़े स्थान को हाट बाजार योजना के रूप में विकसित कर, नीलामी चबूतरा, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जलप्रदाय, नालियों एवं सार्वजनिक प्रसाधन का निर्माण कर बाजार को व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। योजनांतर्गत नगर निगम को रूपये 1.00 करोड़ नगर पालिकाओं को रू. 70.00 लाख एवं नगर पंचायतों को 40.00 लाख की योजनाएं सवीकृत की जाएगी। अभी तक हाट बाजार योजनांतर्गत 12 परियोजनाओं के लिए रू. 5.05 करोड़ की स्वीकृति दी है।

  - **सांस्कृति भवन निर्माण योजना–**

  सांस्कृतिक भवन योजनांतर्गत भाहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं सामाजिक कार्यो के लिए सुव्यवस्थित, सुलभ एवं सुसज्जित भवन उपलब्ध कराने की योजनांतर्गत नगर निगमों को रू. 75.00 लाख से रू. 1.00 करोड़, नगर पालिकाओं में रू. 35 लाख से 50 लाख एवं नगर पंचायतों में न्यूनतम 25 लाख के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक 11 परियोजनाओं के लिए रू. 3.19 करोड़ की स्वीकृति दी है ।

  - **शहरी गरीबों की पहचान एवं गणना–**

  भाहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण राज्य गठन के पूर्व वर्श 1997–98 में तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के समय कराया गया था। राज्य गठन पश्चात् नगरी क्षेत्रों के सीमाओं में वृद्वि एवं नगरीय निकायों की गठन के फलस्वरूप नवीन सर्वेक्षण की आवश्यकता को देखते हुए पूरे प्रदेश में नये सिरे से बी.पी.एल.सर्वे की आवश्यकता का निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है।

  - **गौरव पथ योजना (मॉडल रोड)** के रूप में समस्त नगरीय निकायों में एक मार्ग का चयन कर उसे सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए डामरीकरण/कांक्रीटीकरण, नाली, डिवाईडर, प्रकाश व्यवस्था, फुटपाथ एवं आवश्यकतानुसार डक्ट आदि के निर्माण का प्रावधान रखा है। इस कार्य हेतु लगभग रू. 129.57 करोड़ की स्वीकृत प्रदान की है । नगरों में नालियों के निर्माण के लिए राशि रू. 42.57 करोड़ का आंबटन नगरीय निकायों को सौपा है।

- **व्यवसायिक पारिसरों का निर्माण–**

  भाहरी क्षेत्रों में निकाय के आय के स्त्रोतों में वृद्वि हेतु व्यावसायिक पारिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होने के साथ–साथ एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सामाग्री मिल सकेगी ।

- **नगरों में ठोस अपशिष्ठ के प्रबंधन के लिए कार्ययोजना–**

  राज्य के 09 बडे भाहरों – नगर निगम रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर एवं नगर पालिका भिलाईचरौदा के ठोस अपशिश्ठ के प्रबंधन हेतु रैपीड एक्शन प्लान बनाने

का कार्य राश्ट्रीय उत्पादकता परिशद्, नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। नगर निगम रायपुर में लैण्ड फिल साईट चयन संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।

- **सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना–**

प्रदेश के समस्त नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिशदों, नगर पंचायतों की नियमित स्थापना में कार्यरत सफाई कामगारों को समूह बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है। यह योजना दिनांक जून 1999 से भारतीय जीवन बीन को सौंपी जा चुकी है। इस केन्द्र प्रवर्तित योजना का वार्शिक प्रीमियम राशि रू. 50 है, जिसमें रू. 25 का भुगतान सामाजिक सुरक्षा निधि से भारत सरकार द्वारा तथा भोश रू. 25 का अंशदान प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सेवाकाल में मृत्यु होने पर रू. 25,000 का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार स्थाई अपंगता के लिए रू. 15,500 का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित व्यक्ति को किया जाता है। समूह बीमा योजना के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय की प्रगति को इस ग्राफ में दर्शाया गया है।

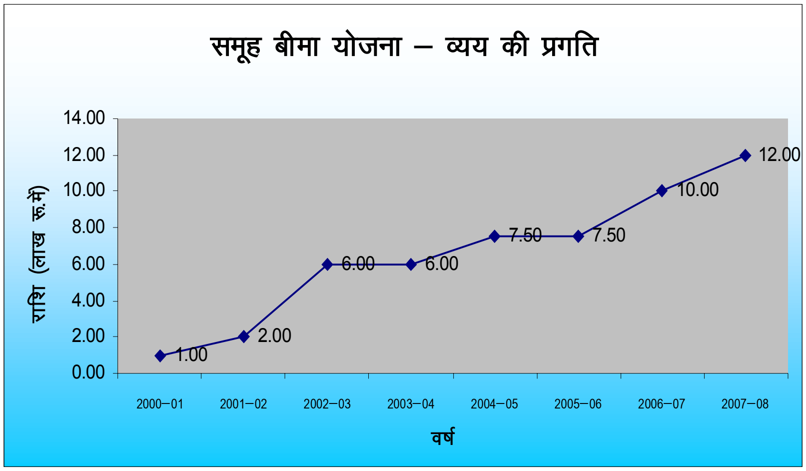

- **नेशनल अर्बन इंफारमेशन सिस्टम** (NUIS)–

भाहरी विकास मंत्राल भारत भाासन द्वारा नेशनल अर्बन इंफारमेशन सिस्टम (NUIS) योजना लागू की गई है। परियोजना के अंतर्गत भारत के 137 नगरों के लिए जी.आई.एस. आधारित डाटाबेस एवं उनमें से 24 नगरों के लिए यूटिलिटी मैपिंग की जावेगी। प्रदेश के भिलाई नगर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा एवं रायपुर को प्रथम चरण की योजना में सम्मिलित किया गया है, जिसमें रायपुर नगर की यूटिलिटी मैपिंग भी की जावेगी।

परियोजना लागत रू. 115.55 लाख है तथा इसकी 25 प्रतिशत राशि रू. 28.89 लाख राज्यांश के रूप में विभाग द्वारा दिया जा चुका है। परियोजना की गाईडलाइन में राज्य के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

- नगरीयों निकायों को पावर रोड़ स्वीपिंग मशीन, सक्शन मशीन जैसे आधुनिकतम तकनीकी से युक्त मशीनें उपलब्ध करायी जा रही है।

- नगरीय निकायों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए बकाया विद्युत देयकों का वर्श 31 मई 2006 की स्थिति में रू. 74.00 करोड़ के विरूद्व रू. 50.00 करोड़ में छ.ग. विद्युत मण्डल को भुगतान कर समायोजन किया है। नगरीय निकायों के द्वारा लिए गए पेयजल योजना, विकास योजनाओं, गंदी बस्ती योजनाओं के लिए ऋण एवं ऑडिट फीस की रा ि रू. 68.00 करोड़ का समायोजन कर निकायों को ऋण मुक्त किया है।

अध्याय – 21
नगरीय नियोजन एवं ग्राम विकास

छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवे ा अधिनियम, 1973 के अधीन नगर तथा ग्राम निवे ा संचालनालय प्रमुखतः नगरों के नियोजित एवं समन्वित विकास को दृश्टिगत रखते हुए नगरों की विकास योजनाएं बनाता है। नगरों के विकास से सम्बद्ध भाासकीय/अर्द्ध ाासकीय एवं स्वायत्त ाासी संस्थाओं को नियोजन के संबंध में पराम ि/अभिमत/अनुज्ञा प्रदान करता है एवं योजनाओं के अनुसार विकास पर नियंत्रण करना है।

संचालनालय का मुख्यालय राजधानी नगर रायपुर में एवं इसके अधीन 9 क्षेत्रीय कार्यालय क्रम ाः –रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जगदलपुर, राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में कार्यरत हैं।

21.1 अधि ाासित अधिनियम/नियम–

- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम, 1973
- छ.ग. भूमि विकास नियम, 1984
- छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002
- छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002
- छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2003 (सं ाोधित)
- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा नियम, 1975
- म.प्र. नगर तथा ग्राम निवे ा विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975।

21.2 विकास योजनाएं–

- वर्श 2007–08 में रायगढ़, अम्बिकापुर, बालोद एवं कवर्धा विकास योजना (प्रारूप) तथा रायपुर विकास योजना उपांतरित (प्रारूप) प्रकाि ात की गई है एवं इनके अंतिम प्रका ान की कर्यवाही की जा रही है।

- विकास योजना पुनर्विलोकन, सं ाोधन एवं उपांतरण कुल के अंतर्गत 5 नगरों यथा राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, कोरबा एवं जगदलपुर की उपांतरित विकास योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। दो नगरों की उपांतरित विकास योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। दो नगरों की उपांतरित विकास योजना के प्रका ान का लक्ष्य रखा गया है।

- वर्श 2007–08 में प्रकाि ात विकास योजना (प्रारूप) में रायगढ़, अम्बिकापुर तथा रायपुर हेतु आपत्तियां/सुझाव प्राप्त किये गये। रायपुर में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई की गई। रायगढ़ तथा अम्बिकापुर में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।

21ण्3 रिजनल रिमोट सेन्सिंग सर्विसेस सेन्टर (आर.आर.एस.एस.सी.)–

राज्य के 57 नगरों में उपग्रह से प्राप्त मानचित्र के आधार पर डिजिटल खसरा बेसमैप तैयार कराये जा रहे हैं, जिसके तहत् भाासन के निर्दे ाानुसार आर.आर.एस.एस.सी., नागपुर एवं संचालक, नगर तथा ग्राम निवे ा, रायपुर के मध्य एम.ओ.यू. निश्पादित किया गया है। उक्त आधार पर मानचित्र विकास योजना तैयार किया जाना प्रथम चरण के लिये मूलभूत रूप से आव यक है। आर.आर.एस.एस.सी. नागपुर द्वारा तैयार किये जाने वाले बेसमैप हेतु चयनित नगर क्रम ाः राजिम–नवापारा, बड़ी बचेली–किरन्दुल, दन्तेवाड़ा, बागबाहरा, गरियाबंद, सरायपाली, छुईखदान, दल्लीराजहरा, नारायपुर, चम्पारण, बालोद, तिल्दानेवरा, खरोरा, आरंग, सिमगा, डोंगरगांव, पाटन, धमधा, साजा, भानुप्रतापपुर, चारामा, अभनपुर, मुंगेली, मनेन्द्रगढ़, पेण्ड्रा, बलौदा, पण्डरिया, लोरमी, बिल्हा, चिरमिरी, पत्थलगांव, ज ापुर नगर, बाराद्वार, कोटा, अड़भार, अकलतरा,

पामगढ़, गौरेला, मालखरोद, डभरा, दीपका, अम्बिकापुर, रायगढ़, कटघोरा, कुरूद, बेमेतरा, खैरागढ़, सीपत, खरसिया, अहिवारा, सारंगढ़, भाटापारा, कोण्डागांव, कोरबा, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई हैं।

सिटी इन्ड्रस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरे ान (सिडको) नवी मुंबई को विकास योजना तैयार करने के लिये आव यक सभी आंकड़े/जानकारी एकत्रित कर आव यक मानचित्र तथा निवे ा क्षेत्र गठित कर एवं वर्तमान भूमि उपयोग को प्रका ित करने के उपरान्त विकास योजना तैयार करने का कार्य दिया गया है। सिडको द्वारा तैयार की जा रही विकास योजना में – नवापारा/राजिम, सक्ती, बलौदाबाजार, भाटापारा, कोण्डागांव, खैरागढ़, सीपत, खरसिया, अहिवारा एवं सारंगढ़ भाामिल हैं। सिडको को 80 प्रति ात आंकडे/जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। सिडको के द्वारा 10 नगरों में से 4 नगरों की विकास योजना का प्रका ान किया जा चुका है।

सोसायटी फार पार्टीसीपेटरी रिसर्च इन एरिया (प्रिया) को भी सभी आंकड़े/जानकारी/मानचित्र उपलब्ध कराते हुए आरंग एवं अकलतरा की विकास योजना तैयार करने का कार्य दिया गया है।

21.4 राश्ट्रीय भाहरी सूचना प्रणाली (ने ानल अर्बन इनफारमें ान सिस्टम (NUIS)) –

ने ानल अर्बन इनफारमें ान सिस्टम (NUIS) स्कीम (केन्द्रीय परिवर्तित योजना)– इस योजना की अनुमानित लागत रू. 66.27 करोड़ है जिसमें से 18.52 लाख केन्द्र भाासन ने कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर कम्पोनेंट के लिये मुक्त किये गये है। छत्तीसगढ़ राज्य के पांच नगरों – रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग एवं कोरबा को चयनित किया गया है जिसके तहत चयनित नगरों के लिये डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।

संचालनालय स्तर पर स्टेट नोडल अधिकारी के अधीनस्थ NUIS सेल का गठन किया गया है तथा चयनित नगर की स्थानीय निकायों में भी NUIS सेल स्थापित कराया गया है। नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार, भाहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रि ाक्षण कार्यक्रम में संचालनालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रि ाक्षित कराया गया है, तथा चयनित पांचों नगरों के स्थानीय निकायों के 9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी प्रि ाक्षित कराया गया हैं।

राश्ट्रीय भाहरी सूचना प्रणाली (एन.यू.आई.एस.) के तहत चयनित पांचों नगरों के सर्वेक्षण कार्य हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार, देहरादून को कार्य दिया गया है। जिसके तहत दुर्ग भिलाई का कार्य पूर्ण कर कोरबा नगर में कार्य प्रारंभ किया गया है तथा कोरबा एवं बिलासपुर में प्रिसे ान जी.पी.एस. स्टे ान पाईन्ट बनाया गया है।

21ण्5 विशेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन–

ऐसे नगर जो अपने आप में कुछ वि ोशता लिये हों तथा जिनका विकास आव यक हो ऐसे नगरों के लिये वि ोश क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित है जिसके तहत (1) तमनार जिला–रायगढ़ (2) गोरवानी जिला–रायगढ़ एवं (3) सीपत जिला–बिलासपुर के प्रस्ताव भाासन के समक्ष वि ोश क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन हेतु भेजे गये हैं।

छ.ग. अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 का सफल कियान्वयन किया जा रहा है। आज दिनांक तक नियमितिकरण मद में कुल रू. 200.78 लाख की रा ि ा जमा की गई है।

तालिका क्र. – 21.1
अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	कुल अधिरोपित शास्ति राशि लाख रू.में	वसूल गई राशि लाख रू.में	वसूली शेष राशि लाख रू.में
1	रायपुर	**4213**	**2951**	1262	1475.82	213.28	1262.54
2	बिलासपुर	914	361	553	102.99	23.47	79.52
3	दुर्ग	57	57	-	1.90	1.90	-
4	कोरबा	252	69	183	5.18	3.87	1.31
5	जगदलपुर	374	374	-	87.09	11.20	75.88
6	राजनांदगांव	172	18	154	1.09	1.09	-
7	धमतरी	331	331	-	67.29	0.79	66.50
8	रायगढ़	376	376	-	33.94	1.60	32.35
9	अम्बिकापुर	190	34	156	5.69	1.53	4.15
	कुल योग	6879	4571	2308	1780.99	258.73	1522.25

नया रायपुर विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के प चात् रायपुर भाहर को राज्य की राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया। राजधानी के अनुरूप भाहर के विकास की आव यकताओं को देखते हुए आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नई राजधानी निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम ,1973 की धारा 64 के अधीन **राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण** (काडा) का गठन किया जिसका नाम परिवर्तन कर **"नया रायपुर डेव्हलेपमेंट अथारिटी"** किया गया।

21.6 नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के अधीन संचालित योजनाएं एवं विकास–

- **नया रायपुर क्षेत्र का विकास**– राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 61 ग्रामों को अधिसूचित कर निवे ा क्षेत्र का गठन किया गया था। भाासन की अधिसूचना क्रं 322/1274/32/2002 रायपुर दिनांक 19.02.2007 से इसमें से 20 ग्रामों को एन.आर.डी.ए. से पृथक करते हुए सीमाएं सं ाोधित की गई हैं। वर्तमान में एन.आर.डी.ए के अंतर्गत 41 ग्राम भाामिल हैं।

- **नया रायपुर विकास योजना**– उपरोक्त 41 ग्रामों को भाामिल करते हुए "नया रायपुर" उप नगर के नियोजन के लिए वि ोशज्ञ परामर्श ादाता की सेवाएं प्राप्त की गईं। नया रायपुर डेव्हलेपमेंट अथारिटी द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत "नया रायपुर विकास योजना प्रारूप 2031" की अधिसूचना क्रं 1105/एन आर डी ए/2007, दिनांक 19 मार्च 2007 द्वारा जारी की गई तथा आपत्तिया आमंत्रित की गई। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई इस हेतु गठित समिति द्वारा की गई तथा अपनी अनु ांसा दी गई है। आपत्तियों पर निर्णय हेतु अनु ांसा को ध्यान में रखते हुए विकास योजना को सं ाोधित कर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम 1973 की धारा 19 के अंतर्गत अंतिम प्रका ान हेतु प्रस्ताव भाासन को प्रेशित किया गया।

- **केपिटल काम्पलेक्स** – "नया रायपुर" में केपिटल काम्पलेक्स का क्षेत्रफल लगभग 78.50 हेक्टर है। केपिटल काम्पलेक्स के अंतर्गत मंत्रालय भवन, विभागाध्यक्षों के कार्यालय, विधान सभा के निर्माण एवं

स्थल विकास, लेन्ड स्केप, पौधारोपण, पहुॅच मार्गों तथा वाहन पार्किंग के कार्य भाामिल हैं। सर्वप्रथम मंत्रालय भवन का निर्माण कार्य ही प्रारम्भ किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

(अ) भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल – 6,70,000 वर्ग फीट।
(ब) भवन में प्रावधान – भवन ब्लाको की संख्या 05 होगी

ब्लाक कं 01 – (जी + 5) मुख्य मंत्री एवं मंत्रियों के लिए–
मुख्य मंत्री मंत्रालय पॉचवे तल पर स्थित है, जिसमें मुख्यमंत्री कक्ष तथा मुख्यामंत्री मंत्रालय के सचिव, उपसचिव एवं अवर सचिव के लिए 6 कक्ष, मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले अतिथियों के लिए वेटिंग अतिथि कक्ष भाामिल है। मंत्रियों के लिए कक्षों की संख्या 26 है। इस ब्लाक में एक केबनिट हाल, एक कान्फ्रेन्स हाल, तथा भूतल में एक्जिवि ान हाल का प्रावधान है।

ब्लाक कं 02 – (जी + 4) सेकेटरीज ब्लाक–
इस ब्लाक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों के लिए 29 कक्षों का प्रावधान किया गया है। वि ोश सचिवों उपसचिव एवं अवर सचिवों के लिए अलग से प्रावधान है। इसमें 3 कान्फ्रेन्स हाल, 1 मीटिंग हाल तथा एक केंटिन का प्रावधान है।

ब्लाक कं 03 – (जी + 3) मंत्रालय कर्मचारी के लिए–
इस ब्लाक में मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए 72 हाल का प्रावधान है।

ब्लाक कं 04 – (जी + 2) एन्सलेरी ब्लाक–
इस ब्लाक में मंत्रालय से संबंधित सुरक्षा गार्ड, पम्प स्टे ान, बिजली के पैनल वार्ड, पैनल रूम, बिजली सबस्टे ान, फायरफायटिंग एवं उनसे संबंधित कार्यालयों का प्रावधान है।

ब्लाक कं 05 – (जी + 5) लाबी ब्लाक–
इस ब्लाक में लाबी का प्रावधान किया गया है जो भवनों के चारो ब्लाकों को जोड़ती है।

भवन की वि ोशताएं हैं–

- पूर्ण भवन में 30 प्रति ात क्षेत्रफल केन्द्रीय वातानुकुलित है तथा 70 प्रति ात क्षेत्र केन्द्रीय एयरकुल है।
- 13 लिफ्टों का प्रावधान किया गया है।
- अत्याधुनिक अग्नि भाामक यंत्रों का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए कम्प्यूटर पाईन्ट दिया गया है।
- अग्नि रक्षात्मक दरवाजों का प्रावधान है।
- हाईग्रेड एल्यूमिनियम पावडर कोटेड एल्यूमिनियम सेक ान निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित एल्युमिनियम सेक्सन का प्रावधान है।
- भवन के तापमान कंट्रोल के लिए भवन के चारों तरफ कांक्रीट की दीवार का कटआऊट के साथ का निर्माण किया जावेगा तथा छत पर सेरेमिक क्रेजी टाइल्स का प्रावधान किया गया है जो भवन के अंदर तापमान कम करने में सहायक होगा।
- भवन के चारों तरफ पौधा रोपण एवं प्राकृतिक छटा का विस्तृत प्रावधान है।

मंत्रालय भवन निर्माण हेतु मेसर्स आई.व्ही.आर.सी.एल. लिमिटेड, हैदराबाद को रू. 179.12 करोड़ की स्वीकृति नवम्बर, 2007 को दी गई, तथा अनुबंध निश्पादित कर कार्यादे ा जारी किया गया है। कार्य दिनांक 21 जनवरी 2008 को प्रारंभ किया गया। निर्माण अवधि 24 माह रखी गई है। उपरोक्त निर्माण कार्य का गुणवत्ता एवं समयबद्वता पर नियंत्रण रखने हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में मेसर्स हास्पिटेक मैनेजमेंट कन्सल्टेंट प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली से अनुबंध निश्पादित किया गया। अनुबंध उपरान्त से कार्यादे ा जारी किया गया है।

- **सड़क निर्माण–**

नया रायपुर की विकास योजना के अंतर्गत कुल 219.71 किलो मीटर लंबाई के मार्गो का निर्माण किया जाना है, जिसकी चौडाई 100 किलो मीटर से लेकर 40 मीटर तक होगी जिसमें 8 लेन एक्सप्रेस–वे एवं 6–लेन मार्गो के दोनो और पर सर्विस लेन एवं डेडिकेटेड बस का प्रावधान है। इसमें से प्रथम चरण में नये 4–लेन मार्ग निर्माण की योजना में 67.00 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु कार्य को दो पैकेज में विभक्त कर निविदा आमंत्रित की गई। पैकेज–I के अंतर्गत कुल 32 कि.मी. एवं पैकेज–II के अंतर्गत कुल 35 कि.मी. लम्बाई की सड़को को सम्मिलित किया गया है। निर्माण में 4–लेन मार्ग, राश्ट्रीय राज्य मार्ग 6 पर इंटरचेंज एवं राश्ट्रीय राजमार्ग 6 एवं 43 पर ग्रेट–सेपरेटर, अण्डरपास तथा पुल एवं पुलियों को निर्माण आदि सम्मिलित किये गये है। पैकेज–I एवं पैकेज–II के निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम दर मेसर्स बी. सिनैया एण्ड कंपनी (प्रोजेक्टस) लिमिटेड, हैदराबाद से प्राप्त हुई। पैकेज–I के लिए रू. 157.63 करोड़ एवं पैकेज–II के लिए रू. 144.96 करोड़ की स्वीकृति देते हुई अनुबंध निश्पादित कर कार्यादे ा जारी किया गया है। निर्माण की अवधि 24 माह रखी गई है।

उपरोक्त निर्माण कार्य की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा गुणवत्ता एवं समयबद्वता पर नियंत्रण रखने हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में मेसर्स सेलाडिया एसोसियेट्ट, Inc,USA से अनुबंध निश्पादित किया गया। कार्य प्रगति पर है।

- **आपसी सहमति से भू–अर्जन–**

नया रायपुर के अंतर्गत माह जनवरी 2008 तक कुल 2025.291 हेक्टेयर निजी भूमि आपसी सहमति के तहत् क्रय कर ली गई है तथा उक्त हेतु रू. 278.18 करोड़ रा ि ा भूमि स्वामियों को मुआवजा के रूप में दी गई। भूमि के अर्जन हेतु राज्य भाासन द्वारा वर्श 2006–07 में रा ि ा रूपये 500 करोड़ का ऋण एन.आर.डी.ए. को उपलब्ध कराया गया है।

- **नया राखी का निर्माण–**

"नया रायपुर" योजना के अंतर्गत अपरिहार्य कारणों से अन्य कोई विकल्प न उपलब्ध होने पर किये जाने वाले व्यवस्थापन के पुनर्वास के लिये राखी ग्राम के समीप "नया राखी" का निर्माण/विकास छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें कुल 255 भवनों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से 150 भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निविदा मूल्य रू. 975.52 लाख है, जिसके विरूद्व नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा रू. 534.26 लाख की रा ि ा गृह निर्माण मण्डल को वितरित गई। अभी तक लगभग रू. 300.00 लाख का निर्माण कार्य किया गया।

- **नया रायपुर आवासीय परिसर –**

नये रायपुर में मंत्रालय भवन के समीप भाासकीय, अर्द्व ाासकीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनसामान्य के लिए आवास गृह निर्माण की परियोजना के कियान्वयन का दायित्व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को सौंपा गया है। इस हेतु विस्तृत परियोजना तैयार की गई तथा फरवरी 2008 से पंजीयन प्रांरभ किया गया। योजना के अंतर्गत 50 प्रति ात आवास, जिसमें एकल भवन और फ्लैट्स दोनों प्रकार के भवन हैं भाासकीय, अर्द्व ाासकीय अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है।

- विभाग प्रमुखों हेतु भवन के निर्माण हेतु प्राक्कलन, ड्राईग डिजाईन एवं निविदा भार्ते आदि बनाने की प्रक्रिया पूर्णता की और है।

- **जल प्रदाय एवं सिवरेज–**

नये रायपुर के लिए वर्श 2041 की आव यकता हेतु जल प्रदाय योजना का डी.पी.आर. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है। योजना की कुल लागत रू. 239.18 करोड़ अनुमानित है। योजना वर्श 2011 में 34 एम.एल.डी. 2026 में 93 एम.एल.डी., तथा 2041 में 122 एम.एल.डी. जल की आव यकता की पूर्ति तैयार की गई है। योजना के लिए महानदी से प्रथम चरण में ग्राम टीला के समीप जल संसाधन विभाग द्वारा एनीकट तैयार किया जावेगा उक्त एनीकट से पानी 23 कि.मी. पाइपलाइन द्वारा नया रायपुर में प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट तक पहुचाया जावेगा। जल प्रदाय को सिवरेज की योजना पब्लिक पाइवेट पार्टनरशि प के आधार पर लागू करने के लिए परियोजना तैयार कर बिड आंमत्रित हेतु दस्तावेज तैयार करने तथा बिड प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए नया रायपुर डेव्हलमेंट अथारिटी द्वारा आई.टी.एफ.सी. को सलाहकार नियुक्ति किया गया है।

- **विद्युत व्यवस्था–**

नया रायपुर के लिए विद्युत व्यवस्था करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा सर्वेक्षण कर विस्तृत योजना बनाई जा रही है।

- **दूरसंचार –**

नया रायपुर में अत्याधुनिक दूरसंचार सुविधा स्थापित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशि प के आधार पर मॉडल तैयार करने के लिए मेसर्स दारा ॉ एण्ड कंपनी मुम्बई को सलाहकार नियुक्ति किया गया है। उनके पराम र्श से एक्सप्रे ान ऑफ इन्ट्रेस्ट आमंत्रित किये गये, जिसमे प्रतिश्ठित सेवादाताओं द्वारा रूचि प्रद िात कर पी.पी.पी. मॉडल सुझाए गये।

- **रेलवे से जुड़ाव –**

नया रायपुर की रेल्वे कनेक्टिवटी स्थापित करने के लिए प्री–फीजिलीबिलिटी स्टडी करने हेतु राज्य भाासन द्वारा राइट्स लिमिटेड से अध्ययन कार्य कराने हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी को अधिकृत किया गया है। राइट्स लिमिटेड द्वारा सर्वेक्षण और अध्ययन किया जा रहा है।

- जवाहरलाल नेहरू अरबन रिनीवल मि ान के अंतर्गत नया रायपुर को मि ान सिटी के रूप में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मि ान के गाईडलाइन के अनुसार नया रायपुर के लिए सर्वप्रथम सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कराना आव यक है, जिस हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर न्यूनतम दर दाता में कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेस की दरें स्वीकृत की गई। सी.डी.पी. (City Development Plan) भीघ्र तैयार कर भारत सरकार की स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

- ग्लोबल इन्वारमेंट फेसीलिटी के अंतर्गत दे ा के 8 भाहरों को जिसमें नया रायपुर भी सम्मिलित है, डिमॉस्ट्रे ान सिटी के रूप में चयनित किया गया है। उक्त परियोजना के अंतर्गत बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा उससे संबंधित परियोजना तैयार करने एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आई.डी.एफ.सी. को परार्म ादाता नियुक्ति किया गया है। उनके द्वारा परियोजना तैयार की जा रही है।

- वि ोश क्षेत्र विकास प्राधिकारी की अचल संपत्ति के व्ययन हेतु नियम नही बनाये गए हैं। छत्तीसगढ़ वि ोश क्षेत्र (भूमियों तथा संपत्तियों का व्ययन) नियम, 2007 के आधार पर प्रारूप तैयार किया गया हैं। इसकी विधिक स्वीकृत के उपरान्त राजपत्र में प्रका ात किया जावेगा।

- **वाणिज्यि एवं सार्वजनिक/अर्द्वसार्वजनिक कार्यालय–**

नया रायपुर में सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रीक तथा ऑफिस काम्पलेक्स के प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाईन, बिड प्रोसेस मैनेजमेंट हेतु पराम र्श दाताओं में प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। चयन की प्रक्रिया जारी है। चयनित पराम र्शदाता द्वारा तैयार किये डिजाईन की स्वीकृति के बाद विकास कार्य कीये जावेंगे।

21ण्7 परियोजना विकास–

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड तथा नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के मध्य नया रायपुर में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशि ाप के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु जुलाई, 2006 मेमोरेण्डम आफ एग्रीमेंट को निश्पादित किया गया। उक्त अनुबंध के अनुसार नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी तथा आई.एल.एण्ड.एफ.एस. की ग्रुप कंपनी के साथ एक स्पे ाल परपज कंपनी का गठन किया गया है।

"नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड" नामक उक्त स्पे ाल परपजकंपनी के चेयरमेंन, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के अध्यक्ष हैं।

नया रायपुर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट कंपनी प्रायवेट लिमिटेड के माध्यम से–

- इनफॉरमे ान टेक्नोलॉजी स्पे ाल इकॉनामिक जोन,
- फाइव स्टार होटल एवं कन्वे ान सेंटर विथ कमर्शि ायल फैसेलिटिज,
- थीम टाउनशि ाप विथ गोल्फ कोर्स एवं
- लाजिस्टिक हब की परियोजनाओं को पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशि ाप के आधार पर विकसित किया गया है। प्रथम तीन परियोजनाओं के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा बिड आमंत्रित करने हेतु प्रतिश्ठित निवे ाकों ने आर.एफ.पी. दस्तावेज क्रय किया। थीम टाउन ाीप विथ गोल्फ कोर्स परियोजना के लिए निर्धारित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। लाजिस्टिक हब की परियोजना तैयार की गई है जिनका आर.एफ.पी. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा भीघ्र जारी किया जावेगा। इनफारमे ान टेक्नोलॉजी स्पे ाल इकॉनामिक जोन एवं फाइव स्टार होटल एवं कन्वे ान सेंटर विथ कमर्शि ायल फैसेलिटीज के लिये आर.एफ.पी. को सं ाोधित कर पुनः जारी किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवे ा अधिनियम 1973 की धारा 38 में यह प्रावधान है की ऐसे क्षेत्र के लिए जो कि अधिसूचना में विनिर्दिश्ट किया जाए, नगर तथा ग्राम निवे ा प्राधिकारी का गठन किया जावेगा। मध्यप्रदे ा राज्य में पुर्नगठन के समय रायपुर तथा बिलासपुर में विकास प्राधिकरण गठित थे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के प चात दोनों प्राधिकरणों का विघटन कर समस्त आस्तियों एवं दायित्वों को संबंधित नगर पालिका निगम में निहित किया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण की 2004 से पुनः स्थापना की गयी तथा रायपुर विकास प्राधिकरण की आस्तियां एवं दायित्व नगर निगम रायपुर से रायपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुई।

21.8 रायपुर विकास प्राधिकरण की गतिविधियां– नगर विकास स्कीम तैयार करना जिसमें–

- नगर विस्तार के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन, उसका विकास तथा विक्रय या उसका पट्टा पर दिया जाना।
- ऐसे क्षेत्रों का जिसका दोशपूर्ण ढंग से अभिन्यास किया गया हो या जो इस प्रकार विकसित हुये हो जिससे गंदी बस्ती बन गई हो, अर्जन का पुनः अभिन्यास पुननिर्माण या पुनः स्थानीयकरण।

- गृह निर्माण के विकास, बाजार–केन्द्रों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्र ाासनिक केन्द्रों के विकास जैसे लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास।
- वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का अर्जन तथा विकास।
- ऐसा निर्माण या सन्निर्माण कार्य हाथ में लेना जो गृह निर्माण संबंधी, बाजार संबंधी, वाणिज्यिक अन्य सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिये आव यक हो।
- मार्ग तथा सड़क के प्रतिरूपों का अभिन्यास करने या उनका पुनः प्रतिरूप करने (रिमाडलिंग) के प्रयोजन के लिये भूमि के अर्जन तथा उसका विकास।
- खेल के मैदानों, उपवनों आमोद प्रमोद के केन्द्रों तथा कीड़ांगनों के लिए भूमि का अर्जन तथा विकास।
- भवनों, मार्गो, नालियों, मल–वहन लाईनों तथा अन्य वैसी ही सुख सुविधाओं के प्रयोजन के लिए प्लाटों का पुर्नगठन।
- इस प्रकार का कोई अन्य कार्य जिससे परिवे ा संबंधी सुधार हो सकते हो, जो कि प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आरंभ किया जा सकेगा।

- राज्य प्रवर्तित डॉ. भयामाप्रसाद आवास योजना के अंतर्गत न्यून निम्न आय वर्ग के लिए मकानों का निर्माण।
- रायपुर विकास योजना के तहत भाहर का विकास।
- रायपुर विकास योजना में प्रस्तावित रिंग रोड़ क्रमांक 3 एवं 4 का निर्माण व विकास।

21.9 विकास एवं निर्माण संबंधी जानकारी–

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में किये गये एवं किये जा रहे विकास/निर्माण की जानकारी निम्नानुसार हैः–

- देवेन्द्र नगर योजना सेक्टर 4–5 में 6.51 लाख की लागत से बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है। इसी योजना में खुले क्षेत्र में 27.70 लाख की लागत से पाथवे का निर्माण कराया जा रहा है जो प्रगति पर है।

- देवेन्द्र नगर व्यावसायिक परिसर (पुराना कपड़ा मार्केट) में 1.69 लाख की लागत से जल प्रदाय व्यवस्था का कार्य एवं 4.39 लाख की लागत से रोड़, नाली, पुलिया का कार्य पूर्ण कराया गया है। महालक्ष्मी क्लाथ मार्केट में 10.83 लाख की लागत से डब्लू.बी.एम.रोड़ का कार्य प्रारंभ किया जाना है साथ ही 25.11 लाख की लागत से डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

- देवेन्द्र योजना के सेक्टर 5 एवं पंडरी रोड से भम ाानघाट तक 28.48 लाख की लागत से बाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है साथ ही 70.21 लाख की लागत से भोश बाह्य विकास का कार्य प्रारंभ किया जाना है।

- कटोरातालाब योजना में मुख्य मार्ग से टिकरापारा तक 19.01 लाख की लागत से विद्युत व्यवस्था का कार्य पूर्ण कराया गया है। इसी योजना में 117.71 लाख की लागत से नाली, पुलिया एवं कांक्रीट रोड का निर्माण कराया जा रहा है जो प्रगति पर है। कटोरातालाब योजना सेक्टर–7 में 23 लाख की लागत से बाह्य विद्युतीयकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है साथ ही 108 फ्लैटस में जलप्रदाय की व्यवस्था 2.49 लाख की लागत से पूर्ण की गई है।

- विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया है साथ ही 108 फलैटस में जलप्रदाय की व्यवस्था 2. 49 लाख की लागत से पूर्ण की गई है।

- कटोरातालाब सेक्टर 1,5 एवं भौलेन्द्र नगर योजना में खुले क्षेत्र में 6.92 की लागत से पाथवे का निर्माण 11.34 लाख की लागत से चारदीवारी का निर्माण 5.71 लाख की लागत से डब्लू.बी.एम. का निर्माण एवं पंकज विकम परिसर से इ योरेंस बिल्ड़िग तक 10.90 लाख की लागत से मार्ग विभाजन का निर्माण 75 प्रति ात कार्य पूर्ण कराया गया है।

- राजेन्द्र नगर योजना खुले क्षेत्र में 2.38 लाख की लागत से बाउण्ड्रीबाल का निर्माण पूर्ण कराया गया तथा 4.86 लाख की लागत से नाली एवं कांक्रीटीकरण का कार्य किया जाना है।

- हनुमान मंदिर योजना 4.37 लाख की लागत से कांक्रीटीकरण 19.92 लाख की लागत से कार्यालय भवन में कक्ष का निर्माण एवं 3.01 लाख की लागत से विद्युत पेनल बोर्ड का प्रदाय एवं स्थापना का कार्य पूर्ण कराया गया है।

- भाारदा चौक योजना के अंतर्गत 1.14 लाख लागत से 3 छोटी दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसका व्ययन भीघ्र ही किया जाना है। इसके अतिरिक्त पुराने भवनों का मरम्मत कार्य भी कराया गया है।

- बाम्बे मार्केट योजना के अंतर्गत ब्लाक सी के प्रथम तल पर स्थित कार्यालय भवन का सुधार का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त 61.86 लाख की लागत से ब्लाक ए एव ंबी के द्वितीय तल पर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य किया गया है जिसका निविदा के माध्यम से निर्वतन किया जाना है।

- भाहीद वीर नारायणसिंह व्यावसायिक परिसर में स्थित नगर घड़ी को डिजीटल करते हुए 3. 64 लाख की लागत से घड़ी का प्रदाय एवं सौपने का कार्य किया जाना है।

- प्राधिकरण की देवेन्द्र नगर/कटोरातालाब एवं भौलेन्द्र नगर योजना में कार्य हेतु सुरक्षित क्षेत्र में चारदीवारी का निर्माण किया जा कर पार्क विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

- प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के मुख्य मार्गो में रोड डिवाइडर का कार्य पूर्ण करा वृक्षारोपण का कार्य कराया जा रहा है तथा इसी में विद्युत व्यवस्था भी की गई है।

उपरोक्त आवासीय योजना में विकास कार्य पूर्ण कर संधारण हेतु नगर निगम रायपुर को हस्तान्तरित करने हेतु पत्राचार किया गया है। वर्श 1992 में देवेन्द्र नगर सेक्टर 1 से 3 टिकरापारा एवं जलविहार की कालोनी का हस्तान्तरण नगर निगम, रायपुर को किया जा चुका है।

डॉ. खूबचंद बघेल ट्रांसपोर्ट नगर योजना रांवाभाठा—

इस योजना हेतु रांवाभाठा में 98 एकड़ भाासकीय भूमि को 131.25 लाख की लागत से समतलीयकरण कर डॉ. खूबचन बघेल के नाम से ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जा रहा है। इस योजना को पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है। इस योजना में विकसित किये गये विभिन्न प्रकार के भूखंडों का आंबटन प्रथम आया, प्रथम पाया के आधार पर किया गया है। स्वीकृत अभिन्यास में बड़े आकार के भूखंडो को छोटे भूखंडों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है ताकि खमतराई से रांवाभाठा के बीच ट्रांसपोर्ट संबंधित कार्य करने वाले लोगों को भूखंडों का आबंटन किया जा सके।

सिटी सेंटर कम मल्टीप्लेक्स—

देवेन्द्र नगर योजना के अंतर्गत 5.70 एकड़ भूमि पर बी.ओ.ओ.टी. पद्धति से सिटी सेंटर कम मल्टीप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य मेसर्स गुप्ता इन्फास्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा.लि.

नागपुर द्वारा किया जा रहा है। निर्माण हेतु अनुज्ञा मई 2006 को प्राप्त हुई है तथा जून 2006 से मिट्टी खुदाई का कार्य प्रारंभ है। कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 10 नवम्बर 2008 के पूर्व है। उक्त कार्य से प्राधिकरण को 41 करोड़ 51 लाख रू. चार वर्शो में भुगतान लाइसेन्स फीस के रूप में प्राप्त होगी। प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की रा‍ि ा प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को प्रब्याजि रा‍ि ा का 6.5 प्रति ात वार्शिक दर से भूभाटक प्राप्त होगा। साथ ही 4,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र भी प्राप्त होगा। वर्तमान में दोनों बेसमेंट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्रथम तल का कार्य 90 प्रति ात पूर्ण हुआ है।

डॉ. भयामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना–

यह योजना राज्य प्रविर्तित है जिसके अंतर्गत भाासन द्वारा वर्श 2005–06 में 2000 मकान एवं 2006–07 में 3000 मकान निर्मित करने का लक्ष्य प्राधिकरण को दिया गया। उक्त योजना हेतु भाासकीय भूमि रियायती दर पर प्राधिकरण को प्राप्त होना है जिस पर 1.25 लाख की लागत वाले मकान न्यून निम्न आय वर्ग जिनकी वार्शिक आय 72 हजार रू. या उससे कम है के लिए निर्मित करना है।

- ग्राम हीरापुर में प्राप्त 8.13 एकड़ भूमि पर 816 फलैट् का निर्माण पूर्ण किया जाकर लाटरी से आबंटन किया गया है तथा बाह्य विकास का कार्य पूर्णता पर है इस हेतु हुडको से ऋण लिया गया।
- ग्राम सरोना में 300 फलैट् का निर्माण चार ग्रुप में कराया जा रहा है जो पूर्णता पर है। इस हेतु पंजीयन कराया जा चुका है तथा पात्र पंजीयनकरताओं को लाटरी से आबंटन किया जाना है। पात्र पंजीयनकर्ताओं की सूची आबंटन समिति को भेजी जा चुकी है।
- ग्राम रायपुर में भाासन से प्राप्त 7.53 एकड़ भूमि पर 972 फलैट्स का निर्माण कार्य प्रारंभ कर विकास कार्य हेतु कार्यादे ा दिया जा चुका है। इस कार्य हेतु हुडको से ऋण लिए जाने की कार्यावाही की जा रही है। योजना क्षेत्र में व्यावसायिक परिसर निर्माण की निविदा की कार्यावाही भी की जा चुकी है। प्लैट आबंटन हेतु पंजीयन की कार्यावाही प्रारंभ है।
- ग्राम बोरियाखुर्द में 1800 प्लैट् निर्माण की योजना है जिसकी अनुमानित लागत रू. 31.60 करोड़ है। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है निर्माण हेतु हुडको से ऋण लेने की कार्यावाही की जा रही है। फलैटों के लिए पंजीयन जारी है।

गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर योजना–

रायपुर विकास प्राधिकरण की कटोरातालाब योजना सेक्टर –7 के अंतर्गत 44,162 वर्गफीट क्षेत्रफल पर व्यासायिक परिसर का निर्माण करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवम्बर को भूमि पूंजन किया गया। भूतल पर विभिन्न प्रकार के 80 दुकानों का निर्माण किया जाकर विक्रय किया जा चुका है। प्रथम तल पर कार्यालय भवन का निर्माण कर केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को आबंटित किया गया है। द्वितीय एवं तृतीय तल पर भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसकी अनुमानित लागत 334.00 लाख है। उक्त योजना में पर्याप्त पार्किंग, दो लिफट, पृथक–पृथक ब्लाक हेतु सीढ़ी की व्यवस्था के साथ–साथ पानी एवं बिजली की पूरी व्यवस्था उपलब्ध होगी।

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर–

कटोरातालाब सेक्टर 6 एवं 7 के मध्य प्राधिकरण के स्वामित्व की 51,500 वर्गफुट भूमि पर भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु अभिन्यास का अनुमोदन नगर तथा ग्राम निवे ा से हो चुका है। योजना के अनुमानित लागत 7.94 करोड़ है। उक्त योजना के बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर विभिन्न प्रकार के 71 दुकाने, प्रथम तल पर विभिन्न आकार के 57 दुकानों एवं द्वितीय तल पर 18,353 वर्गफीट कार्यालय भवन निर्माण की योजना है। वर्तमान में बेसमेंट की खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

कु ााभाऊ ठाकरे आवास योजना–

प्राधिकरण की कटोरातालाब योजना के अंतर्गत राजेन्द्र नगर क्षेत्र में उपलब्ध 1.71 एकड़ भूमि पर चार ग्रुप में विभिन्न आकार के 108 फलैट् का निर्माण कराया गया है। उक्त योजना की कुल लागत रू. 7.24 करोड़ है। इस हेतु 6.53 करोड़ का ऋण हुडकों से लिया गया है। उक्त प्लैट का आबंटन सभी पंजीकृत व्यक्तियों को किया जा चुका है।

तेलीबांधा तालाब का सौदर्यीकरण का कार्य–

रायपुर नगर स्थित तेलीबांधा तालाब का सौदर्यीकरण किये जाने हेतु भाासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 505.21 लाख है। योजना के अंतर्गत तालाब से लगे हुए दो उद्यानों के सौदर्यीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

21.10 प्राधिकरण की भावी योजनाएं–

- कोटा, चिरहुलडीह आवासीय योजना।
- तेलीबांधा आवासीय योजना।
- सड्डू आवासीय योजना।
- डूमरातराई आवासीय योजना।
- भाठागांव आवासीय योजना।
- रायपुरा आवासीय योजना।
- रायपुरा में स्नो हाउस का निर्माण।
- रायपुरा में अर्न्तराश्ट्रीय स्तर पर स्वींमिग पुल का निर्माण।
- रायपुरा विकास योजना में प्रस्तावित रिंग रोड न. 3 एवं 4 का निर्माण एवं उसके आस–पास की भूमिका अर्जन एवं विकास।

अध्याय – 22
वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास

राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के कुशल नेटवर्क की भी कमी हैं। नवप्रवर्तकीय ज्ञानसंपदायुक्त प्रशिक्षित अमला भी भविष्य की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु अत्यावश्यक है। साईंस सिटी की स्थापना, अनुसंधान एवं विकासीय गतिविधियां, केन्द्रीय प्रयोगशाला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन केन्द्र एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम सुविधा द्वारा प्रदेश के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधार्थी आदि को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस हेतु राज्य में विज्ञान एवं तकनीकी विकास परिषद की स्थापना की गई है। राज्य की वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियॉ निम्नानुसार हैं–

22.1 विज्ञान का लोकव्यापीकरण–

विद्यार्थियों एवं जनमानस में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, उनमें विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित करने एवं दैनिक जीवन में विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं जिससे मुख्य रुप से बाल तथा युवा छात्र–छात्राऐं, विज्ञान शिक्षक/अध्यापक, शिक्षाविद् एवं आम नागरिक लाभान्वित होते हैं।

साईंस सिटी की स्थापना–

समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता निर्मित करने, खेल–खेल में परस्पर गतिशील विज्ञान गतिविधि केन्द्र विकसित करने, लोक सराहना तथा समझ विकसित किए जाने हेतु आश्चर्यकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शन आयोजित करने, वस्तुनिष्ठ विज्ञान शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने, बाल एवं युवा वैज्ञानिकों, छात्र–छात्राओं में विज्ञान के प्रति उत्कंठा एवं अभिचेतना जागृत करने, सामान्य जन व विज्ञान विकास के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने तथा विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं गणमान्य नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से साईंस सिटी की स्थापना की जा रही है।

प्रथम चरण में रीजनल साईंस सेन्टर की स्थापना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रू. 6.5 करोड़ की लागत से रीजनल साईंस सेन्टर की स्थापना हेतु ग्राम दलदल सिवनी में साईंस सिटी की स्थापना हेतु प्रदत्त 40 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ भूमि पर एन.सी.एस.एम. द्वारा रूपांकित रीजनल साईंस सेन्टर के भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर द्वारा आरंभ किया गया है।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस–

इस गतिविधि का उद्देश्य कनिष्ठ वर्ग (10 से 14 वर्ष) तथा वरिष्ठ वर्ग (14^{+} से 17 वर्ष) समूह के छात्र–छात्राओं को अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने, स्थानीय विषयों को समझने, उन्हें हल करने, प्रयोग एवं विज्ञान विधि के इस्तेमाल करने, खोजी प्रक्रिया को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक चेतना को झकझोरने तथा प्रयोग, आंकड़ा संकलन, शोध विश्लेषण का अवसर प्रदान करना है। यह गतिविधि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

प्रदेश में प्रथम बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2002–03 में किया गया। बाल विज्ञान कांग्रेस प्रति वर्ष एक मुख्य कथानक एवं उसके उपविषयों पर आयोजित की जाती है। वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में "भोजन प्रणाली सबके पोषण हेतु", वर्ष 2004–05एवं 2005–06 में "जल संसाधन बचायें सुरक्षित भविष्य के लियें", वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में "जैव विविधताः प्रकृति बचायें भविष्य संवारे" विषयों पर आयोजित की गई। बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजनों की प्रगति को तालिका क्र.–22.1 में द ाया गया है

तालिका क्र.–22.1

बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजनों की प्रगति

वर्ष	राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस		राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हेतु चयनित संख्या	भारतीय विज्ञान कांग्रेस में सहभागी
	आयोजक जिले	बाल वैज्ञानिक संख्या		
2002-03	10	49	10	2
2003-04	11	55	12	2
2004-05	12	59	12	2
2005-06	14	66	13	2
2006-07	14	62	13	2
2007-08	14	60	14	_

छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस

राज्य के नवप्रवर्तकीय अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने तथा युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में शोध कार्य कर रहे प्रदेश के 32 वर्ष से कम उम्र के युवकों तथा 35 वर्ष से कम उम्र की युवतियों द्वारा एग्रीकल्चरल सांईस, वेटर्नरी सांईस एवं एनीमल हसबेण्ड्री, बिहैवियोरल सांईस, बायोसांईस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सांईस, केमेस्ट्री; अर्थसांईसेस के अन्तर्गत – जिओलॉजी, जियोग्राफी, ओशेनोग्राफी, मेटिरियोलॉजी एवं जिओफिजिक्स, इंजीनियरिंग सांईस एवं टेक्नॉलोजी, एनवायर्नमेन्टल सांईस, फॉरेस्ट्री, मैथेमेटिक्स, स्टॅटिस्टिक्स एवं कम्प्यूटर सांईस, मेडिकल सांईसेस के अन्तर्गत फार्मास्यूटिकल, होमसांईसेस के अन्तर्गत टेक्सटाईल, फूड एवं न्यूट्रिशन व चाइल्ड साईकोलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, बायोकेमेस्ट्री व बायोफिजिक्स चिन्हांकित 14 विषयों में से प्राप्त विषयों पर अनुसंधानात्मक शोधपत्रों का मूल्यांकनकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाता हैं। प्रत्येक विषय से चयनित युवा वैज्ञानिकों को प्रशस्ति पत्र व राशि रू. 1100 का नगद पुरस्कार तथा दो माह की अवधि के लिये किसी भी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में शोध कार्य के लिये अवसर प्रदान किया जाता है। निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के आयोजन निम्नानुसार तालिका क्र.–22.2 में प्रस्तुत किया गया है :–

तालिका क्र. – 22.2

छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के आयोजन

वर्ष	आयोजन सील	प्रस्तुत परियोजनाएं	पुरस्कृत युवा वैज्ञानिक
2002 – 03	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (2–3 सितम्बर 03)	64	11
2003 – 04	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (28–29 फरवरी 04)	80	13
2004 – 05	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (28 फरवरी एवं 01 मार्च 05)	104	14
2005 – 06	ठंदिरा गाधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (28 फरवरी एवं 01 मार्च 06)	66	14
2006 – 07	स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (28 फरवरी एवं 01 मार्च 07)	88	14
2007–08	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में (28–29 फरवरी 2008)	88	14

विज्ञान पहेली प्रतियोगिता–

विज्ञान पहेली प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य राज्य के कनिष्ठ वर्ग में 7वीं व 8वीं तथा वरिष्ठ वर्ग में 9वीं व 10वीं के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, विज्ञान के प्रति रूचि जागृत करना तथा वैज्ञानिक चिंतन व सृजनात्मक क्षमता का विकास एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना है। विज्ञान पहेली प्रतियोगिता कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन जिला, जोन, व राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष किया जाता है। राज्य स्तर पर भाग लेने वाले 60 प्रतिभागियों को प्रति छात्र रू. 300, किताब का सेट एवं राज्य स्तर पर चयनित 10 प्रतिभागियों को राशि रू. 2,000 नगद पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2002–03 से 2007–08 तक आयोजित विज्ञान पहेली प्रतियोगिता में कुल 6,889 छात्र–छात्रा लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय विज्ञान सेमीनार–

राष्ट्रीय विज्ञान सेमीनार का मुख्य उद्देश्य कक्षा दसवीं तक के छात्र–छात्राओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने तथा उनमें विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक एवं तार्किक चिंतन का विकास करना है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता द्वारा प्रायोजित मुख्य कथानक पर राष्ट्रीय विज्ञान सेमीनार का आयोजन राज्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर तथा सीकॉस्ट द्वारा प्रदेश में ब्लॉक, जिला, जोन तथा राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 2002–03 से 2007–08 तक कुल 06 छात्र–छात्राओं ने राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया तथा कुल 2,489 छात्र–छात्रा कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।

पश्चिम भारत विज्ञान मेला–

पश्चिम भारत विज्ञान मेले के आयोजन का उद्देश्य कक्षा आठवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं गणित विषय में सक्रिय भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना तथा उनकी रचनात्मकता को संपोषित करना हैं। मेले में विद्यार्थियों के लिये व्यक्तिगत एवं समूह प्रोजेक्ट प्रतियोगिता तथा शिक्षकों के लिये सहायक शिक्षण सामग्री का आयोजन चार चरणों : ब्लॉक, जिला, जोन एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्ष 2002–03 से 2007–08 तक 63 छात्र–छात्रा तथा 17 शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया गया।

विज्ञान पार्क, सामुदायिक विज्ञान क्लब एवं लोकप्रिय विज्ञान वाचनालय–

खेल–खेल में विज्ञान सीखने और सिखाने के लिए तथा दैनिक जीवन में उपयोगी वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से विज्ञान पार्क की स्थापना की गई है। प्रदेश में राज्य स्थापना से पूर्व स्थापित दो विज्ञान पार्क – विवेकानन्द विद्यापीठ, रायपुर तथा रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर में कार्यरत हैं विवेकानन्द विद्यापीठ विज्ञान पार्क, रायपुर के उन्नयन हेतु तथा जगदलपुर में विज्ञान पार्क की स्थापना हेतु परिषद द्वारा अनुदान प्रदान किया गया । विवेकानन्द विद्यापीठ विज्ञान पार्क में मुक्ताकाश (आउटडोर) में स्थापित विभिन्न मॉडल जैसे – ऊर्जा पहेली (Energy Maze), झुके हुए तल (Inclined Plane), घिरनियाँ और पेटियाँ (Pulies and Belt) आदि हैं। इसके अतिरिक्त इनडोर मॉडल्स जैसे – लेसर, क्लाईंबिंग स्पार्क, होलोग्राम, कॉर्नरक्यूब, टेलिस्कोप आदि हैं। ये मॉडल्स विज्ञान के मूल सिद्धान्तों पर आधारित हैं।

वर्ष 2002–03 में राज्य में 13 सामुदायिक विज्ञान क्लब तथा 6 सांईस बुक कार्नर कार्यरत थे जिन्हें परिषद द्वारा संपोषित किया गया। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में राज्य के प्रत्येक जिले में नये सामुदायिक विज्ञान क्लब तथा पॉपुलर साईंस बुक कॉर्नर स्थापित कर वर्तमान में सामुदायिक विज्ञान क्लब की संख्या 113 तथा पॉपुलर बुक कॉर्नर की संख्या 48 किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को राशि प्रदान की गई है।

विज्ञान प्रदर्शनी–

विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 9वीं से 12वीं तक विद्यालयीन छात्र/छात्राओं तथा शिक्षकों में वैज्ञानिक अभिवृत्तियाँ विकसित करना है ताकि उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक प्रासंगिकता और भावी वैज्ञानिकों को जिम्मेदारियों का एहसास प्रदान करना एवं साथ ही भावी एवं वर्तमान शिक्षकों के

अनुभव में वृद्धि करना है। यह प्रदर्शनी छात्रों और शिक्षकों को एक–दूसरे के अनुभव द्वारा सीखने में सहायता प्रदान करती है।

विज्ञान प्रदर्शनी कार्य{म के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिये प्रादर्श प्रतियोगिता, विज्ञान नाटिका, प्रश्न मंच, विज्ञान क्लब, विज्ञान सेमीनार प्रतियोगिताओं का आयोजन चार चरणों : विकासखण्ड, जिला, जोन एवं राज्य स्तर पर किया जाता है। विभिन्न स्तरों के आयोजन में अब तक 10,355 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। विज्ञान प्रदर्शनी कार्य{म का आयोजन राज्य ौक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परि ादद्व रायपुर द्वारा किया जाता है।

राश्ट्रीय विज्ञान दिवस–

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के आयोजन का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रदेश के जनमानस तथा विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, उनमें विज्ञान के प्रति जिज्ञासा विकसित करने तथा दैनिक जीवन में विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 28 फरवरी को किया जाता है। यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता तथा इनके द्वारा निर्धारित विषय पर छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों के लिये किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम में सेमीनार, कार्यशाला, कैम्प, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

''नई जिज्ञासा'' वैज्ञानिक पत्रिका–

स्कूली छात्रों की वैज्ञानिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिये ''नई जिज्ञासा'' वैज्ञानिक पत्रिका का अर्धवार्षिक प्रकाशन किया जाता हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन नवम्बर, 2004 से निरंतर किया जा रहा है। स्कूली छात्रों से पोस्टकार्ड पर प्राप्त प्रश्नों के सहज एवं सरल उत्तर विषय–विशेषज्ञों के माध्यम से प्राप्त कर पत्रिका में प्रकाशन उपरांत इसे निःशुल्क वितरित किया जाता है। अंक की निर्धारित प्रतियां विधानसभा सचिवालय, निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्कूली शिक्षा विभाग तथा मिडिल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूली छात्रों तथा पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के जनपद एवं ग्राम पंचायत वाचनालय में सन्दर्भ हेतु वितरित की गई हैं।

भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी (मोबाईल वेन)–

छात्र, छात्राओं, ि क्षकों एवं जनमानस को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधारभूत सिद्वान्तों को खेल–खेल में समझने, मोबाईल वैन प्रदर्शनी में टच–स्{न प्रादर्शों एवं पोस्टरों के माध्यम से विज्ञान के सि,ान्तों को समझने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये–नये क्षेत्रों को चिन्हांकित करने के उद्देश्य से रा ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परि ादद्व कोलकाता से ''ऊर्जा'' वि ाय पर केन्द्रित प्रादर्शयुक्त मोबाईल वैन के क्रय एवं वैन में रखने योग्य रूपांकित स्वचालित/टच–स्क्रीन विज्ञान प्रादर्शों को प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। मोबाईल वैन के निर्माण हेतु रा ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परि ाद, कोलकाता को राशि उपलब्ध कराई गई है।

वैज्ञानिक जागरूकता व ि 2004–

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 को वैज्ञानिक जागरूकता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। राज्य हेतु इस कार्यक्रम के राज्यव्यापी क्रियान्वयन का दायित्व छ. ग. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सौपा गया। वैज्ञानिक जागरूकता एवं विज्ञान प्रचार–प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों में अंधविश्वास उन्मूलन हेतु राज्य की 2,000 शालाओं के ग्रंथालयों को "परख–चमत्कार तर्क की कसौटी पर" पुस्तक संचालक, संचालनालय लोक शिक्षण के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।

इंडियन सांईस कांग्रेस 2004–

इंडियन सांईस कांग्रेस –2004 में आयोजित प्रदर्शनी का मुख्य कथानक "प्राइड ऑफ इंडिया" में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से परिषद द्वारा भाग लिया गया।प्रदेश के

शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों पर हो रहे शोध कार्यों का प्रदर्शन भी इंडियन सांईस कांग्रेस –2004 में आयोजित प्रदर्शनी में किया गया।

शताब्दी की अद्भुत खगोलीय घटनाः शुक्र पारगमन (Venus Transit)–

ऐतिहासिक खगोलीय घटना 8 जून 2004 को 121 साल बाद घटित शुक्र पारगमन का अवलोकन राज्य भर में किया गया। राज्य के सभी जिलों में 800 शुक्र पारगमन किट्स (चश्में) बच्चों से बुजुर्गों तक के अवलोकन हेतु वितरित किए गए तथा 20 दूरबीनों से शुक्र पारगमन अदभुत दृश्य देखने की व्यवस्था की गई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जी, मंत्रिमंडल के सम्माननीय सदस्य, विधायकगण, उच्च अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकारों, प्रदेश के स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं से लेकर गृहणियों तथा लाखों नागरिकों ने इस ऐतिहासिक एवं शताब्दी की खगोलीय घटना शुक्र पारगमन (Venus Transit) का नजारा देखा।

विज्ञान रेल प्रदर्शनी–

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) की 'पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी' का अवलोकन दुर्ग शहर में 27 से 31 मार्च 2004 की अवधि में स्थानीय तथा आस–पास के हजारों बच्चों तथा नागरिकों ने किया तथा देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त किया।

पृथ्वी ग्रह राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन–

छात्र, छात्राओं, शिक्षकों एवं जनमानस में पृथ्वी की उत्पत्ति, वायुमण्डल, जलमण्डल, जैवमण्डल विषयों पर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से पृथ्वी ग्रह राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 जनवरी 2008 को ईको–रन रैली का आयोजन प्रदेश के 07 जिलों में किया गया।

22.2 अनुसंधान एवं विकासीय गतिविधियां–

अनुसंधान एवं विकासीय गतिविधियां कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के वैज्ञानिकों एवं शोध विद्यार्थियों को शोध कार्य के अवसर तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के लाभार्थी राज्य के शोध विद्यार्थी, वैज्ञानिक, अध्यापक तथा शिक्षाविद् हैं।

लघुशोध परियोजनाऐं, संगोष्ठी/सेमीनार/सिम्पोजिया/कार्यशाला, यात्रा अनुदान

राज्य की आवश्यकतानुसार लघुशोध कार्य के अवसर प्रदान करने तथा प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से प्राप्त लघुशोध परियोजनाओं को परिषद द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय अनुदान दिया जाता है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से प्राप्त लघुशोध परियोजनाओं का राज्य की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन विषय विषेशज्ञों द्वारा किया जाता है। स्वीकृत लघुशोध परियोजना हेतु अधिकतम वित्तीय अनुदान राशि रु. 2.00 लाख दिया जाता है। वर्ष 2007–08 वर्तमान में 13 नई लघु शोध परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गई तथा 28 परियोजनाऐं निरंतर जारी। परिषद द्वारा अब तक कुल 73 संगोष्ठी/सेमीनार/सिम्पोजिया/कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। परिषद द्वारा अब तक 37 यात्रा अनुदान प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रका ान अनुदान–

वर्ष 2004–05 में 02 प्रकाशन अनुदान प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, वर्ष 2005–06 में छ.ग. जर्नल ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी एवं जी.जी.यू. जर्नल ऑफ बिजनेस के प्रकाशन को स्वीकृति प्रदान की गई वर्ष 2006–07 में 01 प्रकाशन अनुदान प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई तथा वर्ष 2007–08 में छ.ग. जर्नल ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी एवं जी.जी.यू. जर्नल ऑफ बिजनेस के निरंतर प्रकाशन की कार्यवाही की गई है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा–

क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। होनहार छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुकूल प्रोत्साहन प्रदान कर आवश्यकतानुसार अनुसंधान एवं विकास कार्य का प्रशिक्षण तथा प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध की जाना सामयिक आवश्यकता है। केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा का उद्देश्य प्रदेश के वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, उद्यमियों तथा नवप्रवर्तकों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास कार्यो को बढ़ावा देने योग्य **स्टेट ऑफ आर्ट–सेंट्रल लेबोरेटरी फेसिलिटी** (केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा) विकसित करना है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा हेतु आवश्यक स्टेट ऑफ आर्ट – उपकरण प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयुक्त बनाने के दृष्टि से केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा का विस्तार किया जाना है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध किया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण में केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा में जैव यौगिकों के परीक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र–

राज्य के लिये सुदूर संवेदन उपयोगिता एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली से सम्बन्धित कार्य करने, उपग्रह संचार माध्यम के प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से सम्बन्धित कार्य करने तथा राज्य एवं राज्य के बाहर राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना की गई है।

फसल क्षेत्र एवं उत्पादन आंकलन–

छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, अहमदाबाद की सहायता से उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदन एवं जी.आई.एस. तकनीक से धान फसल के क्षेत्र का आंकलन फसल कटाई के पूर्व प्रतिवर्ष प्रायोगिक स्तर पर किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 हेतु खरीफ धान फसल के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकलन का कार्य पूर्ण किया गया है। फसल कटाई के पूर्व धान फसल के क्षेत्र के आंकलन के आंकड़े कृषि विभाग एवं योजना विभाग भारत सरकार के निति निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन हेतु अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, इसरो, भारत सरकार प्रति वर्ष उपलब्ध कराता है।

वेस्टलैण्ड एटलस अपडेशन–

राज्य के चार जिलों के वेस्टलैण्ड (पड़त भूमि) एटलस के अपडेशन का कार्य उपग्रह चित्रों की सहायता से किया गया है। यह कार्य परिषद एवं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार की इमेज प्रोसेसिंग तथा जी.आई.एस. प्रयोगात्मक सहायता से किया गया है। इस कार्य हेतु वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद द्वारा प्रदान की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा रायपुर, दुर्ग, धमतरी तथा महासमुंद के जिलेवार पड़त भूमि मानचित्रण का अद्यतन एवं सम्पूर्ण प्रदेश के पड़त भूमि का सांख्यिकी विश्लेषण का कार्य संपन्न किया। डेटाबेस तथा पड़तभूमि के जिलेवार सांख्यिकी आंकड़ों को "नेशनल वेस्ट लैंड एटलस" में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद ने प्रकाशित किया गया है।

सुदूर संवेदन तकनीक से जलग्रहण क्षेत्रों में भूजल संवर्धन/प्रबंधन–

लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्षा जलसंग्रहण एवं भूजल संवर्धन बाबत् जलग्रहण क्षेत्रवार राज्य के सभी 16 जिलों के भूजल संवर्धन एवं संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम हेतु अनुभवी एवं दक्ष सलाहकारों/संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये गये। इस कार्य हेतु लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग को एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अमानत राशि के साथ सौंपा गया। परिषद को बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के दो वॉटरशेड (जोगीनाला एवं जियानाला) डोंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्रा में एक वाटरशेड (बागमन्डी नाला)

तथा बालोद विधान सभा क्षेत्रा मे एक वॉटरशेड (गुरूर वॉटरशेड) का कार्य प्राप्त हुआ। उक्त कार्य पूर्ण कर, परियोजना रिपोर्ट लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग को सौपी जा चुकी है।

वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण–

परिषद के वैज्ञानिकों को उच्चतर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। आई.आई.आर.एस., देहरादून एवं आई.टी.सी., नीदरलैण्ड द्वारा आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिषद के 01 वैज्ञानिक को प्रशिक्षण दिया गया तथा एक अन्य वैज्ञानिक को प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है।

शिक्षा मानचित्रण–

प्रदेश में उच्च शिक्षा सुविधाओं से सम्पन्न सभी शासकीय महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा मान चित्रण में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं से सम्पन्न सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक्स को तकनीकी शिक्षा मानचित्र में तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित सुविधाओं से सम्पन्न सभी आई.टी.आई. को जनशक्ति नियोजन मानचित्र में दर्शाया गया है। उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

विचार उत्प्रेरक संगोष्ठी का आयोजन–

राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए विचार उत्प्रेरक संगोष्ठी का आयोजन अक्टूबर, 2006 को किया गया जिसमें देश–विदेश के वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया। ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन क्रेडिट एवं ट्रेडिंग विषय पर नवीनतम जानकारी प्रदान कर राज्य के प्राकृतिक संसाधन डेटा प्रबन्धन के सम्बन्ध में विचार किया गया।

उपग्रह (एज्युसैट) के माध्यम से विज्ञान का प्रचार–प्रसार एवं शिक्षा–

परिषद में विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित एज्युसैट सैटेलाईट इन्टरएक्टिव टर्मिनल (एस.आई.टी.) द्वारा एज्युसैट उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से लाईव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फरेन्सिंग द्वारा विज्ञान विषय पर नियमित रूप से आयोजित रोचक व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सामूहिक चर्चा में परिषद द्वारा आमंत्रित विद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा विश्वविद्यालयों के अध्यापक एवं विद्यार्थीग तथा विज्ञान जागरूकता कार्यकर्ता आदि भाग लेकर लाभान्वित हो रहे हैं।

समन्वयक प्रकोष्ठ–

वर्ष 2002–03 में परिषद की गतिविधियों के समन्वयन हेतु राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में परिषद के समन्वयक प्रकोष्ठ की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। परिषद की गतिविधियों के समन्वयन हेतु राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में परिषद के 09 समन्वयक प्रकोष्ठ स्थापित तथा कार्यरत हैं।

समाज के लिये विज्ञान कार्य{म–

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्ग, महिलाओं एवं जनजातीय क्षेत्रों का विज्ञान एवं प्रौद्य ोगिकी के माध्यम से आर्थिक उन्नयन हेतु समाज के लिये विज्ञान कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य के विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयों आदि अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त परियोजनाओं पर अनुदान परिषद द्वारा विगत वर्षों से दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002–03 में 03, वर्ष 2003–04 में 05, वर्ष 2005–06 में 04, वर्ष 2006–07 में 03 एवं वित्तीय वर्ष 2007–08 में 03 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

पुस्तकालय – सह – प्रलेखन केन्द्र–

विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों को विज्ञान विषय पर नवीनतम साहित्य एवं जानकारियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुस्तकालय सहप्रलेखन केन्द्र की स्थापना की गई है । इस केन्द्र में विभिन्न विषयों पर करेंट कंटेंट, जर्नल, मेगजीन, विज्ञान विषयक जर्नल उपलब्ध हैं।

एक्वाकल्चर प्रकोष्ठ की सीपना–

एक्वाकल्चर प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य टेक्नॉलाजी सोर्सिंग, हाइटेक शोध क्षेत्रों की पहचान, लेब टू लैंड कार्यक्रम चिन्हित करना ताकि इस क्षेत्रा में कार्यरत जनमानस को लाभ पहुंच सके। एक्वाकल्चर प्रकोष्ठ की स्थापना मत्स्य विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में किया गया है।

पर्यावरण संबंधी अनुसंधान की सुविधा–

पर्यावरण संबंधी अनुसंधान हेतु रसायन अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सुविधा विकसित की गई है इसके अंतर्गत भारी धातु के जहरीलेपन (हैवी मेटल टॉक्सीसीटी) के मूल्यांकन हेतु सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के अन्तर्गत राजनांदगांव जिले के आर्सेनिक एवं फ्लोराईडयुक्त हानिकारक भूजल नमूनों की जांच कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को रिपोर्ट सौंपी गई है। परिषद द्वारा राजनांदगांव जिले के कोड़िकसा तथा मुरैथीटोला गांव में स्थापित आर्सेनिक पृथक्करण संयंत्रों से प्रसंस्करण पश्चात् प्राप्त नमूनों की पीने योग्य जलशुद्धता से सम्बन्धित समय–समय पर जांच की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन केन्द्र–

राज्य में रत्न सम्पदा उद्योगों की सम्भावना को देखते हुए अंचल के युवाओं में स्वरोजगार स्थापित करने तथा राज्य के खनिज (रत्न) संसाधनों के उपयोग से क्षेत्र में रत्न उद्योग के विकास को गति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ इन्स्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी के साथ संयुक्त रूप से रत्न पहचान, कटाई तथा पॉलिशिंग में रोजगारोन्मुखी रत्न प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रदेश में रत्न उद्योग को बढ़ावा मिला है एवं कई युवा स्वउद्यम की ओर प्रेरित हुए हैं।

औषधीय एवं सुगन्धित पौध केन्द्र–

औषधीय एवं सुगंधित पौध विकास केन्द्र की स्थापना जैविकी विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में की गई है। केन्द्र में 45 औषधीय प्रजातीय पौधों का रोपण किया गया है। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में केन्द्र की स्थापना प्रगति पर है।

पेटेन्ट सूचना केन्द्र–

मुक्त व्यापार व्यवस्था एवं व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण के चलते बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित करना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय को संबोधित करने हेतु टेक्नोलॉजी इन्फरमेशन, फोरकांस्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल (टाईफेक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा नवम्बर, 2002 को रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा पेटेंट सूचना केन्द की स्थापना, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर में टाईफेक की सहायता से की गई।

पेटेन्ट सूचना केन्द्र द्वारा 2 पेटेन्ट एवं 6 कॉपीराइट आवेदकों को आवेदन हेतु सहायता प्रदान की गई। पेंटेट सूचना केन्द्र द्वारा कुल 2 पेंटेट तथा 1 डिजाईन आवेदन हेतु आवेदकों को सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2005–06 में अभी तक 4 पेटेंट तथा 2 ट्रेड मार्क आवेदन हेतु आवेदकों को सहायता प्रदान की गई। पेंटेट सूचना केन्द्र द्वारा विगत वर्षों में कुल 4,500 व्यक्तियों को बौद्धिक संपदा अधिकार विषय के प्रति जागरुक किया।

ज्ञान (ग्रासरुट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क) केन्द्र–

प्रदेश के जनमानस द्वारा किये गये नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान, अहमदाबाद की सहायता से परिषद द्वारा ज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है। ज्ञान केन्द्र द्वारा विगत वर्षों में दो नवप्रवर्तकों के प्रस्ताव राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान, अहमदाबाद को प्रेषित किए गए हैं।

क्षेत्रों की पहचान – प्रौद्योगिकी ग्राम की स्थापना–

क्षेत्रों की पहचान उपरांत ग्रामीण जीवन शैली में गुणात्मक विकास लाने, अनुकूल प्रौद्योगिकी से किसानों को अतिरिक्त आय सृजन हेतु मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षित करने तथा रोजगारोन्मुखी साधन उपलब्ध करने के लिए प्रदेश के चिन्हांकित गांवों में प्रौद्योगिकी ग्राम (टेक्नोलॉजी विलेज) की स्थापना की जा रही है। प्रथम चरण में जिला कबीरधाम के रामपुर (ठाठापुर) एवं जिला धमतरी के सिर्री ग्राम का चयन किया गया है। प्रौद्योगिकी ग्राम का शिलान्यास अक्टूबर, 2006 को किया गया है। प्रौद्योगिकी ग्रामों की स्थापना हेतु ग्रामों की चयनित सूची निम्नानुसार है :–

तालिका क्र.–22.3

प्रौद्योगिकी ग्रामों की चयनित सूची

क्र.	ग्राम का नाम	विकास खंड	जिला
1.	ठाठापुर	सहसपुर–लोहारा	कबीरधाम
2.	सिर्री	कुरूद	धमतरी
3.	गेदी	कोरबा	कोरबा
4.	गतौरा	मस्तूरी	बिलासपुर
5.	बोइरडीही	छुरिया	
6.	कोडेबेडा, पो. लोहंडीगुडा	बस्तर	बस्तर
7.	घोटुलबेड़ा पो. बोंदानार	अंतागढ़	कांकेर
8.	कुम्हाररास	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा

बस्तर पारिस्थितिकीय योजना–

बस्तर पारिस्थितिकीय योजना के अन्तर्गत स्थानीय समस्याओं एवं विशेषताओं के सन्दर्भ में 18 चिन्हित विकासखण्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया। प्राप्त आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर योजना रिपोर्ट तैयार कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं पर नीति निर्धारण मानचित्रण–

इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपयोग की आवश्यकताओं को चिन्हांकित कर सफलतम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध करने हेतु योजना मानचित्रण किया गया है एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर अनंतिम योजना रिपोर्ट तैयार कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

आर्सेनिक पृथक्करण संयंत्रों की स्थापना–

राजनांदगांव जिले के चौकी विकासखण्ड में भूजल में आर्सेनिक प्रभावित पाँच स्थानों (ग्राम कोड़िकसा में 04 एवं ग्राम मुरैथीटोला में 01) पर जल शुद्धिकरण हेतु आगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणें द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी आधारित आर्सेनिक पृथक्करण संयंत्र स्थापित किये गये हैं। इन स्थानों पर भूजल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोगात्मक एवं अनुसंधानपूरक परीक्षण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा रहा है।

एलीट पौधों का आदर्श पौध रोपण–परियोजना–

राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, गुड़गांव द्वारा प्रदेश में शासकीय तथा संस्थागत उपलब्ध पड़तभूमि पर कृषकों तथा हितग्राहियों को अतिरिक्त आय के साधन मुहैया करने के उद्देश्य से रतनजोत (जट्रोफा) परियोजना स्वीकृत की गई। इस परियोजना का मंथन ग्रामीण एवं समाज सेवा समिति द्वारा क्रियान्वित किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में जेट्रोफा रोपण 294.55 हेक्टेयर भूमि में किया गया तथा 03 हेक्टेयर भूमि में वृक्ष मूल तिलहन बगीचे स्थापित किए गए। साथ ही 05 कृषक गोष्ठी एवं 02 प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

22.3 नवीन परियोजनाएं–

सांईस एण्ड टेक्नॉलॉजी इन्टरवेन्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ आयरन कन्टेमिनेशन इन ग्राउन्डवाटर (ड्रिंकिंग वाटर) इन छत्तीसगढ़–

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल का मुख्य स्त्रोत भूजल है। इसके अतिरिक्त कृषि एवं औद्य ोगिकी सेक्टर के लिए भी भूजल एक मुख्य स्त्रोत है। अब तक भूजल को प्रदूषण रहित माना जाता रहा है। विगत वर्षों में भूजल में अनेकानेक तत्वों के प्रदूषण के अत्याधिक प्रकरण पाये गये हैं तथा राज्य के 14 जिलों में भूजल में लौह प्रदूषण पाया गया है। बस्तर, दन्तेवाड़ा एवं कांकेर जिले के भूजल में लौह प्रदूषण के सर्वाधिक स्थान चिन्हित किये गये हैं। जल में लौह तत्व की अधिकता से हीमेक्रोमेटोसिस नामक त्वचा रोग होता है साथ ही इस जल के दैनिक कार्य में उपयोग नही किया जा सकता है। लौह प्रदूषित पानी से उत्पन्न व्याधियों को ध्यान में रखते हुये परिषद द्वारा यह योजना विकसित की गई। इस योजनांतर्गत भूजल से लौह पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने, लौहयुक्त जल पीने के खतरों से ग्रामीणों को अवगत कराना तथा उन्हें प्रौद्योगिकी के उपयोगों को व्यवहार में लाने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक परियोजना प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। उक्त परियोजना को प्रायोगिक तौर पर पांच जिलों में 15 पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ सम्मिलित रूप से किया जावेगा।

सांईस एण्ड टेक्नोलॉजी इन्टरवेन्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ फ्लोराईड कॉन्टेमिनेशन इन ग्राउंडवाटर (ड्रिकिंग वाटर) इन छत्तीसगढ़–

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल का मुख्य स्त्रोत भूजल है। विगत वर्षों में भूजल में अनेक स्थानों पर फ्लोराईड तत्व के प्रदूषण के प्रकरण पाये गये हैं तथा राज्य के 05 जिलों में भूजल में फ्लोराईड प्रदूषण पाया गया है। जल में फ्लोराईड तत्व की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक हड्डी रोग होता है अतएव इस जल को पीने के उपयोग में नही लिया जा सकता है। फ्लोराईड प्रदूषण से उत्पन्न व्याधियों को ध्यान में रखते हुये परिषद द्वारा यह योजना विकसित की गई। इस योजनांतर्गत भूजल से फ्लोराईड पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने, फ्लोराईडयुक्त जल पीने के खतरों से ग्रामीणों को अवगत कराना तथा उन्हें प्रौद्योगिकी के उपयोगों को व्यवहार में लाने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक परियोजना प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। उक्त परियोजना को प्रायोगिक तौर पर पांच स्थानों में 5 पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ सम्मिलित रूप से किया जावेगा।

साईंस एण्ड टेक्नॉलॉजी इन्टरवेशन फॉर हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल युजिंग प्लाज्मा पायरोलायसिस–

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों की भांति स्वास्थ्य सेवाओं में भी उन्नति हुई है एवं स्वास्थ्य सेवायें आम जनता तक पहुंची हैं। चिकित्सा विज्ञान की तरक्की एवं संबंधित कार्यकलापों जैसे कि हॉस्पिटल, नर्सिग होम, क्लिनिक की स्वास्थ सेवाएं आदि में बढ़ोत्तरी होने के साथ–साथ संबंधित अपशेष में भी वृद्धि हुई। कुछ अपशेष अत्यधिक विषैले होते हैं जो कि न केवल पर्यावरण संबंधी समस्यायें उत्पन्न करते हैं बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं। चिकित्सीय अपशेष का निस्तार केवल विषैलापन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि इनके पुनः उपयोग को रोकने के लिए भी आवश्यक है। अस्पताल के अपशेषों के प्रदूषण रहित निस्तार हेतु नवीनतम प्रौद्य ोगिकी प्लाज्मा पायरोलिसिस के उपयोग हेतु यह परियोजना विकसित की गई है तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अहमदाबाद में पूर्व में स्थापित प्लाज्मा पायरोलिसिस संयंत्र का निरीक्षण करने हेतु सचिव, स्वास्थ्य विभाग, छ. ग. शासन को स्वास्थ्य सेवाओं से उपयुक्त व्यक्तियों का नामांकन करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

जैविक खेती एवं प्रौद्योगिकी हेतु कार्य{म–

जैविक खेती व उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास हेतु इस परियोजना की अवधारणा विकसित की गई है। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 280,35 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं

समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है। इस योजनान्तर्गत निम्नानुसार 13 कार्यक्रमों का चिन्हांकन किया गया हैः–

प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण संस्थाओं तथा सेवा प्रदाय करने वालों के लिए परीक्षण कार्य{म–

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य जैविक कृषि प्रमाणीकरण निरीक्षण प्रक्रिया तथा जैविक कृषि पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में धारणात्मक ढ़ाचा विकसित करना, प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण, निवेश प्रबंधन, प्रलेखीकरण, बाजार आंकलन के दौरान विवाद सुलझाने के लिए आवश्यक निपुणता प्रदान करना, जैविक कृषक, सेवा प्रदाय करने वाले तथा प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण प्रक्रिया आदि का अभिलेखों का रखरखाव तथा उपयोगी वार्षिक निवे ा की सूची तैयार करना। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 2.55 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

जैविक निवेश उत्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम–

जैविक खाद के प्रकार, कृषि में जैविक खाद का महत्व एवं योगदान, विभिन्न जैविक खाद के गुण एवं व्याख्या, जैविक खाद के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन तथा उसका वित्तीय पक्ष, जैविक खाद के व्यापार एवं बिक्री के मार्ग में रूकावटे, जैविक खाद उपयोग की प्रौद्योगिकी, भारत वर्ष में जैविक खाद उत्पादन की स्थिति इत्यादि के क्षेत्र में प्रदेश में मुख्य रूप से कृषकों में जागरूकता लाने हेतु यह कार्यक्रम विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हरी खाद के गुण एवं प्रकृति, हरी खाद की भूमिका एवं उपयोग, कर्बनिक खाद उत्पादन, विभिन्न कार्बनिक खाद अपशेष से खाद उत्पादन का सिद्धान्त एवं पद्धति, उपयोग विधियॉ, जैविक खाद उत्पादन तरल खाद, खाद का मापदण्ड, परीक्षण प्रक्रिया एवं उनके गुणवत्ता नियंत्रण आदि के संबंध में राज्य शासन, अर्धशासकीय, गैर–शासकीय संस्था एवं अन्य निर्माण संस्थाओं के अधिकारी, तकनीकी अधिकारी को 10 दिन के अवधि के 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जावेगा। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 5.1 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

कार्बनिक कृषि पर विस्तार/क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम–

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य जैविक कृषि सिद्धांत एवं धारणा के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, जैविक कृषि के विभिन्न घटकों के बारे में ज्ञान प्रदान करना तथा पौध संरक्षण हेतु ग्राहय एवं अग्राहय पोषण के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पांच दिवस की अवधि के 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम जैविक कृषि के विकास क्षेत्र में कार्यरत राज्य शासन, अर्धशासकीय, गैरशासकीय संस्थाओं के 20 प्रतिभागी को प्रशिक्षित किया जावेगा। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 11.70 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

जैविक कृषि पर कृषकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम–

इस कार्यक्रम में कृषकों को जैव कृषि के उपयोग हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के लिये वास्तविक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। 2 दिवस के कुल 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 कृषक प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। इन कृषकों को प्रशिक्षण अवधि में अपनी कृषि भूमि को जैव कृषि हेतु रूपांतरित करने हेतु प्रेरित किया जावेगा। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 6.50 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

जैविक निवेश एवं कृषक मेला पर क्षेत्र प्रदर्शनी कार्यक्रम–

कृषक जब अपनी भूमि पर जैविक निवेश का फायदेमंद परिणाम देखते हैं तो उसका बेहतर प्रभाव पड़ता है। जैविक कृषि एक नई प्रौद्योगिकी होने के कारण इसका अधिक संख्या में क्षेत्र प्रदर्शन किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्बनिक प्रौद्योगिकी के प्रचार हेतु फसल उत्पाद में 50 कार्बनिक कृषकों का एक दिवसीय किसान मेला आयोजन किया जावेगा।

इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 5.00 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

समृद्ध बायो–गैस स्लरी के उपयोग पर क्षेत्र प्रदर्शनी एवं किसान मेला–

मवेशियों के गोबर से बायोगैस का निर्माण दोहरा लाभदायक है क्योकि इससे एक तरफ इंधन की पूर्ति हो जाती है एवं दूसरी तरफ आवश्यक खाद की भी पूर्ति होती है। प्रौद्योगिकी के प्रचार हेतु 50 कार्बनिक कृषकों का एक दिवसीय किसान मेला आयोजन किया जावेगा। किसानों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में कार्बनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी सामग्रियां उपलब्ध कराई जावेगी ताकि वे आसानी से समझ सकें। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 8.00 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

आदर्श कार्बनिक कृषि स्थापित करने हेतु मार्गदर्शिका–

हरित क्रांति के फलस्वरुप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई परंतु साथ–साथ कई प्रकार की नयी समस्यायें भी उत्पन्न हुई जैसे कि जल संसाधन एवं भूमि संसाधन के स्तर में गिरावट, जैव विवधता में कमी, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि आदि। इन स्थितियों में भूमि की उर्वरता एवं फसलों की उत्पादन में वृद्धि हेतु कार्बनिक कृषि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि में ही सभी प्रकार के आवश्यक निवेशों को उत्पन्न कर एवं किसी अन्य बाहरी निवेशों पर निर्भर न रहकर कार्बनिक कृषि का भौतिक प्रदर्शन करना। इस प्रकार की आदर्श प्रदर्शनी, क्षेत्र के कार्बनिक उत्पादकों एवं कृषकों के लिये सीधे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रचार–प्रसार हेतु कार्य करेगी। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 40.00 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

सेवा प्रदायकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश–

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों हेतु सेवा प्रदायकर्ताओं के लिए वृहद स्तर पर दिशानिर्देशों का निर्माण करना। इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत जैविक खेती के सेवा प्रदायदाताओं को सामूहिक प्रमाणीकरण करना जो कि आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 3.00 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सीओ एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

जैविक प्रमाणीकरण–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उत्पन्न होने वाले जैविक उत्पादों को प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 22.50 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी. ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

नई पहल–

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिये स्थानीय विशेष पैकेज एवं प्रेक्टिस प्रौद्योगिकी का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण एवं क्षेत्रप्रदर्शन, आदर्श जैव प्रौद्योगिकी ग्राम एवं प्रदर्शनी केन्द्र की स्थापना तथा जैविक ग्राम विशेष कार्यक्रम को अपनाना, हाईब्रिड कम्पोस्टिंग तकनीक जैसे सीपी.पी., ट्री पेस्ट आदि, विभिन्न जैविक पेस्टीसाइड, कम्पोस्टिंग तकनीक का प्रदर्शन, जैव कृषि क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाओं अशासकीय संस्थाओं, निजी उपकरण, कृषि एवं सहकारी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा राज्य निर्देशिका प्रकाशित करना उद्देशित है। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 14.00 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

जागरूकता शिविर, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सेमीनार, प्रदर्शनी, प्रकाशन एवं प्रचार आदि–

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के संदर्भ में विशेष जैविक खेती पर पारंपरिक एवं वैदिक ज्ञान का प्रलेखीकरण एवं प्रकाशन, जैविक खेती में हुये विकास के उपयोग कर्ता, बिक्रीकर्ता, क्रयकर्ता हेतु

जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, चलित प्रदर्शनी एवं वृहत्तस्तर पर जैविक खेती के प्रादर्शो का प्रदर्शन एवं जैविक खेती से संबंधित साहित्य का सरल एवं सुबोध प्रकाशन है। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 25.00 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

वर्मी–कल्चर हैचरीज–

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 50 वर्मी–कल्चर हैचरीज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है तथा इस योजना के अन्तर्गत उपयोगी गौशालाएँ एवं पंजीकृत संस्थाओं को हितग्राही के रुप में चयन किया जावेगा। राज्य में वर्मी–कल्चर हैचरीज स्थापना मुख्य रुप से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई. टी.आई.) में किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम हेतु राशि रु. 37.50 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

नवीन प्रौद्योगिकियों का विस्तार एवं जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन–

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में होने वाली फसलों के लिए नवीन जैविक प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार, जैविक उत्पादों के प्रोसेसिंग पद्धति को प्रोत्साहन तथा जैविक उत्पादों हेतु व्यापारिक जागरूकता एवं जैविक उत्पाद के व्यापारियों, व्यापार प्रेक्षेत्रों को सूचीबद्ध करना। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 20.00 लाख की परियोजना विकसित कर एन.सी.ओ.एफ., कृषि एवं समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम–

जीवन शैली में गुणात्मक विकास लाने, अनुकूल प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से प्रदेश मे प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की आवश्यकतानुसार एवं संरचनानुसार बहुउपयोगी प्रौद्योगिकियों का चयन एवं विकास प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयित किया जावेगा। इस हेतु देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानो में विकसित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण कर जीवन में गुणात्मक सुधार हेतु, अपरिवर्तन मुक्त संसाधनों हेतु न्यूनतम उपयोग की मांग अनुसार पद्धतियों को संतुलित कर स्थापित किया जावेगा। इस तरह अनुकूल पारंपरिक तथा उपयोग मुक्त आच्छादित प्रौद्योगिकियों के उन्नयन हेतु, एकीकृत प्रौद्योगिकी परिवेश में राज्य के उन्नयन हेतु सतत विकास दृष्टि को साकार किया जायेगा। प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक सफल प्रौद्योगिकियों के युक्तिसंगत एकीकरण द्वारा प्रदेश में सर्वांगीण विकास किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम हेतु राशि रू. 19,375.50 लाख की परियोजना विकसित कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत सरकार की ओर वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विकास

राज्य में सूचना प्रौद्यागिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए राज्य भाासन ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का गठन किया है। इस विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड बायोटेक प्रमो न सोसायटी (चिप्स) कार्यरत है, यह संस्था फर्म एवं सोसायटी नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है। विभाग के दो पृथक विषय है– (1) सूचना प्रौद्योगिकी, (2) जैव प्रौद्य ोगिकी।

सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियॉ–

राज्य में विभाग की गतिविधियों का मूल उद्दे य है राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के लिये आधारभूत संरचना स्थापित करना, जिसमें उद्योगों के लिये बेहतर वातावरण तैयार हो तथा ई– ाासन की सेवाओं के माध्यम से राज्य के आम आदमी को सेवाएं प्रदान की जा सके।

22.4 राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति–

वि व के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई तकनीकें आई हैं तथा इस क्षेत्र में हुए कार्यो के परिणाम आ चुके हैं। तदनुरूप राज्य शासन की दृष्टि के अनुरूप नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने का कार्य किया गया। यह नीति छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अप्रैल 2005 से जारी की गई। इस नीति का मूल दृष्टिकोण यह है कि राज्य अपने आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सहयोग ले तथा ऐसा **ई–एनेबल्ड** समाज तैयार करे जो राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में प्रभावी योगदान दे। इस नीति के प्रमुख उद्दे य निम्नानुसार रखे गये हैं–

- रोजगार देने वाले के लिये वातावरण तैयार करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के लिये कार्य करना।
- राज्य के अंतिम छोर तक नागरिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन की सेवाएं पहुंचाना। इसी के साथ राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को थ्रस्ट उद्योग के रूप में शामिल कर लाभ देने का कार्य किया जा रहा है।

22.5 सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं एवं विकास–

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य में आर्थिक विकास एवं नागरिकों के स ाक्तिकरण हेतु विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस राज्य में विकास की काफी संभावनाएं हैं। इस हेतु विभाग द्वारा स्मार्ट गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य के माननीय मंत्रीगण, संसदीय सचिव, निगम मण्डल और आयोग के अध्यक्ष एवं अधिकारियों को प्रि ाक्षण, चॉईस परियोजना, सी.जी. स्वान परियोजना, ई–प्रोक्योरमेंट परियोजना, भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाएं निम्नानुसार हैं–

छत्तीसगढ़ ऑन लाईन इन्फर्मे ान फॉर सिटीजन एम्पावमेंट (चॉईस) परियोजना के अंतर्गत नागरिकों को सरकार की अनेक सेवाएं उनके निवास के आस–पास "कभी भी कहीं भी" उपलब्ध करवाने की पहल की जा रही है। यह परियोजना दे ा के Open Source पर तैयार की गई सबसे बड़ी eGovernence परियोजना है। इस परियोजना का संचालन राज्य शासन अपने संसाधनों से कर रहा है। आई.आई.टी. कानपुर द्वारा चॉईस परियोजना के साफ्टवेअर की टेस्टींग भी की जा चुकी है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में फूलचौक स्थिति हेल्प सेन्टर, कलेक्टर कार्यालय एवं इक्कीस चॉईस एजेन्ट्स के माध्यम से इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विगत वर्ष तक 133 प्रकार की सेवाएं इस परियोजनांतर्गत चुनी जा चुकी हैं जिसमें से 20 सेवाऐं नागरिको के उपयोग हेतु सुचारू रूप से शुरू हो चुकी हैं। चॉईस परियोजना के अंतर्गत नगर निगम रायपुर क्षेत्र में पूरी सेवाऐं दी जाना प्रारंभ कर दी गयी हैं।

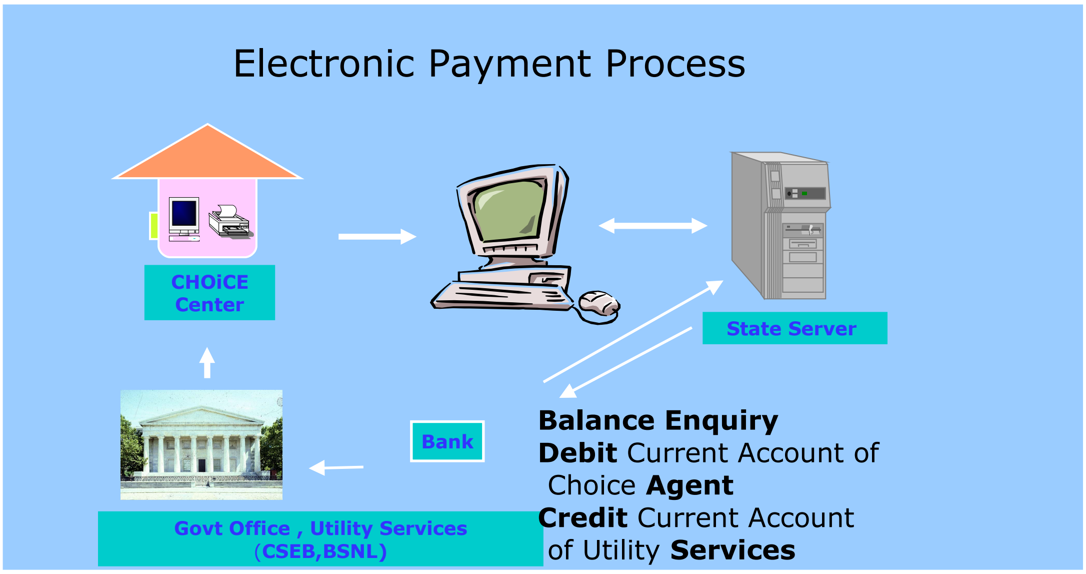

इन सेवाओं में ई–भुगतान की सेवाऐं भी प्रारंभ की गई जिनमें बिजली बिल भुगतान की सुविधा भाामिल है। विगत वर्ष से 21 चॉईस केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना में अब तक निम्न सेवाओं से जारी प्रमाण–पत्रों एवं दस्तावेजों की प्रिंट नागरिकों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं (6 अगस्त 2008 की स्थिती में) जो इस प्रकार हैं–

तालिका क्र.–22.4

जारी प्रमाण पत्रों की संख्या

सेवाऐं	जारी प्रमाण–पत्रों की संख्या
जन्म प्रमाण–पत्र	1,47,137
मृत्यु	23,807
निवास प्रमाण–पत्र	7,500
आय प्रमाण–पत्र	1,630
अ.पि.व. प्रमाण–पत्र	3,214
अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाण–पत्र	564
राशन ए.पी.एल	53
गुमास्ता	108
कुल योग	**1,84,013**

परियोजना में लगभग डेढ़ लाख ट्रान्जेक ान हो चुके हैं। इन केन्द्रों से लगभग एक करोड़ रू. के बिजली बिलों का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। प्रतिवेदन वर्ष में चॉईस परियोजना पर दे ा के विभिन्न संस्थानों ने रूचि दिखाई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने इस परियोजना को Impact Assessment Study के द्वितीय चरण हेतु इस परियोजना का चयन किया है। इस वर्ष 05 नये जिलों दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर तथा सरगुजा में इसका कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इन 05 जिलों का मास्टर डाटा परीक्षण एवं सर्वर में मास्टर डाटा अपलोड किया जा चुका है।

वर्ष 2007–08 में स्कॉच इन्टरने ानल द्वारा चॉईस परियोजना को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इसकी प्र ांसा करते हुए पूरे दे ा में इसे लागू करने हेतु भारत सरकार को सुझाव दिया है। केबिनेट सचिव ने इसकी सराहना की है। गुजरात, कर्नाटक सहित अनेक राज्यों के प्रतिनिधि मण्डलों नें इस परियोजना का अवलोकन कर सराहना की है।

चॉईस परियोजना की सेवाएं राज्य के सुदूर अंचलों तक पहुंचाने के लिए राज्य में 6 ग्राम समूहों के बीच एक ग्रामीण चॉईस केन्द्र, (कुल 3,380 से अधिक केन्द्र) प्रारंभ करने का लक्ष्य है, जो निजी–सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर कार्य करेंगे। इस परियोजना के प्रारंभ होने से ग्रामों में स्वरोजगार के व्यापक अवसर होंगे तथा गांवों में कम्प्यूटर ि ाक्षित नौजवानों को रोजगार प्राप्त होंगे। इन केन्द्रों के प्रारंभ होने पर ग्रामीणों को दस्तावेज, सार्टिफिकेट और जमीन के अभिलेख अपने गांव या उसके आस–पास प्राप्त हो सकेंगे। यह परियोजना लगभग 54 करोड़ रू. की है जिसकी क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है।

ई–ग्राम सुराज परियोजना (ग्रामीण चॉईस परियोजना) –

यह परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिये तैयार की जा रही है, जिसकी लागत रू. 250 लाख है। इसमें 75 प्रति ात रा ि ग्रामीण विकास तथा 25 प्रति ात रा ि यू.एन.डी.पी. से प्राप्त हुई थी। इस रा ि से राज्य की ग्राम पंचायतों में सिम्प्यूटर नाम का उपकरण उपलब्ध कराया गया है, जो कम्प्यूटर का छोटा रूप है। इस डिवाईस पर हिन्दी भाषा में प्रोगाम तैयार किया जा सकता है तथा इस डिवाईस को वायरलेस, टेलीफोन, ऑप्टिकल फायबर के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत सिम्प्यूटर में ग्रामों की आधारभूत जानकारी, भू–अभिलेख के ऑकड़े एवं ग्राम पंचायत की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। यह योजना राज्य के 10 विकास खण्डों के 876 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की गई है। इस हेतु सरपंचों एवं पंचायत सचिवों को विस्तार से प्रि ाक्षण दिया गया है, तथा उनके द्वारा सफलता पूर्वक उपयोग किया जा रहा हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली–

- **विभागों के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली–**

विभाग द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली का कार्य किया जा रहा है, जिसमें भू–अभिलेख नक ाा, टोपोग्राफी, भूमि के उपयोग, भूमि की जल निकासी, मिट्टी की किस्म, भूमि की उर्वरता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, वन, जंगल, जल संग्रहण, खनिज, खदान एवं जनसंख्या संबंधी डेटा का संग्रहण किया गया है। इस प्रणाली के 37 लेयर्स हैं, जिसमें से अधिकां ा लेयर्स का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कतिपय लेयर्स पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना है।

राज्य की भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग अनेक विभागों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें से मुख्य विभाग हैं– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्योग एवं खनिज विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भू–अभिलेख विभाग, उद्यानिकी विभाग, नगर एवं ग्राम निवे ा विभाग, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, राज्य निर्वाचन आयोग, कृषि वि वविद्यालय रायपुर एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल।

इसके अतिरिक्त राज्य में निवे ा करने वाले उद्यमियों को उनकी मांग के अनुसार जी आई एस नक ाों के प्रिन्ट स ाुल्क उपलब्ध कराये गये हैं।

- **पटवारी नक्शों का कम्प्यूटरीकरण–**

भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत ग्राम की भूमि के नक ाों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। राज्य में कुल 20,007 ग्राम ऐसे हैं, जिनके नक ो उपलब्ध हैं जिनका कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इसमें से दंतेवाड़ा जिले के कुछ ग्रामों को छोड़कर राज्य के सभी ग्रामों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **पटवारी नक्शों के ऑनलाईन अद्यतीकरण का सॉफ्टवेयर–**

पटवारी नक ाों के ऑनलाईन अद्यतीकरण के लिए आई.आई.टी. कानपुर के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। शीघ्र ही राज्य के रायपुर तहसील में पायलट परियोजना प्रारंभ की जा रही है।

- **जलग्रहण विकास परियोजना–**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित जलग्रहण परियोजना विकसित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जाना है। जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न जी.आई.एस. लेयर्स जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बाऊंड्री, लैंड यूज/लैंड कवर, सॉईल, स्लोप तथा अन्य लेयर्स पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रदाय की जाने की कार्यवाही जारी है।

- **सड़क सूचना प्रणाली–**

1:50000 के स्केल पर टोपो ाीटवार सड़कों से संबंधित सूचना प्रणाली लोक निर्माण विभाग को उपयोग हेतु दी गयी है।

- **ज्ञान–विनिमय कार्यक्रम–**

ज्ञान–विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत आई.आई.टी. कानपुर के सहयोग से इंजीनियरिंग कालेज रायपुर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अध्ययन ााला गुरू घासीदास वि वविद्यालय, बिलासपुर में ई–क्लास रूम संचालित किये गये। उच्च ि ाक्षा विभाग से प्राप्त राि ा द्वारा कुरूद, राजनांदगांव, कबीरधाम एवं रायपुर के लिये 4 नये स्वीकृत किये गये ई–क्लास रूम में कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं इन महाविद्यालयों में आई.आई.टी. कानपुर में उपलब्ध वर्तमान अधोसंरचना के माध्यम से विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने हेतु योजना बनाई गई है।

- **ई–प्रोक्योरमेंट–**

ई–प्रोक्योरमेंट का अर्थ किसी भी कार्य, सेवा या वस्तु की पूर्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना है। इसमें इन्डेन्ट प्रबंधन, ई–टेन्डरिंग, अनुबंध प्रबंधन, ई–भुगतान जैसी सुविधायें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होगी। ई–प्रोक्योरमेंट का लाभ यह है कि इससे धन, समय एवं मानवीय श्रम मे बचत होगी तथा खरीदी प्रकिया सरल, पारद र्ी, गुणवत्तापूर्ण एवं सही–सही होगी।

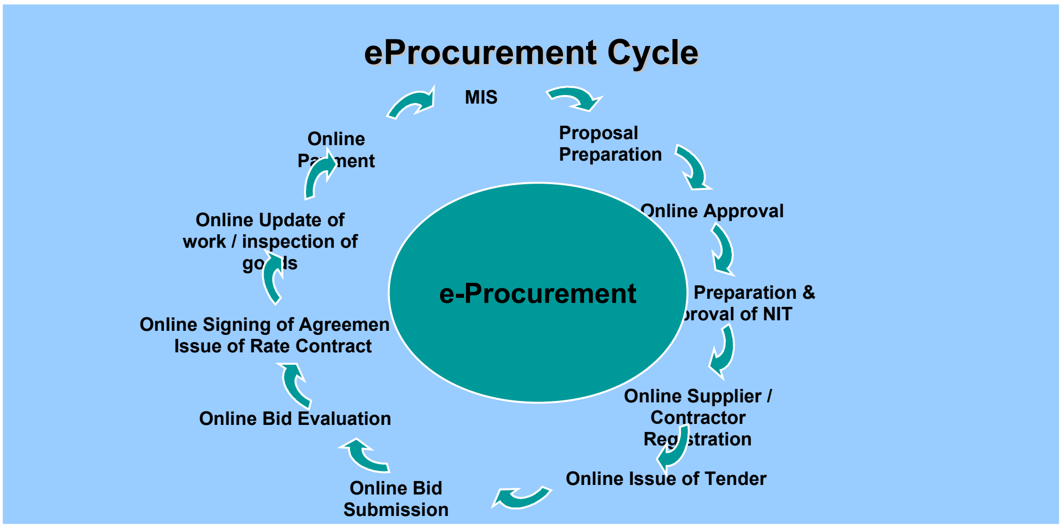

इस परियोजना का लोकार्पण अगस्त 2007 को किया गया है। वर्तमान में यह योजना लोक निर्माण विभाग, सी.एस.आई.डी.सी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग में लागू की गई है। इन विभागों के रू. 20 लाख से अधिक की प्रोक्यारमेंट प्रक्रिया इसी माध्यम से पूर्ण की जायेगी। अब तक ई– प्रोक्यारमेंट के माध्यम से रू छः सौ करोड. से अधिक की 375 निविदायें खोली जा चुकी हैं। इन विभागों द्वारा इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी का नामांकन किया गया है।

इस प्रणाली की कार्य पद्वति की जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निविदाकर्त्ताओं की कार्य ाालाओं का आयोजन किया गया है। इस प्रणाली पर कार्य करने हेतु वि ोष प्रि ाक्षण भी दिया गया है।

- **राष्ट्रीय ई– ।ासन योजना–**

राष्ट्रीय ई– ।ासन योजना (एन.ई.जी.पी.) भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्वीकृत परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं–

- **स्वान (स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क) परियोजना–**

छत्तीसगढ़ स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क परियोजना भारत शासन से स्वीकृत परियोजना है। इस परियोजना में राज्य के विभिन्न शासकीय कार्यालयों को ब्राडबैण्ड से जोड़ा जाना है। सी.जी. स्वान से सुरक्षित रूप से सूचना का Transaction संभव होगा, सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) का आधार होगा, आपदा प्रबंधन में सहायक होगा, नागरिकों की शासकीय सेवाएं कभी भी एवं कहीं भी प्राप्त हो सकेंगी। यह परियोजना BOOT Model (Build, Own,Operate, Transfer) पर आधारित होगी।

पांच वर्ष की इस परियोजना हेतु स्वीकृत कुल 91.27 करोड़ की रा‍ि ।ा में भारत शासन का अं ।ा 51.25 करोड़ तथा राज्य शासन का अं ।ा 40.02 करोड़ प्रस्तावित है इस परियोजना के कियान्वयन हेतु तैयार की गई आर.एफ.पी. को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
राज्य में 1 राज्य प्रबंध केन्द्र रायपुर में, 17 जिला प्रबंधन केन्द्र एवं 131 विकास खण्ड प्रबंधन केन्द्र बनाये जायेंगे इस हेतु PWD को रू. 324.10 लाख की रा‍ि ।ा प्रदान की गई। उपरोक्त केंन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड स्तर तक 2 Mbps की connectivity दी जायेगी इस हेतु BSNL से बेंडविड्थ हेतु MOU करने संबंधी स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

- **क्षमता विकास कार्यकम–**

राज्य में राश्ट्रीय ई– ।ासन कार्यक्रम लागू करने के लिए क्षमता विकास कार्य किया जा रहा है। इस हेतु राज्य का क्षमता विकास रोड मेप एन.आई.एस.जी. की कंसलटेंसी से तैयार किया गया है जिसके आधार पर यह परियोजना कियान्वित करना है, इसमें मूलतः मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। ई– ।ासन रोड मेप के अंतर्गत राज्य की प्रारंभिक आव ।यकताओं का आंकलन किया जा चुका है, जिसके आधार पर क्षमता विकास कार्यकम की परियोजना तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। उक्त योजना रू. 913 लाख की प्रस्तावित की गई है।

- **सामान्य सेवा केन्द्र (ग्रामीण चॉयीस सेन्टर)–**

ग्रामीण अंचल में सामान्य जन को राज्य शासन की जनोपयोगी जानकारियों को एक ही स्थान में शीघ्रता से पूरी वि ।वसनीयता से प्रदान करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (जिसे ग्रामीण चॉईस सेंटर कहा जायेगा) रहेगा। यह केन्द्र स्वान परियोजना के नेटवर्क का प्रयोग कर जानकारियां प्रदान कर सकेगा। इस परियोजना में राज्य के प्रत्येक छः ग्रामों के बीच एक ग्राम में सामान्य सेवा केन्द्र बनाया जावेगा। यह केन्द्र स्वान परियोजना के नेटवर्क से मुख्यालय से जुड़ा रहेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई–गवर्नेस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण भारत में एक लाख सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3,385 सामान्य सेवा केन्द्र राज्य़ के विभिन्न जिलों में स्थापित किये जायेगें। इस परियोजना के लिए रू. 53 करोड़ की रा‍ि ।ा भारत सरकार द्वारा परियोजना संचालन के लिए स्वीकृत की गई है। इस रा‍ि ।ा का 50 प्रति ।ात रू. 26.50 करोड़ एस.डी.ए. (सर्विस सेंटर एजेंसी) जो कि चिप्स है, को दिया जायेगा व शेष 50 प्रति ।ात रा‍ि ।ा राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना पब्लिक प्रायवेट पार्टनर ।ीप आधार पर संचालित की जायेगी। इस परियोजना में राज्य को 4 जोन में विभाजित किया गया हैं इन चार जोन के लिए निविदा बुलाकर एस.डी.ए. (सर्विस सेंटर एजेंसी) नियुक्त किये जायेगें। ये एस सी ए अपने जोन में आने वाले सामान्य सेवा केन्द्र के लिए वी.एल.ई. (विलेज लेवल इंटरप्रिनर) नियुक्त करेगा।

वर्ष 2008–09 में प्रदे ा में कुल 3,385 ग्रामों में ये केन्द्र खेले जाएगे। इन केन्द्रों में आधुनिकतम तकनीकी के माध्यम से ग्रामीणों को अपने गांव के आस–पास भाासन की कम्प्यूटरीकृत सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस परियोजना के कियान्वयन हेतु Requset for Proposal (RFP) का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। निविदा जारी किये जाने की कार्यवाहीं प्रगति पर है। वर्श 2008–09 के बजट प्रस्ताव में रू. 6.71 करोड़ का प्रावधान है यह राि ा राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत शासन से प्राप्त होगी।

- **ई–शासन रोड मैप–**

छत्तीसगढ़ दे ा का प्रथम राज्य है जो ई– ाासन की सुविधाओं को राज्य में प्रदाय करने के लिये रोड मैप तैयार कर चुका है। ई– ाासन का अर्थ शासकीय सेवाओं को सुविधापूर्ण तथा पारद ीि रूप से (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) नागरिकों को उपलब्ध कराया जाना है। इन सेवाओं को राज्य में प्रदान करने हेतु दस्तावेज तैयार किया जा चुका है, जिसका नाम ई– ाासन रोड मैप है। यह दस्तावेज सरकार के कार्यो को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करने हेतु दि ाा बतायेगा। इस दस्तावेज के तीन भाग है– ई– ाासन दृष्टि, ई– ाासन रणनीति एवं ई– ाासन ब्लू प्रिंट।

इस कार्य हेतु एन.आई.एस.जी. को कंसलटेंट नियुक्त कर ई– ाासन दृष्टि प्रतिवेदन, ई– ाासन रणनीति प्रतिवेदन तथा ई– ाासन ब्लू प्रिंट तैयार किये जा चुके हैं, जिन पर विभागों की राय प्राप्त कर इसे अद्यतन कर लिया गया है। यह प्रतिवेदन जारी करने हेतु तैयार है।

- **स्टेट डाटा सेन्टर–**

भारत शासन, की राष्ट्रीय ई–गवर्नेस परियोजनाओं का एकीकृत डाटा भंडारण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत शासन की वित्तीय सहायता हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इस हेतु भारत शासन द्वारा नियुक्त कन्सल्टेन्ट द्वारा लगभग रू. 41.00 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित की है।

- **गुणवत्ता प्रमाण पत्र–**

चिप्स में आई.एस.ओ. 9001:2000 के सफल कियान्वयन के लिये स्टीयरिंग कमेटी एवं कोर कमेटी का गठन किया गया है। चिप्स की विभिन्न शाखाओं की समय–समय पर बैठकों में विचार विम ा एवं असेसमेंट के पश्चात् क्वालिटी मैन्यूअल बनाया गया है। अगले चरण में इन्टरनल ऑडिटर, चिप्स की कोर कमेटी एवं स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों को प्रि ाक्षण प्रदान किया गया है।

- **BOSS (Bharat Operating System Solution)–**

चिप्स एवं सी–डैक, जो भारत सरकार की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित परियोजना NRCFOSS programme के लिये समन्वयक विज्ञान वेत्ता संस्था है, के मध्य एम.ओ.यू. का निष्पादन अक्टूबर, 2007 को हुआ है। सी–डैक द्वारा ओपन सोर्स/लिनक्स पर BOSS (Bharat Operating System Solution) सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो समस्त भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। सी–डैक सुपर कम्प्यूटिंग तथा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने के लिये जाना जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य सॉफ्टवेयर के मुकाबले सरलतापूर्वक कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर चिप्स को सी–डैक द्वारा निः ाुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। सी–डैक मध्य भारत में अपना पहला सेन्टर इसी राज्य में स्थापित कर रहा है। जहां से वह निकट के प्रदे ाों के उद्योगों तथा वि ोश कर कम्प्यूटर छात्रों, शैक्षणिक संस्थाओ के लिये विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करेगा। इस संबंध में विभिन्न विभागों को यह सूचित किया गया है कि उनके कार्यालय को इस संबंध में किसी भी प्रकार के सहयोग की आव यकता हो तो तत्काल इस कार्यालय से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इस कार्यालय द्वारा उक्त सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में विस्तृत मार्गद ान एवं सहयोग प्रदान किया जा सकेगा।

- **राज्य की छात्राओं में सूचना एवं संचार माध्यम से क्षमता का विकास–**

राज्य के मॉडल क्लस्टर स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं में सूचना एवं संचार माध्यम से क्षमता विकास करने के लिए भारत सरकार ने रू. 32 लाख की परियोजना पर स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों के 100 स्कूलों को एक–एक कम्प्यूटर प्रदान कर विभिन्न संस्थानों से प्राप्त सॉफ्टवेयर और कार्यक्रमों के माध्यम से छात्राओं की बौद्विक क्षमता का विकास किया जायेगा। यह परियोजना राजीव गांधी ि क्षा मि ान के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना अंतर्गत कार्य करने के लिए संबंधित 100 शालाओं के ि क्षकों को जिला स्तर पर प्रि क्षण दिया जा चुका है तथा समस्त 100 शालाओं में हार्डवेयर उपलब्ध कर ि क्षा प्रदान करने का कार्य जारी है।

- **चिप्स द्वारा विभिन्न विभागों को दी जा रही तकनीकी सहायता–**

  - **एग्रीसनेट–** एग्रीसनेट योजना का मुख्य उद्दे य प्रदे ा के कृषको को इंटरनेट के माध्यम से उन्नत कृषि, बीज, उपकरण एवं कृषि तरीकों की जानकारी दी जाना है, ताकि कृषक उन्नत तकनीक का प्रयोग कर लाभ प्राप्त कर सकें। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जो कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जाना है। इस उन्नत तकनीक को ग्रामों तक पहुंचाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी अधोसंरचना तैयार करने के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु कृषि विभाग ने चिप्स को दायित्व सौंपा जिसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर कृषि विभाग को प्रदान किया गया।

  - **जनसम्पर्क विभाग के समाचारों की इंटरनेट पर होस्टिंग–** चिप्स एवं जनसम्पर्क विभाग के मध्य फरवरी 2007 में हुए एम.ओ.यू. के अनुसार संस्था को जनसम्पर्क विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे समाचारों, अलेखों तथा फोटो आदि को विभाग की वेबसाईट पर तत्काल होस्ट करने हेतु जनसम्पर्क विभाग ने रू. 5.86 लाख की राि ा उपलब्ध कराई है।

  - **पंडित सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय हेतु पोर्टल की स्थापना–** वि ववविद्यालय के छात्रों हेतु एज्युके ान एवं नॉलेज पोर्टल हेतु आव यक तकनीकी सहायता चिप्स द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

  - **राज्य ग्रामीण विकास संस्थान हेतु ऑनलाईन ट्रेनिंग नेटवर्क–** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के दूरस्थ 110 ट्रेनिंग सेन्टर एवं 05 स्टूडियों की स्थापना एवं आर्फलाईन ट्रेनिंग हेतु नेटवर्क की स्थापना के लिये आव यक तकनीकी सहायता इसरो की सहयोग से प्रदान की जा रही है।

- **भिलाई में साफ्टवेअर पार्क की स्थापना–**

भिलाई में साफ्टवेअर टेक्नालॉजी पार्क स्थापित है। एस.टी.पी.आई. भिलाई के अंतर्गत कम्प्यूटर साफ्टवेअर के निर्माण हेतु विभिन्न साफ्टवेअर कम्पनीयों को कम लागत पर स्थान, ब्राडबैण्ड एवं विद्युत आदि की सुविधाऍ उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में लगभग नौ विभिन्न साफ्टवेअर कम्पनीयां पंजीकृत हैं एवं इनके 85 व्यक्ति एस.टी.पी.आई में उक्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

- **सूचना सामर्थ्य योजना–**

राज्य के निवासियों को आई.टी. के क्षेत्र में रोजगार देने के लिये यह योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के निवासी युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी की समर्थित सेवाओं में रोजगार देने वाले उद्योगों में कम से कम दो वर्ष के लिये रोजगार प्रदान किया जाना लक्षित है। बजट में प्रस्तावित राि ा रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को बिना ब्याज के वित्तीय सहायता दिये जाने के लिये उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

22.6 जैव प्रौद्योगिकी गतिविधियां–

जैव प्रौद्योगिकी के कार्यो का मूल लक्ष्य नागरिकों के हित में राज्य के जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य में अद्योसंरचना का विकास तथा

मानवीय संसाधनों में वृद्धि करने का कार्य किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं–

- **चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम–**

राज्य के एक मात्र शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में माह जुलाई 2005 से चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी. का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम को पंडित रवि ांकर वि वविद्याालय की मान्यता प्राप्त है।

- **अनुवांशिक बीमारियों के निदान के लिये क्षेत्रीय केन्द्र एवं प्रयोग शाला–**

पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के जैव रसायन विभाग में अनुवां ाक बीमारियों के निदान हेतु मालिक्यूलर बायोलॉजी स्तर की जांच के लिये केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार की जांच का कोई केन्द्र राज्य में नहीं है। प्रतिवेदन अवधि में इस केन्द्र में 1,00,000 से अधिक रोगियों की जांच की गई है। इस केन्द्र सिकलसेल बीमारी के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका है।

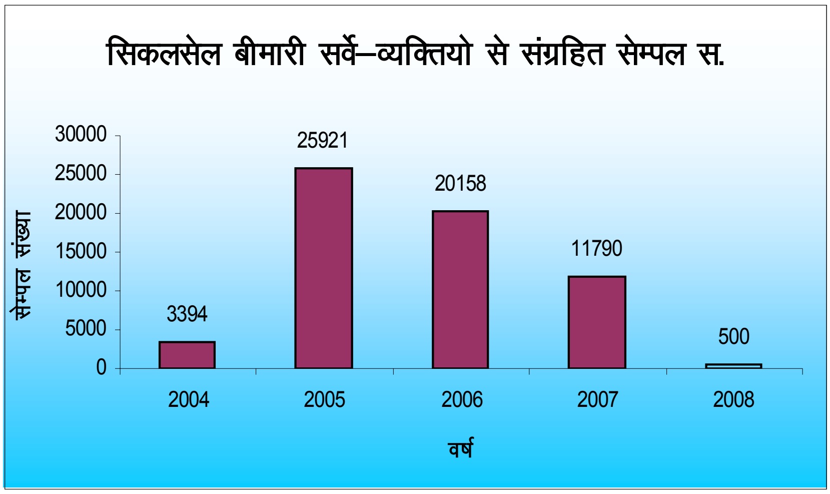

नोटः– Door-To-Door Survey के कारण जिनेटिक काउंसिलिंग सेंटर पर मरीजों की संख्या कम है।

- **जैव प्रौद्योगिकी उद्यान–**

राज्य में जैव प्रौद्योगिकी उद्यान की स्थापना के लिये परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा प्रमोटेड संस्थान बॉयोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, संस्था द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जा कर संबंधित विभागों को विचारार्थ एवं सुझाव हेतु भेजा गया हैं। यह प्रतिवेदन अंतिम रूप से तैयार होने पर इस पर वित्तीय सहायता ली जा कर उद्य ान तैयार किया जायेगा।

- **पुरस्कार–**

बैंगलोर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बायोफेयर में विभाग को ज्यूरी स्पे ाल अवार्ड प्राप्त हुआ है।

अध्याय – 24

24.1 जेल

प्रदे ा में पांच सेन्ट्रल जेल, 10 जिला जेलें और 12 उप जेलें है। सभी जेलों का प्र ाासन जेल मुख्यालय से होता है। प्रदे ा के दुरांचल में स्थापित जेलों की प्र ाासन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये समस्त जेलों को 05 अंचलों (सर्किल) में बांटा गया है। पांच सर्किल जेलें रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और दुर्ग है। सभी जेलों की अधिकृत आवास क्षमता 3219 है।

24.1.1 बजट आबंटन तथा व्यय

जेलों के प्र ाासकीय तथा कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये राज्य निर्माण के बाद से बजट आबंटन तथा व्यय निम्नानुसार रहा है।

तालिका क. – 24.01
बजट आबंटन तथा व्यय

(रा ि लाख रू. में)

क.	वर्श	आबंटन	व्यय
1	2000–01	1.52	1.93
2	2001–02	0.51	13.70
3	2002–03	113.56	124.91
4	2003–04	206.23	139.68
5	2004–05	217.14	195.26
6	2005–06	160.00	102.03
7	2006–07	256.00	199.17

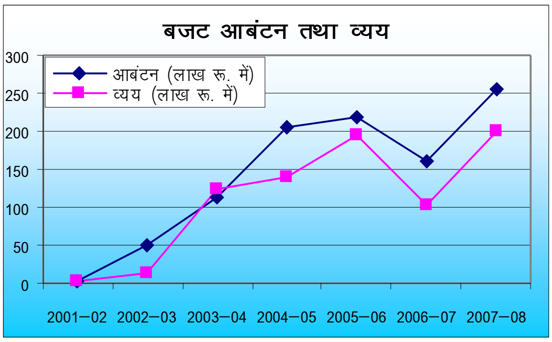

24.1.2 बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रि ाक्षण

बंदी सजा के दौरान तथा सजा काटने के प चात आत्मनिर्भर बन सके इसलिये बन्दियों को प्रि ाक्षित बन्दियों तथा प्रि ाक्षकों के माध्यम से प्रि ाक्षण दिया जाता है। इसमे सिलाई, बुनाई, बढ़ई, लोहारी, वुडकार्विंग, प्रिन्टिग, बेलमेटल, फर्नीचर, मसाला बनाने, साबुन, जूट के सजावटी समान, टेराकोटा तथा मूर्ति उद्योग आदि का प्रि ाक्षण दिया जाता है। केन्द्रीय जेलों में महिला बंदियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि का प्रि ाक्षण दिया जाता है।

24.1.3 कल्याणकारी कार्य

योजना मद में प्राप्त रा ि से प्रदे ा की विभिन्न जेलों में किचन भोड, बाउण्ड्रीवॉल, वॉच टॉवर, कर्मचारियों के आवासगृह तथा अतिरिक्त बैरकों का निर्माण किया गया है।

24.2 विधिक सहायता

24.2.1 गरीबों को कानूनी सहायता :–

गरीबों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता पहुंचाने एवं उन्हे अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निः ुल्क कानूनी सहायता उलब्ध करायी जा रही है । इस योजना के अंतर्गत किये गये व्यय एवं हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क. – 24.02

(राशि लाख में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2002-03	12.80	12.80
2003-04	20.00	20.00
2004-05	19.50	19.50
2005-06	21.50	21.50
2006-07	48.50	48.50
2007-08	123.50	98.50

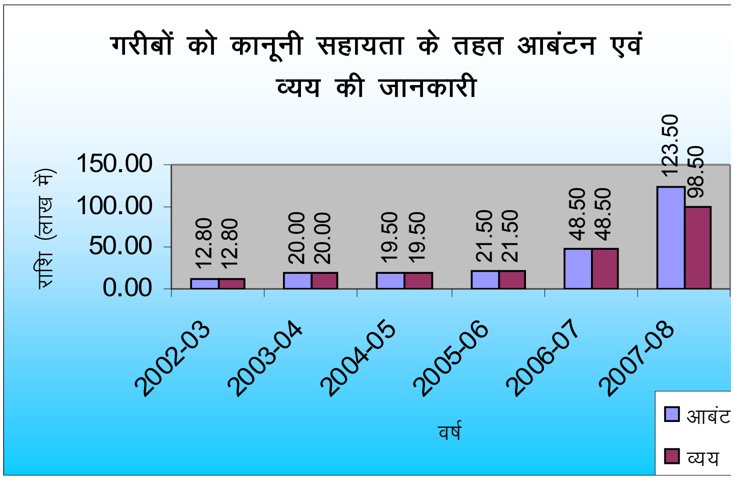

तालिका क. – 24.03

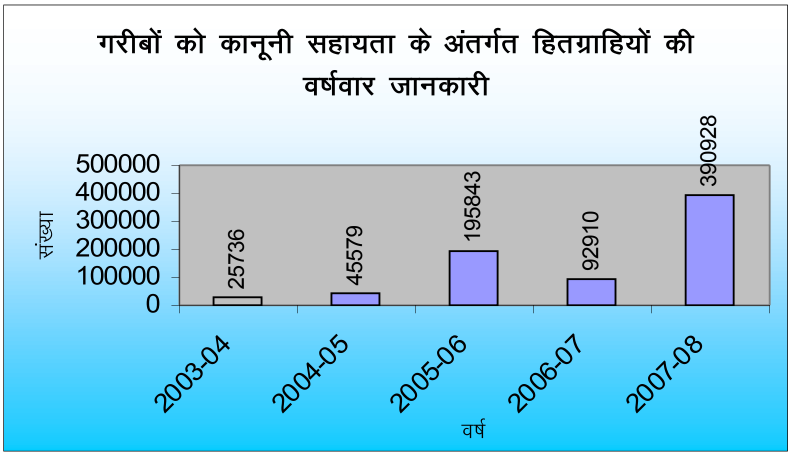

उपरोक्त दंड आरेख से स्पश्ट है कि लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तथा उनके द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त की जा रही है ।

24.2.2 अधोसंरचना विकास
निर्माण कार्य –

राज्य में न्यायालयीन भवनों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने पर वि ोश ध्यान दिया गया है । सभी न्यायालयों को मापदंडानुसार भवन उपलब्ध कराने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है । जहॉ जहॉ अतिरिक्त भवन निर्माण विस्तारण किया जाना था, वहॉ अतिरिक्त निर्माण कराया जा रहा है ।

बोदरी, बिलासपुर में रू. 84.55 करोड़ की लागत से उच्च न्यायालय भवन एवं रू. 37.50 करोड़ की लागत से उच्च न्यायालय के न्यायाधी ों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कालानी का निर्माण पूर्णता पर है ।

तालिका क. – 24.04

न्यायालय भवन के लिए स्वीकृत राशि एवं व्यय की जानकारी

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय
2003-04	12.38	183.72
2004-05	606.87	127.4
2005-06	860.55	185.49
2006-07	166.43	243.48
2007-08	8882.82	4899.51

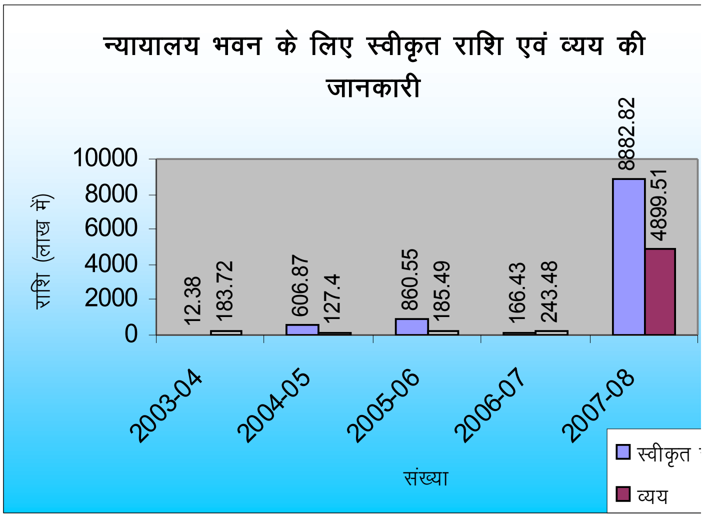

कम्प्यूटरीकरण –

राज्य में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण पर वर्शवार निम्नानुसार व्यय किया गया है :–

तालिका क. – 24.05
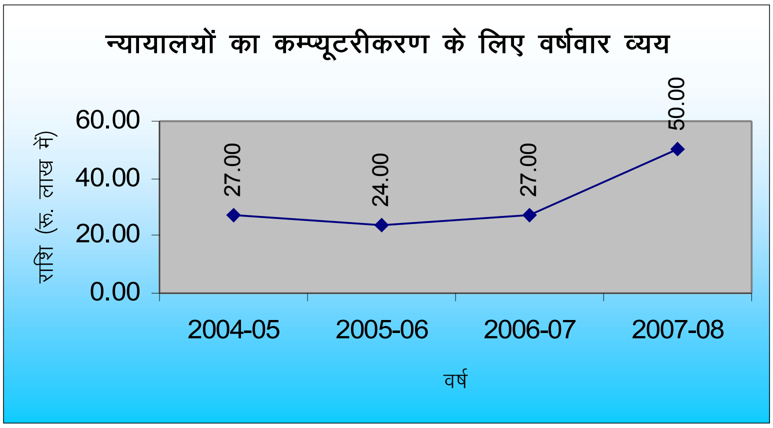
वर्ष	व्यय (राि ा लाख में)
2004-05	27.00
2005-06	24.00
2006-07	27.00
2007-08	50.00